

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

राजकीय अर्थशास्त्र

(PUBLIC ECONOMICS)

(भारतीय आर्थिक व्यवस्था की विस्तृत विवेचना सहित)

लेखक

तिलक नारायण हजेली, एम ए,
लेखपाल, अर्थशास्त्र विभाग,
बरेली कातेज, बरेली ।

प्रावक्तयन लेखक

नुरलोपर जोशी, एम. ए, पी-एच डी डी लिट्,
प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग,
सखनऊ विद्वद्विद्यालय, सखनऊ ।

प्रकाशक

सरस्वती सदन, मसूरी

[मूल्य १३ रुपये ५० नये पैसे]

के आधार पर लिखा है। पुस्तक के अन्तर्गत जो कुछ लिखा गया है वह सारगर्भित है। भारत के राजकीय अर्थशास्त्र को सम्मिलित करके उन्होंने पुस्तक की उपयोगिता में वृद्धि कर दी है। एक ही स्थान में इतनी प्रचुर सामग्री को व्यवस्थित रूप में रखकर लेखक ने अपनी कार्य कुशलता का परिचय दिया है।

हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा है। इस भाषा में विविध विषयात्मक उच्चकोटि के साहित्य का सृजन ही हमकी अत्यन्त आवश्यकता है। स्नानर और शास्त्रोक्त विचारों में अनेक विद्यार्थी हिन्दी के माध्यम द्वारा पढ़ते हैं और प्रश्नपत्रों का उत्तर देते हैं। श्री हजेला ने प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक द्वारा विशेषतः इन विद्यार्थियों का और सामान्यतया इस विषय के प्रेमियों का उपकार किया है। इस दृष्टिकोण से मैं इस पुस्तक का स्वागत करता हूँ और लेखक को बधाई देता हूँ।

राजनिक विश्व-विद्यालय

लखनऊ

अक्तूबर २२, १९५९

मुरलीधर जोशी

भूमिका

गत ५० वर्षों में 'राज्य' के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक, दोनों ही रूपों में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं। परिणामस्वरूप राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक सभी क्षेत्रों में राज्य का स्थान प्रमुख हो गया है। आज राज्य मनुष्य के जीवन के प्रत्येक पहलू पर छाया सा दीखता है। पिछली शताब्दी तक मनुष्य राज्य के केवल राजनैतिक महत्व की ओर ही ध्यान देता था। किन्तु वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भ से ही विचारों में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए, परिस्थितियों ने कुछ ऐसे करवट ली कि आज मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन राज्य के हाथ में है। राजनैतिक क्षेत्र में यह परिवर्तन उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, जितने आर्थिक क्षेत्र में हैं। पिछली शताब्दी तक विचारकों तथा नीतिकारों का बहुमत इसी बात के पक्ष में था कि आर्थिक क्षेत्र में मनुष्य को पूर्ण स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये और राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिये। किन्तु आज सभी की यह भावना है कि मनुष्य की व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं का नियमन राज्य द्वारा होना चाहिये। इसीलिये तो राज्य की आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है। आज मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन का इतना महत्व नहीं है, जितना कि राज्य की आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन का।

प्रस्तुत पुस्तक 'राजकीय अर्थशास्त्र' राज्य की विभिन्न आर्थिक क्रियाओं तथा उनसे उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं का एक अध्ययन है। भारतीय विश्व-विद्यालयों में अर्थशास्त्र में एम. ए. तथा एम. काम व अनासं कक्षाओं के पाठ्यक्रम में 'राजकीय अर्थशास्त्र' के अध्ययन को एक पृथक परीक्षापत्र के रूप में सम्मिलित किया गया है। वही-वही पर इसके अनिवार्य भी कर दिया गया है। 'राजकीय अर्थशास्त्र' एक व्यापक विषय है। इसके अन्तर्गत राज्य की लगभग सभी आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जा सकता है। किन्तु एक पाठ्यपुस्तक में सभी छोटी बड़ी क्रियाओं के अध्ययन को सम्मिलित करना न तो सम्भव ही है और न रुचिकर ही। इसीलिये इस पुस्तक में राज्य की केवल महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाओं से सम्बन्धित समस्याओं की विवेचना की गई है। वैसे तो अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य तथा भारतीय लेखकों ने राज्य की पृथक-पृथक क्रियाओं पर अनेकों पुस्तकें लिखी हैं और आर्थिक नियोजन, आर्थिक व्यवस्था, पूर्ण रोजगार, राजस्व नीति आदि विषयों पर साहित्य को कोई कमो नहीं है, किन्तु हिन्दी भाषा में अभी तक कोई ऐसी पुस्तक नहीं लिखी गई जो इन सभी विषयों के एक साथ अध्ययन के लिये उपयुक्त हो। अंग्रेजी भाषा में इस विषय पर सबसे पहली पाठ्य-पुस्तक मेरठ कानिज के डाक्टर सर्कमना तथा प्रो० माधुर ने प्रस्तुत की थी। हिन्दी

के राष्ट्रभाषा घोषित होने के बाद से हिन्दी का महत्व दिन प्रति दिन बढ़ता ही जा रहा है। विभिन्न विश्वविद्यालयों ने भी विद्यार्थियों को हिन्दी में उत्तर लिखने की सुविधा प्रदान की है, किन्तु इस विषय पर हिन्दी भाषा में कोई 'स्टेन्डर्ड' पुस्तक न होने से विद्यार्थियों को बहुत कठिनाई हो रही थी। अंग्रेजी भाषा में रचित इस परीक्षापत्र में सम्मिलित सब पुस्तकों को पढ़ने की एक तो विद्यार्थियों में रचि ही नहीं है, दूसरे विधानता के कारण न वे सब पुस्तकें उन्हीं उपलब्ध ही हो पाती हैं और यदि कुछ पुस्तकें मिल भी जायें तो अंग्रेजी को समझने तथा लिखने का स्तर इतना गिर गया है कि उन पुस्तकों को पठ कर विद्यार्थी अपने विचारों को स्पष्ट ही नहीं कर पाते। यदि अंग्रेजी भाषा में लिखित 'स्टेन्डर्ड' पुस्तकों का अनुवाद हो गया होता तो यह कभी बहुत कुछ दूर हो लोनी। किन्तु अभी तक यह सम्भव न हो सका है। जो कुछ पुस्तक के अनुवाद हुए भी हैं वे पूर्णतया अर्थहीन हैं और केवल शब्दार्थ ही हैं अनुवाद नहीं। उदाहरण के लिए यह भी है कि हमारे विद्यार्थियों को अपनी तन हिन्दी भाषा का पूरा ज्ञान नहीं है। हमारे शब्दकोष के रचियेताओं ने जो अंग्रेजी शब्दों के जो अर्थ लिखे हैं वे इतने गूढ़ तथा क्लिष्ट हैं कि न तो उनका उच्चारण ही सरल होता है और न वे सरलता से याद ही रखे जा सकते हैं। मैंने विद्यार्थियों की इन कठिनाइयों की ओर पूरा ध्यान दिया है। वास्तव में इसी से मुझे हिन्दी में इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा भी मिली। हिन्दी में होते हुए भी इसकी भाषा क्लिष्ट नहीं है। मैं इस ओर विशेष ध्यान दिया है कि भाषा जहाँ तक सम्भव हो लेनी रहे कि हर विद्यार्थी समझ सके। हिन्दी भाषा में पढ़ाने से मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ तब जो कठिनाइयाँ मेरे मार्ग में आईं और जो कठिनाइयाँ मुझे अपने विद्यार्थियों में महसूस होती रहीं, उन सभी को दूर करने का मैंने प्रयत्न किया है। नई स्थानों पर मुझे अपने शब्द भी बनाने पड़े हैं। ही शक्ति है भाषा विज्ञान की दृष्टि में व गलत है। उनके लिये मैं हिन्दी भाषा के विद्वानों से सहायता चाहता हूँ। यदि मेरे विद्यार्थी विषय को समझने में सफल हो जाते हैं और यदि उनकी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं तो मैं अपने प्रयास को सफल समझूँगा।

अध्ययन की सुविधा देने पुस्तक को चार भागों में विभाजित किया है—
 (१) मनुष्य के दार्शनिक जीवन में राज्य का स्थान, (२) राजस्व, (३) पूर्ण रोजगार तथा राजस्व नीति, और (४) आर्थिक नियोजन। इस प्रकार यह पुस्तक एम ए. तथा एम. एम. के विद्यार्थियों के लिये राजकीय अर्थशास्त्र का एक विस्तृत अध्ययन है। यह पुस्तक मेरे अपने नाम में अवश्य प्रकाशित हो रही है, किन्तु मेरे निवृत्त नाम में कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वह मेरे गुरुजनों, मेरे मित्रों, मेरे विद्यार्थियों तथा विषय के उन प्रवीण विद्वानों का है जिनके विचारों का मैंने प्रयोग किया है तथा जिन्होंने स्वयं म्यान पर रवीन्द्र विद्या है, किन्तु यदि नहीं छूट गया हो तो पर भूत पम ही है।

इस पुस्तक को लिखने में मुझे सबसे अधिक प्रेरणा, राईव की भाँति, अपने

गुरु श्री कालका प्रसाद भटनागर, वाइस चान्सलर, आगरा यूनिवर्सिटी आगरा से प्राप्त हुई है। मैं उनकी कृतज्ञता को अभिव्यक्त करने के लिये अपने कोप में शब्दों का अभाव पा रहा हूँ। सचमुच जितना कहा जाय उतना ही कम होगा। संक्षेप में, जो कुछ है सब उन्हीं का है।

मैं अपने गुरुजनो में डा० महेन्द्र प्रसाद मायूर, प्रिंसिपल, महाराना कालेज उदयपुर, और प्रो० अनन्तराम निगम, अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, डी ए वी. कालेज, कानपुर का विशेष रूप से आभारी हूँ। अपने मित्र गणों में, प्रो० त्रिभुवन नाथ भगोलीवाल, डाक्टर सुरेशचन्द्र गुप्त, और डाक्टर सुरेन्द्र प्रसाद सक्सेना, प्राध्यापक अर्थशास्त्र विभाग, डी ए. वी. कालेज, कानपुर और डाक्टर गिरधारीलाल हजेला, वाणिज्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से मुझे समय-समय पर बहुमूल्य सुझाव प्राप्त होते रहने से, मैं पुस्तक की रचना करने में समर्थ हो सका हूँ। बरेली कालेज के अपने सहयोगी अध्यापक मित्रों को भी विस्मरण नहीं कर सकता, जिन्होंने इस ग्रन्थ की रचना करने के लिए मुझे समय-समय पर प्रोत्साहन दिया है। मेरा उनके लिये हृदय से धन्यवाद। पुस्तक की रूप रेखा तथा सूची तैयार करने में मुझे अपनी धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला हजेला तथा प्रो० कृष्ण मोहन सहाम, महाराज कुमार कालेज, जोधपुर से अपूर्व सहायता प्राप्त हुई, मैं इनका भी कृतज्ञ हूँ।

मैं डा० मुरलीधर जोशी, एम ए, पी एच-डी डी लिट. रीडर, अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्व विद्यालय, लखनऊ का अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने इस पुस्तक को पढ़ने तथा प्राक्कथन लिखने का कष्ट किया।

पुस्तक में, सुधारों के निमित्त जो सुझाव मुझे प्राप्त होंगे, उनका मैं हृदय से स्वागत करूँगा और शीघ्र ही क्रियान्वित करने का प्रयत्न करूँगा।

तिलक नारायण हजेला

बरेली कालेज,
बरेली।

विषय-सूची

— ० : —

पुस्तक-पहली

मनुष्य के आर्थिक जीवन में राज्य का स्थान (Role of the State in Man's Economic Life)

अध्याय १—राजकीय अर्थ-शास्त्र का परिचय (Introduction to Public Economics) ३

राजकीय अर्थ शास्त्र की परिभाषा एवं क्षेत्र, आर्थिक जीवन में राज्य का स्थान, आधुनिक राज्यों की आर्थिक क्रियाएँ—(१) राष्ट्र के आर्थिक ढाँचे की रक्षा करना, (२) नियमन एवं नियन्त्रण, (३) आर्थिक सहायता, (४) प्रत्यक्ष सहभागिता, (५) मौद्रिक नीति, और (६) राजकीय वित्त, राज्य की आर्थिक क्रियाओं की वृद्धि के कारण ।

२—आर्थिक व्यवस्था (Economic Order) १४

आर्थिक व्यवस्था का अर्थ एवं रूप—(अ) आयोजनबद्ध अर्थ-व्यवस्था—विशेषताएँ, पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था—परिभाषा, विशेषताएँ, लाभ और दोष, (ब) योजनाबद्ध अर्थ-व्यवस्था—विशेषताएँ, समाजवाद—परिभाषा, विशेषताएँ, समाजवाद के विभिन्न रूप, गुण एवं दोष, (ग) मिश्रित अर्थ व्यवस्था—परिभाषा विशेषताएँ, गुण एवं दोष ।

अध्याय ३—एकाधिकारी संस्थाओं पर राजकीय नियन्त्रण (Public Control of Monopolistic Organisations) ४४

एकाधिकार का अर्थ एवं महत्व एकाधिकारी संस्थाओं के लाभ और दोष एकाधिकार पर नियन्त्रण—अप्रत्यक्ष विधियाँ, (अ) औद्योगिक सघ विरोधी नियम, (ब) संप्रभाषिक प्रतियोगिता को बनाये रखना, प्रत्यक्ष विधियाँ (अ) केंताओं की संस्थाएँ (ब) एकाधिकार सम्बन्धी सूचन ओ को प्रकाशित करना (ग) मूल्य नियन्त्रण, जनोपयोगी सेवाओं (Public Utility Services) की नियन्त्रण विधियाँ ।

अध्याय ४—राज्य द्वारा उद्योगों की व्यवस्था एवं संचालन (Public Management and Operation of Industries) ५७

प्राक्-पक्ष, राजकीय संचालन के पक्ष में, राजकीय संचालन के विपक्ष में, निष्कर्ष भारत में राजकीय उपक्रम का इतिहास—सन् १९४८ की १५^{वाँ} अमendment सन् १९५६ की औद्योगिक नीति सन् १९४८ और सन् १९५६ की नीतियों की तुलना, भारत में राजकीय उद्योग,

निर्माण उद्योग, वायु यातायात का राष्ट्रीयकरण, बैंको का राष्ट्रीयकरण, जीवन बीमे का राष्ट्रीयकरण ।

अध्याय ५—सामाजिक सुरक्षा (Social Security)

७७

प्राक्कथन, सामाजिक बीमा की विशेषताएँ, सामाजिक सुरक्षा से भेद, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विचार का उदगम, बँदरिज योजना—योजना का कार्य-क्षेत्र, योजना से प्राप्त होने वाले लाभ, संयुक्त राज्य अमरिका में सामाजिक सुरक्षा, जापान में सामाजिक सुरक्षा, भारत में सामाजिक सुरक्षा—अडारकर योजना, कर्मचारियों का सरकारी बीमा अधिनियम १९४८, मजदूरों का मुआवजा अधिनियम, प्रमुख लाभ सम्बन्धी व्यवस्था, बेकारी बीमा, वृद्धावस्था और अयोग्यता सम्बन्धी सुरक्षा निष्कर्ष ।

अध्याय ६—वस्तुओं के मूल्यों की पूर्ति तथा गुणों पर राज्य का नियन्त्रण (Public Control of Prices, Supply and Qualities of Commodities) १०२

प्राक्कथन, मूल्य नियन्त्रण की रीतियाँ—(१) प्रत्यक्ष रीतियाँ, (अ) ऊँचे मूल्यों पर नियन्त्रण—व्यापार चक्र, युद्ध काल आर्थिक नियोजन, स्थानीय कारण और एकाधिकारी व्यवस्था, बढ़ने हुए मूल्यों को नियन्त्रित करने के उपाय, कठिनाइयाँ, (ब) नीचे मूल्यों पर नियन्त्रण, और (स) मूल्य स्थिरता, (२) अप्रत्यक्ष रीतियाँ, भारत में मूल्य नियन्त्रण सम्बन्धी नीतियाँ, वस्तुओं की पूर्ति का नियमन, भारत में राशनिंग प्रणाली, वस्तुओं में मिलावट, भारत में वस्तुओं की मिलावट, रोकने के उपाय ।

पुस्तक—दूसरी

‘राजस्व’

(Public Finance)

अध्याय १—राजस्व का परिचय (Introduction to Public Finance) १

राजस्व का परिभाषा, विषय एवं क्षेत्र—राजकीय व्यय, राजकीय आय, राजकीय ऋण, वित्तीय प्रबन्ध और मधोय वित्त, राजस्व एवं व्यक्तिगत वित्त व्यवस्था में भेद, राजस्व का उद्देश्य—अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धान्त, सिद्धान्त की व्यवहारिक कठिनाइयाँ, श्रीमती हिक्स के विचार, राजस्व का महत्व ।

भाग—१

राजकीय व्यय

अध्याय २—राजकीय व्यय की प्रकृति एवं सिद्धान्त (Nature and Principles

वृद्धि, राजकीय व्यय वा मिद्वान्त, राजकीय व्यय के नियम, राजकीय व्यय का वर्गीकरण—कोहल तथा फ्लैहल का वर्गीकरण, निवलमन का वर्गीकरण, एडम्स का वर्गीकरण, मिल का वर्गीकरण, रोडर का वर्गीकरण, थिराज का वर्गीकरण, टाल्टन का वर्गीकरण, पीगू का वर्गीकरण, जे० के० मेहता व विचार, अन्य वर्गीकरण ।

अध्याय ३—राजकीय व्यय के प्रभाव (Effects of Public Expenditure) ३२

प्राक्कथन, राजकीय व्यय और उत्पादन—(अ) कार्य करने की क्षमता तथा वचान की क्षमता पर प्रभाव, (ब) कार्य करने और वचाने की दक्षिण पर प्रभाव और (स) विभिन्न स्थानों तथा उपयोगी म धारायि साधनों के स्थानान्तरण पर प्रभाव, राजकीय व्यय और वितरण, अन्य प्रभाव ।

भाग—२

अध्याय ४—भारत में राजकीय व्यय (Public Expenditure in India) ४०

भारत में राजकीय व्यय की मुख्य प्रवृत्तियाँ, भारत में राजकीय व्यय पर एक दृष्टि, भारत के सविधान में मद्य तथा राज्य सरकारों के बीच कार्यों का वितरण, मद्य सरकार के व्यय की मुख्य मद्दे—रक्षा व्यय, नागरिक व्यय, पूँजीगत व्यय । राज्यों के व्यय की मुख्य मद्दे—नागरिक प्रभागन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास इत्यादि, उद्योग साधननिर्माण काय, आय सम्बन्धी व्यय तथा पूँजीगत व्यय ।

भाग—३

राजकीय आय

अध्याय ५—राजकीय आय के स्रोत (Sources of Public Revenues) ५६

प्राक्कथन, राजकीय आय के स्रोत—(१) कर (२) राजकीय सम्पत्ति तथा उद्योग (३) प्रशासन सम्बन्धी आय (४) उपहार तथा अनुदान, राजकीय आय का वर्गीकरण—सैलिंगमैन, बँस्टेबिल, एडम्स, और टाल्टन आदि लेखकों व वर्गीकरण ।

अध्याय ६—करारोपण के सिद्धान्त एवं रूप (Principles and Forms of Taxation) ७०

करारोपण के उद्देश्य, करारोपण के सिद्धान्त—धातम सिद्धांत के सिद्धान्त, अन्य सिद्धान्त, एक अरबों कर प्रणाली के गुण, एक तथा बहु कर प्रणाली, कर का वर्गीकरण—प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर, इनके दोष तथा गुण, हिमाकों के विचार; अनुवातिक, प्रगतिशील, प्रतिगामी तथा उदागामी करारोपण ।

अध्याय ७—करारोपण में न्याय की समस्या (Problem of Justice in Taxation)

६१

प्राक्कथन, वित्तीय सिद्धान्त, लाभ सिद्धान्त, डिमाकों का धाय सिद्धान्त, कर दान योग्यता सिद्धान्त—भावात्मक दृष्टिकोण—समान त्याग का सिद्धान्त, समानुपातिक त्याग का सिद्धान्त, न्यूनतम त्याग का सिद्धान्त वस्तुगत दृष्टिकोण ।

अध्याय ८—करारोपण के आर्थिक प्रभाव (Economic Effects of Taxation) १००

प्राक्कथन, करारोपण के उत्पादन पर प्रभाव (१) व्यक्तियों की काम करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव, (२) काम करने तथा बचत करने की योग्यता पर प्रभाव—(अ) करारोपण से उत्पन्न होने वाली मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएँ और (ब) करा की प्रवृत्ति, (३) करारोपण का आर्थिक साधनों के पुनर्वितरण पर प्रभाव, करारोपण के वितरण पर प्रभाव, करारोपण और उपभोग, करारोपण और आर्थिक स्थिरता ।

अध्याय ९—कर-भार एवं कर विवर्तन (Incidence and Shifting of Taxes) ११५

प्राक्कथन, कर का प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष भार मौद्रिक तथा वास्तविक भार उपरिक्त तथा प्रभावयुक्त कर भार, कर भार व अध्वयन का महत्व, कर विवर्तन के सिद्धान्त केन्द्रीयकरण का सिद्धान्त, प्रसार सिद्धान्त, आधुनिक सिद्धान्त, कर भार वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति की लोच पर निर्भर करता है पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में कर भार, कर भार और स्थानापन्न वस्तुएँ, कर भार और उत्पात्ति के नियम, एकाधिकारिक दशाया में कर भार, एकाधिकारिक प्रतियोगिता में कर भार, भूमि पर लगे हुए कर का भार, आयात तथा निर्यात करों का भार, आय कर का भार, सम्पत्ति कर का भार ।

अध्याय १०—कर दान क्षमता (Taxable Capacity)

१३५

प्राक्कथन, कर दान क्षमता की विभिन्न परिभाषाएँ, कर-दान क्षमता किन बातों पर निर्भर करती है ? भारत में कर-दान क्षमता, कर जैचि आयोग और कर दान क्षमता ।

भाग—४

संघीय वित्त-व्यवस्था

अध्याय ११—संघीय वित्त-व्यवस्था के सिद्धान्त (Principles of Federal Finance)

१५२

प्राक्कथन, संघीय शासन प्रणाली के मुख्य अंग, विभिन्न सरकारों में कार्यों का विभाजन, वित्तीय स्रोतों का विभाजन, संघीय वित्त व्यवस्था के सिद्धान्त—एकरूपता, स्वतन्त्रता, पर्याप्तता, प्रशासन की कुशलता, वित्तीय-

भाषनों में प्रावश्यकतासुमार फेर-बदल—(१) कर-आय का वितरण (२) प्रतिरिक्त कर, (३) सघीय आर्थिक महायता, और (४) राज्यों का सघ सरकार के त्तिय अग दान ।

अध्याय १२—भारत में सघीय वित्त-व्यवस्था का उद्गम (Evolution of the Federal Financial System in India)

१६५

प्राक्कथन, सघीय वित्त का विवेन्द्रोपकरण—पहला प्रयास सन् १८६०-७७—समी योजना (१८७१-१८७७), दूसरा प्रयास सन् १८७७-१८८२, तीसरा प्रयास सन् १८८२-१९१९, चौथा प्रयास सन् १९१९-१९३५—सेन्टन एक्ट, पाँचवाँ प्रयास १९३५-१९४५, चौथीनीमियर रिपोर्ट, रिपोर्ट पर एक दृष्टि, द्वितीय महायुद्ध ।

अध्याय १३—भारत में सघीय वित्त-व्यवस्था (क्रमशः)—स्वतन्त्रता और उसके पश्चात् (Federal Financial System in India—Independence and After)

१८२

सन् १९४८ की नई योजना, सरकार समिति, देवमुण एक्ट, सघनीय मन्त्रिमण्डल म सघ और राज्य सरकारों के परस्परित्त वित्तीय सम्बन्ध, देशी रियासतों का एकीकरण, प्रथम वित्त आयोग—मिफारिमें और रिपोर्ट पर एक दृष्टि, दूसरा वित्त आयोग—मिफारिमें और रिपोर्ट पर एक दृष्टि ।

भाग ५

भारतीय कर प्रणाली और उसके मुख्य अंग

अध्याय १४—भारतीय कर प्रणाली (The Indian Tax System)

२०१

भारतीय कर प्रणाली की विशेषतायें, भारतीय कर प्रणाली का सुधार—कर आच आयोग की मिफारिमें और उनकी आलोचना, प्रो० कन्होरी की मिफारिमें, प्रथम योजना काल म वजत की मुख्य प्रवृत्तियाँ, दूसरी योजनाकाल म वजत—सन् १९५९-६० क वजत की मुख्य बातें ।

अध्याय १५—भारत में सघ सरकार की आय के मुख्य स्रोत—आय-कर (Sources of Revenue of the Union Government in India—Income Tax)

२१७

भारत म सघनीय आय की मुख्य प्रवृत्तियाँ, आय कर—प्राक्कथन, सुद्ध व्यक्तिगत आय का अर्थ, आय-कर निर्धारण क मिद्वान, आय-कर के गुण, आय-कर म खण्ड प्रणाली का मन्त्र, आय कर का प्रभाव, कार-पोरेसन कर का मन्त्र, भारत म आय कर का इतिहास, भारतीय आय कर की मुख्य विशेषतायें, कर आयोग की मिफारिमें, कारपोरेसन कर तथा अगिा नाम कर—प्रो० कन्होरी के प्रस्ताव ।

अध्याय १६—सद्य सरकार की आय के स्रोत (क्रमशः)—सम्पत्ति करारोपण—
(मृत्यु कर) Sources of Revenue of the Union Government (contd.)—Property Taxation (Death Duties) २३८

प्राक्कथन, मृत्यु कर की परिभाषा, मृत्यु कर के विभिन्न सिद्धान्त—(१) लाभ सिद्धान्त (२) राज्य की साभेदारी का सिद्धान्त (३) पिछला-कर सिद्धान्त, (४) कर दान योग्यता सिद्धान्त—मृत्यु कर में प्रगतिशीलता, (५) धन के पुनर्वितरण सम्बन्धी सिद्धान्त, (६) मृत्यु कर और वचतों, रिगनानो योजना, योजना पर एक आलोचनात्मक दृष्टि, मृत्यु कर का भार, मृत्यु कर के पक्ष तथा विपक्ष में, भारत में मृत्यु कर, भारतीय जायदाद कर अधिनियम, अधिनियम की विधेयतायें, मृत्यु कर का प्रशासन, भारतीय अधिनियम में सन् १९५८ के संशोधन, भारतीय जायदाद कर का भार, मृत्यु कर की आलोचना ।

अध्याय १७—सद्य सरकार की आय के स्रोत (क्रमशः)—सम्पत्ति कर, उपहार कर, विशेष पूंजी लाभ कर तथा धन कर [Sources of Revenue of the Union Government (contd.)—Property Taxation—Gifts Tax, Capital Gains Tax and Wealth Tax] २५६

उपहार कर, कर से छूट, कर का भविष्य, धन या सम्पत्ति कर, कर से छूटें, कर की आलोचना, पूंजी लाभ कर ।

अध्याय १८—सद्य सरकार की आय के स्रोत (क्रमशः)—वस्तु तथा ध्रुवित गत व्यय करारोपण [Sources of Revenue of the Union Government (contd.)—Commodity and Personal Expenditure Taxation] २६८

वस्तु करारोपण—प्राक्कथन, उत्पादन कर, कर लगाने की रीतियाँ, उत्पादन कर का भार, भारत में सद्य सरकार द्वारा लगाय गए उत्पादन कर, नमक कर, सीमा शुल्क—निर्मात कर, आयात कर—सीमा शुल्क के रूप, सीमा शुल्क का भार, भारत में सीमा शुल्क, कर जाँच आयोग की सिफारिशें, व्यय करारोपण—सैद्धान्तिक पृष्ठ भूमि, व्यय कर के पक्ष तथा विपक्ष में, भारत में व्यय कर ।

अध्याय १९—सद्य सरकार के गैर-कर सम्बन्धी आय के स्रोत (Non tax Sources of Revenue of the Union Government) २८५

प्राक्कथन, सद्य सरकार की आय के गैर-कर सम्बन्धी स्रोत, रेलें, रेलों का वित्तीय इतिहास, डाक व तार, मुद्रा व टकसाल ।

अध्याय २०—राज्य सरकारों की आय के स्रोत—मालगुजारी तथा कृषि आय कर (Sources of State Revenue—Land Revenue and Agricultural Income Tax) २६३

प्राक्कथन, मालगुजारी—भारत में मालगुजारी का इतिहास, मालगुजारी तथा करारोपण के सिद्धान्त, मालगुजारी कर है या लगान ?, कर जाँच आयोग के विचार तथा सिफारिशों, कृषि आय-कर—कर निर्धारण की कठिनाईयाँ, भारत में कृषि आय कर, पक्ष तथा विपक्ष में तर्क, कर जाँच आयोग के विचार ।

अध्याय २१—राज्य सरकारों की आय के स्रोत (कमश) —उत्पादन या आवा- कारी कर तथा मदिरा निषेध नीति (Sources of State Revenue— Provincial Excise and Prohibition Policy) ३०५

प्राक्कथन, भारत में आवाकारी कर का इतिहास तथा महत्व, मदिरा निषेध नीति—मदिरा निषेध का अर्थ, मदिरा निषेध के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क, भारत में मदिरा निषेध नीति, वर्तमान स्थिति—मदिरा निषेध जाँच समिति और उसकी सिफारिशों का वृत्तान्त ।

अध्याय २२—राज्य सरकारों की आय के स्रोत (कमश) —बिक्री कर । (Sources of State Revenue—Sales Tax.) ३२१

प्राक्कथन, बिक्री कर के रूप, विशिष्ट वस्तु बिक्री कर तथा सामान्य बिक्री कर, बिक्री कर के गुण तथा दोष, एक बिन्दु बिक्री कर तथा बहु बिन्दु बिक्री कर के गुण तथा दोष, बिक्री कर से वस्तुओं को मुक्त रखने की आवश्यकता, बिक्री कर का भार, बिक्री कर के दोष, भारत में बिक्री कर, विभिन्न राज्यों में बिक्री कर—मद्रास, उत्तर प्रदेश, बिहार, अन्तर-राज्य व्यापार, राज्य सरकारों की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य प्रवृत्तियाँ ।

अध्याय २३—स्थानीय सरकारों की वित्त व्यवस्था (Finances of the Local Governments) ३४७

प्राक्कथन, स्थानीय वित्त के सिद्धान्त, भारत में स्थानीय वित्त—स्थानीय संस्थाओं का इतिहास, स्थानीय संस्थाओं के कार्य—नगरपालिकाओं के कार्य, नगर कॉर्पोरेशनों के कार्य, जिला बोर्डों के कार्य, ग्राम पंचायतों के कार्य, स्थानीय संस्थाओं की आय के स्रोत, मुख्य-मुख्य स्रोतों की विवेचना—संपत्ति कर, चूंगी तथा सीमा कर, व्यवसाय तथा पेशे पर कर, गाड़ियों तथा नावा और पशुओं पर कर, मार्ग शुल्क, स्थानीय संस्थाओं का व्यय—शिक्षा, विद्विषा तथा स्वास्थ्य, सवाद वाहन; स्थानीय संस्थाओं की समस्याएँ, उनकी हीन आयिक दशा के कारण;

स्थानीय वित्त जांच समिति के सुझाव, कर जांच आयोग के सुझाव, सरकारी अनुदानों का महत्व, अनुदानों तथा ऋणों का सापेक्षिक महत्व ।

भाग—६

राजकीय ऋण

अध्याय २४—राजकीय ऋण के सिद्धान्त (Theory of Public Debt) ३७६

राजकीय ऋण क्या है, राजकीय तथा व्यक्तिगत ऋणों में भेद, राजकीय ऋणों की आवश्यकता एवं महत्व, राजकीय ऋणों का उद्गम एवं इतिहास, ऋण तथा कर का सापेक्षिक महत्व, ऋणों के उद्देश्य, राजकीय ऋणों का वर्गीकरण—(१) आन्तरिक तथा बाह्य ऋण—आन्तरिक तथा बाह्य ऋणों का भार—आन्तरिक तथा बाह्य ऋणों के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क, (२) उत्पादक या पुनरत्पादक और अनुत्पादक या मृत-भार ऋण, (३) श्रमती हित द्वारा दिया गया वर्गीकरण—मृतभार ऋण, सक्रिय एवं निष्क्रिय ऋण, (४) इच्छित तथा अनिच्छित ऋण, (५) अनिश्चित कालीन या दीर्घकालीन और निश्चित कालीन या अल्पकालीन ऋण, (६) शोध्य तथा असोध्य ऋण—स्थायी तथा अस्थायी ऋणों के लाभ तथा हानियाँ, (७) अन्य वर्गीकरण, ऋण चुकाने के ढंग—(१) ऋण निषेध, (२) वार्षिक वृत्ति, (३) ऋण परिवर्तन, (४) निश्चित योजना के अनुसार—(अ) ऋण परिशोध कोष (ब) क्रमानुसार ऋणों का भुगतान (स) लीडरी के अनुसार ऋणों का भुगतान, (५) पूंजी कर—पक्ष तथा विपक्ष में तर्क, राजकीय ऋणों के प्रभाव—(अ) उत्पादन तथा उपभोग पर, (ब) चितरण पर, (स) व्ययसायिक क्रियाओं तथा रोजगार पर, राजकीय ऋणों के लाभ तथा हानियाँ, राजकीय ऋण व्यवस्था की सीमायें—बाह्य ऋणों की सीमायें, आन्तरिक ऋणों की सीमायें और हीतार्थ प्रवन्धन या कागजी मुद्रा छापने की सीमायें ।

अध्याय २५—भारत में राजकीय ऋण (Public Debt in India) ४१०

प्राक्कथन, प्रारम्भिक इतिहास, सन् १८७० से सन् १९३७ तक, सन् १९३७ से सन् १९४५ तक, सन् १९४७ से सन् १९५१ तक, प्रथम पंचवर्षीय तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, वर्तमान स्थिति, भारत के पीड पावने—एकत्रित होने के कारण, पीड पावनों का भुगतान—सन् १९४७, सन् १९४८, सन् १९५१ और सन् १९५५ के समझौते, निष्कर्ष ।

अध्याय २६—युद्ध सम्बन्धी वित्त व्यवस्था (War Finance) ४२४

प्राक्कथन, युद्ध की मोद्रिक लागतें, युद्ध संचालन के लिये साधनों का एकत्रीकरण, युद्ध वित्तीय व्यवस्था की विभिन्न रीतियाँ—(१) करारोपण,

(२) ऋण प्राप्त करके, करारोपण तथा ऋणों का संपेक्षिक महत्व,
(३) मुद्रा प्रणार, (४) इच्छित असादान, युद्ध वित्तीय व्यवस्था के प्रभाव, भारत में युद्ध वित्त व्यवस्था, प्रभाव ।

भाग—७

वित्तीय शासन (Financial Administration)

अध्याय २७—वित्तीय शासन—सिद्धान्त एवं व्यवहार में (Financial Administration—its Theory and Practice) ४३४

प्राक्स्थान, वित्तीय शासन की परिभाषा तथा क्षेत्र, वित्तीय शासन के मुख्य सिद्धान्त—(१) प्रभाव युक्त नियन्त्रण, (२) नियम बनाने वाली सभा के इच्छानुसार काम करना, (३) मजदूर की एकता, (४) सरलता, भारत में राजकीय वित्त पर नियन्त्रण रखने वाली सरकारें, बजट-परिभाषा, बजट की तैयारी, भारत में बजट की तैयारी, विधान सभा में बजट, अनुसूचक भाँगे, मौखिक भाँगे, करारोपण पर वोटिंग, बजट का कार्यरोपण, वित्तीय नियन्त्रण, राजकीय ऋणों पर नियन्त्रण, बजट बनाने के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बातें, पण्डित का महत्व ।

पुस्तक—तीसरी

बेकारी, पूर्ण-रोजगार तथा राजस्व नीति (Unemployment, Full-Employment and Fiscal Policy)

अध्याय १—बेकारी के कारण, प्रभाव तथा उपाय (Unemployment, Its Causes Effects and Cure) २

प्राक्स्थान, बेकारी क्या है ? बेकारी के विभिन्न कारण—विभिन्न सिद्धान्त—प्राचीन सिद्धान्त और उनकी आलोचना, बेकारी के व्यापार-चक्र सम्बन्धी सिद्धान्त और उनकी आलोचना, माँग अभाव सिद्धान्त, विनियम बंधनित क विकार, अत्यधिक विनिष्ठीकरण, बेकारी के विभिन्न रूप, बेकारी के प्रभाव—आर्थिक सामाजिक, नैतिक, बेकारी और समाज, बेकारी दूर करने के सामान्य उपाय ।

अध्याय २—पूर्ण रोजगार एवं राजस्व नीति (Full Employment and Fiscal Policy) २२

पूर्ण रोजगार का अर्थ, पूर्ण रोजगार सिद्धि प्राप्त करने की रीतियाँ—राजकीय विनियोगों द्वारा, निजी विनियोगों का प्राप्ताह देकर तथा माँग के पुनर्वितरण द्वारा, राजस्व एवं पूर्ण-रोजगार—राजस्व के प्राचीन एवं नए सिद्धान्त ।

अध्याय ३—भारत में बेरोजगारी की समस्या (Problem of Unemployment in India)

४२

प्राक्कथन, बेकारी के कारण—(१) विनाश कार्य नम की धीमी प्रगति, (२) भारतीय विद्वद्विद्यारत्ना ने निरन्तर दाले शिक्षित व्यक्तिगो की मन्दा म वृद्धि, (३) उद्योग तथा व्यापार म मन्दी, (४) व्यक्तिगो की गिरती हुई ख्य-मानि, (४) नागना तथा मूल्यों म मयायोजन का अभाव, (६) मपुक्तिकरण, (७) छत्ती, (८) छोटे उद्योगो की क्षति, (९) जमींदारी उन्मूलन तथा (१०) देश का विभाजन, वृष्टि सम्बन्धी बेकारी, औद्योगिक क्षेत्रा म बेकारी, शिक्षित वर्ग म बेकारी, रोजगार और प्रथम पच-वर्षीय योजना, रोजगार और दूसरी योजना ।

पुस्तक—चीथी

आर्थिक नियोजन (Economic Planning)

अध्याय १—आर्थिक नियोजन के सिद्धान्त (Fundamentals of Economic Planning)

३

प्राक्कथन, आर्थिक नियोजन की विशेषताएँ, आर्थिक नियोजन की आवश्यकता क्यों? आर्थिक नियोजन के ढग, आर्थिक नियोजन के विभिन्न रूप—साम्बन्धी तथा प्रजातन्त्रीय नियोजन ।

अध्याय २—अर्ध विकसित देशों में आर्थिक नियोजन की समस्याएँ (Problems of Economic Planning in Under-developed Countries)

१३

अर्ध विकसित देश का अर्थ, अर्ध विकसित देशों की विशेषताएँ, विकसित तथा अर्ध विकसित देशा म अन्तर, अर्ध विकसित देशा की उपस्थिति के कारण—सामाजिक कारण, राजनैतिक कारण, आर्थिक कारण, अर्ध-विकसित देशा म आर्थिक नियोजन की समस्याएँ, अर्ध विकसित देशों में नियोजन विधि ।

अध्याय ३—आर्थिक विकास सम्बन्धी वित्त व्यवस्था (Finance for Economic Development)

२६

प्राक्कथन, आर्थिक विकास सम्बन्धी पूँजी के स्रोत, उनका सापेक्षिक महत्व, भारत म' विकास सम्बन्धी वित्त-व्यवस्था—पहली पचवर्षीय योजना म वित्तीय स्रोत, दूसरी योजना मे वित्त प्रवन्ध ।

अध्याय ४—भारत में आर्थिक नियोजन का प्रारम्भिक इतिहास (Early History of Economic Planning in India)

४३

प्रारम्भिक इतिहास, नम्बई योजना, जन्ता की योजना, गांधीवादी योजना, राष्ट्रीय नियोजन समिति, श्री गुरुद्वोत्तर पुनर्निर्माण समिति,

सलाहकार नियोजन बोर्ड और नियोजन आयोग ।

अध्याय ५—भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना (First Five Year Plan of India)

५८

प्राक्कथन, योजना का प्रारम्भिक रूप, योजना के उद्देश्य, योजना में विकास कार्य-क्रम, योजना की मुख्य बातें, योजना का वित्तीय प्रबन्ध, योजना में कृषि, सिंचाई एवं विद्युत, उद्योग, यातायात एवं सन्वादावाहन, विविध, योजना और राष्ट्रीय आय, योजना की आलोचना, योजना की प्रगति ।

अध्याय ६—भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना (Second Five Year Plan of India)

७३

प्राक्कथन, योजना के उद्देश्य, योजना पर लागत, योजना में पूँजी का विनियोग—सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में, वित्तीय साधन, योजना में उत्पादन तथा बिक्रय के लक्ष्य—कृषि, सिंचाई तथा बिजली, बाह्य नियन्त्रण उद्योग और खनिज, ग्राम तथा छोटे उद्योग, परिवहन तथा संचार—रेलें, सड़कें, जहाजरानी, बन्दरगाह, अन्तर्वेष्टीय नौकानयन, नागरिक वायु परिवहन, संचार एवं प्रसारण, सामाजिक सेवार्थ, दूसरी योजना और बेकारी, राष्ट्रीय आय, दूसरी योजना के गुण, योजना की आलोचना, योजना की प्रगति, योजना का पुनर्निर्धारण, नये परिवर्तन ।

विषयानुक्रमणिका

१

सहायक ग्रन्थ सूची


२२

प्रातः स्मरणीय
पूज्य माँ
की

पवित्र स्मृति में

जिन के ऋणा से मैं कभी उऋणा नहीं हो सकता !

पुस्तक-पहली



मनुष्य के आर्थिक जीवन में
राज्य का स्थान

राजकीय शास्त्र की परिभाषा एवं क्षेत्र—

राजकीय अर्थशास्त्र जो अपेक्षाकृत एक नया विषय है, दो शब्दों का योग है— राजकीय और अर्थशास्त्र । प्रथम शब्द 'राजकीय', राज्य, उसकी सरकार (Government) एवं अनेकों संस्थाएँ, जो राज्य की ओर से कार्य करती हैं, उन सभी को सम्बोधित करता है । 'अर्थशास्त्र' शब्द से हमारा अभिप्राय राज्य की क्रियाओं सम्बन्धी आर्थिक समस्याओं से है । इन प्रकार राजकीय अर्थशास्त्र में हम राज्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं ।¹ कुछ लेखकों को इस परिभाषा में आपत्ति है ।² वे उसे उचित नहीं मानते, हाँलाकि यह ही सबसे सरल, एवं न्यायसंगत है । उनके अनुसार इस परिभाषा के उचित न होने का मुख्य कारण यह है कि आर्थिक और अर्थशास्त्रिक क्रियाओं में भेद ही नहीं किया जा सकता है । यह पूर्णतया सही है परन्तु प्रश्न यह है कि क्या प्रो० टॉकिन्स द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद-विवाद ने वाद भी आर्थिक क्रियाओं को जानने में या समझने में कोई कठिनाई रह जाती है ? आर्थिक क्रियाओं से हमारा अभिप्राय राज्य की उन क्रियाओं से है जो कि वह अपने न्यूनतम साधनों का उपयोग अधिकाधिक कार्यों की पूर्ति के हेतु करने के सम्बन्ध में करता है ।

इसलिए इस आधार पर उपर्युक्त परिभाषा पर आपत्ति करना आधार रहित ही नहीं बल्कि अन्यायपूर्ण भी है । हाँ ! इतना अवश्य है कि यह परिभाषा बहुत ही मरिप्त है और सरलता से साधारण मनष्य के समझ में नहीं आ सकती है । इसलिए अधिक स्पष्ट करने के लिये हम इसकी परिभाषा पूँ कर सकते हैं कि यह विषय जिसमें हम राज्य को उन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं जो कि वह, अपने अधिकाधिक कार्यों की पूर्ति के लिए, साधनों के एकत्रीकरण एवं वितरण के सम्बन्ध में करता है ।

यह याद रहे कि राजकीय अर्थशास्त्र में केवल उन्हीं क्रियाओं का अध्ययन

1 R. C. Saxena, *Public Economics*, Page 1

2 Tandon and Others, *Public Economics*, P 384

नहीं होगा जिनका सम्बन्ध साधनों के एकत्रीकरण एवं वितरण से है, वलिन इनके अनिर्विकृत राज्य की वे क्रियाएँ भी सम्मिलित होंगी जिनको पूरा करने के लिये राज्य अपने साधनों को एकत्रित करता है। यदि हम केवल प्रथम प्रकार की क्रियाओं को ही लेते हैं तो फिर राजकीय अर्थशास्त्र, राजकीय वित्त का ही दूसरा नाम ही जायेगा, अर्थात् राजकीय अर्थशास्त्र और राजकीय वित्त में कोई भेद ही नहीं रहेगा, क्योंकि इन क्रियाओं का अध्ययन तो राजकीय वित्त या राजस्व (Public Finance) की विषय नामग्री है और राजकीय वित्त केवल राजकीय अर्थशास्त्र का एक भाग ही है। राजकीय अर्थशास्त्र के सम्पूर्ण क्षेत्र में दूसरे प्रकार की क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है।

बात कुछ ऐसे है। पिछले, लगभग पचास वर्षों से राज्य का कार्य क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि लगभग सब प्रकार के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक कार्य उसी के द्वारा किये जाते हैं। यह ही नहीं आज का समाज भी उससे बहुत से ऐसे कार्यों की प्रार्थना करने लगा है, जो पहले कोई सोचता भी न था, जैसे सामाजिक सुरक्षा, मूल्य नियन्त्रण, धन का समान वितरण आदि। इस प्रकार राज्य का कार्य केवल राजनैतिक सुरक्षा एवं शान्ति स्थापित करना ही नहीं है बल्कि इससे अनिर्विकृत समाज में सन्तुलन व्यवस्था उत्पन्न करना भी है। प्रो० लास्की ने ठीक ही कहा कि राज्य 'समाज की महाराज की आधारशिला है, जो उन अनेकों मानव जीवनों के रूप और प्रकृति को सचि में ढालता है, जिनके भाग्यो की सुरक्षता का दायित्व उस पर है'³ राज्य इन कार्यों को सरकार (Government) द्वारा करता है। सरकार के अनेकों कार्यालय होते हैं और वह अनेकों मस्वाधो द्वारा अपने कार्यों को सम्पन्न करती है। देश का प्रत्येक नागरिक राज्य का एक अंग है परन्तु वह सरकार का अंग नहीं होता। व्यवहारिक जीवन में राज्य और सरकार में भेद करना कठिन है। हमें यहाँ पर इस बात विचार में उतरभना नहीं है केवल इतना जानना है कि राज्य एक सार्वजनिक संस्था है और प्रत्येक नागरिक के हित में कार्य करना उसका परम कर्तव्य है। सामाजिक हित में कार्य करने के लिए इसे व्यक्तिगत क्रियाओं में यदि वे सामाजिक हित अपसर नहीं करती, हस्तक्षेप भी करना होता है। पिछली सताब्दी तक राज्य का सम्बन्ध मनुष्य के केवल राजनैतिक जीवन से ही था, परन्तु अब मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन पर ही राज्य का आधिपत्य है। सच तो यह है कि अब राज्य, गम से गमगान भूमि तब मनुष्य की देवभान करता है। 'प्रत्येक मनुष्य के जन्म की सूचना राज्य द्वारा नियुक्त मन्त्रा की दनी जाती है। शिशु अवस्था में राज्य के नियमानुसार प्रत्येक व्यक्ति का टीका लगवाना हुंता है। राज्य के नियमानुसार ही हमारे माता पिता हम शिक्षा प्रदान करने हैं। शिक्षा प्राप्त करके हम जीविका के साधन ढँढते हैं जिनकी प्राप्ति में भी राज्य सहायता करता है। हमारे काम के घटे, दूकान या फैक्ट्रियो में हम प्राप्त होने वाली हवा की मात्रा यादि सभी के लिए

3 "The keystone of the social arch, moulding the form and substance of the myriad human lives whose destinies it is charged"

राज्य के नियम हैं। सामाजिक दुर्घटनाओं के विरुद्ध हमारी सुरक्षा करने के लिए हमारे वेतन में से अनिवार्य रूप से बोमे की राशि ले ली जाती है, चाहे हमें बीमा योजना पसन्द हो या नहीं। विशेष प्रकार के व्यवसायों के लिये हम राज्य से लाइसेन्स लेना होता है। वस्तुओं में मिलावट करने पर राज्य दण्ड देता है। हमारे कुछ विदेशी वस्तुओं के श्रय पर भी राज्य नियन्त्रण रखता है। यह हमारी आय और व्यय पर कर लगाकर उनको नियन्त्रित करता है और यहाँ तक कि हमारी मूल्य की वृद्धि भी राज्य द्वारा निश्चित सस्था को दी जाती है और जिस स्थान पर हमारी अन्तिम क्रिया की जाती है उसकी दल-भाल भी राज्य की एक मस्था ही करती है।¹⁴ इस प्रकार राज्य अब केवल उस दम की सुरक्षा का ही प्रयत्न नहीं करता बल्कि समाज के आर्थिक जीवन का प्रबन्ध और नियन्त्रण भी करता है। इसीलिए आज राज्य का कार्यक्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है। इन्ही गज बाता में सम्बन्धित समस्याओं की विवेचना राजकीय अर्थशास्त्र में की जाती है। इसका क्षेत्र अत्यन्त ही विस्तृत है, क्योंकि इसमें राज्य की लगभग सब ही क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। साधारणतया राज्य को सभी क्रियाओं का आधार और परिणाम, आर्थिक ही है और इसलिए राज्य की किसी भी क्रिया को इसके अध्ययन क्षेत्र में बाहर रखना कठिन ही है। विशेष समस्याओं की विवेचना करने में पहले हम राज्य और मनुष्य के आर्थिक जीवन में सम्बन्धित कुछ प्रारम्भिक बातों की विवेचना करेंगे।

आर्थिक जीवन में राज्य का स्थान—

राज्य मनुष्य के आर्थिक जीवन में क्यों हस्तक्षेप करता है? यह एक स्वाभाविक प्रश्न अवश्य है परन्तु महत्वपूर्ण भी है। राज्य के हस्तक्षेप का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। या तो वह इसलिए हस्तक्षेप करता है कि उसके ऐसा न करने से किसी ऐसे सामान्य हित को आघात पहुँचेगा, जिसकी सुरक्षा का दायित्व उस पर है या उसके हस्तक्षेप न करने से कुछ ऐसे कार्य अपूर्ण रह जायेंगे, जो सामान्य कल्याण के लिये आवश्यक हैं। परन्तु इन सभी का कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य होता है जिसको कुछ शब्दों से सम्बोधित किया जाता है जैसे, सामान्य हित, कल्याण, आवश्यकता नामों या अनिवार्य कार्यों की पूर्ति इत्यादि।

प्रारम्भिक काल से ही, जब से राज्य को एक स्थायी रूप प्राप्त हुआ है, राज्य मनुष्य के आर्थिक जीवन में भाग लेता रहा है। राज्य के कुछ कार्य तो सत्ताश्रित्यो पुराने हैं, जिनका जन्म राज्य के साथ ही साथ हुआ है, क्योंकि इनको राज्य के अन्तिरिक्त कोई और सरथा कर भी नहीं सकती थी जैसे, देश की आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा का प्रबन्ध करना। इस कार्य के लिये राज्य केवल उतना ही कर लगाता था, जितना फौज और पुलिस की व्यवस्था में खर्च होता था। घोर-घोरे क्रियाओं का क्षेत्र बढ़ा। सुरक्षा के लिए न्याय की एक विस्तृत प्रणाली, और सड़कों आदि के बनवाने की आवश्यकता हुई। व्यापार पर नियंत्रण लगाने पड़े। आन्तरिक एकता के

लिए धार्मिक एकरूपता भी स्थापित करनी पड़ी। निर्धन, अपाहिजों और भिखारियों की उपस्थिति आन्तरिक एकता और शान्ति को भंग कर सकती थी, इसलिए, उनके लिये सुरक्षित स्थानों और आर्थिक सहायता का प्रबन्ध भी राज्य ने करना आरम्भ किया। इस प्रकार केवल देश की सुरक्षा के हेतु राज्य इनके सारे काम करता था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्तराधिपतियों और प्रसविदा (Contracts) मन्वन्वी नियमों और नहरों को बनवाना, सड़कों पर पैड लगाना, स्कूल और अस्पताल खोलना, पुनर्वास और बाँध बाँधना आदि कार्य भी राज्य आरम्भ से ही कर रहा था।

राज्य, इस प्रकार, अनादि काल से ही मनुष्य के आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करता आ रहा था, परन्तु यह हस्तक्षेप अप्रत्यक्ष था। पन्द्रहवीं शताब्दी में मर्कैन्टिलिस्ट (Mercantilist) लेखकों ने, राज्य हस्तक्षेप को राज्य की नीति का एक मुख्य अंग बनाया। इसका परिणाम यह हुआ कि राज्य का कार्य क्षेत्र और अधिक बढ़ा और राज्य के अधिकारों दशा में राज्य ने राष्ट्रीय नीति के स्तर पर आर्थिक जीवन को नियमित करना आरम्भ कर दिया, और उपभोग उत्पादन, मजदूरी, मूद की दर, मुद्रा, आयात, निर्यात पर बड़े नियन्त्रण लगाने आरम्भ कर दिए। परन्तु कुछ समय बाद फ्रांस और इंग्लैण्ड में इस नीति का बड़ा कड़ा विरोध हुआ। फ्रांस में फिज्योक्रैट्स (Physiocrats) ने और इंग्लैण्ड में एडम स्मिथ (Adam Smith) ने आर्थिक स्वतन्त्रता का उका बजाना शुरू कर दिया। फिज्योक्रैट्स प्राकृतिक व्यवस्था (Natural Order) में विश्वास करते थे। इसी प्रकार एडम स्मिथ और उनके अनुयायियों ने कहा कि निजी स्वयं हित की 'अदृश्य शक्ति' से माधना का ऐसा अधिकतम प्रयोग होता है, जो किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब कोई व्यक्ति अपने स्वयं हित में कोई काम करता है तो उसमें केवल उसी का नहीं बल्कि सारे समाज का हित अग्रसर होता है। स्वतंत्र पदियोगिता के अभाव में एक दूसरे के हित आपस में कभी नहीं टकराते। हाँ, यदि राज्य हस्तक्षेप करेगा तो साधना का सर्वोत्तम उपयोग में नगाना कठिन हो जाएगा। एडम स्मिथ ने कहा था कि "राजा पूरा रूप में इस कृत्य में मुक्त है कि वह निजी व्यक्तिगत के उद्योग की व्यवस्था करे, और ऐसे उपयोग में लयाएँ जिससे समाज के हितों की वृद्धि हो, क्योंकि इसमें उससे मर्द ही अनेकाने टूटिया हानी चाहिये और जिसको पूरा करने के लिये किसी प्रकार की भी मानवीय बुद्धिमानी और ज्ञान पर्याप्त नहीं होते।" उसका विश्वास था कि राज्य हस्तक्षेप करती और अन्यायपूर्ण व्यवहार को ही जन्म नहीं देता, बल्कि इससे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भी समाप्त हो जाती है। वास्तव में बात यह थी कि स्मिथ जानता था कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग हित होती है और अपने-अपने भ्रम होते हैं, इसलिए यदि राजा व्यक्तिगत विनियोगों का पथ प्रदर्शन करेगा तो सम्भव है कि व्यक्तियों के दृष्टिकोण से, उनका हित अग्रसर न हो। इसलिये उसने राज्य के लिये केवल वे कार्य सौंपे थे, जिनके सम्पन्न होने से अदृश्य शक्ति अपना काम सुचारु रूप से करती रहे, अर्थात् जिनसे

स्वतंत्र प्रतियोगिता का मातापरण बना रहे। यह कार्य तीन प्रकार के हैं :—विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना, आन्तरिक शान्ति की स्थापना करना और कुछ उन सार्वजनिक निर्माण कार्यों की व्यवस्था करना जिनकी व्यक्तित्व न तो कर ही सकते हैं और न उनके हित में होता है। इस प्रकार इन विचारों से आर्थिक स्वतंत्रता की एक लहर सी उत्पन्न हो गई और व्यक्तिवाद (Individualism) का कान आरम्भ हुआ। एडम स्मिथ की भाँति अन्य प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने भी आर्थिक स्वतंत्रता के नारे लगाने आरम्भ कर दिए और चारों ओर 'स्वतन्त्र व्यापार या 'करने दो' (laissez-faire) की नीति के झण्डे लहराने लगे। परन्तु औद्योगिक क्रान्ति के दृष्ट परिणामों से ऊब कर लोगों ने इस नीति की निन्दा करनी आरम्भ कर दी। इंग्लैण्ड में रॉबर्ट ओवेन (Robert Owen) और फ्रान्स में सिमोण्टी (Sismondi) ने इस नीति के विरुद्ध बड़े शब्दों में आलोचना की। यहाँ तक रि मिल (J. S Mill) जो आरम्भ से प्राचीन विचारों के समर्थक थे बाद में उन्होंने भी इस नीति को ठुकराया और स्पष्ट रूप में कहा कि अधिकतम सामाजिक लाभ के लिये राज्य के कार्यों में वृद्धि होनी चाहिए। St Simonians ने भी पहला आरम्भ किया कि जो कुछ बुराईयाँ थी वे केवल व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के कारण थीं। इस प्रकार इस नीति पर चारों ओर से आक्रमण होने लगे। मारक्स (Karl Marx) और रॉडबर्टस (Rodbertus) ने किये और तत्पश्चात् सब ही लोगों जैसे Webbs, Prof Laski, G. B. Shaw, Keynes आदि ने एक आवाज में राज्य हस्तक्षेप के पक्ष में अपने मत प्रकट किए।

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में जैसे जैसे पूँजीवादी देशों में स्वतंत्र प्रतियोगिता भीषण रूप धारण करती गई और बाजार सकुचित होते गए जैसे जैसे देशों का अधिकाधिक औद्योगीकरण होने लगा और जैसे जैसे सत्तार में आर्थिक राष्ट्रीयवाद (nationalism) की भावना जोर पकड़ती गई वैसे ही वैसे आर्थिक क्षेत्र में पुरानी नीति का अन्त होता गया। आर्थिक स्वतन्त्रता के कारण व्यापार चको, निरन्तर बढ़ती हुई बेकारी और धन की असमानताओं, जैसी विषम समस्याओं का जन्म हुआ था, इनको सुलझाने का एकमात्र उपाय आर्थिक नियोजन (Economic Planning) ही था। आर्थिक नियोजन, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था (Planned Economy) का प्रतीक था, जिसमें राज्य केवल आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप ही नहीं करता बल्कि निजी उद्योगों की व्यवस्था स्वयं आरम्भ कर देता है या उनका पथ-प्रदर्शन करता है। बीसवीं शताब्दी में मुख्यतया चार ऐसी घटनाएँ और हुईं, जिनके कारण सत्तार भर को 'आर्थिक स्वतन्त्रता' की नीति का परित्याग करना ही पडा। यह घटनाएँ थीं—प्रथम विश्व युद्ध, रूस का १९१७ की क्रान्ति, महामारी काल और दूसरा विश्व युद्ध। सोवियतशासन रूस ने आर्थिक नियोजन की नीति अपनाकर सत्तार को एक नया मार्ग दिखाया। परन्तु पूँजीवादी देश इस नीति को अपनाना नहीं चाहते थे। रूस एक साम्यवादी देश था और पूँजीवादी देश डरते थे कि आर्थिक नियोजन केवल साम्यवाद का ही प्रतीक था और इस देश की सामान्य नीति का अंग नहीं बनाया

जा सकता था इसलिये वे लम्बे बाल लड़ इसकी आलोचना करते रहे, परन्तु प्रथम महामुद्र की घोर आपत्तियों ने उनकी रुचि को इस ओर बढ़ाया। महा मर्दा बाल ने तो अग्नि म घी का काम किया और इनकी आँखें खोल दी। इन देशों को आर्थिक नियोजन की नीति की अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मरुबत राष्ट्र में 'न्यू डील' (New Deal) और फ्रांस में 'ब्लम प्रयोग' (Blum Experiment) की सफलता ने अन्य पूँजीवादी देशों का भ्रम दूर कर दिया और यह सिद्ध कर दिया कि राज्य का आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप अवश्य ही नहीं बरन अनिवार्य है और जनहित केवल राज्य द्वारा ही अग्रसर हो सकता है। और आजकल आर्थिक नियोजन प्रत्येक देश में ही राष्ट्रीय नीति का एक मुख्य अंग है चाहे वह देश पूँजीवादी है या समाजवादी।

आधुनिक राज्यों की आर्थिक क्रियाएँ—

उपर्युक्त में हमने आर्थिक जीवन में राज्य के हस्तक्षेप के सम्बन्ध में बदलती हुई विचारधाराओं के इतिहास पर दृष्टि डाली और देखा कि आज सामान्य विचार यह है कि राज्य का कार्य बचल देश की रक्षा करना ही नहीं बल्कि मनुष्यों की आर्थिक क्रियाओं को निर्धारित करना भी है। हर समय में हर राज्य की नीति पर देश विदेशों में प्रचलित विचारधारा का प्रभाव पड़ता रहा है और विचारधाराओं के परिवर्तन के साथ-साथ राज्य नीति भी बदलती रही है। इसीलिये राज्य अब अनेकों प्रकार के कार्य करता है। कुछ लेखकों ने इनको निम्न तीन वर्गों में विभाजित किया है —

(१) रक्षात्मक कार्य (Protective Functions) — इस वर्ग में राज्य के वे कार्य सम्मिलित किए गए हैं जिनका सम्बन्ध देश की आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा से है, अर्थात् सैनिका, युद्ध यन्त्र, सोला बन्द आदि की व्यवस्था, पुलिस, जेलों, न्यायालयों आदि की व्यवस्था एवं प्रबंध करना आदि। यह तो राज्य को प्रत्येक अवस्था में करने ही होते हैं इसीलिए इनको राज्य के अनिवार्य कार्य भी कहा जाता है।

(२) वाणिज्यिक कार्य (Commercial Functions) — राज्य आजकल देश के उत्पादन पर भी नियन्त्रण रखता है ताकि देश में उपभोक्ताओं का शोषण न होने पाए। जैसे राजकीय उद्योगों जयना रानों आदि की व्यवस्था एवं नियन्त्रण। परन्तु सब ही देशों में ये कार्य सामान्य रूप में राज्य द्वारा नहीं किये जाते हैं। कहीं पर राज्य केवल नियन्त्रण करता है और कहीं पर स्वयं उत्पादन कार्य सम्पन्न करता है।

(३) राष्ट्रीय निर्माण कार्य (Nation Building Functions) — आजकल राज्य के कार्यों में इन कार्यों की संख्या सबसे अधिक है क्योंकि राज्य का मुख्य उद्देश्य सामाजिक तान को अधिकतम करना तथा राष्ट्र की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति को अग्रसर करना होता है। राज्य द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची में जितनी अधिक संख्या इन कार्यों की होती है उतनी ही अधिक राज्य की प्रगतिशीलता का परिचय मिलता है। इसीलिए लगभग प्रत्येक प्रगतिशील देश में राज्य आज बेकारी को

रोकता है और स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि की व्यवस्था करता है।

परन्तु उपर्युक्त वर्गीकरण से राज्य की आर्थिक क्रियाओं का पूरा और स्पष्ट ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। इसीलिए इनका विस्तृत अध्ययन नितान्त आवश्यक है। वास्तव में राज्य की आर्थिक क्रियाओं का इतने विविध रूप हैं और इनका क्षेत्र इतना व्यापक है कि उपर्युक्त वर्गीकरण से इनका स्पष्टीकरण सम्भव नहीं होता। इन क्रियाओं की गणना निम्न प्रकार की गई है।

(१) राष्ट्र के आर्थिक ढाँचे की रक्षा करना (Maintenance of the Economic Framework of the Nation)—राज्य देश के आर्थिक जीवन का रूप और प्रकृति निर्दिष्ट करता है। राष्ट्र के आर्थिक जीवन का ढाँचा कैसा हो और उसको स्थायी किस तरह बनाया जाय? इन प्रश्नों का उत्तर राज्य देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्दिष्ट करता है। इस प्रकार प्रत्येक देश में आर्थिक जीवन का रूप और प्रकृति अलग अलग होते हैं क्योंकि प्रत्येक देश की परिस्थितियाँ, साधन, सम्पत्ता और इतिहास भी तो अलग अलग होते हैं। इस आर्थिक ढाँचे को सुरक्षित रखने के लिए राज्य कानूनों की एक विस्तृत प्रणाली स्थापित करता है। सरकार और अन्य निकायों को बनाती हैं और कार्य रूप देती हैं। यह कानून, सम्पत्ति के उत्तराधिकारियों, मालिकों और श्रमिकों के आपसी सम्बन्ध, प्रसविदा आदि के सम्बन्ध में होते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक जीवन की अडचना को दूर करना होता है। हमारे जीवन को, देश की चर्चन प्रणाली की प्रकृति, विदेशों से हमारे आर्थिक एवं व्यापारिक सम्बन्धों को प्रभावित करते हैं। इसलिए राज्य इनका भी निर्धारण करता है और समय समय पर परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ राज्य इनका उचित परिवर्तन करता रहता है। यह राज्य की आर्थिक क्षेत्र में प्राथमिक क्रिया है।

(२) नियन्त्रण एवं नियन्त्रण (Regulation and Control)—राज्य आर्थिक जीवन को नियमित और नियन्त्रित भी करता है। इसके कई उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे, श्रमिकों और मालिकों के सम्बन्धों को नियमित करना ताकि बालाक मालिकों द्वारा श्रमिकों का शोषण न हो। उपभोक्तियों के हित में एकाधिकारियों की क्रियाओं पर नियन्त्रण रखना, भुक्तियों की स्थिरता प्राप्त करने के लिए दौड़ और व्यापारिकों की क्रियाओं को नियन्त्रित करना, राष्ट्र के हित में देश के साधनों के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाना और कुछ आवाज भनउद्योगों को स्वयं चलाना, हानिकारक वस्तुओं के उपभोग पर नियन्त्रण लगाना वस्तुओं की पूर्ति एवं गुणों को निर्धारित करना आदि। इन कार्यों को सम्पन्न करने के लिए राज्य कानून बनाता है और कानून तोड़ने वाले को उचित दण्ड भी देता है।

(३) आर्थिक सहायता (Economic Assistance)—व्यक्तियों को उनकी आर्थिक क्रियाओं के सम्पन्न करने के लिए राज्य अनेक प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इस दृष्टि से राज्य व्यक्तियों के आर्थिक हितों का संरक्षक है। वह ऋणों और उद्योगपतियों को धन की सहायता देता है, उन्हें ऋण प्रदान करता है और

जर्मन अर्थशास्त्री Wagner से १९वीं शताब्दी के अन्तिम भाग में अपना प्रसिद्ध "राज्य की क्रियाओं की वृद्धि का नियम" (Law of the Increase of State Activities) प्रतिपादित किया था। उसने अनुसार "प्रगतिशील जातियों के भिन्न-भिन्न देशों और समयों की विस्तृत तुलना से यह स्पष्ट होता है कि केन्द्रीय और स्थानीय सरकारों, दोनों ही की क्रियाओं में नियमित रूप से वृद्धि हुई है। यह वृद्धि गहन (Intensive) और विस्तृत (Extensive) दोनों ही प्रकार की है, केन्द्रीय और स्थानीय सरकारें निरन्तर नये काम करती हैं और वे पुराने और नये कार्यों में से दोनों ही को पूर्णतया और अधिक कुशलता से करती हैं। इस प्रकार से केन्द्रीय और स्थानीय सरकारें व्यक्तियों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति, बढ़ती हुई सख्या में और अधिक सन्तोषजनक ढंग से करती हैं।"⁵

यदि हम आधुनिक सरकारों के खर्चों के आँकड़ा का अध्ययन करें तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि Wagner ने जिस प्रवृत्ति का एक नियम का रूप दिया है वह पूर्णरूप से सही है। संयुक्तराज्य में सन् १९१३ में केन्द्रीय सरकार का कुल व्यय ७२५ करोड़ डालर था जो सन् १९४५ में १००४०.५ करोड़ डालर हो गया था, राज्य सरकारों का व्यय ३८३ करोड़ डालर से ६०२६ करोड़ डालर हो गया था और नगर-सम्बन्धी सरकारों का ६८४ करोड़ डालर से २६८५ करोड़ डालर हो गया था।⁶ यद्यपि यह सच है कि बीसवीं शताब्दी के आधुनिक सरकारों के खर्चों में जो वृद्धि हुई है वह मुख्यतः दो महायुद्धों के कारण मूल्य में वृद्धि होने का परिणाम है, परन्तु इसमें भी कोई मन्द्बुद्धि नहीं कि 'सरकार के क्षेत्र का विस्तार आधुनिक समयों की मुख्य प्रवृत्तियों में से एक है।'⁷ निम्न में हम उन मुख्य बातों का वर्णन करेंगे जिनके कारण सरकार के कार्यक्षेत्र का विस्तार हुआ है —

(१) प्रथम कुछ काय तो इतने आवश्यक हैं कि उनको राज्य के अतिरिक्त कोई दूसरी सस्था कर ही नहीं सकती जैसे, सुरक्षा और शान्ति स्थापित करना न्याय करना और नियम बनाना और इन कार्यों की पूर्ति के लिए सरकार को एक लम्बे काल से सड़को आदि और शिक्षा का प्रबन्ध भी करना पड़ रहा है। आधुनिक समय में इन आवश्यक कार्यों में वृद्धि हो गई है और आज सामाजिक सुरक्षा और विदेशी विनियम नियन्त्रण को भी आवश्यक कार्यों में सम्मिलित किया जाता है।

(२) गत वर्षों में मानवीय आवश्यकताओं में भी बहुत अधिक वृद्धि हो गई है और उत्पादन एवं वितरण की प्रणालियाँ पहले की अपेक्षा अधिक जटिल हो गई हैं। इसलिये इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये यह आवश्यक हो गया है कि सामूहिक रूप से प्रयत्न किया जाये अर्थात् राज्य की सहायता से इन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाये। इसलिये सरकार न इनका भी दायित्व अपने कंधों पर लिये और बहुत सी जनउपयोगी सेवाएँ (Public Utility Services) जैसे यातायात,

5 Philippe E Taylor, *The Economics of Public Finance*, Page 42

6 *Ibid* Page 43

7 Extension of the Scope of Government

is one of the marked

tendencies of modern times' *Ibid*, Page 45

पैमाने पर खर्चा करना पड़ता है जिसको पूरा करने के लिए सरकार कर लगाती है, ऋण लेती है और घाटे के बजट बनाती है। इसमें सन्देह नहीं कि कुछ देशों में विशेष कर पूँजीवादी देशों में नियोजन का इतना महत्व नहीं है जितना कि समाजवादी, अविश्वसित और कमविकसित देशों में है। परन्तु पूँजीवादी देशों में भी आर्थिक नियोजन किसी न किसी रूप तथा कुछ न कुछ अंश में विद्यमान अवश्य है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सरकार इतना अधिक भाग ले रही है कि यह कहना कठिन हो जाता है कि सरकार के कौनसे कार्य राजनैतिक हैं और कौन से आर्थिक और यदि यही प्रवृत्ति चलती रही तो वह समय दूर नहीं जब कि मनुष्य प्रत्येक कार्य के लिए राज्य पर निर्भर हो जायगा, जैसा कि रूस में आजकल है।

आर्थिक व्यवस्था का अर्थ—

आर्थिक व्यवस्था के अन्तर्गत वे सभी सस्वाएँ सम्मिलित हैं, जिनके द्वारा आर्थिक यन्त्र (Economic Mechanism) संचालित होता है, अर्थात् किसी देश की आर्थिक व्यवस्था, उन सब ही सस्वाओं को, जिनके द्वारा देश का आर्थिक यन्त्र चलित होता है, एक स्थान पर एकत्रित करने वाले घेरे की बाहरी सीमाएँ हैं। आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यक्तियों को उत्पादन कार्यों से सम्बन्धित सुविधाएँ प्रदान करे, ताकि वे वस्तुओं की उत्पत्ति करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। हमने पिछले अध्याय में देखा था कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में राज्य हस्तक्षेप, किसी न किसी प्रकार का प्रत्येक देश में ही मिलता है और इन्हींलिए किसी देश में आर्थिक व्यवस्था का रूप, राज्य हस्तक्षेप की मात्रा और सीमा पर निर्भर करता है। यही कारण है कि प्रत्येक देश में भिन्न-भिन्न प्रकार की आर्थिक व्यवस्था है। संसार में तीन प्रकार की आर्थिक व्यवस्थाएँ देखने में आती हैं —

(अ) अयोजनाबद्ध अर्थ-व्यवस्था (Unplanned Economy)

(ब) योजनाबद्ध अर्थ-व्यवस्था (Planned Economy)

(स) मिश्रित अर्थ-व्यवस्था (Mixed Economy)

(अ) अयोजनाबद्ध अर्थ-व्यवस्था—अयोजनाबद्ध अर्थ-व्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप मनुष्य के आर्थिक जीवन में न्यूनतम होता है। राज्य केवल सुरक्षा, शान्ति आदि की व्यवस्था, प्रशासन का कार्य और ऐसे कार्यों को करता है जो कोई भी व्यक्ति अपने निजी रूप से नहीं कर सकता। वस्तु का उत्पादन, वितरण, उपभोग, व्यापार आदि सभी क्षेत्रों में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता रहती है। किसी वस्तु का उत्पादन कब और कितनी मात्रा में किया जाने, किसी व्यक्ति को कितनी मजदूरी दी जाये, नये उद्योग स्थापित किये जायें या नहीं और यदि स्थापित किये जायें तो किस स्थान पर, कोई व्यक्ति कौन सा व्यवसाय करे आदि बातों का निर्णय व्यक्ति स्वयं ही करता है, जबकि योजनाबद्ध अर्थ-व्यवस्था में इन बातों का निर्णय एक केन्द्रीय संस्था या नियोजन प्रायोग (Planning Commission) करता है। इसका यह अन्विष्ट

जुहो कि अयोजनावद्ध अर्थ-व्यवस्था में कोई निर्देशन शक्ति ही नहीं। ऐसी व्यवस्था में जितने भी निर्णय लिए जाते हैं उन सभी का निर्देशन मूल्य यन्त्र (Price Mechanism) करता है।¹ मूल्य यन्त्र निम्न प्रकार से निर्देशन करता है —

प्रथम, मूल्यों के परिवर्तनों से ही, उन वस्तुओं का जो सीमित मात्रा में होती है, समभाजित (Rationed) वितरण हो जाता है। कुछ वस्तुओं की पूर्ति सीमित होने के कारण, यह सम्भव नहीं होता कि प्रत्येक व्यक्ति को वे इच्छानुसार मात्रा में प्राप्त हो जायें। इस प्रकार कौन व्यक्ति कितनी मात्रा प्राप्त कर सकेगा मूल्य द्वारा ही निर्दिष्ट होता है। ऊँचे मूल्य उपभोग को हतोत्साहित करते हैं और नीचे मूल्यों से उपभोग को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार उपभोग का आकार और विविधता मूल्यों द्वारा निर्दिष्ट होते हैं।

दूसरे, मूल्य यन्त्र वस्तुओं के उपयोगो को भी निर्दिष्ट करता है। दूसरे शब्दों में उत्पादन सम्बन्धी सभी निर्णय मूल्यों पर ही निर्भर करते हैं जैसे, कौन व्यक्ति किस वस्तु का उत्पादन करे, किस स्थान पर करे और कितनी मात्रा में करे? कहाँ पर उत्पादन को रोक दे? आदि, क्योंकि मूल्य ही उत्पादन व्यय और लाभ की सीमाओं को निर्दिष्ट करते हैं। इस प्रकार मूल्य परिवर्तनों द्वारा साधनों का उचित और लाभदायक उपयोगों में बटवारा हो जाता है।

तीसरे, मूल्य यन्त्र इन बातों का निश्चय करने में भी सहायता प्रदान करता है कि एक व्यक्ति किस व्यवसाय को करे और किस वस्तु का व्यापार करे? क्योंकि मूल्यों द्वारा ही भिन्न भिन्न व्यवसायों में शुल्क नियत होता है और भिन्न-भिन्न व्यापारों में लाभ की मात्रा निर्दिष्ट होती है। इस प्रकार मूल्यों के परिवर्तन अशक्ति के विभिन्न उपयोगों में वितरण को सहायता प्रदान करते हैं।

चौथे, मूल्य नियन्त्रण आय, उपभोग बचत और विनियोगों के आपसी सम्बन्धों और अनुपातों को भी निर्धारित करता है। व्यक्ति अपनी आय का कौन सा भाग उपभोग पर खर्च करे और कौन सा भाग बचाये। बचत को किन उपयोगों में लगाये अर्थात् बचतों का विनियोग किस प्रकार करे आदि प्रश्नों का उत्तर केवल मूल्यों के परिवर्तनों के गहन अध्ययन के बाद ही प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय, बचत, विनियोगों के बीच अनुपात केवल मूल्य यन्त्र द्वारा ही निर्धारित होता है।

विशेषतायें—अब हम इस स्थिति में हैं कि अयोजनावद्ध अर्थ-व्यवस्था की विशेषताओं की गणना कर सकें। यह विशेषतायें निम्न प्रकार हैं :—

(अ) इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था में आर्थिक यन्त्र, मूल्यों के प्रभाव से स्वयं चालित रहता है। किसी विशेष सत्त्वा के निर्देशन की आवश्यकता नहीं होती।

(ब) यह आवश्यक नहीं कि इस व्यवस्था में माँग और पूर्ति के बीच पारस्परिक समायोजन स्थापित हो।

(स) इसमें व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है।

अभोजनावृद्ध अर्थ-प्रवस्था का मुख्य रूप पूँजीवादी आर्थिक प्रणाली है। निम्न में हम पूँजीवादी प्रणाली (Capitalist Economy) का विस्तार में अध्ययन करेंगे।

पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था—

परिभाषा—पूँजीवाद एक ऐसा आर्थिक संगठन है जिसमें उत्पत्ति के माधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है और जिसका उपयोग वह अपने निजी लाभ के लिए करत है। यद्यपि पूँजी की आवश्यकता तो प्रत्येक प्रकार के उत्पादन में ही होती है परन्तु पूँजीवादी व्यवस्था में पूँजी व्यक्तियों के हाथ में रहती है और वे ही उनको उपयोग में लाने के अधिकारी होते हैं। इस प्रकार इस प्रणाली में उत्पत्ति के साधन व्यक्तिगत सम्पत्ति माने जाते हैं और ध्वनिचया को यह स्वतन्त्रता होती है कि वे या तो स्वयं उत्पत्ति कार्य को सम्पन्न करें या किसी अन्य व्यक्ति को ठक पर दे दें परन्तु प्रत्येक स्थिति में उनको लाभ प्राप्त होना चाहिये। इन्हीं मुख्य बातों के आधार पर पूँजीवाद की अनेक परिभाषायें दी गई हैं। लुक्मू धीर हूट के अनुसार 'पूँजीवाद, आर्थिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली है जिसकी मुख्य विशेषता निजी स्वामित्व और मनुष्यश्रुत एवं प्राकृतिक साधनों का निजी लाभ के लिए उपयोग है'¹ John Strachey के शब्दों में 'पूँजीवाद शब्द से हमारा अभिप्राय एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें लोगों, कारखानों और खानों पर व्यक्तियों का स्वामित्व रहता है। इन उत्पत्ति के साधनों, जैसे कि इनको कहते हैं, पर वे लोग कार्य करत हैं जो इनके मालिक नहीं होते और उन लोगों के लाभ के लिए काम किया जाता है जो उनके मालिक होते हैं। पूँजीवाद में सत्तार स्नेह से नहीं बल्कि लाभ के उद्देश्य पर पुंगता है'² प्रो० पी० ने पूँजीवाद की परिभाषा इस प्रकार दी है 'पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था या पूँजीवादी प्रणाली वह है जिसमें उत्पादक साधनों का मुख्य भाग पूँजीवादी उद्योगों में लगा हुआ है अर्थात् उन उद्योगों में जिनमें उत्पत्ति के भौतिक साधनों पर निजी व्यक्तिगत स्वामित्व होता है या उनके द्वारा किराये पर किये जाते हैं और उनके शब्दानुसार इस प्रकार उपयोग में लाये जाते हैं कि जिन वस्तुओं या सेवाओं की उत्पत्ति करने में सहायता देने हैं उन्हें लाभ पर बचा जा सके'³ पूँजीवाद की एक

1 'Capitalism is a system of Economic Organisation featured by the private ownership and the use for private profit of men made and natural resources' *Looks and Hoot Comparative Economic Systems*

2 'By the word capitalism we mean an Economic System under which the fields factories and mines are owned by individuals. These means of production as they are called are worked by those who do not own them for the profit of those who do. Under capitalism, it is profit making not love, that makes the world go round'—*How Socialism Works*

3 'A Capitalist Economy or capitalist system is one the main part of whose productive resources is engaged in capital industries in industries, in which the material instruments of production are owned or hired by private persons and are operated at their orders with a view to selling at a profit the goods or services that they help to produce' *Socialism Versus Capitalism, P. 1*

अच्छी और विस्तृत परिभाषा Webbs ने दी है। उनके अनुसार "पूँजीवाद शब्द या पूँजीवादी प्रणाली या यदि हम चाहे तो पूँजीवादी सभ्यता से हमारा अभिप्राय उद्योग और वैधानिक सस्थाओं के विकास की उस विशेष स्थिति से है जिसमें अधिकांश श्रमिकों की उत्पत्ति के साधनों के स्वामित्व से इस प्रकार अलग कर दिया जाना है कि वह मजदूरी बमाने वालों की स्थिति पर पहुँच जाते हैं, जिनकी जीविका, सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता राष्ट्र के अपेक्षाकृत उस छोटे से भाग की इच्छा पर निर्भर से हुए प्रतीत होते हैं अर्थात् उन पर जो उनके स्वामी हैं और जो अपने वैधानिक स्वामित्व द्वारा भूमि, गहाना और समाज की श्रम शक्ति के संगठन पर नियन्त्रण रखते हैं और वे ऐसा अपने लिए व्यक्तिगत और निजी लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं।" प्रो० वैनहॉम का विचार है कि "पूँजीवादी अव्यवस्था आर्थिक ताना-शाही की प्रतिविरोधी है। पूरे उत्पादन का कोई केन्द्रीय नियोजन नहीं होता।..... राज्य द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं के अन्दर, प्रत्येक व्यक्ति इस बात के लिए लगभग स्वतन्त्र है कि जैसा चाहे वह कर। समाज की आर्थिक क्रियाओं का स्पष्टतया निर्धारण भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की एक भीड़ के समन्वय रहित फैसलों द्वारा होता है, क्योंकि उत्पात्ति के साधन का प्रत्येक स्वामी (श्रमिकों को सम्मिलित करते हुए, जो दासता प्रथा के अभाव में, अपने श्रम के स्वयं मालिक होते हैं) स्वतन्त्र है कि वह जैसा चाहे उसका उपयोग करे और अपनी आय को जैसी इच्छा हो खर्च करे।"^४

पूँजीवादी प्रणाली की विशेषतायें—इन परिभाषाओं के आधार पर हम अब इस स्थिति में हैं कि पूँजीवादी प्रणाली की विशेषताओं को बता सकें। यह विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं—

(१) पूँजीवाद की प्रमुख समस्या 'निजी सम्पत्ति का अधिकार' है। इस अधिकार से प्रत्येक व्यक्ति को उत्पादन, उपभोग, विनिमय, क्रय-विक्रय आदि को पूर्ण स्वतन्त्रता

4 By the term 'Capitalism' or the 'Capitalist System' or as we prefer the 'capitalist civilization we mean the particular stage in the development of industries and legal institutions in which the bulk of the workers find themselves divorced from the ownership of the instruments of production in such a way as to pass into the position of wage earners whose subsistence, security and personal freedom seem dependant on the will of a relatively small proportion of the nation namely those who own and through their legal ownership, control the organisation of the land, the machinery and the labour force of the community and do so with the object of making for themselves individual and private gains"—*Sydney and Beatrice Webb*

5. A capitalist economy is the antithesis of an economic dictatorship. There is no central planning of production as a whole subject to the limitation imposed by the state, everybody is more or less free to do what he likes. The economic activities of the community are determined by the apparently unco-ordinated decisions of a multitude of different persons, since each owner of a factor of production (including workers—who in the absence of slavery—own their own labour) is free to use it as he pleases, and to dispose of its earnings as he wishes"—*Economics*, P. 155

होती है और इस अधिकार की सुरक्षा सरकार द्वारा की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को यह भी स्वतन्त्रता होती है कि वह अपनी मृत्यु के समय या उससे पहले अपनी सम्पत्ति को जिसको चाहे उसको दान कर सकता है। निजी सम्पत्ति की प्रथा से साधारणतया कई लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे व्यक्तियों को उत्पत्ति व धन व निर्णय लेने की पूरा स्वतन्त्रता होती है क्योंकि माधनों के माध्यम से स्वयं ही है। अर्थात् माधनों को किन उपयोगों में लगाये या उनका उपयोग किस प्रकार बने किस समय करे या खुद न करके किसी दूसरे का उद्वेग इन सब बातों का निर्णय व्यक्ति स्वयं ही करता है। इसके अनतिरिक्त इस प्रथा से व्यक्तियों में बचत करने की आदत उत्पन्न होती है। व्यक्तियों को बचत करके पूँजी जमा करने की प्रवृत्ति मिलती है क्योंकि वे जानते हैं कि जो कुछ वे बचा कर रखें वह उन्हीं का होगा। इस प्रकार इस अधिकार से देश में पूँजी के निर्माण की बहुत प्रोत्साहन मिलता है।

परन्तु आजकल जो पूँजीवाद का रूप है वह वंसा नहीं है जैसा कि १९वीं शताब्दी में था। निजी सम्पत्ति के अधिकार का उपयोग भी व्यक्ति केवल कुछ शीमाओं में ही कर सकता है। प्रत्येक देश में इस अधिकार पर कुछ न कुछ प्रतिबन्ध अवश्य ही देखने में आते हैं, क्योंकि इन अधिकार के कई बुरे परिणाम होते हैं, जैसे,

(अ) प्रथम, यह धन की असमानताओं को बढ़ाता है और बगैरे सवर्ण का उत्पन्न करता है।

(ब) दूसरे, धनी व्यक्तियों की अपेक्षा निर्धन व्यक्तियों को अपने विकास और उन्नति की बहुत कम सुविधाओं और अवसर प्राप्त होते हैं। और

(स) अन्त में इस अधिकार के अनेको राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक दुष्ट परिणाम होते हैं जैसे धन के बल पर व्यक्ति चुनाव में विजय प्राप्त करता है, सरकारी विभागों में धन के बल पर अच्छे स्थान प्राप्त करता है, एकाधिकार सवर्णों की स्थापना होती है उपभोक्ताओं को ऊँचे मूल्यों पर वस्तुएँ प्राप्त होती हैं इत्यादि इस प्रकार समाज का नैतिक पतन होता है।

जैसा कि हम अभी कह चुके हैं कि व्यक्ति इस अधिकार का उपयोग करने में इतना स्वागन्ध नहीं है जितना पहले था। सरकार ने आजकल बहुत से प्रतिबन्ध लगा दिये हैं जैसे, धनी व्यक्तियों पर कर लगाना और निर्धनों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा आदि की मुफ्त सेवाएँ प्रदान करना, वस्तुओं के मूल्यों और गुणों को नियमित करना और जन उपयोगी सेवाओं को स्वयं प्रदान करना। ५

(२) पूँजीवादी प्रणाली की दूसरी प्रमुख सच्चा 'निजी लाभ' है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने साधनों का प्रयोग अपने लाभों के लिए करता है। दूसरे शब्दों में साधनों का उपयोग सामाजिक हित में नहीं होता है और अधिकतर अर्थिक और उपभोक्ताओं का शोषण होता है।

पूँजीवादी प्रणाली में निजी लाभ के उद्देश्य का विशेष महत्त्व है। क्योंकि एक तो इससे साहस करने और जोखिम सहन करने की प्रेरणा मिलती है और समाज में उत्पन्न उद्योगों की वृद्धि होती है। दूसरे, इस उद्देश्य की पूर्ति के कारण

ही व्यक्ति यह निर्णय कर पाता है कि किस वस्तु का वह उत्पादन करे और कितनी मात्रा में करे। वह सर्वद्व ही साधनों को कम लाभप्रद उपयोगों में से निकाल कर अधिक लाभप्रद उपयोगों में लगाता रहता है और इस प्रकार देश के उत्पादक साधनों का अधिकतम उपयोग सम्भव होता है। इसके अतिरिक्त उत्पादक क्रियाओं का क्षेत्र बढ़ता है, नई-नई वस्तुओं की उत्पत्ति होती है और उत्पत्ति में नए नए ढंगों का प्रयोग होता है।

(३) पूँजीवादी प्रणाली की तीसरी विशेषता आर्थिक स्वतन्त्रता है। निजी सम्पत्ति और निजी लाभ के अधिकारों का पूर्ण उपयोग अभी समय सम्भव हो सकता है जबकि प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की स्वतन्त्रता हो कि वह अपनी सम्पत्ति का जिस प्रकार चाहे उपयोग करे और आर्थिक क्रियाओं को इस प्रकार सम्पन्न करे कि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। यह स्वतन्त्रता पूँजीवादी प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति को होती है और इसीलिए इसको स्वतन्त्र आर्थिक प्रणाली भी कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रणाली में व्यवसायिक स्वतन्त्रता रहती है। वह प्रमोदित करने के विषय में पूर्णरूप से स्वतन्त्र होता है। उपभोक्ताओं को भी स्वतन्त्रता होती है कि वे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपने धन का व्यय जिस प्रकार चाहे करें और अधिक भी स्वतन्त्र होते हैं कि उन्हें जिन व्यवसाय अथवा स्थान पर अधिक मजदूरी मिले उसमें काम करें। इस प्रकार इस प्रणाली में समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने क्षेत्र में पूर्ण स्वतन्त्रता होती है।

परन्तु आजकल यह देखने में आता है कि सभी पूँजीवादी देशों में इस प्रकार की पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं है। राज्य ने इस स्वतन्त्रता पर भी कुछ प्रतिबन्ध लगाये हैं। यह प्रतिबन्ध इसलिए लगाये गए हैं कि हो सकता है कि व्यक्ति विशेष जिस क्रिया को अपने लिए सबसे अधिक उपयोगी समझता हो वह सम्पूर्ण समाज के हित में न हो जैसे, चोरी करना, कत्ल करना सभी देशों में कानूनी जुर्म माने गए हैं। नशीली वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण पर भी नियन्त्रण लगाए गए हैं। पेटेंट और कॉपीराइट कानून भी इसीलिए बनाए गए हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा दिए गए आविष्कारों या लिखी गई पुस्तकों का अनुचित प्रयोग दूसरे व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए न कर सके। इसी प्रकार कुछ व्यवसायों को जैसे युद्ध सम्बन्धी यन्त्रों का उत्पादन, तार व डाक की व्यवस्था, मूद्रा निर्माण, आदि, जो, मरणात्, स्पष्ट करती है। इसी प्रकार कुछ व्यवसायों को करने के लिए विशेष शिक्षा और दीक्षा कानूनी रूप से अनिवार्य कर दी गई है जैसे, इन्जीनियरों, वकीलों, डाक्टरों आदि का व्यवसाय। इस प्रकार उपर्युक्त की स्वतन्त्रता केवल कुछ प्रतिबन्धों के अन्दर ही प्राप्त होती है।

(४) पूँजीवादी प्रणाली की चौथी प्रमुख संस्था मूल्य प्रणाली है। ऊपर बताई हुई सारी स्वतन्त्रताओं के होते हुए भी व्यक्तियों को अपने निर्णय मूल्य परिवर्तनों के आधार पर लेने होते हैं। इस सम्बन्ध में हम काफी विस्तार में ऊपर आह ही चुके हैं।

(१) पूँजीवादी प्रणाली की एक और आधारभूत मन्था प्रतियोगिता है। यह प्रतियोगिता व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के कारण ही उत्पन्न होती है। मूल्य यन्त्र प्रतियोगिता की सहायता से ही व्यक्तियों की आर्थिक क्रियाओं को नियमित करता है। परन्तु पूर्ण प्रतियोगिता बवल एक भ्रष्टान्त्रिक भ्रम है। वास्तविक जीवन में अपूर्ण प्रतियोगिता ही दीखती है। चूँकि पूर्ण प्रतियोगिता के लिये ये शर्तें आवश्यक हैं। प्रथम, साधना की गतिशीलता पर किसी प्रकार के भी ह्रास प्रतिक्रिय नहीं होने और दूसरे किसी भी एक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत क्रियाओं में बन्धु की मूल्य प्रभावित नहीं होता। परन्तु वास्तविक जीवन में यह दाना ही शर्तें पूरी नहीं होती, क्योंकि एक ता सरकार बहुत से प्रतिक्रिय लगानी है जैसे, मजदूरी की दर, काम के घण्टे, काम की दशाओं आदि कानून द्वारा निश्चिन कर दनी हैं, जनोपयोगी सेवामा को स्वयं प्रदान करती है इत्यादि। दूसरे कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनमें बहुत बड़ी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता होती है जो किसी एक व्यक्ति के बल की बात नहीं है जैसे लोहा और स्पात, मोटर कार, पानी के जहाज आदि के उद्योग। कुछ उद्योगों की प्रवृत्ति आरम्भ से ही एकाधिकार की स्थिति स्थापित हान की होती है, और कुछ उद्योगों में उत्पादक स्वयं ही एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न कर लेते हैं, जैसे औद्योगिक गुटबन्दी। इसने अतिरिक्त उपभोक्ताओं को भी विभिन्न वस्तुओं के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं होता और अधिकार को भी रोजगार के अवसर और दशाओं की पूर्ण सूचना नहीं होती। इन सब बातों के कारण व्यवहारिक जीवन में प्रतियोगिता का अभाव रहता है। परन्तु फिर भी इन सीमाओं के अन्दर व्यक्ति प्रतियोगिता करने के लिये स्वतन्त्र होते हैं। इस प्रतियोगिता के कई लाभ हैं। प्रथम, प्रत्येक व्यक्ति को वस्तुओं को खरीदने और चुनने की स्वतन्त्रता होती है। उपभोक्ता अपनी इच्छा अनुसार चीजें खरीद सकता है और उत्पादक अपने साधनों का इच्छानुसार चुनाव कर सकते हैं। दूसरे उत्पादन में अधिकतम कुशलता प्राप्त होती है क्योंकि प्रत्येक उत्पादकों को उत्पादन बन्द करना होता है या कुशलता में वृद्धि करनी होती है। इस प्रकार साधनों का अपव्ययी उपयोग नहीं होता है और अन्त में प्रतियोगिता मूल्य यन्त्र को संचालित करती है।

(६) पूँजीवादी प्रणाली की छठी विशेषता यह है कि इसमें उत्पादन-कार्य सुसंचय रहित होता है। इसमें साधनों के उपयोग के बारे में किसी केन्द्रीय सभा का निर्देशन नहीं होता है। परन्तु जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं व्यक्तिगत क्रियाओं का निर्देशन मूल्य यन्त्र द्वारा होता है।

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पूँजीवादी प्रणाली का रूप गत वर्षों में काफी बदल गया है और जैसा कि हमने कई स्थानों पर बताया है कि परिस्थितियों के बदलने में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता बहुत सीमा तक कम हो गई है। अब हम पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण तथा दोषों का अध्ययन करते हैं।

पूँजीवादी प्रणाली के लाभ—

पूँजीवादी प्रणाली के निम्न लाभ बताये गये हैं ।

(१) उत्पादन सम्बन्धी लाभ—(अ) उत्पादन प्रणाली व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुकूल होती है । यह मूल्य यन्त्र द्वारा होता है । प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रता होती है कि वह जिस प्रकार चाहे अपनी मौद्रिक आय को व्यय करे । किसी भी वस्तु को कितनी ही मात्रा में खरीदे, क्योंकि व्यक्ति ने यह निर्णय मूल्य पर निर्भर करते हैं और किसी भी वस्तु के लिये मनुष्य की आवश्यकता की सीमा उस मूल्य द्वारा व्यक्त होती है जो वह वस्तु के लिये देने को तैयार होता है । उत्पादक भी अपनी उत्पत्ति की मात्रा मूल्य द्वारा ही निश्चित करते हैं । इस प्रकार मूल्य यन्त्र मात्र और पूर्ण म अनुबल स्थापित होने में सहायता करता है ।

(आ) उत्पादन की कुशलता, इस प्रणाली का दूसरा गुण है । अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य और प्रतिभोगिता में सफल होने के निम्न प्रत्येक उत्पादक, वस्तु को कम में कम उत्पादन लागत पर उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है । इसलिये उत्पादन क्षेत्र में केवल वे ही उत्पादक टिक पाते हैं जो अत्यन्त कुशल और निपुण होते हैं और कम कुशल या अकुशल उत्पादक, कम लाभ प्राप्त होने के कारण या हानि होने के कारण उस उद्योग को छोड़ कर किसी अन्य उद्योग में कार्य करने लगते हैं । इस प्रकार माधनों का अपव्ययी उपयोग बच जाता है ।

(ई) उत्पादन में कुशलता प्राप्त करने के लिये प्रत्येक उत्पादक उत्पादन विधियाँ में नित नये सुधार करने के लिये प्रेरित होता है । वैज्ञानिक ढंग पर श्रमिका का संगठन करता है । नये नये यन्त्रों का प्रयोग करता है । अनुसन्धाय कार्यों पर अधिक व्यय करता है और इसी प्रकार नये ग्रन्थ प्रयत्न करता है ।

(ई) इन प्रयत्नों के कारण पिछले वर्षों में बहुत उन्नति हुई है । वस्तुओं की संख्या और विविधता में अत्यधिक वृद्धि हुई है । श्रमिकों की उत्पादन शक्ति में भी उन्नति हुई है । पहिले की अपेक्षा आज प्रत्येक वस्तु का उत्पादन कई गुना बढ़ गया है । बहुत से नई किस्म की वस्तुएँ बननी आरम्भ हुई हैं । उत्पादन उप-भोगताओं की रुचियों के अनुकूल किया जा रहा है । वास्तव में यह पूँजीवादी उत्पादन का ही चमत्कार है । ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यदि पूँजीवादी उत्पादन इस प्रकार चलता रहा तो बीस वर्षों में (और सन् १९२८ से २० वर्षों में) अत्यधिक निर्धन अविश्रुतों की निर्धनता समाप्त हो जायेगी ।^१

(२) जीवन स्तर में वृद्धि—पूँजीवादी प्रणाली की एक सफलता यह भी बनाई जाती है, कि गत वर्षों में उत्पादन में महान् वृद्धि होने के कारण, व्यक्तियों के जीवन स्तर में बहुत उन्नति हो गई है । इस वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि पहले की अपेक्षा अब वस्तुएँ एक ती प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने लगी हैं, दूसरे पहले की ही वस्तुएँ अब नये-नये रूप, रंग और आकार की बनने लगी हैं और नये-नये आविष्कार

होने से नई-नई वस्तुएँ भी बनाई जाने लगी हैं, जैसे रेडियो, बिजली के पत्ते, बिजली के प्रशीतक (Refrigerators) इत्यादि। यह पूर्ण रूप से पूँजीवादी देशों के गत वर्षों के आर्थिक इतिहास से स्पष्ट हो जाता है।⁷ यह सस्ता कपड़ा, सस्ता सूती और रेशमी कपड़ा, जूते, मोटरे इत्यादि ही पूँजीवादी उत्पादन की विशेष सफलताएँ हैं। यह उन्नति या सुधार नहीं जो धनी व्यक्ति को अधिन महत्त्वपूर्ण होते हैं। रानी गेलीज-वर्थ के पास रेशमी मोजे थे। पूँजीवादी सफलता इसी में नहीं कि रानिया के लिए अधिक रेशमी मोजे प्रदान करें वरन् इसमें है कि कारखाना में काम करन वाल श्रमिकों को यह मोजे कम से कम प्रयत्न करके प्राप्त हो जाये। पूँजीवादी विधि, अक्सर ही नहीं बल्कि अपनी काय प्रणाली द्वारा, जन साधारण के जीवन स्तर में तीव्र गति से वृद्धि करती है।⁸

(३) स्वयंक्रियता—हम ऊपर वह आशय है कि पूँजीवादी प्रणाली में आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण उपभोग और वितरण सम्बन्धी निर्णय मूल्य पर निर्भर करत हैं। इस प्रकार प्रतियोगिता और मूल्य मन्त्र के कारण बिना किसी निर्देशक के ही इस प्रणाली में विभिन्न धना भरण ही समन्वय स्थापित हो जाता है। इसमें समाजवाद की भाँति कन्द्रीय नियोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार यह प्रणाली स्वयंचालित है।

(४) स्वतन्त्रता—पूँजीवादी प्रणाली में व्यक्तियों की आर्थिक और राज-नीतिक दोनों प्रकार की स्वतन्त्रता प्राप्त होती है। यह सच है कि यह स्वतन्त्रता कुछ प्रतिबन्धों के साथ ही प्राप्त होती है, परन्तु फिर भी अन्य आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं की अपेक्षा इसमें व्यक्ति अधिन स्वतन्त्र रहता है। इसमें राज्य का कम से कम हस्तक्षेप होता है। जब तक कि सामाजिक न्याय और सुरक्षा भंग न हो और जब तक कोई व्यक्ति अपने अधिकारों की प्राप्ति में विषय अन्य व्यक्तियों की स्वतन्त्रता में बाधक नहीं होता उस समय तक प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र होता है कि वह जैसा चाहे करे। इस स्वतन्त्रता से व्यक्तिगत उपनम और उल्लाह में वृद्धि होती है।

(५) न्यायशीलता—पूँजीवादी प्रणाली में समर्थता का कहना है कि यह प्रणाली न्यायपूर्ण है। यह प्रवृत्ति का नियम है कि सबसे अधिक योग्य जीव ही जीवित रहना चाहिये। यह प्रणाली इसी नियम पर आधारित है। न्यायशीलता तो दूरी में है कि सबसे योग्य व्यक्ति का ही अधिकतम लाभ प्राप्त हो। इस प्रणाली में होता भी यही है।

(६) लोचपूर्णता—कुछ लोगों के अनुसार यह प्रणाली अपने आपको समय अनुसार बना सपती है अर्थात् इसमें एक बड़ा गुण यह है कि यह लोचपूर्ण है। परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ यह अपनी उत्पादन विधि, प्रवन्ध और कार्य प्रणाली को सुरन्त ही बदल लेती है और समय अनुकूल बना लेती है। राजकीय हस्तक्षेप, इतना अधिक हो जाने पर भी, आज यह जीवित है और केवल यह ही नहीं

7 Loucks and Hoot Comparative Economic Systems Pp 67-75

8 J A Schumpeter Ibid P 67.

बल्कि सत्कार के अधिकांश भाग पर इसका प्रभुत्व है।

पूँजीवादी प्रणाली के दोष—

उपर्युक्त गुणों से यह नहीं समझ लेना चाहिये कि पूँजीवादी प्रणाली दोष रहित है। इसके दोष काफी गम्भीर हैं। इसी दोषों के कारण तो इसकी इतनी निन्दा हुई है और आर्थिक जीवन में राज्य हस्तक्षेप बढ़ा है। सच तो यह है कि इन इन प्रणाली में इतनी बुराईयाँ हैं कि इसका अन्त अब निकट ही दीपता है। यह दोष निम्न प्रकार हैं—

(१) आय की असमानता—पूँजीवादी प्रणाली में सबसे बड़ा दोष यह है कि यह आर्थिक असमानताओं को जन्म देती है। इस प्रणाली में समाज दो भागों में विभाजित हो जाता है। प्रथम भाग में तो वे लोग आते हैं जिनके पास किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होना और जो अपना जीवन भोग विलास में बिताते हैं और दूसरे भाग में ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिनके पास पेट भर खान को भोजन और तन ढाकने की कपड़ा भी नहीं होता। यही नहीं जैसा जैसा इस प्रणाली की उन्नति हुई है वैसे ही वैसे धन की अगमानताएँ बढ़ती ही गई हैं। धनी और अधिक धनी होने लगे हैं और निर्धन और अधिक निर्धनता की सीमा पर पहुँचते गये। यह असमानताएँ मुख्य रूप से निजी सम्पत्ति, उपकरण की स्वतन्त्रता, निजी लालच के लिये उत्पादन और प्रतियोगिता के कारण उत्पन्न होती हैं। यद्यपि यह सही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र है कि वह जैसा चाहे वैसा करे परन्तु यह स्वतन्त्रता केवल सैद्धान्तिक ही है। क्योंकि व्यवहार में यह स्वतन्त्रता केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होती है जिनके पास पहल ही से प्रचुर मात्रा में साधन होते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे-जैसे उत्पादन का क्षेत्र बढ़ता है और उत्पादन में नये ढंगों का प्रयोग होता है वैसे ही वैसे उन व्यक्तियों की संख्या कम होनी चली जाती है जिनके पास तब ढंगों का प्रयोग करने के लिये मशीनें हा और बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के लिये बहुत बड़ी पूँजी हो। इसी लिये केवल धनी परिवार के लोग ही धनी रहते हैं। हाल ही के एक अनुमान के अनुसार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में २६ प्रतिशत परिवारों और व्यक्तियों को कुल आय का ५६% भाग प्राप्त हुआ जब कि शेष ७४% परिवारों और व्यक्तियों को केवल ४४% मिला।^९ इसी प्रकार ग्रेट ब्रिटेन में सन् १९३६ में १२% व्यक्तियों ने कुल राष्ट्रीय आय का ४२% भाग प्राप्त किया था।^{१०} इस बात से सिद्ध होता है कि जब पूँजीवादी देशों में आय की असमानता इतनी भीषण है तो धन की असमानता तो और भी अधिक भयानक होगी। इस समस्या के साथ-साथ एक बुराई और उत्पन्न होती है कि पूँजीवादी देशों में समाज की प्रगति तथा सामाजिक और आर्थिक उन्नति के साथ-साथ बहुधा सम्पत्ति का मूल्य बढ़ता ही जाता है जिससे व्यक्ति को बिना किसी प्रयत्न के ही

९ Paul A Samuelson, *Economics*, P. 63.

१० Pigou, *Ibid*, P 19

और लोगों को आग जताने को प्राप्त नहीं हो पाता है। यह केवल इसीलिये तो है कि उनके पास कोयला खरीदने को पैसे नहीं हैं क्योंकि कोयले के अत्यधिक उत्पादन के कारण उनको कोयले उद्योग से निकाल दिया गया है।

(२) आर्थिक स्थिरता—पूँजीवादी प्रणाली का एक बड़ा दोष यह भी है कि इसमें आर्थिक स्थिरता का अभाव रहता है, यर्थात् मूल्यों के उतार-चढ़ाव बहुत अधिक और शीघ्र ही होते रहते हैं जिनसे कि देश का आर्थिक जीवन पूर्ण रूप में अनिश्चित रहता है। दूसरे शब्दों में व्यापार चक्र इस प्रणाली की मुख्य विशेषता है। वृद्धि-वृद्धि तो व्यापार और उद्योगों में एक दम समृद्धि आती है और फिर उनके बाद तुरन्त ही मन्दीकाल आता है और इसी प्रकार एक के बाद दूसरा—क्रम चलता ही रहता है। एक व्यापार चक्र का काल लगभग ६-१० वर्षों का होता है। मन्दी के दिनों में समाज के सभी वर्गों के लोगों को घोर कष्ट सहन करने पड़ते हैं। ऐसे दिनों में उत्पादन, व्यापार और राष्ट्रीय आय गिरती जाती है और बेकारी बढ़ती जाती है। १९३० के मन्दी काल के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं उन वर्षों में समुक्त राज्य की राष्ट्रीय आय ५,३०० करोड़ डालर से गिर कर ४,००० करोड़ डालर रह गई थी, औद्योगिक उत्पादन का सूचक अंक ११९ में ६४ पर आ गया था और बेकारों की संख्या लगभग १५ गुनी बढ़ गई थी। इस प्रकार यह अवगुण पूँजीवादी प्रणाली का अनिवार्य और स्वाभाविक दोष है।

(३) अपव्ययिता—ऐसी प्रणाली में आर्थिक साधनों का भिन्न-भिन्न उद्योगों में मितव्ययी प्रयोग नहीं होता है यह हम बता ही चुके हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था में मूल्य यत्र मूल निर्देशक होता है और इसलिये केवल वही वस्तुएँ उत्पन्न की जाती हैं जिनके मूल्य ऊँचे होते हैं यर्थात् जिनका केवल मनी व्यय ही उपभोग करते हैं। इस प्रकार अधिकांश व्यक्तियों द्वारा उपभोग में लाई जाने वाली वस्तुएँ, दूसरे शब्दों में अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुओं के उत्पादन में साधनों का बहुत कम उपयोग होता है।¹³

इसके अतिरिक्त उत्पत्ति के साधनों का अद्वारा भिन्न-भिन्न उद्योगों और व्यवसायों में आदर्शतम नहीं होता है क्योंकि एक तो कुछ वस्तुओं की भौतिक लागत (Money Cost of Production) और सामाजिक लागत (Social Cost of Production) समान नहीं होंगी जैसे कि नशीली वस्तुओं का उत्पादन और विक्रय। श्रेणी, वस्तुओं की, भौतिक लागत, तो, बहुत कम रहती है परन्तु सामाजिक लागत, बहुत अधिक होती है। क्योंकि समाज को इन वस्तुओं के उपभोग के कारण उत्पन्न होने वाले नुकड़े और अपराधों को रोकने के लिये पुलिस और न्यायालयों के प्रबन्ध करने पर बहुत खर्चा करना पड़ता है। परन्तु उत्पादक निजी लाभ को अधिकतम करने के लालच से इस बात की ओर ध्यान ही नहीं देता और वस्तुओं का उत्पादन करता चला जाता है। दूसरी ओर साधनों के कुछ उपयोग ऐसे हैं जिनसे सभी व्यक्तियों को एक साथ लाभ पहुँचता है और उसका मूल्य किसी एक व्यक्ति से नहीं लिया

जा सकता है। जैसे पाकें, गडकें, वाचनालयों आदि की व्यवस्था। ऐसे उपयोगों में सामाजिक लाभ अधिक होते हुये भी पूँजीपति अपनी पूँजी को कभी भी लगाने की तैयार न होना क्योंकि इससे उसको कोई मौद्रिक लाभ प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार हमने देखा कि माघनों का उचित बटवारा पूँजीवादी प्रणाली में नहीं हो पाता। इसके अनिश्चित कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिसमें एकाधिकार की स्थिति स्थापित हो जाती है। ऐसे उद्योगों में एकाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम करने में उद्देश्य से वस्तु को कम मात्रा में उत्पादन करके ऊँचे मूल्य पर बेचता है। इसका मतलब यह है कि वह अपने उद्योग में उन माघनों को प्रयोग में नहीं लाना जिनमें कि आदम बटवारे की स्थिति में आन चाहिये जिनमें द्रव्य माघना का उपयोगी उपयोग होता है। क्याव या तो यह बेकार पड़े रहते हैं या वह ऐसे उद्योगों में लगाए जाते हैं जहाँ जगती मर्यादा उपयोगिता नीची होती है। अन्य कारणों में भी माघनों का उपयोगी उपयोग होता है। एक तो एक वस्तु के भिन्न-भिन्न उत्पादक उत्पादन करने में पहले यह अनुमान नहीं लगा पाते कि उनमें से प्रत्येक वस्तुओं की विभिन्न मात्रा बेच सकेगा। जिसका परिणाम यह होता है कि या तो वह अधिक उत्पादन कर लेता है या कम। यदि उत्पादन माँग में अधिक हो जाता है तो उसको प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने के लिये विज्ञापन आदि पर बहुत अधिक पूँजी खर्च करनी पड़ती है जो स्वयं पूर्णरूप से अनावश्यक होता है। माघ ही माघ यदि अन्य प्रतियोगी उत्पादन करने में रुक और रुक में कुछ परिवर्तन करते तो पहले बकी हुई वस्तुओं का एक ता विक्रय करके ही जाता है और दूसरे वस्तुओं का रूप और रस में परिवर्तन करने में अनावश्यक खर्च करते हैं। इसके अनिश्चित मर्यादा और व्यापारों की दोहराव (Duplication) का कारण भी बहुत बड़ा ही होता है।

(४) बेकारी—पूँजीवादी प्रणाली का नीचा गम्भीर दोष यह है कि इसमें मानवीय और भौतिक माघना का पूरा उपयोग तो हा ही नहीं पाता और उसके ऊपर बेकारी और उपलब्ध होनी चली जाती है। सबसे विचित्र बात तो यह है कि इच्छा न हाव हुये भी लोगों को बेकार होना पड़ता है। ऐसी व्यवस्था में नैसा अद्भुत स्वतन्त्रता का अधिकार है जब कि लोगो को पेट भरने, लन टाकने, छत के नीचे रहने तक की स्वतन्त्रता और अधिकार नहीं। यह बेकारी केवल इन्हीं निम्ने होती है कि उपयोग के भौतिक माघना पर कुछ ही लोगो का स्वाभिमन होता है और अधिकांश को नोकर रखना उनकी इच्छा पर निर्भर रहता है। परन्तु वे 'पूर्ण-रोजगार' (Full Employment) की स्थिति उत्पन्न करने में असमर्थ रहते हैं। इसीलिये तो समाजवाद अर्थिक प्रगति कर रहा है क्योंकि अब यह सिद्ध हो चुका है कि बिना राज्य हस्तक्षेप के पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती।

(५) एकाधिकार सघों की स्थापना—पूँजीवादी प्रणाली में बहुधा एकाधिकार सघों के स्थापित होने की प्रवृत्ति पाई गई है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से तो पूर्ण प्रतियोगिता इस प्रणाली का मुख्य लक्ष्य है परन्तु व्यावहारिक जीवन में एकाधिकारी या अर्ध एकाधिकारी संगठन स्थापित होते देखे गये हैं। स्पष्ट है कि ऐसे सघों की

स्थापना से केवल पूँजीवादी प्रणाली के दोष बढ़ते ही नहीं हैं साथ ही साथ उनके लाभ भी कम हो जाते हैं।

(६) शोषण—इस प्रणाली में क्योंकि उत्पादकों का मुख्य उद्देश्य अपने लाभ की अधिकतम करना होता है इसलिए वे अपने उत्पादन व्यय को कम से कम रखने के लिए श्रमिकों का शोषण करते हैं। वे श्रमिकों को उनकी उत्पत्ति का पूरा मूल्य नहीं देते जिससे श्रमिक सदैव ही निधन बना रहता है। वे स्त्री और बच्चों को कम मजदूरी पर नौकर रखते हैं श्रमिकों की बीमारी आदि पर कोई ध्यान नहीं देते। इसके साथ-साथ श्रमिकों को सदैव ही बेकारी का डर लगा रहना है क्योंकि यदि श्रमिक अपनी मजदूरी बढ़वाने और काय वसाआ को सुधारने की बात कहें तो मालिक उसको फौरन निकाल देगा। इस प्रकार इस प्रणाली में मानवता का पूण अभाव रहता है।

(७) कला की अवनति—ऐसी प्रणाली जिसमें प्रत्येक वस्तु का महत्त्व द्रव्य में आका जाय उस प्रणाली में कला साहित्य और गायन विद्या आदि का वृत्ति विकास हो सकता है। मित्रता भी धन और दोगत की तराजू में तौली जाती है और देश में कला और कलाकारों का कोई स्थान नहीं होता।¹⁴

योजना-बद्ध अर्थ-व्यवस्था—

योजनाबद्ध अर्थ व्यवस्था का विचार बीसवीं शताब्दी की देन है। ऐसी अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन व्यापार, योजना, जीवन स्तर और राष्ट्रीय भाग का विकास एक साथ होता है और यह विकास एक केन्द्रीय संस्था द्वारा एक निश्चित योजना के अनसार होता है। यह योजना एक पूरे निश्चित उद्देश्य से बनाई जाती है और एक निश्चित अवधि के लिए होती है। राबिन्स के शब्दों में “योजना बनाना का अर्थ है किसी निश्चित उद्देश्य से काम करना, चुनना या निर्णय करना और यह निर्णय सारी आर्थिक क्रियाओं का निचोड़ होता है।”¹⁵ लाविंग के अनुसार योजनाबद्ध अर्थ व्यवस्था “आर्थिक संगठन की एक ऐसी योजना है जिसमें सारे व्यक्ति तथा अन्य यन्त्रादि, उपकरणों और उद्योगों को एक सम्पूर्ण प्रणाली की समन्वित दशाश्रयों मानी जाती हैं ताकि तमाम उपलब्ध साधनों का एक निश्चित अवधि के अन्दर, किसी जाति की आवश्यकताओं की अधिकतम सतुष्टि के लिए, उपयोग किया जाय।”¹⁶ इस प्रकार योजनाबद्ध अर्थ व्यवस्था का मुख्य आधार आर्थिक नियोजन¹⁷ है।

14 Loucks and Hoot, *Ibid*, P 83

15 Robbins *Economic Planning and International Order* P 4

16 Lewis Lorwin *Report of the Amsterdam Conference on World Social Planning* P. 714

17 आर्थिक नियोजन का विस्तृत अध्ययन पुस्तक-पौथी में किया गया है, यहाँ पर हम केवल योजनाबद्ध अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी बातों की ही विवेचना कर रहे हैं।

योजना-बद्ध अर्थ-व्यवस्था की विशेषताएँ—इन अर्थ-व्यवस्था की मुख्य विशेषताये निम्न प्रकार हैं—

(१) इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए जो भी निर्णय होते हैं वे केन्द्रीय नियोजन अधिकारी (Central Planning Authority) द्वारा लिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में एक नियोजन अधिकारी की उपस्थिति अत्यन्त आवश्यक है जो देश के साधनों को ध्यान में रखकर पूर्व निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए एक विम्बून योजना तैयार करता है। निराजन अधिकारी वास्तव में नियोजन कार्य का निर्देशक होता है।

(२) नियोजन अधिकारी जिस योजना का निर्माण करता है वह निर्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाई जाती है अर्थात् योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं वितरण नियमों इन उद्देश्यों की पूर्ति को ध्यान में रख कर की जाती है और उनका मार्ग पूर्व निर्दिष्ट रहता है। यह आवश्यक नहीं कि यह उद्देश्य आर्थिक आधार पर ही निर्धारित हो वरन् सामाजिक, राजनैतिक तथा अन्य विचारों के आधार पर भी निर्धारित किए जा सकते हैं। यह देश की परिस्थितियों पर निर्भर रहता है। जैसे रूस में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य, देश को आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और देश की सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था करना था। इसी प्रकार इटली और जर्मनी में मुख्य उद्देश्य राज्य की आर्थिक तथा सैन्य शक्ति को प्रबल बनाना था। कुछ भी हो प्रत्येक देश में आर्थिक नियोजन के कुछ मामान्य उद्देश्य अवश्य होते हैं जो लगभग सारे ही देशों में समान रहते हैं, जैसे व्यक्तिगत जीवन स्तर को ऊँचा करना, देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न करना, आर्थिक अनमानताओं को दूर करना, आर्थिक जीवन को स्याई बनाना इत्यादि। हाँ, यह अवश्य है कि पिछड़े हुए देशों में नियोजन का प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक विकास और औद्योगीकरण होता है।

(३) जैसा कि हम कह चुके हैं योजनाबद्ध अर्थ-व्यवस्था एक निर्दिष्ट योजना के अनुसार चलायी जाती है। जब देश की सरकार उद्देश्यों को निर्दिष्ट कर लेती है तो नियोजन अधिकारी उपलब्ध साधनों के अनुसार एक निर्दिष्ट अर्थिक मंडल उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योजना बनाता है, अर्थात् वह यह निर्धारित करता है कि उस समय में साधनों का प्रयोग किस प्रकार होगा और फिर साधनों को विभिन्न प्रयोगों में प्राथमिकता क्रमा के अनुसार बाँट देता है। जब सरकार इस योजना को स्वीकार कर लेती है तब नियोजन कार्य आरम्भ होता है। यह ध्यान रहे कि यह योजना स्याई नहीं होती। समय व परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं।

(४) एक और महत्वपूर्ण विशेषता इस व्यवस्था की यह है कि इसमें सभी आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियन्त्रण रहता है।

उपर्युक्त विशेषताओं के अनुसार इस क्षेत्र में हम समाजवाद का अध्ययन करेंगे क्योंकि समाजवाद ही इसका आदर्शतम रूप है।

समाजवाद—

समाजवाद क्या है?—थोड़ा से ही शब्दों में समाजवाद के बारे में बताना देना एक कठिन कार्य है क्योंकि यह शब्द सिद्धान्त और राजनीतिक आन्दोलन दोनों ही का संकेत करता है। इसके अतिरिक्त समाजवाद के अन्तर्गत केवल राजनीतिक सिद्धान्त ही नहीं मिलते बल्कि आर्थिक और राजनीतिक सिद्धान्तों की एक मिश्रित विवेचना मिलती है। इससे अतिरिक्त सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि समाजवाद के इतने रूप हैं और इतनी विचारधाराएँ हैं कि ऊपर से देखने पर यह एक दूसरे के विरोधी मत प्रतीत होते हैं। इस प्रकार समाजवाद के अनेकों पहलू हैं और इस पर इतने लेख लिखे गये हैं कि वास्तव में यह कहना कठिन हो जाता है कि समाजवाद है क्या? हमको भी यही कहते बनता है, जैसा कि जोड़ ने कहा है कि "संक्षेप में समाजवाद एक टोपी की भाँति है जिसकी शकल विगड गई है क्योंकि हर कोई उसे पहनता है।"¹⁸

हम यहाँ पर पहले समाजवाद की मुख्य मुख्य परिभाषाओं को देंगे और तत्पश्चात् समाजवाद की विशेषताओं, गुण और अवगुणों का वर्णन करेंगे।

Dickinson के अनुसार "समाजवाद, समाज का एक आर्थिक संगठन है जिसमें उत्पत्ति के भौतिक साधनों पर सम्पूर्ण जाति का स्वामित्व होता है और जिनका उपयोग एक सामान्य आर्थिक योजना के अनुसार ऐसी सरथाओं द्वारा किया जाता है जो समाज के प्रतिनिधि हैं और जो जाति के प्रति उत्तरदायी हैं, इस प्रकार के समाजीकृत योजनाबद्ध उत्पादन के जो परिणाम होते हैं उनमें से समाज के सारे ही सदस्य समान अधिकारों के आधार पर, लाभ उठाने के अधिकारी होते हैं।"¹⁹

प्रो० पीगू ने समाजवाद की परिभाषा इस प्रकार की है "एक समाजीकृत प्रणाली वह है जिसके उत्पादक साधनों का मुख्य भाग समाजीकृत उद्योगों में लगा होता है।" और "एक समाजीकृत उद्योग वह है जिसमें कि उत्पत्ति के भौतिक साधनों पर किसी राजकीय अधिकारी या एन्ड्रिज सस्था का स्वामित्व होता है और जो दूसरे व्यक्तियों को बेचकर लाभ बमाने के उद्देश्य से नहीं चलाये जाते बल्कि उन लोगों की प्रत्यक्ष सेवा के लिये जिनका कि अधिकारों या सस्था प्रतिनिधित्व करती है।"²⁰

18 "Socialism, in short, is like a hat that has lost its shape because everybody wears it" —C E M. Joad *Modern Political Theory*. 1935. p. 40

19. "Socialism is an economic organisation of society in which the material means of production are owned by the whole community and operated by organs representative of and responsible to the community according to a general economic plan, all members of the community being entitled to benefit from the results of such socialised planned production on the basis of equal rights"—Dickinson, *Economics of Socialism* pp 11

20 "A socialised system is one the main part of whose productive resources are engaged in socialised industries. And, "a socialised industry is one in which the material instruments of production are owned by a public or

Shadwell ने समाजवाद की बड़ी विस्तृत परिभाषा दी है। वास्तव में यह परिभाषा तो नहीं है बल्कि सम्पूर्ण समाजवाद का एक संक्षिप्त सार है। उनके अनुसार यह "अमूर्ति तथा ठोस, सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक, आदर्शवादी और भौतिकवादी, अतिप्राचीन और पूर्ण आधुनिक—दोनों ही है, यह एक कोरी भावना से लेकर एक स्पष्ट कार्यक्रम तक है, विभिन्न समर्थक इसको एक जीवन दर्शन, एक प्रकार का धर्म, एक धार्मिक नियम, एक आर्थिक प्रणाली, एक ऐतिहासिक श्रेणी, एवं भ्यायिक सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत करते हैं यह एक लोकप्रिय आन्दोलन और एक वैज्ञानिक विश्लेषण है, भतकाल की एक व्याख्या है और मनुष्य का एक दर्शन है, यह युद्ध का एक नारा है और युद्ध विराधी है, एक हिंसात्मक क्रान्ति और एक सभ्य क्रान्ति है यह प्रेम और परोपकार करने का शुभ सन्देश है और घृणा तथा तालच का सघर्ष है मनुष्य जाति की आशा और सम्यता का अन्त है, एक स्वर्ण युग का प्रभात है और एक भयपूर्ण सर्पासि है।"

Webbs के शब्दा में "समाजिकीकरण की मुख्य विशेषता यह है कि उद्योगों और सेवाओं के साथ उन उत्पत्ति के साधनों जिनकी उनके लिये प्राप्तिव्यवस्था हो, उन पर व्यक्तियों का स्वामित्व नहीं होना चाहिये और औद्योगिक एवं सामाजिक प्रशासन का संगठन निजी लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं होना चाहिये।"²¹

इसी प्रकार लुक्स और हूट (Loucks and Hoot) ने समाजवाद की निम्न परिभाषा दी है: "समाजवाद उस आन्दोलन की ओर संकेत करता है जो समस्त प्राकृतिक और मनुष्यकृत उत्पादक वस्तुओं जितका उपयोग बड़े पैमाने की उत्पत्ति में होता है, उनका स्वामित्व और व्यवस्था व्यक्तियों की अपेक्षा सारे समाज को ही सौंपना चाहता है, इस उद्देश्य से कि व्यक्ति की आर्थिक प्रेरणा या उसकी व्यवसायिक एवं उपभोग सम्बन्धी चुनाव करने की स्वतन्त्रता को नष्ट किये बिना ही बड़ी हुई राष्ट्रीय आय का अधिक समान वितरण हो सके।"²²

तुगन बरोनोस्की (Tugan Baranowsky) ने कहा है कि "समाजवाद का नार इसमें है कि समाज में किसी व्यक्ति का शोषण न हो। वर्तमान आर्थिक प्रणाली

voluntary association and operated, not with a view to profit by sale to other people, but for the direct service of those whom the authority or association represents" —Pigou, *Socialism versus Capitalism*, P. 2

21. "The essential feature in socialisation is that industries and services with the instruments of production which they require, should not be owned by individuals and that industrial and social administration should not be organised for the purpose of obtaining private profit." Sydney Webb and Beatrice Webb, *The Decay of Capitalist Civilization*, Page 2.

22. "Socialism refers to that movement which aims at vesting in society as a whole rather than in individuals the ownership and management of all nature made and man made producer's goods used in large scale production, to the end that an increased national income may be more equally distributed without materially destroying the individual's economic motivation or his freedoms of occupational and consumption choices."—Loucks and Hoots.

निजी लाभ के उद्देश्य पर आधारित है। परन्तु समाजवाद के अन्तर्गत सब का अधिकतम कल्याण का उद्देश्य होता है—“वस्तुओं का उत्पादन उस उपयोगिता के आधार पर किया जाता है जो किसी समाज को होती है।”²³

मॉरीसन (Morrison) के शब्दों में “समाजवाद का मुख्य लक्षण यह है कि सारे बड़े उद्योग और भूमि पर सार्वजनिक या सामूहिक स्वामित्व हो और उन को (एक राष्ट्रीय आर्थिक योजना के अनुसार) निजी लाभ की अपेक्षा सामान्य हित के लिये उपयोग किया जाये।”²⁴

समाजवाद की मुख्य विशेषताये—

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि हर लेखक ने समाजवाद को अपने अपने ढंग से समझा है और यही कारण है कि परिभाषाओं में इतनी भिन्नता मिलती है। इसीलिये समाजवाद के अनेक रूप भी हैं। परन्तु इन परिभाषाओं में समाजवादी प्रणाली के मुख्य लक्षण अवश्य स्पष्ट हो जाते हैं। यह लक्षण निम्न प्रकार हैं—

(१) समाजवादी प्रणाली का प्रथम मुख्य लक्षण यह है कि इस प्रणाली में उत्पादन के भौतिक साधनों पर समाज का सामूहिक स्वामित्व रहता है। व्यक्तियों को निजी सम्पत्ति का अधिकार नहीं होता और न ही साधनों का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिये किया जाता है। आर्थिक क्षेत्र में सभी निर्णय राजकीय संस्थाओं द्वारा लिए जाते हैं। इन संस्थाओं के मदस्य या तो सरकारी अफसर होते हैं या विनियम कार्यों के लिये सरकार किसी विशेष संस्था को स्थापित कर देती है। इस प्रकार उस प्रणाली में साधनों का स्वामित्व एवं उपयोग सामूहिक रूप में राज्य या समाज के हाथों में होता है।

(२) सामाजिक कल्याण की प्राप्ति इस प्रणाली का दूसरा उद्देश्य है। इस प्रणाली में आर्थिक क्रियाओं का निर्देशन और उनके बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य एक निश्चित योजना के अनुसार किया जाता है। यह योजना सरकार द्वारा नियुक्त एक केन्द्रीय अधिकारी द्वारा बनाई जाती है, जो सरकार की ओर से साधनों को विभिन्न उपयोगों में इस प्रकार बाँटता है कि समाज के सभी लोगों का कल्याण अधिकतम हो। इस प्रकार ऐसी प्रणाली में अनोपाजित श्रम के लिये कोई स्थान नहीं होगा। सारे व्यक्ति सरकार के नौकर होंगे और उनको उनकी कार्यक्षमता के अनुसार उचित मजदूरी दी जायगी। समाजवादी प्रणाली में केवल उपभोग के लिये उत्पादन किया जाता है लाभ के लिये नहीं।

23. The essence of socialism lies in the absence of exploitation of any individual in the society. The present economic system is based on the profit motive. But under socialism it aims at the maximum welfare of all, the production of commodities is on the basis of their utility to the community.”

—Tugan Baranowsky

24. “The important essentials of socialism are that all the great industries and the land should be publicly or collectively owned, and that they should be conducted (in conformity with a national economic plan) for the common good instead of for private profit.”

—Morrison

(३) समाजवादी प्रणाली के अतिरिक्त, प्राथिक नियोजन योद्धी बहुत माया में अन्य प्रणालियाँ में भी व्यवहार में लाया जा सकता है, परन्तु पूर्णरूप में यागतामय प्रणाली समाजवादी प्रणाली ही है। स्वतन्त्र उपभ्रम प्रणाली में यह कार्य, मत्पयंत्र द्वारा किया जाता है क्योंकि ऐसी वस्तुओं का उत्पादन बन्द कर दिया जाता है जिसमें लाभ कम होने की प्रवृत्ति होती है और उनका स्थान पर ऐसे उद्योगों का विकास होता है जिनमें लाभ की मात्रा बढ़ती होती है और इस प्रकार बिना किसी निर्दोष के ही साधन कम उपयोगी उपयोग में निर्यात कर अधिक उपयोगी उपयोग में जान लगते हैं। समाजवादी प्रणाली में यह कार्य नियोजन अधिकारी द्वारा किया जाता है। इस प्रकार प्राथिक नियोजन भी समाजवादी प्रणाली की प्रमुख विशेषता है।

(४) समाजवादी प्रणाली की अंतिम विनाशना प्राथिक समानता है। वास्तव में निजी सम्पत्ति के अखिरार और निजी लाभ के उद्देश्य के अभाव में प्राथिक यत्नमानवार्थे उत्पन्न होना असम्भव हो जाता है। प्राथिक समानता का यह अन्तिमार्थ नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति की मौद्रिक आय बराबर होनी है। ऐसा तो तभी हो सकता है जबकि मारे व्यक्तिगत की मात्रा समता बराबर हो जाय परन्तु क्योंकि ऐसा होना असम्भव है इसलिए प्राथिक समानता का मतलब केवल अवसरों की समानता से है अर्थात् प्रत्येक-व्यक्ति को अपने विकास के निम्ने समान अवसर प्राप्त होने चाहिये। मात्र ही साथ धन का वितरण भी इस प्रकार हो कि प्रत्येक व्यक्ति को उमकी आवश्यकता अनुसार प्राप्त हो। इस प्रकार इस प्रणाली में वर्गीय संघर्ष का अन्त हो जाता है और किसी भी व्यक्ति का व्यक्ति द्वारा शासन नहीं होता।

समाजवाद का इतिहास— आरम्भ में १८४८ तक समाजवाद मुख्यतया कल्पनाया में परिपूर्ण और आदर्शवादी था। इसमें धनवान और पूँजीपतियों का श्रमिकों की अपेक्षा अधिक हाथ था। इन समाजवादियों ने प्रतियोगिता प्रणाली और निजी व्यवसाय प्रणाली की बुराइयों को दूर करने के लिये समाजवादी योजनाय प्रस्तुत की थी। इन समाजवादियों को स्वप्नदर्शी (Utopians) कहा जाता है और इनके समाजवाद को स्वप्नदर्शी समाजवाद कहते हैं। क्योंकि इन लोगों के सकारात्मक मिश्रण पर आधारित थे और इन्होंने मनुष्य जाति का सगठन शिक्षा और भाई चारे द्वारा करने का प्रचार किया था। आधुनिक समाजवादियों की भाँति यह लोग एक समाजवादी राज्य स्थापित करने के लिये एक क्रांति कहा चाहते थे लेकिन इन लोगों ने अपने समाजवादी कार्यक्रम को पूरा करने के लिये ऊँच कम के लोगों का सहयोग देने की प्रार्थना की थी। इन लेखकों में से मुख्य लेखक Robert Owen, Saint Simon Fourier, Caber इत्यादि थे।

१९वीं शताब्दी के अंतिम भाग में थमजीवी समाजवाद का जन्म हुआ जिसको वैज्ञानिक समाजवाद भी कहते हैं। यह समाजवाद का प्रकार का है। प्रथम, राज्य समाजवाद (State Socialism) और दूसरे, अन्तर्राष्ट्रीय समाजवाद (Inter-

national Socialism)। प्रथम वर्ग के समाजवादी राष्ट्रवादी हैं और उनका प्रस्ताव है कि राज्य को समाजवादी कार्यक्रम को स्वीकार करना चाहिये और राष्ट्रीय सरकार को इसकी पूर्ति करनी चाहिये। इसके मुख्य नेता Rodbertus और Lassalle थे। दूसरे वर्ग का मुख्य नेता Karl Marx था। Marx का समाजवाद क्रान्तिकारी है।

आधुनिक समाजवादियों में से अधिकांश यह विश्वास करते हैं कि राज्य की स्थापना बिना क्रान्ति के धीरे धीरे होनी चाहिये, अर्थात् यह राज्य के विकास में विश्वास करते हैं और इस प्रकार यह विकासवादी समाजवादी (Evolutionary Socialist) हैं।

समाजवाद के रूप—

समाजवाद के मुख्य रूप निम्न प्रकार हैं —

१. वैज्ञानिक समाजवाद—वैज्ञानिक समाजवाद के जन्मदाता Karl Marx थे जो आधुनिक समाजवाद के पिता कहे जाते हैं। उन्होंने अपने समाजवाद की स्थापना इतिहास की भौतिकवादिक व्याख्या पर की थी। उसका विचार था कि आर्थिक वर्गों के आपसी संघर्ष द्वारा ही इतिहास का जन्म होता है। इसलिये इतिहास की प्रत्येक घटना को समझने के लिये उसकी आर्थिक पृष्ठ-भूमि को समझना आवश्यक हो जाता है। उसका विचार है कि संसार में सारी सामाजिक और राजनैतिक घटनायें आर्थिक कारणों से उत्पन्न होती हैं, जिनका प्रभाव प्रत्येक देश के इतिहास पर पड़ता है। प्रत्येक समय में ही समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित रहता है और इन वर्गों में सर्वत्र ही कुछ न कुछ भेद भाव रहता है। जैसे प्राचीनकाल में समाज गुलामों, कुलीन (Patrician) और नीचे जाति में विभाजित था। इसी प्रकार मध्यकालीन समय में भी गुलाम, जागीरदार और सामन्त थे। इन वर्गों में से प्रत्येक के हित एक दूसरे के विरोधी थे जिसके कारण इनमें संघर्ष होते रहे और विभिन्न सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तन हुए। पूँजीवादी प्रणाली का जन्म इसी प्रकार हुआ। यदि यह क्रम यों ही चलता रहा तो पूँजीवादी प्रणाली में कुछ ऐसे विरोध हूँ जो पूँजीवाद का अन्त सीधे ही कर दगें। वह स्वयं ऐसी दशाएँ उत्पन्न कर रहा है जो इसके विनाश का कारण बन रही हैं और समाजवाद की स्थापना को प्रोत्साहन दे रही हैं। इस प्रणाली में समाज के दो वर्ग हैं पूँजीपति और श्रमिक और इन दोनों में भगड होना अनिवार्य है, क्योंकि एक ओर तो श्रमिका की संख्या बढ़ती जायगी और वह निधन होते जायेंगे और दूसरी ओर धन का एकत्रीकरण थोड़े ही हाथों में सँकटा जायगा। यह युद्ध उस समय तक होना रहेगा जब तक पूँजीवाद के स्थान पर श्रमिका का आधिपत्य नहीं हो जाता और श्रमिकों की ताना-शाही के बाद एक वर्गहीन समाज स्थापित हो जायगा। इसी को साम्यवाद के नाम से भी जाना जाता है।

Marx के समाजवाद के दो आधार स्तम्भ थे। एक तो मूल्य का धर्म सिद्धांत

कारीगर सनवाद में कोई विशेष अन्तर नहीं है। इसका जन्म इङ्ग्लैंड में हुआ था। इसके अनुसार राज्य में इतनी कुशलता नहीं है कि वह उद्योगों को चला सके इसलिए उद्योगों को चलाने का काम कारीगरों के सघों को सौंप देना चाहिये। इन सघों में ऊँचे नीचे सभी प्रकार के श्रमिक सदस्य होंगे। दूरी प्रकार की व्यवस्था में प्रजातन्त्रीय शासन रहेगा और राज्य केवल इन सघों के कार्य का निरीक्षण करेगा। वह वस्तुओं के मूल्य और गुणों को निर्धारित करेगा। उत्पत्ति व साधना का स्वामित्व तो राज्य के पास ही रहेगा परन्तु इसका संचालन सघ द्वारा किया जावेगा। इस प्रकार यह प्रणाली राज्य समाजवाद और श्रम सघवाद का मिश्रण है।

५. अन्य रूप—वैज्ञानिक समाजवाद को साम्यवाद भी कहा गया है। यद्यपि (Marx) ने इसको वैज्ञानिक समाजवाद का ही नाम दिया था परन्तु बाद में धीरे धीरे लोगो ने इसे साम्यवाद कह कर पुकारना शुरू कर दिया। इनको Bolshevism भी कहते हैं परन्तु Bolshevism केवल उन्नी साम्यवाद को कहते हैं जो रूस में स्थापित है। साम्यवाद की भांति एक और प्रणाली का विचार उत्पन्न हुआ जिसको अराजकतावाद (Anarchism) कहते हैं। इस विचारधारा के अनुसार समाजवाद में राज्य और प्रशासन की कोई आवश्यकता नहीं है। पूँजीवादी प्रणाली का अन्त हो जाने के पश्चात् मनुष्य स्वयं शक्तिशाली हो जायेगा और दूसरे व्यक्तियों से छीनने के स्थान पर उनको कुछ देने की भावना उत्पन्न करेगा। प्रत्येक व्यक्ति दूसरा के अधिकारों को स्वीकार करेगा इसलिये पुलिस, न्यायालय, नैना आदि की कोई आवश्यकता न होगी। बैसे तो राज्य की भी कोई आवश्यकता नहीं है परन्तु जब तक समाजवाद पूर्ण रूप से स्थापित न हो पाये तब तक राज्य समाजवाद की स्थापना के लिए केवल सुविधाएँ प्रदान करेगा।

राज्य समाजवाद का एक और रूप फैबियन समाजवाद है। इसके समर्थकों में Cole, Webbs और Shaw हैं इनके अनुसार शान्तिमय उपायों से समाजवाद स्थापित किया जा सकता है। इसकी स्थापना के लिए उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना होगा। यह समाजवादी उपायों, नाटकों तथा कहानियों द्वारा पूँजीवाद के विरोध और समाजवाद के पक्ष में प्रचार करते हैं और इनका विश्वास है कि एक दिन ऐसा अवश्य आयेगा जब कि गारे सगर में समाजवाद स्थापित होगा।

समाजवादी प्रणाली के गुण—समाजवाद के समर्थक समाजवादी प्रणाली के निम्न गुण बताते हैं —

(१) उत्पत्ति के क्षेत्र में—इन प्रणाली में पूँजीवादी प्रणाली की अपेक्षा उत्पादन अधिक कुशल होगा, क्योंकि प्रथम, उत्पादन सर्वत्र ही उपभोग के लिये होगा, लाभ के लिये नहीं। अर्थात् केवल वे ही वस्तुएँ उत्पन्न की जायेंगी, जिनकी समाज को आवश्यकता है। हम देख चुके हैं कि पूँजीवादी प्रणाली में केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनमें निजी लाभ अधिकतम प्राप्त होने की आशा होनी है, चाहे ऐसी वस्तुओं में अधिकतर विलासता की वस्तुएँ ही क्यों न हों। समाजवादी प्रणाली में वस्तुओं का उत्पादन केन्द्रीय योजना के अनुसार होगा। हर वस्तु की

अपनी प्राथमिकता होगी और उसी के अनुसार उमका उत्पादन किया जायगा। इस में हानिकारक वस्तुओं का उत्पादन भी नहीं होगा। दूसरे, समाजवादी प्रणाली के अधिक मुशकिलता भी होगी। इसमें राज्य अनुमोक्षण के लिए मुविधाय उपलब्ध करेगा जिसे वैज्ञानिक आविष्कारों या क्षेत्र विस्तृत होगा और उत्पादन में इनके द्वारा अधिक यन्त्रालय (technical) कुशलता आयेगी। तीसरे, पूँजीवाद की अपेक्षा उत्पादन अधिक मितव्ययी भी होगा। पूँजीवादी प्रणाली की भाँति इस प्रणाली में प्रतियोगिता सम्बन्धी अपष्यय नहीं होगे।²⁵ न तो साधन प्रयोग के बाहर ही रहेगें, न सेवाएँ की दो बारगी (duplication) ही होगी, न वस्तुओं के अनेकों रूप रूप होंगे और न विनाशन भादि पर ही व्यय होगा। अन्त में इस प्रणाली में पूँजीवादी प्रणाली की भाँति, अधिकतम लाभ के हेतु वस्तुओं की पूर्ति की दृष्टिमें उपायों से नियन्त्रित नहीं किया जायगा। वस्तुएँ समाज की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पन्न की जाएँगी। इसके अतिरिक्त पूँजी निर्माण और आर्थिक विकास को उत्पादन के साथ-साथ तीव्रगति से बढ़ा सकेंगे। राज्य यह भी निश्चित करेगा कि देश में विनियोगों का प्रवाह किए भार हो, पूँजीगत वस्तुओं की मावा कितनी बड़ाई जाय। इस प्रकार इस प्रणाली में साधनों का अधिकतम उपयोग सामाजिक हित में होगा।

(२) आर्थिक स्थिरता—पूँजीवादी प्रणाली की प्रमुख चिन्तेयता यह है कि प्रगति के साथ-साथ बेकारी बढ़ती जाती है। यह बेकारी या तो व्यापार चक्रों या उत्पात्ति की विधि में परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। समाजवादियों का दावा है कि यह बेकारी यदि पूर्णतया समाप्त नहीं होगी तो कम से कम अक्षय ही रह जायगी। नान्विकता यह ही है कि समाजवादी प्रणाली में आर्थिक जीवन पूर्णतया नियोजित रहने के कारण व्यापार चक्रों की सम्भालनाएँ बहुत कम हो जाती हैं। इस प्रकार आर्थिक जीवन अधिक स्वामी हो जाता है। यद्यपि यह सच है कि गत वर्षों में विभिन्न पूँजीवादी देशों में ऐसे प्रचल हूँ हैं जिसके कारण बहुत सीमा तक ये व्यापार चक्र कम हो गये हैं, परन्तु समाजवादी व्यवस्था में तो यह चक्र उत्पन्न ही नहीं होंगे। १९२० की मदी काल में जब कि ससार के अनेक देशों में बेकारी बढ़ गई थी, उस में आधिकारिक धर्मियों के निधे मौम बह गई थी,

(३) आर्थिक समानता—यह भी समाजवाद का एक प्रमुख गुण है। हम पहले ही कह चुके हैं कि आर्थिक असमानता से अनेकों आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इसलिये समाजवादी प्रणाली का इस प्रकार की असमानताओं को दूर करने का लक्ष्य होता है। विभिन्न शक्तियों की श्राय में केवल उतना ही अन्तर होगा, जितना कि उनकी जायें क्षमता में अन्तर होगा। हर व्यक्ति को अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार उन्नति करने के अवसर प्राप्त होंगे। पूँजीवाद की भाँति, प्रचूर्ति

25. "Competition is wasteful. Two railways are built where one would suffice . . . look at the shops, wholesale and retail, and see the waste of human force. Without competition the whole dry goods and grocery business could be carried on with a third of the present economic expenditure of force"
Ely—*Outlines of Economic* 1910, P., 520

और बेकारी, विलास और भुजमरी, शासन और दासता साथ ही साथ देखने को नहीं मिलेंगे। राज्य सम्पूर्ण साधनों का स्वामी होगा। यह सार्वजनिक हित के लिये, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं नैतिकता, शिक्षा एवं मनोरंजन, पार्क, खेल के मैदान तथा अन्य प्रकार की समाजिक सुविधाएँ प्रदान करेगा। इस प्रकार निर्धन और धनी को समान अवसर मिलेंगे और व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार आर्थिक उन्नति कर सकेगा।

(४) शोषण का अभाव—पूँजीवाद की भाँति इस प्रणाली में व्यक्ति का व्यक्ति द्वारा शोषण नहीं होता। हर व्यक्ति का परिश्रम के अनुसार वेतन प्राप्त होगा। केवल इसीलिये कि साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है और उनका उपयोग सामाजिक हित में किया जाता है।

(५) स्वतन्त्रता—समाजवादी प्रणाली में पूँजीवादी प्रणाली की अपेक्षा व्यक्तियों को अधिक आर्थिक स्वतन्त्रता होती है। यहाँ पर लोग वास्तविक अर्थ में स्वतन्त्र होते हैं, क्योंकि इस प्रणाली में व्यक्तियों को बेकारी का भय नहीं रहता, भयिष्य की चिन्ता नहीं होती, रोटी, कपड़े, भूकान तथा अनिवार्यताओं की पूर्ति के बारे में चिन्तित नहीं होना पड़ता। पूँजीवादी प्रणाली में उपभोग और उपनम सम्बन्धी स्वतन्त्रताएँ केवल धनी व्यक्तियों के लिये ही हैं। समाजवाद में जीवन को सुख और शांति मिलती है। यह सच है कि हम राजा, मिल मालिक एवं उमीदार अवश्य नहीं होते।

समाजवादी प्रणाली के दोष—इस प्रणाली के निम्न दोष बताये जाते हैं —

(१) इस प्रणाली के आलोचकों का यह विचार है कि इसमें यन्त्रात्मक कार्य कुशलता बहुत कम रहेगी, क्योंकि पूँजीवाद की भाँति इसमें निजी लाभ की प्रेरणा का पूर्ण अभाव है। पूँजीवादी प्रणाली में व्यक्ति निजी लाभ से प्रेरित होकर ही, नये-नये आविष्कार करता है, उत्पादन की विधियों में परिवर्तन करता है और उत्पादन के नये-नये क्षेत्रों में भाग लेता है। परन्तु समाजवादी प्रणाली में उद्योग और व्यवसाय सरकारी कर्मचारियों द्वारा चलाये जाते हैं, जिनमें वह लगन, चेतन्यताई और साहस नहीं होता जो निजी व्यवसायियों में होता है। वे अपने नित्य कर्म को ही करते रहते हैं और हानि या लाभ से उनका कोई भी बारता नहीं होता, क्योंकि उन्हें सालाना तरक्की तो मिलती ही जाती है। वे नये-नये तरीकों को मालूम करने, और प्रयोग का कष्ट नहीं करते, जिनके कारण समाजवादी प्रणाली में यन्त्रात्मक उन्नति का बहुत कुछ अभाव रहता है। बहुत से लोगों का कहना तो यह है कि सरकारी उप-
 काम केवल उन्हीं उद्योगों में सफल हो सकता है जहाँ जोखिम की भाँदा अपेक्षाकृत कम हो और जहाँ उत्पादन विधियाँ अधिक स्थायी हों। ऐसे उद्योग जिनमें जोखिम की मात्रा अधिक होती है, उनमें निरन्तर उत्पादन विधियों में परिवर्तन होते रहने चाहिये ताकि अन्य उत्पादकों की अपेक्षा उत्पादन व्यय न्यूनतम रहे। परन्तु यह केवल व्यक्तिगत साहस के बस की ही बात है क्योंकि इसमें जोखिम लेने की शक्ति और तत्परता एवं दुरुस्त निर्णय लेने की सुविधा है।

इसके अतिरिक्त, पूँजीवादी प्रणाली में प्रतियोगिता के कारण, प्रत्येक व्यक्ति अपनी वस्तु को बच से कम लागत पर उत्पन्न करने का प्रयत्न करता रहता है और मूल्य में अयोग्य एक कम कुशल माहुरिया को उद्योग छोड़ देना पड़ता है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो या तो हालि उठावों से या अपनी कुशलता बचावों से। हालि कोई भी व्यक्ति उठाना नहीं चाहेगा, इसलिये यदि वे उद्योग में रहना चाहते हैं तो उनको अपनी यन्त्रात्मक कुशलता बचाना ही होगी।

समाजवादियों का कहना है कि यह तो सही है कि इस प्रणाली में निजी लाभ की प्रेरणा तो आवश्यक नहीं है परन्तु अन्य प्रकार की अधिक अतिव्यवसायी प्रेरणाएँ व्यक्तिगत को यन्त्रात्मक उन्नति करने के लिये प्रेरित करेगी, जैसे, देश प्रेम, स्वाभिमान, समाज सेवा, राष्ट्रीयता की भावना आदि। इनसे अतिरिक्त जब प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कार्य कुशलता अनन्तर केवल प्राप्त हामि तो आवश्यक ही हर व्यक्ति काय कुशल होना चाह्या। इनके अतिरिक्त अनुसंधान और आविष्कार की तो राज्य स्वयं व्यवस्था करेगा। समाजवादी रण्य न पिछले वर्षों में जो उन्नति की है उससे सिद्ध होता है कि पूँजीपतियों की यह आलोचना केवल एक भ्रम है विज्ञान और मशीना का क्षेत्र में तो वह अमेरिका से भी आगे बढ़ गया है। फिर पूँजी प्रतियोगिता भी कीरी बलपना ही है। यह विचार भी कि अधिक जीवन बाल व्यवसायों में सरकारी उपक्रम सफल नहीं होता गलत है क्योंकि पूँजीवादी देशों में भी सरकार ने ऐसे ही उद्योगों को अपने हाथ में लिया है। यदि दया जाय तो यह आलोचना भी निराधार है कि सरकारी कर्मकारी प्रबन्ध में लगन से काम नहीं करते और निष्पक्ष क्षेत्रों के लिये स्वतन्त्र नहीं होते क्योंकि यही बात निजी व्यवसाय के द्वारे में भी बनी जा सकती है। आज के बड़े पैमाने के उद्योगों में बिना केवल भोगी कर्मचारियों का काम बन ही नहीं सकता, जिनका भी निर्देशन के लिये अपने आपस या सहायकों का मुँह ताकना पड़ता है।

(२) समाजवादी प्रणाली में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का पूरा अभाव रहता है। राज्य के पूरा नियन्त्रण में व्यक्ति का कोई स्थान नहीं होता। राज्य मानवीय और भौतिक साधनों का प्रयोग केवल उन्हीं दिशाओं में करता है जिनमें कि वह उचित समझता है। इस प्रकार उत्पादन उपभोग वितरण सभी क्षेत्रों में यहाँ तक कि मनुष्य के समस्त आर्थिक जीवन पर राज्य का नियन्त्रण होता है। राज्य का प्रतिनिधित्व केवल बड़े से आधिक नियोजन करने है। इन नियोजकों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने का और उन्हें कार्यान्वित करने का सम्पूर्ण अधिकार होता है। इस प्रकार की व्यवस्था तानाशाही को जन्म देती है। जैसा कि Trotsky ने कहा था कि 'बहु देश निराल राज्य ही के हाथ में नीकरिया देना है उसका विरोध करने का मतलब है, कि धीरे धीरे भूखा रह कर मरना। यह बहुत पुराना सिद्धान्त है कि जो काम नहीं करेगा वह नहीं लायेगा, इससे स्थान पर नया सिद्धान्त बन गया है कि जो काम नहीं करेगा वह नहीं लायेगा।' २० समाजवाद में वे आर्थिक स्वतन्त्रताओं

भी प्राप्त नहीं हो पाती जो पूंजीवादी प्रणाली में व्यक्तियों को प्राप्त होती है; जैसे निजी सम्पत्ति का अधिकार, उपक्रम की स्वतन्त्रता आदि। इसके अतिरिक्त इस प्रणाली में उपभोक्ताओं को भी अपने धन को मन चाहे तरीके में खर्च करने की स्वतन्त्रता नहीं होगी, क्योंकि वे केवल उन्हीं वस्तुओं का उपभोग कर सकेंगे जिनको राज्य उत्पन्न कर सकेगा अर्थात् जिनका विस्तार आर्थिक योजना द्वारा निर्धारित होगा। परन्तु समाजवादी प्रणाली के समर्थक इस विचार में सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार विलास वस्तुओं तथा अन्य हानिकारक वस्तुओं का उत्पादन करने में व्यर्थ ही वे पूँजी का व्यय होता है। समाजवादी प्रणाली में न केवल यह अपव्यय ही समाप्त होगा बल्कि इनके उपभोग में जो हानिकारक प्रभाव व्यक्तियों की कार्यक्षमता पर होता है वह भी रुक जायेगा।

(३) समाजवादी प्रणाली के आलोचकों का विश्वास है कि इस प्रणाली में सबसे अधिक कठिनाइयाँ केन्द्रीय नियोजन के सम्बन्ध में होंगी, क्योंकि इसमें स्वयंचलित मूल्य-यंत्र का अभाव होगा। पूंजीवादी प्रणाली में उत्पादन की कुशलता मूल्य यंत्र के कारण ही उत्पन्न होती है और साधनों का प्रवाह भी एक उपयोग से दूसरे उपयोग में केवल मूल्य यंत्र के निर्देशन में होता है। इसी प्रकार उपभोक्ता को अपनी उपभोग की वस्तु छानने में मूल्य यंत्र सहायता देता है और बेतनभोगी व्यक्तियों को भी अपने व्यवसाय को चुनने में इसी से सहायता प्राप्त होती है। परन्तु समाजवादी प्रणाली में मूल्य यंत्र का कोई स्थान नहीं है। क्योंकि यहाँ पर उत्पादन का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। इस प्रणाली में उत्पादन सम्बन्धी सभी निर्णय केन्द्रीय-नियोजन अधिकारी द्वारा लिये जाते हैं, जो विल्कुल मनमाने होंगे। उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जायेगा जिनको कि नियोजन अधिकारी यह समझता है कि लोगों को उनकी आवश्यकता है। परन्तु यह निर्णय भी अनुमानजनक रहेगा क्योंकि व्यक्तियों की वास्तविक आवश्यकताओं को जानने के लिये कोई उचित विधि ही नहीं है। इसी प्रकार मूल्य भी मनमानी तरीके से निर्धारित किये जायेंगे। अतः बहुत अरुं तक यह होगा कि जिन वस्तुओं की व्यक्तियों को आवश्यकता है वह उत्पन्न न होने के कारण उन्हें प्राप्त नहीं होगी और जिन वस्तुओं की उन्हें आवश्यकता नहीं है वह उनको जबरदस्ती देनी पड़ेगी। कुछ समाजवादी लेखकों ने तो इस कठिनाई को स्वीकार किया है, परन्तु कुछ लेखक जैसे Dobb²⁷ का कहना यह है कि क्योंकि उपभोक्ता जो भी निर्णय लेते हैं एक तो वह सदैव ही ठीक नहीं होते और यदि वे उपभोगा विशेष के दृष्टिकोण से ठीक भी हो तो यह आवश्यक नहीं कि वे सामाजिक हित के अनुकूल हों। इसलिए यह आवश्यक है कि उनकी इस स्वतन्त्रता पर कुछ प्रतिबन्ध प्रवृत्त होने चाहियें।

(४) कदाचित् समाजवादियों का सबसे बड़ा दोष यह है कि उन्होंने अपनी योजना के कार्यान्वित होने में जो वैज्ञानिक अट्थनें उत्पन्न होंगी उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वह यह भूल गये कि साधारण व्यक्ति में न तो इतनी जिज्ञासा ही

होती है और न उमका इतना भुकाव ही होता है कि वह समाज सेवा या सामाजिक कल्याण के लिये अपने हित की बलि दे सके। किन्तु यह सम्भव हो सकता है कि व्यक्तियों की यह दुर्बलता शिक्षा की प्रगति के साथ-साथ दूर हो जाये।

हम पिछले पृष्ठों में पूँजीवादी प्रणाली और समाजवादी प्रणाली का महान अध्ययन किया है और यह देखा कि प्रत्येक प्रणाली के गुण भी हैं और अङ्गुण भी। पूँजीवादी प्रणाली की बुराइयाँ तो हमारे समक्ष हैं ही और इसमें कोई सन्देह भी नहीं कि आज का मानव इन कठिनाइयों से ऊँच भी गया है। रही समाजवादी प्रणाली की बात तो रूस में इस प्रणाली ने चमत्कार कर दिखाये हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि रूस की भाँति क्या समाजवादी प्रणाली गारे ही देशों में ऐसे ही चमत्कार दिखा पावेगी और क्या यह सम्भव है कि मसूर में बँसा समाजवाद स्थापित हो सकेगा जैसा कि समाजवादी लेखकों का विचार है? यही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि समाजवाद क विभिन्न रूपों में से कौन सा रूप मसूर के लिए अधिक लाभप्रद मिश्र होगा? यह सब ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर सरलता से नहीं दिया जा सकता है। वास्तव में पूँजीवाद का अन्त करना भी उतना ही कठिन है जितना कि समाजवाद की स्थापना। इसलिए उचित तो यही रहेगा कि एक ऐसी प्रणाली स्थापित की जाये जिसमें पूँजीवाद और समाजवाद दोनों ही के गुणों का मिश्रण हो। क्योंकि न तो पूँजीवाद ही दोष रहित है और न समाजवाद ही। ऐसी प्रणाली को हम मिश्रित प्रणाली कहते हैं और आजकल अधिकांश देशों में यह स्थापित है।

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था (Mixed Economy)

परिभाषा—रूस में कोई सन्देह नहीं कि वर्तमान स्वतन्त्र व्यवसाय प्रणाली इन बातों में पूर्णतः असमर्थ रही है कि वह आर्थिक जीवन को स्थायी बना सके। व्यापार करने के लिये औद्योगिक गुट्टरदियों वितरण की प्रमत्तता, वर्तमान प्रणाली की ऐसी बुराइयाँ हैं जिनके प्रति आँखें बन्द नहीं की जा सकती। इस प्रणाली ने केवल आर्थिक दामनता को ही जन्म नहीं दिया है बल्कि व्यक्ति सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रों में भी धनी व्यक्तियों का दाम धन कर रहे गया है। यह गुनाहियाँ अवश्य ही दूर होनी चाहिये। परन्तु क्या समाजवाद इन कठिनाइयों को, उत्पन्न किए बिना ही दूर कर सकता है? इस प्रश्न के उत्तर की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि हम सभी इसमें परिचिन हैं कि समाजवाद इन कठिनाइयों को दूर तो अवश्य करता है परन्तु साथ ही साथ अन्य प्रकार की कठिनाइयों को जन्म देता है, जैसे उपभोक्ताओं के लिए उपभोग के क्षेत्र में स्वतन्त्रता न होना, केन्द्रीय नियोजन अधिकारी के मनमाने नियंत्रण और तानाशाही सरकारी कर्मचारियों में औद्योगिक व्यवस्था सम्बन्धी कुशलता का अभाव इत्यादि। समाजवाद की इन कठिनाइयों को पूँजीवाद दूर कर सकता है इसलिए न तो पूर्ण रूप में पूँजीवाद ही उपयुक्त है और न समाजवाद ही। ऐसी स्थिति में भिन्न-भिन्न देशों में ऐसी अर्थ-व्यवस्था स्थापित

की है जिसको मिश्रित अर्थ-व्यवस्था कहते हैं। इसको नियन्त्रित अर्थ-व्यवस्था (Controlled Economy) भी कहते हैं²⁸, अर्थात् जिसमें दोनों ही प्रणालियों के गुणों से लाभ उठाया जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसी प्रणाली में न तो उपक्रम की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है और न आर्थिक साधनों पर राज्य का सम्पूर्ण आधिपत्य ही। इसमें राजकीय और व्यक्तिगत उपक्रमों को साथ-साथ चलाया जाता है और इस प्रकार पूँजीवादी प्रणाली और समाजवादी प्रणाली के लाभों को प्राप्त किया जाता है।

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की विशेषतायें—इस प्रणाली की मुख्य विशेषतायें निम्न प्रकार हैं :—

(१) देश की अर्थ-व्यवस्था दो भागों में विभाजित हो जाती है—प्रथम, राजकीय क्षेत्र (Public Sector) और दूसरा निजी क्षेत्र (Private Sector)। राजकीय क्षेत्र में वे उद्योग और व्यवसाय होते हैं, जिनकी व्यवस्था राज्य स्वयं करता है अर्थात् जिन पर राज्य का आधिपत्य है और जिनका मुनाफा सरकारी खजाने में जमा होता है और उसका व्यय सार्वजनिक हित में किया जाता है। निजी क्षेत्र, अर्थ-व्यवस्था का वह भाग है जिसमें उद्योग, खेत, व्यवसाय आदि निजी व्यक्तियों के हाथों में होते हैं, जिन पर व्यक्तियों का पूरा अधिकार होता है और जो निजी लाभ के उद्देश्यों से उपयोग में लाये जाते हैं। परन्तु यह सदैव ही और प्रत्येक स्थान पर आवश्यक नहीं कि व्यक्तियों को पूर्ण स्वतन्त्रता निजी क्षेत्र में प्राप्त हो जाये। किसी किसी देश में राज्य निजी क्षेत्र में भी नियन्त्रण सम्बन्धी नीति बनाता है जैसे कि भारतवर्ष में।

सच तो यह है कि 'मिश्रित अर्थ-व्यवस्था' शब्द बहुत विस्तृत है। इसके अन्दर कई प्रकार की अर्थ-व्यवस्थाएँ सम्मिलित की जा सकती हैं, जैसे, एक तो वह प्रणाली जिसमें पूर्णरूप से निजी उपक्रम को स्वतन्त्रता है परन्तु कुछ उद्योग सरकार ने अपने अधिकार में ले लिये हैं या कुछ उद्योगों के विकास के लिये राज्य आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इसमें ऐसी प्रणाली भी आ जाती है, जिसमें देश के उद्योगों के अधिकांश भाग पर राज्य का आधिपत्य होता है और राज्य द्वारा चलाये जाते हैं और बहुत थोड़े से भाग में निजी व्यक्तियों को स्वतन्त्रता दी जाती है। इस प्रकार यह शब्द केवल यह सम्बोधित करता है कि देश की अर्थ-व्यवस्था में राज्य द्वारा भी उद्योग चलाये जायेंगे और निजी व्यक्तियों को भी स्वतन्त्रता होगी परन्तु इन दोनों में क्या अनुपात होगा, इसके बारे में हर देश की सरकार देश की परिस्थितियों को देखकर निर्णय करती है।

(२) मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की दूसरी विशेषता नियोजन है। सरकार एक निश्चित योजना बनाकर व्यक्तियों के आर्थिक जीवन को नियन्त्रित करने के उपाय करती है। एक स्वतन्त्र उपक्रम प्रणाली में भी राज्य हस्तक्षेप होता है, परन्तु वह मिश्रित प्रणाली नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसमें राज्य हस्तक्षेप असंगत और

छितरा-बितरा होता है। उसमें कोई निश्चित योजना के अनुसार काम नहीं होता। राज्य हस्तक्षेप के आधार पर ही कुछ लोगों ने, जैसे सैमुएलसन²⁹ (Samuelson) ने समुक्त राज्य की अर्थ-व्यवस्था को मिश्रित अर्थ-व्यवस्था कहा है, क्योंकि समुक्त राज्य में भी कुछ उद्योगों पर सरकार का पूर्ण आधिपत्य है जैसे, युद्ध सम्बन्धी हथियारों एवं बमों आदि का बनाना, Tennessee Valley Authority जो राज्य की ही एक मस्था है उसमें बांध, नहरें आदि बनवाई हैं, वस्तुओं के गुणों की भी नियन्त्रित किया है एकाधिकारियों को रोकने के लिये कानून भी बनाये हैं। परन्तु ऐसा सोचना भी भ्रम है कि समुक्त राज्य में मिश्रित प्रणाली है। बिना नियोजन के यह प्रणाली स्थापित ही नहीं हो सकती है। Prof Lerner³⁰ ने स्वतन्त्र उपक्रम प्रणाली को बिना संचालक की मोटर बताया है, जिसमें बँट्टे हुए मुसाफिर संचालक पहिये (Steering Wheel) का कभी इधर मोड़ देते हैं और कभी उधर, परन्तु कुछ प्रतिबन्धों के अन्दर ताकि वे आपस में भगड न मनें। उन्होंने मिश्रित प्रणाली को ऐसी मोटर बताया है जिसमें संचालक होता है। अर्थात् जिसमें राज्य का राजतन्त्र नियन्त्रण अर्थ-व्यवस्था पर होता है। इसी कारण Lerner इसको नियन्त्रित प्रणाली कहना चाहता है।

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के गुण—इस प्रणाली में पूँजीवाद और समाजवाद, दोनों ही के लाभ प्राप्त होने हैं क्योंकि इसमें निजी सम्पत्ति, उपक्रम की स्वतन्त्रता और निजी लाभ, सब ही अधिकार रहते हैं। हाँ यह अवश्य है कि इन अधिकारों का उपयोग केवल सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्दर ही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस प्रणाली में समाजवादी प्रणाली के लाभ जैसे आर्थिक स्थिरता, साधनों का अधिकतम उपयोग आदि की समानता आदि भी प्राप्त होते हैं। क्योंकि इसमें देश की अर्थ-व्यवस्था का विकास एक निश्चित योजना के अनुसार होता है। इस प्रकार इस प्रणाली में आर्थिक नियोजन और स्वतन्त्र उपक्रम प्रणाली दोनों ही के लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के दोष—परन्तु यह प्रणाली भी दोष रहित नहीं है। आलोचकों ने इसकी भी आलोचनाएँ की हैं। प्रथम, यह कहा जाता है कि यह प्रणाली कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती है क्योंकि इसमें आर्थिक निर्णयों के लेने में अनेकों प्रकार की कठिनाइयों उत्पन्न होंगी। न तो इसमें पूँजीवादी प्रणाली की भाँति मूल्य यंत्र क्रियाशील होगा और न इसमें समाजवादी प्रणाली की तरह विस्तृत नियोजन ही सम्भव होगा। इस प्रकार इस प्रणाली में निजी और राजकीय क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करना कठिन हो जायेगा और यह भी सम्भव है कि अर्थ-व्यवस्था समुत्थित न हो पाये। परन्तु इस प्रकार की आलोचना निराधार है, क्योंकि आलोचक यह भूल जाते हैं कि मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में विस्तृत नियोजन व्यवहार में सफल हो चुका है और इस प्रकार के वाद-विवाद के लिये अब कोई भी स्थान नहीं है।

इस प्रणाली के विरोध में दूसरी अलोचना यह की गई है कि अन्त में धीरे-धीरे राज्य की तानाशाही स्थापित हो जायेगी और व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, किसी प्रकार की भी स्वतन्त्रता नहीं होगी जैसा कि जर्मनी और इटली में हुआ था। परन्तु अलोचकों का यह भय भी अनावश्यक है क्योंकि यदि आरम्भ से ही योजनाओं का आधार प्रजातन्त्रीय होगा तो तानाशाही को कभी भी स्थान प्राप्त न हो पायेगा। सरकार की केवल आर्थिक क्षेत्र में ही तानाशाही हो सकती है।

अलोचकों को इस बात का भी भय है कि मिश्रित प्रणाली कभी भी स्थाई रूप धारण नहीं कर पायेगी क्योंकि कभी भी ऐसा समय आ सकता है जबकि निजी क्षेत्र प्रगति करते-करते राजकीय क्षेत्र को समाप्त कर दे या राजकीय क्षेत्र इतना बलवान और वृत्तिशाली हो जाये कि निजी क्षेत्र का अन्त कर दे और इस प्रकार मिश्रित प्रणाली का भौतिक रूप ही बिलकुल बदल जाये। एसा इसलिए हो सकता है कि यदि व्यक्तिगत उद्योगपति सरकार के नियमों का पालन न करे तो सरकार को विवश होकर उनके ऊपर अधिक नियन्त्रण लगाने पड़े या उनका अन्त ही करना पड़े और इस प्रकार देश में समाजवादी प्रणाली स्थापित हो जाये। दूसरी ओर यदि निजी क्षेत्र इतना बलवान है कि वह सरकार के उचित प्रशासन में अडचने उत्पन्न करे, अपना सहयोग दान न दे तो सरकार को विवश होकर अपने नियन्त्रणों को ढीला करना पड़ेगा जिसका अभिप्राय यह होगा कि अन्त में पूँजीवादी प्रणाली स्थापित हो जायेगी। कुछ सीमा तक अलोचकों का यह भय सच हो सकता है। परन्तु यदि दोनों ही क्षेत्र अपनी महत्ता को ममत्कर एक दूसरे को सहयोग देते चले जाये तो मिश्रित प्रणाली स्थाई बन सकती है। इतना अब्बस है कि इन दोनों क्षेत्रों के आपसी अनुपात में परिवर्तन होते रहे। परन्तु अन्तिम स्थिति में इसके मौलिक रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा।

वैसे तो आजकल अधिकाँस देशों में एक प्रकार से मिश्रित प्रणाली ही स्थापित है, परन्तु सही आर्थिक शब्दों में जैसे अमेरिका, इंग्लैंड आदि में मिश्रित प्रणाली नहीं कही जा सकती। चीन और भारतवर्ष में ऐसी प्रणाली को काय रूप देने के प्रयत्न किये जा रहे हैं और आर्थिक नियोजन, प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों के आधार पर किया जा रहा है। यदि ये प्रयोग सफल हो गये तो ससार की एक बहुत बड़ी समस्या दूर हो जायेगी।

एकाधिकार का अर्थ और महत्त्व—

एकाधिकार प्रतिबन्धिता की विपरीत वस्तु है। ऐसी स्थिति में वस्तु के उत्पादन, वितरण या उपभोग पर किसी भी एक या बांड में व्यक्ति या ना नियन्त्रण रहता है। इनका मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है इसलिए ये वस्तु की पूर्ति पर नियन्त्रण रख कर वस्तु का एक निश्चित मूल्य पर बिकत है। इस प्रकार एकाधिकारी व्यवस्था में, संश्लेषण दृष्टिकोण में, प्रतिबन्धिता का अभाव रहता है। यद्यपि इनका अर्थ अनेक विन्ना है फिर भी ऐसी स्थिति व्यावहारिक जीवन में सुप्रसिद्ध नहीं होने का मिलती है, क्योंकि एकाधिकारी पर किसी न किसी प्रकार का नियन्त्रण अवश्य रहता है और वह इनका अधिकारों की सीमा का वस्तु की सम्पूर्ण पूर्ति पर अंकन ही नियन्त्रण रखेगा। इस प्रकार व्यावहारिक जीवन में एकाधिकारी स्थिति से हमारा अभिप्राय उस अवस्था से है जिसमें किसी एक व्यक्ति का वस्तु वितरण की पूर्ति के अधिकतम भाग पर नियन्त्रण रखने का अधिकार प्राप्त होता है और उसमें इतनी शक्ति होती है कि वह अपने अपने क प्रस्ताव द्वारा बाजार में वस्तु के मूल्य का नियन्त्रण करने में सफल हो जाता है। (विस्तृत अर्थ में इन शब्दों के अन्तर्गत सभी प्रकार का निर्यात मूल्य नियन्त्रण चाहे वह पूर्ति का हो या माँग का, सजाया का हो या वस्तुओं का सम्मिलित किया जाता है, सूचित अर्थ में इसका अभिप्राय सजाया या सजाया के मुख्य नियन्त्रण के हेतु बनाये गये उत्पादन या व्यापारिका के मध्य में किया जाता है।¹ एकाधिकारी स्थिति कई प्रकार में उत्पन्न हो सकती है जैसे काँडे प्राकृतिक वस्तु किसी देश में बिकत एक ही जगह में मिलती हो ना उस माँग के पास उस वस्तु का एकाधिकार होगा। उदाहरणार्थ भारत में दाल का जूठ उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त था। ऐसी स्थिति को प्राकृतिक एकाधिकार कहते हैं। कुछ उद्योग सामाजिक दृष्टिकोण में बहुत उपयोगी होते हैं और उनमें एकाधिकारी स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक ही होता है जैसे रेल की व्यवस्था। इनका सामाजिक एकाधिकार कहते हैं। इसके अतिरिक्त वैधानिक

1. Thomas, Elements of Economics 1932, p 207

एकाधिकार भी होते हैं जिनको राज्य जन्म देता है जैसे पेटेन्ट या कापी राईट । अन्त में ऐच्छिक एकाधिकार आता है । यह स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब कि एक उद्योग में लगे हुए बहुत से उत्पादक आपस में स्वेच्छापूर्वक किसी वस्तु की पूर्ति या मूल्य पर नियन्त्रण करने के लिये गुट बना लेते हैं । इनको औद्योगिक गुटबन्दी या औद्योगिक सघ भी कहते हैं ।

१९वीं शताब्दी के अन्त में औद्योगिक सघों की स्थापना योरोप के देशों में विशेष कर संयुक्त राज्य और जर्मनी में बहुत अधिक संख्या में हुई । जर्मनी में कार्टेल और अमेरिका में ट्रस्ट बनाये गए और इनकी देखादेखी अनेको प्रकार के और औद्योगिक सघ स्थापित हुए और इन सभी ने ऐसे उपाय अपनाये जिनसे समाज का बहुत ही अहित हुआ । इन्होंने अपनी स्थिति को बनाये रखने के लिए धोकेबाजी और बेईमानी से काम किया और उलट-सीधे ढंगों से प्रतियोगियों को उत्पात्ति के क्षेत्र से बाहर निकालने की चेष्टा की । इन विधियों में से मुख्य विधियाँ ये हैं—मूल्यों का कम करना, दरी में विशेष कमी कर देना, उपभोक्ताओं और कच्चे माल के उत्पादकों का शोषण करना इत्यादि । इन सब कारणों से सरकार ने इनको नियन्त्रित करने के अनेको उपाय किये हैं जिनका अध्ययन हम आगे चल कर करेंगे ।

एकाधिकारी संस्थाओं के लाभ—एकाधिकारी संस्थाओं के लाभ संक्षेप में निम्न प्रकार हैं । प्रथम, ऐसी अवस्था में कच्चा माल इत्यादि मितव्ययी मूल्यों पर प्राप्त हो जाता है । क्योंकि यही अकेले नेता होते हैं इसलिए इनकी सौदा करने की शक्ति विक्रय करने वाली की अपेक्षा अधिक होती है । इसी प्रकार इनको अधिक भी नीची मजदूरी पर ही मिल जाते हैं । दूसरे, उत्पात्ति का पैमाना बड़ा होने के कारण इनको बड़े पैमाने की उत्पात्ति के सभी लाभ प्राप्त होते हैं और बहुत कम उत्पादन व्यय पर वस्तु को उत्पन्न करते हैं । तीसरे, एकाधिकार सघ स्थापित होने से गलाकाट प्रतियोगिता भी समाप्त हो जाती है और बहुत से अपव्यय बच जाते हैं । चौथे, वस्तु की बिक्री में भी बहुत बचत होती है क्योंकि वस्तु के स्थानान्तरण में दुबारागी (Duplication) नहीं होता, जैसे यदि कानपुर की जूते की फर्म अपने जूते आगरा भेजे और आगरा की फर्म अपने जूते कानपुर भेजे तो स्पष्ट ही है कि इस प्रकार के व्यापार में कितना दुर्लभयोग होता है । पाँचवें, एकाधिकार सघ स्थापित हो जाने से हर उत्पादक की व्यापार सम्बन्धी गुप्त बातें और ज्ञान सम्पूर्ण सघ को प्राप्त होते हैं जिससे उत्पादन मितव्ययी हो जाता है । छठे, क्योंकि वस्तु बड़े बेचने वाला केवल एक ही व्यक्ति या थोड़े से ही व्यक्ति होते हैं इसलिए माँग और पूर्ति में सरलता से ही संतुलन स्थापित होने की सम्भावना हो जाती है जो कि पूर्ण प्रतियोगिता में सम्भव नहीं होता ।

एकाधिकार के दोष—एकाधिकारी व्यवस्था के दोष उनके लाभों की अपेक्षा अधिक गम्भीर हैं । ये दोष निम्न प्रकार हैं—

प्रथम, एकाधिकारी अपने व्यवसायों में नये-नये साहसियों को न आने देने के लिये अनुचित उपाय करता है क्योंकि यदि वह ऐसा न करे तो वस्तु की पूर्ति पर

उत्पादन नियंत्रण नहीं रह सकेगा इसका परिणाम यह होगा कि एतत् तो उस व्यवसाय में प्रतियोगिता नहीं हो पाती और एकाधिकारी की ऊँचा मूल्य लेने की शक्ति पर कोई रूकावट नहीं हो पाती और इस प्रकार समाज को बहुत हानि होती है। इसके अतिरिक्त देश के साधनों का अधिकतम उपयोग भी नहीं हो पाता क्योंकि एकाधिकारी, मूल्य को ऊँचा रखने के उद्देश्य से वस्तुओं की पूर्ति माँग से कम ही रखता है। दूसरे इस प्रकार की व्यवस्था में उपभोक्ताओं का शोषण होता है। वैसे तो बड़े पैमाने के उत्पादन के कारण एकाधिकारी को अपेक्षाकृत कम उत्पादन की लागत पर उत्पात्ति प्राप्त होती है परन्तु वह वस्तु का कम मूल्य पर बेचने की अपेक्षा ऊँचे मूल्य पर बेचता है क्योंकि एक तो उसका उद्देश्य ही अधिकतम लाभ कमाना है दूसरे, प्रतिस्पर्धा के अभाव में ऐसी प्रवृत्ति हो जाना स्वाभाविक ही है। तीसरे, औद्योगिक संघर्ष कभी कभी इतने विनाशकारी हो जाते हैं कि यह सम्भव नहीं होता कि उनका प्रबन्ध कुशलतापूर्वक किसी एक असीम योग्यता वाले व्यक्ति द्वारा चल पाये। यही कारण है कि अनेकों एकाधिकारी संघों को कुशल प्रबन्धक की मृत्यु के बाद अपने व्यापार को बन्द करना पड़ा। चौथे, एकाधिकारी संघों की स्थापना में धनी और अशिक्षित धनी श्रम निधन और अधिक निधन होता जाता है और इस प्रकार धन के वितरण की असमानतायें बढ़ती ही जाती हैं। यह केवल इस कारण होता है कि एकाधिकारी को मूल्य निर्धारण की पूर्ण शक्ति होती है जिसका परिणाम यह होता है कि देश का धन केवल थोड़े से ही व्यक्तियों के हाथ में इकट्ठा हो जाता है। पश्चिम बहुधा गण में शामिल होने वाली फर्मों की उत्पादन शक्ति संघ में शामिल होने के बाद वस्तु की केवल एक निश्चित मात्रा उत्पन्न करने तक ही सीमित हो जाता है क्योंकि अधिकतम लाभ प्राप्त करने के कारण वस्तु की पूर्ति माँग के अनुसार नहीं रखी जाती और इसलिए प्रत्येक फर्म को संघ के आदेशानुसार वस्तु को एक सीमित मात्रा में ही उत्पन्न करना होता है जिसका परिणाम यह होता है कि एक तो उनकी मशीनों की शक्ति का उचित उपयोग नहीं हो पाता और दूसरे उनका उत्पादन व्यर्थ अधिक होने से उपभोक्ताओं को हानि उठानी पड़ती है। इसके अतिरिक्त एकाधिकारी इस डर से कि वही वस्तु की उत्पत्ति अधिक हो जाये और एकाधिकारी लाभ कम हो जाय नई नई खोजों उत्पादन विधियों और मशीनों का प्रयोग नहीं करते और इस प्रकार उनके उत्पादन में किसी प्रकार की भी यन्त्रात्मक प्रगति नहीं हो पाती है। छठे एकाधिकारी संघ जनता के विरोध को रोकने के लिए बड़े बड़े राजनैतिक दलों और सरकारी अफसरों को खरीद लेते हैं। यह विधान-सभाया के सदस्यों को पूँजी के बल से अपने विरुद्ध नियम बनाने से रोकते हैं। इन सबका परिणाम यह होता है कि समाज का नैतिक पतन होता जाता है। अन्त में एकाधिकारी संघों से श्रमिका और कच्चे भात के उत्पादकों का भी शोषण होता है।

एकाधिकार पर नियंत्रण—वह्याणकारी राज्य की स्थापना के विचार से प्रेरित होकर प्रत्येक देश में ही एकाधिकारी संघों पर नियंत्रण रखने के उपाय

किय गये ह क्योंकि एकाधिकारी सघा से देश के सामाजिक और आर्थिक जीवन को बहुत क्षति पहुँचती है और इरानिय यह आवश्यक हो जाता है कि राज्य अपने हस्तक्षेप द्वारा एकाधिकारी की शक्तियो को कम करे और जनता को शोषण से बचाये । इसलिए सरकार ने समय समय पर कई प्रकार के उपाय अपनाकर एकाधिकारी की शक्तियो को कम करने का उपाय किया है । यह उपाय तीन प्रकार के ह —

(अ) नये एकाधिकार सघो की स्थापना की रोकना ।

(ब) एकाधिकारियो के लिय प्रतियोगियो का जन्म देना या शक्ति प्रदान करना ।

(स) करो द्वारा उनकी एकाधिकारी शक्ति को कम करना ।

प्रो० पीगू के अनुसार एकाधिकारी सस्याओ का नियन्त्रित करने की दो विधियाँ होती है । एक तो अप्रत्यक्ष दूसरे प्रत्यक्ष । प्रथम प्रकार की विधि के अन्तर्गत वह उपाय सम्मिलित होने ह जिनसे एकाधिकारी की शोषण शक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से कम करने का प्रयत्न किया जाता है । जैसे द्विघात द्वारा नये-नये औद्योगिक सघो को रोकना । और प्रत्यक्ष विधियाँ म वह उपाय आते है जिनके द्वारा राज्य एकाधिकारियो के लिए प्रतियोगियाँ को जन्म देता है या जनता को उनकी कुरीतियो का परिचय प्रचार द्वारा कराता है ।²

अप्रत्यक्ष विधियाँ

(अ) औद्योगिक सघ विरोधी नियम—एकाधिकारी सस्याओ को नियन्त्रित करने की जो बहुत ही सरल विधि अपनाई गई है वह यह है कि या तो राज्य ने नये सघ स्थापित होने के विरुद्ध नियम बना दिये या पुराने सघो को नष्ट करने के लिय प्रयत्न किये । जैसे अमेरिका म शमन और क्लेटन अधिनियम बनाये गये । सन् १८६० में शमन के अधिनियम के अनुसार एकाधिकारी सघो की स्थापना पर कड़े प्रतिबन्ध लगा दिये गये और सघ स्थापित करने वाले के लिय कड़े दण्ड घोषित कर दिये थे और अन्तर्स्थानीय तथा अन्तर्देशीय व्यापार को नियन्त्रित करने के लिए जो भी सघ स्थापित करने के प्रयत्न होंगे वे सब गैर कानूनी होंगे । सन् १९१४ म क्लेटन अधिनियम ने शमन अधिनियम के क्षेत्र को और भी अधिक बढा दिया और उन अनुचित विधियों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया जिनसे एकाधिकारी अपने प्रतियोगियो को उत्पादन क्षत्र म अपने से रोकते थे या उनके लिए अनुचित प्रतियोगिता प्रदान करते थे । इससे अतिरिक्त इस अधिनियम की एक विशेषता यह भी थी कि जो फर्म पहले आपस म प्रतियोगिता कर रहीं थी उनके सचाल (Directors) समान नहीं हो सकते थे ।

परन्तु इस प्रकार के प्रयत्न अधिकतर निष्फल ही रहे हैं, क्योंकि इन्हें¹ मे अनेको प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है । प्रथम, इस नीति को —

परना ही सफल नहीं होता क्योंकि प्रत्येक अनियमित में ही कोई न कोई कमी अवश्य ही होती है और चानचा वरीन इन कर्मियों से फायदा उठाते हैं और अधिनियम को प्रभावशाली नहीं होने देते। या फर्मों द्वारा से एक साधारण समझौता करें जिससे अनुसार वस्तु की उत्पादन मात्रा और उतना मूल्य निर्दिष्ट कर लें और इन प्रकार समझौते की कानूनी रूप दिया बिना ही अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लें। सब तो यह है कि विधान परिषद ही क्या कोई भी गणित उन लोगों को प्रतियोगिता करने पर बाध्य नहीं कर सकती जो प्रतियोगिता करना नहीं चाहते। दूसरे यदि नया सचा का स्वागत न होने दिया जाय और यदि पुरान सचा को तोड़ दिया जाय तो भा अधिखर ग अधिखर इत्यादि परिणाम यह होगा कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता केवल धारा ही उत्पादका में आरम्भ हो जाय। परन्तु यह याद रहे कि कि इस प्रकार की प्रतियोगिता एकाधिकार से अधिक हानिकारक होगी। क्योंकि इन थोड़े से उत्पादकों में गलाकाट प्रतियोगिता होने से केवल साधना का ही दुरुपयोग नहीं होगा बल्कि मूल्या के निरन्तर घटने बढ़ने से व्यापार बहुत ही अनिश्चित हो जायगा। तीसरे एकाधिकारी सम्बन्धों के अपने कुछ विशेष गुण होते हैं और यदि इनको नष्ट कर दिया जायगा तो समाज इनके लार्भी से बचत रहेगा। इसलिए कोई ऐसे उपाय किये जाने चाहिए, जिनसे कि इनकी शोषण करने की शक्ति समाप्त हो जाय।

(ब) संप्रभाषिक प्रतियोगिता को बचाव रखना—एकाधिकारी वस्तु की पूर्ति को नियंत्रित करने और वस्तु के मूल्य को ऊंचा निर्दिष्ट करने समाज का जो अधिकार करते हैं वह केवल इसीलिए कि वे जानते हैं कि उनके क्षेत्र में कोई भी प्रभावशाली या गणितशाली प्रतियोगी नहीं है। यदि उन्हें यह पता हो जाय कि उनके प्रतियोगी उत्पन्न हो सकते हैं तो कदाचित् उनकी इन क्रियाओं पर रोक लग सकती है।

एकाधिकारी कई प्रकार की अनुचित क्रियाएँ अपना कर अपने प्रतियोगियों को पराजित करता है और उनको प्रतियोगिता के क्षेत्र से बाहर निकाल देता है। ये क्रियाय निम्न प्रकार हैं—

(अ) नीचे मूल्य निर्दिष्ट करना (Rate Cutting)—एकाधिकारी कभी कभी मूल्यों को उतना कम कर देता है कि उसके प्रतियोगियों के लिये यह असम्भव हो जाता है कि उतने नीचे मूल्य पर वस्तु की बचत कर और परिणामस्वरूप उनको उतना न बचत करना पड़ता है और इस प्रकार एकाधिकारी को फिर से पुनः एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि कोई फर्म किसी एक विशेष क्षेत्र में अपने प्रतियोगियों को हरा लेता है तो उस क्षेत्र विशेष में मूल्य कम कर देती है या वस्तु को एक ही रूप देकर उस पर नई छाप लगाकर नोन मय पर बचत आरम्भ कर देती और यह नई वस्तु प्रतियोगियों के उत्पादनक्षेत्र से बाहर निकलते ही विधना बन्द हो जाती है। इस प्रकार की रीतियाँ की अधिकतर अपनाया गया है।

(ब) अतिव्यापक से वास्तविक दरों से रिहायत करना—यह बहुधा जहाजों

23244

व्यपनियों के सभों (Shipping Conferences) में किया जाता है। इस विधि के अनुसार सभ निर्वातकर्ताओं को यह सूचित कर देते हैं कि यदि वे अपना माल सभ के जहाजों के अतिरिक्त और किसी जहाज द्वारा नहीं भेजेंगे तो उनको दरो म छूट कर दी जायेगी। इस प्रकार का सालच देकर निर्यातकर्ताओं को अपना माल सभ के जहाजों पर ही भेजने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता था। B.P. 257

(स) व्यापारियों पर अनुचित शर्तें लगाना—कमी-कमी एकाधिकार सभ फुटकर और थोक व्यापारियों को मजबूर कर देते हैं कि वे उनकी वस्तु के अतिरिक्त और किसी अन्य उत्पादक की वस्तु को नहीं बेचेंगे। यह केवल उसी समय सम्भव हो सकता है जबकि एक फर्म अनेक वस्तुओं में एक वस्तु ऐसी उत्पन्न कर रही हो जिसकी कोई दूसरा उत्पादक उत्पन्न नहीं कर रहा हो और यह फर्म उस वस्तु की बेचने का अधिकार उसी समय दे सकती है जबकि या तो वह उसकी अन्य वस्तुओं की बेचे या वह अन्य उत्पादकों की वस्तुओं को इस फर्म की वस्तुओं के साथ साथ न बेचे। जैसा कि अमेरीका में International Harvester Company ने अपने ऐजेन्टों को अनाज काटने वाली मशीनों की बेचने का अधिकार दश शर्तें पर दिया था कि यह इसके साथ-साथ कंपनी की अन्य वस्तुओं को भी बेचेंगे। इसी प्रकार United Sheo Machinery Company ने कुछ विशेष प्रकार की जूते बनाने वाली मशीनों को इसी शर्तें पर दिया था कि इनकी प्रयोग करने वाला किसी अन्य फर्म से मशीनें नही मगवायेगा।¹

(द) अग्र्य अनुचित रीतियाँ—उपरोक्त रीतियों से अधिक दुरी रीतियाँ भी एकाधिकारियों ने अपनाई हैं। जैसे प्रतियोगियों द्वारा बनाई हुई वस्तुओं के गुणों की गलत बुराईयाँ करना, प्रतियोगी उत्पादकों के ग्राहकों और कर्मचारियों को तोटना या धूम देकर कर्मचारियों से प्रतियोगी उत्पादकों के भेद को मालूम करवा देना आदि। इन सब कुरीतियों (Clubbing Devices) का उद्देश्य यही था कि पुराने प्रतियोगी डरकर उद्योग को छोड़ भागें और नये उत्पादक उद्योग में आने ही न पाये अर्थात् किसी प्रकार की भी प्रतियोगिता एकाधिकारी के लिए न रहे।

इसलिए इन कुरीतियों को रोकने के लिये The United States Federal Trade Commission Act, १९१४ में बना था जिसके अनुसार यह सब कुरीतियाँ अवैधानिक घोषित कर दी थी। इसी प्रकार Robinson-Patman अधिनियम, १९३६ के अनुसार विभिन्न क्रेताओं के बीच मूल्य भेद-भाव करने को अवैधानिक ठहराया गया था।

यदि इस प्रकार के उपाय सफल हो जाएँ तो एकाधिकारी की शक्ति बहुत सीमा तक नियन्त्रित की जा सकती है परन्तु कठिनाई यह है कि व्यवहार में ऐसे प्रयत्न अधिक सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि कानून में कहीं न कहीं कमी अवश्य ही रहती है, इसके अतिरिक्त यह भी पता लगाना सरल नहीं होता कि कौन व्यक्ति किस समय कानून तोड़ रहा है। जैसे यदि एकाधिकारी मूल्य कम करता है तो उसका

कारण यह यह दे सकता है कि यह मूल्य में कमी केवल इसी कारण हुई है कि उसकी उत्पादन लागत पहले में कम हो गई है, या अगर मूल्य कम करने पर कोई प्रयोगिक प्रतिबन्ध लगा दिया गया है तो वह उसी वस्तु को कम मूल्य पर बेचने के लिए कोई सूझी फर्म खोल नान में चाल पर सकता है और प्रतियोगियों के समाप्त हो जान के बाद वह इस फर्म को बन्द कर सकता है। इसके अतिरिक्त सरकार किसी भी प्रकार से ऊपरी सतभौतों को नहीं रोक सकती क्योंकि ऐसे सतभौतों पर कोई भी सबूत प्राप्त करना कठिन हो जाता है। सच तो यह है कि विधान द्वारा ऐसी सुरीतियों को रोकना सरत नहीं है और इसलिए यह आवश्यक है कि इन नियमों के साथ साथ अन्य विधियाँ भी अपनाई जायें। केवल यही नहीं एकाधिकारी इतना शक्तिशाली होता है कि दूसरे प्रतियोगिया की हिम्मत ही नहीं होती कि वे उस व्यापार में भाग लें सके क्योंकि जैसे कि बँहम⁴ ने कहा है कि एकाधिकारी शक्ति ऐसी दशाओं से उत्पन्न होती है जो दूसरे उत्पादकों को उस क्षेत्र में आने ही नहीं देती। बँहम के अनुसार या तो किसी व्यक्ति या फर्म के कानूनी अधिकार प्राप्त हो जायें या कोई फर्म किसी दुनभ वस्तु पर आवश्यक वस्तु का उत्पादन करना आरम्भ करदे और एकाधिकारी हो जायें, जैसे अफरीका में दो विश्वसं कम्पनी की हीरो के व्यवसाय पर एकाधिकार प्राप्त है। या किसी व्यवसाय में इतनी अधिक पूंजी की आवश्यकता हो कि जो धादमी पहले में व्यवसाय चला रहा है उसके अतिरिक्त किसी नये व्यवसायी की हिम्मत इतनी बड़ी पूंजी लगाने की न हो और इसलिए पहले ही व्यवसायी को एकाधिकार प्राप्त हो जाय और कभी-कभी पुरानी फर्म द्वारा उत्पन्न की गई वस्तु इतनी अधिक प्रशिद्ध हो जाती है कि उस उद्योग में नये उत्पादकों का प्रवेश करना ही कठिन हो जाता है।

इस प्रकार हमने देखा कि एकाधिकारी के विरुद्ध प्रतियोगिता प्रस्तुत करना कोई साधारण कार्य नहीं है और इसलिये जैसा कि पीगू ने कहा है कि सुरीतियों को कम करके शक्तिशाली प्रतियोगिता को बनाये रखने में अधिक से अधिक आर्थिक सफलता ही प्राप्त हो सकती है और इसलिये में उपाय बहुत ही अपूर्ण है। अत यह आवश्यक है कि हम एकाधिकारियों की शक्ति को कम करने के लिये प्रत्यक्ष विधियों से काम लें।⁵ यह विधियाँ निम्न प्रकार हैं —

प्रत्यक्ष विधियाँ

(अ) क्रेताओं की सहाय्य—प्रो० पीगू ने एकाधिकारी की शक्ति को नियन्त्रित करने के लिये कुछ व्यावहारिक एवं प्रभावशाली उपाय बताये हैं। उनका विचार है कि क्योंकि अग्रतमक विधियाँ अधिक सफल नहीं हो पाई हैं इसीलिये यह नितांत आवश्यक है कि प्रत्यक्ष विधियों को कार्य लय दिया जाय। ऐसी एक विधि यह है कि क्रेताओं की सहाय्य बनाकर क्रेताओं को भी इतना शक्तिशाली बना दिया जाय कि एकाधिकारी उनका शोषण ही न कर पाय। इस प्रकार एकाधिकारी सप

4 Benham, Economics Page 212

5 Op. Cit., P. 365

की भाँति क्रेताओं का भी एक राश बनाकर एकाधिकारी की शक्ति को कम करने का प्रस्ताव प्रो० पीगू ने दिया है। परन्तु इस विधि का व्यावहारिक रूप देना सरल नहीं है। प्रथम, दूर-दूर फैले हुए विभिन्न उपभोक्ताओं को एकत्रित करना और उनकी सस्था स्थापित करना कोई धक्की का खेल नहीं है। हाँ यह सम्भव है कि थोक और फुटकर व्यापारियों की सस्थाएँ बन जाएँ परन्तु उदा अवस्था में उपभोक्ताओं को एव के स्थान पर दो एकाधिकारियों का सामना करना पड़ेगा और उनका शोषण पहले से अधिक होपा। इस सम्बन्ध में दूसरी कठिनाई यह है कि यदि उपभोक्ताओं का मध्य स्थापित किया जाय तो यह क्या आवश्यक है कि वस्तु उतनी ही मात्रा में उत्पन्न की जायेगी जितनी कि पूर्ण प्रतियोगिता में होनी चाहिये और मूल्य भी उसी प्रकार निर्धारित होंगे।

(ब) एकाधिकारी सम्बन्धी सूचनाओं को प्रकाशित करना—यदि जनता को एकाधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न कुरीतियों की सूचना मिलती रहे तो यह सम्भव है कि एकाधिकारी इन कुरीतियों का प्रयोग न करें और उपभोक्ता शोषित होने से बच जाएँ। उपभोक्ताओं को समय-समय पर सरकार एकाधिकारिक समझौते, लाभ की दरों आदि के विषय में विस्तृत सूचना दे सकती है। इसका परिणाम यह होगा कि एकाधिकारी अपनी कुरीतियों को अपनाने में डरेगा कि कहीं जनता उसके विरुद्ध न हों जाय। इसके अतिरिक्त इसके दो लाभ और होंगे—एक तो जनता को लाभ की मात्रा का ज्ञान कराने से उस उद्योग में पूँजी और उपजम को भाग लेने के लिये प्रेरित किया जा सकता है, और दूसरे जनता को वास्तविकताओं से परिचित करके अनेकों शकाओं का समाधान किया जा सकता है। अमेरिका में Federal Commission का यही कार्य है और यू० के० में सन् १९२६ में Food Council इसी लिये स्थापित की गई थी। परन्तु यह विधि भी उसी समय सफल हो सकती है जबकि देश की जनता इतनी शिक्षित हो कि वह प्रकाशित सूचनाओं को पढ़ सके। इसके अतिरिक्त यह भी तो आवश्यक नहीं कि उपभोक्ता इन सूचनाओं से लाभ प्राप्त करे क्योंकि उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की वस्तु को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक मूल्य देने को तैयार रहता है, चाहे पहले वह कितना ही विरोध क्यों न करता रहा हो। इसमें भी केवल आंशिक सफलता ही प्राप्त होने की आशा है इसलिये केवल इसका प्रयोग अन्य उपायों के साथ-साथ ही किया जा सकता है।

(स) मूल्य नियन्त्रण—सरकार एकाधिकारी की वस्तुओं के मूल्यों को नियन्त्रित करके उसकी, अधिक मूल्य पर वस्तु बेचने की, शक्ति को कम कर सकती है। यह नियन्त्रण दो प्रकार के हो सकते हैं—सकारात्मक (Positive) और नकारात्मक (Negative)। सकारात्मक मूल्य नियन्त्रण में, वस्तु का अधिकतम मूल्य निश्चित कर दिया जाता है, जिससे अधिक मूल्य पर एकाधिकारी वस्तु को नहीं बेच सकता। नकारात्मक मूल्य नियन्त्रण विधि के अनुसार वस्तु का मूल्य अनिश्चित नहीं किया जाता, बल्कि यह नियन्त्रण लगा दिया जाता है कि मूल्यों में

कोई भी वृद्धि बरग्न में पहले सरकार या इस कार्य के लिये नियुक्त विशेष अधिकारी से एकाधिकारी को आज्ञा प्राप्त करनी होगी, अर्थात् बिना उनकी पूर्ण आज्ञा के मूल्य बढ़ाय नहीं जा सकते और यह आज्ञा केवल उसी समय दी जाती है जब सरकार निश्चित हो जाती है कि मूल्य वृद्धि उचित है। परन्तु यह सीमा भी इतनी सरल नहीं है।

कठिनाइयाँ—प्रथम, यह ही निश्चित करना सरल नहीं कि किसी वस्तु का उचित मूल्य क्या है या क्या होना चाहिये। सरकार यह निर्णय करने के लिये कि वस्तु का उचित मूल्य क्या होगा दो आधार बना सकती है—एक तो यह कि मूल्य ऐसा निश्चित करे, जिससे लोगों के ऊपर एकाधिकारी का सामान्य या उचित दर पर लाभ प्राप्त हो सके, और दूसरा यह कि मूल्य ऐसा हो कि विनियोग की हुई पूंजी पर एक उचित लाभ की आज्ञा हो। परन्तु यह दोनों ही आधार जटिलताओं में परिपूर्ण हैं। एकाधिकारी कभी भी अपनी वस्तु की सही लागत बनाने को संसार न होगा और न ही, यह सम्भव है कि बिना एकाधिकारी की महायत्ना के वस्तु की उचित लागत आँकी जा सके। इनका प्रकार क मरचे होन हे और एकाधिकारी कहीं भी बेईमानी में किसी भी खर्च को बढ़ाकर दिवा सकता है जबकि इनमें सब ही नहीं कि प्रबन्ध की कुशलता के कारण वस्तु की लागत माधारणतया कम ही रहती है। इस प्रकार सही लागत का निश्चित करना अत्यन्त कठिन है। इसी प्रकार यह निश्चित करना कि लागत के ऊपर कितना लाभ उचित होगा, सरल नहीं होता है। क्योंकि इनका कोई प्रमाणिक मूल्यांकन विधि तो अभी तक बन ही नहीं पाई है। दूसरी प्रकार के आधार में भी इसी प्रकार की अनका कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। पहले तो यह ही निश्चित करना कठिन हो जायगा कि विनियोग की गई पूंजी कितनी है। समस्या यह है कि पूंजी का मूल्य वर्तमान दरा से निश्चित किया जाये या उस समय की दरा के अनुसार, जबकि वारखाता स्थापित किया गया था। इसी प्रकार यहाँ पर भी यह कठिनाई होगी कि सामान्य लाभ या उचित लाभ क्या होगा।

दूसरे, यदि मूल्य किसी प्रकार निश्चित कर भी दिया गया तो एकाधिकारी वस्तुओं के गुणों को कम करके मूल्य नियन्त्रण के उद्देश्य ही का सबनाश कर सकता है। एकाधिकारी की इस क्रिया का नियन्त्रित करना तो बहुत ही कठिन है।

तीसरे, यदि उत्पादन उत्पत्ति द्वारा नियम के अधीन हो रहा है और प्रति इकाई उत्पादन व्यय बढ़ना जा रहा है तो एकाधिकारी अपने लाभ का अधिकतम करन के उद्देश्य की पूर्ति के लिये उत्पत्ति की मात्रा का घटा सकता है और कम उत्पादन व्यय पर वस्तु प्राप्त कर सकता है। दाना ही दशाधा में मूल्य समान रहने पर, बाढ़ की दशा में एकाधिकारी का अधिकतम लाभ प्राप्त हो जायगा और मूल्य नियन्त्रण का उद्देश्य ही समाप्त हो जायगा।

अन्त में, जैसा प्रोफेसर ड्यूरान्ड (Durand) ने कहा है कि मूल्य नियन्त्रण में सबैव ही एक बड़े खर्च तक अभिव्यय और शक्ति एवं लागत की दोहराणी (duplication of energy and cost) की संभावना रहती है। क्योंकि एक ही कार्य में

दोनों पक्षों के कर्मचारी लगे रहते हैं। हिसाब की रखता और बाजार में माग की दशाओं के अध्ययन एकाधिकारी और सरकार दोनों तरफ के लोग व्यवस्थित रहते हैं। दोनों पक्षों में के उद्देश्य अलग अलग होने से, आपस में मर्दब ही मुक़दमेबाजी और भगड़े होते रहते हैं जिससे और अधिक खर्च होते हैं। इस कार्य में इतनी फिज़ूल खर्ची होती है कि यदि इसको न किया जाये तो अच्छा ही होगा।⁶

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि मूल्य नियन्त्रण की नीति अपव्ययी और अव्यवहारिक दोनों ही है। इसलिए केवल नकारात्मक विधि को ही अपनाया ठीक होगा। बहुधा जनोपयोगी सेवाओं में सकारात्मक विधि से काम लिया गया है। अमेरिका में कुछ शहरों में ऐसी सेवाओं का नीलाम किया जाता है अर्थात्, जो व्यक्ति सबसे कम मूल्य पर एक निश्चित प्रमाण और गुण की सेवा प्रदान करने के लिए तैयार होता है उसी को ठेका दे दिया जाता है।

हमने अभी एकाधिकारियों की क्रियाओं पर नियन्त्रण रखने की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों ही विधियों का अध्ययन किया है। इन विधियों में से कोई भी ऐसी नहीं जो सरलतम हो या जिस को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई न हो। हममें तो कोई भी लान नहीं कि व्यय भी किया जाय और उद्देश्य भी पूरा न हो। इन-निम्ने अधिक अच्छा तो यह रहेगा कि उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। विभिन्न देशों में ऐसा किया भी गया है विशेषकर जनोपयोगी सेवाओं के सम्बन्ध में जैसे इंग्लैंड में यह सेवा सरकार या नगरपालिकाओं द्वारा प्रदान की जाती है।

जनोपयोगी सेवाओं का नियन्त्रण

विज्ञान की प्रगति और विज्ञान के साथ-साथ व्यक्तियों का जीवन पहले में अधिक जटिल अवस्था हो गया है परन्तु मनुष्यों को आज ऐसी ऐसी वस्तुएँ और सेवाएँ घर बैठे प्राप्त हो जाती हैं जिनको प्राप्त करने के लिए मनुष्य पहले समय और शक्ति दोनों ही नष्ट करता था, परन्तु फिर भी उसे इतनी कुशल सेवाएँ नहीं मिलती थी जिनकी कि आज की सेवाएँ हैं। इन सेवाओं से सब ही व्यक्तियों को लाभ पहुँचता है। इन सेवाओं को जनोपयोगी सेवाएँ (public utility services) कहते हैं—जैसे, पानी, बिजली आदि का प्रवन्ध करना, शहरों में बसों, ट्राम, देश में रेलों तथा अन्य यातायात के साधनों की व्यवस्था जनहित में करना इत्यादि। इन सेवाओं की दो मुख्य विशेषताएँ हैं। प्रथम, यह अनिवार्यताएँ (essential) हैं और दूसरे इन की प्रकृति एकाधिकार की होती है। ये सेवाएँ अनिवार्य इसलिए होती हैं कि इनके बिना जीवन की आधुनिकता समाप्त हो जाती है और आजकल इन्हीं से मनुष्य प्रगतिशील जाना जाता है। इन सेवाओं की प्रकृति एकाधिकार की कई कारणों से होती है—प्रथम पानी, बिजली, यातायात की व्यवस्था करने के लिए सड़कों में आवश्यक सुवाई करनी होगी, अपने इफ्तर, कारखानों आदि के लिए विशेष स्थान प्राप्त करने होंगे। इन सब का अधिकार एक सस्था को ही दिया जा सकता है। दूसरा कारण एकाधिकार

का रूप धारण करने का यह है कि इन सेवाओं में प्रारम्भ से बहुत ही बड़ी मात्रा में पूंजी लगानी होती है जैसे मशीनों में इमारतों में ट्राम की लाइनों विद्युत में इत्यादि। किसी नव शायुक्तक प्रतियोगी के लिए यह सम्भव नहीं होता कि इतनी बड़ी मात्रा में पूंजा का विनियोग कर सके। इस प्रकार जनोपयोगी सेवाएँ प्रदान करने मात्र उद्योगों की प्रकृति एकाधिकार स्थापित हो जाना का होनी है जिनसे उपभोक्ताओं का मर्दव हो महिन होना का भय रहता है। इन्हींके लिए यह आवश्यक है कि इन उद्योगों पर किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण आवश्यक रखा जाय। जनहित की रक्षा करने का अभिप्राय यह है कि सरकार यह निश्चित करे कि इन सेवाओं का गुण पर्याप्तता और मूल्य मर्दव हो एक से रह्ये। प्राप्ता में यदि होना स इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा।

नियंत्रण की विधियाँ—साधारणतः जनोपयोगी सेवाओं में सम्पत्ति जन उद्योगों के नियंत्रण के लिए दो विधियाँ अपनाई गई हैं। प्रथम एक उद्योगों का मन्त्रालय एक व्यवस्था उन व्यक्तियों को सारा गया है जिनको विधान सभा ने विशेष घोषणापत्र द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त किया है। घोषणापत्र में उन सारी शर्तों की गणना कर दी जाती है जिनके अनुसार उद्योगों का व्यवस्था करनी होता है। इस विधि में मन्त्र बड़ी कठिनाई यह होता है कि कुछ समय बाद परिस्थितियों के कारण जाय पर यह गलत प्रकार हो सकती है जब यदि सारा वस्तु का अधिकतम मूल्य निर्धारित कर दिया गया है तो हो सकता है कि कुछ वर्षों बाद यह मूल्य वास्तविक मूल्य की तुलना में बहुत अधिक हो या बहुत कम। यथा यदि उपभोक्ताओं का हित हागी और दूसरी स्थिति में उद्योग चलाने वाली संस्था हो। इस कठिनाई का हल करने के लिए बहुतों को प्रस्ताव दिया गया है कि वस्तु के मूल्य गणना प्रति मन्त्रालय प्रारम्भिक धरा को समयानुसार बदलने रहता जाय। परन्तु इसमें बड़ी कठिनाई होगी कि मन्त्रालय व्यवस्था में यदि उनमें या सुधार नहीं करनी क्योंकि उस पर यह होगा कि यदि प्रारम्भिक शर्तों में उलट कर देना सारा सुधारों से होना वाला लाभ प्राप्त नया गारा। इस प्रकार यह विधि व्यवहार में करना सरल प्रतीत नया हानी।

इस सम्बन्ध में दूसरी विधि जो अपनाई गई है उसमें कानून द्वारा सेवाओं और मूल्य मन्त्रालय की शर्तों निश्चित नहीं की जाती बल्कि सामान्य विधायक द्वारा दिए जाते हैं जिनके अनुसार वस्तु का उत्पादन एवं विनियम करना होता है। विधान सभा ऐसे उद्योगों की दृष्टि के लिए एक विशेष मन्त्रालय भी स्थापित कर सकती है। मनुष्यसंरक्षण में ऐसा मन्त्रालय स्थापित हुई है जिनको अभी तक नहीं है। इन कमीशनों का कार्य यह है कि यह उत्पादन करने वाली संस्थाओं का निरीक्षण करती है और यह देखता है कि वस्तु का उत्पादन घोषणापत्र की शर्तों के अनुसार किया जा रहा है कि नहीं। ये वस्तुओं के मूल्य भी निर्धारित करती हैं। ये कमीशन यह भी देखती हैं कि घोषणापत्र की शर्तों के अनुसार सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं या नहीं। वस्तु से साधारणतः सेवाएँ प्रदान करने वाली समितियों की इस बात का पूरा ध्यान

रखती है कि उनके ग्राहक उनसे अमतुष्ट न रहें और इसलिए वे स्वयं ही हर प्रकार की सुविधा अपने ग्राहकों को देती हैं। यदि कोई सस्या गतों के अनुसार सेवाएँ प्रदान नहीं करती है तो कर्मिणन का कर्त्तव्य है कि वे इन गतों को पूरा करने के लिए सस्याग्रों को बाध्य करें।

हमने अभी बताया था कि विधान परिषद सेवाग्रों के मूल्यों को भी निश्चित कर देती है। यह इसलिए कि उपभोक्ताग्रों को सेवाग्रों का ऊँचा मूल्य न देना पड़े और यह मूल्य इतना नीचा भी नहीं होना कि मर्यादों अपनी वस्तु के प्रमाण को बनाने रखन में अनफन रहें। इन लिए सेवाग्रा का मूल्य अधिकतर सेवाग्रों की जान के अनुसार निश्चित किया जाता है जिसका अनुमान निम्न आधारों के अनुसार लगाया जा सकता है—(अ) चल पूँजी का मूल्य (ब) कार्य संचालन सम्बन्धी लागतें और (ग) लाभ की उचित दर।

चल पूँजी के मूल्य का आँकना कोई सरल काम नहीं है क्योंकि मशीनों में अकसर टूट-फूट होती रहती है जिसको ठीक कराना म काफी व्यय करता पड़ता है। इसके अतिरिक्त कभी-कभी मशीना को दिल्खुन बदल देना पड़ता है और कभी-कभी मशीनों के समुचित भागा या पुर्तों को बदलना पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि मशीना के मूल्य किसी वर्ग में भी समान नहीं रहने और अधिकतर बच्ने की ही सम्भावना रहती है। कीमती मशीना के पुर्तों भी सम्पूर्ण मशीन के मूल्य के अनुपात में अधिक महंगे मिलते हैं। इसलिए चलपूँजी का दान्त्विक मूल्य यदि सेवाग्रा का उत्पादन आरम्भ करने के कुछ वर्ष बाद बना लगाया जायेगा तो इनमें इन नव दान्त्व को ध्यान में रखना होगा। व्यवहार में होना भी यही है कि सेवाग्रा का मूल्य आरम्भ में निश्चित नहीं किया जाता, इसलिए यदि मशीना के प्रारम्भिक मूल्य के आधार पर उनका वर्तमान मूल्य आँका जाय तो इनमें त्रुटियाँ की बहुत सम्भावना रहेगी। बहुधा ऐसा होता है कि जब एक मशीन बेकार हो जाती है तब उसके स्थान पर बिल्कुल वैसे ही मशीन नहीं लगाई जाती, क्योंकि मशीन बला की उत्पत्ति दिन-प्रति-दिन बढ़ते जाने के कारण पहले जैसी मशीनें मिलती ही नहीं। पुरानी मशीनों में अनेकों सुधार प्रतिवर्ष होते रहने हैं। इसलिए एक बठिनार्ई और उपस्थित हुई कि चलपूँजी का मूल्य पुरानी मशीना के आधार पर आँका जाये या नई मशीनों के आधार पर। कुछ भी हो इन सब बातों के निर्णय मनमाने ही होंगे और इसलिए हमका कोई उचित उपाय नहीं देखना।

इसी प्रकार कार्य संचालन लागत का निर्धारण भी दुर्लभ है। बहुधा यह लागत ठँकी करके बताई जाती है और कुछ खर्च तो ऐसे होते हैं जिनको लागत में सम्मिलित करने में अधिकारिया को हिचकनाहट हो सकती है जैसे मुक्तदमेवाड़ी आदि के खर्च।

लाभ की उचित दर निर्धारित करते समय भी कई प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं जैसे लाभ की दर किस आधार पर निर्धारित की जाय, वर्तमान मूल्यों के आधार पर, वर्तमान व्याज दरों के अनुसार, विनियोग की गई पूँजी

आधार पर इत्यादि। सच तो यह है कि किसी प्रकार भी लाभ कपी न निर्धारित किया जाय अधिकारियों का निणय मनमाना ही होगा।

इन सब कठिनाइया को देखते हुए यही उचित प्रतीत होता है कि सरकार इन उद्योगों का नियमन करने की अपेक्षा स्वयं ही व्यवस्था करने का प्रयत्न करे। दूसरे शब्दों में जनहित के लिए ऐसे उद्योगों का संचालन राजकीय संस्थाओं या स्थानीय संस्थाओं द्वारा होना चाहिए।

राज्य द्वारा उद्योगों
की
व्यवस्था एवं संचालन
(Public Operation of
Industries)

प्राक्कथन—

पिछले ५० वर्षों में स्वतन्त्र उपक्रम प्रणाली अर्थात् पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था के इतने अधिक दीप सामने आये और मनुष्यों को इतने अधिक कष्ट सहन करने पड़े कि आज बहुमत इसी बात के पक्ष में है कि उद्योगों और सेवाओं की व्यवस्था एवं संचालन राज्य की देखभाल में होना चाहिये। यद्यपि राज्य पहले भी कुछ उद्योगों का संचालन करता था जैसे सुरक्षा और नौतिक सम्बन्धी उद्योग, और क्योंकि व्यक्ति अपनी स्वतन्त्रता को बनाये रखना चाहते थे, इसलिये राज्य को अधिक उद्योगों के संचालन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, परन्तु गत वर्षों में बेकारी और वस्तुओं की दुर्लभताओं और अधिकताओं ने समय समय पर ऐसा भीषण रूप धारण किया कि अर्थशास्त्रियों को भी निवृत्त होकर निर्वाधावादी (Laissez faire) की विचारधारा को छोड़ना पड़ा; जिसका परिणाम यह है कि आज पूँजीवादी देशों में भी राज्य बहुत से उद्योगों की व्यवस्था स्वयं करता है और अन्य देशों में ऐसे उद्योगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। राज्य द्वारा जिन उद्योगों की व्यवस्था एवं संचालन होता है उनको राजकीय उद्योग या राजकीय उपक्रम (Public Enterprise) कहते हैं। ऐसे उद्योगों का संचालन या तो सरकार या नगरपालिकाये या अन्य राजकीय संस्थाएँ करती हैं। इसको उद्योगों का समाजीकरण या राष्ट्रीयकरण भी कहते हैं। यह आवश्यक नहीं कि उद्योगों का स्वामित्व और संचालन दोनों ही एक, यात्र, यात्र, के, पार, नौ, ५, यह भी, नौ, यात्र, है, जिन उद्योगों का स्वामित्व राज्य के हाथ में हो और राज्य उसकी व्यवस्था का कार्य किसी निजी संस्था को सौंप दे। इसी प्रकार उद्योगों का स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के हाथ में हो परन्तु कुछ कारणों से राज्य उनका संचालन स्थाई या अस्थायी रूप में अपने हाथ में ले ले। राज्य कित-कित उद्योगों को कित-कित समय अपने अधिकार में लेगा या राजकीय उपक्रमों का क्षेत्र क्या होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य देश में किस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था स्थापित करना चाहता है। यदि राज्य यह समझता है कि

निजी व्यक्तियों वा स्वामित्व देश के अहित में है और इसलिये यह निषेध करता है कि सभी उद्योगों पर समाज का सामूहिक स्वामित्व नितान्त आवश्यक है तो वह धीरे-धीरे सारे ही उद्योगों को अपने अधिकार में लेता जाता है। ऐसी नीति का उद्देश्य देश में समाजवाद स्थापित करना होगा। यदि राज्य समाजवादी प्रणाली स्थापित करना नहीं चाहता तो वह अर्थ-व्यवस्था को मिश्रित प्रणाली का रूप दे सकता है और सावजनिक क्षेत्र में मुख्य मुख्य उद्योगों को अपने अधिकार में लेकर शेष उद्योगों को निजी क्षेत्र में लिये छोड़ सकता है। यदि राज्य इन दोनों में से कोई भी नीति अपनाना नहीं चाहता और केवल देश में सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना चाहता है तो वह कुछ चुने हुए उद्योगों को अपने अधिकार में ले सकता है। हम यहाँ पर केवल राजकीय उपक्रम उनके गुण अवगुण और भारत में सरकार की औद्योगिक नीति का ही अध्ययन करना है इसलिये हम अन्य बातों को छोड़कर केवल इन्हीं बातों पर अपनी दृष्टि केन्द्रित करेंगे।

राजकीय संचालन के पक्ष में—राजकीय उपक्रम के पक्ष में निम्न दलीलें दी गई हैं —

(१) देश की सुरक्षा सम्बन्धी उद्योगों का संचालन राज्य प्रारम्भिक काल से ही करता आ रहा है। यह स्पष्ट ही है कि सुरक्षा और शान्ति आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में प्राण हैं। इसलिये जो उद्योग यद्ध सम्बन्धी हथियार और मशीनें बनायें या सैनिकों के लिये वस्त्र आदि का उत्पादन करें या आधुनिक अणु हथियारों का उत्पादन करें, स्वाभाविक ही है कि इनका संचालन निजी व्यक्तियों के हाथ में नहीं दिया जा सकता। इसके अतिरिक्त इन वस्तुओं का उत्पादन इतना महंगा होता है और इतनी अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है कि कोई भी व्यक्ति इन उद्योगों को चलाने की सोच ही नहीं सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इन वस्तुओं की उत्पत्ति को पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाता है ताकि शत्रु को गुप्त भेदों का पता न लगने पाय। इसलिये ऐसे उद्योगों को प्रत्येक देश में ही राज्य स्वयं संचालित करता है, और करना भी चाहिये।

(२) देश के कुछ प्राकृतिक साधन इतनी सीमित मात्रा में होते हैं कि उनके उद्योगों को निजी व्यक्तियों के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि यह सम्भव नहीं कि इन साधनों का मितव्ययी उपयोग हो सके। निजी व्यक्ति अपने लाभ को अधिकतम करने की दृष्टि से इन साधनों का ऐसा प्रयोग कर सकता है जिससे समाज का हित अधिकतम न हो जैसे जंगल का काटना या खाना को खुदाई करना आदि। इन कामों में निजी व्यक्ति या तो जल्दी-जल्दी जंगल काट सकता है या बहुत धीरे धीरे या केवल उन्हीं पेड़ों का काटे जिनकी लकड़ी का दाम बहुत ऊँचा है और इस प्रकार मामूली लकड़ी की पूर्ति को कम करके बाजार में उसका भी मूल्य बढ़ा सकता है। कुछ भी हो निजी व्यक्ति कभी भी सामाजिक हित की वृद्धि करने के उद्देश्य से इन साधनों का प्रयोग नहीं करेगा। इसलिये ऐसे उद्योगों का संचालन राज्य स्वयं ही करता है और करना भी चाहिये।

(३) उन उद्योगों को जिनकी प्रवृत्ति एकाधिकारिक होती है सदैव ही राज्य को अपने आधीन ले लेना चाहिये। हम बेशक ही चुके हैं कि एकाधिकारी मस्यायें अधिकतर उद्योगशास्त्री और धर्मिकों या शोषण करती हैं और उनको नियन्त्रित करने के लक्ष्य सभी उपाय निष्फल रहे हैं। इसलिये यही उपाय सबसे उपयुक्त है कि राज्य एकाधिकारिक उद्योगों को अपने अधिकार में लेकर स्वयं उनका मंचालन करे।

(४) जनोपयोगी सेवाओं मन्वन्धी उद्योगों को भी सरकार को स्वयं चलाना चाहिये, जैसे पानी, तार डार, टेलीफून, बिजली आदि। यदि कई कम्पनियाँ एक ही शहर में पानी की पूर्ति करें तो स्पष्ट है कि बिजली गडवटी और बिजना अपव्यय होगा। प्रत्येक अपनी अपनी पाइप लाइन गडकें खदवा कर जनबायोगी, न तो मउने ही ठीक रहेगी और न उनम इनकी जगह ही होगी कि कई कम्पनियों की पाइप लाइनें डल सके। इसके अनिश्चित इन सब म अपव्यय भी बहुत होगा। इसलिये य सेवाएँ उभी समय अच्छी प्रकार म प्रदान की जा सकती हैं जबकि केवल एक शहर में एक ही कम्पनी उद्योग को चलाये। परन्तु निजी व्यक्ति के हाथ म नौप देने का अभिप्राय होगा निजी एकाधिकार। इनके अवगणना का हम अध्ययन कर ही चुके हैं। इसीलिए ऐसे उद्योग राज्य द्वारा या किनी अन्य राजकीय मस्या द्वारा चलाए जान चाहिएँ। एकागी नियन्त्रण एवं प्रबन्ध म मितव्ययिता भी है और कुशलता भी।

(५) निजी उपक्रम की अपेक्षा, राजकीय उपक्रम म जनहित और जन-कल्याण अधिक अप्रमत्त हो सकेगा। हम जान ही है कि निजी उपक्रम प्रणाली म निजी लाभ की दृष्टि म प्रत्येक कार्य किया जाता है। सामाजिक कल्याण का उगमें कोई स्थान नहीं होता, जबकि राजकीय उपक्रम म प्रत्येक कार्य सामाजिक कल्याण की दृष्टि म किया जाता है। इसीलिये श्रोत्रांगिक क्षेत्र म भी राज्य को पग बढ़ाना चाहिए।

(६) राज्य द्वारा उद्योगों का संचालन किए जाने पर कुछ थोड़े स ही व्यक्तियों के हाथों में धन का एकाकीकरण नहीं हो पायगा, जैसे कि निजी उपक्रम प्रणाली में होता है। इसलिए धन का समान वितरण करने के लिए यह आवश्यक है कि मारे श्रोत्रांगिक क्षेत्र को राज्य अपने हाथ में ले ले।

राजकीय संचालन के विपक्ष में—उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाय या नहीं ? बडा ही विवादयस्त प्रश्न है। यद्यपि राजकीय उपक्रम का क्षेत्र दिन-प्रति-दिन, मसार के प्रत्येक देश में, ही, वृद्ध, जा, रहा है, परन्तु मरण भी म्लेह इस सम्बन्ध म एक मन नहीं ही पाये हैं। एडम स्मिथ से आज तक राष्ट्रीयकरण यगवा राजकीय उपक्रम की कुछ न कुछ आलोचनाएँ होती ही रही हैं। यह निम्न प्रकार है—

(१) आलोचकों का विचार है कि राष्ट्रीयकरण म साधनों का अधिकतम एवं मितव्ययी उपयोग नहीं होने पाता, जो कि निजी उपक्रम के अन्तर्गत ही जाता है। प्रतियोगिता के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्पादन व्यय को न्यूनतम रखने का प्रयत्न करता है और साधनों का स्थानापन्न करता रहता है। इन लोगों का विचार

है कि साधना का इतना अधिक उत्तम प्रस्थापन स्वतन्त्र प्रतियोगिता के अतिरिक्त किसी और स्थिति में प्राप्त नहीं हो सकता है।

ये लोग यह भूत जाते हैं कि निजी उपक्रम में मितव्ययी उपयोग साधनों का तो अवश्य होगा, परन्तु यह उपयोग केवल निजी हित ही में तो होगा। इससे समाज का कल्याण तो नहीं बढ़ेगा। कुछ गिने चुने व्यक्तियों के लाभ की अपेक्षा सम्पूर्ण समाज का लाभ अधिक प्रावश्यक है। एडम रिग्स स्वयं इससे सहमत था कि कुछ उद्योगों को राज्य चलाय। उसके शब्दा में राज्य का कर्तव्य है कि "वह कुछ विशेष सार्वजनिक (Public) निर्माण करे और कुछ सार्वजनिक संस्थाएँ स्थापित करे, जिनको करना, किसी व्यक्ति या थोड़े से व्यक्तियों के लिए हितकारी न हो।"¹

(२) अधिकतर लोगों ने राजकीय उपक्रम की इस आधार पर आलोचना की है कि इसमें कार्य कम कुशल होता है। व्यापार और उद्योगों में राजकीय संस्थाओं का कार्य प्रबन्ध कभी भी कुशल नहीं हो सकता है। निजी उपक्रम में व्यक्ति हानि से डरता है और लाभ से प्रेरित होता है और इसलिए वह अपने व्यापार की ओर अधिक ध्यान मग्न होकर काम करता है। राजकीय उपक्रम में वेतन भोगी कर्मचारियों में इतनी आशा नहीं की जा सकती। इनको लाभ और हानि से कोई सम्बन्ध नहीं होता। यह तो केवल अपने वेतन और अपनी वार्षिक वृद्धि की ओर ही देखते हैं। इसीलिए यह अधिक कुशल प्रबन्ध नहीं कर पाते। निजी उपक्रमों में नुटियों को तुरन्त ही पता लगा लिया जाता है। इसीलिए इनमें मोटिव व्यय अवश्य ही कम होता है। परन्तु यह याद रहे कि निजी उपक्रमों में कुशलता केवल व्यक्तिगत हित की दृष्टि से ही लाभकारी होती है। सामाजिक दृष्टि में यह कुशलता बिल्कुल बेकार होती है अर्थात् इस कुशलता से सामाजिक कल्याण में किसी प्रकार की भी वृद्धि नहीं हो पाती क्योंकि इनमें वस्तुओं की सामाजिक लागतें (Social Costs) बहुत अधिक होती हैं। उत्पादन और प्रबन्ध में कुशलता के अभाव के कई कारण होते हैं—

(अ) प्रथम, कुशलता बहुत सीमा तक जोखिम सहन करने की शक्ति पर निर्भर करती है। उत्पादन जितना अधिक जोखिम सहन करने के लिये तैयार होगा उतना ही अधिक लाभ उसे प्राप्त होगा। प्राचीन लेखक तो जोखिम सहन करने को उत्पत्ति का एक पृथक् साधन मानते थे। (परन्तु राजकीय उपक्रमों में सरकारी कर्मचारी उतना जोखिम लेने को तैयार नहीं होते, जितना कि निजी व्यक्ति।) गद्य यह सच है कि निजी उपक्रम में सभी उत्पादक जोखिम नहीं लेते परन्तु फिर भी हर दश में प्रत्येक उद्योग में कुछ न कुछ व्यक्ति ऐसे अवश्य होते हैं जो अपना सबकुछ एक ही बार में खाने को तैयार हो जाते हैं यही साचकर कि यदि सफलता प्राप्त हो गई तो वारे के न्यारे हो जायेंगे। सरकारी कर्मचारियों से ऐसी प्राप्ति कभी भी नहीं की जा सकती। वास्तव में सरकारी दफतरो में काम करने की विधि ही ऐसी अनोखी है कि उसमें जोखिम का कोई स्थान नहीं है। दूसरे

सरकार को सदैव ही जनता द्वारा आलोचना का भी भय रहता है। यह सब वाते १९वीं शताब्दी तक ही सीमित थी। आजकल तो अनुभव यह है कि निजी व्यवसायी बहुत जोखिम वाले कार्य करने को तो तैयार ही नहीं होते और यह सब कार्य राज्य को ही करने होते हैं। जैसे भारत में ही देखिये, बाँध बनवाना, पुल बनाना, जल-विद्युत सम्बन्धी योजनाओं को कार्यान्वित करना आदि सब राज्य ही कर रहा है और यह स्थिति केवल भारत में ही नहीं है, इंग्लैंड और अमेरिका में भी ऐसा हो रहा है।

(ब) सरकारी कार्यालयों में काम भी बहुत देरी से होता है। बहुधा ऐसा होता है कि समय पर कभी भी काम नहीं हो पाता। एक पत्र कई विभागों से होकर अन्तिम अफसर तक पहुँचता है। क्योंकि हर काम एक निश्चित विधि के अनुसार किया जाता है और इस विधि से विचलित करना सम्भव नहीं होता जिसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति को प्रयत्न करने के लिए कोई भी प्रेरणा नहीं मिल पाती। परन्तु यह याद रहे कि यह दोष केवल राजकीय उपक्रमों का ही नहीं है सभी बड़े बड़े संगठनों में ऐसा होता है और फिर समय के साथ साथ इस दोष को भी काफी सीमा तक दूर किया जा सकता है और कुशलता में वृद्धि की जा सकती है।

(स) बहुधा यह देखा गया है कि सरकारी कर्मचारी अच्छे व्यवस्थापक और प्रबन्धक नहीं होते। इन लोगों की नियुक्ति अधिकतर सिफारिशों के बल पर होती है। परिणामवश अकुशल और अयोग्य व्यक्ति भरती कर लिये जाते हैं। यह भी आवश्यक नहीं कि सरकारी कार्यालयों का एक अच्छा प्रबन्धक उद्योगों का प्रबन्ध भी कुशलतापूर्वक कर सके। यद्यपि यह आलोचना कुछ सीमा तक सच है परन्तु यह देखा गया है कि बहुधा सरकार ने राष्ट्रीयकरण करने के बाद भी उद्योगों की व्यवस्था कम्पनी के पुराने कर्मचारियों के हाथ में रखी है, जैसे हमारे देश में ही लीजिये स्टेट बैंक और जीवन बीमा प्रमण्डल की व्यवस्था पुराने ही कर्मचारियों द्वारा की जा रही है।

(द) निजी उपक्रमों में जो कुछ भी प्रेरणा लाभ के लालच या हानि के डर से व्यक्ति को प्राप्त होती है उसी से वे अपनी कुशलता को बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। यही कारण है कि निजी उपक्रमों में अधिक राजकीय उपक्रमों में कुशलता कम होती है। क्योंकि राजकीय उपक्रमों में कर्मचारियों पर लाभ और हानि की स्थिति में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। प्रो० मैक्सवेल में, केंब्रिज, "कि वे, वास्तव में, चिन्मय, निरन्तर आविष्कार और साधनों की उत्पादनशीलता का विशेष महत्त्व है उनमें सरकारी हस्तक्षेप सामाजिक उन्नति के लिए भयपूर्ण है.....सरकार कदाचित् ही कोई वस्तु उत्पाद करती हो..... एक सरकार केवल शंकापियर के लेखों की एक अच्छी पुस्तक छपा सकती है परन्तु वह उनको लिखवा नहीं सकती।"²

परन्तु यह प्रेरणायें उसी समय महत्वपूर्ण होती हैं जबकि साहसी स्वयं व्यवसाय में कार्य करता है और प्रबन्ध करता है। आधुनिक बड़े पैमाने के व्यवसाय

में यह सम्भव नहीं है। आजकत अधिकतर उद्योगों का संगठन सम्मिलित पूंजी व आधार पर होता है और अधिकतर काम बेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है जैसा कि राजकीय उपक्रमों में होता है। निःसन्देह यह सत्य है कि अधिकतर सम्मिलित पूंजी कम्पनियों में अधिकांश हिस्से कुछ थोड़े से ही व्यक्तियों के हाथों में होने से प्रबन्ध की कुशलता का स्तर काफी ऊँचा रहता है। इसके अतिरिक्त यदि राजकीय उपक्रमों में कर्मचारियों को यह आश्वासन दे दिया जाय कि लाभ में से कुछ भाग उन्हें भी प्राप्त होगा तो भी कुशलता में वृद्धि हो सकती है। यह भी मानना पड़ेगा कि कोई भी काम किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के बिना नहीं कराया जा सकता। यदि व्यक्तियों में रुचि है जिज्ञासा है और लगन है तो वह राजकीय उपक्रमों में भी कुशल बन सकते हैं और उन्नति कर सकते हैं। मनुष्य किसी भी आविष्कार को करने में अधिक लाभ में इतना प्रेरित नहीं होता जितना कि प्रसिद्धि और सम्मान से। वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कार, कवियों ने अपनी रचना और कलाकारों ने अपनी कला में प्रगति अधिक लाभ से प्रेरित होकर कभी भी प्राप्त नहीं की। इस प्रकार यह कहना कि राजकीय उपक्रमों में कुशलता का अभाव इसलिए रहना है कि व्यक्तियों को आर्थिक प्रेरणा नहीं मिलती उचित नहीं है।

(ह) कुछ विचारशील व्यक्तियों का यह प्रस्ताव है कि उपरोक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए या कम करने के लिए अध-सरकारी प्रमडलों को राजकीय उद्योगों की व्यवस्था सौंप देनी चाहिए। इन प्रमडलों के सदस्यों में योग्य व्यापारियों, प्रबन्धकों और विशेषज्ञों को लेना चाहिए। इनकी कार्यविधि सरलतम होनी चाहिए और सरकार द्वारा निश्चित सामान्य नीति के अनुसार इनका प्रबन्ध होना चाहिए। कुछ देशों में तो ऐसे प्रमडल स्थापित भी किए गए हैं और ये सफलतापूर्वक कार्य भी कर रहे हैं। भारत में Airlines Corporation और Damodar Valley Corporation संयुक्त राज्य में Tennessee Valley Authority इत्यादि कार्य कर रही हैं।

(३) राजकीय उपक्रमों के सम्बन्ध में एक दोष यह भी बताया जाता है कि इनकी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्धारण मनमाना ही होता है और इसकी कोई एक निश्चित बाँध नहीं होती क्योंकि यही निश्चित नहीं हो पाता कि ऐसे उद्योगों को लाभ प्राप्त के उद्देश्य से चलाया जाय या बिना लाभ प्राप्त किये हुए। और यदि लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य निश्चित किया जाये तो लाभ की दर क्या होनी चाहिए ?

(४) ऐसे उद्योगों के सम्बन्ध में एक कठिनाई यह भी उत्पन्न होती है कि राज्य और श्रमिकों के बीच क्या सम्बन्ध रहेगा। निजी उपक्रमों में तो राज्य श्रमिकों और मालिकों के बीच होने वाले झगड़ों का समझौता या फैसला करा देता है परन्तु यदि राज्य और श्रमिकों के बीच झगड़ा हो तो उसका निपटारा किस प्रकार हो, यह एक विषय समस्या है क्योंकि अधिकतर राजकीय उद्योगों में यही सम्भावना रही है कि राज्य द्वारा श्रमिकों का शापण ही।

(२) राजकीय उपक्रमों की आलोचना इस आधार पर भी की गई है कि जैसे-जैसे इतका क्षेत्र विस्तृत होता जाता है वैसे ही राज्य का आतंक व्यक्तियों पर बढ़ता जाता है। राजकीय उद्योगों की प्रवृत्ति भी एकाधिकार की सी होती है। इन लिये यह स्वाभाविक ही है कि श्रमिकों और उपभोक्ताओं का शोषण हो। परन्तु यह याद रहे कि यह आलोचना समाजवाद या समाजवादी केन्द्रीय नियोजन के विरुद्ध तो उपयुक्त है परन्तु विरोध राजकीय उद्योगों के विषय में जो यह निराधार है।

निष्कर्ष—उपर्युक्त विवरण में स्पष्ट है कि प्रत्येक विवादग्रस्त विषय की भाँति, राजकीय उपक्रमों की भी अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ही हैं। आलोचना करने वालों को तो प्रत्येक वस्तु में आलोचना करने के अवसर प्राप्त हो जाते हैं, या यूँ कहिये कि वे अवसर ढूँढ ही लेते हैं, किन्तु यदि निष्पक्ष भाव से सोचा जाये तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि राज्य कुछ विनाश प्रकार के उपक्रमों का संचालन स्वयं ही करे, जैसे वे उद्योग जिनमें एकाधिकार स्थापित होने की प्रवृत्ति होती है, वे उद्योग जो सामान्य जनता के हित के हों, इत्यादि। वैसे भी राज्य आरम्भ से ही सैना तथा युद्ध सम्बन्धी उद्योगों का संचालन करता आ रहा है। आधुनिक काल में स्वतन्त्र उपक्रमों में इतनी अधिक बुराइयाँ दृष्टिगोचर हुई हैं और इतनी बुराइयाँ उत्पन्न होती जा रही हैं कि स्वतन्त्र प्रतियोगिता की 'प्रभुत्व शक्ति' आज अपना सारा प्रभुत्व खो बैठी है। वर्याणकारी राज्य में उपभोक्ताओं तथा श्रमिकों का शोषण सहन नहीं किया जा सकता। इसी लिये जिन उद्योगों में इस प्रकार के शोषण की उपस्थिति थी, उनका संचालन धीरे धीरे राज्य ने अपने हाथ में लेना आरम्भ कर दिया। गतवर्षों में उत्पादन की जटिलताओं के बढ़ते जाने के कारण, जनसंख्या की वृद्धि तथा साधनों की कमी के कारण, लगभग प्रत्येक प्रकार के उद्योगों में ही शोषण के अवसर प्राप्त होने लगे, इसलिए राज्य ने भी अब सब ही प्रकार के उद्योगों पर नियन्त्रण करना आरम्भ कर दिया है। राजकीय उपक्रम से कोई विरोध हानि नहीं होती। हाँ इतना अवश्य है कि दफ्तरबाजी तथा कुछ निश्चल विधियों के अनुसार काम होने के कारण, अधिकांश उद्योगों में यह देखा गया है कि निर्णय लेने में देरी होती है और वस्तुओं की आगते साधारणतया उँची ही रहती हैं। किन्तु इसका यह अर्थिनाय नहीं कि राजकीय उपक्रमों में सारे दोष ही हैं और अच्छाइयाँ कुछ भी नहीं और इसलिए राज्य को उद्योगों का संचालन करना ही नहीं चाहिए। वास्तव में राजकीय उद्योगों में कुछ अनुभवी व्यवस्थापकों की सेवाएँ प्राप्त करके सारे दोषों को दूर किया जा सकता है और सफलता प्राप्त की जा सकती है।

भारत में राजकीय उपक्रम का इतिहास—भारतवर्ष में राजकीय उपक्रम का इतिहास लगभग १०० वर्ष पुराना है। सर्वप्रथम सन् १८५४ में डाक विभाग स्थापित किया गया था और तभी से राज्य को इन सेवा का एकाधिकार प्राप्त है और आज रेलों के बाद इसका दूसरा स्थान है। यद्यपि कुछ विरोध रेलमार्ग पहले भी राज्य के अधिकार में थे, परन्तु प्रथम महायुद्ध के आरम्भ तक ब्रिटिश सरकार ने

बराबर स्वतन्त्र व्यापार और निर्वाधावादी नीति को अपनाया है। प्रथम महायुद्ध में आयातों में कमी हो जाने के कारण और युद्ध कार्यों के लिये वस्तुओं की माँग बढ़ जाने के कारण वस्तुया की बहुत अधिक कमी अनुभव हुई और सरकार को विवश होकर ऐसे उपाय करने पड़े जिनमें देश के उद्योगों का विकास हुआ। परन्तु युद्ध समाप्त होते ही सरकार ने पुनः निर्वाधावादी नीति को अपनाया। भारत के औद्योगिक विकास के लिये सर्वप्रथम १९२३ में कुछ सफल प्रयत्न आरम्भ किये गये और टाटकर आयोग (Fiscal Commission) के सुझाव पर भारतीय सरकार ने विवेचनात्मक संरक्षण (Discriminating Protection) की नीति अपनाई। यह ध्यान रहे कि अभी तक सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में वित्ती प्रकार का भी प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया था। सन् १९३७ में कुछ प्रान्तों में कांग्रेसी सरकार की स्थापना के बाद एक उद्योग मंत्री सम्मेलन बुनाया गया जिसके सुझावों के अनुसार राष्ट्रीय नियोजन समिती (National Planning Committee) का निर्माण हुआ। इस समिती ने विभिन्न विषयों पर छानबीन की और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की परन्तु उनका उपयोग केवल पंचवर्षीय योजना में ही किया जा सका। इसी बीच में औद्योगिक विकास प्रान्तों को हस्तान्तरित कर दिया गया। परिणामतः प्रान्तों में उद्योग विभाग स्थापित किये गये। परन्तु इन विभागों में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया गया क्योंकि इनके पास पर्याप्त साधन ही नहीं थे। कारण में प्रथम महायुद्ध के पश्चात् यद्यपि भारत में गुणात्मक (Qualitative) दृष्टि में औद्योगिक विकास बहुत कम ही हुआ फिर भी सङ्ख्यात्मक (Quantitative) दृष्टि से भारत का औद्योगिक विकास गन्तोपजनक रहा।

द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ होते हुये ही भारत के औद्योगिक विकास के लिये इनका प्रयत्न आरम्भ हुये और युद्धकाल में उद्योगों को प्रोत्साहन मिला परन्तु देश की स्वतन्त्रता तक कोई निश्चित नीति निर्मित नहीं हो पाई थी। सन् १९४७ में औद्योगिक समिती (Industrial Commission) नियुक्त किया गया जिसमें उद्योग, व्यापार, श्रमिक एवं सरकार के प्रतिनिधि थे। वास्तव में हमारी वर्तमान औद्योगिक नीति का उद्गम इसी से हुआ। इसकी सिफारिशों को स्वीकार करते हुये भारत सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्री डा० ब्यामाप्रसाद मुखर्जी ने ६ अप्रैल सन् १९४८ को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की।

सन् १९४८ की औद्योगिक नीति—इस नीति के अनुसार उद्योगों को निम्न तीन मुख्य श्रेणियों में बाटा गया था—

(१) अस्त्र एवं बाह्य (Arms and Ammunition) का अणु शक्ति (atomic energy) का उत्पादन एवं नियन्त्रण, रेल मातायात का स्वामित्व एवं व्यवस्था, केन्द्रीय सरकार के पूर्ण एकाधिकार में रहने।

(२) राज्य एवं केन्द्रीय सरकार निम्न क्षेत्रों में नये कारखानों को स्थापित करने के लिये जिम्मेदार होंगी, परन्तु जहाँ राष्ट्रीय हित में यदि आवश्यकता होगी तो सरकार निजी उपकरण का सहयोग भी प्राप्त करेगी। ये उद्योग निम्न प्रकार हैं—

कोयला, लोहा एवं इस्पात, जहाज निर्माण, हवाई जहाज निर्माण, टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा वायरलेस मशीनें (रेडियो रिसेविंग सेट के अतिरिक्त) खनिज तेल का उत्पादन ।

इस क्षेत्र में स्थित वर्तमान कारखाने अपना कार्य इत वर्षों तक करते रहेंगे और सरकार उनको महायत्ता देती रहेगी । इस अवधि के बाद उनकी स्थिति का निरीक्षण किया जायगा । सरकारी उद्योगों का प्रबन्ध लोक प्रमण्डलों (Public Corporations) द्वारा होगा । जल-विद्युत शक्ति के उत्पादन एवं वितरण पर सरकारी नियन्त्रण रहेगा ।

(३) उपरोक्त उद्योगों के अतिरिक्त तीसरी श्रेणी में ऐसे उद्योग हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिन पर सरकार का नियन्त्रण एवं नियमन रहेगा । ये १८ उद्योग निम्न प्रकार हैं —

नमक, मोटर तथा ट्रेक्टर, प्राइम मूवर्स विद्युत इंजिनरीयर्स, अन्य भारी यन्त्र, मशीन औजार, भारी रसायन, खाद, दवाइयाँ, ब्रिगली, रसायन उद्योग, नान फॉरस घातु, रबड़ उत्पादन शक्ति तथा औद्योगिक एलकोहल, सूती एवं ऊनी वस्त्र, सीमेन्ट, शक्कर, कागज एवं न्यूजप्रिन्ट, वायु एवं जल यातायात, सुरक्षा से सम्बन्धित व्यवसाय एवं उद्योग ।

इन तीन श्रेणियों के उद्योगों के अतिरिक्त जितने भी उद्योग थे वे निजी उपक्रम के लिये छोड़ दिये गये थे, परन्तु यदि कार्य असन्तोषजनक होगा तो सरकार निजी क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर सकेगी ।

यद्यपि उपर्युक्त नीति की बहुत आलोचना हुई, विशेषकर उन लोगों की ओर से जो समाजवाद स्थापित करने के पक्ष में थे । परन्तु वास्तव में यह नीति परिस्थितियों का देखते हुये अत्यन्त ही सन्तोषजनक और न्यायपूर्ण थी । निजी उपक्रम के समर्थकों ने भी अपना असन्तोष प्रकट किया, परन्तु उनकी आलोचनायें क्षीघ्र ही दब गई क्योंकि यह नीति पूर्णरूप से सममानुकूल थी । सन् १९५१ में उद्योग विकास एवं नियन्त्रण अधिनियम (Industries Development and Control Act) नई औद्योगिक नीति को कार्य रूप देने के लिये बनाया गया । सन् १९५३ में इसमें कुछ तशोधन किये गये ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना—भारत सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद ही देश के आर्थिक विकास के लिये पंचवर्षीय योजना बनाई जिसका उद्देश्य सरकारी नियन्त्रण में देश में एक सन्तुलित अर्थव्यवस्था स्थापित करना था । भारतीय नियोजन आयोग (Planning Commission) के शब्दों में नियोजित अर्थ-व्यवस्था में, “व्यक्तिगत साहस को अपने कार्य के महत्व को समझकर देश के अधिकतम हित के लिये अनुशासन के नये नियमों को स्वीकार करना होगा । किसी अन्य सत्ता की भाँति व्यक्तिगत साहस जिस सीमा तक जनहित की उन्नति के लिये साधक सिद्ध होगा वह अपनी न्यायोचितता का परिचय देगा ।” इस प्रकार सरकार ने मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की स्थापना की ओर पग उठाया । सरकार ने उद्योगों में प्रत्यक्ष रूप से हाथ

घटाना आरम्भ किया, विशेषकर उन उद्योगों में जो सुरक्षा के लिये आवश्यक हैं और जिनमें व्यक्तिगत साहम भाग नहीं ले सकता जैसे बहुमुखी योजनाएँ, सिन्दरा फर्टिलाइजर फैक्ट्री, धिसारजन सोनोमोटिव वर्क्स, इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, इण्डियन रेग्नर अक्ट्स लि०, दी न्यूमिन्ट प्रलीपुर इत्यादि ।

सन् १९५६ की औद्योगिक नीति—सन् १९४८ की औद्योगिक नीति की घोषणा की हुय ८ वर्ष बीत चुके थे । इस अवधि में देश में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन और औद्योगिक क्षेत्र में नया विकास हुय ये । भारतीय संविधान निमित्त हो चुका था । पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई थी और दूसरी योजना का आरम्भ हो रहा था । अवदी कांग्रेस सम्मेलन में भारत के आर्थिक विकास का लक्ष्य समाजवाद रखा गया था जिसकी पुष्टि अमृतसर सम्मेलन में की गई थी और भारतीय संसद ने भी समाजवादी नमूने का समाज स्थापित करने को सरकारी समाजिक एव आर्थिक नीति का लक्ष्य मान लिया था और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिय भारतीय संविधान में आवश्यक संशोधन भी हो चुके थे । स्पष्ट है कि ये सब परिवर्तन हमारी औद्योगिक नीति में भी परिवर्तनों की आवश्यकता की ओर संकेत कर रहे थे । विशेषकर जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना का निर्माण हो रहा था । इस प्रकार ३० अप्रैल सन् १९५६ को नई औद्योगिक नीति की घोषणा हुई । नवीन नीति के तीन मुख्य उद्देश्य हैं । पहला संविधान में निहित किये गए सिद्धान्त, दूसरा समाजवादी समाज की स्थापना और तीसरा नए औद्योगिक विकास के अनुभव । भारतीय संविधान के अनुसार सरकारी औद्योगिक नीति का आधार इस प्रकार है, “भौतिक साधनों का स्वामित्व एव नियन्त्रण अधिकतम सामुदायिक समानता लाने के लिए होना तथा ग्रथ व्यवस्था का संचालन जन साधारण के हितों के विरुद्ध न हो और न धन और उत्पत्ति के साधन सीमित क्षेत्र में केन्द्रित हो ।”

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिय सरकार निश्चित रूप से औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ती जा रही थी और निजी उपक्रम का क्षेत्र नियन्त्रणों द्वारा सीमित किया जा रहा था । क्योंकि समाजवादी समाज की स्थापना के लिय यह आवश्यक था कि देश का आर्थिक विकास एव औद्योगीकरण, विशेष रूप से भारी उद्योगों और ग्रन्थ निर्माण उद्योगों का, तीव्र गति से हो । सभी समस्याओं पर विचार करने तथा नियोजन आयोग से परामश करने के पश्चात् नवीन नीति में सरकार ने उद्योगों को तीन भागों में बाँटा है । इस वर्गीकरण में यह सम्भव है कि कुछ उद्योग दो भागों में आ जायें परन्तु भावी औद्योगिक विकास योजना के अनुसार ही होगा और उत्तम संविधान के सिद्धान्तों और समाजवादी समाज की स्थापना का ध्यान रखा जायगा । सरकार को यह स्वतन्त्रता है कि वह किसी भी उद्योग को अपने नियन्त्रण में ले सकती है । इस प्रकार सरकारी उद्योगों का क्षेत्र इस नीति के अनुसार और भी अधिक विस्तृत हो गया है । इस नीति के अनुसार उद्योगों को जिन तीन वर्गों में विभाजित किया गया है वे निम्न प्रकार हैं—

(१) प्रथम वर्ग में वे उद्योग हैं जिनके भावी विकास की जिम्मेदारी पूर्ण

रूप से सरकार की ही होगी। इन उद्योगों की सूची, औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव की पहली अनुसूची में दी गई है। इनकी संख्या १७ है, परन्तु जहाँ पर निजी क्षेत्र में उनको स्थापित करने की स्वीकृत दे दी गई है उनका और वर्तमान औद्योगिक इकाइयों का विस्तार एवं विकास निजी क्षेत्र में ही होगा। परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि जो औद्योगिक इकाइयाँ पहले से ही स्थापित हैं उनका विस्तार नहीं हो सकेगा या सरकार निजी उपक्रम के सहयोग से नई औद्योगिक इकाइयाँ नहीं स्थापित कर सकेगी। यदि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है तो नई औद्योगिक इकाइयाँ भी स्थापित होंगी और पुरानी इकाइयों का विस्तार भी होगा। परन्तु रेल और हवाई यातायात, हथियार, बास्केट और अणु शक्ति का विकास केवल कन्द्रीय सरकार के एकाधिकार में ही होगा। इन उद्योगों में भी यदि निजी क्षेत्र का सहयोग आवश्यक होगा तो सरकार ऐसा सहयोग या तो अधिकांश हिस्से खरीद कर या किसी अन्य विधि द्वारा प्राप्त करेगी ताकि इनका नियन्त्रण और नीति का निर्धारण सरकार ही के हाथ में रहे।

(२) दूसरे वर्ग में वे उद्योग होंगे जो औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव की दूसरी अनुसूची में दिये गये हैं। यह उद्योग प्रगतिशील रीति में सरकारी क्षेत्र में आते जायेंगे और इन उद्योगों की नई इकाइयाँ को साधारणतः सरकार स्वयं स्थापित करेगी। साथ ही निजी क्षेत्र को भी अबसर प्राप्त होगा कि वह इन उद्योगों का विकास और स्थापना या तो सरकारी सहायता या सहयोग से या स्वयं अपने प्रयत्नों से कर सके। इस प्रकार इन उद्योगों में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों ही पर औद्योगिक विकास की जिम्मेदारी होगी।

(३) तृतीय वर्ग में वे उद्योग होंगे जो औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव की तृतीय अनुसूची में दिये गये हैं और आशा की गई है कि इन उद्योगों का विकास साधारणतः निजी क्षेत्र द्वारा होगा। यद्यपि राज्य को भी यह अधिकार है कि वह इनमें से किसी उद्योग को भी चालू कर सके किन्तु सरकार की यह नीति होगी कि वह निजी क्षेत्र को पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यक्रम के अनुसार इन उद्योगों के विकास करने के लिये प्रोत्साहित करेगी और यातायात, शक्ति तथा अन्य सेवाओं को उन्नत करने तथा आर्थिक सहायता देकर, सुविधाएँ प्रदान करेगी। सरकार ऐसी मर्यादें स्थापित करती रहेगी जो इन उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सके और औद्योगिक और कृषिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो सरकारी तत्वाएँ स्थापित होंगी उनको सरकार विनये सहायता देगी। यदि उचित होगा तो सरकार निजी क्षेत्र को वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। निजी क्षेत्र में जो औद्योगिक मर्यादें स्थापित होंगी वे देश की सामाजिक और आर्थिक नीति के अनुसार होंगी और उनका नियन्त्रण एवं नियमन 'उद्योग विकास और नियमन अधिनियम' तथा अन्य नियमों के अनुसार होगा। साथ ही सरकार ने यह भी स्वीकार कर दिया है कि जहाँ निजी क्षेत्र के उद्योगों का विकास राष्ट्रीय योजनाओं के कार्यक्रमों के अनुसार हो रहा है वहाँ उनको जितनी सम्भव होगी स्वतन्त्रता दी जावेगी। जहाँ एक ही क्षेत्र में सरकारी और निजी उपक्रम होंगे तो वहाँ सरकार की यह नीति होगी कि दोनों के

साथ वह एकसा ही व्यवहार करेगी ।

सरकार को यह अधिकार है कि योजना को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यकता होने पर पहले या दूसरे वर्ग के अन्तर्गत वह किसी भी उद्योग को स्थापित कर सकती है । निजी क्षेत्र को भी यह स्वतन्त्रता होगी कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पहले वर्ग में आने वाले उद्योगों में से किसी भी उद्योग को स्थापित कर सके । साथ ही निजी क्षेत्र के छोटे छोटे कारखानों को स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये हल्की नावे बनाना, बिजली का उत्पादन करने आदि पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उद्योग अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति निजी क्षेत्र से कर सकते हैं और निजी क्षेत्र अपनी बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र पर निर्भर रहेगा । ठीक यही सिद्धान्त छोटे और बड़े पैमाने के उद्योगों पर भी लागू होगा ।

पहले और दूसरे वर्ग में उद्योगों के नाम इस प्रकार हैं —

वर्ग १—(१) अस्त्र-उत्पन्न और सुरक्षा के अन्वय समान, (२) अणु शक्ति, (३) लोहा और इस्पात, (४) हेवी मशीनरी के माल (५) खनिज उद्योग, मशीन निर्माण और इसी प्रकार के अन्य उद्योग, (६) बड़े-बड़े विद्युत् प्लांट, (७) कोयला और लिग्नाइट, (८) खनिज तेल, (९) कच्चा माल, मैंगनीज, जिप्सम, गन्धक सोना और हीरा, (१०) गाँवा रागा, अस्ता, टीन, (११) अणु-शक्ति आदेश (सन् १९५३) में वर्णित खनिज पदार्थ, (१२) वायुयान, (१३) हवाई-यातायात (१४) रेलवे यातायात (१५) जहाज निर्माण, (१६) टेलीफोन और उसके तार (रेडियो को छोड़ कर), (१७) बिजली उत्पादन और वितरण ।

वर्ग २—(१) मिनरल्स कन्सेशन हल्स (सन् १९४६) के भाग तीन के अन्तर्गत जिन छोटे छोटे रासायनिक पदार्थों का उल्लेख किया गया है, उनके अतिरिक्त अन्य सभी रासायनिक पदार्थ, (२) प्रथम वर्ग में जिन धातुओं का उल्लेख हुआ है, उनके अतिरिक्त अन्य सभी लोहेतर धातुएँ अल्पमूल्य, (३) मशीन निर्माण उद्योग, (४) लौह मिश्रण तथा औद्योगिक बनाने के काम में आने वाला इस्पात, (५) औषधियों, रंगों तथा प्लास्टिक का उत्पादन करने के प्रसंग में काम आने वाले आधारभूत तथा मध्यवर्ती माल (६) एन्टीबायोटिक तथा अन्य आवश्यक औषधियाँ (७) रासायनिक खाद, (८) नकली रबड़, (९) कागज से कार्बन गैस का उत्पादन, (१०) रासायनिक लुगदी, (११) सड़क परिवहन, (१२) समुद्री यातायात ।

सन् १९४८ और १९५६ की औद्योगिक नीतियों की तुलना—पहली औद्योगिक नीति और वर्तमान नीति में कुछ विशेष अन्तर है । सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नीति में राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध या पक्ष में किसी प्रकार का भी कोई जिक्र नहीं किया गया है जब कि पहली नीति में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सरकार उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर सकेगी । दूसरे इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक विस्तृत कर दिया गया है, गहाँ तक कि सरकार को यह भी अधिकार

ह कि वह निजी क्षेत्र में भी अपने उद्योग स्थापित कर सकती है। इस नीति के अनुसार प्रथम वर्ग के १७ उद्योगों का विकास तो सार्वजनिक क्षेत्र में होगा ही परन्तु दूसरे वर्ग के उद्योग भी प्रगतिशील रीति से सार्वजनिक क्षेत्र में आते जायेंगे। किन्तु पहली औद्योगिक नीति में राजकीय उपक्रम का क्षेत्र इतना विस्तृत न था। तीसरे, उद्योगों का वर्गीकरण भी पहली नीति की अपेक्षा ढीला ढाला है। यह केवल इतनीलिये किया गया है कि आर्थिक नियोजन की आवश्यकताओं के अनुसार कोई भी उद्योग किसी भी क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है चाहे वह किसी भी वर्ग का हो। अन्त में, पहले वर्ग के उद्योगों की स्थापना की पूरी जिम्मेदारी यद्यपि सरकार पर होगी किन्तु आवश्यकता होने पर सरकार निजी क्षेत्र का सहयोग भी प्राप्त कर सकती है।

इस प्रकार पिछले अनुभवों और नठिनाइयों की दृष्टि में रखकर ही नई नीति में यह परिवर्तन हुए हैं। इस नीति का उद्देश्य मिश्रित अर्थ व्यवस्था स्थापित करना है। यह नीति समाजवादी समाज की स्थापना के उद्देश्य के अनुकूल है। भारतीय पृष्ठ भूमि में समाजवाद का यह अभिप्राय है कि 'साधारण जनता के सहयोग से सरकार द्वारा देश के आर्थिक जीवन का संचालन एवं नियन्त्रण।' इतनीलिये नई नीति में निजी क्षेत्र पर भी सरकारी नियन्त्रण को स्थान दिया गया है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार के साथ साथ निजी क्षेत्र को भी उचित स्थान दिया गया है परन्तु वह पूर्ण रूप से स्वतन्त्र नहीं है बल्कि उसको योजना सम्बन्धी सध्या के अनुसार कार्य करना होगा।

आलोचना—इस नीति की भी बहुत कड़े शब्दों में आलोचना की गई है। डा० मथाई इस नीति के गबने बड़े विरोधी हैं। यद्यपि वह इस बात में सहमत हैं कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य हस्तक्षेप आवश्यक है जैसे धातापान के क्षेत्र में परन्तु निजी उपक्रम की स्वतन्त्रता एक माधारण नियम रहना चाहिये और राष्ट्रीयकरण की नीति का पालन बहुत ही कम होना चाहिये, बल्कि उस समय ही होना चाहिये जबकि यह नितान्त आवश्यक हों, क्योंकि योजना की नीति के अनुसार देश के आर्थिक विकास के निर्देशन का काम इतना बड़ा है कि उद्योगों की व्यवस्था एवं स्थापित्व में राज्य का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप सरकार के प्रशासन और वित्त सम्बन्धी दाघना पर अनावश्यक भार डालेगा। यह आवश्यक है कि सरकार के वित्तीय और मानवीय साधन सुरक्षित रहे और वह नष्ट न हों। डा० मथाई का विचार है कि सरकार के पास संगठन और प्रशासन सम्बन्धी साधन बहुत ही सीमित हैं और राष्ट्रीयकरण की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपर्याप्त हैं। एक तो सरकारी बर्माबारी बैसे ही अपने निर्णयों में बहुत देर लगाते हैं, परम्पराओं पर अवलम्बित रहते हैं, उनका दृष्टिकोण अति काननी होता है, वह प्रयोग और परिवर्तन जिनसे प्रेरणा प्राप्त होती है जोकिम सहन करने की शक्ति आती है, लोच मूर्णत उत्पन्न होती है, से बहुत अधिक डरते हैं, चुटिया करते हैं और द्रव्य नष्ट करते हैं जो सफल औद्योगिक उपक्रम के लिये आवश्यक होते हैं। याम ही भारतवर्ष में तो

सरकारी कर्मचारियों का स्तर और भी अधिक गिरता जा रहा है।

डा० मथाई ने इसीनिर्णय विवेचनात्मक राष्ट्रीयकरण (Discriminating Nationalisation) की नीति का पक्षपात किया है अर्थात् (घ) राष्ट्रीयकरण का क्षेत्र बहुत ही सीमित रहना चाहिए, (ब) यह केवल विभिन्न उद्योगों के सम्बन्ध में ही लागू होना चाहिये, (ग) इसका निर्माण मिश्रित रूप में नहीं होना चाहिये बल्कि किसी विशेष उद्योग की वास्तविक बहिष्कारियों पर यह नीति आधारित हो, और (द) राष्ट्रीयकरण उद्योगों की विभिन्न स्वतन्त्रता हानी चाहिए।

डा० मथाई की दलीलों में कोई विशेष तर्क नहीं है। उनका यह कहना कि सरकार उद्योगों की निजी उपभोग के लिये छोड़ दे क्योंकि निजीकरण का कार्य बहुत ही पेशीदा और भार युक्त है, भी ठीक नहीं है, क्योंकि निजीकरण कार्य के पेशीदा होने के कारण ही तो यह आवश्यक है कि सरकार स्वयं उत्पादन कार्य करने क्योंकि इसमें शका है कि निजी उपभोग इन जिम्मेदारियों को पूरा कर पायगा या नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि उचित कर्मचारियों की बहुत कमी है परन्तु समय के माध्यम यह कमी भी पूरी हो जायेगी। जहाँ तक राज्य द्वारा संचालित मन्थानों में कार्य पुष्टता की कमी का सम्बन्ध है उसमें भी यह कहना अनुचित न होगा कि वास्तव में निजी मन्थानों के कर्मचारियों की श्रुतियाँ और कर्मजोरियों उद्योगपति जनता के सामने रखने की कोई आवश्यकता नहीं समझना और इसलिये उनका ज्ञान किसी को भी नहीं हो पाता। दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों की श्रुतियाँ ही जनता के सामने आ जाती हैं और उनकी उचित जाँच पड़ताल भी की जाती है। ये विचार भी दशमम ने भारतीय मजदूर के सम्मुख रखे थे जो बिल्कुल सही हैं। इन्हीं भी डा० मथाई की तरह अर्ध स्वतन्त्र राजकीय उद्योग जो सरकार के नियन्त्रण से बाकी नीमा तक मुक्त रहेंगे, स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था।

कुछ लोगों का, जिनमें डा० मथाई भी एक हैं विचार है कि समाजवादी ध्येयों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि राज्य उद्योगों का संचालन करे। प्रजातान्त्रिक समाजवाद की स्थापना के लिये यह आवश्यक है कि आधार उद्योगों और सेवाओं पर राज्य का स्वाभित्व न हो। नई नीति के अनुसार केवल कुछ महत्वपूर्ण उद्योग ही सार्वजनिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किए गए हैं बल्कि ऐसी भी व्यवस्था की गई है कि राज्य घाते खर्च कर निजी क्षेत्र के उद्योगों को भी चला सकती है। यह निश्चय ही है कि ऐसी नीति उद्योगपतियों को कभी भी उद्योगों में भाग लेने की प्रोत्साहित न कर पायेगी क्योंकि उनको मर्द ही इस बात का भय रहेगा कि न जाने कब उन उद्योग का राष्ट्रीयकरण हो जाये। दूसरी अनुसूची में जो उद्योग हैं उनमें उद्योगपति इसलिये भाग लेते हुए उद्योगों कि वे राज्य से प्रतियोगिता नहीं कर सकते। इसलिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में एक स्पष्ट तथा निश्चित नीति घोषित की जाये। परन्तु सच तो यह है कि ऐसी नीति निश्चित नहीं हो सकती, क्योंकि राज्य निम्न उद्योगों को चलाने पर मजबूर होगा महत्परिस्थितियों ही बहा मक्की और यदि देखा जाय तो वर्तमान नीति भी बुरी नहीं है, क्योंकि उद्योगपतियों का डरने हो

रहना ठीक होगा। यही जनता के हित में भी है क्योंकि इस डर से वे अनुचित क्रियाएँ नहीं कर पायेंगे और कुशलता का स्तर भी बनाये रखेंगे। साथ ही यह भी नहीं भूलना चाहिए कि औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में निजी उपक्रम के लिये काफी आश्वासन दे दिया गया है कि योजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के अतिरिक्त उनको पर्याप्त स्वतन्त्रता दी जायेगी और जिन उद्योगों में निजी और सरकारी दोनों ही सस्थायें कार्य करेंगी उनमें दोनों ही से सरकार समान ध्यवहार करेगी।

गमाजवादी समाज के समर्थकों का दूसरी ओर यह कहना है कि निजी क्षेत्र को जो स्थान दिया गया है वह अनुचित और अनावश्यक है। भीमेन्ट तथा अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों को निजी उपक्रम के हाथों में छोड़ दिया गया है। पहली अनुमूची वाले उद्योगों में भी राज्य निजी उपक्रम का सहयोग प्राप्त कर सकता है, पूर्णतः अनुचित है। इन आलोचकों के अनुसार निजी उपक्रमों को आर्थिक महायत्ना देने वाली बात भी भली नहीं लगती। नये प्रस्ताव में इन लोगों के अनुसार एक कमी यह भी है कि राष्ट्रीयकरण की कोई तिथि निश्चित नहीं की गई और इस प्रकार निजी उपक्रमों को जो अनिश्चित जीवन दान दिया गया है वह सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार के हित में नहीं है। कुछ लोगों का तो कहना यहाँ तक है कि निजी क्षेत्र से जो कुछ एक हाथ से छीना गया था वह दूसरे हाथ से उसी को लौटा कर दे दिया गया है।

यदि निरपेक्ष दृष्टि से देखा जाये तो औद्योगिक नीति पूर्ण रूप से समय अनुकूल है। इस समय सरकार के सम्मुख इतनी विषम समस्याएँ हैं कि पूर्ण राष्ट्रीयकरण की नीति जो अपनाया सम्भव नहीं है। हर क्षेत्र में आदर्शवादिता से काम नहीं होता। हमारे पास इतने साधन भी नहीं कि उद्योगों का पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण किया जा सके, न ही मुआवजा देने के लिये सरकार के पास इतना धन है और न ही उगकी उचित व्यवस्था करने के लिये उचित कर्मचारी ही। इसलिए वर्तमान नीति व्यवहारिकता की दृष्टि से उत्तम है।

भारत में राजकीय उद्योग—निम्न पृष्ठों में हम कुछ उन महत्वपूर्ण उद्योगों तथा सेवाओं के बारे में बतायेंगे जिनकी सरकार अपने देश में कर रही है। राजकीय उपक्रम मुख्यतया तीन प्रकार के हैं। प्रथम जिनकी व्यवस्था सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही है। दूसरे जिनकी व्यवस्था ऐसी कम्पनियों द्वारा की जा रही है जिनमें सरकार का हाथ अधिकतर है और तीसरे ऐसे उपक्रम जिनकी व्यवस्था वैधानिक मंडली द्वारा की जाती है।

वास्तव में सरकारी विभागों द्वारा जिन उद्योगों की व्यवस्था की जाती है उनमें एक तो सरकारी हस्तक्षेप बहुत अधिक होता है, निर्णय लेने में बहुत अधिक देर लगती है और सामान्य रूप से कुशलता बहुत कम होती है। सरकारी विभागों के कर्मचारी न तो नया पग उठाने की चेष्टा करते हैं और न ही उनको कोई प्रेरणा मिलती है, जो किसी भी सस्था की सफलता के लिए विशेष बस्तु है। यह कहना उचित ही है कि "विभागीय प्रबन्ध एक सामान्य नियम न बन कर केवल एक अपवाद

भारत में सरकार जिन उद्योगों को चला रही है, वे निम्न प्रकार हैं—

रेलें—भारत में प्रारम्भ में रेलें निजी व्यक्तियों द्वारा चलाई जाती थी, परन्तु सन् १९४४ से भारत सरकार ने इन्हें पूर्णरूप से अपने हाथ में ले लिया है। केवल कुछ छोटी रेलें ऐसी हैं जिनकी व्यवस्था आज भी निजी कम्पनियों द्वारा की जा रही है। रेल मंत्रालय रेलों का बजट तैयार करता है जो पूर्णरूपेण केन्द्रीय बजट से अलग रहता है। इनमें ६.५ लाख व्यक्ति काम कर रहे हैं और इनमें सरकार के ६४७ करोड़ रुपये लगे हुए हैं। नियोजन कार्यक्रम में रेलों के विकास का एक प्रमुख स्थान है।

तार एवं डाक—प्रारम्भ से ही भारत में, यह सेवाएँ राज्य प्रदान कर रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना वाल के अन्त तक भारत में डाकघरों की कुल संख्या ५६००० हो जायेगी। वर्तमान स्थिति की अपेक्षा दूसरी योजना में, तारघरों की संख्या में १४०० की और टेलीफोन कनेक्शनों में १,८०,००० की वृद्धि हो जायेगी। यह स्पष्ट ही है कि भारत की आर्थिक उन्नति इन सेवाओं के बिना बिल्कुल भी सम्भव नहीं है।

सिन्दरी रसायनिक खाद फैक्ट्री—खाद्यान्न नीति कमेटी (१९४३) की सिफारिश के अनुसार दिसम्बर सन् १९५१ में बिहार में २३ करोड़ रुपये की लागत में सिन्दरी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। यह अनुमान था कि इसकी उत्पादन दरक्ति प्रथम योजना के अन्त तक, ३१५००० टन रसायनिक खाद उत्पन्न करने की होगी, परन्तु सन् १९५५ के अन्त में इसका कुल उत्पादन ३२०००० टन हो गया था। दूसरी योजना-काल में इसकी उत्पादन क्षमता में ६०% की वृद्धि करने का लक्ष्य है। इस कार्य के लिए ७ करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया जायेगा। इसकी गौण वस्तुओं (by-products) का उपयोग अन्य उद्योगों में किया जाता है जैसे सीमेंट उत्पादन।

चित्तूरजन लोकोमोटिव वर्कस—यह फैक्ट्री १५ करोड़ रुपये की लागत से चानू की गई है। यह १५० इन्जन प्रति वर्ष बना रही है और आशा है कि दूसरी योजना तक यह २५० इन्जन प्रतिवर्ष बनाने लगेगी। एक इन्जन की लागत लगभग ६५ लाख रुपये है परन्तु आशा है कि निकट भविष्य में ही इसकी लागत लगभग ५३ लाख रुपये रह जायेगी।

गंगारू, कोयल, फैक्ट्री, मद्रास—यह फैक्ट्री, मुंबई, फर्म, की, सह-महिता, में स्थापित की गई है। इसका लक्ष्य ३५० टिन्वे प्रतिवर्ष बनाने का है। यह आशा है कि इसमें लगभग ४००० व्यक्तियों को नौकरों मिलेगी।

१ **हिन्दुस्तान, मशीन, टूल फैक्ट्री बंगलौर**—यह फैक्ट्री भी मुईस फर्म की सह-योगिता में स्थापित की गई है।

इसके अतिरिक्त सरकार की अन्य फैक्ट्रियाँ और कार्य कर रही है। सरकार देश में सिचाई और जनविद्युत सम्बन्धी सभी योजनाओं को स्वयं ही कार्यान्वित कर रही है। सरकार ने पिछले दस वर्षों में चार परम मुख्य कार्य और किये हैं। दैको का राष्ट्रीयकरण, जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण हवाई यातायात का राष्ट्रीयकरण एवं

व्यापार में प्रत्यक्ष भाग लेना ।

वायु यातायात का राष्ट्रीयकरण—वायु यातायात जाँच समिति (१९५०) की सिफारिशों की अगत पूर्ति करते हुए सरकार ने १ अगस्त १९५३ को वायु यातायात का राष्ट्रीयकरण कर लिया । इसके फलस्वरूप १ अगस्त सन् १९५३ से आन्तरिक वायु सेवाओं के लिए 'इण्डियन ऐयर लाइन्स कॉर्पोरेशन' तथा अन्तर्राष्ट्रीय वायु सेवाओं के लिए 'ऐयर इण्डिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन' का निर्माण हुआ । ये दोनों प्रमण्डल केन्द्रीय सरकार की अपनी क्रियाओं की वार्षिक योजनाएँ आर्थिक अनुमान के साथ दते हैं और इनके हिसाब-किताब की जाँच Auditor General and Controller करना है जिसकी रिपोर्ट संसद में रखी जाती है । उन दोनों प्रमण्डलों की क्रियाओं में समन्वय लाने के लिये वायु यातायात परिषद नियुक्त की गई है जो भाडे की दरें बिराया डाक शुल्क तथा वायु मार्ग सुविधाओं की उपलब्धता एवं कुशलता के सम्बन्ध में सरकार को गलाह देती है । इसके साथ ही दोनों प्रमण्डलों की पृथक् सप्ताहवार समितियाँ भी हैं जिनमें वायु यातायात का प्रतिनिधित्व है और जो प्रबन्धकों के सामने अपने दृष्टिकोण रखती हैं ।

बैंको का राष्ट्रीयकरण—सरकार ने सर्व प्रथम सन् १९४९ में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था । अपनी स्थापना के पन्द्रह वर्षों तक रिजर्व बैंक का वायु पूर्ण रूपेण सरोपजनक नहीं रहा और वह अपने दायित्वों को भी भली भाँति पूरा नहीं कर पाई थी । देश में मूल्य स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था । इसीलिए सरकार को यह पग उठाना पड़ा । दूसरी लड़ाई के बाद अधिकतर देशों में यद्ध के कारण मौद्रिक प्रणालियों एवं आर्थिक संस्थाओं में उत्पन्न होने वाली बुराइयों को दूर करने के लिये केन्द्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया है । इसीलिए भारत सरकार को भी यह उपाय लेना ही पड़ा । नियोजित वायु आरम्भ होते ही रिजर्व बैंक पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता ही गया । सरकार को अधिक धन की भी आवश्यकता हुई । देश की ८०% जनता ग्रामीण में रहने के कारण और वृषि की स्थिति में प्रशासकिक सुधार न हो पाने के कारण और ग्रामीण साख की उचित व्यवस्था, सहकारी आन्दोलन द्वारा न हो पाने के कारण रिजर्व बैंक के दायित्वों की उचित पूर्ति के लिये इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके और अन्य दस बैंकों को मिलाकर स्टेट बैंक सन् १९५५ में स्थापित किया गया । इसके उपर ४०० सालाएँ पाँच वर्षों में खोलने का वैधानिक दायित्व है ।

जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण—भारत सरकार ने सन् १९५६ में जीवन बीमा, वा. राष्ट्रीयकरण, दिव्य. विम. मार्ग के दिव्य भारतीय कृत्य. में फंडे स्तर. १९५६ में एक कानून बनाया गया था । पूर्व वित्त मन्त्री श्री देशमुख ने इस सम्बन्ध में सरकार के विचारों का स्पष्टीकरण करते हुए कहा था कि, हम अपने इस निष्पत्ति में किसी सिद्धान्त रूपी नापसन्दगी से प्रभावित नहीं हुए हैं । यदि ऐसा होता तो हमने सामान्य बीमा (General Insurance) जैसे बड़े क्षेत्र का स्वतन्त्र नहीं छोड़ा होता । हमारा एक सकारात्मक (Positive) दृष्टिकोण, और इस सम्बन्ध में, यदि मैं

कहें, तो एक निर्माणात्मक (Creative) दृष्टिकोण है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जीवन बीमा का काम करने वाली अनेको कम्पनियों, कुछ अच्छी, कुछ मामूली अच्छी, और एक बड़ी सख्या में न इतनी अच्छी और न इतनी अधिक खराब, को हम एक शक्तिशाली और सक्रिय संगठन में बाँध सके जो सम्पूर्ण देश में जनता के प्रत्येक वर्ग की बचतों को गतिशील बनाकर, उनको सुरक्षित रख कर कुशलतापूर्वक बीमा सुविधाएँ उपलब्ध करने योग्य हूँ।" इसी प्रकार कृष्णामाचारी ने भी कहा था कि, "बीमा पर नियन्त्रण रखने के लिए अनेको वैधानिक उपाय हमारे सामने रहें, परन्तु हमारा अनुभव यही है कि वैधानिक नियन्त्रण प्रभाव रहित हो गया हैअन्न में हम इस निष्कर्ष पर दो कारणों से आए हैं एक तो नकारात्मक कारण—निमित्त व्यक्तियों के ऋणों का दुरुपयोग, और दूसरा एक सकारात्मक कारण—हम कोई ऐसा सकारात्मक भाडियो या घेरा नहीं बना पाये, जिसको पार नहीं किया जा सके।" इस प्रकार बीमा कम्पनियों की कमजोरियों को दूर करने के लिये और दूसरी योजना की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सरकार ने पाँच राष्ट्रीयकरण के अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं था। राष्ट्रीयकरण के मुख्य कारण निम्न प्रकार बताए गए हैं —

(१) (अ) जीवन बीमा व्यवसाय एक प्रकार की सामाजिक सेवा है जिम का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि केवल राष्ट्रीय हित की वृद्धि करना होना चाहिए। इसलिये अन्य सामाजिक सेवाओं की भाँति इस सेवा को भी राज्य को ही करना चाहिए।

(ब) इस समय जीवन बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण का इसलिये भी आवश्यक था कि सरकार को द्वितीय पनवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिये बहुत अधिक धन की आवश्यकता थी। बीमा कम्पनियों को बीमित व्यक्तियों में वार्षिक निधन के रूप में जो धन प्राप्त होता है उसकी सख्या करोड़ों में होती है। इस धन को प्राप्त करके सरकार बहुत सी आर्थिक कठिनाइयों से बच जाएगी।

(ग) जीवन बीमा कम्पनियों के खर्चें उनकी आय की अपेक्षा बहुत अधिक थे और यह आवश्यक मा होता जा रहा था कि उनके अनावश्यक खर्चों एवं अपव्यय को कम किया जाए। राष्ट्रीयकरण से उन मध्यस्थों की सख्या भी बहुत कम हो गई है जिनके रूपर, कम्पनियों को बहुत खर्च, कर्जा, परखा, घा, ष, इन प्रकार राष्ट्रीयकरण से बीमा सम्बन्धी खर्चें बहुत कम हो गए हैं।

(द) बीमा कम्पनियों के कार्य संचालन में बहुत सी कुरोतियाँ प्रचलित हो गई थी। इनके पास जो इतनी बड़ी मात्रा में धन आता था उनका यह उचित उपयोग नहीं कर रही थी जैसा कि श्री देशमुख ने कहा था कि कम्पनियाँ अपने ऋणों को "उन व्यवसायों की पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति में लगाती हैं जिनमें उनके प्रबन्धकर्ता, चाहते हैं अपेक्षाकृत उन व्यवसायों के जो र्थमिता व्यक्तियों के हित में होते हैं।" श्री देशमुख ने प्रभावशाली शब्दों में यह स्पष्ट वर दिया था कि "जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी निर्णय लेने में जिन बातों में हमारे ऊपर

दबाव डाला है उनमें में एक बात बग़ानियों द्वारा शक्ति, स्थिति, और अधिकार का दुरुपयोग है, जो हमें विश्वास है कि वर्तमान स्थितियों में प्रचलित है।”

(ह) निजी व्यक्तियों द्वारा जीवन बीमा व्यवसाय किये जाने के कारण धन और आर्थिक शक्ति बेवज्र थोड़े से ही व्यक्तियों के हाथों में एकत्रित हो रही थी जो समाजवादी तन्त्रों के समाज के पूर्णतः विरुद्ध है।

(ख) जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण से व्यक्तियों की बचतों का उचित उपयोग हो सकेगा।

श्री देशमुख ने आलोचकों को यह आश्वासन दे दिया था कि जीवन बीमा से प्राप्त धन का विनियोग पहले ही की भाँति निजी उद्योगों में ही होता रहेगा और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में इस धन का अधिक प्रयोग नहीं होगा। हाँ, इतना स्पष्ट हो सकता है कि जिन उद्योगों में इस धन का विनियोग होगा उनका रूप पहले से भिन्न हो। इसलिये जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण से यह सम्भव नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र की आय के क्षेत्र बहुत अधिक बढ़ जायें, और पैसा करने के लिए, यह स्पष्ट ही है कि हमको बीमा का आकार बढ़ाना ही होगा।

आलोचकों का यह कहना भी उचित नहीं है कि राष्ट्रीयकरण के बाद जीवन बीमा व्यवसायों की कुशलता कम हो जायगी। इस सम्बन्ध में श्री देशमुख ने कहा था कि व्यवसाय की कुशलता को बनाए रखने के लिये पुराने कर्मचारी ही काम करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त अब यह भी सम्भव हो सकेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जीवन बीमा सम्बन्धी सेवाएँ प्रदान की जा सकें।

जीवन बीमा प्रमण्डल अधिनियम, जो सन् १९५६ में बना था, उसके अनुसार सम्पूर्ण जीवन बीमा व्यवसाय एक वैधानिक प्रमण्डल को सौंप दिया गया है। इस प्रमण्डल को जीवन बीमा प्रमण्डल का नाम दिया गया है। उस समय यह आशा थी कि यह प्रमण्डल अपने कर्तव्यों का पालन सुचारु रूप से करेगा और जीवन बीमा व्यवसाय में उन्नति होगी परन्तु यह हमारा दुर्भाग्य है कि प्रमण्डल ने वही लागूवाही से काम किया है। जीवन बीमा व्यवसाय में कर्मा होने के साथ साथ उसके बोझों का भी दुरुपयोग हुआ है। प्रमण्डल ने हरीदास मुद्रा की कम्पनियों के हिस्सा में जो अपने बोझों का विनियोग किया है वह विज्ञान अनुचित और व्यापारिक सिद्धान्तों के विरुद्ध था यह प्रत्यक्ष स्पष्टि जागता है और इससे यह पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया है कि आलोचकों के भय निराधार नहीं थे। प्रमण्डल की असफलता से अन्य राष्ट्रीय-कृत उद्योगों के विरुद्ध भी आलोचना करने का पूरा अदमर अब आलोचकों को मित गया है। परन्तु वास्तव में जीवन बीमा प्रमण्डल की असफलताओं से अन्य वैधानिक प्रमण्डलों को काफी सीखना चाहिए और उनकी भविष्य में अधिक सतर्कता से काम लेना चाहिए।

प्राक्कथन—

हममें से प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ खतरों का भय हर समय बना रहना है और यह भी सच है कि हममें से कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में या अकेले ही इन खतरों के विरुद्ध अपनी रक्षा करने योग्य नहीं है, क्योंकि हमारे आर्थिक एवं व्यक्तिगत साधन बहुत ही सीमित हैं। इसलिये यदि इन खतरों से सुरक्षित रहने की व्यवस्था सामूहिक रूप से की जाये तो प्रत्येक व्यक्ति को न तो इतना घन हो लचक करना पड़ेगा और न ही उसके जीवन में इतनी अनिश्चितता रहेगी। सरकार ही एक ऐसी संस्था है जो सामूहिक रूप से एक ऐसे साधन का आयोजन कर सके जिससे प्रत्येक व्यक्ति इन खतरों के विरुद्ध सुरक्षित रहे। इस प्रकार का सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था ही को 'सामाजिक सुरक्षा' कहते हैं। दूसरे शब्दों में सामाजिक सुरक्षा समाज द्वारा व्यक्तिगत सदस्यों के लिये एक ऐसी व्यवस्था है जिससे उनकी भावी खतरों से रक्षा हो सके और जिनसे वे व्यक्तिगत रूप में अपने सीमित साधनों से सुरक्षा नहीं कर सकते।

वर्तमान औद्योगिक जगत में सामाजिक सुरक्षा का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह शब्द प्रतिव्यापक है और इसके अन्तर्गत सामाजिक बीमा और सामाजिक सहायता दोनों ही की योजनायें सम्मिलित की जाती हैं। कभी-कभी लोग सामाजिक बीमा का अर्थ सामाजिक सुरक्षा से ही लेते हैं परन्तु वास्तव में ये दोनों एक नहीं हैं। सामाजिक बीमा केवल सामाजिक सुरक्षा की एक शाखा है, सामाजिक बीमा एक ऐसी रीति है जिसमें श्रमिकों, मालिकों और सरकार के सहयोग और असादान से एक कोष स्थापित किया जाता है और बेकारी, बीमारी, तथा अन्य कठिनाइयों में इस कोष में से वीमित व्यक्ति को बिना किसी जांच के और एक अधिकार के रूप में अनिवार्य रूप से पर्याप्त सहायता दी जाती है ताकि वह अपना न्यूनतम जीवन स्तर बनाय रह सके। Beveridge ने सामाजिक बीमा का वर्णन इस प्रकार किया है, "असादान के बदले में किसी व्यक्ति को बिना किसी शर्त के और इस प्रकार कि जैसे उसका अधिकार हो उसकी जाँचना स्तर तक लाभ

प्रदान करना ताकि वह स्वतन्त्रतापूर्वक उसका प्रयोग कर सके। इस प्रकार सामाजिक बीमा में दोनों बातें आती हैं, कि एक तो यह अनिवार्य है और दूसरी यह कि मनुष्य अपने अधिकारों के साथ मिलकर खड़े होते हैं।" इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सामाजिक बीमा की योजना विभिन्न पक्षों के अग्रदानों पर आधारित होती है। सामाजिक बीमा की मुख्य विशेषतायें निम्न प्रकार हैं —

सामाजिक बीमा की विशेषतायें—१ सबसे प्रथम एक कोष स्थापित किया जाता है जिसमें श्रमिकों, मालिकों और सरकार के अग्रदान जमा होते रहते हैं। श्रमिकों का भाग सबसे कम होता है। श्रमिकों को जो कुछ भी लाभ प्राप्त होते हैं उनका भुगतान इसी कोष से किया जाता है।

२ यह स्वाभाविक ही है कि श्रमिकों के अग्रदान और उनको प्राप्त होने वाले लाभों के बीच कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। दूसरे शब्दों में श्रमिकों को प्राप्त होने वाले लाभों की मात्रा उनके अग्रदान से निर्धारित नहीं की जाती।

३ प्राप्त होने वाले लाभों की गीमाये निश्चित ही रहनी है ताकि आय के पूरा या आंशिक अभाव में उनको कम से कम इतना मिल सके कि वे अपना न्यूनतम जीवन स्तर बनाय रख सकें।

४ लाभ प्रदान करते समय श्रमिकों की आय, हैमिगत आदि के बारे में कोई भी जांच पड़ताल नहीं की जाती। यह लाभ उनको ऐसे प्रदान किया जाता है जैसे कि यह उनका अधिकार है कि वे इन लाभों को प्राप्त करें। ऐसा करने से श्रमिकों की भावनाओं और आत्म सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुँचती।

५ अन्त में सामाजिक बीमा अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को ही उससे लाभ प्राप्त हो सके।

सामाजिक बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा में भेद—अब हम इस स्थिति में हैं कि सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा के भेद को स्पष्ट कर सकें। सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत राज्य अपने कोषों से उन श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है जो इस योग्य होते हैं। सामाजिक बीमा का क्षेत्र अतिसीमित होता है और इसी कारण सामाजिक मुक्ति (Social Relief) की योजना इसके अतिरिक्त और चलाई जाती है, तब कहीं सामाजिक सुरक्षा का कार्य पूरा हो पाता है। इस प्रकार इन दोनों में निम्न भेद है —

(अ) सामाजिक सुरक्षा में पूरी सहायता राज्य द्वारा ही प्रदान की जाती है, परन्तु सामाजिक बीमा में राज्य केवल आंशिक सहायता ही देता है।

(ब) सामाजिक सुरक्षा में अन्तर्गत शर्तों के अनुकूल प्रत्येक श्रमिक को ही लाभ प्राप्त होते हैं, परन्तु सामाजिक बीमा में केवल अग्रदान देने वाले श्रमिकों को ही लाभ प्राप्त होते हैं।

(स) सामाजिक सुरक्षा में पूरी जांच पड़ताल के बाद और पूर्व निश्चित शर्तों के अधीन ही आर्थिक सहायता दी जाती है, जबकि सामाजिक बीमा में ऐसा कुछ नहीं होता।

स्पष्ट है कि सामाजिक बीमा योजना केवल उन्हीं स्थानों एवं उद्योगों में व्यावहारिक रूप धारण कर सकती है जहाँ श्रमिक शिक्षित हैं, सुसंगठित हैं और जिनके हृदय में अपने भविष्य की सुरक्षित करने की रत्न है। दूसरी ओर इनका विपरीत दशाओं में सामाजिक सुरक्षा योजना सफल होती है। इसके अतिरिक्त कुछ खतरे ऐसे होते हैं, जिनको केवल सामाजिक बीमा से ही दूर किया जाता है, और कुछ खतरे ऐसे हैं जिनको दूर करना बिना राज्य की सहायता के असम्भव होता है। बीमा योजना उन्हीं लाभों के सम्बन्ध में बहुधा कार्यान्वित की जाती है, जहाँ इस बात का डर है कि व्यक्ति अपने नुकसानों को बड़ा चढ़ा कर बतायेंगे या सामान्य श्रमिकों का अनुचित उपयोग करेंगे। दूसरी ओर सामाजिक सहायता एवं मुक्ति केवल उसी समय दी जाती है जहाँ सारे व्यक्तियों को ही लाभ प्रदान करने का उद्देश्य होता है, जैसे शिक्षा केन्द्र, अस्पताल, प्रसव केन्द्र (maternity centres) इत्यादि।

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विचार का उद्गम—सामाजिक सुरक्षा, किसी न किसी रूप में हर समय में ही प्रस्तुत की जाती रही है। प्राचीन काल में केवल निर्धनता को आर्थिक सहायता दी जाती थी। परन्तु समय के साथ-साथ सामाजिक सहायता के आकार और रूप में वृद्धि हुई और आज सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का ही परम कर्तव्य हो गया है। सर्वप्रथम १८८१ में जर्मनी के राजा William प्रथम ने अपने मन्त्रालय से यह अनुरोध किया था कि वह सामाजिक बीमा सम्बन्धी योजनाओं को स्वीकार करले। सच तो यह है कि कल्याणकारी राज्य के विचार के साथ-साथ ही सामाजिक सुरक्षा का भी उद्गम हुआ है। एक कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य आर्थिक सुरक्षा, प्रदान करना है। बेकारी, बीमारी या बुढ़ापे में वह मौद्रिक सहायता देता है, बीमारी में नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करता है। इस प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुढ़ापे सम्बन्धी सामाजिक सेवाएँ प्रदान करने वाला राज्य ही कल्याणकारी राज्य है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organisation) की स्थापना से सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सेवाओं को और भी अधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। द्वितीय महायुद्ध के बाद से तो इन सेवाओं का महत्त्व और भी अधिक हो गया है। संसार के लगभग प्रत्येक देश में राज्य ऐसी सेवाओं को व्यवस्था कर रहा है। कुछ देशों में तो सामाजिक बीमा योजना तैयार करने का कार्यान्वित भी की जा चुकी है जैसे, दक्षिण अफ्रीका में Beveridge योजना, कनाडा में Marsh रिपोर्ट, मयूकत राज्य अमेरिका में Murray Dingell Bill, भारत में Adarkar रिपोर्ट इत्यादि। निम्न पृष्ठों में हम पहले बेवरिज योजना के बारे में कुछ बतायेंगे, क्योंकि उसी के आधार पर भारत में भी Adarkar योजना बनाई गई थी।

बेवरिज योजना (Beveridge Plan)—इंग्लैंड में औद्योगिक क्रान्ति के कारण श्रम गान्धीयन तकिक जल्दी आरम्भ हो गया था और श्रमिकों की जागृति के कारण सामाजिक सुरक्षा की योजनाएँ बहुत पहले ही आरम्भ हो गई थी। वृद्ध आयु

पेंशन की योजना सन् १९०० में ही चालू हो चुकी थी। इसी प्रकार सन् १९११ में अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा, सन् १९१६ में बेकारी के विरुद्ध अनिवार्य राज्य बीमा योजनाएँ चलाई गईं। सन् १९२५ में अशक्तों के आधार पर वृद्ध माताओं और गरीब बच्चों के लिये पेंशन की योजना चलाई गई और चोट इत्यादि के विरुद्ध पहला श्रमिकों का मुआवजा अधिनियम (Workmen's Compensation Act) १९०६ ही में बल चुना था। यह सारी योजनाएँ राज्य द्वारा चलाई गई थीं परन्तु इनके अतिरिक्त ऐसी योजनाएँ भी थी जो मेवायोजकों ने चला रखी थी। इन योजनाओं में सबसे बड़ा दोष यह था कि इनमें कोई नमकय नहीं था और यह प्रत्येक व्यक्ति को लाभ भी प्रदान नहीं करती थी। इसलिये इंग्लैंड की सरकार ने जून सन् १९४१ में Sir William Beveridge की नियुक्ति की। इनका काम तत्कालीन योजनाओं के सम्बन्ध में जाँच करना था और उनमें सुधार लाने के लिये अपने सुझाव देना था। Beveridge ने अपनी रिपोर्ट विगम्बर सन् १९४२ में प्रस्तुत की। इनके अनुसार "गुननिर्माण की राह में ५ देवों में से, आवश्यकता या कमी केवल एक ही देव है और कुछ प्रकार में इस पर आक्रमण करना सबसे सरल है। बीमारी, अज्ञानता, दरिद्रता और सुस्ती अन्य देव हैं।" इस प्रकार बैबरिज ने अपनी योजना में दो मुख्य बातों का समावेश किया है। प्रथम, यह कि सामाजिक बीमा मुविधायें प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिये और सारे लाभों के लिये केवल एक ही योजना चलाई जाये। दूसरे, बैबरिज ने इस बात का भी प्रयत्न किया है कि सामाजिक सुरक्षा का एक न्यूनतम राष्ट्रीय स्तर अवश्य ही निश्चित रहना चाहिये ताकि प्रत्येक व्यक्ति को हर समय में कुछ न कुछ सहायता अवश्य ही मिलती रहे और इस प्रकार राष्ट्रीय धरा में किसी प्रकार की भी कमी उत्पन्न न हो। सारा में बैबरिज की योजना तीन गान्यताओं पर आधारित है। प्रथम, यह कि एक निश्चित आय तक प्रत्येक बच्चे के पालन पोषण का दायित्व यमिक पर न होकर राज्य पर होना चाहिये क्योंकि एक तो भूमिक की आय बँसे ही कम होती है और यदि उन पर बच्चों की भी जिम्मेदारी होगी तो बच्चों में कुशलता बिलकुल भी नहीं आ पायेगी। इसलिये राज्य को इनका पालन पोषण करना चाहिये और आयु के अनुसार बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिये और यह सहायता उनको ऐसे प्रदान की जाये जैसे कि यह उनका जन्म अधिकार है। दूसरे यह कि योजना में भारी ही सामान सुरक्षा सम्बन्धी सेवाओं में एकदमता लाई गई है और सम्पूर्ण योजना राष्ट्रीय आधार पर चलाने की सिफारिश बैबरिज ने की है। उनका स्थान है कि राज्य को ऐसी दायें उत्पन्न करनी चाहिये जिसमें बीमारी और अयोग्यता उत्पन्न ही न हो और यदि हाँ भी तो राज्य को ही उनके लिय उचित प्रबन्ध भी करना चाहिये। सारे ही व्यक्तियों को चिकित्सा सम्बन्धी मुविधायें मिलनी चाहिये और इनका सम्बन्ध पीडित व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में नहीं होना चाहिये। इनका स्वयं समाज को ही पूरा करना चाहिये क्योंकि यदि ऐसा न होगा तो व्यक्तियों की कार्य कुशलता निरती जायेगी और बेकारी बढ़ती जायेगी। इसीलिये बैबरिज योजना में सामाजिक बीमा सम्बन्धी

खर्चों के अतिरिक्त सभी सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सेवाओं के लिये निश्चित असादान देना पड़ता है और तत्पश्चात् उनको सारी सेवाये नियमित रूप से मिलती रहती है। अन्तिम मान्यता यह है कि इंग्लैंड में धीरे धीरे पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न करनी होगी क्योंकि बिना इसके योजना सफल नहीं हो सकेगी।

योजना का कार्यक्षेत्र—यह योजना इतनी विस्तृत है कि लगभग सारे ही व्यक्ति इसके अन्तर्गत लाभ प्राप्त करते हैं और लगभग सारे ही व्यक्तियों के विरुद्ध समाज के सदस्यों को गुरक्षित रखने का प्रयत्न किया गया है। इस उद्देश्य के लिए जनता को ६ वर्गों में विभाजित किया गया है—(१) श्रमिक (२) सेवा योजक, (३) गृहणियों जो पेंशन पाने वाली आयु से कम आयु की हैं और जो अच्छी नौकरी पर नहीं लगी हुई हैं, (४) अन्य व्यक्ति जो काम करने योग्य आयु के तो हैं परन्तु लाभप्रद नौकरियों पर नहीं लगे हुए हैं, (५) १६ वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे अथवा जो काम करने योग्य नहीं हैं और (६) ऐसे व्यक्ति जो रिटायर हो चुके हैं। इस प्रकार समाज के लगभग प्रत्येक व्यक्ति को ही किसी न किसी रूप में लाभ प्राप्त होगा। यदि कोई व्यक्ति धनी है और इस योग्य है कि वह अपना प्रबंध कर सके तो इन सेवाओं का लाभ प्राप्त करना उसके लिये अनिवार्य नहीं है परन्तु उसे अपना असादान अवश्य ही देना पड़ेगा। यह असादान तीन वर्गों के लोगों से नहीं लिया जाता, अर्थात् बच्चों से, पेंशन प्राप्त होने वाले व्यक्तियों से और गृहणियों से। असादान की दर ४ शि० ३ पैसे प्रति पुरुष और ३ शि० ६ पैसे प्रति स्त्री है। सेवा योजकों के लिये असादान की दर ३ शि० ३ पैसे प्रति पुरुष और २ शि० ६ पैसे प्रति स्त्री है।

योजना से प्राप्त होने वाले लाभ—

(१) गृहणियों को लाभ—प्रत्येक गृहणी को ६ प्रकार के लाभ प्राप्त करने का अधिकार है—(अ) १० पौ० प्रति व्यक्ति शादी के लिये, (ब) प्रसव सहायता ४ पौ० तक, और यदि कोई गृहणी किसी लाभप्रद व्यवसाय में काम कर रही है तो उसको १३ सप्ताह तक २६ शि० प्रति सप्ताह अतिरिक्त प्रसव सहायता प्राप्त होगी, (स) विधवा होने की अवस्था में ३६ शि० प्रति सप्ताह की दर से १३ सप्ताह तक विधवा सहायता दी जाती है, (द) विधवा स्त्री को २४ शि० प्रति सप्ताह से शिशु सहायता प्राप्त होगी जब तक कि बच्चा नाबालिग रहेगा। इसके अलावा विधवा स्त्री उस सहायता की भी अधिकारी है जो शिशु को अपनी ओर से प्राप्त होगी। यदि विधवा स्त्री के कोई शिशु नहीं है तो उसको एक कलात्मक कार्य सीखना होगा जिसके लिये उसे आर्थिक सहायता दी जायेगी, (ह) यदि किसी स्त्री को बिना किसी दोष के तलाक मिल गया है तो उनको वह सारी सुविधायें मिलेंगी जो कि एक विधवा स्त्री को दी जाती हैं और (य) बीमारी की अवस्था में उनको बीमारी भत्ता के रूप में आर्थिक सहायता दी जायेगी।

(२) शिशु भत्ते—योजना के अनुसार पहले शिशु के अतिरिक्त अन्य निर्भर-कर्ता शिशुओं को ८ शि० प्रति शिशु के हिसाब से दिया जायेगा। यदि शिशु के

मत्ता पिता की आय बिन्दुक्त भी नहीं है तो पहले विधु का भी भत्ता मिलेगा। यह भत्ता सभी व्यक्तियों के लिए समान है चाहे वह धनी हो या निर्बन्ध।

(३) बेकारी एवं बीमारी सहायता—प्रत्येक बेरोजगार व्यक्ति को २४ सि० प्रति सप्ताह की दर से दिया जायगा। यदि स्त्री पुरुष दोनों ही बेरोजगार हैं तो दोनों को ४० सि० प्रति सप्ताह दिया जायेगा। यदि कुटुम्ब म दो बच्चे भी हैं तो सहायता की दर ५० सि० प्रति सप्ताह हो जायेगी। यदि कोई व्यक्ति ६ महीने तक बराबर बेरोजगार रहता है तो उसको किसी पत्रात्मक बोधा केन्द्र (Technical Training Centre) में दीक्षा प्राप्त करनी होगी। दीक्षा अवधि में उसे भत्ता प्राप्त होगा जो बेरोजगारी भत्ता के बराबर होगा। इसी प्रकार बीमार व्यक्ति को भी बीमारी भत्ता प्राप्त होता है और विचिन्ता सम्बन्धी सुविधाएँ अलग प्रदान की जाती हैं।

(४) श्रमिकों की चोट आदि का मुआवजा—यदि कोई श्रमिक चोट के कारण कुछ समय के लिए काम करने योग्य नहीं रहता तो उसे १५ सप्ताह तक बीमारी भत्ता दिया जायेगा, तत्पश्चात् यह भत्ता बड़ा दिया जाता है और उसकी राशि प्रारम्भिक मजदूरी की ३ कर दी जाती है। यदि किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तब उसके बच्चों को एक दम १०० पौड प्रति निर्भरकर्ता की दर से आर्थिक सहायता दी जायेगी। योजना में धनिम क्रियाकर्म के लिए भी व्यवस्था की गई है।

(५) वृद्ध स्वस्थ पेंशन—प्रत्येक पुरुष को ६५ वर्ष की आयु पर और स्त्री को ६० वर्ष की आयु पर २४ सि० प्रति सप्ताह के हिस्सा में पेंशन मिलेगी और विवाहित स्त्री पुरुष दोनों को मिला कर केवल ४० सि० प्रति सप्ताह मिलेगा।

सरकार ने वयरिज योजना को स्वीकार करते हुए समय-समय पर विभिन्न नियमों द्वारा योजना को कार्यरूप देने का प्रयत्न किया है। कुटुम्ब भत्ता योजना सन् १९४६ से चल रही है और प्रति शिशु को, प्रथम शिशु को छोड़ कर, ८ सि० प्रति सप्ताह के हिस्सा में सहायता प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार राष्ट्रीय बीमा समूह द्वारा राष्ट्रीय बीमा योजना चलवाई गई है। यह योजना भी १९४६ में एक अधिनियम के अधीन लागू हुई है। परन्तु समय समय पर इनमें उचित सुधार किए जा चुके हैं। इस योजना में प्रत्येक व्यक्ति को, केवल वृद्ध व्यक्ति, बच्चों, विवाहित स्त्रियों और निम्न आय वाले व्यक्तियों को छोड़ कर अधदान प्रति सप्ताह देना पड़ता है और सीमित व्यक्ति को ७ प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं अर्थात् बीमारी सहायता, बेकारी सहायता, प्रथम सहायता, विधवा सहायता, मृत्यु सहायता, नौकरी समाप्त होने के बाद पेंशन और मरक्षक भत्ता (Guardian's Allowance)। इनके अतिरिक्त औद्योगिक चोटों में भी आर्थिक सहायता मिलती है। इसी प्रकार जुलाई सन् १९५० में औद्योगिक चोट बीमा योजना, श्रमिकों के मुआवजा अधिनियम के स्थान पर चलवाई गई थी। इस योजना के अधीन लाभ करने की अवधि में या चोट लगती है या बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं उन सभी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति चोट में अपाहिण हो जाता है या उस

की मृत्यु हो जाती है तो उसके निर्भरकर्ताओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सहायता के लिए राष्ट्रीय मुक्ति अधिनियम (National Relief Act) सन् १९४८ में बनाया गया था। राज्य द्वारा जितने प्रकार की भी सुविधाएँ प्राप्त हो रही थी वे अब एक स्थान पर एकत्रित कर दी गई हैं और उनका संचालन अब राष्ट्रीय मुक्ति संगठन (National Relief Organisation) द्वारा सम्पन्न किया जाता है। बिना घर के व्यक्तियों को रहने के लिये स्थान और वृद्ध और अपाहिज व्यक्तियों को सुविधाएँ दी जाती हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत ग्रेट ब्रिटेन के नागरिकों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। यद्यपि अधिकांश व्यय राज्य द्वारा किया जाता है, फिर भी सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भी कुछ सेवा के बदले में देना पड़ता है। समय समय पर इस सम्बन्ध में अधिनियम बनाये गये हैं और इस योजना का प्रबन्ध राष्ट्रीय बीमा मन्त्रालय द्वारा किया जाता है।

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वैवरिज योजना सामाजिक सुरक्षा के लिये एक ऐसी योजना है जिनमें व्यक्ति की सुरक्षा गन्ध से मृत्यु तक होती है। यदि ब्रिटेन जैसे पूँजीवादी देश में इस योजना को पूर्णरूप में कार्यान्वित कर दिया गया तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि ब्रिटेन में पूर्णरूप से एक समाजवादी प्रणाली स्थापित हो जायेगी। यद्यपि योजना अपने उद्देश्यों में बहुत अच्छी है परन्तु देखना यह है कि पूर्ण रोजगार की स्थापना हो पाती है या नहीं। सच तो यह है कि जैसी ब्रिटेन की स्थिति इस समय है उसको देखते हुए यह योजना केवल एक कल्पना मात्र दीखती है। परन्तु जो कुछ व्यावहारिकता में प्राप्त हो चुका है उनसे तो यही सिद्ध होता है कि वैवरिज योजना पूर्णरूप से कार्यान्वित हो जायेगी, यद्यपि समय अनुमान से अधिक लगेगा।

समुक्त राज्य में सामाजिक सुरक्षा—समुक्त राज्य अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा का कार्य राष्ट्रीय आधार पर केवल सन् १९३५ में ही आरम्भ किया जा सका, यद्यपि सामाजिक बीमा योजनाएँ प्रत्येक राज्य में १८वीं शताब्दी के अन्त में ही चालू हो गई थी। सन् १९३५ में एक अधिनियम बनाया गया जिसका उद्देश्य "श्रमजीवियों को आय की उत हानि से बचाना है जो वृद्धावस्था या कुटुम्ब में आयकर्ता की मृत्यु के कारण उत्पन्न होती है।" इस अधिनियम में कुछ कठिनाइयाँ थी, इंग्लैंड सन् १९४३ में एक अधिष्ठाक व्यापक एवं विस्तृत अधिनियम बनाया गया जिसके अनुसार वृद्ध अवस्था, अयोग्यता बीमा, बीकारी बीमा, प्रत्येक बीमा और चिकित्सा आदि की व्यवस्था की गई। इन योजनाओं में श्रमिकों, सेवायोजकों और राज्य को अशुभान देना पड़ता है। इस योजना में अन्धे और निर्भरकर्ता बच्चा के लिए भी सहायता देने की व्यवस्था की गई है। इसके बाद Wagner Murray Dingell Committee की सिफारिशों के अनुसार तीन अधिनियम बनाये गये थे, अर्थात् The United States Public Health, Services Act 1944, The United States Social Security Amendment Act 1946, और The United States

Employment Act 1946। इन अधिनियमों में समय समय पर संशोधन किए जाने रहे हैं और वर्तमान स्थिति के अनुसार इस समय श्रमिका को निम्न चार भाग में विभाजित करके सहायता दी जाती है —

(अ) यातायात उद्योग में काम करने वाले श्रमिक जिनके अन्तर्गत वृद्ध आयु, अपाहिजता, मृत्यु बेकारी, बीमारी, प्रसव और रोजगार सम्बन्धी चाटो आदि की व्यवस्था की जाती है (ब) औद्योगिक एवं शिल्पिक श्रमिकों के लिए रिटायर होने के बाद मृत्यु बेकारी और रोजगार की चाटो आदि के लिये व्यवस्था की गई है, (स) कृषिक और घरेलू कार्यकर्ताओं के लिये वृद्ध अवस्था और मृत्यु और (द) वह श्रमिक जो स्वयं भ्रष्टाचार करत हैं उनके लिये वृद्ध अवस्था और मृत्यु के पश्चात् बच्चा का बीमा आदि की व्यवस्था की गई। संयुक्त राज्य में अधिकतर योजनाएँ राज्य द्वारा चलाई जा रही हैं और इनके लिये वित्त की व्यवस्था भी राज्य ही करता है। कुछ योजनाएँ श्रमिकों एवं सेवाशोधकों से अक्षदान प्राप्त करके पूरी की जाती हैं।

जापान में सामाजिक सुरक्षा—एशिया के देशों में सामाजिक बीमा का क्षेत्र में जापान का प्रमुख स्थान है। जापान ने इस क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है। यहाँ पर स्वास्थ्य बीमा योजना कल्याण पेंशन बीमा योजना श्रमिकों के मुआवजा सम्बन्धी बीमा योजना और बेरारी बीमा योजना चल रही हैं। स्वास्थ्य बीमा योजना के अतिरिक्त सभी योजनाओं का प्रबन्ध सरकार करती है। स्वास्थ्य बीमा योजना स्वास्थ्य बीमा समितियों द्वारा चलाई जा रही हैं। जापान में श्रमिकों के लिये भी बीमा योजना बनाई गई है जिसकी व्यवस्था Welfare Ministry द्वारा की जा रही है और इसमें श्रमिकों से अक्षदान लिया जाता है।

भारत में सामाजिक सुरक्षा—ऐसी ही योजनाएँ लगभग सारे ही देशों में कार्यान्वित की गई हैं। भारत में भी सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी योजनाओं को कार्यरूप दिया गया है। ये योजनाएँ भारत जैसे देश के लिये पर्याप्त तो नहीं हैं लेकिन फिर भी इनसे श्रमिकों को कुछ लाभ अवश्य प्राप्त हो रहे हैं। भारत में ऐसी योजनाओं की आवश्यकता बहुत अधिक है। जनता की अत्यधिक निर्धनता बीमारियों की बढ़ती हुई संख्या एवं क्षेत्र, माताओं और शिशुओं की बहुत ऊँची मृत्यु दर, जीवन की थोड़ी आयु और बेकारी और कम रोजगारी से उत्पन्न होने वाली विपत्तियों का ही साथ पुस्तैनी ऋण-शस्तता इन सभी से यह मिट्ट होता है कि भारत में सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था की बहुत अधिक आवश्यकता है। भारत में आधुनिक औद्योगिककरण से अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई हैं। औद्योगिककरण से जो सामाजिक और आर्थिक अस्तित्व उत्पन्न हुआ है उससे अनुरक्षा और निर्धनता बढ़ती ही जा रही है। संयुक्त परिवार प्रणाली के समाप्त हो जाने से तो यह सामाजिक समस्याएँ और भी बढ़ गई हैं और जिन स्थानों पर ये प्रणाली चल भी रही हैं वहाँ यह अधिक शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि घोर निर्धनता ने इसकी कमर तोड़ दी है। इसलिये अब समाज का ही यह कर्तव्य हो जाता है कि बेकारी वृ-

अवस्था, अपाहिजता, बीमारी, जल्दी मृत्यु, औद्योगिक चोटों आदि से उत्पन्न होने वाली बुराइयों तथा परेशानियों का समाधान करे ।

भारत में सामाजिक सुरक्षा का इतिहास लगभग ३० वर्ष पुराना है । सरकार का ध्यान सर्वप्रथम बीमारी बीमा की ओर आकर्षित हुआ था । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के १९२७ के सम्मेलन के प्रस्ताव के अनुसार भारतीय सरकार ने सन् १९२८ में बीमारी बीमा पर काफी सोच विचार किया था परन्तु कोई विशेष परिणाम नहीं निकल पाया । इसके बाद श्रम पर शाही आयोग ने स्थिति को समझते हुए इस बात की सिफारिश की कि वर्तमान कठिनाइयों को दूर करने के लिये मारे उपायों को कार्य रूप देने के लिये सरकार को आवश्यक आंकड़े प्राप्त करना चाहिये । उस समय तक के लिये जब तक कि कोई विस्तृत योजना तैयार हो, आयोग की सिफारिश थी कि एक अन्तरिक योजना सामाजिक सुरक्षा के लिये चालू कर दी जाय । यह योजना मुख्यतया इस मान्यता पर आधारित थी कि चिकित्सा सम्बन्धी लाभ प्रदान करने का दायित्व सरकार पर है और धन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व सेवा योजकों और श्रमिकों दोनों पर है । इस योजना के अनुसार एक कोष स्थापित होना जिसमें श्रमिकों की भ्रजूदूरियों में से अनिर्धार्य रूप से काटे गये अगदानों को जमा कर दिया जाता और इन्हीं अगदानों के बराबर या अधिक सेवा योजकों से प्राप्त अगदानों को भी उसमें जमा कर दिया जाता । बीमारी की अवधि में इन कोष में से भ्रजूदूरी दी जाती । इन रिपोर्टों के प्रकाशित होने के बाद भारत सरकार, विभिन्न राज्यों के श्रम मन्त्रालय, विभिन्न त्रिदलीय सभाओं, राज्यों की श्रम जांच समितियों और कुछ व्यक्तियों ने व्यक्तिगत रूप से अपनी-अपनी वृद्धि अनुसार अनेकी प्रयत्न किये परन्तु कुछ भी टान नहीं आया । इस पर भारतीय सरकार ने यह निश्चय किया कि एक सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विस्तृत योजना तैयार करने का काम एक विशेष अफसर को सौंपा जाय । तदनुसार सन् १९४३ में इस कार्य के लिये प्रो० अटारकर की नियुक्ति की गई जिन्होंने भारत में औद्योगिक श्रमिकों की बीमारी बीमा सम्बन्धी योजना पर अपनी रिपोर्ट १५ अगस्त १९४४ को प्रस्तुत की ।

अटारकर योजना—प्रो० अटारकर की स्वास्थ्य बीमा योजना केवल स्वास्थ्य या बीमारी से ही सम्बन्धित न थी, बल्कि यह एक विस्तृत योजना है, जिसके अन्तर्गत औद्योगिक चोटों आदि के विरुद्ध सुरक्षा के लिये व्यवस्था की गई है । उनका विचार था कि इस योजना को कार्यान्वित करने में पहले, एक बेकारी बीमा योजना चालू की जाय और उद्योगों के विकास की ओर पूरा ध्यान दिया जाय । वृद्ध अवस्था पंन्थात की व्यवस्था की जाय और एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य आन्दोलन की स्थापना की जाय । प्रो० अटारकर के यह विचार पूर्णतया सत्य थे और महत्वपूर्ण भी, क्योंकि बिना इनके एक सक्रियशीली बीमारी बीमा योजना की व्यवस्था होना असम्भव था । प्रो० डॉजिंग का भी विचार है कि 'बीमारी बीमा उतना ही आवश्यक है जितना चोटों का बीमा' । भारत में तो इसकी आवश्यकता विशेष रूप से है क्योंकि यहां तो बीमारी बहुत ही अधिक है । योजना की मुख्य विशेषतायें निम्न प्रकार हैं —

- (म) योजना बड़ी ही सरल, साधारण एक स्पष्ट है।
- (आ) यह अनिवार्य है और अशदानों पर आधारित है।
- (इ) तत्कालीन श्रम सम्बन्धी नियम इस योजना के अंग हैं।
- (ई) इसका कार्य संचालन अपभ्ययी नहीं है।

(उ) यह योजना केवल औद्योगिक चोटों को ही कम नहीं करेगी, बरन् औद्योगिक शान्ति भी स्थापित करेगी।

(ऊ) यह योजना अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सभ के प्रस्तावों के अनुसार बनाई गई है और इतनी लोचपूर्ण है कि परिवर्तन किया जा सकते हैं।

अडारकर योजना में २०० रु० महावार तक पाने वाले प्रत्येक श्रमिक को लाभ प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी। योजना के लिये आवश्यक विस्त को पूर्ति श्रमिकों और सेवायोजकों के संयुक्त अशदानों द्वारा होती। श्रमिकों से प्रत्येक माह यह अशदान प्राप्त किया जायगा जिसके नमूल करने की जिम्मेदारी सेवायोजकों पर होगी। योजना से नकद लाभ किसी भी श्रमिक को उसी समय प्राप्त हो सकता था जब कि उसने छ माह तक अपना अशदान दिया हो। म्याथी श्रमिक को ६० दिन तक और अस्थायी श्रमिक को केवल ४५ दिन तक ही नकद लाभ प्राप्त होगा। क्वाज्मिक (Casual) श्रमिक को केवल चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ ही प्राप्त होगी। औद्योगिक क्षेत्र जनसंख्या के घनत्व के आधार पर चार वर्गों में विभाजित किया गया था। हर क्षेत्र में चिकित्सा सम्बन्धी व्यवस्था अलग-अलग होगी।

भारत सरकार ने अडारकर योजना की व्यावहारिकता की जांच करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सभ के अधिकारी M Stack और R Rao को नियुक्त किया। इन लोगों ने योजना में कुछ संशोधन किया। संशोधित अडारकर योजना को सरकार ने स्वीकार करके सन् १९४८ में कर्मचारियों का सरकारी बीमा अधिनियम (Employees State Insurance Act) पास किया। इस प्रकार का अधिनियम पश्चिमी पूर्वी एशिया में पहला ही था। उससे पहले कि हम इस अधिनियम के विषय में कुछ बताये यह आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विशेषज्ञों ने अडारकर योजना में जिन कारणों से संशोधन किया था उनके विषय में कुछ बता दिया जाय।

इन विशेषज्ञों का विचार था कि प्रसव लाभ और श्रमिका के मुआवजे सम्बन्धी व्यवस्था को भी इस योजना में सम्मिलित कर लिया जाय। इन लोगों का यह भी विचार था कि इस योजना में सारी श्रमिका के साथ-साथ मानसिक श्रमिकों को भी लाभ प्रदान किये जायें और बीमा योजना की उन सारी शाखाओं को जिसमें चिकित्सा की आवश्यकता होती है एक साथ मिला देना चाहिए जैसे बीमारी प्रसव और चोट। इसके अतिरिक्त इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य को करो में प्राप्त आय से इस योजना के लिये आर्थिक सहायता देनी चाहिए। श्रमिकों को नकदी में जो लाभ प्रदान किया जाये वह पर्याप्त मात्रा में हो; कुटुम्ब को एक इकाई माना जाये और प्रबन्ध सम्बन्धी जो नियम बनाये जायें वे साधारण और सरल होने चाहिये। इसी प्रकार ये लोग अडारकर की इस बात

से भी सहमत नहीं थे कि चिकित्सा सम्बन्धी सहायता के लिये एक स्वतन्त्र योजना बनाई जाये, क्योंकि ऐसी योजना को व्यावहारिक रूप देने में अनेकों कठिनाइयाँ उत्पन्न होगी, जैसे —

(अ) ऐसी योजना की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि जो प्रमाण पत्र (certificate) दिये जायें वे सच्चे हों। यह काम स्वास्थ्य बीमा अधिकारी भली-भाँति कर सकते हैं क्योंकि सम्पूर्ण योजना पर ही उनका नियन्त्रण रहेगा।

(ब) स्वास्थ्य बीमा योजना में डाक्टरों से पर्याप्त चिकित्सा सेवाये प्राप्त की जा सकती हैं।

(स) किसी भी स्वतन्त्र स्वास्थ्य योजना में मानवता को वह महत्त्व नहीं दिया जाता जो स्वास्थ्य बीमा योजना में दिया जाता है। इसीलिये यह आवश्यक है कि स्वास्थ्य बीमा योजना राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जाये।

(द) एक स्वतन्त्र स्वास्थ्य सेवा औद्योगिक बीमारियों का इलाज करने और रोकने में भी सफल नहीं होगी।

(ह) ऐसी योजना अपव्ययी भी होगी।

इन्हीं कारणों से भारत सरकार ने अड्डारकर द्वारा प्रस्तावित स्वतन्त्र चिकित्सा सहायता की योजना का स्वीकार नहीं किया और इन विशेषताओं की सिफारिशों के अनुसार अधिनियम बनाया।

कर्मचारियों का सरकारी बीमा अधिनियम सन् १९४८—इस अधिनियम के अधीन ६ अक्टूबर १९४८ को बीमा प्रमण्डल का उदघाटन हुआ। इस प्रमण्डल की संचालक समिति के ३८ सदस्य हैं, जिसमें केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों, सेवायोजकों और मजदूरों के प्रतिनिधि हैं। इसमें भारतीय संसद और डाक्टरों के भी प्रतिनिधि हैं। प्रमण्डल का शासन प्रबन्ध एक स्थायी समिति करती है जिसके १३ सदस्य हैं जो ३८ सदस्यों में से चुने जाते हैं और इसमें मजदूरों और सेवायोजकों के प्रतिनिधियों की संख्या बराबर बराबर होती है। चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायों का आयोजन करने और मलाह देने के लिये सन् १९४८ में डाक्टरों की एक चिकित्सालाय समा बनाई गई थी जिसके २८ सदस्य हैं। केन्द्रीय सरकार को प्रमण्डल के हिसाब किताब की जानकारी तथा प्रमुख अधिकारियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। प्रमण्डल के शासन की पूरी जिम्मेदारी प्रमुख संचालक की है जिनकी सहायता के लिये ४ प्रमुख अधिकारी हैं। प्रमुख संचालक सम्पूर्ण शासन सम्बन्धी कार्यवाहियाँ प्रादेशिक तथा स्थानीय कार्यालयों द्वारा करता है। इस कार्य के लिये प्रादेशिक सलाहकार परिषद भी बनाये गये हैं जिसमें प्रान्तीय सरकार, मजदूरों और सेवायोजकों के प्रतिनिधि होते हैं।

अधिनियम से प्राप्त होने वाले लाभ—यह अधिनियम भारत के ४००) व्यक्तियों से कम मासिक मजदूरी पाने वाले मजदूरों पर लागू होता है। यह उन सभी कारखानों पर लागू किया गया है जो साल भर चलते हैं, जिनमें शक्ति का प्रयोग होता है और जिनमें २० या २० से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं। यह योजना

अनिवार्य है और अधिनियम में ध्यान वाले प्रत्येक श्रमिक का बीमा अनिवार्य रूप से किया जायेगा। अधिनियम में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि आवश्यकता होने पर सरकार इस अधिनियम को उन कारखानों पर भी लागू कर सकती है जो साल में कुछ ही महीने चलते हैं। सितम्बर सन् १९५१ में औद्योगिक मजदूरों को स्वास्थ्य एवं औषधि सम्बन्धी लाभ देने के लिये इस अधिनियम में संशोधन किये गये। प्रारम्भिक स्थिति में केवल स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ मजदूरों को दी जायेंगी। यह सुविधाएँ निम्न प्रकार हैं —

(अ) चिकित्सा तथा औषधि और स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य सुविधाएँ।

(ब) औद्योगिक मजदूरों के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में उचित जानकारी प्राप्त करने के लिये शासकीय व्यवस्था की जायेगी जिसका कर्तव्य सरकार का ध्यान मजदूरों के स्वास्थ्य की ओर आकषित करना तथा उसको सुधारने के लिये आवश्यक मलाह देना होगा। संशोधित योजना के अनुसार एक बीमा कोष बनेगा। सम्पूर्ण योजना लागू होने पर मजदूरों और सेवायोजकों इत्यादि के चन्दे से मिलकर जो आय प्राप्त होगी उगनी वार्षिक राशि २०५ करोड़ रुपये होगी। मजदूरों और सेवायोजकों से प्राप्त असावधान के अतिरिक्त केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, स्थानीय मन्थानों या किसी व्यक्ति या मन्थान से प्राप्त होने वाले दान या आर्थिक सहायता आदि भी इस कोष में सम्मिलित कर दिये जायेंगे। राज्य सरकारें भी इस योजना में वित्तीय सहायता देंगी और बीमित व्यक्तियों की चिकित्सा सम्बन्धी खर्चों में इनका अनुपात $\frac{1}{2}$ होगा। इन खर्चों का $\frac{1}{2}$ भाग केन्द्रीय सरकार पूरा करेगी। केन्द्रीय सरकार ने यहाँ तक कह दिया है कि यदि प्रान्तीय सरकार चाहे तो केन्द्रीय सरकार उनको $\frac{1}{2}$ भाग की पूर्ति के लिये भी ऋण प्रदान कर सकती है।

अधिनियम पूरा लागू होने पर औद्योगिक मजदूरों को निम्न सुविधाएँ मिलेंगी —

सुविधाएँ	समय	लाभ की दर
१ बीमारी सम्बन्धी सुविधाएँ	प्रत्येक वर्ष में ८ सप्ताह तक	साप्ताहिक मजदूरी का $\frac{1}{2}$ अथवा १२ अंतिम प्रतीतिदिन की दर से अथवा बीमारी सम्बन्धी सुविधाओं की दर से (जो भी अधिक हो)।
२ प्रसव संबंधी सुविधाएँ	१२ सप्ताह तक	

मुविधायें	समय	लाभ की दर
<p>३. अयोग्य मजदूरों के लिये मुविधायें</p> <p>(अ) स्थायी अयोग्यता की दशा में</p> <p>(i) मपूर्ण क्षति के लिये</p> <p>(ii) आंशिक अयोग्यता के लिये</p> <p>(ब) अस्थायी अयोग्यता के लिये</p> <p>४. मजदूरों के निर्भर कर्त्तव्यों के लिये</p>	<p>आजीवन</p> <p>उस दशा में Workmen's Compensation Act के अनुसार</p> <p>अयोग्यता जब तक रहे तब तक</p> <p>(i) मजदूर पर निर्भर कर्त्तव्य विधवा स्त्री के लिये उसकी मृत्यु तक अथवा पुनर्विवाह की अवधि तक ।</p> <p>(ii) उगने बंधनिक उत्तराधिकारी के लिये १५ वर्ष की आयु तक और यदि वह पढ़ रहा है तो १८ वर्ष की आयु तक ।</p> <p>(iii) मृतक की बंधनिक लड़की के लिये १५ वर्ष की आयु तक या विवाह होने तक (जो भी कम हो) और यदि वह शिक्षा पा रही है तो १७ वर्ष की आयु तक ।</p>	<p>साप्ताहिक मजदूरी का ३/६ अंश ।</p> <p>Workmen's Compensation Act के अनुसार ।</p> <p>साप्ताहिक मजदूरी का ३/६ भाग ।</p> <p>(i) उसकी मजदूरी के ३/६ की दर से यदि दो विधवाएँ हैं तो इस दर का आधा आधा ।</p> <p>(ii) मृतक की मजदूरी के ३/६ भाग की दर से प्रत्येक उत्तराधिकारी को ।</p> <p>(iii) मृतक की मजदूरी का ३/६ की दर से प्रत्येक बेटे को ।</p>
<p>५. औषधि एवं चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें</p>	<p>मजदूरों के ठीक न होने तक ।</p>	<p>साधारण औषिधालयों की सुविधा मिलेगी ।</p>

अर्थ-सम्बन्ध—जैसा कि बताया चुके हैं इन सुविधाओं पर जो खर्चा होगा उसकी व्यवस्था के लिए केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों से प्राप्त सहायता, धर्मार्थ सहायता, मजदूरी और सेवायोजकों के चन्दों को जमा करके कमचारियों का सरकारी बीमा-कोष स्थापित किया गया है। प्रत्येक वर्ष जो आय प्राप्त होगी वह इसी कोष में जमा होती जायेगी। मजदूरी के चन्दों देने के लिए उनका विभाजन ८ वर्गों में किया गया है। मजदूरी और सेवायोजका की दरें निम्न प्रकार हैं—

मजदूरी की दर	मजदूरी का चन्दा	सेवायोजका का चन्दा	योग
१ दैनिक मजदूरी १) से कम	—	०—७—०	०—७—०
२ ,, ,, १) से १॥) तक	०—२—०	०—७—०	०—९—०
३ ,, ,, १॥) से २) तक	०—४—०	०—८—०	०—१२—०
४ ,, ,, २) से ३) तक	०—६—०	०—१२—०	१—२—०
५ ,, ,, ३) से ४) तक	०—८—०	१—०—०	१—८—०
६ ,, ,, ४) से ६) तक	०—११—०	१—६—०	२—१—०
७ ,, ,, ६) से ८) तक	०—१५—०	१—१४—०	२—१३—०
८ ,, ,, ८) से अधिक किन्तु ४००) मासिक से कम }	१—४—०	२—८—०	३—१२—०

सन् १९२१ के गणना के अनुसार सभी सेवायोजका को अपने कारखानों में ले जाने वाले कुल मजदूरी का ०.७५% की दर से चन्दा देना पड़ता है। जिन व्यक्तियों में सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं वहाँ व सेवायोजका के लिए चन्दों की दर सम्पूर्ण मजदूरी का १.२५% है। सेवायोजका को बीमा योजना वाले क्षेत्रों में मजदूर भूआवृत्ति अधिनियम तथा प्रसव लाभ अधिनियम के अन्तर्गत सुविधाएँ देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उनका चन्द की दर ३% अधिक है। बीमित व्यक्तियों व कुटुम्ब व सदस्यों को चिकित्सा लाभ प्राप्त होने के बाद विशेष असादानों की दर उन क्षेत्रों में जहाँ योजना लागू नहीं हुई है ०.७५% से बढ़कर १.७५% हो गई है और योजना वाले क्षेत्रों में १.२५% से ३.५% हो गई है।

अधिनियम में बीमारी और प्रसव लाभ को प्राप्त करने के सम्बन्ध में कुछ शर्तें भी लागू की गई हैं। यदि बीमित व्यक्ति ने लगातार २६ सप्ताह तक (इस काल को असादान काल कहा गया है) अपना असादान दिया है तो उसको बाद के २६ सप्ताह तक (जिनको लाभकाल कहा गया है) बीमारी या प्रसव लाभ प्राप्त होगा। अयोग्यता, निर्भरकर्त्ता तथा औपिधि लाभ के सम्बन्ध में ऐसी कोई शर्त नहीं है। आजकल यह योजना ५८ केन्द्रों में चल रही है और लगभग १२ लाख मजदूरों को लाभ प्रदान कर रही है।

योजना को सामान्यतः बनाने में कुछ कठिनाइयाँ ऐसी उपस्थित हुई हैं जिनके

कारण योजना की प्रगति कोई विशेष नहीं हो पाई है। सेवायोजकों ने इस सम्बन्ध में अपनी आपत्ति दिखाई है, क्योंकि एक तो उनके खर्चें बहुत अधिक बढ़ गए हैं, दूसरे जगको अधिक से चन्दा बसूल करने में (जिसकी जिम्मेदारी जगही पर है) बहुत कठिनाइयाँ हुई हैं। धर्मिक भी इस योजना से सतुष्ट नहीं हैं। उनकी अगतुष्टी का पहला कारण तो यह है कि वह चाहते हैं कि योजना के लाभ उनके कुटुम्ब के सदस्यों को भी प्राप्त हो, जो आरम्भ में सम्भव नहीं था परन्तु अभी हाल में ही यह सुविधा प्रदान कर दी गई है। दूसरा कारण यह है कि मजदूर चाहते हैं कि उतको अधिक अच्छे अस्पतालों की सुविधा प्राप्त हो और प्रमण्डल अपने अस्पताल खुद खोलें। तीसरे, मजदूरों का यह भी कहना है कि जो प्रगतिशील सेवायोजक उच्च प्रकार की चिकित्सा सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं, मीठना चानू होने के बाद उनमें कोई कमी नहीं होनी चाहिये। उनका यह भी कहना है कि प्रमण्डल के प्रबन्ध में उनका और प्रविण प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस योजना को सफल बनाने में कई प्रकार की अडचनेँ आई हैं जैसे, चिकित्सकों का अभाव, दपतरो और दवाईखाना (Dispensaries) आदि के लिए स्थानों का अभाव। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों ने भी यह शिकायत की है कि चिकित्सा सम्बन्धी खर्चों का जो भाग उनको देना पड़ता है बहुत अधिक है।

मजदूरों का मश्रावजा अधिनियम (Workmen's Compensation Act)— औद्योगिक उत्पादन में मशीनों और शक्ति के बड़ते हुए प्रयोग के साथ-साथ औद्योगिक चोटों और दुर्घटनाओं की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आजकल इन दुर्घटनाओं के परिणाम बहुत ही घातक होने हैं। कभी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और कभी मजदूर, हाथ या पाँव बटने से अपाहिज हो जाता है। इन सब चोटों का प्रभाव केवल मजदूर के जीवन पर ही नहीं पड़ता बल्कि उसके परिवार के सदस्य, जो उस पर रोटी कपड़े के लिए आश्रित रहते हैं, भी उसके साथ साथ भग्न हैं और अपाहिज होते हैं। पाश्चात्य देशों में मशीनों का उपयोग अपनी चरम सीमा पर होने के कारण, वहाँ के उद्योगपतियों ने बहुत पहले ही समस्या की विपमता का समझकर इन दुर्घटनाओं से मजदूर और उसके परिवार के सदस्यों का होने वाली क्षति की पूर्ति करने की व्यवस्था आरम्भ कर दी थी। परन्तु भारत में सन् १९२३ से पहले इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। इसके मुख्य दो कारण थे—एक तो भारत में कारखानों की संख्या अपेक्षाकृत सीमित थी और अधिकतर वस्तुओं का उत्पादन छोटे पैमाने पर बिना मशीनों की सहायता के किया जाता था। मशीनों की बनी हुई वस्तुओं अधिकतर विदेशों से आयात किया जाता था। इस प्रकार दुर्घटनाओं की संख्या बहुत कम थी। दूसरा कारण यह था कि विदेशी सरकार का भारत पर आधिपत्य था जिसका मुख्य उद्देश्य विदेशियों के हित को अग्रसर करना था। अधिकतर उद्योगपति विदेशी ही थे और इस प्रकार की व्यवस्था उनके हित में नहीं थी। इसके अतिरिक्त सरकार की नीति उन वर्षों में सर्वप्रथमियों के पक्ष में ही हुआ करती थी। इनलिए सन् १९२३ से पहले भारत में इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया

या। गतवर्षों में औद्योगिक दुर्घटनाओं की संख्या औद्योगीकरण की प्रगति के साथ २ भारत में भी बहुत अधिक हो गई है। यद्यपि विभिन्न फौद्री अधिनियमों में विभिन्न प्रकार की सुरक्षा सम्बन्धी विधियाँ जैसे मशीनों के चारों ओर घेरो की व्यवस्था आग बुझाने वाले यन्त्रों आदि की व्यवस्था अवश्य की गई है फिर भी मजदूरों की लापरवाही और अपर्याप्त सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था के कारण ऐसी दुर्घटनाएँ दिन प्रतिदिन होती हैं। इसीलिए भारत में भी अन्य विदेशों की भाँति इसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए और श्रमिकों को चोटों के लिए उचित मुआवजा मिलना चाहिए। यह ध्यान रखें कि यह सहायता किसी भी प्रकार से दान के रूप में नहीं दी जानी चाहिए। यह मनुष्यता के माले और आर्थिक दृष्टिकोण में भी न्याय-योग्य है। इसके अतिरिक्त ऐसी सहायता से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य के जीवन का कुछ मूल्य होता है और साथ ही साथ मजदूर को भी यह आभास होने से कि उनका जीवन सुरक्षित है, उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है और वह अपने काम को तन मन धन से करता है। यही नहीं बल्कि ऐसी व्यवस्था कारणों के मालिकों को सतक बनाती है, उनको सचेत करती है कि वे दुर्घटनाओं के विरुद्ध उचित प्रवृत्ति करें और मजदूरों को उचित औद्योगिक सहायता की व्यवस्था करें। ऐसी व्यवस्था में इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि कारणता छोटा है या बड़ा, अतः कम है या अधिक, मजदूर कम मजदूरी पाने वाला है या अधिक मजदूरी पाने वाला, भारीकर्म श्रम है या मानसिक श्रम और मजदूर व्यवसायिक बीमारी से पीड़ित है या औद्योगिक चोट से।

यद्यपि सन् १९५४ में श्रमिकों के मुआवजे की बात उठाई गई थी परन्तु सन् १९२३ से पहले यह सम्भव न हो सका कि मजदूर को कार्य करने की अवधि में लगने वाली चोटों के विरुद्ध मुआवजा मिल सके। श्रमिकों का मुआवजा अधिनियम में केवल उन चोटों के विरुद्ध व्यवस्था की गई है जो काम करने की अवधि में लगती हैं और व्यवसायिक बीमारियों और मृत्यु के विरुद्ध भी श्रमिकों को मुआवजा देने की व्यवस्था की गई है। यदि कोई चोट श्रमिकों को लापरवाही या नशे में होने के कारण लगती है तो कारणों के मालिकों को मुआवजा देने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि किसी मजदूर की चोट सात या सात दिन के अन्दर ही अन्दर ठीक हो जाती है तो भी मजदूर को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा।

मुआवजों की राशि इन बातों पर निर्भर करती है कि मजदूर को किन प्रकार की चोट लगी है और उसकी औसत माहवारी मजदूरी कितनी है। अधिनियम में चोटों तीन प्रकार की बताई गई हैं—ऐसी चोटें जिनसे मृत्यु हो जाये, दूसरी वे चोटें जिनसे स्थायी अयोग्यता उत्पन्न हो जाय और तीसरी वे चोटें हैं जिनसे अस्थायी अयोग्यता उत्पन्न हो। बालिग व्यक्ति की मृत्यु पर यदि उसकी आय १० रु० माहवार में कम है तो उसको ५०० रु० और यदि उसकी आय ३०० रु० प्रति माह से अधिक है तो ४,५०० रु० का मुआवजा दिया जावेगा। इस प्रकार मुआवजे की दर बालिग व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में ५०० रु० से ४,५०० रु० तक है।

इसी प्रकार बालिग व्यक्तियों को स्थायी रूप से अपाहिज हो जाने पर मुआवजे की दर मजदूरी के अनुसार ७०० रु० से ६,३०० रु० तक होती है। नाबालिगों के सम्बन्ध में मुआवजे की दर मृत्यु होने पर २०० रु० है और पूर्णतः अपाहिज हो जाने पर १२,०० रु० है। अस्थायी अपाहिजता के लिये बालिगों और नाबालिगों के सम्बन्ध में, १० रु० माहवार से कम मजदूरी पाने वालों के लिये मुआवजा केवल आधे महीने की मजदूरी होगी और १०० रु० से अधिक पाने वालों के लिये ३० रु० होगी। इस प्रकार अस्थायी अपाहिजता में मुआवजा की अधिकतम दर ३० रु० है और यह मुआवजा चोट लगने के सात दिन बाद आरम्भ होता है और अधिक से अधिक ५ वर्षों तक दिया जा सकता है। अधिनियम में इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि मजदूर की मृत्यु के बाद उस पर निर्भर करने वाले व्यक्तियों को मुआवजा दिया जाये। ऐसे निर्भरकर्ताओं को दो भागों में बाँट दिया गया है— पहले वे लोग जिनको सञ्चालन के कोई आवश्यकता नहीं होती कि वे मृतक पर आश्रित थे और दूसरे वे जिन्हें इस बात का सञ्चालन पड़ता है कि वे मृतक पर आश्रित थे। पहले वर्ग के अन्तर्गत विधवा, नाबालिग बेटा, अविवाहित बेटा और विधवा माता है और दूसरे वर्ग में एक रजुआ, नाबालिग भाई और पिता सम्मिलित है।

इस अधिनियम में १९२३ के बाद १९२६, १९२९, १९३३, १९३७, १९३८, १९३९, १९४२ और १९४६ में संशोधन हुये हैं। नियम का कार्यक्षेत्र निम्न प्रकार है :—

(अ) यह अधिनियम उन सभी श्रमिकों पर लागू होता है जो रेलों, कारखानों और खानों में काम करते हैं। क्लर्कों, प्रशासन सम्बन्धी सेवाओं (Administrative Services), में काम करने वाले, फौजी अफसर, आकस्मिक मजदूरों (Casual Workers) या अन्य प्रकार के व्यक्तियों जिनका माहवारी वेतन ४०० रुपये से अधिक है उनको इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।

(आ) यद्यपि राज्य सरकारों को इस बात का अधिकार है कि वे अन्य प्रकार के श्रमिकों पर भी यह नियम लागू कर सकती हैं परन्तु साधारणतया उन्हीं मजदूरों पर लागू होता है जो सुगठित उद्योगों (Organised Industries) में काम करते हैं।

(इ) जिन श्रमिकों को अयोग्यता या निर्भरकर्ताओं के लाभ कर्मागारियों की सरकारी बीमा योजना के अन्तर्गत प्राप्त हो चुके हैं उनको इस नियम के अन्तर्गत कोई भी सहायता प्राप्त न होगी।

(ई) जम्मू और कश्मीर को छोड़कर यह अधिनियम भारत के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है।

(उ) मुआवजा केवल उसी समय दिया जाता है जबकि चोट याग करते समय लगी है और जबकि अयोग्यता की अवधि सात दिन से अधिक होती है।

को दूर करने के लिये धर्म सघो को चाहिए कि वे मजदूरों की शिक्षा का प्रबन्ध करें और सभासभा का आयोजन करके उनको अधिनियम का पूर्ण ज्ञान करायें। यदि धर्म सघ ऐसा नहीं करते तो सरकार को इस ओर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। सरकार या धर्म सघो को चाहिए कि वे मजदूरों को मुफ्त कानूनी सलाह देने का प्रबन्ध करें। जो कुछ खर्चा हो वह राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जाय। यह भी आवश्यक है कि अधिनियम का कार्य प्रबन्ध अधिक मरल और साधारण कर दिया जाय। अधिनियम में यह भी मनोवदन किया जाय कि मुद्रावज्र सम्बन्धी प्रार्थना पत्र मिल मानिका को न देकर धर्म कमिश्नर (Labour Commissioner) को दिए जाय। इसके अतिरिक्त मुद्रावज्र की राशि में भी वृद्धि की जाए और उसका निर्धारण प्रत्येक समय के लिये समान रूप से नहीं होना चाहिए। आजकल जबकि मूल्य इतने बढ़ गए हैं और जबकि रहन-सहन इतना खर्चीला हो गया है यह आवश्यक है कि मुद्रावज्र की राशि भी उसी अनुपात में बढ़ा दी जाय जिस अनुपात में सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि हुई है।

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उद्योगपतियां वे दिवालिया हो जाने पर मजदूरों को मुद्रावज्र की राशि नहीं मिल पाती है और कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि मालिकों ने मुद्रावाजा देने में आनापानी की है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सेवायोजकों की विभिन्न संस्थाओं ने इस बात पर जोर दिया है कि सेवायोजकों के मुद्रावज्र के भुगतान करने की जिम्मेदारी के विरुद्ध भी बीमा किया जाये और कुछ सेवायोजकों ने इसे आरम्भ भी कर दिया है। ऐसी योजना के बहुत में लाभ हैं। प्रथम, सेवायोजक निश्चित हो जाता है और उसको यह फिकर नहीं रहती है कि उसे मुद्रावज्र देना पड़ेगा और इसलिये वे मजदूरों से होठ भी नहीं करते और यह प्रयत्न करते हैं कि मजदूरों को पूरा मुद्रावज्र मिल जाय। इस प्रकार मजदूरों और मालिकों के बीच उत्पन्न होने वाले झगड़े भी कम हो जायेंगे। मजदूर भी निश्चित हो जाते हैं कि उनको मुद्रावज्र मिल जायेगा। इसीलिये राज्य सरकार, धर्म जांच समिति और सेवायोजकों के संगठनों ने यह प्रस्ताव दिया है कि सेवायोजकों के मुद्रावज्र भुगतान करने की जिम्मेदारी का बीमा अनिवार्य कर दिया जाय। कर्मचारियों के सरकारी बीमा अधिनियम (Employees State Insurance Act) में इस बात का प्रबन्ध भी कर दिया गया है जिसके अनुसार मुद्रावज्र देने की जिम्मेदारी प्रमण्डल की है सेवायोजकों की नहीं। फिर यह अधिनियम तो केवल उनी समय तक के लिये है जब तक कि स्वास्थ्य बीमा योजना सम्पूर्ण भारत में लागू नहीं जाती। कर्मचारियों के सरकारी बीमा अधिनियम के सारे देश में लागू होते ही इन अधिनियम का कोई महत्व नहीं रहगा।

प्रसव लाभ सम्बन्धी व्यवस्था—भारत जैसे विपन्न देश में जहाँ स्त्रियां की मृत्यु दर इतनी ऊँची है, जहाँ कि स्त्रियाँ निर्धन और अज्ञानी हैं, जहाँ उनको प्रसव काल में उचित चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ और श्रौचिधि प्राप्त नहीं होती और जिसके कारण ही मृत्यु दर इतनी ऊँची है, यदि स्त्रियां को प्रसव काल में उचित

सुविधाएँ न दी गईं तो देश का भविष्य यथिन उज्वल प्रतीत नहीं होता। स्वतन्त्रता ही का मिश्र स्वस्व्य होता है और मनु के स्वस्व्य होने के लिये यह आवश्यक है कि मानवों के स्वास्थ्य का प्रभव जान म पुरा ज्ञान रखा जाय। उनसे कोई नान न लिया जाय अच्छा भोजन दिया जाय और उचित श्रमोपधियाँ दी जायें। भारत में इस सम्बन्ध में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो सम्पूर्ण देश की स्त्रियों के सम्बन्ध में मान्य हो। लगभग प्रत्येक प्रान्त में ही इस सम्बन्ध में अधिनियम बनाये गये हैं परन्तु औद्योगिकरण और आर्थिक नियोजन की प्रगति में यह आवश्यक हो गया है कि इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण देश के लिये एक अधिनियम बनाया जाय।

एक प्रथम, बम्बई में सन् १९२९ में प्रभवलाभ अधिनियम (Maternity Benefit Act) बनाया गया था। तत्पश्चात् मध्य प्रान्त ने सन् १९३० में, मद्रास ने सन् १९३४ में, उत्तर प्रदेश ने सन् १९३० में, बंगाल ने सन् १९३६ में, पंजाब ने सन् १९४३ में आसाम ने सन् १९४४, बिहार ने सन् १९४५ और उड़ीसा ने सन् १९५३ में इसी प्रकार के अधिनियम बनाये गये। इन अधिनियमों में समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। यह ध्यान रहे कि जब राज्यों में वरिष्ठ उद्देश्य एक ही हैं परन्तु अधिनियमों की शर्तें और लाभ की मात्रा एक दूसरे से भिन्न है। प्रत्येक मजदूर को लाभ प्राप्त करने योग्य होने के लिये, यह आवश्यक है कि एक निश्चित अवधि के लिये नौकरी प्रवेश कर सकली हो। यह अवधि हर राज्य में भिन्न भिन्न है, जैसे, आसाम में १५० दिन, बिहार, उत्तर प्रदेश में ६ माह, राजस्थान ७ माह, आन्ध्र में २४० दिन इत्यादि। इसी प्रकार लाभ काल भी कहीं ७ सप्ताह और कहीं १२ सप्ताह है। लाभ की राशि भी ८ आना प्रतिदिन से १२ आने प्रतिदिन तक है।

केन्द्रीय सरकार ने केवल ज्ञान उद्योग में काम करने वाली स्त्रियों के लिये प्रभव अधिनियम बनाया है। पश्चिमी बंगाल में काम के क्षेत्रों में काम करने वाली स्त्रियों के लिये अन्य उद्योगों की अपेक्षा बिल्कुल ही भिन्न नियम हैं। कुछ राज्यों में प्रभव अधिनियम सारे प्रवर्धित उद्योगों के लिये ही बनाया गया है और कुछ राज्यों में केवल वारहमासी उद्योगों के लिये ही बनाया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन अधिनियमों में देश की स्त्री श्रमिकों को बहुत लाभ पहुँचा है। केन्द्रीय सरकार ने ज्ञान उद्योग प्रभव लाभ अधिनियम जो सन् १९४९ में बना था, उसके प्रतिरिका दो और अधिनियमों द्वारा प्रभव लाभ की व्यवस्था कर रही है मर्चण्ट वूमन्चारियों का सरकारी बीमा अधिनियम सन् १९४८ और बागों में काम करने वाली श्रमिकों का अधिभयम सन् १९५१। परन्तु इन सब अधिनियमों में अभी बहुत कमी है। प्रथम, इन अधिनियमों में एकरूपता नहीं है। दूसरे, इन अधिनियमों के अन्तर्गत पिनित्वा की नौई व्यवस्था नहीं की गई है, केवल नकद लाभ ही दे दिया जाता है। तीसरे, बहुधा श्रमिकों को यह लाभ प्रदान भी नहीं किये जाते हैं। मद्रास और बंगाल में नौई व्यवस्था इन बातों की नहीं की गई है कि सेवायोग्य स्त्रियों को नौकरी से भयन न करें। अक्सर यह होता है कि जैसे ही सेवा योग्यता की शर्तें के

चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं बंसे ही वे स्त्रियों को अलग कर देते हैं। ऐसी व्यवस्था केवल मद्रास और बंगाल में ही की गई है। हमारे यहाँ की स्त्रियाँ शर्म के कारण भी अपने अधिकार से लाभ नहीं उठाती। कभी डर के कारण और कभी अज्ञानता के कारण भी स्त्रियों को यह लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। इसी कारण शाही आयोग ने यह प्रस्ताव दिया था कि इन अधिनियमों के कुशलकार्य संचालन और प्रबन्ध के लिये स्त्री-फैक्ट्री निरीक्षक नियुक्त किये जाए। परन्तु अभी तक अधिकांश राज्यों में इन और कोई ध्यान नहीं दिया गया है। श्रम-काच समिति की सिफारिश थी कि प्रत्येक श्रमिक को शिशु-जन्म के छ माह पहले तथा छ. माह बाद तक स्त्री को प्रसव लाभ मिलने चाहिये। यह सिफारिश कर्मचारियों के सरकारी बीमा अधिनियम में स्वीकार करली गई है और इसकी व्यवस्था भी हो गई है।

बेकारी बीमा—भारत में बेकारी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिये भी कुछ प्रयत्न किये गये हैं। आजकल औद्योगिक जगत में प्रतियोगिता अपनी चरम सीमा पर होने के कारण उत्पत्ति के क्षेत्र में नित नये सुधार किये जाने लगे हैं। नई नई मशीनों का आविष्कार होता जा रहा है और बिशिष्टीकरण तथा अभिनवीकरण की योजनाओं के कारण श्रमिकों के बेकार होने का भय दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि श्रमिकों की दशा इतनी बुरी रहती है और वे इतने ऋणगृस्त रहते हैं कि यदि उनकी नौकरी अकस्मात् ही छूट जाय तो उनके पास इतना भी नहीं होता कि वे दो समय पेट भर के खा भी लें। जैसे ही बेकारी सबसे अधिक कठोर होती है। बेकारी केवल व्यक्ति विशेष को पगु नहीं बना देती बल्कि सारे समाज को ही इसके बुरे परिणाम भुगतने पडते हैं। बीमारियाँ, भुखमरी, पागलपन, चोरियाँ, सारी ही सामाजिक बीमारियाँ बेकारी से ही उत्पन्न होती हैं। यद्यपि ससार के बहुत से देशों में मदी काल के पश्चात् ही बेकारी निवारण सम्बन्धी योजनायें चालू की जा चुकी थी फिर भी भारत में अभी तक इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसी योजना न बन पाने का एक कारण यह हो सकता है कि क्योंकि ऐसी योजना के लिये बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी और हगारी सरकार के पास इतना धन नहीं है। वास्तव में भारत में बेकारी बीमा के लिये एक समुचित योजना को निमित्त करना कोई हँसी खेल नहीं। यह सच है, परन्तु फिर भी आरम्भ में केवल औद्योगिक श्रमिकों के लिये ही एक छोटी सी योजना बनाई जा सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सच के सन् १९३४ के अधिवेशन के अनुसार बेकारी बीमा योजनाएँ लगभग सारे ही देशों में बन जानी चाहिये थी परन्तु ऐसी योजनाएँ सधुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, दक्षिणी अफ्रीका, न्यूजीलैण्ड, नाबे, इटली, कनाडा आदि देशों में चालू हुई हैं, और इन देशों में बेकारी बीमा को अतिवार्थ कर दिया गया है।

भारत में सन् १९४५ में एक राष्ट्रीय रोजगार सेवा (National Employment Service) स्थापित की गई थी, जिसके आधीन देश में बहुत से रोजगार दफ्तर (Employment Exchange) स्थापित कर दिये गये हैं। जिनका काम व्यक्तियों

में दिया गया था। यह मुकाबल समझौता बोर्ड (Conciliation Board) ने केवल खान उद्योग के लिए दिया था और यह सिफारिश की थी कि खान उद्योग में काम करने वाले मजदूरों के चार महीने के आधारभूत वेतन के बराबर बोनस देकर प्रावदान कोष स्थापित किया जाय। सरकार ने यह स्वीकार करते हुए सन् १९४८ में कोयला उद्योग प्रावदान कोष और बोनस योजना अधिनियम बनाया। लगभग प्रत्येक व्यक्ति को ही अपने जीवन में ऐसे अवसर अवश्य ही प्राप्त होते हैं जब कि अकस्मात् ही उनको कोई न कोई खर्चा करना पड़ जाता है। उपरोक्त अधिनियम में ऐसे खर्चों और बुढ़ापे तथा अन्य अयोग्यताओं के विरुद्ध व्यवस्था की गई है। यह अधिनियम केवल कोयला उद्योग में उन मजदूरों पर लागू होता है जिनकी मासिक मजदूरी ३००) रुपए से कम है। इन मजदूरों में माली, भगी तथा घरेलू नौकर, सरकारी रेवा में काम करने वाले मजदूर और ईंटों के भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों को इन योजना का लाभ प्राप्त नहीं होता। यह लाभ उन्नी समय प्राप्त होता है जब कि किसी श्रमिक ने एक निश्चित काल तक उद्योग में काम कर लिया हो। यह काल अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। मजदूरों को अपनी आधारभूत मजदूरी, मईमाई भत्ता और भोजन छूटी आदि का ६३% चन्दे के रूप में देना होता है। इतनी ही राशि सेवायोजक भी देता है। ३० जून सन् १९५६ तक इस कोष में ६३ करोड़ रुपया जमा हो गया था। श्रमिकों को अपने चन्दे पर ३३% ब्याज भी मिलता है। कोष का प्रबन्ध, श्रमिकों और सेवायोजकों, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा बनाये गए एक बोर्ड के द्वारा किया जाता है।

सन् १९५२ में श्रमिकों की प्रावदान कोष योजना बनाई गई और एक अधिनियम पास किया गया जो १ नवम्बर सन् १९५२ से लागू हुआ। आरम्भ में यह केवल उन बड़े-बड़े उद्योगों जैसे, सीमेन्ट, तिगेट, इजीनियरी, लोहा और स्पात, कागज और कपड़ा जिनमें ५० या ५० से अधिक व्यक्ति काम करते हों, लागू किया गया था। केन्द्रीय-सरकार को यह अधिकार है कि यदि वह उचित समझे तो इस अधिनियम के क्षेत्र में उन कारखानों को भी ला सकती है जिनमें ५० से कम व्यक्ति भी काम कर रहे हों। सन् १९५६ के एक संशोधन के अनुसार वह कारखाने भी इस क्षेत्र में सम्मिलित किये जा सकते हैं जो फॅक्टरी नहीं समझे जाते। नये स्थित कारखानों तीन वर्ष तक इस अधिनियम के क्षेत्रों में नहीं ला सकते। मई सन् १९५८ के एक संशोधन के अनुसार अब वे कारखाने भी नियम के अन्तर्गत आ गये हैं जो सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं। सन् १९५६ में इस अधिनियम के अन्तर्गत दिगासलाई, चीनी, चाय, कॉच, तेल, रसायन पदार्थ, छापेखानों तथा समाचार पत्रों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। सन् १९५७ में खनिज तेल उद्योग, रबर, चाय, कहवा, इलायची और काली मिर्च के बगीचे भी शामिल कर लिये गये हैं। ३१ मार्च सन् १९५८ के अन्त तक यह अधिनियम ६,५२४ कारखानों पर लागू हो चुका था जिनमें २६ ५६ लाख मजदूर आते थे और जिनमें से २४ १२ लाख मजदूर लाभ प्राप्त कर रहे थे। इस कोष में प्रति-माह २ ५७ करोड़ रुपये इकट्ठे हो रहे हैं और इसकी कुल

करोड़ों कृषिक मजदूरों के लिये भी कोई व्यवस्था नहीं हुई है। भारत में अन्य देशों की भाँति सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था उस समय तक सम्भव नहीं है, जब तक कि देश की अर्थ-व्यवस्था कृषिक से औद्योगिक नहीं हो जाती, जब तक देश में पूर्ण शिक्षा की स्थिति स्थापित नहीं होती और जब तक देश एक विकसित देश नहीं हो जाता। यह सब कुछ सच है परन्तु क्या यह भी सच है कि जितने औद्योगिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की सुविधायें दी जा रही हैं, वे पर्याप्त हैं और उनमें सुधार या उन्नति के लिये अब कोई स्थान नहीं है? हम जानते हैं कि स्थिति ऐसी नहीं है। यदि हमें देश का औद्योगिक विनाश करना है तो हमें स्वस्थ और कुशल श्रमिकों को जन्म देना होगा। इसका उत्तरदायित्व नारे समाज पर है, सरकार पर नहीं। हमें से प्रत्येक नागरिक को इस ओर ध्यान देना चाहिये। धनी व्यक्तियों, व्यापारियों और उद्योगपतियों को ऐसी व्यवस्था अपनी ओर से करनी चाहिये और सरकार को उन क्षेत्रों या दिशाओं में व्यवस्था करनी चाहिये जहाँ किसी एक व्यक्ति के बस के बाहर का काम है। श्रमिकों को अशिक्षा से अभी मुक्त ही रखना चाहिये। यदि सारे श्रमिकों के लिये यह सम्भव न हो तो कम से कम ३००) ६० माहवार से कम पाने वाली के लिये तो यह हो ही जाना चाहिये। वर्यो पहले रिक्कार्डों ने कहा था कि "मानवता के मित्र केवल यही इच्छा कर सकते हैं कि सब देशों के श्रमिक वर्ग आराम और आनन्द के लिये रुचि उत्पन्न करें और इन्हे प्राप्त करने के प्रयत्नों में उन्हें सब वैधानिक ढंगों से प्रोत्साहित किया जाय।" इसलिये सरकार का कर्तव्य यह भी है कि वह श्रमिकों को इस योग्य बनाये कि वे अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें। सरकार को चाहिये कि वह पहले आवश्यक आकड़े जमा करामे। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि सरकारी कर्मचारी अधिक सहनशील बनें और श्रमिकों के लिये अधिक प्रेम उत्पन्न करें। जो व्यक्ति भारत की निर्धनता की आड़ लेकर सामाजिक सुरक्षा का विरोध करना चाहते हैं उन्हें यह ध्यान रहे कि निर्धन देश में ही इसकी अधिक आवश्यकता है। इसलिये भारत के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिये सामाजिक सुरक्षा नितान्त आवश्यक है। केवल यह ही देश के श्रमिकों की परेशानियों का समाधान कर सकती है और इन्हे जैसा डाक्टर शम्भुदेकर ने कहा था, "रोटी एक मकान, पर्याप्त कपड़े, शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य, और सबसे अधिक सप्तर की चौड़ी सड़कों पर सम्मान से चलने का अधिकार" प्रदान कर सकती है।

प्राक्कथन—

निर्वाचावादी विचारों के विरुद्ध, गत वर्षों में जो घालोचनाएँ हुई हैं और हम में प्रत्येक का जो स्वतन्त्र उपभोग के दुष्परिणाम महसूस करने पर हैं उनका कोई भी व्यक्ति भूल नहीं सकता। यही कारण है कि सार क्षेत्र में राज्य का नियन्त्रण बढ़ता जा रहा है और यहाँ तक कि राज्य वस्तुओं के मूल्य, पूर्ति और गुणों तक पर नियन्त्रण रखते लगा है। स्वतन्त्र उपभोग का मरम्मेदना दाप यही था कि आर्थिक जीवन स्थायी नहीं था। मूल्यों में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव होने के कारण आर्थिक जीवन स्वास्थहीन होगा जा रहा था। बेरोज़गारी बढ़ती जा रही थी और समाज में एक दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा था। प्राचीन लोगों का यह विश्वास कि पतुप्य हर काम का अर्थ हित में करना है इसलिए आर्थिक मायनों का उत्तम बटवारा और मद्दतपयोग हो जाता है अब उल्लिखित होता जा रहा था। अर्थशास्त्रियों के निय भी मूल्य व्यवस्था का अर्थ बहुत महत्व नहीं था जो प्राचीन लोगों के निय थे। उनके अनुसार मूल्य व्यवस्था द्वारा पूर्ति और माँग में समन्वय रहता है और मायन कम महत्वपूर्ण उपयोग में अधिक महत्वपूर्ण उपयोग को स्थानान्तरित होते हैं।¹ परन्तु पिछले ५० वर्षों में मूल्यों में जो भीषण उतार-चढ़ाव होते रहे हैं उनसे यह भली-भाँति सिद्ध हो गया है कि माँग और पूर्ति में जो भी समन्वय स्थापित होता है वह दिसावटी और अस्थायी होता है। मूल्य के आकस्मिक परिवर्तनों में आर्थिक जीवन में अनिश्चिता उत्पन्न हो जाती है और व्यापार, वाणिज्य, उद्योग आदि सभी क्षेत्रों में जीवन गति रक सी जाती है। इसलिए आर्थिक समी डम बात में सहमत है कि मूल्यों के क्षेत्र में निर्वाचावादी नीति का पालन नहीं किया जा सकता। बात यह है कि मूल्यों के ऊँचे होने से व्यापारिया

और उद्योगपतियों को लाभ होता है और मूल्यों के नीचे होने से इनको नुकसान होता है और उपभोक्ताओं को लाभ होता है। परन्तु हर प्रकार के मूल्यों के उतार-चढ़ाव अन्यायपूर्ण या हानिकारक नहीं होते। यदि उत्पादन व्यय के बढ़ने के कारण मूल्यों में वृद्धि होती है तो ऐसी वृद्धि स्वाभाविक ही है इसी प्रकार उत्पादन व्यय घटने से मूल्यों का गिरना भी उचित होता है परन्तु यदि कृत्रिम उपायों से मूल्यों को बढ़ा दिया जाय या प्रतियोगिता का अन्त करने के लिये मूल्यों को गिरा दिया जाय या वस्तु की पूति को कम कर के उसके मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि कर दी जाय, तो ऐसे उतार-चढ़ाव समाज के लिये हानिकारक होते हैं। ऐसा अनुभव है कि वस्तुओं की सामान्य दुर्बलता के काल में मूल्य काफी ऊँचे हो सकते हैं और मुट्टी भर व्यक्तियों को नफ़ालोरी और उपभोक्ताओं का शोषण करने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएँ न मिल पाने पर उनका जीवन स्तर गिरता जाता है और गरीबी और भ्रमीरी के बीच की खाई और अधिक चौड़ी होती जाती है। जब कभी कोई बड़ा उत्पादक अन्य प्रतियोगियों को समाप्त करके, अपने लिये एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न करना चाहता है और ऐसा करने के लिये मूल्यों को नीचा कर देता है तब मूल्यों के ऐसे परिवर्तन भी न्यायसंगत नहीं होते हैं, क्योंकि एक ओर तो साधनों का मितव्ययी उपयोग सम्भव नहीं हो पाता और दूसरी ओर उपभोक्ताओं को स्वतन्त्र प्रतियोगिता के लाभ भी प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसीलिये गत वर्षों में मन्थी देशों में सरकारों ने मूल्य नियन्त्रण को एक सामान्य नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है और आज प्राचीन लेखकों की यह विचारधारा कि "राज्य द्वारा कोई भी हस्तक्षेप जिसका उद्देश्य स्वतन्त्र प्रतियोगिता के कार्य संचालन में बाधा डालना है, राष्ट्रीय लाभार्थी आवश्यक ही आपात पहुँचायेगा, क्योंकि इस प्रतियोगिता को यदि स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय तो सदैव ही साधन निजी उत्पादकता की स्थिति से ऊँची उत्पादकता वाली स्थिति की ओर जाते रहेंगे और इस प्रकार समुदाय के साधनों की सदैव ही कम अनुकूल से अधिक अनुकूल व्यवस्था होती रहेगी।" का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रह गया है। इस प्रकार मूल्य नियन्त्रण का उद्देश्य केवल यही होता है कि आर्थिक जीवन में अनिश्चितता उत्पन्न न होने दी जाय और समाज को होने वाले कष्ट दूर हो जायें। मूल्य नियन्त्रण में मूल्यों को ऊँचा भी उठाया जा सकता है और नीचे भी गिराया जा सकता है और उसको स्पर्धा भी रखा जा सकता है। कौनसी नीति का प्रयोग किस समय होगा यह उस समय की परिस्थितियों पर ही निर्भर करता है। संक्षेप में मूल्य नियन्त्रण की नीति का प्रयोग निम्न प्रकार किया गया है :—

(अ) मुद्रा प्रसार एवं एकाधिकारी के शोषण को रोकने के लिये मूल्यों को नीचे स्तर पर निर्धारित किया जा सकता है। मदीकाल में मूल्यों को ऊपर उठाया जा सकता है और यदि मूल्यों के उतार-चढ़ाव बहुत ही आकस्मिक हैं और अति

शीघ्र ही रहे है तो उनका स्थायीकरण किया जा सकता है।

(ब) आर्थिक नियोजन के काल में यदि किसी देश की सरकार यह चाहती है कि साधनों का उपयोग पूर्व निश्चित योजना के अनुसार हो और समाज के हित में हो तो वह वस्तुओं का मूल्य निश्चित कर सकती है।

(ग) यदि वस्तुओं की पूर्ति कम हो और वस्तुएँ अनिवाय आवश्यकता की हो जिनका समान वितरण आवश्यक हो तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये भी मूल्य नियन्त्रण की नीति अपनाई जा सकती है।

(द) यदि सरकार देश के किसी उद्योग विशेष को प्रोत्साहन देना चाहती है तो भी मूल्य नियन्त्रण की नीति अपनाई जा सकती है।

मूल्य नियन्त्रण की रीतियाँ—मूल्यों पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से नियन्त्रण किया जा सकता है। प्रत्यक्ष नियन्त्रण के अन्तर्गत सरकार वस्तु की भाँति, पूर्ति एवं मूल्यों को निश्चित करती है और कानून बना देती है। कानून तोड़ने वालों को दंड देती है। यह नीति प्रथम और द्वितीय महायुद्ध काल में अपनाई गई थी। अप्रत्यक्ष नियन्त्रण के अन्तर्गत सरकार मौद्रिक एवं वित्तीय उपाय करती है अर्थात् करारोपण, (Taxation), आमात निर्वात नियन्त्रण, मौद्रिक नीति में परिवर्तन करना इत्यादि।

मूल्य नियन्त्रण की प्रत्यक्ष रीतियाँ—हम अभी कह ही चुके हैं कि मूल्य-नियन्त्रण नीति के अन्तर्गत मूल्यों को ऊँचा उठाना और नीचे गिराना दोनों ही माँगें सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त कभी कभी मूल्यों को स्थायी रखने की भी आवश्यकता अनुभव होती है। इन तीनों ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सरकार प्रयत्न करती है। इनमें से प्रत्येक का वर्णन हम निम्न में करेंगे —

(प्र) ऊँचे मूल्यों पर नियन्त्रण—मूल्यों की वृद्धि कई कारणों से हो सकती है जैसे, व्यापार चर्चों के कारण, युद्ध, विकास योजनाओं, स्थानीयकरणों और एकाधिकारी की अनुचित क्रियायें। अब हम इन स्थितियों को तमामनुसार लेकर मूल्य नियन्त्रण की विभिन्न रीतियों का अध्ययन करेंगे।

व्यापार चर्चा—व्यापारिक और औद्योगिक जगत् का यह एक सामान्य अनुभव है कि कभी मूल्य एकदम नीचे गिरने लगते हैं और कभी एकदम ऊँचे चढ़ने लगते हैं और यह उतार-चढ़ाव समुद्र की लहरों की भाँति नियमानुसार होते हैं। व्यापारचक्र स्वतन्त्र उपक्रम प्रणाली की मुख्य विशेषता है। जब लाभ बहुत ऊँचे हो, व्यापारी आनावादी हो और विनियोग बढ रहे हो तब स्वाभाविक ही है कि व्यापार में वृद्धि होगी। ऐसे समय में लागतों में अधिक वृद्धि नहीं हो पाती क्योंकि मजदूरी, लगान तथा राज की दरें लगभग स्थायी ही रहती हैं और मूल्यों के बढ़ने से उनपर एकदम प्रभाव नहीं पड़ता इसलिये मूल्यों के बढ़ने और लागतों के लगभग समान रहने के कारण प्रत्येक उद्योगपति को बहुत लाभ होते हैं और वे समृद्धि का अनुभव करने लगते हैं। परन्तु इस स्थिति के बाद ही मंदीराल आरम्भ होता है। लागतें बढ़ने लगती हैं। व्यापारी लोग समझते हैं कि उनका व्यवसाय आवश्यकता से अधिक बढ़

जया है और वे उसको सन्तुष्ट करने लगते हैं। कई सस्थायें तो ठप्प हो जाती हैं और इसका प्रभाव अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है और चारों ओर निराशा की एक लहर फैल जाती है जिसके फलस्वरूप बेकारी बढ़ती जाती है और वस्तुयें बहुतायत में होते हुये भी लोगों के पास उनको खरीदने के लिये पैसा नहीं होता। इसी प्रकार समृद्धिकाल, मदीकाल और फिर समृद्धिकाल, एक के बाद दूसरा उत्पन्न होता रहना है और यह चक्र यूँही चलता रहना है। समृद्धिकाल में यह अवश्य है कि मूल्यों को पूर्णतः बढाने में तो नहीं रोका जा सकता परन्तु उनके ऊपर जान की प्रवृत्ति को नियन्त्रित किया जा सकता है ताकि वे उतने ऊँचे न जाने पायें जितना कि वे उपाय न करने की दशा में जाते। अधिकांश लोगों का यहाँ विचार है कि व्यापारचक्र मौद्रिक कारणों में ही उत्पन्न होते हैं इसलिये समृद्धिकाल में मूल्या को नियन्त्रित करने के लिये ऐसे उपाय किये जाते हैं जिनसे देश में मुद्रा का चलन कम हो जाये अर्थात् मुद्रा की मात्रा को कम करना, मास के विस्तार को नियन्त्रित करना इत्यादि। क्योंकि इस काल में सब ही वस्तुओं के मूल्य एक साथ बढ़ने हैं, इसलिये किसी एक वस्तु के मूल्य को नियन्त्रित नहीं किया जा सकता और यदि ऐसा किया भी जाये तो इससे कोई व्यावहारिक लाभ भी न होगा। इसी प्रकार मदीकाल में मुद्रा की अधिक निकासी करके, साख नीति अधिक उदार बना कर, व्यक्तियों में अधिक मुद्रा खर्च करने की शक्ति उत्पन्न कर दी जाती है और मूल्यों को ऊपर उठाने का प्रयत्न किया जाता है।

युद्धकाल—युद्धकाल में, मुद्रा प्रसार एक गंभीर घटना होती है। इसका मुख्य कारण यह होता है कि एक ओर तो मुद्रा का प्रसार होता है और दूसरी ओर उपभोक्ताओं के लिये उपभोग की वस्तुओं की मात्रा कम होती जाती है। इसके अतिरिक्त युद्ध के समय संचालन के लिये बढ़ती हुई शल्य मरिचिकों के लिये गोला बारूद व लठारे का अन्य सामान, चपड़ा इत्यादि सभी की आवश्यकता बढ़ती है जिससे मूल्य बढ़ने लगते हैं। तीसरे, ऐसे समय में सरकार का खर्च भी बहुत बढ़ जाता है जिसको पूरा करने के लिये सरकार को मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ता है। परिणामतः व्यक्तियों की क्रय शक्ति बढ़ती जाती है जिससे प्रभाव में मूल्य भी बढ़ने जाते हैं। चौथे, युद्धकाल में लगभग प्रत्येक व्यक्ति को ही वस्तुओं के कम हो जाने की आशंका रहती है जिसके कारण क्रेता और विक्रेता दोनों ही वस्तुओं को अपने पास जमा करना चाहते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि मूल्य बढ़ने जाते हैं। पाँचवें, युद्धकाल में आयातों के घटने और बहुत से माधनों का युद्ध कार्यों में प्रयोग होने से तथा युद्ध में काफी वस्तुओं के नष्ट हो जाने से बाजार में वस्तुओं की कमी ही रहती है जिसके कारण भी मूल्य बढ़ जाते हैं। अन्त में, प्रत्येक व्यक्ति यही सोच कर कि भविष्य में मूल्य और बढ़ेंगे, अधिक लाभ प्राप्त करने की आशा में वस्तुओं की खरीद-खरीद कर रखता जाता है, जिसके फलस्वरूप बाजार में वस्तुओं की कमी होती जाती है और मूल्य बढ़ते जाते हैं। इन सब कारणों से माँग और पूर्ति का सन्तुलन भंग हो जाता है और मुद्रा की अधिक मात्रा वस्तुओं एवं

सेवाओं की पूर्ति की अपेक्षा अधिक हो जाती है। इसलिये सबसे उपयुक्त उपचार यही होगा कि मूल्य और पूर्ति में मनुस्त्वन स्थापित कर दिया जाये अर्थात् चलन में मुद्रा की मात्रा कम कर दी जाये और वस्तुयें तथा सेवाओं की पूर्ति बढ़ा दी जाये। परन्तु ऐसा करना कोई बच्चा का खेल नहीं। यद्यपि सरकारों में कम क्षमिक्त कम करने के लिये गुराने करो की दरी में वृद्धि की है, मधेनये कर लगाये हैं, साम पर कंड नियन्त्रण रखे हैं, व्यक्तिगत से सामाजिक ऋण प्राप्त किये हैं, परन्तु फिर भी आशा-तीत सफलता प्राप्ता न हो पाई। युद्धकाल में मूल्य नियन्त्रण इसीलिये एक विषम समस्या होती है। परन्तु वह भी नहीं किया जा सकता कि मूल्य को नियन्त्रित न किया जाये क्योंकि एक और तो सरकार को ऐसी नीति में लाभ हाता है क्योंकि युद्ध संचालन के लिये सरकार को जो वस्तुयें तथा सेवायें प्राप्त करनी होती हैं वह यदि अनियन्त्रित मूल्यों पर प्राप्त करे तो युद्ध का खर्चा बर्द गुना अधिक हो जायेगा इस लिये सरकार इन वस्तुओं और सेवाओं को अधिक मूल्य पर प्राप्त करने के लिये मूल्य नियन्त्रित करती है। दूसरे ओर बाजारों और नफासंगी जैसी सामाजिक घुसाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिनको रोकना सरकार का कर्तव्य है। इसी प्रकार वस्तुओं को ऐसे समय में संचित करना जबकि उनकी कमी हो और जबकि लोग को उपभोग के लिये न मिल रही हों, यह भी एक सामाजिक जुम है जिससे समाज को बहुत हानि होती है। इन सामाजिक घुसाइयाँ को रोकने के लिये भी मूल्य नियन्त्रण नीति आवश्यक होती है। अतः मूल्य वृद्धि से वस्तुओं की लागत में वृद्धि होती है जिसके कारण मूल्य और अधिक बढ़ते चले जाते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि व्यक्तिगतों के चलन में बढाव जाते हैं और संग्रही अंतर भी दिया जाता है परन्तु इनमें इतनी वृद्धि नहीं होती जितनी मूल्य में होनी है और इसलिये मूल्य की प्रत्येक वृद्धि में समाज में समन्तोष बढ़ता जाता है। इसलिये मूल्य की अधिक वृद्धि और बढ़ते हुए समन्तोष को रोकने के लिये भी मूल्य का नियन्त्रित करना आवश्यक हो जाता है।

आर्थिक नियोजन (Economic Planning)—युद्ध की भांति मूल्यों में वृद्धि उन स्थिति में भी होती है जब कि किसी देश की सरकार देश के आर्थिक विकास के लिये योजनाएँ कार्यान्वित करती है। ऐसी योजनाओं को कार्य रूप प्रदान करने के लिये बहुत बड़ी मात्रा में व्यय करना होता है ठीक उसी प्रकार जैसा कि युद्ध संचालन में किया जाता है। जिन प्रकार युद्ध में देश के साधनों को सामान्य उपयोगों से विदात कर युद्ध सम्बन्धी कार्यों में लगाया जाता है उसी प्रकार आर्थिक नियोजन में भी देश के साधन इधर उधर के सारे उपयोगों से निकाल कर उन उपयोगों में लगाये जाते हैं जिनसे योजना के लक्ष्यों की पूर्ति होती हो। अतः केवल इतना है कि युद्धकाल में वस्तुओं और सेवाओं का विनाश भी होता है जबकि आर्थिक नियोजनकाल में ऐसा नहीं होता। आर्थिक नियोजन में पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण को प्राथमिकता मिलने के कारण उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कम होता है ठीक उसी प्रकार जैसा कि युद्ध काल में। परन्तु दोनों स्थितियों में अन्तर यह है कि युद्धकाल में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन पहले की अपेक्षा बढ़ता है परन्तु इतना अधिकतम भाग संनिर्वा के

उपयोग में आता है फलस्वरूप जनमाधारण के उपभोग के लिए बहुत कम मात्रा में वस्तुएँ उपलब्ध हो पाती हैं एक ओर तो वस्तुओं की कमी होती है दूसरी ओर वस्तुओं के लिये मांग निरन्तर बढ़ती जाती है। वस्तुओं की मांग बढ़ने का पहला कारण तो यह है कि नियोजन काय के लिये प्रत्येक प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है जिससे कि उनका मूल्य बढ़ जाता है। इसका दूसरा कारण यह है कि नियोजन काय के संचालन के लिए सरकार को अधिक मुद्रा छापनी पड़ती है। परिणामतया व्यक्तियों को अधिक क्रय शक्ति प्राप्त होती है। परन्तु उनकी वस्तुओं की प्राप्ति उतने अनुपात में नहीं होता और इसलिये वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त युद्धकाल में सरकार को तुरन्त ही व्यय करना होता है जिसका प्रभाव मूल्या पर एकदम पड़ता है परन्तु नियोजन काय में यह व्यय धीरे धीरे किया जाता है। साधना को नियन्त्रित रूप में उपयोग में लाया जाता है इसलिये प्रारम्भिक अवस्था में तो मूल्य अवश्य ही बढ़ें परन्तु कुछ वर्षों बाद मूल्या में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होती है क्योंकि नियोजन का उद्देश्य मूल्या को कम करना भी हो सकता है। इसीलिये मूल्यों की वृद्धि जब कि युद्धकालीन वित्त व्यवस्था का एक स्वाभाविक गुण है आर्थिक नियोजन में यह बदल एक सम्भावना मात्र ही है। फिर भी यह अनुभव किया गया है कि आर्थिक नियोजन में हीनाथ प्रवन्धन (Deficit Financing) के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का पूर्ति और उनकी मांग में असतुलन उत्पन्न हो जाने के कारण वस्तुओं के मूल्य बढ़ते जाते हैं और इसलिये यह आवश्यक हो सकता है कि प्रारम्भिक दशाओं में सरकार मद्रा प्रसार विरोधी उपाय करे या मूल्यों को प्रत्यक्ष रूप से नियन्त्रित करे। यह ध्यान रहे कि जैसे जैसे नियोजन की सफलता होगी और उत्पादन बढ़ता जायगा मूल्या में बटन का डर कम होता जायगा और मूल्य सम्बन्धी नियन्त्रण भी टूट जायेंगे।

स्थानीय कारण (Local causes)—यह सत्य है कि संसार के प्रत्येक देश को भौगोलिक सीमाएँ अलग अलग हैं सरकार अलग अलग हैं, बोली, भाषा, धर्म सामाजिक व्यवस्था आदि सभी अलग अलग हैं परन्तु राजनीतिक और आर्थिक क्षत्रा में प्रत्येक देश एक दूसरे से प्रभावित होता रहता है। यह असम्भव है कि एक देश में उपद्रव होने का या दो देशों के बीच युद्ध होने का या किसी देश में फतना के नष्ट हान का प्रभाव दूसरे देश पर न पड़े। यद्यपि यह कारण स्थानीय होते हैं परन्तु इनका प्रभाव की प्रवृत्ति अन्तर्राष्ट्रीय होती है। ऐसे कारणों से भी मूल्या में वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में साधारणतया सरकार मूल्य नियन्त्रण के लिये कोई उपाय नहीं करती परन्तु यदि मूल्या की प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ता रहने की हो या मूल्यों की वृद्धि केवल अनिवार्य वस्तुओं के सम्बन्ध में ही हो तब सरकार को मूल्य नियन्त्रण के प्रत्यक्ष उपाय करने ही पड़ते हैं।

एकाधिकारी व्यवस्था (Monopolistic organisation)—एकाधिकारी का मुख्य उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये मूल्यों को ऊँचा करता चला जाता है। आधुनिक औद्योगिक संगठन की मुख्य

विशेषता यही है कि अधिकतर उद्योगों का संगठन एकाधिकारी सभा द्वारा किया जा रहा है। ऐसे संगठना से समाज को जो हानियाँ होती हैं वह सर्व विदित हैं। इसीलिये सरकार को एकाधिकारी मूल्यों को नियन्त्रित करना पड़ता है।^१

बढ़ते हुए मूल्यों को नियन्त्रित करने के उपाय—बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के नियम आधारभूतता दो उपाय बताये जाते हैं। पहला उपाय तो यह हो सकता है कि सरकार वस्तुओं के वास्तविक मूल्यों को निश्चित कर दे और दूसरा उपाय यह हो सकता है कि वस्तुओं के अधिकतम मूल्य निश्चित कर दिये जायें जिनसे अधिक मूल्य पर कोई भी वस्तु को न बच सकेगा। पहला उपाय दलान सरल नहीं है जितना कि ऊपर में दीखता है, क्योंकि वस्तु के वास्तविक मूल्य को निश्चित करना कोई साधारण बात नहीं है। पहले तो यह पता लगाना ही सरल नहीं है कि कौन सा मूल्य वास्तविक मूल्य होगा? दूसरे यह कि वस्तु का वास्तविक मूल्य किस आधार पर निश्चित किया जाय? कुछ लोगों का यह विचार है कि वास्तविक मूल्य निर्धारण का सबसे उत्तम आधार वस्तु का उत्पादन व्यय होता है इसीलिये इसी के आधार पर मूल्य निश्चित किया जाता चाहिये। परन्तु क्या उत्पादन व्यय का पता लगाना सम्भव है? एक तो उत्पादन व्यय में निरन्तर परिवर्तन होने रहते हैं जैसा कि युद्ध काल में होता है दूसरा, जब कोई उत्पादक कई प्रकार की वस्तुएँ एक साथ उत्पन्न करता है तब यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि उनमें से किसी एक वस्तु की लागत क्या है। इसीलिए इस कठिनाई को दूर करने के लिये बहुधा अनुमान से ही मूल्य निश्चित किये गये हैं। यह नीति अधिकतर बड़ा महासूद्धा में अपनाई गई थी।

वस्तुओं के वास्तविक मूल्यों को निर्धारित करने में जो कठिनाइयाँ अनुभव हुईं उनको दूर करने के लिये अधिकतम मूल्य निश्चित किए जाते हैं। यह मूल्य, मूल्य वृद्धि की अधिकतम सीमा होती है जिससे अधिक मूल्य नहीं बढ़ाया जा सके। इन विधि में तो सरकार को ही कठिनाई होती है और न उत्पादन को ही कोई आपत्ति होती है। इसमें परिस्थितियों के अनुसार असीत लागता में वृद्धि होने के साथ साथ अधिकतम सीमा तक मूल्यों को बढ़ाने के लिए पूरा स्थान रहता है। उसके अनिश्चित इन विधि में लागता के मादुम करने की कोई आवश्यकता नहीं होती और इसीलिए लागता के विस्तृत और यही अनुमान भी नहीं लगाने पड़ते। परन्तु व्यावहारिक जीवन में यह देखा गया है कि उत्पादन अधिकतम सीमा का अनुचित प्रयोग करते हैं और यह अधिकतम मूल्य उनका वास्तविक मूल्य बन जाता है अर्थात् लागतों के सम होने पर भी वह अधिकतम मूल्य पर वस्तुएँ बेचते हैं और इस प्रकार उपभोक्तारों का शोषण करते हैं।

कठिनाइयाँ—उपरोक्त रीतियाँ में से मूल्य नियन्त्रित करने की कोई भी भी रीति कभी न अपनाई जाए कुछ न कुछ कठिनाईयाँ अवश्य ही उत्पन्न होंगी। इन कठिनाईयों के उत्पन्न होने का पहला कारण यह है कि वस्तु के मूल्य निर्धारित करने का

१ इनका पूर्ण विवरण हम पिछले अध्याय में देखेंगे।

कार्य ही कोई माधारण कार्य नहीं है, क्योंकि एक ही वस्तु अनेक प्रकार और अनेकों गुणों की होती है। प्रत्येक वस्तु की अलग-अलग किस्म तथा अलग-अलग गुणों के अनुसार मूल्य निर्दिष्ट करना कोई सरल बात नहीं है। यदि वस्तु का मूल्य निर्दिष्ट भी कर दिया जाय तब यह भी तो सम्भव है कि उत्पादक अपने लाभ को पहले ही जैसा रखने के लिए वस्तु के गुणों में कमी कर दे और पहले की अपेक्षा घटिया वस्तु बनाने लगे। यदि ऐसा होगा तो मूल्य नियन्त्रण का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कुछ देशों में सरकार ने वस्तुओं के उत्पादन और उगकी किस्मों पर नियन्त्रण लगाने आरम्भ कर दिए हैं। सरकार ने केवल वस्तुओं विशेष की कुछ प्रमाणीकृत किस्मों (Standard varieties) को ही उत्पन्न करने की आज्ञा दी और इन वस्तुओं के मूल्य और किस्म को निर्दिष्ट कर दिया। परन्तु इस उपाय में यह कठिनाई उत्पन्न हो गई कि उपभोक्ताओं की स्वतन्त्रता कम हो गई और उनके लिये वस्तुओं के चुनने का क्षेत्र भी सीमित हो गया। मूल्य निर्दिष्ट करने की विधि में, एक कठिनाई यह भी उत्पन्न होती है कि किस समय पर और किस स्थान पर वस्तु का किस्सा मूल्य निर्धारित किया जाय और समय या मौसम के परिवर्तनों के साथ-साथ मूल्यों में किस हिसाब से परिवर्तन किये जायें। हम रोजाना ही यह देखते हैं कि एक शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक वस्तु के मूल्य अलग अलग होते हैं और फिर भिन्न-भिन्न शहरों में भी यह भिन्नता पाई जाती है। सामान्य परिस्थितियों में तो मूल्यों की भिन्नता स्वाभाविक ही है और मौसम और स्थान के अनुसार मूल्यों में जो परिवर्तन होते हैं वे मूल्य यन्त्र की स्वयं क्रियता का ही परिणाम हैं। परन्तु मूल्य नियन्त्रण की विधि में स्वयं क्रियता का गुण नहीं पाया जाता है इसलिए इस प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। इस प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के लिए ऐसा किया जा सकता है कि स्थानीय बाजार की दशा का गहन अध्ययन करने के पश्चात् भिन्न भिन्न क्षेत्रों एवं भिन्न-भिन्न मौसमों में भिन्न-भिन्न मूल्य निर्दिष्ट कर दिए जायें। साथ ही साथ यह भी व्यवस्था की जाय कि एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र को वस्तुओं का आवागमन न हो और वस्तुओं का आगमन भी न हो। जैसा कि सन् १९५५ के अन्त में और इस वर्ष के शुरू में खाद्य अन्न की समस्या को सुलझाने के लिए भारत में सरकारों ने किया था। गेहूँ और चावलों के दामों को कुछ प्रान्तों में निर्दिष्ट कर दिया था और उनके आवागमन पर नियन्त्रण लगा दिए गए थे। परन्तु यह नहीं समझ लेना चाहिए कि यह नीति दोग रहित है। अच्छा तो यह होगा कि स्थानीय और मौसमी सम्बन्धी भिन्नताओं को जहाँ तक हो सके न्यूनतम रखा जायें। अन्न में मूल्य नियन्त्रण करने की विधि उनी समय सफल हो सकती है जबकि वह सर्वांगी हो अर्थात् कच्चे माल से लेकर अन्तिम उपभोक्ता तक पहुँचने की सभी अवस्थाओं पर मूल्य नियन्त्रित किए जायें अर्थात् यदि मूल्य नियन्त्रण की नीति प्रभावशुनत बगानी है तो यह आवश्यक है कि सभी थोड़ और फुटकर सभी प्रकार की वस्तुओं तथा कच्चे माल के मूल्य नियन्त्रित किए जायें, जिनके लिए यह आवश्यक होगा कि मजदूरी वी दरें, सूद वी दरें, भूमि का दरगान, मशीना के मूल्य

आदि सभी निश्चित है। स्पष्ट ही है कि यह सम्पूर्ण क्रिया कितनी जटिल होगी।

मूल्य नियंत्रण सम्बन्धी रीति में उपरोक्त कठिनाइयाँ के अतिरिक्त कुछ दूसरे प्रकार की कठिनाइयाँ भी उत्पन्न होती हैं। यह कठिनाइयाँ इस कारण उत्पन्न होती हैं कि मांग और पूर्ति में सामान्य सन्तुलन स्थापित होने के लिए क्षेत्र अति सीमित हो जाता है। यदि यह कहा जाय कि मांग और पूर्ति के बीच सन्तुलन स्थापित ही नहीं होता, तो बिलकुल सच होगा, उलटा भंग और हो जाता है। सरकार वस्तुओं के मूल्य नीचे रखती है जिनका परिणाम यह होता है कि उत्पादक नियमित मूल्य वाली वस्तुओं को उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होते। यह कठिनाई इस प्रकार दूर की जा सकती है कि भारी ही औद्योगिक या सारी ही कृषिक वस्तुओं के मूल्य नियन्त्रित कर दिए जायें। फिर भी ऐसा अवश्य होगा कि प्रत्येक वस्तु के मूल्य समान नहीं होंगे और उत्पादक केवल उन्हीं वस्तुओं को उत्पन्न करेंगे जिनके मूल्य अधिक होंगे इसलिए मूल्य नियंत्रण करने की नीति अपनाते के साथ-साथ सरकार का यह भी निश्चित करना होगा कि आवश्यक वस्तुओं की उत्पत्ति में कोई भी न हो। यह सबविध है कि स्वतन्त्र उपज प्रणाली में मूल्य जब ही माँग और पूर्ति में समायोजन स्थापित करता है। मूल्य कम होने में पूर्ति घटती है और माँग बढ़ती है। इस प्रकार मूल्य के परिवर्तन द्वारा मांग में भी परिवर्तन होते हैं। यदि मूल्य नीचे निश्चित किए जाय तो धनी व्यक्ति उस वस्तु को अधिक मात्रा में खरीद कर अपने पास रख लेंगे। परिणामतया उनको अनुचित लाभ प्राप्त होगा। दूसरी ओर निधन व्यक्तियों को वस्तुएँ मिल भी पायेंगी और उनमें उपभोग का स्तर गिर जाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि मूल्य नियंत्रण के साथ-साथ वस्तु की पूर्ति को भी इस प्रकार नियमित किया जाय कि सभी व्यक्तियों को समान मात्रा में वस्तु प्राप्त हो सके। अन्तिम और सबसे बड़ी कठिनाई इस प्रकार की नीति में यह होती है कि व्यक्तियों का नैतिक स्तर गिरता जाता है और चरित्रहीनता बढ़ती जाती है। पूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होने के कारण वस्तुओं की विक्री चोरी से होने लगती है और इस प्रकार चोर बाजारी और नफा खोरी बढ़ती जाती है। किन्तु आदर्श की बात यह है कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति एसी स्थिति के विरुद्ध शिक्षित भी करता है और भाग भी लेता रहता है। उधर मूल्य नियंत्रण सम्बन्धी प्रबन्ध वर्त्ता तथा अन्य सरकारी कर्मचारी गिरते लेना आरम्भ कर देने हैं और ऐसी कार्यवाहियों की ओर ध्यान ही नहीं देते। हम सब ही एसी स्थिति से प्रसन्नता परिचित हैं क्योंकि द्वितीय महायुद्ध काल में ऐसी ही स्थिति थी। इसलिए नीचे स्तर पर मूल्य निश्चित करने का कार्य कोई सरल नहीं है और सरकार उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों सभी को अपना २ सहयोग देना होगा और सततता से काम करना होगा।

(ब) नीचे गिरते हुए मूल्यों पर निम्नलिखित—बढ़ते हुए मूल्यों की भाँति गिरते हुए मूल्य भी समाज के लिए हितकर नहीं होते। मुद्रा प्रसार में मूल्य बढ़ते हैं और मुद्रा-संकुचन या मदी काल में मूल्य गिरते हैं। गिरते हुए मूल्यों के कारण उत्पादकों के लिये लाभ की दर कम हो जाती है, वे अपने उत्पादन को कम करने लगते हैं,

कारखानों में छटनी होने लगती है और इस प्रकार समाज में बेकारी उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में समाज के लिये ही कष्टदायी होती है। इसमें उत्पादकों को तो हानि होती ही है, परन्तु उपभोक्त्याओं को भी इससे लाभ नहीं होता है क्योंकि बेकार होने के कारण वस्तुएँ सस्ती होती हुए भी वे उनको नहीं खरीद पाते हैं। इसीलिए विभिन्न देशों में अन्वेषण और गरीबों को रोकने के लिये ताकि मूल्य न गिरने पायें और बेरोजगारी न बढ़ने पायें सरकारों ने मूल्य नियन्त्रण की नीति द्वारा मूल्यों को ऊँचे स्तर पर निश्चित करने का प्रयत्न किया है। इस नीति के अनुसार सरकार वस्तु को ऊँचे मूल्य पर खरीदना आरम्भ कर देती है ताकि मूल्य नीचे न गिरने पायें और वस्तुओं की उत्पत्ति पर प्रतिबन्ध लगा कर उनकी पूति को भी बढ़ने से रोकती है। ऐसी नीति मन् १९३० के मदी काल में मध्यकृत राज्य तथा अन्य देशों में अपनाई गई थी। यह ध्यान रहे कि इस नीति में मूल्यों के गिरने की समस्या पूर्णतया नहीं सुलभ पाती। चाहे सरकार कितनी ही कोशिश करे मूल्य गिरते हैं और गिरते ही चले जाते हैं।

(स) मूल्य स्थिरता—बहुत ऊँचे मूल्य और बहुत नीचे मूल्य इतने हानिकारक नहीं हैं जितने कि निरन्तर गिरते हुए या निरन्तर बढ़ते हुए या कभी गिरने हुए या कभी बढ़ते हुए मूल्य घुरे होते हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई भी निश्चित निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसलिये आर्थिक एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में अनिश्चितता रहती है। यही कारण है कि बहुत बार मूल्यों को स्थायी रखने का प्रयत्न किया गया है। इसी को मूल्य स्थिरता कहते हैं। इस नीति में मूल्यों को एक निश्चित सीमा में न तो ऊपर ही और न नीचे ही जाने दिया जाता है। परन्तु व्यवहार में यह नीति इतनी सरल नहीं होती जितनी कि सिद्धान्त में। मूल्यों को स्थिर रखने के लिये अधिकार सरकारों ने मूल्य बढ़ने की दशा में वस्तुओं को बेचा है और मूल्य गिरने की दशा में वस्तुओं को खरीदा है और इस प्रकार माँग और पूति में समायोजन स्थापित करने का प्रयत्न किया है। परन्तु प्रश्न यह है कि सरकार किस सीमा तक वस्तुओं को खरीद सकती है और किस सीमा तक वस्तुओं को बेच सकती है। क्योंकि सरकार की क्रियाओं का क्षेत्र और साधन सीमित ही तो होते हैं। इसलिये यह नीति जल्दी समय सफल हो सकती है जबकि इसके साथ-साथ अन्य प्रकार के उपाय भी अपनाये जायें।

मूल्य नियन्त्रण की परोक्ष रीतियाँ—उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मूल्य नियन्त्रण की प्रत्यक्ष रीतियों में कुछ न कुछ कीटनाइयाँ अवश्य ही उत्पन्न होती हैं। उनको प्रभावयुक्त बनाने के लिये यह आवश्यक है कि परोक्ष रीतियों को भी उनके साथ-साथ अपनाया जाय। यह नीतियाँ तीन प्रकार की हो सकती हैं अर्थात् मुद्रा एवं भाव में परिवर्तन करके, करारोपण के स्तर में परिवर्तन करके और विदेशी आयातों एवं निर्यातों को नियन्त्रित करके। हम सभी इसमें परिचित हैं कि किसी भी देश में मूल्य स्तर एक बड़ी सीमा तक मुद्रा और साख की मात्रा से प्रभावित होता है। मुद्रा की अधिक निकासी से मूल्य बढ़ते हैं या बैंको से अधिक साख गृहण से भी मूल्यों में वृद्धि होती है और इसलिये ऐसे समय में सरकार देश की केन्द्रीय बैंक द्वारा साख

नियन्त्रण की नीति अपना कर मूल्यों को बढन से रोकती है। ठीक इसके विपरीत मुद्रा सञ्चयन और अक्सर की स्थिति में करती है। विदेशी वित्तिय दसों को नियन्त्रित करने और मुद्रा का अक्षयकरण करने विदेशी आयाता और निर्यातों को भी सरकार नियन्त्रित करती है और मूल्यो व परिवर्तना को रोकती है। इसी प्रकार पुराने करा की दर म वृद्धि करके या नम कर लगा कर या ठीक इमका उल्टा करके मूल्यो को नियन्त्रित किया जाता है। इसी प्रकार विदेशी आयातों पर कर लगा कर या पुरानों दर म वृद्धि करके आयाता को घटाया जाता है और निर्यात करों को कम करके निर्याता का बढाया जाता है। फलस्वरूप मूल्य बढने लगते हैं। इसी प्रकार आयात करा को कम करके और निर्यात करा को बढा कर मूल्य गिरावे जाते हैं। मूल्य गिरने की स्थिति म वस्तुओं पर उत्पादनो एव उपभोग कर लगा कर मूल्य ऊँचे किये जाते हैं और ऐम करों को कम करके मूल्य कम किये जाते हैं। कभी कभी वस्तुओं के आयात निर्यात पर प्रमाणात्मक नियन्त्रण भी लगाये जाते हैं जैसे, आयातों और निर्यातों के अभियन्त निश्चित कर देना या वस्तुओं के स्वतन्त्र व्यापार पर नियन्त्रण कर देना। इसी प्रकार दस म वस्तुओं की कीमतों को कम करने के लिये उत्पादनो को आर्थिक सहायता देना एकाधिकारिया को कार्यवाहियों को नियन्त्रित करना, सड़ते बाजारों की क्रियाओं पर नियन्त्रण रखना इत्यादि उपायों से भी मूल्य नियन्त्रित किये गये हैं।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि मूल्य नियन्त्रण नीति की सफलता के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार की रीतियाँ अपनाई जायें।

भारत में मूल्य नियन्त्रण सम्बन्धी नीतियाँ—भारत में भी अन्य देशों की भाँति मूल्यो में समय समय पर परिवर्तन हात रहे हैं परन्तु मूल्य सम्बन्धी समस्याओं पर केवल द्वितीय महायुद्ध के काल में ही सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ था। प्रथम महायुद्ध के काल में मुद्रा प्रसार के कारण मूल्यो में बहुत अधिक वृद्धि हुई और मन् १९२१ के बाद ही मूल्य गिरने आरम्भ हुए थे और अन्त में सन् १९२६ में महान मदी का आरम्भ हो ही गया था। जैसे तो सारे सनार में ही व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों में मदी आई थी परन्तु इसका प्रभाव सबसे अधिक भारत जैसे कृषि प्रधान देश पर पडा था जिससे समाज के सभी वर्गों को काफी नष्ट सहन करने पडे थे। यह मदी सन् १९३० तक चलती रही। सन् १९३६ में युद्ध आरम्भ हो ही मूल्य ऊपर चढने लगे। यह अवश्य है कि सन् १९४० में मूल्यो में कुछ कमी अवश्य है गई थी परन्तु सन् १९४१ में मूल्यो का वृद्धिकर स आरम्भ हुई और मन् १९४३ तक मूल्य काफी ऊँचे हो चुके थे। इस मूल्य वृद्धि के मुख्य कारण इस प्रकार थे। प्रथम, सरकार की युद्ध सम्बन्धी वित्तीय नीति उचित न थी। ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत सरकार ने भारत में बहुत सामान खरीदा था जिसके बदले में भारत को केवल स्टर्लिंग प्रतिभूतियाँ (Sterling Securities) ही प्राप्त हुई थी। यह प्रतिभूतियाँ भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करादी थी जिनकी आड पर रिजर्व बैंक ने बाणजी मुद्रा छाप दी थी। सन् १९३८-३९ में केवल

१२९१० करोड़ रुपये की ही मुद्रा चलन में थी परन्तु सन् १९४५-४६ में इसकी मात्रा बढ़कर १२१८७७ करोड़ रुपये हो गई थी। इसी प्रकार अनुसूचित बैंकों की जमा में भी बहुत वृद्धि हुई थी। सन् १९३८-३९ में बैंक जमा की मात्रा २२७०११ करोड़ रुपये थी और सन् १९४५ में यह बढ़कर ६५८३२ करोड़ रुपये हो गई थी। इस प्रकार मुद्रा और बैंक जमा में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण ही मूल्यों में वृद्धि हुई थी। साथ ही साथ वस्तुओं का उत्पादन माँग की अपेक्षा बहुत कम था। जितना उत्पादन हो रहा था उसमें अधिकांश सैनिकों के लिए भेज दिया जाता था। साधारण जनता के उपभोग के लिए बहुत कम मात्रा में वस्तुएँ प्राप्त हो रही थी। एक ओर क्रय शक्ति बढ़ रही थी और दूसरी ओर वस्तुओं की पूति कम हो रही थी जिसके कारण मूल्य बढ़ते ही गये। वस्तुओं की कमी का एक कारण यह भी था कि जैसे जैसे युद्ध में प्रगति होती गई सट्टेबाजी भी बढ़ती गई और व्यक्तियों की आसचन प्रवृत्ति में भी वृद्धि होती गई। इसके प्रतिरिक्त यातायात के साधनों की कमी ने कारण भी वस्तुओं का उचित वटवारा न हो सका। इन सब कारणों से मूल्य बढ़ते ही गए।

सरकार को मूल्य वृद्धि का आभास सर्वप्रथम सन् १९३९ में ही हुआ। मूल्य इतने अधिक बढ़ गए थे कि सरकार के लिए स्थिति पर पूर्ण नियन्त्रण रखना असम्भव होता जा रहा था और व्यक्तियों में असन्तुष्टि भी उत्पन्न हो रही थी। समस्या की विपमता को समझ कर सरकार ने तीन प्रकार के उपाय किये। प्रथम, सरकार ने मूल्य नियन्त्रण नीति निर्मित की और वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण के लिये रक्षामित्र प्रणाली चालू की। प्रमुख वस्तुओं के मूल्यों को नियमित करके सरकार ने उनका रसायनिक कर दिया। सरकार ने जो दूसरा उपाय किया उसका सम्बन्ध मुख्य रूप से मैन्यूफैक्चर और बजट सम्बन्धी क्षेत्रों से था। कुछ समय के लिये नोटों की निकाली को धीमा कर दिया। रिजर्व बैंक ने तोते को बेचना आरम्भ कर दिया, केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों ने ऋण प्राप्त किये और बचत आन्दोलन आरम्भ किया और सरकार ने अपने खर्चों में भी बहुत कमी की। तीसरे प्रकार के उपायों में सरकार ने औद्योगिक एवं कृषिक वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए। सन् १९४३ में अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन आरम्भ किया।

परन्तु सरकार को इन प्रयत्नों में आशातीत सफलता प्राप्त न हो सकी। बहुत अधिक मात्रा में वरों की खोरी हुई और सरकार को अपनी आशा से कम ही ऋण प्राप्त हुए। चोर बाजारी ने तो सरकार की मूल्य नियन्त्रण नीति की कमर ही तोड़ दी थी। युद्ध समाप्त होने के बाद यह आशा की जाती थी कि मूल्य कम होंगे परन्तु ऐसा न हुआ और सन् १९५१ में थोक मूल्यों का सूचक सूचक ४६२ हो गया था। मूल्यों के इस प्रकार निरन्तर बढ़ते जाने के भी कई कारण थे। इन कारणों ने सुविधाजनक अध्ययन के लिए सन् १९४५ से १९५१ तक के काल को निम्न दो भागों में विभाजित कर सकते हैं—

(अ) अवमूल्यन से पहले का काल—अगस्त सन् १९४५ से सितम्बर सन्

आयात नीति को अधिक उदार कर दिया, अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन की ओर अधिक ध्यान दिया और विकास योजनाएँ चालू कीं। परन्तु इन सभी प्रयत्नों से उत्पादन में कोई विशेष वृद्धि न हुई और मूल्य कम न हो सके। सरकार को फिर से कंट्रोल लागू करने पड़े। साथ ही साथ सरकार ने अन्य उत्पादक व्ययों को तुरन्त ही बन्द कर दिया, विकास योजनाओं को स्थगित कर दिया, सम्मिलित पूंजी कम्पनियाँ से व्यक्तियों को प्राप्त होने वाला लाभ को नियन्त्रित कर दिया और आयातों में वृद्धि की। इन सबके परिणामस्वरूप मूल्यों में कुछ कमी अवश्य हुई और मार्च सन् १९४६ में सूचक अंक गिरकर ३७० रह गया।

(घ) अवमूल्यन के बाद के काल में मूल्य वृद्धि के निम्न कारण थे —

(१) रुपए का अवमूल्यन—मिसेम्बर सन् १९४६ में रुपए का अवमूल्यन हो जाने से अमेरिका, पाकिस्तान और जापान से आने वाली वस्तुओं के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई। साथ ही साथ देशी वस्तुओं के निर्यातों में वृद्धि होने से उनके मूल्य भी देश में बढ़ गये थे और इस प्रकार अवमूल्यन से सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि ही हुई।

(२) आयात नियन्त्रण—उन समय व्यापार सन्तुलन भारत के विपक्ष में था। भारत के विदेशी वित्तिय कोष कम होते जा रहे थे इसलिये सरकार को विदेशी आयातों पर कड़े प्रतिबन्ध लगाने पड़े। परिणामस्वरूप मूल्यों में और भी वृद्धि हुई।

(३) कोरियाई युद्ध—कोरियाई युद्ध का प्रभाव भारत पर भी पड़ा और भारत के निर्यातों में वृद्धि होने से वस्तुओं के मूल्य और भी बढ़ गये। २४ जून सन् १९५० को मूल्य सूचक अंक जो ३६७ था वह अप्रैल सन् १९५१ को ४६२ हो गया था। स्पष्ट ही है कि कोरियाई युद्ध से मूल्यों में वित्तीय अधिक वृद्धि हुई थी।

(४) भारत-पाकिस्तान व्यापार सम्बन्धी कठिनाइयाँ—भारतीय रुपया के अवमूल्यन से भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले व्यापार में बहुत कमी हो गई थी। जिसके फलस्वरूप बपास और जूट के मूल्य काफी बढ़ गये थे।

कोरियाई युद्ध के छिड़ते ही सन् १९५० में वस्तुओं की पूर्ति एव मूल्य सम्बन्धी Ordinance निकाला गया जिसके आधीन ११ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों, उनकी पूर्ति एव वितरण को नियन्त्रित करने की व्यवस्था की गई। भारतीय निर्यातों को बन्द करने के लिये ताकि आन्तरिक मूल्य कम हो जायें, निर्यात करा ग भी वृद्धि कर दी गई, और फरवरी सन् १९५१ में भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार फिर से दारुण हो गया। इसके प्रतिनिवत नवम्बर सन् १९५१ में रिजर्व बैंक ने बैंक दर को ३ से ३३% कर दिया। उन सब प्रयत्नों से मूल्य गिरने शुरू हुए। मूल्यों के गिरने में सबसे अधिक सहायता दो कारणों से प्राप्त हुई। एक तो केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों ने घाटे के बजटों के स्थान पर लाभ के बजट बनाये और दूसरे इमी बीच में कृषिक एव औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि हुई थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि सन् १९५२ में मूल्य इतने गिर गये थे कि सरकार को मूल्यों को और

ही मूल्य बढ़ते हैं। इसीलिये युद्धकाल और विकास योजना काल में मूल्यो में विशेष वृद्धि होती है। परन्तु कठिनाई तो इस बात की होती है कि न तो ऋय-शक्ति को कम करने की कोई प्रभावयुक्त विधि होती है और न उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि करना ही सम्भव होता है। जिसका परिणाम यह होता है कि चोर-बाजारी और भ्रष्टाचार बढ जाता है। इनको रोकने की एक-मात्र विधि यह ही है कि सरकार नियन्त्रित मूल्य पर वस्तुओं का बढकारा स्वयं करे ताकि उपभोक्ताओं को मूल्य भी अधिक न देने पडे, वस्तुएँ भी प्राप्त हो जाएँ, चोर-बाजारी भी कम हो जाय और वस्तुओं का आसचन भी बन्द हो जाय। स्वतन्त्र उपक्रम प्रणाली में माँग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियाँ मूल्य निर्धारित करती है और स्वयं मूल्य द्वारा निर्धारित होती है परन्तु मूल्य नियन्त्रण की अवस्था में माँग और पूर्ति में स्वतन्त्र सामन्जस्य नहीं हो पाता और वस्तुओं का वितरण भी प्राकृतिक रूप से नहीं हो पाता। जब मूल्य कृत्रिम उपायो से निर्धारित न होकर स्वतन्त्र रूप से निश्चित होता है प्रत्येक व्यक्त को इस बात की स्वतन्त्रता होती है कि वह जितनी मात्रा में चाहे वस्तु को खरीदे, जिसका परिणाम यह होता है कि वस्तु की पूर्ति तुरन्त ही समाप्त हो जाती है। परन्तु जब कृत्रिम विधियों से मूल्य नीचा रखा जाता है, तब यह स्वभाविक ही है कि माँग पूर्ति की प्रपेक्षा अधिक हो जाय। उपभोक्ताओं को वस्तुओं की प्राप्ति या तो उनके अपने प्रभाव से हो या उनको अपना अमूल्य समय नष्ट करके लम्बी-लम्बी लाइनों में खडे होकर वस्तु को प्राप्त करना पडे।⁴ इसलिये उपभोक्ताओं को इन कठिनाइयो से बचाने के लिये, और उनके उपभोग स्तर को न गिरने देने के लिये, यह आवश्यक है कि मूल्य नियन्त्रण के साथ-साथ वस्तुओं के वितरण को भी नियमित किया जाय। दूसरे शब्दों में राशनिय प्रणाली स्थापित की जाय। परन्तु यह समझ लेना एक बड़ी भूल होगी कि राशनिय सदैव ही मूल्य नियन्त्रण के साथ ही चलता है। यद्यपि इसमें कोई सदेह नहीं कि मूल्य नियन्त्रण की सफलता के लिये राशनिय अनिवार्य है, परन्तु व्यवहार में मूल्य नियन्त्रण के बिना भी राशनिय व्यवस्था की आवश्यकता हुई है। ऐसा उस समय हुआ है, जबकि सरकार ने किसी वस्तु के उपभोग को नियन्त्रित करना आवश्यक समझा है।

राशनिय व्यवस्था का प्रयोग लगभग प्रत्येक समय में ही, वस्तुओं की कमी से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयो को दूर करने के लिये किया गया है, परन्तु इसका विस्तृत उपयोग प्रथम महायुद्ध में ही हुआ था। युद्ध-काल में वस्तुओं की कमी हो जाना स्वाभाविक ही है, इसीलिये प्रथम महायुद्ध में भाग लेने वाले लगभग प्रत्येक देश में ही राशनिय व्यवस्था चालू की गई थी। दूसरे महायुद्ध काल में तो इसका उपयोग और भी बढचढ कर किया गया। परन्तु यह केवल कुछ ही देशों जैसे ग्रेट-ब्रिटेन में ही सफल हुई है। सच तो यह है कि राशनिय व्यवस्था की कार्य विधि बहुत ही जटिल होती है और तनिक सी लापरवाही से सब कुछ चोपट हो सकता है। इसलिये इसकी सफलता निम्न बातों पर निर्भर करती है —

(अ) सर्व प्रथम, प्रशासन में पूर्ण समन्वय होना चाहिये और वस्तुओं का वितरण एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार होना चाहिये ताकि ठीक समय पर उचित स्थानों पर वस्तुओं को भेज दिया जाय।

(ब) दूसरे, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का उचित ज्ञान होना भी आवश्यक है, ताकि उसी के अनुसार यह निर्धारित किया जा सके कि किस क्षेत्र में वस्तु की कितनी मात्रा भेजी जाय। सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं का सही ज्ञान उसी समय हो सकता है, जबकि प्रत्येक मकान में रहने वालों की मर्यादा सम्बन्धी सूचना प्राप्त की जाय। इस सूचना को प्राप्त करके एक राशनकार्ड बनाया जाय और प्रत्येक घर में एक कार्ड दे दिया जाय, जिसको दिखाकर वह वस्तु खरीद ले। व्यवहार में यह ही रीति अपनाई गई है। बहुधा सरकारों ने वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण के लिये प्रत्येक व्यक्ति के लिये वस्तु की मात्रा निश्चित की है, परन्तु कहीं-कहीं पर एक अधिकतम सीमा निश्चित करके उपभोक्ताओं को यह भी स्वतन्त्रता दी गई है कि अपना इच्छानुसार कितनी वस्तु चाहे खरीदें।

(स) तीसरे वस्तुओं की पूर्ति को ध्यान में रखकर प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से वस्तु की मिलने वाली मात्रा निर्धारित की जाय। यह मात्रा ऐसी होनी चाहिये, जो औसत व्यक्ति की आवश्यकता से न तो कम हो और न अधिक, क्योंकि यदि कम होगी तो व्यक्ति का जीवन स्तर गिर जाने में उसको कार्य कुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और अधिक होने से वस्तु की बचत होने की सम्भावना रहेगी।

(द) अन्त में राशनिंग कर्मचारी और जनता दोनों ही में ईमानदारी रहनी चाहिये। यदि राशनिंग अधिकारियों में बेईमानी और घुसखोरी की भावना जाग्रत हो जायगी तो जहाँ राशन कार्ड बनेंगे और वस्तुएँ और-बाजारी से बिकेंगी। इसी प्रकार यदि व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों की संख्या को बढ़ा-नटाकर बताता है तो इसके सारे समाज को ही हानि होगी और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण भी नहीं हो पायेगा।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि राशनिंग प्रणाली की व्यवस्था कोई सरल बात नहीं है। साथ ही साथ यह भी ध्यान रहे कि इस प्रणाली में उपभोक्ताओं की स्वतन्त्रता बहुत कुछ कम हो जाती है। वे अपनी इच्छानुसार वस्तुओं का उपभोग नहीं कर पाते। उनको उन्हीं वस्तुओं का उपभोग करना पड़ता है जोकि उन्हें राशनिंग प्रणाली में दी जाती हैं। ग्रेट ब्रिटेन में उपभोक्ताओं को अधिक स्वतन्त्रता प्रदान करने के लिये प्रयत्न किये गये थे। वहाँ पर सरकार ने प्रत्येक वस्तु के कुछ बिन्दु (Points) निर्धारित कर दिये थे और हर एक व्यक्ति के लिए इन बिन्दुओं की एक अधिकतम संख्या निर्धारित कर दी थी जिसके अन्तर्गत वस्तुओं को जिस प्रकार चाहे खरीद सकता था। अतः कुछ सीमा तक राशनिंग प्रणाली में उपभोक्ताओं को होने वाली अनुविधायी कम अवश्य हो गई थी परन्तु राशनिंग प्रणाली की व्यवस्था में प्रबन्ध सम्बन्धी कठिनाइयाँ तब भी उपस्थित रही। परन्तु इन कठिनाइयों को दूर नहीं किया जा सकता और कितने ही प्रयत्न इन और क्यों न किये जायें फिर भी इन

प्रणाली में अनुमानों से काम अवश्य ही लेना पड़ेगा और यह प्रणाली कभी भी सरल और दोष रहित नहीं बनाई जा सकती। इस सम्बन्ध में केवन ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अपने विचार प्रकट किये हैं जिनको प्रो० पीगू ने अपनी पुस्तक में दुहराया है। वह कहते हैं कि "समान आय वाले परिवार जिन अनुपातों में विभिन्न जीवन की अनिवार्यताओं का उपभोग करते हैं वे अलग-अलग होते हैं। साधारण समझ में वे अपने व्यय को विभिन्न अनिवार्यताओं में इस प्रकार विभाजित करते हैं जिसे वे सबसे अच्छा समझते हैं, कुछ रोटियाँ अधिक प्राप्त करते हैं, कुछ मांस और दूध आदि-आदि। राजनिग कर देने से इस प्रकार की भिन्नताएँ समाप्त हो जाती हैं, हर परिवार को हर वस्तु की, प्रति व्यक्ति समान मात्रा दी जाती है, आयु, लिंग, पेशा आदि बातों पर बड़ी कठिनाई से ही ध्यान दिया जा सकता है।"⁶ इसलिये अच्छा तो पही होगा कि राजनिग प्रणाली केवल आर्थिक संकट काल में ही स्थापित की जाय।

भारत में राजनिग प्रणाली—भारत में राजनिग का आरम्भ द्वितीय महायुद्ध काल में हुआ था। युद्ध के प्रारम्भिक वर्षों में सरकार ने केवल मूल्यों की नियन्त्रित करके ही स्थिति को ठीक करने का प्रयत्न किया था परन्तु स्थिति को बिगड़ता देख कर सरकार ने सन् १९४३ में बम्बई शहर में राजनिग व्यवस्था की। धीरे-धीरे मार्च सन् १९४५ तक भारत के बड़े बड़े शहरों में भी राजनिग व्यवस्था चालू कर दी गई और मद्रास और बम्बई में तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी राजनिग व्यवस्था लागू कर दी गई थी। फिर भी जो कुछ प्रयत्न किये गये थे वे देश की आवश्यकता के अनुरार नहीं थे और राजनिग का क्षेत्र काफी सन्कुचित रहा। सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति के लिये एक पींड और प्रत्येक बच्चे के लिये ३ पींड की मात्रा निर्धारित की थी परन्तु बाद में समय-समय पर इस मात्रा को घटाया गया था।

यह ध्यान रखने योग्य बात है कि भारत में राजनिग केवल खाद्यान्न के सम्बन्ध में ही किया गया था। जहाँ तक अन्य उपभोक्ताओं की वस्तुओं का सम्बन्ध था उनकी पूर्ति को भी नियमित करने के लिये प्रयत्न किये गये थे। कुछ क्षेत्रों और शहरों में चीनी का भी राशन कर दिया गया था। कपड़े पर भी कंट्रोल लगाया गया था और कुछ स्थानों पर कपड़े का राजनिग भी कर दिया गया था। इसी प्रकार मिट्टी के तेल का भी राशन कर दिया गया था। परन्तु भारत की राजनिग व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि राशन की मात्रा प्रत्येक स्थान पर अलग अलग थी, जिसको किसी वैज्ञानिक आधार पर निश्चित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण देश के लिये राजनिग की समुचित व्यवस्था भी नहीं थी गई थी। कुछ क्षेत्रों में राजनिग व्यवस्था लागू कर दी गई थी और कुछ को बिलकुल ही छोड़ दिया गया था। यद्यपि भारत में राजनिग को आभासीतः सफलता प्राप्त न हो सकी थी फिर भी इतना अवश्य था कि कुछ क्षेत्रों में वस्तुओं का वितरण अधिक न्यायसंगत हो गया था। हमारे देश में इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह

था कि यह मूल्यों को नष्ट नहीं कर पाई थी। सच तो यह है कि हमारे देश की राशनिंग प्रणाली अन्य देशों की तुलना में एक कौरा मझक ही थी। मात्र भी कुछ वस्तुओं का नियन्त्रित वितरण किया जा रहा है जैसे कीचला आदि धीरे-धीरे का तो सरकार ने एक प्रकार का राशनिंग फिर से चालू कर दिया है। पिछले कुछ महीनों से सरकार ने गेहूँ के वितरण के लिये सरकारी गल्ले की दुकानें प्रत्येक नगर में चालू कर रखी हैं। इन दुकानों से उचित मूल्यों पर गेहूँ की एक निश्चित मात्रा निम्न आय वाले व्यक्तियों को दी जाती है। सरकार ने जनता की सुविधा के लिये राशन कार्डों की व्यवस्था भी कर दी है।

वस्तुओं में मिलावट (Adulteration in Commodities)—

अभी हमने सरकार द्वारा वस्तुओं की पूर्ति एवं मूल्य नियन्त्रण सम्बन्धी बातों का अध्ययन किया है। साधारणतया वस्तुओं के मूल्यों एवं पूर्ति को नियन्त्रित करने की नीति पूर्णतया अपल नहीं हो पाती। इस असफलता का एक कारण यह हो सकता है कि व्यापारी लोग लाभ कमाने के लालच से वस्तुओं में मिलावट कर देते हैं, जिससे वस्तुओं के गुण कम हो जाते हैं और वह घटिया हो जाती है। ऐसा उभ समय होता है जबकि सरकार वस्तुओं के नीचे मूल्य निश्चित करती है। व्यापारी लोग प्रस्तु में घटिया किसम की वस्तुएँ मिलाकर बचने लगते हैं। रात वर्षों में मिलावट करने की आदत लोगों में बहुत उत्पन्न हो गई है। अन्य वस्तुओं की अपेक्षा खाने की वस्तुओं एवं दवाइयों में मिलावट करना एक साधारण सी बात समझी जाने लगी है। इस प्रथा से सारे समाज को ही हानि पहुँचती है। इन्तिए राज्य का यह भी कर्तव्य है कि वह इस सामाजिक बुराई को रोकें और समाज को ऐसी कुरीतियों से बचावे।

वस्तु में मिलावट करने का प्रतिप्राय यह है कि किसी 'प्रमाणिकृत' (Standard) वस्तु में जिसके मूल्य काफ़ी ऊँचे हो उसी से मिलती-जुलती ऐसी सस्ती वस्तु को मिलाया जाय जिससे वस्तु के गुणों में कमी हो जाय परन्तु उसके दाम उतने ही प्राप्त हो जितने कि प्रमाणिकृत वस्तु के। यह मिलावट कई प्रकार से की जा सकती है प्रथम प्रकार की मिलावट ऐसी हो सकती है जिससे वस्तु के गुणों को कम कर दिया जाय, या उसकी शक्ति को कम कर दिया जाये जैसे, गेहूँ के घाटे में मक्का या जौ का घाटा मिलाना, सरसों के तेल में लाहा का तेल मिलाना दूध में पानी मिलाना इत्यादि। दूसरे प्रकार की मिलावट ऐसी हो सकती है जिसमें किसी घटिया वस्तु को मिलाने के स्थान पर वस्तु के मूल्यवान मौलिक गुणों को किसी विधि द्वारा कम कर दिया जाये जैसे दूध में से मक्खन निकालने के पश्चात् उसे घालित दूध के स्थान पर बेचना। अंतिम प्रकार की मिलावट ऐसी हो सकती है जिसमें किसी मूल्यवान वस्तु के स्थान पर घटिया वस्तु को मूल्यवान वस्तु की तरह बेचा जाय, जैसे बनस्पति घी को देसी घी की तरह बेचना या लेबिल बनाना देना या पैकेज बदल देना या असली क्यूटीफोरा पाउडर के टिब्रों में तेलम सरिया भर कर

वेचना। स्पष्ट है कि इन सब विधियों से उपभोक्ताओं को कितनी हानि होती है। एक ओर तो उन्हें दाम पूरे देने पर भी असली वस्तु नहीं मिल पाती दूसरी ओर घटिया वस्तु के सेवन से स्वास्थ्य और खराब होता है। खाने की वस्तुओं और दवाइयों में मिलावट करना तो बहुत ही घातक हो सकता है। इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि इस प्रकार की रीतियों को बन्द किया जाय। यदि दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाय तो यह सरासर बेईमानी और धोखेबाजी है। उपभोक्ताओं को घटिया वस्तु बेकर असली वस्तु जैसे मूल्य ले लेना धोखा नहीं तो और क्या है? इसके अतिरिक्त खाने की वस्तुओं में मिलावट करने से अनेको प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं। दवाइयों में मिलावट करने से तो मरीज की मृत्यु तक हो सकती है।

वस्तुओं में मिलावट करने से केवल उपभोक्ताओं को ही हानि नहीं होती बल्कि उत्पादकों को भी हानि होती है। जो उत्पादक ईमानदार होने हैं, और मिलावट करना बेईमानी समझते हैं, वे मिलावट करके वस्तुओं को बेचने वाले उत्पादकों से प्रतियोगिता नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे असली वस्तुओं को उतने सस्ते मूल्यों पर नहीं बेच सकते जिन पर कि मिलावट की हुई वस्तुएँ विकती हैं। उनकी विक्री कम होनी है और उन्हें हानि होती है और अन्त में या तो उन्हें भी मिलावट करने पर विवश होना पड़ता है या अपना उत्पादन बन्द कर देना होता है। यदि वे मिलावट करना आरम्भ कर दें तो फिर इस दूषित चक्र (Vicious Circle) का कभी भी अन्त नहीं पायेगा और यदि वे ऐसा नहीं करने तो उन्हें अपना उत्पादन बन्द करना पड़ेगा जिससे समाज को खालिस वस्तुओं का मिलना ही कठिन हो जायेगा। दुर्गके अतिरिक्त जब प्रमाणीकृत वस्तुओं के डिब्बों में नकली वस्तुएँ भर कर बेची जायेंगी, तो इससे जनता का विश्वास टिग जायेगा और उनकी प्रसिद्धि भी समाप्त हो जायेगी; यह भी नहीं बल्कि जनता का विश्वास फिर असली वस्तुओं पर से भी उठ जाता है। हर व्यापारी और उत्पादक बेईमान समझा जाने लगता है। इस प्रकार ऐसे दूषित वातावरण में न तो व्यक्तियों में अमली और मिलावट की हुई वस्तुओं के बीच भेद करने की रूचि हो रहती है और न पहिचान करने की शक्ति ही और दूसरी ओर ईमानदार उत्पादकों को न तो कोई प्रोत्साहन ही मिलता है और न उनके लिये व्यापारिकजगत में कोई स्थान ही रहता है।

आधुनिक मनुष्य ने बेईमानी करने के लिए अपनी बुद्धि का बड़ा ही उत्तम प्रयोग किया है। यह बात वस्तुओं में मिलावट करने के सम्बन्ध में तो और भी सही उतरती है। मिलावट करने वालों ने वस्तुओं में मिलावट करने में बड़े ही निराले और श्रद्धुत ढंग का प्रयोग किया है, जैसे खाने की वस्तुओं में मिलावट करने में सफल होने के लिए वस्तुओं में भिन्न-भिन्न प्रकार के रंग दिये गये हैं, धनावटी लुप्त हो गई है दवाइयों के डिब्बों पर गलत लेबिल लगाना या असली दवाई के डिब्बों में नकली दवाई बेचना या किसी ख्यात ब्रांड की प्रसिद्ध दवाइयों के लेबिलों को गैर कानूनी ढंग से छपवा कर नकली दवाइयों के डिब्बों पर चिपकाना या इस प्रकार के डिब्बे बनवाना जैसे कि प्रसिद्ध वस्तुओं के हो और उनमें नकली वस्तुओं को भर कर

वेचना या प्रमाणीकृत वस्तुधा के पुराने दिव्यों में सस्ती घटिया वस्तुधों की प्रमाणीकृत वस्तु की तरह वेचना, इत्यादि ऐंगी विधियाँ हैं जिनके द्वारा मिलावट करने वाले बड़ी गुणवत्ता से उपभोक्ताग्रा को बेवकूफ बनाकर अपनी वस्तुधों की बिक्री करने में सफल हो जाते हैं।

मिलावट करना कोई नई क्रिया नहीं है। बेईमानी और धोकेबाजी बहुत पुराने समय से ही वैधानिक जर्म माने गये हैं और इसी प्रकार वस्तुधों में मिलावट करना भी बहुत प्राचीन समय से जाना जाता आया है। भारतमें, यनात, चीन, इंग्लैंड आदि देशों में इस क्रुरीति को रोकने के लिये प्राचीन समय से ही प्रयत्न होते आये हैं और सरकार को उतम सफलता भी प्राप्त हुई थी। परन्तु आजकल यह क्रुरीति अपनी चरम सीमा पर है और विज्ञान की उन्नति के साथ-साथ मिलावट करने की नित नई विधियाँ देखने में आ रही हैं। आजकल इस समस्या का रूप और आवार इतना विस्तृत हो गया है कि उपभोक्ता के लिये न तो कोई गुंजायश ही है और न उपभोक्ता के पास ऐंगी कोई विधि है जिससे वह वस्तुधों में की गई मिलावट को पहिचान सके और न उसमें पास उतनी शक्ति ही है जिससे वह इस क्रुरीति को रोक सके। अतः स्पष्ट है कि इसका अन्त करने का सम्पूर्ण दायित्व सरकार पर ही है। उन्नतियों देशों में सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को समझ कर समाज की सुरक्षा करने के लिये इस विषय में कानून बनाये हैं और साथ पदार्थों के लिये एक निश्चित मान (Standard) निर्धारित किया है।

भारत में वस्तुधों की मिलावट को रोकने के उपाय—भारत में भी वस्तुधों में मिलावट करने की प्रथा आजकल बहुत बढ़ गई है और आश्चर्य तो यह है कि मामूली से मामूली वस्तु में भी मिलावट की जा रही है। घी और दूध जैसी वस्तुधों का तो कुछ ठिकाना ही नहीं है। यह अनुमान लगाया गया है कि १६ से ६६% तक दूध में मिलावट करते हैं और घी में, ७ से ६१% तक मिलावट करते हैं।^{१०} सन् १९५४ तक लगभग प्रत्येक प्रायः खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिये कानून बने हुए थे। परन्तु यह मिलावट को बन्द करने में सफल नहीं हुए थे, क्योंकि निरीक्षण तथा प्रदग्ध करने के लिये इनके पास निरक्ष पंडे व्यक्तियों की कमी थी। इसके अतिरिक्त कानून में भी कमियाँ थीं इसलिये, भारतीय मजदूर ने सन् १९५४ में 'खाद्य पदार्थों में मिलावट निरोधक अधिनियम बनाया। यह अधिनियम सारे ही राज्य में लागू कर दिया गया है और यह प्राचीन अधिनियमों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है और अच्छा निरोधक भी। इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक खाद्य पदार्थ में मिलावट की हुई समझी जायगी यदि उसकी प्रकृति प्रकृतियाँ व गुण इस प्रकार की नहीं हैं जैसे कि बताये जाते हैं, यदि उसमें कोई ऐसी वस्तु मिला दी गई है जिससे कि वह हानिकारक वस्तु बन गये है, यदि उसने स्थान पर कोई ऐसी सस्ती वस्तु पूर्णतया या अंशतया मिला दी है जिससे कि मुख्य वस्तु हानिकारक हो गई है यदि वस्तुधों के

मौलिक गुणों को पूर्णतः या अंशतः कम कर दिया गया है, यदि उन्में गन्दे स्थानों पर तैयार किया गया है या गन्दे डिब्बों में बन्द किया गया है, यदि उसमें किसी जहरीली वस्तु का मिश्रण कर दिया है, यदि उसमें किसी गन्दी या सड़ी हुई वस्तु को मिलाया गया है, यदि उग वस्तु का डिब्बा किसी हानिकारक वस्तु का बनाया गया है, यदि प्रमाणित रंगा की अपेक्षा उसमें अन्य रंगों का प्रयोग किया गया है और यदि उसके गुण अथवा विन्दुना प्रमाणित स्तरों में नीचे है इत्यादि। इसके अतिरिक्त अधिनियम के अनुसार किसी वस्तु का अन्य व्यापार चिन्हों (Brands) के नाम से बेचना भी जुर्म है और इसके अन्तर्गत हर वह वस्तु सम्मिलित होगी जो या तो नकली है या किसी अन्य खाद्य पदार्थ से इतनी मिलती जुलती है कि धोका होने की सम्भावना है, या उसको किसी ऐसे स्थान या देश से सम्बन्धित कर दिया गया है जहाँ की वह नहीं है या लेबल पर या किसी अन्य प्रकार से उसके गुणों की झूठी और गलत व्याख्या की गई है। अधिनियम में कुछ खाद्य पदार्थों के लिये विशेष मान भी निश्चित कर दिये हैं और यह आवश्यक है कि वस्तुएँ उनी प्रमाण की बेची जायें। यदि कोई व्यापारी प्रमाणित मान से कम की वस्तुएँ बेचता है तो उसको दंड दिया जायेगा। अधिनियम में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि राज्य सरकारें चाहे तो वह खाद्य पदार्थों के निरीक्षण के लिये निरीक्षक नियुक्त कर सकती हैं जिनका काम व्यापारियों एवं उत्पादकों से खाद्य पदार्थों के नमूने इकट्ठे करना होगा। यह नमूने सरकारी विश्लेषण कर्त्ता (Public Analysts) के पास भेजे जा सकते हैं। यदि नमूनों में किसी प्रकार की मिलावट मिलती है तो उत्पादक एवं व्यापारी पर मुकदमा चलाया जा सकता है। यह निरीक्षक उन स्थानों का भी निरीक्षण कर सकते हैं जहाँ पर कि खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जा रहा है या बेचा जा रहा है या गोदामों में भरा जा रहा है। क्रेता भी वस्तुओं के नमूने सरकारी विश्लेषण कर्त्ता के पास भेज सकते हैं परन्तु उनको इसके लिये कुछ शुल्क देना पड़ेगा। यदि नमूने में किसी प्रकार की भी मिलावट मिलती है तब यह शुल्क वापिस कर दिया जायेगा। यदि किसी व्यापारी का चालान प्रथम बार हुआ है तो उसको एक वर्ष की सजा या तो २,०००) रुपए के जुर्माना या दोनों का दंड दिया जा सकता है और यदि किसी व्यापारी का यह पहला जुर्म नहीं है तब उसको चार वर्ष की सजा और जुर्माना दोना का दंड दिया जा सकता है।

बड़े लेद की बात है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत भी, खाद्य-वस्तुओं की, मिलावट अभी तक चल रही है इसका मुख्य कारण यह है। कि कर्मचारियों के अभाव में यह सम्भव नहीं है कि सब कारखानों और सस्थाओं का निरीक्षण किया जावे। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों में घुमन्वारी और भ्रष्टाचार बहुत प्रचलित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिनियम में अभी भी इतनी कमियाँ हैं कि वकील लोग अपनी बुद्धिमानी से मिलावट करने वालों को बचान की कोई न कोई विधि अवश्य ही गालूम कर लेते हैं।

हमारे देश में नकली इन्जेक्शन और दवाइयों के बनाने में भी उत्पादकों को

पुस्तक-दूसरी



राजस्व

राजस्व की परिभाषा—

राजस्व अर्थशास्त्रीय विज्ञान का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस शब्द का अभिप्राय राज्य की वित्तीय व्यवस्था के विज्ञान एवं कला से है। राज्य किस प्रकार अपनी आय इकट्ठा करता है और किस प्रकार उसका व्यय करता है, यही मुख्य में राजस्व का विषय है। वास्तव में राजस्व अंग्रेजी भाषा के शब्द Public Finance का शब्दार्थ नहीं है। इसका सही शब्दार्थ तो 'जनता वित्त' होता। हम इस विषय में जनता सम्बन्धी बातों का ज्ञान तो करते हैं परन्तु हमारा जनता की वित्तीय व्यवस्था से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता। सही मानो में तो हम जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली सस्था 'राज्य' की वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन 'राजस्व' के अन्तर्गत करते हैं। इसीलिये हिन्दी में अंग्रेजी भाषा के शब्द का अर्थ 'राजस्व' किया गया है। 'राजस्व' एक विस्तृत शब्द है, जिसमें सारी राजकीय सस्थाओं एवं पदाधिकारियों की वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन सम्मिलित है। इस प्रकार राजस्व में हम व्यक्तियों का अध्ययन व्यक्तिगत रूप में न करके सामूहिक रूप में करते हैं। राजस्व की अनेको परिभाषायें देखने में आती हैं। हम उनमें से कुछ अधिक महत्वपूर्ण परिभाषायों को यहाँ पर लेंगे —

प्रो० सी एफ. बैस्टेबल (C F. Bastable) के शब्दों में, "सब राज्यों के लिये, चाहे—वे अच्छी तरह विकसित हों या बुरी तरह—किसी न किसी प्रकार के साधन आवश्यक होते हैं, और इसीलिये राजकीय साधनों की पूर्ति एवं उनका उपयोग अध्ययन का एक विषय बन गये हैं, जिसे अंग्रेजी में 'राजस्व' कहते हैं।" कुछ लेखकों¹ ने इस परिभाषा में कुछ आपत्तियाँ हैं। इनके अनुसार 'साधन' शब्द अस्पष्ट है। यह सब ही प्रकार के साधनों—चाहे भौतिक हों या अमौद्रिक, भौतिक हों या अमौद्रिक—को सम्बोधित करता है, जब कि इन लेखकों का विचार है कि राजस्व में केवल राज्य के भौद्रिक तथा साक्ष सम्बन्धी साधनों को ही सम्मिलित करना चाहिये। परन्तु यहाँ पर यह बात देना उपयुक्त होगा (जैसा कि इन लेखकों

ने स्वयं ही माना है) कि विभिन्न भौतिक एवं अभौतिक या मौद्रिक एवं अमौद्रिक साधनों के बीच भेद करना सरल नहीं है। दूसरे राज्य अपने वायु संचालन के लिये सभी प्रकार के साधनों से काम लेता है और फिर आज का युग मुद्रा का युग है। मुद्रा का आजकल वह स्थान है जो किन्हीं भी वस्तु का नहीं है। आज के युग में देश प्रेम का प्यार, सच्चाई ईमानदारी सब ही अमौद्रिक वस्तुओं का अस्तित्व समाप्त हो गया है और इनका महत्व मुद्रा में ही सिमट कर रह गया है। इसलिये साधन शब्द का प्रयोग बैस्टविल ने बहुत ठीक किया है। इन बातों पर किन्हीं प्रकार की आपत्ति करना अनावश्यक है।

श्रीमती उमलाहिक्स (Mrs U K Hicks) व्यक्तिगत मामलों तथा राजकीय मामलों के भेद को स्पष्ट करते हुए कहती हैं कि दूसरा समूह उन सेवाओं (और कुछ स्थितियों में वस्तुओं) की व्यवस्था करने में व्यस्त रहता है जिनका क्षत्र और विविधता उपभोक्ताओं की प्रत्यक्ष इच्छाओं द्वारा नहीं बल्कि सरकारी सस्थाओं के निर्णय द्वारा निर्धारित होते हैं अर्थात् प्रजातन्त्र में नागरिकों के प्रतिनिधियों द्वारा राजस्व में हम केवल दूसरे समूह की क्रियाओं से ही सम्बन्धित हैं।²

श्रीमती हिक्स ने इन शब्दों से राजस्व के विषय में एक बात के अतिरिक्त और कुछ नहीं पाता होता अर्थात् राजस्व में केवल राजकीय सस्थाओं की क्रियाओं का अध्ययन होता है। यदि देखा जाय तो यह राजकीय अर्थशास्त्र (Public Economics) की परिभाषा हुई। राजस्व में हम राजकीय अर्थशास्त्र के केवल उस भाग से सम्बन्धित हैं जिसमें राज्य द्वारा एकत्रित धन और उसके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। श्रीमती हिक्स ने भी कदाचित्त इस पर ध्यान दिया हो। इसीलिये प्रायः चलकर उन्होंने कहा है कि राजस्व का मुख्य विषय उन विधियों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करना है जिनके द्वारा सरकारी सस्थाएँ आवश्यकताओं की सामूहिक आवश्यकताओं को प्रबंध करती हैं और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक कोष प्राप्त करती हैं।³

प्रोफेसर फिनल शिराज के अनुसार सक्षम में राजस्व उन सिद्धान्तों का अध्ययन है जिनके अनुसार राजकीय पदाधिकारियों के कोषों का एकत्रीकरण एवं व्यय होगा है। एक वास्तविक विज्ञान के रूप में इनका सम्बन्ध उन तथ्यों से है जिनसे कि वे होते हैं। यह उन वित्तीय घटनाओं के अटिल प्रवाह में खोज करता है और धैर्यपूर्वक और क्रमबद्ध खोज जिनमें वे हों अनुसंधान कहते हैं से उनमें निष्पत्ति हुई एकरूपता का पता लगाता है और एकरूपता के वाक्यों की नियमा की भाँति बताया जाता है।⁴

इस परिभाषा में शिराज ने राजस्व के विषय एवं क्षत्र पर श्रम को ही अपेक्षा अधिक विचार किया है। उन्होंने इसको कृता और विज्ञान दोनों ही माना

2 U K Hicks *Public Finance* 1948 Page 1

3 *Ib id* Page 6

4 Fendley Shiraz *Science of Public Finance* Page 1

है। इसलिये यह परिभाषा अधिक स्पष्ट और वैज्ञानिक है। कुछ लेखकों ने इसे मतोपजनक तो माना है परन्तु इससे पूर्णतया सतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि 'राजकीय सस्थाओं' जिसके लिये शिराज ने अंग्रेजी के शब्दों (public authorities) का प्रयोग किया है, के अन्तर्गत, प्रमण्डल आदि सस्थाएँ भी सम्मिलित हो जाती हैं, जबकि राजस्व में हम केवल राज्य की क्रियाओं से ही सम्बन्धित रहते हैं। यह लेखक यह ही भूल गये कि अंग्रेजी भाषा के शब्द authorities और bodies में बहुत अन्तर है। जबकि public authorities पूर्णतया public bodies ही सकती हैं, public bodies हर स्थिति में public authorities नहीं हो सकती। प्रमण्डल public body अवश्य है परन्तु public authority नहीं। Public authorities के अन्तर्गत हम केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकार, नगरपालिकाओं, नगर म्यूचुअल ट्रस्ट, वैधानिक ग्राम पंचायतों, जिला बोर्ड आदि जो राज्य की ओर से काम करती हैं और जिन्हें राज्य ने वैधानिक अधिकार दे रखा है, उन्हीं को सम्मिलित करते हैं। प्रमण्डल और कम्पनों public bodies में सम्मिलित होगी। इसलिये इस विषय पर आपत्ति करना अन्वयापपूर्ण है।

डा० डाल्टन का कथन है कि राजस्व उन विषयों में से एक है, जो अर्थ-शास्त्र और राजनीति-शास्त्र की सीमाओं पर स्थित है। "यह राजकीय पदाधिकारियों की आय और व्यय से सम्बन्धित है, और इनके पारस्परिक सम्बन्ध से भी। राजस्व के सिद्धान्त सामान्य सिद्धान्त हैं जो इन मामलों के विषय में प्रतिपादित किये जा सकते हैं।"⁵

शिराज और डाल्टन की परिभाषाओं में, स्पष्ट ही है, कोई अन्तर नहीं है।

आर्मिटेज स्मिथ (Armitage Smith) के अनुसार, "राजकीय व्यय तथा राजकीय आय की प्रकृति तथा उसके सिद्धान्तों की श्रेणी को राजस्व कहते हैं।"⁶

लुटज (Lutz) के शब्दों को दुहराने के लिये, "राजस्व उन साधनों की व्यवस्था, सुरक्षा तथा वितरण का अध्ययन करता है, जो राजकीय अथवा प्रशासन सम्बन्धी कार्यों को चलाने के लिये आवश्यक होते हैं।"⁷

उपर्युक्त परिभाषाओं के अध्ययन से यह ही विदित होता है कि इनमें केवल शब्दों का ही हेर-फेर है वरन् अभिप्राय सब का एक समान है, अर्थात् राजस्व, राजकीय सस्थाओं के आय और व्यय का एक अध्ययन है।

राजस्व का विषय एवं क्षेत्र—

राजस्व की परिभाषा से इसकी विषय सामग्री भली भाँति विदित है। राज्य और उससे सम्बन्धित सस्थाएँ प्रशासन एवं सामाजिक कल्याण के लिये किस प्रकार धन एकत्रित करती हैं और उसको किस प्रकार व्यय करती हैं—यही राजस्व के अध्ययन

5. Hugh Dalton, Principles of Public Finance, Page 1.

6. Armitage Smith, Principles and Methods of Taxation, Page 14.

7. H. L. Lutz, Public Finance, Page 3

का विषय है। इस प्रकार राज्य की क्रियाओं के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि उसके धन के स्रोतों और खर्चों की मरदो का भी ज्ञान प्राप्त हो। यह ध्यान रहे कि हम राज्य की केवल उन क्रियाओं का ही अध्ययन नहीं करते जिनका सम्बन्ध आवश्यकताओं की सामूहिक श्रुष्टि से होता है, बल्कि उनका अध्ययन वित्तीय दृष्टिकोण से करते हैं और उनकी वित्तीय जटिलताओं पर भी दृष्टिपात करते हैं। नल्याणकारी राज्य के विचार के उदगम के बाद से तो यह निश्चित करना ही दुर्लभ हो गया है कि राज्य की किन क्रियाओं से सम्बन्धित वित्तीय जटिलताओं का अध्ययन राजस्व में किया जाय, क्योंकि आजकल तो लगभग सारी क्रियाएँ एक दूसरे से आपस में ऐसी गुथी हुई हैं कि किसी एक क्रिया को अलग करना या उसके विषय भी पहलू की ओर संकेत करना सम्भव ही नहीं है। हा, इतना अवश्य है कि राज्य द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सामाजिक क्रियाओं की वाञ्छनीयता अर्थात् बुराईया तथा अन्धकार के सम्बन्ध में खोज करना राजस्व का विषय नहीं है। यह तो राजकीय अर्थशास्त्र का विषय है। राजस्व में केवल वित्त एकत्रित करने और उसको व्यय करने से सम्बन्धित क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। इन क्रियाओं की वाञ्छनीयता के विषय में खोज की जाती है और उचित सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया जाता है और समाज तथा देश पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। चाहे इन वित्तीय क्रियाओं का सम्बन्ध राज्य की आर्थिक क्रियाओं से है या राजनीतिक क्रियाओं से, या सामाजिक क्रियाओं से इससे विषय में सोचने का काम राजस्व का अध्ययन करने वाले का नहीं है।

ऊपर से देखने में तो राजस्व का क्षेत्र बहुत ही छोटा लगता है, अर्थात् राज्य की आय और राज्य का व्यय। वास्तव में यह तो राजस्व के दो बड़े-बड़े भाग हैं। इन भागों को निम्न प्रकार अन्य उपविभागों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार राजस्व के सम्पूर्ण क्षेत्र के अन्तर्गत निम्न विषयों का अध्ययन किया जाता है —

(अ) राजकीय व्यय—राज्य को किन-किन महों पर कितना-कितना व्यय करना आवश्यक है यह व्यय किन सिद्धान्तों के अनुसार किया जाय, इसमें सम्बन्धित क्या कठिनाइयाँ हैं, इत्यादि बातों का अध्ययन इस भाग में किया जाता है।

(आ) राजकीय आय—इस भाग में हम यह अध्ययन करते हैं कि राज्य अपनी आय किन-किन स्रोतों से प्राप्त करता है, करों का क्या महत्व है, करारोपण के क्या सिद्धान्त हैं, करों के क्या प्रभाव होते हैं, इत्यादि।

(इ) राजकीय ऋण :—वैसे तो राजकीय ऋण भी, राजकीय आय का एक स्रोत है, और इसका अध्ययन भी उसी के अन्तर्गत किया जाना चाहिये। परन्तु इसका अध्ययन बिल्कुल अलग रूप से किया जाता है। इसका कारण यह है कि राजकीय आय के जो वास्तविक स्रोत होते हैं, उनसे प्राप्त किये हुये धन को लौटाने का प्रश्न नहीं उठता, परन्तु राज्य ऋण द्वारा जो धन प्राप्त करता है वह तो आय नहीं ऋण है, जिसका भुगतान राज्य को करना ही होगा। इस भाग के अन्तर्गत

हम यह अध्ययन करते हैं कि राज्य किन सिद्धान्तों के आधार पर ऋण प्राप्त करता है, ऋण क्यों लिये जाते हैं, किस प्रकार के लिये जाते हैं, इनके क्या प्रभाव होते हैं और इन ऋणों का भुगतान किस प्रकार किया जाता है इत्यादि ।

(ई) वित्तीय प्रबन्ध :—इस भाग में हम यह अध्ययन करते हैं कि राज्य की ओर से सरकार वित्तीय क्रियाओं का प्रबन्ध किस प्रकार करती है । बजट किस प्रकार बनाया जाता है, बजट बनाने के क्या उद्देश्य होते हैं, घाटे के बजट और लाभ के बजट का क्या महत्व है, इत्यादि बातों पर खोज इस भाग में की जाती है ।

(उ) सघीय वित्त :—आजकल सघीय वित्त का महत्व, राजस्व के एक भाग के रूप में, काफी बढ़ गया है । कुछ देशों में सघ नमूने का सरकारी संगठन है, जैसे कनाडा, आस्ट्रेलिया, सुइजरलैण्ड, भारतवर्ष इत्यादि । इन देशों में समस्यार्थ यह है कि सघ सरकार और उसके आधीन इकाई सरकारी (Unit Governments) में कैसे वित्तीय सम्बन्ध हो, विभिन्न क्रियाओं का विभाजन कैसे हो, सघीय वित्त के क्या सिद्धान्त हैं इत्यादि । दन्ही का अध्ययन इस भाग में किया जाता है ।

राजस्व एवं व्यक्तिगत वित्त व्यवस्था में भेद

(Distinction between Public and Private Finance)—

यद्यपि राजकीय और व्यक्तिगत सस्यार्थें लगभग एक समान हैं, दोनों ही क्षेत्रों में आय और व्यय के बीच सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, और दोनों ही क्षेत्रों में वित्त व्यवस्था का रूप एक सा ही होता है, फिर भी दोनों—राज्य और व्यक्ति—ही की स्थिति एवं वित्तीय व्यवस्था में कुछ मौलिक भेद बताये जाते हैं । यह भेद निम्नांकित हैं । यही पर हम यह भी निर्णय करेंगे कि यह भेद कहा तक न्याय संगत हैं —

(१) राज्य का अपेक्षाकृत अधिक प्रभुत्व—यह स्वीकार करने में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी कि राज्य का व्यक्ति की अपेक्षा अधिक प्रभुत्व होता है । वह अधिक शक्तिशाली है । यद्यपि दोनों के स्रोत एक से हैं—दोनों ही अपनी आय प्राप्त कर सकते हैं, दोनों ही दूसरों से दान ले सकते हैं और दोनों ही ऋण ले सकते हैं—फिर भी राज्य शक्तिशाली होने के कारण व्यक्तियों की सम्पत्ति पर अपना अधिकार जमा सकता है और उसकी आवश्यकता होने पर हड़प भी कर सकता है, जो व्यक्ति के ह्रास की बात नहीं । एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की सम्पत्ति हड़प नहीं कर सकता । ऐसी तो राज्य भी किसी दूसरे राज्य की सम्पत्ति हड़प नहीं कर सकता । परन्तु बात यह है कि वह अपने ही नागरिकों की सम्पत्ति पर अधिकार जमा सकता है, क्योंकि वे उसके आधीन हैं । यह विचार कुछ ठीक नहीं है क्योंकि राज्य नागरिकों का ही एक सामूहिक रूप है । नागरिक राज्य का एक अंग है । नागरिकों की सम्पत्ति राज्य की सम्पत्ति है और राज्य की सम्पत्ति नागरिकों की । इस प्रकार जब राज्य किसी नागरिक की सम्पत्ति हड़प करता है तो ऐसा करने में उसका यही प्रयत्न होता है कि वह नागरिकों की अपेक्षा उसका अधिक

प्रच्छा उपयोग करे। यत ऐसा करने में राज्य केवल अपनी धाय के एक भाग को एक व्यय की मद से निवाल कर दूसरी मद में लगा देता है, जैसा कि व्यक्ति भी करता है। इसलिये राजकीय और व्यक्तिगत वित्त व्यवस्था में इस प्रकार भेद करना न्याय संगत नहीं है।

(२) राजकीय धाय की अनिवार्य प्रकृति—कुछ लोगों का विश्वास है कि बिना धाय के राज्य का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा क्योंकि यह जब चाहे धाय प्राप्त कर सकता है। यह व्यक्तिगत की तरह देने पर बाध्य कर सकता है। इसी कारण दोनों—राजकीय और व्यक्तिगत वित्त व्यवस्था—म अन्तर होता है। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धया देने के लिये मजबूर नहीं कर सकता। राज्य ऐसा कर सकता है। परन्तु इस प्रकार का भेद भी भ्रमपूर्ण है। एक राज्य दूसरे राज्य को भी धन देने के लिये विवश नहीं कर सकता, जैसे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मजबूर नहीं कर पाता। राज्य केवल अपने नागरिकों से ही धन ले सकता है। परन्तु यह धन देने के बदले म प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सेवाएं प्रदान करता है। व्यक्तिगत से प्राप्त धन राज्य पूरा या पूरा व्यक्तिगत को ही तौटा देता है। यह ही सचता है कि जिस व्यक्ति से धन प्राप्त किया गया है, या कर की रानि बसूल की गई है उसको कोई प्रत्यक्ष सेवा न प्राप्त हो। इसलिये इस प्रकार का भेद भी ठीक नहीं है।

(३) राजकीय ऋणों का अनिवार्य खरिद—यह भी विश्वास किया जाता है कि राज्य अपने नागरिकों को ऋण देने के लिये विवश कर सकता है, जबकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऋण देने के लिये विवश नहीं कर सकता। परन्तु यह विचार भी भ्रमपूर्ण है। हम ऊपर कह चुके हैं कि जिस प्रकार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी भी कार्य के लिये विवश नहीं कर सकता उसी प्रकार एक राज्य दूसरे राज्य को भी बाध्य नहीं कर सकता। एक बुद्धिमान व्यक्ति को सर्वथा समझ प्रकृति वाली वस्तुओं की ही आपस में तुलना करनी चाहिये। इसके अतिरिक्त यह भी सोचना अनुचित है कि राज्य नागरिकों को ऋण देने पर विवश कर सकता है। यह केवल तानाशाही म ही हो सकता है प्रजातन्त्र म नहीं, जहां राज्य अपने नागरिकों का सामूहिक रूप होता है।

(४) राजकीय धाय की सीख—राजकीय धाय व्यक्तिगत धाय की अपेक्षा अधिक लोचपूर्ण होती है। यह सच है। राज्य अपनी धाय को अधिक सरलता से बढ़ा सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि जैसे जैसे राज्य अपनी धाय बढ़ाने का प्रयास करता है, व्यक्तिगत धाय कम होती जाती है। इस प्रकार राज्य केवल उस अनुपात को बढ़ा सकता है जिस म देश की सम्पूर्ण धाय नागरिकों और राज्य के बीच विभाजित रहती है। श्रीमती हिक्स का भी यही विचार है। वह कहती है कि व्यक्ति अपनी धाय का एक भाग स्वयं खर्च करने में और दूसरे को के धायस्यताओं की सामूहिक सन्तुष्टि में खर्च करने में है। इस दूसरे भाग में सुगमता से परिवर्तन किया जा सकता है। यह ध्यान रहे कि कुल

आम में भी वृद्धि हो सकती है। एक तो राज्य धन का विनियोग उत्पादक योजनाओं में कर सकता है और दूसरे व्यक्तियों की असमचित क्रियाओं की अपेक्षा राज्य की समचित क्रियाओं से कुल आय में सरलता से वृद्धि हो जाती है। और इस प्रकार सत्य ही व्यक्ति की अपेक्षा राज्य की आय अधिक लोचपूर्ण होती है।

(५) राज्य की आय उसके व्यय से निर्धारित होती है—बहुधा यह कहा जाता है कि राजकीय एव व्यक्तिगत वित्त में यह सब से बड़ा भेद है कि जबकि व्यक्ति अपने व्यय का सामंजस्य अपनी आय के साथ करता है, दूसरी ओर राज्य अपनी आय को व्यय के अनुसार प्राप्त करता है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। व्यक्ति का व्यय उसकी आय से निर्धारित होता है। इसके विपरीत राज्य पहले यह निश्चित करता है कि उसे विभिन्न मद्दों पर कब, कितना और कैसे खर्च करना है तत्पश्चात् वह आय के माधन निश्चित करता है। यह ध्यान रहे कि यह भेद दृढ़ नहीं है। बहुधा ऐसा होता है कि राज्य तथा व्यक्ति दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में अपनी प्रकृति से बिल्कुल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। बहुत से अवसरों पर व्यक्ति अपनी आय से कहीं अधिक खर्च करता है जैसे खोहारी पर, शादी में, जन्म तथा मृत्यु आदि अवसरों पर। यही कारण है कि भारतीय रूप में एव श्रमिक इतने ऋण ग्रस्त रहते हैं। यदि उनमें इस प्रकार की भावना जाग्रत हो जाए तो भारत की आधी नठिनाईया दूर हो जाएं। तो, व्यक्ति इस प्रकार अपनी निश्चित एव स्थायी आय से अधिक खर्च करके, अपनी आय को बढ़ाने का प्रयत्न करता है। राज्य के विषय में भी ऐसा होता है, कि यह आवश्यक नहीं कि राज्य सदैव ही अपने व्यय के अनुसार आय प्राप्त करने में सफल हो जाए। बहुत बार सरकार को अपने खर्च कम करने पड़ जाते हैं जैसे आजकल ही मीजिये, भारत सरकार को अपने नागरिक प्रशासन सम्बन्धी खर्चों को कम करना पड़ रहा है ठीक इसी प्रकार इस वर्ष (१९५९) में भारत सरकार ने सुरक्षा व्यय में भी कमी कर दी है। कभी कभी तो यहाँ तक दिव्यति पहुँच जाती है कि सरकार को अपनी उत्पादक योजनाओं को स्थगित कर देना पड़ता है जैसे आज कल भारत सरकार और प्रान्तीय सरकारें अपनी बहुत सी योजनाओं में कमी कर रही हैं। अतः व्यक्ति और राज्य की वित्त व्यवस्था में यह भेद केवल नाम मात्र ही है। परन्तु यह बात कभी कभी ही सत्य होती है। अधिस्तर वही होता है जो हम पहले कह चुके हैं।

(६) राज्य का उद्देश्य लाभ प्राप्ति नहीं होता—यह विस्वास्त कर लिया गया है कि व्यक्ति सदैव ही निजी लाभ की दृष्टि से कार्य करता है, परन्तु राज्य के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति अधिकांश अवसरों में यही प्रयत्न करता है कि वह अपनी आय में से कुछ न कुछ अवश्य बचावे और इन बचत को सदैव ही वह अधिकतम करना चाहता है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या यह सारे ही व्यक्तियों की प्रवृत्ति होती है? वास्तव में ऐसी बात नहीं है। अधिकांश व्यक्ति अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करके अधिक आनन्द प्राप्त करते हैं अपेक्षाकृत बँकों में जमा करने के। कुछ ही अपनी आय से भी अधिक व्यय करने के आदी हो जाते हैं और

किर क्या राज्य सर्वत्र ही लाभ रहित उद्देश्यो से कार्य करता है ? जिस प्रकार व्यक्ति अधिकतम सन्तुष्टि करने का प्रयत्न करता है उसी प्रकार राज्य भी अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। राज्य का उद्देश्य यह ही होता है कि वह सामाजिक लाभ को अधिकतम करे। अधिकाधिक व्यक्तियों को अधिकाधिक भाग्य से भाग्य प्रदान करे। इसी उद्देश्य की पूर्ति में वह निरन्तर यत्न रहता है। इस प्रकार इस आधार पर भेद करना भी न्यायसंगत नहीं है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि राजकीय और व्यक्तिगत वित्त में केवल अन्तर ही अन्तर है।


राजस्व का उद्देश्य अर्थात् 'अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धान्त'—

हम अभी कह रहे थे कि एक व्यक्ति की भाँति राज्य भी अपनी आय और व्यय का सामंजस्य इस प्रकार करता है कि वह सामाजिक कल्याण को अधिकतम कर सके। अतः अधिकतम सामाजिक कल्याण का प्राप्ति करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है और यह उसकी समस्त क्रियाओं जैसे आय प्राप्त करना, व्यय करना, ऋण लेना और मुरक्षित नीय रखना इत्यादि में विद्यमान रहता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि राज्य की वित्तीय क्रियाओं का नियमन अधिकतम सामाजिक कल्याण निमित्त द्वारा होता है।

इस नियम के अनुसार राजकीय व्यय हर दिना में उम विन्दु तक बढ़ते रहना चाहिए जब तक कि इस व्यय से उत्पन्न होने वाला सतत रूप से राज्य द्वारा लगाये हुए करा में उत्पन्न होने वाले असतोष के बराबर न हो जायें। इस प्रकार सामाजिक कल्याण उसी स्थिति में अधिकतम होगा जब कि सतत और असतोष पूर्ण सन्तुष्टि की स्थिति में होंगे। अतः यह नियम उन सीमाओं के निर्धारित करने में सहायता देता है, जिन तक राज्य कर लगाता जाय और अपनी क्रियाओं के क्षेत्र को बढ़ाता जाय। आधुनिक समय में इन विषयों का बड़ा महत्त्व है। इसीलिये अधिकतम सामाजिक कल्याण के नियम का भी विशेष महत्त्व है। प्राचीन ग्रंथशास्त्रियों की तायात ही और भी। वे राज्य हस्तक्षेप को पसन्द ही नहीं करते थे। उनका विचार यह था कि राज्य को राजा के नाशों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, जो वे रो. का विचार था कि, 'वित्त की सारी योजनाओं में सबसे अच्छी योजना यह है कि नम खर्च करें और सब करो म वह कर सबसे अच्छा है जिसकी राशि सबसे कम हो।' पुराने विचारकों का यह भी कहना था कि 'सबसे अच्छी सरकार वही है जो सबसे कम शासन करे।' इन लोगों के इन तारा कि 'हर कर एक बुराई है' या "द्रव्य को व्यक्तियों की जेबों में बढ़ने के लिये छोट देना चाहिए" या "व्यक्तियों द्वारा व्यय किया हुआ द्रव्य उत्पादक है और सरकार द्वारा व्यय किया गया अनुत्पादक", का परिणाम यह हुआ कि प्राचीन समय में राजस्व का आधार बहुत ही छोटा रहा। परन्तु आजकल राजस्व का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत

हो गया है और यह सभी का विश्वास है कि राज्य की अपेक्षा व्यक्ति कभी भी धन्य और व्यय में सतुलन इस प्रकार नहीं कर सकता जिससे सामाजिक कल्याण अधिकतम हो। सरकार अपने व्यय को पूरा करने के लिये जनता से करों द्वारा धन प्राप्त करती है और उसको अपने निर्देशन में व्यय करती है।

यह नियम "उपयोगिता ह्रास नियम" पर आधारित है। जैसे-जैसे मनुष्य के पास धन जमा होता जाता है धन की प्रत्येक वृद्धि के साथ उसकी उपयोगिता मनुष्य के लिये घटती जाती है। इसके विपरीत मनुष्य के पास धन की मात्रा कम होने के साथ साथ उपयोगिता बढ़ती जाती है। इसीलिए सरकार धनी व्यक्तियों पर ऊँची दर पर कर लगाती है और निर्धन व्यक्तियों को कर से मुक्त कर देती है। इस प्रकार करारोपण द्वारा सरकार धन की असमानताओं को कम करने का प्रयत्न करती है। दूसरी ओर वह धन प्राप्त करके खर्च करती है और कुल उपयोगिताओं को अधिकतम करती है और सामाजिक कल्याण अधिकतम करने के ध्येय की पूर्ति करती है। अतः सरकार को उत सीमा तक कर लगाकर अपनी नियाओं को बढ़ाते जाना चाहिये जब तक कि व्यय से प्राप्त कुल उपयोगिताएँ अधिकतम न हो जायें। इसी विचार को एक चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है।



उपर्युक्त चित्र में अ ब रेखा पर आय व व्यय की इकाइया ली गई है और अ स पर उपयोगिता एक अनुपयोगिता की इकाइया। 'सी० उप०' रेखा सरकारी व्यय की सीमान्त उपयोगिताओं को प्रदर्शित करती है और 'सी० अनुप०' रेखा कर द्वारा उत्पन्न अनुपयोगिता दिखाती है। सरकारी व्यय बढ़ने के साथ साथ सीमान्त उपयोगिता कम होती जायेगी जैसा कि सी० उप० रेखा से स्पष्ट होता है। कर दाता

को कर का भुगतान करने से अनुपयोगिता बढ़ती जायगी जैसा कि 'सी० अनुप०' रेखा से स्पष्ट होता है। दोनों रेखायें 'र' बिन्दु पर एक दूसरे को काटती हैं। यह अनुकूलतम बिन्दु है जिन पर कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। यदि सरकार न तक कर लगायेगी तब कुल उपयोगिता कम होगी। अपेक्षाकृत उक्त स्थिति के जब कर 'क_१' तक लगायगी यह असतत (dotted) रेखा से दिखाया गया है। यदि सरकार कर को 'क_२' तक बढ़ाती जाय तब कुल उपयोगिता कम हो जायेगी क्योंकि अनुपयोगिता भी बढ़ती जायगी जैसा कि दूसरी सतत रेखा (dotted line) से दिखाया गया है।

व्यवहारिक कठिनाइयाँ—परन्तु यह ध्यान रहे कि यह कोई सरल बात नहीं कि करो से उत्पन्न होने वाली सीमान्त अनुपयोगिता और व्यय से प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिता में सन्तुलन स्थापित किया जा सके। पहले तो यह ही सम्भव नहीं कि अनुपयोगिता और उपयोगिता को मापा जा सके। फिर जब केवल एक व्यक्ति के लिए यह बताना वृद्धि है कि उनको त्याग से प्राप्त होने वाली अनुपयोगिता और आय से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कब बराबर होंगी तो राज्य के लिये तो यह और भी पठिन होगा। क्योंकि राज्य को तो प्रत्यक्ष रूप से कोई उपयोगिता प्राप्त होती नहीं है जो कुछ उपयोगिता प्राप्त होती है वह व्यक्तियों को ही होती है और जब व्यक्तियों को यह ज्ञात नहीं हो पाता तो राज्य को कैसे हो सकता है। दूसरे राज्य को बहुत सी बातों में भविष्य का अनुमान लगाना पड़ता है। करो से जा अनुपयोगिता व्यक्तियों को प्राप्त होती है वह कई कारणों से उत्पन्न होती है—प्रथम कर के रूप में प्रत्यक्ष व्यक्ति को कुछ न कुछ मुद्रा अपने पास से देनी पड़ती है जिसकी उनको कुछ न कुछ उपयोगिता अवश्य होती है। तब जितना कर बढ़ता जाता है उतनी ही उपयोगिता की हानि कर दाता को बढ़ती जाती है। दूसरे कर का भुगतान करने से व्यक्तियों को या तो अपना उपयोग कम करना होता है या वचत कम करनी होती है। दोनों ही परिस्थितियों में देश की उत्पादन शक्ति कम होगी। हां यदि लोग आवश्यकता से अधिक बचा रहे थे तब तो करारोपण से हानि के स्थान पर लाभ होगा। तीसरे करारोपण व्यक्तियों में अशांति उत्पन्न करता है जिसके कारण अनुपयोगिता में वृद्धि होती है। इसी प्रकार राजकीय व्यय से भी कई प्रकार से समाज को लाभ प्राप्त होता है। प्रथम, व्यक्तियों को वस्तुओं और सेवाओं का प्रत्यक्ष उपभोग करने को मिलता है। पूर्वीगत वस्तुओं के प्रयोग से भी समाज को लाभ होता है। व्यक्तियों की सामान्य उत्पादन शक्ति में वृद्धि होती है और भ्रत में धन का समान वितरण हो जाता है, जिससे अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं।

परन्तु राज्य के लिये यह सम्भव नहीं कि यह अनुपयोगिताओं और उपयोगिताओं का पूरा व्यौरा तैयार करके उनमें सन्तुलन स्थापित कर सके। इसलिये यह निश्चित करने के लिये कि राज्य की वित्तीय क्रियाओं से सामाजिक कल्याण अधिकतम हुआ

या तहो डालटन ने निम्न आधार बताये हैं⁸—

प्रथम, देश बाह्य आक्रमणों और आन्तरिक भगड़ों से सुरक्षित है, या नहीं। यह राज्य का मौलिक कर्तव्य है कि देश को इन आपत्तियों से सुरक्षित रखे। विना शान्ति के किसी भी क्षेत्र में प्रगति के विषय में सोचना भर भ्रम होगा। आर्थिक जीवन के लिये तो शान्तिमय वातावरण और भी आवश्यक है। इसीलिये राज्य द्वारा पुलिस, जेठ, न्यायालयों, सैनिकों, और सैनिक उद्योगों पर किया गया व्यय प्रत्यक्ष रूप से अनुत्पादक होते हुये भी न्याययुक्त है। डालटन ने तो यहा तक कहा है कि राज्य की नीति ही ऐसी होनी चाहिये, जिससे न तो विदेशी आक्रमणों को प्रोत्साहन मिले और न अन्दरूनी भगड़े बढें। विदेशों को उत्तेजित करने वाली नीति न केवल विदेशी आक्रमणों की सम्भावना ही बढाती है बल्कि देश में भी सैनिकों आदि पर व्यय बढ जाता है। इसी प्रकार यदि देश में आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक नीतियां बुद्धिमानी से निर्मित न की जाये ता देश में आन्तरिक अशान्ति बढेगी और शान्ति व्यवस्था पर व्यय भी अधिक होगा।

डालटन के अनुसार सामाजिक कल्याण अधिकतम करने के लिये दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो। इसके अन्तर्गत दो मुख्य बातें आती हैं— (अ) प्रथम यह कि देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि हो और (आ) दूसरी यह कि जो कुछ उत्पन्न किया जा रहा है उसके वितरण में उचित सुधार हो। इसका अभिप्राय यह है कि वित्त व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये जिससे उत्पादन बढे। यदि राजस्व के अन्तर्गत सम्पन्न की गई किसी भी क्रिया से उत्पादन में वृद्धि होती है या उत्पादन को हानि नहीं होती, तो वह क्रिया उचित है, अन्यथा अनुचित कहलायेगी। इसीलिये, अनिवार्य वस्तुओं या जीवन रक्षक वस्तुओं पर लगाया गया कर न्याययुक्त नहीं कहा जाता, क्योंकि ऐसी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाने से व्यक्तियों को उनका उपभोग बन्द कर देना होता है जिससे उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। किसी उद्योग विशेष पर लगा हुआ कर उसके विकास को निरूत्साहित करेगा। विदेशी वस्तुओं के आयातों पर कर लगाने से देश के उद्योग विकसित होंगे अतः यह न्याययुक्त होगा। इसी प्रकार धन के वितरण में आवश्यक सुधारों का अभिप्राय यह है कि धन के वितरण की असमानताएँ कम हों, साथ ही साथ व्यक्तियों और कुटुम्बों की आय में होने वाले परिवर्तन भी कम से कम हों। धन के वितरण की असमानताओं को कम करना इसलिये आवश्यक है कि एक तो व्यक्तियों और कुटुम्बों की आय अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्राप्त हो सकेगी और दूसरे उनकी आय उपयोग करने की शक्ति के अनुसार भी होगी। आय के परिवर्तनों को कम करना भी वाछनीय है ताकि समाज का आर्थिक जीवन अधिक स्थायी बने, विशेषरूप से व्यक्तियों की आय और रोजगार स्थिति। अतः राजस्व की प्रत्येक क्रिया जिसका उद्देश्य धन के वितरण की असमानताओं को कम करना हो, आय के परिवर्तनों को

अनुमत करना हो और देश में रोजगार और आय के स्तरों को उन्नत करना हो, जिसके परिणामस्वरूप देश का आर्थिक जीवन अधिक स्थायी बने, वह न्यायोचित होगी और सामाजिक कल्याण में वृद्धि भी करेगी। इसके अतिरिक्त राजस्व के अन्तर्गत कोई नीति न्याय संगत है या नहीं इस बात पर भी निर्भर करेगी कि उस नीति में भविष्य में क्या प्रभाव होगा। यदि कोई कर भविष्य में या दीर्घकाल में लोगों को कार्य करने की इच्छा और शक्ति को कम करता है तो वह उचित नहीं और उससे सामाजिक कल्याण कम होगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यवर्तमान में न करके भविष्य में व्यक्तियों की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है तो उसको केवल इसी कारण स्थगित करने का विचार नहीं करना चाहिये। अतः सामाजिक कल्याण का अनुमान करते समय वर्तमान और भविष्य दोनों ही प्रभावों को ध्यान में रखना चाहिये और उनकी तुलना करके निष्पत्ति लेना चाहिये। जालटन ने ठीक ही कहा है कि किसी भी वित्तीय प्रस्ताव को विवेचना करते समय इस प्रस्ताव से उत्पन्न होने वाले प्रभावों को ध्यान में रखना चाहिये, समाज को होने वाले लाभों तथा हानियों के बीच पता लगाया जाये कि कौन अधिक है, इनकी तुलना अन्य प्रस्तावों के लाभ तथा हानियों से करके जो निष्कर्ष प्राप्त हो उसी के अनुसार कार्य करना चाहिये।⁹ इस प्रकार के कार्य बहुत ही कठिन होते हैं, क्योंकि एक तो यह ही सरल नहीं कि भविष्य के बारे में सही अनुमान लगाये जा सकें और दूसरे अधिकतर निर्णय आर्थिक और अनाधिक उद्देश्यों से प्रभावित होते हैं। परन्तु यदि अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धान्त के अनुसार काम करना है तो यह प्रयत्न करने ही होंगे। यह ध्यान रहे कि हम किसी भी क्रिया को शकले ही नहीं देख सकते और यह निर्णय नहीं कर सकते कि क्रिया विशेष उचित है या अनुचित। हमें देश की समुचित राजस्व व्यवस्था को ध्यान में रख कर ही किसी क्रिया विदेश के प्रभावों का अध्ययन करना होगा। यह ही नहीं, बल्कि राजस्व नीति का व्यापकपूर्ण अध्ययन करने के लिये हमें देश की आर्थिक नीति को भी ध्यान में रखना होगा। इसलिये किसी भी एक क्रिया को अच्छाई और बुराई का ज्ञान उसकी सम्पूर्ण देश के आर्थिक ढांचे में प्रत्यक्ष करने प्राप्त नहीं किया जा सकता। यही बात सामाजिक कल्याण का पता लगाते समय भी ध्यान में रखनी होगी।

श्रीमती हिक्स के विचार¹⁰—श्रीमती उर्मता हिक्स का विचार है कि राजस्व की किसी भी नीति को निर्मित करते समय दो बातों को आधार बनाना चाहिये, एक तो 'उत्पादन स्तर' (Production optimum) और दूसरे, 'उपयोगिता स्तर' (Utility optimum)।

'यह ध्यान में रखकर कि प्रत्येक नीति का उद्देश्य आवश्यकताओं की समुष्टि है, हमारी सोच का पहला पक्ष, स्पष्टतया यह बताया है कि आवश्यकताओं को समुष्टि करने के साधनों को—उत्पादन—अधिकतम किया जाय। यह स्पष्ट ही है कि साधनों

9. Ibid, P. 15.

10. U. K. Hicks, op cit pp. 119-123.

के स्थिर रहने की दशा में यदि उत्पादन को अधिकतम न किया जाये तो वस्तु का वितरण किसी प्रकार क्यों न किया जाये, सतुष्टि कम ही प्राप्त होगी। उत्पादन को अधिकतम करने या 'उत्पादन स्तर' का, इस प्रकार, साधनों के बटवारे से सम्बन्ध है। उत्पादन को अधिकतम करने की शर्त यह है कि वस्तुओं की व्यवस्था के सामान्य रहने की स्थिति में यह सम्भव होगा कि साधनों का पूर्ण वितरण करके एक वस्तु का उत्पादन दूसरी वस्तु के बिना कम हुए बढ जाय। यद्यपि 'उत्पादन स्तर' का आधार बहुत पहले ही साधनों के समान सीमान्त उत्पत्ति के नियम के रूप में प्रगट हो चुका था और यह कोई नया विचार नहीं है, परन्तु एक तो यह अधिक सूक्ष्म है और दूसरे इनमें वस्तुओं का प्रस्थापन मूल्य के आधार पर नहीं किया जाता और इसलिये यह सभी क्षेत्रों में लागू होता है।"

"यहाँ तक तो तक सम्बन्धी कोई कठिनाई नहीं है, परन्तु जब हम उन समस्याओं की ओर ध्यान देते हैं जो साधनों की अविभाज्यता, बाह्य बचती और साधनों की पूरकता जैसी जटिलताओं के कारण उत्पन्न होती है तब उत्पादन स्तर तक की प्राप्त करने की नीति को कार्यान्वित करने में स्पष्ट रूप में बहुत सी विशेष प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। दूसरा पक्ष तब तक अधिक जटिल है। उत्पादन स्तर में हमको ऐसी व्यवस्था का चुनाव करना है जो सतुष्टियों को अधिकतम करेगी। और यहाँ पर एक व्यक्ति की सतुष्टियों की दूसरे व्यक्तियों की सतुष्टियों से तुलना करने की कठिनाई अनुभव होती है। इस कठिनाई को हम क्षति पूति द्वारा दूर कर सकते हैं। यदि वस्तुओं का कोई विशेष पुनर्वितरण पहले व्यक्ति को पहले से इतनी अधिक सतुष्टि प्रदान कर दे कि वह दूसरे व्यक्ति की क्षतिपूति कर सके और फिर भी अधिक अच्छा रहे (जब स्थिति से जैसा कि आरम्भ में था) तब दोनों ही इससे सहमत होंगे कि यह परिवर्तन पहली स्थिति पर एक सुधार होगा। इस प्रकार सतुष्टियों को अधिकतम करना या 'उपयोगिता स्तर' भी ठीक उसी प्रकार परिभाषित किया जा सकता है जैसे कि 'उत्पादन स्तर'। उपयोगिता उस समय अधिकतम होती है, जबकि एक व्यक्ति की सतुष्टि को बिना दूसरे की सतुष्टि कम करे हुये बढ़ाया (स्थिति को उन्नत करना) असम्भव हो।"¹¹

श्रीमती हिक्स ने अपने विचारों की व्यवहारिकता पर अधिक ध्यान नहीं दिया। सब तो यह है कि अधिकतम सामाजिक कल्याण के नियम की भाँति श्रीमती हिक्स द्वारा बताये गये आधार भी केवल सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनके कार्य रूप प्रदान करने के लिए बड़ी सतर्कता की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को बहुत ही निष्पक्ष और हिमाव किताब में निष्पक्ष होना चाहिए। इतना अवश्य है कि इन आधारों पर यदि राजस्व नीतियों को निर्मित किया जाय तो इसमें कोई सदेह नहीं कि अपेक्षाकृत अधिक लाभ समाज को प्राप्त होगा। इसमें कोई सदेह नहीं कि इनकी सफलता में इतनी कठिनाइयाँ हैं कि सरलता से दूर नहीं की जा सकती।

राजस्व का महत्त्व—

आधुनिक समय में राजस्व के महत्त्व के सम्बन्ध में बहुत सी दलीलें देना बेकार ही है क्योंकि हम सभी इस से भली-भांति परिचित हैं। राजस्व के क्षेत्र और महत्त्व का विकास लगभग १६वीं शताब्दी के अन्त से आरम्भ होता है। उन्हीं वर्षों में जर्मन अर्थशास्त्री वॉगनर (Wagner) ने अपना 'राज्य की बढ़ती हुई क्रियाओं का नियम प्रतिपादित किया था। राज्य की क्रियाओं में तो, वैसे उस समय तक काफी वृद्धि हो चुकी थी परन्तु पिछले लगभग ७० वर्षों में और विशेषकर वॉगनर नियम के बाद तो राजकीय कार्यों की वृद्धि इसकी तीव्रगति से हुई है कि वॉगनर नियम पूर्णरूप से सिद्ध हो गया है। राजकीय क्रियाओं की वृद्धि के साथ साथ ही राजस्व के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। अब तो राज्य केवल नागरिकों और देश की सुरक्षा करने का काम ही नहीं करता बल्कि नागरिकों के जीवन के प्रत्येक पहलू पर अपना नियन्त्रण रखता है। अपनी इन बढ़ती हुई क्रियाओं की वित्तीय व्यवस्था करने के लिए राज्य को आय के नए नए स्रोत ढूँढने पड़ते हैं और अपने व्यय को भी गतकाल से करना होता है। यदि आय कम होती है तो आन्तरिक तथा बाह्य ऋण भी प्राप्त करने होते हैं। राजकीय आय, व्यय और ऋण सम्बन्धी नीतियों पर देश के आर्थिक जीवन की व्यवस्था निर्भर करती है। देश के आर्थिक जीवन की व्यवस्था सरकार की आर्थिक नीति पर निर्भर करती है। अतः राजस्व और प्रशासन एक दूसरे पर अवलम्बित हैं। इसीलिए अर्थशास्त्र और राजनीति आन्तरिक और समाज शास्त्र में राजस्व को मुख्य स्थान प्रदान किया गया है।

अधिकांश प्राचीन अर्थशास्त्री निर्वाधावादी नीति (Laissez-faire policy) के समर्थक थे। उनके अनुसार नागरिकों के जीवन में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एडमस्मिथ ने तो केवल सुरक्षा, शिक्षा सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि जैसे महत्त्वपूर्ण कार्यों में ही हस्तक्षेप देश के लिए उत्तम बताया था। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक यही विचार-धारा चलती रही, धीरे-धीरे इनका अन्त कम होता गया है और आज केवल इने-गिने लोग ही इस नीति का समर्थन करते हैं। गत वर्षों में आधुनिक राष्ट्रीयवाद (Economic Nationalism) की बढ़ती हुई शक्ति ने राज्य के कार्यों तथा दृष्टिकोणों को बदलकर ही रख दिया और मौद्रिक प्रयोजन-व्यवस्था तथा सार्व प्रणाली के विकास ने तो राज्य के कार्य-क्षेत्र को और भी विस्तृत कर दिया। पूँजीवादी प्रणाली की बढ़ती हुई बुराईयों ने तो राज्य की क्रियाओं के क्षेत्र को यहाँ तक बढ़ा दिया है कि अब राज्य नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में नियन्त्रण करने लगा है।

हमारे आर्थिक जीवन में और देश के आर्थिक ढाँचे में राजस्व का महत्त्व इसलिए भी अधिक होता जा रहा है क्योंकि हमारा दृष्टिकोण पहले की अपेक्षा अब विस्तृत हो गया है और अब यह विश्वास किया जाने लगा है कि नारायण द्वारा धन और आय के वितरण को सुधारा जा सकता है और सामाजिक बुराईयों

को दूर किया जा सकता है। इसी प्रकार शराब आदि हांगिकारक वस्तुओं के उपभोग को भी नियन्त्रित किया जा सकता है। राजकीय व्यय द्वारा नये-नये उद्योगों और व्यवसायों का निर्माण हो सकता है रोजगार तथा मजदूरी की दरों में वृद्धि हो सकती है और मजदूरों को सामाजिक बुराइयों से सुरक्षित रखा जा सकता है। राज्य अपनी राजकोपीय नीति (Fiscal Policy) द्वारा विभिन्न साधनों के विभिन्न व्यवसायों में वितरण को निर्धारित कर सकता है और देश का सतुलित विकास कर सकता है। शिशु उद्योगों को संरक्षण प्रदान करके विदेशी प्रतियोगिता से बचा सकता है। इसी नीति द्वारा राष्ट्रीय उपक्रमों का विकास कर सकता है और साधनों का ऐसे उद्योगों में प्रयोग कर सकता है जो देश के लिये हितकारी हों। राज्य अपने व्यय द्वारा देश में बेकारी दूर कर सकता है और नागरिकों की उलाहन शक्ति में वृद्धि कर सकता है। आधुनिक युग में राज्य की क्रियात्मक वित्तीय व्यवस्था के कारण ही राजस्व का महत्त्व है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का विचार है कि राज्य की राजकोपीय नीति का मुख्य उद्देश्य आर्थिक जीवन के ढांचे में इच्छानुसार और आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना है। राजस्व द्वारा अर्थ-व्यवस्था में क्रियात्मक परिवर्तन (Functional changes) किये जा सकते हैं। इसीलिए राजस्व का महत्त्व है।¹²

राजकीय व्यय

अध्याय १

राजकीय व्यय
की
प्रकृति एवं सिद्धान्त
(Nature and Principles
of Public Expenditure)

प्राक्कथन—

राजकीय व्यय, राज्य की क्रियाओं का आदि और अन्त, दोनों ही है। जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सरकार विभिन्न क्रियाएँ सम्पन्न करती है, उन उद्देश्यों का अध्ययन हम राजस्व के इसी विभाग में करते हैं और राजकीय व्यय के परिणाम और आकार से ही हम को यह ज्ञात होता है कि राज्य का क्या स्थान मनुष्य के जीवन में है और राज्य किस भीमा तक नागरिकों के संरक्षण के रूप में कार्य कर रहा है। हम देख ही चुके हैं कि राज्य पहले अपने व्यय को देखना है तत्परघात वह आय के स्रोत को खोजता है। इसीलिये राजस्व की प्रत्येक पुस्तक में राजकीय व्यय का अध्ययन राजकीय आय से पहले किया जाता है। जिस प्रकार अर्थशास्त्र में उपभोग का महत्व है उसी प्रकार राजस्व में राजकीय व्यय का महत्व है।

पिछले अध्याय में हम देख ही चुके हैं कि गत वर्षों में राजस्व का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत हो गया है। अतः राजकीय व्यय के आकार में भी वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के वैसे तो अनेकों कारण हैं, परन्तु मुख्य यह ही है कि राज्य की क्रियाओं का क्षेत्र पहले से कई गुना बढ़ गया है। यदि हम आधुनिक राज्यों के व्यय की घोर ध्यान दें और उन शाकडों का अध्ययन करें तो ज्ञात होगा कि राज्य के कार्यों में केवल विस्तृत वृद्धि ही नहीं हुई है बल्कि गहरी वृद्धि भी हुई है।¹ विस्तृत वृद्धि (Extensive increase) से हमारा अभिप्राय यह है कि राज्या के कार्यों की संख्या पहले से अधिक हो गई है और कई गुनी बढ़ गई है, अर्थात् राज्य

1 Philips E. Taylor, *The Economics of Public Finance*, Pages 48 to 68

के कार्यों का क्षेत्र और आकार गत वर्षों में बहुत बढ़ गया है। गहरी वृद्धि (intensive increase) से हमारा आशय यह है कि पहले जो कार्य राज्य के मौलिक कार्य समझे जाते थे उनमें पहले की अपेक्षा अब अधिक व्यय की आवश्यकता है। और पहले की अपेक्षा वे गत वर्षों में बहुत व्यय-पूर्ण हो गए हैं। मक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि राज्यों के कार्यों में वृद्धि होने के कारण राजकीय व्यय में वृद्धि हुई है और राज्य के कार्यों में दो प्रकार की वृद्धि हुई है—गहरी और विस्तृत। निम्न में हम इन दोनों प्रकार की वृद्धि का अध्ययन करेंगे।

सरकार के कार्यों में गहरी वृद्धि (Intensive Expansion of Governmental Functions)²—

एक लम्बे काल से सरकार की यह जिम्मेदारी रही है कि वह देश को विदेशी भ्रष्टाचार के विरुद्ध सैनिक व्यवस्था द्वारा सुरक्षित रखे, सड़कों इत्यादि को बनवाये और नागरिकों के लिए शिक्षा का प्रबन्ध करे। गत वर्षों में इन तीन कार्यों के कारण ही राजकीय व्यय में वृद्धि हुई है और पिछली एक सताब्दी की तुलना में इन का रूप ही दिलकुल बदल गया है। आजकल के युद्ध इतने महंगे और खर्चीले हो गये हैं कि सामान्य मनुष्य इसका अनुमान ही नहीं कर सकता है। 'सैनिक कला और विज्ञान की इतनी तीव्र प्रगति हुई है कि युद्ध के यन्त्रों का क्या अत्यधिक खर्चीला हो गया है और बिनाश की दर अत्यधिक ऊँची हो गई है। सरकार द्वारा, युद्ध पीड़ित व्यक्तियों और उनके कुटुम्बों की देखभाल करने का और उनके योग्य, शिक्षा और पुनर्वास आदि के रूप में लाभ प्रदान करने का दायित्व स्वीकार कर लेने से सरकार की युद्ध सम्बन्धी लागत तो बहुत अधिक बढ़ गई है।'³ यह हिमायत लगाया गया है कि सन् १७७६ और १९२० के वर्षों में अमेरिका की सभ्य सरकार के कुल खर्चों में ७६% खर्च केवल युद्ध सम्बन्धी थे।⁴

दूसी प्रकार सड़क और प्रधान मार्गों को बनवाने और उनका प्रबन्ध करने का व्यय भी बहुत अधिक हो गया है। प्रथम महायुद्ध से, स्वचालित (automobiles) गाड़ियों के विनाश से अक्षी किस्म की और अधिक सड़कों की मांग में दिन प्रति दिन वृद्धि होती गई है। अधिक भारी गाड़ियों और अधिक गति वाली गाड़ियों से तो नई सड़कों की सख्या में बहुत वृद्धि हुई है और पुरानी सड़कों के स्थान पर अब नई प्रकार की मजबूत सड़कें बनाई जाने लगी हैं। पहले की अपेक्षा अब अधिक चौड़ी सड़कों की भी आवश्यकता बढ़ गई है। इन्हीं सब कारणों से सड़कों का बनवाना पहले की अपेक्षा अब बहुत अधिक खर्चीला हो गया है। इनसंस्था की वृद्धि के कारण अब अधिकाधिक व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता

2 Ibid—Page 48-56

3 Ibid—Page 49

4 Ibid—Page 51

है। इसके अतिरिक्त गत वर्षों में प्रारम्भिक और उत्तम माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के विचार का बहुत प्रचार हुआ है। अतः परिणाम यह हुआ कि शिक्षा सम्बन्धी व्यय भी पहले से बहुत अधिक हो गया है।

नागरीकरण (Urbanisation) — गत वर्षों में यह प्रवृत्ति रही है कि व्यक्ति गाँव छोड़ छोड़ कर शहरों में आने लगे हैं। कुछ तो शहरी की रीत-रिवाज से आकर्षित होकर और अधिकतर शहरों में रोजी बसाने के लिए लागू आने में शहरी में आते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा के विकास और यातायात के साधनों की उत्पत्ति ने भी इस प्रवृत्ति में और भी अधिक वृद्धि की है। परिणामस्वरूप शहरी की संख्या लगभग प्रत्येक देश में ही बढ़ गई है। इस प्रवृत्ति में भी सरकार का व्यय को बढ़ाने में सहायता की है। शहरी में भीड़-भाड़ बढ़ने के कारण सरकार का जन-स्वास्थ्य और कल्याण की देखभाल करने का दायित्व पहले से कई गुना अधिक हो गया है। खाने की वस्तुओं और उनके वितरण का निरीक्षण अस्पताल की संख्या में वृद्धि और उनकी उचित व्यवस्था करना, निर्धनों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना, खेल के मैदानों और मनोरंजन के स्थानों का साधनों की व्यवस्था करना इत्यादि। आवश्यकताओं को बढ़ते हुए नागरीकरण ने ही जन्म दिया है। नागरीकरण में सरकार के कार्यों की गहरी और विस्तृत वृद्धि दोनों ही को सहायता मिली है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अष्टाचार और अभाव के कारण इन खर्चों का आकार और भी अधिक हो गया है, परन्तु इतना निश्चय है कि व्यक्तियों के व्यक्तिगत प्रयत्नों की अपेक्षा इनकी सामाजिक लागतें (Social Costs) फिर भी बहुत कम हैं।

सरकार के कार्यों में विस्तृत वृद्धि (Extensive Expansion of Governmental Functions)² —

पिछले तीस वर्षों में सरकार को बहुत से नए-नए कार्य करने पड़े हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जनता को और से इन कार्यों की सरकार द्वारा किए जाने की माँग रही है और यह माँग दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इन कार्यों की प्रकृति और कारणों का विवरण निम्नांकित है —

महान् अवसाद से उत्पन्न होना वाला कार्य (Depression born Functions) —

सन् १९३० के महान् अवसाद ने सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता को बहुत स्पष्ट कर दिया था। विभिन्न स्तरों पर—राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तरों पर उच्च सरकारी स्थापित होना आरम्भ हुआ। सरकारों ने मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों में नए-नए दायित्वों को स्वीकार किया। यह क्षेत्र निम्न प्रकार हैं —

- (अ) उद्योग, कृषि तथा श्रम की प्रोत्साहन देना
- (ब) अर्थ-व्यवस्था पर बढ़ती हुई भारों में नियन्त्रण रखना
- (स) जन-कल्याण में वृद्धि करना।

यद्यपि सन् १९३० के महान् अवसाद से पहले भी इसी किस्म के कार्य आरम्भ हो गए थे, परन्तु अवसाद काल में तो इनमें आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। उद्योगों की सहायता के लिए सरकार ने अनेकों सार्वजनिक योजनायें निर्मित की, श्रमिकों के लिए मकानों की व्यवस्था सम्बन्धी नये-नये कार्यक्रम बनाये, कृषि के क्षेत्र में कृषिकों को साख सम्बन्धी सुविधाएँ देने के लिये वस्तुओं के मूल्यों को ऊँचा करने के लिये, भूमि के षटाद को बम करने के लिए, सभी देशों में विभिन्न प्रकार के कानून बनाये गये। इसी प्रकार श्रम की सामूहिक नौद्रा करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए अधिनियम बने, सरकारी रोजगार सेवाएँ स्थापित हुई, बेकारी मुआवजा और वृद्ध अवस्था पेन्शन तथा अन्य प्रकार की सुविधाएँ श्रमिकों को दी जाने की व्यवस्था की गई।

“महान् अवसाद में पहले सरकार के नियन्त्रण अथवा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य अधिकतर अपनी प्रकृति में अनाधिक थे। पुलिस और न्याय सबन्धी बापों का मुख्य उद्देश्य विस्तृत और मौलिक सामाजिक अधिकारों की रक्षा करना था। आर्थिक क्षेत्र में सरकार यातायात और जन उपयोगी सेवाओं के मूल्यों तथा उनके संचालन, शुद्ध भोजन और दवाइयों का निरीक्षण, एकाधिकार निरोधक सबन्धी क्षेत्रों का नियन्त्रण करती थी। वास्तव में यह वृद्धि इतने अधिक क्षेत्रों में हुई थी और इतनी अधिक तीव्र से हुई थी कि बहुत से व्यक्तियों के मास्तिष्क में यह प्रश्न उठ रहे थे कि सरकार की अवसाद सम्बन्धी नीति का उद्देश्य पुरानी स्थिति को पुनः स्थापित (Recovery) करना था या पूर्ण रूप से एक नई स्थिति स्थापित (Reform) करना था।”⁶

“सामान्य रूप से इन वर्गों में नियन्त्रण कार्य का उदगम शोषण (Exploitation) की एक विस्तृत परिभाषा से हुआ है। जहाँ कहीं भी आर्थिक शक्ति का उपयोग जन-हित के विरुद्ध हुआ है या विभिन्न वर्गों के फलदाण के लिए हानिकारक रहा है, सरकार को उसी क्षेत्र में उचित कार्य संचालन के नियमों को निर्मित करने के लिए विवश होकर प्रवेश करना पड़ा है नियन्त्रण कार्य तुलनात्मक रूप से कम खर्चिले होते हैं। इनमें प्रबन्ध करने वाले कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या की आवश्यकता तो हो सकती है परन्तु इनमें वस्तुओं और आर्थिक सहायता के रूप में एक बड़ी मात्रा में धन लगाने की आवश्यकता नहीं होती..... विकास पार्यों में सामान्य रूप से ऋणों तथा अन्य प्रकार के भुगतानों के रूप में अधिक धन की आवश्यकता होती है। तीसरे क्षेत्र में—जन कल्याण की वृद्धि—मौद्रिक सहायता और सार्वजनिक निर्माण कार्य तो तत्पश्चात् अनिवार्य ही हैं और इसलिए सामान्य रूप से यह कार्य प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या की तुलना में अधिक व्यय पूर्ण है।”⁷

इसमें कोई संदेह नहीं कि गत वर्षों में सरकार ने सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी

6. Ibid Page 58

7. Ibid Page 59

तथा जन-कल्याण के क्षेत्र में इतने अधिक कार्य करने आरम्भ कर दिए हैं कि सरकार का व्यय पहले से कई गुना अधिक हो गया है। उपर्युक्त विवरण में सरकार के कार्यों की वृद्धि का एक सामान्य उल्लेख किया गया है⁸, परन्तु कुछ लेखकों ने इन्हीं कारणों को अलग अलग भागों में विभाजित करके दिया है।⁹ इनको हम बहुत संक्षेप में निम्न में देते हैं :—

(१) आवश्यकताओं की सामूहिक संतुष्टि—बहुत से कार्य ऐसे हैं जो पहले व्यक्ति ही करते थे परन्तु अब वे राज्य द्वारा किए जाते हैं, कदाचित्त इसलिए कि एक ही सरकार द्वारा उनका किया जाना अधिक मितव्ययी हो गया है, और दूसरे इसलिए कि जनता की यह मांग रही है कि इन कार्यों को सरकार ही करे। नगरों में पानी, बिजली, मातामात आदि की व्यवस्था करना इसी प्रकार के कार्य हैं। यदि ये कार्य व्यक्तियों द्वारा किए जाएं तो एक तो सेवाओं की दुवारागी (duplication) के कारण अपव्यय बहुत होगा, दूसरे बड़े पैमाने की उत्पत्ति के लाभ प्राप्त नहीं होंगे, और अन्त में जन उपयोगी सेवाओं से एकाधिकार स्थापित होने की सम्भावना के कारण समाज का जोषण होने का भी भय रहता है। इसीलिए नागरिक भी चाहते हैं कि ये कार्य सरकार द्वारा किए जाएँ। परिणामस्वरूप राज्यों के व्ययों में वृद्धि हुई है।

(२) उद्योगों का समाजीकरण—निर्बाधावादी नीति की असफलताओं और समाजवादी विचारधारा की प्रगति के साथ-साथ राज्यों ने अनेकों उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना आरम्भ कर दिया है, जिन कारण भी राज्य के व्ययों में वृद्धि हुई है।

(३) उत्पादन में सहायता—छोटे-छोटे कृषकों और उद्योगपतियों को राज्य ने विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान करना आरम्भ कर दी है, ताकि वे विदेशी प्रतियोगिता से टक्कर ले सकें और देश का आर्थिक विकास हो सके।

(४) कल्याणकारी क्रियाएँ—सांघुनिक सरकारों ने कल्याणकारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी क्रियाएँ भी सम्पन्न करना आरम्भ कर दी है, जैसे बेकारी बीमा, स्वास्थ्य बीमा, प्रसव लाभ, बीमारी बीमा, वृद्धावस्था पेंशन देना आदि। पहले राज्य इन क्रियाओं को सम्पन्न नहीं करता था। राज्य की ये क्रियाएँ पूर्णतया नवीन हैं।

(५) आर्थिक अवसाद सम्बन्धी कार्य—हम ऊपर बता आये हैं कि सन् १९३० के आर्थिक अवसाद के दोषों को दूर करने के कारण भी राज्य को अनेकों प्रकार की नई क्रियाओं को अपने कार्य-क्षेत्र में सम्मिलित करना पड़ा है। परिणाम-स्वरूप उमका कार्य क्षेत्र और भी विस्तृत हो गया है।

(६) आर्थिक नियोजन—बीमारी शतान्धी के आरम्भ से ही आर्थिक नियोजन

8 जर्मन अर्थशास्त्री बींगलर ने भी यह ही कारण बताया है।

9 Saxena and Mathur, Public Economics Pages 17-18

सम्बन्धी विचारधारा ने बहुत जोर पकड़ा। विशेषकर रूस में आर्थिक नियोजन की सफलता के पश्चात् तो प्रत्येक देश की सरकार ने इसको किसी न किसी रूप में अवश्य ही अपनाया है। अविक्तित देशों में तो इसका बड़ा ही बोलबाला है।

(७) युद्ध सम्बन्धी व्यय— पिछले चालीस वर्षों में सत्सार को दो विश्व युद्धों की कठिनाइयों को सहन करना पड़ा है। आधुनिक युद्ध अत्यधिक खर्चीले होते हैं। सैनिकी व्यवस्था भी बहुत महँगी हो गई है। यही कारण है कि आजकल प्रत्येक देश में राजकीय आय का एक बहुत बड़ा भाग सुरक्षा सम्बन्धी बातों पर खर्च किया जा रहा है।

(८) नागरिक प्रशासन—गत वर्षों में नागरिक प्रशासन पर भी, जो राजकीय व्यय की, सुरक्षा के बाद, दूसरी महत्वपूर्ण मद्द है, व्यय बढ़ता ही जा रहा है। इसका एक कारण तो यह है कि रण्यार में प्रजातन्त्रीय सरकारों की संख्या बढ़ जाने के कारण प्रजातान्त्रिक संस्थाओं की स्थापना एवं व्यवस्था पर सरकारों को बहुत अधिक व्यय करना पड़ रहा है। चुनाव, रानायों, रासद आदि पर बहुत अधिक व्यय किया जा रहा है। पिछले वर्षों में सत्सार में स्वतन्त्र राष्ठा की संख्या बहुत अधिक हो गई है। प्रत्येक राज्य को अपनी मित्रता बनाय रखने के लिये दूतावास आदि विदेशों में स्थापित करने पड़ते हैं जिनमें बहुत अधिक व्यय होता है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या की वृद्धि के कारण आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था भी बहुत खर्चीली हो गई है। अन्त में प्रशासन सम्बन्धी दफ्तर भी इतने अधिक हो गये हैं कि पहले की अपेक्षा दफ्तरों और अफसरों व क्लर्कों की संख्या कई गुणी बढ़ गई है। फलस्वरूप प्रशासन कार्य भी अधिक देरी से होने के साथ-साथ खर्चीला भी अधिक हो गया है।

इन्हीं सब कारणों से राजकीय व्यय में गत वर्षों में इतनी अधिक वृद्धि हुई है।

राजकीय व्यय का सिद्धान्त—

आधुनिक समय में, हमने अभी देखा कि, राज्य का कार्य-क्षेत्र कितना विस्तृत हो गया है। स्पष्ट ही है कि राज्य को कितनी बड़ी मात्रा में व्यय करना पड़ता है और कितने अधिक महों के लिये धन एकत्रित करके उन पर बाटना भी होता है। अतः राज्य के लिये यह आवश्यक है कि व्यय करने से पहले और बाद में यह विचार करे कि व्यय की पूरा करते के निम्न किन्त श्रेणियों में धन, प्राप्ति, क्रिया, बाय, और रखने बाद में यह सोचने कि विभिन्न महों पर व्यय ठीक प्रकार से हुआ या नहीं। राज्य के पुराने कार्यों में प्रत्येक वर्ष ही कुछ न कुछ नये कार्य बढ़ते ही जाते हैं, इसलिये राज्य के लिये यह आवश्यक है कि वह आय और व्यय दोनों का ही एक साथ विचार करे, और इस प्रकार नियोजन करे कि अधिक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति हो तभी राज्य अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त का पूर्ण उपयोग कर पायगा। व्यवहार में सरकार यह ही करती है। इसी उद्देश्य से आजकल बजट बनाये जाते हैं। बजट बन जाने के बाद सरकार के लिये एक नयी समस्या उत्पन्न होती है—वह है जनता

विशेष या मर्यादा विशेष पर उम्मीद भय व्यय किया जाये जबकि (अ) व्यय की घनराशि कम हो (आ) वह न्यायालयों द्वारा वसूल किया जा सके, और (इ) वह किसी एक निश्चित नीति एवं सामाजिक रिवाज के अनुसार हो। अतः स्कूल अस्पतालों आदि संस्थाओं को तो आर्थिक सहायता दी जा सकती है परन्तु मन्दिर या गिरजा आदि को कोई भी सहायता देना न्यायोचित नहीं होगा।

(२) मितव्ययिता का नियम (Canon of Economy)—सरकार जिन धन को जनता से प्राप्त करती है वह एक प्रकार की धरोहर होती है, जिसका उपयोग सरकार को बड़ी सतर्कता से करना चाहिए। मितव्ययिता का अर्थ यह है कि सरकार को खर्च नहीं उठाना चाहिए पर और उतनी मात्रा व्यय करना चाहिए जहाँ वह आवश्यक हो। इसके अतिरिक्त सरकार को व्यय के अन्तिम परिणामों और प्रभावों को भी ध्यान देना आवश्यक है। वही व्यय मितव्ययी समझा जायगा, जिसके परिणामस्वरूप नागरिकों की उत्पादन शक्ति में वृद्धि होती है। आजकल सरकारी संस्थाओं के विरुद्ध सामान्य शिकायत यह है कि वे बेहद अल्पधनी और लापरवाह हैं। व्यय करते समय उचित नियोजन नहीं करती और दूरदमिता से तनिक भी काम नहीं लेती। दफ्तरों और अफसरों की संख्या ता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है परन्तु सरकार का वित्तीय नियन्त्रण एवं नियमन उतना ही ढीला होता जा रहा है। भारतवर्ष को ही लीजिए, रोजाना सरकारी दफ्तरों में गवनों के मामलों सुनने में आते हैं। बहुत से कार्य अक्षम में छोड़ दिए जाते हैं। अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन' गर करोडा रुपये' का व्यय हुआ परन्तु अन्न की स्थिति पहले ही जैसी रही। प्रत्येक वर्ष 'वन महोत्सव' पर करोडों रुपये का व्यय होता है परन्तु मुश्किल से बस प्रतिघात पड़ ही सीमित रहते हैं। अनेकों सभाओं और सम्मेलनों का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है परन्तु लाभ तनिक भी नहीं होता और इतना धन खर्च ही जाता है। इस प्रकार प्रत्येक सरकार को अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वह इस सिद्धान्त का पालन करे।

(३) अनुमोदन का नियम (Canon of Sanction)—इस नियम के अनुसार प्रत्येक अधिकारी को व्यय करने समय अपने उच्च अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिये। ऐसा करने से बहुत से बेकार खर्च कम हो जाते हैं। इस नियम में निम्न मुख्य बातें सम्मिलित हैं—(अ) किसी भी सरकारी अफसर को उस रॉजि से अधिक व्यय करने की मजूरी नहीं देनी चाहिये, जितना कि उसे स्वयं अधिकार है। (ब) ऋण बचल नहीं मढ़ा पर खर्च करना चाहिये, जिनके लिये वह प्राप्त किया गया है। साथ ही साथ ऋण को उचित समय पर लौटाने की भी व्यवस्था करते जाना चाहिये। (स) नारी व्यय की गई राशियों के हिसाब बिलाव का उचित निरीक्षण (auditing) भी होना चाहिये ताकि अनुचित ढंग से धन व्यय न किया जा सके और विभिन्न अफसर अपने अधिकारों का अनुचित उपयोग और अपनी सीमाओं का उल्लंघन न कर सकें। इस प्रकार आजकल अनुमोदन कार्य का रूप अति विस्तृत हो गया है। स्वयं सरकार को विधान सभा में प्रत्येक व्यय की

मन्जूरी लेनी होती है हर विभाग को अपने मन्त्रालय से, और हर विभाग म अफसरों को अपने उच्चतम अधिकारी से आज्ञा लेनी पड़ती है। यद्यपि इसमें अनावश्यक देरी जरूर होती है परन्तु सामाजिक हित को अधिकतम करने के लिये यह मूल्य कोई अधिक नहीं है।

(*) **आधिक्य सिद्धान्त (Canon of Surplus)**—प्रो० शिराज के शब्दों में "आधिक्य सिद्धान्त का अभिप्राय राजकीय व्यय में हीनता (deficits) या घाटों को दूर करना है। राजकीय सस्याओं को अपनी आय की प्राप्ति एवं व्यय माभारण व्यक्तिवाद के समान करना चाहिये। व्यक्तिगत व्यय के समान सन्तुलित बजट ही सामान्य नीति होनी चाहिये। प्रो० शिराज ने सन् १९२० में ब्रुसेल्स (Brussels) के अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सम्मेलन के एक प्रस्ताव को अपनी पुस्तक में दुहराया है कि, 'जो देश घाटे के बजटों की नीति को स्वीकार करता है वह उन किसलने वाले माग पर चल रहा है जो सामान्य विनाश की ओर ले जाता है, उन मार्ग से बचने के लिये कोई बलिदान भी बहुत बड़ा नहीं है।' यह बात सही भी है वर्गीक घाटे के बजटों में जनता का रुग्ण भार बढ़ जाता है और देश तथा विदेशों में, सरकार का विश्वास कम होता जाता है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि सरकार को घाटे के बजट बनाने ही नहीं चाहिये। देश के आर्थिक विकास की स्थिति में तो ऐसे बजट नितान्त आवश्यक होते हैं। इसी प्रकार युद्ध काल में भी सरकार को घाटे के बजटों के बिना काम नहीं चलता। सामान्य रूप से सरकार को सन्तुलित बजट बनाने चाहिये। आधिक्य बजट भी ठीक नहीं होते क्योंकि ऐसे बजटों से नागरिकों के मस्तिष्क में यह आपत्ति उत्पन्न होती है कि उन पर कर भार बहुत अधिक है। यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि कब नैमा बजट बनाया जाये, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अकमाद काल में घाटे के बजट मुद्रा स्फीति में आधिक्य बजट और सामान्य परिस्थितियों में सन्तुलित बजट बनाने चाहिये।

इस प्रकार सरकार को अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिये उपर्युक्त नियमों का पालन करना चाहिये।

राजकीय व्यय का वर्गीकरण

(Classification of Public Expenditure)—

राजकीय व्यय का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया गया है। प्रत्येक लेखक ने अपने अपने ढंग से यह वर्गीकरण किया है और अलग अलग आधारों पर आश्रित किया है निम्न में हम इन वर्गीकरणों का अध्ययन करेंगे।

~ (अ) **कोहन तथा प्लेहन का वर्गीकरण (Cohn and Plehn's Classification)**—जर्मन अर्थशास्त्री कोहन और अमेरिकन अर्थशास्त्री प्लेहन ने राजकीय व्यय को निम्न चार भागों में विभाजित किया है —

(१) पहला, वह व्यय जिसका लाभ सामान्य रूप से सारे समाज को

पहुँचता है, जैसे सुरक्षा सम्बन्धी व्यय, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि पर किया गया व्यय ।

(२) दूसरा वह व्यय जो कुछ विशेष व्यक्तियों अथवा वर्गों के लाभ के हेतु किया जाता है, परन्तु यदि देखा जाये तो यह लाभ सामान्य ही लाभ होता है, क्योंकि यह व्यय उन व्यक्तियों के लिये किया जाता है, जो स्वयं अपनी सहायता नहीं कर सकते । जैसे बेकारी बीमा, बीमारी बीमा, वृद्धावस्था पेंशन आदि ।

(३) तीसरा, वह व्यय जिससे कुछ व्यक्तियों को विशेष लाभ पहुँचाने के साथ साथ सारे समाज को भी लाभ पहुँचना है जैसे, पुलिस, न्यायालयों आदि का प्रबन्ध एवं व्यवस्था ।

(४) चौथा, वह व्यय जिससे केवल कुछ विशेष व्यक्तियों को ही लाभ पहुँचता है, जैसे, राजकीय उद्योगों पर व्यय ।

उपर्युक्त विवरण में यह स्पष्ट है कि यह वर्गीकरण इन अर्थशास्त्रियों ने 'लाभ' को आधार मान कर किया है । वैसे तो यह वर्गीकरण अत्यधिक सरल और न्यायपूर्ण भी है क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होने वाले लाभों के अनुसार किया गया है परन्तु इसमें सबसे बड़ा दोष यह है कि यह चार वर्ग एक दूसरे में पूर्णतया अलग नहीं है । यह सरलता में एक दूसरे के क्षेत्र में सम्मिलित किये जा सकते हैं । वास्तव में इस प्रकार के आधार पर सरकारी व्ययों में भेद करना सरल नहीं होता, क्योंकि लगभग प्रत्येक प्रकार का राजकीय व्यय एक ओर तो सामूहिक लाभ प्रदान करता है और दूसरी ओर वही व्यय कुछ व्यक्तियों एवं वर्गों को भी लाभ पहुँचाता है ।

✓ (घ) प्रो० निकलसन का वर्गीकरण (Nicholson's Classification) — राजकीय व्यय के लिये राजकीय आय साधन भी है, और साध्य भी । इसीलिये निकलसन ने अपने वर्गीकरण को 'आय' के आधार पर आधारित किया है अर्थात् उन्होंने अपना वर्गीकरण इस आधार पर किया है कि राजकीय व्यय की, आय उत्पन्न करने की शक्ति कितनी है या राजकीय व्यय से कितनी आय प्राप्त होने की आशा है । इन्होंने भी राजकीय व्यय को चार वर्गों में विभाजित किया है —

(अ) प्रथम, वह व्यय जिससे राज्य को किसी प्रकार की भी आय प्राप्त नहीं होती, जैसे युद्ध व्यय, बेकारों को सहायता, वृद्धावस्था पेंशन आदि ।

(आ) दूसरा, वह व्यय जिससे राज्य को कोई प्रत्यक्ष आय नहीं प्राप्त होती परन्तु राज्य की आय में दीर्घकाल में अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि होती है, जैसे निःशुल्क शिक्षा, क्योंकि शिक्षा व्यक्तियों की कार्य कुशलता तथा उत्पादन शक्ति में वृद्धि करती है, जिससे अन्त में जनता की करदान शक्ति बढ़ जाती है ।

(इ) तीसरा, वह व्यय जिससे राज्य को केवल थोड़ी सी ही आय प्राप्त होती है अर्थात् जिसमें शुल्क की दर सेवा के मूल्य से कम होती है, जैसे शुल्क सहित शिक्षा प्रदान करना ।

(ई) चौथा, वह व्यय जिससे राज्य को व्यय पुति के बाद अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। राज्य द्वारा मंचालित सब ही जन उपयोगी सेवाएँ (Public utility services) तथा उद्योग इसी वर्ग में आते हैं, जैसे रेल, डाक, तार आदि की व्यवस्था।

यह वर्गीकरण भी वैज्ञानिक नहीं है। यह केवल वित्त मंत्री के लिये लाभप्रद हो सकती है क्योंकि उसको यह जानना जरूरी है कि किस मद से कितनी आय होगी। व्यय के उचित अध्ययन के लिये यह आवश्यक है कि वर्गीकरण ऐसा हो जिससे राजकीय व्यय की किसी विशेषता या स्पष्टीकरण होता हो। इसके अतिरिक्त विभिन्न वर्ग का क्षेत्र भी अस्पष्ट है क्योंकि वदचित कोई भी वर्ग ऐसा नहीं होगा जिससे प्रत्यक्ष या पराध रूप से आय में वृद्धि न हो।

११५ (स) एडम का वर्गीकरण (Adams Classification)—प्रो० एडम ने राजकीय व्यय का वर्गीकरण, व्यक्तियों पर पड़ने वाले प्रभावा के आधार पर किया है। उनके अनुसार राजकीय व्यय तीन प्रकार का है, अर्थात् मरणात्मक, व्यापारिक और विकासात्मक व्यय। कुछ व्यय तो राज्य नागरिकों की जान और माल की रक्षा करने के लिये करता ही है, जैसे सैनिकों तथा युद्ध सम्बन्धी हथियारों की व्यवस्था करना, पुलिस आदि का प्रवर्ध करना इत्यादि। इन प्रकार के तर्कें एडम ने प्रथम वर्ग में सम्मिलित किये हैं। दूसरे वर्ग में उन व्ययों को सम्मिलित किया है जो व्यापार और वाणिज्य की उन्नति के लिये किये जाते हैं जैसे रेल, तार, डाक की व्यवस्था सम्बन्धी व्यय। अन्तिम वर्ग में राज्य के सामाजिक कार्यों पर किया जाने वाला व्यय सम्मिलित किया गया है अर्थात् वे तर्कें जिनके करने से नागरिकों का और देश का विकास होता है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक बीमा, गृह निर्माण इत्यादि पर किया गया व्यय।

परन्तु अर्थशास्त्री इस परिभाषा से भी मनुष्य नहीं हो पाये हैं। उनके अनुसार यह भेद करना कठिन है कि कौन सा व्यय किस वर्ग में रखा जाये, क्योंकि एक ही व्यय विकासात्मक और वाणिज्यिक हो सकता है या मरणात्मक और विकासात्मक हो सकता है। अग्रप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक व्यय देश और नागरिकों के विकास में सहायता करता है। इस तर्क पर मैसियमैन, वेंस्टेबिल और मिल ने इसकी आलोचना की है।

११६ (द) मिल का वर्गीकरण (Mill's Classification)—मिल ने प्रो० एडम की आलोचना करते हुए राजकीय व्यय को दो भागों में विभाजित किया है, अर्थात् आवश्यक और इच्छानुसार (Necessary and Optional)। परन्तु यह स्पष्ट ही है कि यह निर्णय करना कितना कठिन होगा कि कौन सा व्यय राज्य से अपनी इच्छानुसार किया है। वास्तव में आजकल राज्य का प्रत्येक व्यय ही आवश्यक है। इसके अतिरिक्त राज्य कोई भी व्यय बेकार कर ही नहीं सकता। एक बार व्यक्ति ऐसा कर सकता है परन्तु राज्य से ऐसी आज्ञा नहीं की जा सकती।

११७ (ह) रोशर का वर्गीकरण (Roscher's Classification)—जर्मन अर्थ-

शास्त्री रोशर ने राजकीय व्यय को आवश्यक, उपयोगी और बेकार—तीन वर्गों में विभाजित किया है। कदाचित् रोशर ने व्यय की अविलम्बता के अंश (Degree of urgency) के आधार पर यह वर्गीकरण किया है। पहले वर्ग में जो खर्च है वे तो किसी प्रकार भी टाले नहीं जा सकते। दूसरे प्रकार के खर्च उपयोगी हैं परन्तु उनको थोड़े काल के लिये स्थगित किया जा सकता है और अन्तिम प्रकार के व्यय तो अनावश्यक और बेकार होते हैं। इस वर्गीकरण के विरुद्ध भी वे सभी आलोचनाएँ की गई हैं जो उपरोक्त वर्गीकरणों के विरुद्ध की जा चुकी हैं।

(य) शिरास का वर्गीकरण (Shirras' Classification)—प्रो० शिरास ने राजकीय व्यय को दो भागों में बाँटा है—प्राथमिक (Primary) व्यय और गौण (Secondary) व्यय। प्राथमिक व्यय वे हैं जो नितान्त आवश्यक हैं, जिन्हें अन्य व्यय से पहले करने की राज्य सोचता है जैसे, रक्षा, शान्ति व्यवस्था इत्यादि। गौण व्यय वे व्यय हैं जिन्हें राज्य बाद में करता है या बजट में जिनको पहली प्राथमिकता नहीं दी जाती जैसे, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य प्रकार की जन उपयोगी सेवाएँ आदि सम्बन्धी खर्च।

प्राथमिक और गौण व्यय में राजकीय व्यय का वर्गीकरण ऊपर से देखने पर स्पष्ट और सरल दीखता है परन्तु यह भी सतोपजनक नहीं है। प्रथम, तो यह ही कठिन है कि प्राथमिक और गौण व्यय में भेद किया जा सके क्योंकि राज्य का कोई भी व्यय स्थायी रूप से न तो प्राथमिक ही है और न गौण ही। समयानुसार खर्चों की प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है। जो इस वर्ष प्राथमिक व्यय है वह ही दस वर्ष बाद गौण व्यय हो सकता है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक और गौण व्यय वे व्यय हैं जो अपनी परिभाषा के लिये एक दूसरे पर आधारित हैं। इस प्रकार यह वर्गीकरण भी उपयुक्त नहीं है।

(२) डाल्टन का वर्गीकरण (Dalton's Classification)—डाक्टर डाल्टन ने राजकीय व्यय के दो भाग किये हैं—(१) अनुदान (Grant) और (२) क्रय मूल्य (Purchase Price)। जब सरकार को किसी व्यय के बदले में न तो कोई वस्तु और न कोई सेवा प्राप्त हो तो ऐसे व्यय को अनुदान कहेंगे जैसे, अकाल या बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक सहायता, वृद्धावस्था पेंशन इत्यादि। अनुदान को निर्यात प्रबन्ध (Bounty) और अर्थ-सहायता (Subsidies) के रूप में भी दिया जा सकता है। अनुदान दो प्रकार के बताये गये हैं—प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष अनुदान वे हैं जो उन्हें व्यक्तियों को लाभ पहुँचाते हैं जिनको वह दिये गये हैं। अप्रत्यक्ष अनुदान वे हैं जो किसी एक व्यक्ति को दिये जाते हैं परन्तु उनका लाभ किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों को प्राप्त होता है। जब सरकार को किसी व्यय के बदले में सेवा या वस्तु प्राप्त हो जाती है तो ऐसे व्यय को क्रय-मूल्य कहते हैं। परन्तु जैसा कि डाल्टन ने स्वयं ही कहा है कि व्यवहार में कभी-कभी ये दोनों एक साथ ही उपस्थित हो सकते हैं। उदाहरणार्थ सरकार किसी सेवा के लिये जो मूल्य दे रही है वह यदि उस मूल्य से ऊँचा हो जो निजी व्यक्ति द्वारा दिया जायेगा तो यह जो

आधिन्य है अनुदान कहलायगा। व्यवहार में इन आधिन्य को आकृता सरल नहीं है। डाक्टर डाल्टन का विचार है कि ऋण पर दिया गया मूद अनुदान भी है और ऋण मूल्य भी। जिस समय मूद का भुगतान किया जाता है, उस दृष्टिकोण से तो यह अनुदान हुआ और अतीत के दृष्टिकोण से यह ऋण मूल्य हुआ क्योंकि वास्तविकता में मूद ऋण का मूल्य नहीं तो और क्या है? परन्तु डाक्टर डाल्टन के विरुद्ध इतना कहना पड़ेगा कि मूद अनुदान नहीं होता केवल ऋण-मूल्य ही रहता है। उस समय भी जब मूद का भुगतान किया जाता है वह ऋण मूल्य ही रहता है क्योंकि सरकार ऋण से बराबर लाभ प्राप्त करती रहती है।

(ल) प्रो० पीगू का वर्गीकरण (Pigou's Classification) प्रो० पीगू ने अनुसार राजकीय व्यय दो भागों में बाटा जा सकता है—हस्तांतरित होने वाला (Transfer) और हस्तांतरित न होने वाला (Non transfer) व्यय। उन्हीं के दायरे में हस्तान्तरित होने वाला व्यय वह है जो नागरिकों के लिये या तो निशुल्क किये जाते हैं या उपस्थित सम्पत्ति अधिचारों का क्रय करने के लिये किये जाते हैं। हस्तांतरित न होने वाला व्यय वह है जो 'राष्ट्र के साधनों की वर्तमान सेवाओं को खरीदने' के लिये किये जाते हैं। प्रथम प्रकार के व्यय के अन्तर्गत—ऋण पर दिया गया व्याज फंडन बीमारी बीमा बेकारी लाभ संध महायता इत्यादि सम्मिलित हैं और दूसरी श्रेणी में सेना, जहाजों बहा वायु शक्ति नागरिक शासन जन उपयोगी सेवाओं आदि का व्यय सम्मिलित है। इन दोनों प्रकार के व्ययों के बीच भेद करने में सम्बन्ध में पीगू का कहना है कि जब कि हस्तान्तरित होने वाले व्यय का एक दम यह प्रभाव नहीं होगा कि साधन व्यक्तिगत उपयोगी में से एक दम बाहर आजाय हस्तान्तरित न होने वाले व्यय का यह प्रभाव होता है। किसी भी समय राष्ट्र के साधनों का उपयोग सरकार द्वारा भी किया जाता है और व्ययों द्वारा भी और जब हस्तान्तरित न होने वाले व्यय में वृद्धि की जाती है तो साधन व्यक्तिगत उपयोगों से निकलकर सरकारी उपयोगों में आने लगते हैं। प्रो० पीगू के मतानुसार जबकि हस्तान्तरित होने वाला व्यय व्यक्तिगत और सरकारी उपयोगों में साधनों का पुनर्वितरण तो नहीं करता परन्तु विभिन्न वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में अवश्य करता है। क्योंकि जब कर दाताओं से धन लेकर वृद्ध व्ययों या बेकार व्यक्तियों को दिया जाता है तो कुछ वस्तुओं की मांग तो बढ़ती है और कुछ की गिरती है और पहले प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में अधिक साधनों का उपयोग होने लगता है।

(व) जे० के० मेहता का वर्गीकरण (Mehta's Classification) — भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो० मेहता ने राजकीय व्यय के दो भाग किये हैं—(१) अपरिवर्ती व्यय (Constant Expenditure) और परिवर्ती व्यय (Variable Expenditure)। इन के अनुसार पहले भाग में वे व्यय आते हैं जो उपयोग में वृद्धि होने पर भी समान रहते हैं जैसे रक्षा सम्बंधी व्यय, हवाई अड्डा पर प्रकाश-स्तम्भ पर व्यय इत्यादि। दूसरे भाग में वे व्यय आते हैं जो उपयोग बढ़ने के साथ साथ

घटते हैं और उपयोग घटने के साथ साथ घटते हैं जैसे डाक सेवाओं, शिक्षा आदि पर व्यय। प्रो० मेहता का कथन है कि इस वर्गीकरण से यह निश्चय नहीं कर लेना चाहिये कि सरकार का प्रत्येक व्यय इनमें से केवल किसी एक ही वर्ग में आ जायेगा। उनके कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यय इन दोनों ही भागों में पूर्णतया या अंशतया सम्मिलित किया जा सकता है जैसे डाक सेवाओं का बहुत सा व्यय परिवर्तित व्यय है। अतः यह स्पष्ट है और प्रो० मेहता ने स्वयं भी स्वीकार किया है कि उनके वर्गीकरण में भी एक वर्ग को दूसरे वर्ग से अलग नहीं किया जा सकता।

५(क) अन्य वर्गीकरण (Miscellaneous Classification) — कुछ लेखकों ने राजकीय व्यय के उत्पादक और अनुत्पादक, दो भाग किये हैं। यद्यपि यह सोचा भी नहीं जा सकता कि राज्य कभी अनुत्पादक व्यय कर भी सकता है, परन्तु व्यवहार में ऐसे व्यय देखने में आते हैं। भारत में मद्यनिषेध सम्बन्धी खर्च इसी प्रकार के है। एक ओर तो सरकार का व्यय बढ़ रहा है और दूसरी ओर आवकारी कर की आय कम होती जा रही है।

उपर्युक्त वर्गीकरण के अध्ययन में स्पष्ट है कि सब ही किसी न किसी दृष्टि से दोषपूर्ण हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इन लेखकों ने अपने सामने राजकीय व्यय की किसी विशेषता को रखकर वर्गीकरण नहीं किये हैं। सच तो यह है कि राज्य का स्थान व्यक्ति की उन्नति में इतना महत्वपूर्ण हो गया है और उसके कार्यों में इतनी अधिक वृद्धि हो गई है और विभिन्न कार्यों का क्षेत्र इतना अस्पष्ट है कि व्यय को भी स्पष्ट रूप से अलग अलग वर्गों में नहीं बाँटा जा सकता। जो भी प्रयत्न इस सम्बन्ध में किये गये हैं वे सहायनीय हैं।

प्राक्कथन—

हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं कि गत वर्षों में राजकीय व्यय में कितनी अधिक वृद्धि हुई है और उसके कारणों की भी विवेचना हम कर चुके हैं। इस अध्याय में हम राजकीय व्यय के विभिन्न प्रभावों का स्पष्टीकरण करेंगे। राजकीय व्यय के प्रभावों के अध्ययन के सम्बन्ध में हमें दो दृष्टिकोण मिलते हैं—सकीर्ण और विस्तृत। परम्परावादी लेखक एडम स्मिथ और उसके अनुयायियों के विचार उपेक्षा-कृत अधिक सकीर्ण थे और आधुनिक लेखकों के विचार अत्यधिक विस्तृत हैं।¹ एडम स्मिथ से लेकर आज तक राजस्व के मुख्य मुख्य लेखकों ने इन विचारों की पुष्टि की है कि राजस्व की जितनी भी क्रियाएँ हैं उनका सम्बन्ध केवल व्यक्तियों के धन की प्राप्ति करके राज्य के उपयोग में लाना है ताकि वह उपभोक्तानों को सेवाएँ प्रदान कर सके। इस बात की ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया कि राजकीय व्यय एक प्रकार की आय है जो उन लोगों को प्राप्त होती है जिन पर उसका व्यय होता है। सब ही लेखकों ने करों की राजि को राष्ट्रीय आय में से घटाया है और उसके आय उत्पन्न करने वाले पहलू की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। एडम स्मिथ का विचार था कि सरकारी खर्च अनुत्पादक श्रम के नियंत्रण किये गए भुगतान होते हैं² और इसलिये इनसे राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि नहीं होती।³ इसी प्रकार रिकार्डो, मिल, वॉस्टेबिल और एच. सी. एडम्स ने भी अपने विचार प्रस्तुत किये हैं और कुरो को निजी आय की धारा में से निकाले हुए कोष समझा है। वे यह नहीं समझते थे कि इन कीर्षों को निजी आय की धारा में डालकर नई आय उत्पन्न की जाती है। क्या एक व्यक्ति का व्यय दूसरे की आय नहीं होती? यदि व्यक्तिगत

1. Phillips E. Taylor. *The Economics of Public Finance*, Page 782. *Wealth of Nations*, pages 87-883. *Ibid.*, page 315.

व्यय के सम्बन्ध में यह सही है तो राजकीय व्यय के विषय में भी यह सच है। हम दोनों ही दृष्टिकोणों से राजकीय व्यय के प्रभावों को निम्न में अध्ययन करेंगे।

राजकीय व्यय और उत्पादन (Public Expenditure and Production)—

राजकीय व्यय राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करता है या उसको कम करता है? इसके द्वारा व्यक्तियों की उत्पादन शक्ति प्रोत्साहित होती है या निरूत्साहित होती है?—बड़े ही विवादग्रस्त विषय है। हम अभी कह ही चुके हैं कि प्राचीन लेखक सब ही राजकीय व्ययों को अनुत्पादक मानते थे। परन्तु यह विचार सही नहीं है। सही तो यह है, कि न तो सभी व्यय अनुत्पादक होते हैं और न सभी उत्पादक—यदि हम व्यय के प्रत्यक्ष परिणामों की दृष्टि से देखें। यदि हम व्यय के अप्रत्यक्ष परिणामों की दृष्टि से देखें तो सभी व्यय दीर्घ काल में उत्पादक होते हैं। अन्तिम विचार सबसे उपयुक्त है। डाल्टन के अनुसार उत्पादन पर राजकीय व्यय के प्रभावों को तीन शीर्षकों में बांट कर अध्ययन किया जा सकता है—⁴

(अ) व्यक्तियों की कार्य करने की क्षमता और बचाने की क्षमता पर प्रभाव।

(ब) व्यक्तियों की कार्य करने और बचाने की इच्छा पर प्रभाव, और

(स) विभिन्न स्थानों और उपभोगों में आर्थिक साधनों के स्थानान्तरण पर

व्यय के प्रभाव।

(अ) राज्य द्वारा किया गया व्यय व्यक्तियों की कार्य करने की शक्ति को कई प्रकार से प्रभावित कर सकता है। प्रथम, इस व्यय से अनेकों व्यक्तियों को आय प्राप्त होती है और उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है। पेंशन, भत्ते, बेकारी व बीमारी लाभ वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया व्यय—सब ही व्यक्तियों की क्रयशक्ति में वृद्धि करते हैं। व्यक्तियों में अधिक वस्तुओं को खरीदने और अपने उपभोग-स्तर को ऊँचा करने की सामर्थ्य आती है। उनकी अव्यय-क्षमता में वृद्धि होती है और दीर्घकाल में उत्पादन को बढ़ाता है। इस प्रकार राजकीय व्यय देश में उत्पत्ति को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इस प्रकार का व्यय निर्धन व्यक्तियों के लिये, और बच्चों के लिये तो बहुत ही लाभप्रद होता है। बच्चों को आरम्भ से ही पौष्टिक भोजन मिलने से इनका स्वास्थ्य ठीक रहता है और वह अपनी युवा-वस्था में अधिक कार्यकुशल हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार निर्धन व्यक्तियों की भी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। यद्यपि यह भी सम्भव हो सकता है कि इसका उलटा प्रभाव पड़े, इन व्यक्तियों में बुरी आदतें पड़ जायें, और अव्यय की प्रवृत्ति आरम्भ हो जाये और कार्यक्षमता बढ़ने के स्थान पर कम हो जाये। ऐसी शक्यता स्वाभाविक है क्योंकि निर्धन व्यक्ति अधिकतर असिद्धित होते हैं। अल्पकाल में तो कार्यक्षमता न भी बढ़े परन्तु दीर्घकाल में कार्यक्षमता अवश्य ही बढ़ेगी। इसके

अतिरिक्त यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि राज्य अपना व्यय किस प्रकार करता है। यदि निर्धनो को अधिक सहायता एवम् नकदी के रूप में दी जाती है तो सम्भव है कि वे इस राशि को जुए और धाराब पर लगा दें। यदि राज्य इस सहायता को धीरे धीरे देता है और वस्तुओं अथवा सेवाओं के रूप में देता है तो सम्भव है कि इस प्रकार की बुराईया उन में उत्पन्न न हों।

दूसरे, राज्य अपने व्यय द्वारा व्यक्तियों, विशेषकर निर्धन व्यक्तियों, को वस्तुओं और सेवाओं प्रदान करके, उनकी कार्यक्षमता को बढ़ा सकता है। राज्य इन सेवाओं और वस्तुओं को या तो मुफ्त या कम मूल्य पर दे सकता है जैसे, नि:शुल्क शिक्षा, औपचारिक सहायता, सस्ते और कम किराये वाले मकान इत्यादि। इन सभी से व्यक्तियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी है। इसीलिए दिन प्रतिदिन प्राधुनिक सरकारें अपना व्यय इन मही पर बढ़ानी जा रही हैं।

तीसरे, राज्य अपने व्यय द्वारा कुछ ऐसी सुविधायें प्रदान कर सकता है जिनसे व्यक्तियों को अपनी उत्पादक क्रियाओं को सम्पन्न करने में सहायता मिले और अधिकारिक व्यक्तियों में उत्पत्ति करने की रचि उत्पन्न हो। रेल्वे और सड़कों के इन्तज होने से या अविश्रमित क्षेत्रों में इन साधनों की उपलब्धता से व्यक्तियों की उत्पादन शक्ति में कई गुनी वृद्धि होती है और सम्यता का विकास होता है। सिंचाई के साधनों की वृद्धि से कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है और जल विद्युत शक्ति के विकास से उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है।

इसी प्रकार राजकीय व्यय से व्यक्तियों की बचत करने की शक्ति में वृद्धि होती है। किसी भी व्यक्ति की आय दो भागों में विभाजित होती है—उपभोग एवं बचत। बचत या तो उपभोग को कम करके या आय को बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है। राजकीय व्यय से व्यक्तियों की आय में वृद्धि होगी है और उनमें अधिक बचत करने की सामर्थ्य उत्पन्न होती है।

(ब) अभी हमने देखा कि राजकीय व्यय से व्यक्तियों की कार्य करने और बचाने की शक्ति पर अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। इस भाग में हम राजकीय व्यय के, व्यक्तियों के कार्य करने और बचाने की इच्छा पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेंगे। राजकीय व्यय दो प्रकार का होता है, एक तो वर्तमान सम्बन्धी और दूसरा भविष्य सम्बन्धी। वर्तमान व्यय से तो व्यक्तियों के कार्य करने और बचाने की इच्छा में वृद्धि होती है। हम पिछले भाग में अध्ययन कर ही चुके हैं कि राजकीय व्यय से अधिकतर व्यक्तियों को अपना जीवन स्तर ऊँचा करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। यह सम्भव है कि कुछ व्यक्तियों में कुरी आदतें उत्पन्न हो जायें, जिनको न होने देने के लिए सरकार को वस्तुओं और सेवाओं के रूप में सहायता देनी चाहिये। व्यक्तिगत में सदैव प्रगति करते रहने की इच्छा रहती है। वे अपनी इस इच्छा को राजकीय व्यय द्वारा कार्य रूप में प्राप्त करें। अतः राजकीय व्यय से व्यक्तियों में अपना उत्थान करने की इच्छा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार यदि सरकार भविष्य में प्राधिक्रि तान देने का वायदा करे तो सम्भव है कि व्यक्तियों के कार्य करने की

रुचि कम हो जाय। परन्तु यदि यह व्यय कुछ दलों के आधीन किया जाता है तो इससे व्यक्तियों के कार्य करने और बचाने की रुचि में वृद्धि होती है। जैसे बीमारी तथा बेकारी लाभ, जिसमें राज्य अपना अनादान उसी समय देता है, जब कि लाभ प्राप्त करने वाला अपना अनादान (Contribution) देने को तैयार हो जाता है। यदि सरकार काम की माना में वृद्धि के साथ साथ लाभ की दर में वृद्धि कर दे तो भी कार्य करने की इच्छा में वृद्धि होगी।

(म) राजकीय व्यय आर्थिक साधना के उपयोगों में भी परिवर्तन कर सकता है। यह दो प्रकार का हो सकता है—प्रत्यक्ष, और परोक्ष। प्रत्यक्ष रूप से राजकीय व्यय स्वयं साधनों का स्थानान्तरण है। राज्य व्यक्तियों के धन को स्वयं व्यय करता है यदि राज्य ऐसा न करे तो यही धन व्यक्तियों द्वारा बिल्कुल ही भिन्न प्रकार से खर्च किया जायेगा। अतः राज्य प्रत्यक्ष स्थानान्तरण द्वारा व्यक्तियों का उत्पादन शक्ति को बढ़ाता है। वह उन कार्यों को करता है जिन्हें व्यक्ति अपने व्यक्तिगत रूप में नहीं कर सकते हैं—जैसे, सिंचाई योजनाओं को कार्यान्वित करना, रक्षा सम्बन्धी व्यय करना, न्यायालयों पर व्यय इत्यादि। परोक्ष रूप से राजकीय व्यय व्यक्तियों में इस बात के लिये रुचि उत्पन्न कर सकता है कि वे अपने धन के रूप के ढंग को बदल दें—जैसे जल विद्युत शक्ति के विकास से व्यक्तियों में यह रुचि उत्पन्न हो सकती है कि वे अपना रुपया अन्य प्रकार से खर्च न करके उद्योगों में व्यय करें।

प्राचीन लेखकों का मत था कि सरकारी व्यय द्वारा साधनों का स्थानान्तरण सदैव ही हानिकारक होता है। उससे व्यक्तिगत हित अग्रसर नहीं होता। इस विषय में राज्य को हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिये। स्वतन्त्र प्रतियोगिता में मूल्य यन्त्र के संचालन से और व्यक्तियों के स्वयं हित से प्रेरित होने के कारण साधनों का बटवारा सर्वोत्तम होता है। इस प्रकार राज्य हस्तक्षेप से यह सर्वोत्तम बटवारा भंग हो जाता है और समाज उसके लाभों से वंचित रहता है। परन्तु समय ने यह सिद्ध कर दिया कि स्वतन्त्र प्रतियोगिता में सदैव ही साधनों का अधिकतम उपयोग नहीं होता और इसीलिये राज्य हस्तक्षेप आवश्यक प्रतीत हुआ। परन्तु यह भी सत्य नहीं है कि राज्य द्वारा साधनों का प्रत्यक्ष स्थानान्तरण लाभप्रद होता है और न यह कहना ही सही होगा कि प्रत्यक्ष स्थानान्तरण हानिकारक होता है। ये परिस्थितियों पर निर्भर होता है कि साधनों का स्थानान्तरण लाभप्रद है अथवा हानिकारक। उदाहरणार्थ, सुरक्षा सम्बन्धी व्यय को लीजिये। आजकल लगभग प्रत्येक देश में सुरक्षा व्यय बढ़ ही रहा है और वजह में व्यय की महो में इसका प्रमुख स्थान है। बँसे तो यह व्यय, जो व्यक्तियों से प्राप्त किया हुआ धन ही है, आवश्यक है क्योंकि दान्त आतंकवर्षण में ही उत्पादन कार्य सम्भव हो सकता है, परन्तु यदि दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाय और यह सारा धन उत्पादक कार्यों में लगा दिया जाय तो ससार की कितनी उन्नति हो इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। परन्तु जब तक प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित न समझे, उस समय तक देश में उन्नति में प्रगति की आशा करना व्यर्थ

होगा, इसलिये रक्षा व्यय तो परम आवश्यक है। यह भी तो आवश्यक नहीं कि रक्षा पर इतनी बड़ी मात्रा व्यय की जाय। यदि सब देश आपस में समझौता-बर्तौं और एक ही शक्तपक्ष में अपना सुरक्षा व्यय कम कर दें तब भी व्ययित उतने ही सुरक्षित रहेंगे जितने आज हैं। यदि आज मद्र एंडिज बापें तो यही व्यय कई गुना और अधिक हो जायेगा। इसी प्रकार जितना व्यय आजकल सरकार सुरक्षा (Protection) सम्बन्धी नीतियों पर कर रही है उतना पिछली शताब्दी में नहीं किया जाता था और न आने वाली शताब्दी में होने की आशा ही की जा सकती है। सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यय के बारे में भी यही कहा जा सकता है। समाज की उन्नति के साथ-साथ इस व्यय में अवश्य ही वृद्धि होगी, परन्तु आजकल यह व्यय अत्यन्त ही आवश्यक है, विशेष रूप से निर्धन और अशिक्षित देशों में। रेलों तथा यातायात के अन्य साधनों की प्रगति, शक्ति के साधनों का विकास साधनों के स्थानान्तरण में परोक्ष रूप से सहायक होता है। नये नये आविष्कारों और वैज्ञानिक खोजों का भी यही प्रभाव होता है।

वर्तमान से भावी उपयोगों में और विभिन्न स्थानों में साधनों का स्थानान्तरण—सरकार के कुछ व्यय इस प्रकार के होते हैं कि व्यक्तियों को भविष्य के लिये अपने साधनों को बचाकर रखना ही पड़ता है—जैसे वेकारी व स्वास्थ्य बीमा, वृद्धानस्था पेंशन इत्यादि। इसी प्रकार व्यक्तियों के साधनों का स्थानान्तरण सरकारी व्यय द्वारा अपने आप ही वर्तमान उपयोगों से भावी उपयोगों में हो जाता है जैसे आर्थिक विकास सम्बन्धी योजनाएँ जिनसे देश की स्थायी पूँजी में वृद्धि होती है और भविष्य में प्राप्त होने वाली पूँजीगत वस्तुओं की मात्रा बढ़ती है। सच तो यह है कि पूँजीगत वस्तुओं पर किये गये प्रत्येक व्यय की ही यही प्रवृत्ति होती है। उत्पादन कार्यों में धन का महत्व सक्रिय साधन होने के नाते बहुत अधिक है। अतः यह भी आवश्यक है कि मानव पूँजी (human capital) को भी भविष्य के लिए बढ़ाया जाय। जब सरकार स्वास्थ्य मकानों, सामाजिक सुरक्षा पर व्यय करती है या बच्चा को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है, उनके लिये निःशुल्क दुध का प्रबन्ध करती है तो वह मानव पूँजी के विकास और वृद्धि के लिये प्रयत्न करती है जिनकी प्रवृत्ति भी ठीक वैसी ही होती है जैसी पूँजीगत वस्तुओं पर किये गये व्ययों की होती है। कभी कभी यह भी आवश्यक होता है कि सरकार अपने व्यय द्वारा देश के उत्पादन साधनों का स्थानान्तरण एक स्थान से दूसरे स्थान को करे अर्थात्, जब सरकार विकसित क्षेत्रों पर कम व्यय करे और अशिक्षित या पिछड़े हुए भागों पर अधिक व्यय करे तो इस व्यय द्वारा वह साधनों का स्थानान्तरण विकसित क्षेत्रों से अशिक्षित क्षेत्रों को कर रही है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि सामान्य रूप से राजकीय व्यय का उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।

राजकीय व्यय और वितरण (Public Expenditure and Distribution)—

धन का असमान वितरण, आधुनिक समाज की एक प्रमुख विशेषता है। धन के असमान वितरण का पक्षपात किसी भी आधार पर नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि आधुनिक सरकारों ने राजस्व की क्रियाप्रा द्वारा धन की असमानताओं को दूर करने के विरोध प्रयत्न किये हैं। यद्यपि प्राचीन लेखक इन ओर भी राज्य हस्तक्षेप बुरा समझते थे, परन्तु आजकल तो सब ही इससे सहमत हैं। सरकार धन के वितरण में समानता स्थापित करने के लिये करारोपण करती है और विरोध दिशाओं में व्यय करती है। करारोपण द्वारा धनी व्यक्तियों के आय के धन को कम करती है और व्यय द्वारा निर्धनों के धन को बढ़ाती है। यद्यपि यह दोनों क्रियाएँ एक दूसरे पर अवलम्बित हैं किन्तु यहाँ पर हम केवल राजकीय व्यय के प्रभावों का ही अध्ययन करेंगे।

✓ प्रतिगामी (Regressive) अनुपातिक (Proportional) और प्रगतिशील (Progressive) व्यय—धन के वितरण पर राजकीय व्यय के पढ़ने वाले प्रभावों की विवेचना करते समय डाल्टन ने राजकीय व्यय को करों की भाँति तीन प्रकार का बताया है—प्रतिगामी, अनुपातिक और प्रगतिशील।^६ कोई भी राजकीय व्यय प्रतिगामी होगा, यदि लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति की जितनी आय कम है उतना ही कम अनुपात में लाभ प्राप्त हो, अनुपातिक होगा, यदि लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति को आय के अनुपात में ही लाभ प्राप्त हो, और प्रगतिशील होगा, यदि लाभ प्राप्त करने वाले की आय जितनी कम हो उतना ही अधिक लाभ का अनुपात उन प्राप्त हो। उदाहरण के लिये, यदि महंगाई भत्ते की दर आय बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाय तो यह प्रतिगामी व्यय होगा, यदि सभी व्यक्तियों के लिये समान प्रतिशत है तो यह अनुपातिक व्यय होगा और यदि आय बढ़ने के साथ साथ दर कम होती जाय और एक निश्चित आय के बाद महंगाई भत्ता न दिया जाय तो यह व्यय प्रगतिशील होगा। यह स्पष्ट ही है कि प्रतिगामी व्यय या आर्थिक सहायता में असमानता दूर होने की अपेक्षा और अधिक होगी। अनुपातिक व्यय भी असमानताओं को दूर करने में अधिक सफल नहीं होता। प्रगतिशील व्यय ही धन के वितरण की असमानताओं को बहुत सीमा तक दूर कर सकता है। कुछ सीमा तक तो अनुपातिक और थोड़ा प्रतिगामी व्यय (mildly regressive expenditure) भी असमानताओं का कम कर सकता है। परन्तु अधिक उपयुक्त यही होगा कि तीव्र प्रगतिशील व्यय किया जाय। प्रगतिशील व्यय के कई रूप हो सकते हैं जैसे, नकदी के रूप में आर्थिक सहायता, नि:शुल्क या सस्ती सेवाओं और वस्तुओं की उपलब्धता, इत्यादि। नकदी के रूप में आर्थिक सहायता जैसे, वृद्धावस्था पेंशन, दुर्घटना लाभ, प्रसवलाभ, बेकारी एवं बीमारी लाभ, गिर्धन व्यक्तियों को उस समय प्राप्त होती है जबकि

उन्हे उसकी बहुत आवश्यकता होती है। लगभग प्रत्येक देश में इन सहायताओं को अब प्रभुत्व स्थान दिया जा रहा है। इसी प्रकार सरकार निर्धन व्यक्तियों को निशुल्क सेवाओं और मुफ्त वस्तुओं प्रदान करती है जैसे, निशुल्क शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएँ, सस्ते मकान, मुफ्त दूध इत्यादि। ऐसी सेवाओं और वस्तुओं से धन के वितरण की कुछ असमानताओं आवश्यक ही नम होती हैं और निर्धन व्यक्तियों को अच्छा जीवन व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होता है। यदि ये सेवाएँ जो मनुष्य की प्रगति के लिये इतनी आवश्यक हैं, मुफ्त या सस्ते मूल्यों पर मिलायीं रूहे तो धन की असमानताएँ इतनी कष्टदायक नहीं होती।

व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार राजकीय व्यय—यदि राजकीय व्यय, व्यक्तिगत आवश्यकताओं या कुटुम्ब विनोद के अनुसार किया जाये तो भी धन के वितरण की असमानताएँ बहुत सीमा तक कम की जा सकती हैं। अब एक व्यक्ति जिसके कुटुम्ब में सदस्या की संख्या अधिक है अधिक गृहायता का अधिकारी है अपेक्षाकृत उस व्यक्ति के जिनके कुटुम्ब में सदस्यों की संख्या कम है। इसी प्रकार आय समान रहने की दशा में यदि एक व्यक्ति को दूसरे की अपेक्षा अपने कुटुम्ब में अधिक बीमारों का इलाज करना होता है वह अधिक निर्धन है तो उसे अधिक धार्मिक सहायता की आवश्यकता है। वास्तव में व्यक्तिगत आवश्यकताओं और राष्ट्रीय व्यय में समायोजन (adjustment) करना कोई सरल बात नहीं है। इसलिए उपरोक्त यही होगा कि शिक्षा, चिकित्सा आदि सामान्य रूप से निशुल्क प्रदान की जायें, और सामान्य रूप से वृद्धावस्था पेंशन, पसव व बीमारी लाभ तथा अन्य प्रकार के सामाजिक लाभ प्रदान किये जायें।

बुद्ध लेखकों का विचार है कि निशुल्क सेवाएँ प्रदान करने से व्यक्तियों की कार्य करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। धन का वितरण तो समानता की ओर अग्रसर होता है परन्तु उत्पादन गिरने लगता है और राष्ट्रीय आय कम हो जाती है और अन्त में व्यक्तिगत आय भी कम होता जाती है। इसी ओर इन व्ययों को पूरा करने के लिये बहुत बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होगी। जिसे प्राप्त करने के लिये सरकार को करारोपण करना होगा। यह करारोपण और उत्पादकों को निरुत्साहित करेगा। साधनों के इस प्रकार के पुनर्वितरण से तो 'समुद्रि का वितरण' नहीं होता बल्कि 'निर्धनता का वितरण' होता है। परन्तु इस प्रकार का प्रभाव सर्वत्र ही नहीं पड़ता। एक तो सरकार इस बात का सर्वत्र ही ध्यान रखती है कि करारोपण तीव्र प्रतिक्रामी (sharply progressive) न हो कार्य क्योंकि निम्न तीव्र प्रतिक्रामी करों से ही देश में उत्पादन निरुत्साहित होता है। दूसरे, कभी कभी धन के वितरण की असमानताओं का कम करने के लिये ऐसे कर लगाये आवश्यक ही जाते हैं। इसलिये अधिक संस्था उपार्जन या अधिक अन्धा धन का वितरण इन दोनों में से सरकार को फौन ता उद्देश्य अपनी नीति का बनाना चाहिये, केवल परिस्थितियाँ ही बना सकती हैं। सच तो यह है कि सरकार की सफलता तो इसी में है कि दाना में उचित समुलन रहे न्यायि आवश्यक वितरण के अभाव में

अधिक उत्पादन का कोई महत्व नहीं और जब उत्पादन ही न बढ़ेगा तो वितरण में व्यक्तियों को प्राप्त क्या होगा। अतः दोनों उद्देश्य साथ साथ बढ़ने चाहियें।

अन्य प्रभाव—यह ध्यान रहे कि इस प्रकार के पुनर्वितरण का एक अच्छा प्रभाव यह भी होता है कि आर्थिक जीवन अधिक समुचित और स्थायी हो जाता है। कीन्स ने सिद्ध किया है कि निर्धनों में धनी व्यक्तियों की अपेक्षा अपनी आय में से अधिक भाग उपभोग पर व्यय करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। अतः धनी व्यक्तियों पर कर लगाकर जब धन लिया जाता है और निर्धनों पर उसको खर्च किया जाता है तो देश में कुल खर्च किये हुये धन की मात्रा में वृद्धि होगी और देश में कुल रोजगार की स्थिति उन्नत होगी। इस प्रकार की नीति अवसाद काल में बहुत अच्छी सिद्ध हो सकती है। अवसाद काल में जबकि निजी व्यापारों एवं उद्योगों में लम्बे हुये व्यक्तियों की छटनी शुरू हो जाती है तब सरकार रेल, सड़क, नहर बनवाकर तथा अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य अपने हाथ में लेकर और कुछ उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करके रोजगार के स्तर को गिरने से रोक सकती है। करारोपण द्वारा इतना लाभ अवसाद काल में नहीं होगा जितना कि मुद्रा स्फीति में क्योंकि करारोपण से केवल धन का स्थानान्तरण व्यक्ति से सरकार को ही होता है। अधिक महत्व तो राजकीय व्यय का है। इसके अतिरिक्त सरकार ऋण लेकर करारोपण की अपेक्षा अधिक अच्छा कार्य कर सकती है, क्योंकि ऋण प्राप्त करने की नीति में, चाहे नोट प्रकाशित करे, चाहे व्यक्तियों से प्रत्यक्ष ऋण प्राप्त करे या विदेशी ऋण प्राप्त करे, परन्तु हर स्थिति में उन्ने अतिरिक्त क्रय शक्ति व्यक्तियों के हाथों में पहुँचाने का अवसर मिलेगा, जिससे आर्थिक क्रियाओं का स्तर ऊँचा शीघ्रता और अधिक तीव्रता से होगा।

भाग २

अध्याय ४

भारत में राजकीय व्यय (Public Expenditure in India)

भारत में राजकीय व्यय की मुख्य प्रवृत्तियाँ—

बिना भी देश में राजकीय व्यय की प्रवृत्ति एक प्रकार उभर देता है। आर्थिक एवं राजनैतिक दृष्टांतों और सरकार की आर्थिक नीति के लक्षणों पर निर्भर करता है। अविश्वसित या कम विश्वसित देश में विश्वसित देश की अपेक्षा राजकीय व्यय का आकार बहुत बड़ा होता है। अकस्मात् काल में समृद्धि प्राप्त की अपेक्षा राज्य को प्रशिक्षित व्यय करना होगा। इसी प्रकार युद्धकाल और आन्तरिक भ्रमणों की अवस्था में शान्तिमयी वातावरण की अपेक्षा राजकीय व्यय बहुत अधिक होगा। राजकीय व्यय को प्रभावित करने वाली दूसरी मुख्य बात सरकार की आर्थिक नीति का उद्देश्य है। एक देश में राजकीय व्यय का आकार बहुत सर्वांगीण होगा यदि सरकार का उद्देश्य केंद्रित रखा करना और शान्ति स्थापित करना ही है परंतु दूसरे देश में यहाँ विस्तृत होगा यदि सरकार का उद्देश्य पर्याप्तकारी राज्य स्थापित करना है। इसी तरह वाला में राजकीय व्यय सम्बन्धी नीतियाँ निर्धारित होती हैं।

भारत में भी राजकीय व्यय इसी सब बातों से प्रभावित होता रहा है। भारत एक विशाल वृद्ध देश है। यहाँ निरक्षरता भी पिछड़ी हुई अवस्था में है। औद्योगिक विकास बहुत कम हुआ है। प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। जीवनस्तर न्यून है। समय समय पर विधायिका के उद्वेगों के साथ साथ राजकीय व्यय का आकार भी बढ़ता रहा है। फिर भी आज भारत एक अविश्वसित देश है। भारत में राजकीय व्यय पर जितना प्रभाव सरकारी नीति का पड़ा उतना किसी और बात का नहीं पड़ा है। सन् १९६७ में ही भारत स्वतंत्र हुआ। उससे पूर्व भारत में विदेशी सरकार का मुख्य उद्देश्य देश में शान्ति बनाए रखना था ताकि वह ठीक प्रकार से शासन करती रहे। इसीलिए वह निर्वाधानवादी नीति को ही अपनाती रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार का उद्देश्य भारत में एक पर्याप्तकारी राज्य स्थापित करना हुआ। समाजवादी समाज की स्थापना के हेतु भारत में आर्थिक नियोजन का मार्ग अपनाया। इसी सब कारणों से भारत के राजकीय व्यय का आकार पिछले दस वर्षों में बहुत ही निस्तृत हो गया है। इसके अतिरिक्त भारत में

सधीय-वित्त व्यवस्था से भी राजकीय व्यय का आकार समय समय पर बदलता रहा है।

भारत में राजकीय व्यय पर एक दृष्टि—सन् १९३९ से पूर्व भारत में विदेशी सरकार की नीति देश के आर्थिक विकास के हित में न थी और इसीलिए राजकीय आय का बहुत थोड़ा भाग ही सामाजिक और विकास कार्यों पर खर्च किया जाता था और अधिकांश भाग रक्षा और नागरिक प्रशासन पर खर्च होता था। राजकीय व्यय का उद्देश्य धन की असमानताओं को दम करना भी नहीं था। निम्न तालिका^१ इस स्थिति का स्पष्टीकरण करती है —

(करोड़ रुपये में)

व्यय की मूर्तें	१९००-०१	१९१३-१४	१९२०-२१	१९२९-३०	१९३९-४०
भौतिक सुरक्षा (रक्षा, पुलिस, जेलें, न्याय-व्यवस्था, ऋण सेवाएँ इत्यादि).....	४०१	५९४	१४२९	१४४८	१५९६
आर्थिक सुरक्षा (रेलें, सार्वजनिक निर्माण कार्य, उद्योग एवं नियोजन, कृषि एवं ग्रामीण विकास)	३१८	३४९	५०८	३१०	२९९
सामाजिक सुरक्षा (शिक्षा एवं स्वास्थ्य)	९२*	८३	१३१	२१७	१८५

उपर्युक्त तालिका में स्पष्ट है कि आर्थिक विकास और सामाजिक सुरक्षा पर कितना कम खर्च हो रहा था। इनके अनिश्चित जबकि 'भौतिक सुरक्षा' पर व्यय सन् १९००-१९४० व बीच में तिनगुने से भी अधिक हो गया था, आर्थिक सुरक्षा पर लगभग समान या और सामाजिक सुरक्षा पर दो गुना हो गया था। यही कारण था कि राजकीय व्यय का आकार इतना सजीब था। सन् १९१९ के एकट में राजकीय व्यय में कुछ परिवर्तन अवसर हुए थे परन्तु वे अधिक प्रशाननीय नहीं थे। सन् १९३५ में कुछ प्रान्ता में राष्ट्रीय सरकारों के आ जाने के कारण कुछ समय के लिये सामाजिक सेवाओं पर अधिक व्यय हुआ परन्तु सन् १९३९ से स्थिति फिर दिगमने लगी।

सन् १९३९ में दूसरा महायुद्ध आरम्भ हुआ। भारत सरकार ने ब्रिटेन की सरकार की और में बहुत से युद्ध सम्बन्धी खर्च किए। इन वर्षों में रक्षा व्यय, जो सन् १९३९-४० में ४९५४ करोड़ रुपये था, वटकर सन् १९४४-४५ में ४५८३२ करोड़ रुपए हो गया। इसी प्रकार नागरिक प्रशासन पर भी व्यय में बहुत वृद्धि हुई क्योंकि सरकार को अनेकों नए विभाग खोलने पड़े और पुराने विभागों को बड़ाया पड़ा। युद्ध प्रसार के कारण सरकार को युद्ध प्रसार निरोधक उपाय करने

1. M. H. Gopal, Indian Public Finance, Commerce, Annual Number, (1950).

राजस्व

पडे। उपभोग, मूल्या धारणा, निर्यात, विदेशी विनिमय उत्पादन आदि पर नियन्त्रण लगाने पडे। परिणामस्वरूप सरकार के व्यय में बहुत वृद्धि हुई परन्तु इस वृद्धि से देश को कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

युद्ध समाप्ति के बाद और युद्ध के अन्तिम वर्षों में सरकार ने निर्वाधावादी नीति को त्याग दिया और दामोदर घाटी योजना जैसी योजनाओं को निर्मित करना आरम्भ किया। सन् १९५० के सविधान से तो सरकार की नीति की रूप रेखा ही बदल गई और अब सरकार की नीति का मुख्य लक्ष्य समाजवादी समाज की स्थापना करना हो गया था। इसी बीच मूल्या की वृद्धि के कारण सरकार के खर्चों में बहुत वृद्धि हुई। साथ ही साथ बहुत सी योजनाओं को स्थगित करना—पटा—या उनका आर्थिक कम कर दिया गया और अधिक अनु उपजाओ आन्दोलन पर व्यय बढ़ा दिया गया। उच्च देश व विभाजन से भी राजकाय व्यय का राशि में वृद्धि हुई। मरणाधिक्य के पुनर्वासन पर सरकार को बहुत बड़ा बोझ में व्यय करना पडा। दल म भाड़ा और दणो व कारण भी शान्ति स्थापित करना बहुत महंगा हो गया था और सरकार को कुछ वर्षों तक इन महा पर बहुत अधिक खर्च करना पडा था। देश के विभाजन से शासन समस्या बढ़ गई और जुट और बपास की कमी देश में अनुभव होने लगी। परिणामपक्ष सरकार को इन वस्तुओं के आयात पर बहुत व्यय करना पडा और यह व्यय आजकल भी चल रहा है।

भारत सरकार की स्वातन्त्र्य देश होने के नाते कुछ नए खर्चों को आरम्भ करना पडा और पुराने खर्चों को बढ़ाना पडा। गतव सम्बन्धी व्यय, कूटनीतिक सम्बन्धी (diplomatic relations) और रक्षा पर पहले की अपेक्षा कई गुना अधिक व्यय करना पडा—य व्यय तो स्वातन्त्रता सम्बन्धी से और स्थायी थे। इसके प्रतिरिक्त उन समय य व्यय विकास सम्बन्धी व्यय से भी अधिक महत्वपूर्ण थे और इंग्लिण्ड इनको प्राथमिकता मिली। अत राजनीय व्यय मिलने दश वर्षों में बड़ी तीव्रता से बड़ा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद के चार वर्षों में यह व्यय अधिकतर रक्षा नागरिक प्रशासन मरणाधिक्य और स्वास्थ्य पर हुआ और तत्पश्चात् सन् १९५१ से विकास सम्बन्धी कार्यों और सामाजिक सुरक्षा पर सरकार को और व्यय करना पडा। निम्न तालिका से केन्द्रीय और राज्य सरकारों के व्यय में (व्यय के हिसाब से) जो वृद्धि हुई है वह स्पष्ट हो जाती है—^१

(करोड़ रुपया में)

	१९२१-२२	१९३८-३९	१९५०-५१	१९५३-५४	१९५७-५८
केन्द्र	१०९९३	८२०३	३३५८७	३८५७५	६६६९१
'अ' श्रेणी के राज्य	७०१२	८०५३	२९३०८	३८०५४	६९७२४
'ब' श्रेणी के राज्य	—	—	९१५३	११५८५	—
				१९५८-५९	
				७१२६४	
				कुल राजस्व	७४५७५

इस निरन्तर बढ़ते हुए व्यय के मुख्य कारण—बढ़ते हुए मूल्य, नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में सरकार की बढ़ती हुई जिम्मेदारियाँ और आर्थिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम थे। आर्थिक विकास कार्यों पर कितना व्यय सरकार कर रही थी इसका अनुमान निम्न आंकड़ों से लग सकता है—

केन्द्रीय सरकार^३ (करोड़ रुपये में)

	१९२१-२२	१९३६-३७	१९३८-३९	१९५०-५१	१९५७-५८
गैर-विकास सम्बन्धी व्यय	१०४०३	७४६४	७६०२	२६५०२	२६६२२
विकास (सामाजिक सेवाओं सहित) सम्बन्धी व्यय	५६०	५६७	६०१	४०८५	४०१०२
योग	१०९६३	८०३१	८२०३	३०५८७	३०६३४

जबकि विकास सम्बन्धी कार्यों पर व्यय का प्रतिशत ११ से २० (सन् १९३८ से सन् १९५३ तक) हो गया, रक्षा पर व्यय ५४% से घटकर ४०% (सन् १९३८ से १९५७ तक) रह गया था।

राज्य सरकारों^४ (करोड़ रुपये में)

	१९२१-२२	१९३६-३७	१९३८-३९	१९५०-५१		१९५७-५८ सब राज्यों का
				'अ' राज्य	'ब' राज्य	
गैर-विकास सम्बन्धी व्यय	४२०६	४७४३	४९२५	१४४५६	४८३६	२६६२२
विकास सम्बन्धी व्यय (सामाजिक सेवाओं सहित)	२८०३	२९२६	३१२८	१४८४६	४३१४	४०१०२
योग	७०१२	७६६९	८०५३	२९३०८	९१५०	६६७२४

३. Ibid Page 36

४. Ibid Page 36.

उपर्युक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि विकास सम्बन्धी कार्यों में व्यय बढ़ता जा रहा है और गैर विकास सम्बन्धी व्यय उसकी अपेक्षा गिरता जा रहा है। परन्तु वर जाव आयोग ने सिद्ध कर दिया है कि गैर विकास सम्बन्धी व्यय अब भी विकास व्यय की अपेक्षा अधिक है। अपने निष्कर्ष निकालते हुये आयोग ने बताया कि केन्द्रीय तथा अन्य राज्य सरकारों द्वारा किये गये कुल व्यय में—एक रुपया में से ६ भा० ६ पाई गैर विकास कार्यों पर व्यय किया जाता है, ३ भा० २ पाई सामाजिक सेवाओं पर और ३ भा० ४ पाई आर्थिक विकास पर। यदि प्रतिशत में इस व्यय को व्यक्त करें तो यह प्रतिशत क्रमानुसार ६०, १६ और २१ होगा।⁵ यह आंकड़े केवल उन व्ययों से सम्बन्धित हैं जो कि ऋण के प्रतिशत आय में से किये जाते हैं। प्राप्त किये गये ऋणों के व्यय सम्बन्धी आंकड़े अलग हैं। इस प्रकार का व्यय सन् १९३८-३९ में १३४ करोड़ रुपये था जो बदलकर सन् १९५३-५४ में २५७ करोड़ रुपये और सन् १९५७-५८ में ८३७ करोड़ रुपये हो गया था। विकास कार्यों पर इस व्यय में से सन् १९५३-५४ में कुल १७१ करोड़ रुपये व्यय हुये थे और सन् १९५७-५८ में ६१६ करोड़ रुपये व्यय किये गये थे।

उपर्युक्त विवरण तथा आंकड़ों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर मुगमता से पहुँच सकते हैं कि भारत में विकास कार्यों पर राजकीय व्यय बढ़ता जा रहा है और गैर विकास कार्यों पर कम होता जा रहा है, फिर भी यह बहुत अधिक है। सामाजिक कल्याण पर अब भी बहुत कम व्यय किया जाता है। आयों की असमानताएँ अब भी पहले ही जैसी हैं। हमारे यहाँ राजकीय व्यय की एक बुरी विशेषता यह है कि प्रभाव न भ्रष्टाचार और कर्जालक्षणी बहुत अधिक बढ़ गई है। इसका प्रमुख कारण यह है कि एक तो हमारे देशवासियों में राष्ट्रीयता की भावना भी बहुत कम है और दूसरे, व्यय में इतनी वृद्धि हुई है कि उस पर उचित नियन्त्रण रखने में सरकार एक आधिपतारीयण पुरुषतया असमर्थ रहे है। इस कर्जालक्षणी और अपव्ययता की कड़ी आलोचना कई बार भारतीय संसद में की जा चुकी है। अनुमान समितियों (Estimates Committees) और राजकीय हिसाब समितियों (Public Accounts Committees) ने भी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयत्न किया है, परन्तु स्थिति में सुधार होता नहीं देखता।

यहाँ पर यह बताना अनुचित न होगा कि व्यय सम्बन्धी उपर्युक्त आंकड़ों का भारत की आर्थिक नियोजन नीति से घनिष्ठ सम्बन्ध है। प्रथम योजना के काल में राजकीय क्षेत्र में कुल व्यय २०१२४ करोड़ रुपये का किया गया था। दूसरी योजना के भी उद्देश्य, राष्ट्रीय आय की वृद्धि, रोजगारों में वृद्धि और आय की असमानताओं को कम करने है। आरम्भ में इस अवधि (सन् १९५६-६१) में कुल ४८०० करोड़ व्यय करने का निश्चय किया गया था परन्तु आवश्यक धन न प्राप्त होने के कारण योजना को सन् १९५८ में दो भागों में विभाजित कर दिया गया है—(अ) प्रति आवश्यक योजनाएँ—४५०० करोड़ रु०, और (ब) शेष योजनाएँ—३०० करोड़ रु०,

यदि धन प्राप्त हो जाये तो। इस प्रकार सन् १९५१ की तुलना में केन्द्रीय सरकार का व्यय सन् १९५८ में ३५१ ४४ करोड़ रुपये से बढ़कर ६७९ ३६ करोड़ रुपये होगया था।

राज्य सरकारों का व्यय भी इन काल में ३९२ ६ करोड़ रुपये से बढ़कर ६६७ २४ करोड़ रुपये हो गया था।

अब हम सघ तथा राज्य सरकारों के व्यय की मुख्य मद्दा का अध्ययन संक्षेप में करेंगे और यह बतायेंगे कि समय समय पर इन मद्दों पर किए गए व्यय पर किन-किन बातों का प्रभाव पडा और इन व्ययों का देन पर क्या प्रभाव पडा। पहले हम सघ सरकार के व्यय की मुख्य मद्दा की लेंगे तत्पश्चात् राज्य सरकारों के व्यय की मुख्य मद्दों की विवेचना करेंगे।

भारत के संविधान में सघ तथा राज्य सरकारों के बीच कार्यों का वितरण—हमारे देश के संविधान में मुख्य २ कार्यों का सघ एवं राज्य सरकारों के बीच वितरण किया गया है। इसके अनुसार सघ सरकार के व्यय की मुख्य-मुख्य मद्दें—रक्षा, नागरिक प्रशासन, रेल, डाक व तार इत्यादि है। इसी प्रकार राज्यों के व्यय की मुख्य मद्दें—शान्ति, पुलिस, स्थानीय सम्व्धायें, स्वास्थ्य एवं सफाई इत्यादि हैं। कुछ मद्दों जैसे, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, श्रम कल्याण आदि पर दोनों सरकारें मिलकर व्यय करेंगी।

सघ सरकार के व्यय की मुख्य मद्दें—भारत में सघ सरकार का व्यय दो खातों द्वारा किया जाता है—प्रथम, आय सम्बन्धी खाता (revenue account) और दूसरा पूंजीगत खाता (capital account) प्रथम खाते में व्यय की पूर्ति, करों की आय, रेलों, डाक व तार और नागरिक कार्यों (civil works) के अश्रदानों द्वारा की जाती है। इस हिस्सा में व्यय की मुख्य मद्दें—रक्षा और नागरिक प्रशासन हैं। दूसरे खाते में व्यय की पूर्ति ऋणों द्वारा की जाती है। इसमें व्यय की मुख्य मद्दें—ऋणों का भुगतान करना, राज्यों को ऋण देना, रक्षा, बन्दरगाहों, हवाई यातायात, रेलों, डाक व तार, सिंचाई, जल-विद्युत तथा औद्योगिक विकास से सम्बन्धित पूंजीगत वस्तुओं का क्रय आदि हैं। अब हम इन मद्दों की ऐतिहासिक विवेचना करेंगे।

(१) रक्षा-व्यय (Defence Expenditure)

भारत सरकार के व्यय की मद्दों में रक्षा-व्यय का प्रथम स्थान सर्वत्र ही रहा है। सन् १८६१ में यह कुल व्यय का ६३ २९% था, सन् १९२१ में ८२ ३१%, सन् १९४३-४४ में ८१ १%, सन् १९५८-५९ में ३४% और सन् १९५९-६० में इसका केवल २९% था ही अनुमान है। इन आंकड़ों से यह सिद्ध होता है कि भारत सरकार आरम्भ से ही रक्षा पर बहुत अधिक व्यय करती आ रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रारम्भिक वर्षों में तो निस्सन्देह ही बहुत अधिक व्यय हुआ परन्तु धीरे-धीरे अब यह घटकर २९% रह गया है। प्रथम युद्ध काल को देखते हुए जबकि

रक्षा व्यय २७% से भी अधिक था, प्रायःकल बहुत कम है फिर भी व्यय की मर्याद इतना प्रथम स्थान है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व, जैसा कि आंकड़ा से विदित ही है यह व्यय बहुत अधिक था। इसके कई कारण थे। प्रथम, भारत सरकार को केवल भारत की ही रक्षा नहीं करनी पड़ती थी बल्कि भारत के पाल-मडोम के देशों में शान्ति स्थापित करनी पड़ती थी। बहुत बार भारत की पौर्बे विदेशों में युद्ध लड़ने के लिए भेजी गई थी और सेना का कुछ खर्च भारत सरकार को ही भुगतना पड़ा था। दूसरा कारण यह था कि अंग्रेजों सरकार भारत में इसलिए भी अधिक सेना रखती थी ताकि वह देश में उत्पन्न होने वाले किसी भी विद्रोह को आसानी से दबा सके। तीसरा कारण यह था, कि सेना में जो अंग्रेजी सिपाही और अफसर थे उनको बहुत अधिक वेतन दिया जाता था। चौथा कारण यह था, कि भारत को ब्रिटिश युद्ध दफ्तर (British War Office) को जो भारत की सेना के लिए सिपाही रखना था और 'उन्हें भिजा देना था, एक बड़ा रकम चुकानी पड़ती थी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार को अंग्रेजों अफसरों की बढ़ती या घटती व्यय भी देना पड़ता था। इसी सब कारणों से भारत का रक्षा व्यय बहुत अधिक था। उस समय में इसके बिना बड़ी बड़ आलोचनाएँ की जाती थी। लोगों का कहना था कि भारतीय सेना में अंग्रेजी सिपाहियों तथा अफसरों के स्थान पर भारतीयों को रखा जाये क्योंकि ये देश के लिए अप्रव्ययी थे। प्रो० के० टी० ब्राह ने टीक ही कहा था कि भारतीय सेना उतनी ही अप्रव्ययी है जितनी कि बेकार है, और जो कुछ भी सेवा यह भारतीयों की करती है वह अपनी लागतों की गुलामी में बहुत कम है।" इसके अतिरिक्त कुछ लोग का यह भी कहना था कि भारत में जितनी सेना रखी जाती थी वह केवल देश की रक्षा के लिए नहीं बल्कि वह अंग्रेजी शासन को बढ़ाने के लिए रखी जाती थी। यू० के० के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री मैकडोनाल्ड (Macdonald) ने इसी बात को एक बार कहा था "कि भारत में सेना का एक बड़ा भाग—निश्चय ही आधा—आधी सेना है जिसकी हमको भारत के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए आवश्यकता होती है और इसलिए उसका व्यय भारतीय लोगों से नहीं बल्कि आधी लोगों से पूरा होना चाहिए।" कुछ लोगों ने इस बात की भी आलोचना की थी कि भारतीय सेना तथा उससे सम्बन्धित नीति भारत सरकार द्वारा निर्धारित नहीं होती थी बल्कि ब्रिटिश युद्ध दफ्तर उनको निर्धारित करता था।

द्वितीय महायुद्ध के छिड़ने ही भारत को भी युद्ध में भाग लेना पड़ा और परिणामस्वरूप भारत का युद्ध व्यय हर वर्ष बढ़ता ही गया। जैसा कि निम्न आंकड़ों से विदित होता है:—

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	रक्षा-व्यय	वर्ष	रक्षा-व्यय	वर्ष	रक्षा-व्यय
१९३६-४०	४९ ४४	१९४१-४२	१०३ ९३	१९४३-४४	३९५ ८६
१९४०-४१	७३ ६१	१९४२-४३	२६७ १३	१९४४-४५	४५८ ३२

युद्ध छिटकते ही भारत और यू० के० सरकार में एक वित्तीय समझौता हुआ जिसके अनुसार रक्षा-व्यय को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, अर्थात् एक बड़ा भाग जो भारत को सहन करना था और दूसरा ब्रिटिश सरकार को। यहाँ पर हम इस समझौते का पूर्ण वृत्तान्त देना उचित नहीं समझते इसलिए केवल इतना ही कहते हैं कि व्यवहार में भारत को युद्ध पर इतना अधिक व्यय करना पड़ा था जिसकी कभी आशा भी नहीं करी जा सकती थी।

देश के स्वतन्त्र होने पर यह आशा की जाती थी कि भारत वा रक्षा व्यय कम हो जायगा क्योंकि युद्ध समाप्त हो ही चुका था और देश के विभाजन हो जाने से अब कम क्षेत्र की रक्षा का भार रह गया था और अंग्रेजी शासन काल में भाग्य को जो अनुचित खर्च देने पड़ने थे वे भी अब समाप्त हो गये थे। परन्तु यह आशा पूरी न हो सकी और हमारा रक्षा व्यय बढ़ता ही गया। इसके कई कारण थे—

१. आरम्भ में भारत को बहुत अधिक सेना रखनी पड़ी थी क्योंकि अंग्रेजी सेना से पहले जैसी सहायता नहीं मिल रही थी।

२. स्वतंत्रता प्राप्त होने पर भारत में इतने आन्तरिक उपद्रव हुए जिनको ठीक करने के लिये भी एक बड़ी सेना रखनी पड़ी थी।

३. भारतवर्ष का सेना व्यय काश्मीर और हैदराबाद के कारण भी बहुत अधिक था। यद्यपि हैदराबाद सम्बन्धी व्यय तो अब समाप्त हो गया है फिर भी काश्मीर पर अब भी काफी खर्चा हो रहा है।

४. विभाजन के कारण भारतवर्ष की स्थल सेना बहुत बड़ गई है। उसकी सीमा पाकिस्तान से मिली हुई है। पाकिस्तान ने अमेरिका, इंग्लैंड तथा मुसलमान देशों में समझौते कर रखे हैं। पाकिस्तान के सिपाही मसूदा समय पर सीमाओं का उन्मूलन करते हैं। इन सब जगहों को दालत करने के लिये तथा पाकिस्तानी आक्रमणों को रोकने के लिये सेना पर बहुत अधिक व्यय करना पड़ रहा है।

५. भारतवर्ष में उच्च प्रकार की नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिये नई केन्द्र खोले गये हैं जिन पर काफी व्यय होता है।

६. भारतवर्ष में युद्ध का समान बनाने के लिये भी कई कारखाने खोले गये हैं।

७. सेना के रहने के लिये स्थानों का प्रबन्ध करने के लिये भी सरकार को बहुत सा धन खर्च करना पड़ा।

८. सेनाप्रा की पूर्ण रूप से आधुनिक शस्त्रों और यन्त्रों से सुसज्जित किया गया। साथ ही समुद्री बंदों को तैयार करने तथा वायु शक्ति का विनाश करने पर भी काफी व्यय हुआ।

९. अनेक प्रकार की सहायक मौनिक सेनाप्रा जैसे—National Cadet Corps, Territorial Army के संगठन पर भी सरकार को काफी व्यय करना पड़ा।

इन्हीं सब कारणों से स्वतन्त्रता प्राप्ति के कई वर्षों के बाद तक रक्षा-व्यय में निरन्तर वृद्धि होती ही गई। परन्तु पिछले तीन चार वर्षों से हमारे रक्षा व्यय में कमी हो रही है। इसका अभिप्राय यह नहीं कि रक्षा पर व्यय होने वाली धन राशि में कोई कमी हो रही है, बल्कि इसका अभिप्राय यह है कि केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय में रक्षा-व्यय का अनुपात कम हो रहा है अर्थात् कुल व्यय में वृद्धि हो रही है परन्तु रक्षा-व्यय उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा है जिसमें कि केन्द्रीय सरकार का व्यय बढ़ रहा है। यह निम्न आँकड़ों से स्पष्ट हो जाता है —

(करोड़ रुपया में)

	१९५६-५७	१९५७-५८	१९५८-५९	१९५९-६० (अनुमानित)
कुल व्यय	४७३ ८३	६६६ ६१	७८८ १५	८३९ १८
रक्षा-व्यय	१९२ १५	२६६ ०५	२६६ ८७	२४२ ६८
रक्षा-व्यय का अनुपात	४० ५%	४०%	३४%	२९%

रक्षा-व्यय का लगभग तीन चौथाई सना पर खर्च होता है और बहुत कम समुद्री बंदों और वायु शक्ति पर व्यय किया जाता है। अभी हाल ही में (मार्च सन् १९५९) राजकीय हिसाब समिति (Public Accounts Committee) ने जांच करने के लक्ष्यार्थ यह बताया कि Ordinance Factories तथा अन्य सैनिकी सम्बन्धी स्थानों पर बहुत सी माटर गाड़ियां के डजन बेकार खरीद लिये गये और पूरी गाड़ी तैयार न हो पाने के कारण बेकार पड़े हुए खर्च हो रहे हैं। स्पष्ट ही है कि भारत जैसे निचले देश के लिये विशेषकर जब कि उमका विदेशी विनिमय की इतनी अधिक कमी अनुभव हो रही है इस प्रकार के खर्च देश के हित में नहीं हैं और उनको शीघ्र ही बन्द कर देना चाहिये। भविष्य में रक्षा-व्यय में कमी तो अवश्य की जाय परन्तु यह कमी उतनी सीमा तक हीनी चाहिये जब तक की देश की स्वतन्त्रता और सुरक्षा जोखिम में नहीं पड़ती। कदाचित्त इसलिये सन् १९५६-६० के बजट में वित्त मंत्री श्री देसाई ने, रक्षा सम्बन्धी व्यय में कमी कर दी है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में रक्षा पर ५% कम व्यय किया जायगा। यह कमी मुख्य रूप से सेना और वायु शक्ति के खर्चों में कमी होने के कारण हुई है। इस वर्ष माल (stores) भी कम खरीदा जायगा और विदेशों से कम वायुमान खरीदे जाने की आशा है।

(२) नागरिक व्यय (Civil Expenditures)

इस मद्द पर सन् १९५७-५८ में ४५५.५३ करोड़ रुपये व्यय हुए थे, सन् १९५८-५९ में ५२१.२८ करोड़ और यह अनुमान है कि सन् १९५९-६० में ५९६.५ करोड़ रुपये का व्यय होगा। इस मद्द में निम्न मद्दों के व्यय सम्मिलित किये जाते हैं —

(अ) नागरिक प्रशासन (ब) विकास एवं सामाजिक सेवाएँ (स) श्रम पर पत्यक्ष भागें और (द) ऋण सम्बन्धी सेवाएँ।

सन् १९०६ तक गवर्नर जनरल तथा उसके कर्मचारी वर्ग का वेतन, भत्ते इत्यादि, प्रान्तों के गवर्नर और उनके कर्मचारियों का वेतन तथा भत्ते, विधान सभाओं के खर्चे, इंग्लैंड में स्थित इण्डिया आफिस का व्यय, भारत मन्त्री का वेतन तथा भत्ते—यह सब सन् नागरिक प्रशासन के अन्तर्गत सम्मिलित थे। परन्तु सन् १९१६ से प्रान्तीय सरकारों का हिसाब अलग कर दिया गया और इस मद्द में केवल केन्द्रीय सरकार का ही व्यय दिखाया जाने लगा। सन् १९३७ से इस मद्द में निम्न-लिखित व्यय सम्मिलित किये जाने लगे —

- १ इण्डिया हाउस से सम्बन्धित व्यय।
- २ सरकारी विभागों का वेतन तथा अन्य व्यय।
- ३ मंत्री मंडल का व्यय।
- ४ केन्द्रीय विधान सभा का व्यय।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् इस मद्द के अन्तर्गत अब निम्नलिखित व्यय सम्मिलित किये जाते हैं —

- १ मंत्री मंडल का व्यय।
- २ लोक सभा का व्यय।
- ३ सरकार के विभिन्न मंत्रियों के दफ्तरों का व्यय।

स्वतन्त्रता के पश्चात् यह आशा की जाती थी कि नागरिक प्रशासन पर व्यय कम हो जायगा परन्तु कम होने के स्थान पर यह व्यय और भी बढ गया। यह निम्न आँकड़ों से स्पष्ट होता है —

(लाख रुपयों में)

वर्ष	व्यय	वर्ष	व्यय
१९३८-३९	१८७	१९५३-५४	६८१७
१९४६-४७	६१६	१९५४-५६	१९७०२
१९५१-५२	५६६६	१९५६-६०	२२२७३
१९५२-५३	५६२३		

उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि हमारे देश में नागरिक प्रशासन पर व्यय बढ़ता ही जा रहा है। ब्रिटिश काल में तो इस व्यय के अधिक होने का कारण यह था कि सरकार को शांति स्थापित करने में बहुत अधिक खर्चा करना पड़ता था और

भारतीय सिविल सर्विस तथा अन्य विभागा के कर्मचारियों के वेतन बहुत ऊँचे थे। साथ ही साथ विकास और सामाजिक सेवाओं को कोई भी महत्व नहीं दिया जाता था। स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद हमारे देश में दृष्टिकोण ही बदल गया और अब हमारे देश में कल्याणकारी राज्य का स्थापना की और प्रयत्न हो रहे हैं। अतः सरकार के कार्यों में बहुत वृद्धि हो गई है जिसके कारण नागरिक प्रशासन व्यय भी बढ़ता जा रहा है। इस व्यय के बढ़ने के निम्न कारण हैं —

१ बहुत नये-नये मंत्रालय स्थापित हो गये हैं।

२ मनिया की सहाय बढ़ गई है।

३ लोक सभा का व्यय पहले से अधिक हो गया है।

४ कन्द्रीय वेतन आयोग के सुझावों के अनुसार कर्मचारियों तथा अपसरों के वेतन बढ़ गये हैं।

५ कर्मचारियों और अपसरों की सहाय भी बढ़ गई है।

६ दूतावासों की स्थापना तथा उनकी सहाय में वृद्धि हो गई है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि दूतावासों की सहाय और उनसे सम्बन्धित खर्चों को कम किया जा सकता था परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत के स्थान को दर्शाते हुए इस व्यय को कम करना सरल नहीं है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार को बहुत सी नई-नई राष्ट्रीय निर्माण विभाग और सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक कल्याण मण्डल, पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण, प्राकृतिक आपत्तियों से पीड़ित स्थानों की महायत्ना, शरणार्थियों को फिर से बसाने का कार्य, राष्ट्रीय विकास योजनाएँ और सामूदायिक विकास योजनाएँ इत्यादि का व्यय भी नागरिक व्यय के अन्तर्गत ही आता है। इन सेवाओं पर भी व्यय के घटने की कोई आशा नहीं है। इसी प्रकार वर एकत्रित करने के व्यय में भी वृद्धि हुई है।

आर्थिक नियोजन कार्य के आरम्भ होने से भारत को विदेशों से भी बहुत ऋण लेने पड़े हैं और देश में भी आन्तरिक ऋणों को प्राप्त किया है। इसलिए ऋण सम्बन्धी सेवाओं पर भी लक्ष्य कम होने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुरार जी देसाई ने २० फरवरी सन् १९५६ को संसद में सन् १९५६-६० के बजट पर भाषण देते हुए घोषित किया कि अगले वर्ष नागरिक व्यय में ७५ करोड़ रुपये की वृद्धि की आशा है। उन्होंने इसके निम्नलिखित कारण दिये हैं —

(१) P L-४०० कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त की गई सहायताओं को

आरम्भ में शायद में सम्मिलित कर ली गई थीं उनकी विशेष विकास कोष (Special Development Fund) को स्थानान्तरित की गई थी और उनका उपयोग बाद के वर्षों के लिये किया गया था। इन वर्षों एक करोड़ रुपये के स्थानान्तरण की व्यवस्था की गई थी और अगले वर्ष १५ करोड़ रुपये स्थानान्तरित किये जायेंगे।

(२) ऋण सेवाओं पर अगले वर्ष १५ करोड़ रुपये अधिक व्यय किये जायेंगे।

(३) प्रशासन सम्बन्धी सेवाओं (Administrative services) पर अगले वर्ष २५ करोड़ रुपये अधिक व्यय किये जाने की आशा है।

(४) विकास और सामाजिक सेवाओं पर अगले वर्ष कुल १६८ करोड़ रुपये के खर्च किये जाने का अनुमान है जबकि इस वर्ष कुल १४५.३ करोड़ रुपये खर्च हुए हैं सामुदायिक विकास पर ६.१७ करोड़ रुपये अधिक व्यय होने की आशा है।

(५) इस प्रकार अगले वर्ष में नागरिक व्यय में कुल ७५.२२ करोड़ रुपया की वृद्धि होने की आशा है।

(३) पूँजीगत व्यय (Capital Expenditure)—

भारत सरकार का व्यय इस मद्द पर सन् १९५०-५१ में ७१.०३ करोड़ रुपया था परन्तु यह बढ़कर सन् १९५८-५९ में ४९१.३५ करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान था। पूँजीगत व्यय किसी भी प्रकार से भारत सरकार की आय पर भार नहीं होता और यह ऋण तथा अन्य कोषों द्वारा पूरा होता है। साधारणतया इसी सिद्धान्त का पालन किया जाता है परन्तु हमारे देश में सन् १९४८-४९ से सरकार पूँजीगत व्यय का कुछ भाग आय बजट से प्राप्त करती है जिसका परिणाम यह हुआ है कि कर दाताओं पर कर भार बढ़ता जा रहा है और देश में बचतों की मात्रा कम हो रही है और पूँजी निर्माण की गति भी कम है।

इस मद्द के अन्तर्गत पूँजीगत वस्तुओं को खरीदने के लिये सरकार जो व्यय करती है उस व्यय के अतिरिक्त वह ऋण भी सम्मिलित रहते हैं जो सरकार राज्य सरकारों तथा अन्य संस्थाओं को देती है। गत वर्षों में पूँजीगत वस्तुओं पर व्यय में बहुत वृद्धि हुई है। सन् १९५२-५३ में इस मद्द पर ३९.१२ करोड़ रुपयों का व्यय हुआ था और १९५७-५८ में यही व्यय बढ़कर ४६१.८३ करोड़ रुपया हो गया। इस वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि सरकार को बहुत अधिक व्यय विकास कार्यों पर करना पड़ रहा है। भारत की प्रथम-व्यवस्था बहुत ही पिछड़ी हुई अवस्था में है। राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार और जीवन स्तर न्यूनतम स्तर पर हैं। इनमें वृद्धि की आशा उनी समय की आसक्ति है जबकि सरकार अधिकाधिक पूँजीगत योजनाओं पर व्यय करे जैसे नदियों पर बांध बंधवाना, जलविद्युत शक्ति की उत्पत्ति की व्यवस्था करना, देश में यातायात व सम्वाद वाहन के साधनों का विकास करना तथा मशीन उद्योग को उन्नत करना। हमारी विकास योजनाओं में इन सभी के लिये प्रबन्ध किया गया है और इसीलिये हमारा पूँजीगत व्यय इतना बढ़ गया है। इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि विकास कार्यक्रमों के कारण व्यय में वृद्धि हुई है। साथ ही साथ यह भी मानना पड़ेगा कि अपव्यय और लापरवाही के कारण भी व्यय में कोई कम वृद्धि नहीं हुई है। इसलिये यदि इस मद्द में थोड़ी सी भी मित-व्ययिता तथा होशियारी से काम लिया जाय तो खर्चों में काफी कमी हो सकती है।

सद्य सरकार के व्यय में राज्या को दिये गये ऋणों का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। देश में विकास कार्यक्रम के आरम्भ होने से इन ऋणों में और भी अधिक वृद्धि हुई है। सन् १९५२-५३ में कुल व्यय इस मद्द पर १११७९ करोड़ रुपये था जो सन् १९५७-५८ में बढ़कर २८७८५ करोड़ रुपये हो गया था।

सन् १९५६-६० का बजट^१ भारतीय समद में प्रस्तुत करते हुए वित्त मन्त्री श्रीदेसाई ने बताया कि अगले वर्ष पूंजीगत वस्तुओं में ४२० करोड़ रुपये के व्यय की सम्भावना है। इस राशि में ६५२४ करोड़ रुपये की वह राशि सम्मिलित है जो भारत की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिये अतिरिक्त ऋणों के रूप में देनी है। यह ऋण इतलिये देना है क्योंकि सामान्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सदस्यों पर प्रम्यन्तों (Quotas) में ५०% की वृद्धि कर दी गई है। वित्त मन्त्री ने बताया कि अगले वर्ष रेलों के लिये १२२ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि दस वर्षों केवल १२१ करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं अर्थात् इस मद्द पर भी एक करोड़ रुपये और अधिक व्यय होगा।

यह अनुमान है कि रक्षा सम्बन्धी मशीनों, यंत्रा तथा अन्य पूंजीगत वस्तुओं पर इस वर्ष की प्रपेक्षा अगले वर्ष ५ करोड़ रुपये का अधिक व्यय होगा अर्थात् सन् १९५६-६० में इस मद्द पर कुल व्यय ३२७४ करोड़ रुपये होगा। इसी प्रकार डाक व तार पर इस वर्ष की तुलना में अगले वर्ष ४२५ रुपये का और खाद्य-अन्न खरीदने पर २ करोड़ रुपये का और अधिक व्यय होगा। श्री देसाई ने बताया कि अगले वर्ष के बजट में औद्योगिक संस्थाओं, नागरिक उड्डयन (Civil Aviation), नागरिक निर्माण कार्यों (Civil Works) तथा विकास सम्बन्धी अनुदानों (Development Grants) के लिए अधिक व्यवस्था की गई है।

जहां तक राज्यों को ऋण देने का सम्बन्ध है अगले वर्ष कुल ३१३ करोड़ रुपये के ऋण दिये जाने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त पोर्टे ट्रस्टों, वैधानिक प्रमदलों, सहकारी बम्पनिमा इत्यादि की २१२ करोड़ रुपये के ऋण दिये जाने का अनुमान है जबकि इस वर्ष केवल १२३ करोड़ रुपये दिये गए हैं। हिन्दुस्तान स्टील को इस वर्ष ५२ करोड़ रुपये का और सन् १९५६-६० में १२२ करोड़ रुपये का ऋण दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार रेलों को दस वर्षों १०६८ करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है और अगले वर्ष १०८८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार दस वर्षों की तुलना में अगले वर्ष पूंजीगत व्यय का कमी हो जाने की आशा है।

राज्यों के व्यय की मुख्य मद्दे—

पिछले पृष्ठों में हमने देखा कि सद्य सरकार के पास व्यय की ऐसी मद्दे हैं जिनमें वृद्धि तो अवश्य हो रही है परन्तु इस वृद्धि की गति तीव्र नहीं है। साथ ही एक विशेष बात यह भी है कि जैसे जैसे उन मद्दों का विकास होता जाता है वह

स्वावलम्बी होती जाती है और सघ सरकार का व्यय कम होता जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि राज्यों को जो कार्य सौंपे गए हैं उनमें से अधिक पर खर्चा होने का ही प्रश्न है, आय का प्रश्न ही नहीं उठता, और यदि कोई आय होती भी है तो उगका कोई विशेष महत्त्व नहीं है। राज्यों पर शान्ति व व्यवस्था रखने का और राष्ट्रीय निर्माण कार्य जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा, महकारिता आदि की व्यवस्था करने का दायित्व है। स्पष्ट ही है कि राज्यों के कार्य अधिक व्ययपूर्ण हैं। राज्यों के व्यय को निम्न दो भागों में बाँटा जा सकता है—

(अ) प्रारम्भिक कार्यों पर व्यय जैसे राज्य के मन्त्रालय का व्यय, शान्ति व्यवस्था तथा नियम अनुशासन का व्यय जिसमें न्यायालयों, जेलों और पुलिस का व्यय सम्मिलित है और ऋणों से सम्बन्धित व्यय। बजट में इन तीनों व्ययों को क्रमशः 'आय पर प्रत्यक्ष माँग,' 'सुरक्षा सेवाएँ' 'ऋण दायित्व' लिखा जाता है।

(ब) शौण कार्यों पर व्यय, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सिंचाई, कृषि, उद्योग, ग्रामीण विकास, सहकारिता आदि सम्मिलित है। इन सभी सेवाओं का बजट में सामाजिक तथा विकास सेवाएँ या राष्ट्रीय निर्माण सेवाओं के नामों से व्ययन किया जाता है।

राज्य सरकारों के व्यय का अनुमान निम्न तालिका से लगाया जा सकता है—

भारत में राज्य सरकारों के आय खातों (Revenue Account) में विकास एवं गैर विकास सम्बन्धी व्यय

(अ) विकास सम्बन्धी व्यय की तालिका— (करोड़ रुपयों में)

व्यय की श्रेणी	१९५१-५२	१९५५-५६	१९५६-५७ (बजट)	१९५७-५८	१९५८-५९ (बजट)
१. शिक्षा	६० ३०	१०५ ०४	११९ ९३	१३० ८०	१४२ ७८
२. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	२९ २२	४८ ८३	५४ २७	५३ ००	६० ६४
३. कृषि, पशु चिकित्सा तथा सहकारिता	२५ ९०	४२ ३१	४६ ६६	५० ६८	५६ २९
४. सिंचाई	१७ ६२	२५ ०२	२२ ९३	२३ ६१	२३ २१
५. विजनी योजनाएँ	४ ६१	७ १०	९ १४	८ ४५	७ ८२
६. ग्रामीण तथा मातृदायिक विकास योजनाएँ	० ८२	३० ५१	२२ ९७	३३ ७६	३६ ९१
७. नागरिक निर्माण कार्य	४० ९३	७० ६७	५९ ९२	५२ १०	५० ३४
८. उद्योग एवं पूर्ति	५ ८१	१० ६७	१९ ७७	१९ ०२	२२ १०
९. अन्य विकास कार्य	३१ ००	१६ ३१	२१ ५६	२९ ६०	३४ १६
कुल विकास व्यय	१९६ २१	३५६ ४६	३८७ १५	४०१ ०२	४३४ २५

(ब) गैर विकास सम्बन्धी व्यय की तालिका—

१. धारा पर प्रत्यक्ष व्यय	२६ ८४	४८ ५०	५५ ८१	५५ २३	५४ १७
२. ऋण सम्बन्धी सेवाएँ	८ ४६	१८ ८४	२३ ०८	३७ ८१	४६ ८८
३. नागरिक प्रशासन	१०६ ६५	१२४ ५०	१२८ ०४	१३६ ४०	१३६ ३४
४. नय मेल व्यय	१७ ५३	२७ ५७	२६ १८	२८ ७४	३२ २८
५. श्रमदार	३ ६६	१८ ३१	३ ४६	६ ७१	६ ८४
६. ग्राम्य गैर विकास सम्बन्धी व्यय	३२ ८७	३२ २५	३० ६४	३० ३३	३१ ६६
कुल गैर विकास सम्बन्धी व्यय	१६६ ४७	२६६ ६७	२६७ २४	२६६ २२	३११ ५०
कुल धारा सम्बन्धी व्यय	३६२ ६८	६२६ ४३	६५४ ३६	६६७ २४	७४५ ७५

‘अथ हम राज्य सरकारों को व्यय की मुख्य मुख्य मद्दा का विवरण नक्षेप में निम्न पृष्ठों में देगे —

(१) नागरिक प्रशासन—जब तक भारत में विदेशी राज्य रहा उस समय तक राज्यों का मुख्य नक्षेप धरा में शान्ति एवं नियम अनुशासन की ही व्यवस्था करना था और इसलिये नागरिक प्रशासन जिसमें सरकारी बन्दरों, जिलों में प्रशासन कार्यों, पुलिस, जेल और न्यायालयों पर सबसे अधिक व्यय होता था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी प्रशासक के विलकुल विपरीत इस व्यय में कमी होने के स्थान पर वृद्धि ही होती गई। इस वृद्धि के कारणों दो कारण हो सकते हैं। एक तो सरकारी कार्य संचालन की वही परम्परागत विधि और दूसरे सरकार ने कार्यभार में वृद्धि होना। प्रारम्भिक वर्षों में तो कुछ वृद्धि इस कारण भी हुई क्योंकि देश के विभाजन से बड़ी गड़गड़ी हुई और सरकार को उन उपद्रवों को दखाने में बहुत अधिक व्यय करना पड़ा। इसके अतिरिक्त देश में संसदात्मक सरकार के विकास से सरकार के खर्चों में और भी वृद्धि हुई। इस प्रकार जबकि सन् १९३८-३९ में केवल २७ करोड़ रुपया इन मद्द पर खर्च होता था सन् १९५१-५२ में लगभग ८८ करोड़ रुपया खर्च हो रहा था। यह ध्यान रहे कि सन् १९३८-३९ में जबकि नागरिक प्रशासन व्यय राज्यों के कुल व्यय का ३३% था सन् १९५१-५२ में २६% रह गया था। सन् १९५७-५८ में नागरिक प्रशासन व्यय की कुल राशि १३६४० करोड़ रुपया थी, अर्थात् कुल व्यय का १६%। इस प्रकार हमने देखा कि यद्यपि व्यय की राशि में तो वृद्धि ही रही है परन्तु नागरिक व्यय का राज्यों के कुल व्यय में प्रतिशत कम होता जा रहा है। यह एक अच्छा चिन्ह है।

(२) शिक्षा—हमारे देश में शिक्षा का स्तर तथा शिक्षित व्यक्तियों की मात्रा वितनी कम है इस सम्बन्ध में यहाँ पर वाद विवाद करना उचित न होगा। सरकारी अनुमानों के अनुसार भारत में शिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत केवल १६६

है। हमारे देश के आर्थिक और सामाजिक उत्थान में शिक्षा की कितनी आवश्यकता है हम सभी इससे परिचित हैं। इसी दृष्टि से भारत के संविधान में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि संविधान लागू होने के १० वर्षों के अन्दर १४ वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था राज्य की ओर से की जायगी। यद्यपि चारों ओर से यही प्रयत्न हो रहे हैं कि संविधान द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हो जाय परन्तु यह सम्भव नहीं है कि इस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। प्रथम योजना काल में सामान्य शिक्षा प्रदान करने के लिये प्रारम्भिक, माध्यमिक और यूनिवर्सिटी शिक्षा के विवास्त तथा वृद्धि के लिये राज्यों की ओर से १२५ करोड़ रुपये की ओर सघ सरकार की ओर से ४४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। यह भी स्पष्ट है कि हमारे देश में केवल सामान्य शिक्षा से ही काम नहीं चलेगा। सामान्य शिक्षा के साथ साथ विशेष व्यवसायों के सम्बन्ध में भी शिक्षा प्रदान करनी होगी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में यत्रात्मक तथा व्यावसायिक (Technical and Vocational) शिक्षा के विकास के लिये नये नये शिक्षालयों को खोला गया और शिक्षा प्राप्त करने वालों को आर्थिक सहायता देकर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी शिक्षा के विकास पर काफी ध्यान दिया गया है और राज्यों की ओर से २१२ करोड़ रुपये और सघ सरकार की ओर से ६५ करोड़ रुपये खर्च किया जायगा।

(३) स्वास्थ्य—भारत में स्वास्थ्य का स्तर भी न्यूनतम है। भारत में प्रति हजार व्यक्ति सन् १९५० में मृत्यु दर १६ थी जा कि समार में सब से अधिक है। भारत में औसत आयु की मात्रा २७ वर्ष है जबकि स्वीडन में ६८, इंग्लैंड में ६६, संयुक्त राज्य अमेरिका में ६४ और मिस्र में २९ है। आशा है कि इतने ही तथ्यों से यह स्पष्ट हो जायेगा कि भारत की स्वास्थ्य स्थिति बहुत शोचनीय है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस महं पर राज्यों द्वारा ८३ करोड़ रुपये के व्यय किये जाने की व्यवस्था की गई थी। दूध कार्यक्रम में पानी तथा नालियों की व्यवस्था करना, मलेरिया को रोकना, प्राणीय जनता के लिये स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करना, औरतों तथा बच्चों के लिये स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करना, डाक्टरों, नर्सों इत्यादि के लिये प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना, दवाइयों के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य की व्यवस्था करना और Antibiotics बनाने या एक कारखाना तथा डी० डी० टी० बनाने के दो कारखाने स्थापित करने थे। इसी प्रकार की व्यवस्था दूसरी योजना में भी की गई है।

(४) कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास इत्यादि—भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कृषि सम्बन्धी समस्याओं को सुलभाने की शक्ति कृषक में नहीं है इसीलिये भारतीय कृषि बहुत पिछड़ी हुई अवस्था में है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास पर तथा सिंचाई योजनाओं पर सबसे अधिक धन व्यय किया गया था। दूसरी योजना में औद्योगिक विकास की ओर अधिक ध्यान देने के कारण व्यय की

राशि कुछ कम हो गई है। दूसरी योजना में कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों पर ३०२ ६२ करोड़ रुपये और विचार्य कार्यक्रमों पर ३८० ६७ करोड़ रुपये का व्यय होगा।

हमारे देश में ग्रामीण विराम कार्यक्रम की मुख्य विशेषता सामुदायिक विकास योजनाएँ हैं जिनके द्वारा ग्रामवासियों ने अपनी उन्नति आप करने की भावना उत्पन्न की जा रही है। दूसरी विशेषता यह है कि कृषि एक ग्रामीण विकास के लिये मजदूरी ग्रामोन्नत को बढ़ाने की ओर सरकार बहुत अधिक ध्यान दे रही है। स्टेट बैंक की स्थापना से ग्रामों में बैंक की शाखाएँ ग्रामीण वित्त व्यवस्था में भाग लेना आरम्भ कर देगी। इसकी अथ पूर्ण आशा ही गई है। इसके अतिरिक्त सरकार ने आर्थिक समानता स्थापित करने के लिये जमींदारी तथा जागीरदारी का उन्मूलन कर दिया है और भूमि की उच्चतम सीमा भी निर्धारित करने का विचार है। कुछ राज्यों में यह सीमा निश्चित भी कर दी गई है। इस प्रकार राज्य प्राथमिकी भूमि सुधारा को प्रथम कर विमानों में स्वयं सहायता (Self Help) की भावना उत्पन्न कर रहे हैं। शीघ्र ही इन कार्यक्रमों पर राज्यों को काफी खर्चा करना पड़ रहा है।

(५) उद्योग—अपने अपने राज्यों में स्थित उद्योगों को विकसित करने का दायित्व राज्य सरकारों पर है। राज्य सरकारों को विशेष रूप से कुटीर तथा लघु उद्योगों का विकास करना है और साधारणतया बड़े और मध्यम उद्योगों की सहायता देना है। कुटीर तथा लघु उद्योगों के विकास के लिये प्रशिक्षण, वित्त और व्यय सम्बन्धी सुविधाओं की ओर ध्यान देना राज्य सरकारों का परम कर्तव्य है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इन कार्यों के लिये राज्यों के द्वारा १२ करोड़ रुपये के व्यय करने की व्यवस्था की गई थी। दूसरी योजना काल में राज्यों को बड़े तथा माध्यम वर्ग के उद्योगों पर २१ ०६ करोड़ रुपये और ग्रामीण तथा लघु स्तरीय उद्योगों पर ११६ ६८ करोड़ रुपये का व्यय करना है। दूसरी योजना में कुटीर तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए राज्यों का मुख्य उद्देश्य यह होगा कि वे ऐसा प्रबन्ध करें कि छोटे पैमाने के उत्पादन की प्रतियोगिता करने की शक्ति में वृद्धि हो, विकेंद्रित क्षेत्र (De-centralised Sector) इतनी शक्ति प्राप्त करें कि स्वावलम्बी हो जाय और बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ साथ उसका विकास भी होता जाय। इस प्रकार राज्यों को मुख्य रूप से चार प्रकार के काम करने हैं—(१) अत्याधुनिक शिक्षा तथा अनुसंधान सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध करना, (२) उत्पादन की पाईलट (Pilot) योजनाएँ इस उद्देश्य से चालू करना कि बाद में वे औद्योगिक मजदूरी समितियों या निजी उद्योगों में बदली जा सकें, (३) निजी उद्योगों को ऋण देना, और (४) मजदूर शक्ति की पूर्ति के लिए उचित योजनाएँ बनाना। इन कार्यक्रमों की एक विशेषता यह है कि हर राज्य अपने यहाँ औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Estates) स्थापित करेगा जहाँ पर पानी, बिजली, भाप, गैस, रेल इत्यादि की सामान्य सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। इन का खर्चा राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से ऋण प्राप्त करके पूरा करेगी।

(६) सार्धजनिक निर्माण कार्य—इस भद् में मुख्यतया सड़कों के बनवाने का व्यय सम्मिलित है। हमारे देश में जहाँ लगभग ८०% जनता ग्रामों में रहती है सड़कों का जो महत्व है उसको हर कोई जानता है। परन्तु दुख की बात यह है कि भारत के स्वतन्त्र होने से पहले सड़कों की और कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया। आर्थिक विकास कार्यक्रम की प्रगति के साथ साथ तो सड़कों का महत्व और भी अधिक होना जा रहा है। इसलिये प्रथम योजना में राज्यों द्वारा १३ करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई थी और दूसरी योजना में सब राज्यों को मिलकर १६२ करोड़ रुपये खर्च करने हैं। दूसरी योजना काल में ग्रामीण सड़कों की और विशेष रूप से ध्यान दिया जायगा।

यदि राज्यों के व्यय का अध्ययन उन्नी प्रकार दो भागों में विभाजित करने के जैसे सब सरकार के व्यय का अध्ययन हम पिछले पृष्ठों में कर चुके हैं तो स्थिति का अधिक अच्छा स्पष्टीकरण हो सकेगा। अब राज्यों के खर्च दो प्रकार के होते हैं, प्रथम, आय सम्बन्धी व्यय, और द्वितीय पूंजीगत व्यय।

(१) आय सम्बन्धी व्यय—इस लाले में कुल राज्यों का व्यय १९५१-५२ में ३६२ ६८ करोड़ रुपये था जो १९५८-५९ में बढ़कर ७४५ ७५ करोड़ रुपये हो गया था। परन्तु विकास सम्बन्धी व्यय जो १९६ २१ करोड़ रुपये से बढ़कर ४३४ २५ करोड़ रुपये हो गया था उसमें बहुत अधिक वृद्धि हुई अपेक्षाकृत गैर विकास सम्बन्धी व्यय के, जो १९६ ४७ करोड़ रुपये से बढ़कर ३११ ५० करोड़ रुपये हो गया था। यह पृष्ठ ५३-५४ की तालिका से स्पष्ट होता है :—

इन तालिकाओं से स्पष्ट है कि यद्यपि गैर-विकास सम्बन्धी व्यय में अनुपातिक कमी होती जा रही है फिर भी यह व्यय काफी अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकारें दूसरी पंचवर्षीय योजना के व्यय को पूरा करने में असमर्थ हैं और जनता को सरकार के व्यय से पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। जितनी आशा की जाती थी, राज्य सरकारें अपने गैर-विकास सम्बन्धी व्यय में उतनी कमी नहीं कर पाई है। गैर-विकास सम्बन्धी व्यय नागरिक सेवाओं तथा अन्य महों पर बढ़ता गया है किन्तु यकाल सम्बन्धी व्यय में अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई है।

जहाँ तक विकास सम्बन्धी व्यय का प्रश्न है इन वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि ८२ ४८ करोड़ रुपये की, शिक्षा सम्बन्धी व्यय में हुई है। इसके बाद ग्रामीण और सामुदायिक विकास योजनाओं, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, कृषि, पशु सम्बन्धी तथा सहकारिता का नम्बर है, जिनमें क्रमानुसार ३६ ०९ करोड़, ३१ ४२ करोड़ और ३० ३९ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। उद्योग, निर्यात और विजली सम्बन्धी विनाश क्षेत्रों में अधिक वृद्धि नहीं हुई है।

(२) पूंजीगत व्यय—राज्य सरकारों का विकास एवं गैर-विकास सम्बन्धी महों पर कुल पूंजीगत व्यय सन् १९५१-५२ में १२७ ५७ करोड़ रुपये था जो सन् १९५८-५९ में २६५ ७२ करोड़ रुपये हो गया। पूंजीगत व्यय की मुख्य महों में बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाएँ, सड़क यातायात, औद्योगिक योजनाएँ, राजकीय

व्यापार और जल-कल (water works) सम्मिलित है। यदि हम पूंजीगत व्यय पर पूरी दृष्टिपात करे तो राज्य सरकारों द्वारा ऋणों, स्थायी ऋणों का भुगतान, केन्द्रीय सरकार को ऋणों का भुगतान इत्यादि महों को मिला कर कुल पूंजीगत व्यय सन् १९५१-५२ में जो १८८७२ करोड़ रुपए था वह बढ़ कर सन् १९५८-५९ में ४३६०४ करोड़ रुपए (अनुमानित) होने की आशा थी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में राज्यों को कुल २२५ करोड़ रुपयों का व्यय करना था परन्तु अतिरिक्त करो के लगाने पर भी राज्य सरकारों की कुल आय का अनुमान १७३ करोड़ रुपयों का है, और इस प्रकार केन्द्रीय सरकार से करो का अधिक हिस्सा मिलने पर भी लगभग ५२ करोड़ रुपयों की कमी होगी। सितम्बर सन् १९५८ में दूसरी योजना के कुल व्यय में जो परिवर्तन हुए थे उनमें और अधिन परिवर्तन कर दिए गए हैं। पहले परिवर्तनों के अनुसार दूसरी योजना के व्यय को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। प्रथम आवश्यक योजनाओं पर ४५०० करोड़ रुपए और स्थगित की जाने वाली योजनाओं पर ३०० करोड़ रुपए। परन्तु सितम्बर १९५८ में प्रथम भाग का व्यय ४५०० करोड़ रुपयों से बढ़ा कर ४६५० करोड़ रुपए कर दिया गया और इनमें १४० करोड़ रुपयों का प्रवन्ध राज्य सरकारों की योजना के शेष दो वर्षों में करना है यद्यपि ६० करोड़ रुपए अतिरिक्त करारोपण से, ५० करोड़ रुपए ऋण तथा अल्प वचत द्वारा और ३० करोड़ रुपए गैर-विकास सम्बन्धी व्यय में मितव्ययिता द्वारा। स्पष्ट ही है कि राज्य सरकारों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वे इतने रुपयों की व्यवस्था कर सकें और यदि वे अधिक करो द्वारा धन प्राप्त करने का प्रयत्न करती भी हैं तो जनता में असान्ति फैलने का बहुत भय है।

राजकीय आय

अध्याय ५

राजकीय आय

के

स्रोत

(Sources of

Public Revenue)

प्राक्कथन—

पिछले अठ्ठासो में हम यह देख चुके हैं कि राज्य के न्ययक्षेत्र में कितनी तीव्र गति से पिछले वर्षों में वृद्धि हुई है। अतः राज्यकीय व्यय की राशि भी बढ़ती गई। यदि हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में राजकीय व्यय महत्वपूर्ण है तो राजकीय आय का महत्व स्वयं स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि आय के अभाव में व्यय हो ही नहीं सकता। परिणामवश गत वर्षों में व्यय बढ़ने के साथ साथ राजकीय आय का आकार भी बहुत विस्तृत हो गया है। राजकीय आय को प्राप्त करने के ढंगों में इतने तीव्र परिवर्तन हो गये हैं कि राजकीय आय के अध्ययन का महत्व दिन प्रति दिन बढ़ता ही जाता है।

राजकीय आय के स्रोत—

राज्य अपनी आय निम्न स्रोतों से प्राप्त करता है —

(१) कर (Tax)—कर राज्य की आय का मुख्य स्रोत है। प्लेहन^१ (Plehn) के शब्दों में, "कर धन के रूप में दिया गया वह सामान्य-अनिवार्य असादान है, जो राज्य के निवासियों को सामान्य-लाभ पहुँचाने के लिये किये गये व्यय को पूरा करने के लिये, व्यक्तियों से लिया जाता है। कर सामान्य लाभ पहुँचाने के कारण न्याय संगत कहा जा सकता है, परन्तु उस से मापा नहीं जा सकता।" ठीक-इसी प्रकार की परिभाषा सेलिगमैन^२ ने दी है। इनके अनुसार

१. Introduction to Public Finance, Page 59

२. Essays in taxation Page 432

पर एक व्यक्ति या, सरकार के लिये अनिवार्य अनुदान है, उन खर्चों को पूरा करने के लिये जो सब के सामान्य हित में किये जाते हैं, जिसका सबेस विशेष लाभों की प्राप्ति की ओर नहीं होता।" फिलिप्स. इ टेलर ने भी ऐसा ही कहा है कि 'वे अनिवार्य भुगतान जो सरकार को, बिना करदाता को किसी प्रत्यक्ष लाभ की आशा के किये जाते हैं पर हैं।' इन परिभाषाओं में कर की निम्न विशेषताओं की ओर मनेस किया गया है —

(अ) कर एक अनिवार्य भुगतान है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में कर या भुगतान अवश्य ही करना होता है। कोई भी व्यक्ति, सरकार द्वारा लगाये कर या भुगतान करने को मना नहीं कर सकता है। देश में बसाचित ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जिस पर कर न लगाया जाता हो। कोई अपाहिज या पागल व्यक्ति भी कर देने को मना नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष कर तो समाज के कुछ ही व्यक्तियों को देना पड़ता है परन्तु प्रत्यक्ष कर तो सब ही व्यक्तियों को वस्तुओं की खरीदते समय देना ही पड़ता है। कर या भुगतान मना करने पर या कर की खरीद करने पर व्यक्ति को सजा दी जाती है। प्राचीन समय में तो किसी व्यक्ति को यह भी अधिकार नहीं था कि वह किसी भी कर से विरुद्ध कुछ कह सके। आनन्द प्रसाद का मुग है और सस्य के सत्य, जो व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने हैं उग की दर भुगतान की विधि और समय आदि की आलोचना कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप में भी व्यक्ति आलोचना करते हैं। यह ध्यान रहे कि सरकार के लिये यह कोई आवश्यक नहीं कि वह इन आलोचनाओं से प्रभावित हो। यदि सरकार किसी कर को उचित समझती है तो वह उसे अवश्य ही लगायेगी और फिर प्रत्येक व्यक्ति को उसका भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा चाहे उसकी इच्छा हो या नहीं।

(ब) कर की आय का उपयोग सामान्य लाभ के लिये किया जाता है। राज्य सब ही नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है। यह अधिकतर ऐसे कार्य करता है जिनके सब ही को लाभ हो। अतः कर का उपयोग ऐसे ही कार्यों को सम्पन्न करने में किया जाता है। सरकार इन कार्यों की आय को किसी व्यक्ति या किसी एक जाति या समूह पर व्यय नहीं कर सकती। वैसे तो राजकल इन विशेषता का उल्लेख करने का कोई विशेष लाभ नहीं क्योंकि राज्य कोई भी काम राजकल ऐसा नहीं करता जिससे सब ही व्यक्तियों को लाभ न होता हो।

(स) सरकार करदाता को कर के बदले में कोई विशेष लाभ प्रदान नहीं करती। प्रत्येक व्यय सामान्य लाभ के लिए किया जाता है। न तो करदाता को किसी प्रत्यक्ष लाभ की आशा ही करनी चाहिए और न सरकार ही किसी करदाता को विशेष लाभ प्रदान करने का प्रयत्न ही कर सकती है। प्रो० ट्राकिंग के शब्दों में, 'आय के अन्य स्रोतों की तुलना में कर या भार इसी बात में है कि राजकीय अधिकारी और करदाता के बीच में कोई प्रत्यक्ष 'जैसे को तैसा' (quid pro quo)

के व्यवहार का अभाव होता है।⁴ परन्तु यह बात प्रत्येक कर के सम्बन्ध में सही नहीं है। कभी कभी कर की आय केवल व्यक्तियों के उत्त तमूह पर ही व्यय कर दी जाती है जिन से वह प्राप्त की गई है, जैसे, पेट्रोल से वसूल किया गया कर यदि रावनों को छोक करवाने पर ही खर्च कर दिया जाय। परन्तु यह ध्यान रहे कि यह उदाहरण भी कर की उपर्युक्त विशेषता का अपवाद नहीं है। क्या सड़कों का केवल वे ही लोग उपयोग करते हैं जिनके पास मोटर गाड़ियाँ हैं? इनके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति पर कर की दर उस अनुरात में निश्चित नहीं की जाती जिसमें वह सड़क का उपयोग करता है। यदि ऐसा होता तो कर की उपर्युक्त विशेषता पर आपत्ति करना अनुचित नहीं होता। परन्तु पुराने प्रयंशास्त्रियों एवं विचारकों ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। प्राचीन लेखकों में से कुछ का तो विचार यह था कि कर का भुगतान राज्य की उस सेवा के लिए किया जाता है जो वह व्यक्तियों को सुरक्षित रखने के लिए करता है।⁵ परन्तु हम सभी जानते हैं कि राज्य रक्षा के अतिरिक्त अन्य बहुत से कार्य और भी करता है और कर का भुगतान केवल राज्य की सामर्थ्य प्रदान करने के लिए किया जाता है ताकि वह इन सब कार्यों को उचित रूप से सम्पन्न कर सके। साथ ही साथ यह भी ध्यान रहे कि राज्य को जो कुछ भी कर के रूप में दिया जाता है वह परोक्ष रूप से फिर व्यक्तियों को ही लौटा दिया जाता है। राज्य नागरिकों का ही सामूहिक रूप है। उसका अस्तित्व व्यक्तियों के अस्तित्व से अलग नहीं है। आधुनिक लेखकों ने भी इस विषय पर सोचने में त्रुटि की है। वे यह सोचते हैं कि राज्य और व्यक्तियों में कर का भुगतान एक प्रकार की विनिमय विमा है। अनित भुगतान करते हैं और राज्य उनको इस भुगतान के बदले में सेवायें प्रदान करती है। जैसे कि आधुनिक लेखक प्रो० डि० मार्को का विचार है कि "कर वह मूल्य है जो प्रत्येक नागरिक राज्य को, सामान्य राजकीय सेवायें, जिनका वह उपयोग करेगा उनकी लागतों में अपने भाग को पूरा करने के लिए देता है।"⁶ यह निष्कर्ष उसने इस आधार पर निकाला है कि आधुनिक राज्यों में करारोपण का नियम विनिमय सम्बन्धों की मान्यता पर आधारित है : अर्थात् राज्य को एक भुगतान का विनिमय, राज्य द्वारा प्रस्तुत की गई राजकीय सेवायें की व्यवस्था के लिए।⁷ परन्तु साधारण से साधारण व्यक्ति इस बात को बता सकता है कि डि० मार्को के ये विचार केवल अनुचित ही नहीं बल्कि भ्रमपूर्ण भी हैं। प्रत्येक दस में अनैकों ऐसे वच्चे होंगे जिनको राज्य की सेवायें उल्लब्ध होती हैं जिनका सम्पूर्ण भरण पोषण राज्य करता है परन्तु वह कोई भी कर नहीं देता जैसे लाखों अनाथ व्यक्ति, पागल, अपाहिज व्यक्ति, लाखा बेकार व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति, विधवा औरतें और नव-शिशु जिनको राज्य से सारी सेवायें

4 Principles of Economics, Page 485

5 Lutz, Public Finance, Page 262

6 First Principles of Public Finance, Page 113

7 Ibid. Page 112 113

प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त इन लेखकों को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि करारोपण का उद्देश्य केवल नागरिकों के लिए सेवायें उपस्थित करना ही नहीं है, बल्कि घन की असमानताओं को दूर करना भी है।

(२) राजकीय सम्पत्ति तथा उद्योग—राजकल राज्यों को उद्योगों के संचालन एवं सम्पत्ति के उपयोग से भी काफी आय प्राप्त होती है। अब राज्यों को सम्पत्ति ने इतनी आय प्राप्त नहीं होती जितनी पिछली शताब्दियों में होती थी। राजकल जंगलों को ठेके पर देकर या भूमि और खानों को किराये पर देकर सरकार को कुछ आय प्राप्त अबकम्प होती है।

गत वर्षों में राज्यों ने उद्योगों का संचालन भी अपने हाथ में लेना आरम्भ कर दिया है और धीरे-धीरे यह आय का एक बहुत बड़ा स्रोत बनते जा रहे हैं। यह ध्यान रहे कि उद्योगों के संचालन में राज्य का उद्देश्य आवश्यक रूप से आय प्राप्त करना नहीं होता। राज्य उद्योगों का संचालन देनेको दूसरे महत्वपूर्ण कारणों से करता है।

कुछ उद्योग तो नरकार इमलिये चलाते हैं क्योंकि वे यदि निजी व्यक्तियों द्वारा चलाये जायें तो उनमें उपभोक्ताओं का शोषण होने का भय रहता है, जैसे जनींगयोगी सेवायें—यातायात, पानी, बिजली, डाक तार आदि की व्यवस्था। कुछ उद्योग राज्य इसलिये चलाता है क्योंकि निजी व्यक्ति उनको चलाना नहीं चाहते या उनमें सामर्थ्य नहीं होती, जैसे रेलों की व्यवस्था। कुछ उद्योग राष्ट्रीय महत्व के होते हैं या जिनकी मूचना गुप्त रखने की आवश्यकता होती है, यह आवश्यक होता है कि राज्य ही उनका संचालन करे जैसे युद्ध सम्बन्धी उद्योग। कुछ उद्योग राज्य केवल उपभोग को नियमित करने के उद्देश्य से चलाता है जैसे अफीम, गाजा इत्यादि का उत्पादन एवं विक्रय। राज्य उद्योगों का संचालन सामाजिकरण की नीति के अधीन भी चलाता है। चाहे जो भी उद्देश्य ही राज्य को इस स्रोत से काफी आय प्राप्त होती है।

इस प्रकार के स्रोतों में "जैसे को तैसा" का अर्थ होता है। नागरिक, राज्य से प्रत्यक्ष सेवायें और वस्तुएँ प्राप्त करते हैं और उनके लिये मूल्य चुकाते हैं। यह मूल्य सेवा की मात्रा के अनुसार उपभोक्ताओं को चुकाने पड़ते हैं। जैसे बसों और मोटरों के किराये भील के अनुसार लिये जाते हैं और बिजली की शक्ति का मूल्य प्रति १००० वाट की एक इकाई मान कर लिया जाता है। इस प्रकार की सेवाओं का मूल्य सुगमता से निश्चित हो सकता है। 'कर' और 'मूल्य' में यही अन्तर है।

राज्य को इन सेवाओं का कितना मूल्य लेना चाहिये? इस प्रश्न पर काफी मतभेद दीखता है। वास्तव में इसमें मतभेद की कोई गुन्जाइश नहीं है। मूल्य स्वामता से न बहुत अधिक ऊँचे और न कम होने चाहिये। यदि मूल्य अधिक ऊँचे होंगे तो उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने का उद्देश्य ही पूरा न होगा, और यदि कम होंगे तो सामान्य आय के स्रोतों पर यह उद्योग एक प्रकार का भार हो जायेंगे और उनके घाटे की पूर्ति सामान्य स्रोतों की आय में से करनी होगी। पहली स्थिति में तो उपभोक्ताओं को कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा और दूसरी स्थिति में वस्तुएँ तो

श्रवश्य ही सन्धी मिलेगी पर देश में कर भार बढ़ जायेगा, क्योंकि उद्योगों के घाटो को पूरा करने के लिये कर की दर बढानी पडेगी। अत दोनो ही स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। इसलिये सबसे उत्तम स्थिति यही होगी कि उद्योगों का सञ्चालन इस प्रकार हो कि न लाभ हो और न हानि। यदि कुछ लाभ प्राप्त हो जाये तो इसमें कुछ हानि भी नहीं है। परन्तु किस प्रकार की नीति अपनाई जाये—यह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यदि दूरदर्शिता यह चाहती है कि देश के कल्याण में वस्तुओं को लागत से भी कम बेचा जाये तो सरकार को यह ही नीति अपनानी पडेगी। लाभ की अपेक्षा समाज का कल्याण अधिक स्वच्छ उद्देश्य है। परन्तु जनोपयोगी सेवाओं में एक नये प्रकार की समस्या उपस्थित होती है। इन सेवाओं की प्रकृति एकाधिकार की होती है इसलिये मूल्यों और करों में भेद करना सरल नहीं होता। ऐसी वस्तुओं के मूल्य के उस भाग में, जो लागतों से अधिक होता है, और ऐसी वस्तुओं के कर में—इन दोनों में भेद नहीं किया जा सकता।⁸

(३) प्रशासन सम्बन्धी आय—फीन, विशेष निर्धारण (Special assessments) जुर्माना व दण्ड, आदि स्रोतों से सरकार को जो आय प्राप्त होती है वह प्रशासन सम्बन्धी आय कहलाती है। चारतक में इन सब आयों को मोटे तौर पर एक शीर्षक में सम्मिलित कर देना ठीक भी है क्योंकि ये सब आय सरकार के प्रशासन कार्यों के कारण उत्पन्न होती है।

✓(घ) फीस—जब किसी व्यक्ति से, सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले किसी विशेष लाभ के बढ़ने, पूरी अथवा आंशिक लागत ले ली जाती है, तो इस प्रकार के अनिवार्य भुगतान को फीस कहते हैं। फीस भी 'कर' की भाँति एक अनिवार्य भुगतान है, परन्तु यह एक विशेष लाभ की लागत होगी है, जबकि 'कर' के बढ़ने में कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता। फीस किसी व्यापारिक सेवा का भुगतान नहीं बल्कि प्रशासन सम्बन्धी या न्याय सम्बन्धी सेवाओं का भुगतान है। फीस के सम्बन्ध में एक विशेष बात यह भी है कि यह सेवा के मूल्य से अधिक नहीं होती। जो फीस सेवा के मूल्य से अधिक होता है उसमें फीस तथा विशेष निर्धारण भी सम्मिलित होता है। सीलमैन के शब्दों में फीस, 'एक भुगतान जो सरकार द्वारा प्रदान की गई प्रारम्भिक रूप से जनहित में, परन्तु फीसदाता को विशेष लाभ पहुँचाते हुए, बारबार उत्पन्न होने वाली प्रत्येक सेवा की लागत को पूरा करने के लिये दिया जाती है।'⁹ स्लैहन के अनुसार, "फीस पण के रूप में वह अनिवार्य असादान है जो कि किसी व्यक्ति को, चाहे वह प्राकृतिक हो या मिलकर बनाया गया हो, राजकीय अधिकारी की आज्ञा से सरकार के किसी कार्य में लगे खर्चों के किसी अंश या सबका भुगतान करने के लिए देनी पडती है, यह जहाँ सामान्य लाभ पहुँचाती है वहाँ एक विशेष लाभ भी पहुँचाती है।"¹⁰

8 Dalton, Public Finance Page 27

9. Op Cit Page 432

10. Op Cit Page 60

(ब) लाइसेन्स फीस—कुछ नैलको ने फीस और लाइसेन्स फीस में भेद किया है। साधारण बोल-चाल में और व्यवहारिक जीवन में भी इन प्रकार का भेद देखने में नहीं आता। इन लेखकों के अनुसार फीस उन मामलों में ही जाती है जबकि वास्तव में पीछे से सम्पन्न की जाती है अर्थात् जब वास्तव में सरकारी कर्मचारी कोई किया करता है। और लाइसेन्स फी उन मामलों में ही जाती है जबकि सरकारी अधिकारी स्वयं किया न करने लिये व्यक्ति को आज्ञा दे देता है या अधिकार सौंप देता है।¹¹ लाइसेन्स फी में नियमन एवं नियन्त्रण का अर्थ भी छिपा हुआ है। समाज हित में कुछ सेवाओं को सम्पन्न करने के लिए बस कुछ ही व्यक्तियों को अधिकार दिया जाता है और लाइसेन्स द्वारा इन व्यक्तियों की क्रियाओं को नियमित किया जाता है जैसे मादक पदार्थ एवं बन्दूकों के विषय में लिये या बन्दूक प्रयोग करने के लिये लाइसेन्स दिये जाते हैं और लाइसेन्स फीस ली जाती है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति लाइसेन्स फीस का भुगतान करना भूल जाय तब वह उन नियमों को नहीं कर सकता जिन्हें लिए उस अधिकार प्राप्त था।

(स) विशेष निर्धारण—जब किसी राजकीय अधिकारी की क्रियाओं के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की सम्पत्ति या मूल्य बढ़ जायें तो ऐसी मूल्य वृद्धि को बिना कमाई हुई वृद्धि (unearned increment) कहेंगे। यदि राजकीय अधिकारी इस वृद्धि पर कर लगा दे तो उस विशेष निर्धारण कहेंगे। सैलिंगमैन के अनुसार विशेष निर्धारण, “एक अनिवार्य अशदान है जो प्राप्त हुए विशेष लाभों के अनुपात में लगाया जाता है ताकि जनहित में सम्पत्ति पर विशेष सुधार करने की लागत पूरी हो जाय।”¹² उदाहरणार्थ यदि किसी शहर में नगरपालिका कोई नई सड़क बना दे या पार्क बना दे तब व्यक्तियों को दत्ते विशेष लाभ प्राप्त होगा, जिसके लिए नगरपालिका विशेष निर्धारण करेगी।

विशेष निर्धारण और कर में कुछ शैलिक समानताएँ हैं—दोनों में जनहित का अर्थ विद्यमान है और दोनों ही अनिवार्य हैं। इससे अतिरिक्त दोनों में कुछ महत्वपूर्ण भिन्नताएँ भी होती हैं। कर से प्राप्त आय सामान्य लाभ में व्यय की जाती है, जबकि विशेष निर्धारण की आय केवल विशेष स्थानीय सुधारों के ही काम में आती है। विशेष निर्धारण से प्राप्त लाभ को आका जा सकता है जबकि कर के लाभ को ज्ञात नहीं किया जा सकता। इससे अतिरिक्त कर का निर्धारण किसी निश्चित आधार पर होता है जैसे, आय, सम्पत्ति, उपभोग परन्तु विशेष निर्धारण नाम के अनुपात में लगाया जाता है। इन दोनों में एक भेद यह भी है कि कर की आय को किसी प्रकार भी खर्च किया जा सकता है, परन्तु विशेष निर्धारण केवल समाज की स्वामी पूँजी की मात्रा बढ़ाने के लिये ही व्यय किया जा सकता है। अतः कर, कर कोई विशेष लाभ प्रदान नहीं करता, जबकि विशेष निर्धारण करता है।

इसी प्रकार विशेष निर्धारण फीस से भी भिन्न है। प्रथम, निर्धारण केवल

11. Lutz Op Cit., Page 293

12. Op. Cit., Page 451

विशेष स्थानीय सुधारों के लिये लगाये जाते हैं परन्तु फीस प्रशासन सम्बन्धी कार्यों के लिये ली जाती है। विशेष निर्धारण कुछ व्यक्तियों पर एक साथ किये जाते हैं, अर्थात्, जब अचल सम्पत्ति पर सुधार होने से एक स्थान पर रहने वाले लोगों को लाभ पहुँचता है तो सब ही पर विशेष निर्धारण हागे, परन्तु फीस व्यक्तियों पर व्यक्तिगत रूप में लगती है और इसमें केवल व्यक्ति विशेष की होने वाले लाभ के अनुसार फीस का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त फीस की दर निश्चित रहती है परन्तु विशेष निर्धारण में सुधार से प्राप्त होने वाले लाभ के अनुपात में भुगतान की राशि निर्धारित होती है। विशेष निर्धारण केवल सम्पत्ति के मूल्य में वृद्धि होने की स्थिति में ही देना होता है परन्तु फीस किसी भी प्रकार के प्रबन्ध से उत्पन्न होने वाले लाभों के लिये दी जाती है। विशेष निर्धारण केवल एक बार ही देना पड़ता है परन्तु फीस का भुगतान बार बार होता है।

विनियम निर्धारण बहुधा मन माना होता है। इसलिये विशेष निर्धारणके सम्बन्ध में कुछ समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिये कुछ सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं परन्तु उनका केवल सैद्धान्तिक महत्त्व ही है। व्यवहार में प्रत्येक देश में स्थानीय अधिकारियों ने अपनी अपनी सुविधानुसार नियम बना लिये हैं। प्रथम समस्या तो यह उत्पन्न होती है कि किस प्रकार और किस सीमा तक व्यक्तियों को विशेष निर्धारण का भुगतान करने के लिये बाध्य किया जा सकता है? इस प्रकार की सीमा का निर्धारण तो बहुत कठिन है परन्तु सामान्य रूप से विशेष निर्धारण में न्याय का अर्थ लाने के लिये, सुधार सम्बन्धी योजना के तारे में स्थान विशेष पर रहने वालों का बतारा दिया जाता है। यदि स्थान के अधिकार्य व्यक्ति उक्त योजना, की स्वीकार कर लेते हैं तो योजना कार्यन्वित की जायेगी वरना नहीं। जिन व्यक्तियों की सम्पत्ति को हानि होती है उन्हें मुआवजा दिया जाता है और जिन को लाभ होता है उन पर विशेष निर्धारण कर दिये जाते हैं। इस सम्बन्ध में दूसरी समस्या यह है कि यदि सुधार सम्बन्धी किसी योजना से सारे नगरवासियों को भी लाभ होता है और सुधार होने वाले स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों को विशेष लाभ प्राप्त होता है तब विशेष निर्धारण कैसे किया जाये? जैसे, यदि किसी स्थान पर पार्क बन जाये या किसी सड़क को गक्का मोटर चलाने योग्य बना दिया जाये तो ऐसी स्थिति में सुधार के तर्कों की कुछ तो स्थानीय अधिकारी सहन करेंगे और कुछ विशेष निर्धारण के रूप में लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से वसूल किया जायेगा। दोनों में क्या अनुपात होगा, यह निर्धारित करना कठिन है, और अधिकतर स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अन्तिम समस्या यह है कि कुल व्यय को व्यक्तियों में किस अनुपात में बाँटा जाये? यह भी एक गम्भीर समस्या है और इस में मनमानेपन का अर्थ बहुत अधिक होता है। प्रत्येक स्थान पर अलग अलग आधार निश्चित कर लिये जाते हैं। कहीं पर लाभ प्राप्त करने वाली सम्पत्ति के मूल्यानुसार, कहीं पर सुधार विशेष से निकटतानुसार, कहीं पर लाभ की मात्रानुसार, इसी प्रकार के अन्य आधारों पर विशेष निर्धारण की मात्रा निश्चित

कर ली जाती है। यद्यपि विशेष निर्धारण म मनुमानेपत का श्रुती अंग है, और कभी कभी तो केवल लालच से ही स्थानीय अधिकारी मुधार की सोचते हैं और अनावश्यक व्यय कर देते हैं, या कमी कमी स्वयं व्यक्ति भूमि खरीद कर विशेष निर्धारण द्वारा मुधार करवा कर ऊँचे मूल्यो पर लाभ कमाने के लालच में घेच सकते हैं और इसी प्रकार की अन्य दुराश्या हैं। परन्तु आजकल विशेष निर्धारण का विशेष महत्व है और इसी को अनेको प्रकार के नवीन स्थानीय सुधारों का श्रेय प्राप्त है।

(६) जर्मनी एव सम्पत्ति को जप्त कर लेना—जब देश के नागरिक-सरकार द्वारा बनाए हुए नियमों की तोड़ते हैं या उल्लंघन करते हैं तो सरकार उन पर जर्मनी लगाती है। यह आम का बहुत ही मामूली सा साधन है और इसका उद्देश्य लाभ कमाना होना भी नहीं है। यह तो केवल व्यक्तियों को कानून तोड़ने से रोकने के लिए लगाया जाता है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति बिना उत्तराधिकारी के या बिना वसीयतनामा लिख मर जाना है तब ऐसे व्यक्ति की सम्पत्ति सरकार जप्त कर लेती है। सरकार इस अधिकार के अन्तगत अन्य प्रकार की सार्वजनिक सम्पत्ति जिसका कोई भी वारिस या देखभाल करने वाला न हो, भी जप्त कर लेती है। प्रायः यह आय का स्रोत केवल नाममात्र ही है।


(४) उपहार एव अनुदान (Gifts and Grants)—सरकार को कुछ आय उपहारों एव अनुदानों से भी प्राप्त हो जाती है। प्रत्येक देश म कुछ उदार हृदय वाले व्यक्ति कुछ देण भक्त, कुछ सरकार म महानुभूति रखने वाले व्यक्ति होते हैं जो सरकार को उपहार भेंट करते रहते हैं। ये उपहार राजकीय कार्यों के लिए नहीं दिय जाते हैं वरन् विशेष कार्यों के लिए दिय जाते हैं—जैसे युद्ध संचालन अकादमीयों की सहायता के लिए स्कूल खोलने के लिए, अस्पताल बनवाने के लिए इत्यादि। यह उपहार स्वेच्छा से दिय जाते हैं और व्यक्तियों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता। परन्तु युद्ध तथा अन्य राष्ट्रीय आपत्ति म इनम दबाव का श्रेय विद्यमान होता है, चाहे ऊपर से देखने में यही मानूम हा कि उपहार देने वाला अपनी इच्छा से दान या उपहार दे रहा है। आधुनिक काल म इसका कोई भी महत्व नहीं है।

अनुदान एक सरकार को दूसरी सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता होती है। अनुदान देश की मुख्य सरकार आधीन या द्वितीय सरकार को भी दिये जाते हैं। इनका महत्व अधिकतर संधीय सन्धिमान वाले देशों म अधिक है। अधिकांश देशों में यह स्थानीय सरकारों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आजकल अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र म ऐसे अनुदानों का महत्व बहुत अधिक हो गया है। अधिकतर उन्नत देश अनुदान या कम विकसित देशों को अनुदानों के रूप म आर्थिक सहायता देते हैं। यह भौतिक सहायता, विकास सहायता, या अन्य रूपों में भी दी जाती है।

अब हम कुछ अन्य लेखकों के मतों का अध्ययन करेंगे।

राजकीय आय का वर्गीकरण—

राजकीय आय का वर्गीकरण भिन्न भिन्न प्रकार से किया गया है। हर स्लेटक ने अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाया है। सबसे सरल वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है —



प्रो० सेलिगमैन ने राजकीय आय को निम्न भागों में बाटा है —

(अ) स्वयं इच्छा से दी गई आय (Gratuitous Revenue) जैसे उपहार, चन्दे इत्यादि।

(ब) प्रसवदिक आय (Contractual Revenue) जैसे भूमि, सम्पत्ति के किरायों की आय, व्यापार तथा उद्योगों के मुनाफों की आय अर्थात् रेल, डाक व तार, टेलीफोन, नहरें, बिजली घर, लोहे, कपड़े आदि के कारखाने, आदि के मूल्य एवं मुनाफे।

(स) अनिवार्य आय (Compulsory Revenue) जैसे जुमनि तथा दण्ड से, शीस, विशेष निर्धारण से प्राप्त आय।


बैस्टेबिल ने राजकीय आय के दो भाग किये हैं¹³—

(क) वह आय जो राज्य को एक बड़ा प्रमण्डल होने के नाते तथा जनता को वस्तुएं अथवा सेवाएँ उपलब्ध करने के कारण प्राप्त होनी हैं। इसके अतिरिक्त जब राज्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है और इस कार्य से उसे जो आय प्राप्त होती है वह भी इसी के अन्तर्गत सम्मिलित है।

(ख) वह आय "जो राज्य अपनी सत्ता के कारण समाज की आय में से ले लेता है।"

एडम्स ने राजकीय आय को निम्न प्रकार विभाजित किया है —

राजकीय आय



राजकीय आय के स्रोतों का वर्णन करते हुये डाल्टन ने निम्न वर्गों में राजकीय आय को विभाजित किया है —

(१) कर । (२) उपहार तथा हजनि (tribute and indemnity), जो युद्ध या अन्य कारणों से उत्पन्न होने हैं । (३) बलात्-ऋण (forced loans) जैसे कि प्राचीनकाल में राजा जनता पर दबाव डाल कर लेते थे । (४) न्यायालयों द्वारा लगाये हुये दण्ड । (५) सार्वजनिक सम्पत्ति, जैसे खेतों, मकानों आदि से प्राप्त आय । (६) राजकीय उद्योगों से प्राप्त आय । (७) फीस तथा अन्य भुगतान जो उन सेवाओं के लिये दिये जाते हैं जो सरकार केवल व्यवसायिक दृष्टिकोण से ही नहीं करती बरन् जिनका सम्पन्न करना उसके लिये, एक प्रशासक के नाते आवश्यक होता है । (८) स्वेच्छा से दिये गये राजकीय ऋणों से प्राप्त आय । (९) ऐसे उपक्रमों की आय, जिनमें सरकार अपनी एकाधिकारी शक्ति का प्रयोग करके मूल्यों को स्पर्धा-स्तर से ऊँचा रखती है, जैसे भादक पेशों या वस्तुओं का उत्पादन एवं विक्रय, विद्युत शक्ति, एवं अणुशक्ति का उत्पादन एवं वितरण । (१०) विशेष निर्धारणों से प्राप्त आय । (११) छापेखानों का मुनाफा जबकि इनका उपयोग सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिये पत्र मुद्रा छापने के लिये किया जाता है । (१२) अपनी इच्छा से दिये गये नजराने (Voluntary gifts)

ऊपर हमने विभिन्न लेखकों द्वारा प्रस्तुत किये गये राजकीय आय के स्रोतों का अध्ययन किया, परन्तु सबहों ने अधिकतर उन्हीं मुख्य स्रोतों का उपविभाजन कर दिया है, जिनका वर्णन हमने आरम्भ में किया था, अर्थात् जो टेलर ने प्रस्तुत किया है । हमने यह भी देखा कि इन सब ही स्रोतों में कर का प्रमुख स्थान है । हम कर सम्बन्धी अन्य बातों का अध्ययन अगले अध्यायों में करेंगे ।

करारोपण के उद्देश्य—

पिछले अध्याय में हमने यह देखा कि राज्य की आय के स्रोतों में से करों का प्रमुख स्थान है। राज्य करारोपण केवल आय प्राप्त करने के उद्देश्य से ही नहीं करता बल्कि उसके और भी अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। करारोपण के निम्न तीन उद्देश्य होते हैं—

(अ) धन एकत्रित करना—इसमें तो किसी को भी सन्देह नहीं होगा कि प्राचीन काल में कर मुख्यतया राजकीय कार्यों के लिये धन एकत्रित करने के उद्देश्य से लगाये जाते थे। अतः कर लगाते समय इस बात की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था कि लगाये गये कर से कितनी आय राजकीय सज्जाने में आती है। सरकार केवल उसी कर को लगाती थी जिससे अधिक आय प्राप्त होने की आशा होती थी। परन्तु आधुनिक काल में करारोपण रीतियाँ अधिक वैज्ञानिक हो गई हैं। सरकार कर विशेष लगाने से पहले उसके आर्थिक और नैतिक प्रभावों का अध्ययन करती है तत्पश्चात् कर लगाने का निश्चय करती है।

(ब) नियन्त्रण करना—कर लगाने का दूसरा उद्देश्य नियन्त्रण एवं निषेध करना है। करों द्वारा लाभो, उपभोग, आयात, निर्यात आदि को नियन्त्रित किया जा सकता है। यदि सरकार तम्बाकू का उपभोग कम करना चाहती है तो वह तम्बाकू पर उत्पादन कर लगा देगी और यदि आयातों को कम करना चाहती है तो आयात की वस्तुओं पर आयात कर लगा कर उनके मूल्यों की वृद्धि करके उनको निरस्तार्हित कर सकती है। यह याद रहे कि नियन्त्रण के हेतु जो कर लगाये जाते हैं उनका मुख्य उद्देश्य नियन्त्रण करना ही होता है, आय प्राप्त करना नहीं। यदि सरकार को इन करों से कुछ आय प्राप्त होती है तो ठीक है बल्कि सरकार के प्राथमिक उद्देश्य की पूर्ति तो हो ही जाती है।

(स) आय का वितरण समान करना—आजकल सरकार का किसी भी कर को लगाने में आय प्राप्ति के अतिरिक्त यह भी उद्देश्य रहता है कि देश में आय की असमानताएँ दूर हो जाएँ। कर लगाने से व्यक्तियों की आय का एक भाग सरकारी खजाने में चला जाता है। उनकी त्रय शक्ति कम हो जाने से उनके उपभोग

तथा विनियोग की रूप रेखा ही बदल जाती है। इसीलिये समृद्धिकाल में सरकार करो की दरों में वृद्धि कर देनी है और नये कर लगाती है। इसके विपरीत अवसाद काल में करो को कम कर देती है।

करारोपण के सिद्धान्त—

इन उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु प्रत्येक सरकार देस में करारोपण करती है। करारोपण, जैसा कि हम अभी कह चुके हैं, आगजल प्रमवद्ध और वृत्तान्तिक हो गया है। इसीलिये कुछ सामान्य सिद्धान्तों की रचना हुई है। कोई कर उचित है या नहीं इसको इन्हीं सिद्धान्तों की कमीटी पर कतके देखा जा सकता है।

प्रथम चार सिद्धान्त एडम स्मिथ द्वारा प्रस्तुत किये गये—

एडम स्मिथ के सिद्धान्त—

✓ (१) समानता (Equality)—स्मिथ का कहना था कि "हर राज की प्रजा को सरकार के पालन पापण के लिये, जहाँ तक सम्भव हो अपना अंशदान, अपनी अपनी योग्यताओं के अनुपात में देना चाहिये, अर्थात् उन आय के अनुपात में जिसका आनन्द के राज्य की सुरक्षता में प्राप्त करने हैं।" यद्यपि यह सर्वसे अधिक स्वीकृत सिद्धान्त है, फिर भी इनको व्यवहारिक रूप देना सरल नहीं है। स्मिथ के यह शब्द 'उन आय के अनुपात में जिनका आनन्द के राज्य की सुरक्षता में प्राप्त करने हैं' और 'अपनी अपनी योग्यताओं के अनुपात में' इस बात की ओर सूचित करते हैं कि हर व्यक्ति को अपने धन के अनुपात में कर देना चाहिये, अर्थात् धनी व्यक्तियों को निचनों की अपेक्षा अधिक कर देना चाहिये। आगे चलकर स्मिथ ने इनको स्पष्ट करते हुये कहा है कि धनी व्यक्तियों को 'अनुपात में अधिक' देना चाहिये। एडम स्मिथ और चंपमैन दोनों ही समानता को करारोपण का सही सिद्धान्त मानते हैं। मैलिगन और कोहन इन भी सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं और इनसे उनका अभिप्राय प्रगतिशील (Progressive) करारोपण से है, परन्तु दूसरी ओर बाबर तथा अन्य प्राचीन अर्थशास्त्रियों का यह विचार है कि समानता का अर्थ अनुपातिक (Proportional) करारोपण से है। कुछ भी हो, इस सिद्धान्त को सभी स्वीकार करते हैं।

✓ (२) निश्चितता (Certainty)—स्मिथ के अनुसार करारोपण का दूसरा सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक कर की राशि, भुगतान का समय और भुगतान की विधि सब ही कुछ निश्चित हो और करदाता को स्पष्ट हो। एडम स्मिथ के शब्दों में "हर व्यक्ति को जो कर देना है, निश्चित होना चाहिये, मनुमाना नहीं।" भुगतान का समय, भुगतान की विधि, भुगतान की जाने वाली राशि, करदाता तथा हर दूसरे व्यक्ति को स्पष्ट और साधारण होना चाहिए करारोपण में इस बात की निश्चितता कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या देना चाहिए इतने अधिक महत्व की है कि अतमानता का एक बहुत बड़ा अंश, सभी राष्ट्रों के अनुभव से प्रतीत है,

मुझे विश्वास है, इतनी बड़ी बुराई नहीं है जितनी कि अनिश्चितता का एक बहुत छोटा अंश है।² हेडले ने भी इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है। वास्तव में कर की निश्चितता करदाता और राज्य दोनों ही के लिए लाभप्रद होती है। करदाता अपने बजट के बारे में निश्चित रहता है और उसको कर भुगतान व्यय कम होता जाता है। इसी प्रकार राज्य अपने बजट के बारे में निश्चित रहता है और उसको कर एकत्रित करने का व्यय भी कम होता जाता है। इन सब बातों का परिणाम यह होता है कि आर्थिक वसावण बढ़ता जाता है।

(३) सुविधा (Convenience)—एडम स्मिथ के अनुसार करारोपण का तीसरा सिद्धान्त 'सुविधा' है। उनके कथनानुसार, प्रत्येक कर ऐसे समय पर या इस ढंग में लगाया जाए, कि करदाता को भुगतान करने के लिए अत्यधिक सुविधाजनक हो।³ हमारे देश में कर का भुगतान करने की विधि या समय ऐसे होनी चाहिए कि कर देना वाता को कम से कम असुविधा हो। यदि कर ऐसे ढंग से या ऐसे समय एकत्रित किया जाता है कि करदाता को भुगतान करने में कठिनाई होती है तो वह कम से कम कर का भार को भी बहुत अधिक महसूस करेगा। इसी कारण कर को उभी समय पर वसूल किया जाये जबकि उसे प्राप्त होती हो।

(४) मितव्ययिता (Economy)—एडम स्मिथ द्वारा दिये गए करारोपण के सिद्धान्त में मितव्ययिता का अन्तिम स्थान है। उनके अनुसार, "प्रत्येक कर की रचना इस प्रकार की जाए कि जो भी राजकीय खजाने को प्राप्त हो उसके अतिरिक्त, व्यक्तियों की जेबा से कम से कम निकले।"⁴ स्मिथ का आशय यह है कि कर वसूल करने का व्यय कम से कम हो। यदि कर एकत्रित करने में बहुत अधिक व्यय होता है तो अर्थव्यवस्था पर जितना कर भार पड़ता है उतने अनुपात में राज्य को आय प्राप्त नहीं होगी। स्मिथ के अनुसार कर एकत्रित करने में अपव्ययिता के चार कारण हो सकते हैं—प्रथम, कर को एकत्रित करने में इतने अधिक व्यक्तियों को नीचे रखना जाए कि कर की राशि का अधिकांश भाग उन्हीं के वेतनों पर खर्च हो जाए। दूसरा, कर व्यक्तियों को ऐसे व्यवसायों में विनियोग करने के लिए प्रोत्साहित करे जिनमें बड़ी मात्रा में व्यक्तियों की रोजगार मिलता हो। तीसरा, कर की चोरी करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माने लगाने या उनकी सम्पत्ति जब्त कर जाने से, वे नष्ट हो सकते हैं और उनकी पूंजी के उपयोग से समाज को जो लाभ होते वे भी समाप्त हो जाते हैं। अन्त में, पर अधिकारियों के बार-बार चक्कर काटने से और पृथक्ता करने से करदाताओं की बहुत परेशानी होती है, जो एक प्रकार का व्यय ही समझना चाहिए। हॉबसन, बिकस्टीड, वीगनर और रोबर्ट जॉन्स भी मितव्ययिता को करारोपण का उचित सिद्धान्त मानते हैं।

करारोपण के अन्य सिद्धान्त—एडम स्मिथ के परन्तु अन्य अर्थशास्त्रियों

2 Ibid, Page 307 308

3 Ibid, Page, 308

4 Ibid, Page, 308

ने करारोपण के अन्य सिद्धान्तों का विश्लेषण और किया है। ये सिद्धान्त निम्न प्रकार हैं—

(१) उत्पादकता (Productivity)—यह भी करारोपण का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। किसी भी कर के उत्पादक होने का आशय यह है कि राज्य को कर से खूब आय प्राप्त होती रहे। उत्पादकता, वर्तमान और भविष्य दोनों दृष्टिकोणों से होनी चाहिये, अर्थात् वर्तमान की आय के अतिरिक्त भविष्य में भी आय का प्रवाह जारी रहे। इस सिद्धान्त को वैस्टेबिलिटी से प्रतिपादित किया था। कोई भी कर उत्पादक उन्नी समय समझा जायेगा जबकि उसको वसूल करने के ऊपर राज्य को खूब आय प्राप्त हो अर्थात् कर से वसूली अधिक हो और खर्चा कम हो। इसीलिये अनेकों छोटे-छोटे करों की अपेक्षा एक बड़ा कर अधिक अच्छा समझा जाता है। परन्तु क्या यह आवश्यक है कि जो कर राज्य को पर्याप्त आय दे वह अच्छा ही हो? वास्तव में सदैव ऐसा नहीं होता। यदि कर भार करदाताओं की उत्पादन शक्ति को नष्ट कर देता है, उनके उपभोग का स्तर गिर जाता है और काम करने व वचन करने की शक्ति पर उलटा प्रभाव पड़ता है तब ऐसे कर को उत्पादक नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा कर वर्तमान में तो उत्पादक होता है परन्तु भविष्य में इसकी उत्पादकता कम होती जायेगी। इस प्रकार यदि ध्यान से देखा जाय तो यह सिद्धान्त, मितव्ययिता के सिद्धान्त की ही भांति है। रोबर्ट जोन्स ने इस सिद्धान्त पर वैस्टेबिलिटी का बड़ा मन्त्रांक उढाया है। उसके अनुसार यह एक बेकार तथ्य है।

(२) लोच (Elasticity)—समाज की हर प्रगति के साथ-साथ राजकीय व्यय भी बढ़ता जाता है। अतः बढ़ते हुए व्यय की पूर्ति करने के लिये राज्य की कर प्रणाली भी ऐसी होनी चाहिये कि आय में आवश्यकतानुसार उसमें वृद्धि की जा सके। कर प्रणाली की लोच का अभिप्राय यह ही है कि करों से प्राप्त होने वाली आय को परिस्थितियों के अनुसार बढ़ाया और घटाया जा सके। यदि कर प्रणाली में लोच का अभाव है तो सरकार को सदैव ही मकड़ों का सामना करना होगा। साथ ही इस सिद्धान्त के पूर्णतया अनुकूल है।

(३) विविधता (Diversity)—कर प्रणाली में हर प्रकार का कर होना चाहिये अर्थात् प्रणाली इतनी बड़ी हो और उसमें इतनी प्रकार के कर हो, जिससे हर व्यक्ति से अज्ञान प्राप्त किया जा सके। परन्तु विविधता का अभिप्राय यदि करों की सख्या को बढ़ाते जाना है तो यह सिद्धान्त मितव्ययिता और उत्पादकता के सिद्धान्तों के विरुद्ध प्रभाव डालेगा, क्योंकि अधिक करों से कर प्रणाली में अपव्ययिता बढ़ती जायेगी। इस प्रकार विविधता का प्रयोग केवल निश्चिन्त सीमाओं के अन्तर्गत ही होना चाहिये।

(४) सरलता (Simplicity)—कर प्रणाली सरल होनी चाहिये अर्थात् कर प्रणाली में ऐसे कर हो जिनके निर्धारण सम्बन्धी उद्देश्यों तथा उनके प्रभावों को समझने में कठिनाई न हो और उनकी दरों तथा एकत्रित करने की मशीनरी को भी समझा जा सके। सरलता के अभाव में न तो करदाता सरकार से सन्तुष्ट हो

रहने और न कर ही पूरी मात्रा में वसूल हो पायगा।

एक अच्छी कर प्रणाली के गुण—एक अच्छी कर प्रणाली में, सुमानता, निश्चितता, सुविधा, मितव्ययिता उत्पादनता, लोच विविधता और सरलता होनी चाहिए। हम ऊपर इनकी विवेचना कर ही चुके हैं। परन्तु कुछ लेखका का कहना है कि इनके अतिरिक्त एक अच्छी कर प्रणाली में कुछ और भी गुण होने चाहिये। डॉ. सिंसे फिले शिराज ने कहा है कि लचक (Flexibility) और पर्याप्तता (Sufficiency) भी एक अच्छी कर प्रणाली के आवश्यक गुण हैं। शिराज का अभिप्राय लचक से यह है कि कर प्रणाली इस प्रकार की हो कि बिना किसी उधल-पुधल के एक नए कर को प्रणाली में बढ़ाया जा सके और पुराने कर को निकाला जा सके। हम ऊपर लोच के सिद्धान्त की विवेचना कर ही चुके हैं वास्तव में लचक और लोच के सिद्धान्त में कोई विशेष भेद नहीं है। जहाँ तक पर्याप्तता का प्रश्न है वह बड़ा ही अस्पष्ट गुण है क्योंकि पर्याप्तता का सम्बन्ध आवश्यकताओं से है। दूसरे शब्दों में भाव पर्याप्त है कि नहीं, इस बात पर निश्चित करता है कि राज्य की आवश्यकताएँ कितनी हैं। राज्य का वायक्षत्र पिछले वर्षों में निरन्तर बढ़ता ही रहा है। जो आय पिछले वर्ष पर्याप्त थी वह आवश्यक नहीं है कि इस वर्ष भी पर्याप्त हो क्योंकि राज्य के कार्यों में वृद्धि होना स्वाभाविक ही है। मूल्यों की वृद्धि आजकाल के आर्थिक जगत की एक साधारण घटना है। मूल्यों का वृद्धि से आवश्यकताएँ समान रहते हुए भी राजकीय व्यय में वृद्धि हो सकती है और पिछले वर्ष की पर्याप्त आय इस वर्ष अपर्याप्त हो सकती है। इसलिए पर्याप्तता एक निर्पेक्ष शब्द नहीं है। इसका सम्बन्ध अन्य परिस्थितियों से है। इसलिए जब तक उन परिस्थितियों का उन्लेख न किया जाय, तब तक यह गुण बकार है।

मिटी और कोनाड (Nitty and Conard) का विचार है कि एकरूपता (Uniformity) या सामान्यता (generality) करारण का सही सिद्धान्त है इसलिए एक अच्छी कर प्रणाली में जितने भी कर हों उन सभी में एकरूपता होनी चाहिए। एकरूपता का अभिप्राय यह है कि सभी वर्गों के लगान की विधि समान हो और उन सभी की दूरों का निर्धारण सामान्य उद्देश्यों से किया जाय। यह वांछनीय है कि कर प्रणाली में सामान्यता का गुण हो क्योंकि कर प्रणाली अधिक साधारण हो जाती है और अधिक हिसाब किताब की जटिलताएँ भी समाप्त हो जाती हैं।

इस प्रकार एक अच्छी कर प्रणाली में उपर्युक्त गुण होने चाहिए। अब हम विभिन्न प्रकार की कर प्रणालियों का एक नए की विवेचना करेंगे—

— एक तथा बहु कर प्रणाली

(Single and Multiple Tax System) —

प्राचीन समय से ही इस विषय पर बड़ा वाद विवाद चला आ रहा है कि किसी देश की कर प्रणाली में केवल एक ही कर हो या अनेक कर हो? निर्वाच-

चादियों (Physiocrats) विशेषकर क्वेसने (Quesney) और तुर्गो (Turgot) का यह विचार था कि एक कर प्रणाली सर्वोत्तम होती है और इसी लिए वे केवल भूमि पर ही कर लगाने के पक्ष में थे। उनका विचार था कि सरकार को न्याय के किसी सिद्धान्त के आधार पर केवल एक ही वस्तु पर कर लगाना चाहिये। उनके अनुसार भूमि ही उत्पत्ति का एक मात्र साधन था, जिगकी अतिरिक्त (Surplus) उत्पत्ति से आय प्राप्त होती है और उसे लगान कहते हैं। इन लोगों का मत था कि क्योंकि सभी प्रकार के करो का भार अन्त में लगान ही पर पड़ता इसलिए केवल लगान पर ही कर लगाना चाहिए। ऐसा करने से बहुत सी कठिनाइयाँ और गलत-फहमी दूर हो जायेगी। इसी प्रकार रिकाडो आदि लेखक लगान को बिना कमाई हुई आय (unearned income) मानकर केवल उमी पर कर लगाने का सुझाव देते थे। अमेरिकी लेखक हेनरी जार्ज (Henry George) ने लगान पर कर लगाने का प्रस्ताव एक और कारण से भी दिया था वह यह कि लगान पर कर लगाने से उद्योग भी हतोत्साहित नहीं होंगे। एक कर प्रणाली का पक्षपात करने वालों का विचार था कि ऐसी नीति जे समार म सम्पत्ति वा न्यायपूर्ण वितरण किया जा सकता है।

✓ केवल भूमि पर ही कर—परन्तु इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि केवल भूमि पर कर लगाने में एक तो आजकल सरकार के कार्यों में इतनी अधिक वृद्धि हो गई है कि केवल भूमि पर कर लगाने से इतनी आय प्राप्त नहीं हो सकती कि सारे कार्यों को वह सम्पन्न कर सके। दूसरे, यह न्याय-पूर्ण भी नहीं है, क्योंकि यह कर करदान शोथता सिद्धान्त के विरुद्ध है। एक तो छोटी छोटी भूमि पर लेती करने वालों पर कर लगेगा जबकि लखपति और करोड़पति व्यापारी कर में विमुक्त रहेंगे, परिणामस्वरूप भूमि के मालिक अपनी भूमि बेच बेचकर अन्य सम्पत्ति खरीदते जायेंगे और एक स्थिति ऐंगी आयेगी जबकि भूमि पर लगान प्राप्त होना बन्द हो जाएगा। तीसरे, यह कर लोचपूर्ण भी नहीं है। सरकार के खर्चों में वृद्धि के साथ साथ दर में वृद्धि नहीं की जा सकती। चौथे, यह निर्णय करना भी कठिन है कि भूमि में प्राप्त आय में से कितनी बिना कमाई हुई है और कितनी कुपक की दूरवधिता, परिश्रम और जोखिम के कारण प्राप्त हुई है। पाँचवें, इस प्रणाली में बहुत सी शासन सम्बन्धी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे मूल्य गिरने के साथ साथ या बढ़ने के साथ साथ कर की दरों में परिवर्तन करना, हिसाब कित्ताव रखना, पसलों के ठप्प हो जाने पर कर वसूल करने की समस्या। अन्त में यह कर अनिश्चित भी है क्योंकि सरकार को कभी यह निश्चित ही नहीं हो पायेगा कि उसकी आय कितनी है। कृपि स्वयं एक अनिश्चित व्यवसाय है, इसलिए उसकी आय भी अनिश्चित रहती है। इस प्रकार यह कर हर दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

✓ केवल आय पर ही कर—समाजवादी विचारों की प्रगति के साथ साथ कुछ समाजवादियों का यह विश्वास है कि केवल आय पर ही कर लगाना चाहिये। क्योंकि एक तो सरकार को बड़ी मात्रा में आय प्राप्त हो सकेगी, दूसरे, विभिन्न प्रकार की

प्रगतिशील (Progressive), प्रतिगामी (Regressive) और अधोगामी (Degressive)। अब हम इनमें से प्रत्यक्ष की विवेचना निम्न पृष्ठों में करेंगे।

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर (Direct and Indirect Taxes) — प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों का वर्गीकरण तो साधारण सी बात है परन्तु इन दोनों करों में भेद करने के सम्बन्ध में इतने मत हैं कि किसी एक को स्वीकार करना और दूसरे को स्वीकार न करना सरल कार्य नहीं है। प्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो पूर्णतः उसी व्यक्ति द्वारा चुकाए जाते हैं, जिस पर वे लगाये जाते हैं, अर्थात् वह कर का भार (Incidence) किसी दूसरे पर नहीं टाल सकता। इस प्रकार कर का भुगतान करने का दायित्व (Impact) एवं भार दोनों उसी व्यक्ति पर पड़ते हैं, जो आरम्भ में कर को चुकाता है। ऐसे कर के भार को दूसरे पर टाला नहीं जा सकता। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष करों में कर ऐसे व्यक्ति पर लगाया जाता है जो उनके भार को किसी दूसरे पर टाल सकता है। अतः कर के भुगतान करने का दायित्व उस व्यक्ति के ऊपर है जिसके ऊपर कर लगाया गया है, परन्तु क्योंकि वह कर की राशि किसी दूसरे व्यक्ति से वसूल कर लेता है इसलिए कर का अन्तिम भार दूसरे के ऊपर पड़ता है। अतः करदाता, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में कर के अनुसार वृद्धि करके कर के भार को उपभोक्ताओं पर टाल देता है। वस्तुओं और सेवाओं पर लगाये गये कर अप्रत्यक्ष कर होते हैं।

कुछ लेखकों ने प्रशासन सम्बन्धी मामलों को ध्यान में रख कर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में भेद किया है। इनमें से कुछ के अनुसार प्रत्यक्ष कर वह है जो व्यक्तियों की आय पर उस समय भार डालता है जब कि उत्पादन हो रहा होता है और अप्रत्यक्ष कर व्यक्तियों के निजी उपभोग एवं सम्पत्ति के हस्तान्तरण के समय भार डालते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्यक्ष करों में उत्पत्ति के समय होने वाली आय पर कर लगता है और अप्रत्यक्ष कर उपभोग के समय व्यय किन्ने वाले धन पर लगते हैं। परन्तु कुछ कर ऐसे होते हैं जिनका भुगतान न तो उत्पादन के समय किया जाता है और न उपभोग के समय, तो इस परिभाषा के अनुसार, ऐसे कर कहीं भी नहीं रखे जा सकते—न तो प्रत्यक्ष करों में और न अप्रत्यक्ष करों में ही। अतः इस परिभाषा का दोष स्पष्ट ही है। दूसरे लेखकों के अनुसार “प्रत्यक्ष कर वे हैं जो उन सूचियों के अनुसार एकत्र किए जाते हैं जिनमें करदाताओं के नाम होते हैं और जो निश्चित समय के अवकाश के बाद बार-बार उत्पन्न होते हैं।” जबकि अप्रत्यक्ष कर वे हैं जो “कुछ निश्चित कार्यों के अवसर पर एकत्र किए जाते हैं जो निश्चित समय की अवधि के बाद बार-बार उत्पन्न नहीं होते और जो उस विधि के अनुसार नहीं एकत्र किए जाते, जिनमें नाम की सूचियों की आवश्यकता होती है।”⁵

बैस्टेबिल के अनुसार प्रत्यक्ष कर वे कर हैं “जो स्थायी तथा बार-बार उत्पन्न

होने वाले अवसरा पर लगते हैं और अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो कभी-कभी उत्पन्न होने वाले विशेष अवसरा पर लगाये जाते हैं।^१ परन्तु यह परिभाषा पूर्णतः असम्पष्ट है क्योंकि इसका साधारण ही स्पष्ट नहीं है अर्थात् वैस्टेबिल बार-बार उत्पन्न होने वाले और विशेष अवसरा से क्या समझत है स्पष्ट नहीं है।

कुछ लेखकों के अनुसार प्रत्यक्ष कर वह है जो उद्योग व्यक्ति पर लगाया जाता है, जिससे सरकार को इरादा कर वसूल करने का होता है या जिस व्यक्ति से चाहती है कि वह ही कर का भुगतान करे, और अप्रत्यक्ष कर वह है जब सरकार का इरादा यह हो कि पहला भुगतान करने वाला व्यक्ति कर की राशि को अक्षत या पूर्णतः निम्नो दूसरे व्यक्ति पर टाल दे। मूल का भी यही विचार है।^२ इस परिभाषा में भी पिछली परिभाषाओं की भाँति असम्पष्टता का दोष है। साथ ही साथ, यह भी कोई आवश्यक नहीं कि व्यक्तियों पर कर भार सरकार के इरादे या इच्छा के अनुसार ही पड़े। व्यवहार में यह भी देखा गया है कि सरकार के न चाहते हुए भी कर भार दूसरा पर टाल दिया जाता है और सरकार के चाहते हुए भी कर भार दूसरा पर टाला नहीं जा सकता। इस प्रकार की परिभाषा भी उपयुक्त नहीं है।

प्रो० डि० मार्को का विचार है कि प्रत्यक्ष कर वे होते हैं जो उस समय लगाये जाते हैं, जब कि व्यक्ति की आय का प्रत्यक्ष अनुमान लगाया जा सकता है और अप्रत्यक्ष कर वे होते हैं जो उस समय लगाये जाते हैं, जब कि व्यक्ति की आय का प्रत्यक्ष अनुमान सम्भव नहीं होता। उनका कहना है कि कुछ मौकों पर तो व्यक्ति की आय को सीधे ही पता लगाया जा सकता है और इन आयों को प्रत्यक्ष रूप से कर के क्षेत्र में लाया जा सकता है। परन्तु कभी कभी ऐसा होता है कि प्रत्यक्ष कर द्वारा आय पूरा रूप में कर के क्षेत्र में नहीं आ पाती अर्थात् कर की चोरी हो जाती है या आय का प्रत्यक्ष अनुमान सम्भव नहीं होता, इसलिये उस बची हुई आय को भी कर के क्षेत्र में लाने के लिये अप्रत्यक्ष कर लगाये जाते हैं।^३ परन्तु यह विचार भी उचित नहीं है क्योंकि सरकार के लिये यह सरल नहीं कि वह कर की चोरी को रोक सके। प्रत्येक कानून में ही कुछ न कुछ कमी अवश्य रहती है और वेदमानी करने वाले उसी कमी का लाभ उठाते हैं। सरकार कर की चोरी को रोकने के इरादे से कभी भी अप्रत्यक्ष कर नहीं लगाती है। यह विचार भी सतोष जनक नहीं है।

प्रो० शिराज के अनुसार प्रत्यक्ष कर वे हैं जो, 'सीधे ही व्यक्तियों की सम्पत्ति और आय पर लगाये जाते हैं और जिनका भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा सरकार को सीधा ही होता है। इस प्रकार, आय एवं सम्पत्ति कर मूल्य कर, व्यक्ति कर (Toll tax) और उद्योग कर जो सीधे सरकार को दिये जाते हैं प्रत्यक्ष कर के समूह के अन्तर्गत हैं, जब कि और सब कर अप्रत्यक्ष कर के समूह में रखे

6 Public Finance, Page 291

7 J S Mill Principles of Economics, Book V Ch 3

8 Op cit, Page 131

जायेंगे, अर्थात्, जो व्यक्ति की आय और सम्पत्ति तक उनके कार्यों तथा भोग द्वारा और वस्तुओं के उपभोग द्वारा भी पहुँचते हैं व्यवसाय पर कर, मनोरंजन पर कर, बिक्री कर इत्यादि ।^{१०} इस परिभाषा में भी वही कठिनाई है जो पिछली परिभाषाओं में थी । एक तो उपभोग करो वगैरों ही करो में सम्मिलित किया गया है । सभी उपभोग कर अप्रत्यक्ष कर होते हुये भी प्रत्यक्ष हो जाते हैं । इनके अतिरिक्त इस परिभाषा में केवल भुगतान करने की विधि के अनुसार ही प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करो में भेद किया गया है, जो अवास्तविक है (क्योंकि प्रत्येक कर का भुगतान सीधे सरकार को ही होता है इसलिए प्रत्येक कर प्रत्यक्ष कर है) । कर भार की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है ।

वास्तव में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष करो के बीच भेद करना सरल नहीं है । उपर्युक्त विवरण से तो यह पूर्णतः स्पष्ट हो ही गया है । हमारे विचार में पहली परिभाषा ही सब से उपयुक्त है । एक तो वह व्यवहारिक है और दूसरे कर भार के आधार पर दोनों करो में भेद करना सरल भी है और नैदानिक भी क्योंकि इसी बात का ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण है कि कर का भार किस व्यक्ति पर पड़ता है, अपेक्षाकृत अन्य बातों के ।

प्रत्यक्ष करो के गुण—प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करो के तुलनात्मक महत्व का ज्ञान करने के लिए यह आवश्यक है कि इन दोनों के गुणों तथा अवगुणों की विवेचना पहले की जाये । प्रत्यक्ष करो के गुण निम्न प्रकार हैं—

(१) प्रत्यक्ष कर कर-दान योग्यता के अनुकूल होते हैं, क्योंकि इनको प्रगतिशील बनाया जा सकता है । अर्थात् इन को इस प्रकार लगाया जा सकता है कि कर का भार घनी व्यक्तियों पर अधिक पड़े और निर्धन व्यक्तियों पर कम पड़े । (२) ये कर भित्तव्य भी होते हैं, क्योंकि इनको इकट्ठा करने का व्यय बहुत कम होता है । बात यह है कि इन करो में अधिकार घन ती स्रोत पर ही इकट्ठा कर लिया जाता है । (३) ये कर निश्चित होते हैं । (४) ये कर उत्पादक भी हैं, क्योंकि देन की आर्थिक उन्नति के साथ-साथ इन करो में स्वयं वृद्धि होती जाती है । (५) ये कर लोचदार भी होते हैं, क्योंकि इनकी दर, आवश्यकतानुसार बढ़ाई-पटाई जा सकती है । (६) अन्त में व्यक्तियों में जागृति तथा नागरिकता की भावना उत्पन्न होती है । क्योंकि हर व्यक्ति को यह पता रहता है कि वह सरकार के खजाने में कितना धन दे रहा है, इस कारण वह अपने अधिकारों को प्राप्त करने की तथा नर्सरियों को ममभने की चेष्टा करता है ।

प्रत्यक्ष करो के दोष—प्रत्यक्ष करो में निम्न दोष बताये जाते हैं—

(१) प्रत्यक्ष कर अनुविधाजनक होते हैं । कर दाताओं को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे, हिंसाव-विताव का पूरा व्यापार करना, उसका निरीक्षण करना, बार-बार कर दफ्तरों को जाना जाना इत्यादि । इसके अतिरिक्त कर के भुगतान करने में भी कठिनाई होती है, क्योंकि आय तो थोड़ी-

थोड़ी प्राप्त होती है परन्तु कर राशि का भुगतान एक दम करना होता है। (२) ऐसे करा म चोरी की सम्भावना बहुत अधिक होती है। वास्तव में यह कर व्यक्ति की ईमानदारी पर लगाया जाता है। परन्तु वास्तविक जीवन म बड़ी बेईमानी होती है और व्यापारी लोग झूठे बहीखात बनाकर कर की चोरी कर लेते हैं। (३) ऐसे करा म करा की दर का निर्धारण पूर्णतः कर अधिकारी की इच्छानुसार होता है अर्थात् कर की दर मनमान ढंग पर निर्धारित की जाती है। (४) अन्त म कुछ लोगो के अनुसार ये कर स्वयंपूण भा होत ह बचावि कर अफमरा पो व्यक्तिगत रूप से प्रत्यक व्यक्ति के पास जाना पडता है।

अप्रत्यक्ष करों के गुण—अप्रत्यक्ष करा के गुण निम्नांकित ह—

(१) ये कर न्यायपूर्ण होने हैं क्योंकि यह निधन तथा धनी, सभी प्रकार के व्यक्तियों पर ही लगाये जाते हैं और अपनी अपनी स्थिति अनुसार सभी इसका भुगतान करते हैं। यह कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाय जात हैं, जिनको सभी व्यक्ति अपनी अपनी हैसियत के अनुसार खरीदते हैं और कर का भुगतान करते हैं। इस दृष्टि से तो ये कर अनुपातिक ह्य परन्तु इनको प्रगतिशील भी बनाया जा सकता है यदि विलास की वस्तुओं पर अधिक ऊँचा कर लगाया जाय, और दूसरी वस्तुओं पर कम कर लगाया जाये। (२) इन करा से देश का कर आधार बहुत ही विस्तृत हो जाता है। (३) ये कर सुविधापूर्ण होने ह। वास्तव म कर दाता को यह ज्ञान भी नहीं होता कि वह कर का भुगतान कर रहा है क्योंकि कर वस्तुओं के मूल्य म ही मिला होता है। उपभोक्ता तो यह समझता है कि वह वस्तु के मूल्य दे रहा है परन्तु वह उसके साथ साथ कर भी देता रहता है। (४) इस प्रकार के करों की चोरी करना सरल नहीं होता क्योंकि कर दाता कर का भुगतान वस्तु के मूल्य के साथ साथ कर देता है। (५) इन करा को लोचपूर्ण भी बनाया जा सकता है क्योंकि आवश्यक वस्तुओं पर तनिकसा कर भी लग जाने पर बहुत आय प्राप्त हो जाती है। कुछ लोगों के अनुसार ऐसा करने से कर की न्यायशीलता कम हो जायगी क्योंकि आवश्यक वस्तुओं पर कर लगाने से कर का भार निर्धन पर अधिक पडता है और कर प्रगतिशील होने के स्थान पर प्रतिगामी हो जायगा। परन्तु यह विचार अमपूर्ण है। आवश्यक वस्तुओं पर कर लगने से प्रगतिशीलता में कोई कमी नहीं होती, उस समय तक जब तक कि विलास की वस्तुओं पर बहुत ऊँची दर से कर लग रहा है और आवश्यक वस्तुओं पर बहुत ही नीची दर से कर लगाया गया है। आवश्यक वस्तुओं पर कर लगने से निर्धन व्यक्तियों से भी कर लिया जा सकता है और इस प्रकार कर प्रणाली पूर्णरूप से कर-दान योग्यता के सिद्धान्त के अनुकूल हो जाती है। अतः इन करा में हानिकारक वस्तुओं के उपयोग को रोका जा सकता है। हानिकारक वस्तुओं जैसे, मद्य, तम्बाकू आदि पर कर लगाकर तथा विलासिता की वस्तुओं पर कर लगाने से मूल्य ऊँचे हो जाते हैं और उनका उपभोग भी कम हो जाता है।

अप्रत्यक्ष करों के दोष—अप्रत्यक्ष करों के निम्न दोष बताये जाते हैं—

(१) ये कर समानता तथा कर-दान योग्यता सिद्धान्त का उत्त्पन्न करते हैं। इन का भार अधिकतर निर्धन व्यक्तियों पर पड़ता है क्योंकि इनको अधिक उत्पादक बनाने के लिये जीवन तथा उपभोग की आवश्यक वस्तुओं पर लगाया जाता है। यह स्पष्ट ही है कि निर्धन व्यक्ति अपनी आय का अधिकांश भाग अनिवार्य वस्तुओं पर ही व्यय करते हैं, जबकि धनी व्यक्ति अपनी आय का बहुत थोड़ा प्रतिशत इन वस्तुओं पर खर्च करते हैं, इसलिये कर भार निर्धन व्यक्तियों पर अधिक और धनी व्यक्तियों पर कम पड़ता है। अतः अप्रत्यक्ष कर अधिकतर प्रतिगामी होने हैं। (२) ये कर जोखपूर्ण भी नहीं होते, यदि यह केवल वितारा की वस्तुओं पर ही लगाये जायें। (३) इसके अतिरिक्त ये कर कम उत्पादक होते हैं और इनमें निश्चितता का भी अभाव रहता है। सरकार यह निश्चय ही नहीं कर सकती कि उसको इन करों से कितनी आय प्राप्त होगी। (४) ये कर मितव्ययी भी नहीं होते। इनको इकट्ठा करने में बहुत खर्च करना होता है जबकि इनसे उतनी आय प्राप्त नहीं हो पाती। (५) अन्त में, इनकी चोरी भी-की जा सकती है, भूटे वहीखाते बनाकर इत्यादि।

यद्यपि काछो लम्बे काल से इस बात पर वाद विवाद होता चला आया है कि इन दोनों करों में से कौन अच्छा है? फिर भी उपर्युक्त विवरण के पश्चात् यह स्पष्ट ही है कि किसी देश की कर प्रणाली को न्यायपूर्ण बनाने के लिये तथा कर प्रणाली को कर-दान योग्यता सिद्धान्त पर आधारित करने के लिये, दोनों ही करों को लगाना चाहिये। दोनों कर एक दूसरे के दोषों को दूर करते हैं। इनमें से किन कर का अधिक प्रयोग किया जाये यह देश विशेष की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति पर निर्भर करता है। किन्हीं देश में प्रत्यक्ष कर अधिक अच्छे रहेंगे और किसी में अप्रत्यक्ष कर। परन्तु दोनों का साथ साथ प्रयोग होना अनिवार्य है। ग्रेट स्कॉटमन (Great Scottman) के शब्दों में, "मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के विषय में और कुछ नहीं सोच सकता, अतिरिक्त इसके कि मैं उनको दो आकर्षक बहनों के समान मानूँ जो कि जन्दन के सुन्दर सप्तर में आई हैं। दोनों ही विपुल-भाग्य-शालिनी हैं, दोनों के माता-पिता एक हैं—मेरा विश्वास है कि दोनों के माता-पिता 'आवश्यकता' और 'आविष्कार' हैं—उनमें अन्तर केवल इतना ही हो सकता है कि जिनका दो बहनों में होता है....."।¹⁰ हम स्कॉटमन के विचार से सहमत नहीं हैं क्योंकि कर के रूप में तो यह दो बहनों की भाँति हैं, परन्तु अपने भार की दृष्टि से दोनों एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न हैं। इसके अतिरिक्त न्यायशीलता तथा व्यवहारिकता के लिये दोनों बहनों का होना इतना आवश्यक नहीं जितना कि इन दोनों करों का। इस प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर गाड़ी के दो पहियों के समान हैं। कर प्रणाली की गाड़ी बिना दूसरे पहिये के चल ही नहीं सकती।

डिमाकों के विचार—प्रो० डिमाकों ने इन दोनों करों के सम्बन्ध में दो दार्शनिक बातें हैं। प्रथम, यह कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर एक दूसरे के पूरक (Comp-

Jementary) है¹¹ और दूसरे इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्यक्ष करों द्वारा उत्पन्न होने वाले रगडात्मक प्रभावों (frictional forces) को अप्रत्यक्ष कर कम करते हैं।¹² अतः किसी भी कर प्रणाली में दोनों करों का समन्वय होना चाहिये।

डिमाकों का विचार है कि समाज में कुछ व्यक्तियों की आय तो इतनी प्रत्यक्ष तथा स्पष्ट है कि उनको सही ढंग पर मातृम किया जा सकता है जैसे, वेतनभोगी व्यक्ति तथा कुछ व्यक्तियों की आय ऐसी होती है जिसका अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता जैसे व्यापारी। प्रत्यक्ष कर का भार पहले प्रकार के व्यक्तियों पर अधिक पड़ता और दूसरे प्रकार के व्यक्तियों पर कम। करभार को इस असमानता को दूर करने के लिए अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं। धनी व्यक्तियों और व्यापारियों के पास कर लगाने का पान के कारण आय का बहुत अधिक भाग खर्च करने के लिए रह जायेगा। अप्रत्यक्ष कर आय के-दम भाग पर भी कर झुलाने के लिये और सभी व्यक्तियों में कर भार समान रूप से बंट जायेगा। अतः अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष करों की दम कमी को दूर करते हैं और उनसे पूरक हैं। एक दूसरी प्रकार से भी अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष करों के पूरक होते हैं। व्यक्तियों की आय में थोड़े थोड़े समय बाद परिवर्तन होने रहते हैं जिन्हें निश्चित करना कठिन होता है। परन्तु इतना अवश्य है कि आय बढ़ने से उपभोग बढ़ता है और आय घटने से उपभोग कम होता है। अप्रत्यक्ष कर प्राम में इस प्रकार के परिवर्तनों को भी अपने क्षेत्र में ले लेते हैं।

इसी प्रकार प्रत्यक्ष कर भी अप्रत्यक्ष करों के पूरक होते हैं—एक तो अप्रत्यक्ष कर उन वस्तुओं पर नहीं लगाए जा सकते जिनका उपभोग स्वयं उत्पादकों द्वारा किया जाता है। दूसरे अप्रत्यक्ष कर सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं पर भी नहीं लगाए जा सकते और अन्त में अप्रत्यक्ष करों में भी कर की चोरी हो सकती है। इन सब कारणों से अप्रत्यक्ष करों के साथ साथ प्रत्यक्ष कर भी होने चाहिये।

डिमाकों के विचार में अप्रत्यक्ष कर एक महत्वपूर्ण कार्य और भी करते हैं, वह यह है कि यह कर के एकत्र करने में और आय का अनुमान लगाने में जो रगडात्मक शक्तियाँ (Frictional forces) उत्पन्न होती हैं उनको न्यून करने में सहायता देते हैं। कर बड़ी ही अहंनिकर वस्तु है। कोई भी इनका स्वागत नहीं करता। अतः कर लगते ही कुछ लोग इसका विरोध करते हैं और ऐसी क्रियाएँ आरम्भ हो जाती हैं जैसे कर भार दूसरे व्यक्तियों पर टालना (shifting), कर का सम्मिश्रण (diffusion), पूंजीकरण (capitalisation) और कर की चोरी (evasion)। ये सब क्रियाएँ उस समय तक चलती रहती हैं जब तक कि आयिक प्रणाली में कर द्वारा उत्पन्न होने वाला असंतुलन दूर नहीं हो जाता और फिर वे संतुलन स्थापित नहीं हो जाता। उसका विश्वास है कि इसी असंतुलन द्वारा ये सब क्रियाएँ उत्पन्न होती हैं। उदाहरणार्थ, यदि मजदूरी पर कर न लगाकर उसी अनुपात

11. Op cit Page 132-136

12. Ibid Pages 136-137

में लाभों के ऊपर कर बढ़ जाता है तो वेतनभोगियों को कर से उसी समय तक छूट मिलेगी जब तक कि मजदूरियों और लाभों में नया सतुलन स्थापित नहीं हो पाता।¹³ इसी प्रकार तीव्र प्रतिगामी वर द्वारा यदि सरकार बड़ी बड़ी सम्पत्तियों का अन्त करणा चाहती है तो यह भी उसी समय तक हो सकेगा जब तक कि पुरानी स्थिति पुनः स्थापित नहीं हो जाती अर्थात् वचन, नया उत्पादन, नये नेता इत्यादि सब पुरानी स्थिति में नहीं हो जाते।¹⁴ इसीलिए डिमाकों का विचार है कि, "पहले ही क्षण से, करो का बटवारा ऐसा होना चाहिए जिससे उपस्थित आर्थिक सतुलन या तो भंग न हो या जहाँ तक सम्भव हो कम हो।"¹⁵ कर लगने से इस प्रकार का असतुलन उत्पन्न होना स्वाभाविक है। प्रत्यक्ष करो का भुगतान करते समय प्रत्यक्ष व्यक्ति को जान होता है कि वह कर के रूप में कितने धन का भुगतान कर रहा है और जिसका भुगतान करने के लिए उसको अपनी कितनी आवश्यकताएँ कम करनी पड़ी हैं। इसीलिए वह सदैव यही प्रयत्न करता है कि किसी न किसी प्रकार उमकी कम कर देना पड़े। एक ओर सरकार कर द्वारा आय प्राप्त करना चाहती है, दूसरी ओर करदाता कर का भुगतान नहीं करना चाहते—ये दोनों ही कार्य एक दूसरे के विपरीत हैं। यह स्वाभाविक ही है कि आर्थिक प्रणाली में कुछ रगड़ उत्पन्न हो, जिससे सरकार का उद्देश्य पराजित हो जाये। अप्रत्यक्ष करो के लग जाने से ये रगड़ बहुत कुछ कम हो जाती है। एक तो अप्रत्यक्ष वरों का भुगतान करते समय करदाताओं के मस्तिष्क में यह विरोध की भावना उत्पन्न नहीं होती जो प्रत्यक्ष करो का भुगतान करते समय होती है। इसके दो कारण हो सकते हैं—पहला यह कि करदाता को यह ज्ञान ही नहीं हो पाता कि वह कर का भुगतान कर रहा है, क्योंकि कर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के साथ ही मिला रहता है। दूसरा यह कि कर का भुगतान उन्म समय होता है जब कि उपभोक्ता अपने धन में कुछ सतुष्टि भी प्राप्त करता है। उपभोक्ता को प्रत्यक्ष रूप से अपनी आवश्यकताओं में कमी नहीं रहती पड़ती है, जैसा कि प्रत्यक्ष करो में होता है। साथ ही उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को सतुष्ट करने के लालच में कर का भुगतान करने के लिये बाध्य होता है, क्योंकि यह यदि वर के भुगतान से वचना चाहे तो उसे आवश्यकताओं की सतुष्टि का त्याग करना होगा, जो कोई भी उपभोक्ता नहीं चाहेगा। उपभोक्ता के हृदय में विरोध करने की भावना इस कारण भी उत्पन्न नहीं होती क्योंकि कर का भुगतान एकदम नहीं करना होता बल्कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मात्रा उसमें देनी होती है। अन्त में आय का प्रत्यक्ष अनुमान भी नहीं लगाया जाता और इस प्रकार करदाता और सरकार में कोई मतभेद का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार अप्रत्यक्ष कर उन बुराइयों को भी कम करते हैं जो प्रत्यक्ष वरों द्वारा उत्पन्न होती हैं और जिनका वर्णन हम अभी कर चुके हैं। इसीलिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं।

13 Op cit, Page 163

14 Ibid, Page 163 164

15 Ibid page 165

अनुपातिक, प्रगतिशील, प्रतिगामी तथा अधोगामी करारोपण—परा का एक दूसरे प्रकार से चार भागों में बाँटा गया है—अनुपातिक, प्रगतिशील, प्रतिगामी और अधोगामी। यह वर्गीकरण मुख्य रूप से करों की दर और कर दाताया की शक्ति शक्ति व पारुम्परिक सम्बन्ध पर आधारित है। अनुपातिक कर वह है जिसकी दर सारे करदाताया के लिए समान हो जैसा १०० रुपय की आय वाले व्यक्ति पर भी ५% की दर से कर लगाया गया है और १०००० रुपय की आय पर भी वही दर है। इस कर के गुणों का वर्णन करते हुए कुछ लोगो का कहना है कि कर में एक तो गुण यह है कि यह धन के वितरण को पूर्ववत् रखता है, दूसरे यह सरल बहुत है। इसका हिसाब कोई भी व्यक्ति लगा सकता है। इस सम्बन्ध में जे० वा० से ने कहा है कि अनुपातिक कर की परिभाषा करने की आवश्यकता नहीं है, यह साधारण त्रैणशिक नियम (Rule of three) है। परन्तु केवल सरलता पर कर प्रणाली की न्यायशीलता को बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। यह कर न्याय सिद्धान्त व विलकुल विशुद्ध है। हमारे उदाहरण में १०००० रुपय की आय वाले व्यक्ति का मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता अपेक्षाकृत १०० रुपय वाले के बहुत ही कम होगी, इस कारण पहले व्यक्ति पर कर भार कम होगा और दूसरे व्यक्ति पर अधिक। अतः यह कर न्यायपूर्ण नहीं है।

प्रगतिशील कर—आय बढ़ने के साथ-साथ जब कर की दर भी बढ़ती जाती है, तब ऐसे कर को प्रगतिशील कर कहते हैं। इसके अनुसार विभिन्न आयों को कुछ सामान्य वर्गों में बाँट दिया जाता है और वर्गों के अनुसार कर लगाया जाता है। आय के ऊँची होने के साथ-साथ कर की दर भी बढ़ती जाती है, जैसे ३००० से ५००० रुपये तक दो पैसे प्रति रुपया, ५००० से १०००० रुपये तक ५ पैसे प्रति रुपया, १०००० से २०००० रुपये तक १० पैसे प्रति रुपया इत्यादि। आय को इस प्रकार के विभिन्न भागों में बाँटने और कर लगाने की विधि को प्रतिगामिता (Graduation) और ऐसे कर को प्रतिगामित कर (Graduated Tax) कहते हैं।

पक्ष में—सत्तार के लगभग सभी देशों ने प्रगतिशील कर को ही उचित और न्यायगत माना है। इसके निम्न गुण बताए जाते हैं—

(१) प्रगतिशील कर द्वारा धन का वितरण अधिक समान किया जा सकता है। एक और तो समाज के धनी वर्गों की शक्ति कम हो जाती है और दूसरी ओर निम्न वर्गों को विभिन्न प्रकार की सहायताओं को प्रदान करके उनकी शक्ति को बढ़ाया जाता है। आय पर भी सीमान्त उपयोगिता ह्रास-नियम लागू होता है। जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कम होती चली जाती है। इस प्रकार व्यक्तियों की सामान्य मनोवृत्ति तथा दृष्टिकोण यथास्थिर रहने की दशा में एक निम्न व्यक्ति को आय की वृद्धि से अधिक सन्तुष्टि प्राप्त होगी अपेक्षाकृत एक धनी व्यक्ति के। यदि धनी व्यक्ति की आय में से एक इकाई निकालकर निम्न व्यक्ति को दे दी जाये तो धनी

व्यक्ति को हान वाले नुकसान की तुलना में निर्धन व्यक्ति को प्राप्त होने वाली सतुष्टि कहीं अधिक होगी और यदि इसी प्रकार हस्तान्तरण किये जाते रहे तो समाज को कुल सतुष्टि में बहुत अधिक वृद्धि होगी। प्रो० मार्शल का भी यही विचार है।

(२) प्रगतिशील कर, कर-दान योग्यता के सिद्धान्त के अनुकूल है। हम ऊपर कह आये हैं कि धनी व्यक्ति को ऋष्य वी सीमान्त इकाई की उपयोगिता अपेक्षाकृत एक निर्धन व्यक्ति के बहुत कम होती है। अतः धनी व्यक्ति को निर्धन व्यक्ति की तुलना में कर देने से कम हानि होती है। धनी व्यक्ति कर भुगतान करने के लिए अपनी कम आवश्यक आवश्यकताओं को ही कम करेगा परन्तु निर्धन व्यक्ति को तो अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को कम करना पड़ेगा। इस कारण यह कर उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। परन्तु प्रो० पीगू का विचार है कि उपयोगिता ह्रास नियम से केवल इस बात का पता चलता है कि १००० पौंड वाली आय के अन्तिम पौंड की उपयोगिता १०० पौंड वाली आय के अन्तिम पौंड की उपयोगिता से कम है। परन्तु प्रगतिशील कर को न्यायसंगत बनाने के लिये यह जानना आवश्यक है कि १००० पौंड वाली आय के अन्तिम १० पौंड की उपयोगिता १०० पौंड वाली आय के अन्तिम एक पौंड की उपयोगिता से कम है, जो उपयोगिता ह्रास नियम से पता नहीं लगता।

(३) उपर्युक्त दलील के आधार पर ही यह कहा जाता है कि ऐसे कर से समाज को सतुष्टि का ह्रास न्यूनतम होगा क्योंकि धनी व्यक्तियों को ऊँचा कर देने पर भी इतनी असतुष्टि नहीं होगी जितनी कि निर्धन व्यक्तियों को। अतः निर्धन व्यक्तियों को कर मुक्त कर के और धनी व्यक्तियों पर ऊँचा कर लगाकर समाज के बलिदान को न्यूनतम किया जा सकता है। साथ ही, जैसा पीगू ने कहा है कि बहुत से धनी व्यक्तियों को जो सतुष्टि प्राप्त होती है वह इसलिए नहीं कि वे धनी हैं बल्कि इसलिए कि वे दूसरों से अधिक धनी हैं। इसलिए इन सभी धनी व्यक्तियों की आय को एक ही अनुपात में कम कर दिया जाये तो इन लोगों को सतुष्टि की कोई विशेष हानि नहीं होगी। वे निर्धन तो पहले की अपेक्षा हो जायेंगे परन्तु वे रहेगे उतने ही धनी (दूसरों की तुलना में) जितना पहले वे और इस प्रकार इनको सतुष्टि की इतनी अधिक क्षति नहीं होगी।

(४) प्रगतिशील कर मितव्ययी होने हेतु नयोंकि इनको एकत्र करने का व्यय अधिक नहीं होता। आय बढ़ने के साथ साथ भी इकट्ठा करने का व्यय पूर्ववत् रहता है। इस कारण यह कर मितव्ययी होते हैं।

(५) प्रो० हॉरसन ने प्रगतिशील कर को दूसरे ढंग से उचित बताया है। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति की आय को दो भागों में विभाजित किया है—लागत की श्रम और वचन का श्रम। पहले श्रम पर कर लगाना हानिकारक होगा क्योंकि ऐसा करने से आय ही समाप्त हो जायेगी। इसलिए सब कर वचन के ऊपर ही लगाने चाहिए। इनके अनुसार जितनी आय कम होगी उतना ही उसमें लागत श्रम अधिक होगा और

जितनी आय अधिक होगी उतना ही लागत अग कम होगा और बचत अग अधिक होगा। अतः ऊँची आय पर प्रगतिशील कर लगाता चाहिये क्योंकि उनमें बचत अग अधिक होता है। परन्तु हॉबसन ने यह स्पष्ट नहीं किया कि आय की लागतों का अनुमान किस प्रकार किया जाए और प्रत्येक आय में लागतों का अग अधिक और बचतों का अग कम या इसका उलटा किस प्रकार मातृभू किया जा सकेगा, क्योंकि बिना इस के जान के करों की दर निर्धारित नहीं की जा सकती।

(६) आयुनिवृत्त काल में सरकारों के व्यय दिन प्रति दिन बढ़त जा रहे हैं। प्रगतिशील सिद्धान्त द्वारा धनी व्यक्तियों पर ऊँचे कर लगाकर सरकार अपनी आवश्यकतानुसार आय बड़ी सरलता से प्राप्त कर सकती है।

(७) प्रगतिशील कर अधिक लोचपूण होते हैं। सरकार अपनी आवश्यकतों के समय केवल धनी व्यक्तियों पर कर की दर को बढ़ा कर आय प्राप्त कर सकती है। अनुपातिक प्रणाली में यह सम्भव नहीं है, क्योंकि उसमें कर की दर बढ़ाने से निर्धन पर ही कर भार अधिक रहता है।

(८) नीति ने प्रगतिशील करों को पूण रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया है। अवसाद काल में यह आवश्यक है कि सरकार अधिक व्यय करे और व्यक्तियों पर कम कर लगाये ताकि स्वयं उनके पास भी कुछ क्रय-शक्ति रहे जिससे वे खर्च करते रहे और मूल्य ऊपर उठने लगे और रोजगार पहले ही नष्टा रहे। यह प्दान रहे कि केवल कम कर लगाने में ही रोजगार में होने वाले परिवर्तन नहीं स्व-जायेंगे, क्योंकि धनी व्यक्तियों पर कर भार कम होते ही वह अपने धन को व्यय करने के स्थान पर उसको संचित कर सकते हैं। उपभोग करने की प्रवृत्ति (propensity) वैसे ही कम होती है। इसलिये कर को कम करने का ध्येय ही परोजित हो जायेगा। निम्न व्यक्तियों की उपभोग की प्रवृत्ति अधिक होने से वे अपनी आय का अधिक भाग उपभोग पर ही व्यय करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि धनी व्यक्तियों से भारी कर लगा कर धन प्राप्त किया जाय, उसे निर्धनों पर खर्च किया जाय या उनको आर्थिक सहायता के रूप में दे दिया जाय। समाज में उपभोग को माना पहले की अपेक्षा अधिक होगी और रोजगार बढ़ता जायेगा।

प्रगतिशील कर के विपक्ष में—आज कल प्रगतिशील करारोपण को सर्व-मान्यता प्राप्त हो चुकी है परन्तु प्राचीन लेखकों को अवश्य ही इसका विरुद्ध कुछ आपत्तियाँ थीं। हम इन आपत्तियों को आलोचनात्मक अध्ययन निम्न में करेंगे—

(१) कुछ लेखकों ने तो नियम के आधार की ही आलोचना की है। हम ऊपर बता आये हैं कि प्रगतिशील करारोपण निम्न मान्यताओं पर आधारित है— प्रथम, सामान्य रूप से आय की उपयोगिता सभी व्यक्तियों के लिये समान रहती है। दूसरे, आय की प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ प्राप्त होने वाली आय की उपयोगिता घटती जाती है और विलास की वस्तुओं पर व्यय अधिक होता जाता है। और तीसरे, विलास की वस्तुओं की अपेक्षा अनिवार्य वस्तुओं पर किया गया व्यय कार्यक्षमता की वृद्धि के लिये अधिक आवश्यक है। परन्तु यह सारी मान्यताएँ भ्रमरत्मक बताई

गई है। यह तो हो सकता है कि आय को वृद्धि किसी व्यक्ति विशेष को घटती हुई मात्रा में सतुष्टि प्रदान करे, परन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिये कि एक व्यक्ति को प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिता दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा कम होगी या अधिक। सतुष्टि एक मानसिक स्थिति है, जिसका कोई माप नहीं किया जा सकता। अतः पणों व्यक्तियों से निर्णयों को धन के हस्तान्तरण से यह आवश्यक नहीं कि कुल सतुष्टि में वृद्धि हो ही जाये।¹⁶ परन्तु इन लेखकों की वृत्ति यह है कि इन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि करारोपण में उपयोगिता हास नियम को इस मान्यता पर प्रयोग किया गया है कि मानव व्यवहार समान परिस्थितियों में समान रहता है। इन मान्यता के अभाव हो सकते हैं परन्तु साधारणतया यह ही देखा गया है कि व्यवहारिक जीवन में यह मान्यता नहीं उतरती है। यही कारण है कि प्रगतिशील कर मसाले में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं।

(२) कुछ लेखकों का विचार है कि प्रगतिशील करारोपण के कारण बचतें कम होने लगती हैं, पूँजी का प्रवाह देस के बाहर होने लगता है और देस में उत्पादन गिरने लगता है। व्यक्तियों को अधिक उत्पादन करके आय में वृद्धि करने के लिये कोई भी प्रेरणा नहीं मिलती, क्योंकि वे जानते हैं कि जो भी आम उन्हें प्राप्त होगी वह उनके पास नहीं रहेगी और कर के रूप में सरकार को चली जायेगी। परन्तु वास्तविकता यह है कि कर का प्रभाव प्रत्येक वर्ग पर समान नहीं पड़ता। कुछ व्यक्तियों की तो बचाने और कार्य करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव पड़ता है, कुछ पर बिलकुल भी प्रभाव नहीं पड़ता और कुछ को कर द्वारा अधिक बचत करने और कार्य करने के लिये प्रेरणा प्राप्त होती है। व्यक्ति बचाने और कार्य करने के लिये निरुत्साहित उसी समय होता है जबकि कर प्रति तीव्र प्रगतिशील होता है।

(३) कुछ लेखकों का यह विचार है कि प्रगतिशील कर एक प्रकार की चोरी है और ईमानदारी एवं बुद्धिमाना को सजा दी जाती है। वे लोग जो अपव्ययी हैं और बेकार हैं वे कर भक्त रहते हैं, दूसरी ओर जो मेहनत और ईमानदारी से कार्य करते हैं, फिजूलखर्ची न करके बचत करते हैं और इस प्रकार समाज की सेवा करते हैं उन्हें सबसे अधिक कर भार सहन करना पड़ता है। मिल तो इस कर को अति अन्यायपूर्ण समझते थे और करों की प्रगतिशीलता उनके लिये प्रगतिशील चोरी थी।¹⁷ यह आलोचना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि किसी भी कर को चोरी या डकैती कहना बुद्धिमानी नहीं। सरकार का कोई स्वयं का हित नहीं होता। वह सारे समाज के लिये ही धन का पुनर्वितरण करती है। इसके अतिरिक्त सारा धन मेहनत के कारण ही जमा नहीं होता। सरकार की ओर से जो सुविधायें प्राप्त होती हैं वह भी धनी व्यक्तियों को धन एकत्रित एवं सुरक्षित रखने में सहायता करती है।

(४) कुछ लेखकों का विश्वास है कि प्रगतिशील करों की दर निर्धारण में

16. Lionel Robbins An Essay on the Nature and Significance of Economic Science Page 141.

17. Stampe, Fundamental Principles of Taxation Pages 38 39

मनमाने ढंगों से काम लिया जाता है। प्रगतिशीलता का क्या आधार होना चाहिए? इसका कोई निश्चित मापदण्ड तो है नहीं, इसी कारण अन्याय होने की गुंजाइश भी बहुत है। इस सम्बन्ध में महोपा मैककुलो (Mc Culloch) के बयान को दोहराया जाता है कि "जब आप साधारण सिद्धान्त (प्रत्यात्मिक ढंग) को छोड़ देते हैं तो आप समझ में बिना पतवार और कुन्वतमाने होने हैं, और कोई भी माना अन्याय की नहीं होगी, जो आप न उर सकें।" परन्तु प्रश्न यह है कि वरारोपण में दण्ड के निर्धारण में मनमाने काम किस स्थान पर नहीं होता? हर वर में ही यह दोष निकाला जा सकता है क्योंकि दण्ड के निर्धारण के लिए कोई प्रमपीटव (Standard) माप तो अभी तक निश्चित नहीं किया जा सका है। रती न्याय और अन्याय की बातें भी बड़ी विचित्र और हास्यप्रद है। इस व्यक्ति के साथ न्याय करने में किसी दूसरे के साथ अन्याय अवश्य ही होगा। न्याय और अन्याय की बात व्यक्ति के स्वभाव स्वभाव की दृष्टि से करती है। इनके अतिरिक्त सामाजिक लाभ अधिकतम करों में कुछ लाया के साथ अन्याय होता कोई पुरी बात नहीं है।

(५) कुछ समय तो दण्ड वर को व्यवहारिक ही नहीं मानते हैं। मैककुलो का कहना है कि, यदि इस प्रकार हम सारे दण्ड विवाद का परिणाम निकालें, तो हम देखते हैं कि, जबकि प्रगतिशील कर को हम एक सिद्धान्त के रूप में किसी सीमा तक उचित कह सकते हैं और व्यक्ति की योग्यता के अनुसार कर नीति को बनाने की सैद्धान्तिक भावना का बयान कह सकते हैं, यह बात निश्चय करती अति दृष्टि शाली है, कि किस सीमा तक और किस दण्ड वर इस सिद्धान्त को व्यवहार में कार्यान्वित किया जाये।

हिमाकों के विचार—हिमाकों के अनुभार करों में प्रगतिशीलता, प्राणिक कारणों से नहीं बरन् राजनीतिक कारणों से स्थापित की जाती है। उनके अनुसार अनुपातिक और प्रगतिशील कर सम्बन्धी विवेचना वस्तुगत (Objective) और भावात्मक (Subjective) दृष्टिकोणों से नहीं की जा सकती है।¹² हिमाकों का विचार है कि दण्ड वर भुगतान है जो कोई व्यक्ति राजकीय सेवाओं का उपयोग करने के दण्ड में करना है। हर व्यक्ति राजकीय सेवाओं का उपयोग अपनी आय के अनुपात में करता है। जिस प्रकार व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण में होता है कि जो व्यक्ति जितनी वस्तुएं खरीद उतना ही मूल्य दे, उसी प्रकार यहाँ पर भी यह होना चाहिये कि जो व्यक्ति जितनी आय कमाता है उतना ही कर दे। अर्थात् वरारोपण अनुपातिक होना चाहिये परन्तु क्योंकि राज्य एक एकाधिकारी की स्थिति में होता है इसलिए वह प्रत्येक व्यक्ति से निम्न निम्न मूल्य अपनी सेवाओं का ले सकता है। अतः राज्य धनी व्यक्तियों से अधिक मूल्य और विधेय व्यक्तियों से कम मूल्य ले सकता है। 'इसलिये अनुपातिक वरारोपण का आधार न तो उमका वस्तुगत महत्व (objective value) है और न प्राणिक समानता ही।'

ठीक इसी प्रकार हिमाकों प्रगतिशील करों की विवेचना करता है। वह

उन लेखकों से सहमत नहीं है जो बलिदान सिद्धान्त को प्रगतिशील करारोपण का आधार मानते हैं। उसके अनुसार विभिन्न व्यक्तियों को सदृष्टि-मा बलिदानों की तुलना नहीं की जा सकती। उसका मत है कि आय की वृद्धि के साथ आय प्राप्त की लागत में भी वृद्धि होती जाती है, इस कारण यह आवश्यक नहीं कि एक धनी व्यक्ति की कुल सदृष्टि एक निर्धन व्यक्ति की अपेक्षा अधिक हो। केवल यही नहीं, कि सीमान्त उपयोगिता कम होने के साथ साथ राजकीय सेवाओं की उपयोगिता भी कम होती जाती है। इसलिये सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम और बलिदान या भावार्थक सिद्धान्त प्रगतिशील करारोपण के उचित आधार नहीं हैं।

टिगाकों के विचार में इन दोनों प्रकार के करों की विवेचना राजनैतिक आधार पर होनी चाहिये।¹⁹ फ्रांस की क्रांति से पहले विपरीत अनुपातिक करारोपण था, जिसके अनुसार उन वर्गों पर कोई कर न था जो प्रबल थे या कर भार केवल रूपका और औद्योगिक धनी व्यक्तियों पर ही था। इसके बाद, तृतीय राज्य (third estate) में अनुपातिक कर उन सिद्धान्तों के अनुकूल बनाया गया जिनका प्रचार क्रान्ति में किया गया था। अन्त में प्रजातन्त्र स्थापित हो जाने से अब प्रगतिशील कर का पतन भारी हो गया।

• • • प्रो० मार्को ने अपने विचार प्रस्तुत करते समय प्रगतिशील करों के राजनैतिक इतिहास का विश्लेषण किया है। उनका दृष्टिकोण आर्थिक के स्थान पर ऐतिहासिक है। उनके विचारों को सिद्धान्त कदापि भी नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त, जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं कि मार्को करारोपण को तथा व्यय को केवल, राज्य और नागरिकों के बीच एक विनिमय सम्बन्ध के रूप में देखता है, जो विचार व्यवहारिक जीवन के अनुकूल नहीं है। स्पष्ट ही है कि जिस विचार का आधार ही उचित नहीं है विचार स्वयं ही अनुचित होगा। इसलिये डिमाकों के विचारों का हम समर्थन करने में अग्रमर्थ है।

✓ प्रतिगामी कर—यह कर प्रगतिशील कर का ठीक विपरीत है। इनके अनुसार अधिक आय वाले व्यक्तियों पर कर की दर कम होती है और कम आय वालों पर अधिक। यद्यपि यह कर अनुचित और अन्यायपूर्ण होते हैं, फिर भी आधुनिक समय में इतना प्रयोग करना ही पड़ता है। एक तो राज्य को अपना व्यय पूरा करने के कारण इन करों का सहारा लेना ही होता है, दूसरे यह कर जान बूझकर नहीं लगाया जाता बल्कि करदाताओं द्वारा इसका भार दूसरों पर टल जाने के कारण यह कर ऐसे हो जाते हैं। आधुनिक समय में इन करों का कोई विशेष महत्व नहीं है। क्योंकि एक तो इन में न्यायशीलता नहीं है, दूसरे यह मितव्ययी नहीं है और उत्पादक भी नहीं है।

अधोगामी कर—इन प्रकार का कर आय के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है परन्तु कर की दर कम होती जाती है। एक निश्चित सीमा तक प्रगतिशील रहता

है उसके बाद अनुपातिक हो जाता है। इन चारों करों को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है :-

भाय	अनुपातिक		प्रगतिशील		प्रतिगामी		अयोग्य	
	दर	धनराशि	दर	धनराशि	दर	धनराशि	दर	धनराशि
३०,०००	५%	१५००	५%	१,५००	५%	१,५००	५%	१,५००
५०,०००	५%	२५००	७%	३,५००	५%	२,०००	६%	३,०००
१००,०००	५%	५,०००	१०%	१०,०००	५%	५,०००	६%	६,०००

करारोपण में न्याय की समस्या (Problem of Justice in Taxation)

प्राक्कथन—

हमने पिछले अध्याय में करारोपण के सिद्धान्तों का ग्रहण किया था। समानता सिद्धान्त के अतिरिक्त बाकी जितने भी सिद्धान्तों की विवेचना की है, प्रबन्ध सम्बन्धी सिद्धान्त है। समानता का सिद्धान्त करारोपण का नैतिक सिद्धान्त है परन्तु कठिनाई यह है, कि इस सिद्धान्त को व्यवहार में किम प्रकार लागू किया जाये, अर्थात् कर प्रणाली को न्यायसंगत किस प्रकार बनाया जाय? किसी भी कर प्रणाली को न्याय संगत होने के लिये यह आवश्यक है कि करारोपण का भार उन व्यक्तियों पर पड़े जो उसे सहन कर सकें। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति पर कर उसकी आर्थिक दशा के अनुसार लगाया जाय। परन्तु आर्थिक दशा या कर दान योग्यता का क्या माप होना चाहिये? इस सम्बन्ध में अनेक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गए हैं। निम्न में हम कुछ महत्वपूर्ण सिद्धान्तों की विवेचना करेंगे।

वित्तीय सिद्धान्त (Financial Theory)—प्राचीन लेखकों और राजस्व सम्बन्धी विशेषज्ञों का मत था कि करारोपण का परम कर्तव्य आय प्राप्त करना होना चाहिये। इस सिद्धान्त के प्रतिपादकों का कहना था कि कर दस प्रकार लगाया जाये कि जनता उसका विरोध कम से कम करे और राजकीय खजाने को अधिक से अधिक आय प्राप्त हो। फ्रान्सीसी वित्तमन्त्री कालवर्ट के अनुसार “वस्तु को इस प्रकार नोचो कि वह कम से कम विरोध के साथ खिन्नमे” इन लोगों के अनुसार करारोपण का उद्देश्य यह देखना नहीं है कि कर भार का वितरण किस प्रकार हो रहा है, बल्कि केवल अधिक से अधिक आय प्राप्त करना है। परन्तु यह उद्देश्य या तो केवल ऐकिक शासन में या निदेशी शासन में पूरा होना सम्भव है। प्रजा-तांत्रिक शासन में सरकार का कभी भी यह दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से तो समाज का बहुत अहित होगा, क्योंकि कर भार मुख्यतः उन निधन और नि सहाय व्यक्तियों पर पड़ेगा, जिनमें विरोध करने की शक्ति बहुत कम होती है। आधुनिक सरकारें प्रजातन्त्रीय सिद्धान्तों पर आधारित हैं और वह न्याय तथा समाज कल्याण की ओर पूरा ध्यान देती हैं और करारोपण में वित्तीय

सिद्धान्त वा पालन नहीं करनी। यही कारण है कि आज इस सिद्धान्त वा कोई भी व्यवहारिक महत्व नहीं है।

लाभ सिद्धान्त (Benefit Theory)—इस सिद्धान्त के प्रतिपादकों के अनुसार कर की दर एवं राशि उन लाभ के अनुसार होनी चाहिये, जो कि प्रत्येक नागरिक को राज्य की सुरक्षता में प्राप्त होता है। राजकीय सेवाओं से जिन व्यक्ति को जितना लाभ प्राप्त होता है उसको उसी अनुपात में राज्य के सचों को पूरा करने के नियम देना चाहिए। राज्य की कुछ सेवाएँ ऐसी होती हैं जिनसे, कुछ व्यक्तियों को विशेष लाभ प्राप्त होते हैं और कुछ सेवाओं से सम्पूर्ण समाज को समान लाभ प्राप्त होता है। कॉल (Cobb) ने इस छोटे सिद्धान्त के आधार पर राजकीय व्यय का वर्गीकरण किया है। परन्तु इस सिद्धान्त में भी प्रत्येक दोष है। प्रथम यह कैसे निश्चित किया जाय कि प्रत्येक व्यक्ति को कितना लाभ प्राप्त हुआ है? विषय रूप से उन भवाप्राप्त सम्बन्ध में जहाँ समाज को सामान्य लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि समाज को प्राप्त होने वाले कुल लाभ और किसी व्यक्ति विषय के लाभ में क्या अनुपात है यह निश्चित किया ही नहीं जा सकता। गतिपुर्जन के अनुसार सरकार कोई भी काम बिना व्यक्ति विशेष के लाभ के नियम नहीं करनी बल्कि व्यक्ति को समाज का एक भाग लेकर करती है। 'इस प्रकार वित्तपदान सामान्य लाभ में बिलीन हो जाता है।'¹ इनके अतिरिक्त राज्य की कुछ सेवाएँ ऐसी होती हैं जिनसे प्राप्त लाभों का आसानी से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है जैसे सामाजिक सुस्था सम्बन्धी शैक्षिक सहायता। परन्तु इन सेवाओं का मूल्य देना एक मुझक होगा।

सेवा की लागत का सिद्धान्त (Cost of Service Theory)—उपर्युक्त सिद्धान्तों की भाँति यह सिद्धान्त भी सुकीर्ण व्यक्तिवादी विचारों पर आधारित है। इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य जो सेवाएँ नागरिकों के लिये प्रदान करता है उनकी वास्तविक लागत के अनुसार कर की दर निश्चित होनी चाहिए। उपर से देखने में तो यह सिद्धान्त बड़ा उचित वान पड़ता है, परन्तु इसका व्यवहारिक महत्त्व कुछ भी नहीं है। यह अवश्य है कि जब राज्य कुछ विशेष सेवाएँ करता है तब इस सिद्धान्त का उपयोग किया जा सकता है जैसे डाक महसूल निश्चित करने में, रेलु का निरामा निश्चित करने में, इस सिद्धान्त का पालन किया जा सकता है परन्तु अधिकांश वरों में इस सिद्धान्त से काम नहीं लिया जा सकता है।² यह भी लाभ सिद्धान्त ही की भाँति है। जब सभी नागरिकों के लिए समान रूप से एक साथ सेवा नहीं जाती है तब यह निश्चित करना कठिन होता है कि किसे व्यक्ति को कितनी मात्रा प्राप्त हुई और उसकी लागत कितनी हुई। आजकल प्राधुनिक सरकारें अधि-तर ऐसी सेवाएँ प्रदान करती हैं जिनसे निधनों को अधिक लाभ होता है जैसे निःशुल्क दूध वितरण, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि। यदि यह सिद्धान्त लागू किया जाये

1 Essays in Taxation Page 337

2 Cf Taylor P E The Economics of Public Finance P 285

तो इन व्यक्तियों को न केवल प्राप्त की हुई वस्तु का मूल्य ही चुकाना होगा, या प्राप्त की हुई धनराशि चुकानी होगी, वरन् उनकी व्यवस्था करने में जो व्यय हुआ है उसका भी भुगतान करना होगा।^३ इस प्रकार लाभ सिद्धान्त की भांति यह सिद्धान्त भी अव्यवहारिक है।

डिमाकों का आय सिद्धान्त^४ (De Marco's Income Theory)—डिमाकों ने अपना आय सिद्धान्त प्रस्तुत किया है, जो लाभ सिद्धान्त का ही एक दूसरा रूप है। यह तो पिछले अध्यायों में बता ही चुके हैं कि माकों के अनुसार नागरिकों और राज्य में एक विनिमय सम्बन्ध रहता है—राज्य सामान्य तांत्रिक सेवाओं का उत्पादक है और नागरिक इन सेवाओं के श्रेया एव उपभोक्ता हैं। नागरिक इन सेवाओं का उपभोग अपनी-अपनी आय के अनुपात में करते हैं। उसके अनुसार राज्य को सेवाओं से निजी व्यक्तियों द्वारा वस्तुओं के उत्पादन में सहायता मिलती है। साथ ही ये सेवाएँ इन वस्तुओं के उपभोग को सम्भव बनाने के लिए भी आवश्यक होती हैं। ये सेवाएँ सभी व्यक्तियों को लाभ पहुँचाती हैं—प्रत्यक्ष रूप से, वस्तुओं की उत्पत्ति में सहायता करके और अप्रत्यक्ष रूप से, राज्य सहायता द्वारा उत्पादित वस्तुओं के उपभोग द्वारा। इसलिए जितनी अधिक आय किसी व्यक्ति की है उतना ही अधिक कर उसे देना चाहिए, क्योंकि उतनी ही अधिक राजकीय सेवाएँ उसने प्राप्त की हैं। एक तो आय के उत्पादन में राज्य ने उसे सहायता दी है और दूसरे उस आय के उपभोग में उसे राज्य सहायता प्रदान करेगा। इस प्रकार करारोपण प्रत्येक व्यक्ति की आय के अनुपात में होना चाहिए।

यदि देखा जाय तो डिमाकों का स्पष्टतः नकेत प्रगतिशील आय कर की ओर है, परन्तु उनके सिद्धान्त को इसी कारण स्वीकार नहीं किया गया है,^५ क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक बल इस बात पर दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति राज्य की सेवाएँ अपनी आय के अनुपात में प्राप्त करता है। उनके सिद्धान्त का यही पहलू उचित नहीं है, और इसी कारण यह करारोपण का आधार नहीं बनाया जा सकता। कल्याणकारी राज्य का विचार तो इसके बिलकुल ही विपरीत है। क्योंकि इन्होंने भी राज्य द्वारा प्रस्तुत की गई सेवाओं के लाभ की चर्चा की है, इसलिए, यह सिद्धान्त भी लाभ सिद्धान्त की ही भांति है।

कर दान योग्यता सिद्धान्त (Ability to Pay Theory)—इस सिद्धान्त की चर्चा हम एडम स्मिथ के करारोपण सम्बन्धी नियमों का वर्णन करते समय कर चुके हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार कर भार, व्यक्तियों पर उनकी करदान योग्यता के अनुसार होना चाहिए। यह सिद्धान्त बहुत ही उचित और न्यायमग्न है परन्तु इसको व्यवहार में लाना इतना सरल नहीं है। पहली कठिनाई तो यह है कि करदान योग्यता कैसे तथा किस आधार पर निर्दिष्ट की जाए और दूसरी कठिनाई यह है

3 Cf. Dalton, Public Finance Page 62.
 4 Cf. First Principles of Public Finance Pp. 114-117.
 5 Cf. Saxena and Mathur Public Economics Vol. II P. 61.

कि करदान योग्यता किस प्रकार मापी जाए ? व्यक्ति विशेष की करदान योग्यता जानने के लिए उचित आधार की खोज करने के लिए हम दो दृष्टिकोणों से समस्या का अध्ययन करना होगा। एक तो भावात्मक (Subjectively) और दूसरा वस्तुगत (Objectively)। प्रथम दृष्टिकोण में हम करदाता विशेष का निजी दृष्टिकोण लेंगे और दूसरे में ब्राह्म पदायों की दृष्टि से अध्ययन करेंगे।

भावात्मक दृष्टिकोण (Subjective Approach)—यदि हम करदाता की व्यक्तिगत दृष्टि से कर भुगतान करने की समस्या पर विचार करें तो हमको पर भुगतान करने में छुपे हुए त्याग और बलिदान को दृष्टि में रखना होगा। अर्थात् करदाता पर कितना भार पड़ता है ? यह ज्ञात करना होगा। इन अध्ययन में हमें करदाता की मानसिक स्थिति का अध्ययन करना होगा। स्पष्ट ही है कि यह विधि कितनी कठिन है क्योंकि करदाता कर का कितना भार महसूस करता है, यह एक मानसिक विषय है। यह जानना अत्यन्त कठिन है—कि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या विचार उठ रहे हैं या कितना चिन्त हो रहा है या कितनी प्रसन्नता हो रही है ? ये सभी मानसिक दशाएँ हैं और इनका निश्चित माप नहीं हो सकता। यह भी सम्भव नहीं कि विभिन्न व्यक्तियों की मानसिक दशाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। इस सिद्धान्त को कार्यरूप प्रदान करने के लिए यह मान लिया जाता है कि एक ही वर्ग में रहने वाले व्यक्तियों पर कर का लगभग समान प्रभाव पड़ता है। प्रो० पीयू ने कहा है कि "जैविक के साधारण कार्यों में, जबकि यह मानते हुए कि व्यक्तियों के स्वभाव और प्रकृति में भिन्नता होती है, जातीय भिन्नताएँ, आदतों, प्रतिक्षण आदि की भिन्नताएँ होती हैं, हम सर्वैव ही यह मान लेते हैं कि प्रत्यक्षरूप से एक से ही व्यक्तियों के समूह पर समान परिस्थितियों का लगभग समान मानसिक प्रभाव पड़ेगा।"⁶ यह ध्यान रहे कि यदि करारोपण पूर्णतः इसी सिद्धान्त पर आधारित होगा तो वह करो के अछे और बुरे परिणामों की ओर कोई भी ध्यान नहीं देगा। जैसे, मादक पेयों पर कर से व्यक्तियों की अधिक त्याग करना होगा, इसलिए त्याग की दृष्टि से तो यह कर बुरा है, परन्तु जहाँ तक ये इन वस्तुओं के उपयोग को निरुत्साहित करेगा, यह अच्छा है। वास्तव में ऐसे करो के सम्बन्ध में, करो के अच्छे परिणामों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए, अपेक्षाकृत त्याग के। प्रो० पीयू का भी यही विचार है। भावात्मक दृष्टिकोण से करारोपण के विभिन्न आधार बताये गए हैं—समान त्याग, समानपातिक त्याग और न्यूनतम त्याग।

समान त्याग का सिद्धान्त (Principle of Equal Sacrifice)—इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए त्याग की मात्रा समान होनी चाहिए तभी करारोपण न्यायसंगत हो सकता है। मिल ने करारोपण में समानता का अर्थ बताया हुआ लिखा है कि "राजनीति के एक सिद्धान्त के रूप में करारोपण की समानता का अर्थ है कि सरकार के व्यय में प्रत्येक व्यक्ति का भाग इस प्रकार निर्धारित करना ताकि उसे अपने भाग से, न तो अधिक और न कम ही अनुविधायें अनुभव ही, अपेक्षाकृत

उत्तरे जो कि हर व्यक्ति को अपने-अपने भाग से अनुभव होगी।" सक्षेप में इसका अभिप्राय समानुपातिक करारोपण से है। इसकी अच्छाइयों और बुराइयों का अध्ययन हम पिछले अध्याय में कर ही चुके हैं।

समानुपातिक त्याग का सिद्धान्त (Principle of Proportional Sacrifice)—इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी-अपनी आधिक शक्ति के अनुपात में कर देना चाहिए। जिन व्यक्तियों में अधिक त्याग करने की शक्ति है वे अधिक धनराशि कर के रूप में दें, जिनमें तुलनात्मक कम शक्ति है वे कम धनराशि दें और जिनमें बिल्कुल नहीं है वे कर मुक्त रहे। इस सिद्धान्त के अनुसार करारोपण न्यायसंगत होने के लिए प्रगतिशील होना चाहिए। इसके लाभ तथा हानियों की भी विवेचना हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं।

न्यूनतम त्याग का सिद्धान्त (Principle of Minimum Sacrifice)—यह सिद्धान्त कर भार की समस्या का अध्ययन व्यक्तियों को सामूहिक रूप में लेकर करता है न कि व्यक्तिगत रूप में। इसके अनुसार सम्पूर्ण समाज पर कम से कम कर भार होना चाहिए। इसके मुख्य प्रतिपादक ऐजवर्थ (Edgeworth) और कार्वर (Carver) थे। ऐजवर्थ इस सिद्धान्त को करारोपण का सर्वश्रेष्ठ सिद्धान्त मानते थे। यह अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त पर आधारित है। इसके अनुसार प्रत्येक करदाता का सीमान्त त्याग बराबर होना चाहिए अर्थात् कर इस प्रकार लगाया जाये कि प्रत्येक करदाता की मुद्रा की अन्तिम इकाई देने से समान त्याग का अनुभव हो। यह सिद्धान्त सम-सीमान्त त्याग सिद्धान्त भी कहलाता है। यह सिद्धान्त सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है, जिनके अनुसार आय बढ़ने के साथ उसकी उपयोगिता कम होती जाती है। इस कारण यदि बड़ी-बड़ी आय वाले व्यक्तियों की अन्तिम इकाईयाँ कर के रूप में ले ली जाएँ तो करदाता को कोई विशेष त्याग नहीं करना पड़ेगा। साथ ही न्यून आय वालों को कर मुक्त कर दिया जाय। सरकार को, इस प्रकार, हर व्यक्ति पर कर नहीं लगाना चाहिये, केवल बड़ी बड़ी आय पर उम समय तक कर लगाते जाना चाहिए, जब तक कि सरकार की आवश्यकता पूरी न हो जाये। यह सच ही है कि अनिवार्य आवश्यकताओं का धनी और निर्धन व्यक्तियों के लिए समान महत्त्व होता है और दोनों ही वर्ग उनकी पूर्ति पहले करते हैं, परन्तु क्या यह सच नहीं कि एक निश्चित सीमा के बाद धनी व्यक्तियों की आय का अधिकांश भाग बिनास सम्बन्धी वस्तुओं पर खर्च होता है? इस कारण बड़नी हुई आय के साथ साथ अधिक कर देने में करदाता को कम त्याग करना पड़ता है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऊँची आयों पर कर लगा कर समान स्तर पर ले आया जाये और इस प्रकार प्राप्त धन को निर्धन व्यक्तियों की आय को ऊपर उठाने के लिए खर्च किया जाय ताकि समाज में सब व्यक्तियों की आय लगभग समान हो जाये। परन्तु इस प्रकार की विधि को व्यवहार में लाना सरल नहीं है। पीगू भी इस विचार से सहमत है, यद्यपि वह इस

को करारोपण का अन्तिम सिद्धान्त मानने हैं।

यह ध्यान रहे कि त्याग सिद्धान्त में केवल वर्तमान त्यागों की ओर ही ध्यान दिया गया है। इसके भावी परिणामों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया गया है। ये सिद्धान्त तीव्र प्रगतिशील करारोपण को महत्त्व प्रदान करते हैं, परन्तु इस प्रकार के करारोपण से बहुत निरुत्सहित होती हैं। पूँजी का एकत्रीकरण भी वन होगा और अन्त में देश में उत्पादन और रोजगार का स्तर भी अपेक्षाकृत गिर जावेगा। परिणामस्वरूप धनी व्यक्तियों को और भी अधिक त्याग करना पड़ेगा। केवल यही नहीं बेरोजगारी की स्थिति में निर्धन व्यक्तियों के त्याग की मात्रा भी बढ़ेगी। अतः कुल त्याग की मात्रा भविष्य में वर्तमान की अपेक्षा अधिक हो जायेगी और समाज का कल्याण भी अधिकतम होने के स्थान पर न्यूनतम हो जाएगा। सरकार का उद्देश्य ही इस प्रकार पराजित हो जाएगा। परन्तु यह सब विचार करने से पहले यह कठिनाई भी दूर करनी होगी कि इन त्यागों का माप कैसे किया जाए? भावात्मक दृष्टि से तो यह कठिनाई दूर नहीं होती इसलिए अवैशास्त्रियों ने वस्तुगत दृष्टिकोण को अधिक उपयुक्त बताया है।

वस्तुगत दृष्टिकोण (Objective approach)—अभी तक हमने करदाता के भाव एवं भावनाओं को दृष्टि में रखते हुए कर भार व उचित बटवारे की ओर ध्यान दिया था, परन्तु हम को अनेक कठिनाइयों के कारण वह दृष्टिकोण व्यावहारिक नहीं लगा। कुछ अर्थशास्त्रियों ने, विशेषकर अमेरिका में, करदान योग्यता का उचित आधार निश्चय करने के लिए वस्तुगत दृष्टिकोण अपनाया है। इस दृष्टिकोण से अध्ययन करने में वे मनुष्य की भावनाओं एवं त्याग की ओर ध्यान नहीं देते बल्कि मनुष्य की करदान क्षमताओं के वास्तविक वास्तवों से पता लगाते हैं। इन्होंने करदान योग्यता के स्थान पर करदान सामर्थ्य (faculty) शब्दों का प्रयोग किया है। इन लेखकों के अनुसार मनुष्य की करदान सामर्थ्य तीन बातों से जानी जा सकती है—

(अ) मनुष्य का उपभोग स्तर (ब) संपत्ति और (स) आय।

(अ) कुछ लेखकों ने अनुसार उपभोग स्तर या व्यय को करदान सामर्थ्य का अच्छा प्रमाण विचार किया गया है। इन लोगों का मत है कि जिस व्यक्ति का उपभोग स्तर ऊँचा है अर्थात् जो अधिक व्यय करे उसको अधिक कर देना चाहिये। स्पष्ट ही है कि उपभोग को आधार मान कर हम करारोपण को व्यापकतम नहीं बना सकते। एक व्यक्ति जो बिल्कुल अकेला है दो सौ रुपये महावार कमा रहा है, परन्तु उसका उपभोग पर व्यय केवल सौ रुपये है। दूसरा व्यक्ति भी दो सौ रुपये कमा रहा है, उसे मुट्ठक के छ सवस्यों का पेट पालना पड़ता है और उसका महावारी व्यय दो सौ रुपये से अधिक है। सोचिये किस की करदान सामर्थ्य अधिक है—पहले की या दूसरे की? यदि उपभोग को स्तर मानते हैं तब तो दूसरे व्यक्ति को अधिक कर देना चाहिये, परन्तु वास्तव में पहले व्यक्ति को अधिक कर देना चाहिये। उपभोग को आधार मानने में यही नुटियाँ होंगी। वैसे भी उपभोग को आधार

मानने के बहुत बुरे परिणाम होंगे। उपभोग अनुमार कर लगाने से व्यक्तियों को संपत्ति उपभोग कम करना पड़ेगा, जिसका प्रभाव यह होगा कि व्यक्तियों की कार्य-क्षमता कम होने लगेगी और देश के उत्पादन पर अन्त में बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसे न्यायसंगत नहीं कह सकते।

(ब) सम्पत्ति को, कुछ खेतको ने कर-दान सामर्थ्य का अधिक अच्छा आधार बताया है। सम्पत्ति के आधार पर किसी व्यक्ति की कर-दान सामर्थ्य तुरन्त ही पता लग सकती है। जिस व्यक्ति के पास अधिक सम्पत्ति है उतना अधिक कर-दान सामर्थ्य है। परन्तु वास्तव में सम्पत्ति को भी उचित आधार नहीं मान सकते क्योंकि, समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी आय बहुत अधिक होती है वे अपने पास नकदी रखना अधिक पसंद करते हैं अपेक्षाकृत सम्पत्ति के, या जिन्हें सम्पत्ति एकत्रित करने की अपेक्षा ऊँचा जीवन स्तर रखना अधिक रुचिकर होता है। यदि सम्पत्ति के अनुसार कर लगाते हैं तब ऐसे व्यक्तियों पर कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता। इसके अतिरिक्त सम्पत्ति का वास्तविक मूल्य भी आँकना सम्भव नहीं है। फिर यह भी सम्भव है कि सम्पत्ति के आधार पर व्यक्ति की कर-दान सामर्थ्य का अनुचित अनुमान भी लग सकता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यक्ति के १० मकान हैं, जिनका माहवारी किराया १०० रुपये है, दूसरे व्यक्ति के पास केवल एक मकान है जिसका किराया १५० रुपये है। सम्पत्ति के आधार पर पहले व्यक्ति की अधिक कर-दान सामर्थ्य है और दूसरे की कम जब कि वास्तव में दूसरे व्यक्ति को अधिक कर देना चाहिये क्योंकि उसको सम्पत्ति से अधिक आय प्राप्त होती है। अन्त में इस प्रकार के आधार का एक परिणाम यह भी हो सकता है कि एक ओर तो करारोपण अन्यायपूर्ण हो जाये और दूसरी ओर व्यक्ति देश में सम्पत्ति एकत्रित करने के लिये हतोत्साहित हो। इस कारण यह आधार भी न्यायसंगत नहीं है।

(स) अन्त में आय को कर-दान सामर्थ्य का उचित आधार माना गया। आजकल करारोपण का यही आधार है। ऊँची आय वाले व्यक्तियों पर अधिक कर लगाया जाता है और नीची आय वाले पर या तो कर लगता ही नहीं और यदि कर लगता भी है तो बहुत कम। परन्तु मौद्रिक आय (money income) भी कर-दान सामर्थ्य का सर्वोत्तम प्रमाण नहीं कहा जा सकता। दो व्यक्तियों की मौद्रिक आय बराबर होती है भी, कर-दान सामर्थ्य अलग अलग हो सकती है। एक के दायित्व दूसरे की अपेक्षा अधिक हो सकते हैं। एक को छोटे कुटुम्ब का जत्र कि दूसरे को एक बड़े कुटुम्ब का भार सहन करना पड़ रहा हो। अतः क्या इन दोनों व्यक्तियों पर एक ही दर से कर लगाना ठीक होगा? वदार्थ भी नहीं। इसी प्रकार एक व्यक्ति को आय उसको उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति में प्राप्त हो रही हो, जब कि दूसरे व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से आय प्राप्त करनी पड़ रही हो। दोनों व्यक्तियों पर भी कर की दर समान नहीं हो सकती है। इन्हीं कठिनाइयों को देखते हुए लार्ड स्टाम्न ने बताया है कि सामर्थ्य या योग्यता का उचित प्रमाण जानने के लिये व्यक्तियों की मौद्रिक आयों के अतिरिक्त हमें निम्न बातों पर भी विचार करना चाहिये —

(अ) आयकर उसी समय लगाया जाये जबकि आयकर्ता को आय प्राप्त हो रही है। यदि ऐसा नहीं होता तो करदाना को बहुत कष्ट होगा। सब ही देगो म साधारणत आयकर के सम्बन्ध में यह बात प्रचलित है कि पिछले वर्ष की आय पर अगले वर्ष में कर लिया जाता है। अब यदि इसी वर्ष करदाता को घाटा हो गया है तो उसकी भुगतान करने की शक्ति कम हो जाने से, पिछले वर्ष का भुगतान करने में बहुत कठिनाई होगी। कभी कभी तो यह भी देखा गया है कि कर की रशि नगमा करीडा की सरमा में होने के कारण, पिछले कर का भुगतान करने के लिये बदविलयो का दिवाला तब निवल जाता है। इसलिये यह आवश्यक है कि कर आय प्राप्ति के समय ही वसूल कर लिया जाये।

(ब) घाय का वास्तविक अनुमान लगाने के लिये मह आवश्यक है कि स्थायी पूंजी में जो पिमावट उम आय के प्राप्त करने के सम्बन्ध में होती है, उसकी ओर भी उचित ध्यान दिया जाय। अर्थात् कुल आय में से इस पिमावट के मूल्य को उम कर दना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो घाय का अनुमान सर्वथा अवास्तविक होगा। माय ही भविष्य म पूंजी के निर्माण पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यदि स्थायी पूंजी की टूट फूट की व्यवस्था उत्पादन के साथ ही माय न होनी जायेगी तब भविष्य में मशीनों को खरीदने के लिए नई पूंजी का विनियोग करना होगा। अन्त में इसका प्रभाव राष्ट्रीय आय पर भी पड़ेगा।

(ग) आयकर निश्चिन करने समय इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि करदाता को आय अपने निजी प्रयत्नों द्वारा प्राप्त हुई है या उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति में प्राप्त हुई है। यदि आय निजी परिश्रम से प्राप्त हुई है तो उस पर कर की दर कम होनी चाहिए और यदि आय सम्पत्ति से प्राप्त हुई है तो उम पर उँची दर से कर लगाना चाहिये।

(द) आयकर की दर निश्चित करते समय यह भी देखना आवश्यक है कि व्यक्ति के कुटुम्ब के सदस्यों की संख्या कितनी है। यदि किसी व्यक्ति के कुटुम्ब के सदस्या की संख्या, दूसरे ममान आय वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक है तो उस पर दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा उँची दर से कर लगाना चाहिये।

(इ) अन्त में यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि आय में कुछ अतिरिक्त आय शामिल है या नहीं। यदि है तो अतिरिक्त आय पर उँची दर से कर लगाना चाहिए और शेष घाय पर नीची दर पर कर लगाना चाहिये।

आधुनिक आयकर प्रणाली में इन सब बातों की ओर साधारणत ध्यान दिया जाता है।

कर-दान सामर्थ्य सिद्धान्त की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह करारोपण और कर-दान योग्यता के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए कोई उचित विधि नहीं प्रदान करता। इसी प्रकार न्यूनतम त्याग का सिद्धान्त भी इस दिशा में अपूर्ण है। दोनों ही सिद्धान्तों में यह कमी है परन्तु उगर्गुन विवेचना से यह स्पष्ट है कि ये दोनों सिद्धान्त एक बात की ओर अवश्य ही संकेत करते हैं—वह यह कि कर प्रणाली

प्रगतिशील होने चाहिये अर्थात् कर भुगतान करने की शक्ति के बढ़ने के साथ साथ कर की दर भी बढ़ती जाये। आधुनिक कर प्रणालियों में सभी बातों की ओर ध्यान एक साथ दिया जाता है, अर्थात्, सम्पत्ति, व्यय और आय सभी पर कर लगाये जा रहे हैं। परन्तु सामान्य रूप से दो बातों की ओर ध्यान देना नितान्त आवश्यक है। प्रथम, किसी भी एक कर के भार पर अकेले ही विचार नहीं करना चाहिए। समुचित कर प्रणाली की ओर ध्यान देना चाहिए क्योंकि कोई भी कर अपने व्यक्तिगत रूप में कभी भी उचित नहीं होता। एक कर की बुराई दूसरे कर से दूर होती है। अलग अलग करों में अगगानता हो सकती है किन्तु सम्पूर्ण कर प्रणाली में औचित्य ही सबूत है। अतः किन्हीं नये कर को लगाते समय केवल उग कर के भार के वितरण की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, वरन् यह देखना चाहिए कि नये कर और पहले से लगे हुए करों के भार का एक साथ वितरण किम प्रकार किया जाये ? करारोपण के भार का अनुमान उस समय तक ठीक प्रकार से नहीं लगाया जा सकता, जब तक कि राजकीय व्यय के परिणामों का अध्ययन न किया जाये। अतः दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि करारोपण के प्रभावों का उचित ज्ञान प्राप्त करने के लिये, राजकीय व्यय के परिणामों का भी अध्ययन करना चाहिए। कर प्रणाली की असमानताओं को राजकीय व्यय द्वारा दूर किया जा सकता है। सबसे अधिक कर भार सहन करने वाले व्यक्तियों को राजकीय व्यय द्वारा अनेक लाभ प्रदान करके कर भार को न्यूनतम किया जा सकता है। इस स्थिति में लाभ सिद्धान्त और कर-दान योग्यता सिद्धान्त को एक साथ लागू किया जा सकता है। जहाँ तक व्यवहार में करारोपण नीतियों का सम्बन्ध है, वे किसी एक कर सिद्धान्त के आधार पर निर्मित नहीं की जाती। अलग अलग समय तथा स्थिति में सरकारों को अलग अलग उद्देश्यों से काम करना पड़ता है। कहीं पर लाभ और करदान योग्यता को एक साथ मिला दिया जाता है। कहीं पर केवल आय प्राप्त करने के उद्देश्य की ही महत्त्व प्रदान किया जाता है और कर-दान योग्यता सिद्धान्त को पूर्णरूप से मुक्त कर दिया जाता है। अतः व्यावहारिकता की दृष्टि से सभी सिद्धान्त उचित हैं और सभी अनुचित। हाँ एक बात और है वह यह कि किसी कर प्रणाली की न्यायशीलता केवल इसी बात पर आधारित नहीं होती कि कर भार का वितरण कैसा है वरन् इस बात पर भी निर्भर करती है कि करारोपण का उत्पत्ति, वितरण और देश में रोजगार के स्तर आदि पर कैसे प्रभाव पड़ रहे हैं।

प्रारम्भिक—

डाल्टन के शब्दा में, "आर्थिक दृष्टिकोण से सब से उत्तम कर प्रणाली वही है जिसके सब से अच्छे या सब से कम दर आर्थिक प्रभाव होते हैं।"¹ करारोपण अच्छा है, या बुरा इसका निर्णय करने के लिये हमें करा व आर्थिक परिणामों का अध्ययन करते हैं। यद्यपि किसी भी कर प्रणाली को न्यायसंगत होने के लिये यह आवश्यक है कि कर भार का वितरण प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता के अनुसार हो परन्तु अकेले कर भार के समान वितरण पर ही कर प्रणाली को न्यायसंगतता निर्भर नहीं करती बल्कि करारोपण के भावों तथा वर्तमान आर्थिक प्रणाली पर भी। इन प्रभावों का अध्ययन करना इसलिये आवश्यक है कि, व्यवहार में सरकार किसी भी एक सिद्धान्त का निश्चित रूप से पालन नहीं करती, बल्कि अधिकतर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कर नीति निर्धारित करती है। मत करारोपण के प्रभावों में केवल व्यक्तिगत करों के प्रभाव ही सम्मिलित नहीं होते बल्कि कर सम्बन्धी नीतियों के प्रभाव भी सम्मिलित होते हैं। हमने पिछले अध्यायों में विभिन्न प्रकार के करा और करारोपण के न्याय-संगतता सम्बन्धी विभिन्न सिद्धान्तों का अध्ययन किया। इन विवेचनाओं में हमने समय-समय पर करों के आर्थिक प्रभावों की बात भी की है। करों के प्रभाव देना के उत्पादन, धन के वितरण तथा आर्थिक क्रियाओं की दिशाओं पर पड़ते हैं। करों की दूरी तथा भावी करा के लगने की आशा से उपयुक्त सभी आर्थिक क्रियाओं की दिशाओं में परिवर्तन हात रहते हैं। उत्पादन में कमी होती है और वृद्धि भी, धन का वितरण समान भी होता है और असमान भी, मूल्य स्तर ऊपर भी उठता है और नीचे भी गिरता है, रोजगार और उपभोग, बचत तथा पूँजी में भी वृद्धि होती है और कमी भी। अतः सर्वत्र करारोपण के प्रभाव घुंटे भी होते हैं और अच्छे भी। यदि अच्छे प्रभाव अधिक हैं अधिक हैं और बुरे प्रभाव कम हैं कम तो कर प्रणाली ठीक-से अच्छी समझी जानी चाहिये—यही तो डाल्टन ने भी कहा है। करारोपण किसी भी उद्देश्य से क्यों न किया जाये इस प्रकार के प्रभावों का ध्यान

ही है। परन्तु जैसा कि हम पिछले अध्याय में ही कह चुके हैं इस अध्यायन का केवल सैद्धान्तिक महत्व ही है। क्योंकि सभी व्यक्तिगत बुरा के प्रभाव एक दूसरे के प्रभावों पर आधारित रहते हैं और आपस में मिले होते हैं, और करारोपण के बुरे प्रभावों को राजकीय व्यय द्वारा कम किया जा सकता है, इसलिये इस प्रकार के अध्यायन से व्यवहार में लाभ तो प्राप्त किया जा सकता है परन्तु वास्तविक प्रभाव तब दिशाओं में होते हैं, इनका अनुमान लगाना कोई सरल काम नहीं। इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि मनुष्य की मनोवृत्तियाँ समय-समय पर बदलती रहती हैं और मनोवृत्तियों के परिवर्तनों के साथ साथ किमी भी नीति में अच्छाई और बुराई उत्पन्न होना स्वाभाविक है जो कष्ट मिछली बातों में बुरा था वही कर आज अच्छा है। अतः हम यहाँ पर केवल सैद्धान्तिक दृष्टिबोध से ही कर भार के आर्थिक प्रभावों का अध्यायन करेंगे।

डाल्टन के अनुसार इन प्रभावों का निम्न तीव्र शीर्षको के अन्तर्गत अध्यायन किया जा सकता है — (१) उत्पादन पर प्रभाव, (२) वितरण पर प्रभाव, और (३) अन्य प्रभाव।

करारोपण के उत्पादन पर प्रभाव—

डाल्टन ने उत्पादन पर पड़ने वाले करारोपण के प्रभावों को तीन भागों में विभाजित किया है —

- (१) व्यक्तियों की काम करने तथा वचत करने की योग्यता पर प्रभाव;
- (२) व्यक्तियों की काम करने तथा वचत करने की इच्छा पर प्रभाव, और
- (३) विभिन्न उपयोगों और स्थानों में आर्थिक साधनों के वितरण पर प्रभाव।

(१) व्यक्तियों की काम करने तथा वचत करने की योग्यता पर प्रभाव—
साधारण रूप में करारोपण से व्यक्तियों के काम करने तथा वचत करने की योग्यता कम हो जाती है। यह दो प्रकार में होता है। एक तो कर लगने से व्यक्ति की आय का एक भाग कर के रूप में निकल जाता है। आय में कमी हो जाने से, व्यक्तियों की क्रय शक्ति कम हो जाती है। वे अपने उपभोग को कम करते हैं। पहले की अपेक्षा, अनिवार्य आवश्यकताओं, आराम की वस्तुओं और बिलासयुक्त वस्तुओं पर कम व्यय करने लगते हैं। परिणामस्वरूप उनकी कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि प्रतिष्ठा सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं पर कर लगाया जाये तो भी यही प्रभाव होगा क्योंकि इन वस्तुओं, जैसे, तम्बाकू, पान, सिगरेट के उपभोग के दिने तो मनुष्य अपनी कार्यक्षमता सम्बन्धी वस्तुओं तक को छोड़ देता है। निर्धन व्यक्तियों पर तो इसका बहुत ही अधिक बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार करारोपण विशेष कर, निर्धन वर्गों की कार्यक्षमता को गिराकर उनके कार्य करने की योग्यता पर बुरा प्रभाव डालेगा। अतः निर्धन व्यक्तियों पर कम से कम कर

भार होना चाहिये और उन वस्तुमा पर जिनका उपभोग निर्धना द्वारा किया जाता है कम से कम कर लगाना चाहिये ताकि उनका उपभोग का स्तर कम न हो और उनकी कार्यक्षमता स्वास्थ्य और काम करने की योग्यता पर बुरा प्रभाव न पड़े। दूसरे व्यक्तियों की वचत करने की योग्यता पर भी करारोपण के प्रभाव पड़ते हैं। करारोपण से वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। व्यक्ति या धन उपभोग पर पहले की अपेक्षा अधिक खर्च करना पड़ता है परिणामस्वरूप उसकी वचत की मात्रा कम होने लगेगी। यद्यपि यह सच है कि करारोपण का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर समान नहीं होगा। किसी का खर्चा बहुत अधिक बढ़ेगा तो किसी का बहुत कम। निर्धन व्यक्तियों का तो प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि उनके पास तो करारोपण से पहले भी वचत करने की क्षमता नहीं थी। इस प्रकार करारोपण से धनी व्यक्तियों पर अधिक प्रभाव पड़ता। जितना अधिक धनी हाथा उतनी ही अधिक उमरी वचत करने की योग्यता कम होगी।

(२) व्यक्तियों के काम करने तथा वचत करने की इच्छा पर प्रभाव— किसी भी मनुष्य की इच्छा सम्बन्धी बातों का अध्ययन बड़ा ही कठिन होता है क्योंकि इच्छा एक मानसिक दशा है। यह तो अवश्य है कि करारोपण से व्यक्तियों की काम करने तथा वचत करने की इच्छा पर प्रभाव तो पड़ता है परन्तु इन प्रभावों का निश्चित माप सम्भव नहीं है। साधारणतः यह अनुभव किया गया है कि कर की पूरा धारणा मात्र से ही व्यक्तियों की काम करने तथा बचत की इच्छा कम होने लगती है। यह भी सम्भव है कि कर भुगतान करने की विन्ता मनुष्य को अधिक वचत करने और कम विनियोग करने के लिये बाध्य करे क्योंकि उनकी वचत के विनियोग करने से उतनी आय प्राप्त नहीं होगी जितनी कि पहले होती। व्यक्तियों के वचत करने तथा काम करने की इच्छा को किन सीमा तक करारोपण हान्यकर होगा या प्रोत्साहित करेगा, यह एक तो कर दानों की मात्रा पर प्रति-निधायक और दूसरे लागू किया गया कर की प्रकृति पर निर्भर करेगा। हम इन दोनों बातों का अध्ययन अमानुषार निम्न पृष्ठों में करेंगे—

करारोपण से उत्पन्न होने वाले मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएँ (Psychological Reactions to Taxation)—करारोपण से किसी भी व्यक्ति के मन में क्या प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न होती हैं बहुत सीमा तक उक्त व्यक्ति की आय की मात्रा को लेकर पर निर्भर करती है अर्थात् वह अधिक आय प्राप्त करने के लिये कितने प्रयत्न करने को तैयार है? वह कितना इच्छुक है? यदि किसी व्यक्ति ने यह निश्चय कर लिया है कि उसे एक निश्चित आय प्राप्त करनी है चाहे उसे कितना भी परिश्रम क्यों न करना पड़े तब आय के लिये उसकी मांग बलवत् होगी। उदाहरणार्थ यदि किसी व्यक्ति ने यह निश्चय कर लिया है कि उसे एक अच्छा जीवन स्तर जीवन भर बनाय रखना है और इसके लिये उस ६०० रुपये माहवार की आवश्यकता होती है। अब यदि उसकी आय पर दस रुपये माहवार का कर लग जाता है तो वह अपने

जीवन स्तर को बनाये रखने के लिये अब ६१० रुपये कमाने का प्रबन्ध करेगा अर्थात् अधिक परिश्रम करेगा। यदि वह ऐसा नहीं करता, तो वह अधिक बचत करेगा और उस बचत को विनियोग करेगा और इस प्रकार अपनी आय में वृद्धि करने का प्रयत्न करेगा। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति की भावी आय की माग बेलोच है, तब करारोपण से उमकी काम करने तथा बचाने की इच्छा कम नहीं होगी। दूसरी ओर यदि किसी व्यक्ति की आय की माग लोचदार है, अर्थात् वह इन बातों के लिये इच्छुन नहीं है कि जो आय उसकी करारोपण से पूर्व थी वही रहे, या वह अपनी आय बढ़ाने के लिये अधिक परिश्रम नहीं करना चाहता, तो उमकी काम करने तथा बचत करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वह यह जानते हुये भी कि वर लगन से उमकी वास्तविक आय में कमी हो गई है, परिश्रम नहीं करेगा और न अपनी आवश्यकताओं में और अधिक कमी वर के कुछ बचाने की ही चिन्ता करेगा, क्योंकि उसके मस्तिष्क में यह बात जम कर बैठ गई है कि कतनी मेहनत करके आय प्राप्त करने से भी कोई लाभ नहीं होगा।

प्रत्येक देश में ऐसे व्यक्तियों के समूह मिलने हैं। अधिकतर यह विश्वास है कि वह व्यक्ति अधिक सख्या में होते हैं जिनकी माँग आय के लिए लोचदार होती है। हमारे देशों में सामान्य रूप से करारोपण से व्यक्तियों की कार्य करने की तथा बचाने की इच्छा कम ही हो जाती है। क्या वास्तव में यह बात सही है कि समाज में अधिकतर ऐसे ही व्यक्ति होने हैं जिनकी आय की माग लोचदार होती है? व्यावहारिक जीवन में तो यह बात सिद्ध नहीं होती, क्योंकि समाज में कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जिनको अधिक निर्भर कर्त्तव्य का पालन-पोषण करना पड़ता है, या जिनको भविष्य में एक निश्चित आय प्राप्त करने की आशा निरन्तर बनाते रहने के लिए दाध्य करती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं जिसके लिए वे निरन्तर काम न लगे रहते हैं। कुछ को अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक धान से रहने की जिज्ञासा होती है। कुछ प्रतिष्ठा एवं सभार में बड़े बनने के लालच में अधिकधिक धन एकत्रित करना चाहते हैं—ऐसे व्यक्तियों पर करारोपण का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। अतः "आय-कर की दर की प्रत्येक वृद्धि से उन प्रयत्नों में वृद्धि हुई है, जो उन व्यक्तियों को व्ययों में सफल हुए हैं, जिसमें से बड़े हुए कर का भुगतान किया जाये।"³ अतः समाज में अधिकतर व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी आय की माग बेलोच होती है। वे अधिक परिश्रम करके या बचत करके अपनी पुरानी आय और जीवन स्तर को बनाये रखना चाहते हैं। और यदि यह चक्र एक बार आरम्भ हो जाता है तो फिर बनता ही रहता है। जब एक व्यक्ति का एकत्रित धन, उस सीमा से अधिक हो जाता है जो उसके बच्चों की सरक्षता के लिए आवश्यक है, तब और अधिक एकत्रीकरण का उद्देश्य ही बदल

3. Quoted from *The Six Hour Day and Other Essays* Page 248 by Dalton, Op. cit Page 108.

जाता है। तब वह नाम करने तथा शक्ति प्राप्त करने के प्रेम से व्यवसायो में भाग लेना आरम्भ कर देता है। एकत्रित की हुई पूंजी तब इस खेल का एक औजार का रूप धारण कर लेती है। जब तक कि खिलाड़ी का इस औजार पर अधिकार है, और यदि वह खिलाड़ियों में से एक है तो वह एकत्रीकरण के लिए केवल इसी बात से हतोत्साहित नहीं होगा कि उसके मरने के बाद उत्तराधिकारियों की अपेक्षा राज्य को वह धन प्राप्त होगा।⁴ अतः समाज के अधिकांश व्यक्तियों को काम करने तथा बचत करने की इच्छा पर करारोपण का दुरा प्रभाव नहीं पड़ता। अन्त में कुछ लोग सामान्य में ऐसे भी होते हैं जिनकी आय की माँग की लोच इकाई पर होती है। दूसरे शब्दों में चाह उनकी भावी आय की आशा कभी ही हो, उनकी काम करने तथा बचत करने की इच्छा लगभग गमन रहती है। इसके दो कारण होते हैं, प्रथम, कुछ व्यक्तियों की काम करने और बचाने की आवस्यता ही होती जाती है। वे काम करते ही रहते हैं और बचते ही रहते हैं चाहे कर लगे या न लगे, चाहे कर की दर नीची हो या उंची। उनके लिये करारोपण तनिक भी चिन्ता की वस्तु नहीं होती। वे कर कम रहने पर भी अपना ही कार्य करते हैं जितना कर लगने की अवस्था में। इसका दूसरा कारण यह है कि व्यक्ति म प्रकृति से प्रतियोगिता करने की आवस्यता होती है। वह केवल उद्यमि ही करना नहीं चाहता बल्कि दूसरों की अपेक्षा अधिक पुनर्निर्माण चाहता है। वह हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करता रहता है और दूसरों की अपेक्षा अधिक वस्तुएँ प्राप्त करना चाहता है, अधिक महँगी वस्तुएँ खरीदना चाहता है। अतः वह केवल धनवान बनना ही नहीं चाहता बल्कि अपने समूह के अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक धन एकत्रित करना चाहता है। इसी कारण "धनी व्यक्तियों की अपनी निर्गम (Absolute) आय की तुलना में सापेक्ष (Relative) आय की वृद्धि में मनुष्य का अधिकांश भाग प्राप्त होता है। यदि सभी धनी व्यक्तियों की आयों का एक साथ कम कर दिया जाये तो मनुष्य का यह भाग नष्ट नहीं होता।"⁵

उपर्युक्त विवरण से यह सिद्ध हो गया कि चाहे व्यक्तियों की आय के लिए माँग, बेलाच है या इकाई है उन पर करारोपण का दुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनकी कार्य करने तथा बचाने की इच्छा पर कोई विशेष दुरा प्रभाव नहीं होगा। अपनी विवेचना को समाप्त करने से पहले एक बात बतानी और आवश्यक है। वह यह कि यदि कर की दर बहुत उंची है या करारोपण बहुत प्रगतिशील है तो मनुष्य की कार्य करने तथा बचाने की इच्छा अवश्य ही कम हो जायेगी, क्योंकि उनकी पुरानी आय को बचाये रखने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, जो उनके लिए शकिकर नहीं होगा। अतः सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि जब तक कर की दर अधिक प्रगतिशील नहीं होगी, अधिकांश व्यक्तियों को काम करने और बचाने की शक्ति करारोपण से कम नहीं होती।

4 Cf Carver, *Essays in Social Justice*, Page 328.

5 Cf Pigou, *Economics of Welfare*, Page 90.

यह ध्यान रहे कि करारोपण किस सीमा तक करदाता की कार्य करने तथा बचाने की इच्छा को प्रभावित कर सकती है, इस बात पर निर्भर करता है कि करारोपण किन परिस्थितियों में किया गया है। यदि करारोपण समृद्धि काल में किया गया है तो व्यापारियों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा यहाँ तक कि कर की ऊँची दर भी उनको काम करने से हतोत्साहित नहीं करेगी, क्योंकि उनको सदैव ही ऊँचा लाभ प्राप्त करने की आशा रहती है। इसके विपरीत मन्दकाल में एक हल्का कर भी उनको उत्पादन करने तथा बचत करके विनियोग करने के लिए हतोत्साहित करेगा, क्योंकि उनको मदा हानि का ही भय रहता है। अन्त में यदि कोई कर केवल कुछ ही दिनों के लिए या छोटे ही समय के लिए लगाया गया है तो भी व्यक्तियों की काम करने या बचाने की इच्छा कम नहीं होगी, क्योंकि वे जानते हैं कि कुछ समय बाद वह कर हट ही जायेगा।

करों की प्रकृति—अभी तक हमने करारोपण के प्रभावों को, समुप्य के मनोवैज्ञानिक प्रतिनियामों के दृष्टिकोण से देखा था, अब हम विशेष करों की प्रकृति के अनुसार करारोपण के प्रभावा का अध्ययन करेंगे। इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि क्योंकि सब करों की प्रकृति एक समान नहीं होती, इसीलिए सबके प्रभाव भी एकसे नहीं होंगे। कुछ कर व्यक्तियों के काम करने तथा बचाने की इच्छा को बहुत प्रभावित करते हैं, कुछ कम और कुछ बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करते। हम इनका अलग-अलग वर्णन निम्न में करेंगे —

कुछ कर ऐसे होते हैं जो बचत करने तथा काम करने की इच्छा पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डालते, जैसे, उन आया पर कर जिनकी पहले से आशा न हो, या जो अकस्मात् ही प्राप्त हो जायें (Windfalls), युद्ध क्षाल में अतिरिक्त लाभ पर कर (Excess Profits Tax) या उत्तराधिकार में प्राप्त की हुई सम्पत्ति या भूमि के मूल्य में वृद्धि होने पर कर इत्यादि। ये सब कर ऐसी वस्तुओं पर लगते हैं, जिनकी पहले से कोई भी आशा नहीं होती, इसीलिए कर-दाता को इन करों का भुगतान करना बुरा नहीं लगता। अतः ऐस करों का व्यक्तियों के काम करने तथा बचत करने की इच्छा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार एकाधिकारी लाभ पर कर या त्रय विनियम कर भी व्यक्तियों के काम करने और बचत करने की इच्छा को कम नहीं करते। एकाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए, उतना उत्पादन करेगा कि बिलम्ब कर का भुगतान भी कर सके और लाभ भी अधिकतम रहे। यदि वह अपना उत्पादन बन्द करदे तो कभी भी अपने उद्देश्य (अपना लाभ अधिकतम करना) की पूर्ति नहीं कर पायेगा। ठीक इसी तरह त्रय कर तथा विनी कर से, उपभोग तो अवश्य कम हो जाता है, परन्तु काम करने तथा बचाने की इच्छा कम नहीं होती।

हम यह कह ही चुके हैं कि आयकर उन व्यक्तियों की कार्य करने तथा

वचत करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव डालता है, जिनकी आय की मांग बहुत लोचदार होती है। इसी प्रकार यदि आयकर बहुत ही अधिक प्रगतिशील है तो सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति की काम करने तथा बचतने की इच्छा कम हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक अतिरिक्त प्रयत्न के बदले में बहुत कम मात्रा आय की प्राप्ति होती है। इसी-लिये व्यक्ति काम करने में निष्कृतोत्साहित होते हैं।

सम्पत्ति कर कुछ दशांश में उत्पादन को प्रोत्साहित करता है और कुछ दशांश में हतोत्साहित करता है। धन कर (Wealth Tax) या सम्पत्ति कर वचनों को भी निरस्तसाहित करत है, परन्तु आयकर की अपेक्षा इनके प्रभाव कम बुरे होते हैं। इसी प्रकार मृत्यु कर भी हर दशा में वचनों को हतोत्साहित नहीं करते। इसी प्रकार पूँजी कर (Capital levy) जो किसी विशेष कार्य के लिये ही लगाया गया है, काम करने तथा बचत की इच्छा पर बुरा प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि कर्दाता जानता है कि उसे इसका भुगतान बार-बार नहीं करना होगा।

वस्तुमा और सेवाश्रा पर जी कर लगाय जाते हैं, उनसे उपभोग कम हो सकता है और उत्पादन पर भी पराध रूप से प्रभाव पड़ता है। वस्तुओं के मूल्य ऊँचे हो जाने से, उपभोक्ताश्रा की मांग कम होती है और अन्त में उत्पादकों को भी अपना उत्पादन कम करना पड़ता है। यही प्रभाव विप्रे की करा का भी होता है। सीमा कर दूनी और देशीय उद्योगों के संरक्षण द्वारा प्रोत्साहित देने हैं। परन्तु सीमा कर से हानि भी हो सकती है यदि संरक्षण अकुशल उद्योगों को प्राप्ति हो जाता है। अतः सीमा कर उसी समय हितकर सिद्ध है। सक्ते हैं जबकि देश के कुशल उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जाता है।

करारोपण का सामान्य प्रभाव नए स्थापित उद्योगों पर बुरा होता है और पुराने उद्योगों पर इतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि पुराने उद्योगों में कर के भार को मुगमता में सहन कर सकते हैं परन्तु नए उद्योगों की रूपनी ही व्यवस्था बढिनाई में हो पाती है, व कर भार को क्या सहन कर सकते हैं। इसी प्रकार जब उपभ्रिन उद्योगों का विकास करना है तब भी करारोपण अहितकर सिद्ध हो सकता है। इसीलिये व्यवहार में नए उद्योगों को कर की छूट देनी चाहिए और उन पुराने उद्योगों पर जिनका विकास करना है हल्का कर लगाना उचित होगा।

कुछ लोगों ने करारोपण की पूर्णतः भिन्न दृष्टिकोण से देखा है। इन लोगों के अनुसार करों से प्राप्त मांग भी एक प्रकार की वचत है। यह सामूहिक वचत है। यदि नागरिक फिजूल खर्च हैं, देश में वचनों की मात्रा बहुत कम है, विनियोग बहुत कम है, देश में बेकारी बहुत है, औद्योगिक विघ्न प्रगति स्तर पर है, तो करारोपण द्वारा सरकार आय प्राप्त कर सकती है और उसका विनियोग करके उद्योगों को प्रोत्साहित दे सकती है, या पूँजीगत वस्तुओं (Capital goods) के उत्पादन में उसका विनियोग कर सकती है। यह अवश्य है कि करारोपण से व्यक्तियों की कार्य करने तथा बचतने को शक्ति और इच्छा, दोनों ही कम होंगी, परन्तु इसकी प्रतिपूर्ति, सरकार द्वारा उत्पादित पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन से हो जाती है, क्योंकि समाज की सामू-

हिक उत्पादन शक्ति में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है और अन्त में व्यक्तियों के बचाने और काम करने की शक्ति और योग्यता, दोनों ही में वृद्धि हो जाती है। इसी कारण आर्थिक नियोजन के बाल में इस नीति का इतना अधिक महत्व होता है।

८-(३) करारोपण का आर्थिक साधनों के पुनर्वितरण पर प्रभाव—कभी तक इस अध्याय में हम करारोपण के व्यक्तियों की कार्य करने तथा बचाने की शक्ति एवं योग्यता पर पड़ने वाले प्रभावों द्वारा उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ते हैं उनका अध्ययन कर रहे थे। अब हम उत्पादन पर साधनों के पुनर्वितरण से जो प्रभाव पड़ते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। प्राचीन लेखकों का विश्वास था कि कोई भी साधन अपने 'प्राकृतिक उपयोगों' से निकलकर जब नये उपयोगों में प्रयोग किया जाता है तो वह इतना लाभप्रद नहीं रहता जितना कि वह पुराने उपयोग में था, क्योंकि उनका विश्वास था कि स्वतन्त्र प्रतियोगिता और 'स्वयं हित' से साधनों का मदैव ही सर्वोत्तम उपयोग होता है। यदि इन उपयोगों में कृत्रिम उपायों में कोई भी उलटफेर कर दी जायेगी तब उत्पादन की मात्रा पहले की अपेक्षा अवश्य ही कम हो जायेगी। प्राथमिक लेखकों में से अधिकांश की भी यही राय है, परन्तु अनेकों ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जो इसको सिद्ध नहीं करते। वास्तविकता यह है कि साधनों का पुनर्वितरण या स्थानान्तरण न तो उत्पादन के लिए मदैव ही हानिकारक होता है और न लाभप्रद। कभी उत्पादन को हानि होती है तो कभी लाभ।

जहाँ तक साधना का विभिन्न उपयोगों में स्थानान्तरण का सम्बन्ध है, कुछ बार ऐसे हैं जिनके पक्ष में यह कहा गया है कि ये किसी प्रकार का भी पुनर्वितरण नहीं करते, जैसे, अणुस्मिक लाभ, भूमि की स्थिति पर कर, एकाधिकारी पर ऐस कर जो न तो उसको उत्पादन और न विक्रय मूल्य में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करते हैं, और ऐसे कर जो सम्पत्ति के सभी उपयोगों में समान भार डालते हैं।

कुछ बार ऐसे होते हैं जो साधनों का स्थानान्तरण इस प्रकार करते हैं कि उत्पादन में वृद्धि होती है, या समाज को सामान्य रूप से लाभ होता है। उपभोग की हानि कारक वस्तुओं पर लगे हुए करों की यही प्रकृति होती है। ऐसी वस्तुओं के मूल्य बढ़ने से उनका उपभोग हतोत्साहित होता है और उसमें लगी हुई पंजी व अन्य अन्य उद्योगों को स्थानान्तरित होने लगते हैं। इसी प्रकार जो धन उपभोक्ता इन वस्तुओं के उपभोग पर व्यय करता था, अब या तो उसे बचायेगा या अच्छी और लाभप्रद वस्तुओं पर खर्च करेगा। बचतों में वृद्धि होने से भी देश को लाभ होगा है और अन्य लाभप्रद वस्तुओं का उपभोग बढ़ने से भी लाभ होगा। दोनों ही दशाओं में विनियोगों की प्रोत्साहन मिलेगा और देश की आर्थिक उन्नति होगी। साथ ही व्यक्तियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और देश की उत्पादन शक्ति बढ़ेगी। इस प्रकार यह स्थानान्तरण लाभप्रद है। ठीक इसी प्रकार यदि विलास की वस्तुओं पर कर लगाया जाये तो उससे भी साधनों का स्थानान्तरण समाज के हित में होगा। सुरक्षण कर का भी यही प्रभाव होगा। अन्य उद्योगों से निकलकर साधन उस उद्योग में लगने लगेगे

जिनका अभाव तब विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण बितान नहीं हो सका था परन्तु जिनका भविष्य संरक्षण प्राप्त होने से अब उज्ज्वल है।

यह ध्यान रहे कि माधनों का पुनर्वितरण हर स्थिति में देना या समाज के लिए लाभप्रद नहीं होता। कुछ मामों में ही हस्तान्तरण है जो हानिकारक होते हैं। कभी कभी संरक्षण वर ही हानिकारक सिद्ध होता है। यदि संरक्षण वर में प्राप्त प्रायः ऐसे उद्योगों को अधिक सहायता देने में उपयोग की जाती है जो अकुशल हैं या जो देश के लिए आवश्यक नहीं हैं या जिनके लिए देना की प्राकृतिक परिस्थितियाँ उचित नहीं हैं ता ऐसे उद्योगों से लाभ के स्थान पर हानि होती है। वर द्वारा जो माधनों का पुनर्वितरण होता है अर्थात् प्रथम माधन उद्योगों में माधन निकलकर संरक्षित उद्योगों में जो लगने लगते हैं उसमें देश का हित अग्रसर नहीं होता। ऐसे उद्योगों को यदि भी अपने परा पर नहीं खड़े हो पावें और जैसे ही उन पर से संरक्षण हटाया जायगा वह टूटने लगे। अतः जो माधन अधिक उपजाऊ उद्योगों से निकलकर अकुशल संरक्षित उद्योगों में स्थानान्तरित हुए थे उनका अपायही उपयोग ही हुआ जो संरक्षण के अभाव में कभी भी नहीं होता। इसी प्रकार अनिर्वाह आवश्यकताओं की वस्तुओं पर कर लगाने में यह सम्भव है कि ऐसे उद्योगों में पंजी और अम निकलकर अनावश्यक उद्योगों में उपयोग में आने लगे। यदि ऐसा होता है तो माधनों का पुनर्वितरण हानिकारक होगा।

कुछ कर ऐसे होते हैं जो माधनों का स्थानान्तरण वर्तमान उपयोग से भावी उपयोग के लिए कर देते हैं। यकित अपने उपयोग को कम कर देते हैं और उच्चाने के लिए विवश हो जाते हैं। वचन द्वारा यकित को भविष्य में अपनी आय का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः यकित वर्तमान आवश्यकताओं पर खर्च न करके अपनी आय को भविष्य में खर्च करने के उद्देश्य से बचाकर रखता है। बिक्री कर आयात निर्यात कर ऐसे करों का उदाहरण है। माधनों का स्थानान्तरण देना के हित में या अहित में यह बहुत कुछ सरकारी व्यय पर निर्भर करता है। यदि कर द्वारा प्राप्त राशि अल्पाधिक व्ययों में खर्च किया जाता है और देश का पंजीयन वस्तुओं के बचाने के काम में नहीं लाया जाता तो माधनों का स्थानान्तरण जो वर्तमान से भावी उपयोग के लिए हुआ उसमें देश को तनिक भी लाभ नहीं हुआ।

करो में माधनों का पुनर्वितरण ऐसा भी होता है कि माधन एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानान्तरित होने लगते हैं। यदि किसी देश में आय या अनायास कर बहुत ही प्रगतिशील है तो व्यक्ति उस देश में अपनी पंजी अनकाल कर किसी ऐसे देश में विनियोजित करने लगे जहाँ कर भार कम है। यदि देश के भिन्न भिन्न भागों में वितरण कर सघीय वित्त व्यवस्था (Federal Financial Administration) में करों की दर भिन्न भिन्न हैं तब तो पंजी का स्थानान्तरण वही ही सम्भविता से होगा चाहे विदेशों में यह स्थानान्तरण इतना सरल न हो। सघीय वित्त व्यवस्था में इसकी सम्भावना इसलिए अधिक होती है कि उसमें अनेको राज्य (States) होते हैं

और हर राज्य में अलग-अलग सूद की दर हो सकती है। भारत में विभिन्न राज्या-
म विन्नी कर की दरों के भिन्न-भिन्न होने से देश को काफी हानि हो रही है। यदि
सब ही स्वामान पर कर की दरें समान हों तो सब ही क्षेत्रों का समान विकास होता
है और देश को लाभ होता है।

करारोपण के वितरण पर प्रभाव—

इस अध्याय में हमने अभी तक करारोपण के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों
की विवेचना की थी। अब हम यह अध्ययन करेंगे कि करारोपण के वितरण के क्षेत्र में
क्या प्रभाव होते हैं। हम गृही, बढ़ती हुई धन की असमानताओं के सामाजिक, आर्थिक
और राजनीतिक परिणामों से भली भाँति परिचित हैं। वास्तव में धन के वितरण की
असमानताओं के कारण ही आज राज्य (State) की स्पर्शा इतनी बढ़ गई है।
मानव-जीवन में राज्य का महत्व जितना आज है उतना पहले कभी न था। हम देख
चुके हैं कि राज्य अपने व्यय को इस प्रकार सम्पन्न करता है कि धन की असमानताएँ
न्यूनतम हो जायें। यदि राजकीय व्यय का उद्देश्य धन की असमानताओं को कम करना
है तो करारोपण का भी यही उद्देश्य होता है। प्राचीन लेखक इस विचार से बिलकुल
भी सहमत न थे कि करारोपण द्वारा धन की असमानताएँ दूर हो सकती हैं। हम पहले
भी कह चुके हैं कि पुराने लेखक केवल यहाँ मानते थे कि करारोपण आय प्राप्त करने
का एक साधन है, और इसके अतिरिक्त न तो उभरा कोई कर्तव्य है और न कोई लाभ
ही। यदि देखा जाय तो एडम स्मिथ ने करारोपण सम्बन्धी जो अपने नियम दिये थे
उनका भी यह उद्देश्य था कि राज्य को पर्याप्त आय बिना नागरिकों को तंग किये
ही प्राप्त हो जाये। यही विचार रिक्वाडों मिल बैस्टेबिल और एडमर का भी था।
य लेखक करो को नागरिकों की जेबों से धन निकालने का एक साधन मानते
थे। बैस्टेबिल ने कहा है कि करारोपण को 'धन की असमानताओं को ठीक करने
का एक साधन मानने की एक बड़ी दृढ़ धारणा है। यह तो वित्तीय कला की शक्ति
के अन्दर ही सम्भव है कि करो की दरों और रूपों को इस प्रकार चुना जाये कि
बिना किसी वर्ग पर अनुचित दबाव के आवश्यक धन प्राप्त हो जाये, परन्तु यदि
धन के वितरण के प्रभावों की ओर ध्यान देना है और इस दिशा में कुछ विशेष
उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई तरतीब करनी है तो इस कार्य की कठिनाइयाँ अत्य-
धिक हो जाती हैं। यदि उद्देश्य समाजवादी प्रणाली स्थापित करना है तो करारोपण में
चालाकी से व्यवस्था करने की अपेक्षा अधिक प्रत्यक्ष और प्रभावशाली विधियाँ
उपस्थित हैं।' परन्तु समय की प्रगति के साथ-साथ अब अधिवाश लेखकों का यही
मत है कि राजकीय व्यय और करारोपण—दोनों ही धन की असमानताओं को दूर
करने के शक्तिशाली अस्त्र हैं। यह समाजोपकरण के अर्थ प्रत्यक्ष उपायों की भाँति
क्रान्तिकारी भी नहीं है और उद्देश्य की पूर्ति भी कर देता है। हम पिछले अध्याय
में यह कह चुके हैं कि धन की असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से करारोपण
की दरों में उलट फेर की जाती है। दरों की दृष्टि से हमने पहले, करा को

अनुपातिक, प्रगतिशील, प्रतिगामी और अधोगामी करो में विभाजित किया था।⁸ यह तो स्पष्ट ही है कि प्रतिगामी करो से धन की असमानतायें और अधिक तीव्र हानी, क्योंकि इनका भार धनी वर्गों की अपेक्षा निर्धन वर्गों पर बहुत ही अधिक पड़ता है। जैसे व्यक्ति कर (Poll Tax) इसी प्रकार अनुपातिक कर भी असमानताओं को दूर नहीं कर पाते, और करो की दर समान रहने के कारण धन की असमानतायें पूर्ववत् ही रहती हैं। केवल प्रगतिशील करो से ही ये असमानतायें कम हानी हैं, क्योंकि ऐसे करो का भार निर्धन व्यक्तियों की अपेक्षा धनी व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है। हन इसके बारे में पहले भी कह चुके हैं कि धन की वृद्धि के साथ साथ द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता कम हो जाने से धनी व्यक्तियों की कर-दान योगिता पकड़ी जाती है और धनी व्यक्तियों को कर भुगतान करना दुरा भी नहीं लगता। धन की असमानताओं को दूर करने के लिये यही सर्वोत्तम उपाय है। शायद, सम्पत्तिकर वस्तुनर तथा अन्य विलास की वस्तुओं पर लगे हुए करो की दरें प्रगतिशील रखी जाती हैं। पायकरो को और सम्पत्ति करो को प्रगतिशील बनाना बड़ा ही मरल होता है। आय को विभिन्न खण्डों (Slabs) में बाटकर, आय बढ़ने के साथ-साथ दर को बढ़ाते जाते हैं। इस प्रकार पूरी आय पर समान दर से कर नहीं लगता। कम आय पर कर की दर नीची होती है और ऊँची आय पर दर ऊँची हो जाती है। अधिकतर देशों में यह ही प्रचलित है। वही कही पर कर को अधिक प्रगतिशील बनाने के लिये दो और उपाय किए जाते हैं। एक तो ऊँची आयों पर अतिरिक्त कर लगा दिए जाते हैं, जैसे अतिरिक्त लाभ कर (Excess Profits Tax) या अति कर (Super Tax) लगा दिए जाते हैं और दूसरे ग्युनतम कर रहित सीमा को बहुत ऊँचा कर दिया जाता है और निम्न आय वाले व्यक्तियों को अनेक प्रकार की रियायतें दे दी जाती हैं जैसे, उन व्यक्तियों को जिनके निर्भरकर्ताओं की संख्या अधिक है उनके कुटुम्ब भत्तों (Family Allowances) के रूप में कुछ सहायता देना। इसी प्रकार सम्पत्ति करो से भी धन की असमानताओं को कम होना सहायता मिलती है। बड़ी बड़ी सम्पत्तियों के एकत्रित होने के कारण ही समाज में असमानतायें उत्पन्न होती हैं। इन असमानताओं को दो प्रकार से दूर किया जाता है। प्रथम, केवल सम्पत्ति वालों पर ही कर लगाया जाता है, और दूसरे अधिक सम्पत्ति वाले पर ऊँची दर पर कर लगाया जाता है और कम सम्पत्ति वाले पर नीची दर से कर लिया जाता है। आधुनिक समय में व्यय कर को भी महत्व प्रदान किया जाने लगा है। यह स्पष्ट सिद्ध है कि निर्धनों की अपेक्षा धनी व्यक्ति अधिक व्यय करते हैं। अतः जितना जिस व्यक्ति का व्यय हो उसके अनुसार कर लगाया जावे। इसी प्रकार दिलासगुणक वस्तुओं पर कर लगने से भी धन की असमानतायें दूर होती हैं। परन्तु यदि आवश्यक आवश्यकताओं की वस्तुओं पर कर लगाया जाता है तो उससे धन की असमानतायें कम होने के स्थान पर और अधिक बढ़ जाती हैं। इसी कारण ये कर प्रतिगामी पड़े जाते हैं, क्योंकि आवश्यक वस्तुओं पर निर्धनों को धनी व्यक्तियों की अपेक्षा

आर्थिक खर्च करना पड़ता है, परिणामस्वरूप उन पर कर का भार अधिक पड़ता है। इसी तरह बिना कर भी सामान्य रूप से प्रतिगामी होता है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि समान वितरण के लिये अति प्रगतिशील कर आवश्यक है, परन्तु हम यह भी देख चुके हैं कि ऐसे करों से उत्पादन हतोत्साहित होता है। इसलिये यह आवश्यक है कि करारोपण इस प्रकार किया जाये कि उत्पादन हतोत्साहित न हो क्योंकि यदि उत्पत्ति ही कम होती जायेगी तो वितरण किन वस्तु का होगा और फिर समान वितरण से क्या लाभ होगा? अतः कर प्रणाली का निर्माण इस प्रकार करना चाहिये कि दोनों उद्देश्यों की पूर्ति होती रहे अर्थात् उत्पादन भी हतोत्साहित न हो और धन का वितरण भी समान रहे।

जो कर धन के पुनर्वितरण में सहायता करते हैं वे आर्थिक जीवन को स्थायी बनाने हैं। मदी काल में जबकि वस्तुओं के मूल्य गिरते जाते हैं और बेकारी फैलने लगती है, उस समय निर्धन व्यक्तियों पर कर लगाना सामाजिक हित में होता है। हम सभी जानते हैं कि निर्धन व्यक्ति धनी व्यक्तियों की अपेक्षा अपनी आय का एक बहुत बड़ा अनुपात उपभोग पर व्यय करते हैं। यदि निर्धनों पर कर लगाये जायें तो उनका उपभोग कम होने से जो कुछ वस्तुओं की माग बाजार में थी उसमें भी कमी आयेगी और बेकारी और उत्पन्न होगी। इसलिये निर्धनों पर कोई भी कर नहीं लगाना चाहिये, बल्कि धनी व्यक्तियों से कर वसूल करके ऐसी सेवाओं पर खर्च करना चाहिये जिनसे निर्धन व्यक्तियों को लाभ पहुँचे और उनकी व्रत-शक्ति में वृद्धि हो, उत्पादन बड़े और बेकारी कम हो। अतः कर, धन के पुनर्वितरण द्वारा, देश में आर्थिक जीवन को स्थायी बनाने हैं।

करारोपण और उपभोग—

करारोपण व्यक्तियों के उपभोग को भी प्रभावित कर सकता है। साधारणतः आयकर व्यक्तियों के उपभोग स्तर को कम करता है, परन्तु यदि आयकर बहुत ही प्रगतिशील हो और प्रतिगामी भी हो तो इसके प्रभाव समाज के लिये बहुत घातक सिद्ध होने हैं। इसीलिये छोटी आय वाले लोगों की आय पर कोई भी कर नहीं लगाया जाता, क्योंकि इसका भार निर्धनों पर पड़ने के कारण अन्तिम दशा में देश के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। हम पहले भी कह चुके हैं कि आवश्यक और प्रसिद्धा सम्बन्धी आवश्यकताओं की वस्तुओं पर कर लगाने का भी यही परिणाम होता है। ऐसी वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं, और उनकी माग बेलोच रहने के कारण, कर का भार गरीबों पर अधिक पड़ता है। उनको या तो अपना उपभोग कम करना होता है या ऋणग्रस्त रहना पड़ता है। ये दोनों स्थितियाँ खराब होती हैं। ठीक इसी प्रकार की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है, जबकि उन वस्तुओं पर कर लगता है जो कार्यक्षमता बढ़ाती हैं। ऐसी वस्तुओं की माग की लोच अधिक होने के कारण, व्यक्ति मूल्य बढ़ने पर या तो उनका उपभोग कम कर देते हैं या उनका उपभोग विलकुल बन्द ही कर देते हैं। इसीलिये ऐसी वस्तुओं पर कर लगाना बुरा समझा जाता है। दूसरी ओर विलासिता की वस्तुओं पर कर लगाना अच्छा समझा जाता है। इसका अभिप्राय यह नहीं कि करों से ऐसी

वस्तुओं का उपभोग कम नहीं होता। उपभोग कम तो होता है, परन्तु ऐसी वस्तुओं का उपभोग कम होने से समाज को लाभ होता है। व्यक्तियों की जो कार्यक्षमता इन वस्तुओं के उपभोग से कम होती थी वह अब नहीं होगी। दूसरे इनका भार धनी व्यक्तियों पर पड़ता है इसी प्रकार हानिकारक तथा नशीली वस्तुओं पर कर लगाने से भी समाज को लाभ होता है क्योंकि इनके मूल्य बढ़ने से जो उपभोग में कमी होती है वह व्यक्तियों के लिए लाभप्रद होती है।

यदि करारोपण के व्यक्तियों की सन्तुष्टि पर पड़ने वाले प्रभायों की ओर ध्यान दिया जाये तो यह ज्ञात होगा कि करारोपण द्वारा वस्तुओं का उपभोग कम होने से व्यक्तियों की सन्तुष्टि सर्वत्र ही कम नहीं होती। यदि वस्तुओं की माँग लोचदार है तो कर लगने से वस्तुओं का जो उपभोग कम होगा, उसका अभिप्राय यह होगा कि या तो व्यक्तियों को उस वस्तु से सन्तुष्टि नहीं प्राप्त होती है या उस वस्तु को स्थान पर कोई दूसरी वस्तु का उपभोग किया जा सकता है या उसका उपभोग आवश्यक नहीं है और भविष्य के लिये स्वयं किया जा सकता है। इसीलिए ऐसी वस्तुओं पर कर लगाने से व्यक्तियों की सन्तुष्टि कम नहीं होती। यह ध्यान रहे कि ऐसे करा से सरकार को कोई विशेष आय प्राप्त नहीं होती। वस्तुओं की माँग लोचदार होने के कारण मूल्य बढ़ने के साथ साथ माँग भी कम होती जाती है और बाजार में वस्तुओं की बिक्री की मात्रा भी कम होती जायेगी। यदि वस्तुओं की बिक्री पर कर लगा हुआ है तो बिक्री कम हो जाने से सरकार की आय भी कम होती जायेगी और यदि कर वस्तुओं के उत्पादन पर लगा है, तो उत्पादन कम होने से (क्योंकि बाजार में वस्तुओं की माँग कम हो गयी है) सरकार की आय भी कम होती जायेगी। अतः जब सरकार लाभदायक माँग वाली वस्तुओं पर कर लगाती है तो उसका उद्देश्य आय प्राप्त करना नहीं होता। सरकार को बेरोजगार माँग वाली वस्तुओं पर कर लगाने से ही आय प्राप्त होती है। परन्तु इन वस्तुओं पर कर लगाने से व्यक्तियों की सन्तुष्टि बहुत कम हो जाती है। आयकर से व्यक्तियों की सन्तुष्टि इतनी कम नहीं होती जितनी वस्तुओं पर कर लगाने से, क्योंकि आयकर से केवल आय ही कम होती है, वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि नहीं होती। व्यक्तियों की सन्तुष्टि मूल्यों की वृद्धि से अधिक कम होती है।

करारोपण और आर्थिक स्थिरता—

हम राजकीय धन्य के प्रभावों का अध्ययन करते समय यह स्पष्ट कर चुके हैं कि राजकीय व्यय द्वारा आर्थिक जीवन को स्थानी बनाया जा सकता है। राज्य करों द्वारा भी देश में आर्थिक क्रियाओं का नियन्त्रण कर सकता है और देश में रोजगार के स्तर को स्थायी बना सकता है और पूर्ण रोजगार की स्थिति स्थापित कर सकता है। प्रो० लेर्नर (Lerner) का तो यह विचार है कि राज्य को आय के स्रोत के रूप में करों की देखभाल ही नहीं चाहिए बल्कि करारोपण का एकमात्र उद्देश्य देश में आर्थिक क्रियाओं अर्थात् उत्पादन, वितरण एवं उपभोग सम्बन्धी क्रियाओं के प्रकार को नियमित

करना ही होगा चाहिए। इनको विश्वास है कि आय तो अन्य नौतों में भी प्राप्त की जा सकती है, जैसे मोट प्रकाशित करके। कर द्वारा व्यक्तियों की श्रम शक्ति तथा व्यय शक्ति को कम करना चाहिए। सरकार का, करारोपण का कोई भी उद्देश्य यों न हो, यह निश्चित ही है कि आर्थिक क्रियाओं पर करारोपण का प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। करारोपण, व्यक्तियों के उपभोग और विनियोग करने की शक्ति को प्रभावित करके देश के व्यापार, उद्योग और रोजगार की स्थिति को प्रभावित करता है। यह ती स्पष्ट ही है कि देश में सभी आर्थिक क्रियाएँ, उपभोग के स्तर से निर्धारित होती हैं। वस्तु विशेष का उपभोग बढ़ने से उसकी मांग बढ़ती है, मूल्य बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है और उस उद्योग विशेष में अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलने लगता है। उपभोग के कम होने से स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाती है। विनियोगों द्वारा पूंजीगत वस्तुओं की उत्पत्ति बढ़ती है, जिनसे अन्य वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता है और इस प्रकार देश में रोजगार में वृद्धि होती है। अतः जिन करों से उपभोग हतोत्साहित होता है और घन विनियोगों में लगने के स्थान पर सचिन कोषों (Hoards) में जाने लगता है वे बेरोजगारी बढ़ायेगे और बुरे होते हैं।

मुद्रा स्फीति के काल में करारोपण का प्रभाव व्यक्तियों की क्रय शक्ति को कम करना होता है। मुद्रा स्फीति में मूल्यों की वृद्धि से समाज के अधिकांश वर्गों को हानि होती है। अतः व्यक्तियों को क्रय शक्ति को कम करके मूल्यों को बढ़ने की प्रवृत्ति को रोका जाता है। व्यक्तियों की अतिरिक्त क्रय-शक्ति व्यक्तियों के पाग से करारोपण द्वारा सरकार के पास पहुँच जाती है। आय कर तथा व्यय कर इस सम्बन्ध में अधिक प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। आय कर आय को कम करके क्रय-शक्ति को कम करता है और व्यय-कर व्यय करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करता है। मुद्रा-स्फीति में आयों की अपेक्षा उत्पत्ति में वृद्धि नहीं हो पाती है इसीलिए मूल्य बढ़ते जाते हैं। उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, कुछ करों की छूट भी लाभकारी सिद्ध होती है। नए उत्पादकों पर कोई कर न लगाया जाये ताकि उन्हें उत्पत्ति बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिले। वस्तुओं की मात्रा आयातों द्वारा भी बढ़ाई जा सकती है। अतः मुद्रा-स्फीति में आयात करों को कम करने से आयातों को प्रोत्साहन मिलेगा और देश में सामान्य मूल्य स्तर भी कम होगा। इस प्रकार करारोपण द्वारा, मुद्रा-स्फीति में, मूल्यस्तर में स्थिरता लाई जाती है।

मुद्रा संकुचन या मदी काल में आर्थिक स्थिति मुद्रा-स्फीति के बिल्कुल विपरीत होती है। मदीकाल में विनियोगों में मन्दी आ जाती है, उत्पादन बन्द होने लगता है, और बेकारी बढ़ने लगती है। चारों ओर निराशा की एक लहर दौड़ने लगती है। ऐसी स्थिति में यदि नए कर लगाये जायेंगे तो वे क्रय-शक्ति और विनियोगों को हतोत्साहित करके स्थिति को और भी बिगाड़ देंगे। परिणामस्वरूप रोजगारों की स्थिति और भी अधिक खराब हो जायेगी। इसलिए यह आवश्यक है कि कर की मात्रा पहले से कम कर दी जाए। राजकीय व्यय में वृद्धि कर दी जाए और ऐसे उद्योगों को चाखू किया जाये, जिनमें अधिक व्यक्तियों को नौकरी मिले।

ऐसी स्थिति में अधिकतर भाटे के बजट की व्यवस्था की जाती है। यह ध्यान रहे कि करा की इस प्रकार कम करना चाहिये कि कर भार निर्धनों पर कम हो जाए। जिन करो का भार धनी व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है, उनमें अधिक कमी करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि उद्योग की सहाय्य में, केवल निर्धनों का कर-भार कम करने से ही, वृद्धि होगी। अतः करा द्वारा जो धन का पुनर्वितरण होता है, वह भी मनी को रोकने में सहायता करता है। कमी-कमी यह प्रस्ताव दिया जाता है कि उपभोग को बढ़ाने के लिए, बचत और धन को संचित करने पर कर लगाना चाहिए। साथ ही उन करो को कम कर देना चाहिए, जिन्हें विनियोग हतोत्साहित होते हैं। नए विनियोगों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कुछ प्रकार की रियायतें भी देनी चाहिए। यदीकाल में करारोपण द्वारा इस प्रकार हम, आर्थिक क्रियाओं को रक्षायोत्सव प्रदान कर सकते हैं और रोजगार की स्थिति को सुधार सकते हैं।

अतः सत्रोपेक्ष हम यह कह सकते हैं कि मुद्रा-नवीनीकरण नए करा को लगाकर और पुराने करो की दरों को बढ़ाकर व्यक्तिगत आय-संपत्ति को कम करना और मुद्रा संचयन म करो को हटा कर या दर कम करके और नए करा का विचार रखने के मूल्य को स्थिर और रोजगार की स्थिति को स्थायी बनाना जा सकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, राजस्व सम्बन्धी क्रियाओं का उपयुक्त आधुनिक सरकारों द्वारा किया जाता है और करारोपण हर सरकार की आर्थिक नीति का मुख्य अंग बन गया है। आधुनिक लेखक इसी को कार्य-सम्पादन सम्बन्धी वित्त-व्यवस्था (functional finance) कहते हैं।¹⁰ यही राजस्व का महत्व भी है। राजस्व वित्तोपेक्ष से करारोपण का, कार्य-सम्पादन सम्बन्धी महत्त्व (functional importance) को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। हलके और भारी कर तथा कर उपादान सम्बन्धी क्रियाओं को नियमित कर सकते हैं, कुछ हानिकारक एवं वित्तास की वस्तुओं पर कर लगाकर उनके उपयोग को नियमित किया जा सकता है। करो द्वारा वस्तुओं और सम्पत्ति के विनियम को भी नियमित किया जा सकता है। धन, आय तथा सम्पत्ति पर कर लगाकर धन की अन्वयताओं को दूर किया जा सकता है। व्यक्ति तथा यात्री कर द्वारा, व्यक्तियों के आवागमन को नियमित किया जा सकता है और अन्त में करो द्वारा नू यो तथा रोजगार को स्थायी रखा जा सकता है। इसी कारण करारोपण सरकार की नीति का एक आवश्यक अंग बन गया है।

प्राक्कथन—

पिछले अध्यायों में हमने अनेक बार 'कर-भार' शब्द का प्रयोग किया है। इस अध्याय में हम कर-भार सम्बन्धी समस्या का विस्तृत अध्ययन करेंगे। कर-भार की समस्या का अध्ययन व्यवहारिक दृष्टिकोण से नितान्त आवश्यक है, क्योंकि करारोपण की न्यायशीलता इसी पर निर्भर करती है कि कर-भार किम व्यक्ति को सहन करना पड़ता है? कर का भार उमी व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर कर लगाया गया है या वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्तियों पर कर का भार डाल देता है? कर-भार सभी व्यक्तियों पर समान है या असमान? इन्हीं प्रश्नों से सम्बन्धित सैद्धान्तिक वाद विवाद की विवेचना हम इस अध्याय में करने जा रहे हैं।

कर-भार की मुख्य समस्या यह मालूम करना है कि 'कर का भुगतान वास्तव में कौन कर रहा है?' हम जानते हैं कि कर का भार सर्वैव ही उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता, जिससे वह बसूल किया जाता है। अधिकतर वह अन्य व्यक्तियों को सहन करना पड़ता है। वित्त मंत्री के लिए यह जानना आवश्यक है कि कर का अन्तिम भार किस व्यक्ति को सहन करना पड़ रहा है। अतः कबले यह ही मालूम करना आवश्यक नहीं है कि कर का भार आरम्भ में किस पर पड़ रहा है, वरन् यह जानना भी आवश्यक है कि अन्त में कर का भार किस व्यक्ति पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त इसका भी ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है कि कर का मौद्रिक भार (money burden) तथा अमौद्रिक भार (non-monetary burden) किस-किस पर पड़ रहा है। कर का प्रारम्भिक भार मालूम करना तो सम्भव है, किन्तु कर का अन्तिम भार निश्चित करना अत्यन्त कठिन होता है। कर के भार से हमारा अभिप्राय, प्रत्यक्ष मौद्रिक भार से है।

बहुधा कर-दबाव (Impact of tax), कर-भार (Incidence of Tax) और कर-विवर्तन (Shifting of Tax) में भेद किया जाता है।

जब किसी व्यक्ति पर कर लगाया जाए, और कर का भुगतान वह ही करे, अर्थात् कर की राशि उसी व्यक्ति की आय में से सरकारी खजाने में जाये तो कर का दबाव उमी व्यक्ति पर पड़ता है। सरकारी रजिस्ट्रों में उसी का नाम कर-दाताओं की सूची में लिखा होता है। इसको एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता

है। अभी अभी भारत सरकार ने सण्डसारी शकर पर ५६०% का उत्पादन कर लगाया है। यह कर उत्पादन शकर के वजन के अनुसार उत्पादकों से ही वसूल किया जायता इसलिए कर उदात्त सण्डसारी उत्पादकों पर पड़ेगा। कर का भार उच्च व्यक्ति पर पड़ता है, जिसको अन्त में कर का मोहिता भार सहन करना पड़ता है। कर-भार भाग्य बनने के लिये हमको यह दिखना पड़ेगा कि यदि कर न लगाया जाता तो कर के रूप में दी गई धन राशि किस की जेब में रहती। हमारे उदाहरण में यदि सण्डसारी उत्पादन शकर के मूल्य बढ़ाकर उपभोक्ताओं से कर वसूल कर लेना में सफल हो जाते हैं तो कर भार उत्पादकों पर न रहे कर उपभोक्ताओं पर रहेगा, क्योंकि अन्त में कर का मोहिता भार उपभोक्ताओं का ही सहन करना पड़ता है। यदि उत्पादकों को अपने इस प्रमाण में सफलता नहीं होती अर्थात् यदि वे मूल्य बढ़ाने में सफल नहीं होते तो कर भार उत्पादकों पर ही रहेगा। अतः कर भार उच्च व्यक्ति पर पड़ता है जो अन्त में अपना भुगतान करता है। अभी-अभी पता भी हो सकता है कि उत्पादक मूल्य बढ़ाने में सफल तो हो जायें परन्तु इतना नहीं कि जिस कर राशि का उन्होंने भुगतान किया या वह पूरी हो जाए, तो कर का भार कुछ उत्पादकों पर पड़ेगा और कुछ उपभोक्ताओं पर। इस प्रकार यदि करदाता अपने कर भार को किसी अन्य व्यक्ति पर डालने में सफल हो जायें तो इस विधि को कर विवर्तन (Shifting of tax) कहते हैं। उदात्त उदाहरण में सण्डसारी उत्पादक यदि उपभोक्ताओं से कर की राशि वसूल करने में सफल हो जाते हैं तो वह कर का भार उपभोक्ताओं पर डाल लेते हैं।

के उत्पादक आरम्भ में ही कुल धन, हर के रूप में सरकार को दे दते हैं, जो कई वर्षों बाद, जबकि शहर का मारा स्टाक विक्रित जाता है, वसूल होता है, तो इस स्थिति में उन्हें पहले में ही दे दिया गये धन पर व्याज की हानि होती है। यह हानि हर का परोक्ष मौद्रिक भार है जो उत्पादकों को ही सहन करना पड़ता है। इससे हन कर भार के अध्ययन के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं करते। करारोपण से मूल्य बढ़ जाने के कारण निधियों को धनी व्यक्तिगता की समेक्षा अपनी आय का अधिक भाग खर्च करना पड़ता है और इस प्रकार उन पर कर का प्रत्यक्ष वास्तविक भार पड़ता है। यह भी कर भार के अध्ययन के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होता। करारोपण के कारण मूल्य बढ़ जाने में या तो उपभोक्ता शहर का उपभोग कम कर देंगे और यदि ऐसा नहीं करते तो अन्य वस्तुओं का उपभोग उन्हें कम करना होगा। दोनों ही स्थितियाँ में उनका कुल मनोप कम होगा। यह कर का परोक्ष वास्तविक भार है और इसलिए हर भार के अध्ययन के क्षेत्र से बाहर है। अतः कर भार के अध्ययन में हम केवल प्रत्यक्ष मौद्रिक भार को ही सम्मिलित करते हैं।

श्रीमती उर्मता हिंस ने उपाय (formal) कर भार तथा प्रभावयुक्त (Effective) कर भार के बीच भेद दिया है। यह पहली है कि 'हम अर्थशास्त्र में करदानाश्रा पर पडन वाले करा या करा के नार के दो विचारा मे सम्बन्धित ह। प्रथम उम विधि की मास्विकीय गणना मे जिन्के द्वारा किनी विनोप अवधि (प्राय एक वर्ष) में किनी विशेष कर मे आय प्राप्त की जाती है, अथान्, वस्तु का बाजार मूल्य, जिम पर कर निर्धारित किया जाता ह और उमकी उत्पादन लागत, के बीच का अन्तर, नागरिको क बीच विभाजित किया जाता है। या वैकल्पिक रूप मे, व्यक्तियों की आय का वह अनुपात, जो उन लोगो को आय प्रदान नहीं करता, जो उन्हें वस्तुएं अथवा सेवाएं प्रदान करता है, वरन् प्रशासक सन्थाओं (Governing bodies) की सामूहिक सँतुष्टिया के अर्थ प्रबन्ध के लिए दिया जाता है। इस गणना के परिणाम को उपरिक भार कह सकते ह।'² मक्षेप में हम कह सकन है कि श्रीमती हिंस के अनुसार कर का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार ही कर का उपरिक भार ह। परन्तु क्याकि इस प्रकार के अध्ययन में उत्पादा पर कर की दरों के परिवतनना मे जो प्रतिक्रियाए तथा परिणाम उत्पन्न होने है उनका कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता इसलिए प्रभाव युक्त नार के अध्ययन की आवश्यकता होती है। श्रीमती हिंस ने लिखा है कि 'किनी कर क सम्पूर्ण आर्थिक परिणामा का पता लगाने के लिये, हमको दो चित्र बनाने और उनकी तुलना करनी हानी है एक वह आर्थिक स्थिति (उपभोक्ताश्रा की आयप्रदानाश्रा तथा आय का वितरण और माधना का वटवारा) जो कर विनोप के लागू होने में उत्पन्न होती है, और दूसरी वह आर्थिक स्थिति जो कर के अभाव में उत्पन्न होती है। इन दोनों चिना के अन्तर को कर का प्रभावयुक्त भार कहना सुविधाजनक है।'³

2 Public Finance, Page, 158

3 Ibid, Page, 159

कर भार के अध्ययन का महत्व—

साधुनिज ऋण म कर भार का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। साजकत करारोपण का उद्देश्य केवल राजकीय वस्तुओं की पूर्ति के लिये धन इकट्ठा करना ही नहीं है बल्कि समाज म धन का वितरण समान करना तथा उत्पत्ति पर पडने वाले बुरे प्रभावों को रोकना भी है। विभिन्न व्यक्तियों पर कर भार के न्यायपूर्ण वितरण पर ही करारोपण की न्यायकीयता निर्भर होती है। परन्तु यह पता लगाने के लिये कि कर का भार सभी वर्गों पर न्यायपूर्ण है या नहीं वित्तमन्त्री को यह पता लगाना होगा कि किस-किस वर्गों पर विभिन्न करों का शैक्षिक भार किना पड रहा है, क्योंकि तभी यह निश्चित हो सकेगा कि कर प्रणाली कर दान योग्यता के सिद्धान्त के अनुकूल है। वास्तव में कर वित्तन के कारण समस्या तनिव जटिल हो जाती है। सरकार का उद्देश्य किसी विशेष वर्ग पर कर भार डालने का हो सकता है परन्तु यदि इस कर का वित्तन कर दिया जाता है, तो सरकार का उद्देश्य ही पराजित हो जायेगा। इसीलिये कर-भार और कर वित्तन के अध्ययन का महत्व है। ऐसे अध्ययन से हम यह पता चल जाता है कि किस व्यक्ति पर किसी कर का किना भार पड़ेगा और यह बात पता लग जाने से बाद कोई भी कर अनुचित रूप से नहीं लगाया जा सकेगा। प्रत्यक्ष करों का कर-भार तो आसानी से पता लग जाता है, परन्तु अप्रत्यक्ष करों का कर-भार पता लगाना इतना सरल नहीं होता, इसीलिये कर भार का अध्ययन आवश्यक है। यदि यह अध्ययन नहीं किया जायेगा तो सम्भव है कि ऐसी वस्तुओं पर कर लग जाये, जिनका उपसंग निर्धन व्यक्ति अधिक करते हैं। यदि सरकार किसी विशेष वर्ग पर कर भार डालना चाहती है तो उस इन अध्ययन से उन विधियों का ज्ञान प्राप्त होगा, जिनकी अपेक्षाकर वह अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके।

परन्तु कर-भार की समस्या का अध्ययन इतना सरल नहीं है जितना की ऊपर से प्रतीत होता है। इस प्रकार के अध्ययन म इनको वटिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। प्रथम, मूल्य के निरन्तर उतार चढ़ाव के कारण सर्व्व ही कर-भार का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना सम्भव नहीं होता। करारोपण के प्रतिरिक्त मूल्य अन्य कारणों से भी बढ़ सकते हैं। अतः यह, जैसे, पता, लाया, जाय कि मूल्य वृद्धि किस कारण का परिणाम है। यदि मूल्य वृद्धि अथवा करारोपण का प्रभाव है और कुछ अन्य कारणों का तो यह कैसे निर्दिष्ट किया जाये कि करारोपण के कारण मूल्यों में कितानी वृद्धि हुई है। दूसरे कर-भार और कर प्रभावों के बीच जेद करना, व्यवहार में कठिन होता है। तीसरे कर-भार का अध्ययन एक सुलभात्मक अध्ययन है, अर्थात् कर-भार का नहीं अध्ययन उनी समय ही सकता है जबकि एक कर का भार अलग अलग व्यक्तियों के सम्बन्ध म अलग अलग सामुय किया जाये और तब तुलनात्मक अध्ययन किया जाये और पता लगाया जाये कि किस पर कर का भार कम है और किस व्यक्ति पर अधिक। क्योंकि किसी एक वर्ग पर पडने वाले

कर-भार का अध्ययन यह सिद्ध नहीं कर सकता कि एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा अधिक कर भार सहन कर रहा है। "जो व्यक्ति कर का भुगतान करते हैं, उनको कर के लगने से कम चोट पहुँचती है अपेक्षाकृत उन व्यक्तियों के जो कर का भुगतान नहीं करते। एक व्यक्ति जो पुल पर लग हुये व्यक्ति कर को बचाने के लिये रोज दो मील का चक्कर-लगाकर जाता है, उसको इस कर के हटने से अधिक लाभ होगा अपेक्षाकृत उन व्यक्तियों के जो कर का भुगतान करते हैं।" 4 अतः कर भार के अध्ययन से यह आवश्यक नहीं कि कर भार का वितरण न्यायपूर्ण हो ही जाय, परन्तु फिर भी इसका अध्ययन अन्य प्रभावों का ज्ञान कराने में सहायक हो सकता है। 5

कर विवर्तन के सिद्धान्त—

कर विवर्तन उन क्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा कर का भार अन्य व्यक्तियों पर डाला जाता है। प्रायः सभी व्यक्तियों की कर भुगतान करने की इच्छा नहीं होती। हर व्यक्ति यही चाहता है कि उन पर कर भार न पड़े। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यही प्रयत्न रहता है कि वह कर को किसी दूसरे व्यक्ति पर हलके दे। कभी तो वह सफल हो जाता है और कभी वह असफल रहता है। वास्तव में कुछ कर होना ही ऐसे है कि उनको अधिक बार एक से दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाल सकते, जैसे यदि एक स्थानीय दूकानदार पर कोई कर लगाया गया है तो वह उसको उपभोक्ताओं से वसूल करेगा परन्तु उपभोक्ता उसे किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं हलके सकते। इस प्रकार एसी स्थिति में कर विवर्तन केवल दो ही विन्दुओं तक सीमित रहा। इसके विपरीत यदि किसी श्रमिक पर कर लगाया जाता है तो वह अपने मालिक से ऊँची मजदूरी मागेगा। यदि मालिक मजदूर की मजदूरी बढ़ा देता है तो वह अपनी वस्तुओं के मूल्य बढ़ा कर थाक व्यापारियों से वसूल करेगा थोक व्यापारी फूटकर व्यापारियों से वसूल करेंगे, जो अतः में उपभोक्ताओं से वसूल करने का प्रयत्न करेंगे। इस उदाहरण में कर विवर्तन इनको विन्दुओं पर किया गया है। कर भार के अध्ययन में प्रारम्भिक सीढ़ी कर विवर्तन का ही अध्ययन है। इस अध्ययन में कई बातों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है जैसे, कर विवर्तन किस दिशा में हो रहा है उसका रूप क्या है और विवर्तन की माप किस प्रकार की जाय ?

जहाँ तक कर विवर्तन की दिशा का सम्बन्ध है यह आगे भी हो सकता है और पीछे भी। जब कोई व्यापारी अपने ऊपर लगे हुये कर का उपभोक्ताओं पर डाल देता है तो इसे कर को आगे ढकेलना कहते हैं। यदि व्यापारी ऐसा नहीं कर पाना, कदाचित्त उसे यह डर हो कि मूल्य बढाने पर वस्तु न बिके तब यह कर को पीछे ढकेलने की कोशिश करता है अर्थात् वह मालिक से कर के अनुपात में

4 Cannan, quoted by Seligman *Shifting and Incidence of Taxation*, Page 13

5 Cf Seligman op cit Page 14

सब मुख्य देकर वस्तुएँ खरीदना चाहेंगा। इस प्रकार कर को आगे (उपभोक्ताओं पर) हटाना (Forward Shift) जा सकता है और पीछे टपेलना (Backward Shift) जा सकता है। कभी कभी यह भी सम्भव है कि कर विवर्तन बिल्कुल भी न हो सके। यह अधिकतर उन वस्तुओं में होता है जिनकी माँग लोचदार होती है। बढ़ाता कर का विवर्तन दो प्रकार से कर सकता है, या तो वस्तुओं के मूल्यों को कर में अनुपात में बढ़ा कर या वस्तुओं के गुणों को कम करके। यही कर विवर्तन के रूप हैं। कर विवर्तन के माप से हमारा अभिप्राय यह है कि कर का गिराना और किस व्यक्ति पर पड़ रहा है, अर्थात् केवल उपभोक्ता पर या व्यापारी पर या दोनों पर।

कभी कभी लोग कर विवर्तन को कर से बचना (Evasion) समझ बैठते हैं। पर वे बचने में तो कर की चोरी होती है। सरकारी खजाने में जो कर राशि पहुँचनी चाहिये भी वह व्यक्तियों की जेबों ही में रह जाती है अर्थात् व्यक्ति उसरी चोरी कर लेता है। उस स्थिति में सरकार को हानि होती है। दूसरी ओर कर विवर्तन में कर की चोरी नहीं होती अर्थात् कर की पूरी राशि सरकारी खजाने में पहुँचती है, परन्तु कर उम व्यक्ति की जेब में भी नहीं निकलता, जिसकी जेब में से सरकार निकलवाना चाहती है बल्कि वह श्रेय व्यक्तितया से उसका भुगतान करता जाता है। इस प्रकार कर विवर्तन और कर से बचना एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न हैं।

कर विवर्तन के सम्बन्ध में प्राचीन काल में दो सिद्धान्तों की रचना हुई थी। एक तो निर्वाधाचारियों (Physiocrats) का केन्द्रीयकरण सिद्धान्त (Concentration Theory) और दूसरा फान्योमी केरको का प्रसार सिद्धान्त (Diffusion Theory)। हम इन सिद्धान्तों की क्रमानुसार विवेचना करेंगे।

केन्द्रीयकरण सिद्धान्त—यह सिद्धान्त निर्वाधाचारियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उनके अनुसार सभी कर अन्त में भूमि पर गिरते हैं इसलिये केवल भूमि पर ही एक कर लगाया चाहिये। अन्य किसी भी वस्तु पर जो कर लगाया जायगा उसका विवर्तन होगा, फिर विवर्तन होगा और अन्त में यह भूमि पर ही आकर टिकेगा। घनावस्थक कर विवर्तन समुचितजनक होता है इसलिये केवल भूमि के मालिकों पर ही कर लगाना चाहिये। वास्तव में इन लोगों का यह विश्वास था कि केवल कृषि ही एक उत्पादक व्यवसाय था। निर्माण उद्योगों को वे अनुत्पादक मानते थे, क्योंकि यह सिमी तर्ज वस्तु को उत्पन्न नहीं करते हैं केवल पहले से ही स्थिति वस्तुओं का रूप बदल देते हैं। केवल कृषि यान् उद्योग मजदूरी उद्योग इत्यादि ही नई वस्तुओं को उत्पन्न करते हैं। इसी में उत्पादन लागत की अपेक्षा कुछ आधिक्य (Surplus) उपज के रूप में प्राप्त होता है, इसलिये यह कर दे सकते हैं और इन पर कर लगाना चाहिये। यही कारण था कि वे केवल एक कर अर्थात् भूमि पर ही कर लगाने के पक्ष में थे। इनको वे *Impot unique* कहते थे।

प्रसार सिद्धान्त—इस सिद्धान्त के अनुसार कर विवर्तन उस समय तक होता

रहता है, जब तक कि वह गारे समाज पर न छा जाये, अर्थात् धीरे धीरे कर का भार सारे समाज पर फैल जाता है और किसी एक या कुछ ही व्यक्तियों पर नहीं रहता। कदाचित फ्रान्सीसी अर्थशास्त्री कानार्ड (Canard) ने सर्वप्रथम इसकी विवेकशील विवेचना की थी। उसके अनुसार केवल भूमि ही से आधिक्य उत्पन्न नहीं होता, शन तथा व्यापारी भी यह आधिक्य उत्पन्न करते हैं। जब कभी भी कोई वस्तु बेची जाती है या खरीदी जाती है, कर का कुछ भार टाल दिया जाता है और जो एक वस्तु का मूल्य है वह दूसरी का मूल्य होना है। इसीलिये कर सारे समाज पर फैलता है। मर हैमिल्टन ने ब्रिटिश समूह में कहा था कि, "प्रसार के आस्थावादी सिद्धान्त से भी कदाचित अधिक मन्चाई है, वह यह कि करों की प्रवृत्ति फैलने तथा समान होने को होती है और यदि वे निश्चिन्ता तथा एकसारिता से लगाये जाये तो वह प्रसारित होकर प्रत्येक सम्पत्ति पर ही अपना भार डालेगे।" इर्गा प्रकार लाड मेमफील्ड ने कहा था कि, 'एक कर उन पत्थर के समान है जो भील में गिरने लिये एक गोला बनाता है, जो दूसरे गोल को बनाता है और गति प्रदान करता है और इन प्रकार सम्पूर्ण परिधि (Circumference) में हलचल उत्पन्न हो जाती है।' कनार्ड ने क-प्रसार की तुलना कपिंग (Cupping) की घोर-फाड़ (Operation) से की है। उनके अनुसार "यदि मनुष्य के शरीर में किसी नम में से रून निकाल लिया जाये तो केवल उमी नम में ही रून की कमी नहीं होती बल्कि सारे शरीर में रून की कमी हो जाती है।" अर्थात्, यदि समाज के केवल एक व्यक्ति से कर लिया जाये तो कर भार केवल उमी व्यक्ति पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि सारे समाज पर क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समाज के शरीर का एक अंग है। इन इन लेखकों के अनुसार किसी वस्तु पर या कितनी ही वस्तुओं पर कर लगाया जाये, उनका भार सारे ही समाज पर पड़ेगा और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा।

उपर्युक्त विवरण में स्पष्ट है कि दोनों ही सिद्धान्तों में कुछ समानता है। दोनों सिद्धान्त इन बातों का स्वीकार करते हैं कि कर का भुगतान आधिक्य प्राय (Surplus income) में से किया जाता है। अन्तर केवल इतना है कि निर्वाधावादी लेखक केवल भूमि की उपज को ही आधिक्य आय मानते थे, परन्तु फ्रान्सीसी लेखक यह मानते थे, कि प्रत्येक वस्तु में आधिक्य आय उत्पन्न होती है। इसीलिये निर्वाधावादी केवल भूमि पर ही अपने कर के पक्षपाती थे और फ्रान्सीसी लेखक न एक कर के विपक्ष में थे और न अनेक कर के विपक्ष में थे। वे तो प्रत्येक कर को ही अच्छा मानते थे। यदि हम भूमि शब्द का प्रयोग केवल धरामल और उससे सम्बन्धित वस्तुओं के लिये ही करें, अर्थात् यदि हम भूमि का अभिप्राय उन्हीं वस्तुओं से न लें जिनको पुराने लेखक समझते थे तब तो निर्वाधावादी लेखकों का विचार अतिसीमित था, परन्तु यदि हम भूमि का व्यापक अर्थ लें, अर्थात् सभी उत्पत्ति के माधनों में

6 Quoted by Mehta and Agrawal, *Public Finance—Theory and Practice*, Page 74

7 Quoted by Saxena and Mathur, *Public Economics*, Page 72.

हे या बेलोच ? कर का कितना भाग क्रैता को देना होगा और कितना विक्रेता को ? इस बात पर निर्भर होगा कि इन दोनों के लिये मांग तथा पूर्ति की लोच कैसी है । यदि मांग की अपेक्षा पूर्ति बहुत लोचदार है तो स्पष्ट ही है कि विक्रेता कर का एक बड़ा भाग क्रैताओं के ऊपर ढकेल देंगे, परन्तु जहाँ स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है, विक्रेता कर का केवल एक छोटा सा भाग ही क्रैताओं पर ढकेल सकेंगे अर्थात् कर का अधिक भार विक्रेताओं पर ही पड़ेगा । इस प्रकार कर भार वस्तुओं की मांग तथा पूर्ति की लोच पर निर्भर करता है ।

कर-भार वस्तुओं की मांग एव पूर्ति की लोच पर निर्भर होता है—

यदि अन्य बातें समान रहें, तो वस्तुओं की मांग जितनी अधिक लोचदार होगी उतना ही अधिक कर भार विक्रेताओं पर पड़ेगा और वस्तु की पूर्ति जितनी अधिक लोचदार होगी उतना ही कर भार उपभोक्ताओं पर अधिक होगा । वस्तु की मांग बेलोच होने का अभिप्राय यह है कि मूल्य घटने या बढ़ने का वस्तु की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उपभोक्ता लगभग पहले ही जैसी वस्तु की मात्रा खरीदता रहता है । इसलिये यदि कर द्वारा मूल्य बढ़ जाता है तो भी क्रैता उतनी ही वस्तुएँ खरीदता रहेगा जितनी पहले खरीदता था । इस प्रकार कर का अधिक भार उपभोक्ता पर होगा । वस्तु की मांग अधिक लोचदार होने का अभिप्राय यह है कि मूल्य बढ़ने के साथ मांग कम होगी और मूल्य घटने के साथ साथ मांग बढ़ेगी । ऐसी परिस्थिति में कर द्वारा जो वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी उससे मांग कम हो जायगी । यदि क्रैता अपनी सारी वस्तुओं को बेचना चाहता है तो वह कर का भार स्वयं सहन करेगा और मूल्य नहीं बढ़ावेगा । अतः सामान्य रूप से मांग बेलोच हान की दशा में कर का भार उपभोक्ताओं पर पड़ता है और मांग लोचदार है तो कर का भार उत्पादकों पर पड़ता है ।

अभी तक हम मांग की लोच की दृष्टि में कर भार का अध्ययन कर रहे थे अब हम पूर्ति की दृष्टि से कर-भार की विवेचना करेंगे । पूर्ति लोचदार होने का अभिप्राय यह है कि कर लगाने से मांग में जो कमी होती है उसके अनुसार पूर्ति को कम किया जा सकता है । इस स्थिति में विक्रेता कर का भार क्रैताओं पर ढकेल देंगे । पूर्ति के निर्धारण पर समय की अवधि का भी प्रभाव पड़ता है । अल्पकाल में पूर्ति मांग के बराबर नहीं की जा सकती और मूल्य मांग से ही प्रभावित होता है । दीर्घकाल में पूर्ति को मांग के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है, इसलिये मूल्य को पूर्ति प्रभावित करती है । दूसरे शब्दों में अल्पकाल में वस्तु की पूर्ति साधारणतया बेलोच होती है और दीर्घकाल में लोचदार होती है । अतः अल्पकाल में कर-भार विक्रेताओं पर अधिक पड़ता है और दीर्घकाल में क्रैताओं पर । अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कर-भार वस्तु की मांग तथा पूर्ति की सापेक्षिक लोच पर निर्भर होता है । यदि दोनों की लोच समान है तो कर भार दोनों पर समान पड़ेगा । यदि पूर्ति की लोच मांग की अपेक्षा अधिक है तो कर भार क्रैताओं पर अधिक होगा

श्रीर यदि मान की लोच पूर्ति की अपेक्षा अधिक है तो कर भार विदेशियों पर अधिक होगा। यह उत्पात्ति की दशाओं पर निर्भर करता है, जिनका अध्ययन हम अब करेंगे।

पूर्ण प्रतिभोगिता की दशाओं में कर भार—पूर्ण प्रतिभोगिता की दशाओं में यह मान लिया जाता है कि विदेशियों और नैवाओं में स्वतन्त्र प्रतिभोगिता होती है और विदेशियों तथा कौताया की मर्या इतनी अधिक होती है कि विभी भी पूर्ण व्यय की अपनी त्रियाओं में मूल्य प्रभावित नहीं होता और हर व्यक्ति को बाजार में प्रचलित मूल्य पर ही कार्य करना होता है, अर्थात् नैवाओं की प्रचलित मूल्य पर अपनी देना पड़ता है और विदेशियों की प्रचलित मूल्य पर देना पड़ता है। विभी वस्तु विशेष पर लगे हूयें कर का विपन्न उत्पादक वस्तु के मूल्य को बढाकर, कर मक्ते हैं। परन्तु मूल्य उनी समय बढ़ाया जा सकता है जब क्रिया की वस्तु की पूर्ति कम की जा सके या मांग बढाई जा सके। उत्पादक मांग को तो प्रभावित कर ही नहीं सकते इसलिए केवल पूर्ति ही को कम करके उत्पादन कर विवर्तन करने में सफल हो सकते हैं।

इस अध्याय के आरम्भ में हमने, सण्डनारी शक्ति पर लगे हूयें कर का उदाहरण दिया था, उनी को लेकर हम उपर्युक्त विचारों का विश्लेषण करेंगे। सरकार इन कर को उत्पादकों से वसूल करेगी। इस कर के लगने में शक्ति की उत्पादन लागत बढ़ेगी। परन्तु शक्ति के उत्पादकों की संख्या बहुत है और लाष्ट ही है कि प्रत्येक उत्पादक की कार्य कुशलता एक समान नहीं है। कुछ उत्पादक अधिक मुमान हैं और कुछ कम और कुछ तो ऐसे उत्पादक हैं कि उनकी उत्पादन लागत बहुत ही अधिक होने के कारण उनको कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता और बड़े बड़ानाई में ही वे उत्पादन कर रहे हैं। कर लगने में जो उनकी उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है उसके कारण वह अपना उत्पादन बन्द कर देने के लिये बाध्य होंगे, क्योंकि वे प्रचलित मूल्य पर शक्ति नहीं बेच सकते। ऐसा करने में उन्हें लाभ में स्थान पर हानि होगी। अन्य उत्पादकों को भी अपना उत्पादन कम करना पड़ेगा। इस कारणसेपण का सामान्य प्रभाव यह होगा कि बाजार में शक्ति की पूर्ति कम हो जायेगी और मूल्य में वृद्धि होने लगेगी (यदि यह मान ले कि उपभोक्तियों के लिये सण्डनारी शक्ति की मांग की लोच कम है।) परिणामस्वरूप कर का अधिकतम भाग उपभोक्तियों को देना पड़ेगा। जितनी अधिक पूर्ति को बदार होगी उतना ही अधिक कर, उपभोक्तियों को देना पड़ेगा। पूर्ति की लोच भी नहीं जाना पर निर्भर होती है। जिन उद्योगों में स्थायी तथा प्रचल सम्पत्ति बहुत अधिक होती है उनकी वस्तुओं की पूर्ति की लोच कम होती है। इतनी अधिक पूर्ति रागी होने के कारण उत्पादक वस्तु का उत्पादन कुछ हानि पर भी करता प्रसन्न रहेंगे। ऐसी स्थिति में वे कर विवर्तन नहीं कर पायेंगे। परन्तु दीर्घ काल में जगभग सभी वस्तुओं की पूर्ति को बदार होगी है, अर्थात् दीर्घकाल में सब ही वस्तुओं की पूर्ति अवश्य ही कम होने लगती है। फलस्वरूप मूल्य बढ़ते हैं और

कर भार उपभोक्ताओं को सहन करना पड़ता है। इसी कारण हमन पहले कहा था कि जितनी पूति अधिक नोनदार होगी उतना ही कर विधर्तन अधिक हा सजेगा।

कर-भार और स्थानापन्न वस्तुएँ—कर-भार की समस्या के अध्ययन का एक पहलू यह भी है कि जिन वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुएँ होती हैं उनका कर भार कौन सहन करता है ? इसी का अध्ययन हम यहाँ करेंगे। यदि किसी वस्तु की स्थानापन्न वस्तुएँ मौजूद हैं और यदि उस पर कर लगने से उमका मूल्य बढ़ जाता है तो उपभोक्ता तुरन्त ही ऐसी वस्तु का उपभोग आरम्भ कर देगे जिस पर कोई कर नहीं है या जिसका मूल्य कम है। ऐसी स्थिति में कर-भार विक्रेताओं पर पड़ेगा। परन्तु यह सदैव ही नहीं होता। कभी-कभी ऐसी वस्तुओं का कर भार उपभोक्ताओं को भी सहन करना पड़ता है। यह विशेषकर उन वस्तुओं के विषय में अधिक सत्य है, जिनका उपभोग करने की आदत व्यवक्तियों में पड़ी हुई है। उपभोक्ता कर का भार उन समय तक सहन करते रहेंगे जब तक वे स्थानापन्न वस्तुओं के उपयोग करने की आदत उत्पन्न नहीं कर लेते।

कर-भार और उत्पात्ति के नियम—किसी वस्तु की पूति उन नियमों की कार्य-शीलता के ऊपर निर्भर करती है, जिनके आधीन उसका उत्पादन हो रहा है। उत्पात्ति के तीन नियम होते हैं—क्रमागत-उत्पात्ति ह्रास नियम, ननागत-उत्पात्ति-समानता नियम और क्रमागत-उत्पात्ति-वृद्धि नियम। प्रथम नियम के आधीन वस्तु की पूति बढाने के साथ-साथ उत्पादन व्यय बढता जाता है। दूसरे नियम के आधीन वस्तु का उत्पादन व्यय समान रहता है और यदि उत्पादन तीव्रतरे नियम के आधीन होता है तो प्रति इकाई उत्पादन व्यय कम होना जाता है। जब किसी ऐसी वस्तु पर कर लगाया जाता है, जिसका उत्पादन क्रमागत-उत्पात्ति-ह्रास नियम के अन्तर्गत हो रहा है तो कर लगने के कारण, मूल्य में जो वृद्धि होती है वह कर-राशि के अनुपात में नहीं होती, बल्कि कम होती है। अतः कर का कुल भार क्रेताओं पर ही नहीं पड़ता। ऐसा इनलिये होता है कि वस्तु का मूल्य बढने से माग कम होने लगती है और उत्पादकों को उत्पात्ति की मात्रा भी कम करनी पड़ती है, जिसके कारण प्रति इकाई उत्पादन व्यय, पहले की अपेक्षा कम होता जाता है। उत्पादन व्यय कम होने के कारण ही वस्तु का मूल्य कर की मात्रा के अनुपात में नहीं बढता। यदि कर लगी हुई वस्तु का उत्पादन ननागत-समानता नियम के अन्तर्गत हो रहा है तो कर का भार क्रेता को ही सहन करना होगा, क्योंकि मूल्य बढने से माग के कम होने पर उत्पादन व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता। उत्पादन व्यय पूर्ववत् ही रहता है। उत्पादक उत्पात्ति को कम करके, पूति को माग के बराबर करने का प्रयत्न करता है और इनलिये उपभोक्ताओं को ही भार सहन करने के लिए बाध्य कर देता है। यदि कर उन वस्तु पर लगाया जा रहा है, जिनका उत्पादन क्रमागत-उत्पात्ति-वृद्धि नियम के आधीन हो रहा है तो वस्तु का मूल्य, कर की राशि से भी अधिक अनुपात में बढ़ जाता है और क्रेता पर कर भार, कर की राशि से भी अधिक पड़ता है। कर लगाने से वस्तु के मूल्य में जो वृद्धि होगी वह वस्तु को माग को कम कर देती है और उत्पा-

दन भी कम होने लगता है। परिणामस्वरूप प्रति इन्वॉई उत्पादन व्यय घटने के स्थान पर बढ़ना शुरू हो जाता है और मूल्य वर के अनुपात से अधिक बड़ जाता है।

अतः पूर्ण प्रतिषोषिता म वर भार व सम्बन्ध म हम संक्षेप म द्य प्रचार यह सक्त हैं कि, किसी भी वस्तु पर लगे हुए कर का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार क्रेताया और विनेनाया म उसी अनुपात म वट जाता है, जो वर लगी हुई वस्तु की पूर्ति की लोच अथवा उमकी माग की लोच द्वारा निश्चित होता है।^{१०}

एकाधिकारिक दशाओ में कर-भार—एकाधिकारी का केवल एक ही उद्देश्य होता है वह यह कि अधिकतम लाभ प्राप्त करेगा। क्योंकि वह अकेला उत्पादक होता है, इसलिए वह उचित और मूल्य म ऐसा सन्तुलन स्थापित करने म सफल हो जाता है कि उमका उद्देश्य पूरा हो जाय। यदि एकाधिकारी उत्पादक पर एक मूल्य वर लगा दिया जाता है अथवा बिना किसी निश्चित आचार के एक निश्चित राशि निर्धारित कर दी जाती है तो इस वर का विवर्तन यह उपभोक्ताया पर नहीं कर सकता। ज्ञाता यह है कि एकाधिकारी का सर्वप्रथम प्रयास रहता है कि वह अपना लाभ अधिकतम करे और इसी उद्देश्य म वह अपनी वस्तु की उत्पत्ति या उमके मूल्य को निर्धारण करता है। यदि वह वास्तव म एक एकाधिकारी है, तो उदाचित अपनी शक्ति का प्रयोग करके उसन कर लागू होने से पहले ही ऐसा मूल्य या उत्पादन निर्धारण किया जाय जिससे वह अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। वर लागू होना के बाद यदि वह अपने उत्पादन को कम करता है या मूल्य बढ़ाता है तो उमका कुल लाभ कम हो जायेगा क्योंकि उमको वर की राशि अपने लाभ म से देनी पड़ेगी। इसके विपरीत यदि वह वर लागू होने से अपनी पूर्वनिश्चित योजना में कोई परिवर्तन नहीं करता और उसी प्रकार उत्पादन करता रहता है जैसा पहले कर रहा था और उसी मूल्य पर वस्तु को बेचता रहता है जित पर उमने वस्तु को बेचने का निश्चय किया था तो कर का भुगतान करने के बाद उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि कर एक एकाधिकारी के कुल लाभों या कुल विक्री के अनुसार लगाया जाए तो उमका भी विवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि वर राशि तो कुल लाभ प्राप्ति या कुल विक्री हो जाने के पश्चात् निर्धारित होगी, इसलिये वह उपभोक्ताया पर वर विवर्तन कर ही नहीं सकता। ऐसी अवस्था में भी उसके लिये यह ही अच्छा होगा कि वह कर का भार स्वयं सहन करे।

परन्तु व्यवहार में पूर्ण एकाधिकार की अवस्था नहीं मिलती और एकाधिकारी के लिए अपनी एकाधिकारी शक्ति का प्रयोग करना कठिन ही होता है अर्थात् वह साधारणतया क्रेताओं से एकाधिकारी मूल्य से नीचा ही मूल्य लेता है, और जब वर लागू होता है तो एकाधिकारी अपने ग्राहकों को एकाधिकारी मूल्य पर वस्तु बेचना आरम्भ कर देता है। परन्तु यह वर विवर्तन नहीं है। यह तो उमके केवल एक अवसर प्राप्त हुआ है जबकि वह एकाधिकार मूल्य प्राप्त कर सके क्योंकि अब वह अपने ग्राहकों को यह समझ सकता है कि कर लगने के कारण मूल्य ऊंचे हो गये

है। हों कर विवर्तन उस अवस्था में अवश्य हो सकेगा जबकि एकाधिकारी पर उसकी उत्पत्ति के अनुपात में कर लगाना जाता है। उत्पत्ति बढ़ने के साथ साथ कर बढ़ता जायगा और उत्पत्ति कम होने के साथ साथ कर की राशि भी कम होती जायेगी। अतः कर, उत्पादन व्यय का एक भाग बन जाता है। यह स्पष्ट ही है कि कर लगने से प्रति इकाई उत्पादन व्यय बड़ जाएगा। सीमान्त उत्पादन व्यय में वृद्धि होने से अब उसकी पुरानी उत्पत्ति की मात्रा पर तथा पुराने मूल्य पर वस्तु की बेचने में अधिकतम एकाधिकारी लाभ प्राप्त नहीं होगा बल्कि उसे अपनी उत्पत्ति कम करके ऊँचे मूल्य पर बेचने से ही अधिकतम एकाधिकारी लाभ प्राप्त होगा। एकाधिकारी को अधिकतम लाभ उसी समय प्राप्त होता है जबकि उसका सीमान्त उत्पादन व्यय, सीमान्त लाभ के बराबर होता है और अब जबकि सीमान्त उत्पादन व्यय में वृद्धि हो गई है, एकाधिकारी का अपना सीमान्त लाभ, सीमान्त उत्पादन व्यय के बराबर करने के लिए मूल्य को बढ़ाना ही होगा इस प्रकार एकाधिकारी कर का विवर्तन अपने आह्वान पर कर देता है। एकाधिकारी कितनी मात्रा में या किस अंश तक कर का विवर्तन कर सकेगा या अपना साहको में ले सकेगा, यह वस्तु की पूर्ति की लोच और मांग की लोच के अनुपात पर निर्भर करेगा।

एकाधिकारिक प्रतियोगिता की दशाओं में कर-भार—एकाधिकारिक प्रतियोगिता की दशा में वस्तु का न तो केवल एक ही उत्पादक होता है और न पूर्ण प्रतियोगिता की भाँति बहुत से उत्पादक होते हैं, वरन् यहाँ पर वस्तु के केवल दो चार उत्पादक होते हैं जो एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं। इनमें से प्रत्येक उत्पादक की उत्पत्ति की मात्रा और वस्तु की मूल्य सम्बन्धी नीति शेष उत्पादकों की नीतियों से प्रभावित होती रहती है। अतः ऐसी दशाओं में जैसे तो कर भार का विवर्तन आधारभूतया वस्तु की मांग तथा पूर्ति की लोचों के अनुपात पर तो निर्भर करेगा ही, परन्तु इनके अतिरिक्त कुछ अन्य बातें भी अपना प्रभाव डालेंगी। हम एकाधिकारिक प्रतियोगिता की दशाओं में कर भार की समस्या का अध्ययन नीचे करेंगे।

एकाधिकारिक प्रतियोगिता की दशाओं में यदि फर्मों पर एक मुश्त कर लगा दिया जाय, तो जैसा एकाधिकार की दशाओं में हम देख चुके हैं, कि ऐसा कर लगाने से उत्पादन के सीमान्त उत्पादन व्यय में कोई भी वृद्धि नहीं होगी और इसलिए न तो वे अपनी उत्पत्ति ही कम करेंगे और न मूल्य ही बढ़ायेंगे। यहाँ पर एक और बात का भी प्रभाव पड़ता है और वह है—फर्मों के पारस्परिक सम्बन्ध। फर्मों के पारस्परिक सम्बन्ध से दो सम्भावनाएँ उत्पन्न हो सकती हैं प्रथम, कुछ उत्पादक उत्पादन क्षेत्र से बाहर निकल जाएँ और दूसरे यह कि वे एक दूसरे प्रतियोगियों की नीतियों को ध्यान में रखकर, सभी मूल्य बढ़ा दें और कर विवर्तन कर दें परन्तु ऐसा करने में वे कहाँ तक सफल हो सकेंगे, इस बात पर निर्भर करेगा कि वस्तु की माँग की लोच कैसी है। जहाँ तक पहली सम्भावना, अर्थात् कुछ उत्पादकों द्वारा उत्पादन छोड़े जाने का प्रश्न है, यदि ऐसा होता है तो जो फर्म बाहर चली जायेगी, उसके आह्वान अपनी वस्तुएँ किसी दूसरी फर्म से खरीदेंगे। परिणामस्वरूप

नहीं बढ़ाया है, उनको कर का पूरा भार सहन करना होगा। तीसरे, कुछ उत्पादक उत्पादन क्षेत्र से बाहर जा सकते हैं अर्थात् अपनी वस्तु का उत्पादन ही बन्द कर दे। इस स्थिति का अध्ययन हम अभी ऊपर कर आये हैं।

यदि कर वस्तु की बिक्री के अनुपात में लगाया जाता है, तब कर विवर्तन वस्तु की माँग की लोच पर निर्भर करेगा। वेलोच माँग वाली वस्तुओं के मूल्य तो बढ़ जायेंगे, परन्तु लोचदार माँग वाली वस्तुओं के मूल्य बढ़ाकर विवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि कर विवर्तन, पूर्ण प्रतियोगिता और पूर्ण एकाधिकार की दशाओं की भाँति एकाधिकारिक प्रतियोगिता में भी वस्तु की माँग और पूर्ति की लोचों के आपसी अनुपात पर ही निर्भर करता है। परन्तु यहाँ पर यह इतना निश्चित नहीं होता जितना अन्य दो दशाओं में होता है, क्योंकि इस अवस्था में प्रतियोगी उत्पादकों की उत्पादन तथा मूल्य सम्बन्धी नीतियाँ भी एक दूसरे को प्रभावित करती रहती हैं।

हम पहले कह चुके हैं कि कर विवर्तन या तो आगे की ओर किया जा सकता है या पीछे की ओर। उपर्युक्त परिस्थितियों में हमने देखा कि कर विवर्तन केवल आगे की ओर ही किया गया है। उदाहरणार्थ यदि फर्नीचर बनाने वालों की वस्तुओं पर कोई कर लगता है तो ये लोग यदि इस कर को उपभोक्ताओं में बसूल कर सकते हैं तो यह कर का विवर्तन आगे की ओर होगा और यदि वे लोग लकड़ी के उत्पादकों को मजबूर कर देते हैं कि वह अपनी लकड़ी कम मूल्य पर बेचे तो यह कर विवर्तन पीछे की ओर होगा। इस प्रकार यदि प्राप्त किये गये मूल्य को बढ़ाकर लिया जाये तो कर विवर्तन आगे की ओर होगा और यदि भुगतान किये जाने वाले मूल्यों को कम करके दिया जाये तो कर विवर्तन पीछे की ओर होगा। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि यदि कर उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर ढकेला जा रहा है तो कर विवर्तन आगे की ओर हो रहा है और यदि कर उपभोक्ताओं से उत्पादकों की ओर ढकेला जा रहा है तो कर विवर्तन पीछे की ओर हो रहा है।

आगे की ओर होने वाला कर विवर्तन, बेची जाने वाली वस्तु की माँग एवं पूर्ति की लोचों पर निर्भर करता है। उसी प्रकार पीछे की ओर होने वाला कर विवर्तन खरीदी जाने वाली कच्ची सामग्री या प्रारम्भिक सेवा की माँग एवं पूर्ति की लोचों पर निर्भर करता है। यदि कच्ची सामग्री की पूर्ति की लोच, माँग की अपेक्षा कम है तब उत्पादक वर्ग कर विवर्तन पीछे की ओर कर सकेगा, अर्थात् उत्पादक खरीदी हुई वस्तु के मूल्य कम दे सकेंगे। दूसरी ओर यदि कच्ची सामग्री की पूर्ति लोचदार है, अर्थात् यदि फर्नीचर वाली लकड़ी बेचने वाले लकड़ी को किसी और कार्य के लिए उपयोग में ला सके तो फर्नीचर बनाने वाले लकड़ी के मूल्य कम करवाने में सफल न हो सकेंगे अर्थात् कर विवर्तन पीछे की ओर नहीं हो सकेगा।

कर विवर्तन आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। यदि समृद्धि काल है

तो कर विवर्तन सरलतापूर्वक आगे की ओर किया जा सकेगा और यदि मदी काल है तो कर विवर्तन या तो पीछे की ओर होगा या उत्पादक पर-भार स्वयं सहन करेगे।

अभी तक हम कुछ सामान्य परिस्थितियों में कर विवर्तन की समस्या का अध्ययन कर रहे थे अब हम कुछ विशेष करों में कर विवर्तन की समस्याओं का अध्ययन करेंगे।

भूमि पर लगाये गये कर का भार—भूमि पर कर यदि आधिक लगान के आधार पर लगाया गया है तो उसका भार जमींदारों पर पड़ता है, क्योंकि आधिक लगान भूमि की उपज में मूल्य में से उत्पादन व्यय निकाल कर बचता है। इस उत्पादन व्यय में केवल सामान्य लाभ (normal profits) ही होता है। किसान मूल्य भार सहन करने को तैयार न होगा, क्योंकि उसे बोर्ड भी आधिक्य (Surplus) प्राप्त नहीं होता। यदि जमींदार वास्तविक से पूरा लगान न ले रहा हो तब वह उसे कर के अनुपात में बढ़ाकर कर का भार वास्तविक पर डाल सकता है। यदि भूमि पर कर किसी एक विशेष फसल में अनुसार, जैसे कपास, गन्ना आदि पर लगाया जाय तो कर भार उस विशेष फसल में उपभोक्ताओं पर डाला जा सकता है क्योंकि यदि उपभोक्ता कर भार सहन करने को तैयार नहीं होंगे तब उस फसल में स्थान पर कच्चा दूध दुग्गी फसल करने लगेंगे परन्तु यह भी कई बातों पर निर्भर करता है। यदि फसल की माँग बेलाच है तो कर विवर्तन सरलता से हो जायेगा और यदि पूर्ण बेलाच है तब कर विवर्तन नहीं हो सकेगा। यदि यह मान लिया जाय कि उत्पादक कर विवर्तन में सफल न होकर उस फसल को न करने का निश्चय करते हैं तब वे बीतरी फसल करने या दूसरी फसल करने भी या नहीं, इस बात पर निर्भर पड़ेगा कि उस भूमि में दूसरी फसल की कितनी मात्रा प्राप्त होगी तथा दूसरी फसल का मूल्य क्या है। यदि दूसरी फसल की कम मात्रा प्राप्त होती है तो किसान को हानि होती और अत्रत्यक्ष रूप में पहली फसल पर लगाये गए कर का भार उन्हीं को सहन करना पड़ता है। यदि दूसरी फसल का मूल्य अधिक है तब उस फसल को करने वाले उत्पादकों की संख्या बढ़ने तथा उनकी पूर्ति बढ़ने में उसका मूल्य नीचा या चापेगा और इन स्थिति में भी काश्तकारों को पहली फसल की अपेक्षा हानि होगी और इस प्रकार वह यही पसंद करेगा कि वह पहली ही फसल करते रहे और कर का भार स्वयं सहन करे। परन्तु क्योंकि काश्तकारों को कोई आधिक्य प्राप्त नहीं होता इसलिए वह कर भार सहन न करके खेती करना बन्द कर देंगे और इसलिए अन्त में जमींदारों को ही कर भार सहन करना होगा। यदि कर भूमि की उपज में मात्रा के अनुपात में लगाया जाता है तो उसका विवर्तन करतों की माँग तथा पूर्ति की लोचों के अनुपात पर निर्भर रहेगा। यदि माँग बेलाच है तो कर भार उपभोक्ता सहन कर लेंगे और यदि वे माँग बेलाच है तो उपभोक्ता उस वस्तु का उपभोग कम कर देंगे। वास्तविक माँग कम होने से उस भूमि पर खेती करना बंद कर देंगे और इसलिए जमींदार उस कर का भार लगान में वृद्धि न करने स्वयं

सहन करेंगे परन्तु व्यवहार में ये सब बातें एक कल्पना मात्र हैं ।

आयात तथा निर्यात करों का भार—आयात तथा निर्यात करों का भार इन बात पर निर्भर करेगा कि व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की माँग की लोच कौसी है अर्थात् आयातकर्ता देश को निर्यातकर्ता देश की वस्तु की माँग कौसी है । यह तो हम जानते ही हैं कि जब दो देशों में व्यापार होता है तो दोनों देश एक दूसरे की वस्तुएँ भेँगाते हैं । इसलिये हमे दोनों देशों को एक दूसरे की वस्तुओं की माँग की लोचों का तुलनात्मक अध्ययन करना होगा । यदि भारत और पाकिस्तान में व्यापार हो रहा है, और भारत को पाकिस्तान की कपास की माँग बेलाच है, परन्तु पाकिस्तान के लिये भारतीय कपड़े की माँग लोचदार है तो इन प्रकार के करों का भार अधिकतर भारत के लोगों को सहन करना होगा । स्पष्ट है कि भारत को पाकिस्तान से कपास मगाना ही होगा चाहे पाकिस्तान कितना ही निर्यात कर क्यों न लगादे दूसरी ओर भारत कपड़े पर आयात कर लगा नहीं सकता इसलिये भारत के लोगों को आयात करों से प्राप्त होने वाला लाभ प्राप्त नहीं होगा । यद्यपि कुछ लोग इस बात पर जोर देते हैं कि इन करों का भार सदैव ही उस देश पर पड़ता है जो उसे लगाता है और उस भार को विदेशी लोगों पर नहीं ढकेला जा सकता, किन्तु यह मत सही नहीं है । यदि कोई देश समार में उत्पन्न होने वाली किसी एक वस्तु का अधिकांश भाग उत्पन्न करता है या किसी वस्तु के उत्पादन में उसे एकाधिकार प्राप्त है तो यह देश उस वस्तु पर लगाये गये निर्यात कर के भार को विदेशी लोगों पर ढकेलने में सफल होगा तथा विदेशी जो वस्तु इस वस्तु के बदले में निर्यात करेंगे उसका आयात कर भी विदेशी ही सहन करेंगे । यदि विदेशी भी किसी वस्तु का अधिकांश भाग उत्पन्न नहीं कर रहे हैं तो वे देश जो अधिकतर पक्के माल का निर्यात करते हैं तथा कच्चे माल का आयात करते हैं और आयात तथा निर्यात कर लगाते हैं तो इनका कर भार भी इन्हीं देशों पर पड़ेगा अर्थात् कर का भार एक दूसरे पर नहीं पड़ेगा । यदि किसी वस्तु का अन्तर्राष्ट्रीय याजार है तो उस वस्तु की पूर्ति किसी एक देश के लिये लोचदार होती है इसलिये ऐसी वस्तु पर लगाये गये आयात तथा निर्यात कर का भार उसी देश के लोगों पर होगा ।

आय कर का भार—आय कर के भार के सम्बन्ध में मुख्यतया दो विचार-धारार्यें मिलती हैं । एक विचारधारा के अनुसार व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य निश्चित करते समय आय कर को ध्यान में रखता है, और मूल्य इस प्रकार निश्चित करता है कि उपभोक्ताओं पर कर भार डाला जा सके । दूसरी विचार-धारा पहली के बिल्कुल विपरीत है । इसके अनुसार आय कर के भार का विवर्तन हो ही नहीं सकता । पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में दीर्घकाल में कर विवर्तन नहीं हो सकता क्योंकि मूल्य की प्रवृत्ति सीमान्त उत्पादन व्यय के बराबर होने की होती है, और सीमान्त उत्पादन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, इसलिये मूल्य में आय कर सम्मिलित नहीं होता । यदि कोई उत्पादन ऐसा करता भी है तो उसने देशीय तथा

विदेशी प्रतियोगी, जो भाग कर नहीं दे रहे हैं, उसे ऐसा नहीं करने देंगे, क्योंकि वे वस्तुओं की बिक्री देखेंगे। प्रतियोगिता के भय के कारण व्यापारी कर को वस्तु के मूल्य में नहीं मिलाते और इतना ही सहन करते हैं। एकाधिकार में भी ऐसा ही होता है। एकाधिकारी पहले ही इस प्रकार का मूल्य निर्दिष्ट करता है जिससे उसका लाभ अधिकतम हो। यदि वह मूल्य बढ़ायेगा तो वस्तुओं की कम मात्रा बिक्री से उसको लाभ कम प्राप्त होगा और इसलिए वह कर भार स्वयं ही सहन करेगा।

सम्पत्ति कर का भार—सम्पत्ति दो प्रकार की होती है—एक तो वह जो प्रत्यक्ष उपभोग के कामों में आती है और दूसरी वह जो उत्पादन के काम में आती है। उपभोग में आने वाली सम्पत्ति जैसे रहने का मकान, जेवरों का इत्यादि पर जब कर लगाया जाता है तब उसका विवर्तन धारों की ओर नहीं हो सकता क्योंकि उसका विनिमय नहीं हो सकता है और इसलिये मूल्य बढ़ाया नहीं जा सकता। इसलिये कर भार या तो सम्पत्ति के उपभोक्ता को सहन करना पड़ता है या उसका विवर्तन पीछे की ओर होता है। वास्तव में कर लगने से सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय घट जाती है जिसके कारण उसका मूल्य भी कम होता जाता है। इसलिये सम्पत्ति को खरीदते समय ही कर का विवर्तन सम्पत्ति के विक्रेता पर किया जा सकता है अर्थात् उस सम्पत्ति का कम मूल्य देकर भविष्य में दिये जाने वाले कर की क्षति पूर्ति पहले ही कर ली जाती है। संक्षेप में कर विवर्तन पीछे की ओर किया जाता है। इसको कर का पूंजीकरण (Tax Capitalisation) भी कहते हैं। पूंजीकरण, वार्षिक आय के पूंजीगत मूल्य की गणना है। वार्षिक आय को प्रतिशत दर से भाग देकर इसे प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिये, १०% की दर पर ८० रुपये वाली वार्षिक आय का पूंजीगत मूल्य $\frac{८० \times १००}{१०} = ८००$ रुपये होगा अर्थात् ८००

रुपयों की पूंजी १०% वार्षिक दर से ८० रुपये की वार्षिक आय प्रदान करेगी। अब हम यह देखेंगे कि कर का पूंजीकरण किस प्रकार होता है। मान लीजिये एक मकान है जिसका मूल्य २००० रुपये है, जिसका वार्षिक किराया १०० रुपये है। इस मकान पर २० रुपये साल का कर लगा हुआ है। इस तरह मकान की शुद्ध आय कुल ८० रुपये हुई। यदि कोई व्यक्ति २००० रुपये लगाकर १०० रुपये की वार्षिक आय प्राप्त करना चाहता है तो वह इस मकान को २००० रुपये में नहीं खरीदेगा, क्योंकि इसमें तो उसे केवल ८० रुपये, अर्थात् २० रुपये कम, प्राप्त होते हैं और वह किसी अन्य व्यवसाय में अपनी पूंजी लगाने का निश्चय करेगा या कम मूल्य पर मकान खरीदेगा। परन्तु यह कितना मूल्य देगा? स्वाभाविक ही है कि वह उतना मूल्य देगा कि २० रुपये का वार्षिक कर देने के बाद उसे १०% प्राप्त होता रहे। यह उसी समय संभव होगा जब वह उस मकान का मूल्य केवल १६०० रुपये दे। यदि वह इस प्रयत्न में सफल हो जाता है तो वह सारा कर भार मकान के विक्रेता

पर डाल देता है। उसके लिये सम्पत्ति सदैव के लिये भार मुक्त हो जाती है।⁹

यह ध्यान रहे कि कर का पूंजीकरण इतना मरल नहीं होता जितना समझा जाता है। इसके लिये निम्न बातों की विशेष आवश्यकता होती है। इन बातों की अनुपस्थिति में कर का पूंजीकरण नहीं हो सकता। प्रथम, वस्तु टिकाऊ होगी चाहिये, तथा उसको पूंति सरलता से न बढ़ाई जा सके और न घटाई जा सके जैसे भूमि। यदि ऐसा नहीं होगा तो कर भार उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। दूसरे, कर का पूंजीकरण केवल उसी समय हो सकता है, जब कर दीर्घ काल के लिये लगाया जाये। यदि कर केवल अस्थायी रूप से थोड़े से समय के लिये लगाया गया है तो सम्पत्ति का मालिक उसको नहीं बेचेगा और वह इसी इन्तजार में रहेगा कि कर हटे और वह सम्पत्ति को बेचे क्योंकि यदि वह सम्पत्ति को कर की उपस्थिति में बेचेगा, उसको सम्पत्ति का कम मूल्य प्राप्त होगा। इसलिये वह सम्पत्ति का पूरा मूल्य प्राप्त करने के लिये उसको उनी समय बेचेगा जब कि कर हटा दिया जायेगा। अतः कर का पूंजीकरण केवल तभी होगा जब कर दीर्घ काल के लिये लगाया गया है। तीसरे, कर का पूंजीकरण उसी समय होगा जब कर केवल किमी एक ही वस्तु पर लगाया गया है। यदि कर सभी वस्तुओं पर लगा हुआ है तब पूंजी का विनियोग करने वालों को सब स्थानों पर समान लाभ प्राप्त होगा। यदि कर केवल एक ही वस्तु पर लगा है तो उस वस्तु से अपेक्षाकृत कम लाभ प्राप्त होगा इसलिये इस वस्तु के स्वामी को पूंजीकरण करना होगा अर्थात् उसको कर के अनुपात में वस्तु का मूल्य घटाना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उस वस्तु को कोई नहीं खरीदेगा और सभी व्यक्ति अन्य वस्तुओं में अपनी पूंजी का विनियोग करेंगे। चौथे, उन्हीं वस्तुओं पर लगे हुये कर का पूंजीकरण हो सकता है जो बाजार में बेची और खरीदी जा सकें और अन्त में जिस वस्तु पर कर लगाया जाता है उसका स्वामित्व शीघ्र बदलते रहना चाहिये, बेचने और खरीदने में वस्तु का मूल्य कम होता रहे। इसी कारण सैलिंगमैन ने भूमि कर के पूंजीकरण का पक्ष लिया।¹⁰ परन्तु प्रश्न यह है कि पूंजीकृत कर का भार किस पर पड़ता है क्रेता पर या विक्रेता पर। साधारणतया यह विश्वास किया जाता है कि पूंजीकृत कर का भार विक्रेताओं पर पड़ता है क्योंकि उसको मूल्य कम करना पड़ता है, परन्तु दूसरी ओर डाल्टन का विचार है कि इस कर का भार क्रेता पर होगा क्योंकि उसे कर हटने के बाद लाभ होगा।

जिन सम्पत्ति का उपयोग उत्पादन कार्यों के लिये होता है उस पर लगे हुये कर के भार की प्रवृत्ति ठीक उनी प्रकार होगी जैसे किसी व्यापार पर लगे हुये एक मुक्त कर के भार की होती है। यह भी उत्पादन व्यय का एक स्थायी अंग बन जाता है। परन्तु ऐसे कर से वस्तु का सीमान्त उत्पादन व्यय बढ़ता नहीं है। मूल्य उस समय तक नहीं बढ़ सकता जब तक कि माँग न बढ़े या पूंति कम न हो। सम्पत्ति कर से यह दोनों ही बातें नहीं हो पाती। मूल्य में भी वृद्धि नहीं होती और इसलिये कर

9 Phillips E. Taylor, *The Economics of Public Finance*, Page 276

10 Cf. *The Shifting and Incidence of Taxation* Pp. 219 225.

का विवर्तन भी नहीं हो सकता है। बात यह है कि उत्पादन की उत्पत्ति कम करने में तभी लाभ होता है जब कि उत्पत्ति बढ़ाने से प्रति इकाई उत्पादन व्यय बढ़ने लगता है। सम्पत्ति कर से उत्पादन व्यय में वृद्धि गही होती इसीलिए पूर्ति कम करने में सम्पत्ति के मालिकों को कोई लाभ नहीं होता। सम्पत्ति की मांग बढ़ाना सम्पत्ति के मालिकों के बस की बात नहीं है। इसी कारण सम्पत्ति कर का विवर्तन नहीं हो पाता। हा यह अवश्य हो सकता है कि दीर्घ काल में सम्पत्ति के मालिक जब कर का भार अधिक हो जाय तो उत्पादन बढ़ कर वे जिससे पूर्ति कम हो जायगी और मूल्य बढ़ने से कर का विवर्तन हो जायेगा। इस प्रकार सम्पत्ति कर का भार धारण की और ढकैलना इतना सरल नहीं है, यद्यपि इनका पूजीकरण अवश्य ही किया जा सकता है।

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रत्येक कर का भार अलग अलग विधियाँ तथा भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ में भिन्न भिन्न रीति से हबेला जाता है। कर भार का समस्या का अध्ययन यद्यपि बहुत ही महत्वपूर्ण है परन्तु व्यवहार में कदाचित् इसकी ओर कम ध्यान दिया जाता है क्योंकि व्यवहार में वित्त मंत्री केवल सामाजिक उद्देश्यों से ही करारोपण नीति को निर्मित नहीं करना बरन् राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों का भी उसे ध्यान करना होता है। अतः इस प्रकार के अध्ययन का केवल सैद्धांतिक महत्त्व ही है।

प्राक्कथन—

करारोपण राज्य की आय का आजकल मुख्य स्रोत है। राज्य के व्ययों में वृद्धि होने के साथ साथ करारोपण का क्षेत्र भी विस्तृत होता चला गया है। नित्य नये कर, राज्य व्यय करतल चन्दा जरा नहर है। जितना मनुष्य इन करों से दूर भागता है उतना ही उनमें वह जकड़ता जाता है। निर्पक्ष होकर यदि देखा जाय तो राज्य भी वृद्धि पर नहीं है। लगभग एक शताब्दी में राज्य का दृष्टिकोण ही बदल गया है। आज राज्य केवल सुरक्षा सम्बन्धी कार्य ही नहीं करता वरन् आजकल राज्य का मुख्य उद्देश्य एक कल्याणकारी समाज स्थापित करना है, नागरिक के कल्याण की प्रत्येक बात की ओर ध्यान देना है और आज राज्य नागरिक के जीवन के प्रत्येक पहलू से सम्बन्धित है। यदि राज्य को हम अपना महद्योग दान नहीं देगे, अपना प्रसादान नहीं देगे राज्य हमारे कल्याण के लिये इतने सारे कार्य निम्न प्रकार पूरे करेगा। कर न देने का इस प्रकार यही अभिप्राय होगा कि या तो कुछ लोगों की मुक्त शिक्षा या चिकित्सा या बृद्धावस्था पेंशन नहीं प्राप्त होगी। यदि सभी नागरिक ऐसा करते रहे तो कदाचित एक दिन ऐसा आयेगा जबकि धन की असमानतायें मुंह फाड़ कर निर्धनों को गिगल जायेंगी। इसके अतिरिक्त कर देकर हम राज्य पर कोई एहरान नहीं करते। जो कुछ हम राज्य को देते हैं वह वास्तव में हम स्वयं की दे रहे हैं, क्योंकि राज्य सभी नागरिकों का एक सामूहिक रूप ही तो है और इस तरह करारोपण सामूहिक बचतें प्राप्त करने का एक साधन है। करारोपण द्वारा उन व्यक्तियों को भी दत्त करनी पड़ती है जो कमी भी नहीं बचाते। फिर जो कुछ हम करों के रूप में राज्य को देते हैं वह राज्य की जेब में ही नहीं रह जाता। राज्य उसी को हमारे पास सेनाप्री, बड़ी हुई रोजगारी, बड़ी हुई आय-नि शुल्क शिक्षा एवं चिकित्सा आदि के रूप में हमको वापिस कर देता है। इसमें तो कोई सदेह नहीं कि करारोपण आवश्यक है और हर व्यक्ति को कर देना चाहिये। परन्तु प्रश्न यह है कि करारोपण की कोई सीमा भी है या नहीं? किसी व्यक्ति को कितना कर देना चाहिये? निर्धन व्यक्ति कर कैसे दे? यह सब बातें केवल करारोपण के न्याय सम्बन्धी सिद्धान्त से सम्बन्धित हैं। करारोपण न्याय-

अध्यायो मे कर ही चुके हैं, परन्तु इस प्रकार के परिणाम नकारात्मक है। यह सम्भव है कि किसी विशेष समय पर किसी राष्ट्र की कर-दान क्षमता का प्रति-निधित्व करने के लिये एक निश्चित धनराशि या राष्ट्र की आय के सही अनुपात को निर्धारित किया जा सके।² इस बात को ध्यान में रखकर अब हम कर-दान क्षमता पर व्यक्त किये गये विभिन्न विचारों का अध्ययन कर सकते हैं। शिराज, जिन्होंने इन दोनों प्रकार की कर-दान क्षमताओं का वर्णन किया है, निर्पेक्ष कर-दान क्षमता के विचार को भी महत्व देते हैं। वह कहते हैं कि "जब किसी देश के आर्थिक ढाँचे का निरीक्षण इस बात को जानने के लिये किया जाये कि वह कर के भार के रूप में कितना बोझ सहन कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में निर्पेक्ष कर-दान क्षमता नापने का प्रयत्न किया जाता है।"³ अतः निर्पेक्ष कर-दान क्षमता कर लेने की अन्तिम सीमा होती है। कुछ व्यक्तियों ने सर्वोत्तम कर-दान क्षमता के शब्दों का प्रयोग किया है। सर्वोत्तम कर-दान क्षमता वह अधिकतम राशि है जो समाज के अधिकतम आर्थिक कल्याण के लिये उत्पन्न की जा सकती है। निर्पेक्ष तथा सर्वोत्तम कर-दान क्षमताओं में भी अन्तर है। निर्पेक्ष कर-दान क्षमता अतिरिक्त उत्पादन (additional production) से उत्पन्न होती है। अतिरिक्त उत्पादन का केवल वह ही भाग कर-दान क्षमता को निर्धारित करते समय सम्मिलित करना चाहिये, जो मशीनों की घिसावट एवं टूट-फूट के व्यय को निकालने के बाद शेष रहता है। अर्थात् मशीनें इत्यादि पहले की ही अवस्था में रहते हुए जितनी अतिरिक्त आय प्राप्त होती है वह ही कर-दान क्षमता को निर्धारित करेगी। इसका अभिप्राय यह हुआ कि हम एक निश्चल अथवा अपरिवर्तित (Static) प्रणाली की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि परिस्थितियाँ कभी भी स्थायी नहीं रहती, इसलिए एक परिवर्तनशील (Dynamic) प्रणाली की बात करना अधिक व्यवहारिक होगा। ऐसे समाज में लोग सदा ही उन्नति की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करते हैं। जीवनस्तर उन्नत करने का प्रयत्न करते हैं। बढती हुई जनसंख्या के लिये भी प्रबन्ध करते हैं, इत्यादि। इन सब बातों के लिए, हम प्रकार यह आवश्यक है कि हम आधिक्य का कुछ भाग व्यक्तियों के पास ही छोड़ दिया जाये और इससे वाद जो कुछ भी बचे वही सर्वोत्तम कर-दान क्षमता कहलायेगी।

निर्पेक्ष कर-दान क्षमता का माप—शिराज निर्पेक्ष कर-दान क्षमता के माप के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि कुल राष्ट्रीय लाभांश में से मशीनों की टूट-फूट, घिसावट आदि की व्यवस्था करने के पश्चात् जो शुद्ध आय शेष रह जाय, उसी पर कर-दान क्षमता निर्भर होगी। शिराज के अनुसार, "हम वर्ष विशेष में उत्पन्न की गई तमाम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग कर लेते हैं, उसमें से देश की वस्तुओं, (ऊर्चा सामग्री तथा पूंजीगत वस्तुओं) के उस भाग को घटा देने हैं, जिसका व्यय कुल उत्पादन में ही चुका है, जो शेष

2 Ibid, page 163

3. The Science of Public Finance, Page 227.

रहता है वही उम वर्ष की राष्ट्रीय आय है।”⁴ परन्तु यह ध्यान रहे कि सिराज द्वारा बताई गई विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय का अनुमान बहुत कुछ गलत और बड़ा चट्टा होगा क्योंकि उन्होंने इस उत्पत्ति के उस भाग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जो उत्पादक अपने उपभोग के लिये रख लेते हैं या वस्तुओं को बेचने से पहले ही जितना उपभोग कर लेते हैं। इसलिये कुल राष्ट्रीय आय में ये इस भाग को भी घटाना चाहिए। सिराज ने यह भी ध्यान म नहीं रखा कि जिन वर्ष में नये विनियोग होये उम वर्ष में कुल आय म कमी हो जायेगी। इसलिये कुल आय में से इन विनियोगों के मूल्य के योग को भी कम करना चाहिये। इसी प्रकार विदेशों से जो ऋण प्राप्त किये गये हैं उनके मूद तथा मूलधन का जो भुगतान किया जाता है उसको भी मुद्द राष्ट्रीय लाभान निरालने समय कम करना होगा और जो कुछ विदेशों से प्राप्त होता है उसे कम आय म जोड़ना होगा। अतः मुद्द राष्ट्रीय आय मानन करके कर दान योग्यता को ज्ञान किया जा सकता है। अधिक विवक्षित देश म राष्ट्रीय लाभान मानन करने के लिये अधिकतर दो विधियाँ अपनाई हैं। प्रथम भाव योगकरण विधि (Aggregating of Income Method) और दूसरी उत्पत्ति गणना विधि (Census of Production Method)।

विभिन्न परिभाषायें—वास्तव म क्षमता जैसी मनोवैज्ञानिक बातों का कोई निरूपण माप नहीं होता। इनका तो केवल सापेक्षिक अध्ययन ही किया जा सकता है। यही कारण है कि अधिकतर लेखकों को कर-दान क्षमता की परिभाषा करने में कठिनाई हुई है। वैसे तो अनेक परिभाषायें दी गई हैं परन्तु इनमें से अधिकांश असम्पत् है। हम कुछ महत्त्वपूर्ण परिभाषायों का अध्ययन यहाँ पर करेंगे —

सर जोसिया स्टाम्प (Sir Josiah Stamp) के अनुसार कर-दान क्षमता यह अधिकतम धन राशि है जो एक देश के नागरिक, राजकीय वसाधिकारियों के व्यय की ओर अपने श्रमदान के रूप में, बिना आनन्दरहित तथा पददलित जीवन बिताने और आर्थिक सगठन में बिना बहुत अधिक उथल-पुथल किये, दे सकते हैं। इसी प्रकार इमन्ड फेजर का कथन है कि “जब कर-दान(धरो को कर नर भुगतान करने के लिये पैसा से उधार लेना पडे तो कर-दान क्षमता की सीमा धा जाती है।”⁵ प्रो० फिलले सिराज के शब्दों में, “कर दान क्षमता न्यूनतम उपभोग के ऊपर उत्पादन का वह कुल आधिक्य है जो उतने ही उत्पादन को प्राप्त करने के लिए चाहिये, यदि जीवन-स्तर पूर्ववत् रहे।”⁶ प्रो० सिराज ने कर दान क्षमता को “निचोड की सीमा” भी कहा है।

चारतव में यह परिभाषायें बहुत ही असम्पत् और तद्विध है। स्टाम्प का यह कहना कि व्यक्ति आनन्द रहित एव पददलित हुये बिना ही कर का भुगतान कर सकें, स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा माप नहीं है और न कोई वसोटी ही

4. *Op. cit.*, Page 238

5. Quoted by Dalton *Op. cit.* Page 165

6. *Wealth and Taxable Capacity* Page 134

ऐसी है जिसके आधार पर यह पता लगाया जा सके। आनन्द और पददलितता मानसिक परिस्थितिषाँ है, जिनका कोई निश्चित माप नहीं। यह ही नहीं, यह सापेक्षिक भी है और इसलिये यह पता लगाना कि किस व्यक्ति की कौन सी सीमा है, जहाँ वह आनन्द रहित तथा पददलित नहीं होगा, असम्भव है। इस प्रकार यह केवल सैद्धान्तिक दृष्टि से तथा दूर से ही उचित लगती है क्योंकि इस आधार पर कर-दान क्षमता का माप ही नहीं किया जा सकता। फ्रेजर का विचार तो और भी स्पष्ट है। कदाचित्त उनका यह विचार था कि व्यक्ति बैंक से केवल उमी समय उधार लेता है, या बैंक उसे केवल उसी समय ऋण देता है जब कि उसकी कर-दान क्षमता गमाप्त हो जाती है। क्योंकि यदि ऐसा नहीं था तो फ्रेजर ने इतनी निश्चिन्ताई से बैंक से उधार लेने को ही कर-दान क्षमता की अन्तिम सीमा क्यों माना है? हम सभी जानते हैं कि आज-कल जब कि पग-पग पर व्यापारियों को बैंकों की आवश्यकता होती है, जब व्यक्ति उनसे धन उधार लेते हैं, तब फ्रेजर के अनुसार कर-दान क्षमता की माप करना असम्भव ही नहीं बरन् हास्यमय सी भी प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त क्या यह सम्भव नहीं कि व्यक्ति कर भुगतान करने के लिए केवल बैंकों से ही ऋण प्राप्त करे और अन्य व्यक्तियों से न लें? यही कठिनाइयाँ शिराज की परिभाषा में भी मिलती हैं अर्थात् न्यूनतम उपभोग को किस प्रकार परिभाषित किया जाये? निर्वेक्ष कर-दान क्षमता को परिभाषित करते हुये शिराज एक स्थान पर कहते हैं कि "यह कर लेने की वह सीमा है और करारोपण की उम अधिकतम मात्रा को सूचित करती है जो समाज के अधिकतम कल्याण के दृष्टिकोण से उत्पन्न तथा व्यय की जा सकती है।" इस परिभाषा की स्पष्टता के सम्बन्ध में अधिक कहना उचित न होगा क्योंकि समाज का अधिकतम कल्याण करारोपण की कितनी मात्रा के आय तथा व्यय पर निर्भर होगा, इसको निश्चित करने की विधि का शिराज ने कही भी वर्णन नहीं किया है। डा० डाल्टन ने ऐलिंगर के विचारों का भी विश्लेषण किया है। ऐलिंगर का जो वाक्य उन्होंने दोहराया है वह इस प्रकार है कि कर दान क्षमता की सीमा उस समय आ जाती है, "जब करदाताओं की जेब से इतना निकाल लिया जाये कि उनका उत्पादन करने का उत्साह कम हो जाये और जब शय की पूर्ति करने तथा बढ़ती हुई जनसख्या में नये श्रमिकों को काम पर लगाने के लिए आवश्यक पूँजी उपलब्ध करने के लिये अपर्याप्त धन बचे।"

परन्तु इन सभी परिभाषाओं में एक तबने बड़ी कमी यह है कि राजकीय व्यय की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। कर दान क्षमता पर सम्पूर्ण वाद-विवाद निरर्थक होगा यदि हम राजकीय व्यय के महत्व को भुला दे, क्योंकि राजकीय व्यय से मनुष्यों की कर दान क्षमता बढ़ती है और इस प्रकार करारोपण-राजकीय व्यय-कर दान क्षमता-अधिक कर-अधिक राजकीय व्यय-और फिर अधिक कर-दान क्षमता-क्रम यो ही चलता रहता है। डा० भागवत ने इसी बात पर आधारित करके अपने विचार प्रवृत्त किये हैं। उनके अनुसार "करारोपण की सीमा और राजकीय

व्यय की भी, राजस्व के सिद्धान्त से व्यय होती है और राजस्व का आवास कहा जा सकता है।¹¹⁸ डा० भागवत के कहने का अभिप्राय यह है कि करारोपण का सीमान्त त्याग, राजकीय व्यय की सीमान्त उपयोगिता के बराबर होना चाहिये। कदाचित्त उनके कहने का आशय यह होगा (यद्यपि उन्होंने इसे स्पष्ट नहीं किया है) कि जिस विन्दु पर राजकीय व्यय की सीमान्त उपयोगिता करारोपण के सीमान्त त्याग के बराबर हो, वही कर-दान क्षमता की सीमा होगी। अर्थात् जब करारोपण का त्याग व्यय से प्राप्त उपयोगिता से अधिक है, तब कर-दान-क्षमता की ऊपरी सीमा का उल्लंघन हो रहा है या कर-दान क्षमता समाप्त हो गई है और यदि व्यय की उपयोगिता करारोपण के त्याग की अपेक्षा अधिक है तो कर-दान क्षमता की ऊपरी सीमा अभी प्राप्त नहीं हुई है। जब ये दोनों साम्य की स्थिति में हो तब राष्ट्र की कर-दान क्षमता की ऊपरी सीमा पहुँच जाती है। यद्यपि यह विचार बड़ा ही विवेकशील दीखता है, किन्तु डा० भागवत ने यह नहीं बताया कि कर-दान क्षमता का माप कैसे किया जावे? उनके वर्णन में भी कुछ स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि त्याग और उपयोगिता दोनों ही मानसिक परिस्थितियाँ हैं, जिनको मापा नहीं जा सकता। अतः उनका विचार भी कर-दान क्षमता को मापने में सहायता नहीं करता।

कीलिन क्लार्क (Collin Clark) ने इंग्लैंड के सम्बन्ध में बताया था कि, 'करारोपण की सुरक्षित ऊपरी सीमा राष्ट्रीय उत्पादन का 25% भाग है।' हो सकता है कि यह इंग्लैंड के लिये उचित हो, परन्तु यह कैसे कहा जा सकता है कि यह सीमा प्रत्येक देश के लिये ठीक है। प्रत्येक देश की आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक परिस्थितियाँ पूर्णतया भिन्न होती हैं। जो सीमा एक देश के लिये अधिकतम हो सकती है वह दूसरे देश के लिये न्यूनतम भी हो सकती है, और तीसरे देश के लिये ऊपरी सीमा से भी ऊँची हो सकती है। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड के लिये भी यह नया निश्चय है कि यह सीमा प्रत्येक समय के लिये ही सुरक्षित सीमा रहे। वास्तव में कर-दान क्षमता देश की आर्थिक परिस्थितियों पर अधिक निर्भर रहती है। और आर्थिक दशा किसी देश की सदैव ही समान नहीं रहती। इसलिये यह कैसे कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय उत्पादन का 25% भाग इंग्लैंड के लिये, सभी समयों के लिये सुरक्षित ऊपरी सीमा होगी।

इन सब विचारों का अव्ययन करने के पश्चात् हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि किसी देश को कर-दान क्षमता मापने का विचार ही एक कल्पना है। हमने ऊपर जितने भी विचारों का विश्लेषण किया है वे सभी एक दूसरे से भिन्न हैं। वे अस्पष्ट और अविश्वसनीय हैं। डाल्टन ने ठीक ही कहा है कि यदि हम राजस्व सम्बन्धी विचार में स्पष्टता लाना चाहते हैं तो हमें कर-दान क्षमता के प्रश्न पर विचार नहीं करना चाहिये। डाल्टन निर्वेक्ष कर-दान क्षमता की तो एक कोरा भ्रम और धोखा मानने हैं। प्रो० एडार्कर ने भी डाल्टन जैसे विचार प्रकट किये हैं। उनका कथन है कि अधिकांश अर्थशास्त्री कर-दान क्षमता का स्पष्ट अर्थ बताने में असमर्थ

रहे हैं। कर दान क्षमता वाक्य का दुरुपयोग किया गया है। यह वाक्य ही गलत है। वास्तव कहते हैं कि 'मेरा साधारण निष्कर्ष यह है कि सापेक्षिक कर-दान क्षमता एक सच बात है जो उचित रूप से दूसरे शब्दों में व्यक्त की जा सकती है परन्तु निष्पक्ष कर-दान क्षमता एक कल्पना है जिससे भयानक भूल होने की सम्भावना है।'^{१०}

कर-दान क्षमता किन बातों पर निर्भर करती है — कर-दान क्षमता अनेकों कारणों पर निर्भर करती है।

(१) कर प्रणाली का रूप एवं प्रकृति — किसी देश की कर दान क्षमता वाफ़ी अथ तक इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश में कर प्रणाली का रूप क्या है? भिन्न-भिन्न प्रकार की कर प्रणालियाँ म व्यक्तिगत की कर दान क्षमता भी भिन्न-भिन्न होती है। वास्तव में प्रणाली का रूप समुचित होना चाहिये। उसमें बीच-बीच में खाली स्थान न हो अर्थात् करों का मिश्रण इस प्रकार किया जाये कि प्रत्येक व्यक्ति पर किसी न किसी रूप में कर लग जाये। यदि किसी कर में व्यक्तियों के बीच जाने की सम्भावना है तो द्वारा कर इस प्रकार लगाया जाय कि बचे व्यक्ति भी उसमें आजायें। इससे कर की चोरी बची रहेगी और सरकार को आय भी पर्याप्त प्राप्त होती रहेगी। साथ ही कर भार का वितरण भी न्यायपूर्ण होगा। आय कर सम्पत्ति या वस्तु करों की अपेक्षा बहुत ही उत्पादक होता है और राष्ट्रीय सकल काल में उससे आय भी खूब बढ़ाई जा सकती है। परन्तु इससे यह आशय नहीं कि देश में केवल एक ही कर—आय कर—लगाया जाये। एक या थोड़े से करों पर निर्भर करना ठीक नहीं होता। कम कर हों या अधिक, आवश्यकता इस बात की है कि इन करों का मिश्रण एवं व्यवस्था इस प्रकार हो कि सरकार को दान भी न हो और व्यक्तियों में कर भार का वितरण भी न्यायपूर्ण हो जाये। नागरिकों को कर का भुगतान करना कष्टदायी न हो अर्थात् उनको कर के भुगतान करने में असुविधाएँ न हों। अतः हम कह सकते हैं कि एक देश जिसमें कर प्रणाली का रूप अधिक समुचित है, उस देश की कर दान क्षमता अधिक होगी अपेक्षाकृत उस देश के जहाँ कर प्रणाली समुचित नहीं है। जितना कर का भार एकसार होगा या अधिक से अधिक व्यक्तियों पर प्रसारित होगा उतनी ही देर में कर-दान क्षमता अपनी अन्तिम सीमा तक पहुँचेगी।

(२) राजकीय व्यय का आकार एवं उद्देश्य — कर-दान क्षमता पर राजकीय व्यय का भी प्रभाव पड़ता है। राजकीय व्यय द्वारा करारोपण के दोषों को दूर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त करारोपण द्वारा जो धन व्यक्तियों की जेबों से निकाला जाता है वह नष्ट नहीं हो जाता है या उसे कुँ में नहीं डाल दिया जाता वरन् वह व्यक्तियों को ही लौटा दिया जाता है और उस पर फिर कर लगाया जाता है। यह धन राजकीय व्यय द्वारा लौटाया जाता है। जितना अधिक भाग, करारोपण की आय का उत्पादक कार्यों में लगाया जायेगा अर्थात् ऐसी योजनाओं में लगाया जायेगा जिनसे व्यक्तियों की उत्पादन शक्ति में वृद्धि होती है, उतनी ही उस

देश की कर-दान क्षमता अधिक होगी। इसी प्रकार यदि कोई देश विदेशी ऋणों का ब्याज चुकाने में बहुत अधिक व्यय करता है, व्यक्तियों की कर-दान क्षमता कम हो सकती है। अतः जिस देश में जितनी अधिक मात्रा में राजकीय व्यय उत्पादक कार्यों पर लगाया जावेगा उतनी ही उम्र देश की कर-दान क्षमता भी अधिक होगी। राजकीय व्यय के अतिरिक्त महत्व राजकीय व्यय के उद्देश्य का होता है। जब व्यय का उद्देश्य सन्तुष्टि का कल्याण होता है अथवा कष्टों का निवारण करना होता है, जैसे अकाल पीड़िता की गृहस्थता करना, निःशुल्क शिक्षा एवं चिकित्सा प्रदान करना तब व्यक्तियों की कर-दान क्षमता में ही केवल वृद्धि नहीं होती बल्कि व्यक्तियों में कर देने की इच्छा भी उत्पन्न हो जाती है और कर की चोरी भी एक जाती है। परन्तु यदि व्यय अर्थकारिता के बतन में वृद्धि करने, विदेशियों को सहायता देने, बैंकों पर सवर्ष करने के लिये किया जाता है तो एक तो जनता के कर देने की इच्छा कम होती जावेगी और दूसरे भविष्य में कर-दान क्षमता भी कम हो जायेगी। अतः राजकीय व्यय का उद्देश्य उसके आकार में वही अधिक महत्वपूर्ण है।

(३) करदाताओं की मनोवृत्ति—कर-दान क्षमता करदाताओं की मनोवृत्ति पर भी निर्भर होती है। व्यक्ति कितना कर दे सकते हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार का प्रति जनता की श्रद्धा कितनी है। अर्थात् जनता सरकार की नीतियों का समर्थन करती है या विरोध। यदि वह सरकार की नीतियों का समर्थन करती है तो सरकारी व्यय के लिये अपना असादान स्वेच्छा से देने का तैयार होगी और यदि वह सरकारी नीतियों का विरोध करती है तो सरकार की नीतियाँ केवल अग्रफल ही नहीं होंगी और व्यय बेकार ही नहीं हो जावेगा बल्कि भविष्य में कर-दान क्षमता में भी कमी होगी। विदेशी सरकार के होने से जनता की उसके प्रति इतनी श्रद्धा नहीं होती जितनी अपनी राष्ट्रीय सरकार के प्रति होती है। भारत से अच्छा उदाहरण नसार म और वही नहीं मिल सकता। अतः विदेशी राज्य में व्यक्तियों की कर-दान क्षमता अपेक्षाकृत उन देशों के जहाँ स्वराज्य होता है, कम होती है। मकटवाल म जैम लडार्ड, प्लेग, अकाल, इत्यादि से व्यक्ति अधिक कर देने के लिये तत्पर रहते हैं। इसी प्रकार मदी काल की अपेक्षा समृद्धि काल में व्यक्तियों की कर-दान क्षमता अधिक होती है और फिर उनको कर का भुगतान करने में सकोच भी नहीं होता, क्योंकि व्यापार में मुक्ति भी बढ़ते रहते हैं और व्यक्तियों को रोजगार भी प्राप्त होते रहते हैं। मन्दी काल में मन्दी काल में वातावरण निराशाजनक होता है और समृद्धि काल में आशाजनक, इसीलिये व्यक्तियों की मनोवृत्ति में भी परिवर्तन होते हैं।

(४) देश की जनसंख्या और राष्ट्रीय आय का अनुपात—मुक्त वैश्वीय का विचार है कि जनसंख्या जितनी अधिक होगी उतनी ही उस देश की कर-दान क्षमता अधिक होगी।¹⁰ परन्तु यह विचार भ्रमात्मक है। केवल जनसंख्या के ही अधिक

होने से करदान क्षमता अधिक नहीं होती। जनसख्या के बढ़ने के साथ साथ राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होनी चाहिये। मंच तो यह है कि जनसख्या की अपेक्षा राष्ट्रीय आय जितनी अधिक तीव्रता से बढ़ेगी उतनी ही करदान क्षमता अधिक होती जायेगी। इसके विपरीत यदि किसी देश की जनसख्या राष्ट्रीय आय की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ रही है तो करदान क्षमता कम होती जाती है। राष्ट्रीय आय स्थिर रहने की स्थिति में जनसख्या की वृद्धि होने से करदान क्षमता कम होती जाती है। यह ध्यान रहे कि जनसख्या देश की अर्थ-व्यवस्था होती है जो देश के साधनों के अधिकतम उपयोग में सहायता करती है जिससे कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। परन्तु यदि जनसख्या के बढ़ने के साथ-साथ देश में साधन पर्याप्त मात्रा में न हो तो, न तो राष्ट्रीय आय में ही वृद्धि होगी और न करदान क्षमता ही अधिक होगी, अपेक्षाकृत उन देश के जहाँ प्राकृतिक साधन पर्याप्त मात्रा में हैं। अतः किसी देश की करदान क्षमता जनसख्या और राष्ट्रीय आय के अनुपात पर निर्भर करती है। जब जनसख्या राष्ट्रीय आय से अधिक है, तो करदान क्षमता कम होगी, जब जनसख्या राष्ट्रीय आय से कम है तो करदान क्षमता अधिक होगी और जब दोनों साम्य की स्थिति में होंगी तो करदान क्षमता निश्चय ही सीमा पर होगी या अपनी ऊपरी सीमा पर होगी। परन्तु इन अनुपातों का भी केवल तापक्षिक महत्त्व है।

(५) देश में धन का वितरण—देश की करदान क्षमता इस बात पर भी निर्भर करती है कि उस देश में धन का वितरण कैसा है। फिनले शिराज तथा अन्य लेखकों के अनुसार देश में जितना असमान वितरण होगा उतनी ही करदान क्षमता अधिक होगी और जितना धन का वितरण समान होगा उतनी ही करदान क्षमता कम होगी। हमारे राज्यों में इन लेखकों के विचार को यों कह सकते हैं कि यदि देश में धन का वितरण बराबर से ही व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित है तो सरकार अधिक धन एकत्रित कर सकेगी, क्योंकि एक तो कर वसूल करने में व्यय कम होगा दूसरे खूब धनी व्यक्ति कर का भुगतान सरलता से कर देंगे, अतः करदान क्षमता अधिक होगी। इसके विपरीत यदि धन का वितरण समान है अर्थात् सभी व्यक्तियों के पास धन की मात्रा समान है तो छोटी-छोटी आय वाले व्यक्तियों से कर वसूल करने का व्यय भी अधिक होगा और कर के आधार के सम्बन्ध में अधिक व्यक्तियों को सन्तुष्ट करना सरल नहीं होता और इसलिये विरोध होने की भी सम्भावना अधिक रहती है। परन्तु यह विचार तथ्यहीन है। धन के समान वितरण से यह ही अर्थ क्या लिया जाये कि देश में सभी व्यक्तियों की आय छोटी होगी। समान वितरण की स्थिति में आय बड़ी-बड़ी भी हो सकती है अर्थात् सभी व्यक्तियों की आय बड़ी मात्रा में प्राप्त हो रही हो। इसके अतिरिक्त धन के समान वितरण का लक्ष्यपूर्ण अर्थ यही है कि देश में आय प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो तथा उन्नति करने के लिये समान सुविधायें उपलब्ध हों। यदि सभी व्यक्तियों को राज्य की ओर से शिक्षा, चिकित्सा, रोटी, कपड़े, भूदान तथा कार्य करने के लिये समान सुविधायें प्राप्त हो रही हैं तो सभी व्यक्ति सन्तुष्ट रहेंगे

और अपनी स्वेच्छा से कर का भुगतान करने के लिये तैयार होंगे। ऐसी व्यवस्था में कोई भी पूँजी तथा सम्पत्ति एकत्रित नहीं करेगा क्योंकि सभी का भविष्य सुरक्षित रहता है। राज्य की अध्यक्षता में सभी समान होते हैं। ऐसी व्यवस्था को चलाने के लिये सरकार जो कुछ भी व्यय करेगी उसको पूरा करने के लिये प्रत्येक नागरिक अपना अदान देने को तैयार रहेगा। सरकार को कर वसूल करने के लिये अधिक कर्मचारी नहीं रखने पड़ेंगे और बर की चोरी भी नहीं होगी। ऐसी परिस्थितियों में देश की करदान क्षमता उन देशों की अपेक्षा जहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, अधिक होगी। वास्तव में नागरिक जितने अधिक राज्य से सन्तुष्ट होंगे उतना ही कर देने को अधिक तैयार रहेंगे। यह समझ में नहीं आया कि यह लेखक इस निष्कर्ष पर किम प्रकार पहुँचे कि धन के असमान वितरण में करदान क्षमता अधिक होगी। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि धन के असमान वितरण में केवल कुछ ही व्यक्ति समृद्धिवाली होंगे, अधिकांश व्यक्ति निर्धन होंगे या बेकार होंगे। सरकार को उन मूर्खों और धनी व्यक्तियों से इतनी राशि भी प्राप्त नहीं होगी जितनी उसको निर्धन व्यक्तियों को सामाजिक सेवायें प्रदान करने में व्यय करने पड़ेंगी। देश के आर्थिक विकास की दृष्टि से बिल्कुल अलग रही। नया ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि देश की करदान क्षमता अधिक होगी? सच तो यह है कि राष्ट्रीय आय का ऊँचा स्तर और समान वितरण दोनों ही पर करदान क्षमता निर्भर करता है। ऊँची राष्ट्रीय आय, परन्तु असमान वितरण से करदान क्षमता कम होगी अपेक्षाकृत ऊँची राष्ट्रीय आय और समान वितरण के। दूसरी ओर नीची राष्ट्रीय आय और असमान वितरण में करदान क्षमता अधिक होगी अपेक्षाकृत नीची आय और समान वितरण के। असमान वितरण में बहुत ऊँची दर पर कर लगाने पर भी उतनी आय प्राप्त नहीं होगी जितनी समान वितरण में नीची दर की दर से प्राप्त होगी।

उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि करदान क्षमता किनी एक कारण पर निर्भर नहीं होती। ऊपर के सभी या अधिकांश कारणों को किसी देश की करदान क्षमता का ज्ञान प्राप्त करते समय ध्यान में रखना होगा। करदान क्षमता का ज्ञान अकेले करारोपण के अध्ययन से या अकेले राजकीय व्यय के अध्ययन से प्राप्त नहीं हो सकता। यह भी ध्यान रहे कि, जैसा डाल्टन ने कहा है कि केवल सापेक्षिक करदान क्षमता ही का विचार व्यावहारिक है, निर्णय करदान क्षमता तो केवल कल्पना मात्र है। डाल्टन ने इस प्रश्न के उत्तर में कि करदान क्षमता कैसे मापी जाये? केवल कैनन के शब्दों—कोई कैसे, नहीं (No how) का समर्थन किया है।¹² अर्थात् कैनन की भाँति डाल्टन भी इस बात से सहमत हैं कि करदान क्षमता को निश्चित रूप से मापा ही नहीं जा सकता इसलिए 'कैसे' का प्रश्न ही नहीं उठता और न कोई उत्तर ही दिया जा सकता है। इसीलिये तो डाल्टन ने निर्वेक्ष करदान क्षमता के विचार का विरोध किया है क्योंकि उसमें माप करने की आवश्यकता होती है।

सापेक्षिक करदान क्षमता को हम विभिन्न देशों की करदान योग्यता की तुलना करके मालूम करते हैं ।

भारत में करदान क्षमता—भारत की करदान क्षमता के सम्बन्ध में बहुधा यह कहा गया है कि वर्तमान करभार असहनीय है, क्योंकि भारत एक निर्धन देश है, और भारत की करदान क्षमता अपनी सीमा तक पहुँच गई है। वास्तव में यह विचार भ्रमात्मक है। यदि सिद्धान्तिक दृष्टिकोण से, धन के वितरण को ध्यान में रखकर, हम भारत की करदान क्षमता की बात करें तो यही कहना होगा कि अभी करदान क्षमता अपनी अन्तिम सीमा तक नहीं पहुँची है, क्योंकि भारत में धन का वितरण बहुत अधिक असमान है। भारत में स्वदेशी सरकार है, इसलिए लोगों को कर देने में भी कोई आपत्ति नहीं है और आजकल सरकार सामाजिक कल्याण सम्बन्धी कार्यों पर भी खूब व्यय कर रही है। इसके अतिरिक्त भारत में मुद्रा-स्फीति का भी काल चल रहा है और व्यक्तियों को खूब लाभ प्राप्त हो रहे हैं। इसलिये भारत की करदान क्षमता की अन्तिम सीमा अभी नहीं पहुँची है—इसी विचार से भारत में राज्य एवं केन्द्रीय सरकारें नित नये कर लगाती जा रही हैं। पुराने करों की न्यूनतम कर-रहित सीमा को कम करती जा रही है और दरों को बढ़ाती जा रही है। पिछले कुछ ही वर्षों में राज्य सरकारों ने बिक्री कर के क्षेत्र को बहुत अधिक विस्तृत कर दिया है। यहाँ तक कि अनाज, मिट्टी का तेल आदि आवश्यक वस्तुओं पर भी कर लगाना आरम्भ हो गया है। केन्द्रीय सरकार ने पिछले दो तीन वर्षों में चार नए कर लगाने आरम्भ कर दिये हैं। वास्तव में जैसे जैसे विकास सम्बन्धी व्यय में वृद्धि हो रही है कर का भार भी बढ़ता जा रहा है। दूसरी लड़ाई से अब तक के काल में भारत की सरकारों की आय में पाँच गुनी से भी अधिक वृद्धि हो गई है। भारत सरकार की जो आय सन् १९३८-३९ में ८४.४७ करोड़ रुपये थी वह सन् १९५८-५९ में ६८५ करोड़ रुपये से अधिक थी, अर्थात् ८ गुनी से भी अधिक वृद्धि हो गई है। सन् १९५८-५९ में करोड़ से कुल ५७२.३४ करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार भारत में राज्यों की कुल आय सन् १९३८-३९ में ४०५ करोड़ रुपये से अधिक थी जिसमें करोड़ से प्राप्त आय २८१ करोड़ रुपये थी और सन् १९५८-५९ में ७४२ करोड़ रुपये की कुल आय में करोड़ से प्राप्त आय की कुल राशि लगभग ५७७ करोड़ रुपये थी। इस प्रकार देश में करारोपण में वृद्धि राष्ट्रीय आय की तुलना में बहुत अधिक हो गई है और व्यक्तियों पर कर-भार बढ़ता जा रहा है। करारोपण की नई नीतियों का समर्थन करते हुए श्री देशमुख, भूदण्ड वित्तमन्त्री ने एक बार सदन में कहा था कि भारत में करारोपण का कुल राष्ट्रीय-आय में प्रतिशत केवल ७% था जब फिलिपीन्स में ९५%, ब्राजील में १४.४%, क्यूबा में १५.३%, मिस्र में १९% और लक्सा में २१.५% था। उनके कहने का अभिप्राय यह

की विवेचना कर चुके हैं जिन पर करदान क्षमता निर्भर करती है। उन्हीं कारणों की विवेचना अब हम भारतीय परिस्थितियों को लेकर करेंगे।

(१) प्रथम, ज़िमी भी देश की करदान क्षमता देश की घन राशि अथवा राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय आय को उत्पन्न करने वाले साधनों पर निर्भर करती है। इनमें ज़िमी को भी आपत्ति नहीं होगी कि भारत में कुल घन की राशि बहुत कम है। बचती और पूँजी निर्माण की गति बहुत धीमी है। प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। हमने ऊपर राष्ट्रीय आय की गणना के लिये दो विधियों का वर्णन किया है। भारत में क्याकि आँकड़ों को बहुत कम है, इसीलिये किसी भी विधि का राष्ट्रीय आय को पता लगाने के लिये उपयोग नहीं किया जा सकता है। सन् १९४८-४९ में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिये 'राष्ट्रीय आय जाँच समिति' नियुक्त की थी। इस समिति ने विश्वव्यापी अनुमानों को प्राप्त करने तथा पूरे आर्थिक क्षेत्र का अध्ययन करने के लिये दोनों ही रीतियों का उपयोग किया था। समिति ने यह आरम्भ ही स्पष्ट कर दिया है और लिखा है कि, "भारतीय आय का अनुमान लगाने के लिये, निश्चय ही, सभी रीतियों पर सूत्राधारों की प्राप्ति के लिये निर्भर करना पडा है। इस कारण न तो तालिका प्रणाली (Inventory method) या बनाई हुई वस्तुओं के मूल्य की रीति का ही उपयोग सम्भव हो सका है और न 'आय रीति' (Income method) का ही उपयोग अर्ध-व्यवस्था के सम्पूर्ण क्षेत्र को जाँच करने में किया जा सका है।"¹² समिति ने देश की कुल कार्यशील शक्ति का अनुमान लगाया है और यह भी मान्य किया है कि इस शक्ति का वितरण विभिन्न व्यवसायों में किस प्रकार किया गया है। यह वर्गीकरण देश में स्वांगित उद्योगों के आधार पर किया गया है। उद्योगों में कृषि उद्योगों को भी सम्मिलित किया है। समिति ने अनुमानित युक्तियों तथा साम्यताओं का बहुत प्रयोग किया है। जिन क्षेत्रों में यह प्रणाली काम नहीं कर सकी है वहाँ 'आय प्रणाली' का प्रयोग किया है। प्रत्येक वर्ग के सदस्यों की सख्या 'व्यवसायिक वर्गीकरण' के अनुसार, २२६ प्रकार 'एकिक', सूत्राधारों के आधार पर 'मालूम की गई' है और तब उनकी कुल आय का अनुमान लगाया गया है। इस योग में, विदेशों से प्राप्त आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय को निकाला गया है। समिति ने सन् १९४८-४९ में प्रत्येक व्यस्त व्यक्ति पर शुद्ध उत्पत्ति (Net output) की गणना को निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित किया है¹³ —

12. R-report, P. 16.

13. Ibid P. 31.

महदे	शुद्ध उत्पत्ति (अरब रुपयो मे)	व्यस्त व्यक्तियों की सख्या (लाखो मे)	प्रति व्यस्त व्यक्ति शुद्ध उत्पत्ति (हजार रुपयो मे)
१ कृषि	४०५	६०५	०.५
२ खाने तथा फैक्ट्रिया	६४	३८	१.७
३ छोटे उपक्रम	८६	१४६	०.६
४ खाने, निर्माण उद्योगों तथा हस्त उद्योगों का योग	१५०	१८७	०.८
५ रेलें तथा सम्वाद वाहन	३२	१२	१.६
६ बैंकिंग बीमा तथा अन्य वाणिज्य और यातायात	१४७	६५	१.५
७ वाणिज्य याता- यात तथा सम्वाद वाहन का योग	१७०	१०७	१.६
८ व्यवसाय तथा उदार कलाएँ	३२	५०	०.६
९ सरकारी नौकरियाँ	४६	३६	१.३
१० घरेलू सेवाएँ	१५	४२	०.४
११ मकान सम्पात्त	४५	—	—
१२ अन्य सेवाओं का योग	१३८	१२८	१.१
१३ शुद्ध गृह उत्पत्ति	८७३	१३२७	०.६६

ये आँकड़े देने के बाद समिति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इन आँकड़ों के आधार पर, लम्बे चौड़े निर्णय सेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि न तो वे प्रत्येक व्यवसाय में प्रति व्यक्ति उत्पादकता को ही ठीक ठीक व्यक्त करते हैं और न ही प्रतिव्यस्त व्यक्ति अर्थात् आय को। समिति का अनुमान है कि सन् १९४८ की जन-सख्या के आधार पर प्रति व्यक्ति आय २५५ रुपये है।

सन् १९४८-४९ में जो जन-सख्या ३५ करोड़ से कुछ अधिक थी वह सन् १९५६-५७ में ३८ करोड़ ८० लाख के लगभग हो गई थी। इसी काल में राष्ट्रीय आय ८६५० करोड़ रुपयों से बढ़कर ११०१० करोड़ रुपये हो गई थी। अतः प्रति व्यक्ति आय २६७९ रुपयों से २८४ रुपये हो गई। परन्तु नया भौतिक आय के साथ साथ वास्तविक आय में भी वृद्धि हुई है। यदि प्रचलित मूल्यांशों के आधार पर अनुमान लगाया जाय तो राष्ट्रीय आय ८६५० से बढ़कर ११,४१० करोड़ रुपये हो गई है और यदि सन् १९४८-४९ के मूल्यांशों के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना

की जाये तो ८६५० करोड से बढ़कर ११०१० करोड रुपये हो गई है। वास्तविक आय का ज्ञान प्राप्त करने के लिये हमको मूल्यो और मौद्रिक आय की प्रवृत्ति की ओर ध्यान देना होगा। चालू मूल्यो के आधार पर प्रति व्यक्ति आय सन् १९५३-५४ में २८१ रुपये होकर सन् १९५४-५५ में २५४ रुपये रह गई और १९५५-५६ में फिर २६१ रुपये और सन् १९५६-५७ में २६४ रुपये हो गई। इस प्रकार इन आकड़ों से सिद्ध होता है कि मूल्यो के बढ़ने से सामान्य रूप में आय का स्तर गिरता ही रहा है और इसलिये यह स्पष्ट है कि लोगो की वास्तविक आय में वृद्धि नहीं हुई है। अतः बढ़ती हुई जनसंख्या, ऊपर घटता हुआ मूल्यस्तर और स्थिर रहने वाला आय स्तर इस बात को स्पष्ट करता है कि व्यक्तियों की करदान क्षमता अपनी उपरी सीमा का उल्लंघन कर चुकी है।

(२) करदान क्षमता को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण कारण देश की जनसंख्या होती है। देश का धन समाग रहने की स्थिति में जनसंख्या बढ़ने से व्यक्तियों की करदान क्षमता कम होगी। करदान क्षमता केवल जनसंख्या के आकार पर ही निर्भर नहीं करती बल्कि जनसंख्या की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। यदि जनसंख्या में बच्चों, बुढ़ों तथा स्त्रियों की संख्या अधिक है तो लोगो की करदान क्षमता कम हो जायेगी, क्योंकि यह लोग एक तो कुछ कमाते ही नहीं और अगर कमाते भी हैं तो अपने भरण पोषण के व्यय से बहुत कम। बहुत से परिवार ऐसे हैं जहाँ कमाने वाला तो केवल एक है परन्तु खाने वाले एक दर्जन हैं। परिणाम स्वरूप उनकी करदान क्षमता कम होती है। भारत में समुचित परिवार प्रणाली के कारण करदान क्षमता बहुत कम है।

(३) व्यक्तियों में जायति और राष्ट्रीयता की भावना भी उनकी करदान क्षमता को प्रभावित करती है। जितनी अधिक राष्ट्रीयता की भावना होगी, देश प्रेम होगा उतना ही व्यक्ति स्वदेशी सरकार को सहयोग देंगे। हमारा देश स्वतन्त्र होते हुए भी व्यक्तियों में राष्ट्रीयता की भावना इतनी कम है और नागरिकता की इतनी कमी है कि वह अपने देश के लिये त्याग नहीं करना चाहते और साथ ही कर की चोरी करते हैं। अतः उनकी करदान क्षमता कम हो जाती है।

(४) हमारे देश में कर प्रणाली भी समुचित नहीं है। केलडौर ने अपने प्रस्ताव इसी के लिये प्रस्तुत किये थे। परन्तु सरकार ने अभी तक उन प्रस्तावो को पूर्ण रूप से कार्यरोपित नहीं किया है और कर प्रणाली में जो बर्मी पहले थी, वह अब भी विद्यमान है। अब भी देश में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों में सन्तुलन नहीं हो पाया है। परिणामस्वरूप कर प्रणाली न्याय संगत नहीं है। हमारे देश में अधिकतर प्रतिगामी कर हैं, जिनसे आय भी उतनी प्राप्त नहीं होती, उल्टा कर भार अधिक पड़ता है। इसका भी हमारे देश की करदान क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(५) हम पहले ही कह चुके हैं कि करदान क्षमता को केवल करारोपण के दृष्टिकोण से ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि राजकीय व्यय को भी दृष्टि में

रखना चाहिए। यदि व्यक्तियों को उपयोगी सेवाओं के रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं होता तो एक हलका कर भी दोष मालूम होगा। इसके विपरीत यदि सरकार सामाजिक सेवाओं तथा सामाजिक कल्याण की सुविधायें प्रदान करती है तो लोग भारों कर का बोझ सहन करने को तैयार रहते हैं। ऐसी स्थिति में केवल यही स्पष्ट होता है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की मनुष्यता सामूहिक रूप से पूरना चाहते हैं इसी कारण तो वे ऊँचा कर भी सहन करने को तैयार हैं। यदि राज्य शिक्षा तथा औपचिक सहायता प्रदान करता है, मृतक व्यक्तियों के निर्भरताओं के भरण पोषण का भार अपने ऊपर लेना है प्रयत्न युक्त के लिये गौरी का प्रदत्त करता है तो वह नागरिकों की आय का अधिकतम भाग भी यदि कर के रूप में ले ले तो कोई भी चिन्ता नहीं करेगा। अन्य विकसित देशों में राज्य निर्धनों की सहायता प्रदान करता है बीमारों तथा बेकारों बीमारों की सुविधायें प्रदान करता है वृद्धावस्था पेंशनना की व्यवस्था करता है उच्च शिक्षा एवं विविध सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करता है। इसी कारण बड़ा कर भार भी अधिक है, परन्तु व्यक्तियों को भार मालूम नहीं होता। भारत में सरकार की अधिकतम आय मैनुफैक्चरिंग प्रशासन, रूप सम्बन्धी सेवाएँ आदि गैर-विक्रय सम्बन्धी कार्यों पर व्यय होती है। सामाजिक सेवाओं के लिये बहुत कम व्यय लेप रहती है इसी कारण उचित भार भी बहुत अधिक मालूम पड़ता है। पिछले दशकों से स्थिति काफी सुधर रही है। हमारा व्यय सामाजिक सेवाओं पर बढ़ता जा रहा है और विक्रय सम्बन्धी कार्यक्रमों पर भी सरकार का व्यय बहुत हो रहा है। परन्तु स्थिति पूर्ण रूप में सन्तोषजनक नहीं है। अब भी गैर-विक्रय कार्यों पर व्यय बहुत अधिक है। देश के आकार एवं जनसंख्या को देख कर सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सेवाएँ बहुत कम हैं मूल्य स्तर ऊँचा है और जीवन स्तर बहुत नीचा है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है और राष्ट्रीय आय में इतनी वृद्धि हो नहीं रही है। इन सब कारणों ने यही सिद्ध होता है कि भारत की करदान क्षमता की सीमा का उत्खनन हो चुका है।

कर जाँच आयोग और कर-दान क्षमता—कर जाँच आयोग ने करारोपण सम्बन्धी जो सुझाव दिये हैं, यदि उनका कार्यारोपित कर दिया जाय तो भारत में सरकारों की आय में एकदम १०० से १५० करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायेगी और दीर्घ काल में तो और भी अधिक वृद्धि होगी। इन में तो कोई संदेह नहीं कि विकास कार्यक्रमों को पूरा करने के लिये अधिक धन की आवश्यकता है। परन्तु यह भी एक निश्चित सीमा अर्थात् करदान क्षमता से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। और यदि ऐसा किया जाता है तो व्यक्तियों को बहुत कष्ट हाने। आयोग की रिपोर्ट में विदित होता है कि वह भी इससे सहमत है। परन्तु न जाने उनके मस्तिष्क में कौन सी सहर उठी कि बाद में उन्होंने अपने प्रारम्भिक मनुष्य की अवहत्या करने हुए लिखा कि (अ) राष्ट्रीय आय में करारोपण की आय का जो अनुपात है वह पाश्चात्य देशों में जिन में कुछ दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश भी सम्मिलित हैं, भारत की अपेक्षा बहुत ऊँचा है; और (ब) गण वर्षों में भारत की करदान क्षमता में

में बहुत वृद्धि हो गई है, क्योंकि सामाजिक तथा विकास सम्बन्धी सेवाओं की ओर राजकीय व्यय बढ़ता जा रहा है।

भारत में जो स्थिति है, उसकी तुलना विदेशों से करना बिल्कुल बेकार होगा। उन देशों की करदान शक्ति बहुत ऊँची है। करदान क्षमता सोचने या कल्पना करने की बात नहीं है। यह इतनी मनोवैज्ञानिक दशा नहीं है जितनी भौतिक शक्ति है। हमारे देश में उपयोगी सेवाओं पर व्यय तो बढ़ गया है परन्तु धन का वितरण दोषपूर्ण होने के कारण इसमें व्यक्तियों की करदान क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई है। व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक दशा पर परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। जब तक वास्तविक परिस्थितियाँ नहीं सुधरती तब तक मनोवृत्ति भी व्यक्तियों की नहीं सुधरेगी। जहाँ तक भौतिक परिस्थितियों का सम्बन्ध है, भारत में इनमें कोई भी सुधार नहीं हुआ है और इसीलिये व्यक्तियों की करदान क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई है। पाश्चात्य देशों में व्यक्तियों की वास्तविक आय प्रति व्यक्ति औसत आय से कहीं अधिक होती है। इसीलिये उनकी करदान क्षमता अधिक है। भारत में अधिकांश व्यक्तियों की वास्तविक आय प्रति व्यक्ति औसत आय से बहुत कम है। बहुत से व्यक्ति बेकार हैं। इसीलिये हमारी करदान क्षमता बहुत कम है और उम्र समय तक नये करों के लिये कोई गुन्नाइश नहीं है जब तक कि देश में बेकारी दूर न हो, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि न हो और वास्तविक आय प्रति व्यक्ति औसत आय से अधिक न हो।

भाग-४

संघीय वित्त-व्यवस्था

अध्याय ??

संघीय वित्त-व्यवस्था
के
सिद्धान्त
(Principles of
Federal Finance)

प्राक्कथन—

राज्य व्यक्तियों के सामूहिक जीवन का प्रतिनिधि है और मनुष्या के सुवर्णित जीवन का प्रतीक है। तब मनुष्य न भगदे और लड़ाईया मुटवन्दी और अनम्यता का अन्त करके एक सुवर्णित एवं व्यवस्थित जीवन व्यतीत करना आरम्भ कर दिया ता उन्होंने व्यवस्था एवं प्रसन्न चरम का काम सरकार को सौंप दिया। अतः सरकार ही राज्य की मात्रा बनानी है और वह नागरिकों की शान है परन्तु प्रत्येक एक प्रमाणन में वह नागरिका पर शासन भी करती है और नागरिका का यह कर्तव्य है कि वह उनके द्वारा बनाए हुने नियमों के अनुसार कार्य करें अन्यथा वह उन्हें गजा दे सकती है। राज्य केवल अपने नागरिकों की इच्छानुसार कार्य करता है और सरकार व्यक्तियों की इच्छाओं को मात्रा रूप प्रदान करती है। यह कर्तव्य अनुचित न होगा कि पितन भी नियम सरकार बनानी है और उनको कार्यान्वित करन के लिए जो प्रयत्न करती है वह एक प्रकार में व्यक्तियों के ही सामूहिक प्रयत्न होते हैं। इस प्रकार राज्य व्यक्तियों का सामूहिक जीवन का प्रतीक है, जिसको बनाये रखने के लिए वह एक सम्पदा बना लेता है, जिसे सरकार कहते हैं। एक ही राज्य के नागरिक, केवल एक सरकार द्वारा ही काम चला सकते हैं या अनेकों सरकारें बना सकते हैं। जब एक देश में केवल एक ही सरकार होती है तो उसे एकक शासन (Unitary Government) कहते हैं। जब एक में अधिक सरकारें—व्यवहार में अधिकतर तीन—होती हैं तब उसे संघीय शासन (Federal Government) कहते हैं। भारत में अन्य देशों की भाँति संघीय शासन है और केन्द्रीय, राज्य तथा

स्थानीय सरकारें हैं। एकक शासन प्रणाली का यह अभिप्राय नहीं कि किसी एक स्थान पर बैठकर कोई शासक कुछ अफसरों के द्वारा शासन प्रबन्ध करता रहता है। हाँ यह सम्भव है कि राज्य को कुछ क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाये और हर क्षेत्र को एक शासक के आधीन छोड़ दिया जाये, जो सम्पूर्ण देश के शासक के आधीन रहे और उसकी इच्छानुसार उसके द्वारा बनाई हुई नीतियों का पालन करे। अकबर ने अपने राज्य को कई प्रान्तों में बाँट दिया था और प्रान्तीय शासक पूर्ण रूप से बादशाह के आधीन थे। इसके विपरीत, सघीय शासन में राज्य को जितने भागों में विभाजित किया जाता है, उन सभी को कुछ विषयों के अतिरिक्त अन्य मामलों में निर्णय लेने में पूर्ण स्वतन्त्रता होती है। जैसे भारत में रक्षा, डाक व तार, मुद्रा व टकसाल के लिए राज्य पूर्ण रूप से केन्द्र के आधीन है। अन्य क्षेत्रों में राज्य पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होते हैं। वे अपनी इच्छानुसार आय प्राप्त करते हैं और अपनी इच्छानुसार व्यय करते हैं। सन् १९३७ में पहले हमारे देश में प्रान्तों को कर लगाने का अधिकार नहीं था। वे बड़े बड़े अधिकारी भी नियुक्त नहीं कर सकते थे और न वे किसी बड़ी योजना को अपने हाथ में ले सकते थे। संक्षेप में, प्रान्त, केन्द्र के आधीन थे।

सघीय शासन प्रणाली में अधिकतर तीन प्रकार की सरकारें होती हैं जो एक दूसरे के समानान्तर होती हैं। केन्द्रीय सरकार, जिसे सब सरकार कहते हैं, के अधिकार प्रान्तीय सरकारों, जिन्हें राज्य सरकारें कहते हैं से किसी प्रकार भी उच्च नहीं होते। राज्यों की अपनी भौगोलिक सीमाएँ होती हैं और वह पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होने हैं। यदि देखा जाये तो विभिन्न सरकारों के अधिकारों एवं कर्तव्यों में टक्कर होने की सम्भावना रहती है। इसीलिये इन सब सरकारों के अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया जाता है, और सरकार इन अधिकारों और कर्तव्यों की पूर्ति करने के लिये अपने अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र होती हैं। वैसे तो एकक शासन प्रणाली तथा सघीय शासन प्रणाली, दोनों ही में राज्य के सिद्धान्त लगभग समान होते हैं। परन्तु सघीय शासन प्रबन्ध में कुछ ऐसी विशेषताएँ होती हैं जो एकक शासन प्रणाली में नहीं होती। इसलिए विभिन्न क्रियाओं को सघीय, राज्य और स्थानीय सरकारों में विभाजित कर दिया जाता है। सब सरकारों को वे विषय सौंपे जाते हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय होते हैं और जो सामान्य रूप से सभी राज्यों अर्थात् सम्पूर्ण देश से सम्बन्धित होते हैं। जिन्हें अगर किसी एक राज्य को सौंप दिया जाये तो यह सम्भावना हो सकती है कि अन्य राज्यों का हित अग्रसर न हो। देश की अन्तरिक शान्ति को बनाय रखन तथा सामाजिक जीवन को उन्नत करने के नाम राज्यों को सौंप दिये जाते हैं। इनके अतिरिक्त जो विषय सौंपे रहते हैं उनमें से कुछ को सब सरकार अपने हाथ में ले लेती है और कुछ पर राज्यों को दे देती है। इस विभाजन का आधार भूत सिद्धान्त यही है कि कुछ कार्य तो ऐसे हैं जिन्हें सब की इकाइयाँ सामूहिक रूप से मिलकर अधिक कुशलता से कर सकती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें प्रत्येक इकाई स्वतन्त्र रूप से अच्छी तरह कर सकती है।

इसी सिद्धान्त के आधार पर एक शासन प्रणाली में भी केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों में कार्यों का विभाजन होता है। मघीय तथा एक शासन प्रणाली में कार्यों के विभाजन में केवल इतना ही अन्तर है कि जबकि मघीय प्रणाली में इकाइयों की स्वतन्त्रता होती है एक प्रणाली में इकाइयों स्थायी रूप से स्वतन्त्र नहीं होती। केन्द्रीय सरकार जब भी चाहे इकाइयों से स्वतन्त्रता छीन सकती है। इस भेद के अतिरिक्त दोष सब बातें समान होती हैं। मघ सरकार के कार्य, इस प्रकार, ऐसे होते हैं जिन्हें विभिन्न राज्य एक साथ मिलकर या आपसी सहयोग द्वारा करना अधिक पसन्द करते हैं जैसे डाक व तार व्यवस्था रेलों की व्यवस्था, वेग की सुरक्षा इत्यादि। जिन कार्यों के लिए इन प्रकार के सामूहिक प्रयत्नों की आवश्यकता नहीं होती उन्हें राज्यों को सौंप दिया जाता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि जो मफलता सामूहिक प्रयत्नों से प्राप्त होती है वह स्वतन्त्र रूप में कार्य करने में नहीं होती और क्योंकि मघ सभी राज्यों की इच्छाया वा प्रतिनिधित्व करता है इसीलिए सभी कार्य मघ सरकार के द्वारा ही होने चाहिये। परन्तु कार्यों का विभाजन केवल इसी उद्देश्य से नहीं किया जा सकता। कुछ बातें और भी हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाता है।

इस प्रकार के सामूहिक प्रयत्नों में यह आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य मघ सरकार के आधीन रहे। वह अपनी स्वतन्त्रता को देश के या अन्य राज्यों के हित में समर्पित करदे और किसी भी क्षेत्र में वह स्वतन्त्र निर्णय न ले। तभी एक मघ सभी कार्यों की मफलतापूर्वक सम्पन्न कर सकता है। परन्तु इस मसाले में बहुत कम ही ऐसे होंगे जो अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा न करे या दूसरों के आधीन रहकर कार्य करना पसन्द करे। हर कोई स्वतन्त्र रहना चाहता है। इसीलिये प्रत्येक कार्य मघ सरकार मफलतापूर्वक नहीं कर सकती, क्योंकि सामूहिक प्रयत्नों से जो भी लाभ प्राप्त होगा वह राज्यों की अस्मित स्वतन्त्रता समाप्त होने की क्षति से समाप्त हो जायेगा। यह पूर्णतया मत्त है क्योंकि राज्य मघ सरकार को प्रत्येक क्षेत्र में अपना सहयोग प्रदान करने को तैयार न होंगे। यही कारण है कि सरकार के सारे कार्य मघ सरकार को नहीं सौंपे जाते। राज्यों को यह स्वतन्त्रता देश के मविधान द्वारा प्रदान की जाती है और स्थायी होती है। देश के शासन प्रबन्ध में इसी स्वतन्त्रता के कारण कुशलता आती है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि मघ सरकार तथा राज्य सरकारों में कार्यों का विभाजन करने मग्य दो बातों में से किसी एक को आधार बनाना ही होगा। अर्थात्, या तो यह आधार मानना होगा कि सामूहिक प्रयत्न सर्वत्र ही व्यक्तिगत प्रयत्नों की अपेक्षा अधिक अच्छे होते हैं या इस सिद्धान्त को स्वीकार करना होगा कि पराधीनता से स्वाधीनता सर्वत्र ही अच्छी होती है। यदि हम दूसरे सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं तो यह निश्चित करना होगा कि कौन से कार्य ऐसे हैं जिनके लिये सामूहिक सहयोग या प्रयत्न आवश्यक हैं या जो सामूहिक प्रयत्नों में सबसे अधिक कुशलता से सम्पन्न किये जा सकते हैं। यह निश्चय मघ की इकाइयों अर्थात् राज्यों

को ही करना होगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐसा करने में राज्यों को अपनी स्वतन्त्रता की कुछ बलि देनी होगी। परन्तु यदि सामूहिक प्रयत्न से अधिक लाभ प्राप्त हो जाता है तो इस त्याग की क्षति पूर्ति हो जायेगी। अतः यह निर्णय करना होगा कि किन क्षेत्रों में सामूहिक प्रयत्न से अधिक सफलता प्राप्त की जा सकती है। सभ सरकार एक प्रकार का बड़े पैमाने का गगठन है। जिरा प्रकार बड़े पैमाने के गगठन में लाभ प्राप्त होते हैं उसी प्रकार मधीय शासन प्रणाली में भी बहुत से वह लाभ प्राप्त होते हैं, जो एकक प्रणाली में प्राप्त् नहीं हो सकते। सभ सरकार के खीत बहुत अधिक होते हैं। वह बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं को अपने हाथ में ले सकती है। बड़े पैमाने की उत्पत्ति के लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और व्यक्तिगत साधनों का अधिकतम उपयोग हो सकता है। केवल उत्पत्ति में ही नहीं बल्त् नियोजन तथा अन्य क्षेत्रों में भी यह प्रणाली उपयोगी सिद्ध होती है। सभ सरकार के नेतृत्व तथा निर्देशन में, विभिन्न राज्यों द्वारा निर्मित योजनाओं में समन्वय स्थापित हो सकता है, जैसे सड़कों तथा रेलों में इस प्रकार के समन्वय की बहुत आवश्यकता होती है। हर प्रान्त सड़कों के विकास के लिये अपनी अपनी योजनाएँ बनाता है। यदि सभ सरकार उनको समन्वित (co ordinate) न करे तो वे सारी योजनाएँ देश के समुचित विकास में सहायक सिद्ध नहीं होंगी। इसी प्रकार देश की सुरक्षा में भी राज्यों का सहयोग आवश्यक होता है। अत कुछ कार्य ऐसे होते हैं, जिनको राज्य स्वतन्त्र रूप से सम्पन्न नहीं कर सकते क्योंकि या तो उनका कोई एक सामान्य उद्देश्य नहीं होता या उनके व्यक्तिगत हित एक दूसरे से टकराते हैं। इतलिये ऐसे कार्य सभ सरकार द्वारा किये जाते हैं।

कुछ लोगों का कहना है कि सभ सरकार तथा राज्यों में कार्यों का विभाजन इस कारण भी होता है कि सरकारी कार्य दो प्रकार के होते हैं—प्रथम वह कार्य जिनका महत्त्व सम्पूर्ण देश के लिये होना है और दूसरे वह कार्य जिनका केवल स्थानीय महत्त्व ही होता है। पहली प्रकार के कार्य सभ सरकार द्वारा किये जाने चाहिए और दूसरी प्रकार के कार्य स्थानीय एव राज्य सरकारों को करना चाहिए। परन्तु इस प्रकार का सरकारी कार्यों का वर्गीकरण एक घति सकीर्ण दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। वास्तव में सरकार जो भी काम करती है (चाहे वह, केन्द्रीय सरकार हो या राज्य सरकार) उसका प्रभाव सम्पूर्ण जनसंख्या पर ही पड़ता है। इस दृष्टि से तो प्रत्येक कार्य सभ सरकार द्वारा ही होना चाहिए। यदि हम केवल वाद विवाद के क्षेत्र में परे हटा कर सत्यता के निकट आवें तो यह एक कटु सत्य है कि वास्तव में कुछ कार्य ऐसे हैं जिनका क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है और कुछ ऐसे हैं जिन का क्षेत्र अपेक्षाकृत सकुचित होता है। प्रत्येक कार्य के क्षेत्र में कुछ न कुछ अन्तर अवश्य ही होगा। यत हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि जिन कार्यों का क्षेत्र अधिक विस्तृत है, अर्थात् जिनसे अधिक व्यक्तियों को लाभ होता है, उन कार्यों को केन्द्रीय सरकार को करना चाहिए और जिन का क्षेत्र अपेक्षाकृत सकीर्ण है उनको प्रान्तीय सरकारें करे।

वित्तीय स्रोतों का विभाजन—सरकारों को जो कार्य सौंपे जाते हैं उनको पूरा करने के लिये उन्हें साधनों की आवश्यकता होती है। ये साधन कई प्रकार से एकत्रित किये जा सकते हैं। एक विधि तो यह हो सकती है कि सभ सरकार सब धन को एकत्रित करे और राज्यों को उमरा एक भाग दे दे। दूसरी विधि यह हो सकती है कि राज्य सरकारों के लिये वित्तीय साधन जुटाये और प्राप्त आय का एक भाग सभ सरकार को दे दें ताकि वह अपने कार्यों को सम्पन्न कर सकें। अन्तिम विधि यह हो सकती है कि अपने क्षेत्रों में दोनों सरकारों को इत्यादि द्वारा आय प्राप्त करे और अपने कार्यों को पूरा करे। अन्तिम विधि में या तो यह हो सकता है कि दोनों सरकारों के कर इत्यादि लगाये और आय प्राप्त करे या यह हो सकता है कि वित्तीय स्रोतों को दोनों सरकारों के बीच बाँट दिया जाये और जो सरकार एक प्रकार का कर लगाये वह दूसरी सरकार न लगाये। अतः आय के स्रोत दोनों सरकारों के पूर्णतया अलग अलग हों, और कुछ कर ऐसे निश्चित कर दिये जायें जिनको दोनों सरकारों लगाये। जब दोनों सरकारों को कर लगाने का अधिकार हो तो वह या तो अपने अपने क्षेत्र में प्राप्त आय को अपने लिये रखने और अपने उपयोग में लायें या दोनों अपनी अपनी आय को एक स्थान पर इकट्ठा कर लें और फिर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसे बाँट लें या अपनी अपनी आय अपने पास रखकर किसी एक सरकार को अपनी आय में से दूसरी सरकार को दे दें। सरकारी वित्त व्यवस्था में एकलपता लाने के लिये बहुधा यह प्रस्ताव दिया गया है कि आदर्श व्यवस्था यही होगी जिसमें सब सरकारें अपने क्षेत्रों में उन करों को लगायें तथा सेवाओं को प्रदाय करें जिनके लिये उनमें कुशलता है और इस प्रकार एकत्रित आय को अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बाँट लें। परन्तु इस प्रकार की व्यवस्था में अनेको कठिनाईयाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे यह कैसे निर्धारित किया जाये कि कोई सरकार किन किन करों को लगाने या सेवाएँ प्रदान करने में कुशल है? कौन सी सरकार कम कुशल है, और कौन अधिक? कुशलता का माप किम आधार पर किया जाये? राज्यों की कौन सी आवश्यकताएँ उचित हैं, और कौन सी अनुचित? आय के वितरण का क्या आधार हो? इत्यादि। यह भी सम्भव है कि जिस आधार पर हम यह निर्णय करें कि एक राज्य विशेष एक कर विशेष कुशलता से लगा सकता है, उससे वह राज्य महामद न हो या उस कर का लगाने के लिये तैयार न हो। यह भी हो सकता है कि जिस राज्य को हमें अधिक आय मिलेगी, उसी राज्य को अधिक कर देना पड़ेगा, और जो राज्य कम कुशल है, उसे अधिक कर देना पड़ेगा। अतः कुशलता से लागू करके सबसे अधिक आय प्राप्त कर लें। कर एकत्रित करने की कुशलता इन बातों पर निर्भर करती है कि उस कर से प्राप्त आय का उपयोग कौन करेगा? यदि प्राप्त आय को वही सरकार उपयोग में लायेगी जिसने उसको लागू कर रखा है तो वह बड़ी कुशलता से कार्य करेगी और यदि कोई दूसरी सरकार उस आय का उपयोग करती है तो कर लगाने वाली सरकार हतोत्साहित हो जायेगी और उसकी कुशलता ही कम हो जायेगी। इसीलिये प्रायः जो

सरकार कर लगाती है वह ही उसकी आय को अपने उपयोग में लाती है। यह भी हो सकता है कि जब सभ तथा राज्य सरकारों में आय के स्रोतों का विभाजन किया जाय तब उनकी आय आवश्यकताओं के अनुकूल न हो और फिर कुछ स्रोतों को दोनों सरकारों के बीच टुकड़े करके बाँटना पड़े। लगभग प्रत्येक सभ शासन प्रणाली में इसकी आवश्यकता अनुभव हुई है। यद्यपि किसी भी एक स्रोत को टुकड़ों में विभाजित करना सरल नहीं होता फिर भी सभी सभ शासन प्रणालियों में ही ऐसा करना होता है और इस स्थिति में एक सरकार को दूसरी सरकार पर अपनी आय के थोड़े से भाग के लिये निर्भर करना पड़ता है।

संघीय वित्त-व्यवस्था के सिद्धान्त—अपर्युक्त विवरण के पश्चात् हम संक्षेप में कह सकते हैं कि संघीय वित्त का मुख्य रूप से दो समस्याएँ होती हैं। प्रथम, विभिन्न सरकारों में आय के स्रोतों का विभाजन किस प्रकार हो? और क्योंकि यह सम्भव नहीं है कि प्रत्येक सरकार की आय उसकी आवश्यकताओं के अनुकूल हो इसीलिए दूसरी समस्या इस बात की है कि प्रत्येक सरकार की आय और आवश्यकताओं में सन्तुलन किस प्रकार किया जाय? इन दोनों समस्याओं का अध्ययन करने से पहले यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हम संघीय वित्त-व्यवस्था के सिद्धान्तों को बता दें वैसे तो हम इनका वर्णन कहीं-कहीं पर पहले कर ही आये हैं। यह सिद्धान्त निम्न प्रकार है—

(१) **एकरूपता (Uniformity)**—संघीय वित्त-व्यवस्था का पहला सिद्धान्त यह है कि सभ की प्रत्येक इकाई, सभ सरकार को, किसी सामान्य महत्त्व वाले भार को सहन करने में समानता के आधार पर अपना-अपना अंश दान दे। अर्थात् सभ सरकार द्वारा लगाये गए करों का भुगतान करने के लिए किसी एक राज्य के व्यक्तियों की दूसरे राज्य के व्यक्तियों की अपेक्षा कोई विशेष रियायतें या कटौतियाँ न की जायें। सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाये। परन्तु व्यवहार में इस प्रकार की समानता स्थापित करना सम्भव नहीं होता क्योंकि सभ की प्रत्येक इकाई के पास समान साधन नहीं होते और न ही उनका व्यय समान होता है। अपने ही देश में देखिये कि यदि आसाम से यह प्राशा की जाय कि वह उतना ही अंश दान दे जितना कि बम्बई राज्य देता है तो यह अन्यायपूर्ण होगा, क्योंकि एक तो आसाम में बम्बई जैसे साधन नहीं हैं और दूसरे आसाम को बम्बई की अपेक्षा अपना विकास करने में अधिक धन का व्यय करना होता है। अतः राजकीय नीति (Fiscal Policy) में समानता स्थापित करना असम्भव ही होता है।

(२) **स्वतन्त्रता (Independence)**—संघीय वित्त-व्यवस्था का दूसरा सिद्धान्त यह है कि सभ में सम्मिलित होने वाली प्रत्येक इकाई आर्थिक क्षेत्र में स्वतन्त्र हो। दूसरे शब्दों में प्रत्येक राज्य के पास अपने कामों को पूरा करने के लिए अपने-अपने साधन हो। वह अपनी इच्छानुसार कर लगा सके व ऋण उगा सके और आय को खर्च करने के लिये पूर्णरूप से स्वतन्त्र हो। सभ की एक इकाई अपनी आय

के लिये किसी दूसरी इकाई पर निर्भर न हो। परन्तु व्यवहार में सम्पूर्ण स्वतन्त्रता सम्भव नहीं होती। यह तो गच है कि एक इकाई किसी दूसरी इकाई पर निर्भर नहीं होती, परन्तु प्रत्येक इकाई को मध्य सरकार पर निर्भर रहना होता है। इससे दो कारण हैं—एक तो यह कि अधिनतम मध्य सरकार अपने लिए आय के अधिक स्रोत रखा लेती है, साथ ही ये स्रोत लोचपुण होते हैं दूसरे कुछ स्रोत ऐसे होते हैं जिनको टुकटों में बाँटा नहीं जा सकता, इसलिए मध्य सरकार उनको अपने पास ही रखती है और उनी आय में से एक निश्चित प्रतिशत राज्यों को दे देती है। इसके अतिरिक्त राज्यों को मध्य से कुछ आर्थिक सहायता भी प्राप्त होती रहती है। एक प्रकार से राज्यों को इस सहायता के लिये भी मध्य सरकार का मुँह ताकना पड़ता है।

(३) पर्याप्तता (Adequacy)—मधीय वित्तव्यवस्था का तीसरा सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक सरकार को आय के जो भी स्रोत दिये जायें वह उनके बापों के पूरा होने के लिये पर्याप्त हों। माधना की पर्याप्तता में केवल यही अभिप्राय नहीं है कि सरकारों को केवल वर्तमान आवश्यकताओं की ही पूर्ति हो सके वरन् भविष्य में उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो जा सके। दूसरे शब्दों में, आय के माधन लोचपूर्ण होने चाहिये अर्थात् भविष्य में आवश्यकताओं की वृद्धि के साथ-साथ उन माधनों से प्राप्त आय भी बढ़ाई जा सके। बहुधा ऐसा होता है कि राज्यों को ऐसी मदें दे दिये जाते हैं जिन पर भविष्य में खर्चा तो बढ़ता जाता है परन्तु उनके माधनों से उनी अनुपात में आय नहीं बढ़ती। भारत में विलकुल यही स्थिति है। राज्यों में पास शिक्षा, आन्तरिक शान्ति सामाजिक सेवाएँ आदि ऐसी मदें हैं जिन पर व्यय प्रत्येक वर्ष बढ़ता जा रहा है परन्तु उनके आय के स्रोतों से प्राप्त आय में कोई विसय वृद्धि नहीं हुई है। दूसरी ओर केन्द्रीय सरकार को ऐसी मदें दे दी जाती हैं जिन पर सामान्य परिस्थितियों में तो व्यय समान रहता है, परन्तु सन्दर्भकाल में व्यय में वृद्धि हो जाती है और उनके पास ऐसे साधन होते हैं जिनकी आय को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में राज्यों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना कठिन हो जाता है। इसी कारण विभिन्न सरकारों में आय के स्रोतों का विभाजन इस प्रकार किया जाये कि (अ) विभिन्न सरकारों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये आय के ऐसे साधन दिये जायें कि साधारण परिस्थितियों में पर्याप्त आय प्राप्त होने के बाद भविष्य के लिये कुछ बचा कर रखा जा सके, विशेष रूप से केन्द्रीय सरकार के सम्बन्ध में ऐसा होना चाहिये। राज्यों को आय के ऐसे स्रोत दिये जायें कि वे साधारण परिस्थितियों में अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लें और भविष्य में आवश्यकता होने पर उनको अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके और (ब) वित्तीय ढांचा ऐसा हो कि आवश्यकता के समय साधनों में पुनर्वितरण या उत्तरेकर की जा सके।

(४) प्रशासन की कुशलता (Administrative Efficiency)—मधीय वित्त

व्यवस्था का अन्तिम सिद्धान्त यह है कि वित्तीय प्रशासन में कुशलता बनी रहे और करदाताओं का हित सुरक्षित रहे। कर इस प्रकार लगाये जायें कि उद्योग तथा व्यापार पर उनका बुरा प्रभाव न पड़े बल्कि वे उन्हें प्रोत्साहित करें। करो की व्यवस्था ऐसी की जाये कि कर की चोरी कम से कम हो, अर्थात् सरकारी खजाने में बिना व्यक्तियों पर करमार बड़े अधिक धन एकत्रित हो और सच की सभी इकाइयों पर करो का भार एकमा पड़े। ऐसा न होने पर कुछ राज्यों की औद्योगिक उन्नति अधिक हो जायेगी और कुछ पिछड़ी हुई अवस्था में ही रह जायेंगे। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि जो राज्य जिस कर को लगाये और वसूल करे वही उगकी आय का उपयोग करे। ऐसा न होने पर एक तो कर का प्रबन्ध करने में कुशलता नहीं आयेगी और दूसरे कवल खर्च करने वाले राज्य, दूसरे राज्यों द्वारा बनाई हुई आय को बड़ी सापरवाही में खर्च करेंगे।

प्रत्येक देश में साधनों को इसी प्रकार विभाजित करने की चेष्टा की जाती है परन्तु यह विभाजन एक टेढ़ी खीर है। यद्यपि साधना के विभाजन से प्रत्येक सरकार स्वावलम्बी हो जाती है और अपनी कर प्रणाली को अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिये वह प्रत्येक प्रयत्न कर सकती है। साथ ही, कोई भी हस्तक्षेप न होने के कारण प्रत्येक सरकार कुशलता तथा पूरी जिम्मेदारी से काम करती है। परन्तु साधनों के विभाजन में सर्व्व ही वठिनार्य्या उत्पन्न होती है और इसका न्यायसगत हाना अग्रम्भव हाना जाता है। प्रथम, साधना के बीच ऐसी कोई विभाजन रेखा खीचना कठिन है जिनसे यह कहा जा सके कि ये साधन सच सरकार के लिये ठीक रहेंगे और ये राज्य सरकार के लिये। दूसरे, राज्य तथा सच सरकार के बीच सम्पूर्ण विभाजन, अर्थात् ऐसा विभाजन कि प्रत्येक सरकार को विलकुल अलग-अलग आय के स्रोत मिल जायें, सम्भव नहीं है। विभिन्न सरकारों को आय के जो भी साधन मिलें वह या तो उगकी आवश्यकताओं के अनुकूल हो सकते हैं या उनमें कम या अधिक। कुछ साधन तथा कार्य्य ऐसे होते हैं जिन्हें पूर्ण रूप से या तो राज्यों के क्षेत्र के लिये सौंपा जा सकता है या सच सरकार के लिये और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दोनों सरकारों को ही काम करना या कानून बनाने का अधिकार है। सच शासन प्रबन्ध में ऐसे कार्य्यों को समवर्ती (concurrent) कार्य्य कहते हैं, अर्थात् इनमें दोनों सरकारों को ही नियम बनाने का अधिकार होता है। कार्य्यों की भांति स्रोत भी समवर्ती होते हैं। समवर्ती क्षेत्रों में बहुधा लड़ाई भगडे होने का भय रहता और व्यवहारिक जीवन में तो यह भगडे और मतभेद प्रायः उत्पन्न होते ही रहते हैं। यद्यपि ऐसी विधि से अधिकारों तथा शक्तियों में सन्तुलन स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है, परन्तु यह स्थिति को सन्तुलित बनाने के स्थान पर उसे बिगाड और देती है। एक ही क्षेत्र में जब दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार होता है, जब दोनों को कर लगाने का अधिकार होता है तो भगडा होना स्वाभाविक ही है। ऐसे भगडों को सविधान द्वारा तय किया जाता है। किसी देश में ऐसा भी

होना है कि मध्य सरकार का यह अधिकार दे दिया जाता है कि वह राज्यों के लिये बाजूस दकान की विधि, बालून की प्रवृत्ति एवं स्वरूप निश्चिन कर दे। इसी प्रकार कर का रूप, कर की विधि एवं व्यवस्था व लिये सामान्य शर्तें निर्धारित कर द और राज्य उन शर्तों के अनुसार काम करें। अतः मध्य सरकार ढाँचा तैयार करती है और राज्य सरकारें उसी के अन्तर्गत नियम बनाती हैं तथा कर निर्धारित करती हैं।

बसि तो माधारणतया, प्रत्येक सरकार को अपने-अपने क्षेत्र म कर लगाने, कर की दर निर्धारित करन तथा वसूल करन की पूरा स्वतन्त्रता होती है, परन्तु जैना कि हम ऊपर कह चुके हैं कि प्रायः सरकारों की आवश्यकताओं और उनकी आम म मन्तुवन नहीं होती। इस मन्तुवन को समाप्त करन के लिये वित्तीय साधनों म विभिन्न प्रकार की उनट फेर तथा फेर बदल करती होती है। अब हम उन विधियाँ का वर्णन करेंगे जिनका उद्योग माधना की उनट फेर करन मन्तुवन स्थापित करन म किया जाता है।

वित्तीय साधनों में आवश्यकतानुसार फेर-बदल—वित्तीय साधनों की उनट फेर, मध्य तथा राज्य सरकारों के बीच, कई प्रकार म की जा सकती है। कर में प्राप्त आय को मध्य तथा राज्य सरकारों म बाँटा जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा लगाये हुये करों पर मध्य सरकार अतिरिक्त कर लगा सकती है, या मध्य सरकार द्वारा लगाये हुये करों पर राज्य सरकारें अपने अपने राज्य म अतिरिक्त कर लगा दें, राज्य अपना असादान मध्य सरकारों का दें और मध्य सरकार कुछ अनुदान राज्य सरकारों को दे।

(१) **कर-आय का वितरण**—जब एक सरकार (प्रायः यह मध्य सरकार ही होती है) कर लगाती है और उसकी आम को अन्य सरकारों म विभाजित किया जाता है तो ऐसी व्यवस्था को समर्पण (assignment) की विधि कहते हैं। इस विधि का अपनाते से पहले यह निश्चिन करना होता है कि आय का वितरण किस ढग पर किया जाये ? सिद्धान्त तो अनेक हैं और हर एक सिद्धान्त को व्यवहार म अपनाया गया है। प्रो० वी० प्रो० अडारकर न इन विधियाँ की बड़े ही सुन्दर एक रोचक ढग से विवेचना की है। कर की आय का वितरण कई ढगों से किया जा सकता है—(१) एक सरकार के लिये एक निश्चित घन राशि नियत करदी जाये और शेष को अन्य सरकारों म बाँट दिया जाय, (२) कुल आय को एक निश्चिन अनुपात म विभिन्न सरकारों म बाँट दिया जाये, (३) एक सरकार का एक निश्चित घनराशि देकर शेष आय का अन्य सरकारों म एक निश्चिन अनुपात म बाँट दिया जाये। आय का वितरण या तो जन-महत्या या क्षेत्र या दोनों के आधार पर किया जा सकता है, या उनकी अन्य शर्तों से प्राप्त आय के अनुपात म किया जा सकता है।

प्रायः व्यवहार म समर्पण की विधि अधिक मपन नहीं हुई है। इनके कई

कारण होते हैं जब तक उस सरकार को, जो कर इकट्ठा करती है, प्राप्त हुई आय को स्वयं उपयोग में लाने की पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं होती, उस समय तक वह कर इकट्ठा करने में रुचि से काम नहीं लेती और जब उसका हिस्सा निश्चित कर दिया जाता है तब तो वह और भी लापरवाह हो जाती है। यदि यह वितरण विभिन्न सरकारों को अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के अनुपात में किया जाता है तो और भी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं, अर्थात् कम आय वाली सरकार को कम और अधिक आय वाली सरकार को अधिक हिस्सा मिलेगा। जिसके दुष्परिणामों को भली भाँति सोचा जा सकता है। इसके विपरीत यदि कम आय वाली सरकार को अधिक और अधिक आय वाली को कम हिस्सा दिया जाता है तो अन्य प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी। अधिक आय वाली सरकारें विरोध करेंगी और कहेंगी कि उनका अक्षय अधिक होते हुये भी उनको कम दिया जाता है, जैसे भारत में बम्बई और मद्रास को सदैव ही आय कर के वितरण पर आपत्ति रही है, और यह भी हो सकता है कि वह कर को इकट्ठा करने में पहले जैसी रुचि लेना बन्द करदे। इसके अतिरिक्त यह भी हो सकता है कि कर आय का अधिक भाग प्राप्त करने के लिये वह अन्य स्रोतों से प्राप्त आय को लापरवाही से इकट्ठा करें और आय को कम करने का प्रयत्न करे, जिससे सम्पूर्ण देश का ही अहित होगा। किसी किसी देश में कर आय को विभिन्न सरकारों के व्यय तथा आवश्यकताओं या विभिन्न सरकार द्वारा इकट्ठी की गई कर राशि के अनुपात में भी बाँटा जाता है। चाहे कोई भी विधि क्यों न अपनाई जाये सभी में कुछ न कुछ कठिनाइयाँ अवश्य ही दृष्टिगोचर होती हैं। इसलिये विभिन्न सरकारों को नाराज (frustration) से बचाने के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि कोई स्थायी आधार या सिद्धान्त निश्चित कर दिया जाये, क्योंकि मनमाने ढंग से विभिन्न सरकारों का हिस्सा नियत करना न्याय संगत नहीं है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ साथ विभिन्न सरकारों के हिस्सों में भी परिवर्तन होते रहे। भारत में वित्तीय व्यवस्था में इस और विशेष ध्यान दिया गया है। हर पाँच वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, जो परिस्थितियों का अध्ययन करके, यदि आवश्यकता होती है, तो कुछ परिवर्तन कर सकता है।

(२) अतिरिक्त कर (Supplementary Taxes) — इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये, एक और विधि अपनाई जाती है, वह यह कि जब कि एक सरकार (प्रायः सघ सरकार) को एक कर विशेष लगाने का अधिकार होता है, अन्य सरकारें उस करके ऊपर अतिरिक्त कर लगा सकती हैं। केन्द्रीय सरकार किसी कर विशेष को लागू करे और राज्य सरकारें उस पर अतिरिक्त कर लगाकर आय प्राप्त करे या विभिन्न राज्य सरकारें कोई कर लगायें तो उस पर सघ सरकार अतिरिक्त कर लगा कर आय प्राप्त करलें। दूसरी विधि अधिक रुचिकर नहीं होती, क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा लगाये गये करों की दरें प्रायः असमान होती हैं। उन पर

यह निश्चित करना भी सरल नहीं होता। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि जिन राज्यों को अधिक धन की आवश्यकता है, वह सहायता प्राप्त करते ही अपनी आय के साधनों को बढ़ाने के लिए उदासीन न हो जायें। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक राज्य का हिस्सा निर्धारित करते समय दो बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक है—प्रथम राज्य विशेष की आय और दूसरे जनसंख्या। यद्यपि इसके कई आधार हो सकते हैं, जैसे, प्राकृतिक साधनों का वितरण, क्षेत्र की आर्थिक उन्नति की दशा, जनसंख्या का भौगोलिक घनत्व, प्रति व्यक्ति आय, उनकी आवश्यकतायें इत्यादि। किन्तु व्यवहार में अधिकतर प्रथम दो रीतियाँ ही अपनाई गई हैं। राज्य विशेष के आकार एवं जनसंख्या से उसकी आवश्यकताओं का कुछ अनुमान लग सकता है और आय से यह पता लग सकता है कि राज्य की वितनी आवश्यकताएँ पूरी हो रही हैं और वितनी पूरी नहीं हो रही हैं। राज्य के आकार एवं जनसंख्या के साथ-साथ राज्य की भौगोलिक तथा वनस्पति सम्बन्धी परिस्थितियों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। आर्थिक सहायता की राशि इस बात पर भी निर्भर करेगी कि राज्य की औद्योगिक उन्नति की क्या स्थिति है? राज्य कृषि प्रधान है या औद्योगिक उन्नति के लिए अधिक गुणाद्रस है। इन सब कठिनाइयों को दूर करना सरल नहीं है। जहाँ तक दूसरी प्रकार की सहायताओं का सम्बन्ध है, इनमें सबसे बड़ा दोष यह है कि राज्य को सघ सरकार के आधीन रहना पड़ता है। वे न तो व्यय की मद्दा की ही और न व्यय करने की रीति को ही चुन सकती हैं। परन्तु ये सब आरोप केवल वादविवाद की दृष्टि से ही उपयुक्त हैं। व्यवहार में सघ सरकार इतनी सतर्कता से काम नहीं लेती और न राज्य सरकारों द्वारा अनुदानों को व्यय करने के ढंग पर ही कड़ी निगाह रखी जाती है।

यह ध्यान रहे कि इन अनुदानों और आर्थिक सहायताओं की राशि को मतमाने ढंग से निश्चित नहीं करना चाहिये। इनमें प्रत्येक वर्ष परिवर्तन भी नहीं होने चाहिये, अन्यथा, राज्यों में आपस में बड़ा द्वेष उत्पन्न होगा और बहुत अनिश्चितता भी रहेगी। राज्य असन्तुष्ट भी रहेंगे। भारत में यह सहायतायें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार दी जाती हैं, जिसकी नियुक्ति हर पाँच वर्षों के बाद होती है।

(४) राज्यों का सघ सरकार के लिए अश्र दान—जित प्रकार सघ सरकार राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है उसी प्रकार राज्य भी अपना-अपना अश्र दान सघ सरकार के व्यय में देते हैं। यहाँ पर भी लगभग उसी प्रकार की कठिनाइयाँ अनुभव होती हैं, अर्थात् किस राज्य को कितना अश्र दान देना चाहिए? परन्तु सबसे बड़ा दोष इस प्रणाली में यह है कि सघ सरकार को राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। सघ सरकार को बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं। यदि वह अपनी आय के लिए राज्यों पर निर्भर रहेगी तो बहुत अश्र तक उसकी कुशलता कम हो जायेगी। इसके अतिरिक्त राज्यों के पास अपने लिए ही आय के स्रोत कम होने हैं, यदि उनको भी अश्र दान देने पड़ें तो राज्यों की स्थिति और भी खराब हो जायेगी। यह

प्रथा सर्वप्रथम अमेरिका में चलाई गई थी। भारत में भी यह सन् १९१६ में चालू हुई थी परन्तु थोड़े वर्ष बाद ही इसे समाप्त कर दिया गया।

अतः उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि नवीम शासन प्रणाली में विल व्यवस्था का काय बड़ा ही बटिन काम है। धान के माध्याम का विभाजन करना तथा सघ और राज्या में धार्मिक सलुचन स्थापित करना पग-पग पर नई बटिनाइया उलान करता है। यह कठिनाइयाँ बहुत सीमा तक समाप्त हो जाये यदि सघ सरकार और राज्य सरकारें, एक दूसरे के सहयोग से कार्य करती रहे।

भारत में संघीय वित्त-व्यवस्था का उद्गम

(Evolution of the Federal
Financial System in India)

प्रारंभिक कथन—

भारत में संघीय वित्त व्यवस्था के इतिहास को हम सन् १७६५ से आरम्भ करते हैं, जिस वर्ष ईस्ट इन्डिया कम्पनी को बंगाल की दीवानी मिली थी। उस समय मालगुजारी ही राज्य की आय का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत था। जमींदार किसानों से मालगुजारी बगूल भरते थे और सरकारी खजानों में जमा कर देते थे जिस कार्य के लिये उन्हें मालगुजारी का एक निश्चित प्रतिशत दे दिया जाता था। परन्तु मालगुजारी जमा करने में एक तो कठिनाई बहुत होती थी दूसरे इसकी आय भी निश्चित न थी। अतः इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये लार्ड कॉर्नवालिस ने सन् १७६३ में बंगाल तथा बिहार के कुछ भागों में स्थायी दण्डोबस्त लागू किया जो आज तक चला आ रहा है। जमींदार प्राप्त की हुई मालगुजारी में से २५ भाग अपने पास रखते थे और शेष ७५ एक निश्चित तिथि तक सरकारी खजाने में जमा कर देते थे। मालगुजारी के अतिरिक्त ईस्ट इन्डिया कम्पनी, नमक कर, सीमा कर (customs) तथा वस्तुओं के आन्तरिक हस्तान्तरण पर कर लगाकर अपनी आय प्राप्त करती थी। परन्तु इन सब स्रोतों में से मालगुजारी ही कम्पनी की आय का सबसे बड़ा स्रोत था। उस समय कम्पनी की आय उसके व्यय की अपेक्षा बहुत कम थी और इसलिये उसको निरन्तर ब्रिटिश ससद से ऋण प्राप्त करने पड़ते थे। कम्पनी के व्यय अधिक होने के कई कारण थे। एक तो कम्पनी उस समय बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ रही थी और दूसरे कम्पनी के कर्मचारियों में धन एकत्रित करने की लिप्सा बहुत अधिक थी। जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश ससद ने यह समझना आरम्भ कर दिया कि कम्पनी का प्रबन्ध एवं शासन बहुत ढीला है और अपव्ययी है। इसलिये उन्होंने कम्पनी पर धीरे धीरे अपना नियन्त्रण बढ़ाना आरम्भ कर दिया। इसी उद्देश्य से सन् १८३३ में ब्रिटिश सरकार ने चार्टर अधिनियम (Charter Act) बनाया जो भारत के वित्तीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी और जिसने न केवल सरकार के ऋण को ही बदल दिया

वहिक सरकारी अथ प्रबन्ध को एवागी बनाने की चेष्टा की। इस अधिनियम के अनुसार ज्वाल के गवर्नर की भारत वा गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसको यह अधिकार दे दिया गया कि वह सम्पूर्ण भारत के लिये कानून बनाय तथा उद्योग उद्योषन कर सके। इस अधिनियम से पहले मद्रास और बम्बई के गवर्नर वित्तीय मामला म पूणतया स्वतन्त्र थे परन्तु सन् १८३३ के बाद अब यह भारतीय गवर्नर जनरल के आधीन थे। इस अधिनियम से पहले य लोग अपने अपने क्षेत्रों म स्वयं कर लगात थे और लोगों के लिए जालि और न्याय की व्यवस्था करते थे। परन्तु इस अधिनियम के बाद से सारी आय भारत सरकार के नाम म जमा की जाती थी और उसी के नाम म खन ली जाती थी। इसके अतिरिक्त मद्रास और बम्बई प्रान्तों न जो ऋण सन १८३३ से पहले के राष अथ अब भारत सरकार के ऋण थे। इस प्रकार सन १८३३ के अधिनियम से इतना अधिक केन्द्रीकरण हो गया था कि किन्हीं प्रान्त को कानून बनाने का पृथक अधिकार न था न ही खलग वित्तीय साधन म या राजकीय सेवाओं के लिए व्यक्तियों की नौकरी देने वा अधिकार ही था, और इस अन्तिम प्रबन्ध के आधीन भारत की सरकार से जो छोटी छोटी बातों के लिए पूछना पड़ता था उससे भारत सरकार को प्रान्तीय मामल प्रबन्ध की प्रत्या वात म हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त हो गया था।^१ इनमे कोई सन्देह नहीं कि प्रान्त प्रबन्ध की कुशलता और मित्त्वगिता की दृष्टि से तो अधिनियम बहुत ही अच्छा था परन्तु इसके कई दोष भी थे जैसे—

(अ) प्रान्तीय मामल प्रबन्ध में भारत की सरकार के निरन्तर हस्तक्षेप से प्रान्तीय शासक निरस्तमहित रहत थे क्योंकि उनको किन्हीं क्षेत्र म भी नियम लेने की स्वतन्त्रता न थी। छोटी से छोटी बात के लिए भी उनको भारत सरकार से आज्ञा प्राप्त करनी होती थी।^२

(आ) दूसरे प्रान्तों का मामल प्रबन्ध पहले से अधिक अपव्ययी हो गया था, क्योंकि अब प्रान्तों को केवल बजट बना कर भारत सरकार को भेज देना होता था। उनको अपनी आय के खर्चों को ठंठने की अब कोई आवश्यकता न थी। स्पष्ट ही है कि भारत सरकार किन्हीं प्रकार की स्थानीय परिस्थितियों का ज्ञान नहीं कर पाती थी और इस बात का पता लगाने में भी असमय रहनी थी कि प्रान्तों में बजट में जो माने रखी हैं वे उचित भी थी वा नहीं। सब तो यह है कि इस अधिनियम से अधिनियम बनाने का दायित्व तो भारतीय सरकार पर था और उसके अनुसार प्रबन्ध करने की जिम्मेवारी प्रान्तीय सरकार की थी। यह स्पष्ट ही है कि ऐसे विभाजन से देश की वित्तीय व्यवस्था पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा रहा होगा।

(इ) जैसे कि हम पहले कह चुके हैं उस समय भारतभूजारी से सरकार को सबसे अधिक भाय प्राप्त होती थी परन्तु यह कर बहुत ही प्रतिगामी (Regressive)

१ Report of The Royal Commission on Decentralisation in British India, Page 24

२ Sir John and Richard Strachey The Finance and Public Works in India, p. 139

था और गरीबों पर इसका इतना भार था कि इसका भुगतान करने के बाद उनके पास कुछ भी नहीं बच पाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय कृषि की स्थिति दिन प्रति दिन खराब होती गई और जमका प्रभाव भारत सरकार की आय पर भी इतना अधिक पड़ा कि लगभग २५ वर्षों में भारत सरकार को १७ बार घाटे के बजट बनाने पड़े। इसी प्रकार नमक कर भी प्रतिगामी था। वस्तुओं के आन्तरिक स्थानान्तरण पर जो कर लगा था उससे देश की औद्योगिक उन्नति को नुकसान पहुँच रहा था और सीमा कर से भी देश के उद्योगों को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा था।

(ई) इस पद्धति से प्रान्तों में ईर्ष्या और आपसी प्रतिद्वन्द्वता भी बढ़ रही थी क्योंकि सबसे अधिक लाभ उन्हीं प्रान्तों को प्राप्त हो रहे थे जो खूब विरासत करते थे और घाटे के बजट बनाते थे। उन प्रान्तों की और कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था जो शान्तिमयी थे और ईमानदारी से अपनी मागा को प्रस्तुत करते थे। इसीलिए प्रान्तों में आपसी भेदभाव बढ़ रहा था।

सघीय वित्त का विकेन्द्रीयकरण—

पहला प्रयास (सन् १८६०-१८७७)—एक ही भारत सरकार का वित्त सन् १८३३ के अधिनियम के बाद वैसे ही बहुत कम हो गया था दूसरे सन् १८५७ की क्रांति ने देश को और भी अधिक जिगाड़ दिया था। इस क्रांति के पश्चात् तो भारत सरकार के खर्चों में बहुत बृद्धि हो गई थी। सन् १८५८ में भारत के राजनैतिक शासन प्रबन्ध में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। इसी वर्ष ईस्ट इन्डिया कम्पनी का जीवन समाप्त हुआ और भारत का ज्ञानन ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। कुछ लोगों ने इस अवसर का पूर्ण लाभ उठाते हुए फिर से पुरानी पद्धति को स्थापित करने की चेष्टा की। उन्होंने नई पद्धति के विरुद्ध प्रभावशाली शब्दों में आलोचना की और इस बात पर जोर दिया कि भारतीय वित्त व्यवस्था में स्थानीय सरकारों को भी भागदार बना लिया जाये ताकि उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सके। उनका विचार था कि वित्तीय मामलों में विकेन्द्रीयकरण ही उचित नीति रहेगी क्योंकि कठिनाई के समय में प्रान्त, भारत सरकार के लिए आय के नये नये स्रोत खोजने का प्रयत्न करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रान्त अपने खर्चों को बड़ी मत्कंता से करेंगे और केन्द्रीय सरकार को पूरा सहयोग देंगे। उनके विचार में सघीय वित्त व्यवस्था (Federal System of Finances) न्यायपूर्ण भी थी, क्योंकि इसके अन्तर्गत प्रान्तों को समान व्यवहार प्राप्त हो सकेगा। यह दलील मुख्य रूप से सर हैनरी मेन, सर विलियम्स मैस फील्ड, जो दौसिल के सदस्य थे और तत्कालीन वित्त मंत्री विलसन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। विलसन का विचार था कि जेल, चिकित्सा, शिक्षा तथा सड़कों आदि की व्यवस्था एवं प्रबन्ध प्रान्तों को सौंप देना चाहिये और इनका खर्च पूरा करने के लिए कानून और न्याय से प्राप्त सारी आय

किसी प्रान्त की कितनी आवश्यकता थी यह निश्चय करना असम्भव ही था। और फिर यह सम्भावना भी तो थी कि प्रान्त अपनी आवश्यकताओं को ढंढा चढा कर दिखा सकते थे। इस योजना का एक दोष यह भी था कि साल के अन्त में प्रान्तों के पास जो कुछ धन बचता था वह उनको भारत सरकार को लौटा देना होता था जिसका सबसे बुरा प्रभाव यह था कि एक तो प्रान्त किमी न किसी प्रकार उलटा सीधा खर्च करने का प्रयत्न करते थे और इस प्रकार मितव्ययिता की अपेक्षा अव्ययिता पहले में भी अधिक हो गई थी।

विकेन्द्रीयकरण की ओर दूसरा प्रयास (सन् १८७७ से १८८२) — यद्यपि मेयो योजना से केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के आपसी सम्बन्ध पहले की अपेक्षा अच्छे हो गये थे फिर भी प्रान्तीय सरकारों की यह व्यवस्था सतोपजनक न थी। इसका मुख्य कारण यह था कि इस योजना के आधीन प्रान्तों को प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता की राशि तो निश्चित थी परन्तु उनका खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। योजना की इस कमी का उदाहरण के वित्तमंत्री सर जॉन स्ट्रेचे (Sir Johan Strachey) को भी ज्ञान था। इसलिये उन्होंने प्रान्तों की आय बढ़ाने के लिये एक योजना रखी, परन्तु सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया। तत्पश्चात् सन् १८७७ में जय लाड लिटन भारतवर्ष के वाइसराय हुए, उन्होंने स्ट्रेचे की सहायता से विकेन्द्रीकरण की ओर एक नया प्रयास किया। इस योजना के अनुसार उत्पादन कर, स्टाम्प, कानून और न्याय, सामान्य प्रबन्ध इत्यादि विषयों को प्रान्तों को सौंप दिया और कुछ मद्दों की आय को भी प्रान्तों को दे दिया। परन्तु इन मद्दों के मिलने पर भी प्रान्तों का व्यय पूरा नहीं हो सकता था, इसलिये सरकार ने प्रान्तों को ग्रांट देना भी जारी रखा। अब प्रान्तीय सरकारों की आय के तीन स्रोत थे —

१ सन् १८७१ में प्रान्तों को हस्तान्तरित किये गये मद्दों की आय।

२ नई योजना के आधीन प्रान्तों को हस्तान्तरित किये गये नये स्रोतों की आमदनी। और

३ केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता।

परन्तु सन् १८७० में ही एक प्रस्ताव के अनुसार प्रान्तीय सरकारों पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये गये थे जो निम्नांकित हैं —

१ प्रान्तीय सरकारें न तो कोई नया कर हो लगा सकती थीं और न पुराने करों में कोई परिवर्तन ही कर सकती थीं।

२ वे कोई भी नई योजना उस समय तक नहीं बना सकती थीं जब तक कि उनके पास योजना को पूरा करने के लिये पर्याप्त धन न हो।

३ वे २५०) रुपयों से अधिक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को नौकरी से नहीं हटा सकती थीं और न उन नौकरों को ही समाप्त कर सकती थीं।

४ राजकीय हिमाव किताब (Public Accounts) के रूप में वे कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती थीं।

५. उनकी सरकारी खजाने में एक न्यूनतम धन राशि रखनी पड़ती थी।

६. वे अपने खाते में जमा धन से अधिक राशि खजाने में नहीं निकाल सकती थी। नाई विटन की योजना से यद्यपि भारत सरकार को बहुत लाभ हुआ परन्तु प्रांतीय सरकारों को अब भी अपने खर्चों के अनुसार धान प्राप्त नहीं हो पा रही थी।

विकेन्द्रीकरण की और तीव्रता प्रयास (सन् १८८२ से १९१६) — भारत सरकार को इस बात का पूर्ण आभास हो गया था कि निरन्तर योजना से भारत की वित्तीय व्यवस्था की कठिनाइयों दूर होना असम्भव था। इसलिए लार्ड रिपन (Lord Ripon) के आते ही सन् १८८२ में एक नई योजना तैयार की गई। इस योजना की मुख्य विशेषतायें निम्न प्रकार थीं —

१. यह योजना सारे ही प्रांतों के लिये एक ही निधि और एक ही काल के लिये लागू की गई।

२. आरम्भ में यह केवल ५ साल के लिये ही थी परन्तु प्रत्येक पांच वर्ष के बाद इसमें आवश्यक परिवर्तन लिये जा सकते थे।

३. इस योजना के अनुसार आय की यह तीन भागों में विभाजित कर दी गई —

(अ) पूर्ण रूप से केन्द्रीय—इसमें सीमा कर, मजदूरी की आय, डाकघरों की आय, रेलों की आय, उपहार, तार की आय, सैनिक सांकेतिक कार्य (Military Public Works) विभिन्न से लाभ आदि सम्मिलित थे।

(ब) पूर्ण रूप से प्रांतीय — इनमें प्रांतीय कर, कानून और न्याय, शिक्षा, पुलिस, प्रांतीय रेलें, स्टेशनरी और छपाई प्रांतीय प्रतिष्ठानों पर ब्याज आदि सम्मिलित थे। इनके प्रतिष्ठान कुछ विशेष प्रांतों को प्राप्त थे कुछ अन्य स्रोत और भी दीये गये जैसा बर्मा को मछलियाँ की आय, अरब को तराई, भाटार तथा पूरी सम्पत्ति की आय, बम्बई को आयामनम् संज्ञा से प्राप्त आय इत्यादि।

(क) प्रांतीय तथा केन्द्रीय — इनमें मालगुजारी वन उत्पादन कर, स्टाम्प रजिस्ट्रेशन आदि सम्मिलित थे।

४. उपर्युक्त वर्गों में सम्मिलित की गईं महदाओं प्रत्येक प्रांत के लिये समान रखा गया। पहले इस प्रकार की समानता न थी।

५. इस योजना में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रांतों को मिलने वाली वार्षिक राशि भी बन्द कर दी गई थी। यह निश्चित कर दिया गया कि यदि आवश्यकता हो तो प्रांत मालगुजारी में से कुछ भाग अपने लिये ले सकते थे।

योजना के अनुसार अब हर पाँचवें वर्ष नये प्रसविदे (contracts) होने की प्रथा चालू हो गई थी। यह प्रसविदे सन् १८८६-८७, १८९१-९२, १८९६-९७, १९०४-०५ में बदले गये। इनसे प्रांतीय शासन विधेय रूप से अनुसूचित था, क्योंकि इनके कारण उनकी आर्थिक नीतियों के संचालन में बड़ी सहायता मिलने लगी थी।

इसका कारण यह था कि केन्द्रीय सरकार प्रान्तों की सारी बचत ले लेती थी। इसके अतिरिक्त आय का वटपारा केवल केन्द्र और प्रान्तों के बीच ही असमान न था बल्कि प्रान्तों में आपस में भी असमान था। इसलिये प्रान्तों में भी आपस में बड़ी ईर्ष्या रहती थी। इन प्रसविदों से प्रान्तीय शासन में एक बड़ा दोष यह उत्पन्न हो गया था कि प्रान्तीय शासन बड़ा अपव्ययी हो गया था। इसके दो कारण थे। पहला कारण यह था कि हर पाँच वर्ष बाद प्रान्तों को जो बचत होती थी वह केन्द्रीय सरकार के काम में आती थी और प्रान्त उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते थे, इसलिये वे इस बचत को केन्द्र के पास जाने से रोकने के लिये उल्टा खर्च करते थे। दूसरे प्रत्येक ५ वर्ष के बाद जब प्रसविदा बदला जाता था तब पहले पाँच वर्षों में बिये गये खर्चों को ध्यान में रख कर ही दूसरे पाँच वर्षों के लिये उनको बचत का भाग दिया जाता था। जिसका परिणाम यह था कि जो प्रान्त अधिक खर्च करता था उसको बचत का अधिक भाग मिलता था और जो कम खर्च करता था उसको कम भाग मिलता था। इन दोषों के होते हुए भी यह मानना पड़ेगा कि प्रान्तों की निर्जीवता पहले से अधिक हो गई थी और वे अपने शासन प्रबन्ध में पहले से अधिक दिलचस्पी लेने लगे थे।

सन् १९०४ के बाद इन प्रसविदों को आभास-स्थायी (Quasi-permanent) बना दिया गया। अब इनमें केवल उन्नीस महीने परिवर्तन हो सकते थे जब उनकी आवश्यकता हो। यह भी निश्चित कर दिया गया कि भविष्य में केन्द्र और प्रान्तों में बटने वाली आय का लगभग आधा भाग उन प्रान्तों को उन्नत करने के लिये दिया जायेगा जो अविकसित और पिछड़े हुए थे। सन् १९०५ तक प्रान्तों को भारत की कुल आय का लगभग ३ भाग प्राप्त होता था। इसके अतिरिक्त उन्हें आय का कुछ ऐसे मद् भी मिले हुए थे जो लोचपूर्ण थे परन्तु फिर भी प्रान्त सन्तुष्ट नहीं थे उनके अमनुष्यिक के कई कारण थे। भारत सरकार का उन पर बड़ा बड़ा नियन्त्रण था। भारत सरकार उनके बजट को केवल उसी समय मजूर करती थी जबकि वह अपनी इच्छानुसार उनमें परिवर्तन कर लेती थी। प्रान्तों को यह भी अधिकार नहीं था कि वे २५ हजार रुपया से अधिक की एक वर्ष में कोई भी स्थायी स्थापना कर सकें। प्रान्तीय सरकार बिना भारतीय सरकार की आज्ञा के नये कर नहीं लगा सकती थी। वह लोक कार्यों (Public works) में १० लाख रुपयों से अधिक नहीं खर्च कर सकती थी इन्हीं इच्छाओं के लिये भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करनी होती थी।

विकेन्द्रीयकरण कमीशन (Decentralisation Commission)—सन् १९०६ में केन्द्र और प्रान्तों के वित्तीय सम्बन्धों की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिये विकेन्द्रीयकरण कमीशन नियुक्त किया गया। इस कमीशन का प्रस्ताव था कि प्रान्तों को निश्चित श्राव न दिये जायें। इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने सन् १९१२ में प्रान्तीय प्रसविदों को स्थायी रूप दे दिया। आय के साधनों को पहले

के समान गीन भागों में ही विभाजित किया गया परन्तु इनमें कुछ परिवर्तन कर दिये गये थे । यह प्रकल्प १९२६ तक रहा ।

विदेशीकरण की शीघ्र नीति प्रयास (सन् १९१६-१९३५ तक)—प्रथम महायुद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि उनको इच्छा थी कि भारत में स्वशासित संस्थाओं की उत्पत्ति हो तथा भारतवासी प्रशासन को हर साक्षात् प्रथम में अधिक भाग में मिले उनको राज्य की जिम्मेदारियाँ का ज्ञान हो । इस उद्देश्य में उस समय का भारत मंत्री म मोन्टेग्यू तथा भारत के वाइसराय कैम्पबेल्ड ने भारत का भ्रमण किया और अपनी एक रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रान्तों को नामक प्रबंध में अधिक भाग और अधिक क्षेत्र में अधिक स्वतन्त्रता देनी चाहती थी कि वे उचित रूप में अपने दायित्वा को पूरा कर सकें । उनका विश्वास था कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये यह आवश्यक होगा कि केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों के साथ के मद् एक दूसरे से पूर्णतया अलग कर दिये जायें । इसलिये उनका प्रस्ताव था कि पहले केन्द्रीय सरकार की आयपत्राओं के लिये व्यव निश्चित हानत चाहिये और इस व्यव की पूर्ति के लिये केन्द्रीय सरकार को पर्याप्त साधन मिल जान चाहियें । यद्ये हुए साधनों को प्रान्तों को ही देना चाहिये और साथ ही साथ प्रांतीय सेवाओं का दायित्व भी उन्हीं पर रहना चाहिये । विभाजित महात्मा से कुछ तो पूर्णतया केन्द्रीय सरकार को दे दिये जायें और कुछ पूर्णतया प्रांतीय सरकारों को मिल जायें । इस प्रकार आय के केवल दो ही वर्ग होंगे । एक केन्द्रीय और दूसरा प्रांतीय । केन्द्रीय सरकार की आय के मद् में, सीमा कर आय वगैरह नमक अधिकारी, रेलों, डाक और तार आदि थे । प्रांतीय सरकारों की आय के मद् में मान्यतागी, स्टाम्प, रेजिस्ट्री, प्रावकारी कर, जंगल इत्यादि थे । इस प्रकार इन सुधारों के बाद भारत में जो वित्तीय प्रणाली स्थापित हुई वह न तो एक (Unitary) और न संघीय (Federal) ही थी बल्कि इन दोनों के बीच की थी । जहाँ तक आय की मद् के बदले का सम्बन्ध था, वह पूर्णतया संघीय थी, क्योंकि इसमें केन्द्र और प्रान्तों की आय के मद् एक दूसरे से पृथक् थे । यह ध्यान रहे कि अब भी प्रान्तों हिस्सा बनाने तथा जाँच कराने और न्यून प्राय करन आदि के सम्बन्ध में भारत सरकार पर ही निर्भर थे । इन सुधारों के परिणाम में यह आया था कि भारत सरकार को १३६३ करोड़ रुपयों का घाटा होगा । रिपोर्ट में इस घाटे को पूरा करने के लिये यह सुझाव दिया गया था कि प्रान्त अपनी सामान्य बचत (Normal Surplus) के अनुसार भारत सरकार को अक्षदान दें । इस व्यवस्था के अनुसार भारत और संयुक्त प्रान्तों की क्रमशः ४२८ करोड़ तथा ३७४ करोड़ रुपया देना पड़ा था और बंगाल और बम्बई की क्रमशः ६६ लाख और २८ लाख रुपय देने पड़े थे ।

मैस्टन एवार्ड (Meston Award)—उपरोक्त योजना की बहुत आलोचना हुई । विदेशी रूप में कृषि प्रान्तों जैसे यू० पी० और मद्रास ने ही इसका बहुत ही बड़े शब्दों में विरोध किया क्योंकि इनका असादान क्षेत्र प्रान्तों के कुल असादान से

भी अधिक था। अतः रासद को वित्तीय सम्बन्ध समिति नियुक्त करनी पड़ी जिसका मुख्य कार्य प्रान्तीय अशदानों को निर्धारित करना था और बम्बई प्रान्त द्वारा आय कर में से अधिक भाग मागे जाने के सम्बन्ध में सलाह देना था। इस समिति के अध्यक्ष लॉर्ड मेस्टन (Lord Meston) थे। मेस्टन रिपोर्ट मार्च सन् १९२० में प्रस्तुत की गई। इस समिति ने साधारणतः मान्टेग्मू-चेम्स फोर्ड की सिफारिशों का ही समर्थन किया। यद्यपि इनने आयकर से प्राप्त आय के विभाजन का विरोध किया परन्तु साथ ही साथ यह भी बताया कि प्रान्तीय सरकारों को स्थायी रूप से बहुत दिनों तक प्रत्यक्ष करारोपण से वंचित नहीं रखा जा सकता। अतः इसका सुझाव था कि सामान्य टिकट कर (Stamp duty) को प्रान्तीय सरकारों की आय का एक स्रोत बना देना चाहिये। मेस्टन समिति ने यह स्वीकार किया कि प्रान्तों के अशदानों के सम्बन्ध में न्याय नहीं हुआ है। समिति की उपर्युक्त सिफारिशों के अनुसार यह अनुमान था कि सन् १९२१-२२ में केन्द्रीय बजट में लगभग ६८३ करोड़ रुपये का घाटा रहेगा जिसकी पूर्ति प्रान्तीय अशदानों द्वारा ही की जायेगी। इसलिये समिति ने भविष्य के अशदानों के लिये एक आदर्श आधार तलाश किया अर्थात् यह निश्चित किया कि प्रान्तों के अशदानों की राशि उनके व्यय करने की शक्ति पर निर्भर होगी। प्रान्तों के व्यय करने की शक्ति को निर्धारित करते समय दो बातों को ध्यान में रखना होगा। एक तो यह कि प्रान्तों के पास काम चलाने के लिये एक न्यायोचित कोषों का आधिक्य रहे और दूसरा यह कि प्रान्तों के अशदानों की राशि इतनी अधिक न हो कि उन्हें नये कर लगाने के लिये विवश होना पड़े। इस प्रकार बिहार और उड़ीसा को बिल्कुल मुक्त कर दिया गया था। आसाम और बर्मा के अशदानों की राशि बहुत थोड़ी थी और सबसे अधिक अशदान क्रमानुसार मद्रास, यू० पी०, पंजाब, बंगाल और बम्बई के थे। यह अशदान प्रारम्भिक वर्ष अर्थात् सन् १९२१-२२ के लिये थे जिनमें कि बाद में संशोधन किया जायेगा ताकि वे एक प्रमाणीकृत अनुपातों के अनुकूल हो जायें। इस प्रकार प्रारम्भिक वर्ष सन् १९२१-२२ में प्रान्तीय अशदानों की स्थिति निम्न प्रकार थीः—

प्रान्त	बड़ी हुई व्यय शक्ति (लाख रुपये में)	अशदान (लाख रुपये में)	बची हुई व्यय शक्ति (लाख रुपये में)
मद्रास	५७६	३४८	२२८
बम्बई	६३	५६	७
बंगाल	१०४	६३	४१
नियुक्त प्रान्त	३६७	२४०	१२७
पंजाब	२८६	१७५	१११

बर्मा	२४६	६४	१८२
बिहार और उड़ीसा	५१	कुछ नहीं	५१
मध्य प्रदेश	५२	२२	३०
आसाम	४२	१५	२७
कुल योग	१,८५०	६८३	८६७

सन् १९२२-२३ के बाद इन अशदाना में जो भी परिवर्तन होंगे उनका निर्धारण गवर्नर जनरल द्वारा होगा और निम्न प्रस्तावित अनुपातों में निर्णय के अनुसार परिवर्तन कर दिये जायेंगे —

प्रान्त	भार का अनुपात
मद्रास	१७/६० वाँ
बम्बई	१३/६० वाँ
बंगाल	१६/६० वाँ
मसूक्त प्रान्त	१८/६० वाँ
पंजाब	६/६० वाँ
बर्मा	६३/६० वाँ
मध्य प्रदेश और बगर	५/६० वा
आसाम	२१/६० वा
बिहार और उड़ीसा	कुछ नहीं

इन प्रमाणिक अशदाना को निर्धारित करने के लिये समिति ने प्रान्तों की कर-दान योग्यता के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जिसके लिये इन्होंने प्रान्तों की वृषिक सम्पत्ति, उनकी सामान्य आर्थिक स्थिति और उनमें अकालों की स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया। समिति ने कर-दान योग्यताओं के बारे में पूछ-ताछ केवल इसी दृष्टिकोण से नहीं की थी कि कर-दान योग्यता उस समय क्या थी और भविष्य में क्या हो जाने की आशा थी बल्कि इस दृष्टिकोण से कि प्रत्येक प्रान्त में सनिश पदायों और जंगलों इत्यादि की दृष्टि में रखने हुए कितनी औद्योगिक और कृषि विकास एवं विस्तार की गुंजायश थी। यह भी निश्चय किया गया कि जब केन्द्रीय सरकार की आर्थिक स्थिति सुधर जायेंगी तो यह अशदान समाप्त कर दिये जायेंगे।

मेस्टन समिति के मुझपों का भी बड़ा विरोध हुआ, विशेषकर मद्रास, बम्बई और बंगाल आदि प्रान्तों की ओर से। बम्बई प्रान्त का मुख्य अवरोध यह था कि उसके द्वारा केन्द्रीय सजानों में जो अत्यल्प डग से आय प्राप्त होती है

उमकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि यद्यपि बम्बई पर उच्च कोर्ट के औद्योगिक प्रान्तों के मारे ही दायित्व थे फिर भी उने छोटे किसानों पर कर लगाकर प्राप्त आय के द्वारा ही अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये छोड़ दिया गया था।। इमलिय उसने आय कर की आय में से एक बड़े भाग की माग की। बंगाल ने भी इसी प्रकार की मांग रखी थीर माघ ही माग यह भी बताया कि स्थायी बन्दोबस्त के कारण मानगुजारी में वृद्धि न होने के कारण उनकी वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी। उनका यह भी कहना था कि जूट जो कि उसकी मुख्य वस्तु थी उस पर भी केंद्रीय निर्यात कर लगा हुआ था। अत बंगाल का यह कह कहना था कि वहाँ में प्राप्त आय कर को उमें ही दे दिया जाय और इसके प्रतिरिक्त उसको जूट निर्यात कर का भी कुछ भाग मिलना चाहिये।

मेस्टन समिति के इन सुझावों को मसद ने स्वीकार करके सन् १९१९ के अधिनियम में सम्मिलित कर लिया और इनको सुधारे हुए नियमों (Devolution Rules) का नाम दिया गया। इन नियमों के अनुसार निम्न बातें निश्चित हुई —

(अ) मेस्टन निफारिजा के अनुसार केन्द्र और प्रान्तों में आय के स्रोतों का बंटवारा।

(ब) मेस्टन निफारिजा के अनुसार केन्द्र को प्रान्तों से प्राप्त होने वाले अशदानों की राशि।

(स) आवश्यकता के समय में प्रान्तीय सरकारों को अधिक अशदान देने गेंगे।

(द) कुछ शर्तों में आय कर की आय का एक भाग प्रान्तों को दिया जायेगा।

(ह) गवर्नर जनरल कुछ सीमा तक प्रान्तीय वित्त पर नियन्त्रण रखेगा।

यद्यपि मेस्टन सुझाव बहुत ही महत्त्वपूर्ण थे परन्तु इनमें बहुत से दोष थे —

१ प्रान्तों को आय का जो खोत दिया गया था वे पूणतया बेवेलीय थे। दूसरी ओर उनको जिन मदों पर खर्च करना था उनका आकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसके प्रतिरिक्त प्रान्तों को आयकर का जो भाग मिलना निश्चित हुआ था उनमें अनेकों प्रकार की शर्तें थी।

२. इन सिफारिशों के परिणामस्वरूप विभिन्न वर्गों पर पड़ने वाले करभारों में भी असमानता थी। उदाहरणार्थ सार्वजनिक निर्माण कार्यों तथा शिक्षा आदि की प्रगति के लिए बंगाल मुकद्दमेबाजी से प्राप्त आय पर निर्भर था। बिहार और उड़ीसा साराय की आय पर निर्भर थे और बम्बई प्रान्त अत्यधिक नष्टगुस्त रूपको से प्राप्त की गई आय पर निर्भर था।⁴

३ प्रत्येक मद से प्राप्त आय भी एक प्रान्त से दूसरे प्राप्त में भिन्न थी। फलस्वरूप विभिन्न प्रान्तों में भी असमानता थी।

सन् १९२९ में व्यापारिक मदी आरम्भ हुई जिसके कारण प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकारों को बहुत सी कठिनाइयाँ आरम्भ हुईं। कृषि वस्तुओं का मूल्य गिरने

प्रान्तीय सरकारों के आय की स्रोत निम्न प्रकार थे —

(१) शान्ति और न्याय (२) पुलिस (३) प्रान्तों का राजकीय ऋण (४) प्रान्तीय पेशगें (५) विक्रित्ता (६) शिक्षा (७) सडक पुल अथवा छोटी छोटी रेलें (८) सिंचाई (९) कृषि तथा उसकी निक्षा और अनुमधान (१०) बाँध (११) खाने तथा तेल के क्षेत्र (१२) प्रान्तीय व्यापार (१३) उद्योगों की उप्रति (१४) नदीतीली वस्तुएं (१५) जुग्मा (१६) मालगुजारी (१७) कृषि आय कर (१८) कृषि भूमि का उत्तराधिकारी कर (१९) विक्रय तथा विज्ञापन कर (२०) मनोरजन कर (२१) प्रान्तीय स्टाम्प कर आदि ।

सगामी (Concurrent)—सगामी स्रोत निम्न प्रकार थे —

(१) कृषि-भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति पर उत्तराधिकारी कर (२) चैंक बिल आदि पर कर (३) मुसाफिरो तथा वस्तुओं पर सीमा कर (४) किरायों तथा महमूल पर लगाये हुए कर—यह कर सध द्वारा लगाय तथा एकत्रित किये जायेंगे परन्तु इनका कुछ भाग प्रान्तों को भी मिलेगा । इनके अतिरिक्त आयकर (कृषि आयकर को छोड़ कर) केन्द्रीय सरकार का उत्पत्ति कर और जूट निर्यात कर से प्राप्त होने वाली आय का भी विभाजन केन्द्र तथा प्रान्तों में होगा । केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार था कि यदि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी न हो तो वह प्रान्तों को कोई भी हिस्सा न दे ।

सन् १९३५ के विधान के अनुसार केन्द्र तथा प्रान्तों को राजकीय ऋण प्राप्त करने का पहले से भी अधिक अधिकार मिल गया था । प्रान्तीय सरकारों को विदेशी ऋण प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय सरकार से आज्ञा लेनी होगी । अब भारत मन्त्री भारत के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप न कर सकेगा ।

ओटोनीमियर रिपोर्ट (Otto Niemeyer Report)—सन् १९३५ के विधान के अन्तर्गत यह आवश्यक था कि सरकार एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करे, जो आयकर, जूट निर्यातकर तथा उत्पादन-कर का केन्द्र तथा प्रान्तों में बटवारे की विधि के सम्बन्ध में अपनी राय देगी । अतः भारत मन्त्री ने सर ओटोनीमियर को इस कार्य के लिये नियुक्त किया । अपनी रिपोर्ट में नीमियर ने दो बातों पर विशेष ध्यान दिया । प्रथम, यह कि भारत सरकार की आर्थिक स्थिति और सख्त को कोई हानि न पहुँचे, दूसरे, यह कि प्रान्तों को ऐसी आर्थिक सहायता दी जायें जिससे कि वह 'स्वशासन' की स्थापना के समय 'वित्तीय क्षेत्र' में स्वावलम्बी रहें । नीमियर का विश्वास था कि भविष्य में न तो भारत सरकार की आय में वृद्धि होने की आशा थी और न उसके व्यय में ही कमी होने की गुन्जाइश थी इसलिए यह सम्भव नहीं था कि केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकारों को कोई बड़ी आर्थिक सहायता दे सके । इसके अतिरिक्त कुछ प्रान्तों को तो आर्थिक सहायता की आवश्यकता भी न थी । केवल कुछ नये बने हुए प्रान्तों और कुछ पुराने निर्धन प्रान्तों को ही केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता थी । इस प्रकार इन्होंने दो प्रकार की सहायता देने की सिफारिश की । पहले प्रकार की सहायता को 'प्रारम्भिक सहायता' कहा, जो गव्रास, बम्बई

और पंजाब को छोड़ कर अन्य सभी प्रान्तों को प्रदान की गई। यह सहायता मद्रास और बम्बई को भी प्राप्त हुई। मद्रास को कुछ सहायता इसलिये दी गई क्योंकि उसमें से उधिया भाषा बोलने वाला भाग अलग कर दिया गया था। और बम्बई को यह सहायता इसलिये प्राप्त हुई, क्योंकि उसमें से सिंध अलग कर दिया गया था। विभिन्न प्रान्तों को प्राप्त होने वाली प्रारम्भिक सहायता निम्न प्रकार थी —

प्रान्तों के नाम	प्रारम्भिक सहायता की राशि (लाख रुपयों में)
बंगाल	७५
बिहार	२५
मध्य प्रान्त	१५
आसाम	४५
उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त	११०
बम्बई	२०
मद्रास	२०
उड़ीसा	५०
सिन्ध	१०५
संयुक्त प्रान्त	२५ (५ वर्षों तक)

उपर्युक्त प्रान्तों को यह सहायता प्रति वर्ष दी जाने की सिफारिश की गई थी। इसके अतिरिक्त उड़ीसा को १६ लाख और सिन्ध को ५ लाख रुपयों की अनावर्ती सहायता (Non-recurring Grant) भी दी गई थी।

प्रान्तों को सहायता देने के लिये रिपोर्ट में तीन ढग बताये गये थे जो निम्नलिखित हैं —

१ प्रान्तों द्वारा केन्द्र से लिये गये ऋण को समाप्त करके—रिपोर्ट में सुभाव दिया गया था कि आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त का अप्रैल सन् १९३६ के पहले का सब ऋण समाप्त कर दिया जाय। मध्य प्रान्त का सन् १९३६ के पहले का तथा सन् १९२१ के पहले का २ करोड़ रुपयों का ऋण समाप्त कर दिया जावे। इन ऋणों को समाप्त करने पर प्रान्तों को निम्नलिखित वार्षिक बचत होगी—

प्रान्त	वार्षिक बचत	प्रान्त	वार्षिक बचत	प्रान्त	वार्षिक बचत
बंगाल	३३,००,०००	आसाम	१५ ५ लाख	उड़ीसा	६.५ लाख
बिहार	२२,००,२००	उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त	१२,००,०००	मध्य प्रान्त	१५,००,०००

२ जूट निर्यात कर का भाग—जूट का उत्पादन करने वाले प्रान्तों को पहले ही से जूट निर्यात कर का ५० प्रतिशत भाग मिल रहा था। नीमियर का सुझाव था कि उनको ६२½ प्रतिशत भाग दिया जाये। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह सहायता इसलिए नहीं दी जा रही है कि इस पर प्रान्तों का कोई विशेष प्राकृतिक अधिभार था बल्कि इसलिये दी जा रही है कि उनको सहायता की आवश्यकता थी।

३ आर्थिक सहायता—ओटो नीमियर का सुझाव था कि उपर्युक्त दोनों सहायता के अतिरिक्त प्रान्तों को कुछ वार्षिक सहायता भी दी जाये। अतः संयुक्त प्रान्त को ५ वर्षों तक २५ लाख, आसाम को ३० लाख, उड़ीसा को ४० लाख, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त को १०० लाख, और सिन्ध को १०५ लाख रुपये (१० वर्षों के लिये) देने का सुझाव दिया गया।

अन्तिम सहायता—ओटो नीमियर की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश आयकर के वितरण के सम्बन्ध में थी। इस सिफारिश के अनुसार प्रान्तों को आयकर का ५० प्रतिशत भाग मिलना था। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि आयकर में कॉरपोरेशन कर सम्मिलित न था। यह सिफारिश करते समय उन्होंने केन्द्र की प्रान्तों की आयकर की आय का कुछ अथवा आंशिक भाग ५ वर्षों तक उस स्थिति में अपने पास रखने का अधिकार दिया जब तक केन्द्र का आयकर का भाग तथा रेल का भाग मिलाकर १३ करोड़ रुपया न हो जाये। इन ५ वर्षों के बाद अगले ५ वर्षों में केन्द्र प्रान्तों को अपने पास जमा किया हुआ आयकर का भाग धीरे धीरे लौटायेगा। इस प्रकार स्पष्ट ही है कि प्रान्तों को स्व शासन के ११वें वर्ष में अपनी आयकर का पूरा भाग मिल सकेगा।

आयकर के विभाजन के सम्बन्ध में उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा कि प्रान्त विशेष से कितना आय कर इकट्ठा किया जाता है तथा उसकी जनसंख्या कितनी है। इन बातों को ध्यान में रखकर उन्होंने हर प्रान्त को निम्नलिखित ढंग से आयकर बांटने की सिफारिश की—

प्रान्त	प्रतिशत	प्रान्त	प्रतिशत	प्रान्त	प्रतिशत
गुजरात	१५	संयुक्त प्रान्त	१५	उत्तरी पश्चिमी	}
बम्बई	२०	बिहार	१०	सीमा प्रान्त	
बंगाल	२०	मध्य प्रान्त	५	उड़ीसा	१
पंजाब	=	आसाम	२	सिन्ध	२

ओटो नीमियर रिपोर्ट पर एक दृष्टि—ओटो नीमियर की रिपोर्ट से कोई भी प्रान्त खुश नहीं था। लगभग सभी प्रान्तों ने अपनी अपनी शिकायत भारतमन्त्री के पास भेजी। बम्बई प्रान्त का दावा था कि अकेले बम्बई प्रान्त से ही आयकर का लगभग २५ प्रतिशत भाग जमा होता है, इसलिये उसको उसी अनुपात में आम-

कर का भाग भी मिलना चाहिए। उसका यह भी कहना था कि जिस प्रकार वगाल को जूट निर्यात कर में सा आर्थिक सहायता दी जा रही है उसी प्रकार उनको कपास कर में भी सहायता दी जाये। मद्रास प्रान्त भी चुप नहीं रहा। उसका कहना था कि आयकर का विभाजन जनगणना के आधार पर होना चाहिए और इस प्रकार उसको आयकर का २४ प्रतिशत भाग दिया जाये। बिहार में भी मद्रास का समर्थन किया। वह आयकर का अधिक भाग इसलिये चाहता था क्योंकि वह सब से अधिक निधन था। संयुक्त प्रान्त का भी कहना था कि जब दम्बई और वगाल का आयकर का एक बड़ा भाग दिया जाता है तो उत्तरी भी एक बड़ा भाग मिलना चाहिए। इस प्रकार लगभग प्रत्येक प्रान्त में किसी न किसी आधार पर आयकर का अधिक भाग प्राप्त करने का प्रयास किया।

इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रान्तों को राष्ट्रीय विनाम सम्बन्धी महा को सौंप देने के कारण अधिक आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी इसीलिए उनकी माँग व्यापारित ही थी। इसके अतिरिक्त यह बात कि जब तक केन्द्र के पास आयकर और रेलों का लाभ मिलाकर १३ करोड़ रुपया न हो जाय, प्रान्तों की आयकर का भाग नहीं मिलेगा, भी अनुचित थी। यह भी गरीब है कि प्रोटोनीमियर ने आयकर का कम भाग प्रान्तों को बाटने की सलाह देकर, प्रान्तों के साथ घोर अन्याय किया था। परन्तु इन सब बातों के साथ-साथ यह भी कहा जा सकता है कि केन्द्रीय सरकार का व्यय लगभग स्थायी रहने पर भी उत्तरी घन की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि उसकी समस्त सेवा की रक्षा करनी थी विदेशों में अपनी सत्ता बढ़ानी थी और देश में शान्ति स्थापित करना थी तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्य करने थे।

आर्थिक सहायता के कारण प्रान्तों का आपसी मत भेद बहुत बढ़ गया था। यदि निष्पक्ष होकर देखा जाये तो यह सहायता प्रान्तों की आवश्यकतानुसार दी गई थी। जो प्रान्त धनी और मितलगी थे उनको कम सहायता दी गई और जो फिजूल खर्च थे उनको अधिक सहायता प्राप्त हुई। यह सहायता प्रान्तों को केवल कुछ ही वर्षों तक देने के लिए सुभाव दिया गया था परन्तु प्रोटोनीमियर ने यह निश्चित नहीं किया था कि यदि हम अर्धशतक में प्रान्तों की श्यामी रूप में उन्नति न हो पाई तब प्रान्तों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये कौन सा उपाय करना चाहिये। इसके अतिरिक्त पहलू १० वर्षों में तो आयकर का कोई भाग मिलने की आशा थी ही नहीं और उमर बढ़ जा कुछ आशा थी भी वह केवल अधिविधि (Academic) ही थी। इस बीच में तो प्रान्त अपनी आर्थिक स्थिति को परिस्थितियों के अनुकूल कर ही लेंगे।

परन्तु इन सब प्रालोचनाओं के रहते हुए भी यह मानना पड़गा कि प्रोटोनीमियर का कार्य सरल न था। वह सब प्रान्तों को सतुष्ट नहीं कर सकने थे। जहाँ तक आर्थिक सहायता का सम्बन्ध है वह भी निष्पक्ष होकर ही निश्चित की गई थी और यह भी ध्यान रहे कि स्वशासन आरम्भ होने के पहले वय में ही केन्द्र की स्थिति इतनी सुधर गई थी कि प्रान्तों को आयकर का भाग मिलने लगा था। यह हम

प्रकार था:—बम्बई २५ लाख रु०, मद्रास १८'७५ लाख रु०, बंगाल २५ लाख रु०, समुक्त प्रान्त १८'७५ लाख रु०, पंजाब १० लाख रु०, बिहार १२'५० लाख रु०, मध्य प्रान्त ६'२५ लाख रु०, सिन्ध २'५० लाख रु०, आसाम २'५० लाख रु०, उड़ीसा २'५० लाख रुपये और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त १'२५ लाख रु०। इस प्रकार कुल १२५ लाख रुपयों की राशि विभिन्न प्रान्तों में विभाजित की गई थी।

द्वितीय महायुद्ध ^३ :— द्वितीय युद्ध के आरम्भ होते ही देश के साधनों को युद्ध कार्यों की ओर संचालित किया गया। युद्ध संचालन के लिए सरकार को बहुत थड़ी मात्रा में वित्त की आवश्यकता अनुभव हुई। सन् १९३९ में आयकर से प्राप्ति आय में भी वृद्धि हुई। सरकार ने युद्ध सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक समोधन किया जिसके अनुसार सरकार आयकर का प्रान्तों को मिलने वाले भाग में से ४ $\frac{३}{४}$ करोड़ रुपया अपने पास रख सकती थी। सरकार ने आयकर, कारपोरेशन कर और सीमा कर की दर में वृद्धि करने के साथ साथ कुछ नये करों को भी लगाया, रेल के किरायों में भी वृद्धि की, और तार टाक इत्यादि की सेवाओं के मूल्य में भी सामान्य वृद्धि की। सरकार की धन सम्बन्धी आवश्यकतायें इतनी अधिक बढ़ गई थी कि इतनी आय बढ़ने पर भी उनको और अधिक धन की आवश्यकता थी, जिसको पूरा करने के लिए सरकार ने ऋण प्राप्त किये और अधिक पत्र मुद्रा छपी। जिसके कारण अनेको प्रकार की आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हुईं। युद्ध काल में ही राजनैतिक परिस्थितियों में परिवर्तन होना आरम्भ हुआ जिसका विवरण अगले अध्याय में दिया गया है।

३. युद्ध सम्बन्धी वित्त व्यवस्था का पूर्ण विवरण एक अलग अध्याय में दिया गया है।

भारत में संघीय वित्त- व्यवस्था (क्रमशः)

(स्वतन्त्रता और उसके
पश्चात्)

Federal Financial System
in India (Contd.)
(Independence and After)

युद्ध काल में ही कैबिनेट ने संघीय वित्त-व्यवस्था में अग्रगण्य सहयोग देने की घोषणा की और सभी राजनैतिक दलों ने इस बात की भावना की कि केन्द्र पर एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना की जाये। ब्रिटिश सरकार ने इनके प्रयत्न किए लेकिन उनकी नीति में ईमानदारी का अभाव था और इसलिये राजनैतिक स्थिति गिरती गई। उधर ब्रिटेन में श्रेष्ठ संघीय व्यवस्था स्थापित हुई और ब्रिटिश प्रधान मंत्री श्री ऐटली ने भारत को एक कैबिनेट मिशन भारत की राजनैतिक स्थिति का अध्ययन करने का भेजा। कैबिनेट मिशन भारत में ५ मई सन् १९४६ में आया जिसने विभिन्न राजनैतिक दलों के विचारों का अध्ययन करके एक योजना प्रस्तुत की, जो सभी दलों की माननीय न थी। तत्पश्चात् १६ मई को कैबिनेट मिशन ने अपने तम प्रस्ताव प्रस्तुत किए जिनका सभी राजनैतिक दलों ने स्वीकार कर लिया। इन प्रस्तावों के अनुसार भारत में ११ अगस्त सन् १९४७ को स्वतन्त्रता प्राप्त की।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत का संविधान बनाने के लिये (Constituent Assembly) डॉ० राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में नियुक्त की गई और भारत का गणतन्त्र संविधान सन् १९५० से आरम्भ हुआ। इसी बीच देश के विभाजन के पक्ष-पक्ष विवाद और उत्तरी, पश्चिमी सीमा प्रांत पाकिस्तान को चले गये और बंगाल तथा पंजाब का भी विभाजन हुआ गया। अतः इस बात की आवश्यकता अनुभव हुई कि प्रांतों में आस-पास के भागों को वाटन के लिये एक नई योजना तैयार की जाये। १७ मार्च सन् १९५८ को एक नई योजना घोषित की गई जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित परिवर्तन किये गये —

१. भविष्य में प्रांतों को आवश्यकतानुसार संयोजित करने वाले भागों का व्यवस्थापन प्रणाली होगी —

बम्बई २१%, पश्चिमी बंगाल १२%, पूर्वी पंजाब ५%, मद्रास १८%,

बिहार १३%, मध्य प्रदेश १६%, मध्य प्रदेश तथा वरार ६%, आसाम और उड़ीसा ३%।

२. ओटोनीमियर योजना के अनुसार जूट उगाने वाले प्रान्तों को जूट निर्यात कर का जो ६२½% भाग मिल रहा था उसको घटा कर २०% कर दिया गया।

३. केवल आसाम और उड़ीसा को ही आर्थिक सहायता देने का निरन्धय किया गया जो निम्न प्रकार थी:—

वर्ष	आसाम	उड़ीसा
१९४७-४८	१८ ७५ लाख रुपये	२५ लाख रुपये
१९४८-४९	३० लाख रुपये	४० लाख रुपये

४ यह भी निश्चित किया गया कि आयकर की कुल आय का १% चीक कमिश्नर के प्रान्तों को दिया जायेगा।

आयकर को जनसख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। इस योजना से भी कोई प्रान्त प्रसन्न न था और पहले ही की भाँति उसमें आपसी ईर्ष्या बनी रही।

सरकार समिति (Sarkar Committee)—मार्च १९४८ की योजना केवल दो वर्षों के लिए ही थी इसलिए प्रान्तीय आयकर के भाग की क्रिय प्रकार विभाजित किया जाय, यह निरिधत करने के लिए भारत सरकार ने श्री एन० आर० सरकार की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। उम समिति ने प्रस्ताव प्रान्तों के हित में थे परन्तु सरकार ने इनको स्वीकार नहीं किया। तत्पश्चात् सरकार ने श्री देशमुख को नियुक्त किया। इनके सुझाव केवल १९५०-५१ और १९५१-५२ के ही लिए थे और सरकार ने इनको स्वीकार कर लिया था।

श्री देशमुख एवार्ड (Sri Deshmukh Award)—यह एवार्ड निम्न प्रकार था—

आयकर का विभाजन—देशमुख ने इस सम्बन्ध में अपना कोई नया सिद्धान्त प्रस्तुत नहीं किया था। क्योंकि उन्हें ज्ञान ही था कि नये सविधान के अनुसार सन् १९५२ में वित्त आयोग (Finance Commission) नियुक्त ही होगा जो समस्या का विस्तृत अध्ययन करेगा, इसलिए उन्होंने ओटो नीमियर एवार्ड में उतने ही मनोषन किये जो देश के विभाजन हो जाने के कारण आवश्यक थे। उनके अनुसार आयकर का विभाजन निम्न प्रकार किया जाये—

बम्बई २१%, उत्तर प्रदेश १८%, मद्रास १७½%, पश्चिमी बंगाल १३½%, बिहार १२½%, मध्य प्रदेश ६% पूर्वी पंजाब ५½%, आसाम और उड़ीसा ३%।

जूट निर्यात कर—नये सविधान के अनुसार जूट निर्यात कर पूर्ण रूप से केन्द्र के हिस्से में था। केन्द्रीय सरकार, यदि चाहे तो, जूट उगाने वाले प्रान्तों को आर्थिक सहायता दे सकती थी। देशमुख ने इस आर्थिक सहायता की राशि को निम्न रूप दिया—

पश्चिमी जंगल १०५ लाख रुपए प्रागाम ४० लाख रुपए, बिहार ३५ लाख रुपए और उड़ीसा ५ लाख रुपए ।

देशमूल ऐवार्ड पर एक दृष्टि—इस ऐवार्ड का भी प्रान्तों ने कोई स्वागत नहीं किया । बम्बई, विहार, बंगाल, मद्रास आदि प्रान्तों ने इसकी आवश्यकता की, क्योंकि उनको तो यह आना भी कि उन नये ऐवार्ड से पुराने ऐवार्ड की कमियों को दूर किया जायगा । परन्तु जैसा कि हम वहाँ ही चुके हैं देशमूल का काम किसी नए सिद्धान्त की रचना करना नहीं या कृत्रिम विभाजन से उत्पन्न होने वाली गड़बड़ी के कारण बचे हुए अतिरिक्त कोष का उचित वितरण करना था । इसके अतिरिक्त इन मुभाषा को स्थायी रूप देने का ता डरादा या ही नहीं, इसलिए देशमूल ऐवार्ड को वाण्युष उद्दगना अनुचित होगा ।

भारत के गणतन्त्रीय विधान के अन्तर्गत राज्य और मध्य सरकार के पारस्परिक वित्तीय सम्बन्ध—

२६ जनवरी मग १९५० को नया मविधान लागू किया गया जिससे अनुसार भारत राज्या का एक मध था । गान्त म तीन प्रकार के राज्य थे—अ, ब और म । 'अ' राज्य वे थे जो मविधान लागू होने से पहले प्रान्त कहलाते थे । 'ब' प्रकार के राज्य वे थे जो पहले रियासतें कहलाती थी और 'म' प्रकार के राज्या म वे क्षेत्र थे जो पहले सीफ मन्दिरे के प्राचीन थे । इसम अन्य क्षेत्र भी सम्मिलित थे । नए मविधान म प्रान्त और मध्य सरकार के बीच जो कार्यो का विभाजन किया गया था वह ठीक उसी प्रकार था जैसा कि सन् १९३५ के ऐक्ट म था ।

ग्राम स्रोतों का वितरण—नए मविधान की प्रमुख विशेषता यह है कि ग्राम के खोला का वितरण बड़े ही स्पष्ट ढंग से किया गया है और ग्राम के स्रोतों को दो भाग म विभाजित किया गया है—मध्य सम्बन्धी और राज्य सम्बन्धी । इनकी दूसरी विशेषता यह है कि कुछ कर मध्य सरकार द्वारा लगाए जायेंगे और बगुल किए जायेंगे परन्तु उनही ग्राम राज्या को प्राप्त होगी । हमारे मविधान की तीसरी विशेषता यह है कि कुछ कर मध्य सरकार द्वारा लगाए जायेंगे और वसूल भी किये जायेंगे परन्तु उनही ग्राम राज्या और मध्य दोनों ही म बाँटी जायेंगी । ग्राम के स्रोतों का बढवार निम्न प्रकार किया गया है—

(अ) मध्य सरकार की ग्राम के स्रोत—रेडिओ शक्ति व तार, टेलीफोन व तार का तार (Wireless) प्रसारण (Broadcasting) तथा अन्य प्रकार के मवाद-व्यारन, सीमा कर वार्योरेडिओ कर इत्यादि मध्य सरकार के ग्राम के मुख्य स्रोत हैं ।

(ब) राज्यों की ग्राम के स्रोत—मालगुजारी, कृषि आयकर नगीली वस्तुओं पर उत्पादन कर विक्रय कर मनोरजन कर इत्यादि राज्यों की ग्राम के मुख्य स्रोत हैं ।

(ग) ब कर जो मध्य द्वारा लगाए जायेंगे और जमा किए जायेंगे, परन्तु उनकी आय का बढवार राज्य और मध्य दोनों में ही होगा—इसके अन्तर्गत कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर और केन्द्रीय उत्पादन कर ।

(द) वे कर जो सभ द्वारा लगाए जायेंगे और एकत्रित होंगे परन्तु उनको सारी आय राज्या को ही प्राप्त होगी—इनके अन्तर्गत मृत्यु कर, कृषि सम्पत्ति के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति पर, रेल, समुद्र तथा वायु मार्गों से जाने वाली वस्तुओं तथा यात्रियों पर कर ।

(य) वे कर जो मध्य द्वारा लगाये जायेंगे परन्तु जिन्हें राज्य वसूल करेंगे और जिनको आय राज्यों को प्राप्त होगी—इनके अन्तर्गत स्टाम्प कर और दवायों तथा शृङ्गार करने की सामग्री पर लगाम हुए कर सम्मिलित हैं ।

यह निश्चय किया गया है कि सभ सरकार तथा राज्य सरकारों की आय अलग अलग संचित कोषों में जमा की जायगी । सभ सरकार की सारी आय को 'भारत के संचित कोष' (Consolidated Fund of India) में और राज्यों की सारी आय को 'राज्य के संचित कोष' (Consolidated Fund of the State) में जमा किया जायगा ।

अब हम इस स्थिति में हैं कि सन् १९३५ के ऐक्ट में सभ सरकार और प्रान्तीय सरकार के वित्तीय साधनों के बटवारे की जो व्यवस्था की गई थी उसकी तुलना उस व्यवस्था से कर सकें जो कि सन् १९५० के भारतीय संविधान में की गई है । सन् १९३५ के ऐक्ट के आधीन केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों में आयकर का बटवारा, जूट निर्यात कर की आय का जूट उगाने वाले प्रान्तों को हिस्सा देने और प्रान्तों को केन्द्र से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की गई थी । सन् १९५० के संविधान में तीन बातों के द्वारा समतुलन स्थापित किया गया है अर्थात्, प्रथम गैर कृषि आयकर और मध्य उत्पादन करा को बाँट कर । दूसरे सभ द्वारा राज्यों को आर्थिक सहायता देकर—यह आर्थिक सहायता भारत के संचित कोष में से उन राज्यों को दी जायगी जिनको कि उसकी आवश्यकता है और भिन्न भिन्न राज्यों के लिए भिन्न भिन्न राशि निश्चित की जा सकती है । राज्यों को यह सहायता उन योजनाओं को पूरा करने के लिए भी दी जा सकती है जिनका उद्देश्य अनुसूचित जातियों (Scheduled Tribes) के कल्याण की वृद्धि करना है । संविधान में जूट उगाने वाले राज्यों को जूट निर्यात कर में से कोई भी हिस्सा देने की व्यवस्था नहीं की गई है । परन्तु यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इसके बदले में उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है । भारतीय संविधान में अंतिम व्यवस्था यह की गई है कि सभ सरकार राज्यों की सूची में निश्चित किया गए करा पर अधिभार (Surcharge) लगा सकती है । इन अधिभारों से जो आय प्राप्त होगी वह पूर्णतया केन्द्रीय सरकार की होगी ।

विधान में दो वर्षों के भीतर ही एक वित्तीय आयोग नियुक्त करने का निश्चय किया गया था । इसके पश्चात् यह आयोग हर पाँचवें वर्ष या यदि राष्ट्रपति चाहे तो पहले भी नियुक्त किया जा सकता है । यह आयोग इन बातों पर अपना मत प्रकट करेगा—(अ) सभ और राज्यों में आय कर के बटवारे की विधि (ब) भारत के संचित कोष में से राज्यों को आर्थिक सहायता देने के सिद्धान्त (स) भारत

सरकार तथा 'ब' श्रेणी के राज्यों में हुए समझौते को बँसा ही बनाये रखा जाये या उनमें कोई परिवर्तन किया जाये।

देशी रियासतों का एकीकरण

(Integration of Native States) —

भारत में स्वायत्तता प्राप्ति के पश्चात् १०० से अधिक देशी रियासतों के एकीकरण की घटना घट्टी ही महत्वपूर्ण है। इन घटना में पूर्व इन रियासतों में विभिन्न प्रकार की वित्तीय प्रणालियाँ प्रचलित थीं। एकीकरण के पश्चात् मुख्य समस्या एक ऐसी वित्तीय प्रणाली स्थापित करने की थी जो देश के सभी भागों में समान हो। इन रियासतों की वित्तीय और कर प्रणाली में जोन करने के लिये भारतीय रियासतों के वित्त मन्त्रियों का एक समिति (Indian State Finance Enquiry Committee) नियुक्त की गई थी। इसकी रिपोर्ट मई १९४६ में तैयार हो गई थी। इन समिति ने तीन निष्कर्ष निकाले थे। प्रथम, मध्य सरकार को रियासतों में भी उतने ही षेका में अधिकार होना चाहिये जितने कि प्रान्तों में है। दूसरे मध्य सरकार अपनी वाकिलता का मन्तावन अपनी ही प्रशासन सभ्यताओं द्वारा रियासतों में भी उनी प्रकार करे जिन प्रकार प्रान्तों में करनी है। और तीसरे, मध्य सरकार और रियासतों में बँस ही वित्तीय सम्बन्ध हो जैसे कि प्रान्तों से है।

उन समिति के सुझावों के अनुसार मध्य सरकार ने राज्यों से बँस ही वित्तीय सम्बन्ध स्थापित कर लिये जिन कि प्रान्तों में थे। अतः सभी रियासतों में १ अप्रैल १९५० का मध्य सरकार ने आयाज, मध्य स्थापित कर देवे इत्यादि जिलों में मर्जित आया की शील थे ले लिये। इनी प्रकार मध्य सरकार ने व्यव की मद्दे भी स्वीकार कर ली। 'ब' श्रेणी की रियासतों को प्रान्तों की भाँति अनुदान और आधिक्य महानता सम्बन्धी सुविधाएँ देगे की व्यवस्था भी की गई और मधीय करों के बढवारे की भी उनी प्रकार व्यवस्था हुई। इन प्रकार के परिवर्तनों ने बहुत से राज्यों में वित्तीय गठवनी उत्पन्न हुई और धीरे धीरे स्थिति मन्तुलित होती गई। इस प्रकार देशी रियासतों के एकीकरण से अनेकों लाभ देगे को प्राप्त हुए। प्रथम सम्पूर्ण देगे के लिये एक ही वित्तीय प्रणाली की स्थापना हो सकी। दूसरे, मध्य सरकार सम्पूर्ण देगे पर एक ही ही कुशलता से नियन्त्रण रख सकेगी। तीसरे, देशी रियासतों को भी मध्य सरकार के व्यव में उतने ही लाभ प्राप्त हो सकेंगे जितने कि प्रान्तों को होंगे।

प्रथम वित्त आयोग

(First Finance Commission) —

मध्य मन्त्रिमण्डल के अनुसार सन् १९५० में श्री के० सी० निवासी की अध्यक्षता में स्वतन्त्र भारत के प्रथम वित्त आयोग की नियुक्ति हुई। हम पिछले पृष्ठों में वित्त आयोग की नियुक्ति के उद्देश्यों की गणना कर ही चुके हैं। यहाँ पर हम आयोग के सुझावों की ओर ही ध्यान देंगे। आयोग ने जीव पट्टाल के बाद यह निष्कर्ष प्राप्त किया था कि राज्यों को आय की बहुत आवश्यकता है और यह अनि आवश्यक है कि

उनकी आय में वृद्धि हो। आयोग ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि केन्द्र किस सीमा तक राज्यों को अपनी आय में से सहायता दे सकता है। आयोग ने मुख्य रूप से तीन बातों को ध्यान में रखा था। प्रथम, केन्द्र के क्षेत्र में से आय के जो अतिरिक्त स्रोत राज्यों को दिये जायेंगे वह ऐसे होने चाहियें जिनके अलग होने से केन्द्र की वित्तीय स्थिति बिगड़ने न पाये, क्योंकि उस पर देश की सुरक्षा और अर्थ-व्यवस्था के स्थायीत्व जैसी महत्वपूर्ण बातों की जिम्मेदारी है। आयोग ने दूसरी बात जो ध्यान में रखी वह यह थी कि आर्थिक सहायता के वितरण सम्बन्धी सिद्धान्तों का 'अ' और 'ब' श्रेणी के राज्यों में समान रूप से लागू किया जाये। अन्तिम महत्वपूर्ण बात यह थी कि वितरण की ऐसी योजना तैयार की जाये, जिससे राज्यों में असमानताएँ न्यूनतम रहे।

वित्त आयोग की सिफारिशें—वित्त आयोग की मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार हैं—

१. **आयकर की आय का वितरण**—अभी तक प्रान्तों को आयकर का ५०% भाग ही प्राप्त होता था, परन्तु कमीशन का सुझाव था कि अब प्रान्तों को आय कर की आय का ५५% भाग दिया जाना चाहिये, क्योंकि एक तो उनकी आवश्यकताओं में काफी वृद्धि हो गई थी और दूसरे, 'ब' श्रेणी के राज्य भी अब हिराता बढ़ाने वाले हो गये थे। आयोग ने, पिछले वर्षों में आयकर की आय में से एक बड़ा भाग प्राप्त करने के लिये राज्यों ने जो अपनी अपनी दलीलें दी थी, उन सभी का अध्ययन किया। उसके अनुसार आयकर का वितरण निम्न बातों पर आधारित होना चाहिये—

(अ) जनसंख्या द्वारा प्रस्तुत की गई आवश्यकताएँ।

(ब) प्रत्येक राज्य से एकत्रित की गई आयकर की राशि।

आयोग का प्रस्ताव था कि आयकर की आय का जो भाग राज्यों में बाँटना था उसका ८०% भाग जनसंख्या के आधार पर बाँटा जाय और २०% भाग एकत्रित किए गये आयकर की राशि के अनुपात में बाँटा जाय। आयोग के अनुसार विभिन्न राज्यों में आयकर का बँटवारा निम्न प्रकार होना चाहिये—

राज्य	राज्यों की आय कर में से प्राप्त होने वाला प्रतिशत	राज्य	राज्यों की आयकर में से प्राप्त होने वाला प्रतिशत
बम्बई	१७.५०	राजस्थान	३.५०
उत्तर प्रदेश	१५.७५	पंजाब	३.२५
मद्रास	१५.२५	द्रावनकोर-कोचीन	२.५०
पश्चिमी बंगाल	११.२५	आसाम	०.२५
विहार	६.७५	मैसूर	२.२५
मध्य प्रदेश	५.२५	मध्य भारत	१.७५
हैदराबाद	४.५०	तीरापट्ट	१.००
उड़ीसा	३.५०	पटियाला तथा पूर्वी पंजाब रियासती यूनियन	०.७५

सब के उत्पादन करो का वितरण—यद्यपि आयोग को सब उत्पादन करो के वितरण के लिए अपने प्रस्ताव नहीं देने थे परन्तु उसने राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिये जो योजना प्रस्तुत की थी उसमें उसने उत्पादन करो के वितरण के लिये भी अपने प्रस्ताव दिये। आयोग ने तीन उत्पादन करो—तम्बाकू, दियासलाई, और चन्पनि—को राज्या में बांटने के लिये उपयुक्त समझा, क्योंकि यह वस्तुयें सामान्य उपयोग की हैं और इनसे आय भी बहुत प्राप्ति होती है। आयोग की विचारिता थी कि इन उत्पादन करो की शुद्ध प्राप्ति (Net Proceeds) का ४० प्रतिशत भाग राज्या में जनसंख्या के अनुपात में बांटा जाय। आयोग का यह भी प्रस्ताव था कि विभिन्न राज्या में इन वस्तुओं के उपभोग सम्बन्धी मात्रा जमा किये जायें ताकि दूसरा वित्त आयोग उपभोग के आधार पर उत्पादन करो का वितरण कर सके। आयोग के अनुसार उत्पादन करो में राज्यों का भाग इस प्रकार होना चाहिए—

राज्य	राज्या की प्राप्त होने वाले उत्पादन करो के भाग का प्रतिशत	राज्य	राज्यों का प्राप्ति होने वाले उत्पादन करो के भाग का प्रतिशत
उत्तर प्रदेश	१८.२३	उड़ीसा	४.२२
मद्रास	१६.४४	पंजाब	३.६६
बिहार	११.६०	झारखण्ड-जोशी	२.६८
बम्बई	१०.३७	मैसूर	२.६२
पश्चिमी बंगाल	७.१६	आसाम	२.६१
मध्य प्रदेश	६.१३	मध्य भारत	२.२६
हैदराबाद	५.२६	सौराष्ट्र	१.१६
राजस्थान	४.४१	पटियाला तथा पूर्वी पंजाब रियासतों वूनियत	१.००

जूट निर्यात कर के स्थान पर आर्थिक सहायता (Grants-in-aid in lieu of Jute export duty)—मार्च १९५० के संविधान में जूट उगाने वाले राज्यों को जूट निर्यात कर के वितरण के सम्बन्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। परन्तु इसके स्थान पर आर्थिक सहायता देने का प्रबन्ध किया गया है। आयोग ने निम्न चार प्रान्तों को आर्थिक सहायता देने की विचारिता इस प्रकार की है—

पश्चिमी बंगाल	१५० लाख रुपए	बिहार	७५ लाख रुपए
उड़ीसा	७५ लाख रुपए	आसाम	७५ लाख रुपए

आर्थिक सहायता (Grants in aid)—आयोग ने केन्द्र द्वारा राज्यों को आर्थिक सहायता दिए जाने के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इसने आर्थिक

सहायता देने के विभिन्न कारणों का विश्लेषण किया और उन सिद्धान्तों की विवेचना की है जिनके आधार पर ऐसी सहायता दी जाए। आयोग के अनुसार शर्तें सहित और शर्तें रहित दोनों ही प्रकार की आर्थिक सहायता दी जा सकती हैं। शर्तें रहित सहायता का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारों की आय में वृद्धि करना होना चाहिए और राज्यों को पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वे इस सहायता को जिस प्रकार चाहे उपयोग में लायें। शर्तें सहित सहायता केवल विशेष प्रकार की सेवाओं के विस्तार को प्रोत्साहन देने के लिए ही दी जायें।

आयोग ने विभिन्न राज्यों को आर्थिक सहायता किस सीमा तक दी जाये। इसके लिए कुछ आधार बताए हैं। इनमें से मुख्य आधार निम्न प्रकार हैं—

(अ) राज्य किस सीमा तक अपनी सहायता स्वयं करने का प्रयत्न करते हैं। यह बड़ा ही उपयुक्त आधार है, क्योंकि यदि राज्य सरकारों को यह विश्वास दिला दिया जायगा कि केन्द्र उनके बजट के घाटों को पूरा करने के लिये प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार की सहायता देता रहेगा तो यह निश्चित ही है कि राज्य सरकारों की फिजूल खर्चों तथा अपव्ययीता बढ जायगी।

(ब) प्रारम्भिक सामाजिक सेवाओं के स्तरों को समान करने के लिये। आयोग ने कुछ सामाजिक सेवाओं के विस्तार के लिये और सभी राज्यों में समान स्तर प्राप्त करने के लिये विशेष आर्थिक सहायता देने का सुझाव दिया है। इस प्रकार की सामाजिक सेवाओं में प्रारम्भिक शिक्षा का एक उपयुक्त उदाहरण है।

(स) सम्पूर्ण देश से सम्बन्धित विशेष जिम्मेदारियाँ। ऐसी समस्याएँ, यद्यपि पूरे देश से ही सम्बन्धित क्यों न हो, कुछ विशेष राज्यों के अपने क्षेत्रों में ही उत्पन्न हो सकती हैं—उदाहरणार्थ देश के विभाजन से उत्पन्न होने वाली समस्याएँ। ऐसी विशेष समस्याओं के लिये विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाय।

(द) प्रारम्भिक महत्त्व की उपयोगी सेवाओं की व्यवस्था के लिये भी कम उन्नत राज्यों को राष्ट्रीय हित में आर्थिक सहायता दी जा सकती है।

आयोग का यह भी सुझाव था कि एक ऐसी रास्ता स्थापित की जाय जो राज्यों की अर्थ व्यवस्था का निरन्तर अध्ययन करे ताकि यदि भविष्य में वित्त आयोग नियुक्त किये जायें तो उन्हें अपनी जाँच के आरम्भ में ही आवश्यक आँकड़े प्राप्त हो जायें।

त्रिज्ज घासोग की रिपोर्ट पर एक दृष्टि—वित्त आयोग की समिति रिपोर्टों के भारत सरकार ने स्वीकार कर ली थी। यह भी स्वाभाविक है कि वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई आय के वितरण की योजना से सभी राज्य सतुष्ट नहीं हो सकते थे। फिर भी अधिकांश राज्यों ने अपनी सतुष्टि प्रकट की और सामान्य रूप से आयोग की सिफारिशों का हार्दिक स्वागत हुआ। आयोग का मुख्य उद्देश्य राज्यों की आय के स्रोतों में वृद्धि करना था जो कि उसने बड़े ही सुन्दर ढंग से किया। जिन उत्पादन करों की आय को वाँटने के लिये आयोग ने धुना था वे भी अनुचित न थे। जनसंख्या के आधार पर आयकर का बटवारा भी सरल और उपयुक्त था।

आयोग की सिफारिशों में नये उत्तम बात यह थी कि उसने राज्यों और केन्द्र बाना हो का स्थिति का ध्यान में रखकर अपना सुझाव दिया था। परन्तु न्याय की दृष्टि से इतना कहना ही पड़ा कि आयोग ने राज्यों को प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता में जो बढ़ि की थी उसका बुरा प्रभाव यह भी हो सकता है कि राज्य अपने आय के साधनों को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करने के लिये उदारता हो जायें और अपने खर्चों को कम करने का प्रयत्न ही नहीं करे। वास्तव में बहुत से राज्य केन्द्रीय सहायता में ही निर्भर करते चले आये हैं और उन्होंने अपने साधनों को बढ़ाने का कोई प्रयत्न ही नहीं किया। कभी कभी अधिक उदारता भी स्थिति को बिना देती है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि राज्यों के लिये भी यह उदारता हानिकारक सिद्ध हो। फिर भी यह सम्भावना तो हर एक योजना में ही रहती, जब तक कि केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों की नीतियों में बतपूर्वक हस्तक्षेप करने का अधिकार न हो।

दूसरा वित्त आयोग

(Second Finance Commission)—

मई सन १९५६ में श्री के. स. यामन की अध्यक्षता में दूसरा वित्त आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग का कार्यक्षेत्र पहले आयोग की अपेक्षा अधिक विस्तृत था। इसको सघ और राज्य सरकारों के बीच वितरण होने वाले करो के बटवारे में हर राज्य को मिलने वाला भाग और केन्द्र से राज्यों को प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता का निर्धारित करने वाले सिद्धांतों के सम्बन्ध में अपने सुझाव देने के अतिरिक्त निम्न बातों पर भी अपने सुझाव देने थे —

१ घासाम विहार उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल को जूट निर्यात कर के भाग के बढ़ने में आर्थिक सहायता की राशि।

२ राज्यों को दूसरी पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्राथिक सहायता।

३ गैर कृषिक सम्पत्ति पर लगे हुए मूल्य कर से प्राप्त वास्तविक आय (Net Proceeds) को राज्यों में बांटने के लिये सिद्धांतों की रचना।

४ भारत सरकार द्वारा राज्यों को सन १९५७ और सन् १९५६ के बीच के ऋणों की मूद की दरों और भुगतान की शर्तों में संशोधन (यदि आवश्यकता हो तो)।

५ राज्य सरकारों द्वारा विक्री कर हटाये जाने पर भारत सरकार ने कपड़े, चीनी और तम्बाकू पर जो अतिरिक्त उत्पादक कर लागू किया था उसकी आय के बटवारे के लिये उचित सिद्धांत का निर्माण करना।

६ रेल किरायों पर लगे हुए कर की वास्तविक आय के बटवारे के लिए सिद्धांत बनाना।

आयोग ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट सितम्बर सन् १९५७ में प्रस्तुत की थी।

आयोग ने मुख्य रूप से इन बात की ओर ध्यान दिया कि राज्यों के पास आय के इतने साधन हो जायें कि वह अपने सामान्य खर्चों को पूरा कर लें और अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सकें। आयोग ने राज्यों की आधारभूत आवश्यकताओं और विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं को साथ-साथ ध्यान में रख कर अपने सुझाव दिये थे, क्योंकि उनका विचार था कि पंचवर्षीय योजना के, साथ ही राज्यों के बजटों या एक मुख्य अनुदान देने के, कारण राज्यों की आधारभूत आवश्यकताओं की ओर अलग ध्यान नहीं दिया जा सकता। आयोग के मुख्य सुझाव निम्न प्रकार थे —

(१) आयकर का वितरण — आयोग का सुझाव था कि आयकर की आय में से ६०% भाग राज्यों में बाँटा जाय। यह ध्यान रहे, कि प्रथम वित्त आयोग के अनुसार यह प्रतिशत ५१ था। दूसरे आयोग में ५% की वृद्धि केवल इसीलिए की कि राज्य मनुष्य हों जायें। आयकर के वितरण के सम्बन्ध में वित्त आयोग ने जनसंख्या को ही मुख्य आधार माना। पश्चिमी बंगाल और बम्बई का जो यह प्रस्ताव था कि आयकर का वितरण प्रत्येक राज्य से एकत्रित की गई राशि के अनुपात में होना चाहिये इस सुझाव पर वित्त आयोग ने अपने विचार प्रकट करते हुये कहा कि देश का आर्थिक एकीकरण हो जाने के कारण अब अन्तर-राज्यीय व्यापार पर कोई भी प्रतिबन्ध नहीं है, इसलिए व्यापारिक आया पर लगे हुये कर में जो आय प्राप्त होती है वह सारे ही देश से प्राप्त होने वाली आय समझी जानी चाहिये चाहे वह किसी भी राज्य से एकत्रित क्यों न की गई हो। इसके अतिरिक्त विकी कर, मोटर गाड़ियाँ पर लगे हुए कर, मनोरंजन कर, बिजली कर इत्यादि की आय ने अब औद्योगिक वृष्टिकोण में उन्नत राज्यों की वित्त स्थिति को पहले की अपेक्षा अधिक बलपूर्वक बना दिया है। इसलिए अब राज्यों से एकत्रित की गई राशि के आधार पर आयकर के वितरण का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी इस विचार से कि सारा एक दम न टूट जायें आयोग ने यह सुझाव दिया कि, राज्यों को आयकर का १०% भाग तो एकत्रित की गई धनराशि पर बाँटा जाय और ६०% भाग जनसंख्या के आधार पर बाँटा जाय। राज्यों को आयकर का हिस्सा निम्न प्रकार दिया जायें^१ —

राज्य	प्रतिशत	राज्य	प्रतिशत
आन्ध्र प्रदेश	८१.२	मैसूर	५१.४
आसाम	२४.४	उड़ीसा	३७.३
बिहार	६.६४	पंजाब	४.२४
बम्बई	१५.६७	राजस्थान	४.०६
केरल	३.६४	उत्तर प्रदेश	१६.३६
मध्य प्रदेश	६.७२	पश्चिमी बंगाल	१०.०८
मद्रास	८.४०	जम्मू तथा काश्मीर	१.११

(२) सघ उत्पादन करों का वितरण —आयाग या यह विचार था कि भविष्य में आयकर की आय में कोई विशेष वृद्धि हान की आशा नहीं थी। इसलिए राज्या का सघ उत्पादन करा में स अधिक भाग मिटना चाहिये। गत वर्षों में उत्पादन करा के क्षेत्र और उनकी आय में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। उत्पादन करा की आय पिछले ५ वर्षों की तुलना में ३ गुना अधिक हो गई है। सन १९५२-५३ में या आय ८३.०३ करोड़ रुपया था वह सन् १९६०-६१ में २५६.५७ करोड़ रुपए हो गई।

आयाग के अनुसार सभी उत्पादन करा की आय का वितरण करना तो अभी सम्भव न था, परन्तु इनकी मात्रा में पहले की अपेक्षा वृद्धि अवश्य होगी चाहिये। इसलिए उसमें मुभाय दिया कि दिव्यमन्नाइ, तम्बाकू और वनस्पति के उत्पादन करा के अतिरिक्त चानी चाय कट्टा, वागज और वनस्पति के आवश्यक तेल (Vegetable non-essential Oils) के उत्पादन करा की आय का भाग भी राज्या को दिया जाय। आयोग के अनुसार यह भाग २५% होना चाहिये। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि प्रथम वित्त आयोग ने यह भाग ४०% निर्धारित किया था, परन्तु १५% की जो कमी हुई है उसको उत्पादन करा की सहाय में वृद्धि करके पूरा कर दिया गया है। उत्पादन करा के वितरण के लिए प्रथम वित्त आयोग ने जनसह्या को आधार मानते हुए यह प्रस्ताव दिया था कि भविष्य में जनसह्या के स्थान पर उपभाग को आधार बनाना अधिक उपयुक्त रहेगा। दूसरे वित्त आयोग का यह विचार था कि उपभाग सम्बन्धी सभी आकड़े मिलना एक तो कठिन है दूसरे जनसह्या ही अधिक उपयुक्त आधार है क्योंकि उपभोग के आधार पर वितरण करने में नागरिक राज्या (Urbanised States) का अधिक लाभ प्राप्त होगा। अतः आयोग के अनुसार उत्पादन करा का बटवारा राज्या में निम्न प्रकार किया जाय^२ —

राज्य	प्रतिशत	राज्य	प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	६.३८	भूयूर	६.५२
आन्ध्र	३.४६	उड़ीसा	४.४६
बिहार	१०.६३	पंजाब	४.५६
बम्बई	१२.१७	राजस्थान	४.७१
कर्नाट	३.८३	उत्तर प्रदेश	१५.६४
मध्य प्रदेश	७.४६	पश्चिमी बंगाल	७.५६
मद्रास	७.५६	जम्मू तथा काश्मीर	१.७५

(३) जूट निर्यात कर के बदले में आर्थिक सहायता—भारत के सविधान के अनुसार जूट उगाने वाले राज्या की जूट निर्यात कर का जो भाग सन १९३५ से प्राप्त हो रहा था वह बन्द कर दिया गया और उसके स्थान पर राज्या की आय में

होने वाली कमी को पूरा करने के निम्ने सन् १९६० तक आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की गई है। आयोग के अनुसार आर्थिक सहायता की राशि प्रत्येक राज्य के लिए निम्न प्रकार थी —

आसाम	७५ लाख रुपए	उड़ीसा	१५ लाख रुपए
बिहार	७२ ३१ " "	पश्चिमी बंगाल	१५२ ६६ " "

(४) राज्यों को आर्थिक सहायता—राज्यों की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यों को पहले की अपेक्षा अधिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाय। साथ ही साथ उमन यह भी स्पष्ट कर दिया कि यह राशि केवल दूसरी पंचवर्षीय योजना के कारण बढ़ाई गई थी और इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि ये राज्यों की स्थायी आवश्यकताएँ थी। प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर आयोग ने निम्न आर्थिक सहायताओं की सिफारिश की —

राज्य	१९५७-५८	१९५८-५९	१९५९-६०	१९६०-६१	१९६१-६२	कुल योग
आंध्र प्रदेश	४००	४००	४००	४००	४००	२०००
आसाम	३७५	३७५	३७५	४५०	४५०	२०२५
बिहार	३५०	३५०	३५०	४२५	४२५	१९००
केरल	१७५	१७५	१७५	१७५	१७५	८७५
मध्य प्रदेश	३००	३००	३००	३००	३००	१५००
मैसूर	६००	६००	६००	६००	६००	३०००
उड़ीसा	३२५	३२५	३२५	३५०	३५०	१६७५
पंजाब	२२५	२२५	२२५	२२५	२२५	११२५
राजस्थान	२५०	२५०	२५०	२५०	२५०	१२५०
पश्चिमी-बंगाल	३२५	३२५	३२५	४७५	४७५	१९२५
जम्मू तथा काश्मीर	३००	३००	३००	३००	३००	१५००
कुल योग	३६२५	३६२५	३६१५	३९५०	३९५०	१८७७५

बम्बई, मद्रास और उत्तर प्रदेश को आयोग ने आर्थिक सहायता देने की सिफारिश नहीं की थी। क्योंकि उसका विचार था कि इन राज्यों के पास अपने खर्चों को पूरा करने के लिए काफी आय थी। आसाम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल को प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता में तीन वर्षों बाद वृद्धि होनी थी, क्योंकि सन् १९५९-६० के बाद उनको जूट निर्यात कर का भाग मिलना बन्द हो

वित्तीय सम्बन्धा के समन्वय में बहुत सी जटिलतायें उत्पन्न हो गई थीं। अतः आयोग का विचार था कि यदि इन सब ऋणों को एक साथ मिला दिया जाय और सूद की दरों और भुगतान की शर्तों का उचित नियन्त्रण हो जाय तो अनेक कठिनाइयाँ से छुट्टी मिल जायेगी। १५ अगस्त १९४७ और ३१ मार्च मन् १९५६ के बीच में केन्द्र ने जो ऋण राज्यों को दिये थे उनके सम्बन्ध में आयोग ने निम्न सुझाव दिये थे —

(अ) राज्या को जो ऋण शरणाधिकियों को देने के लिये दिये गये थे उनमें से राज्य केवल उन्हीं ऋणों को लौटायेगा और उतना ही सूद देगा जोकि उन्हें शरणाधिकियों से वापिस मिलेंगे अर्थात् शरणाधिकियों ने जिन ऋणों का भुगतान नहीं किया है राज्यों को उन ऋणों का भुगतान केन्द्रीय सरकार भी नहीं करना होगा। यह सुझाव ३ अप्रैल मन् १९५७ में लागू होगा।

(ब) जो सूद रहित ऋण राज्यों को शिक्षालया की इमारतों बनवाने करवा उद्योग तथा कुटीर उद्योगों इत्यादि के लिये दिये गये थे उनकी सूद की दर या भुगतान की शर्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

(स) शेष ऋणों को दो भागों में विभाजित कर दिया था—(१) ऐसे ऋण जो १ अप्रैल मन् १९७७ को या उसके बाद भुगतान किये जाने योग्य हो जायेंगे, अर्थात् दीघकालीन ऋण। (२) वे ऋण जो ३१ मार्च मन् १९७७ को या उससे पहले भुगतान करन योग्य हों अर्थात् मध्य-कालीन ऋण। आयोग का सुझाव था कि सब दीघकालीन ऋण जिनकी सूद की दर ३% या अधिक है एक अकेले ऋण में परिवर्तित हो जाने चाहिये, जिन पर सूद की दर ३% ही रहेगी और जिसका भुगतान ३१ मार्च मन् १९८७ को हो जाना चाहिये। जिन दीघ कालीन ऋणों की सूद की दर ३% थी उनको भी मिलाकर एक ऋण कर दिया जाय और सूद की दर २.५% कर दी जाये, और उनका भुगतान भी ३१ मार्च मन् १९८७ को हो जाना चाहिए। इसी प्रकार सारे मध्यकालीन ऋणों को जिनकी सूद की दर ३% या ३% से अधिक है उनको तीन प्रतिशत की सूद की दर वाले केवल एक ही ऋण में मिला दिया जावे जिनका भुगतान ३१ मार्च मन् १९७२ में होना चाहिये और ३ प्रतिशत से कम सूद की दर वाले सारे ऋण मिलाकर केवल एक ही २.५ प्रतिशत की सूद के ऋण में मिला दिये जायें जिनका भुगतान भी ३१ मार्च मन् १९७२ को हो जाना चाहिये। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि भावी ऋणों के लिए भी यही योजना अपनाई जाय। आयोग का सुझाव था कि राज्यों को नियमित रूप में ऋण नहीं दिये जायें और उनको आवश्यकता के समय कुछ धन वैसे ही सहायता के रूप में दे दिया जाये। प्रत्येक वर्ष के अन्त में दस सत्र धन राशिमा को मिलाकर २ ऋणों में बाँट दिया जाय—दीघकालीन व मध्यकालीन और उन पर वही सूद की दर ली जाय जो ऊपर बताया जा चुकी है।

(७) अतिरिक्त उत्पादन करों का बटवारा—केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से यह निश्चय किया था कि यदि राज्य सरकारें किसी तरह

दें तो केन्द्रीय सरकार मिल के बने हुए कपड़ा, चीनी और तम्बाकू पर अतिरिक्त उत्पादन कर लगा देगी और उनसे प्राप्त वास्तविक आय को राज्यां में बांट देगी। वित्तीय आयोग को इन अतिरिक्त उत्पादन करा के वितरण के लिए अपने सुभाव देन थे। आयोग ने इस सम्बन्ध में दो प्रकार के सुभाव दिए हैं अर्थात् तीन वस्तुओं की आय को अलग अलग बांटने के सम्बन्ध में और एक साथ बांटने के सम्बन्ध में। जम्मू और काश्मीर राज्य में इन वस्तुओं पर कोई बिक्री कर लागू नहीं किया गया था फिर भी यहाँ की जनता को अतिरिक्त उत्पादन कर का भार सहन करना पड़ा। इसलिए आयोग का सुभाव था कि इस राज्य को भी इसमें से भाग मिलना चाहिए और उसका भाग १५% निश्चित किया। इनके अतिरिक्त मध्य क्षेत्रों (Union Territories) को प्राप्त हान वाला भाग मध्य सरकार अपने पास रखेगी। आयोग ने पहले तो प्रत्येक राज्य को बिक्रीकर से प्राप्त होने वाली आय को मालूम किया और उसके बाद प्रत्येक राज्य का भाग निश्चित किया।

विभिन्न राज्यों को इन वस्तुओं पर बिक्रीकर से प्राप्त होने वाली वतमान आय निम्न प्रकार थी —

(लाख रुपयों में)

राज्य	मिल का बना हुआ कपड़ा	चीनी	तम्बाकू	योग
आंध्र प्रदेश	१२०	४०	७५	२३५
आसाम	४०	१५	३०	८५
बिहार	८०	३०	२०	१३०
बम्बई	६००	२४५	११५	९६०
केरल	३८	२०	३७	९५
मध्य प्रदेश	८३	४०	३२	१५५
मद्रास	१६८	६०	५७	२८५
मैसूर	४८	२५	२७	१००
उड़ीसा	५०	२०	१५	८५
पंजाब	६५	५०	३०	१७५
राजस्थान	५०	२५	१५	९०
उत्तर प्रदेश	४००	११२	६३	५७५
पश्चिमी बंगाल	२०४	३६	४०	२८०
योग	१६७६	७१८	५५६	३२५०

यदि कुछ शेष बचे तो उसका बटवारा निम्न प्रतिशतों के अनुसार किया जाय — (प्रतिशत)

राज्य	सारी वस्तुओं को एक साथ मिला कर	हर एक वस्तु को अलग अलग लेकर		
		मील का घना हुआ काटा	चीनी	लम्बाई
आंध्र प्रदेश	७८१	७३८	६६५	१०४७
आसाम	२७३	२७२	२५५	२२८
बिहार	१००४	११११	८२०	८६०
बम्बई	१७५२	१६४६	२०१७	१७४५
केरल	३१५	३१०	३०३	३४३
मध्य प्रदेश	७१६	६६७	७६७	७१०
मद्रास	७७४	७२६	७४३	६५३
मैसूर	५१३	४६८	५१३	५५८
उड़ीसा	३२०	३३२	२८७	३२५
पंजाब	५७१	५५६	७२१	४३६
राजस्थान	४३२	४३६	४८१	३५६
उत्तर प्रदेश	१७१८	१८११	१५२१	१६१३
पश्चिमी बंगाल	८३१	८५१	८६५	७३१

(८) रेल किराये पर लगे हुए कर का बितरण—रेल यात्रियों के किराये पर सन् १९५७ में कर लगाया गया था। यह कर सब सरकार द्वारा लगाया गया है और वहीं उस एकत्रित करती है परन्तु इसकी सम्पूर्ण आय राज्यों में विभाजित कर दी जाती है। आयोग का विचार था कि इस कर की आय का बटवारा प्रत्येक राज्य में स्थित रेलों पर व्यक्तियों द्वारा की गई वार्षिक यात्रा के आधार पर होना चाहिये। इसकी उत्तम विधि यह होगी कि प्रत्येक राज्य में रेल मार्गों की लम्बाई के अनुसार प्रत्येक टिकट से प्राप्त किये गये कर को बांट दिया जाय। परन्तु क्योंकि यह व्यावहारिक नहीं था इसलिये आयोग ने एक दूसरी विधि निर्दिष्ट की। छोटी और बड़ी लाइनों की अलग अलग लेकर प्रत्येक राज्य में स्थित रेल मार्गों की लम्बाई के अनुसार प्रत्येक क्षेत्रीय रेल (Zonal Railway) की आय को भी बांट दिया जाय तो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा की गई यात्रा से प्राप्त आय को मालूम किया जा सकता है और कर की आय को भी, इस प्रकार, प्रत्येक राज्य की मालूम की गई कुल आय के अनुपात में बांटा जा सकता है। आयोग ने विद्यमान ३ वर्षों की आय को मालूम करने, ऊपर बताये हुए आधार पर प्रत्येक राज्य का भाग निश्चित

किया। इन भागों का निश्चित करने में पहले कुल आय का ३% छूट धेवी के लिये त्रिगत किया गया था। गज्या को इन कर में प्राप्त होने वाले भाग का प्रतिशत निम्न प्रकार है —

गज्या	प्रतिशत	राज्य	प्रतिशत
घाघ	८८६	जैसूत	४४४
शामाम	५७७	उड़ीसा	१७८
विहार	६३६	गज्या	८११
बम्बई	१६२०	गजस्थान	६७७
कन्न	१८७	उत्तर प्रदेश	१८७६
मध्य प्रदेश	८३१	पश्चिमी बंगाल	६३१
मद्रास	६४६		

क्याकि राज्य वित्त व्यवस्था में अभाव, बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक आपत्तियाँ बहुत सी महत्त्वही उत्पन्न कर देती हैं इसलिये आपाण का विचार था कि गज्या की इन आपत्तियों से बचने के लिये नियमित रूप में कुछ काय अलग रखने चाहिये। आपाण ने इन प्रथा का भी विचार किया कि विकास योजना के अतिरिक्त अन्य कायक्रमा का पूरा करने के लिये जितने धन का आवश्यकता है उसे धन में यदि राज्य भी हिस्सा बढाए तो कन्द्रीय सरकार सहमत होगी। क्योंकि गज्या में इतनी सम्पत्ति नहीं थी कि वह योजना में बाहर के कायक्रमा का पूरा कर सके इन लिये यदि वह ऐसा करती तो उनका ध्यान अक्षय होगा। आपाण का यह भी संभाव था कि विभिन्न गज्या में हिस्सा विचार रखने की विधि का समान ही हानी चाहिये। आपाण का समय समय पर उचित और पर्याप्त और न मिलने में बड़ी कठिनाइयाँ अनुभव हुई। इसलिए उनमें सभी सम्बन्धित मन्त्रालयों में यह विचारणा की कि पर्याप्त और नष्टा की जमा करने की लक्ष्य पर अधिक ध्यान दे और वित्त मन्त्रालय को यह सुझाया कि वह शास्त्रों पर विचार करने तथा अन्य अनुसंधान करायें कि लिये उचित व्यवस्था कर क्याकि भावी वित्त आयोग का इन शर्तिका की बहुत आवश्यकता होगी। आपाण के सुझावों के अनुसार एन एच में लगभग १९० करोड़ रुपये का बढावा गज्या में किया जायगा जबकि पहले वित्त आयोग के अनुसार यह राशि केवल ६३ करोड़ रुपये थी। निम्न तालिका में इन शर्तिका का दिखाया गया है जिनका प्राप्त करने की आपाण प्रत्येक राज्य कर करता है। इन तालिका में क्या का भाग केन्द्रीय अनुमानित है और इसमें समय समय पर परिवर्तन हो सकते हैं —

(करोड रुपयो मे)

राज्य	करो के भाग	आधिक सहायता	जुट निर्यात करी के बदले म आधिक सहायता	योग
आध्र प्रदेश	८५०	४००	—	१२५०
आसाम	२७५	४०५	०.४५	७२५
बिहार	१०००	३८०	०.४३	१४२३
बम्बई	१४७५	—	—	१४७५
केरल	३७५	१७५	—	५५०
मध्य प्रदेश	७००	३००	—	१०००
मद्रास	८२५	—	—	८२५
समूर	५५०	६००	—	११५०
उडीसा	१००	३३५	०.०६	७४६
पंजाब	४२५	२२५	—	६५०
राजस्थान	४२५	२५०	—	६७५
उत्तर प्रदेश	१६२५	—	—	१६२५
पश्चिमी बंगाल	६५०	३८५	०.६१	१४२६
जम्मू और काश्मीर	१०५	३००	—	४२५
योग	१००००	२७१५	१.८८	१३६४३

इसके अतिरिक्त राज्या को अतिरिक्त उत्पादन वना और रेल किरायो पर लगे हुए कर की भाय म से लगभग १५ करोड रुपया प्रतिवष और प्राप्त होगा ।

दूसरे वित्त आयोग की रिपोर्ट पर एक दृष्टि—दूसरे वित्त आयोग की सभी सिफारिशों सरकार न स्वीकार कर ली । केवल उस सिफारिश को ही अस्वीकार किया है जो कि केन्द्र से राज्या को दिए गये ऋणा के भुगतान के सम्बन्ध म थी । आयोग ने राज्या की आवश्यकताओं पर बड़ी उदारता से विचार किया है । यद्यपि बम्बई और पश्चिमी बंगाल अब भी मत्तुट नहीं है फिर भी अन्य राज्या ने इसका हार्दिक स्वागत किया । इसके अतिरिक्त आयोग ने आर्थिक सहायताओं सम्बन्धी शर्तों को अधिक उदार बना कर केन्द्र और राज्यों के बीच म निरंतर उत्पन्न होने वाले मतभेदों को कम कर दिया । आयोग ने जनसह्या को कर वितरण का आधार मान कर समस्या को बहुत ही सरल बना दिया है । बम्बई और पश्चिमी बंगाल ने आयोग के सुझावों की निंदा की है और उन्होंने अपनी पुरानी दलीलों को ही दुहराया है । परन्तु यहाँ पर श्रुति यह देना ही उचित होगा कि कोई भी योजना सभी

व्यक्तिगत धरो प्रसन्न नहीं कर सकती और कोई न कोई व्यक्ति ऐसा अवश्य होगा जिसको उसके विरुद्ध प्रापत्ति होगी।

कुछ लोग का कहना था कि आयोग ने राज्या के पास जो केन्द्रीय ऋण थे उनका एकीकरण करके ठीक नहीं किया। ऋणों की मूढ की दर, अवधि, भुगतान की शर्तें आदि सभी भिन्न भिन्न होती हैं और हर ऋण एक निश्चित उद्देश्य से लिया जाता है। आलोचकों के अनुसार यह भिन्नतायें राजकीय ऋण नीति का मुख्य विशेषता है और स्वाभाविक गुण है। बहुत अधिक सरलता भी लागूप्रद नहीं होती। इसके अनिश्चित पुरान समझौते और वायदा को इतनी सरलता से नहीं बदलना चाहिए। इन आलोचनाओं के विरुद्ध और वित्त आयोग के पक्ष में केवल इतना ही कहना उचित होगा कि ऋणों के भुगतान के सम्बन्ध में वित्त आयोग ने जो भी सुझाव दिये हैं वह राज्या और केन्द्र की स्थिति को ध्यान में रखकर दिये हैं, जिनमें दोनों पक्षों में से किसी को हानि नहीं होगी।

यह ध्यान रहे कि वित्त आयोग ने बड़ी ही अमाधारण परिस्थितियों में अपने काम का पूरा किया है। देश में नियोजन कार्य के भारम्भ हो जाने से राज्यों को जो कुछ भी सहायता दी जाती है उसमें अन्तिम निर्णय नियोजन आयोग (Planning Commission) का होता है और यह आवश्यक नहीं कि वित्त आयोग ने जो सिफारिशें की हैं वे पूरी की पूरी नियोजन आयोग द्वारा स्वीकार कर ली जायें और उनमें कोई संशोधन न हो। इसके अनिश्चित केवल इस कटु सत्य से (नियोजन आयोग के हस्तक्षेप की बात) क्या वित्त आयोग को अपने काम करने में अटकते उत्पन्न न हुईं हाथी या वित्त आयोग वेल्डके काम कर सना होगा? स्पष्ट ही है कि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं म होगा। इसके अनिश्चित एक कठिनाई यह भी थी कि राज्या का मध्य सखार से जो सहायता प्राप्त होती है उसके एक छोटे से ही भाग के वितरण के सम्बन्ध में ही वित्त आयोग की सिफारिशें मांगी गई थी। अतः यह केवल एक प्रकार का दिग्भ्रम है और देश को वित्त आयोग की सहायता का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। स्वयं वित्त आयोग ने इन कठिनाइयों को अपनी रिपोर्ट में व्यक्त किया है और अपना मत प्रकट करने में कहा है कि जब तक वित्त आयोग और नियोजन आयोग को एक ही क्षेत्र में काम करना है तब तक सफलता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों के कार्यों में उचित समन्वय स्थापित हो।

भारतीय कर प्रणाली और उसके मुख्य अंग

अध्याय १४

भारतीय कर प्रणाली
(The Indian Tax System)

पिछले अध्याय में हमने भारत में मधीय वित्त व्यवस्था के इतिहास पर एक दृष्टिपात की थी। अब हम भारतीय कर प्रणाली को मुख्य विशेषताओं और मुख्य-मुख्य करों का अध्ययन करें। इसमें पूर्व में कि हम भारत में केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मुख्य-मुख्य करों की व्याख्या करें हम भारतीय कर प्रणाली के दोषों तथा कर प्रणाली को सुधारने के लिए समय-समय पर दिए गए प्रस्तावों की विवेचना करेंगे। इस अध्याय की यही विषय सामग्री है।

भारतीय कर प्रणाली की विशेषतायें अथवा दोष—भारत एक अर्ध-विकसित देश है। हमने अपना विकास कार्यक्रम आरम्भ कर दिया है और आज आठ वर्ष हो चुके हैं। पहली योजना में तो आय के साधनों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जा सकता था। इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रथम, पहली योजना में व्यय राशि बहुत अधिक निश्चित नहीं की गई थी, इसलिए कोई चिन्ता नहीं थी। स्वतन्त्रता के तुरन्त बाद ही साम्यवादी तथा पूंजीवादी दोनों ही क्षेत्रों को सितुलत केन्द्र बनाना चाहते थे। स्वयं भारत की भी अपनी नीति ऐसी ही है। ऐनिया या नेता होने के नाते भारत दोनों ही क्षेत्रों का मित्र बनकर रहना चाहता है। अतः हर देश उसको नियोजन कार्य में अपना सहयोग देना चाहता था और इसीलिए उसे आशा से भी अधिक विदेशी सहायता प्राप्त हुई। दूसरे भारत के स्वयं अपने साधन भी बहुत थे। उनके पीड़ित होने का अर्थ है, इसलिए विदेशी मुद्रा की उसे कोई चिन्ता थी नहीं। युद्ध काल में प्राप्त विदेशी मुद्रा के पास एकत्रित थे और कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों में मूल्य वृद्धि के कारण लाभ का अर्थ निरन्तर बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए सरकार को देश के भीतर से ही करो, अल्प-

बचता तथा ऋणों द्वारा वाफ़ी धन प्राप्त होने की आशा थी। हुमा भी यही, सरकार को ऋण तथा अन्य स्रोतों से आना से भी अधिक धन प्राप्त हुआ। तीसरे, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विश्व बैंक तथा मुद्रा कोष की स्थापना और उनकी मददस्यता प्राप्त कर लेने के बाद भारत को यह आना हो ही गई थी कि विश्व बैंक से धन के आंतरिक विकास के लिए और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में व्यापार गंतुनन की असमताय दूर करने में सहायता प्राप्त हो ही जायगी। अन्तिम एक सत्रस अधिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत को उस समय तक आर्थिक नियोजन की आर्थिक कठिनाइया का स्पष्ट ज्ञान भी नहीं था। नियोजन आयोग ने अधिकतर सैद्धांतिक बातों के आधार पर और विभिन्न धारणाओं पर ही अपना कार्यक्रम आधारित किया था। उस समय हर दिशा में स्फूर्ति तथा आशावादी दृष्टिकोण था और व्यक्ति नियोजन का कर्ता की आशा समझे हुए थे उन्हें मुलाय क बाटा का ज्ञान नहीं था। यही कारण है कि दूसरी योजना में सरकार ने वाफ़ी सावधानी बरती है फिर भी योजना अत्यन्त आशावादी है। दूसरी योजना को सफल बनाने के लिए सरकार को धन चाहिये किन्तु वह आवश्यक मात्रा में प्राप्त नहीं हो पा रहा है। पिछली योजना की अपेक्षा यह योजना अधिक विज्ञान है। कदाचित् पहली योजना की सफलताया से फूलकर ही नियोजन आयोग ने इतना आशावादी दृष्टिकोण अपनाया होगा। हम आन्तरिक ऋण प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। अल्प बचत में प्राप्त होने वाली राशि प्रतिवर्ष कम होती जा रही है। करानेयों से भी आशावादी आर्थिक प्राप्त नहीं हो रहा है और विदेशी सहायता में पहल ही कगी हो गई है। इसलिए अब केवल अनिवाय बचत प्राप्त करनी होगी अर्थात् करानेयों को ही अपनाया होगा। किन्तु करानेयों में बढि कराने के लिए कर प्रणाली में उचित मसोधन कराने होगा और आर्थिक विकास में तथा के अनुकूल कर प्रणाली को बनाना होगा। हमारी बतमान कर प्रणाली का जो अर्थ है उमम विकास कार्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक धन प्राप्त होने की आशा करना निरर्थक होगा। भारतीय कर प्रणाली में इस समय निम्न दोष हैं—

(१) भारतीय कर प्रणाली बहुत ही छिन्नी विमर्ग है अर्थात् इसका विकास संज्ञानित दृष्टिकोण से नहीं हो पाया है। भारत की अंगी स्थिति है उत्तम कर प्रणाली का आव प्रदान करने वाली भा हानों चाहिये और सामाजिक असमानताया का दूर करने वाली भी होनी चाहिये। किन्तु हमारी कर प्रणाली में यह दोनों गुण ही अनुपस्थित हैं। वर्तमान प्रणाली का जन्म एवं विस्तार केवल समय समय पर उत्पन्न होने वाली आर्थिक कठिनाइया को दूर करने के उद्देश्य से किया जाना रहा है विशेष रूप से बजट को संतुलित करने के उद्देश्य से। विभिन्न करा के भार एवं उत्पादन और उपभोग पर पड़ने वाले प्रभावों को और कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। यही कारण है कि विभिन्न करा में न तो समन्वय ही है और न वे एक दूसरे के सहायक ही हैं। वास्तव में हमारी कर प्रणाली का अभ्युदय तथा विस्तार प्राचीन विचारधारा के अनुसार हुआ है। अब हमारा मुख्य काम यह है कि इसका त्वीन विचारधारा के अनुकूल बनाना है।

✓(२) हमारी कर प्रणाली की दूसरी विशेषता यह है कि इससे प्राप्त होने वाली आय देश की वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत कम है और विकास के लक्ष्यों के लिये अपर्याप्त है। साथ ही वर्तमान कर बेलोच भी है। यही कारण है कि गत वर्षों में जब हमारा व्यय शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि सामाजिक सेवाओं तथा विकास कार्यों पर बढ़ता रहा है सरकार अपनी आय में पर्याप्त वृद्धि करने में असमर्थ रही है।

✓(३) भारतीय कर प्रणाली का तीसरा दोष यह है कि, यहाँ पर करारोपण से प्राप्त कुल आय में प्रत्यक्ष करों का भाग अधिक नहीं है, अर्थात् अप्रत्यक्ष करों से अधिकतर आय प्राप्त होती है। विकसित देशों में स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत है। सन् १९३८-३९ में केन्द्रीय सरकार तथा 'अ' राज्यों की आय में प्रत्यक्ष करों में केवल १२% प्राप्त होता था, सन् १९४४-४५ में यह प्रतिशत ४५ हो गया और सन् १९५३-५४ में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारों की करारोपण से प्राप्त कुल आय में यह प्रतिशत केवल २४ था। इसके विपरीत इंग्लैण्ड में यह प्रतिशत ५५ था, कनाडा में ६१ से अधिक, न्यूजीलैण्ड में ६५, जापान में ७०, समुक्त राज्य अमेरिका में ८८, लका में ४०, पाकिस्तान में २४ और अर्ध-विकसित देशों में २० से भी कम था।^१

✓(४) हमारी कर प्रणाली का चरित्र प्रतिगामी है। इसमें न्यायशीलता का पूर्ण अभाव है। इसका भार निर्धन और निम्न आय वाले लोगों पर अधिक होना है। यदि हम व्यक्तिगत करों को लें तो ज्ञात होगा कि आय-कर, सम्पत्ति-कर, व्यय-कर, उपहार-कर, मृत्यु-कर और पूजाकर को छोड़कर शेष जितने भी कर हैं, वे सभी प्रतिगामी हैं। प्रो० के० टी० गाड के शब्दों में, 'धनी वर्गों पर अपेक्षाकृत बहुत कम कर भार है, यद्यपि उनकी कर भार सहन करने की शक्ति बहुत अधिक है जबकि निर्धन व्यक्तियों को कर भार में शेर का भाग सहन करना पड़ता है, यद्यपि उनकी भार सहन करने की शक्ति गेट के बच्चे से भी कम है।'

✓(५) नियोजन आयोग के अनुसार हमारे कर प्रणाली का एक दोष यह भी है कि यह केवल बहुत थोड़े से व्यक्तियों को ही प्रभावित करती है, अर्थात् जनतरया की दृष्टि से बहुत थोड़े से ही व्यक्तियों को कर का भुगतान करना पड़ता है। उदाहरणार्थ, प्रत्यक्ष कर देश की कार्यशील शक्ति (working force) के केवल ३% को ही छूते हैं।

✓(६) कुछ लोगों के अनुसार भारत में करों द्वारा प्राप्त आय कुल राष्ट्रीय आय का केवल ७ प्रतिशत है जब कि इंग्लैण्ड में ३५, आस्ट्रेलिया में २२, समुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान में २३, कनाडा में १९, लका में २०, मिस्र में १६, न्यूवा में १५, चिली में १४ तथा ब्राजील में १४ प्रतिशत है। अतः इस से स्पष्ट है कि यहाँ पर जितने कर लगने चाहिये उतने नहीं लगे हुए हैं और कर बढ़ाने की अभी बहुत गुंजायश है।

दिया जायेगा उम समय तक यह विकास सम्बन्धी आर्थिक नियोजन के योग्य नहीं बन पायेगी। इसीलिए अप्रैल सन् १९५२ में श्री जॉन मथाई की अध्यक्षता में कर जांच आयोग नियुक्त किया गया।

कर जांच आयोग की सिफारिशें—कर जांच आयोग, निम्न समस्याओं का निरीक्षण करने के लिये नियुक्त किया गया था—

(अ) भारत में कर प्रणाली का भार। (ब) देश के विकास कार्यक्रमों के लिये आवश्यक वित्त जुटाने तथा आय एवं धन की असमानताओं को कम करने के उद्देश्य से कर प्रणाली का औचित्य। (स) पूँजी निर्माण तथा उत्पादक उपक्रम पर आयकर के प्रभाव, और (द) मुद्रा सकुचन तथा मुद्रा स्फीति को रोकने में करारोपण का उपयोग। आयोग की रिपोर्ट फरवरी सन् १९५५ में प्रकाशित हुई थी जो तीन पुस्तकों में विभाजित की गई थी—प्रथम पुस्तक में भारतीय कर प्रणाली के सम्बन्ध में सामान्य सिफारिशें थीं, दूसरी पुस्तक में केन्द्रीय करारोपण और तीसरी पुस्तक में राज्यों तथा स्थानीय सत्थाओं की सरकारों के करों से सम्बन्धित सिफारिशें थीं।

आयोग का विचार था कि यद्यपि युद्ध के पहले ही से सरकार की आय में वृद्धि होनी आरम्भ हो गई थी, किन्तु यह वृद्धि केवल मुद्रा स्फीति के कारण थी। यद्यपि करारोपण से प्राप्त कुल आय, राष्ट्रीय आय की ७% ही बनी आ रही है, किन्तु यदि लडाई से पहले के वर्षों में कर आय और राष्ट्रीय आय सम्बन्धी अंकड़ों को प्राप्त करके अध्ययन किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि पहले की अपेक्षा इस अनुपात में बहुत कमी हो गई है। किन्तु कठिनाई यह है कि विश्वसनीय अंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसलिये इस निष्कर्ष की पुष्टि करना कठिन है। यद्यपि आयोग ने राष्ट्रीय आय में करारोपण के अनुपात के सम्बन्ध में यह नहीं बताया कि यह कितना होना चाहिये? किन्तु आयोग ने उन देशों के उदाहरण अवश्य दिए हैं जहाँ पर यह अनुपात बहुत ऊँचा है और ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग को शरम कोई आपत्ति नहीं होगी यदि यह अनुपात ६३% से १०३% हो जाये। यद्यपि भारत की कुल कर आय में प्रत्यक्ष करों का प्रतिशत सन् १९३८-३९ में १२ से १९४४-४५ में ४५ हो गया था, किन्तु सन् १९५३-५४ में फिर घट कर २४ रह गया। उन वर्ष वस्तु करों तथा ऐसे करों से, जिनका भार मुख्यतया घरेलू उपभोग पर पड़ता है, प्राप्त आय कुल कर आय में लगभग ४५% थी। राज्य सरकारों द्वारा विक्री कर लागू होने तथा केन्द्रीय उत्पादन करों में वृद्धि होने से भारतीय कर ढाँचे में अप्रत्यक्ष करों का प्रमुख स्थान हो गया है।

भूतकाल में भारतीय कर प्रणाली का एक बहुत गम्भीर दोष यह था कि राज्यों की आय बहुत अपर्याप्त और बेलाच थी। किन्तु जब से राज्य सरकारों को केन्द्रीय आय में से एक बड़ा भाग प्राप्त होने लगा है और केन्द्र से काफी अनुदान प्राप्त होने लगे हैं, केन्द्रीय सरकार की आय में उनकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। इसलिए अब राजकीय वित्त के समुचित अध्ययन की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। यह ध्यान रहे कि इन परिवर्तनों के कारण राज्यों की आय पहले की अपेक्षा अधिक

लोचपूण और पभापन ही गई है। किन्तु यह बात स्थानीय सरकारों व विषय में सच नहीं है। स्थानीय वित्त की प्रमुख विशेषता यह है कि उनकी प्रगति बहुत धीमी हो रही है और जबकि नगरपालिकाया तथा नगर कॉर्पोरेशनों की आय के मुख्य स्रोत सम्पत्ति कर और मीमा कर और चुगी कर हैं जिला बोर्डों की आय का मुख्य स्रोत भूमि उपकर (cess) है। इसी कारण स्थानीय सरकारों की आय अपर्याप्त और बेरोच है।

आर्थिक नियोजन के कारण अब भारत के राजकीय व्यय में उत्पादक व्यय का भाग अनुत्पादक व्यय की अपेक्षा अधिक हो गया है। सन् १९३८-३९ में सन् १९५३-५४ तक आवेग ने बताया कि केन्द्रीय व्यय में सुरक्षा व्यय ५४% से ४८% रह गया था और नागरिक प्रदानन सम्बन्धी व्यय १३% से १९% रह गया था। आज भी यही स्थिति है कि राजकीय व्यय में गैर विकास सम्बन्धी व्ययों पर व्यय का प्रमुख हाथ है और यदि हम केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कुल व्यय को देखें तो आय सम्बन्धी व्यय (revenue expenditure) में प्रति रुपया गैर विकास व्ययों पर व्यय लगभग १.३ आने सामाजिक सेवाओं पर ३ आने २ पाई और आर्थिक विज्ञान पर ३ आने ४ पाई है। किन्तु यदि हम पूंजीगत व्यय की ओर ध्यान दें तो स्थिति सतोषजनक है। राजकीय व्यय का राष्ट्रीय आय में अनुपात इतना कम है कि हमें यह आशा करना कि आय की अक्षयताम तुरन्त ही कम हो जायेगी संभव होगी। भारत में सभी सरकारों का व्यय सन् १९५३-५४ में कुल ११७० करोड़ था जो कुल राष्ट्रीय आय का ११% था और इसमें सामाजिक कल्याण पर व्यय जान बाचे व्यय का महत्त्व तो बहुत ही कम था।

कर भाग के सम्बन्ध में आयोग का विचार था कि यह नहीं कहा जा सकता कि दूसरे महायुद्ध के आरम्भ से अब तक आय का कोई विशेष स्थानान्तरण शहरों से गाँवों की या गाँवों से शहरों को हुआ है। हाँ इतना अवश्य है कि अपने अपने क्षेत्रों में एक वग से दूसरे वग को यह स्थानान्तरण अवश्य हुआ है। इसके अनिश्चित आयोग का यह भी विचार था कि (अ) यद्यपि शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा लगभग सभी प्रकार की आयों पर कर भार अधिक है किन्तु मध्यम तथा निम्न वग की आयों पर कर भार में इतना अधिक अन्तर नहीं है। (ब) शहरों में गाँवों की अपेक्षा अप्रत्यक्ष कर कुछ अधिक प्रगतिशील है। (ग) गाँवों में शहरों की अपेक्षा ऊँची आयों पर कर लगाने की अभी काफी गुंजायश है। (घ) मालगुजारी का भार अब कोई विशेष नहीं है। (ङ) ग्रामीण क्षेत्र में एक बहुत बड़ा भाग ऐसा है जहाँ मुद्रा का प्रयोग होता है जो करारोपण का सीमाओं की सीतक है और इस बात का सूचक है कि इस क्षेत्र में करारोपण में वृद्धि करने का अभी काफी क्षेत्र बाकी है।

भावी करारोपण नीति के सम्बन्ध में आयोग ने अपने विचार प्रकट करते हुए बताया कि कर प्रणाली का उपयोग धन और आय की अक्षयताओं को दूर करने के लिये किया जाय। इसके लिये उन्होंने प्रत्यक्ष करों को अधिक प्रगतिशील

बनाने और कर लागू करने में अधिक कठोरता लाने की सिफारिश की है। उनका सुभाव है कि सम्पूर्ण कर प्रणाली को ही अधिक गहरा तथा विस्तृत बनाने की आवश्यकता है और इस उद्देश्य से उन्होंने विकास युक्त वस्तुओं की एक बहुत बड़ी सूची पर और अर्ध विकास युक्त वस्तुओं पर अतिरिक्त कर लगाने का प्रस्ताव दिया है और करारोपण के आधार को और अधिक बड़ा बनाने के लिये सामान्य उपभोग की वस्तुओं पर नीची दरों पर कर लागू करने का सुभाव दिया है। आयोग का विचार था कि विकास कार्यों के लिये आवश्यक धन प्राप्त करने के उद्देश्य से सभी प्रकार की आय वाले व्यक्तियों के उपभोग को कम करना आवश्यक है। किन्तु यह सभी ऊँची आय वाले वर्ग के उपभोग में अधिक हो और निम्न आय वाले वर्गों में कम।

आयोग ने अपने निष्कर्ष निकालते हुये बताया कि (अ) उपभोग की वर्तमान असमताओं से अधिको पर बहुत अनैतिक प्रभाव उत्पन्न होता है और अतिरिक्त करारोपण से ऊँची आय वाले व्यक्तियों पर विनियोग निरोधक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिये आयोग का विचार था कि व्यक्तिगत आयों की एक अधिकतम सीमा निर्दिष्ट कर दी जाये, जो करों का भुगतान करने के बाद वर्तमान प्रति परिवार आय की ३० गुनी से अधिक न हो। किन्तु इसको कार्यान्वित करने में धीरे में काम लेना होगा। अतिरिक्त आय इन स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है — (१) आय कर में वृद्धि करके तथा कार्पोरेशन कर में कुछ छोटी सी कमी करके और वस्तुओं तथा विनियोगों को प्रोत्साहित करने के लिये कुछ अतिरिक्त रियायतें करके, (२) उत्पादन करों में वृद्धि करके, (३) गैर कर आय में एक उचित मूल्य निर्धारण नीति द्वारा वृद्धि करके, (४) मालगुजारी पर एक मामूली सा उपकर लगा कर (५) कृषि आयकर की दरों तथा क्षेत्र में वृद्धि करके (६) सम्पत्ति करारोपण के उपयोग को अधिक विस्तृत करके (७) स्थानीय सत्त्वामों द्वारा सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर कर लगा कर और (८) वित्री कर की दरों तथा क्षेत्र में वृद्धि करके।

आय कर के क्षेत्र में आयोग का विचार था कि आय कर और अति कर दोनों ही के नीचे खड़ी में करदाताओं की संख्या बहुत अधिक थी इसलिए कर भार में अधिक समानता उत्पन्न करने के लिए खण्डों की संख्या और बड़ा देना चाहिए और खण्डों की दरों तथा राशियों में उचित संशोधन करने चाहिये। आयोग का प्रस्ताव था कि न्यूनतम कर रहित सीमा को ३ हजार रुपये पर निर्दिष्ट करने के अतिरिक्त निम्न आय वाले वर्गों पर प्रत्यक्ष करारोपण के भार में वृद्धि करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इनके अतिरिक्त आयोग ने आयकर की दरों के सम्बन्ध में और भी बहुत से सुझाव दिए थे जिनका वर्णन हम विस्तार में बाद में चल कर एक अलग अध्याय में करेंगे। आयोग ने कर चोरी की महत्त्वपूर्ण समस्या पर भी अपने विचार प्रकट किये थे और उनके प्रस्ताव थे कि — (१) जगता को यह समझाया जाये कि कर चोरी से ईमानदार करदाता पर पड़ने वाले कर-भार में

वृद्धि हो जाती है। इसलिये उनको कर की चोरी नहीं करना चाहिये (२) विशेष क्षेत्र (Special Circle) सम्बन्धी प्रणाली में इस प्रकार विस्तार किया जाये कि आय कर सम्बन्धी कठिन मुकदमों, जिनको आय कर कमिश्नरों को न करना है, वे खुले हुए अफसरों द्वारा न किये जायें (३) आयकर अफसरों को 'यह शक्ति' होनी चाहिये कि वे कमिश्नरों से आज्ञा प्राप्त करके कर दाताओं के व्यापार सम्बन्धी स्थानों में घुस कर हिसाबों की जांच पड़ताल कर सकें (४) जुमाने की अधिकतम सीमा चोरी की गई राशि की तिगुनी होनी चाहिए। (५) करदाताओं के लिये यह अनिवार्य कर दिया जाये कि वे तीन वर्षों बाद अपने आदेयों तथा दायित्वों का एक ब्यौरा आय कर विभाग को भेजना रहे। (६) कर चोरी सम्बन्धी मामलों को तै करने के लिये आय कर जांच आयोग नियुक्त कर दिया जाय जिसको कुछ विशेष शक्तियाँ दे दी जायें।

इसी प्रकार आयोग ने केन्द्रीय कर प्रणाली में कई प्रकार से उत्पादन करों में वृद्धि करने की सिफारिशें की थी तथा आयान करों में कमी करने के सुझाव दिये थे।¹

राज्य करारोपण के क्षेत्र में आयोग ने बिक्री कर का विस्तार अध्ययन किया था और अपनी सिफारिशें दी थी। आयोग ने मोटरगाड़ियों तथा मोटर रिप्लेट सम्बन्धी करारोपण तथा स्टाम्प कर, मालगुजारी, कृषि आय कर, मनोरंजन कर तथा उपकर पर भी अपने विचार प्रकट किये थे।² इसके अतिरिक्त स्थानीय करारोपण तथा वित्त की समस्याओं का अध्ययन करने के पश्चात्, आयोग ने अपने सुझाव स्थानीय सरकारों को आय के स्रोतों में वृद्धि करने के सम्बन्ध में भी दिये हैं।³

भ्रान्तोचना—आयोग ने आय को बढ़ाने के सम्बन्ध में अपने जो सुझाव दिये थे, उन पर देश के आर्थिक विकास से उत्पन्न होने वाली विभिन्न आवश्यकताओं का बहुत प्रभाव पड़ा था। भारत एक पिछड़ा हुआ देश है और विनियोग में तथा पूंजी निर्माण में वृद्धि करने के लिये बजट के स्रोतों से अधिक आय प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। इसी उद्देश्य में आयोग ने अपने सुझाव दिये थे। इसमें कोई संदेह भी नहीं कि जैसा अनुमान था यदि आयोग की सारी सिफारिशों को कार्यरोपित कर दिया जाता तो तुरन्त ही भारत में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की आय में १०० से १५० करोड़ रुपयों की वृद्धि हो जाती और दीर्घकाल में यह वृद्धि और भी अधिक हो जाने की आशा थी। देश के आर्थिक माधनों का विकास करने के महत्व का कोई भी विरोध नहीं कर सकता। किन्तु भारत जैसे पिछड़े हुए देश में करारोपण द्वारा विकास कार्यों के लिये आवश्यक धन प्राप्त करना सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोणों से अन्यायपूर्ण समझा जाता है। करारोपण की एक सीमा होती है, अर्थात् व्यक्तियों की करदान क्षमता, किन्तु करदान क्षमता की सही परिभाषा देते

1. See Chapters on Central Finances

2. See Chapters on State Finances

3. See Chapter on Local Finance

हुये और यह स्वीकार करते हुये भी कि करदान क्षमता वह सीमा है, "जिसके बाद करारोपण में वृद्धि करने से उत्पादक प्रयत्न और क्षमता दोनों ही गिरने लगते हैं।" उन्होंने भारतवासियों की करदान क्षमता की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया है, जो आयोग की सिफारिशों का सबसे बड़ा दोष है।⁴ इसके अतिरिक्त आयोग का यह विचार कि उपभोग में कमी होने से जो बचतें होंगी उनसे विनियोगों में वृद्धि होगी, अमूर्ण था। वास्तव में यह पुराने लेखकों के विचारों से तो उपयुक्त था किन्तु कीन्स आदि नये विचारकों ने अब सिद्ध कर दिया है कि बिना उपभोग बढ़े विनियोगों में वृद्धि हो ही नहीं सकती। इस दिशा में भी आयोग ने बहुत बड़ी त्रुटि की थी। कुछ लोग यह पूछ सकते हैं कि फिर आर्थिक विकास के लिये सरकार को आवश्यक पूंजी कहाँ से प्राप्त होगी? कीन्स ने यह सिद्ध कर दिया है कि सस्ती मुद्रा नीति स्वयं अपने लिये आवश्यक बचतें प्राप्त कर लेती है (कीन्स का गुणक सिद्धान्त)।⁵ इसके अतिरिक्त आयोग ने एक और बड़ी हास्यप्रद बात कही है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि विनियोगों से जो वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा, यदि उपभोग कम कर दिया गया, तो उसकी क्षमता कैसे होगी? यद्यपि आयोग ने चैतावनी दी है कि व्यक्तियों की उपक्रम शक्ति तथा काम करने की इच्छा में किसी प्रकार भी कमी न आने पाये, किन्तु उन्होंने अपने ही करारोपण सम्बन्धी प्रस्तावों से अपने ही विचारों को काट दिया है। उनका यह सुझाव कि मालिक अपने नौकर को जो लाभ पहुँचाये, उस को भी आय कर क्षेत्र में सम्मिलित कर लेना चाहिये, और अनिवार्य बचत योजना में अतिकर लागू करना इत्यादि लोगों में काम करने की जिज्ञासा एवं दिलचस्पी को समाप्त नहीं करेगा तो क्या उसको बढ़ावेगा?

इस प्रकार स्पष्ट है कि आयोग ने अपनी सिफारिशों द्वारा एक रुढ़िवादी तथा प्रतिगामी करारोपण प्रणाली पुनः स्थापित करने की चेष्टा की है। आयोग ने जो विकास कटौती (Development Rebate) और 'कर छुट्टी' (tax holiday) की सिफारिशें दी हैं उनमें निजी उपक्रम को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। इसी प्रकार आय कर में थोड़ी सी रियायत देने में भी निजी उपक्रम प्रोत्साहित होगा। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि विकास काल में होने वाले हीनार्थ प्रवन्धन के आकार के सम्बन्ध में आयोग के विचार बहुत ही अनिश्चित एवं अस्पष्ट थे। ऐसा होना संभव है क्योंकि आयोग दूसरी योजना की प्रकृति एवं आकार से पूर्णतया अनभिज्ञ था। आयोग का यह कथन कि अल्प काल में थोड़ा सा हीनार्थ प्रवन्धन का पक्ष लिया जा सकता है, दूसरी योजना में जो नीति निर्मित की गई है, उसके पूर्णतया विरुद्ध है, क्योंकि दूसरी योजना में तो हीनार्थ प्रवन्धन को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। फिर भी आयोग की सिफारिशों विकास सम्बन्धी वित्त व्यवस्था के लिये बहुमूल्य रत्न हैं। "आयोग के प्रस्ताव समानता दृष्टिकोण (equality approach), प्रोत्साहन दृष्टिकोण (incentive approach) और विकास दृष्टिकोण (development

4. See Chapter on 'Taxable Capacity'.

5. See Chapter on 'Fiscal Policy and Full Employment'.

approach) पर आधारित है, जो उचित दिशा में है, यद्यपि इनसे उत्पन्न होने वाली नीति में आवश्यकता अनुसार समय पर परिवर्तन किए जा सकते हैं।¹⁶ यदि इन विफारिशों को छोड़ें तो सशोधनों के साथ कार्यान्वित किया जाये तो हमारी विकास सम्बन्धी वित्तीय वांछनाएँ बहुत कुछ दूर हो जायेंगी।

प्रो० कलडोर के कर सुधार सम्बन्धी प्रस्ताव—जनवरी सन् १९५६ में भारत के वित्त मन्त्रालय ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रो० निकोलस कलडोर को भारतीय कर प्रणाली में दूसरी पञ्चवर्षीय योजना की वित्तीय आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक सुधार सम्बन्धी प्रस्ताव देने के लिए नियुक्त किया था। कर जांच आयोग ने विकास सम्बन्धी नियोजन की सामान्य आवश्यकताओं की दृष्टि में रखकर अपने प्रस्ताव रखे थे, किन्तु क्योंकि दूसरी योजना विशालकाय थी और उसके लिए एक बहुत बड़ी मात्रा में पूँजी चाहिए थी इसलिए यह आवश्यक था कि करारोपण सम्बन्धी नव श्रावण पता किये जाय और पुनः व्याता में इन प्रकार सुधार किये जायें कि दूसरी योजना की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। कलडोर ने करारोपण के हर क्षेत्र में अपने प्रस्ताव नहीं दिये हैं केवल प्रत्यक्ष करारोपण पर ही अपनी दृष्टि केन्द्रित की थी और अनेकों आवश्यक परिवर्तनों की विफारिश की थी। कलडोर रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रत्यक्ष करारोपण की वर्तमान प्रणाली अनुदान और सहायपूर्ण, दोनों ही हैं। यह अत्यन्तपूर्ण इसलिए है कि करारोपण आय का आधार, जैसा वैधानिक दृष्टि से परिभाषित किया जाता है, कर दान क्षमता के एक माप के रूप में दोषपूर्ण और पक्षपाती है और करदाताओं के कुछ विशेष वर्गों द्वारा उसमें अपने हित के लिये फल बटल हो सकती है। क्योंकि करदाताओं द्वारा दी गई सूचना बहुत सीमित होती है, इसलिए यह अकुशल है, और सम्पत्ति सम्बन्धी गोपनीयता तथा आय के सम्बन्ध में एक विस्तृत सूचना प्रणाली के अभाव के कारण, या तो छुपाकर या लालची और सम्पत्ति आय की वसूली कर एक बड़ी मात्रा में कर की चोरी करना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है।¹⁷ इन विषयों के आधार पर और हमारी कर प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए कलडोर ने निम्न सुझाव दिये थे —

(१) कलडोर का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रत्यक्ष करारोपण के आधार की चौड़ा करना था, जिसकी पूर्ति के लिए उमने सम्पत्ति पर एक वार्षिक कर, पूँजी लाभ कर, सामान्य उपहार कर और एक व्यक्तिगत व्यय कर (जो प्रशतया उस शक्ति की पूर्ति करेगा जो आय कर पर लगा हुआ प्रति कर हुआ देने के कारण होगी) लागू करने के प्रस्ताव दिये थे। पाँच करोड़—आय कर और ऊपर वत, मध्य चार करोड़ का निर्धारण, एक विस्तृत हिसाब किताब लेखों के आधार पर, एक साथ किया जाना चाहिए किन्तु आयकर की अधिकतम दर ४५% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(२) कलडोर ने व्यक्तिगत आय पर करारोपण के क्षेत्र में काफी विस्तृत सुधार करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने व्यक्तिगत व्यय पर प्रगतिशील कर लागू

करने का प्रस्ताव दिया है। यह कर २५% से आरम्भ होकर धीरे-धीरे ३००% तक बढ़ता जायेगा। इसके अतिरिक्त पूँजी लाभों को उन्हीने करारोपित आय में सम्मिलित कर लिया है। शुद्ध सम्पत्ति या धन पर एक वार्षिक कर, जिसकी दर ५% से १३% तक होगी और उपहारों तथा उत्तराधिकार पर कर लगाने के प्रस्ताव दिये हैं। साथ-साथ उन्हीने आय कर की अधिकतम दरों को केवल ७ आने प्रति रुपया पर निर्धारित करने की सिफारिश की है ताकि उपर्युक्त करों में होने वाली क्षति दूर हो जाये। व्यापार करारोपण के क्षेत्र में भी उन्हीने काफी परिवर्तनों के लिये सुझाव दिये हैं। उनका प्रस्ताव था कि कम्पनियों के वितरित एवं अवितरित, सभी प्रकार के लाभों पर, बिना लीटायें जाने वाले, ७ आने प्रति रुपया की समान दर में कर लागू होने चाहिये और व्यापार पर लगे हुए अन्य प्रत्यक्ष करों को हटा दिया जाये। यदि यह परिवर्तन कार्यान्वित कर दिये गये तो सन् १९५४-५५ के आधार पर वार्षिक आय में ६० से १०० करोड़ रुपये तक वार्षिक वृद्धि हो जायेगी।

(३) अति प्रतिगामी आयकर से नगम करने, बचत तथा विनियोग करने की इच्छा एवं शक्ति पर जो बुरा प्रभाव पड़ेगा उसको एक व्यक्तिगत व्यय कर और धन पर वार्षिक कर दूर करेंगे। इस प्रकार व्यय तथा धन पर केवल अधिक आय प्रदान करने में ही सफल नहीं होंगे, वरन् अति प्रतिगामी आयकर से बचत, विनियोग तथा काम करने की इच्छा एवं शक्ति को हतोत्साहित करने वाले प्रभावों को भी दूर करेंगे।

(४) कर की चोरी को रोकने के लिये प्रो० कलडौर का प्रस्ताव है कि ५०,००० रुपयों से अधिक व्यापारिक आयवा भी, और १ लाख रुपयों से अधिक की व्यक्तिगत आयों की अनिवार्य जांच पड़ताल होनी चाहिये। इस प्रकार कर चोरी को रोकने से दूसरी योजना के लिये अधिक धन प्राप्त हो सकेगा।

प्रो० कलडौर के कर सुधार सम्बन्धी प्रस्तावों का सावधानी में अध्ययन करने से यह ज्ञात हो जाता है कि उनका उद्देश्य एक ऐसी कर प्रणाली का निर्माण करना था जिससे बचतों को प्रोत्साहन मिले और साथ ही कर सम्बन्धी असमानताओं को बढ़ावा न मिले तथा उन व्यक्तियों पर कर का भार अधिक पड़े जो बड़ी बड़ी सम्पत्तियों के मालिक हैं। किन्तु यह ध्यान रहे कि १३% की दर से वार्षिक धन कर ८०% की अधिकतम दर का उपहार कर तथा मृत्यु कर सब मिलकर सम्पत्ति वाले व्यक्तियों की गर्दन ही तोड़ देंगे और उनकी विनियोग करने की इच्छा को पूर्णतया नष्ट कर देंगे। यह भी क्या ठीक है कि आयकर की अधिकतम दरों को ७ आने प्रति रुपया पर गिराने में उस क्षति की पूर्ति हो जायेगी। किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि हमारी कर प्रणाली में पूँजी लाभ कर और उपहार कर के लिये कोई स्थान नहीं है। एक बड़ती हुई अर्थ-व्यवस्था में दिन प्रतिदिन पूँजीगत वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि होगी, इसलिये पूँजी लाभ कर के अभाव में हमारा प्रत्यक्ष करारोपण का ढाँचा पूर्णरूप से प्रतिगामी हो जायेगा। भारत में मुद्रा स्फीतिक प्रवृत्तियों के कारण अधिकतर मूल्योपति पूँजीगत वस्तुओं में ही विनियोग करेंगे और उनका क्रय विक्रय करके लाभ

कमायेंगे। यदि इन लाभों को कर द्वारा उनकी जेबा से निकाल नहीं लिया जायेगा तो उनके पास अतिरिक्त कर्म व्यक्त रहने से मुद्रा स्फीति को और भी प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अतिरिक्त आय की असमानतायें भी और अधिक हो जायेंगी। इस प्रकार पूँजी लाभ कर से हमको वास्तविक लाभ होने की आशा है, विशेष कर वर्तमान मुद्रा स्फीतिक परिस्थितियों में तो यह अत्यन्त लाभप्रद सिद्ध होगा। इसी प्रकार मूल्य कर से सम्बन्धित कर चोरी को रोकने के विषये उपहार कर भी नितान्त आवश्यक है। जहाँ तक व्यापारिक करारोपण का सम्बन्ध है, कलडोर के प्रस्तावों को कार्यरूपित करने से निजी विनियोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, इसके साथ-साथ कुछ कर सम्बन्धी कटौतियाँ भी बरनी हागी, कर छूटें तथा कर सम्बन्धी छुट्टियाँ भी देनी होंगी, कुछ भिसाई सम्बन्धी छूटें देनी हागी तथा इसी प्रकार के अन्य उपाय करने आवश्यक होंगे।

प्रथम योजना काल में बजटों की मुख्य प्रवृत्तियाँ— प्रथम योजना बहुत सीधी साधी और कम जटिल थी तथा उसका प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय स्थायित्व बनाये रखना था। इस कारण उसको कार्यरूपित करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई। पहली योजना काल में जो बजट प्रस्तुत किये गये थे वे बहुत ही सीधे साधे थे और इनमें राजकीय विनियोग सम्बन्धी नीति में करारोपण को उचित महत्त्व प्रदान नहीं किया गया था। इन बजटों में केन्द्रीय उत्पादन करों और निर्यात करों में कुछ मामूली उलट फेर होती रही थी तथा कुछ घातियों को लागू किया गया था और इधर उधर कुछ कर सम्बन्धी रियायतें की गई थी। इन सबका परिणाम यह हुआ कि योजना के अन्तिम वर्ष में सरकार राष्ट्रीय आय के ८% भाग को करों के रूप में एकत्रित कर लेने में ही सतुष्ट थी। योजना काल में भारतीय कर प्रणाली के संयुक्तिकरण की ओर कोई गम्भीर प्रयत्न नहीं किये गये और परिणामस्वरूप करारोपण और धार्मिक नियोजन में सामंजस्य स्थापित करना कठिन हो गया। इन बजटों का निर्माण अधिकतर परम्परावादी विचारों के आधार पर हुआ था और इसलिये इनमें उस निश्चिन्ता तथा उस विचारशीलता का अभाव था जो विकास सम्बन्धी नियोजन काल में बजट बनाने के लिये आवश्यक है। अतिरिक्त करारोपण से जो आय प्राप्त हुई थी उससे केवल गैर विनियोग सम्बन्धी कार्यक्रमों को ही पूरा किया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि सरकारी क्षेत्र में जितने भी विनियोग किये गए उन सबकी व्यवस्था बजट के घाटों द्वारा की गई और इन घाटों का स्तर इतना जँचा था कि योजना बनाने समय इसका विचार करना भी असम्भव था। परन्तु बजट के घाटा तथा मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने से जो मुद्रा स्फीति उत्पन्न हुई थी उसको अच्छी फसलों के हो जाने से प्रामाण्य से टाला जा सका था। इसीलिये चालू उपभोग को कम करने के लिये नये प्रकार के करों को लागू करने की आवश्यकता अनुभव नहीं हुई। अतः प्रथम योजना काल में जो बजट प्रस्तुत किये गये उनमें निश्चितता तथा साहज का अभाव था और उनकी अनावट समर्पित भी न थी, जो केन्द्रीय नियोजन की अवधि में तीव्र प्रगति के लिये

आवश्यक है तथा विकास सम्बन्धी वित्तीय व्यवस्था के आधार स्तम्भ माने जाते हैं।

दूसरी योजनाकाल म बजट— योजना के प्रथम वर्ष में धार्मिक रियलि के सम्बन्ध में अधिक निश्चित तथा सतुष्ट होने के कारण सरकार ने सीधा साधा परम्परागत बजट प्रस्तुत किया। आय में वृद्धि करने के लिये मौल के बने हुए कपडे पर उत्पादन कर में वृद्धि कर दी गई, पूजी लाभ कर लागू किया गया। फिर भी २४० करोड रुपयो का घाटा बजट मे था। योजना का दूसरा वर्ष आरम्भ होते ही कठिनाइयाँ आरम्भ होने लगी और अर्थ व्यवस्था पर भिन्न भिन्न प्रकार के दबाव भिन्न भिन्न दिशाओं म पडने लगे जिनका मुख्य कारण विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की कमी थी। विकास कार्यक्रम की तीव्र गति से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के बीच श्री कृष्णामाचारी ने बजट प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री के सामने दूसरी योजना के वित्तीय साधन की कमी को पूरा करने की विषम समस्या थी। इसीलिये उन्होंने पुराने सिद्धान्तों को त्याग कर करारोपण के क्षेत्र में उपभोग को कम करने तथा व्यक्तियों की जेबों से ऋय शक्ति को निकालने के लिये अत्यधिक कड़े उपाय अपनाया। थोक मूल्यों का मूनक अक जो सन् १९५५ म ३४१ था वह मार्च सन् १९५७ मे ४२० के लगभग हो गया था। इससे स्पष्ट होता है कि देश मे मुद्रा स्फीतिक प्रवृत्तियाँ काफी प्रबल थीं। सन् १९५७ मे जो अन्तरिम (Interim) बजट प्रस्तुत किया गया था उसमे ३६५ करोड रुपयो का घाटा था और मई सन् १९५७ मे जो नई निर्वाचित ससद के सम्मुख दूसरा बजट प्रस्तुत किया गया उसमें नये कर प्रस्तावों से घाट को ६० करोड रुपयो से कम करके केवल २७५ करोड रुपये कर दिया था। बजट म सामान्य रूप से सभी वर्गों पर काफी कर दबाव डाला गया था और कर प्रस्ताव बहुत कड़े थे। किन्तु इसके अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। इस बजट म शकर, बनस्पति तेल, मोटर स्ट्रिट, सीमेंट, तम्बाकू, दियासलाई, वागज और डिडिल तेल पर उत्पादन कर बढ़ा दिये गये थे। इसके अतिरिक्त घन तथा व्यय करा को भी लागू किया गया था जो भारत के लिये बिल्कुल नये थे। यद्यपि नये करों को लागू करके श्री कृष्णामाचारी ने विकास सम्बन्धी कार्यों के लिये आवश्यक घन एकत्रित करने के लिये उपाय निकाल लिये थे, किन्तु इन्होंने घन तथा व्यय कर लागू करते समय कलडोर के प्रस्तावों की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया था। कलडोर का प्रस्ताव था कि आय कर की अधिकतम सीमा ४५% कर दी जाये। श्री कृष्णामाचारी ने कलडोर के प्रस्तावों में से घन तथा व्यय करों को लागू करने का प्रस्ताव तो अपना लिया किन्तु आय कर को केवल ६२% से घटा कर, बिना कमाई हुई आय पर ८४% और कमाई हुई आय पर ७७% ही किया, जबकि कलडोर का प्रस्ताव दोनों प्रकार के करों की दर अधिक से अधिक ४५% निश्चय करने का था।

कलडोर के प्रस्तावों के विपरीत अतिरिक्त करारोपण म अप्रत्यक्ष करारोपण को अधिक महत्व दिया गया था। यह ध्यान देने योग्य बात है कि कलडोर योजना के अनुसार अप्रत्यक्ष करारोपण मे दूसरी योजना मे अतिरिक्त कर आय

का केवल २०% भाग ही एकत्रित होना था किन्तु बजट में अतिरिक्त कर आय का ७० से भी अधिक प्रतिशत भाग अपत्यक्ष करारोपण से एकत्रित करने का प्रस्ताव रखा गया था। सन् १९१७-१८ के बजट में भी उत्पादन करों को उठाना ही महत्व प्रदान किया गया था जितना पिछले वर्गों में किया जा रहा था। वदाचि इसलिध कि ऐसे करों से अल्प काल में अच्छी आय प्राप्त होती है और उपभोग में भी कमी हो जाती है। यद्यपि इस वर्ष से पहले रेलों का बजट अलग हुआ करता था किन्तु इस वर्ष वित्त मन्त्री ने परम्परा को तोड़कर रेलों के किरायों में स्वयं वृद्धि की। यह वृद्धि १५ मील से ३० मील तक के फासलों के किरायों पर ५% थी। ३१ मील से ५०० मील तक के फासलों पर १५% थी और इससे अधिक लम्बे फासलों पर १०% थी। वित्त मन्त्री की यह क्रिया बड़ी ही अजीब थी और सबसे अजीब तो यह बात थी कि उन्होंने रेलों के किरायों में वृद्धि द्वारा प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय में से ८ करोड़ रुपये राज्यों में विभाजित कर दिए थे। इससे अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण पदन उनके इस कार्य से उत्पन्न होता है कि भविष्य में वाणिज्यिक सेवाओं का सञ्चालन एवं व्यवस्था करने असानी रूप में हो जावेगी या उनका उपयोग करारोपण के एक अस्त्र के रूप में किया जायगा।

श्री कुष्णामाचारी ने अपने बजट में करारोपण तथा आय वृद्धि के सम्बन्ध में जो अन्य प्रस्ताव रखे उनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं —

(अ) आय कर के आधार को अधिक विस्तृत बनाने के लिये न्यूनतम कर रहित सीमा को ४२४० रुपये से घटा कर ३००० रुपये कर दिया। (ब) कम्पनियों की आय पर कर की दर को ४ आत प्रति रुपया से बढ़ा कर ३०% कर दिया गया और कार्पोरेशन कर को २ $\frac{३}{४}$ आत प्रति रुपया से बढ़ा कर २०% कर दिया। (स) अन्तर्देशीय पत्रों तथा तारों के मूल्यों में वृद्धि कर दी। (द) बोलिंग निरालिया पर कर की दर को १० $\frac{३}{४}$ % में बढ़ा कर ३० $\frac{१}{४}$ % कर दिया। यद्यपि बजट प्रस्ताव अत्यन्त कठोर थे किन्तु योजना को बचाने के लिए इस प्रकार के उपाय अनिवार्य थे।

सन् १९१८-१९ में प० नहरू ने अपना बजट प्रस्तुत किया जिनका विचार था कि नये करारोपण के लिए नए प्रस्तावों की कोई अधिक गुंजायश नहीं थी और यह कुछ असंभव ठीक भी था क्योंकि मुख्य तथ्य तो पिछले वर्ष श्री कुष्णामाचारी ने कर ही दिया था। नहरू जी ने उपहार कर एक नया कर लागू किया। यद्यपि बल्लभर का प्रस्ताव उपहार कर को मृत्यु कर के स्थान पर लगाना था किन्तु नये उपहार कर का उद्देश्य इस समय केवल मृत्यु कर की बोरी का रोकना था। यह बात इसमें भी स्पष्ट हो जाती है कि नये उपहार कर की दरें भी मृत्यु कर की दरों के समान हैं और केवल सरकारी कम्पनियों को कर मुक्त रखा गया है। साथ ही साथ मृत्यु कर की न्यूनतम कर रहित सीमा को एक लाख रुपये से घटा कर ५०००० रुपये कर दिया गया है और मृत्यु कर की दरों में उचित संशोधन भी कर दिए गये। ऐसा करने में अब मृत्यु कर का क्षेत्र पहले की अपेक्षा अधिक विस्तृत हो गया था। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष करारोपण के क्षेत्र में भी और दित्तव्य प्रस्ताव रखे गये

थे। प्रथम, कम्पनियों के अत्यधिक लाभ कर में कुछ रियायते प्रदान करी गई थी तथा जहाजी कम्पनियों की विकास छूट की दर २५ प्रतिशत से बढ़ा कर ४० प्रतिशत कर दी गई थी। अत्यल्प करारोपण के क्षेत्र में सीमेंट पर उत्पादन कर की दर को २० रुपये प्रति टन से बढ़ा कर २४ रुपये प्रति टन कर दिया गया था। साथ ही साथ राजकीय व्यापार प्रमंडल द्वारा लगाये जाने वाले अति कर को हटा दिया गया था और इस प्रकार सीमेंट के मूल्यों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुए थे। सीमेंट पर उत्पादन कर की वृद्धि से जो अतिरिक्त आय प्राप्त होगी उसको एक विशेष कोष में जमा कर दिया जायगा जिसका उपयोग सड़कों के विकास के लिए किया जायगा। इसके अतिरिक्त शक्ति से संचालित करवों के लिए कुछ रियायते कर दी गई थी, वनस्पति वस्तुओं के उत्पादन कर में कुछ कमी कर दी गई थी तथा सोमा करों में कुछ मामूली से परिवर्तन किये गये थे। किन्तु करारोपण सम्बन्धी इन नए प्रस्तावों का कोई विशेष महत्त्व नहीं था। यह इससे स्पष्ट होता है कि नए प्रस्तावों से कुल ६ करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त होने की आशा थी जब कि उपहार कर से इस अतिरिक्त आय को आधी से भी अधिक राशि प्राप्त होने की आशा थी। वजट की मुख्य विशेषता यह थी कि एक तो विकास सम्बन्धी व्यय में वृद्धि कर दी गई थी किन्तु साथ ही साथ सुरक्षा व्यय में भी वृद्धि की गई थी। इसके अतिरिक्त एक और विशेषता यह थी कि वजट के नये प्रस्तावों से अमिता व्यक्ति की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था।

सन् १९५६-६० का वजट—इस वर्ष का वजट श्री दसाई ने सदन में प्रस्तुत किया था और इसका मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक विनाश के लिये आय के नये स्रोतों को निमित्त करने तथा जुटाने का था। किन्तु इस दृष्टिकोण से भी वजट में कोई खास बात नहीं थी और ऐसा प्रतीत होता है कि केवल पिछले वर्गों में किए गए प्रयत्नों में समन्वय स्थापित करने का ही प्रयत्न किया गया है। इस वजट में भारतीय करारोपण के ढांचे को सरल बनाने का प्रयत्न किया गया है किन्तु खेद यह है कि हमारी योजना के लिए यह वजट नए साधन जुटाने में अधिक मफल नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त पिछले वर्षों की तुलना में आय सम्बन्धी खातों में केवल ८१-६७ करोड़ रुपये का ही घाटा रखा गया है। करारोपण सम्बन्धी नए प्रस्तावों से केवल २६ करोड़ रुपये की ही अतिरिक्त आय प्राप्त होगी जिससे घाटे की राशि का केवल २५% भाग ही पूरा हो पायेगा। पिछले वर्षों में जो निम्न तथा मध्यम आय वाले वर्गों पर कर का दबाव बढ़ता जा रहा था नए वजट में उसको बम करने के लिये कोई भी प्रयत्न नहीं किया गया। यह ही नहीं देश के करारोपण ढांचे के आधार को भी अधिक चौड़ा करने की ओर कोई प्रयास नहीं किया गया है। भारत में कृषि आय कुल आय की लगभग ५०% है किन्तु इस क्षेत्र में कोई भी प्रत्यक्ष कर लागू नहीं किया गया। कम्पनियां पर धन कर को समाप्त कर दिया गया है तथा बोनस निकासियों पर जो कर लगा हुआ था उसमें भी सशोधन कर दिये गये हैं। हिन्दू सयुक्त परिवारों पर लगे हुए धन कर के प्रत्येक खण्ड में ३% की वृद्धि कर दी गई

है और व्यक्ति पर घन कर की दरें इस प्रकार होगी २ लाख से अधिक और १२ लाख से कम के घन पर १% १२ लाख से अधिक और २२ लाख से कम वाले घन पर १.३% और इससे अधिक घन पर २% । व्यवहार से जो आय प्राप्त हुई थी वह सन्तोषजनक नहीं थी इसलिए नए घजट में कुछ छूटा को समाप्त कर दिया गया है और अब पति-पत्नि तथा नाबालिग बच्चे ३० हजार रुपये की कर रहित सीमा के लिए केवल १ ही इकाई माने जायेंगे । अप्रत्यक्ष करारोपण के क्षेत्र में जो नए प्रस्ताव रखे गये हैं उनका मुख्य कार्य पुनर्नये उत्पादन करों की दर में केवल उन्नत कर ही करना है । वनस्पति वस्तुओं पर उत्पादन कर ७ रुपये प्रति हन्ड्रेडवेट से बढ़ा कर ८ ७५ रुपये कर दिया गया है । इसमें ८१ लाख रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त होगी । छड़सागी गकर पर ५ ६० रुपये प्रति हन्ड्रेडवेट की दर में उत्पादन कर नामू किया गया है तथा वित्री कर के स्थान पर ७० नए पैसों की दर से अतिरिक्त कर लागू कर दिया गया है । इन प्रस्तावों में क्रमशः १ ८२ करोड़ तथा २५ लाख रुपये प्राप्त होंगे । चाय उद्योग को कुछ अधिक सुविधाय दी गई है तथा कुछ क्षत्रा में उत्पन्न होने वाली चाय के उत्पादन करों को कम कर दिया गया है और निर्मात कर को २६ नये पैसों प्रति पीठ में घटा कर २४ नये पैसों कर दिया गया है ।

भारत में संघ सरकार की
आय के स्रोत—आय कर
(Sources of Revenue of
the Union Government
in India—Income Tax)

भारत में राजकीय आय की मुख्य प्रवृत्तियाँ—राजकीय व्यय की भाँति राजकीय आय भी किसी देश में आर्थिक दशा तथा सरकार की आर्थिक नीति के उद्देश्यों पर निर्भर करती है। राजकीय आय का आकार एवं प्रकृति देश की आर्थिक दशा पर निर्भर करते हैं। एक पिछड़े हुए देश में अपेक्षाकृत विकसित देशों के, राजकीय आय का आकार बहुत ही कम होता है। इसी प्रकार युद्ध काल में राजकीय आय के आकार को बहुत विस्तृत करना पड़ता है। राजकीय आय पर सबसे अधिक प्रभाव राजकीय नीति तथा उनके उद्देश्यों का पड़ता है। भारत में भी राजकीय आय पर इन सभी बातों का प्रभाव पड़ा है। भारत एक पिछड़ा हुआ देश है। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। बहुत थोड़ी सी जनता उद्योगों से सम्बन्धित है और इसमें से भी अधिकांश छोटे पैमाने के उद्योगों में व्यस्त है। यहाँ की वैकिंग प्रणाली पिछड़ी हुई अवस्था में है और मुद्रा बाजार अभी तक पूर्ण विकसित नहीं है। व्यक्तियों की आय तथा जीवन स्तर न्यून है। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। भारत के स्वतन्त्र होने से पहले सरकार निर्वाधावादी नीति की पक्षपाती थी, इसीलिए वह जनता के कल्याण के लिए कोई कार्य करना पसन्द नहीं करती थी और आय भी इसी दृष्टि से एकत्रित की जाती थी। चरारोपण का रूप तथा ढाँचा भी इसी उद्देश्य से निर्मित किया गया था। आर्थिक समानता स्थापित करना सरकार की चरारोपण नीति का उद्देश्य नहीं था। देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना होते ही सरकार की आर्थिक नीति ने उद्देश्य पूर्णतया बदल गये और अब राज्य का मुख्य उद्देश्य एक कल्याणकारी समाज स्थापित करना हो गया। स्वतन्त्रता से पहले हमारी आर्थिक नीति की मुख्य विशेषतायें इस प्रकार थी—बजटों को संतुलित करना, सामाजिक सेवाओं तथा विकास कार्यों पर सीमित व्यय और आवश्यक सेवाओं के लिए आवश्यक धन प्राप्त करना, तथा धन की असमानताओं को दूर करने की ओर कोई ध्यान न देना। आय सम्बन्धी मुख्य प्रवृत्तियाँ दूसरी लड़ाई तक निम्न प्रकार थीं¹—निम्न ताजिका में

1 M H Gopal, *Indian Public Finances, in Commerce Annual Number 1950*

आय की केवल मुख्य मुख्य मदों को ही लिया गया है।

(प्रतिगण)

	१९००-०१	१९१३-१४	१९२०-२१	१९२६-३०	१९३६-४०
प्रत्यक्ष कर					
आय कर	१६	२८	२०७	१९०	१६३
भूमि कर	२२०	२०३	२०८	२८१	२६६
अप्रत्यक्ष कर					
सीमा कर	४७	१०८	३१८	५०३	४८६
उत्पादन कर	५६	१२७	१८२	१८२	१८८
बिनी कर	—	—	—	—	०६
नमक कर	८४	८७	१८	६५	१०८
गैर कर सम्बन्धी आय					
स्वाम्य	—	७७	१००	१११	६८
जगन	०८	१६	१८	७३	८०
रत्ने	०६	७२	१६	६१	३१०
डाक एवं तार	०३	—	०२	०१	१६
निर्वाह	२७	१०	१७	६८	६१
अपीम	५४	०६	०३	२६	०६

राजकीय व्यय की भाँति, जैसा कि उपयुक्त तालिका में स्पष्ट है राजकीय आय भी बहुत कम थी। आय कर में प्राप्त आय अपेक्षाकृत कम थी। इसके अनिश्चित आय कर प्रगतिशील भी नहीं था। भूमि कर बेनाफ तथा प्रतिगामी था। करारोपण के क्षेत्र में आय की दृष्टि से उत्पादन तथा सीमा कर मुख्य अधिन महत्वपूर्ण थे। किन्तु समय समय पर परिस्थितियों के प्रभाव में राजकीय आय का आकार व स्तर में भी परिवर्तन होते ही रहते। हमारे महायुद्ध काल में राजकीय व्यय प्रतिवर्ष बढ़ता ही गया और इनीलिय राजकीय आय में वृद्धि होना स्वाभाविक ही थी। जहाँ तक करारोपण से प्राप्त होने वाली आय का सम्बन्ध था आय कर को अधिन प्रयोजन दी गई। आय कर, अनिश्चित तथा कारपोरेशन कर की दरों को बढ़ा दिया गया। अधिन लाभ कर लागू कर दिया गया और सीमा कर तथा उत्पादन कर में वृद्धि कर दी गई। परिणामस्वरूप आय कर तथा उत्पादन कर से होने वाली आय बढ़नी गई। विदेशी व्यापार के कम हो जाने से सीमा करों का महत्व कुछ कम हो गया। यद्यपि करारोपण से प्राप्त होने वाली आय में काफी वृद्धि हो गई थी किन्तु यह बढ़ते हुए व्यय का अनुपात में बहुत कम थी और युद्ध सम्बन्धी वित्तीय व्यवस्था में करारोपण से प्राप्त आय का महत्व बहुत ही

कम था। कृषि आय कर तथा मृत्यु कर के लागू होने के लिये कर प्रणाली में अभी काफी क्षेत्र था। युद्ध काल में जो विभिन्न करारोपण सम्बन्धी उपाय किये गये उनमें भारतीय कर प्रणाली पहले की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील हो गई। गैर कर सम्बन्धी आय के स्रोतों में रेलों का भाग सराहनीय था। इसके अतिरिक्त युद्ध काल का प्रमुख विशेषता हीनार्थ प्रबन्धन था और युद्ध के छ वर्षों में नोटों की मात्रा में ६६४ ५१ करोड़ रुपयों की वृद्धि हो गई थी। इसका परिणाम भीषण मुद्रा स्फीति थी।

युद्ध समाप्त होने से पहले सरकार को अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ा। सरकार ने निर्वाधानवादी नीति को त्यागकर अब व्यक्तियों के आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करना आरम्भ कर दिया। देश में अर्थ-व्यवस्था के नियोजित विकास तथा पुनर्निर्माण के हेतु योजनाएँ बनाईं। देश में राष्ट्रीय सरकार के स्थापित होते ही राजकीय व्यय तथा आय का वास्तविक रूप ही बदल गया। नये सचिवालय में आर्थिक नीति के लक्षणों को पूर्णतया स्पष्ट कर दिया गया। आर्थिक नियोजन की ओर एक मुद्दह पग उठाने के लिये, सरकार ने एक नियोजन आयोग नियुक्त किया और देश में कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का निश्चय किया और औद्योगिक क्षेत्र में अधिकाधिक भाग लेना आरम्भ किया। युद्धोत्तर काल में केन्द्रीय सरकार की आय का अनुमान निम्न तालिका से लगाया जा सकता है।²

भेद	१९३८-३९		१९४४-४५		१९५३-५४		१९५७-५८	
	करोड़ १० में	प्रति शत	करोड़ १० में	प्रति- शत	करोड़ १० में	प्रति शत	करोड़ १० में	प्रति- शत
आय सम्बन्धी कर								
आय कर (शुद्ध)	१३ ७४	१६ ६	६० ५२	२४ १	६५ ५५	१६ ४	६२ ६७	१२ २
कार्पोरेशन कर	२ ०४	२ ५	६४ ०२	२५ २	४१ ५४	१० ४	५० १०	७ ०
वस्तुओं तथा सेवासों पर कर								
सीमा कर	४० ५१	४ ६	३६ ७७	११ ६	१५ ६ ७१	३६ २	१ ६३ ००	२ ७ २
उत्पादन कर	६ ६६	१० ५	३६ १४	११ ४	७६ ४३	१६ ६	२२४ ३३	३३ ०
रेल किरायों पर कर	—	—	—	—	—	—	० ०३	० ४
नमक कर	६ १०	६ २	६ २६	२ ६	—	—	—	—
विविध	—	—	—	—	० २४	० ०६	४ ७३	० ७
सम्पत्ति तथा पूँजीगत कर								
मृत्यु कर (शुद्ध)	—	—	—	—	—	—	० १२	० ०२
धन कर	—	—	—	—	—	—	६ ००	१ ३
स्टाम्प तथा रजिस्ट्रेशन	—	—	—	—	१ ५०	० ४	२ ६०	० ४
मालगुजारी	—	—	—	—	० ७६	० २	० ५२	० ०६
कुल कर आय	—	—	—	—	२४७ ७३	६६ ६	५५७ ६०	६३ ०
प्रबन्ध सम्बन्धी आय	—	—	—	—	१२ ०६	३ २	५६ १६	६ ६

2 Based on the Reports of the Reserve Bank of India on Currency and Finance

मह	१९२०-२१		१९४४-४५		१९५२-५४		१९५७-५८	
	करोड़ प्रति ह० म	प्रति शत	करोड़ प्रति ह० म	प्रति शत	करोड़ प्रति ह० म	प्रति शत	करोड़ प्रति ह० म	प्रति शत
राजकीय सेवाओं से प्राप्त आय								
रेल	१३०	१७३२.००	६६	६६५	१७४	६२३	८५	८५
डाक एवं नाव	०.१६	०.२१०.२५	३१	२४०	०.६	१.२४	१.८	१.८
मद्रा एवं नवभारत	०.७८	—	—	२३.१६	३३	२६.४६	४४	४४
विविध	—	—	—	०.८६	—	०.३५	०.०९	०.०९
आय के अतिरिक्त	—	—	—	१०.८०	३२	१७.०६	२५	२५
कुल आय	८०.००	१००.८२.६०	१००.३६.२५	१००.६७.९६	१००.६७.९६	१००.६७.९६	१००.६७.९६	१००.६७.९६

इस तालिका में स्पष्ट है कि पिछले तीन वर्षों में केंद्रीय सरकार की आय में अत्यधिक वृद्धि हुई है। सन् १९२०-२१ में ८० करोड़ रुपये में बढकर कुल आय १९५७-५८ में ६६१.३४ करोड़ हो गयी है। यह वृद्धि कुछ तो मर्यादा के बढने से उत्पन्न होने वाला लाभों के कारण और कुछ सरकार की आयव्ययताओं के कारण हुई थी। किन्तु इस वृद्धि का मुख्य कारण देय में विराम योजनाया वा आरम्भ होना था। आज भी सरकार की अपनी आय का अधिकांश भाग करारोपण से ही प्राप्त होता है। पिछले वर्षों में व्यक्तिगत करों के सार्वभौमिक महत्व में कुछ फरक बाल अत्यन्त हो गई है। जबकि आय कर से प्राप्त आय का कुल कर आय में प्रतिशत सन् १९२०-२१ में १६.१ था सन् १९४४-४५ में ४६.३ सन् १९५२-५४ में २७.३ और सन् १९५७-५८ में २० के लगभग था। यद्यपि यह के पहले तथा बाद के वर्षों में नीचा कर से प्राप्त होने वाली आय तो लगभग समान ही है किन्तु कुल कर आय में अब इनका स्थान उत्पादन करों से ग्रहण कर लिया है। उत्पादन करों का कुल आय में प्रतिशत सन् १९२०-२१ में १६.८ में बढकर १९५७-५८ में ३३.३ हो गया। सन् १९४६ में अर्थात् दूसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने ही भारतीय कर प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। पिछले तीन वर्षों में प्रयत्न करों की मर्यादा एवं आय में वृद्धि करने के अनेक प्रयत्न किए गये हैं। सन् १९४६ में पूंजी लाभ कर सन् १९५७ में धन कर तथा धन कर और सन् १९४८ में उपहार कर लागू किए गये। इन करों को लागू करने के तीन मुख्य उद्देश्य थे प्रथम दूसरी योजना के लिए अधिक्त आय प्राप्त करना। दूसरे कर ढाँचे को अधिक प्रगतिशील करना और तीसरे कर की बोरी को निर्मात्र करना। पिछले वर्षों में उत्पादन करों में भी बहुत वृद्धि हुई है तथा अनेकों नई वस्तुओं पर उत्पादन कर लागू कर दिए गये हैं परिणामस्वरूप अब केंद्रीय सरकार को सबसे अधिक आय अर्जित उत्पादन करों से ही प्राप्त होती है। इनमें वृद्धि करने के मुख्य कारण—उत्पादन को कम करना मर्यादों के लाभों को कम करना तथा सरकार की बढती हुई आवश्यकताओं के लिए वर्गीकृत धन प्राप्त करना इत्यादि हैं।

राज्यों की आय का अनुमान निम्न तालिका में किया जा सकता है—

	१९३८-३९		१९४४-४५		१९४३-४४		१९४७-४८	
	करोड़ रु० मे	कुल आय मे प्रतिशत	करोड़ रु० मे	कुल आय मे प्रतिशत	करोड़ रु० मे	कुल आय मे प्रतिशत	करोड़ रु० मे	कुल आय मे प्रतिशत
आय सम्बन्धी कर—								
आय कर म भाग	१४६	१६	२५७५	१३.३	५६.६९	१२.१	७२.३६	१०.३
कृषि आय कर					३७७	०.८	६७७	०.९
व्यवसाय कर					०.०८	०.०१	०.२४	०.३
सम्पत्ति तथा पूंजीकर								
सम्पत्ति कर							२.४३	०.३
मालगुजारी	२५.४०	३३.१	३०.२१	१५.६	७०.७३	१५.०	८७.६६	१२.५
स्टाम्प तथा								
राजस्ट्रेशन	१०.६२	१३.८	१७.५६	९.०	२७.७०	५.९	३०.६२	४.४
शहरी अथवा सम्पत्ति								
कर					१.७८	०.४	२.०९	०.३
वस्तुधरो तथा सेवाधरो								
पर कर								
केन्द्रीय उत्पादन कर								
का भाग					१५.२५	३.४	३७.४२	५.४
" जूट कर "	२.५१	३.३	१.६८	०.८	—	—	—	—
राज्य उत्पादन कर	१३.०८	१७.०	४३.४२	२०.४	४४.३६	९.५	४३.३०	६.२
सामान्य विक्री कर			७.९१	४.१	५८.३३	१२.४	९७.२६	१३.९
मोटर स्प्रिट पर कर					७.३५	१.५	१०.०३	१.४
मनोचरन कर					५.८८	१.३	६.०२	०.९
विजली कर					४.७६	१.०	६.४३	०.९
मोटर गाडी कर					१३.६७	२.९	१६.९५	२.७
रेल किराये पर कर							५.०८	०.७
अन्य					१८.६५	३.९	२०.४८	२.९
कुल कर आय	५९.०२	७३.७			३३०.३०	७०.३	४४९.०७	६४.१
शासन प्रवध सम्बन्धी								
आय					४४.१४	९.४	८१.८२	११.७
राजकीय उद्योग की								
आय								
जंगल	०.६३	०.८	४.५८	२.४	११.३५	२.४	१७.४२	२.५
सिंचाई	७.५७	९.९	१०.१४	५.२	१०.५३	२.२	९.४७	१.४
विद्युत योजनाये					४.३४	०.९	५.४९	०.८
सड़क तथा जल								
यातायात					१.६२	०.३	२.९९	०.४
उद्योग तथा अन्य								
साधन					०.६०	०.१	०.३७	०.०४
आय के अन्य साधन					२९.६५	६.२	४६.५२	६.६
अनुदान तथा अन्य								
अनुदान	६.४५	८.४	३६.८९	१९.१	३६.४१	७.८	७८.१८	११.१
कुल आय	७९.४२	१००	१९३.८७	१००	४६८.९४	१००	६९९.३४	१००

राज्या की आय भी मनु १९३८-३९ म ७२.४२ करोड़ रुपया से बढ़कर मनु १९५७-५८ म ६९१.३४ करोड़ रुपया हो गई थी। यह वृद्धि वास्तव्य म तरा-
 ज्नीय है। यह वृद्धि भी कुछ तो मुख्य स्तर की वृद्धि के कारण घोर कुछ मरतागी
 प्रावस्थावस्था की वृद्धि के कारण हुई थी। पिछले वर्षों म आय के निम्न
 निम्न स्रोतों के सापेक्षिक महत्व म कुछ फेर बढ़ा अंतरण हुई है। यद्यपि मालगुजारी
 के प्राप्त राशि तो लगभग उतनी ही है किन्तु कुल आय म उसका प्रतिशत मनु १९४४
 म १५.६ से गिर कर सन १९५७-५८ म केवल १२.२६ रह गया था। इसी प्रकार
 आवस्यकारी कर की आय का प्रतिशत भी सन १९४४-४५ म २२.४ म गिरकर
 सन १९५७-५८ म ६.३ रह गया था। आय की वृद्धि के मुख्य स्रोत विधी कर,
 केन्द्रीय अनुदान तथा केन्द्रीय करा म से प्राप्त होने वाले भाग हैं। विधी कर का
 महत्व दूसरे मुद्दे के बाद ही अधिक हुआ है। इसका अनुपात कुल आय म मनु
 १९४४-४५ म ४.१ से बढ़कर सन १९५७-५८ म १५.५ हो गया था और यह
 वगारोपण की सबसे महत्वपूर्ण मद थी। आज हम का महत्व मानगुजारी की
 अपेक्षा बहुत अधिक है। पिछले वर्षों म राज्या की आय म सबसे महत्वपूर्ण मद
 केन्द्रीय सरकार के अर्पण है जो अनुदान तथा केन्द्रीय करा की आय के कुछ
 भागों के रूप म प्राप्त होते हैं। मनु १९५३-५४ म इसका कुल आय म प्रतिशत
 ५.९ था। पिछले वर्षों म यद्यपि इनसे प्राप्त कुल राशि म वृद्धि हो गई है किन्तु
 राज्या की आय बढ़ने के कारण इनका अनुपात सन १९५७-५८ म ४.५२ % था।

स्थानीय सरकारों की आय म भी वृद्धि हुई है। इनकी कुल आय मनु
 १९२१-२२ म २३.८९ करोड़ रुपया से बढ़कर मनु १९५१-५२ में ८६.७८ करोड़
 रुपया हो गई थी। यह वृद्धि मुख्य रूप से मुख्य वृद्धि तथा स्थानीय मस्यारा की
 मर्या की वृद्धि के कारण हुई है।

यदि हम तीनों प्रकार की सरकारों की सम्बन्धित स्थिति का विचार कर तो
 इनकी कुल कर आय जो सन १९३८-३९ म १४३.४४ करोड़ रुपया की वह बढ़ कर
 मनु १९५३-५४ म ७११.६८ करोड़ रुपया हो गई थी और कुल आय मनु १९३८-
 ३९ म १७६.०२ करोड़ रुपया से बढ़कर सन १९५४-५५ म ८६७.९१ करोड़ रुपया
 हो गई थी।

यह ध्यान रहे कि राजकीय आय सम्बन्धी जो तथ्य पिछले पृष्ठों में हमने
 दिए हैं तथा जिन प्रवृत्तियों का उल्लेख हमने किया है उनका धीरे-धीरे सम्बन्ध
 हमारी पञ्चवर्षीय योजनाओं के वगारोपण से है। हम सब केन्द्रीय तथा राज्य स्तर-
 कारा की आय के मुख्य स्रोतों का वजन अगले पृष्ठों में करेंगे।

आयकर (Income-Tax)

प्राक्कथन—

आय-कर के अन्तर्गत व्यक्तियों तथा कम्पनियों की शुद्ध आयों (Net income) पर लगाने वाला कर सम्मिलित किया जाता है। परन्तु प्रश्न यह है कि शुद्ध आय किसे कहते हैं? करारोपण के उद्देश्य में शुद्ध आय की एक सही परिभाषा देना उतना सरल नहीं है, जितना ऊपर से देखने पर प्रतीत होता है। शुद्ध आय का माप भी व्यवहारिक कठिनाइयाँ उपस्थित करता है। सच तो यह है कि शुद्ध आय पर कर लगाने की बात केवल एक सैद्धान्तिक मत्य ही है। अर्थशास्त्र में 'आय' शब्द का अभिप्राय उन मनुष्यों के 'प्रवाह' (flow of satisfactions) में है जो श्रम अथवा पूँजी से उत्पन्न होता है। वास्तव में व्यक्तिगत हित या कल्याण के दृष्टिकोण से आय का यह सब से सही अर्थ है। परन्तु करारोपण के उद्देश्य से हम 'आय' शब्द का उपयोग इस अर्थ में नहीं कर सकते। इस अर्थ को मानने में नई कठिनाइयाँ हैं, जैसे पहली कठिनाई तो यह है कि मनुष्यिया का मौद्रिक माप किस प्रकार किया जाए? जो करारोपण के लिए अत्यन्त आवश्यक है। यदि हम मनुष्यियों को मुद्रा में नापने का प्रयत्न करते हैं तो एक कठिनाई यह है कि वास्तविक आय (real income) और मौद्रिक आय (money income) में सही सही भेद नहीं किया जा सकेगा। क्योंकि, यदि वास्तविक आय मनुष्यिया का प्रवाह है, तो मौद्रिक आय इन मनुष्यियों को प्रदान करने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य है। परन्तु इस बात का क्या विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति को मुद्रा की समान मात्रा खर्च करने से समान मनुष्यिया प्राप्त होगी? इसलिए समान आय वाले व्यक्तियों में एकमी राशि कर के रूप में ले लेने में हम यह निश्चय नहीं कर सकते कि इनमें से हर व्यक्ति ने मनुष्यिया की समान मात्रा का त्याग किया है। यदि मनुष्यियों का कोई वस्तुगत या भौतिक (Objective) माप होता, तो करारोपण का उगम अधिक उचित आधार मिलना सम्भव नहीं था। परन्तु ऐसे माप के अभाव में हम को उनके निवृत्तम आधार को अर्थात् मौद्रिक आय को ही आय-करारोपण का आधार मानना पड़ता है, यह जानते हुए भी कि यह एक उचित आधार नहीं है।

यदि हम शुद्ध आय को वास्तविक आय के अर्थ में लेते हैं तो दूसरी कठिनाई यह है कि करारोपण के लिये इसका माप किस स्थिति (stage) पर किया जाय? इसको हम उस समय तो नाप नहीं सकते, जबकि यह प्राप्त होती है, क्योंकि उगम समय तो मनुष्यिया का अनुमान ही नहीं लग सकता। मनुष्यिया तो उपभोग करने के पश्चात् प्राप्त होती है। परन्तु उपभोग कर लेने के बाद फिर व्यक्ति के पास क्या रहगा जिससे वह कर का भुगतान कर सके। यदि हम मौद्रिक आय को आधार मानते हैं तो प्रश्न यह है, कि क्या हम उसका माप उस समय करें जबकि उसका उपयोग, उपभोग कायों के लिये किया जाता है? कुछ लेखकों का मत है कि यदि

हम वास्तविक आय को करारोपण का आधार बनाने में वास्तविक कठिनाइयाँ हैं तो हम मौद्रिक आय का माप कम से कम एम बिन्दु पर करें जो वास्तविक आय प्राप्ति के निकटतम हो। अतः हमारी वास्तविक आय का अनुमान उनी समय लग सकता है जब हम उन वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य मापूँग वरने, जिससे वास्तविक आय प्राप्त होता है। यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ज्ञात होगा कि किसी भी व्यक्ति को अपनी सन्तुष्टि केवल वतमान उपभोग से ही प्राप्त नहीं होती, परन्तु भविष्य के उपभोग के लिये बचत करके एक दूगरे व्यक्तियों को मौद्रिक आय का कुछ भाग देकर भी, सन्तुष्टि प्राप्त होती है। अतः मौद्रिक आय का सर्वोत्तम माप उसी समय होगा, जबकि व्यक्ति उसे प्राप्त करता है—जिमके पश्चात् वह उसको उपभोग तथा बचत में बांटने का निश्चय करता है। कुछ व्यक्तियों का विचार है कि बचत आय नहीं होती। यह हमारी वास्तविक आय की परिभाषा पर निर्भर करता है कि आय में बचत घानी है या नहीं। यदि हम वास्तविक आय का केवल उपभोग से प्राप्त आनन्द के रूप में स्वीकार करते हैं तब तो बचत आय नहीं है परन्तु यदि हम इसका अर्थ मौद्रिक आय में प्राप्त मागी ही सन्तुष्टि का मन्गल हलत बचतें आय के अन्तर्गत ही आयगी। कीन्तु न ही बचत को भविष्य में आय के उपभोग करने का अधिकार बताया है। अतः आय की यह विस्तृत परिभाषा अवश्य है परन्तु यह ही प्रत्यक्ष व्यक्ति की कर दान योग्यता का उचित माप है। यह ध्यान रहे कि यह तो व्यक्ति की कुल आय (Gross Income) है। शुद्ध आय प्राप्त करने के लिये इसमें से कुछ राशि निकालनी पड़ेगी अर्थात् इस आय को प्राप्त करने में पूँजीगत वस्तुओं का जो ह्रास हुआ है वह भी वाटना चाहिये जो कुछ शेष रहे वह शुद्ध आय होगी। उस पर कर निर्धारित करना चाहिये। कुल राष्ट्रीय आय (Gross National Income) में से शुद्ध राष्ट्रीय आय (Net National Income) या राष्ट्रीय लाभ (National Dividend) मानूँग करने के लिये हमको कई प्रकार की कटौतियाँ करनी पड़ती हैं—जैसे, करा का भुगतान पूँजी की ह्रास पूँजी की राशि तथा विदेशियों को उनकी पूँजी का उपयोग करने का शुद्ध भुगतान।⁵ जिस विधि में इन की शुद्ध राष्ट्रीय आय का अनुमान हम लगाते हैं उसी प्रकार हम व्यक्तियों की शुद्ध आय को पता लगाना चाहिये। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो व्यक्ति की उत्पादन करने की पूँजीगत वस्तु अर्थात् कार्यक्षमता का ह्रास होता रहेगा। इस दृष्टि से बचतें पूँजी हैं और राष्ट्रीय आय का भाग नहीं है। करारोपण के उद्देश्य से हम हिक्स (Hicks J R) की परिभाषा को ही उचित मान सकते हैं। 'एक व्यक्ति की आय वह है जिम्का वह एक सप्ताह में उपभोग कर सकता है और तब भी सप्ताह के अन्त में वह अपना ही समृद्धिदायी रहने की आशा कर सकता है जितना वह आरम्भ में था।'⁶

किसी व्यक्ति की आय पर कर निर्धारित करते समय यह भी आवश्यक

5 Philippe E Taylor, *The Economics of Public Finance* Page 85

6 *Value and Capital* Page 176

है कि केवल व्यक्ति की आय की राशि को ही ध्यान में न रख कर यह भी देखना चाहिये कि उस आय का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। आय बात समान रहने पर एक अकेले व्यक्ति की एक परिवार वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक कर-दान योग्यता होगी।

व्यक्ति को आय एक दम ही प्राप्त नहीं होती। उसको थोड़ी थोड़ी करके एक निश्चित अवधि में आय प्राप्त होती है। आय प्राप्ति की अवधि तथा राशि लगभग निश्चित ही होती है (अधिकतर वेतन भोगी व्यक्तियों को) परन्तु कभी-कभी उसमें परिवर्तन भी होते रहते हैं (व्यापारियों के लिये)। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति की एक निश्चित अवधि के अन्दर की आय पर ही कर लगाया जाय। यह काल अधिकतर एक वर्ष होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई भी बारह महीनों की आय का व्यौरा दिया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि कलण्डर (Calendar) वा ही एक वर्ष हो।

आयकर माधारणतया प्राप्त की हुई नकद आय पर लगाया जाता है और भविष्य में कितनी आय के प्राप्त होने की आशा हो उस पर नहीं लगाया जाता। वास्तव में आय वही है जो प्राप्त हो गई हो। वेतन भोगी व्यक्तियों के लिये तो यह बात सच है परन्तु व्यापारियों के लिये यह ठीक नहीं है क्योंकि आरम्भ में ही अपनी ह्यति स्थापित करने के लिये बहुत खर्च करना पड़ता है इसलिए कुछ भी लाभ नहीं होता। जब उसे कुछ वर्षों बाद बहुत लाभ होता है तो उसे एक दम कर चुकाना होता है जबकि उसे यह आय कई वर्षों के परिश्रम के बाद प्राप्त हुई है। इस तरह उसकी कर भी अधिक देना पड़ता है। यदि पिछले सब वर्षों का औसत निकाल कर कर लगाया जाना तो उसको बहुत कम कर देना होता। परन्तु आयकर अधिनियम कहीं पर भी कर-दान योग्यता की इन भिन्नताओं का और ध्यान नहीं देते।

भविष्य में जिस आय के प्राप्त होने की आशा है यदि वह उस आय के अनुसार लगाया जाय तो भी ठीक नहीं होगा। एक तो यह निश्चित रूप से कहा जा नहीं जा सकता कि भविष्य में कितनी आय प्राप्त होगी। दूसरे यह कि प्रारम्भिक वर्षों में करदाता का कर भुगतान करना इतना सुविधाजनक नहीं होता क्योंकि आय प्राप्त होने से पहले ही उसको कर का भुगतान करना पड़ना है। इसके अतिरिक्त आय में परिवर्तन भी होते रहते हैं। एक वकील की जो आय एक महाने में होगी यह आवश्यक नहीं कि उसकी ही आय दूसरे महाने में भी प्राप्त हो। इन सब कठिनाइयों को कम करने के लिये प्राप्त आय को या तो पीछे के वर्षों में वाटा (Carry back) या आगे के वर्षों को ले जाया जा सकता है (Carry over)। पहली विधि के अनुसार आय को पिछले वर्षों (जितने वर्षों तक उस आय को प्राप्त करने के लिये निरन्तर प्रयत्न किया गया है) में ऐसे बांट दिया जाय जैसे कि वह बराबर बराबर कितनी में पिछले वर्षों में प्राप्त होती रही है तत्पश्चात् उस पर कर निर्धारित किया जाय। दूसरी विधि में एक वर्ष की हानि को दूसरे वर्ष के लाभ में से काट कर

तब कर लगाया जाय। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि किसी एक वर्ष की हानि सर्वव्यय भ्रगले वर्ष की आय में से ही पूरी की जाती है। यदि हानि नहीं भी होती है तो भी प्रवृत्ति यही होती है कि अधिक आय वाले वर्ष की आय को बाद के कम आय वाली वर्षों में उपयोग किया जाता है। अतः दोना ही स्थिति में कर निर्धारण के लिए एक वर्ष की अवधि न्यायसंगत नहीं है। आय कर की न्यायनीलता के लिए यह आवश्यक है कि कर निर्धारित करते समय कई वर्षों की हानि और लाभों का उचित ज्ञान प्राप्त कर लिया जाय।

आय कर को न्यायसंगत बनाने के लिए अधिकांश देशों में दशक आय का अनुमान लगाते समय कुल आय में कुछ रियायत तथा कटौतियाँ कर दी जाती हैं। यह छूटें तथा कटौतियाँ या तो कर दान योग्यता व विचार से या प्रशासन की सुविधा को दृष्टि से की जाती हैं। प्रथम देश में ही न्यूनतम कर रहित सीमा निश्चित की जाती है — वेचन प्रशासन की सुविधा के लिए क्योंकि छोटी छोटी आयों पर कर वसूल करने में कठिनाई भी बहुत होती है और उनका पता लगाना भी इतना सरन नहीं होता। इसी प्रकार करदान योग्यता को उचित आधार बनाने के लिए, सभी व्यक्तिगत कठिनाइयों की ओर भी ध्यान दिया जाता है और कुल आय में से उचित कटौतियों पर भी जाती हैं जैसे व्यक्ति विशेष के बच्चों या निभरकर्ताओं की सम्पत्ति शिक्षा एवं चिकित्सा व्यय आदि। इन सब कटौतियों के बाद ही शुद्ध आय मालूम की जाती है और उस पर कर लगाया जाता है।

आयकर के भार के सम्बन्ध में साधारणतया यही विश्वास किया जाता है कि यह किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला जा सकता और उसी व्यक्ति को करभार सहन करना पड़ता है जिसकी आय पर कर लगाया गया है। हम पहले भी कह चुके हैं कि करभार उसी समय दूसरे व्यक्ति पर डाला जा सकता है जब करदाता की व्यापार सम्बन्धी जागतो में वृद्धि हो सकती है। परन्तु आयकर तो शुद्ध आय पर लगाया जाता है। व्यापारी अपनी वस्तुओं का मूल्य कर का भुगतान करने की पूव आयों में बढ़ा भी नहीं सकता क्योंकि मूल्य तो माग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। यदि कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं को ऊँचे मूल्य पर बेचता है तो यह ऐसा उसी समय कर सकता है जब कि बाजारों में मूल्यों की सामान्य प्रवृत्ति बढ़ने की हो — चाहे मानवर तगा हो या नहीं। यदि वह मूल्य बढ़ाने की स्थिति में है तो अवश्य ही मूल्य बढ़ायेगा। अतः आयकर का भार कर दाता के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं पड़ता क्योंकि आयकर वस्तुओं की उत्पादन लागतों को प्रभावित नहीं करता।

आयकर, कर दान योग्यता के भी अनुबल बनाया जा सकता है। इस कर की दरों को प्रगतिशील करने के लिए कुल आय में से कटौती करके या कुछ छूट देकर, अतिरिक्त (Super Tax) लगाकर इत्यादि उपायों द्वारा।

हम ऊपर देख चुके हैं कि एक निश्चित स्तर से नीचे की आयों को कर मुक्त कर दिया जाता है, जिससे कम आय वाले व्यक्तियों पर कर का भार कम

पडे। इसी प्रकार कर को कर-दान योग्यता सिद्धान्त के अनुकूल बनाने के लिये, दरों को प्रगतिशील बनाया जाता है। ऊँची आयों पर ऊँची दरों से कर लिया जाता है और नीची आयों पर नीची दरों से कर लगाया जाता है और बहुत नीची आयों को कर से मुक्त कर दिया जाता है। कर की दरों में प्रगतिशीलता लाने के लिये भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न भिन्न रीतियाँ अपनाई गई हैं। अधिकतर देशों में खण्ड प्रणाली (Slab System) प्रचलित है। आयकर पर अति कर (Super-tax) लगाकर भी ऊँची आय वालों पर कर का भार अधिक डाला जाता है। अतिरिक्त, एक निश्चित स्तर से ऊपर वाली आयों पर साधारण आयकर के अतिरिक्त लगाया जाता है। अतिरिक्त भी प्रगतिशील होता जाता है। जब आय बहुत अधिक होती जाती है और लाभ की दरें बहुत ऊँची होती जाती हैं, तब सरकार अधिक लाभकर (Excess Profits Tax) भी लगा देती है। यह कर अत्यधिक ऊँची आयों पर लगाया जाता है। यह कर अधिकतर युद्धकाल में अत्यधिक लाभों पर लगता है, क्योंकि युद्धकाल में व्यापारियों को ऊँचे मूल्यों से अतिरिक्त लाभ बहुत ऊँची दरों से प्राप्त होते हैं। आयकर को छूट देकर तथा कटौतियाँ आदि कर के भी न्यायसंगत बनाया जाता है। जैसे बिना कमाई हुई आयों (Unearned incomes) पर ऊँची दर से कर लगाना और कमाई हुई आयों पर नीची दर से कर देना। श्रम द्वारा प्राप्त आय और सम्पत्ति द्वारा प्राप्त आय में भी भेद किया जाता है। श्रम एवं प्रयत्नों से जो आय प्राप्त होती है, वह उसी समय तक मिलती है जब तक व्यक्ति कार्य करने योग्य रहता है अर्थात् बीमारी, चोट, बेकारी आदि की अवस्था में उसे कोई आय नहीं प्राप्त होती, जबकि सम्पत्ति द्वारा प्राप्त आय नियमित रूप से प्राप्त होती रहती है। माता पिता की मृत्यु के बाद शिशु के बच्चे भूखे भी मर सकते हैं, परन्तु सम्पत्ति वालों के बच्चों की सम्पत्ति में आय सदा ही प्राप्त होती रहती है। शिशु को भविष्य के लिये अधिक बचाना पड़ता है, जबकि सम्पत्ति वालों को भविष्य की कुछ भी चिन्ता नहीं होती। आयकर निर्धारित करते समय करदाता की व्यक्तिगत परिस्थितियों का भी ध्यान रखा जाता है जैसे व्यक्तियों की, करारोपण के लिये, युद्ध आय का अनुमान लगाते समय बच्चों की गणना के अनुसार कुल आय में से कटौती कर दी जाती है। गणित राज्य अमेरिका में तो चिकित्सा सम्बन्धी व्यय भी काट दिये जाते हैं।

आयकर का प्रशासन भी सरलतम रखा गया है। व्यवहार में दो रीतियाँ—अपनाई गई हैं—पहली विधि में, आयकर आय के स्रोत (Source) पर ही एकत्रित कर लिया जाता है और दूसरी विधि में करदाता स्वयं अपनी आय का व्यौरा प्रत्येक वर्ष आयकर विभाग को भेजता है। पहली विधि के अन्तर्गत सेवायोजक (Employers) अपने मेजदूरी को, वेतन में से कर की राशि की कटौती करके भुगतान करते हैं और सम्मिलित पूंजी कम्पनियाँ लाभ बाँटते समय प्रत्येक हिस्सेदार के नाम में से कर की सारी राशि काट लेती हैं। दूसरी विधि में करदाता को स्वयं अपनी आय का हिसाब भेजना पड़ता है। कुछ देशों में यह दोनों विधियाँ साथ साथ चलती हैं

अध्याय के प्रारम्भिक पृष्ठा में हम कह चुके हैं कि वास्तव में आय कर को न्यायशील बनाने के लिये आय से प्राप्त मनुष्यों के अनुसार कर निर्धारित होना चाहिए। परन्तु इस प्रकार के आधार में जो कठिनाइयाँ होती हैं उनका भी वर्णन हम कर चुके हैं। इसी कारण हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि व्यक्ति की मौद्रिक आय पर ही कर लगाना चाहिए, क्योंकि मनुष्यों तथा वास्तविक आय को उचित रूप से मापा नहीं जा सकता।

कारपोरेशन कर— व्यापारियों, कम्पनियों तथा प्रमडलों की आय पर जो कर लगाया जाता है उसे कारपोरेशन कर कहते हैं। यह कर उन कर से बिल्कुल भिन्न होता है जो कि कम्पनी के हिस्सेदार अपनी आयों पर देते हैं। कारपोरेशन कर भी बिल्कुल व्यक्तिगत आय कर के समान ही है और इससे मिथ्या इत्यादि आयकर जैसे ही है। कभी कभी इस विषय पर बड़ा वाद-विवाद होता है कि कम्पनियों की आय पर दो बार कर लगना है। एक तो कम्पनी की आय पर दूसरे हिस्सेदारों द्वारा प्राप्त आय पर। बहुत से लोगों का विचार है कि व्यापारिक कम्पनी हिस्सेदारों की ही मन्था होती है जो हिस्सेदारों की ओर से व्यापार करती है और जो कुछ आय प्राप्त करती है वह हिस्सेदारों की ही होती है। अतः इस मत के अनुसार हिस्सेदारों को दो बार कर का भुगतान करना पड़ता है जो अन्यायपूर्ण है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि इन दोनों करों में से केवल एक ही कर लिया जाय, या तो कारपोरेशन कर या आयकर। परन्तु यह तर्क आधारहीन है। व्यापारिक कम्पनी हिस्सेदारों की ओर से अवश्य काम करती है परन्तु उसका अपना अस्तित्व होता है। इसलिये कारपोरेशन कर कम्पनी की आय पर लगता है और आयकर हिस्सेदारों की आय पर लगाया जाता है। न्यायालयों ने भी यह स्वीकार किया है कि कारपोरेशन कर से हिस्सेदारों पर दुबारा कर नहीं लगना।

भारत में आय कर—

भारतीय मन्त्रिमण्डल ने अनुसार मध्य सरकार द्वारा निम्न कर लगाए जा सकते हैं—

गैर कृषिक आय पर कर, सीमा शुल्क, वस्तुओं पर उत्पादन कर, कार्पोरेशन कर, पूनी कर कृषिक भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्तियों पर जायदाद कर, रेल के सिद्धयों तथा भाग्य पर स्थान कर, समाचार पत्रों की विन्दी इत्यादि पर कर इत्यादि। परन्तु इन करों की आय का एक बहुत बड़ा भाग ही मध्य सरकार को प्राप्त हो सकता अर्थात् केवल आय कर देवाङ्गा तथा श्रृंगार सम्बन्धी वस्तुओं के अतिरिक्त वस्तुओं पर लग हुए उत्पादन कर की आय का ही एक भाग प्राप्त हो सकता। गैर करों की आय राज्य सरकारों को प्राप्त होगी।

भारत में आय कर का इतिहास—भारत में सबसे पहले सन् १८६० में आय कर लागू किया गया था। सन् १८५७ की अज्ञानि में भारत सरकार को घन की बहुत ही आवश्यकता थी, इसलिये सरकार ने इस कर का आशय लिया।

प्रारम्भिक वर्षों में यह केन्द्रीय सरकार की आय का स्रोत था, परन्तु बाद में इसकी आय केन्द्र और राज्यों के बीच विभाजित होने लगी। सन् १९१६ के विधान सम्बन्धी सुधारों के आधीन यह केन्द्रीय सरकार की ही आय का स्रोत बना रहा परन्तु यह निश्चित हुआ कि इसका एक भाग राज्य सरकारों को भी दिया जाय। इसी प्रकार सन् १९३५ के अधिनियम के आधीन भी आय कर की आय का कुछ भाग राज्य सरकारों को प्राप्त होता रहा। यह केवल औद्योगिकीकरण की परिणामों का ही परिणाम था कि आय कर का राजस्व का मिलने वाला प्रतिशत पहली बार निश्चित रूप से निर्धारित किया गया। औद्योगिकीकरण के अनुसार आय कर की आय का ५० प्रतिशत भाग राज्यों में बाँटा जाना लगा। सन् १९५२ के वित्त आयोग ने इस प्रतिशत को बढ़ा कर ५५ कर दिया और दूसरे वित्त आयोग ने ६० कर दिया।

सन् १८६० में २०० से ५०० रुपय माहवार तक की आय पर २% की दर से और १०० रुपयों से ऊपर की सब आय पर ४% की दर से कर लगाया गया था। ५ वर्ष के पश्चात् इसको समाप्त कर दिया गया। परन्तु १८६६ में फिर लागू किया गया। इसी प्रकार उलट फेर हात हाते सन् १८८६ में इसको स्थायी रूप प्रदान किया गया। यह जान कर आश्चर्य होगा कि सन् १८६० से सन् १८८६ तक लगभग २६ वर्षों के अन्दर ३३ कानून बनाये गये थे। सन् १८८६ का नियम भारतीय आय कर के इतिहास में पहला महत्वपूर्ण पग था। इसमें वृषि आय पर कोई कर नहीं लगाया गया था। यह नियम भारत में लगभग ३२ वर्षों तक लागू रहा। सन् १९१८ में भारतीय आय कर में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत करदाताओं के बीच में उत्पन्न होने वाली उच्च असमानताओं का दूर करना था कि सन् १८८६ के नियमों से उत्पन्न हो गई थी। इसका उद्देश्य यह भी था कि आय तथा लाभ को मालूम करने की विधि को पूर्णतया स्पष्ट कर दिया जाय क्योंकि विभिन्न प्रांतों के करदाताओं सम्बन्धी प्रमाणां (standards) में बहुत सी भिन्नताएँ उत्पन्न हो गई थीं। तबसे पहला बार इसी नियम में यह व्यवस्था की गई थी कि सभी स्रोतों से प्राप्त कुल आय पर ही कर निर्धारित किया जाय। इससे अतिरिक्त कर वर्तमान वर्ष की आय पर ही लिया जाना लगा। यह प्रवृत्ति थी कि पिछले वर्ष की आय का आधार पर कर की दर निर्धारित कर दी जाती थी परन्तु वर्तमान वर्ष की बढ़ती आय का फल, लगने, का बाद इस दर में परिवर्तन कर दिया जाता था। यह नियम सभी प्रकार की आय पर लागू होता था।

सन् १९२१ में आय कर नियमों की जांच करने के लिये अखिल भारतीय आय कर समिति के तामने नियमों का गन्ना गया। समिति के गुभावाक अनुसार सन् १९२२ में वर्तमान आय कर बनाया गया और सन् १९३६ में इसमें बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये। इस अधिनियम के अनुसार भारत में निवासीयों की विवेक्षा से प्राप्त आय पर भा कर लगना आरम्भ हो गया। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी

परिस्थितियों का वर्णन भी किया गया था जिनके अनुसार कर के दृष्टिकोण से करदाताओं को तीन वर्गों में विभाजित कर दिया गया था अर्थात् भारत के निवासी, गैर निवासी और वे व्यक्ति जो निवासी तो हैं परन्तु साधारणतया निवासी नहीं हैं। अन्तिम वर्ग पर पहले वर्ग की अपेक्षा कर का भार अधिक रखा गया। इस नियम में पहली बार व्यापारिक कम्पनियों की ६ साल तक की हानि को अगले वर्षों तक ले जाने की आज्ञा प्रदान की। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से परिवर्तन किये गये थे। परन्तु इस नियम में बराबर सशोधन होते ही रहे। दूसरे महायुद्ध छिड़ने के कारण आय कर के समुचित ढाँचे में और परिवर्तन किये गये। अर्थात् आय कर तथा प्रति कर पर अतिरिक्त कर (surcharge) लगाय गये। कर रहित सीमायें नीची कर दी गईं। कोरपोरेशन करों की दरों को बढ़ा दिया गया और अत्यधिक लाभ कर भी लगा दिये गये। साथ ही अनिवार्य बचत योजना भी चालू कर दी गई। कर की दरें बहुत अधिक प्रगतिशील कर दी गई थीं। सबसे ऊँची दर ५००० रुपये से अधिक वार्षिक आय पर थी अर्थात् १५% जाने प्रति रुपया। आय कर की दरों की प्रगतिशीलता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि आय कर से जो आय सन् १९३६ में १५२४ करोड़ रुपये थी वह सन् १९४६ में ६११२ करोड़ रुपये हो गई थी। इसी अवधि में कोरपोरेशन कर २०४ करोड़ रुपये से बढ़ कर ७४० करोड़ रुपये हो गया था। यह ध्यान रहे कि यह वृद्धि केवल कर की ऊँची दरों के कारण ही नहीं थी बल्कि युद्धकाल में आयों में वृद्धि भी बहुत हुई थी। युद्ध के बाद आय कर की दरों को कम कर दिया गया और विभिन्न प्रकार की रियायतें भी दे दी गईं। अत्यधिक लाभ करों को समाप्त कर दिया गया और कर रहित सीमायों को ऊँचा कर दिया गया। सन् १९४७ में एक नया कर अर्थात् पूँजी लाभ कर लगाया गया था। परन्तु यह सन् १९४६ में समाप्त कर दिया गया।

आय कर का वर्तमान ढाँचा निम्न प्रकार है —

अविवाहित व्यक्तियों, हिन्दू संयुक्त परिवार और उन कम्पनियों के लिये जो पंजीकृत (Registered) नहीं हैं आयकर की दरें निम्नांकित हैं —

आयों के विभिन्न बग	दर
कुल आय के प्रथम १,०००) रुपये पर	कुछ नहीं
" " अगले ४,०००) " "	३ प्रतिशत
" " " २,५००) , ,	६ "
" " " २,५००) " "	९ "
" " " २,५००) , "	११ "
" " " २,५००) " ,	१४ "
" " " ५,०००) " ,	१८ "
" " " शेष भाग पर	२५ "

इसके अतिरिक्त निम्न बात ध्यान देने योग्य है —

(१) विवाहित व्यक्तियों के लिये कुल आय के पहले ३०००) रुपये पर कोई कर नहीं है अगल २०००) रुपये पर ३% कर है और गप खंडो पर उपयुक्त तालिका के अनुसार ही कर की दरें हैं।

(२) इसके अतिरिक्त दो बच्चों तक ३००) रुपये प्रति बच्चे की दर में कुल आय में से कटौती की जाती है। विवाह और बच्चे सम्बन्धी कटौतियाँ केवल उसी समय का जाती हैं जबकि व्यक्ति की आय २००००) रुपये से कम होती है।

(३) हिन्दू सयवन परिवारों के लिये भी यह कटौतियाँ की जाती हैं। इनके लिये ६०००) रुपये में नीचे की आयों पर कोई कर नहीं लिया जाता।

(४) पजीवित फर्मों के लिये कर की दर निम्न प्रकार है —

कुल आय व प्रथम	६००००) रुपये पर	कुछ नहीं
अगल	५०००)	५ प्रतिशत
	७५०००)	६
गप भाग पर		८

(५) कम्पनियों के लिये कुल आय पर कर की दर ३० प्रतिशत है।

(६) १ लाख रुपये में नीचे आय पर सामान्य रूप से ५ प्रतिशत और १ लाख से ऊपर की आय पर १० प्रतिशत की दर में अतिरिक्त कर लगाया जाता है। बिना कमाई गई आय पर इन करों के अतिरिक्त एक विंगप अतिरिक्त कर १५ प्रतिशत की दर में लगाया जाता है। यह अतिरिक्त कर उन्हीं आय पर लगते हैं जो हिन्दू सम्मिलित परिवारों के सम्बन्ध में १५०००) रुपये में अधिक होती हैं और व्यक्तिगत के सम्बन्ध में ७५००) रुपये में अधिक होता है। सामान्य अतिरिक्त कर की आय भण्ड सन्धान की प्राप्ति होती है परन्तु विंगप अतिरिक्त कर (Special Su charge) में प्राप्ति आय राज्य और सच सरकारों के बीच में बँट जाती है।

(७) कम्पनियों के आय कर पर ५ प्रतिशत का दर में अतिरिक्त कर लगाया जाता है। २००००) रुपये में अधिक आयों पर आय करके अतिरिक्त अति कर (Super Tax) भी लगाया जाता है जिसकी दर निम्न प्रकार है —

आय के विभिन्न वर्ग	दर
कुल आय व प्रथम	कुछ नहीं
अगल	५ प्रतिशत
५०००)	१५
१००००)	२०
६००००)	२०
१००००)	२५
१००००)	४०
गप भाग पर	४५

एक लाख रुपया से नीचे की आयों पर अति कर के अतिरिक्त ५ प्रतिशत की दर से और एक लाख से, ऊपर की आय पर १० प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर (Surcharge) लगाया गया है। इसके अतिरिक्त बिना कमाई हुई आय पर १५ प्रतिशत पर विशेष अतिरिक्त कर (Special Surcharge) भी लगाया गया है।

भारतीय आय कर की मुख्य विशेषतायें—उपयुक्त निवरण के बाद हम इस स्थिति में हैं कि भारत में आय कर की मुख्य विशेषताओं की गणना कर सकें। यह विशेषतायें निम्न प्रकार हैं—

भारत में आय के सबसे ऊँचे खण्ड पर कर का दर बिना कमाई हुई आय के लिए ८४% है और कमाई हुई आय पर ७७%। सन १९५५ में कर जांच आयोग ने भारत में आय कर की दरों की तुलना अन्य देशों से करते हुए बताया कि भारत में प्रारम्भिक दरें अन्य देशों की तुलना में नीची थीं और प्रगतिशीलता का अर्थ बहुत ऊँचा था। उदाहरण के लिए (१०,०००) (१५,०००) और (२५,०००) रूपयों तक के खण्डों पर कर की दर बहुत से देशों की तुलना में बहुत कम थी परन्तु (२५,०००) के बाद एक दम बढ़ना प्रारम्भ हुई और (४०,०००) रूपया पर बहुत ऊँची हो गई और यहाँ तक कि (७०,०००) रूपयों तक कर की दर इतनी ऊँची हो गई कि यू० के० के पश्चात् भारत का ही स्थान था। कर जांच आयोग का यह मुभाव था कि आय कर टांचे को अधिक न्यायगणन करने के लिए आय को अधिक खण्डों में विभाजित किया जाय, क्योंकि प्रारम्भिक खण्डों में करदाताओं की संख्या सबसे अधिक थी। इस मुभाव को मानते हुए सन १९५७ तक आय को ८ खण्डों में विभाजित कर दिया गया। आयोग ने अपनी खोज करने के बाद यह भी पता लगाया कि भारत में व्यक्ति उम्र समय तक आय कर के क्षत्र में नहीं आता जब तक कि उसकी आय, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय स्तर (National Per Capita Income Level) से लगभग १५ गुनी नहीं हो जाती और इस स्तर से ५०० गुनी अधिक आय पर कर की दर सबसे ऊँची हो जाती है जबकि दूरगरे दशा में यह गुणक (Multiples) बहुत नीचे है। इसके अतिरिक्त भारत में केवल १३% व्यक्ति ही आय कर का भुगतान करते हैं। इन कारणों से आयोग ने आय कर को, उपस्थित असमानताओं (जो कि आय कर का भुगतान करने वाले व्यक्तियों तथा उन व्यक्तियों से जिन पर आय कर नहीं लगता उपस्थित है) को दूर करने का एक निकाशाली अस्त्र बताया है। आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रारम्भिक खण्डों पर कर की दर न बढ़ा कर न्यूनतम कर रहित सीमा को नीचा कर दिया जाय। आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार करके सरकार ने सन १९५७ में कर रहित सीमा को कम करके ३००० रूपया पर निश्चित कर दिया था। यह ध्यान रहे कि कर रहित सीमा को कम करने से प्रारम्भिक खण्डों के अन्तगत आने वाले करदाताओं को बहुत अधिक मात्रा में कर भार सहन करना पड़ रहा है। साथ ही कर रहित सीमा को नीचा करके छोटा छोटी आय वाले व्यक्तियों में कर शकट

करन का खर्चा भी बट जायगा। अतः इस उपाय से कोई भा लाभ नहीं होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रारम्भिक स्तर पर आय को और अधिक खण्डा में विभाजित कर दिया जाय। आयोग ने यह भा बताया कि क्याकि ऊँच खण्डा में ८५% की दर से अधिक कर लगाने का विचार उचित नहीं है। इसलिए मध्यम खण्डा या बीच के खण्डा की आय पर कर की दर को बढ़ाया जा सकता है। आयोग का इस सम्बन्ध में अन्तिम निष्कारण यह था कि आय कर की दर का बढ़ाने के अतिरिक्त २५०००) रूपया से अधिक का आय के लिए एक विधायक एवं अनिवार्य बचत योजना (Surcharge cum Compulsory Deposit Scheme) लागू की जाय। इस योजना की पहली विषयता तो यह है कि २५०००) रूपया से अधिक आय पर प्रगतिशील दर से विधायक कर लागू किया जाय। परन्तु करदाता का यह अधिकार होगा कि वह सरकार से एक दाखलाना करण बहुत नीचा मूद्र का दर पर प्राप्त कर सके और उसका विनिर्देश सरकार द्वारा स्वीकृत उपयोग में कर सक। इस योजना की दूसरा विषयता यह होगी कि २५०००) रूपया से अधिक आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से प्रगतिशील दर पर अनिवार्य रूप से जमा प्राप्त का आय जिसका भुगतान १० वर्षों के बाद बाँट कर कर में किया जाय और यह बाँट सगले २५ वर्षों के बाद भनाय जा सक। इस योजना में आयों का यह उद्देश्य था कि धना व्यक्तियों की खच करन की गतिन कम हो जाए जिससे वर्तमान वंश द्वय मूल्य कम होय और आय का भ्रगमानताय भी कम हो जाय।

हम पहले कह चुके हैं कि आय कर का भार को समान बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की कटौतियाँ तथा रिवायतें दी जाती हैं। भारत में भा गद्द आय की गणना करत समय इस प्रकार की कटौतियाँ की जाती हैं। सबसे पहले सन १८४५ में बिना कमाई हुई आय और कमाई हुई आय के बीच भेद किया गया था। कर जाच आयों का (सन् १८५५) यह राय थी कि क्याकि आय बढ़ने के साथ साथ आयों के बीच में इस प्रकार का भेद करना कठिन हो जाता है और इसका महत्व भा नहीं रहता। इसलिए एक निश्चित सीमा जैसे २४०००) रूपया से कम का आय पर एक कमाई हुई आय का भत्ता (Earned Income Allowance) दे दिया जाय। इन निष्कारणों के बाद सन् १९५५ में ४५०००) रूपया से नीचे का आय पर यह भत्ता दिया गया था। परन्तु कमाई हुई तथा बिना कमाई हुई आय के बीच का भेद फिर आरम्भ कर लिया गया। आयोग की यह भी निष्कारण थी कि विदेशों की भाँति भारत में भी नियमित रूप से कुटुम्ब भत्ता (Family Allowances) की व्यवस्था ३ वर्षों के अन्दर होना चाहिए। उसका प्रस्ताव था कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विवाहित व्यक्तियों के लिए कर रहित सीमा २०००) रूपया और अविवाहित व्यक्तियों के लिए १०००) रूपया कर दी जाय। सन १९५५ में इन निष्कारणों का व्यावहारिक रूप प्रदान कर दिया था परन्तु सन १९५७ में विवाहित व्यक्तियों के लिए कर रहित सीमा को पुनः बढ़ाकर ३०००) रूपया कर दिया गया। साथ ही दो बच्चा तक ३००) रूपया प्रति बच्चे की दर से बच्चा का भत्ता (Children

Allowance) भी दिया जाने लगा ।

इसमें तो कोई सदेह नहीं कि आयकर का वचतां और पूजा निर्माण पर बुरा प्रभाव पड़ता है । इसलिये आयकर के दुरे प्रभावों को कम करने के लिये अन्य प्रकार की कटौतियाँ भी की जाती हैं जैसे प्रावधान कोष और बीमा सम्बन्धी भत्ते (Provident Fund and Insurance Allowances) इत्यादि । भारत में कुछ ऐसी व्यवस्था है कि जो भुगतान प्रावधान कोष में किये जाते हैं या बीमा सम्बन्धी निश्चयों में किये जाते हैं (यदि यह कुल आय का $\frac{1}{4}$ या ८,००० रुपये, इन दोनों में से जो भी कम हो, तक है) उनको कर निर्धारित करने के लिये व्यक्ति की आय में नहीं जोड़ा जाता । इसी प्रकार की अन्य कटौतियाँ सन् १९४६ के आयकर अधिनियम में भी प्रस्तुत की गई थी । मशीनों इमारतों आदि की धिमावट आदि की कटौतियाँ भी फर्मों तथा कम्पनियों की वृद्ध आय की गणना करते समय कुल आय में से कर दी जाती हैं । इसी प्रकार की कुछ विधेय कटौतियाँ की सन् १९४६ से १९५१ तक के पाल में ब्रह्मा दी गई थी । कर आँच आयोग ने उत्पादन तथा पूजा निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये एक सामान्य योजना प्रस्तुत की थी । इस योजना के अनुसार उपक्रमों को ३ भागों में रक्खा गया था । प्रथम भाग में सभी उद्योगों में काम करने वाली कम्पनियों को सम्मिलित किया गया था । दूसरे वर्ग में कुछ चुने हुए उद्योगों को सम्मिलित किया गया था । यह उद्योग या तो राष्ट्रीय विकास की दृष्टि में महत्वपूर्ण होने चाहिये या ऐसे उद्योग हों जिनका विकास स्वयं अपने प्रयत्न से न हो सके । यह उद्योग उत्पादकों की वस्तुओं या पूजागत वस्तुओं से सम्बन्धित होने चाहिये और इनका चुनाव आयकर विभाग द्वारा न हो कर किसी अन्य सस्था द्वारा हो । तीसरे वर्ग में केवल वहाँ बाँडे से उद्योग लिये जाये जिनका चुनाव सरकार समय-समय पर राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि में करती रहे । कमीशन की सिफारिश थी कि पहले वर्ग के उद्योगों को जो अभी तक लाभ दिया जा रहा है वहाँ भविष्य में भी दिया जाये, अर्थात् बिना बाँडे हुए लाभों पर १ आना प्रति रुपये की दर से कटौती । दूसरे वर्ग के उद्योगों को एक विकास कटौती (Development Rebate) की सुविधा प्रदान की जाये । इन वर्गों की सभी कम्पनियों को यह सुविधा स्वाधीन पूजा की वस्तुओं खरीदने के लिये दी जानी चाहिये और तीसरे वर्ग में चुने हुए उद्योगों में स्थापित होने वाली नई कम्पनियों में उत्पादन आरम्भ होने वाले वर्ष से ६ वर्षों तक कोई भी कर नहीं लिया जाये । इसके बाद ५ वर्षों तक साधारणतया धिमावट या दुगने तक की कटौती की सुविधा दी जाये । इन रिवायतों के प्रभावा का दर ५ वर्षों के बाद अभ्ययन किया जाय और जो भी स्थिति हो उसे भारतीय गणद के मामले रक्खा जाये । इन सब मुद्दों से उद्योगों को मशीनों आदि खरीदने के लिये मशीनों की कुल लागत का २५% तक का एक विकास कटौती का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया ।

कर आँच आयोग ने आयकर विभाग की प्रस्तावित सम्बन्धी कुशलता को बढ़ाने के लिये भी अपने सुझाव दिये थे । कमीशन का सुझाव था कि आयकर

विभाग के अफसरा को जतना के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिये और फर भुगतान की राशि निर्धारित करने में तथा प्राप्त किये हुए धन को लौटाने में अनावश्यक देरी नहीं करनी चाहिये इत्यादि इत्यादि। उम्मा प्रस्ताव था कि इस नाम से निय विशेष अफसर नियुक्त किये जाय।

पिछले कुछ वर्षों में आयकर से प्राप्त आय की राशि इस प्रकार है —

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	आय	वर्ष	आय	वर्ष	आय
सन १८८१-८२	१४६ १८	सन १९१८-१९	१२२ २६	सन १९५७-५८	१५५ ६०
१८८२-८३	१४१ ४३	१९१९-२०	१३१ ३५	१९५८-५९	१६१ ५०
१८८३-८४	१२२ ८४	१९२०-२१	१५१ ७४		

आयकर की चोरी भारत के लिए कोई अनीशी बात नहीं है। यह तो प्रायः सभी देशों में प्रचलित है। कर जांच आयोग के अनुसार यह चोरी लगभग ३० और ४० करोड़ रुपय का होती होगी। परन्तु प्रो० बलजीर का अनुमान था कि भारत में २०० से ३०० करोड़ रुपय के बीच में आय कर की चोरी की जाती है। कुछ भी हो मना अत्रस्त है कि आय कर की चोरी की जाती है और इस चोरी को रोकना आवश्यक है क्योंकि इससे केवल सरकारी आय ही कम नहीं होगी बल्कि ईमानदार कर दाताओं पर कर का भार भी अधिक हो जाता है। कर जांच आयोग ने इसकी रोकने के लिए बहुत ही गतिधा बताई है जिनमें से एक यह भी है कि एक प्रायः कर पूछ ताछ आयोग जैसी स्थायी मस्या स्थापित की जाय जिनका अध्यक्ष हाईकोर्ट के जज में नीची हैतियत का व्यक्ति न हो। इसने यह भी सुझाव दिया कि आयकर निरीक्षण को अधिक गति प्रदान की जाए ताकि वे व्यापारियों के दफ्तरो पर छापा मार सकें और उचित आयकर सम्बन्धी कागजातों को बरामद कर सकें।

कारपोरेशन कर — कम्पनियों की आय पर जो अतिकर (Super Tax) लगता है उस कारपोरेशन कर कहते हैं। आजकल कम्पनियों पर अतिकर की दर कुल आय पर ५०% है। इसके ऊपर कोई प्रतिरिक्त कर (Surcharge) नहीं लिया जाता है। कुछ शर्तों पर कर लेने पर कटौतिया भी दी जाती हैं। कर जांच आयोग के अनुसार कारपोरेशन कर की दरें इस प्रकार हैं — प्रथम २५०००) रुपयों पर एक प्राणा प्रति रुपया और गण आय पर २ आने ६ पाई प्रति रुपया। इस कर से सन् १८५७-५८ से ५०% करोड़ रुपय प्राप्त हुए थे और सन् १८५८-५९ में ५५३ करोड़ रुपय प्राप्त होने की आशा थी।

अधिक लाभ कर (Excess Profit Tax) — सन् १८४० से एक अधिक लाभ कर लागू किया गया था। इसके अनुसार सामान्य वर्षों की अपेक्षा प्राप्त होने वाले अधिक लाभों पर ५०% की दर से कर लिया जाता था। सरकार ने सन् १९३५-३६ या सन् १९३६-३७ या सन् १८३५-३६ से सन् १९३७-३८ का अवधि या सन् १९३६-३७ या १९३७-३८ के अवधि — की अधिक लाभ का अनुमान लगाने

के लिये सामान्य काल घोषित कर दिया था और व्यापारियों को यह स्वतन्त्रता थी कि वे इन अवधियों से जिसको चाहें चुन लें। सन् १९४१ में कर की दर को बढ़ाकर ६६.३३% कर दिया गया था। सन् १९४२ में यह घोषित किया कि यदि कोई व्यक्ति कर के अतिरिक्त अपने लाभ का १३% भाग सरकार के पास जमा करा देगा तो सरकार उस पर अपनी ओर से अधिक लाभों का ६.३३% देगी और यह दोना (अर्थात् १३.३३% व्यापारियों द्वारा दिया हुआ और ६.३३% सरकार का अर्धदान) युद्ध के बाद वापिस कर दिया जायेगा। साथ ही करदाता जो धन राशि जमा करेगा उस पर २% की दर में सूद भी दिया जाएगा। सन् १९४२ में जमा करण की योजना को अनिश्चय घोषित कर दिया गया और अन्त में एक ऐसी अवस्था पहुँची जबकि कम्पनियाँ का कुल अधिक लाभ किसी न किमा कर के रूप में सरकारी खजानों में जमा होने लगा यद्यपि इसका कुछ भाग युद्ध के बाद लौटाया जाना था। यह कर केवल युद्ध के वर्षों में ही लागू किया गया था और इसलिए सन् १९४६ में युद्ध समाप्त होने का इसको भी समाप्त कर दिया गया।

सन् १९४७ में श्री लियाकत अली खान व्यापारिक लाभों पर कर लागू किया था परन्तु यह भी सन् १९५० में समाप्त कर दिया गया।

प्रो० कलडौर ने भारतीय कर प्रणाली पर अपने सुधार सम्बन्धी विचार प्रकट करते हुए यह प्रस्ताव दिया था कि भारत में आय कर और अति कर के स्थान पर केवल आय कर ही लागू किया जाय जो व्यक्तिगत और साभदारा इत्यादि के लिये २५.०००) रुपया की वार्षिक आय तक प्रगतिशील हो और उसके ऊपर का सभी आय पर कर ७ आने प्रति रुपए की दर में समान हो। इस प्रकार कर का सबसे ऊँचा दर ४५% होगा। प्रो० कलडौर का प्रस्ताव था कि कम्पनियाँ पर वर्तमान आय कर और कारपोरेशन कर के स्थान पर केवल एक ही कर उनकी कुल आय पर लगाया जाय जिसकी दर प्रत्येक आय के लिए ७ आने प्रति रुपया हो। प्रो० कलडौर के यह प्रस्ताव उनके द्वारा प्रस्तुत की गई करारोपण की समुचित योजना का ही एक मुख्य अंग था। परन्तु जब कि सरकार ने उनके द्वारा प्रस्तावित सभी नये करों को लागू कर दिया है आय कर की दरों को अभी तक कम नहीं किया है। इसका मुख्य कारण यह है कि आय कर की दरों को कम करने से जायकी हानि होगी वह नये करों द्वारा पूरी नहीं हो सकेगी। इसके अतिरिक्त प्रो० कलडौर की समुचित योजना के अनुसार सारे करों (पूँजी लाभ कर, वार्षिक धन कर व्यय कर और उपहार कर) से सम्बन्धित हिसाब किताब एक साथ ही देना पड़ेगा। परन्तु क्योंकि यह सब होना इतनी जल्दी सम्भव नहीं था इसलिए प्रो० कलडौर द्वारा प्रस्तुत आय कर सम्बन्धी सुझावों की ओर अभी तक कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। आशा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कर प्रणाली को प्रो० कलडौर के प्रस्तावों के अनुसार सुधारा जायेगा।

अध्याय १६

संघ सरकार की आय के
स्रोत (क्रमशः) —
सम्पत्ति करारोपण—(मृत्यु-कर)
Sources of Revenue of
the Union Govern-
ment (Contd) —
Property Taxation —
(Death-Duties)

प्राक्कथन—

आजकल पूंजीगत वस्तुओं पर कर लगाने की प्रथा सामान्य रूप से सभार के प्रत्येक देश में ही प्रचलित है। आधुनिक शब्दा में पूंजी धन के उच्च भाग को कहते हैं जो अधिक धन की उत्पत्ति करता है अथवा मनीने इत्यादि। परन्तु करारोपण की दृष्टि से पूंजी शब्द का अर्थ काफी विस्तृत है और इसके अन्तर्गत सभी प्रकार की वस्तुओं के बिन बिके कोषों (Stock) को सम्मिलित किया जाता है। इसमें अन्तर्गत अचल सम्पत्ति जैसे भूमि तथा इमारत और चल सम्पत्ति जैसे फरनीचर, जेवर आदि प्रतिभूतियों (Securities) और मुद्रा सम्मिलित होती है।

प्राचीन समय में ही यह एक विवादग्रस्त विषय चला आ रहा है कि पूंजी पर कर लगाया जाय या नहीं। प्राचीन लेखकों का कुछ ऐसा विचार था कि पूंजी की अपेक्षा आय पर कर लगाना अधिक लाभप्रद होगा क्योंकि पूंजी कर एक तो उपस्थित पूंजी की मात्रा को कम कर देता है और दूसरे भविष्य में पूंजी के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। परन्तु कुछ लेखकों का विचार है कि पूंजी कर हानिकारक नहीं होता है क्योंकि यह अन्य करों की भांति सम्पत्ति की चालू उत्पत्ति में से ही लिया जाता है।¹ परन्तु क्योंकि चालू उत्पत्ति का कुछ भाग बचतों में चला जाता है और कुछ भाग उपभोग में जाता है इसलिए प्रश्न यह है कि पूंजी कर का भुगतान कुल उत्पत्ति के बचतों वाले भाग में होना या उस भाग में से जिसका उपयोग उपभोग कार्यों में होता है, यह कहीं बातों पर निर्भर करेगा, जैसे कर की प्रवृत्ति प्रथमत् कर बार बार उत्पन्न होने वाला है या केवल एक बार ही उत्पन्न होने वाला है, कर-दाता की मनीवृत्ति इत्यादि। यदि कर का भुगतान केवल एक बार ही करना है तो यह बचतों में से किया जा सकता है और यदि कर का भुगतान बार बार होता है तो भविष्य में करदाता की आय सम्बन्धी भाग पर निर्भर करेगा। यदि आय सम्बन्धी

माँग लोचपूर्ण है तो बचतों में से भुगतान किया जायगा अन्यथा उपभोग को कम करके कर का भुगतान किया जायगा। प्राचीन लखको का यह विचार, कि सम्पत्ति कर उत्पादन को कम करेगा उचित नहीं है क्योंकि उत्पादन विनोयोगों द्वारा प्रोत्साहित होता है और सम्पत्ति कर केवल बचतों को ही निरुत्साहित करता है। इसलिये उत्पादन पर कोई विशेष बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

व्यक्तियों की कर दान योग्यता को आकने के लिए भी सम्पत्ति केवल आय को छोड़कर अर्थ वस्तुओं की अपेक्षा अधिक अच्छा आधार है, क्योंकि सम्पत्ति से बरदाताओं की तुलनात्मक आर्थिक शक्ति का अनुमान भली भाँति लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सम्पत्ति कर द्वारा समाज में धन के वितरण को अधिक सामान्य किया जा सकता है। अधिकतर देशों में जो सम्पत्ति कर लगाय गये हैं उनमें मुख्य मृत्यु कर, पूँजीगत वस्तुओं पर कर, धन पर कर और उपहार कर हैं। हम इनमें प्रत्येक का वर्णन निम्न पृष्ठों में करेंगे —

मृत्यु कर—

मृत्यु कर वह कर है जो मृत्यु के पश्चात् व्यक्ति द्वारा छोड़ी हुई सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर लगाया जाता है। अतः यह कर मृतक व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों से प्राप्त किया जाता है। इस कर के साधारणतया दो रूप होते हैं। प्रथम भू-सम्पत्ति कर (Estate duty) और दूसरा उत्तराधिकार कर। भू-सम्पत्ति कर मृतक व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई शुद्ध सम्पत्ति चल हो या अचल के उत्तराधिकारियों में बाँट जाने से पहले ही कर यमूलक कर दिया जाता है। इसमें इस बात को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता कि मृतक व्यक्ति की सम्पत्ति किसको प्राप्त हो रही है, इस व्यक्ति का मृतक व्यक्ति से क्या सम्बन्ध है इत्यादि। दूसरी ओर उत्तराधिकार कर में मृतक व्यक्ति की सम्पत्ति का बँटवारा हो जाने के बाद सम्पत्ति प्राप्त करने वाले उत्तराधिकारियों पर अलग अलग कर लगाया जाता है। अतः इसमें केवल यही नहीं देखा जाता कि किसी विशेष उत्तराधिकारी को कितनी सम्पत्ति मिली है बरन यह भी देखा जाता है कि सम्पत्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति का मृतक व्यक्ति से कैसा सम्बन्ध है—निकट का या दूर का उत्तराधिकारी की अपनी निजी सम्पत्ति तथा प्राप्त की हुई सम्पत्ति का सामूहिक मूल्य क्या है इत्यादि। व्यवहार में उत्तराधिकारी का सम्बन्ध मृतक व्यक्ति से जितना दूर का होता है उतनी ही कर की दर अधिक होती है और जितना निकट का होता है उतनी ही कम होती है। प्रबन्ध में दृष्टिकोण से मृत्यु कर का पहला रूप दूसरे की अपेक्षा अधिक सरल तथा मितव्ययी होता है। साथ ही साथ उत्पादक भी अधिक होता है। कारण यह है कि उत्तराधिकार कर में सम्पत्ति के हिस्सा का मरत्य निर्धारित करने तथा उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में पूँछनाछ करने में अधिक व्यय होता है और कर की दरें निश्चित करने में भी अधिक मनमाने ढंग से काम लिया जाता है। साथ ही साथ उत्तराधिकार कर में करदान योग्यता को अधिक महत्त्व दिया जाता है जिसका सही रूप से पता लगाना मामूली काम नहीं

लेती है इसलिये उसको अधिकार है कि वह सभी जायदादों के वितरण में से हिस्सा प्राप्त करे।³ अतः मृत्यु कर न्यायसंगत है। परन्तु इस सिद्धान्त के आधार पर आधुनिक मृत्यु करारोपण को उचित सिद्ध करना ठीक न होगा। प्रथम, जिस प्रकार यह सिद्धान्त मृत्यु कर के सम्बन्ध में लागू किया जाता है उसी प्रकार यह आय कर के सम्बन्ध में भी लागू किया जा सकता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जब किसी देश में आय कर लागू कर दिया गया है तो उसके साथ-साथ मृत्यु कर गही लगाया जा सकता। परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं होता। यदि ऐसा किया जाये तो आधुनिक सरकारों को पर्याप्त आय भी प्राप्त नहीं होगी। इस सिद्धान्त को स्वीकार करने में एक कठिनाई यह भी है कि छोटी बड़ी सभी जायदादों के हस्तान्तरण पर कर लागू किया जाये। क्योंकि सरकार सभी प्रकार की जायदादों की उत्पत्ति में सहायता करती है। इस प्रकार यह समझ में नहीं आता कि यह सिद्धान्त, मृत्यु कर की प्रगतिशीलता और छोटी जायदादों के कर मुक्त रहने के तथ्यों का स्पष्टीकरण किस प्रकार करता है। साथ ही यह इन को भी स्पष्ट करने में असमर्थ रहता है कि जब सरकार व्यापारिक लाभों में से हिस्सा बटाती है तो व्यापारिक हानियों में हिस्सेदार क्यों नहीं होती।⁴

(३) पिछला-कर सिद्धान्त—इस सिद्धान्त के प्रतिपादकों का विश्वास है कि मृत्यु कर एक ऐसा अस्त्र है जिसके द्वारा उन करों को एकत्रित कर लिया जाता है जिनका भुगतान मृतक व्यक्ति ने अपने जीवनकाल में नहीं किया था।⁵ इस सिद्धान्त को स्वीकार करने में पहली कठिनाई तो यह है कि यह कैसे निश्चित किया जाये कि उपस्थित जायदाद का कितना भाग पिछले करों के भुगतान न करने के कारण जमा हुआ है। इसके अतिरिक्त यदि मृत्युकर केवल चोरी किये गये करों को एकत्रित करने का एक साधन मात्र है, तो फिर यह सम्पूर्ण जायदाद और सभी प्रकार की सम्पत्तियों पर क्यों लगाया जाता है? यह केवल उसी सम्पत्ति पर क्यों नहीं लगाया जाता जो करों की चोरी के कारण उत्पन्न हुई है। यह सोचना भी मूर्खता है कि इतनी बड़ी सम्पत्ति करों की चोरी करके जमा की जा सकती है और यह भी अनुमान इसलिये उचित नहीं है कि सम्पत्ति का होना इस बात का प्रमाण है कि भूतकाल में करों की चोरी की गई थी।⁶

(४) कर्तव्य योग्यता सिद्धान्त—अहुदा मृत्यु कर का समर्थन इस आधार पर किया गया है कि यह कर व्यक्तियों की करदान योग्यता के सिद्धान्त के अनुकूल है। यह सिद्धान्त इस बात की ओर ध्यान दिलाता है कि व्यक्तियों में अन्य करों के भुगतान करने की योग्यता में सम्पत्ति के हस्तान्तरण से जो अतिरिक्त करदान योग्यता

3 Seligman *Essays in Taxation*, 1913, P. 129.

4 Philipe. E. Taylor *Op. cit.* P. 496.

5 Seligman *Op. cit.*, P. 135

6. Philipe E. Taylor *Op. cit.*, P. 497

उत्पन्न होती है उस सम्पत्ता पर मृत्यु कर लगाया जाता है। दूसरे किसी व्यक्ति के अधिकार में सम्पत्ति होने की बात स्वयं यह निश्चय करती है कि उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति उन व्यक्ति के अन्तर्गत अधिक है। तब, मृत्यु कर ऐसे समय पर एकत्रित किया जाता है जब कि व्यक्ति को सम्पत्ति प्राप्त होती है और एक व्यक्ति में उस समय कर का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। अतः मृत्यु कर, विशेष रूप से उत्तराधिकारी के लिए का प्रगतिमान बनाया जा सकता है और करभार का उचित वितरण किया जा सकता है।

सम्पत्ता विभाजन के अनुसार मृत्यु कर की दर का दो विभागात्मक प्रगति-मार्ग बनाया जा सकता है। प्रथम जायदाद के प्रकार के विभाग के अनुसार और दूसरे मृतक व्यक्ति और व्यक्ति के अन्तर्गत सम्पत्ति की दर के अनुसार। जायदाद के प्रकार के अनुसार दर का प्रगतिमान विभिन्न प्रकार में बनाया जा सकता है —

(१) प्रथम, मृतक व्यक्ति द्वारा छोड़ी हुई सम्पत्ति के मूल्य के अनुसार, अर्थात् जैसे मूल्य वाली सम्पत्ति पर जैसी दर और कम मूल्य वाली सम्पत्ति पर नीची दर और एक निश्चित सीमा में नीची सम्पत्ति का कर मुक्त करे। इस प्रकार की प्रगतिशीलता भू-सम्पत्ति के (Estate Duty) में स्थापित की जाती है। परन्तु एक ही सम्पत्ति के विभिन्न भागों में कर की दर का प्रगतिमान नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि सम्पूर्ण सम्पत्ति का मूल्य एक साथ ही आँका जाता है और कर की दर का बटवारा विभिन्न भागों में प्राप्त की हुई सम्पत्ति के अनुपात में कर दिया जाता है। इस प्रकार भू-सम्पत्ति पर अनुपातिक दर है।

(२) दूसरे, कर की दर को व्यक्तिगत विशेष द्वारा प्राप्त की गई सम्पत्ति के अनुसार प्रगतिशील बनाया जा सकता है। जिस व्यक्ति का बड़ी सम्पत्ति प्राप्त हो उन पर छोटी सम्पत्ति प्राप्त करने वाला ही दर पर कर लगाया जाये। उत्तराधिकार कर की दर में इसी प्रकार प्रगतिशीलता लाई जाती है। इस प्रकार कर की प्रगतिशीलता व्यक्तिगत न्याय संगत है, क्योंकि यह पूर्णरूप में बरदान योग्यता के अनुकूल होती है। परन्तु जायदाद कर की अपेक्षा इस कर का प्रत्यक्ष प्रभाव मरत नहीं होता। क्योंकि-कभी उत्तराधिकार कर का अधिक न्याय संगत बनाम के लिए उस सम्पत्ति को भी सम्पत्ति कर दिया जाता है या कि किसी व्यक्ति के पास उत्तराधिकार में प्राप्त हुई सम्पत्ति के पहले से उपस्थित थीं। अतः किसी धनी व्यक्ति का उत्तराधिकार में प्राप्त होने वाली छोटी सी सम्पत्ति पर जैसी दर में कर लगाया जा सकता है और परन्तु अधिक प्रगतिशील बनाया जा सकता है।

मृतक व्यक्ति और उत्तराधिकारी के बीच सम्पत्ति की निकटता या दूरी के अनुसार भी मृत्यु कर की दर को प्रगतिशील बनाया जा सकता है। विभिन्न देशों में उत्तराधिकार की तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रथम वर्ग में प्रत्यक्ष उत्तराधिकारियों जैसे, पति अथवा पत्नी, बच्चे, माता, पिता, दादा अथवा दादी और भाता अथवा भती। दूसरे वर्ग में सम्बन्ध (Collateral) उत्तराधिकारी सम्मिलित

किये जाते हैं जैसे भाई, बहन, सम्बन्धित भाई बहन, चाचा, चाची, मामा, माई इत्यादि। और तीसरे वर्ग में वे सभी व्यक्ति सम्मिलित किये जाते हैं जिनका मूलक व्यक्ति से कोई खून का सम्बन्ध नहीं होता। प्रथम वर्ग के व्यक्तियों के सम्बन्ध में कर रहित सीमा ऊँची रहती है और कर की दर अपेक्षाकृत नीची होती है। दूसरे वर्ग के व्यक्तियों के लिये कर रहित सीमा नीची होती है और ऊँची प्रगतिशील दरें होती हैं और तीसरे वर्ग के व्यक्तियों के लिये न्यूनतम कर रहित सीमायें होती हैं और उच्चतम प्रगतिशील कर की दरें होती हैं।

अन्त में मृत्यु कर को इस आधार पर भी प्रगतिशील बनाया जा सकता है कि एक ही सम्पत्ति कितने उत्तराधिकारियों के हाथों में से निकल चुकी है। यदि कोई सम्पत्ति १० पुत्रों से उत्तराधिकारियों को प्राप्त होती चली आ रही है तो पुत्रों की संख्या बढ़ने के साथ साथ मृत्यु कर की दर भी प्रगतिशील होती जायेगी।

(५) धन का पुनर्वितरण — मृत्यु कर मृत्यु के कारण होने वाले सम्पत्ति हस्तान्तरण के समय लगाये जाते हैं। स्वयं सम्पत्ति ही कर का आधार होती है और कर की दर प्रायः सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय से अधिक होती है। इसलिए स्पष्ट ही है कि मृत्यु कर का उद्देश्य धन पर कर लगाना है। गत वर्षों में निजी सम्पत्ति के विरुद्ध काफी आलोचनाएँ हुई हैं। सबसे महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि निजी सम्पत्ति के अधिकार में धन और आय का वितरण बहुत असमान हो गया है, जिसके कारण सामाजिक कल्याण दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त अधिकतर सम्पत्ति उन व्यक्तियों द्वारा एकत्रित की गई है जिनको अधिक आय प्राप्त होती है परन्तु जिनकी उपभोग करने की प्रवृत्ति कम होती है। इसलिए लगभग सभी व्यक्ति इस बात से सहमत हैं कि निजी सम्पत्ति प्रणाली को नियन्त्रित करने के लिए दूर किया जाए। परम्परागत विचारधारा के अनुसार सरकार को धन का वितरण इसलिए भी समान करना चाहिये क्योंकि समाज के अधिकांश व्यक्ति पूर्ण रूप से निजी सम्पत्ति द्वारा ठुकरा दिये जाते हैं और उनका आर्थिक कल्याण नहीं हो पाता। इन व्यक्तियों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि करने के लिये एक न्यूनतम मजदूरी निश्चिन की जाये, काम के घण्टे कम कर दिये जायें, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की जाये, आदि प्रस्ताव दिये गए हैं। पिछले वर्षों में आर्थिक आधारों पर भी आय की असमानताओं की आलोचना की गई है। नई विचारधारा के अनुसार व्यापार चक्रों की उत्पत्ति, उपभोग का नीचा स्तर और नीचे राष्ट्रीय आय तथा बेरोजगारी, सभी बातें निजी सम्पत्ति के कारण उत्पन्न हुई हैं। निर्धनता केवल सामाजिक दृष्टिकोण से ही सही नहीं है बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी दोषपूर्ण है, क्योंकि नीचे जीवन स्तर द्वारा यह आर्थिक प्रगति में बाधक होती है। इस प्रकार आर्थिक प्रगति के लिये विनियोग और आन का स्तर ऊँचा होना चाहिए। यह उसी समय सम्भव हो सकता है जबकि उपभोग का स्तर ऊँचा हो। यह एक नया सत्य है कि जब उपभोग का स्तर बढ़ना बन्द हो जाता है तो बड़ी आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की बचने संचित कोषों (Hoards) में चली जाती है और आर्थिक प्रगति

स्थिर हो जाती है।⁷

उत्तराधिकारी प्रथा उन बहुत स कारणों में से एक कारण है जो धन की असमानताओं का जन्म देते हैं और धन की असमानताओं में आय की असमानताओं उत्पन्न होती है। उत्तराधिकारी प्रथा की बराबरी को दूर करने की इच्छा से प्रेरित होकर ही जायदादा और सम्पत्तियाँ पर प्रगतिशील करावण की ओर ध्यान दिया गया है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि मृत्यु कर वही कारण उत्तराधिकारी प्रथा का अन्त हो जायगा। हाँ इतना अवश्य है कि आय की असमानताएँ कुछ सीमा तक अवश्य ही कम हो जायगी। धन के पुनर्वितरण के उद्देश्य और करदान योग्यता के अनुसार करावण के उद्देश्य जिन दोनों पर मृत्यु कर आधारित है एक दूसरे से किसी प्रकार भी टकराते नहीं हैं। साधारणतया उत्तराधिकार में जितना अधिक प्राप्त होता है उतनी ही व्यक्ति को करदान योग्यता बढ़ती है और मानाग्य रूप से उत्तराधिकारी सम्पत्तियाँ पर प्रगतिशील दरों में कर उठाना करदान योग्यता सिद्धान्त का भी अनुकूल है और साथ ही धन के असमान वितरण की बराबरी को भी दूर करता है।

(६) मृत्यु कर और बचतें—बहुत बार यह कहा गया है कि मृत्यु कर देश में बचता को निरस्तसाहित करते हैं। परिणामस्वरूप देश में पूँजी का एकत्रीकरण कम होता जाता है। देश की बचतों पर मृत्यु कर द्वारा पड़ने वाले प्रभाव का दो दिशाओं में अध्ययन किया जा सकता है एक तो मृत्यु कर के प्रभाव देश में उपस्थित पूँजी के स्टाकों पर और दूसरे मृत्यु कर के प्रभाव पूँजी का विकास एवं एकत्रीकरण पर।

कुछ लोगों का विचार है कि मृत्यु करों से देश की किसी समय विलोप पर उपस्थित पूँजी का ह्रास होता है। बहुत से व्यक्तियों को कर का भुगतान करने के लिए अपनी सम्पत्ति बचनी पड़ती है। थोड़ा सा ध्यान देने पर यह जाना जा सकता है कि यह तक कितना सोखला है। अपनी दानीय दत्तें समय आतीचक यह भूल जाते हैं कि जबकि व्यक्तिगत अधिकार में सम्पत्ति की मात्रा कम हो जाती है उत समय देश की कुल पूँजी में कोई भी कमी नहीं आती है। जब कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति हिली दूसरे को बचता है तो यह अवश्य है कि उसका अधिकार से सम्पत्ति निकल गई परन्तु वह पूँजी देश में ही रहती। केवल स्वामित्व का अधिकार के हस्तांतरण से ही पूँजी गूट नहीं हो जाती। इसलिए यह कहना कि मृत्यु कर देश की पूँजी में कमी करे हैं अनुचित है। मृत्यु करों से देश की पूँजी तो गूट ही जैसी रहती है परन्तु व्यक्तिगत अधिकारों में पूँजी की मात्रा अवश्य कम हो जाती है और यही तो मृत्यु कर का उद्देश्य भी है। वास्तव में इस विचार में एसा प्रतीत होता है कि इन लोगों ने धन और धन के स्वामित्व को एक ही समझ लिया है⁸ और यही इनकी त्रुटि है।

7 Philips E Taylor *Op cit* P 501

8 *Ibid* Page 501

मृत्यु कर की इस आधार पर भी आलोचना की गई है कि इससे भविष्य में पूँजी का एकीकरण निरुत्साहित होता है। इन लोगों के अनुसार जो धन राशि कर के भुगतान में दी जाती है यदि मृत्यु कर न लगे तो वही बचाई जाती और पूँजी का एकीकरण होता। यह विचार भी पूर्णतया सत्य नहीं है। क्योंकि इसका क्या प्रमाण है कि जो धन राशि कर के रूप में दी जाती है वह कर न लगने पर बच ही जाती। वास्तव में इस धन राशि का कुछ भाग तो उपभोग में खर्च हो जाता और कुछ बचाया जाता। इसके अनिश्चित करों से प्राप्त आय को सरकार निरर्थक कार्यों पर व्यय नहीं करती। आजकल सरकार का अधिकांश व्यय पूँजीगत योजनाओं पर होता है और परिणामस्वरूप जो धन व्यक्तियों से इकट्ठा किया गया है उसको केवल देश में पूँजी की मात्रा को बढ़ाने के ही काम में लाया जाता है। इस प्रकार मृत्यु कर से देश में पूँजी की मात्रा किसी प्रकार भी कम नहीं होती। मृत्यु कर व्यक्तियों की बचाने की इच्छा पर मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों द्वारा भी प्रभाव डाल सकता है। यह भी सर्वथा सत्य नहीं होता। किसी व्यक्ति विशेष के बचाने की इच्छा पर किस सीमा तक बुरा प्रभाव उत्पन्न होगा इस बात पर निर्भर करता है कि भावी आय के लिए उसकी माँग की लोच कैसी है। यदि किसी व्यक्ति की माँग की लोच भावी आय के लिए कम है तो उसके बचत करने की इच्छा गिरने के स्थान पर बढ़ जायेगी अर्थात् यदि व्यक्ति की यह इच्छा है कि वह अपनी मृत्यु के बाद एक निश्चित आय देने वाली एक निश्चित आकार की सम्पत्ति छोड़े तब यह मृत्यु कर लगने के बाद अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पहले से अधिक बचायेगा। इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्तियों की आदत ही बचाने की होती है और जो मृत्यु कर की तनिक भी धिम्मा नहीं करते। इस प्रकार मृत्यु कर दत्तों को बहुत अधिक निरुत्साहित नहीं करता। परन्तु उन व्यक्तियों की बचत करने की इच्छा अवश्य ही कम हो जाती है जितनी भावी आय की माँग की लोच ऊँची होती है। परन्तु इन व्यक्तियों की बचत करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव न पड़ने देने के लिए प्रो० रिगनानो ने अपनी योजना प्रस्तुत की है जिसका वर्णन निम्नांकित है —

रिगनानो योजना^१

(Rignano's Plan) —

रिगनानो एक इटैलियन अर्थशास्त्री था जिसने मृत्यु करों का दो दृष्टिकोणों से अध्ययन किया था। प्रथम, बचत करने की इच्छा पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव और दूसरे, धन के वितरण पर पड़ने वाले प्रभाव के दृष्टिकोणों से। रिगनानो ने मृत्यु करों के लिए एक ऐसी योजना प्रस्तुत की है जिसके द्वारा तीन पीढ़ियों के अन्दर ही सम्पत्ति पूर्णतया सरकार के अधिकार में आ जाती है। उनका मत है कि सम्पत्ति के हर अगले हस्तान्तरण के साथ-साथ मृत्यु कर की दर भी बढ़ती जानी चाहिए। इस योजना के अनुसार यदि 'अ' ने अपनी सम्पत्ति स्वयं अपनी मेहनत से बचाई है तो उसकी मृत्यु के

१ Cf. Rignano. *The Social Significance of Death Duties.*

पश्चात् 'ब' को, जो 'अ' का उत्तराधिकारी है, 'अ' की सम्पत्ति का केवल दो तिहाई मिलना चाहिए और शेष एक तिहाई सरकार को ले लेना चाहिए। 'ब' इस सम्पत्ति को अपने प्रयत्नों से बढ़ा सकता है परन्तु 'ब' की मृत्यु पर 'स' को उत्तराधिकार में जो 'ब' की सम्पत्ति प्राप्त होती है उसमें से 'अ' की सम्पत्ति (जो 'ब' को प्राप्त हुई थी) दो तिहाई सरकार को ले लेनी चाहिए और जो सम्पत्ति 'ब' ने स्वयं अपने प्रयत्नों से उत्पन्न की थी उसका केवल एक तिहाई भाग सरकार को लेना चाहिए। इसी प्रकार 'न' की मृत्यु के पश्चात् 'अ' वाली शेष सारी सम्पत्ति सरकार को ले लेनी चाहिए, 'ब' वाली सम्पत्ति का दो तिहाई भाग और यदि 'स' ने स्वयं कोई सम्पत्ति उत्पन्न की है तो उसका एक तिहाई भाग सरकार को ले लेना चाहिए। इस प्रकार तीन पीढ़ियों बाद एक व्यक्ति की उत्पन्न की हुई सम्पत्ति सरकार के हाथ में पहुँच जायेगी।

रिगनानो योजना पर एक आलोचनात्मक दृष्टि—रिगनानो योजना के पक्ष और विपक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है। पहले हम योजना के शीर्षक पर ध्यान देते तत्पश्चात् योजना की बुराइयों की विवेचना करेंगे—

रिगनानो योजना में सबसे पहली अच्छी बात यह है कि इसने सम्पत्ति को उत्पन्न करने और एकत्रित करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि स्वयं उत्पन्न की हुई सम्पत्ति का केवल एक तिहाई भाग ही सरकार को मृत्यु कर के रूप में प्राप्त होता है। परन्तु जो सम्पत्ति पुरानी है और एक उत्तराधिकारी से दूसरे को और दूसरे से तीसरे को मिलनी जानी है उसमें से सरकार दो तिहाई भाग लेती है। साधारणतया मनुष्य को यह मनोकामिनी भी होती है, कि वह दूसरे से प्राप्त की हुई वस्तु को अधिक महत्व नहीं देता इसलिये उसको उत्तराधिकार में प्राप्त की हुई सम्पत्ति का अधिक भाग मृत्यु कर के रूप में देने में कोई भी आपत्ति न होगी। इस प्रकार पूँजी का एकत्रीकरण निरुत्साहित नहीं होगा। दूसरे योजना एक मनो-वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है। मनुष्य प्रकृति से ही दूर के सम्बन्धियों से उत्तराधिकार में प्राप्त होने वाली सम्पत्तियों में लिये चिन्ता नहीं करता और उनके बारे में सोचना तक नहीं है। इस कारण यदि निकट सम्बन्धियों को उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति पर कम मृत्यु कर लगाया जाय और दूर के सम्बन्धियों की चाहे पूरी ही सम्पत्ति ले ली जाय तो इसका सम्पत्ति उत्पन्न करने वाले की इच्छा तथा शक्ति पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरे, सैद्धांतिक दृष्टिकोण से रिगनानो ने अपनी योजना में यह भी स्वीकार किया है कि सम्पत्ति पर सरकार का अधिकार है और एक निश्चित अवधि के बाद सारी सम्पत्ति सरकार के ही पास जानी चाहिये। हम प्रकार रिगनानो निजी सम्पत्ति की प्रथा को क्रान्तिकारी ढंग से समाप्त नहीं करना चाहता बल्कि वह उनका अन्त धीरे धीरे करना चाहता है। अन्त में रिगनानो ने स्वयं अपनी योजना के बारे में बताते हुए कहा है कि उनकी योजना में सम्पत्ति उत्पन्न करने तथा एकत्रित करने को प्रोत्साहित देने की ओर काफी ध्यान दिया गया है। क्योंकि पहले उत्तराधिकारी को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई सम्पत्ति का अधिक भाग नहीं लिया जाता इसलिये हर व्यक्ति इस बात की चिन्ता करेगा कि वह सम्पत्ति

को इतना एकत्रित कर ले कि उसके उत्तराधिकारी का जीवन स्तर ठीक रहे और उसको मृत्यु कर से कोई हानि न हो।

रिगनानो योजना के मुख्य दोष निम्न प्रकार बताये गये हैं :—

प्रथम, कुछ व्यक्तियों का विश्वास है कि रिगनानो योजना अव्यवहारिक है। एक तो सम्पत्ति का मूल्य पता लगाना ही सरल नहीं है और दूसरे इसके प्रशासन में अनेको प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी। यहाँ यह बता देना अनुचित न होगा कि इंग्लैंड की ग्राम समिति के विचार में यह योजना अव्यवहारिक नहीं है। दूसरे, कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि उसके मरने के बाद उसकी सारी सम्पत्ति सरकार के पास चली जायेगी तो वह एक तो सम्पत्ति बचाने का प्रयत्न ही नहीं करेगा और दूसरे जो कुछ सम्पत्ति उसने बचा भी ली है तो उसको अपने जीवन काल में ही समाप्त करने का प्रयत्न करेगा। अतः योजना का उद्देश्य ही पराजित हो जायेगा। इस कमी को दूर करने की दृष्टि से डाल्टन ने रिगनानो योजना को समोधित करने के लिये अपना एक सुभाव दिया है। उनके अनुसार जब कोई सम्पत्ति किसी ऐसे व्यक्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो सरकार को चाहिये कि वह उस व्यक्ति की सारी सम्पत्ति उसके जीवन काल में ही ले ले और उसके बदले में उसके लिये वार्षिक वृत्ति (Annuity) निश्चित कर दे। तीसरे, कुछ व्यक्ति इस योजना का बहिष्कार नैतिकता के आधार पर भी करते हैं। उनका कहना है कि कोई भी मनुष्य अपनी सम्पत्ति इतलिये एकत्रित नहीं करता है कि मृत्यु के पश्चात् उनके उत्तराधिकारियों को उसकी मेहनत से लाभ उठाने का अवसर भी प्राप्त न हो। हर व्यक्ति यही प्रयत्न करता है कि उसके द्वारा बचाई हुई सम्पत्ति की सहायता से उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। यदि सरकार मृत्यु कर के रूप में उस सम्पत्ति को हड़प कर लेती है तो मृतक व्यक्ति तथा उसके उत्तराधिकारियों के प्रति घोर अन्याय होगा। वास्तव में यह आलोचना रिगनानो योजना के विरुद्ध ही नहीं है बल्कि मृत्यु करों के विरुद्ध है।

आश्चर्य की बात है कि अभी तक किसी भी देश में रिगनानो योजना को व्यवहारिक रूप प्रदान नहीं किया गया है।

इस प्रकार, जहाँ तब उत्तराधिकारियों की मनोवृत्ति का सम्बन्ध है मृत्यु कर जन्मे-मरण करने और जन्म-मरण की इच्छा को बहाल ही है। क्योंकि एक तो यह जानते हैं कि उत्तराधिकार में प्राप्त होने वाली सारी सम्पत्ति उन्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ सम्पत्ति कर के रूप में सरकार को दे दी जायेगी, इसलिए उन्हें अधिक काम करने और बचत करने के लिए प्रेरणा मिलती है। मृत्यु कर के अभाव में उनको सारी सम्पत्ति प्राप्त होने का विश्वास होने के कारण वह काम करने और बचाने की चेष्टा नहीं करेंगे। इस प्रकार सामान्य हृदय से हम कह सकते हैं कि मृत्यु करों का व्यक्तियों की बचत करने पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। सब तो यह है कि आय कर की अपेक्षा मृत्यु कर, करारोपण का एक अच्छा रूप है।

मृत्यु कर का भार—कर भार के सम्बन्ध में बँने तो बहुत से विद्वान् हैं, परन्तु मृत्यु कर के सम्बन्ध में अधिक स्वीकृत विद्वान् यह है कि, मृत्यु कर का भार उत्तराधिकारियों पर पड़ना चाहिये। इन विद्वान् के अनुसार क्योंकि कर सम्पत्ति उत्पन्न करने वाले की मृत्यु के बाद लगाया जाता है और इकट्ठा किया जाता है और मृतक व्यक्ति कर भार को सहन नहीं कर सकता, और क्योंकि उत्तराधिकारियों में आगे कर भार को डालने की कोई विधि नहीं है, इसलिए कर का सारा भार उत्तराधिकारियों को ही सहन करना पड़ता है। मृतक व्यक्ति की इच्छानुसार कुल सम्पत्ति कर का भुगतान करने के बाद उत्तराधिकारियों में बाँटने के लिये उपलब्ध हो जाती है। यदि इस सम्पत्ति पर कोई भी कर नहीं लिया जाता तो प्रत्येक उत्तराधिकारियों के हिस्से में वृद्धि हो जाती। इसलिए यह तो स्पष्ट ही है कि उत्तराधिकारियों कर का भुगतान अपने अपने हिस्सा में से करते हैं।

इस विद्वान् को स्वीकार करने में कोई भी कठिनाई न होती यदि यह मान सकते कि सम्पत्ति उत्पन्न करने वाले एक या मृत्यु कर की और कोई ध्यान ही नहीं देने और दूसरे अपने जीवन काल में सम्पत्ति बनाने के लिए जो कुछ भी बचा पाते हैं, निरन्तर बचाने रहते हैं। व्यवहार में अतः उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिनमें यह निश्चय ही जाता है कि सम्पत्ति एकत्रित करने पर मृत्यु कर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। समाज में कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो मृत्यु कर के बारे में पूर्णतया अनजान होते हैं और जिनका एक निश्चित आकार की सम्पत्ति जमा करने का उद्देश्य होता है और वह इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिये निरन्तर प्रयत्न करते रहते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने निर्भरकताओं की और अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध में निरन्तर सोचते रहते हैं और उनके लिए अधिक सम्पत्ति बनाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी इच्छा का समन करते हैं और वास्तव में जिनका वह बचा सकते हैं बचाते हैं और मृत्यु कर के भार में सम्पत्ति का प्राकार कम नहीं हो पाता। ऐसी स्थितियों में कर का वेबन एक ही प्रभाव होता है वह भी यह कि कर का भुगतान उत्तराधिकारियों के हिस्से में से होता है।

बहुत से उदाहरणों में यह भी देखने में आया है कि सम्पत्ति एकत्रित करने का कार्यक्रम मृत्यु कर की पूर्व आशा (Anticipation) पर निर्भर करना है। यदि सम्पत्ति उत्पन्न करने का उद्देश्य यह है कि उत्तराधिकारियों को कर भुगतान करने के बाद एक निश्चित आकार की सम्पत्ति प्राप्त हो तब यह सोचना उचित ही होगा कि मृतक व्यक्ति ने अपने जीवन काल में जो सम्पत्ति की अपेक्षा अधिक बचाया है जबकि मृत्यु कर नहीं था। मृतक व्यक्ति ने अपने उत्तराधिकारियों के लिये वेबन सम्पत्ति ही एकत्रित नहीं की बल्कि कर भुगतान करने की भी व्यवस्था की। अतः कर भार मृतक व्यक्ति पर ही रहा। इसलिये यह कहना पूर्णतया सत्य नहीं है कि कर भार मृतक व्यक्ति पर नहीं पड़ता। इस प्रकार मूलतः में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मृत्यु कर का भार मृतक व्यक्ति और उत्तराधिकारियों दोनों पर ही पड़ता है। परन्तु मृत्यु कर का भार निश्चय करना कोई सरल बात नहीं है और

वास्तव में भार किस व्यक्ति पर पड़ा है पूँछ-ताँछ करके यह निश्चित करना भी सम्भव नहीं है।^१ सक्षेप में मृत्यु कर के भार के सम्बन्ध में हम कह सकते हैं कि मृत्यु कर का भार सम्पत्ति एकत्रित करने वाले व्यक्ति या उसके उत्तराधिकारी, या दोनों पर ही पड़ता है। यदि कर भुगतान की पूर्व आशा से सम्पत्ति एकत्रित करने की गति पहले से अधिक तीव्र हो जाती है तब मृत्यु कर का भार सम्पत्ति बचाने वाले पर पड़ता है। यदि सम्पत्ति उतनी ही है जितनी कि मृत्यु कर की अनुपस्थिति में होती तब मृत्यु कर का भार उत्तराधिकारियों पर पड़ता है। जब सम्पत्ति बचाने वाले को मृत्यु कर की पूर्व आशा तो हो जाती है परन्तु वह उसका उचित प्रबन्ध नहीं कर पाता है तो मृत्यु कर का भार दोनों को ही अर्थात् सम्पत्ति बचाने वाल और उत्तराधिकारी, को ही सहन करना पड़ता है। अतः मृत्यु कर के भार को सहन करने की बात पूर्णतया सम्पत्ति बचाने वाले की इच्छा पर निर्भर करती है।

मृत्यु कर के पक्ष और विपक्ष में एक सक्षिप्त अध्ययन—उपर्युक्त विवरण के पश्चात् हम इस स्थिति में हैं कि मृत्यु कर के पक्ष एवं विपक्ष में कुछ कह सकें। मृत्यु कर के पक्ष में निम्न तर्क दिये जाते हैं —

१ मृत्यु कर का भार किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं टाला जा सकता और इस प्रकार उन्हीं व्यक्तियों पर पड़ता है जिन पर भार डालने का उद्देश्य होता है, अर्थात् उन व्यक्तियों पर जिनके पास बड़ी सम्पत्ति होती है। वास्तव में यह सही भी है क्योंकि चाहे कर भार उत्तराधिकारी पर पड़े या सम्पत्ति एकत्रित करने वाले पर पड़े, दोनों ही, धनवान् व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार यह कर न्यायपूर्ण है।

२ दूसरे, मृत्यु करों द्वारा धन के वितरण की असमानतायें सरलता से कम की जा सकती हैं। इसके विषय में हम ऊपर काफी कह चुके हैं।

३ तीसरे, मृत्यु कर एक उत्पादक कर है।

४ मृत्यु कर कर-दान योग्यता निदान्त के अनुकूल है। यह उन्हीं व्यक्तियों पर लगाये जाते हैं और ऐसे समय पर एकत्रित किये जाते हैं जबकि उनमें करदान योग्यता होती है।

मृत्यु कर के विपक्ष में निम्न तर्क दिये जाते हैं —

१ यह कर देश में पूँजी के सचय को हतोत्साहित करते हैं। परिणामतः देश की उत्पादन शक्ति कम होती जाती है और आर्थिक विकास तथा आर्थिक सम्पन्नता की गति शिथिल हो जाती है। परन्तु यह आलोचना पूर्णतया उचित नहीं है। इसका निरीक्षण हम ऊपर विस्तार में कर ही आये हैं।

२ कुछ लोगों का यह भी विरोध है कि यदि उत्पादन कार्य केवल एक ही व्यक्ति द्वारा सम्पन्न किया जा रहा है तो उसको मृत्यु कर का भुगतान करने के लिये अपनी सम्पत्ति को आंशिक या पूर्ण रूप से बेचना होगा। इस प्रकार देश में केवल सम्पत्ति की मात्रा ही कम न होगी बल्कि उत्पत्ति की मात्रा भी कम हो

जायगी। इस सम्बन्ध में अभी हम देख चुके हैं कि सम्पत्ति को बेचने से व्यक्तिगत सम्पत्ति अवश्य ही कम हो जाती है, राष्ट्रीय सम्पत्ति कम नहीं होती।

३ यह भी कहा जाता है कि मृत्यु कर होशियार मेहनती गित-घबरी तथा बुद्धिमान व्यक्तियों के लिये एक दण्ड है। इन सम्बन्ध में कबल इतना ही कहा जा सकता है कि सम्पत्ति का एकत्रीकरण वेपल बुद्धिमानों एवं मितव्ययिता के कारण ही उत्पन्न नहीं होता। उनकी उत्पत्ति में सामाजिक आर्थिक राजनैतिक एवं वैधानिक परिस्थितियाँ भी महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए मृत्यु कर का बुरा बताना उचित न होगा।

४ यह भी कहा जाता है कि मृत्यु कर का भार सबसे अधिक विधवाओं वधवा तथा निभरकर्ताओं पर पड़ता है। परन्तु यह भी पूर्णतया ठीक नहीं है। क्योंकि मृत्यु कर की दर मृतक व्यक्ति और उत्तराधिकारी के सम्बन्ध की निकम्पता या दूरी के अनुसार निर्धारित की जाती है।

५ मृत्यु कर के विषय में एडम स्मिथ ने यह तर्क दिया है कि जिन कुटुम्ब में थोड़े थोड़े समय के बाद मृत्यु के कारण सम्पत्ति का हस्तान्तरण होता रहता है उस कुटुम्ब पर मृत्यु कर का भार एक ऐसे कुटुम्ब की अपेक्षा अधिक पड़ता है जिन में मृत्यु देर में होती है। अतः मृत्यु कर अयोग्य नहीं है। इस तर्क का अनुकरण फिलिप थिराड ने भी किया है। यह ध्यान रहे कि आधुनिक समय में मृत्यु कर सम्बन्धी ऋणों में इसके विरुद्ध उचित प्रबंध कर दिया जाता है।

६ मृत्यु कर में इस बात की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि सम्पत्ति किस प्रकार प्राप्त की गई है अर्थात् सम्पत्ति को प्राप्त करने में व्यक्ति को अधिक कठिनाई अनुभव करनी पड़ी है या सम्पत्ति पासानों से ही खरीदा जा गई है। इस तर्क में वैज्ञानिकता का अभाव है। सम्पत्ति खरीदने में यह निश्चित करना कि खरीदने वाले व्यक्ति ने सामानों से सम्पत्ति खरीदी है या कठिनाई से अयम्भव है क्योंकि यह मानसिक दण्ड है जिनको माप करना सम्भव नहीं होता।

७ मृत्यु कर लगाने के लिये सम्पत्ति का मूल्य उस समय आका जाता है जबकि व्यक्ति की मृत्यु होती है जो उचित नहीं है। हो सकता है कि उस समय सम्पत्ति के मूल्य ऊँच हो और उत्तराधिकारी को बर की अधिक राशि का भुगतान करना पड़े। स्थिति इसके विपरीत भी हो सकती है और सरकार को हानि हो सकती है। यह तर्क इस आधार पर दिया गया है कि सम्पत्ति के मूल्य में साधारणतया उतार चढ़ाव होने ही रहते हैं और मृत्यु के समय सम्पत्ति के मूल्य आकने में सरकार को भी हानि ही मक्नी है और करदाता को भी। इस तर्क को प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों ने यह नहीं बताया कि सम्पत्ति के मूल्य किस समय स्थायी हो सकते हैं ताकि उसी समय सम्पत्ति का मूल्य आँका जाये। दूसरे उनको कर की राशि की ओर ध्यान नहीं देना चाहिये बल्कि मुद्रा इकाई के वास्तविक मूल्य की ओर ध्यान देना चाहिये। यदि देश में मूल्य स्तर ऊँचा है तो कर की राशि अधिक होते हुए भी सरकार के खजाने में कम कर एकत्रित होगा और यदि सामान्य मूल्य स्तर ऊँचा है तब कर की

राशि कम होते हुए भी सरकारी खजाने में वस्तुओं के रूप में अधिक कर एकत्रित होगा। इसलिये इन लोगों की मृत्यु कर के विरुद्ध यह आपत्ति बिलकुल निराधार है।

८. अन्त में कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि मृत्यु कर की चोरी बहुत होती है। सबसे अधिक चोरी उपहार तथा दान के रूप में होती है। परन्तु यह सोच लेना कि सभी प्रकार के उपहार कर को चुराने की दृष्टि से दिये जाते हैं उचित न होगा। क्योंकि जो उपहार व्यक्ति अपने जीवनकाल में ही देता है उसमें चोरी का अर्थ बिलकुल भी नहीं होता। परन्तु जो उपहार मृत्यु के समय दिये जाते हैं या मृत्यु की पूर्व प्राप्ति में दिये जाते हैं इनमें कुछ सीमा तक चोरी का अर्थ छुपा हुआ हो सकता है। परन्तु इस प्रकार की कर की चोरी को रोकना सरल नहीं है और फिर चोरी और बेईमानी तो व्यक्ति के अपने चरित्र के ऊपर निर्भर करती है, किसी कानून द्वारा इसको नहीं रोका जा सकता। हाँ, इतना अवश्य है कि व्यक्ति के जीवन काल में जो उपहार दिये जाते हैं उनके लिये एक समय की अवधि निश्चित की जा सकती है जिसके अन्दर दिये जाने वाले उपहारों पर कर लगाया जा सकता है। इसी नियम बहुत से देशों में आजकल उपहार कर लागू कर दिया है।

भारत में मृत्यु कर—

भारत के मविधान के अनुसार कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की सम्पत्तियों पर जायदाद कर लागू किया जा सकता है। भारत में जायदाद कर सन् १९५३ से पहले लागू नहीं था। वैसे तो हमारे देश में पहले से कुछ ऐसे कर चले आ रहे थे जिनकी प्रकृति मृत्यु करो जैसी थी जैसे उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र कर, तथा उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र शुल्क (Probate Duties And Fees on Succession Certificates)। परन्तु यह न्यायशील नहीं थे, क्योंकि यह सभी उत्तराधिकारियों पर नहीं लागू जा सकते थे और दूसरे, यह केवल एक प्रकार की फीस थी, कर नहीं थे। सन् १९२४ में भारतीय बर जॉन्स समिति ने सर्वप्रथम मृत्यु कर लगाने की सिफारिश की थी। सन् १९४४ में भारत सरकार के वित्त मंत्री ने यह घोषणा की थी कि सरकार का इरादा मृत्यु कर लागू करने का था और सन् १९४६ में एक बिल पेश भी किया गया परन्तु वह पास न हो सका। इसके बाद सन् १९४७-४८ में श्री लियाकत अली खॉं ने अपने बजट भाषण में इस कर की ओर संकेत किया था परन्तु कर के विषय में विस्तृत अध्ययन करने का काम एक समिति को सौंप दिया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सन् १९४९ में प्रस्तुत की, परन्तु कुछ कारणों से उस समय उक्त रिपोर्ट पर विचार नहीं किया जा सका। सन् १९५२ में श्री देसा मुख ने एक नया बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया जो आवश्यक मसौदों के बाद सितम्बर सन् १९५३ में पास हुआ।

यद्यपि भारत में मृत्यु कर की आवश्यकता बहुत लम्बे काल में अनुभव हो रही थी, परन्तु कुछ कठिनाइयों के कारण यह लागू नहीं किया जा सका। प्रथम, भारत में हिन्दू मुसलमान आदि सभी जातियाँ की उत्तराधिकारी प्रणालियाँ भिन्न-

भिन्न थी। इसके अतिरिक्त, भारत एक निर्धन देश होने के कारण यह भी विचार किया जाता था कि मृत्यु करों से उचित आय प्राप्त न हो सकेगी। परन्तु धीरे-धीरे यह सब विचार समाप्त होते गये और अन्त में भारत में भी जायदाद कर लागू हो ही गया।

भारतीय जायदाद कर अधिनियम—इस अधिनियम की विस्तारतायें निम्न प्रकार हैं—

१ जायदाद कर मृतक व्यक्ति द्वारा छोड़ी हुई कुल सम्पत्ति के मूल्य पर लगाया जायेगा। यह कर जम्मू और काश्मीर राज्य को छोड़कर समस्त भारत में लगेगा।

२ यह कर सम्पत्ति की वास्तविक कीमत पर लगाया जायेगा और मृतक व्यक्ति के ऋणा तथा दाह मस्कार सम्बन्धी खर्चों को सम्पत्ति के मूल्य में से निकाल दिया जायेगा। सम्पत्ति का मूल्य बाजार भाव पर ही निर्धारित किया जायेगा।

३ यह कर उन सभी व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति पर लगाया जाएगा जो १५ अक्टूबर १९५३ के बाद मरेग। यह कर केवल मनुष्य द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति पर लगाया जाता है और कम्पनी, फर्म तथा प्रमण्डल द्वारा छोड़ी हुई सम्पत्ति पर नहीं लगाया जाता। सम्मिलित परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु पर केवल मृतक व्यक्ति के हिस्से की सम्पत्ति पर कर लागू किया जाएगा। अधिनियम में उत्तराधिकारियों की संख्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और मृत्यु कर सम्पूण सम्पत्ति पर लगाया जाता है। इसी कारण यह जायदाद कर है उत्तराधिकार कर नहीं है।

(४) मृतक व्यक्ति के सभी उत्तराधिकारी कर चुकाने के उत्तरदायी होते हैं।

(५) भारत में मृत्यु कर एक प्रगतिशील कर है। न्यूनतम कर रहित सीमा सम्मिलित परिवार सम्पत्ति के लिए ५०,०००) रपया है और अन्य सम्पत्तियों के लिए (१,००,०००) रपया निश्चित की गई है। कर की दरों का विवरण निम्न प्रकार है—

आय वर्ग	कर की दर	
	सम्मिलित परिवार सम्पत्ति	अन्य सम्पत्ति
१ प्रथम ५०,००० रु०	शून्य	शून्य
२ अगले ५०,००० रु०	५ प्रतिशत	शून्य
३ " ५०,००० रु०	७½ " "	७½ प्रतिशत
४ " ५०,००० रु०	१० " "	१० " "
५ " १ लाख रु०	१२½ " "	१२½ " "
६ " २ लाख रु०	१५ " "	१५ " "
७ " ५ लाख रु०	२० " "	२० " "
८ " १० लाख रु०	२५ " "	२५ " "
९ " १० लाख रु०	३० " "	३० " "
१० " २० लाख रु०	३५ " "	३५ " "
११ " शेष पर	४० " "	४० " "

(६) अधिनियम में सम्पत्ति सम्बन्धी मुख्य शब्द निम्न प्रकार हैं :—

(१) सम्पत्ति शब्द में चल या अचल पूजा सम्मिलित है। (२) इस सम्पत्ति या उसके किसी हिस्से की बिक्री से प्राप्त राशि (३) यह राशि या उसमें से पहले ही विनियोग की गई राशि (४) किसी भी प्रकार से एक सम्पत्ति से बदली गई दूसरी सम्पत्ति (५) किसी व्यक्ति का ऋण या उन्नी मर्जी से उसके द्वारा छोटा हुआ ऋण (६) कोई और ऐसा अधिकार जिसका मूल्य द्रव्य में आँका जा सके।

अधिनियम में कुछ ऐसी सम्पत्तियों की भी गणना की गई है जो वास्तव में मृत्यु के पश्चात् हस्तान्तरित नहीं होती किन्तु उनको ऐसा समझ कर ही उनके लिए व्यवस्था कर दी गई है। यह निम्न प्रकार है —

(१) वह सम्पत्ति जिसे मृतक व्यक्ति वैधानिक रूप से बेच सकता था। (२) वह सम्पत्ति जिसमें मृतक का हिस्सा हो और जो उसकी मृत्यु पर समाप्त हो जाता हो (३) वह सम्पत्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को मृतक की मृत्यु के बाद दान में प्राप्त हो (४) मृतक की मृत्यु के ६ महीने पहले से दो साल तक की अवधि में जो सम्पत्ति उपहार स्वरूप दी गई है उस पर कर लगेगा। विवाह के लिए ५,००० रुपये तक कोई कर नहीं लगेगा (५) वह सम्पत्ति जिसको मृतक ने अपनी कुल सम्पत्ति का बटवारा करने के बाद, दोगी जीवन काल के लिए अपने वास्ते रख लिया हो। (६) बीमा पालिसी (७) मृतक की मृत्यु के समय तक जमा वापिस वृत्ति (८) ऐसी सम्पत्तियों की लेनदारी जिसका प्रबन्ध ५ से अधिक व्यक्तियों के हाथ में हो और जिसमें मृतक व्यक्ति की सम्पत्ति लगी हो और जहाँ से मृतक की मृत्यु से पहले के तीन वर्षों में लाभ प्राप्त हुआ हो या लाने प्राप्त करने का अधिकार उस के पास रहा हो।

कर रहित सम्पत्ति—निम्न प्रकार की सम्पत्तियों को कर के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(१) वे सभी अचल सम्पत्तियाँ जो भारत के बाहर स्थित हैं तथा वे चल सम्पत्तियाँ जो विदेशों में लगी हैं, यदि मृतक मृत्यु के समय भारत का नागरिक नहीं था।

(२) ऐसी पुस्तकें जिन्हें मृतक ने बेचने के लिए एकत्रित नहीं किया था।

(३) वह सम्पत्ति जिस पर मृतक का अधिकार केवल ट्रस्टी के रूप में था।

(४) परतू सामान तथा औजार केवल २५०० रुपये तक के मूल्य के।

(५) पहनने के कपड़े, परन्तु गहने और बहुमूल्य पत्थर यदि इन कपड़ों में लगे हुए हैं तो वे कर रहित नहीं हैं।

(६) चित्र तथा अन्य प्रकार के व्यक्तिगत सचय जो केवल शौक के उद्देश्य से किये गये हों बिक्री के लिए नहीं।

(७) ऐसी सम्पत्ति जिस पर हिन्दू विधवा का अधिकार है।

(८) ऐसी सम्पत्ति जिस पर ३ महीने पहले ही मृत्यु कर दिया जा चुका हो परन्तु दूसरी मृत्यु के कारण अब फिर कर लगाया जा रहा हो।

(६) वे नमस्त दान तथा उपहार जो मृतक द्वारा दिए गए हैं परन्तु केवल १,०००) तक ही ।

अधिनियम में कुछ ऐसी सम्पत्तियों की गणना की गई है जो कर रहित तो हैं परन्तु जिनको सम्पत्ति का कुल मूल्य मालूम करते समय नम्बित कर लिया जाता है और फिर कर की दर निश्चित कर ली जाती है ।

(१) उन राज्यों में स्थित कृषि भूमि जिन्होंने सध सरकार को वृषि भूमि पर जायदाद कर लगाने का अधिकार नहीं दिया है ।

(२) मृत्यु के ६ महीने पहले तक २५०० रुपए के मूल्य के उपहार जो किसी सार्वजनिक कार्य के लिए दिए गए हों ।

(३) बीमा पॉलिसियों द्वारा प्राप्त हुमा रूपया केवल ५,०००) रुपए तक ।

सम्पत्तियों के मूल्य में से कुछ कटौतियाँ—मृत्यु कर के लिये सम्पत्ति का वास्तविक मूल्य आंकते समय कई प्रकार के ऋणों एवं खर्चों की राशियाँ की छोड़ दी जाती हैं जैसे—

(१) क्रिया-भय का खर्च, १००० रुपये तक, (२) वास्तविक ऋण जिम्मा भुगतान करना है, (३) पति की सम्पत्ति में पत्नी का भाग, (४) विदेशों में स्थित सम्पत्ति के प्रबन्ध या आभय की वसूली में होने वाला खर्च, जो सम्पत्ति के मूल्य के ५ प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ।

कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कुटुम्ब में निरन्तर कई मृत्यु हो जाने के कारण सम्पत्ति कुछ ही समय में बहुत से व्यक्तियों के हाथों में से गुजरती है । यदि हर बार मृत्यु कर दिया जाये तो सम्पत्ति बहुत थोड़े ही समय में सरकार के हाथ में चली जायेगी और यह अन्यायपूर्ण भी होगा । इस कारण अधिनियम में इसके लिये भी व्यवस्था कर दी गई है । यदि दूसरी मृत्यु, पहली मृत्यु के एक वर्ष के अन्दर ही हो जाती है तो मृत्यु कर ५०% रह जायगा यदि दो वर्षों के अन्दर होती है तो ४०%, अगर तीन वर्षों के अन्दर होती है तो ३०% यदि चार वर्षों के अन्दर होती है तो २०% और यदि ५ वर्षों के अन्दर होती है तो १०% की कमी हो जायेगी । यदि पहली मृत्यु के तीन महीने के अन्दर ही दूसरी मृत्यु हो जाती है तो कोई भी मृत्यु कर नहीं लिया जायगा ।

मृत्यु कर का प्रशासन—मृत्यु कर का प्रशासन केन्द्रीय आय बोर्ड (Central Board of Revenue) को सौंप दिया गया है जिसके आधीन नियन्त्रक (Controlers), सहायक उप नियन्त्रक (Dy Controlers) और सहायक नियन्त्रक (Assistant Controlers) नियुक्त कर दिये गए हैं । आयकर विभाग के अफसरों को ही नियन्त्रक नियुक्त कर दिया गया है । नियन्त्रक सम्पत्ति का मूल्य निश्चित करता है और सम्पत्ति का उतना ही मूल्य निश्चित किया जाता है जितना कि मूल्य बाजार में बेचने से प्राप्त हो सकता हो । मूल्य आंकते समय सभी प्रकार की सावधानियाँ बर्ती जाती हैं । यदि नियन्त्रक आवश्यक समझे तो सम्पत्ति का मूल्य आंकते के लिये मूल्य आंकने वालों को नियुक्त कर सकता है । मूल्य आंकने वाले

ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका इस विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। करदाता को अधिकार है कि वह नियन्त्रक द्वारा लगाय गए कर के विरुद्ध अपील कर सके। यदि सम्पत्ति के मूल्यांकन के सम्बन्ध में कोई मतभेद है तो उसके निपटारे के लिये आय बोर्ड उस भगड़े को दो मूल्य आंकने वालों को फॉर्मले के लिये सौंप सकता है जिनमें से एक तो बोर्ड द्वारा और दूसरा करदाता द्वारा नियुक्त किया जायेगा। यदि इन दोनों मूल्य आंकने वालों में कोई मतभेद है तो भगड़े को तीसरे मूल्य आंकने वाले के गुपुद किया जायेगा, परन्तु हर दशा में मूल्य आंकने वालों (valuers) का ही फॉर्मला अन्तिम रहेगा। यदि कानून के विषय में कोई मतभेद है तो उसकी अपील हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है।

मृत्यु कर का भुगतान करने में बचने के लिये कई प्रकार के प्रयत्न किये जा सकते हैं जैसे मृत्यु में पहले उपहार के रूप में सम्पत्ति को देना आदि। भारतीय अधिनियम में कर की इस प्रकार चोरी के विरुद्ध भी व्यवस्था की गई है। उदाहरणार्थ यदि कोई उपहार मृत्यु की पूर्व आजा में ही दिया गया है तो उस पर कर लगाया जायेगा। इसी प्रकार यदि मृत्यु में दो वर्षों के अन्दर यदि कोई सम्पत्ति उपहार के रूप में दी गई है तो भी उस पर कर लागू किया जायेगा। यदि मृत्यु के छ महीने के अन्दर कोई सम्पत्ति दान के रूप में दी गई है तो उस पर भी कर लिया जायेगा। करारोपण जांच समिति की यह निष्पत्ति थी कि जीवन काल में दिये गये उपहार, जो मृत्यु से पहले ५ वर्ष के अन्दर दिये गए हैं उनको, भी कर क्षेत्र में सम्मिलित कर लेना चाहिए।

भारतीय अधिनियम में सन् १९५८ में किये गये संशोधन—अधिनियम में सन् १९५८ में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किये गये थे जिनका मुख्य उद्देश्य कुछ तो कर की चोरी को रोकना था और कुछ कर से प्राप्त आय को बढ़ाना था। यह संशोधन निम्न प्रकार है—

१ न्यूनतम कर रहित सीमा सभी के लिये ५०,००० रुपये कर दी गई।

२ कर की दर में निम्न प्रकार परिवर्तन किया गया है—५०,००० रुपयों से १ लाख रुपयों तक की सम्पत्ति पर कर की दर ५% में घटाकर ४% कर दी गई है, १००,००० रुपयों से १,५०,००० रुपयों तक की सम्पत्ति पर ७½% के स्थान पर ६% कर दी गई है। २,००,००० से ३,००,००० रुपयों तक सम्पत्ति पर १२½% से घटा कर १२% कर दी गई थी।

३ पहले मृत्यु कर का भुगतान ८ वार्षिक या १६ छमाही किस्तों में किया जा सकता था परन्तु अब ४ वार्षिक या ८ छमाही किस्तों में ही किया जा सकेगा।

४. विवाह सम्बन्धी उपहारों के मूल्य की सीमा ५००० रुपयों में बढ़ाकर १०,००० रुपये कर दी गई है।

५. अपील करने की विधि में भी परिवर्तन कर दिये गये हैं और सब आय-कर धन या सम्पत्ति कर, और व्यय कर तथा मृत्यु कर इन सभी की अपील करने

है। वास्तव में हिन्दू सयुक्त परिवार के सम्बन्ध में तो यह कठिनाई मुख्य रूप से अनुभव होती है। परन्तु अधिनियम में इस कठिनाई को दूर करने की व्यवस्था की गई है। एक तो उत्तराधिकार कर के स्थान पर जायदाद कर लागू किया गया है और मृतक व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई पूरी सम्पत्ति पर ही कर लिया जाता है। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि यह उतना न्यायशील नहीं है जितना कि उत्तराधिकार कर होना है। परन्तु फिर भी कुछ समानता अवश्य प्राप्त हो जाती है। तीसरे भारतवर्ष में औद्योगिक संगठन अधिकतर एकाकी उत्पादन प्रणाली के रूप में किया जाता है। यहां पर सम्मिलित पूंजी कम्पनियाँ बहुत कम स्थापित हुई हैं अतः अन्य उन्नत देशों की अपेक्षा यहां पर मृत्यु कर बचती और कार्य करने की शक्ति को अधिक हानोत्साहित करेगा। सम्मिलित पूंजी कम्पनी में यह सुविधा रहती है कि किसी भी असाधारण (Share holder) की मृत्यु के बाद मृत्यु कर का भुगतान कम्पनी के हिस्सा को बेचकर प्राप्त किया जा सकता है परन्तु एकाकी उत्पादन प्रणाली या साझेदारी में मृत्यु कर का भुगतान करने के लिए व्यक्ति की सम्पत्ति को बेचना पड़ता है। अतः जबकि सम्मिलित पूंजी कम्पनी का जीवन स्थायी बना रहता है साझेदारी या एकाकी उत्पादन व्यवस्था का जीवन ही अन्त हो जाता है जिससे उत्तराधिकारियों को भी हानि होती है और देश में व्यापार तथा उद्योगों को बहुत धक्का पहुंचता है। चौथे, जब कि अधिनियम में जीवन बीमा से प्राप्त धन पर कर नहीं लिया जाता, फिर भी कर की दर को निश्चित करते समय उस राशि को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। यह बिल्कुल भी न्यायपूर्ण नहीं है। एक तो परीक्षा रूप से बीमा की राशि पर कुछ न कुछ कर तो इस प्रकार लग ही जाता है दूसरे जीवन बीमा से प्राप्त राशि को पूरी छूट न देकर जीवन बीमा के महत्त्व को ही समाप्त कर दिया गया है। यद्यपि अन्तिम क्रियाकर्म के खर्चों को भी कर के क्षेत्र से बाहर रखा गया है परन्तु एक बड़ी कमी अधिनियम में यह है कि बच्चों की शिक्षा आदि के व्यय पर किसी प्रकार की भी छूट नहीं दी गई है। अन्त में अधिनियम की इस बात पर भी आलोचना की गई है कि कर रहित सीमा बहुत ही नीची है जिसमें मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को बहुत अधिक कर का भार सहन करना पड़ता है, परन्तु दूसरी ओर कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके अनुमान कर रहित सीमा बहुत ऊंची है। इन विरोधात्मक विचारों को धूँही छोड़कर हम कह सकते हैं कि समय की प्रगति के साथ जैसे जैसे अनुभव बढ़ते जायेंगे वैसे ही मृत्यु कर प्रणाली में उचित संशोधन होते जायेंगे। वास्तव में मृत्यु कर को लगे हुए अभी इतना थोड़ा समय हुआ है कि उसके बारे में किसी भी प्रकार की आलोचना करना ठीक नहीं होगा।

इस प्रकार भारत में मृत्यु कर के लागू होने से एक ऐसी आवश्यकता की पूर्ति हुई जो एक बहुत लम्बे समय से अनुभव हो रही थी। भारत में धन की असमानताएँ बहुत अधिक होती जा रही थी और इसलिए यह आवश्यक था कि इन असमानताओं को कम करने के लिए मृत्यु कर लगाया जाय। साथ ही मृत्यु कर आय

कर की अपेक्षा बचतों को भी कम हतोत्साहित करता है। इसके अतिरिक्त मृत्यु कर से राज्यों को अपनी विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आय भी मिल जाती है। अतः भारत में मृत्यु कर परिस्थितियों को देखते हुये ठीक समय पर ही लागू किया गया है।

संघ सरकार की आय के स्रोत (क्रमशः)—

सम्पत्ति-कर, उपहार-कर,
पूँजी लाभ-कर और धन-कर
Sources of Revenue of
the Union Government
(Contd.)—
(Property Taxation, Gifts-Tax,
Capital Gains Tax and
Wealth-Tax)

पिछले अध्याय में हमने सम्पत्ति करों के बश का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कर—मृत्यु कर—का अध्ययन किया था। इस अध्याय में हम सम्पत्ति कर के तीन और रूपों का अध्ययन करेंगे। ये उपहार कर, विशेष पूँजी कर, और धन कर हैं। इनकी विवेचना हम इसी क्रम से करेंगे।

उपहार कर (Gifts Tax)—उपहार कर उस सम्पत्ति पर लगाया जाता है जिसको व्यक्ति अपने जीवन काल में उपहार के रूप में दूसरे व्यक्तियों को देता है। हमने मृत्यु कर का अध्ययन करते समय मृत्यु कर सम्बन्धी इस कठिनाई की ओर संकेत किया था कि मृत्यु कर की चोरी सम्पत्ति को उपहारों के रूप में देकर की जा सकती है। वास्तव में मृत्यु कर की चोरी को बचाने के लिये ही उपहार कर लगाया जाता है। अतः उपहार कर इस दृष्टि से मृत्यु कर का पूरक है। इस प्रकार यदि मृत्यु कर आवश्यक है तो उपहार कर भी उतना ही आवश्यक हो जाता है। भारत में उपहार कर सर्वप्रथम १९५८ में लागू किया गया था और इसलिये यह अभी एक नया कर ही है। यद्यपि कर जाँच समिति ने उपहार कर लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था परन्तु अग्नेजी अर्थशास्त्री प्रो० कलडोर (Kaldor) ने बड़े ही प्रभावशाली शब्दों में इसको लागू करने का सुझाव दिया था और भारत में यह कर उन्हीं के सुझावों का परिणाम है। उस समय कर जाँच समिति का यह मत था कि पहले मृत्यु कर के कार्य संचालन में उचित मात्रा में अनुभव प्राप्त किए जायें तत्पश्चात् उपहार कर लगाया जाय। अनुभवों के अभाव में उपहार कर का सफल होना अनम्भव सा ही प्रतीत होता था। समिति के अनुसार उपहार कर के लिये यह भी आवश्यक था कि मृत्यु कर की दरें बहुत अधिक प्रगतिशील हो और क्योंकि उस समय मृत्यु कर की दरें बहुत नीची थी इसलिए समिति ने

उपहार कर सम्बन्धी प्रस्ताव का मसौदा कर दिया था।

भारत सरकार ने प्रो० कलटोर को भारतीय कर प्रणाली में आवश्यक सुधार करने के लिये नियुक्त किया था। प्रो० कलटोर ने अनेक प्रस्तावों में एक यह भी प्रस्ताव रखा कि भारत में उपहार कर लगाया जाय। उनका प्रस्ताव था कि १० हजार रुपये में अधिक मूल्य के उपहार पान वाना पर यह कर लगाया जाये और धीरे धीरे मूल्य कर के स्थान पर नार दान में उपहार कर सामान्य रूप में लागू किया जाय, क्योंकि मूल्य कर का विचार बहुत ही पुराना है। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार जीवन वान में दिये गये उपहार और उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति में बॉर्ड भी अन्तर नहीं है, इसलिये प्रगतिशील उपहार कर ही काफी होगा।

प्रो० कलटोर के प्रस्ताव के अनुसार मन् १६/८ में उपहार कर लागू कर दिया गया। बाल्य में प्रयत्न करारणण में जो महत्वपूर्ण कड़ी गणव थी वह उपहार कर के लगने में प्राप्त हो गई। मात्र ही मूल्य कर की लोरी भी अतिरिक्त कठिन ही जानगी और कर भार का वितरण भी अतिरिक्त समान हो सकेगा। यह कर प्रत्येक प्रकार के उपहारा पर लागू किया जायेगा और उपहार दान वाने व्यक्ति में कर वसूल किया जायगा। यह कर उत सभी उपहारा पर लगाया जायगा जो कि पिछले वर्ष में दिये गये थे। परन्तु कर की दर निर्धारित करने के लिये पिछले पांच वर्षों के उपहारों का आठ कर जो दर उस राशि के लिये लागू की जायेगी वही उस वर्ष की दर भी होगी जिसका भुगतान होता है।

उपहार कर की दरें निम्न मूल्य कर जैसी ही हैं। केवल इतना अन्तर है कि जब कि प्रथम सश्ट पर मूल्य कर प्राप्त किया नहीं जाता, उपहार कर दिया जाता है। यह दरें निम्न प्रकार हैं -

पिछले वर्ष में दिये गये उपहारों का कुल मूल्य	उपहार कर की दर (प्रतिशत)
पहले ५०,००० रुपये पर	६ प्रतिशत
अगले ५०,०००	६ "
५०,००० ,	६ "
, ५०,००० ,	१० "
, १,००,००० "	१२ "
" २,००,००० "	१५ "
" ५,००,००० "	२० "
, १०,००,००० "	२५ ,
" १०,००,००० "	३० "
" २०,००,००० "	३५ "
५० लाख रुपये से अधिक राशि पर	४० "

कर से छूट—किसी भी वर्ष में १०,००० रुपये के मूल्य के उपहारों तक

कोई भी कर नहीं लिया जायेगा। यदि राशि १०,००० रुपये में अधिक हो जाती है तो जितनी राशि अधिक होगी उतनी पर ही कर लिया जायेगा। यदि किसी एक व्यक्ति को ३,००० रुपये में अधिक मूल्य के उपहार प्राप्त होते हैं तब कर रहित सीमा १०,००० रुपये के स्थान पर ५,००० रुपये होगी। केन्द्रीय तथा राज्य सम्बन्धी सरकार, स्थानीय पदाधिकारी और दान सम्बन्धी संस्थानों (Charitable Institutions) को दिए गए उपहार किसी निर्भरकर्ता स्त्री की शादी के अवसर पर १०,००० रुपये तक के मूल्य के उपहार, धर्मपत्नी को १ लाख रुपये तक के उपहार, निर्भरकर्ताओं को; सीमा पालिसियों के उपहार (१०,००० रुपये प्रति निर्भरकर्ता के हिसाब में); विदेशों में स्थित अचल सम्पत्ति के उपहार, विदेशियों द्वारा ऐसी चल सम्पत्ति के उपहार जो विदेशों में स्थित हैं, वसियतनामों द्वारा दिये गये उपहार, सरकारी कम्पनियों द्वारा दिए गए उपहार, सरकारी प्रमदलों द्वारा दिए गए उपहार, जनता द्वारा प्रदानित ऐसी कम्पनियों के उपहार जिनका नियन्त्रण ६ से कम व्यक्ति नहीं करने है तथा दान सम्बन्धी संस्थानों द्वारा दिए गए उपहारों पर कोई भी कर नहीं लिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति कर लागू होने वाले उपहार को देने के १५ दिन के अन्दर ही अन्दर स्वेच्छा में कर की राशि का पूर्णतः या अंशतः भुगतान कर देता है तो उसको कर की राशि में कुछ छूट प्रदान कर दी जावेगी। यदि एक पति कोई उपहार अपनी पत्नी को देता है और पत्नी उस उपहार को किसी दूसरे व्यक्ति को दे देगी है तो ऐसा माना जायेगा कि वह उपहार पति द्वारा ही दिया गया है और उस पर कर ले लिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई सम्पत्ति बाजार में प्रचलित मूल्य में कम पर बेची गई है तो उसके वास्तविक मूल्य की राशि और प्राप्त की गई राशि में जो अन्तर होगा उस राशि पर सरकार उपहार कर ले लेगी। उपर्युक्त दोना उपाय इसलिए किए गए हैं कि जिससे कर की चोरी न होने पाए।

कर का प्रद्वन्द्व आयकर विभाग द्वारा किया जायेगा और सभी बातों में यह आयकर के समान होगा। कर की राशि निश्चित करते समय सम्पत्ति का मूल्य बाजार में प्रचलित मूल्य के हिसाब से लगाया जायेगा।

आशा है कि उपहार कर भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेगा। इस कर से कई लाभ प्राप्त होंगे जैसे मृत्यु कर तथा आयकर की चोरी कम हो जायेगी। अन्य सम्पत्ति करों के साथ साथ उपहार कर भी घन के वितरण की अमाननाओं को कम करने में सहायता करेगा। यह ध्यान देने योग्य है कि उपहार कर भारत में बलदौर के प्रस्ताव के आधीन लगाया गया है परन्तु यह बलदौर योजना में पूर्णतया भिन्न है। उसके अनुसार कर उपहार देने वाले व्यक्ति पर लगना था और कर की दर उपहार के मूल्य के अनुसार नहीं बल्कि उपहार प्राप्त करने वाले के वास्तविक घन (उपहार को सम्मिलित करके) के अनुसार प्रगतिशील होनी थी। इसके अतिरिक्त उसका प्रस्ताव था कि भारत में मृत्यु कर के स्थान पर सामान्य उपहार कर लागू किया जाये। परन्तु भारतीय उपहार कर मृत्यु कर के अतिरिक्त लागू किया गया है। यह कर उपहार देने वाले व्यक्ति पर लगाया गया

हे और इनको दर का उपहार के मूल्य के अनुसार प्रगतिशील बनाया गया है।

अधिकतर व्यक्तियों का यही विचार है कि भारत में उपहार कर की सफलता की सम्भावना कम ही है। इसके कई कारण बताये जाते हैं। प्रथम, यह पता लगाना ही कठिन हो जायेगा कि उपहार किस किस रूप में और कब दिये जाते हैं। इनके अनिश्चित प्रचलित बाजारी दरों के हिसाब से सम्पत्ति का मूल्यांकन भी कठिन होगा और इसमें मुकदमेबाजी का भी प्रोत्साहन मिलेगा। परन्तु यह कठिनाइयाँ तो सम्पत्ति करों की विशेषताएँ हैं जिनको किसी प्रकार भी दूर नहीं किया जा सकता। अनुभव प्राप्त होने के साथ-साथ इनको कम ता किया जा सकता है परन्तु पूर्णतया दूर नहीं किया जा सकता।

घन या सम्पत्ति कर (Wealth Tax)—यह कर एक व्यक्ति की सम्पत्ति या पूँजी के कुल मूल्य पर लगाया जाता है। यह वापिस होता है और व्यापारिक कम्पनियों तथा प्रभुत्वों की सम्पत्ति के मूल्य तथा घन पर लागू किया जाता है। यह कर बहुत ही पुराना है। अन्य सम्पत्ति करों से वह कर इस बात में भिन्न है कि जबकि अन्य सम्पत्ति कर कुछ विधेय अवसरों पर ही लागू किये जाते हैं घन कर प्रत्येक वर्ष ही लागू किया जाता है। यह एक सामान्य कर है क्योंकि यह सभी प्रकार की सम्पत्तियों पर लगाया जाता है और उर्मादिये इसकी दरें अन्य सम्पत्ति करों की अपेक्षा अधिक नीची रहती हैं।

इस कर का लागू करने में दो मुख्य समस्याएँ उत्पन्न होती हैं अर्थात् सभी प्रकार की सम्पत्तियों का पता लगाना और उनका मूल्य अंकन। करदाता की सम्पत्ति के अनक रूप हो सकना है और यह सम्भव नहीं है कि वह अपनी सभी प्रकार की सम्पत्ति के बारे में पूर्ण सूचना दे दे। डेवर ट्यागिरी का तो बड़ी सरलता से ही छुनाया जा सकता है। फिर सम्पत्ति के प्रकार में भी गमय-नमय में परिवर्तन होना ही रहते हैं। घन कर दाता की वास्तविक सम्पत्ति का मान्य करना बहुत ही कठिन होता है। सम्पत्ति के मूल्य अंकन के सम्बन्ध में एक दूसरी कठिनाई और उत्पन्न होती है। यदि सम्पत्ति का मूल्य बाजार में प्रचलित दरों के अनुसार मान्य करना है तो बाजारी दरों के निम्नतर उतार चढ़ाव में सम्पत्ति और भी विषम हो जाती है। यह भी सम्भव है कि आरम्भ में जिन मूल्य पर सम्पत्ति खरीदी गई थी या बतवाई गई थी उसी मूल्य का स्वीकार कर लिया जाये और कर लगा दिया जाये। परन्तु यहाँ यह कठिनाई होगी कि गमय के साथ-साथ सम्पत्ति के प्रारम्भिक मूल्य में से कुछ कटौती की जाये या नहीं। क्योंकि समय बीतने के साथ-साथ सम्पत्ति पुरानी होती जाती है और उनका मूल्य कम होता जाता है। इसके अनिश्चित कुछ सम्पत्तियाँ ऐसी भी होती हैं जिनके मूल्य अंकन सरल नहीं होते। उदाहरण यह स्वाभाविक ही है कि घन या पूँजी पर कर लगाते समय किसी न किसी सीमा तक कर अधिकारी मन माने ढग से धाम करेंगे। उपहार कर सम्बन्धी अधिनियम में अर्पित इत्यादि की भी व्यवस्था करनी होगी और जिन सम्पत्तियों का मूल्य अंकन सरल नहीं है उन पर कर की छूट भी देनी होगी।

यह विश्वास किया जाता है कि वार्षिक सम्पत्ति करो से बचतों की मात्रा देश में कम होने लगेगी। यह अवश्य है कि अन्य सम्पत्ति करों की प्रवृत्ति बचतों पर बुरा प्रभाव डालने की नहीं होती परन्तु क्योंकि यह कर प्रत्येक वर्ष लगाया जाता है और पूँजी की प्रत्येक वृद्धि से कर का भार बढ़ता जाता है इसलिये यह सम्भव है कि बचत हतोत्साहित हो। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि उत्पात्ति पर इसका बुरा प्रभाव अवश्य ही पड़े। उत्पादन किसी भी देश में विनियोगों की मात्रा पर निर्भर करता है और विनियोगों की मात्रा लाभ की दरों द्वारा निर्धारित होती है। इसलिये जब तक लाभ की दर उँची रहेगी विनियोग बढ़ते ही रहेंगे और उत्पादन भी बढ़ता ही जायेगा। अतः वार्षिक सम्पत्ति कर का इतना बुरा प्रभाव नहीं होता जितना आय कर का, क्योंकि आय कर की दरें बहुत ही प्रगतिशील होती हैं, जबकि इस कर की दर बहुत नीची होती है। यह कर वितरण की असमानताओं को दूर करने का अस्त्र है। इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि कर दाता की सम्पत्तियों में जो वार्षिक वृद्धियाँ होती हैं वे भी कर के क्षेत्र में आ जाती हैं जबकि अन्य प्रकार के सम्पत्ति कर ऐसा नहीं कर पाते हैं। यह कर करदान योग्यता को ज्ञात करने का भी एक अच्छा आधार है। इसके अतिरिक्त इस कर को प्रगतिशील भी बनाया जा सकता है। यह कर अन्य सम्पत्ति करों की अपेक्षा अधिक क्रियात्मक है, क्योंकि यह बार-बार उत्पन्न होता है। भारत में यह कर सन् १९५७ में लागू किया गया था। इसका प्रस्ताव भी प्रो० कलडोर ने दिया था। उन्होंने इसका पक्ष समानता के आधार पर आर्थिक प्रभावों तथा प्रशासन सम्बन्धी कुशलता के आधार पर लिया था। उनका विश्वास था कि अकेली आय ही किसी व्यक्ति की धर दात योग्यता का अच्छा माप नहीं है। यदि आय करों के साथ-साथ सम्पत्ति करों को लागू कर दिया जाय तब कर प्रणाली करदान योग्यता के पूर्णतया अनुकूल होगी। इसके अतिरिक्त जो कर सम्पत्ति के मूल्या पर लगाये जाते हैं वे जोखिम वाले विनियोगों और जोखिम रहित विनियोगों के बीच उम प्रकार भेद नहीं करते, जैसा कि आय कर द्वारा होता है। अर्थात् सम्पत्ति करों से बचत हतोत्साहित नहीं होती और जोखिम वाले उपक्रमों की भी प्रगति होनी रहती है। आय कर में, जोखिम वाले उद्योगों में आय की मात्रा अधिक होने के कारण अधिक कर वसूल किया जाता है परन्तु सम्पत्ति करों में यह दर लगभग समान ही रहती है। आय कर और सम्पत्ति कर दोनों की उपस्थिति में कर प्रणाली की व्यवस्था अधिक कुशल हो जाती है और कर की चोरी भी बच जाती है। इन्हीं कारणों से प्रो० कलडोर ने अपनी समुचित योजना (Integrated Scheme) में धन कर को सम्मिलित किया था।

भारत में धन कर सन् १९५७ में लागू किया गया था। यह व्यक्तियों, कम्पनियों तथा हिन्दू सयुक्त परिवारों के वास्तविक धन पर एक वार्षिक कर है। प्रो० कलडोर के प्रस्तावों और भारतीय धन कर अधिनियम में यह अन्तर है कि भारतीय अधिनियम में कम्पनियों भी कर क्षेत्र में सम्मिलित कर ली गई हैं। कर की दरें, प्रो० कलडोर के प्रस्ताव के अपेक्षा नीची हैं और कर की छूटें भी अधिक

उदार है। न्यूनतम कर रहित सीमा व्यक्तियों के लिए दो लाख रुपए हैं और हिन्दू सम्मिलित परिवारों के लिए चार लाख रुपए हैं। व्यक्तियों के लिए कर की दरें निम्न प्रकार हैं—

कर रहित सीमा के बाद प्रथम	१० लाख रुपए पर	$\frac{1}{2}$	प्रतिशत
अगले १० लाख रुपए पर	१ प्रतिशत
शेष पर	१ $\frac{1}{2}$ प्रतिशत

हिन्दू सयुक्त परिवारों के लिए कर की दरें निम्न प्रकार हैं—

कर रहित सीमा के ऊपर	६ लाख रुपए पर	$\frac{1}{2}$	प्रतिशत
अगले १० लाख रुपए पर	१ प्रतिशत
शेष पर	१ $\frac{1}{2}$ प्रतिशत

कम्पनियों के लिए ५ लाख रुपए के आदेमों (Assets) पर कोई कर नहीं है, शेष पर $\frac{1}{2}$ प्रतिशत की सामान्य दर से कर लगाया है। धन कर का प्रशासन भी आय कर विभाग को सौंप दिया गया है। व्यक्तियों और हिन्दू सम्मिलित परिवारों की सम्पत्ति का मूल्य बाजार की दरों के अनुसार आँका जाना है। व्यापारिक सस्थाओं तथा कम्पनियों पर कर का निर्धारण उनके हिसाब के चिट्टों (Balance Sheets) के आधार पर किया जाता है।

कर से छूटें—कुछ सम्पत्तियाँ कर से मुक्त हैं, जैसे कृषि सम्पत्तियाँ, ग्रामों में रहने के मकान धार्मिक तथा दान सम्बन्धी सस्थाओं की सम्पत्तियाँ, कला कौशल की वस्तुएँ, व्यक्तिगत सम्पत्ति जैसे फरनीचर, गहने केवल २५ हजार रुपए के मूल्य तक के, और प्रायधान कोष (Provident Fund) और बीमा पॉलिसियों की राशि इत्यादि। यदि कोई कम्पनी नई स्थापित हुई है और जो पहले से स्थित व्यापार सम्बन्धी इमारतों मशीनों इत्यादि के हस्तान्तरण तथा रूप परिवर्तन द्वारा स्थापित नहीं की गई है तो उसके आदेमों पर पहले ५ वर्षों पर कोई कर नहीं लगाया जायेगा। यदि किसी वर्ष में हानि होती है तो उस वर्ष में कोई कर नहीं लिया जायेगा। यदि किसी वर्ष में लाभ इनके कम हुए हैं कि हिस्सेदारों को लाभांश घोषित नहीं किया गया है तब कर केवल लाभ की राशि तक ही सीमित रहेगा। यदि किसी कम्पनी के कुछ आदेम भारत में हैं और कुछ विदेशों में हैं तब विदेशों में स्थित आदेमों पर ५० प्रतिशत की समानुपातिक कटौती कर दी जायेगी। इसी प्रकार यदि विदेशियों की पूर्ण भण्डारण में बड़ी हुई है तो उस पर भी ५० प्रतिशत की कटौती की जायेगी। इस कर का पक्ष लेते हुए भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री कृष्णामाचारी ने कहा था कि वर्तमान आय कर सम्बन्धी नियम तथा व्यवस्था इस योग्य नहीं है कि व्यक्तियों की कर शक्ति क्षमता का सही माप कर सक और आयकर की चोरी को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि किसी न किसी प्रकार का धन या सम्पत्ति कर लागू किया जाये। उनके अनुसार यह विनियमों को भी कम होल्डनाहित करेगा।

वित्त मंत्री के आदेशानुसार के पदचान् ही बहुत से व्यक्तियों ने धन कर की आलोचनाएँ कीं। इसके विरुद्ध पहली आलोचना यह की गई है कि क्योंकि यह वार्षिक

कर है और प्रगतिशील है इसलिए यह वचनो को हतोत्साहित करेगा। परन्तु जैसा कि हम पहले कई बार कह चुके हैं आयकर की तुलना में इसके प्रभाव कम दुरे होंगे। कर के विरुद्ध दूसरी आलोचना इस आधार पर की गई है कि जब विदेशों में यह कर केवल व्यक्तिगत सम्पत्ति एवं धन पर लगाया जाता है, भारत में कम्पनियों के आदेशों पर भी लागू किया गया है। परन्तु यह ध्यान रहे कि भारत में अधिकतर कम्पनियाँ थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में होने के कारण इस कर का लगना आवश्यक था। कुछ लोगों ने आलोचना इस आधार पर भी की है कि धन कर के लगने में भारत में विदेशी पूँजी के विनियोग को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। परन्तु इस समस्या को दूर करने के लिए विदेशी कम्पनियों तथा व्यक्तियों के लिए कुछ रियायतें कर दी गई हैं। अन्त में सम्पत्ति के मूल्य आंकने के सम्बन्ध में जो कठिनाइयाँ हम पिछले पृष्ठों में अन्य सम्पत्ति करों के सम्बन्ध में दे आये हैं उन कठिनाइयों के आधार पर इस कर की भी आलोचना की गई है, और जो वास्तविक भी है। सन् १९५६-६० का बजट प्रस्तुत करते हुए श्री देसाई, वित्त मन्त्री, ने घोषित किया कि अगले वर्ष धन कर से सम्बन्धित सभी खण्डों पर $\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से कर में वृद्धि कर दी गई है।

पूँजी लाभ कर (Capital Gains Tax)—मूल्यों में वृद्धि के कारण सम्पत्ति के न्यून विक्रय से जो लाभ प्राप्त होता है उग लाभ पर जो कर लगाया जाता है उसे पूँजी लाभ कर कहते हैं अर्थात् यह कर उन लाभों पर लगाया जाता है जो किसी व्यक्ति को कम मूल्य पर सम्पत्ति खरीद कर अधिक मूल्य पर बेचने से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने ५०,०००) रुपयों में भूमि खरीद कर १,००,०००) रुपयों में बेची है तो उसको ५०,०००) रुपयों का पूँजी लाभ प्राप्त हुआ। यह ध्यान रहे कि यह लाभ कभी कभी ही प्राप्त होते हैं और अनिश्चित या आकस्मिक होते हैं। साथ ही साथ यह व्यक्ति विशेष के मुख्य व्यवसाय से प्राप्त नहीं होते। उदाहरणार्थ यदि किसी व्यक्ति का व्यवसाय गृही है कि वह भूमि खरीदे और बेचे और जो लाभ प्राप्त हो उनसे जीविका उपार्जन करे तो इस प्रकार के कर, इस कर के अन्तर्गत नहीं आयेंगे। दूसरी ओर यदि कोई शिक्षक भूमि को बेचता है तो जो लाभ उसे प्राप्त होगा अवश्य ही उग पर कर लिया जायेगा। सम्पत्ति के विभिन्न रूप होते हैं जैसे अचल सम्पत्ति तथा चल सम्पत्ति जैसे इमारतें, भूमि, जेवरत, वाड, प्रतिभूतियाँ इत्यादि।

व्यक्तियों में इस बात पर बड़ा मतभेद है, कि पूँजी लाभ सम्पत्ति से प्राप्त लाभ नहीं है वरन् आय है और कुछ लोगों का विचार ठीक इसके विपरीत है। विभिन्न देशों में इन कर को लागू करने के लिये विभिन्न रीतियाँ अपनाई गई हैं। अमेरिका में इसको आय कर का ही एक भाग माना गया है। इस कर के सम्बन्ध में मुख्य कठिनाई यह है कि जब लाभों पर कर लिया जाता है, तो क्या हानि के समय सरकार व्यक्तियों को कुछ आर्थिक सहायता देगी ताकि हानि की क्षतिपूर्ति हो सके। अभी तक तो व्यवहार में ऐसा नहीं हो पाया है।

भारत में यह कर मन् १९५७ में लागू किया गया था। आरम्भ में यह कर सन् १९४७ में लगाया गया था और यह एक प्रगतिशील कर था जो (१५,०००) रुपयों की न्यूनतम मूल्य से अधिक की सम्पत्ति पर लगाया गया था। (१५,०००) रुपयों से ५०,०००) रुपयों तक कर की दर एक आने प्रति रुपया थी और १० लाख रुपया से अधिक के आभां पर कर की दर ५ आने प्रति रुपया तक थी। व्यापार की वस्तुओं के विक्रय, व्यक्तिगत उपभोग की वस्तुएं और कृषि भूमि पर कोई कर नहीं था। जो हानि होती थी वह ६ वर्षों तक के लाभों में पूरी की जा सकती थी और कर उम लाभ पर लगता था जो हानि को पूरा करने के बाद बचता था। यह कर केवल इमीलिये लगाया गया था कि उम समय युद्ध के कारण सम्पत्ति के मूल्यों में बहुत वृद्धि हो गई थी और सम्पत्ति के विक्रय से व्यक्तियों को बहुत लाभ प्राप्त हो रहे थे। परन्तु मन् १९४९ में ही इसको हटा लिया गया था।

कर जाँच आयोग इस कर के महत्व से भली भाँति परिचित था परन्तु उसने उम समय इस कर को लगाने की इसलिए गिफ्टरिस नहीं की थी क्योंकि उमके विचार में विनियोगों को प्रोत्साहित करने के लिये एक अच्छे वातावरण की आवश्यकता थी, जिसको इस कर के लगाने में भग होने का भय था। साथ ही उसने यह भी बताया कि विनाम सम्बन्धी कार्यों के प्रभाव में जब सामान्य मूल्य—स्तर, लाभ तथा पूँजी के मूल्यों में वृद्धि होगी तब इस कर को लगाना अधिक लाभ-प्रद होगा। प्रो० कलशौर ने अपनी कर सुधार योजना में इस कर को लगाने का प्रस्ताव दिया था। उनका विचार था सभी प्रकार के लाभों तथा आयों पर जो कम्पनियों को प्राप्त होते हैं, ७ आने प्रति रुपया की समान दर से कर लगाया जाय (यदि यह राशि २५,००० रुपयों से अधिक है तो)। यदि व्यक्तियों की आय तथा पूँजी लाभ २५,०००) रुपयों से कम है तो उन पर नीची दरों से कर लगना था।

भारत में पूँजीगत वस्तुओं के आवाधारण विक्रय, विनिमय तथा हस्तान्तरण में प्राप्त होने वाले लाभों पर यह कर लगाया गया है। पूँजीगत वस्तुओं के अन्तगत आवाधारण व्यापार सम्बन्धी वस्तुओं उपभोग की वस्तुएं या कच्ची सामग्री जो व्यापारिक कार्यों के लिये होती है, व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं और कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की सम्पत्तियाँ सम्मिलित की गई हैं। कुछ प्रकार के पूँजीगत लाभों को कर-क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है जैसे उपहार में सम्पत्ति के हस्तान्तरण के कारण प्राप्त होने वाले लाभ या हिन्दू सम्मिलित परिवार की सम्पत्ति के बंटवारे से उत्पन्न होने वाले लाभ रिहाइस के मकान को बेचने से प्राप्त होने वाले लाभ आदि को कर मुक्त रखा गया है। हमारे यहाँ यह कर आय कर का ही एक भाग है। कर की दर आय कर के दरा के ही समान है। केवल उन्ही पूँजी लाभों पर कर लगता है जो ५,०००) रुपयों से अधिक होते हैं। इसके अतिरिक्त यदि पूँजी लाभों को सम्मिलित करके कुल लाभ १०,०००) रुपयों से अधिक नहीं है तब कुछ भी कर नहीं लिया जायेगा।

वास्तव में इस कर के लगने से व्यक्तिगत करारोपण (Personal Taxation)

का ढाँचा भारत में अब पूरा हो गया है। निरन्तर बढ़ते हुए मूल्यों की स्थिति में वह कर बहुत ही उचित है। यह कर प्रो० कलडौर के प्रस्तावों के अनुकूल भी नहीं है। क्योंकि उन्होंने तो चार करोड़ को एक साथ लगाने की एक समुचित योजना प्रस्तुत की थी। फिर भी यह विकास सम्बन्धी व्ययों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले मूल्य वृद्धि को रोकेंगा और आय की असमानताओं को भी कम करेगा।

संघ सरकार की आय के स्रोत (क्रमशः)

(वस्तु तथा व्यक्तिगत व्यय
करारोपण)

Sources of Revenue of
the Union Government
(Contd.)

(Commodity and Personal
Expenditure Taxation)

वस्तु करारोपण

प्रातिकथन—

वस्तु करारोपण के अन्तर्गत हम उन करों का अध्ययन करेंगे जो वस्तुओं के उत्पादन, क्रय एवं विक्रय, आयात, निर्यात आदि पर लगाए जाते हैं। इस अध्याय में हम केवल उन्हीं वस्तु करों का अध्ययन करेंगे जो भारत सरकार की आय के स्रोत हैं, अर्थात् उत्पादन कर (Excise duties) और सीमा शुल्क (Custom duties)। यद्यपि बिक्री कर (Sales Tax), चुनी कर (Octroi duty) और मार्गान्त कर (Terminal taxes) भी वस्तु कर हैं, किन्तु हम बिक्री कर का अध्ययन राज्यों की वित्त व्यवस्था (State Finances) का अध्ययन करते समय करेंगे और अन्तिम दो करों का अध्ययन हम स्थानीय वित्त व्यवस्था (Local Finances) के अध्ययन के साथ करेंगे।

वस्तुओं पर जो कर लगाये जाते हैं वे अप्रत्यक्ष कर (Indirect taxes) होते हैं। आधुनिक कर प्रणालियों में इनका प्रमुख स्थान है और लगभग प्रत्येक देश के वित्तीय साधनों में इनका विशेष महत्त्व है। ये कर सोने के षण्डे देने वाली मर्चों के समान हैं। सरकार को इनमें बहुत आय प्राप्त होती है। करारोपण के निदान्तो अथवा न्याय की दृष्टि से तो इन करों का इतना महत्त्व नहीं है जितना कि इनका आर्थिक एवं सामाजिक महत्त्व है। आर्थिक दृष्टिकोण से सरकार को इनसे आय प्राप्त होती है और सामाजिक दृष्टिकोण में इनके द्वारा हानिकारक वस्तुओं का उपभोग नियमित किया जा सकता है। परन्तु ऐसे देश में वस्तुओं के उत्पादन में प्रोत्साहित नहीं करते, क्योंकि मूल्यों में वृद्धि होने के कारण वस्तुओं का उपभोग कम होता जाता है। ये कर प्रतिगामी भी होते हैं, यदि ये ऐसी वस्तुओं पर लगाये

जाते हैं जिनका उपभोग अधिकतर किया जाता है। निम्न में हम इन करों का विस्तार में अध्ययन करेंगे—

उत्पादन कर

(Excise Duties)—

यह कर देश में उत्पन्न की हुई वस्तुओं पर लगाया जाता है। यह कर या तो उम समय लगाया जाता है जबकि वस्तुएँ बन रही होती हैं, या यह उनके उपभोक्ताओं तक पहुँचने से पहले ही लगा दिया जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है और क्योंकि यह वस्तुओं तथा सेवाओं पर लगाया जाता है, इसलिये इनका भार उपभोक्ताओं पर पड़ता है। इस उद्देश्य से कि इसका भार निर्धन व्यक्तियों पर कम पड़े, यह कर अधिकतर विलासयुक्त या प्रतियुक्त सम्बन्धी वस्तुओं पर लगता है। यह कर जीवन की परम आवश्यक वस्तुओं पर नहीं लगता। विलासयुक्त वस्तुओं में सबसे उपयुक्त, मोटर गाड़ियाँ तथा उनसे सम्बन्धित वस्तुएँ, रेडियो इत्यादि वस्तुएँ हैं। प्रतियुक्त सम्बन्धी वस्तुओं पर जैसे, तम्बाकू, सिगरेट, अफीम, मादकपेय आदि पर केवल इसीलिए कर लगाया जाता है ताकि व्यक्ति इन वस्तुओं का उपभोग कम कर दें और गम्भीर, सदाचारी और गम्भीर बने। हमारे देश में लगभग सभी धर्मों में नशीली वस्तुओं के उपभोग को बुरा बताया गया है और आध्यात्मिकता को बल प्रदान किया गया है, इसीलिए तो प्राचीन समय से ही इन वस्तुओं पर उत्पादन कर लगाया जा रहा है।

यह कर कई प्रकार से लगाया जा सकता है। प्रथम रीति, तो यह हो सकती है कि वस्तु विशेष की वास्तविक उत्पत्ति की मात्रा पर लगाया जाये। परन्तु इस रीति में कर की चोरी होने की बहुत सम्भावना है। यदि कर की चोरी कम करना है तो बहुत ही लम्बी चौड़ी व्यवस्था करनी होगी। वस्तु के उत्पादन की हर टना म तथा हर स्थिति पर निगाह रखनी होगी और प्रत्येक दिन के उत्पादन का ब्यौरा रखना होगा, ताकि उत्पत्ति की मात्रा में किसी प्रकार की उलट फेर न हो सके। यदि एक ही वस्तु के बहुत से छोटे छोटे उत्पादक हैं और सरकार को वास्तविक उत्पादन का पता लगाना कठिन हो तथा अपव्ययी भी हो, तो दूसरी रीति यह होगी है कि सरकार यह अनिवार्य करदे कि व्यक्तियों को उम वस्तु के उत्पादन के लिये लाइसेन्स लेने हाने और लाइसेन्स जारी करते समय इनसे कुछ पैसा ले ले। इसकी अन्तिम रीति यह होती है कि सरकार किसी वस्तु का उत्पादन स्वयं एकाधिकारी के रूप में करे और कर को वस्तु के मूल्य में मिलाकर उपभोक्ताओं से वसूल कर ले।

उत्पादन कर का भार उपभोक्ताओं पर ही पड़ता है, जिसका परिणाम यह होता है कि उपभोग का स्तर नीचा होता जाता है। इसीलिए ये ऐसी वस्तुओं पर अधिक लगाया जाता है, जिनके उपभोग को सरकार कम करना चाहती है। यदि बिना सोचे समझे, बिना कर के प्रभावों की ओर ध्यान दिए ही उत्पादन कर लगा

दिए जायेंगे तो उबनाम कम होने में व्यक्तिगतता गिरती जायेगी। नाम ही उत्पादन की कम होता है और वस्तुओं का उत्पादन व्यय बढ़ने लगता है। विदेशी वस्तुओं के आयात एसी स्थिति में प्रोत्साहित होते हैं। इसीलिए देश में उद्योगों की हानि से बचाने के लिए विदेशी वस्तुओं पर आयात कर लगा दिए जाते हैं। जो उत्पादन कर विनामयुक्त वस्तुओं पर लगाए जाते हैं व प्रगतिशील भी होते हैं और घटी व्यक्तिगतता पर उनका भार पड़ने से कारण घने की अक्षमताओं को भी कम करते हैं। अतः देश के औद्योगिक विकास पर बुरा प्रभाव न पड़ने देन के लिए यह भी आवश्यक है कि वर श भार महायुक्त वस्तुओं पर न पड़कर उपभोग की वस्तुओं पर पड़े। इसी प्रकार यह उत्पादन की प्रतिम अवस्था में ही लागू किया जाय ताकि इसका भार उद्योगपतियों पर न पड़े। इसका एक लाभ यह भी होगा कि वस्तुओं में गुणात्मक भेद भाव (qualitative differentiation) किया जा सकेगा — अर्थात् अधिक गुण वाली वस्तुओं पर अधिक कर और कम गुण वाली वस्तुओं पर कम कर। अतः हम इस स्थिति में हैं कि उत्पादन करों के लाभ तथा प्रवृत्तियों की संरक्षण में गणना कर नहीं। उत्पादन कर के निम्न नाम हैं —

करदाताओं को कम करों का भार मालूम नहीं पड़ता क्योंकि ये वस्तुओं में मुख्य में ही मिले होते हैं। इसलिए अति मुक्तिवाचक होते हैं। दूसरा लाभ यह है कि यदि ये क्लिप्तयुक्त वस्तुओं पर लगाए जायें तो यह भाय की अक्षमताओं को भी दूर कर सकते हैं। तीसरे यह उत्पादन होते हैं और प्रथम में ही हानिकारक वस्तुओं के उपभोग की नियमित करने में सफल होते हैं। इनके विरुद्ध ये तर्क दिए जाते हैं — प्रथम क्योंकि ये अधिकतर सामान्य उपभोग की वस्तुओं पर लगाए जाते हैं इसलिए इसका भार निचले व्यक्तिगतता पर अधिक पड़ता है। इस प्रकार यह कर प्रतिगामी होते हैं। दूसरे यह देश में वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करते हैं और वही वही तो देशी वस्तुओं के लिए यह प्रसम्भय ही जाता है कि वे विदेशी वस्तुओं से प्रतियोगिता कर सकें। अतः में इन करों में न्याय और लोचपूणता के सिद्धांतों का ध्यान एक ही समय पर नहीं किया जा सकता क्योंकि यदि ये न्याय की दृष्टि से लोचदार भाग वाली वस्तुओं पर लगाए जाते हैं तो इनमें लोचपूणता नहीं रहती और यदि ये लोचपूणता की दृष्टि से अतीव भाग वाली वस्तुओं (जो अधिकतर सामान्य उपभोग वाली वस्तुएं होती हैं) पर लगाए जाते हैं तो निचला पर इनका भार अधिक पड़ने से इनकी न्यायपूणता समाप्त हो जाती है।

भारत में सद्य सरकार द्वारा लगाए गये उत्पादन कर — हमारे देश में उत्पादन कर का इतिहास मुसलमानी शासन में आरम्भ होता है जबकि गाइक पया पर उत्पादन कर लागू किया गया था। उस समय मनीषी वस्तुओं की बिक्री का अधिकार उस व्यक्ति को दिया जाता था जो नीलाम में सबसे अधिक बोली बोधता था। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के बाद उत्पादन कर प्रणाली में बहुत से परिवर्तन कर दिए गए। सन् १९०६ में मनीषी वस्तुओं पर उत्पादन कर लगाने का अधिकार प्राप्ता को सौंप दिया गया। आजकल जो भारत सरकार के उत्पादन कर हैं उनमें

इतिहास मन् १९१९ के एक्ट से आरम्भ होता है। इस एक्ट के आधीन उत्पादन कर दो भागों में विभाजित किए गए थे। प्रथम, प्रान्तीय उत्पादन कर और दूसरे केन्द्रिय उत्पादन कर। यह विभाजन किसी प्रकार भी बैज्ञानिक आधार पर नहीं किया गया था बरन् इसका मुख्य उद्देश्य प्रदासन सम्बन्धी सुविधा को प्राप्त करना था। मादक पदार्थों के उत्पादन तथा विक्रय पर कर लगाने और बमूल करने का अधिकार प्रान्तों को सौंप दिया गया था और अफीम, आघात की हुई स्प्रिट, शकर, दियासलाई पर उत्पादन कर लगाने का अधिकार केन्द्रिय सरकार को दिया गया था। सन् १९३५ के एक्ट में इन वस्तुओं की सख्या में और भी अधिक वृद्धि कर दी गई थी और नए सविधान के अनुसार सघ मरकार, एलकोहल सम्बन्धी कराओं और अफीम, भागतीय भाग और अन्य निद्राकारक औषधियों (Narcotic Drugs) के अतिरिक्त सभी वस्तुओं पर कर लगा सकती है। उपर्युक्त वस्तुओं पर उत्पादन कर लगाने का अधिकार राज्य सरकारों को ही होगा। प्रथम वित्त आयोग की निकारिज के अनुसार तम्बाकू, दियासलाई और वनस्पति वस्तुओं पर लगाए हुए उत्पादन करों की आय का बटवारा केन्द्रिय सरकार और राज्य सरकारों के बीच होगा। दूसरे वित्त आयोग ने इन वस्तुओं की सख्या को और बढ़ा दिया और शक्कर, चाय, कढ़वा, कागज और वनस्पति अनावश्यक तेलों की आय भी राज्यों और केन्द्रिय सरकारों में बँटेंगी।

आजकल केन्द्रिय सरकार निम्न वस्तुओं पर उत्पादन कर लगाने लगी है— तम्बाकू, लई और उससे उत्पादित वस्तुएँ, चाय, कोयला, दियासलाई, चीनी, टायर, निगरेट, सुपारी, साबुन, वनस्पति वस्तुएँ, वनस्पति अनावश्यक तेल, मोटर, स्प्रिट, कागज, स्पात पिंडक, रेशमी कपड़ा, मीमेट, जूने आदि। सन् १९५३ में कपड़े पर ३ पाई फी गज की दर से उपवर (Cess) लागू किया गया था जिससे प्राप्त आय में से करपा तथा खादी उद्योग को आर्थिक सहायता प्रदान की जानी थी।

अन्य करों की भाँति उत्पादन करों की दरों में समय समय पर परिवर्तन हुंने रहे हैं। सन् १९५७ में उत्पादन करों में बहुत अधिक परिवर्तन चिय गये थे। सन् १९५५ में कर आँच आयोग का प्रस्ताव था कि मिट्टी का तेल, चीनी, दियासलाई, चाय, कपड़े पर करों की दरें बढ़ा दी जायें। आयोग ने तम्बाकू, निगरेट माटर, स्प्रिट, स्पात पिंडक (Steel Ingots), टायर, वनस्पति वस्तुओं पर कर की दर न बढ़ाने का सुझाव दिया था। आयोग का यह भी सुझाव था कि कपड़ा मीने की मशीनें, ऊनी कपड़ा, बिस्कुट, कागज, बँदियों, पेन्ट और वानिशा, विजली के पत्तें, लेम्प तथा चीनी के बरतना पर भी उत्पादन कर लागू कर दिया जाय। आयोग का दिशवास था कि काँच और चीनी के बरतनों के अतिरिक्त अन्य सब वस्तुओं पर नीची दर से उत्पादन कर लगाना उपयुक्त होगा।

सन् १९५७ का बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने यह घोषित किया था कि योजनावद्ध आर्थिक विकास से सम्बन्धित करारोपण नीति का मुख्य उद्देश्य उपभोग को नियन्त्रित करना होना है ताकि मूल्यों के बढ़ने की प्रकृति कम हो और विनियमों की प्रवृत्ति में वृद्धि हो। स्पष्ट ही है कि इस उद्देश्य की पूर्ति केवल

अप्रत्यक्ष करारोपण द्वारा हा हा सकता है। इमनिष कुछ उपभाग की वस्तुमात्र जम माटर स्पिट वनस्पति तन बना हुई तम्बाक तथा दियामनाइया आदि वस्तुमात्र पर उत्पादन करा की दर बना दी गई। इमक अतिरिक्त पजागत वस्तुमात्र तथा कच्चा सामग्रा जम सीमट स्नात पिन्क पर भा उत्पादन कर बना दिया गया। यद्यपि वित्त मंत्रा न यह विश्वास कियाया कि उपभाग वा वस्तुमात्र पर बनाए हुए उत्पादन कर वा भार विन्याया पर हा पन्ना और यावागिया तथा ज्वागपनिया व नाम का दर कम हा जायगी परन्तु यह कहना कठिन हा गगा कि वित्त मंत्रा का आगा न्तिम सामा तक पूरा हा सकगा। वस ता इमका भार उपभोक्ताया पर भा अधिक पन्गा। वास्तव म आजकल हमारे देग म परिस्थितिया कुठ गमा ह कि — उत्पादन करा की वडि वा आलोचना करना ठीक नहा गता। हनाग देग म आर्थिक विनाम क निय गकरार वा बहुत अधिक धन का आवश्यकता है। विन्गा म हमका आजकल प्रण नही प्राप्त हा पा रह ह। अत यदि ग्ग क सभा व्यक्ति कुछ वित्तान करन को तयार नहा हाग ता देग वा आर्थिक विकास कदापि भा सम्भव न हा सकगा और हमारा देग कभा भा गगद्विगात्रा नती बन सगगा। इमनिष इन करन को वलिदान वा हा एन रूप नमभकर रहन करना चाहिय। दूसर हम आवश्यक धन अल्प वकता स भी प्राप्त हा सकता है। परन्तु जब तर लोग अपनी आय का उपभाग पर खच बरत रहग तम वक्त तक क कुछ भा नही बचा सकग। इमनिष यह आवश्यक है कि करा द्वारा वस्तुमात्र के उपभोग को कम किया जाय। इमम काट मन्ह नही कि हमके विरुद्ध भा काफी आलोचना की जा सकती है क्यकि एक ता उपभोक्ता पहन स ही ऊच मूल्या के दबाव म मर रह ह उनका उपभाग वा म्तर पहन ही बाफा गिर चका है और करा की इस वडि क बाद ता और भा अधिक कमी हा जायगी। यह सब कुछ सच है परन्तु जैसा कि वित्त मंत्रा न स्वय बनाया वा इन वडिया स कर भार म कोई विगप वडि नहा होगा। उनका अगमात है कि ग्रामीण क्षत्रा म ०.७२% की और शहरा क्षत्रा म १.५% का वडि होगी। हम तो हम वडि स धराराना हा नही चाहिय बरन हम सभा म वलिदान करन का भावना जगन होना चाहिय ताकि हमारा देग अनिश्चित कठिनाइया म वच सक। परन्तु यह ध्यान रह कि व्यवहार म इन करा की वडि स काइ विगप लाभ नहा हुआ। क्यकि एन आर ता फुटकर मल्या म वडि होती चना जा रही ह और दूसरी आर सीमट तथा स्नात क मूल्य बढ़ जाने स मनाता तथा आय योजनाया का तागत बनना चनी जा रहा ह। सन् १९५६-५७ म सीमट और गक्ति द्वारा मचवित्त कथा म वन हुए कपडा पर उत्पादन कर और वडा दिया गवा और वनस्पति वस्तुमात्र पर उत्पादन कर का कम कर दिया गया। यहा पर यह बताना अनपयस्य न होगा कि भारत सरकार को कर स्रोतो म सबसे अधिक आय उत्पादन करा स ही प्राप्त हाता है और इन करा त प्राप्त आय प्रत्यक रूप बढ़ती हा जा रहा है। यह निम्न आकंता से स्पष्ट हो जाता है। निम्न तालिका म राज्या का हिस्सा निकानन क थद बनाग सरकार का जो आय प्राप्त होती है उनके आवडे बिष गय ह —

(करोड रुपयो मे)

वर्ष	प्राय	वर्ष	प्राय	वर्ष	प्राय
१९५३-५४	७९ ४३	१९५५-५६	१२६ ६५	१९५७-५८	२२४ ३२
१९५४-५५	९३ ११	१९५६-५७	१७२ २१	१९५८-५९	२३५ ७९

सन् १९५९-६० का बजट प्रस्तुत करते हुए श्री देसाई ने यह घोषित किया कि रेसमी कपड़े पर पुराने ६ पाई के स्थान पर नया ६ नया पैस शक्ति गज की दर से उत्पादन कर लगेगा और रेसमी सूत पर ७ प्रतिशत की दर से उत्पादन कर मबुद्धि की जावेगी। इसी प्रकार खडगारी शकर पर ५ ६०% के उत्पादन कर के अतिरिक्त धिन्नी कर के स्थान पर ७० नये पैसो की दर से उत्पादन कर में वृद्धि कर दी गई। विशेष क्षेत्रों में उत्पादित चाय पर उत्पादन कर कम कर दिया गया है। शीजल तेल पर उत्पादन कर की दर ४०) रुपये प्रति टन से बढ़ाकर ५०) रुपये प्रति टन कर दिया गया है।

नमक कर—नमक उपभोग की एक आवश्यक वस्तु है। इसलिये इस पर कर लगान से प्रत्येक देश की सरकार को बहुत आय प्राप्त होती है। अन्य देशों की भाँति भारत में भी बहुत प्राचीन समय से नमक पर कर लगना आया है। ब्रिटिश साम्राज्य काल में तो नमक करारोपण की मुख्य वस्तु थी। परन्तु सन् १९४७ में नमक कर समाप्त कर दिया गया। नमक कर की समय समय पर बहुत बड़ी आलोचना होती रही है। नमक उपभोग की एक आवश्यक वस्तु है। भारत के निवासी आत्यधिक निर्धन होने के कारण कर का भार उन पर बहुत अधिक पड़ता है। यह केवल व्यक्तियों के लिये ही नहीं बल्कि जानवरों के लिये भी आवश्यक है। बहुत से सामाजिक उद्योग भी इस पर आधारित हैं। नमक पर कर लगने से न केवल मनुष्यों और जानवरों को ही हानि होती है बल्कि उद्योगों को भी क्षति पहुँचती है। इसी कारण देश के प्रमुख नेताओं ने इसका बड़ा विरोध किया था। दादा साई नौरोजी, गोखले, महात्मा गाँधी आदि सभी नेताओं ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई थी। महात्मा गाँधी के अमहयोग आन्दोलन में नमक कर निवम को तोड़ने का निश्चय एक मुख्य अंग था। महात्मा गाँधी के वाक्या में यह कर 'निर्धन व्यक्तियों के दृष्टिकोण में सबसे अधिक अन्मान पूर्ण है।' महात्मा गाँधी की उची यात्रा विर-स्मृणीय रहेगी। इन्हीं यात्रा का परिणाम यह हुआ कि सन् १९४७ में स्वतन्त्रता के पश्चात् इस कर को हटा दिया गया।

भावुकता को परे रखकर यदि हम मत्स्यग्री और व्यवहारिकता की दृष्टि से देखें तो प्रतीत होगा कि नमक कर का भार जितना अधिक बुरा समझा जाता है उतना अधिक ही नहीं। यह अनुमान लगाया गया था कि एक वर्ष में एक व्यक्ति का तीन से चार घाने देने पड़ते थे। इस प्रकार नमक कर को हटाने में एक व्यक्ति को अधिक से अधिक चार घाने का लाभ पुरे एक वर्ष में प्राप्त होता था। इसके

अतिरिक्त चार आनेों का यह लाभ कभी भी किसी एक समय पर प्राप्त नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति नमक को समय समय पर थोड़े थोड़े मात्रा में खरीदता है। इस तरह नमक कर के हटाने से न तो व्यक्तियों के पास चार आने बचने से बहुत लाभ प्राप्त होगा और न नमक कर के लगने से व्यक्तियों की जेब में से एक वर्ष में चार आने निकल जाने में उनको कोई हानि ही होगी, साथ ही सरकार को बहुत अधिक मुकसाम होता है। आजकल जब कि सरकार को बिक्राम कार्यों के लिये धन की इतनी अधिक आवश्यकता है नमक कर को फिर से लागू करना अनुचित न होगा विशेष कर जब कि कपड़ा माबुन, अनाज और मिट्टी का तेल आदि आवश्यक वस्तुओं पर उत्पादन और बिक्री कर लगे हुये ह। देखा जाय तो इन वस्तुओं पर कर लगने में नमक कर की अपेक्षा निर्धन व्यक्तियों पर अधिक भार पड़ता है। क्योंकि निर्धन व्यक्ति इन वस्तुओं पर अपनी आय का बहुत बड़ा भाग खर्च करते हैं। नमक कर में उद्योगों को भी कोई विशेष हानि नहीं होगी। उद्योग सम्बन्धित बहुत सी ऐसी वस्तुओं पर कर लगे हुये हैं जो नमक की अपेक्षा अधिक आवश्यक हैं। इसलिए यह समझ में नहीं आता कि नमक कर लगने से ही उद्योगों को कौन सी बड़ी हानि पहुँचने की सम्भावना हो सकती है। अतः नमक कर का विरोध केवल भावुकता के आधार पर ही किया जा सकता है वरन् प्रायिक दृष्टिकोण में इस प्रकार के विरोध में कोई भी तथ्य नहीं है।

सीमा-शुल्क

(Custom Duties) —

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सीमा शुल्क सत्तार में सबसे पुराना कर है। आरम्भ में यह कर व्यापारियों के व्यापारिक लाभों पर लगाया जाता था, परन्तु आजकल, उत्पादन कर की भाँति यह कर वस्तुओं पर लगाये जाते हैं। सीमा शुल्क दो प्रकार के होते हैं—आयात कर, जो उन वस्तुओं पर लगाये जाते हैं जो देश की सीमाओं के अन्दर विदेशों से आती हैं, और निर्यात कर, जो उन वस्तुओं पर लगाये जाते हैं जो देश की सीमाओं से बाहर विदेशों को भेजी जाती हैं।

निर्यात कर—आरम्भ में यह कर बहुत ही लोकप्रिय था क्योंकि अधिकतर यही विचार था कि उनका शहर आयातकर्ताओं पर पड़ता है। परन्तु सर्वद्व ही ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसा कि हम कह चुके हैं कर भार, आयातकर्ता एवं निर्यातकर्ता देशों की वस्तुओं की माँग एवं पूर्ति की सापेक्षिक ताँची पर निर्भर करता है। निर्यात कर सर्वप्रथम ऊन और खानों पर इंग्लैण्ड में सन् १२७५ में लगने आरम्भ हुये थे। १७ वीं शताब्दी तक निर्यात कर योरोपीय देशों में बड़े ही लोकप्रिय रहे, क्योंकि इनको देश में अनाज की पूर्ति को बनाये रखने का एक साधन समझा जाता था। वाणिज्यवादी नीतियों (Mercantilistic Policies) की प्रगति एवं विकास के साथ साथ, इनका सूर्य भी अस्त होता गया, क्योंकि यह विदेशी व्यापार में बाधा समझी जाने लगी। स्वतन्त्र व्यापार की नीति ने तो इनके महत्त्व को पूर्णतया समाप्त कर दिया।

परन्तु यह स्थिति बहुत वर्षों तक न चय मकी और समय ने भी करवट ली। निर्यात करों का महत्व फिर बढ़ने लगा। सरक्षा मन्बन्धी विचारों तथा राष्ट्रीयता की भावना की उन्नति के साथ साथ और प्रथम महायुद्ध के बाद निर्यात करों का प्रयोग फिर आरम्भ हुआ। आजकल यह अधिकतर पिछड़े हुए देशों में वच्ची सामग्री, खनिज पदार्थों और देय के प्राकृतिक साधनों को सुरक्षित रखने के लिये इन्हीं वस्तुओं के निर्यात पर लगाये जाते हैं। यह उन वस्तुओं पर भी लगाये जाते हैं, जिनकी मांग बेलोच होती है, परन्तु इन वस्तुओं पर निर्यात कर लगाने का उद्देश्य इनको सुरक्षित रखने का नहीं होना, बल्कि अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करना होना है। कभी कभी यह केवल आय प्राप्ति के उद्देश्य में ही लगाये जाते हैं, जबकि ये उत्पादन पर लगाये जाते हैं और केवल उसी भाग पर लगाये जाते हैं जिसका निर्यात होता है। यह ध्यान रहे कि इस प्रकार के कर बड़ी सावधानी और मोच-विचार के बाद लगाने चाहिये, क्योंकि इनके लगने में देशीय उत्पादक इस स्थिति में नहीं रहते कि विदेशियों से प्रतियोगिता कर सकें।

आयात कर—जब से लोगो का यह भ्रम दूर हुआ और उन्हें यह मालूम हुआ है कि निर्यात करों का भार आयातकर्ताओं पर नहीं पड़ता जब से आयात करों का बहुत अधिक प्रयोग होने लगा है। इनका उपयोग विदेशी आयातों को रोकना और देशीय उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। जब से सरकारों ने नागरिकों के आर्थिक कल्याण के लिए नियोजन कार्य आरम्भ किया है और नागरिकों के आर्थिक जीवन में अधिक मात्रा में हस्तक्षेप करना आरम्भ किया, उस समय से आज तक इनका उपयोग निरन्तर बढ़ता ही गया है। इनका उपयोग भी प्रथम महायुद्ध के बाद बहुत बढ़ा है। मन् १९३० के मन्दी काल तथा रुम में आर्थिक नियोजन की सफलता ने तो आयात करों के गुणा को और भी अधिक प्रदशित कर दिया और यह मिद्ध कर दिया कि ये देश के उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिये एक सक्तिशाली अस्त्र हैं। इन करों को लगाने के मुख्यतया दो उद्देश्य होते हैं—प्रथम सुरक्षण और दूसरा, आय प्राप्त करना। कुछ लोगो का विश्वास है कि आयात करों द्वारा विदेशी प्रतियोगिता को भी रोका जा सकता है और साथ ही आय भी प्राप्त की जा सकती है। परन्तु यह केवल एक भ्रम है, क्योंकि सरक्षात्मक करों से विदेशी आयात कम होगी और सरकार की आय भी कम होगी। अतः या तो सरक्षण ही प्रदान किया जा सकता है या आय प्राप्त की जा सकती है। दोनों उद्देश्यों की पूर्ति एक साथ नहीं की जा सकती है। है तो यह बात सही, परन्तु सत्य यह भी है कि परोक्ष रूप में दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति होती है। यह अतन्भव है कि सरक्षण हेतु जो सीमा शुल्क लगाये जायें उनमें आय प्राप्त न हो या आय के उद्देश्य में सीमा शुल्क लगाये जायें और उनके फलस्वरूप उद्योगों की रक्षा न हो। व्यवहार में सीमा शुल्क इन दो उद्देश्यों के अतिरिक्त और भी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगाये जाते हैं। उत्पादन करों के बुरे प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से भी सीमा शुल्क लगाये जाते हैं। इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि उत्पादन करों के फलस्वरूप वस्तुओं के मूल्य

बढ़ ही जाते हैं, जिसके कारण देशीय व्यापारियों एवं उत्पादकों को विदेशी वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा करना असम्भव हो जाता है। विदेशी वस्तुओं पर कोई वर जो नहीं होता इसीलिये वह मस्ती हावी है। सरकार इस भेद-भाव का अन्त करने के लिए विदेशी वस्तुओं पर आयात कर लगाकर उनसे मूल्य को देशीय वस्तुओं के मूल्य के बराबर ले आती है। इससे अतिरिक्त सीमा शुल्क द्वारा सरकार दश के मूल्य-स्तर को भी प्रभावित कर सकती है। आयात कर कम करने से आयात को प्रोत्साहित करने से दश के मूल्य स्तर का नीचा कर सकता है और गिरा हुआ मूल्य स्तर को बहुत कुछ सीमा तक आयात करा भी बढ़ा कर ऊँचा कर सकती है। इसके विपरीत निर्यात करों की बढ़ि द्वारा निर्यात में कमी हो जाने से मूल्य स्तर गिरने लगता है, और निर्यात करों की कमी द्वारा निर्यातों के प्रोत्साहित होने से मूल्य स्तर को ऊँचा किया जा सकता है। अतः आयात कर प्रणालियों में सीमा शुल्क का बहुत महत्व है।

सीमा शुल्क या मूल्यानुसार लगाये जाते हैं या परिमाणानुसार। जब ये मूल्यानुसार लगाये जाते हैं तो इन्हें यथा मूल्य (Advalorem) कहते हैं और जब ये परिमाणानुसार लगते हैं तो इन्हें परिमाणिक (Specific) कहते हैं। प्रथम प्रकार के सीमा शुल्क की दरें वस्तुओं के मूल्यों पर निर्भर करती हैं और ये प्रगतिशील होते हैं। दूसरी प्रकार के सीमा शुल्क वस्तुओं की मात्रा, संख्या, आकार एवं भार के अनुसार लगते हैं और प्रतिमापी होते हैं क्योंकि जो वस्तुओं की मात्रा एवं भार के अनुसार लगाये जाते हैं वे उपभोक्ताओं से वसूल कर लिये जाते हैं। प्रथम प्रकार के वरों को निश्चित करना सरल नहीं होता, क्योंकि अधिकांश वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनका मूल्य नहीं आका जा सकता। इसीलिये इनकी व्यवस्था भी बहुत कठिन होती है। दूसरी और प्रमाणिक सीमा शुल्क बड़ी सुगमता से निश्चित किये जा सकते हैं और इनकी व्यवस्था भी इतनी जटिल नहीं होती। साथ ही इनकी दरें भी निश्चित होती हैं।

सीमा-शुल्क का भार (Incidence of Custom Duties)—सीमा शुल्क का भार, वस्तुओं पर लगे हुए अन्य करों की भाँति, आयात करने एवं निर्यात करने वाले देशों की वस्तुओं की मात्रा और पूर्ति की सापेक्षिक जोड़ी पर निर्भर करता है। यदि ऐसी वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाये जाते हैं जिनका उत्पादन कम देशी किया जा सकता अर्थात् जिनकी पूर्ति बेलोच होती है तो इनका भार उत्पादकों पर पड़ता है। वर भार निश्चित करते समय यह देखना होगा कि किस वस्तुओं पर निर्यात कर या आयात कर लगाये जा रहे हैं। कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनकी उत्पत्ति बेलोच होते हुए भी उनकी पूर्ति किसी अन्य देश विशेष के लिये जोरदार होती है। यदि आयात करने वाला देश ऐसी वस्तुओं पर आयात कर लगाते हैं तो निर्यात करने वाले देश की निर्यात कम हो जायेगी और आयात कर का भार आयात करने वाले देश के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, क्योंकि आयात कम होने से वस्तुओं के मूल्य बढ़ जायेंगे। कर भार आयात करने वाले देशों के उपभोक्ताओं पर और भी अधिक पड़ेगा यदि निर्यात करने

देश ऐसी वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है जिनके उत्पादन में उसे अकाधिकार प्राप्त है।

इसी प्रकार यदि किसी देश के लिए, किसी वस्तु विशेष की मांग बेलोच है, तो सीमा शुल्क का भार आयात कर्ता देश के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। अधिकतर साधारण दार्थ एव कच्चे माल पर लगे हुए करों का यहाँ परिणाम होता है, चाहे ये सीमा शुल्क आयात कर्ता देश द्वारा लगाये जायें या निर्यात कर्ता देश द्वारा, इनका भार गर्देव ही उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। यह ध्यान रहे कि जब कि साधारणतया आयात कर्ता देश को किसी वस्तु की मांग बेलोच होती है, किन्तु किसी विशेष निर्यातकर्ता देश के सम्बन्ध में उसकी मांग लोचदार भी हो सकती है, अर्थात्, यदि कोई देश निर्यात कर लगा देता है तो आयात कर्ता देश को यह स्वतन्त्रता होती है कि वह उन वस्तुओं को किसी अन्य देश से मगा सकता है। उदाहरणार्थ, भारत अनाज, कनाडा, अमेरिका, आस्ट्रेलिया आदि देशों से मगा सकता है पर वह कनाडा से ही मगाता है। यदि कनाडा यह समझकर कि भारत के लिए अनाज की मांग बेलोच है निर्यात कर लगा देता है, जिससे अनाज के मूल्य उँच हो जाते हैं तो भारत कनाडा से अनाज मगाना बन्द करके आस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों से मगा सकता है। इस प्रकार जब कि भारत के लिये अनाज की मांग बेलोच है, किन्तु कनाडा के सम्बन्ध में या किसी भी देश विशेष के लिए भारत की मांग लोचदार है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि सीमा शुल्क का भार प्रत्येक देश के लोच करने की शक्ति पर निर्भर करता है। अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि, यदि किसी देश की मांग दूसरे देश की वस्तुओं के लिए, अपनी वस्तुओं के लिए विदेशों की मांग की अपेक्षा, अधिक लोचदार है तो सीमा शुल्क का भार दूसरे देशों पर पड़ेगा और यदि बेलोच है तो इसी देश पर पड़ेगा।

भारत में सीमा शुल्क (Custom Duties in India) — मुसलिम काल में हमारे देश में सीमा शुल्क की दर बहुत ही नीची थी और साधारणतया यह कहा जा सकता है कि यह दर मूल्यानुसार १% थी। जब अंग्रेज हिन्दुस्तान में आय तो उन्होंने तत्कालीन प्रणाली में कोई भी परिवर्तन नहीं किया। उन्होंने केवल कुछ वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क की दरें बढ़ा दीं और अंग्रेजी वस्तुओं तथा गैर अंग्रेजी वस्तुओं के बीच में इस प्रकार भेद भाव करना आरम्भ कर दिया कि अंग्रेजी वस्तुओं को लाभ प्राप्त हो। सन् १८५७ की अशान्ति तथा विद्रोह को दवाने के लिए सरकार ने जो व्यय किया था उसकी पूर्ति करने के उद्देश्य से सीमा शुल्क की दर ५ से बढ़ा कर १०% कर दी। विलासिता की वस्तुओं पर तो २०% तक की दर थी। १९ वीं शताब्दी के बाद के वर्षों में स्वतन्त्र व्यापार की प्रगति से सीमा शुल्क को समाप्त करने की प्रवृत्ति आरम्भ हुई, परन्तु सन् १८६४ में सरकार की वित्तीय क्षेत्रों में इतनी कठिनाइयाँ आरम्भ हुईं कि उसने सीमा शुल्क की दरों को फिर से बढ़ाना आरम्भ कर दिया। उस समय सीमा शुल्क भारतीय कपड़ा व सूत, जूता तथा रपात पर लग हुए थे। इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर तट

(Tariff duties) कर लग हुए थे। प्रथम महायुद्ध के आरम्भ होते ही सरकार का सीमा शुल्क की दरों को बढ़ाना पड़ा। परन्तु इस वृद्धि का मुख्य उद्देश्य आय प्राप्त करना था सरक्षण प्रदान करना नहीं था। अभी तक भारतीय सरकार के महत्त्वपूर्ण सरक्षण प्रदान करने की बात नहीं उभरी हो पाई थी। सन् १९२२ के बाद भारतीय उद्योगों की सरक्षण प्रदान करने का योजना का शीतलन हुआ। आर साधारणतया आयात करों में ४% की वृद्धि कर दी गई। घाटावा व्यापार सम्भोजितों की स्वीकृति से भारत को सन् १९२२ में शान्ति अधिमान (Imperial preference) की शक्ति अर्जित हुई। परन्तु स्वरूप भारत को अपनी सीमा शुल्क का दरों में कुछ विषय परिवर्तन करने पर वा दृष्टि के पक्ष में था। इसी प्रकार सन् १९३५ और ३८ में भी ब्रिटेन तथा समझौते हुए तथा जापान द्वारा आदि देशों से भी व्यापारी सम्भोजित हुए। ब्रिटेन में जो सम्भोजित सन् १९२८ में हुआ उसमें भारतीय सड़क नीति की शोषित स्वतन्त्रता केवल विवादास्पद ही थी। दूसरी लड़ाई में सामान्य रूप से सभी वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया था। सन् १९४७ में हमारे देश के सीमा शुल्क में फिर से परिवर्तन हुए। सरासरी सामान आयात आदि वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया और मिट्टी के तेल इत्यादि वस्तुओं पर कम कर दिया गया। सन् १९४८-४९ में भी बहुत सी वस्तुओं पर सीमा शुल्कों की दरें कम कर दी गईं। परन्तु अगले वर्ष ही बढ़ते हुए मूल्यों का रकब क लिए सीमा करों को फिर से बढ़ा दिया गया। कुछ वस्तुओं पर नये निर्यात कर लगाये गये और कुछ पर नये आयात कर लगाये गये।

यह ध्यान रहे कि सन् १९३७-३८ से पहले सीमा शुल्क से जो आय मिलती थी उसमें केन्द्रिय उत्पादन करों का आय भी सम्मिलित होता था। दूसरी लड़ाई से सीमा शुल्क से आय घिरती ही गई क्योंकि दूसरे युद्ध काल में भारतीय निर्यात और आयात भी बहुत कम हो गये थे। परन्तु लड़ाई खत्म होते ही इन आयों में फिर से वृद्धि हुई। अतः और जब कि देश के विभाजन से भारतवर्ष को जूट नियति कर में बहुत नम आय प्राप्त हो रही थी तब भी सामान्य शुल्क से आय बढ़ती ही गई। सीमा शुल्क से इस बढ़ती हुई आय का मुख्य कारण यह है कि इन वर्षों में सीमा शुल्क की दरों में विशेषकर विवादास्पदों की वस्तुओं में सामान्य वृद्धि हुई थी। परिणामस्वरूप सरकार को सामान्य शुल्क में काफी आय प्राप्त होती गई और आज भी भारत सरकार को सीमा शुल्क से बहुत आय प्राप्त हो रही है। सन् १९४२-४३ में सीमा शुल्क से प्राप्त आय कुल आय की केवल २१% था जो सन् १९५१-५२ में ५२% हो गई थी। पिछले वर्षों में इस आय में कमी आती रही है और सन् १९५७-५८ में यह केवल २८% प्रतिशत थी। आजकल हमारी सामान्य आयात कर लगभग २५% है। यह सभी वस्तुओं पर लागू होता है परन्तु कुछ विवादास्पदों की वस्तुओं पर कर की दर अधिक है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर ऊंची दर से सरक्षण के उद्देश्य से आयात कर लगाये जाते हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर आयात कर नहीं लगाये जाते हैं। विवादास्पदों की वस्तुओं पर कर की

दर ७५% से १००% तक है। आजकल सीमा शुल्क मुख्य रूप से इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये लगाये जा रहे हैं। प्रथम, आय की प्राप्ति, दूसरे, मुद्रा स्फीति को रोकना, तीसरे, देश की प्रमुख निर्यातों पर देश के भीतर तथा विदेशी मूल्यों के अन्तर से लाभ प्राप्त करना और चौथे आवश्यक वच्चे माल को देश से बाहर जाने से रोकना ताकि देशीय उद्योगों की माँग पूरी हो सके। यद्यपि सीमा शुल्क भारत सरकार के बजट में आय का प्रमुख स्रोत रहे हैं परन्तु पिछले वर्षों में आयताता पर कड़े नियन्त्रण लग जाने से इनकी आय कम होती जा रही है और सघ सरकार के बजटों में इनका स्थान उत्पादन करों ने ग्रहण करना आरम्भ कर दिया है। पिछले वर्षों में सीमा शुल्क से इस प्रकार आय प्राप्त हुई थी — सन् १९५३-५४ में १५८७१ करोड़, १९५४-५५ में १८४८६ करोड़, सन् १९५५-५६ में १६६७० करोड़ सन् १९५६-५७ में १७३२३ करोड़ सन् १९५७-५८ में १८३ करोड़ रुपये और सन् १९५८-५९ में १७० करोड़ रुपये का अनुमान था।

सीमा शुल्क के सम्बन्ध में कर जाँच आयोग ने निम्न सिफारिशें दी थी^१ —

(अ) आयात करों की दरों को बढ़ा कर अधिक आय प्राप्त करना सम्भव नहीं है।

(ब) आयात नियन्त्रण नीति में निरन्तर परिवर्तन होना चाहिए ताकि उनमें अधिक आय प्राप्त हो सके।

(स) विदेशों से व्यापारिक समझौते करते समय सरकार को चाहिए कि वह केवल व्यापारिक दृष्टिकोण को ही सामने न रखे बल्कि आय पर भी विचार करे।

(द) निर्यातों में विविधता उत्पन्न करके निर्यात करों से प्राप्त आयों को बढ़ाया जा सकता है।

(इ) निर्यात करों को निर्यातों के नियन्त्रण के साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और विदेशी मूल्य वृद्धि से देनी अर्धव्यवस्था को बचाया जा सकता है।

(य) निर्यात करों से प्राप्त आय को सन्तार केवल कुछ विशेष उद्योगों के विकास के लिये ही उपयोग न करे।

व्यय-कर

(Expenditure Tax) —

व्यय कर लागू करने का विचार कोई नया नहीं है। पिछली शताब्दी में भी इसकी चर्चा हॉब्स, मिल, मार्शल आदि लेखकों ने की थी किन्तु उनको व्यय कर की व्यवहारिकता के बारे में सन्देह था। मार्शल तो प्रगतिशील व्यय कर का ग्रन्थ करों की अपेक्षा सबसे अच्छा समझते थे।^२ वीन्स भी इस को सैद्धांतिक दृष्टि-

१ Cf Report of the Taxation Enquiry Commission Vol. II Pages 276 278

२ Cf Principles of Economics 1949, Appendix G Page 661.

कोश में अच्छा समझने के पश्चात् उनका विद्यमान था कि हमको व्यवहारिक रूप देना आवश्यक था। मत्त वर्षों में प्रो० क्लैन्डर ने व्यवहार का बहुत पक्ष दिया है और आक्रामक धारणा करनी और ध्यान धारणापित करने का श्रेय दूसरों को प्राप्त है।

व्यय कर, जैसा इसके नाम में ही विहित है व्यक्ति विशेष द्वारा विशेष गणों में व्यय कर लगाया जाता है। इस कर के पक्षपाती व्यक्तिगत व्यय को आय की अपेक्षा करारोपण का अधिक उचित आधार मानते हैं। उनमें अनुसार व्यय कर, आयकर की अपेक्षा अधिक व्यापक है और इसके प्रभाव उत्पादन पर इतने घुंरे नहीं होते जितने कि आय कर में। प्रो० क्लैन्डर ने आय को करारोपण का उचित आधार मानने में आपत्ति की है। वह आय को व्यक्ति की कर-दान योग्यता का माप नहीं मानते। उनमें विचार में व्यक्ति जितना कर दे सकता है इतना से निश्चित नहीं किया जा सकता कि उसकी आय जितनी है वगैरे इतना से निश्चित हो सकता है कि वह वास्तव में जितना व्यय करता है। क्लैन्डर ने तर्क देते हुए बताया कि हमने धारणा में एक एक व्यक्ति नहीं है कि करारोपण के विवेक यौन यौन से स्रोत से प्राप्त आय को व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित किया जाय क्योंकि एक व्यक्ति अपनी आय अपने स्रोतों से प्राप्त करता है। कुछ आय ऐसी होती है जो आय कर क्षेत्र में सम्मिलित नहीं की जाती जैसे पूँजी लाभ (capital gains)। इसीलिए भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों पर भिन्न भिन्न रूप से कर लगाया जाता है, चाहे उनकी कुल आय समान हो और उनकी व्यय शक्ति भी समान क्यों न हो। यद्यो नहीं वरन् एक व्यक्ति को व्यय करने की शक्ति इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसका पान सम्पत्ति जितनी है। यदि एक व्यक्ति के पास दूसरे की अपेक्षा अधिक सम्पत्ति है तो उसकी व्यय करने की शक्ति भी अधिक होगी। अतः उस धर्म में जिसे मनुष्य रख करता है और वह धर्म जिसने आधार पर कर लगाया जाता है वहन बड़ा अन्तर होगा है। परिणामस्वरूप कुछ व्यक्तियों को अपनी कुल मौद्रिक आय पर कर देना पड़ता है और कुछ को अपनी कुल मौद्रिक आय के केवल एक भाग पर ही कर देना पड़ता है। उदाहरणार्थ वेतन भागी व्यक्तियों को अपनी कुल आय पर कर देना होता है जबकि बड़ी बड़ी सम्पत्ति वाला जो केवल अपने व्यापारिक लाभ पर ही कर देना पड़ता है (सम्पत्ति के कम विषय में जो लाभ होता है वह आय कर में सम्मिलित नहीं किया जाता)। यद्योकि सभी प्रकार की आय अन्त में खर्च की जाती है इसलिये आय की अपेक्षा व्यय करारोपण का अधिक व्यापकगत आधार है।

व्यय कर का पक्ष इस आधार पर भी दिया जाता है कि यह उत्पादन, अक्षय तथा विनियोगों को इतना उत्तेजित नहीं करता जितना आय कर करता है। पिछले अध्यायों में हम यह कह ही चुके हैं कि आय कर वक्तों और विनियोगों को उत्तेजित करता है। व्यक्तियों की अधिक विनियोग करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वे जानते हैं कि विनियोग से जो आय प्राप्त होगी उस पर भी कर देना पड़ेगा। इस प्रकार जब विनियोग की ओर उनकी उदासीनता बढ़ती जाती है

वे बचत भी कम करते जाते हैं और प्रपना खर्चा बढ़ाते जाते हैं। यदि व्यय के ऊपर कर लगाया जाये, तो व्यक्तियों में व्यय कम करने की रुचि उत्पन्न होगी, वे बचावमें परिणामस्वरूप बचतों को प्रोत्साहित मिलने में विनियोग भी बढ़ेगे। अतः आयकर जब कि बचतों और विनियोगों को हतोत्साहित करता है व्यय कर उन्हें प्रोत्साहित करता है। व्यय कर जोशिम महन करने की शक्ति को भी कम नहीं करता। जब कि आयकर की उपस्थिति में व्यक्ति नये उद्योग स्थापित करना नहीं चाहते, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि आय होगी तो सरकार कर तो ले लेगी, परन्तु हानि होने की स्थिति में कोई मुआवजा नहीं देगी। दूसरी ओर व्यय कर में इस तरह की भावना व्यक्तियों में कभी भी उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि व्यय कर तो व्यक्तिगत व्यय पर लगता है। व्यक्ति जितनी चाहे आय प्राप्त करे, कर केवल उसी धन राशि पर लगेगा, जिसका वह व्यय करेगा। इसी कारण व्यय कर में व्यक्ति कार्य करने के लिये भी हतोत्साहित नहीं होता।

व्यय कर के समर्थकों का यह भी विचार है कि व्यय कर व्यक्तिगत उपभोग को नियमित करता है। यह शृंगार, गजावट, बिलामयुक्त तथा बेकार सी वस्तुओं के उपभोग को नियन्त्रित करता है। धनी व्यक्ति अधिकतर ऐसी वस्तुओं पर अपनी आय का बहुत बड़ा भाग खर्च करते हैं कबूतों और नाचघरों में, घुड़दौड़ों आदि में धन बर्बाद करते हैं। व्यय कर इस प्रकार के सभी अनाधिक व्ययों को कम करेगा और व्यक्तियों को सदाचारी बनायेगा। साथ ही बचे हुये धन का उपयोग अधिक उपयोगी तथा उत्पादक कार्यों में होने लगेगा। आयकर तो इन खर्चों को प्रोत्साहित करता है। जब व्यक्ति यह देखने है कि सबसे ऊँचे खण्ड पर उनको रुपये में तेरह या पन्द्रह आने कर के रूप में देने पड़ेंगे तो वह कर की चोरी करते हैं और इस धन को उल्टा सीधा खर्च करते हैं। इस प्रकार व्यय कर में कर की चोरी भी नहीं होगी। प्रो० फलडोर ने तो इन बातों पर बहुत जोर दिया है।

व्यय कर के विपक्ष में बहुधा यह कहा जाता है कि इस कर का प्रबन्ध एवं व्यवस्था एक टेढ़ी खीर है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यय का पूर्ण व्यौरा रखना मरना नहीं है। बहुत से व्यय जो मनुष्य करता है, वे इतने मामूली होते हैं कि धाद ही नहीं रहते, कुल व्यय ऐसे होते हैं जिनकी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बताना नहीं चाहता। अतः पूरे खर्चों को लिखना और उनका हिसाब रखना व्यक्ति के काम की बात नहीं। इसके अतिरिक्त कर अधिकारियों को भी व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने का अनुचित अवसर प्राप्त होगा जिसका वे दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में प्रो० फलडोर आदि अर्थशास्त्रियों का विश्वास है कि व्यक्तिगत व्यय का विस्तृत व्यौरा तैयार करना आवश्यक नहीं है। यदि हम व्यक्ति की कुल आय में से उसकी बचतों को घटा दें (जो गाल के अन्त में उमके फाम होगी) तो हमको उस व्यक्ति के कुल व्यय का अनुमान हो जायेगा। इन अनुमान को प्राप्त करने के लिये हमको एवं तो, व्यक्ति की सारे स्रोतों से प्राप्त कुल

आय को पता करना होगा और दूसरे इस आय में से उस धन राशि को घटाना होगा जिसका उपयोग व्यक्तिगत व्यय के लिये नहीं हुआ है जैसे पूजागत वस्तुओं पर व्यय और साल के घन में बैंक जमा तथा नकदी। यह उस व्यक्ति का कुल व्यय होगा। इस व्यय में से कुछ वह कटौतियाँ करनी होंगी जिनकी सुविधा सरकार ने प्रदान कर रखी है। इस प्रकार जो धन राशि आयों की उत पर व्यय कर लगाया जायेगा। यह ध्यान रहे कि चाहे जो विधि भी अपनाई जाय करारोपण के लिये व्यय की राशि का पता लगाने के लिये व्यक्तियों के हिसाबों की जाँच पड़ताल करनी होगी जो कर अधिकारियों और करदानाघ्रा दाना के लिये अनुविधाजनक होगी। अन्य करों की भाँति इस कर में भी एक न्यूनतम कर रहित सीमा निर्दिष्ट की जाती है। यदि किसी व्यक्ति का व्यय इस सीमा में अधिक है तब ही उसे कर का भुगतान करना होगा अन्यथा नहीं। कर को न्यायमग्न बनाने के लिये उन कारणाती और भी ध्यान देना होगा जो व्यक्ति के व्यय को बढ़ाने में सहायता करते हैं, यथात् परिवार में सदस्यों की संख्या, बीमारी, दुर्घटना आदि पर व्यय। ऐसे—व्ययों को भी कर मुक्त करना होगा। यह भी देना होगा कि यदि कोई व्यक्ति स्थायी पूँजी पर व्यय करे तब उस व्यय पर कर लगाया जाय या नहीं। यदि उन पर कर लिया जाता है तब व्यक्ति पर बहुत अधिक कर भार पड़ेगा। इसलिये यह आवश्यक है कि इस प्रकार के व्यय को कई वर्षों में विभाजित कर दिया जाये और जो औसत राशि आयों उभे कुल व्यय में सम्मिलित करके व्यय कर निर्धारित किया जाये।

भारत में व्यय कर — सर्व प्रथम व्यय कर भारत में ही लागू किया गया है। इसलिये भारत ही का व्यय कर को व्यवहारिक रूप देने का श्रेय प्राप्त हुआ है। इसका प्रस्ताव प्रो० कलटोर ने दिया था। सन १९४६ में एक व्यय कर अधिनियम बनाया गया जो जम्मू और काश्मीर राज्य का छोड़कर पूरे देश में १ अप्रैल सन् १९५८ से लागू हो गया। इस प्रकार सन् १९५८-५९ व्यय कर का प्रथम वर्ष है। यह कर केवल व्यक्तियों और हिन्दू सम्मिलित परिवार पर ही लगाया गया है और इसके अन्तर्गत वह कम्पनियाँ, फर्म इत्यादि जिन पर प्राप्त कर लागू है नहीं सम्मिलित की गई है। यह कर व्यक्तियों और हिन्दू सम्मिलित परिवारों पर भी उसी समय लागू होगा जबकि उनको वार्षिक आय सब करों का भुगतान करने के बाद ३६,०००) रूपयों से अधिक होगी। व्यय कर अधिनियम के पाँचवें भाग में उन कटौतियों की गणना की गई है जो कर लगाने योग्य व्यय राशि को निर्धारित करते समय की जाती हैं। इनके अन्तर्गत ऐसी बड़े सम्मिलित की गई हैं जैसे व्यापारिक व्यय सम्पत्ति सम्बन्धी व्यय, विनियोग, करों का भुगतान, उपहार भुगतान की हुई सीमा किराँतों। अधिनियम के छठे भाग में कुछ ऐसी कटौतियों की गणना की गई है जो कि उस कुल व्यय राशि में की जाती है जिन पर कर लगाया जाता है। व्यक्तियों के लिये ३०,०००) रूपयों से अधिक के व्यय पर कर लगेगा और हिन्दू सम्मिलित परिवारों के लिये, केवल परिवार के 'कर्ता' उसको पत्नी और बच्चों के लिये ३०,०००) रूपयों की कर रहित सीमा निर्दिष्ट की गई है और इसके अतिरिक्त प्रति सम्पत्ति के

साझदार (Copartner) के लिये ३०००) रुपया की छूट दी गई है और एक परिवार के लिये अधिक से अधिक ७०००) रुपया की छूट दी जा सकती है। कर की दर निम्न प्रकार है —

कर लगने योग्य व्यय के प्रथम १००००) रुपया पर	१० प्रतिशत
अगले १००००)	२०
१००००)	४०
१००००)	६०
, १००००)	८०
शेष भाग पर	१००

कुछ अन्य प्रकार की कटौतियाँ ना सम्मिलित की गई हैं जैसे भुगतान किये हुए कर विवाह सम्बन्धी व्यय जिराकी प्रत्येक निभर कर्ता की शाखा के लिये अधिकतम सीमा ५०००) रुपया की होगी माता पिता के पालन पोषण के लिये कटौती की अधिकतम सीमा ४०००) रुपया होगी चिकित्सा सम्बन्धी व्यय का कटौती की अधिकतम सीमा ५०००) रुपया विदेशी शिक्षा के व्यय के लिये कटौती की अधिकतम सीमा ८०००) रुपया प्रति वर्ष इत्यादि निर्धारित की गई हैं। अन्याय भाग में जिन कटौतियों के लिये आना दी गई है और कर के छूट भाग में जो जा कटौतियाँ लागू होती हैं उनको वाट व. जा व्यय की राशि होती है उस पर उपयुक्त दरा से कर लगाया जायगा। उपयुक्त कर की दरा स्पष्ट है कि पहले १००००) रुपया पर १०% से लेकर कर की दर ५००००) रुपया में ऊपर के व्यय पर शत प्रतिशत हो जाती है।

भारत में व्यय कर को लागू करने के लिये प्रो० क्लडीर ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने कर के पक्ष में यह तक दिया है। प्रथम जसा कि उन्होंने यह ही बताया है करारोपण में समानता स्थापित करने के लिये तथा उसका प्रायः पूरा बनाने के लिये व्यय एक अधिक अच्छा आधार है क्योंकि यह आय तथा धन की असमानताओं के स्थान पर उपभाग की समानताओं को ध्यान में रखता है। दूसरे यह कर बचता को प्रोत्साहित करेगा क्योंकि कर केवल उसी राशि पर लगना जायगा का गई है और इस प्रकार भारत के औद्योगिक विकास के लिये अधिक धन उपलब्ध हो सकेगा और अन्त में यह कर की चोरी को कम करेगा क्योंकि इससे कर सम्बन्धी ढाँचा अधिक समुचित हो जायगा और कर अधिकारी का धन विस्तृत हो जायगा।

व्यय कर के विरुद्ध भा तक दिया गया है। यह तक निम्न प्रकार है — प्रथम व्यय कर केवल उही धाड़ से व्यक्तियों द्वारा दिया जायगा जा इस समय आय कर का भुगतान कर रहे हैं। सरकार के लिये यह सम्भव नहीं हो सकता है कि वह आय और अति कर पर ४५% की कमा करदे जैसा कि प्रो० क्लडीर ने कहा था। अब भी इन करों की अधिकतम दर बिना कमाई हुई आय पर ८४% और कमाई हुई आय पर ७७% है और क्योंकि सरकार के लिये यह भी सम्भव नहीं है।

मका है कि यह उत्पादन कर आयाज वरों वित्री वरा आदि अग्रत्यक्ष वरों को कम कर सबे इमलिय कर का भार केवल धोटे में ही व्यक्तिया पर बहुत अधिक हो गया है और इमनिय अन्यायपूर्ण है। दूसरे यदि यह निश्चित है कि व्यय कर बचता को प्रोत्साहित करेगा तो यह केवल सबसे ऊँची आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की ही बचता को बढ़ायगा, निम्न व्यक्तियों की बचते इस तरह के प्रभाव में नहीं बढ़ पायेगी। अतः यह नर एक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों के अनुकूल नहीं है और अन्त में व्यय कर अनेकों प्रबन्ध सम्बन्धी समस्याये उत्पन्न करेगा। यह कठिनाइयाँ विशेष रूप से उन व्यक्तियों को अधिक हागी जिनको कर अधिक बरिया को मनुष्ट करने के लिये अपन व्यय का पूरा व्यौरा रखना पड़ेगा।

उपयुक्त विवरण में स्पष्ट है कि भारत में व्यय कर में जब कुछ कठिनाइयाँ हूँ हार्गी तो कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न भी हागी। इसमें कोई सदेह नहीं कि आरम्भ में इन कठिनाइयों की तीव्रता कुछ अधिक हागी किन्तु जैसे जैसे समय बीतेगा अनुभव बढ़त जायेगे और प्रो० कलडोर द्वारा बनाई हुई समुचित योजना को व्यवहारिक रूप प्राप्त होता जायेगा, व्यय कर देन के लिये हिनकर सिद्ध हागा।

संघ सरकार के गैर-कर
सम्बन्धी आय के स्रोत
(Non-Tax Sources of
Revenue of the Union
Government)

प्राक्कथन—

अभी तक हमने भारत सरकार के कर सम्बन्धी आय के स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय तथा उसके महत्व का अध्ययन किया है। इस अध्याय में हम भारत सरकार के गैर-कर सम्बन्धी आय के स्रोतों का अध्ययन करने जा रहे हैं। गैर-कर सम्बन्धी आय के स्रोतों में आधुनिक सरकारों की उम्र आय का सम्मिलित किया जाता है जो उन्हें विभिन्न औद्योगिक उपक्रमों को संचालित करने से प्राप्त होती है। अर्थात् आधुनिक समय में सरकारों को जो आय व्यापार, औद्योगिक उपक्रमों, डाक व तार रेलों तथा यातायात के अन्य साधनों आदि के स्वामित्व से प्राप्त होती है उसी का गैर-कर सम्बन्धी आय कहते हैं। आय के इन स्रोतों का महत्व पिछली शताब्दी के अन्तिम चतुर्थ से, विशेषकर प्रथम महायुद्ध के बाद बढ़ना प्रारम्भ हुआ है। १९वीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्थ तक बल्कि उसके बाद के थोड़े से वर्षों तक आर्थिक क्षितिज में निर्बाधावादी विचारों की गूँज बिलोम नहीं हो पाई थी और व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र में स्वतन्त्र था। व्यक्तिगत मामलों में राजकीय हस्तक्षेप की बात किसी को भी नहीं भाती थी। फिजिओक्रॉन्स का अनुकरण करते हुए एडम स्मिथ ने प्रोपित किया कि, 'व्यापारी और राजा दोनों चरित्र एक दूसरे के समान थे।' उसके अनुसार सरकार औद्योगिक केन्द्रों से इतनी दूर स्थित है कि वह उन पर पूरा ध्यान नहीं रख सकती और इसलिए स्थिति में सरकार के लिए केवल तीन कार्य करने का ही सुझाव दिया था अर्थात्—न्याय रक्षा और कुछ विशय सार्वजनिक कार्यों तथा सस्यान्ना की स्थापना। परन्तु २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ होते ही इन विचारों की शक्ति का ह्रास प्रारम्भ हो गया और प्रथम महायुद्ध विद्यमान १९३० के महामन्दी काल के पश्चात् तो इन विचारों का पूर्ण अन्त हो गया। व्यक्तिगत उपक्रम द्वारा उत्पन्न बकारी, व्यापार चक्र तथा धन के वितरण की घोर असमानताओं के कारण निजी उपक्रम की निन्दा दिन प्रति दिन बढ़ती ही गई। चारों ओर राज्य हस्तक्षेप के पक्ष में आवाजें गूँज उठीं और राज्य ने

औद्योगिक उपक्रमों की व्यवस्था करनी भी आरम्भ कर दी। आजकल सभी देशों में सरकार जनोपयोगी सेवाओं की व्यवस्था कर रही है। रेलों, सिगार्ड, जंगल, डाक व तार, खान उद्योग, विदेशी व्यापार द्रव्यादि की व्यवस्था एवं नियन्त्रण कर रही है। इन स्रोतों से सरकारों को बहुत आय प्राप्त होती है। इसी प्रकार राज्य अपने पाग वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण का भी एकाधिकार रखता है, जैसे इटली में तम्बाकू, नमक, सिगरेट, दियासलाई आदि वस्तुओं का उत्पादन एवं विक्रय सरकार द्वारा होता है, भारत सरकार अपनी के उत्पादन एवं विक्रय पर पूर्ण नियन्त्रण रखती है। ऐसे एकाधिकार आजकल सरकारों की आय का मुख्य अंग बन गये हैं। इन स्रोतों का सरकारों की आय में जो महत्व है वह निम्न आंकड़ों में स्पष्ट होता है। निम्न तालिका में हम कुछ देशों की कुल आय में इन स्रोतों द्वारा प्राप्त आय के प्रतिशत को देने हैं —

देश	प्रतिशत	देश	प्रतिशत	देश	प्रतिशत
भारत	३७ ६	जापान	३५ ३	फ्रान्स	२७ २
संयुक्त राज्य	३६ १	द० अफ्रीका	३० ७	कनाडा	२४ २

उपर्युक्त तालिका में स्पष्ट है कि लगभग सभी देशों में सरकार सम्बन्धी आय की बहुत बड़ी राशि सरकारों को प्राप्त होती है। भारत में सरकारों को कुल आय का ३७ ६% इन स्रोतों से प्राप्त होता है। भारत सरकार को यह आय जनोपयोगी सेवाओं जैसे रेलों, डाक तार, टेलीग्राफ तथा अन्य औद्योगिक उपक्रमों में प्राप्त होती है। स्वीडन में यह आय ऊहनों, रेलों, डाक व तार तथा कुछ औद्योगिक वस्तुओं के अग्रे से प्राप्त होती है। इसी प्रकार हालैंड में तथा अन्य देशों में भी लगभग यही सरकार सम्बन्धी आय के स्रोत हैं। प्रत्येक स्पष्ट है कि आजकल सरकारों को इनका बहुत महत्व है। परन्तु यह महत्व मार्केटिक है और हर देश में भिन्न-भिन्न है। आधुनिक राज्यों के प्रारम्भिक काल में गाँधी भूमि तथा सम्पत्ति राजकीय आय का मुख्य स्रोत थी किन्तु समय तथा समाज की उन्नति के साथ-साथ इनका महत्व कम होता गया। भारत में जमींदारी तथा ताल्लुकेदारी लगभग सभी राज्यों में समाप्त हो गई है और भूमि फिर से आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनती जा रही है। भारत में सरकार को जंगलों से भी काफी आय प्राप्त होती है, इसीलिए सरकार वन क्षेत्र दिन प्रति दिन बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है और प्रत्येक वर्ष वन-महोत्सव मनाया जाता है और पेड़ लगाए जाते हैं। इसी प्रकार सरकारों को सिंचाई के साधनों, नहरों इत्यादि से भी बहुत आय प्राप्त होती है। भारत में सरकार औद्योगिक उपक्रमों की व्यवस्था से भी आय प्राप्त करती है। खानों की आरम्भ से ही तांबेजनिवक सम्पत्ति रही है। सरकार कुछ आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन भी करती है तथा कुछ महत्वपूर्ण जनोपयोगी सेवाएँ भी प्रदान करती है, जैसे डाक व तार, रेलों, हवाई जहाजों तथा पानी

के जहाजों की व्यवस्था इत्यादि । भारत में भी सरकार को इन स्रोतों से बहुत आय प्राप्त होती है । आपुनिक सरकारें कुछ अन्य प्रकार की सेवाएँ भी अपने नागरिकों को प्रदान करती हैं, जिसके लिए भी वह शुल्क (Fees) वसूल करती हैं । ये शुल्क उन्हीं व्यक्तियों को देना पड़ता है जो सरकार में उन सेवाओं को प्राप्त करना चाहते हैं । ये शुल्क कई प्रकार के होते हैं, जैसे बन्दूकों के प्रयोग करने का शुल्क, सम्पत्ति के वैधानिक स्वामित्व को निश्चित करने का शुल्क इत्यादि । इनमें भी आजकल सरकारों को बहुत आय प्राप्त होती है । भारत में यह राज्य सरकारों की आय के स्रोत हैं । आजकल अधिकतर सरकारें अपनी आय के गैर-कर स्रोतों को बढ़ा रही हैं, क्योंकि व्यर्थ नए करों का विरोध करते हैं और अधिक करारोपण के प्रभाव भी बुरे होते हैं ।

सष सरकार की आय के गैर कर सम्बन्धी स्रोत—भारत सरकार को व्यवसायिक सेवाओं, जिन्हें जनोपयोगी सेवाएँ भी कहते हैं, रेलों, डाक व तार, करेमी, टक्माल आदि में बहुत बड़ी मात्रा में आय प्राप्त होती है । मन् १९३८-३९ में इन स्रोतों से कुल आय केवल २ करोड़ रुपये थी, परन्तु मन् १९८५-४६ में यह आय एक दम ६० करोड़ रुपये हो गई थी । इस वृद्धि के मुख्य कारण ये—(१) युद्ध-काल में रेल यात्रा में बहुत वृद्धि हो गई थी, और (२) डाक व तार शुल्क भी बहुत बढ़ गये थे । गत वर्षों में इन स्रोतों से आय लगभग २० करोड़ रुपये के निकट ही रही है, क्योंकि वेतनों तथा कच्ची सामग्रियों के मूल्यों में बहुत वृद्धि हो गई है । यद्यपि इन सेवाओं की दरें भी पहले में अधिक हो गई हैं, किन्तु यह वृद्धि उतनी नहीं हुई है जितनी कि इन सेवाओं की लागतें बढ़ गई हैं । फिर भी मन् १९५५-५६ में उनकी आय फिर से बढ़नी शुरू हो गई है । मन् १९५४-५५ में इनसे कुल आय २७ करोड़ रुपये थी, जो मन् १९५५-५६ में २९ करोड़ रुपये, सन १९५६-५७ में ३१ करोड़, मन् १९५७-५८ में ३७ करोड़ और १९५८-५९ (वज्र अनुमानों के अनुसार) में ३६ करोड़ हो गई थी । भविष्य में इन स्रोतों से और भी अधिक आय प्राप्त होने की आशा की जा सकती है । हम निम्न में इन स्रोतों को पृथक-पृथक विवेचना करेंगे—

रेलें—प्रारम्भिक वर्षों में, हमारे देश में रेलों की वृद्धि के कारण रेल बनाने का काम अमेरिकी कम्पनियाँ को नापा गया था । यह ठेका मन् १८५३ में दिया गया था और शर्त यह थी कि साहूकर्मियों को कोई लाभ हो या न हो, सरकार उनकी नयी हुई पूँजी पर ५% की दर से भुगतान करेगी । इस आश्वासन में निश्चित होकर कम्पनियों ने रेलों की व्यवस्था में बड़ी लापरवाही से काम किया । अमन्तुष्ट होकर सरकार ने मन् १८६९ में स्वयं छोटी लाइनों की रेलों के विकास करने का काम अपने हाथ में ले लिया । आर्थिक कठिनाइयों के कारण दम वर्ग बाद पुनः सरकार ने निजी कम्पनियों को रेलें बनाने का काम सौंप दिया । मन् १९०५ में रेलवे बोर्ड, रेलों की उचित व्यवस्था के लिये स्थापित किया गया और मन् १९०० में १९१४ के काल में सरकार ने मैकेनिकी के सुभाषों के अनुसार

रेलो के विकास पर बहुत ना धन खर्च किया। भारतीय रेलों को सर्व प्रथम सन् १९०० में लाभ प्राप्त हुए और केवल सन् १९०५-६ को छोड़कर यह लाभ निरन्तर बढ़ते ही गये। इस वर्ष रेलों को बहुत हानि हुई और उमका मुख्य कारण यह था कि इस वर्ष कुपि फसले बहुत दुरी तरह नष्ट हुई थी। प्रथम महायुद्ध और उमका बाद के वर्षों में रेलों को बहुत अधिक लाभ हुए परन्तु सन् १९२०-२१ से स्थिति फिर बदली और रेलों के लाभ पुनः हानि में बदल गए। रेलों की आर्थिक स्थिति की इस अनिश्चितता से तब आकर एक वर्ष बमेटी के सुभावा पर भारतीय बजट में रेलों के बजट को सन् १९२४ में अलग कर दिया गया। वास्तव में उम समय भारत सरकार के बजट का प्राधिक्य या घाटा रेलों के लाभ तथा हानियाँ पर निर्भर करता था। भारत सरकार की आर्थिक स्थिति भी बड़ी अनिश्चित मी रहनी थी। साथ ही रेलों की आर्थिक उन्नति तथा विकास भी भारत सरकार के बजट में बंधी हुई थी। एक व्यवसायिक उपक्रम में अपने स्वतन्त्र हित चाहिये और उसको पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वह अपने साधनों का जैसा चाहे उपयोग करे। इसीलिए सन् १९२४ में रेलों के बजट को सामान्य बजट में अलग कर दिया गया। यद्यपि इसकी और पहले भी कई बार ध्यान दिलाया गया था परन्तु सरकार ने इस नीति को केवल इसी वर्ष स्वीकार किया। सन् १९२४ में केन्द्रीय सरकार और रेलों के विभाग के बीच एक समझौता हुआ जिसके अनुसार रेलों के प्रबन्ध को सामान्य अर्थ-प्रबन्ध से अलग कर दिया गया। इस समझौते की मुख्य बातें इस प्रकार थी —

(१) रेल उद्योग में व्यवसायिक भाडना पर लगी हुई कुल पूँजी पर १% की दर से सामान्य आय को अपना अदान देने का निश्चय किया तथा यह भी स्वीकार किया कि बचे हुए आधिक्य का $\frac{1}{2}$ भाग भी सरकार को देगा।

(२) यदि किसी वर्ष इतने लाभ न हा कि रेल उद्योग लगी हुई पूँजी पर १% की दर से सामान्य आय को अपना अदान दे गके तो इसकी पूर्ति अगले वर्षों के लाभों में से की जायेगी।

(३) ऐसी रेलों के लाडना को चालू रखने में जिनका फोबी महत्त्व है यदि कोई हानि होगी तो उसको सरकार सामान्य आय में से पूरा करेगी और उमकी बटौती रेलों के अदान में से की जायेगी।

(४) एक निम्नलिखित काफ (Depreciation Fund) भी स्थापित किया जायेगा, जिसमें वास्तविक लागत और रेलों के सामान्य जीवन अवधि के आधार पर लाभों का एक भाग एकत्रित किया जायेगा। इसे भी एक प्रकार का रेलों का खर्चा समझा जायेगा।

(५) जो कुछ आधिक्य बचेगा उसमें से $\frac{2}{3}$ भाग रेलों के सुरक्षित कोष को और $\frac{1}{3}$ भाग सामान्य बजट को दिया जायेगा।

(६) एक रेलों के सुरक्षित कोष स्थापित किया जायेगा जिसमें ३ करोड़ रुपये तक की राशि ही (यदि उपयुक्त भुगतान करने के बाद बचे) स्थानान्तरित की जायेगी।

इस समझौते के बाद सन् १९३०-३१ तक रेलों को निरन्तर लाभ होने लगे और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक रही। वे बराबर अपने लाभों का एक निश्चित भाग सामान्य धाय में देती रहीं, परन्तु सन् १९३०-३१ से रेलों के भाग्य ने फिर पलटा खाया और लाभ पूर्ण हानि में बदलने लगे। आरम्भ में सुरक्षित कोष, फिर घिसाई कोष से ऋण ले लेकर रेलों ने सामान्य धाय में अपने अन्न दिये। इन घाटों के मुख्य कारण ये थे कि मन्दी के कारण मूल्य गिर गये थे और रेलों का प्रयोग कम हो रहा था, रातक धाताधात से प्रतियोगिता आरम्भ हो गई थी और अन्न लागत बढ़ रही थी। फलस्वरूप सन् १९३१-३२ से १९३६-३७ तक सामान्य धाय में रेलों ने कोई अन्नदान नहीं दिया। वह इन काल में ३५४१ करोड़ रुपये के भारतीय सरकार की ऋणी हो गई थी। साथ ही १७९६ करोड़ रुपये, उन्होंने सुरक्षित कोष से उधार ले रखे थे और अब केवल ४७ लाख रुपये सुरक्षित कोष में रह गये थे। परन्तु दूसरी लड़ाई आरम्भ होने ही स्थिति फिर बदली और सन् १९३६-४० में रेलों को १०२७३ करोड़ रुपये की कुल प्राप्ति हुई जो सन् १९४५-४६ में बढ़ कर २२५ करोड़ रुपये हो गई। इस अवधि में रेलों की धाय में ११९ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इसी अवधि में रेलों का आधिक्य ४३३ करोड़ रुपये से बढ़ कर १०८४ करोड़ रुपये हो गया था। इस प्रकार रेलों ने इतने लाभ हुए कि सामान्य बजट के जो पिछले अन्नदान उन्हें देने थे वह भी उन्होंने चुका दिये और सुरक्षित कोष से जो ऋण ले रखे थे उनका भी भुगतान कर दिया और साथ ही सामान्य बजट में १५८४३ करोड़ रुपये के अन्नदान और दिए। सन् १९४६-४७ में एक रेलवे उपकारी कोष (Railway Betterment Fund) स्थापित किया गया जिसमें ३ करोड़ रुपये जमा किये गये।

सन् १९४३ में लड़ाई के कारण रेलों को जो लाभ हो रहे थे उनके कारण यह आवश्यक समझा गया कि सन् १९२४ के समझौते में समयानुसार परिवर्तन किये जायें, और यह निश्चय किया गया कि सामान्य बजट में रेलों के अन्नदान का निर्णय रेलों तथा सामान्य बजट की सापेक्षिक आवश्यकताओं को प्रतिवर्ष ध्यान में रखते हुए किया जायें। सन् १९४६ में एक अन्तर्वर्ती (ad hoc) व्यवस्था की गई और यह निश्चय किया गया कि रेलों सामान्य बजट को व्यवसायिक लाईनों (Commercial Lines) में लगे हुई पूंजी पर १% देगी, और यदि फौजी महत्त्व वाली लाईनों (Strategic Lines) पर कोई हानि होती है तो उनको इस राजि में से घटा कर भुगतान करेंगी। इसके अतिरिक्त वह रेलवे उपकारी कोष में ३ करोड़ रुपये को जमा करायेगी और उसके बाद जो कुछ भी वच्चा उमका धाय भाग सामान्य बजट को देगी। इस समझौते के अनुसार केवल १९४६-४७ में ५६१ करोड़ रुपये सामान्य बजट को दिया गया था। तत्पश्चात् १९४७-४८ में घाटा ही जाने के कारण रेलों ने सामान्य बजट में कोई भी अन्न दान नहीं दिया और न कोई धन दान उपकारी तथा सुरक्षित कोषों को ही दिये। सन् १९४८ में डा० जॉन मथाई ने रेलवे बजट प्रस्तुत करते समय घोषित किया कि उन्होंने श्री मन्त्री के

अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जिसका कार्य सामान्य बजट में रेलों के अशदान सम्बन्धी प्रश्न की जांच पड़ताल करनी होगी और रेलों के विभिन्न कोषों की व्यवस्था की भी जांच करनी होगी। इस समिति के मुभावों के अनुसार सन् १९५०-५१ में एक नया समझौता हुआ जिसके अनुसार —

१ जबकि रेल तथा सामान्य बजट अलग अलग रहेय रेलों सामान्य बजट को ५ वर्षों तक लगी हुई गुंजी पर ४ प्रतिशत की दर से अपना अशदान देगी और उनके बाद यह दर तसद द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा मशोधित की जायगी। यह अनुमान था कि रेलों को लगभग २६ करोड रुपए प्रति वष सामान्य बजट में देने होंगे।

२ धिमाई कोष जिसका नाम अब प्रतिस्थापन तथा पुन निर्माण कोष (Replacement and Renewal Fund) कर दिया गया था, में कम से कम १५ करोड रुपए जमा किय जायगे।

३ इन भुगतानों को करने के बाद जो कुछ शेष रहेगा वह रेलवे सुरक्षित कोष तथा विकास कोष में बट जायगा। रेलवे सुरक्षित कोष का नाम केवल आय कोष (Revenue Reserve) रख दिया गया था और यह केवल वार्षिक मन्तुलन स्थापित करने के लिए उपयोग में लाया जायगा। उपकारी कोष को विकास कोष में मिला दिया गया था और विकास कोष का प्रयोग यात्रियों को अधिक सुविधायें प्रदान करने, श्रमिक कल्याण आदि के कामों में किया जायगा।

४ आय और पजी में व्यय के बटवारे के सम्बन्ध में जो पुरान नियम थे उनको मशोधित कर दिया गया था।

५ रेलों की व्यवस्था करने के लिए एक वित्त समिति और एक केन्द्रीय सलाहकार समिति भी नियुक्त की गई।

यह समझौता रेल वित्त के विकास की और एक महत्वपूर्ण पग था। सामान्य बजट को जो आय प्राप्त होगी उनको निश्चित कर दिया गया। रेलों और सामान्य बजट के पारस्परिक सम्बन्धों को स्थायित्व प्रदान कर दिया गया था और रेलों के भावी विकास के लिए उचित व्यवस्था कर दी गई थी।

सन् १९५६ का समझौता ५ वर्ष बाद सन् १९५४ में समाप्त हुआ। इस वर्ष एक नया समझौता हुआ जिसके अनुसार पुराने समझौते में केवल नाममात्र को ही परिवर्तन हुए। यह परिवर्तन निम्न प्रकार हैं —

१ रेलों का वार्षिक अशदान पूर्ववत् रहा।

२ धिमाई कोष में रेलों का वार्षिक अशदान ३० करोड रुपया से बढ़ाकर ३५ करोड रुपए कर दिया गया जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में रेलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बाद में ४५ करोड रुपया कर दिया गया।

३ विकास कार्यों के क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि सभी प्रकार के यात्रियों के लिए सुविधा प्रदान की जायगी। सीमरे दर्जे के कर्मचारियों के लिए भक्तानों का प्रबन्ध किया जायगा। यदि आवश्यकता होगी तो रेलों को सामान्य

बजट से ऋण भी दिये जायेंगे।

४ नये रेल मार्गों के निर्माण की लागत, पूंजी में से पूरी होगी और उसका भुगतान विक्रम कोष में से नहीं होगा।

५ जिन मार्गों से कोई लाभ नहीं हो रहा है और जिन पर लगभग ३ लाख रुपये का व्यय हो रहा है उसकी पूर्ण विकास कोष में से की जायेगी।

रेलो की वर्तमान स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट होती है —

(करोड़ रुपयों में)

	१९५०-५१	१९५१-५२	१९५२-६० (अनुमानित)
१ कुल प्राप्ति (Gross Receipts)	३७६ ७८	३६४ ३८	४२२ ०३
२ कुल व्यय —			
(अ) माभारण कार्यशील व्यय	२६४ १८	२७४ २२	२८३ ७१
(ब) शुद्ध अन्य व्यय	१२ ५६	१२ ०३	१७ ६१
(ग) घिसाई कोष को अदान	४५ ००	४५ ००	४५ ००
(द) Worked Lines पर व्यय	२६	१०	११
कुल व्यय योग	३२२ ००	३३९ ३५	३४६ ४३
३ शुद्ध आय	५७ ७८	६३ ०३	७५ ६०
४ सामान्य आय को अदान	४४ ४०	५० ००	५४ ४१
५ शुद्ध आधिव्यय (Surplus)	१३ ३८	१३ ००	२१ १९

डाक व तार—भारत सरकार का यह दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसायिक विभाग है। रेलों के विकास, व्यापार और उद्योग की उन्नति तथा जनता में शिक्षा के प्रचार के साथ साथ डाक-तार विभाग का निरन्तर विकास होता रहा है। सन् १९१२ से पहले यह दोनों विभाग अलग अलग थे और हर विभाग की व्यवस्था एक डाइरेक्टर जनरल द्वारा की जाती थी। सन् १९१२ में इन दोनों विभागों को मिला दिया गया और इन दोनों की देख रेख तभी से केवल एक ही अधिकार द्वारा होनी है, जिसे डाक तार विभाग का डाइरेक्टर जनरल कहते हैं। पहले यह विभाग उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय के अधीन था किन्तु अब यह सवाबवाहन मन्त्रालय के अधीन है।

डाक व तार की दरों में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। जब सबसे पहली बार पोस्टकार्ड व लिफाफे चासू किए गये थे तब इनका मूल्य त्रपत्ता एक व दो पैसे था। इसके बाद इनका मूल्य बढ़कर कमरा दो पैसे और एक आना हो गया। महा मदी काल में लिफाफे का मूल्य ५ पैसे हो गया। दूसरे महायुद्ध में पोस्टकार्ड का मूल्य ३ पैसे और लिफाफे का मूल्य ६ पैसे हो गया। सन् १९४६-५० में लिफाफे का मूल्य २ आने हो गया। परन्तु सन् १९५०-५१ में इन मूल्यों में कमी

कर दी गई थी। सन् १९१७ म मुद्रा के दशमलवीकरण से पोस्ट वाट तथा लिफाफों दोनों ही के मूल्य म वृद्धि हा गई और इनका मूल्य ५ तथ पैसे और १५ नये पैसे कमदा हो गया है। यह विभाग अपने खर्चों की प्राप्ति आय से पूरा करता है। जो कुछ बचत होनी है वह सामान्य बजट में चली जाती है। माधाग्नतपा घट बचत २ से ४ करोड रुपय प्रति वर्ष गही है। नवसे अधिक बचत सन् १९४३-४४ और १९४४-४५ म हुई थी जबकि इनकी राशि १० म १० करोड रुपयों के बीच में थी। गतवर्षों म इस विभाग क खर्च बढ़ जान के कारण प्राय म बहुत अधिक वृद्धि नही हा पाई है। सन् १९५३-५४ म इसकी कुल बचत २ ६० करोड रुपय सन् १९५४-५५ में २ ९० करोड, सन् १९५५-५६ म ३ ५७ करोड, और सन् १९५७-५८ म ४ ३४ करोड रुपयें प्राप्त होने का अनुमान था। तैम तो बचत म वृद्धि ही हुई है, परन्तु जिस हिमाव में इनके मूल्या म वृद्धि की गई है यह बचत उम अनुमान म नहीं हो पाई। जिसका मुख्य कारण यह है कि सही तथा सामीप्य क्षेत्रा म बहुत न नए आवदान खोल दिये गए हैं।

मुद्रा और ढकताल—मग १९३५ म पहले भाग म विभिन्न जिन्हू तथा मुक्तमान राजाया द्वारा निर्यात हुय लगभग १००० मिक्न चलन म ये जिसस देश के आन्तरिक व्यापार में विकास म बहुत बाधा उत्पन्न हुई। इस रूप ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने चादी के रुपय का प्रमाणिक मिक्ने के रूप में चादू किया। उम समय भारत में स्वतन्त्र मुद्रा टनाई की व्यवस्था थी। सन् १९३३ म हरमल कमेटी की सिफारिशों पर स्वयन्त्र मुद्रा टनाई की प्रथा की समाप्त कर दिया गया। सन् १९३६ में फौरन आयोग के सुझाव पर देश में स्वयं विनिमय मान चादू किया गया और सन १९३१ से स्वर्ण मान जाने में आज तक भारत में पत्र मुद्रा वा चलन है। सन् १९६६ में भारत सरकार को टनमाना में निरन्तर प्राय प्राप्त होती रही है। प्रारम्भिक वर्षों में तो यह आय कोई विशेष नहीं थी परन्तु सन् १९३५ में रिजर्व बैंक की स्थापना से इस आय में वृद्धि होनी रही है। निजव बैंक प्रारम्भिक वर्षों में हिस्बदारों का बैंक था, इसीलिए इस मद म सामान्य आय में बहुत अधिक अछदान प्राप्त नहीं हो रहे थे। परन्तु सन् १९४६ म रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप इस आय में निरन्तर वृद्धि हा रही है। कदाकि अब रिजर्व बैंक को जो कुछ भी लाभ प्राप्त होते हैं वह सब सरकार के खजाने में ही जाते हैं। सन् १९५३-५४ में इन मद से कुल आय १५ ७४ करोड, सन् १९५४-५५ में १० ६५ करोड, सन् १९५५-५६ में २३ ०६ करोड, सन् १९५६-५७ म २४ ४८ करोड रुपयें प्राप्त हुई थी और सन् १९५७-५८ में ३६ ०२ करोड (बजट) रुपयें प्राप्त होने की आशा थी।

उपर्युक्त महा के अनिरीकत भारत सरकार की आय की समझा छोटी छोटी मदें और भी हैं किन्तु उनका महत्व कम होने के कारण हम इनका विचरण बिना दिए ही भारत सरकार की आय के खोता सम्बन्धी वृत्तान्त को समाप्त करते हैं।

राज्य सरकारों की आय
के स्रोत—मालगुजारी
तथा कृषि आय-कर
(Sources of State Revenues—Land Revenue
and Agricultural
Income-Tax)

प्राक्कथन—

हमारे मद्रिद्यान के अनुसार राज्य सरकारें निम्न मुख्य करो को लगा सकती हैं और उनकी माग को जमा कर सकती हैं —

(१) मालगुजारी, (२) कृषि आय कर, (३) कृषि भूमि सम्बन्धी उत्तराधिकार कर तथा जायदाद कर, (४) भूमि तथा इमारतों पर कर, (५) खानों से सम्बन्धित अधिकारों पर कर, (६) अफीम, भोंग, निद्राकारक दवाइयों (दवाइयों तथा शृंगार वस्तुओं के अतिरिक्त) तथा गैलकोहल वाली शराबों पर उत्पादन कर, (७) मार्गांत कर, (८) बिजली के क्रय एवं उपभोग पर कर, (९) गमाचार पत्रों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर क्रय, विक्रय कर, (१०) गमाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर कर, (११) व्यक्तियों तथा वस्तुओं के यातायात पर कर, (१२) गाड़ियों, जानवरों तथा नावों पर कर, (१३) व्यवसायों व्यापारों आदि पर कर (१४) विलामयुक्त वस्तुओं पर कर जिसमें मनोरंजन और जमा भी सम्मिलित है (१५) स्टाम्प कर, इत्यादि ।

अब हम इन करो में से कुछ मुख्य मुख्य करो का विस्तृत अध्ययन करेंगे ।

मालगुजारी (Land Revenue)—मालगुजारी सप्तर के सबसे प्राचीन करों में से एक है । कहा जाता है कि यह ईसा के जन्म से २,००० वर्ष पहले चीन और मिश्र में लागू किया गया था ।^१ आजकल मालगुजारी लगभग प्रत्येक देश में ही ली जाती है । भूमि पर कर लगाने की कई रीतियाँ हो सकती हैं जैसे, भूमि के पूर्वीगत मूल्य के अनुसार जो भूमि के बाजारी मूल्य द्वारा निक्षिप्त होता है । दूसरा, भूमि पर प्राप्त होने वाले वार्षिक लगान के अनुसार और तीसरा, भूमि के मूल्यों में बिना वमाई हुई वृद्धि (Unearned increment) के अनुसार । मयुक्त राज्य

अमेरिका में प्रथम रीति के अनुसार भूमि पर कर लगाया जाता है। इस रीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह भूमि की उपजाऊ पत और स्थिति, दाना ही को ध्यान में रख कर निर्धारित किया जाता है। इसका दूसरा नाम यह है कि इसमें कमाई हुई तथा बिना कमाई हुई मूल्य वृद्धि के बीच भेद करने की आवश्यकता नहीं होती। इंग्लैंड में दूसरी रीति अपनाई जाती है और भूमि के वास्तविक लगान पर २५% का दर से कर लगाया जाता है। परन्तु यह रीति इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि पहली रीति है। क्योंकि यह सम्भव है कि मानगजारी मदैव ही वास्तविक लगान के बराबर न हो। अर्थात् मानगजारी वास्तविक लगान से अधिक भी हो सकती है। इस प्रकार इस रीति में भूमि पर लगाया हुआ कर अत्यावपूर्ण भी हो सकता है। तीसरी रीति आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अपनाई गई है। स्थानीय मूधारा के कारण भूमि के मूल्य में वृद्धि होती है जिसका लाभ भूमि के मालिक का बिना किसी प्रयत्न के ही प्राप्त होता है। इस प्रकार के लाभ का प्रवर्तित बिना कमाई हुई मूल्य वृद्धि की भांति होती है। इसीलिए राज्य या स्थानीय सरकारों का इस प्रकार की मूल्य वृद्धि पर पूर्ण अधिकार होता है। वास्तव में इस आधार पर भूमि पर कर लगाना कृषि आय कर की अपेक्षा अधिक व्यापक है क्योंकि इस लाभ का प्राप्त करने के लिये भूमि के मालिक को कोई भी व्यवसाय करना पड़ता और कर का भुगतान करने में उसकी आवश्यकता को कोई भी ठम नहीं लगना चाहिये। भूमि की बिना कमाई हुई मूल्य वृद्धि पर जो कर लगाया जाता है वह पूँजी लाभ कर (Capital Gains Tax) के ही समान है और इसलिये जो तर्क पूँजी लाभ कर के पक्ष में दिये जाते हैं वे ही इस आधार पर भूमि पर लगाए हुये कर के पक्ष में दिये जाते हैं। उपर्युक्त तीनों रीतियाँ के अनुसार भूमि करों का अलग अलग नाम से पूँजी लाभ कर है। प्रथम रीति के अनुसार इसको मानगजारी कहते हैं दूसरी रीति के अनुसार इसे कृषिक आय कर कहते हैं और तीसरी रीति के अनुसार इसे भूमि पर पूँजी लाभ कर कहते हैं।

भारत में मालगुजारी का इतिहास—जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है मालगुजारी बहुत प्राचीन कर है। हिन्दू काल में यह कर वस्तुओं के रूप में एकत्रित किया जाता था और इसकी दर कुल पैदावार की ३ स लेकर ५ तक थी। हिन्दू राजा इन कर को युद्ध तथा सकट काल में बढ़ाकर बृहत् उपज का ५ तक कर देने से। सुसूक्तमन्त्रों के अर्थान्तरण के अन्तर्गत जहाँ से मालगुजारी कृषि वस्तुओं के रूप में ही एकत्रित होती रही। परन्तु जैसे जैसे उनके राज्य का विस्तार हुआ मालगुजारी भी द्रव्य के रूप में वसूल की जाने लगी। भारत में जब अग्नेय आय, उन्होंने भी इसी द्रव्य के रूप में वसूल किया। प्रारम्भिक काल में धारण हस्तिस्य के पञ्च-वर्षीय बन्दोबस्त किया, किन्तु लार्ड कान्वॉलिस ने सन् १७६३ में स्थायी बन्दोबस्त की दुनियाद रखी जो बंगाल, बिहार, आसाम तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में लागू हुआ। स्थायी बन्दोबस्त में जमींदारों का भूमि का स्वामी मान लिया गया और उन पर सदा के लिये मालगुजारी निश्चित कर दी गई। यह ध्यान रहे कि इस

व्यवस्था में किसानों का लगान स्थायी रूप से निश्चित नहीं किया गया था। जिसका परिणाम यह हुआ कि किसानों पर तो लगान बढ़ता गया परन्तु जमींदारों के लिये मालगुजारी पूर्ववत् रही। उत्तर-प्रदेश के अधिकांश भागों में तथा पंजाब, मध्य-प्रदेश आदि में अस्थायी बन्दोबस्त प्रचलित रहा। उत्तर-प्रदेश तथा पंजाब में ४० वर्ष बाद और मध्य-प्रदेश में २० वर्षों के बाद मालगुजारी में परिवर्तन होते रहे हैं। बम्बई में यह ३० वर्षों के बाद बदला जाता था। इसके अतिरिक्त मालगुजारी निर्धारित करने की विधि तथा उसकी दरें भी भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न रही हैं। हमारे देश में मालगुजारी की मुख्य विशेषतायें निम्न प्रकार हैं —

(१) भारत में मालगुजारी निश्चित करने की विधि सरोपजनक नहीं है। भारत के सभी भागों में वास्तविक सम्पत्ति का अर्थ अलग-अलग लिया जाता है और इसका निर्धारण मालगुजारी निश्चित करने वाले की इच्छा पर रहता है। इसमें सन्देह नहीं कि मालगुजारी निश्चित करते समय सरकार भूमि, जलवायु, स्थिति, सिंचाई सुविधाओं इत्यादि को ध्यान में रखती है फिर भी मालगुजारी निश्चित करने का ढंग बहुत अशो तक मन माना तथा अनुचित होता है।

(२) प्रारम्भिक वर्षों में मालगुजारी भूमि की कुल उत्पत्ति के अनुसार ली जाती थी। परन्तु आजकल इसका निर्धारण शुद्ध आदेयों (Net Assets) के आधार पर किया जाता है। शुद्ध आदेयों को मालूम करते समय कुल उत्पत्ति में से उत्पादन लागत घटा दी जाती है। यद्यपि यह ढंग सैद्धान्तिक रूप से अधिक अच्छा है, किन्तु इसमें एक दोष तो यह है कि यह कर व्यक्ति पर न होकर वस्तु पर होता है और इसीलिये यह प्रतिगामी है। भारतीय कर जाँच समिति (सन् १९२४) ने कहा था कि “यदि मालगुजारी को करारोपण की योजना के रूप में देखा जाये तो यह केवल अप्रगतिशील ही नहीं है बल्कि वास्तव में उसके विपरीत है।”^२

(३) अस्थायी बन्दोबस्त वाले भागों में सरकार शुद्ध आदेयों का जो भाग मालगुजारी के रूप में लेती है वह निरन्तर घटता जा रहा है।

(४) जिन भागों में मालगुजारी घटती जा रही है किसानों पर लगान बढ़ता जा रहा है।

(५) १९ वीं शताब्दी के अन्त तक मालगुजारी भारत सरकार की आय का मुख्य साधन था जैसे, देश को करोड़ों से प्राप्त होने वाली आय का सन् १७६३-६४ में ६६%, १८५०-५१ में ६६.५%, १८६१-६२ में ४१.३% मालगुजारी से प्राप्त होता था परन्तु २० वीं शताब्दी के आरम्भ में ही इसका महत्व घटता गया है। जैसे १९०१-०२ में भारत की कुल आय का ४१.८%, १९१९-२० में २७.८%, १९३६-४० में १९.९% भाग मालगुजारी से प्राप्त होता था। प्रथम पंच-वर्षीय योजना के आरम्भ होते ही मालगुजारी की आय फिर से बढ़ने लगी। इसकी राशि सन् १९५१-५२ में लगभग ४८ करोड़ रुपये थी, १९५५-५६ में ८०.३३ करोड़ रुपये थी और सन् १९५८-५९ में ९५ करोड़ रुपये का अनुमान था।

(६) हमारे देश में भूमि की आय का एक बहुत बड़ा भाग जमींदारों की जेब में जाता है जो कि उन्हें बिना कमाई हुई वृद्धि के रूप में मिलता है। जमींदारों की इस आय पर पहले कोई कर नहीं लिया जाता था। गत वर्षों में कुछ राज्यों ने इस आय पर कर लगाना आरम्भ कर दिया।

(७) हमारे देश में हमका व पास भी एक कानूनी अधिकार नहीं है जिससे ये जमींदारों द्वारा होने वाले शोषण का रोक सकें और अधिकतर वास्तविकता का दावण ही हुआ करता था। परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पश्चात् जमींदारों के विरुद्ध काफी आयाज उठनी आरम्भ हुई और बहुत से राज्यों में जमींदारों प्रथा का अन्त भी कर दिया गया है। धीरे धीरे भारतभर में स्थायी दम्बोवस्त पूर्ण रूप में समाप्त हो जायगा।

मानगुजारी तथा करारोपण के सिद्धांत—मालगुजारी में निश्चितता का गुण पाया जाता है। जितने समय के लिये मालगुजारी निश्चित की जाती है उससे पहले मालगुजारी की दर में कोई भी परिवर्तन नहीं होने। इस प्रकार किसान को यह पता रहता है कि उसको कितना भुगतान करना है और सरकार को भी यह पता रहता है कि मालगुजारी में कितनी आय प्राप्त होगी। मानगुजारी में सुविधा का भी गुण पाया जाता है क्योंकि लगान किसान में उम्र समय वसूल किया जाता है जबकि वह अपनी फसल को बेचना है और इसलिये उसको लगान देने में कोई असुविधा नहीं होती। मालगुजारी का प्रबन्ध एक व्यवस्था प्रणाली है क्योंकि इसको एकत्रित करने के लिये एक बहुत बड़ा कर्मचारी बग रखा जाता है। यद्यपि कुछ लोगों का यह कहना है कि मालगुजारी एकत्रित करने के व्यय को अधिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि मालगुजारी जमा करने वाले कर्मचारियों को इसके अतिरिक्त और भी बहुत से काम करना पड़ते हैं। कुछ भी हो इनमें कोई सन्देह नहीं है कि मालगुजारी वसूल करने का व्यय बहुत अधिक है। अन्त में लगान किसान की भूमि से प्राप्त आय के अनुसार नहीं लगाया जाता और इसलिये यह वास्तविकता को योग्यता के अनुकूल नहीं होता। इसका विपरीत यह प्रतिपादित होता है।

मालगुजारी कर है या लगान ? — हमारे देश में इस विषय पर काफी नये समय में बड़ा विवाद होता आ रहा है कि मालगुजारी कर है या लगान ? यह निश्चित करने के लिये कि यह लगान है या कर हमको यह देखना होगा कि भूमि का मालिक कौन है किसान या सरकार। यदि भूमि का मालिक सरकार है तब तो मालगुजारी लगान के रूप में दी जाती है और यदि भूमि का मालिक किसान है तब यह कर ही जाती है। इस प्रकार भूमि का स्वामित्व इस समस्या का केन्द्रीय बिन्दु है और इसके विरुद्ध तथा इसके पक्ष में बोलने वाले व्यक्ति अपने अपने राय अतापते हैं। वे सोचते हैं कि जो हमको लगान बताते हैं उनका अर्थ है मालगुजारी लगान इसलिए कि सरकार इसकी दर को प्राविश्यतानुसार नहीं बदल सकती। साथ ही किसानों को मकान बनवाने के लिए भूमि मुफ्त दी जाती है और उनको सम्मिलित भूमि में पशुओं को चराने का अधिकार भी है। परन्तु यह ध्यान रहे कि सरकार के

ऊपर कोई ऐसा नियन्त्रण नहीं है कि वह मालगुजारी को न बढ़ा सके। सरकार तो मालगुजारी की दर को केवल इसीलिए नहीं बदलती क्योंकि ऐसा करने में बड़ी कठिनाई होगी और कहीं कहीं तो जमीन के अधिकार भी हर वर्ष बदले जाते हैं। जहाँ तक किसानों को मकानों के लिए मुफ्त भूमि मिलने का सम्बन्ध है तो इसका भी कोई विशेष महत्व नहीं है क्योंकि सरकार भूमि में अपना महत्व स्थापित किये बिना ही किसानों को इस प्रकार की सुविधायें प्रदान कर सकती है। इन लोगों का दूसरा तर्क यह है कि चाहे आरम्भ में जाँ भी स्थिति रही हो परन्तु अब तो मालगुजारी लगान ही है क्योंकि भूमि के बार-बार बेचे और खरीदे जाने से मालगुजारी के रूप में की गई सरकारी माँग का पूँजीकरण (Amortisation) हो गया है। परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि कर कभी बढ़ाया नहीं जा सकता, बल्कि इसका अर्थ केवल यही है कि कर भार सम्पत्ति के बेचने वाले पर पड़ता है, क्योंकि उसको खरीदने वाला कर का धन निकाल कर भूमि का मूल्य चुकाता है; यह भी ध्यान रहे कि पूरे कर का पूँजीकरण भी बहुत कठिन है क्योंकि सरकार की माँग का पहले में पता नहीं किया जा सकता।

भारतीय कर जाँच आयोग ने मालगुजारी को कर माना है और इसके पक्ष में निम्न लिखित तर्क दिये हैं —

(१) सरकार ने स्थायी बन्दोबस्त वाले क्षेत्रों में जमींदारों को भूमि का स्वामी माना है और रयतवारी क्षेत्रों में भी भूमि के बेचने तथा खरीदने पर कोई पाबन्दी नहीं लगाई है।

(२) सरकार ने अपने आप को भूमि का स्वामी घोषित नहीं किया है।

(३) भारत में लगान आर्थिक लगान से ऊँचा है और उनका भुगतान कर की भाँति अनिवार्य रूप से करना होता है।

(४) लगान राष्ट्रीय आय का एक अंग है।

सच तो यह है कि इस वाद विवाद का अन्त करना सरल नहीं है। इसीलिए सरकार ने जमींदारी उन्मूलन करके इस प्रकार के वाद विवाद का अन्त ही कर दिया है।

लगभग सभी राज्यों में मालगुजारी वमूल करते समय कुछ रियायतें तथा कटौतियाँ कर दी जाती हैं विनोप कर जब अकाल और बाढ़ के कारण फसलें पूर्णतया नष्ट हो जाती हैं। कभी कभी मनी के समय भी मूल्यों के गिरने के कारण यह कटौतियाँ की जाती हैं। यद्यपि विभिन्न राज्यों में इन रियायतों को प्रदान करने के नियम अलग अलग हैं परन्तु अधिकतर सन् १९०१ के अकाल आयोग की सिफारिशों का ही पालन किया जाता है। मालगुजारी में रियायतें होने के साथ साथ लगान में भी कमी कर दी जाती है।

यह सब कुछ होते हुए भी भारत की मालगुजारी प्रणाली की सभी ओर से प्रालोचना हुई है। इसका भार धनी व्यक्तियों की अपेक्षा निधन कृषकों पर अधिक पड़ता है, क्योंकि यह तो शुद्ध आदित्यो या वार्षिक लगान के अनुसार निश्चित की जाती

हे और भूमि के मालिक या किसान की कर दान योग्यता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अतः यह अनुपातिक है प्रगतिशील नहीं और वृषको के विभिन्न वर्गों पर इसका भार भी असमान है। कर जाँच आयोग ने इस प्रणाली को मुधारने के लिये निम्न सुझाव प्रस्तुत किये हैं—

कर जाँच आयोग की सिफारिशों—कर जाँच आयोग का विचार है कि पिछले वर्षों में विशेष रूप से दूसरी लड़ाई के बाद भूमि व मूल्य में इतनी वृद्धि हो गई है कि मालगुजारी का भार दिन प्रति-दिन बम हाना जा रहा है। इसलिये आयोग का विश्वास था कि मालगुजारी व्यवस्था का पूण समाप्त होना चाहिये। आयोग ने इसके निम्न कारण दिये हैं—

(१) प्रथम मालगुजारी व्यवस्था का तथा बन्दोबस्त का काम इतना विस्तृत और विशेष प्रकृति का है कि समय समय पर भिन्न २ जिलों में भिन्न २ प्रकार से बन्दोबस्त किये गये हैं। परिणामस्वरूप विभिन्न क्षत्रों में मालगुजारी के भार का वितरण असमान है। इसके अनिश्चित बहुत से राज्यों में मालगुजारी की दरें अभी तक नहीं बदली गई हैं और पहले ही जमीन चली आ रही है।

(२) बन्दोबस्त की जा बतमान विधि है उससे द्वारा मालगुजारी में मूल्यों के परिवर्तन के साथ साथ हेर फार नहीं किया जा सकता है। बन्दोबस्त की अवधि बहुत लम्बी है और इसकी दरों में परिवर्तन करने का ढग अत्यधिक विस्तृत है।

(३) बतमान प्रणाली में मालगुजारी को प्रगतिशील बनाने के लिये कोई भी विधि प्रस्तुत नहीं की गई है।

(४) कुछ क्षेत्रों में ला बन्दोबस्त अभी तक वैज्ञानिक नीतियों के अनुसार नहीं हो पाये हैं। इसलिये आयोग ने निम्न सिफारिशें दी हैं—

(१) आयोग की पहली सिफारिश यह थी कि राज्य के सभी भागों में मालगुजारी की दर समान तथा प्रमाणीकृत हानी चाहिये। उसका प्रस्ताव है कि दरों की असमानता वर्तमान विधि का प्रयोग करने में दूर नहीं हो सकती, क्योंकि इसके लिये एक बड़ी सख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता होगी और समय भी अधिक लगेगा। इसलिये उनका सुझाव है कि जिन क्षेत्रों में मालगुजारी पिछली बार सन् १८८०-१८९० के काल में प्रचलित मूल्यों के अनुसार निर्दिष्ट हुई थी उसकी दरों में २५% की वृद्धि हानी चाहिये। जिन क्षेत्रों में पिछला बन्दोबस्त सन १९०० और १९१९ के बीच के मूल्यों के आधार पर हुआ था उसमें १२½% की और जिन क्षेत्रों में सन १९२०-१९३९ के मूल्यों के अनुसार हुआ था उसमें ६½% की वृद्धि हानी चाहिये श्री और यदि पिछला बन्दोबस्त १९४० के बाद के मूल्यों पर आधारित था उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिये।

(२) आयोग का दूसरा प्रस्ताव था कि मालगुजारी की दरों में प्रत्येक १० वर्षों बाद परिवर्तन होना चाहिये। वर्तमान अवधि जो २० से ४० वर्षों तक है, बहुत लम्बी है और मालगुजारी की दरें वर्तमान मूल्यों के अनुकूल नहीं हैं। यह तो सम्भव नहीं है कि प्रत्येक १ २ या ३ वर्षों के बाद मालगुजारी की दरों में

परिवर्तन किये जा सकने क्योंकि एक तो इसमें प्रबन्ध सम्बन्धी अनेकों कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी और दूसरे इससे किसानों की भी बहुत कष्ट होगा। इसके अतिरिक्त मालगुजारी की दरों में परिवर्तन करने की विधि भी ऐसी होनी चाहिये जिसमें वर्तमान प्रणाली की भाँति विस्तृत पूँछ साँछ करने की आवश्यकता न हो। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि मालगुजारी की दरें सम्पूर्ण राज्य में एक साथ निश्चित की जायें, क्योंकि प्रत्येक जिले या तहसील में अलग अलग मालगुजारी निश्चित करना सुविधाजनक नहीं होता। इनलिये आयोग ने यह सुझाव दिया कि मालगुजारी की नई दरें राज्य की मुख्य फसलों के मुख्य सूचक अंक के अनुसार निर्धारित की जायें।

(३) आयोग का तीसरा सुझाव यह था कि मालगुजारी की दर में मूल्यों के परिवर्तनों के अनुपात में परिवर्तन नहीं होना चाहिये बल्कि मूल्यों के परिवर्तनों के अनुपात से कम परिवर्तन किये जायें।

(४) विद्येय परिस्थितियों में मालगुजारी की दरें किसी समय भी बदली जा सकती हैं अर्थात् जब सूखी भूमि में मिर्चाई की व्यवस्था हो जायें या सिंचाई वाली भूमि सूखी भूमि हो जायें या भूमि की उपजायु शक्ति कम हो जायें या प्राकृतिक कारणों से भूमि खेती के योग्य न रहे।

(५) आयोग की यह भी सिफारिश थी कि मालगुजारी पर स्थानीय सरकारें जैसे जिला बोर्ड, पंचायतें, अतिरिक्त कर (Surcharge) भी लगा सकती हैं और जो आय प्राप्त हो वह पूर्ण रूप से स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उपयोग की जा सकती है। यह अतिरिक्त कर या तो मालगुजारी की राशि से अनुसार या किसान द्वारा बोई गई मफल के अनुसार निर्धारित की जा सकती है।

(६) आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र में एकत्रित की गई मालगुजारी का कम से कम १५% उन क्षेत्र की स्थानीय सरकारों को दिया जाय। यदि मालगुजारी की नई दरों से किसी क्षेत्र में आय की वृद्धि हो जाती है तब इस बड़ी हुई आय का कुछ भाग स्थानीय सरकारों को भी दिया जाय। यह या तो आर्थिक सहायता के रूप में या किसी विशेष स्थानीय योजना को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकारों की ओर से अनुदान के रूप में दिया जा सकता है।

(७) आयोग का प्रस्ताव था कि मालगुजारी के भार की अनुमानलाभों को कम करने के लिये कृषि आय कर लागू होना चाहिये।

कृषि आय कर—भारत में कृषि आय कर राज्या की आय का एक स्रोत है। आजकल यह कर बिहार, आंध्रप्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मद्रास, राजस्थान और केरल में लगा हुआ है। सबसे पहले इसको बिहार ने सन् १९२८-३६ में लगाया था। इसके एक वर्ष बाद आंध्रप्रदेश में लगाया गया। बंगाल और उड़ीसा में सन् १९४४ में और उत्तर प्रदेश में सन् १९४८-४९ में लगाया गया। यद्यपि कृषि आय कर हमारे देश में पिछले २० वर्षों से ही राज्य सरकारों ने

नगाना आरम्भ किया है परन्तु यह भारत के नियम कोई नया कर नहीं है। इसका इतिहास जगन्म १ गताब्दी पुराना है। यह कर सन् १८६० में साम्राज्य आर्य कर का ही एक भाग था जो सन् १८८६ तक लगाया जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य में यह इसलिए हटा दिया गया था क्योंकि अर्थशास्त्र के राजनैतिक तथा आगम सम्बन्धी सुविधाओं प्राप्त करने के नियम एक नया वय का निर्माण किया था जिसे जमींदार बड़ा जानता है। जमींदार भूमि का स्वामी बन गया और यथावि ब्रिटिश साम्राज्य बड़े अर्थ तक जमींदारों की गहायता पर निर्भर था इसलिए उनमें कोई भी ऐसा नाम करना उचित नहीं समझा जिसमें इस वय को स्पष्ट होना पड़े। इसीलिए कृषि आय कर अभी भी नहीं लगाया गया। सन् १८८६ के आयकर क नियम में तथा सन् १८९६ के सुधारों में भी कृषि आय को कर भक्त रखा था। परन्तु सन् १९३५ के एक्ट में प्रान्तों को कृषि आय पर कर लगाने का अधिकार दिया। इन एक्ट में भी कृषि आय को सामान्य आय कर से अलग समझा गया और यहाँ तक कि हमारे नये संविधान में भी इस भव का बनावट रखा गया यद्यपि सरकार कमेटी तथा सन् १९५५ के भारतीय कर आयोग ने भी अपना मत प्रकट करते हुए कह दिया था कि आय स्रोतों में प्रान्त आय और भूमि के प्रान्त आय में कोई भी अन्तर नहीं है। सन् १९५५ के कर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि आय कर में कृषि में प्रान्त आयों के कर मकर रहने का कोई भी ऐतिहासिक या मर्यादित औचित्य नहीं है। और मन्त्रालय ने कि एक व्यक्ति को आय आय पर कर भी दर निर्धारित करते समय कृषि आय को भी सम्मिलित करना चाहिए यदि वह प्रवचन के दृष्टिकोण में उचित है और व्यवहारिकता के दृष्टिकोण में उचित हो। परन्तु तद की बात यह है कि अभी तक कृषि आय को आय प्रकार की आयों से अलग समझा जाता है।

कृषि आय कर को निर्धारित करते समय कुछ विषय कठिनाइयों उत्पन्न होती हैं जैसे कृषि भूमि में नयी हुई सम्पत्ति इस मकान में प्राप्त आय को कृषि आय में सम्मिलित किया जाय या नहीं। वास्तव में मकान का बिराया कृषि आय नहीं है क्योंकि उसमें भूमि का लगान पञ्जी का मूद जाखिम का लाभ और अम का मजदूरी सम्मिलित है। परन्तु जो आय जमींदार दूसरा को खती के नियम अपनी भूमि देकर प्राप्त करते हैं और स्वयं कृषि नहीं करते एसी आय अवश्य ही कृषि आय है। इस कृषि आय को गानव करने की एक सरल विधि यह है कि उन सभी भूमियों में जिन पर भातगुजारी दी जाती है जो या आय प्राप्त होती है वह कृषि आय है। इसके अतिरिक्त एक समस्या यह भी है कि कृषि आय पर कर लगाने का आधार क्या होना चाहिए? क्या यह कर आय प्राप्त के स्रोत पर लगाना चाहिए या करदाता के रहने के स्थान पर? आय कर में दोनों ही आधार अपनाये जाते हैं। परन्तु कृषि आय कर में ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा करने से एक ही दो बार करारोपण होने का भय रहता है और दूसरे अन्तःप्रातीय भगडे होने की सम्भावना रहती है। अद्विष्टस्वरूप यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रहता है

जिगकी भूमि बगल में है तब बगल सरकार तो आय के स्रोत के आधार पर कर लगायेगी और उत्तर प्रदेश की सरकार रहने के स्थान के आधार पर कर लगायेगी। इसीलिये इन सब भागों को दूर करने के उद्देश्य से सभी राज्य सरकारों केवल एक ही आधार मानती हैं, अर्थात् आय के प्राप्त होने का स्रोत। इसके अतिरिक्त भारत में इस प्रकार की भी व्यवस्था की गई है कि केवल जमी भूमि से प्राप्त आय को कृषि आय में सम्मिलित किया जायेगा जो भारत में स्थित है। यह भी प्रश्न उठता है कि कर किस आय पर लगाया जाये? प्राप्त होने वाली वास्तविक आय पर या अनुमानित आय पर? भारत में सन् १९३९ से पहले आय कर केवल जमी आय पर लगता था जो प्राप्त होती थी। परन्तु क्योंकि इसमें कर की बहुत चोरी होती थी इसलिये अब आय कर अनुमानित आय के आधार पर लगाया जाता है। परन्तु कृषि आय कर वास्तविक प्राप्त आय पर ही लगाया जाता है क्योंकि कर केवल भूमि की स्थिति के अनुसार लगाया जाता है और कर दाता को किसी अन्य स्रोत से आय प्राप्त ही नहीं होती, इसलिये कर को बचाने या कर को चुराने का प्रश्न ही नहीं उठता। कृषि आय कर में भी खण्ड प्रणाली (Slab system) अपनाई गई है। मद्रास में कर रहित न्यूनतम सीमा २,०००) रुपये है तथा उड़ीसा में २,०००) रुपये है और जोध्पूर में १,५००) रुपये है। साधारणतया कर की न्यूनतम दर ६ पाई या ९ पाई प्रति रुपया है परन्तु उत्तर प्रदेश में यह दर १२ पाई है। सबसे ऊँचे खण्ड पर यह दर साधारणतया ४ आने प्रति रुपया है परन्तु राजस्थान में २८ पाई है और उड़ीसा में १२½ आने है। बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, मद्रास और राजस्थान में अति कर भी लगाया जाता है। राजस्थान में ३०,०००) रुपयों से अधिक आय पर अति कर लगाया जाता है और जोध्पूर राज्यों में अति कर २५,०००) रुपयों से अधिक आयों पर लगता है। मद्रास और केरल में अति कर की दर ६ आने है और अन्य राज्यों में ५½ आने।

भारत में कृषि आय कर कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित क्रियाओं से प्राप्त आयों पर लगाया जाता है। कर निर्धारित करने से पहले कुल आय में से कुछ कटौतियाँ कर दी जाती हैं जैसे, राज्य सरकार को दी गई मालगुजारी या जमींदारों को दिया गया लगान, स्थानीय करों का भुगतान, सिंचाई शुल्क, कुँपे, तालाब इत्यादि मिचर्चा के साधनों की मरम्मत आदि का व्यय, कृषि ऋणों के लिये प्राप्त जिये गये ऋणों का मूदा, खेती करने के सम्बन्ध में किये गये खर्च जैसे बीज, साधन इत्यादि का मूल्य, कृषि सम्बन्धी पशु तथा औजारों की व्यवस्था तथा अन्य दाताओं पर व्यय और बीमा सम्बन्धी अनादान। कृषि आय कर के आधीन करदाताओं के लिये यह नितान आवश्यक है कि वे अपनी आयों और कृषि सम्बन्धी खर्चों का विस्तृत हिसाब रखें। परन्तु अधिकांश कृषकों के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह अपना पूरा हिसाब रख सकें। इसलिये कुछ सरकारों ने भूमि से प्राप्त लगान के आधार पर आय मालूम करने की विधि अपनाई है जैसे, उत्तर प्रदेश में जिस व्यक्ति पर कर लगाया गया है उसको यह स्वतन्त्रता है कि वह कर का भुगतान या तो

अपने हिस्सों के आभाव पर करें या अपने लगान के १-२ गुने की दर में करें, कसूरता जो भी सिधिया वर चुन लेना उसको उस समय तक नहीं बढ़ा सकता जब तक कि आम बौट (Board of Revenue) में आज्ञा प्राप्त न कर ले। बिना आम बगान गन्धर्वों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। निम्न तालिका में कृषि आय वर के प्राप्त आय का विवरण दिया गया है। कुल आय में कृषि आय वर की आय के प्रतिगत को कोष्ठों (Brackets) में दिखाया गया है —

(नाय खर्चों में)

वर्ष	१९४१-४२	१९४२-४३	१९४३-४४	१९४४-४५	१९४५-४६
आय	६१ (८१)	१०८ (३८)	६३ (६४)	८७ (५४)	१०६ (८०)
बिना	१० (२०)	६६ (१५)	६१ (१०)	२५ (०६)	१३ (०६)
हैदराबाद	१० (०२)	२ (०१)	२ (०१)	० (०१)	५ (०२)
मदान	—	—	—	—	१६२ (०१)
सैयूर	—	—	—	—	१ (०१)
उद्योग	१३ (११)	६ (०१)	१ (०६)	३ (०२)	० (०१)
राज्यगत	—	—	—	६ (०२)	६ (०२)
हादसकार-					
कोठी	६६ (११)	६० (१२)	८३ (१२)	१६६ (२५)	१९८ (२०)
उत्तर प्रदेश	१०० (१२)	७१ (१०)	१६ (०३)	६० (०६)	३० (०६)
पश्चिमी					
बंगाल	६६ (१३)	२१ (१६)	७२ (१६)	१०६ (३०)	११६ (३१)
मोमान	—	—	—	१ (०६)	१ (०३)
बुध	३ (०५)	१६ (१६)	२१ (००)	१८ (१६)	२६ (०१)
बिन्ध्य प्रदेश	—	—	१ (००)	२ (०५)	० (०६)
कुल	६६६ (११)	६०५ (०६)	३७० (०८)	६०६ (०६)	७६६ (१६)

उपरोक्त तालिका में स्पष्ट है कि गन्धर्वों की कृषि आय वर में कोई विशेष आय प्राप्त नहीं हो रही है। इस वर के विरुद्ध बहुत से आरोप लगाये जाते हैं जैसा कृषि आय वर में कृषकों को भी धार कर देना होगा। क्योंकि वे पहले से ही मांग गुजारी दे रहे हैं। परन्तु यह झानोचना ठीक नहीं है। इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं कि किसी भी व्यक्ति पर एन ही आधार के अनुमान से धार कर नहीं लगाना चाहिए। परन्तु यदि कोई व्यक्ति एक वर का भुगतान करता है तो इसका यह अभिप्राय नहीं कि वह किसी दूसरे वर का भुगतान न करे। मानगुजारी कृषि उत्पादन के अनुमान से जाती है और कृषि आय वर कृषि में प्राप्त आय के अनुसार। अब यह स्पष्ट

ही है कि एक ही आधार पर दो कर नहीं लगाये जाते हैं। यह गडबडी इस कारण भी उत्पन्न होती है कि बहुधा लोग करापात (Impact) और कर भार (Incidence) के भेद को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते। मालगुजारी का करापात तो जमींदारों पर है परन्तु कर भार जमीन जोतने वालों या उपभोक्ताओं पर पड़ता है। केवल कृषि आय कर में ही कर भार जमींदारों पर पड़ता। यदि यह भी मान लिया जाये, जो कि सही नहीं है, कि मालगुजारी वा भार जमींदारों को ही सहन करना पड़ता है क्योंकि वे इस स्थिति में नहीं हैं कि इसका विवर्तन कर सकें और इसलिये मालगुजारी वा भार जमींदारों पर पड़ता है। परन्तु यह तर्क भी कम से कम वर्तमान जमींदारों के सम्बन्ध में सही नहीं है। पूंजीकरण की विधि द्वारा यह भार भूमि को बेचते समय पहले जमींदारों पर अवश्य ही पड़ा होगा और क्योंकि वर्तमान जमींदार प्रारम्भिक जमींदार नहीं हैं इसलिए मालगुजारी वा भार उन पर नहीं पड़ता और इसलिए दो बार करापात का तर्क निराधार है। इसके विरुद्ध दूसरी आलोचना यह की जाती है कि इस कर से कृषकों का कर भार बहुत अधिक हो जायेगा। परन्तु यह तर्क भी ठीक नहीं है क्योंकि, कृषि आय कर केवल उन्हीं कृषकों पर लगाया जाता है जिनकी आय निश्चित न्यूनतम सीमा से अधिक होती है। वास्तव में इस कर से कृषकों की आय की असमानताएँ दूर होंगी। साथ ही प्रगतिशील कृषि आय कर का भार बड़ी बड़ी आयों पर अधिक पड़ेगा और छोटी छोटी आयों पर कम पड़ेगा। अन्तिम आलोचना इस कर के विरुद्ध यह की जाती है कि, इसका प्रबन्ध एव व्यवस्था सरल नहीं होती। अधिकांश कृषक अपनी आय और व्यय का पूरा हिसाब नहीं रख पाते और यह भी सम्भावना है कि कृषक अधिकांश अशिक्षित कृषकों को परेशान करे। इस सम्बन्ध में इतना बता देना उचित होगा कि गैर कृषि आय के सम्बन्ध में भी यह आरोप लगाया जाता है। परन्तु अनुभव यह बताता है कि धीरे धीरे लोगों को अपना उचित हिसाब बनाने का ज्ञान बढ़ता जा रहा है और प्रारम्भ में जो कठिनाइयाँ थी वे अब बहुत कुछ दूर होनी जा रही हैं। कृषि आय कर की व्यवस्था में जो कठिनाइयाँ आज अनुभव हो रही हैं वह धीरे धीरे कम होती जायेंगी।

कृषि आय कर के पक्ष में यह तर्क दिये जाते हैं - प्रथम यह कर मालगुजारी की असमानताओं को दूर करता है। हम कह चुके हैं कि मालगुजारी की दर कर-दाता की कर दान योग्यता के अनुसार निश्चित नहीं की जाती। यह तो वार्षिक लगान या उपज के अनुसार निश्चित की जाती हैं और निर्धन तथा धनी के लिए एक ही दर रहती है। मालगुजारी से कृषकों में कर भार की जो असमानताएँ उत्पन्न होती हैं उनको कृषि आय कर दूर कर देगा। दूसरे, इस कर की अनुपस्थिति में कृषकों और गैर कृषकों के बीच की असमानताएँ भी उपस्थित रहेंगी। एक व्यापारी को एक निश्चित आय पर जबकि एक प्रगतिशील दरो में आय कर का भुगतान करना होता है उतनी ही आय वाले भूमि के मालिक को मालगुजारी के रूप में एक बहुत ही हलका भार सहन करना होगा। परन्तु यह स्थिति न्यायसंगत नहीं है। इसलिए इस असमानता को दूर करने का एकमात्र साधन कृषि आय कर ही है।

राज्य सरकारों की आय के स्रोत (क्रमशः)

(उत्पादन-कर तथा

मदिरा निषेध नीति)

Sources of State Revenues
(Contd.)

(Provincial Excise and
Prohibition Policy)

प्राक्कथन—

राज्य सरकारों की निम्न वस्तुओं पर प्रतिबन्धक उत्पादन कर लगाने का अधिकार प्राप्त है। (१) देशी शराब, (२) ताड़ी जो नारियल, खजूर आदि वृक्षों का रस होता है, (३) चायला या जौ की शराब, (३) देशी पेड़ों की तसीली पत्तियाँ जैसे धर्म, भाँग, गाँजा और (५) अफीम। हमारे देश में प्रान्तीय उत्पादन कर का इतिहास अनेक प्रयोगों और खोजों से परिपूर्ण है जिसका विस्तृत वृत्तान्त यहाँ पर देना सम्भव नहीं है। सामान्य रूप से सरकार का केवल यही उद्देश्य रहा है कि वह हानिकारक दवाइयों और मदिरा के उपभोग पर प्रतिबन्ध लगाए। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न सरकारों ने कई प्रकार की योजनाओं की अपनाया जैसे (१) नियन्त्रण के उद्देश्य से ऐसी वस्तुओं के उत्पादन का केन्द्रीयकरण, (२) लाइसेन्स तथा बिना लाइसेन्स द्वारा ऐसी वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाना, (३) बिक्री के क्षेत्र को सीमित रखना, (४) बिक्री के घंटा को सीमित रखना, (५) उन दुकानों की मर्यादा को कम करना जहाँ पर ऐसी वस्तुओं की बिक्री होती है और (६) व्यक्तियों में ऐसी वस्तुओं के उपभोग के प्रति अरुचि उत्पन्न करना।

ब्रिटिश साम्राज्य के आरम्भ होने से पहले यह कर बंगाल में अर्धद्वारा द्वारा एकत्रित किया जाता था। परन्तु इस प्रथा को सन् १७६० में समाप्त कर दिया गया। तत्पश्चात् १० वर्षों के लिए शराब बगाने और बेचने के लिए लाइसेन्स प्रणाली की स्थापना हुई और केन्द्रीय शराब बनाने के कारखाने कुछ बड़े-बड़े शहरों में स्थापित किये गए। यद्यपि यह बीच में बन्द कर दिए गए परन्तु सन् १८८३ से यह फिर चालू कर दिए गए जो आज तक चल रहे हैं। मद्रास में भी व्यक्तिगत आधार पर प्रारम्भिक काल में ऐसी प्रणाली स्थापित थी। सन् १८२० में एक एक्ट बनाया गया जिसके अनुसार ताड़ी का उत्पादन एवं विक्रय केवल अधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकता था। २० वर्षों के बाद शराब पर उत्पादन कर

प्राप्त करने की आवश्यकता अनुभव हुई और इसलिए नियोजन आयोग ने सन् १९५४ में श्री श्रीमन्मारायण की अध्यक्षता में एक मदिरा निषेध जांच समिति नियुक्त की जिसने अपनी रिपोर्ट सन् १९५६ में दी थी। इसका अध्ययन हम बाद में करेंगे।

इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि मदिरा निषेध नीति को इतनी सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है जितनी कि आशा की जाती थी। इस नीति से एक ओर तो राज्य सरकारों की आय कम हो गई और दूसरी ओर राज्य सरकारों को मदिरा निषेध कार्यक्रम पूरा करने के लिए खर्चा भी अधिक करना पड़ रहा है। जो नतीजे आदी हैं उनकी आदत अभी तक कम नहीं हुई। गैर-कानूनी शराब बनाने तथा गीले क्षेत्रों (Wet Areas) में शराब की चोरी करने की बुराइयों में और अधिक वृद्धि हो गई है। जहाँ तक राज्य सरकारों को इस तरह से आय प्राप्त होने का सम्बन्ध है तो यह आय सन् १९५१-५२ और सन् १९५५-५६ के काल में लगभग ४५ करोड़ रुपये के आस-पास ही रही है और सन् १९५६-५७ में २२.७६ करोड़ रुपये, सन् १९५७-५८ में ४१.७८ करोड़ रुपये हो गई और सन् १९५८-५९ में ४३.५६ करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा थी। राज्य सरकारों ने अपनी आय की इस कमी को पूरा करने के लिए विक्री कर लागू किये हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार द्वारा तम्बाकू, चीनी और कपड़ा पर लगाये गए अतिरिक्त उत्पादन करों से जो आय प्राप्त होगी वह काफी अंश तक इस कमी को पूरा कर देगी, क्योंकि इन करों से प्राप्त आय में निरन्तर वृद्धि होती रहेगी। सन् १९५८-५९ में यह अनुमान था कि इन करों से राज्य सरकारों को ६७.४० करोड़ रुपये प्राप्त होंगे जबकि सन् १९५७-५८ में ३७.४२ करोड़, सन् १९५५-५६ में १६.६० करोड़ और सन् १९५१-५२ में ०.७० करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।

मदिरा निषेध नीति—मदिरा पीना सामाजिक, धार्मिक नैतिक और आर्थिक—सब दृष्टिकोणों से ही बुरा बताया गया है। कुछ धर्मों में तो इसके उपयोग को पाप बताया गया है और कुछ देशों में यह एक सामाजिक बुराई समझी जाती है। भारत जैसे निर्धन देश में जहाँ व्यक्तियों को पेट भर भोजन प्राप्त नहीं होता मदिरा पीने के विचार का समर्थन कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। लगभग सभी बुद्धिमान व्यक्तियों तथा विचारकों ने इसको बुरा बताया है। प्राचीन समय में एक धारण एक राजा ने कहा था कि 'मेरे राज्य में न कोई धोर है न वस्तुओं में मिलावट करने वाला और न शराब पीने वाला।' इस वाक्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन समय के राजा मदिरा पीने को कितना बुरा समझते थे और इसलिए यह तो भारत की सभ्यता का प्रमुख लक्षण है। अभाग्यवश प्राचीन परम्परा टूटते-टूटते नहीं लगी और मुगल राजाओं के काल में आनन्दमयी तथा भोगविलासी जीवन व्यतीत करने की जिज्ञासा ने तथा अंग्रेजी शासन काल में विदेशी सभ्यता की छाप लगने से हमारे देश में मदिरा पीने का शौच बढ़ता गया और आज बढ़ते-बढ़ते उसने, अधिकांश व्यक्तियों के लिये एक आदत का रूप धारण कर लिया। विदेशों की तो बात ही दूसरी है। वहाँ की जलवायु अपेक्षाकृत ठण्डी है और वहाँ पर मदिरा पीना करना

कुछ अना तब आवश्यक भी है। परन्तु हमारे देश में तो यह केवल पाश्चात्य सभ्यता की तकल करने का ही परिणाम है और विदेशिया की ही दम है। भारत जैसे देश के लिये खिलासयुक्त वस्तुओं का उपयोग कदापि भी लाभप्रद नहीं हो सकता।

मदिरा निषेध का शब्दार्थ कानून द्वारा मादन पयो व उत्पादन एवं विपणन को रोकना है। परन्तु व्यावहारिक जीवन में सभी प्रकार की नशीली वस्तुओं के विक्रय एवं उत्पादन को रोकने की बात मदिरा निषेध के क्षेत्र में सम्मिलित कर ली जाती है। मदिरा निषेध की नीति पाश्चात्य देशों में भी अपनाई गई है और अब हमारे देश के लिये तो यह एक स्थायी नीति बन गई है। परन्तु व्यक्तियों को इसकी सफलता विशेषकर भारत में बार में बहुत सदा है। यहाँ तक कि एक शिक्षित और सभ्य व्यक्ति जो मदिरा नहीं पीता है उसको भी मदिरा निषेध नीति की न्यायशालता तथा इसकी योग्यता के बारे में शक है। वह इसकी एक प्रकार का दबाव समझता है। उसके अनुसार यह कार्य निन्दनीय और असभ्य है क्योंकि उनके विचार में प्रत्येक व्यक्ति का अपने सम्बन्ध में सोचन तथा कार्य करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए। यह ना उसका जन्माधिकार है। एक क्षण के लिये हम इस विचार से सहमत हो सकते हैं परन्तु जरा गम्भीरता में सोचन के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य सम्बन्धी कार्य केवल आदर्शावादी तथा अध्या-वहारिक अधिकारों के आधार पर ही नहीं चलते। स्वतन्त्रता को केवल एक अधिकार ही नहीं समझना चाहिए। इसके साथ कुछ कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ता है। हममें में इन एक का अपने सम्बन्ध में सोचन और कार्य करने का अधिकार तो अवश्य प्राप्त है परन्तु कुछ सीमाओं के अन्दर। हमारे लिये स्वतन्त्रता का अधिकार उसी समय तक सुरक्षित है जब तक हम उसका उपयोग ठीक प्रकार में न करत ह। अर्थात् हम अपनी स्वतन्त्रता को बनाय रखने के लिये समाज या किसी अन्य व्यक्ति का अहित नहीं करते। शराब पीना एक सामाजिक दुर्गति है और इसमें अनेकों प्रकार के शारीरिक नैतिक और मानसिक दुष्परिणाम उत्पन्न होते हैं। इसलिये मदिरा निषेध को यह समझना कि यह व्यक्तियों की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप है ठीक नहीं है वरन् इसके द्वारा व्यक्ति और उसके परिवार को रक्षित होने में बचाया जाता है। गांधी जी ने एक बार कहा था कि हम चोरी का चोरी करने के लिये मुविधायी नहीं प्रदान करते। मैं शराब पीने को चोरी और कदाचित् वैराग्य (Prostitution) से भी अधिक निन्दनीय समझता हूँ।

भारत में मद्य निषेध नीति प्राथमिक रूप से निषेधों के हित में निमित्त की गई है। हम में से कोई भी यह प्रश्न पूछ सकता है कि निषेधों के शराब पीने में क्या बचाव है? आखिरकार उनका जायज भी मुसीबती और कठिनाइयाँ में परिपूर्ण है। हमको उनके शराब पीने में रूढ़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पीते अपने शुद्ध और प्रसन्नतारहित जीवन से वंचन के लिए पथी तो एक मात्र साधन है। शराबी के दृष्टिकोण से तो यह विचार पूषतया सत्य है। परन्तु उसकी पति, बच्चे तथा अन्य निर्भरकर्त्ताओं का क्या होगा? क्या हमारा यह कार्य उचित है कि हम

उसको एक ऐसी आदत डालने में प्रोत्साहन दे जिसे प्रभाव में वह उनके इतना आधीन हो जावे कि वह अपने बच्चे तथा पति को भूल जाए और उनको वीरान कर दे। यदि मद्य निषेध उन हजारों दुःखी औरतों तथा निस्महाय बच्चों को प्रसन्नता प्रदान कर सकता है और निर्धनता को जीवन की अच्छी दशाएँ दे सकता है तो इसके विरुद्ध कुछ भी बहना एक मूलतः होगी। इनके द्वारा न केवल शराबी को ही शराब का त्याग करना पड़ता है बल्कि उनके परिवार के भरण-पोषण का अधिकार भी सुरक्षित रहता है। अतः राज्य उस स्वतन्त्रता को गोकने में पूर्ण रूप से ठीक है जिसके उपयोग से समाज का अहित हो।

कभी कभी मद्य निषेध के विरुद्ध यह तर्क दिया जाता है कि क्या हम कानून के बल पर व्यक्तियों का नैतिक स्तर ऊँचा करने में सफल हो सकते हैं? हम पूछते हैं कि हम मद्य निषेध में अर्थात् अफीम जैसी नशीली वस्तुओं के सम्बन्ध में अमेरिका तथा यूरोप के अन्य देशों की क्या नीति है? क्या वहाँ पर इन वस्तुओं की बिक्री पर नियंत्रण नहीं है? सभी देशों में ऐसी वस्तुओं का विक्रय एवं उत्पादन कानून द्वारा नियमित किया जाता है परन्तु कहीं भी यह बात सुनने में नहीं आती कि व्यक्ति कानून द्वारा नैतिक नहीं बन सकते। मदिरा भी अब, सभी डाक्टरों और वैज्ञानिकों द्वारा अफीम की भाँति एक निद्राकारक (Narcotic) वस्तु स्वीकार कर ली गई है। इतना मद्य होते हुए भी पश्चात्य देशों में शराब पीने को रोकना सम्भव नहीं हो सका है, क्योंकि उन देशों में शराब सामाजिक जीवन का एक मुख्य अंग बन गई है। हमारे देश में जहाँ बहुत थोड़े से व्यक्ति शराब पीते हैं और जहाँ अधिकांश जनमत शराब पीने के विरुद्ध है मदिरा निषेध करना अधिक सरल है।

इसके अतिरिक्त शराब या नशीली वस्तुओं के उत्पादन, वितरण तथा उपयोग के विरुद्ध कानून बनाने का अभिप्राय यह नहीं है कि व्यक्तियों का नैतिक स्तर ऊँचा किया जा रहा है। उसका केवल एक ही उद्देश्य होता है कि, जिन लोगों में शराब पीने की आदत उत्पन्न नहीं हो पाई है उनमें शराब पीने की आदत न पड़े। हम लोग अपने वातावरण से ही बनते और बिराहते हैं। खुले हुए शराब घर एवं दुकानें उन व्यक्तियों को सुना निमग्नण देती हैं जो शराब के स्वाद तक को नहीं जानते और उनमें धीरे धीरे शराब पीने की आदत उत्पन्न कर देती हैं। यदि उन दुकानों को कानून की सहायता से बन्द कर दिया जाए तो अनेकों व्यक्तियों को शराब पीने की वृत्तियों से बचाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य पर भी यह दायित्व है कि वह ऐसा वातावरण उत्पन्न करे जिससे उनके नागरिकों का हित अग्रसर हो। अतः राज्य को वातावरण सुधारने में उन हांगिकारक बातों का अन्त करना होगा जो व्यक्तियों में ऐसी आदत उत्पन्न करती हैं जिनके प्रभाव में वह अपने को भूल जाता है। यही मद्य निषेध का उद्देश्य है। मदिरा निषेध शराब की खुली बिक्री को रोक कर शराब पीने की बीमारी को रोकता है। क्योंकि शराब की खुली बिक्री की अवस्था में शराब विक्रेता विज्ञापनों द्वारा अधिकाधिक व्यक्तियों को फासने का प्रयत्न करते हैं। समूह राज्य अमेरिका में सन् १९४४ में ४,५५,६१,

७८८ डालर शराब पीने से सम्बन्धित विज्ञापनों तथा प्रचार पर खर्च हुए थे। इस व्यय में केवल बही विज्ञापन सम्मिलित है जो विभिन्न पत्र एवं पत्रिकाओं में दिए गए थे। इसके अतिरिक्त सड़कों तथा बाजारों में जो प्रचार की विभिन्न रीतियाँ अपनाई गई थी तथा रेडियो द्वारा प्रचार करना में जो व्यय हुआ था वह इससे अलग था। डॉ० मार्टिन (Dr R. H. Martin) जिन्होंने कुछ वर्षों पहले अमेरिका में शराब बनाने तथा बेचने वाली फर्मों के विज्ञापन सम्बन्धी खर्चों का विस्तृत अध्ययन किया था, उनका अनुमान है कि शराब सम्बन्धी विज्ञापनों पर लगभग १० करोड़ डालर प्रतिवर्ष खर्च होते हैं। व्यापारी वगैरों ही चानाक होता है और वह एक भी डालर उस समय तक खर्च नहीं करता जब तक कि उसको उन डालर के बदले में और बहुत से डालर प्राप्त नहीं हो जाते और यही कारण था कि गाँधी जी ने मई १९३१ में यह इन्डिया में लिखा था कि 'यदि मैं सम्पूर्ण भारत के लिए केवल एक घंटे को एकक शासक (Dictator) नियुक्त कर दिया जाऊँ तो पहला काम जो मैं करूँगा वह यह होगा कि सब शराब की दुकानों को बिना किसी मयावजे के बन्द कर दूँ।'

कुछ लोगों का विचार है कि हम व्यक्तियों के निजी जीवन के सम्बन्ध में कानून कैसे बना सकते हैं? हमको उनके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। वास्तव में किसी भी मनुष्य के जीवन का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जो धरेलू या निर्जल कहा जाय। वह अन्य व्यक्तियों से ऐसा बंधा हुआ है कि वह जो कुछ भी करता है उसका प्रभाव दूसरों पर अवश्य पड़ता है। महिला विधेय व्यक्तियों की निजी स्वतन्त्रता को समाप्त नहीं करना बल्कि यह उनको उन शराब से बचाता है जो उनको अपना गुलाम बना लेती है, जिसके नशे में वह अन्ध हो जाती है और उस स्वतन्त्रता को खो बैठते हैं जिसके निश हम इतना ऊँचा स्तूप भी देने को तैयार रहते हैं। शराब के नशे में कोई भी मनुष्य अपने अस्तित्व रूप में नहीं रहता है। वह जुर्म करता है और अर्जेंटिव बाना में अधिक मरनता से फल जाता है। शराब के प्रभाव में उसके निषेध करने की नैतिक शक्ति तथा बुरे भले की पहचान करने की शक्ति का अन्त हो जाता है। वैज्ञानिकों का मत है कि यदि शराब को नशा उत्पन्न करने वाली मात्ता में पिया जाये तो इसके प्रभाव से व्यक्तियों की स्फूर्ति समाप्त होती जाती है, और मनुष्य का व्यवहार ऐसा हो जाता है कि किसी भी शिष्ट जाति के व्यक्तियों से उस प्रकार के व्यवहार की आशा नहीं की जा सकती। सड़कों पर दुर्घटनाएँ, लिंग सम्बन्धी अर्थात्कता निर्लज्जता, शान्ति भंग करना, सम्पत्ति की लूट करना, परिवार तथा पेशे सम्बन्धी जिम्मेदारी की ओर ध्यान न देना, धन तथा साधन का दुरुपयोग और इसी प्रकार के अन्य जुर्म शराब के नशे में मनुष्य करने को तैयार हो जाता है।

परन्तु कुछ लोगों का कहना है कि प्रचार द्वारा मनुष्य को शराब की बुराइयों से परिचित क्यों न कराया जाये? क्या न मनुष्य में हम शिक्षा द्वारा इतना ज्ञान उत्पन्न कर दें कि वह स्वयं शराब पीने की बुराई को समझने लगे? जब हमें

ऐसी अहिंसात्मक विधियाँ उपलब्ध हैं तो मद्य निषेध जैसी हिंसात्मक नीति का समस्या के सुलभाने में क्यों उपयोग किया जाये? क्योंकि यह नीति जितनी समस्याओं का समाधान नहीं करती उससे अधिक समस्याओं को उत्पन्न करती है। ऐसा इस लिये होगा कि जब कानूनन व्यक्तियों को शराब पीने को नहीं मिलेगी तो वे अपनी इच्छा को चोरी से पूरा करेंगे। अपने अपने घरों पर गैर कानूनी शराब बनायेंगे और चोरी से शराब का व्यापार चलायेंगे। यह स्थिति तो और भी खराब है, क्योंकि जब मद्य निषेध में भी व्यक्तियों को शराब पीने को मिल रही है तो इस नीति को कार्यान्वित करने से हम शराब पीने को तो बन्द कर नहीं पाये उसके अतिरिक्त हमने अनेकों बुराइयों और उत्पन्न कर दी जैसे गैर कानूनी शराब बनाने का जुर्म, कानून की निन्दा और शराब से जो आय प्राप्त होती थी उसके स्थान पर इन जुर्मों को रोकने पर व्यय और अधिक करना पड़ेगा। यह तर्क तो बाल्य में बहुत बल पूर्ण है और हमको यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि शराब पीने के विरुद्ध शिक्षात्मक प्रचार निःसंदेह ही आवश्यक है। परन्तु केवल प्रचार में ही काम नहीं चलेगा जैसा कि, अमेरिका के अनुभव से सिद्ध होता है। शराब पीना भी एक प्रकार का नशा है और तब है। अन्य नशों या तबों की भाँति शराबी भी तर्कों की ओर ध्यान नहीं देता। एक युवक के लिये तो इसका प्रभाव और भी उलटा हो सकता है और वह शराब केवल इसीलिये पीने लग जाये क्योंकि उनको रोकना जा रहा है। कुछ लोग तो शराब केवल इसीलिये पीते हैं कि लोग उन्हें हिंमत वाला कहें और योद्धा कहें और उनको पुराने विचारों का न समझें। इसलिये अकला प्रचार ही क्रियात्मक सिद्ध नहीं होगा। इसका क्षेत्र अति सीमित है और फिर यह तो केवल शराब पीने के विरुद्ध जनमत उत्पन्न करने में माहयक हाता है। परन्तु हमारे देश में तो जनमत पहले से ही शराब पीने के विरुद्ध है और जो कुछ लोग शराब पीते भी हैं तो यह प्रचार की कमी नहीं है, बल्कि उन अवसरों एवं सुविधाओं का कमी है जो शराब की खुशी विन्नी द्वारा उपलब्ध होती है। इस प्रकार की विन्नी से प्रचार के मारे लाभ समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं। इस प्रकार अनुभव यह बताता है, कि शराब की दुकानों को बन्द कर देना चाहिए। जो लोग इस बात का ताना बते हैं कि मद्य निषेध नीति में भी गैर कानूनी शराब बनती रहती है उन लोगों के लिये केवल इतना ही बताना काफी होगा कि ऐसी नीति तथा ऐसे सुधारों को कार्यान्वित करने से कुछ समय लगता है और उक्त समस्याओं का ही समाधान नहीं होता। हो सकता है कि चोरी, कत्ल आदि बुराइयों की भाँति यह भी अनन्त समय तक चलता रहे। हाँ इतना अवश्य है, कि मदिरा निषेध नीति से यह बुराई केवल थोड़े से ही व्यक्तियों तक सीमित रहेगी और उसका क्षेत्र सीमित होने के साथ साथ उनका प्रसार भी नहीं होगा।

कुछ लोगों के अनुसार मदिरा पान करने के विरुद्ध प्रत्यक्ष प्रयत्न करने के स्थान पर यदि हम आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों को सुधार दें, जिनसे व्यक्तियों में शराब पीने की आवृत्ति पड़ती है, तो हमारी समस्या बहुत अल्प तः कम हो जावेगी।

निर्धन व्यक्ति शराब शगलिये पीते हैं कि उनका जीवन बड़ा नीरस, परेशानियों और कठिनाइयाँ से भरा हुआ होता है और वे अपने जीवन को एक भार सा समझते हैं और उनसे बचना चाहते हैं। यदि उन्हें अच्छा जीवन स्तर व्यतीत करने का आश्वासन दे दिया जाये, यदि उन्हें आर्थिक अगुरक्षा से मुक्त करा दिया जाये उनकी नीरसता को दूर करने के लिये तथा काम की थकावट को दूर करने लिये मनोरंजन के उचित माधमों की व्यवस्था कर दी जाये उनकी पत्नी और बच्चा के लिये उचित प्रवन्ध कर दिये जायें तो उनका ध्यान शराब की ओर नहीं भी न जायगा। दूरी प्रकार एक वेकार मनुष्य भी वेकारी की नीरसता से बचने के लिये शराब पीता है। यदि उस काम दे दिया जाये तो वह सभी भी शराब पीने की न सोचेगा। निम्न श्रमिक अपने अपने घरों को छोड़ कर ग्रामों में शहरों को आत हं बिना पत्नी व बच्चा व गैर तथा नये नये लोगों के साथ छोटे छोटे तथा गन्दे स्थानों पर रहते हैं। यदि उनकी सामाजिक सुविधाएँ, टियटर पुस्तकालय वगैरे कूद आदि की सुविधाएँ प्रदान की जायें तो हमारी समस्या काफी दूर हो जायेगी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि केवल आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों को सुधारने से ही काम नहीं चलगा। परन्तु यह भी तो सम्भव नहीं है कि केवल मदिरा निषेध नीति ही शराब पीने की आदत को समाप्त करदे। हमारे देश में जो कुछ असफलता प्राप्त हुई है वह इसी कारण है। जैसे जैसे आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों में सुधार होते जायेंगे व्यक्तिगतों में शराब पीने की आदत कम होनी जायेगी।

पश्चिमी देशों में अधिकांश जनमत मद्य निषेध के पक्ष में नहीं है वरन् मामूली शराब पीने के पक्ष में है। उन देशों में शराब सामाजिक जीवन का एक अंग बन चुकी है। शाम की पार्टी, रात का खाना, नाच गाना खेल कूद, सभी बिना शराब के नीरस म लगेंगे। इसलिये वह यह नहीं चाहते कि शराब बिलकुल बन्द कर दी जाये। वह यह चाहते हैं कि शराब पीने की लत को कम कर दिया जाये। यह नये को नहीं बरन राजवाजी को दुरा मानते हैं। वे मामूली शराब पीने का नहीं बल्कि अत्यधिक शराब पीने को दुरा मानते हैं। साम्प्रदायिक हमारे देश के सामाजिक जीवन में शराब का इतना महत्त्व नहीं है। हमारे देश में क्या मामूली शराब पीना भी बन्द हो जाना चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर में हम निम्न बात कह सकते हैं— प्रथम मामूली शराब पीने वाला किसी भी प्रकार से शराब के घरे प्रभाव से मुक्त नहीं होना। यह दूसरी बात है कि उसके सम्बन्ध में शराब के दुष्परिणाम एक शराबी की भाँति दृष्टिगोचर भल ही न हों। डा० नॉर्मनकर (Normonkarr) जो अमेरिका में शराब पीने वालों के अध्ययन की समिति के प्रधानाचार्य थे उनका कहना है कि गुप्त इस बात को कहने में कोई भी मक्कच नहीं है कि मैंने अपने व्यवसाय सम्बन्धी अनुभव से पता लगाया है कि बहुत अधिक व्यक्तित्व मामूली शराब पीने के नाश में निरन्तर शराब पीते रहने पर शराब के जहर के कारण अपने जीवन को समय में पहले ही समाप्त कर लेते हैं उन लोगों की अपेक्षा जो एक बार बहुत ज्यादा शराब पीते हैं।" अतः मामूली शराब पीने की अपेक्षा एक बार बहुत अधिक शराब पीना दुरा नहीं है।

हमारे यह मामूली कराव पीने वाला ही होता है जो समय बीतने के साथ साथ कराव पीने का आदी होता जाता है। यदि कराव पीने की आदत को समाप्त करना है तो मामूली कराव पीने का भी अन्त करना होगा।

कुछ लोग मदिरा निषेध नीति का विरोध इसलिए भी करते हैं, कि जब आजकल सरकार को विकास सम्बन्धी कार्यों के लिये तथा अन्य राष्ट्रीय विवास सेवाओं के लिये इतने धन की आवश्यकता है तो मदिरा निषेध नीति समयातुक्ल नहीं है। इससे सरकारों को बहुत मे धन की हानि होगी। परन्तु प्रश्न यह है कि, क्या मदिरा निषेध से हमारी आय इतनी कम होगई है कि उसकी पूर्ति किसी अन्य स्रोत से नहीं हो सकती और लाखों व्यक्तियों तथा उनके परिवारों का जीवन नष्ट करके इन आय को प्राप्त करना आवश्यक है? इनमें कोई सन्देह नहीं कि हमको पंचवर्षीय योजनाओं को मफल बनाने के लिये एक एक पाई को सुरक्षित रखना पड़ेगा। परन्तु क्या मदिरा निषेध ने जो आय की हानि होगी उसको हम अन्य स्रोतों से भूरा नहीं कर सकते? वास्तव में ऐसा नहीं है। हम आर्थिक उन्नति के नाम में हजारों लाखों व्यक्तियों के नैतिक जीवन की बलि नहीं चढा सकते। हजारों औरतों के सतीत्व को लुप्त नहीं देख सकते और हजारों बच्चा को चिथड़ों से लिपटा हुआ भूख मरते नहीं देख सकते। यदि ऐसी परिस्थितियाँ को बनाये रख कर अपने देश का आर्थिक उत्थान करना चाहते हैं तो हमारे ऐसे आर्थिक विकास को धिक्कार है। इसके अतिरिक्त राज्य कदापि भी सामाजिक कुरीतियों के व्यापार में साभेदार नहीं बन सकता। यह हमारे देश की सम्पत्ता और परम्परा के विरुद्ध है। जैसा कि गाँधी जी ने कहा था "यह हमारे लिये गर्व की बात नहीं है कि हमारे बच्चों को उस धन में शिक्षा दी जाती है जो इस राशयन (कराव) में प्राप्त होती है।" गोखले तो और भी बृढ़ थे। उनका कहना था कि नमक कर, जिसका कि मैं इतना विरोध करता हूँ तब भी उसका आवश्यकता कर की आय की अपक्षा अधिक पक्ष लिया जा सकता है क्योंकि आवश्यकता कर में निधनों की जेबा से इतना अधिक धन निकाल लिया जाता है और इस मौद से इतनी अधिक मूसीबतें बढ जाती ह।

मदिरा निषेध के आर्थिक पहलू पर हम एक और दृष्टि में भी निगाह डाल सकते हैं। अह ध्यान रहे कि कराव कर का भुगतान करने के लिये प्रत्येक कराव पीने वाले को मरकारी खजाने में एक रुपया देने पर लगभग तीन रुपये की शक्य खरीदनी पडती है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि कराव की जितना धन राजकीय खजाने में देता है उससे तिगुना खच करता है। हमारे शब्दा में जब करदाता तीन रुपये खर्च करता है मरवार को बेचन एव ही रुपया प्राप्त होता है और इस प्रकार जितना सरकार को लाभ प्राप्त होता है उससे तिगुनी हानि निर्धन व्यक्तियों को उठानी पडती है। अत यह कर न्यायमगत नहीं है और कर भार का वितरण भी न्यायपूर्ण नहीं है। श्री पी० के० राव जो मध्य प्रदेश मदिरा निषेध समिति के अध्यक्ष थे उनका कहना है, 'आवकारी कर का भार, कदाचित्त सबसे अधिक है, उदाहरणार्थ मध्यप्रदेश में जहाँ लगभग आधी जनसंख्या आवकारी कर का भुगतान करती है, सन्

१९५० में एक गैलन शराब का लागत मूल्य २ रुपया था, परन्तु उसका विक्री मूल्य १३ रुपये २ आने से ५२ रुपये ३ आने तक था।" इस प्रकार आवकारी आय अन्यायपूर्ण होती है और ठेकेदारों द्वारा इस आय को एकत्रित करने की विधि तो और भी अधिक खराब है। अतः मदिरा निषेध से सरकार को आय की जितनी हानि होगी उससे अधिक लाभ जनता को प्राप्त होगा। निःसन्देह ही जब कि राज्य पहले की अपेक्षा एक रुपया कम खर्च पायेगा व्यक्ति के पास खर्च करने के लिये ३ रुपये होंगे, और यह सौदा चुरा नहीं है। क्योंकि व्यक्ति उन अधिक क्रय शक्ति को अन्य वस्तुओं पर खर्च करेगा और अन्त में राज्य की हानि पूरी हो जायेगी। इसके अतिरिक्त मदिरा निषेध ने बचला में तथा पूँजी निर्माण में भी सहायता मिलेगी। जो अधिकतर व्यक्ति शराब पर खर्च करने में उमंग से बहूँ कुछ पैसा अपने भविष्य के लिये बचा कर रखेंगे। इस प्रकार आर्थिक दृष्टिकोण से भी मदिरा निषेध अनुचित नहीं है। जिस प्रकार मदिरा निषेध के तुरन्त बाद ही राज्य सरकारों ने विक्री कर लागू कर के अपनी आय को बहुत कुछ बढ़ा लिया है और मदिरा निषेध से उत्पन्न होने वाली हानि को बहुत कुछ पूरा कर लिया है उसी प्रकार राज्य सरकारें और भी ऐसे करों को लागू कर सकती हैं जिनका भार सभी व्यक्तियों पर समान हो। यह ध्यान रहे कि बहुत से राज्यों में जहाँ मदिरा निषेध की नीति अपनाई गई है आवकारी कर की आय की हानि को अन्य करों से पूरा करने का प्रयत्न किया है। बम्बई राज्य में जबकि सन् १९४६-४७ में सन् १९४१-४२ तक आवकारी कर की आय ९७४ करोड़ रुपये से कि कर ०.६६ करोड़ रुपये रह गई उसी काल में विक्री कर की आय १.१७ करोड़ रुपये से बढ़ कर १३.१ करोड़ रुपये हो गई। इसी काल में जब कि मद्रास में आवकारी कर की आय १६८ करोड़ रुपये से घट कर ०.४१ करोड़ रुपये रह गई तब सामान्य विक्री कर की आय ५.८३ करोड़ रुपये से बढ़ कर १५.५९ करोड़ रुपये हो गई।

मदिरा निषेध के विरुद्ध कभी-कभी यह भी आरोप लगाया जाता है कि यह एक अनार्थिक कार्य है क्योंकि इसमें धन की बर्बादी की अपेक्षा और कुछ भी हाथ नहीं लगता और क्योंकि सरकार को अपनी नीति को कार्यनाथक बनाने के लिये बहुत अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करना पड़ता है। इन प्रकार एक ओर तो आवकारी कर की आय कम होती चली जाती है और दूसरी ओर मदिरा निषेध पर खर्च बढ़ता चला जाता है और फिर भी जिन लोगों को शराब पीने से रोकना है, उन्हें रोकने को, तो, मिल ही जाती है। इन सब तर्कों के विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि मदिरा निषेध का उद्देश्य इन लोगों को शराब पीने से रोकना नहीं है जो शराब के घादी हो गये हैं। वरन् उन व्यक्तियों को रोकना है जिनमें खुली हुई दुकानें देख कर शराब पीने का लालच उत्पन्न होता है। इस प्रकार कुछ भी व्यय होगा है वह बेकार नहीं जाता है। जब हम शत्रु के आक्रमण से बचने में मूल्य की ओर कोई भी ध्यान नहीं देते तो क्या यह आवश्यक नहीं है कि हम हर सम्भव रीति में उन शत्रु से लड़ने के लिये तैयार रहे जो अन्दर ही अन्दर धीरे-धीरे राष्ट्र को खोखला कर रहा है। क्या यह

उचित होगा कि हम इस कार्य के मूल्य की ओर ध्यान दें ? हमको तो इस बुराई से लड़ने के लिये हर त्याग के लिए तैयार रहना चाहिये । गाँधी जी ने लिखा था कि "मेरी आय की इस हानि को कोई भी महत्त्व नहीं देता ।" जितनी सरकार को हानि नहीं होगी उतना देश को लाभ प्राप्त होगा । हज़ारों व्यक्तियों को खान के लिये अच्छा भोजन मिलेगा, रहने के लिये अच्छे मकान होंगे, अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे, शिक्षा प्राप्त हो सकेगी और कार्यदामना में वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सकेगी । इसके अतिरिक्त जबकि हमारे देश में लोग भूख मर रहे हैं तो क्या हमारे लिये यह उचित होगा कि हम ताट के घूँसा के उन रस का जिसमें गुड़ बनाया जा सकता है नमीली शराब बनाने में नष्ट कर दें । अतः मदिरा निषेध में हम केवल उस धन की रक्षा ही नहीं करेंगे जो शराब पर खर्च किया जाता है बल्कि उन हज़ारों व्यक्तियों को भोजन भी प्रदान करेंगे जिनके मुँह में से केवल शराब बनाने के लिये भोजन निकाल लिया जाता है और फिर हम जुर्मों को भी राखेंगे टूट मकान, भूखे बच्चे और बेकार व्यक्तियों की संख्या में भी वृद्धि नहीं होने देंगे और अन्त में हम व्यक्तियों की वृद्धि तथा विषय लेन की शक्ति को बचायेंगे । कितनी सही बात कही गई है कि मदिरा निषेध को एक महंगा सौदा बहन का अभिप्राय यह है कि हम धी से भरे हुए ड्राम में एक छेद का बन्द करने के लिये १) रुपया खर्च नहीं करता चाहिये बल्कि धी को गिरते ही रहने देने चाहिये, क्योंकि इतने छोटे छेद को बन्द करने पर एक रुपया खर्च करना बहुत अधिक होगा ।

बहुधा मदिरा निषेध की सफलता में जिन व्यक्तियों का मदद है वह इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि जब अन्य देशों में मदिरा निषेध नीति सफल नहीं हो पाई तो भारत में क्या सफल होगी ? और वह समुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण देते हैं । आश्चर्य की बात है कि समुक्त राज्य में कोई भी यह विस्वास नहीं करता कि मदिरा निषेध नीति वहाँ असफल रही है । अपनी पुस्तक 'Should Prohibition Return' में George B. Cullen ने निम्न तथ्य मदिरा निषेध नीति को पुनः लागू करने के सम्बन्ध में दिये हैं —

"सन् १९२५ में वाणिज्य विभाग के सेंक्रेटरी Herbert Hoover ने घोषित किया था कि मदिरा निषेध द्वारा निःसदेह हो उत्पादन शक्ति में १०% की वृद्धि हो गई थी ।

'घर बनाने की मस्याओं में सदस्या की नस्या पहले की अपक्षा टुगुनी से अधिक हो गई थी । यह सन १९२० में ४९ लाख से बढ़कर १९३० में १२३ लाख हो गई ।

'बचता की जमा सन् १९२० में प्रति व्यक्ति १४४ डालर से बढ़कर सन् १९२६ में २११ डालर हो गई ।

'जीवन बीमा में विनियोगों की प्रति व्यक्ति राशि ३४२ डालर से बढ़कर ६६० डालर हो गई थी ।

"राष्ट्रीय मदिरा निषेध काल में प्रति व्यक्ति दूध का उपभोग २१२ पाँड

प्रति व्यक्ति की दर में बढ़ गया।

गराब के कारण मृत्यु की दर में १६% की कमी हो गई।

गराब के प्रभाव में होने वाले जुर्मों की संख्या कम हो गई। सज्जानों की पवित्रता की रक्षा करने की आवश्यकता की संख्या भी गहने से घट गई।

यह राष्ट्रीय मंदिरा नियमन योजना की संख्या में गराब पीने में ७६% की कमी कर दी थी और इस नीति का अंत हो जाने से गराब पीने में ३००% की वृद्धि हो गई है।

इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि संयुक्त राज्य में मंदिरा नियमन नीति अग्रगण्य हुई थी। भारत में बहुत से व्यक्तियों का यह भी मान रहा है कि यद्यपि राष्ट्रीय मंदिरा नियमन नीति को समाप्त कर दिया गया है फिर भी व्यक्तिगत राजस्व का अब भी मंदिरा नियमन करने का पूर्ण अधिकार है और कुछ राज्यों में तो आज भी मंदिरा नियमन नीति लागू है। अब हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि अमेरिका में मंदिरा नियमन अग्रगण्य हुआ है। यदि मंदिरा नियमन अग्रगण्य हो भा गया और यदि यह अधिकार भी अग्रगण्य रहे तो इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि वह नानि भारत में भी अग्रगण्य रहेगी क्योंकि (१) हमारा गराब का व्यापार इतना घनी और सुमनसिल नहीं है जितना अमेरिका का (२) हमारे यहां बहुत थोड़े से व्यक्ति ही गराब पीते हैं और यदि गराब पीने पर बड़े विध्वंसक तथा विध्वंसक तो यह बराबर विस्तृत समाप्त हो सकती है और (३) हमारे यहां जनमत गराब पीने के विरुद्ध है। वास्तव में यदि कोई देश समाज में ऐसा है जहां मंदिरा नियमन नीति अपनायी जाती है तो वह भारत ही है और यदि हम सफलता प्राप्त हो जायगी तो हम मानव जाति के सम्मुख उस पथ का प्रदर्शन कर सकेंगे जिसमें नियमन अंत समय में गराब का भय में लड़ने का प्रयत्न कर रही है।

भारत और मंदिरा नियमन नीति—हमने पिछले पृष्ठों में उन गरीबों की परिस्थिति का दूर करने का प्रयत्न किया है जो मंदिरा नियमन नीति के विरुद्ध उभरीं जाती हैं और यह भी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि मंदिरा नियमन मानव जाति के लिए एक सर्वोत्तम नीति है। जब देश स्वतंत्र भी नहीं हुआ था उस समय में ही भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की दृष्टि सामाज्य नीति का मंदिरा नियमन नीति एक महत्वपूर्ण रहा है। सन् १९२१ में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव में यह घोषित किया था कि 'उम्मीदों और में जो कोई भी मंदिरा बनाया जाय उसमें स्वतंत्री सरकार को यह सामर्थ्य प्रदान की जाना चाहिए कि मादक पेय तथा अन्य वस्तुओं का बकाया के अतिरिक्त अन्य प्रकार का उपयोग पूणतया बन्द हो जायगा। कांग्रेस ने अपने घोषित मंदिरा पान का भी विरोध निरंतर जारी रखा। परिणामस्वरूप बहुत से व्यक्तियों ने गराब पीना छोड़ दी और सरकार की धार्य बहुत कम हो गई। सन् १९३७ में बहुत से प्रांतों में जब कांग्रेस ने प्रशासन की बागडोर सम्भाली तो महान् इम्पेक्ट यू० पी० बिहार मध्य प्रांत और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में मंदिरा नियमन की नीति लागू की। साथ ही मंदिरा पान के विरुद्ध प्रचार भी आरम्भ

किया और गाने, ड्रामे इत्यादि के लिये मनोरजन केन्द्र स्थापित किये। औद्योगिक क्षेत्रों में सोडे के पानी और दूध की दुकानें खोली और इन वस्तुओं को लागत मूल्य पर विक्रवाया। द्वितीय महायुद्ध में कांग्रेस सरकार ने स्तीफा दे दिया और मदिरा निषेध कार्यक्रम का अन्त ही हो गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ ही कांग्रेस ने फिर राज्य सम्माला और मदिरा निषेध का कार्यक्रम पुन आरम्भ किया। हमारे संविधान के धारा ५७ के अनुसार सरकारों नीति के निर्देशक सिद्धान्तों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार भारत में मदिरा निषेध को सफल बनाने के लिये प्रयत्न करेगी।

वर्तमान स्थिति—यम्बई, मद्रास, आंध्र प्रदेश में पूर्ण मदिरा निषेध की नीति अपनाई गई है और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, आसाम, उड़ीसा आदि राज्यों में पूर्ण मदिरा निषेध करने का लक्ष्य है। परन्तु अभी इन राज्यों में आंशिक रूप से ही मदिरा निषेध किया गया है। उत्तर प्रदेश में ११ जिले तथा ३ तीर्थ स्थानों पर पूर्ण रूप से मदिरा का क्रय विक्रय बन्द कर दिया गया है। उन क्षेत्रों में भी जहाँ पूर्ण मदिरा निषेध नहीं है वहाँ भी शराब के क्रय विक्रय पर कुछ नियन्त्रण लगा दिये गये हैं, जैसे बिक्री के दिन तथा घण्टों में कमी करना, आम स्थानों पर शराब का न पिया जाना इत्यादि। इसी प्रकार उड़ीसा और देहली में भी आंशिक मदिरा निषेध लागू कर दिया गया है। बंगाल और बिहार में केवल मादक पदार्थों के उपयोगों को नियमित करने की नीति अपनाई गई है अर्थात् शराब पीने पर कोई रुकावट नहीं है परन्तु शराब की दुकानों को सख्या कम कर दी गई है। शराब बिक्राने के दिन और घण्टे भी कम कर दिए गए हैं। राजस्थान में भी मदिरा निषेध नीति के सम्बन्ध में कानूनी प्रयत्न किए जा रहे हैं। जम्मू और काश्मीर राज्य में इस प्रकार का कोई भी प्रयत्न नहीं किया गया है और न किये जाने की आशा ही है, क्योंकि वहाँ पर मदिरा निषेध से विदेशी यात्रियों के आवागमन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। सन् १९५४ की मदिरा निषेध जाँच समिति के अनुसार कुल देश का २८ प्रतिशत भाग और ३६ प्रतिशत जनसंख्या सम्पूर्ण मदिरा निषेध के आधीन थी। सन् १९५७ के आरम्भ में देश का ३२ प्रतिशत भाग और लगभग ४० प्रतिशत जनसंख्या पूर्ण मदिरा निषेध से प्रभावित हो चुकी थी। परन्तु यह स्थिति प्रशंसनीय नहीं है। भारत जैसे विशाल देश के लिये मदिरा पान का निषेध करने के लिये बहुत ही प्रभावयुक्त प्रयत्नों की आवश्यकता है यद्यपि कुछ लोग ऐसे हैं जो मादक वस्तुओं के उपभोग को कोई विशेष समस्या नहीं मानते।^१ किन्तु जैसा कि मदिरा निषेध जाँच समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि "एक स्वस्थ और चरित्रवान जनता कल्याणकारी राज्य के लिये एक निश्चित आधार है," इसलिए समिति ने बड़े ही जोरदार शब्दों में इस बात के महत्त्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है।

मदिरा निषेध जाँच समिति की नियुक्ति श्री श्रीमन्नारायण की अध्यक्षता में

नियोजन आयोग ने दिसम्बर सन् १९५४ में भी जिसने कार्य निष्पाकित ने —

(१) राज्य सरकारों के उन प्रयत्नों के अनुभवों की जाँच पड़ताल करना जो उन्होंने मदिरा निषेध नीति को सफल बनाने के लिये किये थे और उनकी सफल-ताओं और ध्यावहारिक कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना ।

(२) राष्ट्रीय स्तर पर मदिरा निषेध के बार्मेजम के हेतु सुभाष प्रस्तुत करना ।

(३) उन विधियों तथा मसूदों को बताना जिनके द्वारा इन कार्यक्रमों को पूरा किया जाये ।

(४) अन्य विषयों पर सिफारिशें देना, जिन पर सुभाष देना समिति आवश्यक समझे ।

समिति का सुभाष था कि देश भर में १ अप्रैल सन् १९५८ तक सम्पूर्ण मदिरा निषेध हो जाना चाहिए और इस धाल में सरकार को बहू सब विधि नैयार कर लेनी चाहिये जिससे कि मदिरा निषेध को वास्तविक बनाया जा सके । राज्य सरकारों को भी इस सम्बन्ध में पूरी तैयारी कर लेनी चाहिये और केंद्रीय सरकार एक ऐसी समिति नियुक्त करे जो राक्या द्वारा की गई तैयारियों की जाँच पड़ताल करे । समिति के अनुसार बहू प्रयत्न निम्न प्रकार के —

प्रत्यक्ष मदिरा पान का पूर्ण निषेध अर्थात् होटना, चाय घरों, क्लब घरों, पार्टिया और उन्मुख समारोह पर मदिरा पान पर नियन्त्रण लगा देना चाहिये । विदेशियों के लिये एक समय बमरे में शराब पीने का प्रबन्ध कर दिया जाये । मदिरा सम्बन्धी भारे विहायन समाप्त कर दिया जाये । एक नियम बना दिया जाय कि सरकारी कर्मचारी शराब न पिये, सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकानें, शराब बिकने के दिनों, दुकानों पर शराब की पूति शराब की लेजी आदि की बम कर दिया जाय और जो दुकानें औद्योगिक क्षेत्र या मुख्य रहने के स्थानों के निकट हैं उनको वहाँ से हटा कर दूरी पर स्थापित कर दिया जाय । सैन्य (Defence Services) सेवासों के लिये कोई विशेष रियायत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही मदिरा निषेध नीति को स्वीकार कर लिया है । जहाँ तक पिछड़े हुए क्षेत्रों का सम्बन्ध है समिति का सुभाष था कि मन्वीपुर, त्रिपुरा और नैका को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर मदिरा निषेध लागू कर दिया जाय । समिति का सुभाष था कि १ अप्रैल सन् १९५८ के बाद स्वास्थ्य रक्षा के बढ़ाने की शराब पीने के लिये परमिट न दिये जायें । समिति ने मदिरा निषेध नीति को लागू करने की विधि पर बहूत जोर दिया है और उनका सुभाष है कि यह नीति दो और से चालू की जाये— प्रथम प्रशासनिक और प्रविबन्धक और दूसरे नैषानिक तथा प्रशासन सम्बन्धी । इन दोनों ही क्षेत्रों में उचित समय स्थापित रहना चाहिये । प्रत्येक राज्य में मदिरा निषेध का एक प्रबन्धक नियुक्त किया जाये और मदिरा निषेध बोर्ड नियुक्त किया जाये । इस बोर्ड में मदिरा निषेध सपठन तथा जनमत, दोनों ही के प्रतिनिधि होने चाहिये । ग्रामों और मुहल्लों में मदिरा निषेध नीति समितियाँ भी स्थापित की जायें ।

शिक्षात्मक कार्यक्रम के लिये समिति का मुझाव था कि नशीली चीजों के उपयोग के विरुद्ध एक सुसंगठित शिक्षात्मक आन्दोलन चालू किया जाय जिसके लिये स्कूलों समाचार-पत्रों और अन्य सामाजिक मस्थाओं की सहायता प्राप्त की जाय। इस प्रकार के प्रयत्न से नकली शराब बनाना काफी बन्द हो जायगा। कड़े प्रबन्ध तथा व्यवस्था के लिये समिति का गुझाव था कि मदिरा निषेध नीति को लागू करने वाले सम्पूर्ण सगठन को कडा किया जाय और शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों द्वारा शक्तिशाली बनाया जाय। इसके अनिश्चित मदिरा निषेध सम्बन्धी नभी जुर्मों में भजामत स्वीकार न की जाय और कानून का कडा पालन किया जाय।

मदिरा निषेध नीति के आर्थिक पहलू पर अपना मत प्रकट करते हुए समिति ने कहा कि पतमान आवकारी कर प्रतिगामी और गैर सामाजिक है और इसलिए हमारी वर प्रणाली के इन घब्वे का तुरन्त ही दूर होना चाहिये। समिति ने इस बात का स्वीकार किया कि कुछ राज्य विशेष रूप से आवकारी कर की आय पर निर्भर थे और इसलिये वे तुरन्त ही मदिरा निषेध न कर सके। समिति को आशा थी कि सरकार इन राज्यों की आर्थिक स्थिति की ओर पूरा ध्यान देगी।

विभिन्न राज्यों में मदिरा निषेध नीति में जो सफलताएँ तथा अनुभव प्राप्त हुए वे उनकी ओर भी समिति ने ध्यान दिया और गहन अध्ययन के पश्चात् समिति को पूर्ण विश्वास था कि भारत में मदिरा निषेध कार्यक्रम को अन्य देसों की भाँति कठिनाइयाँ अनुभव नहीं हानगी, क्योंकि यहाँ पर मदिरा पान की समस्या का रूप कोई भयकर नहीं है। यहाँ के नागरिक नियमों का पालन करना जानत है। इस नीति के प्रति स्त्री जाति की पूर्ण सहानुभूति है और मदिरा हमारे सामाजिक तथा घाभिक जीवन में अभी तक कोई भी स्थान प्राप्त नहीं कर पाई है। इसीलिए यह आवश्यक था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मदिरा निषेध को एक मुख्य स्थान प्रदान किया जाय।

मदिरा निषेध कार्यक्रम के सम्बन्ध में समिति की सिफारिशें निम्न प्रकार की —

- (१) विनापनों आदि को बन्द कर दिया जाय (२) सुते हुए जन स्थानों पर मदिरा विक्रय एक पीने पर नियन्त्रण लगा दिये जायें। (३) कुछ विशेष समितियाँ नियुक्त कर दी जायें जो ऐसा कार्यक्रम निश्चिन करें जिनके द्वारा (अ) बहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकानों की तीव्र गति से कम किया जा सके; (ब) शराब की दुकानों को मन्ताह में अधिक दिन बन्द रखा जा सके; (स) दुकानों पर जो शराब बिक उसकी तेजी को कम किया जा सके (द) दुकानों को होने वाली पूर्ति को कम किया जा सके (य) औद्योगिक तथा विकास क्षेत्रों के निकट जो दुकानें स्थापित हैं उनको बन्द किया जा सके और (२) शहरों तथा ग्रामों में मुख्य बाजारों तथा घने बसे हुए मुहल्लों तथा स्थानों पर से दुकानें हटाई जा सकें। (४) ऐसे प्रयत्न अपनायें जिससे सस्ते तथा स्वस्थ पेयों की उत्पत्ति को बढ़ावा मिल सके। (५) निजी मस्थाओं को मनोरंजन केंद्रों की स्थापना में सहायता प्रदान करना और

(६) राष्ट्रीय विस्तार तथा सामुदायिक विन्यास कार्यक्रम वाले क्षेत्रों तथा सामाजिक कल्याण वाले क्षेत्रों में रचनात्मक (Constructive) कार्यक्रम में मदिरा निषेध को शामिल करना ।

इन सुझावों के अतिरिक्त समिति ने और भी सुझाव दिए थे, परन्तु नियोजन आयोग ने, राज्यों तथा केन्द्रीय मन्त्रालयों से विचार विमर्श करके के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद की अनुमति से राज्य सरकारों को एक प्रारम्भिक प्रयत्न के रूप में उपर्युक्त सुझावों को कार्यान्वित करने की ही सिफारिश की है । राज्य सरकारों से यह प्रार्थना की गई है कि वह इन सुझावों के आधार पर मदिरा निषेध के लिए अपना कार्यक्रम बनायें ताकि मदिरा निषेध कार्य को उचित अवधि के अन्दर पूरा किया जा सके । अधिकांश राज्य सरकारों ने अपना मत प्रकट करते हुए कहा है कि उनके लिए यह सम्भव न हो सकेगा कि वह मदिरा निषेध जान मासिकी द्वारा निर्धारित तिथि तक मदिरा निषेध के काद को पूरा कर सके । कुछ राज्य सरकारों जैसे भूमूर, राजस्थान इत्यादि ने केन्द्रीय सरकार में इन सम्बन्ध में वित्तीय सहायता के लिए भी प्रार्थना की है । बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा जम्मू और काश्मीर के अतिरिक्त सभी राज्यों ने आंशिक मदिरा निषेध की कार प्रयत्न करने प्रारम्भ कर दिए हैं । हाल ही में भारत सरकार ने अपना निर्णय घोषित किया है कि वह देश में मदिरा निषेध की प्रगति की जाँच करने के लिए एक संसदीय समिति (Parliamentary Committee) नियुक्त करेगी ।

ऐसी अवश्य होती है जिनके लाभों को प्रत्यक्ष रूप से नापा जा सकता है और उसी के अनुसार व्यक्तियों ने उनका मूल्य भी लिया जाता है, जैसे कहीं-कहीं पर पानी की पूर्ति करन का मूल्य नगरपालिकाएँ मीटर लगाकर उपयोग की गई पानी की मात्रा के अनुसार व्यक्तियों से वसूल करती हैं। यदि पानी के लिये शुल्क की दर का निर्धारण भी सम्पत्ति के मूल्यानुसार हो तो यह शुल्क प्रगतिशील हो जायेगा, क्योंकि छोटी सम्पत्ति वालों को भुगतान कम करना होगा, जब कि वह पानी का उपभोग अधिक मात्रा में करेंगे।

माधारणतया इन दोनों सिद्धान्तों को एक साथ एक ही कर के सम्बन्ध में लागू करना सम्भव नहीं है क्योंकि दोनों सिद्धान्त एक दूसरे के विपरीत हैं। इसलिये हम अपने पिछले निष्कर्ष पर ही टिकते हैं, जो हमने इस अध्याय के आरम्भ में निकाला था। परन्तु यहाँ एक और बात की ओर ध्यान देना आवश्यक है। स्थानीय अधिकारियों को जनोपयोगी सेवाओं की दर किस सिद्धान्त के आधार पर निर्धारित करनी चाहिये? ऐसी सेवाओं की लागत दो प्रकार की होती हैं— सीमान्त लागत और स्थायी लागत। मैदान्तिक दृष्टिकोण से तो प्रत्येक व्यक्ति को सेवा का मूल्य सेवा की सीमान्त लागत के अनुसार देना चाहिये, क्योंकि स्थायी लागत को निश्चित करना सरल नहीं होता। इस कठिनाई से बचने के लिये बहुधा यह कहा गया है कि स्थायी लागतों को सामान्य आय में से पूरा किया जाये। किन्तु ऐसा करना पूर्णतया अन्यायपूर्ण होगा, क्योंकि सामान्य आय में न स्थायी लागतों को पूरा करने का अभिप्राय यह होगा कि उतका भार प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ेगा और अप्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों को भी सेवा का मूल्य देना पड़ेगा जो उस सेवा का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिये प्रो० मिश्रा⁷ का प्रस्ताव है कि सेवाओं का उपयोग करने वालों को इन स्थायी लागतों का भुगतान सेवा के उपयोग के अनुपात में करना चाहिये, अर्थात् प्रत्येक उपभोक्ता को सीमान्त लागत का भुगतान करना चाहिये और जो सेवा की अधिक मात्रा का उपभोग करें उनको स्थायी लागत का अधिक भाग देना चाहिये अपेक्षाकृत उन व्यक्तियों के जो कम मात्रा का उपभोग करें।

कष्टकारक सेवाएँ केवल स्थान विनोद को ही नहीं बल्कि पूरे देश को ही लाभ पहुँचाती हैं यद्यपि उनका लाभ उन व्यक्तियों को पहुँचता है जो उनका मूल्य कुछ भी नहीं देते, जैसे निर्धन व्यक्तियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, और इसका व्यय उन व्यक्तियों को पूरा करना होना है जो धनी होते हैं या जिनकी सम्पत्ति होती है, जिनको कोई भी प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता। स्पष्टतया यह न्यायोचित नहीं है। स्थानीय करारोपण को न्यायमग्न बनाने के लिये ऐसी सेवाओं का व्यय राज्य सरकारों तथा स्थानीय अधिकारियों को मिल कर पूरा करना चाहिये। इसका एक अच्छा परिणाम यह होगा कि स्थानीय भारों को राज्य कोषों द्वारा पूरा करके व्यक्तियों तथा विभिन्न स्थानों में उचित रूप से बाँटा जा सकता है।⁸

7. *Ibid.*, Page 21.

8. *Ibid.*, Page 22.

विकास को राज्यों की नीति का एक निर्देशक सिद्धान्त (Directive Principle) बनाया गया है और आज प्राग पचायतें भारतीय शासन व्यवस्था की प्रमुख इकाइया हैं।

हमारे देश में दो प्रकार की स्थानीय सस्थाएँ हैं— शहरी तथा ग्रामीण। शहरी में कांफ़ेरेन्स, नगरपालिकाएँ, नगर क्षेत्र समितियाँ, तथा अनुमूचित क्षेत्र समितियाँ (Town Area Committees and Notified Area Committees) हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जिलाबोर्ड, स्थानीय बोर्ड और पचायतें हैं।

स्थानीय सस्थाओं के कार्य—स्थानीय सस्थाओं के कार्य भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार से निर्धारित किये गये हैं। यद्यपि इनके कार्यों की प्रकृति सभी देशों में एक जैसी है किन्तु इनको निर्धारित करने के लिये अलग २ देशों में अलग २ सैद्धान्तिक आधार स्वीकार किये गये हैं। जर्मनी में इनके कार्यों को नियमानुसार निर्धारित नहीं किया जाता वरन् यह सस्थाएँ उन सभी कार्यों को कर सकती हैं, जो कानून द्वारा किसी अन्य सरकार को नहीं दिये गये हैं। अर्थात् यह उन कार्यों को नहीं कर सकती जो किसी अन्य सरकार जैसे सघ सरकार, राज्य सरकार या अन्य स्थानीय सरकार द्वारा किये जाते हैं। इंग्लैंड में यह सस्थाएँ केवल उन्हीं कार्यों को कर सकती हैं जो इन्हें कानून द्वारा सौंप दिये हैं और इन कार्यों के अतिरिक्त यह दूसरे कार्य नहीं कर सकती। रूस में स्थानीय सरकारों के कार्यों को न तो कानून द्वारा निश्चित किया जाता है और न उनके कार्य क्षेत्र पर साधारणतया कोई प्रतिबन्ध ही होता है अर्थात् यह सस्थाएँ सभी प्रकार के कार्य कर सकती हैं। हाँ इतना अवश्य है कि यदि ऊपर के अधिकारी इनके कार्यों को ठीक नहीं समझते तो उनको उस कार्य के करने से रोक सकते हैं। हमारे देश में स्थानीय सस्थाएँ इंग्लैंड के नमूने पर ही स्थापित की गई हैं और इसलिये इन सस्थाओं के कार्य कानून द्वारा स्पष्ट कर दिये गये हैं। हम स्थानीय सस्थाओं में नगरपालिकाओं, नगर कॉरपोरेशन, (Municipal corporation), जिला बोर्डों तथा ग्राम पचायतों के कार्यों का संक्षेप में वर्णन करेंगे।

नगर पालिकाएँ—नगरपालिकाएँ नगरों की व्यवस्था करती हैं और इनके कार्य प्रत्येक स्थान पर लगभग एक से ही हैं। इनके कार्यों को दो भागों में विभाजित किया जाता है—अनिवार्य तथा ऐच्छिक, परन्तु यह वर्गीकरण न तो लोकप्रिय ही है और न सर्व व्यापी ही है, केवल अध्ययन की सुगमता के लिए यह वर्गीकरण कर दिया गया है। अनिवार्य कार्य वे हैं जिनको कानूनन नगरपालिकाओं को करना ही पड़ता है और जहाँ तक ऐच्छिक कार्यों का सम्बन्ध है वे उनकी स्वेच्छा पर निर्भर करते हैं। यह सस्थाएँ साधारणतया ऐसे कार्य करती हैं जिनसे नागरिकों का जीवन उच्चतम बनता है, उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और नागरिकों को नगर सम्बन्धी आधुनिक सेवाएँ प्राप्त होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मरकाई तथा सार्वजनिक कार्य इत्यादि। यह समितियाँ नागरिकों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करती हैं और कहीं कहीं पर माध्यमिक शिक्षा का भी

प्रबन्ध करती है और स्कूलों तथा कालिजों को स्थापित करती है। कहीं कहीं पर तो यह राज्य सरकारों की ओर से निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का भी प्रबन्ध करती है। इसके अतिरिक्त यह नागरिकों के स्वास्थ्य की भी देखभाल करती है। नगर में गन्दे पानी की नालियों को बनवाने और उनकी सफाई करवाने, नागरिकों के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था करने, सड़कों की सफाई, बीमारियों की रोक धाम के लिये गन्दे स्थानों को साफ करवाने तथा टीबे आदि की व्यवस्था करने, गन्दी वस्तुओं के विक्रय को रोकने, नागरिकों की चिकित्सा के लिए दवाखानों को स्थापित करने और उनका चालू रखने तथा नागरिकों को छूत की बीमारियों से बचाने आदि का प्रबन्ध करती है। सार्वजनिक कार्यों में—सड़कों, पुल बाजार, नगर सुधार योजनाओं में नगर में रोशनी करने, उनको साफ रखने तथा पानी छिड़कना, बागों तथा पार्कों को बनवाने, पशु-बध घरों को बनवाने, पुस्तकालयों, चित्रघरों तथा अजायबघरों को स्थापित करने, सड़कों के किनारे पेड़ लगाने आदि की व्यवस्था करती है। इसके अतिरिक्त यह अग्रिम व्यवसायों, मेलों, तमाशों, नूमायशों आदि को नियन्त्रित करती है, पशु-चिकित्सा और माग दूधाने आदि का प्रबन्ध करती है।

नगर कॉरपोरेशन—नगरपालिकाओं की भाँति नगर कॉरपोरेशन भी नगमग ऐसे ही कार्य करते हैं, अन्तर केवल इतना है कि यह अधिक शक्तिशाली होते हैं और इतका कार्य क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है। इन पर राज्य सरकार का उतना नियन्त्रण नहीं होता जितना नगरपालिकाओं का होता है। इनको नर लगाने तथा बमूल करने के अधिकार समितियों की अपेक्षा अधिक प्राप्त होते हैं। भारत में धारा १२ नगर कॉरपोरेशन स्थापित है।

जिला बोर्ड—जिला बोर्डों को भी नगरपालिकाओं की भाँति बहुत से कार्य करने होते हैं जिनमें प्रकृति लगभग वैसे ही होती है जैसी नगरपालिकाओं के कार्यों की होती है। अन्तर केवल इतना होता है कि यह अपने कार्य श्रेणी में करते हैं। अतः यह मन्पाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, सुविधा तथा उन्नति के लिए व्यवस्था करती हैं। यह नई नई सड़कों को बनवाने, पुरानी सड़कों की मरम्मत तथा देखभाल करने, सड़क के किनारे पेड़ लगवाने तथा उनकी देखभाल करने, व्यक्तियों के लिए पानी का प्रबन्ध करने तथा उसको सुरक्षित रखने, सिंचाई के लिए नहरों, तालाबों और कुएँ आदि का प्रबन्ध करने, कृषि के लिए पानी का प्रबन्ध करना, अस्पतालों, चिकित्सालयों, पशु-अस्पतालों, बाजार, पार्क, प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धी स्कूलों और पुस्तकालयों, सड़कों की सफाई तथा बीमारियों की रोक-धाम करने, भालाबा, घाटा की व्यवस्था करना, अकाल तथा बाढ़ के समय में निवारण कार्यों की व्यवस्था करना और कृषि की उन्नति तथा विकास के लिये कृषि-नूमायशों तथा आदर्श फार्मों की व्यवस्था करती है। विगत वर्षों में राज्य सरकारों के सामाजिक न्याय तथा विज्ञान कार्यों में वृद्धि होने से राधा ग्राम पंचायतों के विकास से इन संस्थाओं का महत्त्व बहुत कम हो गया है और

कही कही पर तो इनको बिल्कुल बेकार समझा जाने लगा है। उत्तर-प्रदेश में तो इनको पूर्णतया ममाप्त कर दिया गया है। बंगाल और आसाम राज्यों में चिकित्सा और स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाएँ और मद्रास में सड़कों के निर्माण का कार्य राज्य सरकारों ने अपने हाथ में ले लिया है। इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी जो कार्य जिला बोर्डों द्वारा किये जाते थे वे अब या तो राज्य सरकारों द्वारा या ग्राम पंचायतों द्वारा या विशेष सस्थाओं द्वारा किए जाने लगे हैं।

ग्राम पंचायत—साधारणतया एक गांव में एक पंचायत स्थापित होती है, यद्यपि कभी-कभी एक ही पंचायत कई ग्रामों की भी देखभाल कर सकती है। ग्राम पंचायतों की स्थापना भारत में लगभग सभी राज्यों में हो गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में इनकी संख्या ८३०८७ में बढ़ कर ११७५६३ हो गई थी और आशा की जाती है कि इनकी संख्या दूसरी योजना काल में २४४५६१ हो जायेगी। ग्राम पंचायतों को अनेकों कार्य सौंपे जाते हैं और यह आशा की जाती है कि वे न्याय, पुलिस, नागरिकता सम्बन्धी और आर्थिक सामाजिक सभी कार्य कर सकती हैं। कर जांच आयोग के विचारानुसार ग्राम पंचायतें छोटे-छोटे भूखंडों को तै कर सकती हैं। सड़का, स्कूलों तथा ग्रामीण चिकित्सालयों का प्रबन्ध कर सकती हैं, पीने तथा सिंचाई के लिए पानी की पूर्ति की व्यवस्था कर सकती हैं और यहाँ तक कि खेतों, फसल की विन्नी आदि जैसी उत्पादक और आर्थिक क्रियाएँ भी सम्पन्न कर सकती हैं। परन्तु व्यवहारिक जीवन में पंचायतें साधारणतया यह सारे काम नहीं करती। वे केवल पंचायत घरों तथा फिर कुओं को बनाने और उनकी देखभाल करने, गाँव की कुछ सड़कें तथा नालियों का प्रबन्ध करने, गाँव में रोशनी करने तथा गैरिचिक मजदूरों का संगठन करना, कभी-कभी स्कूलों तथा चिकित्सालयों की इमारतों को बनवाना और जन्म-मरण सम्बन्धी आंकड़ों को एकत्रित करने के कार्य करती हैं, परन्तु सभी स्थानों पर ग्राम पंचायतें यह सारे काम नहीं करती। अधिकतर वे इनमें से दो या तीन कार्य ही करती हैं। इसलिए आयोग का विचार था कि उनके लिए इतने अधिक कार्य सौंपने के स्थान पर केवल कुछ महत्वपूर्ण कार्य ही दिये जायें और उनके कार्य क्षेत्र में से वे कार्य निवाल दिए जायें जो सहकारी समितियों द्वारा किए जा सकते हैं।

नियोजन आयोग के अनुसार ग्राम पंचायतों को निम्न कार्य करने चाहियें। ये कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार हैं और इनका सम्बन्ध देश के आर्थिक विकास में है—

ग्रामों में उत्पत्ति कार्यक्रमों को निर्मित करना, इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए सहकारी समितियों के सहयोग से वित्त तथा अन्य आवश्यकताओं की सूची तैयार करना, एक ऐसे माध्यम का कार्य करना जिससे कि अधिक से अधिक मात्रा में सरकारी सहायता ग्रामों को प्राप्त हो सके, सामान्य भूमियों जैसे जंगल, तालाब, बिना खेती की भूमि आदि को उन्नत करना तथा जमीन के कटाव को रोकना, सामान्य ग्राम इमारतों, कुओं, तालाबों, सड़कों इत्यादि को बनवाना,

परम्परा करवाना और सुरक्षित रखना इन सभी क्रियाओं के लिए परस्पर सहायता और सम्मिलित प्रयत्नों का संगठन करना, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना, सामुदायिक कार्यों के लिए ऐच्छिक धन का संगठन करना, अल्प वयसों को बढ़ावा देना और पशु धन को सुधारना। इन कार्यों के अतिरिक्त पचासवें कुछ भूमि सुधार तथा भूमि व्यवस्था सम्बन्धी कार्य भी सम्पन्न करेगी जैसे सामान्य भूमियों के उपयोग को नियमित करना, ग्राम समुदाय के लाभ के लिए जो भूमि अलग रख दी गई हैं उन पर खेती करना, अपने क्षेत्र में कृषि तथा व्यवस्था के उन्नत स्तरों को अपनाते, उस भूमि को निर्धारित करना जिसका वितरण व्यक्तिगत खेती करने के अधिकारों के प्राप्ति के बाद भूमि के मालिकों तथा कारखानों के बीच होगा, कृषि भूमियों की अधिकतम सीमा के निर्धारित होने के बाद जो अधिक भूमि बचेगी उसको निर्धारित करना और उस भूमि का पुनर्वितरण करना। इनके अतिरिक्त ग्राम-पंचायतों को कुछ न्याय सम्बन्धी कार्य भी करते होंगे जैसे कृषिक मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी को लागू करवाना, भूमि सम्बन्धी साधारण झगड़ों को तै करना तथा अन्य मान तथा फौजदारी के मुकदमा का तै करना।

स्थानीय सस्थाओं की आय के स्रोत—स्थानीय सस्थाओं की आय के मुख्य स्रोत निम्न प्रकार हैं—

(१) कर जिनके अन्तर्गत उन करा का भाग भी सम्मिलित है जो राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाते हैं और वसूल भी निय जाते हैं।

(२) कर के अतिरिक्त अन्य स्रोत।

(३) राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान।

(१) प्रत्येक राज्य में स्थानीय सस्थाओं के लिए कुछ विशेष करों को छोड़ दिया जाता है। यह वर निम्न प्रकार होते हैं—

कम्पत्ति पर कर जैसे पकाना और भूमि पर कर तथा भूमि के हस्तान्तरण पर कर कृषि भूमि उप कर, बिना नमार्ड हुई वृद्धि पर और पूजा के हस्तान्तरण पर लगे हुए कर का अति शोधन (Surcharge) सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त कुछ व्यवसायिक कर जैसे चुगी घाटों तथा नाव-पुलों की आय व्यक्ति कर आदि भी लगाए जाते हैं। स्थानीय सस्थाएँ एक तीसरी प्रकार का कर भी लगाती हैं जो व्यक्तिगत कर कहलाते हैं जिनमें व्यवसायों व्यापारों आदि पर कर, पट्टिपत्तियों और सम्पत्तियों पर कर, धानियों पर कर, कम्पनियों पर कर, मोटर यात्रियाँ पर कर, आदि सम्मिलित हैं। ये सस्थाएँ कुछ विशेष सेवाओं का शुल्क भी प्राप्त करती हैं जैसे व्यक्तिगत घरों में म म बेहतर का काम, मोटर तथा गाड़ियों, गाँवों, वनों बुत्तों आदि की लाईसेंस शुल्क तथा भवानक व्यवसायों को नियन्त्रित करने का लाईसेंस शुल्क।

(२) इनके अतिरिक्त स्थानीय सस्थाओं को कर के अतिरिक्त कुछ अन्य स्रोतों से भी आय प्राप्त होती है जैसे—

भूमि तथा भूमि की उपज की आय, भूमि का लगान तथा मकानों, विधाम

अहो तथा डाक बगलो आदि का मिराया, शिक्षा से आय, चिकित्सालयों से प्राप्त आय, बाजारों का साईंघरो आदि की आय, विनियोगों से आय इत्यादि।

(३) स्थानीय सस्थाओं की आय का अन्तिम स्रोत राज्य सरकारों द्वारा विय गये अनुदान है। अब हम भिन्न-भिन्न स्थानीय सस्थाओं के व्यक्तिगत आय के स्रोतों की विवेचना करेंगे —

नगरपालिकाएँ सम्पत्ति कर, वस्तु कर, व्यक्तिगत कर, तथा गाड़ियों, जानवरों, ध्येटर और चुमायक आदि पर कर लगा कर आय प्राप्त करती हैं। बम्बई मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चुंगी तथा सीमा करों का, नगरपालिकाओं की आय के स्रोतों में एक प्रमुख स्थान है। पश्चिमी बंगाल, बिहार, केरल, मद्रास तथा आसाम में सम्पत्ति करों का विशेष महत्त्व है। नगरपालिकाओं की वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि इनकी आय के स्रोतों में सामान्य रूप से प्रत्यक्ष करों को बहुत कम महत्त्व प्रदान किया गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रत्यक्ष कर लगाने की ओर से पूर्णतया उदासीन है।

नगर कॉरपोरेशनों द्वारा जो कर लगाये जाते हैं वे लगभग वही हैं जो नगरपालिकाओं द्वारा लगाये जाते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि कॉरपोरेशन अपने कार्यक्षेत्र में पूर्णतया स्वतन्त्र होते हैं और इसलिये वे बिना राज्य सरकारों की आज्ञा के अपनी इच्छानुसार कर लगा सकते हैं। केवल इनकी अधिकतम और न्यूनतम सीमाएँ विभिन्न कॉरपोरेशन कानूनों में निर्धारित कर दी जाती हैं फिर भी कॉरपोरेशन के करों की सूची में सम्पत्ति करों का प्रमुख स्थान है।

जिला बोर्डों के कर लगाने की शक्ति अपेक्षाकृत सीमित रहती है। इनका सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कर भूमि कर होता है जो मालगुजारी के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इसके अनिश्चित व्यवसाय कर, सम्पत्ति तथा परिस्थितिओं पर कर, और सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर भी कर लगाये जाते हैं। परन्तु ये कर भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं। ग्राम पंचायतों के विकास के कारण इन सस्थाओं के कर लगाने का अधिकार तथा क्षेत्र बहुत अल्प तक सीमित होते जा रहे हैं।

लगभग प्रत्येक राज्य में ही ग्राम पंचायतें स्थापित हो चुकी हैं। इनके कर लगाने का अधिकार भिन्न-भिन्न प्रांतों में भिन्न-भिन्न है। यह सभी राज्यों में सम्पत्ति पर लगाती है, अधिकतर राज्यों में व्यवसाय कर, भूमि कर, गाड़ियों तथा पशुओं पर कर इत्यादि लगाती हैं और केवल कुछ ही राज्यों में चुंगी, यात्री कर, वस्तुओं की बिक्री पर कर मेल, त्यौहार, शादियाँ इत्यादि पर कर लगाती हैं। इन करों के लगाने तथा बन्द करने या दरों को निर्धारित तथा सशोधित करने के लिये राज्य सरकारों से आज्ञा प्राप्त करनी होती है। राज्य सरकारों ने नहीं बही पर उन नियमों की रचना भी कर दी है जिनके अनुसार यह कर लगाये जाते हैं। क्योंकि पंचायतों का विकास अभी हाल ही में हुआ है इसलिये उन्होंने अपने कर लगाने के अधिकारों का प्रयोग अधिक नहीं किया है। कदाचित् उन्हें व्यक्तियों के विरोध का भी डर है। कर जाँच आयोग के अनुसार तो पंचायतों को उत गमय तक कर लगाने

ही नहीं चाहिये जब तक कि वह पूरा रूप से स्थापित न हो जायें। उस समय तक वे अपना कार्य राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदानों से चलायें और तत्पश्चात् यह ऐसे कर लगायें जिनका भार सभी व्यक्तियों पर पड़। ग्राम पंचायतों ने अभी तक भूमि कर, व्यवसाय कर सम्पत्ति कर तथा जानवरों और गाड़ियों पर कर ही अधिकतर लगाये हैं।

स्थानीय वित्त जाच समिति (सन् १९५१) की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय मस्याओं के लिए कुछ आय के स्रोत तो पूरा निश्चित होने ही चाहिये जैसे रेल, समुद्र तथा हवा के यात्रियों तथा वस्तुओं पर सीमा कर और भूमि तथा इमारतों, गान उद्योग सम्बन्धी अधिकारों पर कर एक विशेष स्थानीय क्षेत्र में उपभोग के लिए याने वाली वस्तुओं पर कर उनकी बिक्री पर कर, बिजली की बिक्री पर कर, समाचार पत्रों के अतिरिक्त अन्य प्रचारक विज्ञापनों पर कर उन गाड़ियों पर कर जो मशीन द्वारा संचालित नहीं होती जातवरा तांबों, व्यंगतयों तथा व्यापारों, नौकरियों मनोरंजन आदि पर कर।

कर जाच आयोग का भी यही विचार था और उनकी सिफारिश भी कि जो कर राज्य सरकारों द्वारा इस समय लगाये जा रहे हैं उन पर से वे अपना अधिकार धीरे धीरे हटाल और स्थानीय मस्याओं को सौंप दें। आयोग का विचार था कि स्थानीय वित्त जाच समिति द्वारा सिफारिश किये गए सभी कर स्थानीय मस्याओं के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। इनके अनुसार सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर कर तो स्थानीय सरकारों ही लगाएँ परन्तु राज्य सरकार उनको स्थानीय मस्याओं को और से एकजित कर। इसी प्रकार रेल समुद्र तथा हवाई यात्रियों तथा वस्तुओं पर जो सीमा कर लगाय जाय उनको मध्य सरकार स्थानीय मस्याओं को और से लगाय और प्रमूल करे जाकी कगो को स्थानीय मस्याय ही लागू करें। आयोग का प्रस्ताव था कि स्थानीय मस्याओं को कर व्यवस्था को सौंपपूरा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकारें करों की अधिकतम तथा न्यूनतम दरें निर्धारित कर दें। ऐसा करने से इनको जैसी प्रथा प्रचलित है हर कर लगाने से पहले राज्य सरकार को आज्ञा नहीं लेनी होगी।

अहाँ तक उस आय का सम्बन्ध है जो स्थानीय मस्याओं को उन कुछ करों के हिस्से के रूप में प्राप्त होती है जो राज्य सरकारों द्वारा लगाए तथा बहुत किये जाते हैं, उनकी राशि बहुत ही कम होती है। स्थानीय मस्याओं को माटर-गाड़ी कर के बदले में कुछ मुआवजा प्राप्त होता है। कुछ राज्यों में अभी हाल ही में मालगुजारी में से भी इन मस्याओं को हिस्सा देना आरम्भ कर दिया गया है और कुछ राज्यों में मनोरंजन कर में से भी कुछ भाग दिया जाता है। कर जाच आयोग इन प्रकार के बदवारे के अधिक पक्ष में नहीं था। उनका प्रस्ताव था कि मालगुजारी में से कम से कम १५% भाग ग्राम पंचायतों को दे दिया जाये।

स्थानीय मस्याओं को कर के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी अधिक ग्राम प्राप्त नहीं होती है कुछ नगरपालिकायें तथा कारपोरेशन पानी तथा बिजली की पूर्ति

और सड़क यातायात की व्यवस्था कर रही है। परन्तु इनकी सख्या बहुत ही कम है। कुछ राज्यों में तो राज्य सरकारों ने स्वयं ही इन सेवाओं को प्रदान करना आरम्भ कर दिया है। कर जाँच आयोग का प्रस्ताव था कि नगरपालिकाओं को विशेष रूप से कॉरपोरेशन को अधिक से अधिक सहायता में इन सेवाओं को अपने हाथ में ले लेना चाहिए।

यद्यपि राज्य सरकारें स्थानीय सस्थाओं को अनुदानों द्वारा सहायता प्रदान करती हैं परन्तु यह आय का एक बड़ा स्रोत नहीं है। यह सहायता मुख्य रूप से विभिन्न योजनाओं की पूंजीगत लागतों के कुछ भाग को पूरा करने के लिये दी जाती है, जैसे वाटर वर्क, नालियों सम्बन्धी योजना, प्रारम्भिक स्कुलों की स्थापना तथा प्रबन्ध, अस्पतालों, शिशु कल्याण केन्द्रों, जन स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों इत्यादि। यह अनुदान अधिकतर कुछ विशेष खर्चों के लिये निश्चित अनुपात में दिये जाते हैं और इसलिये इनका किसी सस्था विशेष की आवश्यकताओं से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं होता। स्थानीय वित्त में इन अनुदानों का कितना महत्त्व है, इसका उल्लेख हम स्थानीय सस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने समय करेंगे। नगरपालिकाओं तथा कॉरपोरेशन को कुछ बड़ी बड़ी योजनाओं के लिये ऋण तथा आर्थिक सहायता भी प्राप्त करनी पड़ती है। परन्तु वे अधिकतर अपने प्रयास में सफल नहीं होते। कर जाँच आयोग का मुभाव था कि राज्य सरकारें इन सस्थाओं को ऋण दें और आर्थिक सहायता प्रदान करें।

स्थानीय सस्थाओं की आय के मुख्य मुख्य स्रोतों की विवेचना—नगरपालिकाओं को कुल आय का लगभग ३ भाग या ६०% करो से प्राप्त होता है। जिला बोर्डों को लगभग ३ भाग या ३२% करा से प्राप्त होता है। हम ऊपर कह चुके हैं कि स्थानीय सस्थाओं की आय के स्रोतों में सम्पत्ति करों का बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसलिये हम सबसे पहले सम्पत्ति कर का ही उल्लेख करेंगे —

सम्पत्ति कर—सम्पत्ति कर अधिकतर वे कर होते हैं जो अचल सम्पत्ति के क्रय, विक्रय, मुधार आदि पर लगाय जाते हैं। यह कर चार प्रकार के हो सकते हैं, भूमि तथा इमारतों पर कर, विना कमाई हुई वृद्धि पर कर, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर कर और भूमि तथा कृषि भूमि की उपज पर कर। कर जाँच आयोग ने अनुमान लगाया था कि सन् १९५२-५३ में नगरपालिकाओं को इस कर से ५२३ करोड़ रूपयों की आय प्राप्त हुई थी। सम्पत्ति कर, जो भूमि तथा इमारतों पर लगाय जाते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं अर्थात् सामान्य सम्पत्ति कर तथा सेवा कर। प्रथम प्रकार के कर सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य पर लगाये जाते हैं। परन्तु सम्पत्ति का मूल्य निर्धारित करना सरल नहीं होता इसलिये स्थानीय वित्त जान समिति का विचार था कि लगान को ही कर का आधार बनाए रखना चाहिए। हमारे देश में सम्पत्ति कर की दर प्रत्येक भूमि के लिये समान होती है, परन्तु स्थानीय वित्त समिति का प्रस्ताव था कि इस कर को प्रगतिशील बनाया जाये और किसी प्रकार की भी छूट न दी जाये। कर जाँच आयोग इन छूटों के पक्ष में था, क्योंकि उसने अनुसार न्याय की

दृष्टि से निर्धन व्यक्तियों को भूमि पर कोई कर नहीं लगाना चाहिये। सेवा करो के अन्तर्गत पानी की पूर्ति, नालियाँ, गलियों तथा सबकी की सफाई, शिक्षा, रोशनी आदि का प्रबन्ध करने के लिये जो सम्पत्ति कर लगाए जाते हैं वे इसके अन्तर्गत आते हैं। इनका निर्धारण भी सम्पत्ति के लगान के अनुसार होता है। सम्पत्ति करो में सबसे बड़ी कठिनाई दरो के निर्धारित करने के सम्बन्ध में होती है। आयोक्त के अनुसार अधिकतर नगरपालिकाओं के कर निर्धारित करने के आधार दोषपूर्ण है। इसके अतिरिक्त सम्पत्ति पर कई और से कर लगाया जाता है। अर्थात् राज्य सरकारें भी कर लगाती हैं और स्थानीय मन्थार्यों भी, जिससे कर दाताओं पर कर का भार बहुत अधिक हो जाता है और दोनों में समन्वय भी स्थापित नहीं होता है। इसलिये कर जाँच आयोग का मुभाव था कि राज्य सरकारों को सम्पत्ति पर कर नहीं लगाना चाहिये। कभी २ नगर विकास या नगर सुधार योजनाओं के कार्यान्वित होने से नगर में स्थित भूमि या इमारतों के मूल्य बढ़ जाते हैं। जिन नगरों में नगर-सुधार ट्रस्ट होते हैं वहाँ पर यह ट्रस्ट सम्पत्ति की इन प्रकार मूल्य वृद्धि पर उपकार कर (Betterment Tax) लगाते हैं और अन्य स्थानों पर नगरपालिकाएँ और नगर कांसोरेसन को यह कर लगाने का अधिकार प्राप्त होता है। परन्तु इस कर को लगाने में अनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होनी हैं जैसे विभिन्न इमारतों तथा सम्पत्तियों में यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि किसको कितना लाभ हुआ है और किसके मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है। इसमें मूकदमेवाजी भी काफ़ी होती है। कर जाँच आयोग का मुभाव है कि अधिकतर इन्हीं करा को लगाया जाए और इनकी दर सम्पत्ति की मूल्य वृद्धि की कम से कम आधी होनी चाहिये। कुछ राज्यों में सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर भी कर लगाया जाता है। इस कर की दर पूर्व निर्दिष्ट होगी है और राज्य सरकारें इसे एकत्रित करती हैं। कर जाँच आयोग के अनुसार यह बहुत ही उपयुक्त कर है और उनकी निष्कारिता है कि इसका प्रयोग अन्य राज्यों में भी किया जाय। जिला बोर्डों की आय मुख्य रूप से भूमि उपकारों (Land Cesses) से प्राप्त होती है। कुछ राज्यों में यह भी व्यवस्था की गई है, कि इनकी आय का कुछ भाग पचायता को भी दिया जाय और कुछ राज्यों में पचायतों स्वयं इस कर को लगाती हैं। यह कर मालगुजारी पर अतिरिक्त कर के रूप में लगाया जाता है और स्थानीय सरकारों की ओर से राज्य सरकारें इस कर को मालगुजारी के साथ-साथ वसूल करती हैं। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन से इस कर को मालगुजारी में ही मिला दिया गया था और राज्य सरकार जिला बोर्डों को केवल मुआवजा अनुदान देती थी।

पेन्गी तथा सीमा कर—भारत में बहुत से राज्यों में नगरपालिकाओं की आय का यह मुख्य स्रोत है। यह इतना लाभप्रद है कि ग्राम पचायता ने भी इनको लगाना आरम्भ कर दिया है। किसी विशेष क्षेत्र में वस्तुओं या याचियों के आने तथा जाने पर सीमा कर लगाया जाता है और जूनी उन वस्तुओं पर लगाई जाती हैं जो किसी क्षेत्र में बिक्री या उपभोग के लिए आती हैं या उन क्षेत्र से बाहर जाती

हैं। सीमा कर प्रत्येक परिस्थिति में वस्तुओं के किसी विशेष क्षेत्र में से जाने तथा आने पर लगाया जाता है चाहे उस क्षेत्र में वह वस्तु बिके या न बिके। दूसरी ओर चुंगी केवल वस्तुओं के आने पर लगाई जाती है और यदि वे ही वस्तुएं दुबारा उग क्षेत्र से बाहर भेजी जायें तो चुंगी से वसूल की गई राशि को लौटाना पड़ेगा। जिन वस्तुओं या व्यक्तियों का हस्तान्तरण रेलों, समुद्री या हवाई यातायात द्वारा होता है उन पर सभ्य सरकार सीमा कर लगाती है और उनसे प्राप्त हुई राशि को राज्य सरकारों में बांट देती है। जिन वस्तुओं या यात्रियों का हस्तान्तरण सड़कों या नदियों द्वारा होता है उन पर सीमा कर राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है और उपभोग या बिक्री के स्थानीय क्षेत्रों में आने वाली या बाहर जाने वाली वस्तुओं पर भी राज्य सरकारें ही कर लगाती हैं। दोनों ही कर अपने-अपने स्थान पर अच्छे हैं। सीमा करों में वस्तुओं के क्षेत्र से बाहर जाते समय कर की राशि को वापिस करने का भगवा नहीं होता है जैसा कि चुंगी में है। वापिसी से वस्तुओं के आने जाने में केवल देर ही नहीं होती बल्कि भ्रष्टाचार को भी प्रोत्साहन मिलता है। इन्हीं कारणों से चुंगी वस्तुओं के स्वतन्त्र प्रवाह में रुकावटें उत्पन्न होती हैं। चुंगी की अपेक्ष्य सीमा कर में एक मूल यह भी है कि रेलों से आने जाने वाली वस्तुओं पर रेलों के भाड़ों के साथ-साथ ही सीमा कर भी वसूल किया जा सकता है और इस प्रकार एकत्रित की गई राशि को नगरपालिकाओं को दिया जा सकता है। नगरपालिकाओं को यह आय बिना किसी खर्च के ही प्राप्त हो सकती है। ऐसा होने से न तो व्यापारियों को ही परेशानी होती है और न कर की चोरी ही होती है। इसके अतिरिक्त एक लाभ यह भी है कि सीमा कर लगाने के लिए वस्तुओं का वर्गीकरण मनमाने ढंग से करने की आवश्यकता नहीं होती है। वस्तुओं का वही वर्गीकरण अपनाया जा सकता है जो रेलों द्वारा किया जाता है। यह ध्यान रहे कि सड़कों द्वारा वस्तुओं के स्थानान्तरण पर सीमा कर वसूल करने के लिए बिल्कुल ही अलग व्यवस्था करनी होती है। साथ ही यह भी कठिनाई होती है कि यदि स्थानीय सरकारें वस्तुओं पर बहुत ऊँचा सीमा कर लगा देगी तो व्यक्ति रेलों से अपनी वस्तुओं को भेजना बन्द कर देंगे और इस प्रकार रेलों की आय भी कम हो जायगी। यही कारण था कि सीमा करों को सभ्य सरकार के करों की सूची में सम्मिलित किया गया है। भीमा करों में एक कठिनाई यह भी है कि सड़क द्वारा दूर स्थानों पर वस्तुओं के जाने में एक ही वस्तुओं पर कई बार कर लग जाता है। इसके अतिरिक्त इन दोनों ही करों में कर वसूल करने में बहुत अधिक खर्चा होता है तथा व्यापारियों को बहुत सी अनुविधायें होती हैं और भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। कर जब आयोग का विचार था कि चुंगी कर की व्यवस्था को अधिक सरल बनाया जाय तथा नगरपालिकाओं के लाभ के लिए जहाँ पर उचित हो सभ्य सरकार और भी कर लागू करे। आयोग ने चुंगी कर व्यवस्था में निम्न दिशाओं में सुधार करने की सिफारिश की है—

देरी तथा अनुविधायों को रोकने के लिये वस्तुओं पर मूल्यानुसार कर न लगाया जाय बल्कि तजानानुसार लगाया जाय। चुंगी की आदर्श दरें राज्य सरकारों

द्वारा निर्धारित कर दी जाये और उन वस्तुओं पर कर न लगाया जाय जिनमें अनविधा होने की सम्भावना होती है। छोटे कर्मचारियों पर ऊँचे अफसरों द्वारा कड़ा नियन्त्रण रखा जाय ताकि भ्रष्टाचार न बढे, खाद्य पदार्थों पर भुंजी की वर्तमान दर में वृद्धि के लिए साधारणतया राज्य सरकार की भ्रष्टा नही देनी चाहिये। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये दोनों कर बहुत उत्पादक हैं किन्तु यह भी सच है कि इनसे आन्तरिक व्यापार से हानि होती है और यह प्रतियोगी होत है। नुगी कर के बारे में स्टाम्प का कहना था कि 'इसमें लगभग प्रत्येक बुगई' है।^{१०} कुछ स्थानों पर यात्री कर भी लगाया जाता है। यह यात्रियों पर सीमा कर होता है। यह भी रेलों द्वारा लगाया जाता है और रेल के किराया में ही सम्मिलित कर दिया जाता है। इस कर के लागू करने का मुख्य कारण यह है कि लोगों का विचार है कि यदाकि स्थानीय मन्दाय बाहर में यात्रे वाल यात्रियों को अनेकों सुविधाय प्रदान करने में बहुत लक्ष्य करती है इसलिए इस लक्ष्य में कुछ हाथ यात्रियों को भी बढाना चाहिये। कर आच प्रायोग का विचार था कि लम्बे सफर वाले यात्रिया पर भी सीमा कर बहुत नीची दरों में लगाया जाय।

व्यवसाय तथा पेशों पर कर—शामान की छोड़कर अग राज्य में यह कर स्थानीय मन्दायों द्वारा लगाया जाता है। सामान में इस कर को राज्य सरकार लगाती है। भद्राक्ष आध और पहिलमी बंगाल के अतिरिक्त अन्य राज्या में इस कर का कोई विशेष महत्त्व नहीं है। विभिन्न अर्थ व्यवसायों तथा व्यापारों के लिए कर की दरें भिन्न भिन्न होती हैं। परन्तु कुछ राज्यों में लगभग समान दर रखी जाती है।

गाड़ियों तथा नावों और पशुओं पर कर—यह कर शामान तथा सहरो में भी स्थानीय सरकारों द्वारा लगाय जाते हैं। बम्बई को छोड़कर अन्य राज्यों में मोटारों पर कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है परन्तु बम्बई में यह स्थानीय सरकार लगाती है। जिन राज्या में यह कर राज्य सरकार लगाती है वहाँ पर वे स्थानीय सरकारों को कुछ मुआवजा देती हैं क्योंकि मोटर कर की प्रायः दिन प्रतिदिन बढती ही जा रही है इसलिए कर आयोग का सुझाव था कि मुआवजा को एक निश्चित राशि के स्थान पर स्थानीय सरकारों को कर को प्रायः का एक निश्चित भाग मिलना चाहिये।

मार्ग शुल्क (Toll Tax)—मार्ग शुल्क भी व्यवसायिक कर परिवार का एक सदस्य है और यह किसी विशेष क्षेत्र या निष्प स्थानों में आने वाले या वहाँ से गुजरने वाले व्यक्तियों गाड़ियों तथा जगहों पर लगाया जाता है। यह कर प्रतिगायी होते हैं क्योंकि इनकी दर गरीबों तथा अमीरों के लिए एक सी ही रहती है। उन्नतिशील देशों में इस कर को समाप्त कर दिया गया है परन्तु भारत में इस का प्रयोग लगभग सभी स्थानीय सरकार कर रही हैं। कर आच प्रायोग का सुझाव था कि इस कर को एक दम बन्द कर दिया जाय और केवल ५ लाख रुपयों से अधिक लागत के पुलों पर यह कर लगाया जाय और पुल की लागत निकल आने

पर इस कर को बन्द कर दिया जाये। स्थानीय सरकारों की आय में जो कमी हो उसको पूरा करने के लिये राज्य सरकारें मोटर कर में से एक भाग स्थानीय सरकारों को दे दे।

स्थानीय संस्थाओं का व्यय—सन् १९४६-४७ के आँकड़ों के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि नगरपालिकाओं की अपेक्षा जिला बोर्ड अधिक जनसंख्या की सेवा करते हैं। उस वर्ष नगर क्षेत्रों में कुल जनसंख्या २ करोड़ १९ लाख थी जबकि जिला बोर्डों के क्षेत्र में कुल जनसंख्या २० करोड़ ४५ लाख के लगभग थी। इसीलिये दोनों संस्थाओं के व्यय में १० और १ का अनुपात था। स्थानीय सरकारों के व्यय की मही को तीन बड़े-बड़े भागों में विभाजित किया जा सकता है अर्थात् शिक्षा, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य और सवादावाहन। इनमें से प्रत्येक का वर्णन हम निम्न पृष्ठों में करेंगे—

शिक्षा—हमारे मविधान के अनुसार राज्य सरकारों को सविधान लागू होने से १० वर्षों के अन्दर ही १४ वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिये निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। इस उद्देश्य की ओर अग्रसर होने में स्थानीय सरकार ने व्यय में वृद्धि हुई है। उत्तर-प्रदेश में सन् १९१९ में प्रारम्भिक शिक्षा एक्ट पास हुआ था जिसके अनुसार केवल शहरी क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। सन् १९२६ में जिला बोर्ड प्रारम्भिक शिक्षा एक्ट बन जाने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था आरम्भ हो गई। इस समय उत्तर प्रदेश के ३६ नगरों में लड़कों के लिये अनिवार्य शिक्षा चालू कर दी गई है और २६ जिला बोर्डों के चुने हुए क्षेत्रों में भी अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा रही है। लड़कियों के लिये अनिवार्य शिक्षा लखनऊ और इटावा के जिला बोर्डों के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में तथा मिर्जापुर और मथुरा की नगरपालिकाओं में की गई है। इटावा के जिला बोर्डों को शिक्षा का पूरा व्यय राज्य सरकार देती है जबकि अन्य क्षेत्रों में खर्च का दो तिहाई भाग राज्य सरकार देती है। पिछले १० वर्षों में कुल व्यय में लगभग ११% की वृद्धि केवल शिक्षा के कारण ही हुई है। परन्तु खेद की बात यह है कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में अनेकों स्थान देखने में ऐसे आते हैं जहाँ पर छोटे-छोटे लड़कों और लड़कियों के लिये शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिये मीलों दूर जाना पड़ता है और फिर भी न तो स्कूलों में उचित शिक्षा ही प्रदान की जाती है और न बच्चों के चरित्र की ही ओर कोई ध्यान दिया जाता है। बात यह है कि इन स्कूलों में शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है, इनके पास पर्याप्त सामान भी नहीं है और अध्यापकों को इतना कम वेतन दिया जाता है कि उनको अपनी जीविका कमाने के लिये अन्य स्रोतों को खोजना पड़ता है। इसलिये वे बच्चों को पढ़ाने की ओर उचित ध्यान नहीं देते और रुचि भी नहीं दिखाते। यदि देश में अच्छे नागरिकों को जन्म देना है तो यह आवश्यक है कि शिक्षा का उचित प्रबन्ध किया जाय और ऐसे अध्यापकों रखे जाय जो उचित शिक्षा प्रदान कर सकें और इन अध्यापकों के वेतन का भी उचित प्रबन्ध होना चाहिये।

चिकित्सा तथा स्वास्थ्य—यह स्थानीय सरकारों का द्वारा महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य में कई कार्य सम्मिलित हैं जैसे चिकित्सा के लिए अस्पतालों, दवाइयाँ, डाक्टरों आदि का प्रबंध करना और रोग निवारण के लिए अन्य उपाय करने, गन्दे पानी की निकासी के लिए नालियों का उचित प्रबंध करना कूड़े के ढेरों को साफ कराना, सड़कों तथा मड़ियों और मेलों के स्थान की सफाई, खाने पीने की वस्तुओं की विक्री का उचित प्रबंध, शहरो तथा गाव में पानी की व्यवस्था इत्यादि। इस मद्द पर नगरपालिकाओं का कुल व्यय लगभग ५ करोड़ रुपया था। जिला बोर्डों का व्यय बहुत कम था क्योंकि उन्हें गन्दे पानी की निकासी तथा कूड़े की सफाई, सड़कों की सफाई और पानी की व्यवस्था नहीं करनी होती है। इसलिए इनका कुल व्यय १ करोड़ ७७ लाख रुपयों से कुछ ही अधिक था। जन साधारण के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी इन्हीं सस्थाओं पर होती है। यह बीमारियाँ तथा महामारियाँ को फैलने से रोकने का काम करती हैं और इस सम्बन्ध में उनको बहुत म काम करने होते हैं जैसे अपने अपने क्षेत्रों में सफाई रखना, कूड़े और गन्दगी को दूर न होने देना, नालियों गौचालयों तथा मूत्रालयों की व्यवस्था करना, बरिस्ताना तथा शमशान घाटों की व्यवस्था करना छूत की बीमारियों को न फैलने देने के लिए टीके आदि का प्रबंध करना, अस्पतालों तथा चिकित्सालयों की व्यवस्था करना इत्यादि।

समादवाहन—स्थानीय सस्थाओं का सड़कों पुलों घाटों इत्यादि को बनवाना और उनकी भी मरम्मत करवानी होती है तथा सड़कों के बिगड़े पेट भी लगवाने होते हैं। सन् १९४४-४५ में इन सरकारों के आधीन केवल १,६५,८५६ मील लम्बी सड़कें थी जिनकी देखभाल तथा मरम्मत पर लगभग २८१ लाख रुपया खर्च हो रहा था। उसी वर्ष में सार्वजनिक निर्माण विभाग के आधीन ४१,०३२ मील लम्बी सड़कें थी जिन पर यह विभाग ४३० लाख रुपया खर्च कर रहा था। इन स्थानीय सरकारों का सड़कों पर औसत खर्च १६६ रुपया प्रति मील था जबकि अन्य सड़कों पर यह व्यय १,०४८ रुपया प्रति मील था। स्वाभाविक ही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सड़कें अधिक मजबूत और टिकाऊ होंगी और स्थानीय गन्दाओं द्वारा जिन सड़कों की व्यवस्था हो रही है उनकी स्थिति अवश्य ही दीर्घनीय होगी इसलिए यदि सड़कों की स्थिति को सुधारना है तो सड़कों की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा ही होनी चाहिए। समादवाहन के लिए राज्य सरकार स्थानीय सरकारों को दो प्रकार से महामता देती है एक तो अपनी प्राय म से और दूसरे उत्तर प्रदेश सड़क विकास कोष में से।

स्थानीय सस्थाओं की समस्याएँ—

हमारे देश में स्थानीय सस्थाओं को जो कार्य सौंपे गये हैं वे बहुत ही विस्तृत हैं। वास्तव में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बर्हान तथा उन्नति के लिये इन्हीं सस्थाओं को जिम्मेदार बनाया गया है। परन्तु उनकी आय के माधन बहुत ही

सोमित है। इनके साधन इतने कम हैं कि कहीं कहीं पर तो यह सस्यायें अनिवार्य कार्यों तक को सम्पन्न करने में असमर्थ रहती हैं। स्थानीय सस्यायों की आय कम होने के कारण यह अपने कार्यों को इतनी कुशलता से सम्पन्न नहीं कर पा रही हैं जितनी कुशलता से इनको करना चाहिए, और इसलिए इनसे देन को आशातीत लाभ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। ऊपर से देखने पर तो इन सस्यायों की आय और व्यय सम्बन्धी आँकड़े काफी सतोपजनक प्रतीत होते हैं परन्तु यदि प्रति व्यक्ति आय और व्यय का अध्ययन किया जाये तो स्पष्ट हो जाता है कि इनकी दशा अत्यन्त ही शोचनीय है। बात यह है कि प्रारम्भिक काल में जो साधन इनको सौंपे गये वे बेलोच होते हुए भी इनके लिए उस समय पर्याप्त थे क्योंकि उस समय आय को तुलना में इनका व्यय बहुत कम था। परन्तु जैसे जैसे समय की प्रगति हुई और राजकीय सरकारों का कार्य क्षेत्र विस्तृत होता गया, इन सस्यायों का व्यय भी बढ़ता गया। किन्तु इनके व्यय के बढ़ने के साथ साथ आय में उतनी वृद्धि नहीं हुई। परिणामस्वरूप इन सस्यायों को बहुत ही दुरा समय देखना पड़ा और इन्होंने नागरिकों को भी बहुत कम सुविधायें प्रदान कीं। इसीलिए यह सस्यायें अधिक लोक-प्रिय नहीं हो पाईं। एक अनुमान के अनुसार नगरपालिकाओं की प्रति व्यक्ति आय केवल ७ रुपये १२ आने १ पाई प्रतिवर्ष है और जिला बोर्डों की १३ आने २ पाई प्रति व्यक्ति है। इतनी कम आय होते हुए यह आशा करना, कि यह सस्यायें अपना कार्य कुशलतापूर्वक कर सकेंगी, निराधार है। स्थिति इतनी खराब है कि ८०% गाँव में प्रारम्भिक स्कूल नहीं हैं, गाँव से शहरों तथा रेलवे स्टेशनों से मिलाने वाली सड़कें नहीं हैं और गाँव में भी जो सड़कें हैं उन पर वर्षों के दिनों में मफर करना सम्भव नहीं होना। गन्दे पानी के निकालने की व्यवस्था नहीं के बराबर है, और गंजा तथा कूड़ा करकट उठवाने का उचित प्रबन्ध नहीं है। विगत वर्षों में इन सस्यायों के कार्यों की सख्या तो बढ़ती गई है परन्तु इनकी आय के साधन यथा स्थिर रहे हैं। परिणामस्वरूप अधिकांश सस्यायें अपने कार्यों को राज्य सरकारों को दे देने पर विवश हैं। एक ओर तो स्थानीय सस्यायें निराश तथा हतोत्साहित होकर राज्य सरकारों को सौंपना चाहती हैं और दूसरी ओर यह दुःख देखने में आता है कि राज्य सरकारें स्थानीय सस्यायों को नये नये कार्य सौंपती जा रही हैं। एक यह भी प्रवृत्ति देखने में आती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जैसी मुख्य सेवाओं को राज्य सरकारों ने अपने हाथों में ले लिया है। उत्तर प्रदेश में स्यूट की बीमारियाँ के अस्पताल तथा शिक्षा सस्यायों को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और सड़कों की रक्षा का कार्य भी सरकार स्वयं ही कर रही है। दूसरी ओर ग्राम पंचायतों को बड़ावा दिया जा रहा है और उनके कार्यों की सख्या को बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि कुछ ऐसा विश्वास है कि पंचायतें प्रजातान्त्रिक राज्य के लिए व्यक्ति की कुशल नागरिक बना सकेंगी। अतः स्थानीय सस्यायों के वित्तीय मगडन से सम्बन्धित निम्न समस्याओं को सुनभाना परम आवश्यक है—

(१) स्थानीय सस्यायों को कार्यों को सौंपते समय इन बातों को ध्यान में

रखा जाये कि राज्य सरकार तथा स्थानीय मस्याओं के बीच जा साधनों का वितरण हो उसमें और कार्यों के वितरण में किसी प्रकार का भी असमबुलन न रहे ।

(२) स्थानीय मस्याओं के वर्तमान नाशना तथा उनकी आय प्राप्त करने के अधिकारों की निम्नवृत्त जाच की जाय ।

(३) स्थानीय सरकारों तथा राज्य सरकारों के बीच आय के साधनों का समुचित वितरण हो ।

(४) स्थानीय मस्याओं को राज्य सरकारों में प्राप्त होने वाले अनुदानों सम्बन्धी निम्नलिखित की पूरी जाच की जाय ।

(५) भविष्य में स्थानीय मस्याओं की आय के माध्याम में किस प्रकार वृद्धि हो सकती है और उनकी आय कुशलता में कम उन्नति की जा सकती है इन बातों की भी पूरा जाच की जाय ।

हम सभी इन बातों में सहमत हैं कि स्थानीय मस्याओं की आर्थिक दशा बहुत ही खराब है और उनको सुधराने में आर्थिक सहायता प्राप्त होनी चाहिए । याम्यन में स्थानीय मस्याओं के कुशलतापूर्वक काम न कर पाने का प्रमुख कारण यही है कि उनका अपन कार्यों को सम्भाल करने के लिए आवश्यक धन नहीं होता । हम सभी उनकी आलोचना तो करने हैं परन्तु उनकी दिवशाता की ओर ध्यान नहीं देते । राज्य सरकारों में तो गतवर्षों में कुछ ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है कि वह स्थानीय मस्याओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के स्थान पर उनके प्रबन्ध, अधिदाग तथा कर्तव्यों का ही अपन शोध में लगी है । ऐसी नीति न्यायाचित नहीं है । प्रजातान्त्रिक प्रशासन के लिये प्रशासन का विकेन्द्रीयकरण बहुत ही आवश्यक होता है और यदि राज्य सरकारें इसी तरह धीरे धीरे स्थानीय सरकारों को हट्ट करती गईं तो न तो अच्छे नागरिक ही उत्पन्न हों सकेंगे और न दश में प्रजातन्त्र का जीवन ही स्थायी बन सकेगा । स्थानीय वित्त जांच समिति ने ठीक ही कहा है कि स्थानीय मस्याओं से राज्य सरकारों को सभी कार्यों का हम्मानागण एक प्रतिवामी काय है जिसे बन्द होना चाहिए ।" भारत जैसे देश के लिए तो यह परम आवश्यक है । भारत में प्रजातन्त्र अर्थात् अपनी पिशु अवस्था में ही है । सभी भाग्यवाणी प्रशासन सम्बन्धी कार्यों में निपुण नहीं हैं । बिना जनता के गृहयोग के प्रशासन सफल नहीं हो सकता और जनता का सहायण उन्हीं समय प्राप्त हो सकता है जबकि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों को सम्भले । इसलिए अच्छे नागरिक उत्पन्न करने के लिए तथा व्यक्तियों को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थानीय सरकारों का होना बहुत आवश्यक है । इसलिए उनका अन्त करने के स्थान पर उनकी आर्थिक दशा को सुधराने उन्नत कर दिया जाए कि वे अपने कर्तव्यों का पालन सुधार रूप में कर सकें । भारत में अधिकतर आय के स्रोत जो राज्य सरकारों को दिये गये हैं वे खोचदार हैं और जो स्थानीय सरकारों का श्रेय गये हैं वे बेबोच हैं । पादचार्य दश में बिना कर, मनोरजन कर,

तथा भूमि कर जो स्थानीय सस्थाओं की आय के मुख्य स्रोत हैं वे भारत में राज्य-सरकारों ने अपने पास रक्ते हैं इसलिए यह आवश्यक है कि आय के साधनों का राज्य सरकारों तथा स्थानीय सस्थाओं में बँटवारा फिर से किया जाए या उन्हें आय के और अधिक स्रोत सौंप दिये जायें।

स्थानीय सस्थाओं की हीन दशा तथा हीन कार्यकुशलता का एक मात्र कारण यही नहीं है कि उनके पास आय के स्रोत नहीं हैं वरन् इसका एक कारण यह भी है कि स्थानीय सरकारें अपने वर्तमान आर्थिक अधिकारों तथा साधनों का उपयोग भली प्रकार नहीं कर रही हैं। इनकी आलोचना इस आधार पर बड़े कड़े शब्दों में की जाती है। यह मर्यादा करारोपण में पक्षपात से काम लेती हैं और कर जमून् करने में भी ढीलापन दिखाती हैं। इन सस्थाओं के गहन अध्ययन के पश्चात् इनके कुछ मौलिक दोष दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे करों में पक्षपात करना तथा उनको बमूल करने में कुशलता का अभाव रहना; विरोध तथा आलोचना के भय के कारण उन करों को भी न लगाना जिनके लिए राज्य सरकारों ने आज्ञा दे रखी है, शासन की अकुशलता तथा शासन प्रबन्ध में निरीक्षण, नियन्त्रण तथा नियमितता का अभाव और आर्थिक सहायता के लिए सर्वदै ही राज्य सरकारों का मुँह ताकना।

इसमें तो कोई मन्देह नहीं है कि स्थानीय सरकारों के शासन प्रबन्ध अकुशल है। परन्तु इसका प्रमुख कारण यह ही है कि इनकी आय के साधन पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए राज्य सरकारों को चाहिये कि वे इन सस्थाओं को उन करों को लगाने के लिये वाध्य करें जिनका उपयोग वह अभी तक नहीं कर पाई हैं। राज्य सरकारों को यह भी चाहिये कि वे उन प्रतिबन्धों को भी हटा दें जो उन्होंने स्थानीय सरकारों के अधिकारों तथा उनकी क्षमताओं पर लगा रखे हैं। वास्तव में आय के किसी भी नये साधन को अपनाने के लिये स्थानीय सरकारों को राज्य सरकारों से आज्ञा लेनी होती है। इस व्यवस्था का सबसे बुरा परिणाम यह होता है कि शासन प्रबन्ध की अकुशलता तथा उसकी हीन दशा के लिये यह निश्चय करना कठिन हो जाता है कि किसको जिम्मेदार बनाया जाय अर्थात् इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है या स्थानीय सरकारों पर? बात यह है कि इस प्रकार की व्यवस्था से उत्तरदायित्व राज्य सरकारों तथा स्थानीय सरकारों के बीच बट जाता है और यह कहना कठिन हो जाता है कि स्थानीय सस्थाओं की निर्धनता इस कारण है कि वे करों का प्रयोग नहीं करती या इस कारण कि राज्य सरकारें उनके प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करती। इसके अतिरिक्त करों की कोई ऐसी सूची भी नहीं है जिसके आधार पर यह निश्चित किया जा सके कि अगुक्त कर स्थानीय सरकारों द्वारा लगाय जा सकते हैं। हमारे मन्दिषान में भी सन् १९३५ के एक्ट की भाँति स्थानीय करों की कोई प्रथक गणना नहीं की गई है। राज्य सूची में जिन करों को सम्मिलित किया गया है उनके विषय में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनमें से कौन से कर स्थानीय सरकारों के लिये उचित रहेंगे। इसलिए स्थानीय सस्थाओं की वित्तीय दशा को सुधारना कोई सरल बात नहीं है। यदि हम भारत में विभिन्न सरकारों की तुलना

(८) राज्य सरकारों को मोटर गाड़ी कर को आय में से एक भाग स्थानीय सरकारों को देना चाहिए ।

(९) केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति पर जो स्थानीय कर नहीं लगाये जाते उनके बदले में स्थानीय सस्थाओं को केन्द्रीय सरकारों से कुछ मुआबजा मिलना चाहिये ।

यह अनुमान किया गया है कि यदि समिति के सभी सुझाव स्वीकार कर लिए जाते तो भारत में सभी स्थानीय सरकारों की आय में ४० करोड़ रुपयों की वृद्धि होने की आशा थी । यहाँ पर यह बताना अनुचित न होगा कि समिति ने केवल ७६७ स्थानीय सस्थाओं का ही अध्ययन किया था जिनमें छोटी-छोटी नगरपालिकाये तथा पंचायतें सम्मिलित नहीं थी । इसके अतिरिक्त समिति के सुझावों में से कुछ सुझाव ऐसे हैं जिनको कार्यान्वित करना कठिन है और जिनके सम्बन्ध में यह भी भय है कि उनसे राज्य सरकारों की वित्तीय व्यवस्था खराब हो जायेगी । यह भी ध्यान रहे कि समिति ने जिन करों को लगाने का सुझाव दिया है उनमें से कुछ तो इतने छोटे-छोटे हैं कि उनकी व्यवस्था ही कठिन है ।

उत्तर प्रदेश को स्वशासन जांच समिति ने निम्न सुझाव दिये हैं.—

(१) शहरों और गाव में महाजनी का काम करने वालों पर कर लगाया जाए ।

(२) प्रान्तीय कोर्ट फीस में से कुछ हिस्सा स्थानीय सरकारों को दिया जाए ।

(३) म्यूनिक् कर पर $\frac{1}{2}$ के बराबर अतिरिक्त कर लगाया जाय और उसकी आय स्थानीय सस्थाओं को दी जाए ।

(४) ग्राम पंचायतों के लिये इस समिति के निम्न सुझाव थे.—

(अ) जमींदारी के लगान पर लगाये गए कर का ५ से ७ $\frac{1}{2}$ % ग्राम पंचायतों को दिया जाए ।

(ब) राज्य सरकारों को प्राप्त होने वाली मालगुजारी का ५% ग्राम पंचायतों को दिया जाए ।

(स) भूमि उपकर का २५% भाग जिला बोर्ड ग्राम पंचायतों को दें ।

(द) यदि आवश्यक हो तो श्रम दर (Labour Rates) के स्थान पर श्रम कर (Labour Tax) लगाया जाय ।

कर जांच आयोग के सुझाव—भारतीय कर जांच आयोग ने भी स्थानीय वित्त का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया था । उसका विचार है कि स्थानीय वित्त की एक समुचित प्रणाली स्थानीय और प्रत्यक्ष करारोपण पर ही आधारित हो सकती है । आयोग ने अपना मत प्रकट करते हुए कहा है कि राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय सरकारों की कर लगाने की शक्तियों को हथियाने का प्रयत्न न्यायोचित नहीं है । कुछ कर ऐसे निश्चित कर दिये जायें जिन्हें केवल राज्य सरकारें ही लगा सकें । इस कार्य के लिये उमका विश्वास था कि संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता

नहीं है वरन् धीरे २ राज्य सरकारें स्थानीय सरकारों के अधिकारों को हथियाना बन्द कर दें और उन्हें उनको सौंपे हुए माधना का उपयोग करने में प्रोत्साहन दें। आयोग इस बात से सहमत नहीं था कि स्थानीय सरकारों को राज्य सरकारों के कुछ विशेष करों की आय में से हिस्सा दिया जाय, क्योंकि ऐसा करने से स्थानीय सरकारें बिना किसी जिम्मेदारी के ही आय प्राप्त करेंगी। आयोग का मत था कि राज्य सरकार विभिन्न स्थानीय सरकारों की विशेष आवश्यकताओं तथा उनकी व्यवस्था की कुशलता को ध्यान में रखकर यदि अनुदान दे तो अधिक उपयुक्त होगा। परन्तु राज्य सरकारें जो भी करारोपण के अधिकार स्थानीय सरकारों को दें उनमें दो बातों को अवश्य ही ध्यान में रखा जावे। प्रथम करा की स्थिरता और दूसरे करा की न्यायशीलता तथा पर्याप्तता के साथ लगान की कुशलता। इसके अतिरिक्त आयोग का यह भी मुझ्भाव था कि राज्य सरकारें इन सस्थाओं को ऋण और सहायता भी प्रदान करें। इन सब बातों को ध्यान में रखकर आयोग ने निम्न सुझाव दिए हैं —

(१) ग्राम पंचायतों के कार्य क्षेत्रों को बढ़ाने में बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिये। यह उचित होगा कि इन्हें कुछ निश्चित कार्य सौंप दिए जायें और इनको स्थानीय विकास योजनाओं से भी सम्बन्धित कर दिया जाय।

(२) यह सम्भव नहीं है कि जिला बोर्डों का वर्तमान रूप सर्व्व ही बना रहे। इनके कार्य क्षेत्रों के भूगोलिक आकार को सीमित किया जाय और इनके नार्थी वित्त व्यवस्था तथा करारोपण का पंचायतों के माय समन्वय स्थापित किया जाए और उनको अपनी आय का अधिकांश भाग करों की अपेक्षा राज्य अनुदानों से प्राप्त होना चाहिये।

(३) स्थानीय वित्त व्यवस्था की सम्बन्धित प्रणाली करारोपण पर आधारित होनी चाहिये।

(४) ग्राम पंचायतों की सफलता तथा उनके विकास के लिये यह आवश्यक है कि प्रारम्भिक अवस्था में राज्य सरकार उनको इतनी आर्थिक सहायता दे कि उन्हें कर लगाने की आवश्यकता न हो।

(५) यह भी आवश्यक है कि कुछ करों तथा उनकी आय को केवल स्थानीय सरकारों के उपयोग के लिये ही सुरक्षित रखा जाए।

(६) 'आयों' के उपयोग के लिये 'सुरक्षित' रखा जाय' को सुरक्षित रखने-रख सुझाव दिया है — (अ) भूमि और मकानों पर कर (ब) चुंगी कर, (स) ऐसी गाड़ियों पर कर जिनमें शक्ति का प्रयोग नहीं होता (द) जानवरों तथा भावों पर कर, (ह) व्यापार, व्यवसाय, रोजगार आदि पर कर, (य) समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के अतिरिक्त अन्य विज्ञापनों पर कर।

आयोग का सुझाव था कि कुछ प्रकार के मनोरंजन करों और सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर लगाय जाने वाली करों को स्थानीय सस्थाओं को दे दिया जाय। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि सड़कों और आन्तरिक जल मार्गों द्वारा आने वाले

माल और मवारियों पर कर लगाने तथा मार्ग कर (Toll Tax) लगाने की आज्ञा स्थानीय सस्थाओं को दी जाय।

(७) स्थानीय सस्थाओं के सम्पूर्ण विकास के लिये राज्य सरकारों को निम्न प्रयत्न करने चाहियें —

(अ) राज्य सरकारें स्थानीय सस्थाओं को कर लगाने के सम्पूर्ण अधिकार सौंप दे।

(ब) यह कर पर्याप्त लोचदार तथा विभिन्न प्रकार के हों।

(स) सौंपे जाने वाले करों का पनिष्ठ सम्बन्ध उनको दिए जाने वाले अधिकारों से होना चाहिये। और

(द) ऐसे कर लगाने के अधिकार समाप्त कर देना चाहिए जो समयानुकूल नहीं हैं।

(८) मोटर गाड़ी कर की आय का कम से कम २५% भाग नगरपालिकाओं और जिला बोर्डों को और भूमि कर का कम से कम १५% ग्राम पंचायतों और ग्राम समितियों को दिया जाए।

(९) नगरपालिकाओं के गैर कर आय के स्रोतों को बढ़ाया जाए और व्यापारिक सेवाओं को अधिकतर इन सस्थाओं द्वारा चलाने का अधिकार दिया जाए।

(१०) आयोग का मत था कि दूसरी योजना में पानी का प्रबन्ध करने तथा अन्य प्रकार के विकास के कार्यों के लिये नगरपालिकाओं को ऋण तथा आर्थिक सहायता प्रदान की जाय।

(११) ग्राम पंचायतों के लिये सामान्य सम्पत्ति कर, सेवा कर, भूमि उप-कर तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण कर ही अधिक उपयुक्त हैं। व्यक्तिगत पंचायतों को उचित दशाओं में सवारी कर, व्यवसाय कर तथा मनोरंजन कर लगाने का भी अधिकार दिया जाय।

(१२) विभिन्न स्थानीय सरकारों की आय को बढ़ाने के लिये भिन्न-भिन्न प्रयत्नों की आवश्यकता है। नगर कॉरपोरेशन और बड़ी-बड़ी नगरपालिकाओं को अधिक कर लगाने के अधिकार मिलने चाहिये और छोटी-छोटी स्थानीय सस्थाओं को अधिक अनुदान मिलने चाहियें।

(१३) सहायक अनुदानों के सम्बन्ध में आयोग ने अपने सुझाव देते हुए बताया है कि राज्य सरकारों को निम्न सिद्धान्तों के आधार पर काम करना चाहिये।

(अ) नगरपालिकाओं और कॉरपोरेशन के अतिरिक्त अन्य स्थानीय सस्थाओं के लिये सामान्य उद्देश्य अनुदानों की व्यवस्था करना होना चाहिये।

(ब) अनुदान देते समय प्रत्येक सस्था के क्षेत्र आकार जनसंख्या तथा साधनों की ध्यान में रखना चाहिये।

(स) अनुदानों की मात्रा कम से कम इतनी हो कि स्थानीय सस्था को

अनिवार्य तथा प्रशासन सम्बन्धी कार्य करने में कोई कठिनाई न हो।

(द) प्रारम्भिक अनुदानों में प्रति वर्ष परिवर्तन नहीं होने चाहिये। वे कम से कम ३ वर्षों में ५ वर्षों तक चलते रहें।

(य) वार्षिक अनुदानों में अतिरिक्त विशेष व्ययों के लिये भी विशेष अनुदान दिये जायें।

(१४) राज्य सरकारों को स्थानीय सरकारों के कार्य संचालन में उचित सहायता प्रदान करनी चाहिये और राज्यों के नियन्त्रण तथा मलाहक। मुख्य उद्देश्य यह होता चाहिये कि वे स्वशासन की ऐसी इकाइयों का निर्माण करें जो नीति बना सकें और उसको कार्यान्वित भी कर सकें।

(१५) कर्मचारियों की पर्याप्त प्रशिक्षण मिलना चाहिये और अच्छा वेतन भी। यदि सम्भव हो तो स्थानीय सरकारें दिन-प्रति-दिन के कार्य संचालन के व्यय का एक भाग अपनी आय में से पूरा करें।

सरकारी अनुदान—विद्यते पृष्ठी में हमने स्थानीय सरकारों की वित्तीय समस्याओं का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया है और विभिन्न समितियों और भागों को सिफारिशों को भी देना है। सभी इन बातों से सहमत हैं कि मस्यौदा की वित्तीय व्यवस्था सतोंपजनक नहीं है और आवश्यकता इस बात की है कि उनकी स्थिति को सुगम ही सुधारा जाय। कर जॉब आयोग तथा स्थानीय वित्त समितियों आदि सभी ने एक मत होकर यह सुझाव दिया है कि राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारों के वित्तीय सम्बन्धों में आवश्यक परिवर्तन होने चाहिये। परन्तु प्रश्न यह है कि यह परिवर्तन किस प्रकार किये जायें? क्योंकि किसी भी व्यवस्था में नये परिवर्तन करना एक तो सरल नहीं होता और दूसरे चारों ओर से उनकी आलोचना होने लगती है। इन सम्बन्धों में हम इङ्लैण्ड में स्थानीय मस्यौदा के वित्तीय इतिहास से कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर उन्होंने राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारों के पारस्परिक वित्तीय सम्बन्धों को सुधारने के लिये अनुदानों का सहारा लिया है। मिडनी वेब (Sidney Webb) ने स्थानीय सरकारों को वित्तीय सक्ति प्रदान करने के लिये तथा उनके भारों में समानता लाने के चार आधारा पर अनुदानों को आवश्यक बताया है। यह आधार निम्नांकित हैं—

(अ) प्रथम, विभिन्न स्थानीय मस्यौदों के भार की असमानताओं को रोकने के लिये यह अनुदान बहुत आवश्यक है।

(ब) यह अनुदान हमलिये भी आवश्यक है कि राजकीय सरकारों द्वारा राज्यों में कुशलता तथा मितव्ययिता लाने के लिये जो प्रस्ताव और मलाहक दी जानें तथा जो आलोचना स्थानीय सरकारों की की जानी है उनको यह अनुदान सक्ति दान करेगा।

(ग) यह अनुदान स्थानीय सरकारों को एक ऐसी व्यावहारिक रीति प्रदान करेगा जो उनकी स्वतन्त्रता के लिये आवश्यक है और जिससे द्वारा वे अपने शासन में समद्वय द्वारा निर्धारित की गई सामान्य नीति को कार्यान्वित करने में सनु-

गवों की बुद्धिमानी, ज्ञान और विस्तृत दृष्टिकोण से काम ले सकते हैं।

(द) इन्हीं अनुदानों द्वारा हम यह आशा कर सकते हैं कि स्थानीय सेवाओं में राष्ट्रीय न्यूनतम कुशलता उत्पन्न होगी जो राष्ट्रीय हित के लिये अत्यन्त आवश्यक है।

भारत में राज्य सरकारों ने इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। इनमें नो कोई सदेह नहीं कि राज्य सरकारों की अपनी भी कठिनाइयाँ हैं परन्तु यह तो स्वीकार करना ही होगा कि स्थानीय सरकारों की अपेक्षा राज्य सरकारों की आय के स्रोत अधिक लोचदार हैं। राज्य सरकारों को कुछ विशेष परिस्थितियों के लिये तो अनुदानों का प्रबन्ध करना ही होगा जैसे राष्ट्रीय न्यूनतम स्तर (National Minimum Standard) प्राप्त करने के लिये, जन उपयोगों सेवाओं के लिये, कार्य-क्षेत्र विस्तृत करने के लिये तथा विशेष परिस्थितियों और सकट के लिये।

अनुदानों द्वारा राज्य सरकार स्थानीय सरकारों को केवल आर्थिक सहायता ही प्रदान नहीं करती वरन् उसके शासन प्रबन्ध को कुशल बनाने के लिये उचित सलाह भी देती है और स्थानीय सरकारों की सामान्य नीति तथा व्यय को इच्छानुसार प्रभावित भी कर सकती है। इनकी महायता से विशेष प्रकार की सेवाओं का विकास किया जा सकता है तथा उनके व्यय में मितव्ययिता लाई जा सकती है। परन्तु हमारे देश में एक बड़ी कठिनाई यह है कि कोई भी सस्था अपने ऊपर आतंक और नियन्त्रण नहीं चाहती। हर व्यक्ति तथा सस्था अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र रहना चाहते हैं। इसलिये लोगों का विचार है कि अनुदानों द्वारा स्थानीय शासन प्रबन्ध पर राज्य सरकारों का आतंक बहुत अधिक हो जायेगा और उनकी स्वतन्त्रता नमोस्त हो जायेगी। परन्तु यह विचार एक सकीर्ण दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। सिडनी वैंब ने कहा है कि स्थानीय सस्थाओं पर किसी प्रकार का भी केन्द्रीय शासन सम्बन्धी नियन्त्रण न होना उचित नहीं है, तथा उनको बिना किसी निरीक्षण तथा हिंमनों की जाँच के स्वतन्त्र छोड़ देना, उनका केन्द्रीय अनुभवों तथा विशेष ज्ञान न प्राप्त हो पाने तथा सामान्य हित के लिये परम आवश्यक न्यूनतम स्तर न स्थापित हो पाने और स्थानीय करा की धोर प्रमानताओं का उपस्थित रहने देना उचित नहीं है। राज्य सरकारों के विम्भृत ज्ञान और अनुभव का लाभ स्थानीय सरकारों केवल अनुदान प्रणाली द्वारा ही उठा सकती हैं। स्थानीय सरकारें अपने सकीर्ण अनुभव तथा ज्ञान से केवल ऐसी ही नीति अपना सकती हैं जो स्थानीय जनता के लिये तो लाभदायक हो सकती है परन्तु यह आवश्यक नहीं कि सारे राष्ट्र के लिये हितकर हो और फिर क्योंकि अनुदानों की राशि का सम्बन्ध सर्वद्व ही स्थानीय सरकारों की सेवाओं से रहता है इसलिये अनुदान प्रणाली से स्थानीय शासन प्रबन्ध में मितव्ययिता तथा कुशलता का संचार होगा।

भारत की वर्तमान परिस्थितियों में यह सम्भव नहीं है कि सारे ही स्थानों पर स्थानीय सेवाओं में एक सामान्य राष्ट्रीय न्यूनतम स्तर स्थापित हो सके। पिछड़े हुए प्रदेशों के पास साधन इतने कम हैं कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य और सवादावाहन के

विभास पर उचित व्यय नहीं कर सकते, और यदि वे अपना विभाग करने का प्रयत्न करें भी तो व्यक्तियों पर कर भार बहुत अधिक हो जायेगा, इसलिये यह देखने के लिये कि निर्धन क्षेत्र, स्थानीय सेवाओं को, प्रदान करने के लिये कुशल बन सकें और न्यूनतम स्तर प्राप्त कर सकें, बिना व्यक्तियों पर कर भार बढ़ाये हुए तो अनुदान प्रणाली ही परम आवश्यक है। अन्त में वर्तमान समय में विभिन्न स्थानों में इतनी अनिष्टता उत्पन्न हो गई है कि यह उचित न होगा कि एक क्षेत्र के नागरिकों को सड़की सुविधाएँ प्राप्त हों और दूसरे क्षेत्र में नागरिक इन सुविधाओं से वंचित रहें। ऐसी स्थिति को केवल अनुदानों द्वारा ही दूर किया जा सकता है।

अनुदानों की वर्तमान प्रणाली में अनेकों प्रकार के दोष दृष्टिगोचर होते हैं। यह आवश्यकताओं के अनुकूल भी नहीं है और सारे ही स्थानों पर यह नीति समान भी नहीं है। कुछ नगरपालिकाओं तथा मस्यारों को खूब सहायता मिल जाती है और कुछ को बिलकुल भी नहीं मिलती। परिणामस्वरूप विभिन्न मस्यारों में द्वेष भावना उत्पन्न हो जाती है और चार्ज और से आलोचनाएँ होने लगती हैं। इससे अतिरिक्त यह अनुदान विभिन्न सेवाओं की लागतों तथा महत्व के अनुसार भी नहीं दिये जाते। इनका सम्बन्ध क्षत्र, जनसंख्या और क्षेत्र विशेष के साधनों से बिलकुल भी नहीं होता। अनुदानों का मुख्य उद्देश्य आर्थिक सहायता प्रदान करना होता है तथा स्थानीय धामन प्रबन्ध और व्यय पर नियन्त्रण रखना होता है। भारत में अनेकों प्रकार के अनुदान प्रचलित हैं जैसे अनियमित अनुदान, परिमाणिक (Specific) अनुदान, आवर्ती तथा अनावर्ती (Recurring and Non Recurring) अनुदान इत्यादि। इन अनुदानों का अधिकार भाग विद्या स्वास्थ्य तथा मवादवाहन को ही प्राप्त होता रहा है परन्तु विगत वर्षों में इन सेवाओं का प्रांतीयकरण होने की प्रकृति उत्पन्न हो गई है और जिन जिन स्थानों पर इन सेवाओं का प्रांतीयकरण होता जा रहा है वहाँ पर स्थानीय मस्यारों की आवश्यकताएँ कम होती जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश की स्थानीय मस्यारों में सम्बन्धित अनुदान समिति ने अनुदानों की नियमित करने के अनेकों सुझाव दिये हैं। इस समिति के अनुसार अनुदान देने से पहले दो माध्यागों पर स्थानीय मस्यारों की आवश्यकताओं की खूब जांच पड़ताल करनी चाहिये। यह जांच पड़ताल स्थानीय मस्यारों के साधनों और उनकी आवश्यकताओं, पत्र, की, चाली, स्पिटिंग, प्रदेक, स्थानीय मस्यारों, अत्यधमताओं, और साधनों की एक सूची तैयार कर ली जाय जिसके आधार पर राज्य सरकार उन मस्यारों को सहायता दे। अनुदान प्रणाली में आवश्यक लोच भी होनी चाहिये जिससे कि परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ अनुदानों की राशि में भी परिवर्तन किये जा सकें। इन परिवर्तनों के लिये समय समय पर अनुदानों तथा स्थानीय मस्यारों की आर्थिक स्थिति और उनके कार्यक्रमों के उद्देश्यों तथा लाभों का समुचित अध्ययन करना होगा। यदि स्थानीय मस्यारों उत्पादन कार्यों के लिये धन प्राप्त करना चाहती हैं तो उन्हें अनुदानों की अपेक्षा ऋण देने चाहिये, क्योंकि उनको कुछ समय बाद योजनाओं के पूरा होने से आय प्राप्त होने लगेगी।

जहाँ तक स्थानीय सरकारों द्वारा ऋण प्राप्त करने का सम्बन्ध है राज्य सरकारें स्थानीय सरकारों को जन उपयोगी सेवाओं, वाणिज्यिक सेवाओं इत्यादि के लिये ऋण देती हैं। दूसरे शब्दों में राज्य सरकारें स्थानीय सरकारों को केवल उत्पादक कार्यों के लिये ही ऋण प्रदान करती हैं। विदेशों में स्थानीय सस्थाओं को अनुत्पादक कार्यों के लिये भी ऋण दिये जाते हैं। हमारे देश में स्थानीय सरकारों द्वारा खुले बाजारों में ऋण प्राप्त करने की प्रथा कम ही है। इसका मुख्य कारण यह है कि स्थानीय सस्थाओं की ऋण सम्बन्धी अधिकांश आवश्यकताओं को राज्य सरकारें स्वयं अपने कोष में ही पूरा कर देती हैं और खुले बाजार से ऋण प्राप्त करने की आज्ञा नहीं देती हैं। स्थानीय सरकारों को राज्य सरकारों द्वारा ऋण प्राप्त होने से दो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रथम, इनको आवश्यकताओं के समय ऋण नहीं मिलता और ऋण प्राप्त करने में बहुत समय लगता है और दूसरे इन ऋणों के व्याज की दर बाजारों की दर में बहुत ऊँची होती है और इनके भुगतान की दत्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं जो पूर्णतया अनुचित हैं। वास्तव में स्थानीय सरकारों के ऋण प्राप्त करने के अधिकारों पर किसी प्रकार का भी प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। इस सम्बन्ध में उनको पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये। यदि वे चाहें तो राज्य सरकारों से ऋण लें और यदि उन्हें गुविभाजनक हों तो खुले बाजार में ऋण प्राप्त करें।

पिछले पृष्ठों में हमने स्थानीय सस्थाओं की वित्त व्यवस्था से सम्बन्धित समस्याओं का जो विवरण दिया है उसमें स्पष्ट है कि इन सस्थाओं का जितना महत्त्व है उतना इसके विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया। इन सस्थाओं की इतनी सामर्थ्य प्रदान करने के लिये कि यह अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक सम्पन्न कर सकें और देश में नागरिकता के स्तर को ऊँचा कर सकें यह आवश्यक है कि उनका पर्याप्त साधन उपलब्ध किये जाय और कर जांच आयोग और स्थानीय वित्त समिति की सिफारिशों को कार्य रूप प्रदान करने का प्रयत्न किया जाय।

भाग ६

राजकीय ऋण

अध्याय १४

राजकीय ऋण के
सिद्धान्त

(Theory of Public Debt)

राजकीय ऋण, क्या है ?

राजकीय ऋण, राज्य द्वारा प्राप्त निम्ने गने ऋण होते हैं। य राज्य की आय का एक खोल है और विगत वर्षों में य राजकीय वित्त व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। व्यक्ति की भांति राज्य भी मरुट या अग्र्य आवश्यकता के समय ऋण प्राप्त करता है। पिछले अध्यायों में हमने राज्य की आय के विभिन्न स्रोतों का अध्ययन किया था। ऋण, राज्य की आय का अन्तिम स्रोत है। हम अध्याय में हम राजकीय सम्पत्तियों द्वारा ऋण प्राप्त करने में सम्बन्धित विधानों की विवेचना करेंगे। हमने ऋण से राजकीय आय का एक अंग बनाया है, इसका यह अभिप्राय नहीं कि राज्य को इन खर्चों में आय प्राप्त करना अनिवार्य होता है। वास्तव में ऐसा सम्भवता केवल एक अंग है। उन सम्बन्ध में राज्य और व्यक्ति में कोई सीमा नहीं होती। जिस प्रकार व्यक्ति के जीवन में अनेकों ऐसे अवसर आते हैं जहाँ उसे अपनी आय में अधिक खर्च करना पड़ता है और कभी कभी उसे की राशि इतनी बड़ी होती है कि अपनी बचतों के आधिकारिक भंडों से अन्य व्यक्तियों से धन प्राप्त करना पड़ता है, उसी प्रकार राज्यों को भी अपनी आय से अधिक खर्च करना पड़ता है और ऋण प्राप्त करने पड़ते हैं। कभी कभी तो ऋण लेना तो इतना आवश्यक होता है कि यदि ऐसा न किया जाय तो देश का अस्तित्व जीवित में पड़ सकता है, जैसे युद्धकाल में या धार्मिक नियोजन काल में। मधीय शासन प्रणाली में अनेक सरकारों के ऋणों की प्रवृत्ति, सीमा तथा उद्देश्य अलग अलग होते हैं। उदाहरणार्थ, मध्य सरकार युद्ध के लिये, ऋण प्राप्त कर सकती है, राज्य सरकार कृषि के विकास के लिये तथा स्थानीय सरकारें पानी तथा विजली

आदि के लिये ऋण प्राप्त कर सकती हैं। सब सरकार विदेशी तथा आन्तरिक दोनों ही प्रकार के ऋण प्राप्त कर सकती हैं, किन्तु राज्य तथा स्थानीय सरकारें केवल आन्तरिक ऋण ही प्राप्त कर सकती हैं। यद्यपि सभी ऋणों से तुरन्त प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त न होता हो, परन्तु ऋण प्राप्त करने का प्राथमिक उद्देश्य, देश की भलाई करना ही होता है।

सरकार, जो राशि ऋण द्वारा किसी वर्ष में प्राप्त करती है, वह उसकी उस वर्ष की आय का एक भाग होगा है। यह आय स्थायी नहीं होती, क्योंकि इसको कुछ समय बाद लौटाना पड़ता है। इसलिये केवल अल्पकालीन दृष्टि से ही हम इसे सरकार की आय कह सकते हैं। दीर्घकालीन दृष्टि से यह आय नहीं कही जा सकती और इस कारण राजकीय आय में केवल उसी आय को सम्मिलित करना उचित होगा, जो सदैव ही सरकार के उपयोग में रहे और जिसे लौटाना न पड़े। यद्यपि कुछ ऋण ऐसे होते हैं जिन्हें लौटाना नहीं पड़ता, केवल उन पर ब्याज ही देना होता है किन्तु ऐसे ऋणों को भी आय में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनको भी ब्याज के रूप में लौटाना ही होना है।

राजकीय तथा व्यक्तिगत ऋणों में भेद—इसमें कोई सन्देह नहीं कि राज्य भी व्यक्तियों की भाँति ऋण प्राप्त करता है, परन्तु इन दोनों प्रकार के ऋणों की व्यवस्था एवं उपयोग के क्षेत्र में मौलिक भेद होते हैं। हम यहाँ पर इन्हीं भेदों की विवेचना करेंगे —

(१) व्यक्तिगत ऋणों का व्यय व्यक्ति केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के हेतु करता है। इसका कोई लाभ ऋणदाता को प्राप्त नहीं होता, वरन् उसे अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की मनुष्टि से वंचित और रहना पड़ता है। दूसरी ओर राज्य जो ऋण अपने नागरिकों से प्राप्त करता है, उसे उन्हीं के साभार्य व्यय करता है। राज्य व्यक्तियों का ही समूह होता है और इसलिये जो कुछ भी राज्य व्यय करता है उसका अप्रत्यक्ष लाभ व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है। कभी कभी तो व्यक्तियों को प्रत्यक्ष लाभ भी प्राप्त है और इन व्यक्तियों में वे लोग भी होते हैं, जो राज्य के ऋणदाता हैं।

(२) व्यक्ति अपने ऋण को पूरा चुकाता है, अर्थात् व्यक्तिगत ऋण में व्यक्तिगत ऋण दाता को ऋण की पूरी राशि वापस मिलती है, परन्तु राजकीय ऋण में ऋणदाता व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से तो ऋण की पूरी राशि का भुगतान मिल जाता है किन्तु अप्रत्यक्ष रूप में उसमें से कुछ राशि कम हो जाती है। बात यह है कि व्यक्ति अपने ऋणों का भुगतान अपनी आय में से ही करता है और इसलिये ऋण का कुल भार ऋण देने वाले व्यक्ति को ही सहन करना पड़ता है। दूसरी ओर राज्य ऋण का भुगतान देश के नागरिकों पर कर लगाकर जो आय प्राप्त होती है, उन्हीं के द्वारा करता है। नागरिकों पर कर-भार बँट जाता है और उन लोगों को भी सहन करना पड़ता है जिन्होंने राज्य को ऋण दिये हैं। अतः राजकीय ऋण

व्यवस्था में ऋणदाता को कर-भार सहन करने के कारण, अपने ऋण का पूरा भुगतान नहीं मिलता ।

(३) व्यक्तियों की आयु सीमित तथा अनिश्चित होने के कारण, तथा ऋण भुगतान करने का दायित्व केवल ऋणी पर ही होने के कारण, व्यक्तियों को दीर्घकालीन ऋण प्राप्त नहीं होते । दूसरी ओर राज्य व्यक्तियों की भांति अस्थायी नहीं होता । व्यक्ति अपने रहते हैं और जाते रहते हैं परन्तु राज्य सदैव ही अपने स्थान पर टिका रहता है, केवल सरकार का रूप तथा सरकार चलाने वाले व्यक्ति ही बदल सकते हैं । किन्तु जो भी नया व्यक्ति शासन की वागडोर सम्भालता है वह अपने पूर्वजों के सब दायित्वों को स्वीकार कर लेता है । इसीलिए राज्य का दीर्घकालीन ऋण प्राप्त हो जाते हैं ।

(४) राज्य के पास गन्ता होंगे हैं । वह नागरिकों का ऋण देने के लिये नया कम ब्याज देने के लिये बाध्य भी कर सकती है । इसमें प्रतिरिक्त स्वयं नागरिक भी देश प्रेम के जोश में राज्य का आर्थिक सहायता प्रदान कर सकते हैं । जो ऋण जबरदस्ती लिये जाते हैं उनमें राज्य की मान्यता खतरे में पड़ जाती है । व्यक्तिगत ऋणों में इस प्रकार की जबरदस्ती से काम नहीं लिया जा सकता । यह ध्यान रहे कि प्रत्येक सरकार ही नागरिकों से जबरदस्ती ऋण प्राप्त नहीं कर सकती केवल वह ही सरकार जो सार्वभौमिक (Sovereign) हो ।

(५) राज्य अपनी सत्ता के कारण ऋणों के भुगतान करने में भी इन्कार कर सकता है । यद्यपि यह कम ही होता है और ऐसा करने के भीषण परिणाम हो सकते हैं । यदि आन्तरिक ऋणों के सम्बन्ध में राज्य ऐसा करता है तो देश में राज्य की साख को भारी धक्का पहुँचता है और व्यक्तिगत ऋणों का विस्तार खण्डित हो जाता है और यदि विदेशी ऋणों के सम्बन्ध में इस प्रकार की नीति अपनाई जाती है तो युद्ध तक तैयार पहुँच सकती है या फिर भविष्य में विदेशी ऋणों को प्राप्त करने में बहुत कठिनाई हो सकती है । व्यक्तिगत ऋण व्यवस्था में व्यक्ति एक तो ऋण का भुगतान करने में इन्कार नहीं कर सकता, क्योंकि ऋणदाता को कानून की सहायता प्राप्त होती है और दूसरे यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता भी है तो उसकी साख खत्म हो जाती है और फिर उसे कोई भी ऋण देने को तैयार नहीं होता ।

(६) व्यक्ति की अपेक्षा राज्य की साम्य बहुत अधिक होती है । राज्य को काम मूढ़ की दर पर और अधिक गरलता से ऋण प्रदान कर दिये जाते हैं, जबकि व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होते । सरकारी प्रतिभूतियों को किसी समय भी ब्रैच जा सकता है और ऋण नागमि निया जा सकता है । परन्तु व्यक्तिगत ऋण में यह सुविधा नहीं होती । इसी कारण व्यक्ति अधिकतर अपने धन की सरकारी विपत्तियों में ही लगाना पसंद करते हैं ।

(७) राजकीय ऋण देश के भीतर में ही प्राप्त किये जा सकते हैं और विदेशों से भी, जबकि व्यक्तिगत ऋण केवल देश के भीतर ही प्राप्त किये जा सकते हैं, क्योंकि राज्य की साख विश्व व्यापी होती है ।

(८) व्यक्तिगत ऋण केवल उसी समय प्राप्त होते हैं जब व्यक्ति कोई अच्छी धरोहर या जमानत देने को तैयार होता है परन्तु राज्य के लिए ऐसी कोई भी कठिनाई नहीं होती। राज्य को आर्थिक स्थिति तथा कार्य-संचालन के बारे में सभी को ज्ञान होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत ऋणों की राशि राज्य की अपेक्षा बहुत कम होती है।

(९) राज्य अपने आप भी ऋण के स्रोत उत्पन्न कर सकता है, अर्थात् नोट छाप कर, परन्तु व्यक्ति के पास ऐसी कोई भी सुविधा नहीं होती।

(१०) राज्य परिस्थितियों का ऋण प्राप्त करता है। उसके पास ऋण लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं होता। दूसरी ओर व्यक्ति ऋण न लेकर केवल अपने खर्च को कम करके ही परिस्थितियों का मुकाबला कर सकता है। व्यक्ति का व्यय अधिक लोचपूर्ण होता है, किन्तु राज्य का व्यय इतना लोचपूर्ण नहीं होता। राज्य केवल प्रशासन सम्बन्धी व्यय को ही कम कर सकता है और अन्य व्यय को कम करता न तो उचित ही होता है और न सम्भव ही। अतः राज्य को ऋण प्राप्त करके ही अपना काम चलाना पड़ता है।

(११) व्यक्तिगत ऋण अनुत्पादक भी हो सकते हैं किन्तु राजकीय ऋण माघारणतया उत्पादक ही होते हैं।

(१२) व्यक्तिगत ऋण केवल उन्ही समय लिए जाते हैं, जब व्यक्ति का धन की आवश्यकता होती है, परन्तु राजकीय ऋण बिना धन की आवश्यकता के भी प्राप्त किए जा सकते हैं। राज्य ऋण लेने की अपनी नीति भी बना सकता है। मुद्रा स्थिति काल में, राज्य व्यक्तियों से ऋण प्राप्त करके उनकी अतिरिक्त नगदधन को कम कर सकता है और सामान्य मूल्य-स्तर को नीचे गिराने में सफल हो सकता है। इस प्रकार राज्य ऋणों द्वारा देश के उत्पादन तथा वितरण पर प्रभाव डाल सकता है, परन्तु व्यक्ति नहीं।

राजकीय ऋणों की आवश्यकता एष महत्त्व—आधुनिक युग, साक्ष का युग है। व्यक्तिगत व्यापार, उद्योग एवं उपभोग बिना उधार किए रहने नहीं हो पाते और यदि व्यक्ति अपने उत्पादन तथा उपभोग सम्बन्धी कार्यों को बिना ऋण प्राप्त किए कर भी सकता है तो भी वह ऐसा नहीं करना क्योंकि उसके लिए मूढ़ देखकर दूसरों के धन से काम करना अधिक लाभकारक होता है। राज्य के विषय में भी यह बात सही उतरती है। हम उन उद्देश्यों का वर्णन बाद में करेंगे, जिनसे प्रेरित होकर राज्य ऋण प्राप्त करता है, किन्तु यहाँ पर केवल इतना कह देना आवश्यक समझते हैं कि राज्य मुख्यतया दो कारणों से ऋण प्राप्त करता है। प्रथम, जबकि उसे धन की बहुत आवश्यकता होती है जो उसे अन्य स्रोतों से तुरन्त मिल नहीं पाता है तो उसे ऋणों का सहारा लेना पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि कर की आय कुछ समय बाद प्राप्त होगी है और ऋण से आवश्यक धन आवश्यकता के समय तुरन्त ही प्राप्त हो जाता है, इस कारण राज्य ऋणों द्वारा आम प्राप्त करता है। दूसरे, कुछ आर्थिक कारण ऐसे होते हैं जिनके कारण आवश्यकता न होने हुए भी राज्य कर लगाने की

अपेक्षा ऋण लेना अधिक लाभकारक समझता है। इन्हीं दोनों कारणों से आजकल आधुनिक सरकारों के लिए ऋण प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। विगत वर्षों में राज्यों के कार्यों में इतनी अधिक वृद्धि हो गई है कि किसी भी समय उन्हें धन की आवश्यकता अनुभव हो सकती है। कभी भी सकट उत्पन्न हो सकते हैं और उनका सामना करने के लिए राज्य की आय के माध्यम से तो काफी नहीं होते। आजकल राज्य उत्पादक और व्यापारी भी हैं और शासक भी। दोनों ही क्षेत्रों में धन की आवश्यकता दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। राज्य की अपनी बचतें तो होती नहीं जिनसे वे वह दिन प्रति दिन के खर्चों को पूरा कर सकें, क्योंकि कार्यों की वृद्धि के कारण न तो उनके लिए सम्भव ही होता है और न बचत करना राजस्व के सिद्धान्तों की दृष्टि से उचित ही समझा जाता है, इसलिए राज्य को अधिकधिक ऋणों की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसीलिए राजकीय ऋणों की संख्या तथा आकार पिछले पचास वर्षों में बहुत विस्तृत हो गया है। अणु धक्ति के प्रयोग से तो राजकीय ऋणों के बढ़ने की ही सम्भावना है, कम होने की कोई आशा नहीं की जा सकती। आधुनिक राज्यों का दृष्टिकोण समाजवादी होता जा रहा है, इसलिए भी राजकीय ऋणों की महत्ता बहुत ही गई है। प्राचीन काल में तो राजा अपने खजाने में धन जमा करके रखते थे, उन की आय की अपेक्षा उनका व्यय बहुत कम होता था। परन्तु आजकल ऐसा नहीं होता। ऐसा करना आधुनिक बजट सिद्धान्तों के विपरीत होता है। इनके अतिरिक्त राज्य केवल धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही तो उधार नहीं लेता, बल्कि आर्थिक कारणों से भी उधार लेता है। व्यक्तियों को राज्य खर्च न करने देने के लिए, उनकी जेबों में ऋण द्वारा धन निकालेता है। ऐसा करना देश के हित में होता है। इस नीति से बड़ा हुप्रा मूल्य स्तर नीचे लाया जा सकता है। इस प्रकार राजकीय ऋणों का उद्देश्य केवल धन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करना ही नहीं होता है।

राजकीय ऋणों का उद्गम एवं इतिहास—राजकीय ऋणों का इतिहास

१७वीं शताब्दी के अन्त से आरम्भ होता है। उससे पहले इस प्रकार के ऋणों का रिवाज न था। राजाओं को ऋण लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती थी। वे अधिकतर धन जमा करके रखते और उनका प्रयोग सकट काल में किया करते थे या पड़ोस के राज्यों को लूट कर या परास्त करके हजाना लिया करते थे या धनों व्यक्तियों पर विशेष कर लगाकर धन इकट्ठा कर लिया करते थे। वैंस्टेबिल ने अपनी पुस्तक में बड़ा ही सुन्दर एवं रोचक वर्णन दिया है। वह कहता है कि, फिर राजाशाह ने बैंकों से ऋण लेना आरम्भ कर दिया, परन्तु ऋण न सौदाय जाने के कारण अनेकों बैंकों तथा कम्पनियों की खोली गई। उसने बताया है कि सन् १३४५ में फ्लोरेंस में बार्डी नामक इटली की एक बड़ी कम्पनी, एडवर्ड तृतीय के शासन काल में इसी कारण फेल हुई कि राजा को ६०० हजार पलोरिन (सोना या सिकका जो इटली में उस समय प्रचलित था) देने थे। १६वीं शताब्दी में एडवर्ड चतुर्थ तथा उत्पन्न राजाओं ने जबरदस्ती ऋण प्राप्त किये। प्रारम्भिक काल में जर्मिया तथा

वेबिस में राजकीय ऋण एकत्रित करने के लिए विशेष बैंक स्थापित किए गए थे। यह भी कहा जाता है कि डच लोगों ने विदेशों को ऋण देना तथा प्राप्त करना प्रारम्भ किया था। कहा जाता है कि हालैंड पहला देश है जिसने नियमित रूप से राजकीय ऋण व्यवस्था स्थापित की थी। सन् १६६४ में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना केवल इसी उद्देश्य से की गई थी। इस प्रकार पिछले तीस वर्षों में राजकीय ऋणों का जितना विकास हुआ है, उससे यही सिद्ध होता है कि आधुनिक ढंग पर राजकीय ऋणों का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है और आज कल कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिस पर कुछ न कुछ ऋण न हो।

• **ऋण ग्रथना कर**—कुछ लेखकों ने राजकीय ऋणों की बहुत निन्दा की है और करो द्वारा आय प्राप्त करने को अधिक अच्छा बताया है। यह वाद विवाद कि कर या ऋण इन दोनों में से आय प्राप्त करने का कौन सा स्रोत अधिक अच्छा है, बहुत पुराना किन्तु महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि हम इस वादविवाद पर दृष्टिपात करें यह आवश्यक है कि ऋण और करो के मौलिक भेद को स्पष्ट कर दें—यदि राजकीय ऋण देश के भीतर ही नागरिकों से प्राप्त किया गया है तो ऋणों द्वारा प्राप्त राशि तथा करो द्वारा प्राप्त आय, दोनों ही देश में रहते हैं और नागरिकों के प्रयोग में आते हैं। करो द्वारा प्राप्त आय को लौटाने का प्रश्न ही नहीं उठता, परन्तु ऋणों द्वारा प्राप्त राशि को लौटाना अनिवार्य होता है। किन्तु देश में ऋणों को लौटाने के बाद मुद्रा की मात्रा पूर्वतन रहती है, क्योंकि जो कुछ वापिस किया गया है यह उन्हीं से लिया गया हुआ होता है। यह ध्यान रहे कि कर द्वारा व्यक्तियों से जो धन लिया जाता है वह उसी प्रकार प्रयोग नहीं किया जाता जिस प्रकार व्यक्तिगत कर दाता करते हैं। ठीक यही बात ऋणों के सम्बन्ध में भी सच है। परन्तु यह भी सच है कि करो और ऋणों द्वारा प्राप्त आय भी एक से ही उपयोगों में नहीं लाई जाती, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार व्यक्ति इन दोनों धन राशियों को समान उपयोगों में नहीं लाते। इसी प्रकार करा का भुगतान अधिकतर वर्तमान आय में से लिया जाता है और ऋणों को व्यक्ति सदैव ही अपनी पूँजी में से खरीदता है। इसके अतिरिक्त करो के रूप में भुगतान की गई राशि सदा के लिए व्यक्तियों के पास से चली जाती है, किन्तु ऋण में दी गई राशि ऋण दाता को लौटा दी जाती है। यह सच है कि सरकार ऋणों का भुगतान करने के लिए कर लगाती है, इस लिए ऋणदाताओं को अपने मूलधन की पूरी राशि नहीं मिल पाती, क्योंकि इस सम्बन्ध में लगे हुए करो का भुगतान उन्हें भी तो करना पड़ता है।

• **राजकीय ऋणों तथा करो के भेद को स्पष्ट कर लेने के बाद अब हम इस स्थिति में हैं कि इस वाद विवाद पर दृष्टिपात कर सकें कि राजकीय ऋणों का खर्च कब अच्छा है या बुरा। हम जानते हैं कि राज्य अपने दिन प्रति दिन कार्यों के लिए ऋण नहीं लेता। यदि राज्य ऐसा करने लगे तो न तो वह ऋण का ही भुगतान कर पायेगा और न उन के व्यय को ही दे पाएगा और दोनों की गतिरियाँ एकत्रित होनी जाएँगी, जिसका भुगतान करने के निम्न अन्त में बहुत**

ऊँची दर से कर लगाने पड़ेंगे। यदि बार-बार उत्पन्न होने वाले व्ययों के लिए ऋण प्राप्त किए जाते हैं तो ऐसे ऋणों को बार-बार लेना पड़ता और हर बार रागाने पड़ेंगे, क्योंकि इनके प्रतिरिक्त और कोई दूसरी विधि भी तो नहीं है। परन्तु ऐसा करने से तो राजस्व का सम्पूर्ण ढाँचा ही छिन्न भिन्न हो जायगा। इसलिए आवश्यक मतो है कि सब बार-बार उत्पन्न होने वाले व्ययों को वर्षों द्वारा प्राप्त आय में पूरा करना चाहिए। यदि इस प्रकार का व्यय किसी विशेष मकद के समय करना पड़ता है तो ऋणों द्वारा पूरा किया जा सकता है। साधारणतया इसकी बार-बार उत्पन्न होने वाला व्यय पुकारना नहीं चाहिए क्योंकि सकलकालीन परिस्थितियाँ बार-बार उत्पन्न नहीं होती। अतः तक उन व्ययों का सम्बन्ध है, जो दोष दस वर्षों में एक बार उत्पन्न होते हैं या जो बार-बार उत्पन्न नहीं होते, उनकी ऋणों द्वारा पूरा करने में कोई देर नहीं होती क्योंकि ऐसे ऋणों के मूलतः की व्यवस्था करने वाले वर्षों में तब द्वारा गरवतापूर्वक की जा सकती है। परन्तु क्या ऐसी व्यवस्था करना उचित है? इस सम्बन्ध में प्रो० पी० के विचार विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। बार-बार उत्पन्न होने वाले व्यय एक प्रकार का पूँजीगत व्यय होता है, इस दृष्टि से कि इस व्यय का भार कई वर्षों में विभाजित हो जाता है अर्थात्, इस व्यय में कई वर्षों तक लोगों को लाभ प्राप्त होता रहता है। यह ध्यान रहे कि यह पूँजीगत व्यय इस अर्थ में नहीं होता कि इससे सबैव ही पूँजी वस्तुओं जैसे मकान, कृषि फँटरी आदि का निर्माण होता है। यह इस अर्थ में पूँजीगत व्यय होता है कि एक बार इसका करने के बाद सरकार कुछ वर्षों तक निश्चिन्त रहती है, और एक ही व्यय को प्रत्येक वर्ष नहीं करना होता। आने वाले वर्षों के लोग उसी व्यय के लाभ प्राप्त करते रहते हैं। जब आने वाले वर्षों के लोगों को भी इस व्यय से लाभ पहुँचना है तो यह तो स्वीकारित नहीं होगा कि इस व्यय का कुल भार वर्तमान व्यक्तियों को ही सहन करना पड़े। अतः यह आवश्यक है कि भविष्य में आने वाली लोग भी उस व्यय का कुछ भार सहन करें। करारोपण द्वारा व्यय को पूरा करने का प्रतिप्राप यह है कि सारा भार वर्तमान व्यक्तियों पर ही पड़ेगा। इसलिए ऐसे व्ययों को ऋणों द्वारा पूरा करना चाहिए। जब नागरिक राज्य को ऋण प्रदान करते हैं तो वह अपनी मजदूरी में से देते हैं, अर्थात् राज्य द्वारा ऋण प्राप्त करने में व्ययों की बचत कम हो जाती है और इन बचतों से भविष्य में प्राप्त होने वाली आय भी कम हो जायगी जिसका उपयोग पूर्ण रूप से भविष्य में आने वाली मजदूरी की करती। इस प्रकार व्यय कम होने से, इन ऋणों का भार भविष्य के लोगों पर भी पड़ेगा। विशेष में ऐसे व्यय का लाभ वर्तमान और भविष्य दोनों ही के लोगों को पहुँचता है। इसीलिए इस व्यय की पूर्ति ऋण द्वारा होनी चाहिए, ताकि व्यय का भार भी वर्तमान और भविष्य दोनों ही के लोगों द्वारा सहन किया जा सके। अतः जो व्यय उत्पन्न हैं, अर्थात्, निजका लाभ कई वर्षों तक लोगों को प्राप्त होता रहता है, उनकी पूर्ति ऋणों द्वारा होनी चाहिए और जिस व्यय का लाभ केवल वर्तमान तक ही सीमित रहता है उसकी पूर्ति करारोपण द्वारा होनी चाहिए।

उपर्युक्त विवरण ने स्पष्ट है कि आधुनिक सरकारों को अपने विभिन्न प्रकार के व्ययों को (जो असीमित है) पूरा करने के लिये ऋण प्राप्त करने ही पड़ते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि राज्य द्वारा लिये गये सारे ऋण ही उत्पादक नहीं होने, या सारे ऋण ही उत्पादक कार्यों में नहीं लगाये जाते, इस लिये यह सोचना कि राज्य ऋणों को अनुत्पादक कार्यों पर व्यय नहीं करता एक भ्रम होगा। वर्तमान शताब्दी में राजकीय ऋणों की प्रथा बहुत अधिक प्रचलित हो गई है और इसीलिये इसे आधुनिक क्रिया (modern phenomenon) कहते हैं, क्योंकि आधुनिक समय में राज्यों को इतने कार्य करने पड़ते हैं कि बिना ऋण लिये उनका काम ही नहीं चल सकता। जैसे-जैसे राज्यों के कार्यों में वृद्धि होती चली गई है, वैसे ही वैम राजकीय ऋणों का आकार एव मात्रा भी बढ़ती गई है, यद्यपि इनका समय समय पर बहुत कुछ विरोध होता रहा है। ग्लेडस्टन (Gladston) राज्य द्वारा प्राप्त किये गये ऋणों को इसलिये बुरा मानता था, क्योंकि उनका यह विश्वास था कि 'इनसे फिजूल खर्ची बढ़ती है, युद्ध को प्रोत्साहन मिलता है और उस राष्ट्र के लिये, जो इसका उपयोग करता है, हानिकारक आर्थिक परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। ह्यूम के अनुसार 'बिना वाद विवाद के ही यह नीति नाश करने वाली होती है'। प्राचीन आर्थिक लेखक एडम स्मिथ एवं रिकार्डों भी राज्य द्वारा ऋण प्राप्त करने की नीति को बुरा तथा देश के लिये हानिकारक मानते थे। एडम स्मिथ का तो विचार था कि इस प्रकार की नीति दीर्घकाल में देश को नष्ट कर देती है। दूसरी ओर कुछ लेखक ऐसे हुये हैं, जिन्होंने पूर्ण रूप से प्रति विरोधी विचार प्रकट किये हैं और राजकीय ऋणों का केवल पक्ष ही नहीं लिया है वरन् उन्हें आवश्यक भी बताया है। जर्मन अर्थशास्त्री डिजेल (Dietzel) के अनुसार असाधारण व्यय को ऋण द्वारा पूरा करना इसलिये उचित है कि राज्य, समाज की अभौतिक पूँजी का एक भाग है और उसकी सेवा के लिये जो कोई भी असाधारण, धन का व्यय किया जाता है, वह विनियोग की भाँति होता है। परन्तु ये विचार प्रति विरोधी हैं और इनमें से किसी एक को भी सर्वव्यापी कहना उचित न होगा, क्योंकि कभी-कभी तो राज्य को अपने खर्चों को पूरा करने के लिये ऋण लेना आवश्यक होता है और कभी वह केवल ऋणों द्वारा प्राप्त धन से ही काम चलाती है। यही नहीं ऋण द्वारा खर्चों को पूरा करना लाभप्रद भी होता है। हम इन वाद विवाद पर पहले ही दृष्टिपात कर चुके हैं। राजकीय ऋणों के आधुनिक काल में अनेकों उद्देश्य हो रहे हैं यह उद्देश्य निम्न प्रकार हैं -

१. ऋणों के उद्देश्य—

✓(१) राज्य ऋणों का सहारा उम समय लेता है, जब कि या तो व्यक्तिगत म कर देने की सामर्थ्य नहीं होती या अधिक करारोपण से शान्ति भंग होने का भय होता है। राज्य, ये ऋण साधारण कार्यों को पूरा करने के लिये भी ले सकता है, परन्तु ऐसी नीति केवल अल्पकालीन ही होना चाहिये क्योंकि अधिक समय तक इन नीतियों को अपनाने से देश की सत्ता को नष्ट करना होगा।

✓(२) राज्य प्राकृतिक सकटों को दूर करने के लिये भी ऋणों का सहारा लेता

है। ऐसी असाधारण परिस्थितियों में, जैसे, भूकम्प, बाढ़, महामारी, ज्वार भाटा आदि के समय जबकि देश की अर्थ व्यवस्था बँसे ही छिन्न भिन्न हो जाती है, कर लगा कर धन प्राप्त करना तो अन्तरिक विद्रोह को ही जन्म देना होगा। इसलिये राज्य ऐसी परिस्थितियों में ऋण द्वारा काम चलाता है।

(३) राज्य, उत्पादक कार्यों के लिये भी ऋण प्राप्त करता है जैसे, देश के प्राइमरिज गांधना का अधिकतम उपयोग करने के लिये या देश के अधिक विकास के लिये। एक अधिकतम या कम विकसित देश के लिये तो यह ऋण परमावश्यक होते हैं, क्योंकि इन देशों में कर लगाकर धन प्राप्त करने की अधिक गुंजाइश नहीं होती।

(४) राज्य, राजकीय उपरमा के लिये तथा सार्वजनिक कार्यों (Public works) के लिये भी ऋण प्राप्त करता है। यह ऋण भी उत्पादक होते हैं और प्रत्येक वर्ष राज्य को इनमें धन प्राप्त होती है। इसी प्रकार राज्य जनोपयोगी भवायु सम्पन्न करने के लिये भी ऋण लेता है, जैसे नहरें, रेलें, सड़कें आदि बनवाना। इन सेवाओं के मूल्य से भी राज्य को धन प्राप्त होना है।

(५) आधुनिक काल में अधिकतर राज्यों की प्रवृत्ति समाजवादी रुतों की ओर है। वे व्यापार तथा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं और उनका संचालन स्वयं करते जा रहे हैं। आधुनिक उद्योगों में बहुत बड़ी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति केवल ऋणों द्वारा ही हो सकती है। इनके अतिरिक्त धन्य की वृद्धि से भी यह उचित होना है। हम इसके सम्बन्ध में पहले बत चुके हैं।

(६) कभी कभी राज्य ऐसी सवाये सम्पन्न करने के लिये ऋण प्राप्त करता है जिनमें प्रत्यक्ष रूप में उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती, किन्तु दीर्घकाल में देश की उत्पादन शक्ति में बहुत वृद्धि होती है, जैसे, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से सम्बन्धित सेवाएँ। इन सेवाओं के ऋण की राशि तथा व्याज की राशि का भुगतान करने के लिये तुरन्त ही धन प्राप्त नहीं होना बरन् सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति होती है।

(७) आधुनिक समय में युद्ध तथा रक्षा सम्बन्धी व्यवस्था बहुत अधिक खर्चीली तथा महंगी होती है जिनको बिना ऋणों की सहायता के चलाया ही नहीं जा सकता। इसीलिए बड़े से बड़े देशों में युद्धकाल में ऋण प्राप्त किए हैं।

(८) हम पहले भी बत चुके हैं, कि राजकीय ऋणों का उद्देश्य राजस्व केवल धन प्राप्त करना ही नहीं होगा, बरन् आर्थिक तथा व्यापारिक दशाओं में स्थायित्व उत्पन्न करना भी होता है। मुद्रा-प्रसार के काल में राज्य इन ऋणों द्वारा मूल्यों को स्थायी बनाने है।

(९) धन में राजकीय ऋणों से भाईचारे, पारस्परिक सहयोग तथा विश्रुता की भावना उत्पन्न होती है, इसलिये राजकीय ऋण व्यवस्था का उद्देश्य राजनैतिक क्षेत्र में मित्रता उत्पन्न करना भी होता है।

उपर्युक्त उद्देश्यों को देखते से पता चलता है कि राज्य मुख्यतया, जालू व्ययों के लिए, गण्टकालीन परिस्थितियों के लिए, उत्पादक कार्यों के लिए, सामाजिक सेवाओं के लिए और आर्थिक स्थिरता के लिए ऋण प्राप्त करते हैं। साधारणतया,

जैसा हम कह चुके हैं, चालू व्ययों को करारोपण द्वारा पूरा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अप्रव्ययिता कम होती है और आने वाली सरकारों पर ऋण-भार भी नहीं पड़ता। इसके अतिरिक्त ऋण द्वारा राष्ट्रीय के धन उत्पादक कार्यों से निबल कर अनुत्पादक कार्यों में लगने लगते हैं जिसका बुरा प्रभाव राष्ट्रीय उत्पत्ति पर पड़ता है। असाधारण परिस्थितियों की बात दूसरी है। इनमें चालू व्ययों को ऋणों द्वारा पूरा किया जा सकता है, किन्तु इसे हम स्थायी नीति का रूप नहीं दे सकते। जहाँ तक सकटकालीन परिस्थितियों का प्रश्न है, उनके लिए ऋण प्राप्त किए जा सकते हैं। हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि कर की उत्पादकता की भी एक सीमा होती है। कर की दर को हम अनिश्चित सीमा तक नहीं बढ़ा सकते और किसी न किसी बिन्दु पर अवश्य ही रुकना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कर की दर अधिक बढ़ाने से दीर्घकाल में बरदाताओं की बचत करने तथा कार्य करने की शक्ति भी हतोत्साहित होने लगती है। परन्तु यह निश्चित करने से पहले, कि सकटकालीन परिस्थितियों का समाधान करने के लिए ऋण लेना करारोपण की अपेक्षा अधिक उपयुक्त होगा या नहीं, यह भी देखना आवश्यक है कि सरकारी अवधि कितनी है। यदि यह परिस्थितियाँ अल्पकालीन हैं तो ऋण द्वारा पूरा करने में कोई हानि नहीं और यदि दीर्घकालीन हैं तब तो अवश्य ही कर प्रणाली में उचित परिवर्तन करने ही होंगे। युद्ध अर्थव्यवस्था की बात ही बिलकुल निरासी है। युद्ध के लिए तो राष्ट्र के सारे गाँवों को ही जुटाना पड़ता है। परन्तु युद्ध संचालन इतना अधिक खर्चीला होता है कि राष्ट्रीय ख़ाते से काम नहीं चलता और ऋण प्राप्त करने पड़ते हैं और साथ ही कर भी लगाने पड़ते हैं। अकेले ऋणों से भी काम नहीं चलता और अकेले करों से भी काम नहीं चल सकता। इनमें से किसी एक पर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं होगी, इसलिए दोनों ख़ातों के अतिरिक्त, यदि और कोई अन्य उपाय किया जा सके तो उसको भी अपनाना चाहिये। कुछ सार्वजनिक कार्य तथा आर्थिक विकास की योजनाएँ इतनी विस्तृत और विशाल होती हैं और उगम इतने अधिक धन की आवश्यकता होती है कि इनको कार्यान्वित करने के लिये भी ऋणों का सहारा लेना आवश्यक होता है। ऐसे ऋणों से देश की जनता पर कोई अनुचित भार भी नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारे व्यय उत्पादक होते हैं और इनकी आय में से ऋणों के मूलधन तथा व्याज का भुगतान किया जा सकता है। ऐसे ऋणों के भुगतान के लिये करारोपण की आवश्यकता नहीं होती। ये ध्यान रहे कि किसी भी योजना को आरम्भ करने से पहले और ऋण प्राप्त करने से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि क्या उस योजना को पूरा करना देश के हित में होगा या नहीं, और दूसरे, यह सिद्ध करना होगा कि क्या उस कार्यक्रम को सरकार के अनिश्चित और कोई अन्य सस्या सफलतापूर्वक चला नहीं सकती। यदि यह दोनों बातें सरकार के पक्ष में हों तो सामान्य रूप से यह कह सकते हैं कि उत्पादक कार्यों के लिये ऋणों द्वारा धन प्राप्त करना उपयुक्त होता है। सामाजिक सेवाएँ, एक प्रकार के चालू व्यय हैं और सरकार उत्पन्न होती हैं, ऐसे व्ययों को करारोपण द्वारा ही पूरा करना चाहिये। आर्थिक

जीवन को स्थायी बनाने के लिए ऋणों का जो महत्व है, उसको हम पहले कई बार स्पष्ट कर चुके हैं। लर्नर (Lerner) का तो यही कहना है कि राजकीय ऋणों का उद्देश्य धन प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि आर्थिक जीवन को समुचित बनाने के लिए राजकीय ऋणों को प्राप्त करना चाहिए। ऋणों द्वारा मुद्रा-स्फीति काल में व्यक्तियों से अनिश्चित धन प्राप्त करके मूल्य-स्तर को स्थायी बनाया जा सकता है। इसी प्रकार मुद्रा समुच्चय काल में वैसा से ऋण प्राप्त करके, सरकार नई-नई योजनाओं को चलाकर उच्च धन की व्यक्तियों में फैला सकती है, ताकि उनकी धन शक्ति बढ़े और मिलने हुए मूल्य बढन लगे। अतः मुद्रा-स्फीति तथा मुद्रा समुच्चय, दोनों विधियों में राजकीय ऋण लाभकारक सिद्ध हो सकते हैं।

राजकीय ऋणों का वर्गीकरण

राजकीय ऋणों के कई रूप हो सकते हैं। हम यहाँ पर इन विभिन्न रूपों का वर्णन करेंगे। ये निम्न प्रकार हैं—

१. आन्तरिक तथा बाह्य ऋण—राज्य देश के भीतर में ऋण प्राप्त करता है और विदेशों से भी। जो ऋण देश के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें आन्तरिक ऋण कहते हैं और जो विदेशों से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें बाह्य ऋण कहते हैं। प्रथम प्रकार के ऋण राज्य की देश के नागरिकों एवं मत्स्यशा आदि में ही प्राप्त हो सकते हैं। साधारणतया राज्य देश के भीतर ही ऋण प्राप्त करना चाहता है, परन्तु जब वह अपने प्रयत्नों में सफल नहीं हो पाता तो उसे विदेशों के प्रायः ऋण ऋणना पड़ता है। अतः बाह्य ऋण वे होते हैं जो एक राज्य को अन्य राज्यों से या अन्य देशों के व्यक्तियों में प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में आन्तरिक ऋण उधार लेने वाले राज्य को अपनी ही मुद्रा में अपने देश की सीमाओं के अन्दर रहने वाले व्यक्तियों से प्राप्त होते हैं तथा बाह्य ऋण देश के बाहर रहने वाले व्यक्तियों से विदेशी मुद्रा में प्राप्त होते हैं। आन्तरिक ऋण लेना उभी समय अच्छा होता है, जब देश में व्यक्तियों के पास अनिश्चित धन उधार देने को होता है क्योंकि व्यक्तिगत व्यवसायों और उपक्रमों में लगाने के लिए भी पूँजी उपलब्ध होती रहती है और सरकार को भी धन राशि प्राप्त हो जाती है। परन्तु यह निश्चित करना सदैव ही सम्भव नहीं होगा कि देश में अनिश्चित धन व्यक्तियों के पास है या नहीं। इसका केवल एक ही सूचक ही सकता है और वह है व्याज की नीची दर। किन्तु यह भी कोई निश्चित आधार नहीं है, क्योंकि व्याज की नीची दर केवल धन की अधिकता के कारण ही तो नहीं होती। यह ध्यान रहे कि आन्तरिक ऋण इच्छित तथा अनिच्छित, दोनों ही हो सकते हैं, जब कि विदेशी ऋण केवल इच्छित ही होते हैं। आन्तरिक ऋणों से देश के आर्थिक मापना तथा राष्ट्रीय आय पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इन ऋणों से केवल धन का उलट फेर ही होता है। बाह्य ऋणों में देश का धन देश में नहीं रहता। बाह्य ऋणों में ऋणदाता देश की राष्ट्रीय आय ऋण देने समय कम हो जाती है, परन्तु ऋण चुकाने समय ऋणी देश से बाहर

धन जाता है और राष्ट्रीय आय कम हो जाती है। किन्तु सकट काल में बाह्य ऋणों से बड़ी सहायता प्राप्त होती है, विदोपकर जब देश के भीतर धन प्राप्त नहीं होता। अविकसित देश ऐसे ऋणों द्वारा अपने देश का आर्थिक विकास कर सकते हैं और विदेशी वस्तुओं को भी प्राप्त कर सकते हैं।

आन्तरिक ऋणों का भार—हम कह चुके हैं कि आन्तरिक ऋणों में देश का धन देश के बाहर नहीं जाता और केवल धन का पुनर्वितरण ही होता है, इसलिए ऐसे ऋणों का कोई प्रत्यक्ष मौद्रिक भार नहीं पड़ता है। जहाँ तक वास्तविक भार का सम्बन्ध है सो इस बात पर निर्भर करता है कि ऋण द्वारा प्राप्त किये हुए धन का उपयोग किम प्रकार किया जा रहा है। यदि ऐसे ऋणों से देश में धन का वितरण असमान होता है तो इनका वास्तविक भार बहुत अधिक होगा। यदि ऋण धनी व्यक्तियों द्वारा खरीदा गया है और उसका भुगतान करने के लिए सरकार छोटी आय वाले व्यक्तियों पर कर लगाती है तो इसका वास्तविक भार बहुत अधिक होगा, और यदि ऋण को निर्धन व्यक्तियों ने खरीदा है और सरकार धनी व्यक्तियों पर कर लगाकर उसका भुगतान करना चाहती है तो उसका वास्तविक भार बहुत कम होगा। दूसरी ओर यदि ऋण द्वारा प्राप्त धन राशि अनुत्पादक कार्यों में लगाई गई है तो इसका वास्तविक भार व्यक्तियों पर अधिक पड़ेगा और यदि उत्पादक कार्यों में लगाई गई है तो देश की आय बढ़ने से व्यक्तियों पर वास्तविक भार कम होगा। परन्तु व्यावहारिक जीवन में अधिकतर ऋणों का वास्तविक भार बहुत अधिक होता है क्योंकि, ये ऋण धनी व्यक्तियों द्वारा खरीदे जाते हैं और कर निर्धन व्यक्तियों को भी देने पड़ते हैं। इन ऋणों का एक दूसरी प्रकार से प्रत्यक्ष वास्तविक भार भी पड़ता है। निर्धन व्यक्तियों का धन, धनी व्यक्तियों के पास हस्तान्तरित होने के साथ साथ धन नवयुवकों के हाथों से निकल कर वृद्ध व्यक्तियों के पास चला जाता है और सक्रिय उपयोगों से निकल कर निष्क्रिय उपयोगों को स्थान्तरित हो जाता है। अधिकांश ऋण वृद्ध व्यक्तियों द्वारा खरीदा जाता है, परन्तु कर का भुगतान अधिकतर नवयुवकों को अपनी वर्तमान आय में से करना पड़ता है, जबकि वृद्ध व्यक्तियों ने ये ऋण पुरानी वचता में से खरीदा था। इसी प्रकार ऋण तो एकजित धन में से खरीदा जाता है, जबकि उसका भुगतान उम्र धन में से करना होता है जो उद्योग तथा व्यापार जैसे सक्रिय उपयोगों में लगा हुआ है।¹ आन्तरिक ऋणों का अप्रत्यक्ष भार भी देश के नागरिकों पर पड़ता है। ऋणों का भुगतान सरकार करों को लगा कर करती है और इस कारण व्यक्तियों को अधिक कर भार सहन करना पड़ता है। उनकी बचाने तथा कार्य करने की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त ऋण नुकाने के लिये धन को कभी कभी ऐसे कार्यों में लगाना पड़ता है जिससे नागरिकों का हित तुरन्त ही अप्रसर नहीं होता। अतः एक तो देश में उत्पादन कम होने में और दूसरे धन के वितरण की असमानता बढ़ने से आन्तरिक ऋणों का भार देश के व्यक्तियों पर अप्रत्यक्ष रूप से भी पड़ता है। यह सवालन के लिये प्राप्त

किये गये ऋणों का भार भी देना के व्यक्तियों को ही सहन करना पड़ता है। युद्ध काल में एक तो बँस ही वस्तुओं का प्रभाव रहने से व्यक्तियों या जीवन स्तर गिर जाता है और यही प्रभाव मूल्यों के बढ़ने के कारण भी होता है। युद्ध समाप्त होने के बाद बेरोजगारी बढ़ने मूल्यों और व्याज की दरों के गिरने के कारण वास्तविक भार भी अधिक होता जाता है। इससे प्रतिरिक्त बाजार में व्याज की दर बढ़ने के कारण सरकारी प्रतिभूतियाँ पर ऊँची व्याज की दर होना के कारण उनका मूल्य उँचा होता जाता है जिससे ऋण का भार और भी अधिक हो जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आन्तरिक ऋणों का मौद्रिक भार प्रथम कुछ भा नहीं होता किन्तु वास्तविक भार बहुत अधिक होता है।

बाह्य ऋणों का भार—यह विश्वास किया जाता है कि बाह्य ऋणों का भार उस देश के नागरिकों को सहन करना पड़ता है जो ऋण लेता है। ऐम ऋणों का मौद्रिक भार घन की उम राशि से नासा जाता है जो ऋणी देश मूलधन और व्याज के रूप में विदेशी ऋणदाता को देना है और प्रत्यक्ष वास्तविक भार उस हानि से नासा या टकता है जो ऋणी देश में से उतना धन निकल जाने से कारण वहाँ के नागरिकों को सहन करनी होगी। यदि ऐसे ऋणों को धमीर लोग चुकाते ह तो प्रत्यक्ष वास्तविक भार कम होगा अप्रत्यक्ष उम रिक्ति के जब गरीब लोग उम कर का भुगतान करें। ऐसे ऋणों का अप्रत्यक्ष भार तो ऋणी देश के व्यक्तियों पर पड़ता ही है। कारण यह है कि ऋणी देश की सरकार उन ऋणों का भुगतान करने के लिए कर लगाती है जिसका भार नागरिकों को सहन करना पड़ता है। परन्तु यह विचार पूर्णतया सत्य नहीं है। बात यह है कि जो ऋण हम विदेशों से प्राप्त करते ह उनमें हम अपने देश में उत्पादन बढ़ाते ह और जो मूँद या मूलधन बँते ह वह उमी लाभ में से ता भुगतान करते ह जो उत्पादन में वृद्धि करने से प्राप्त होगा ह। कुछ वर्षों बाद हम उस ऋण को चुका देते ह। हमारे देश में औद्योगिक उन्नति भी हो जाती है, विदेशी निभरता भी समाप्त हो जाती है और जो धन उन वस्तुओं को खरीदने के कारण हमें विदेशों को भजना पड़ना था वह भी अब भेजना नहीं पड़ेगा। इसलिए यह सोचना कि बाह्य ऋणों से ऋणी देश के नागरिकों को ऋण का अप्रत्यक्ष भार सहन करना पड़ता है भ्रमपूर्ण है। मन् तो यह है कि दीर्घ काल में ऐसे ऋणों से देश के नागरिकों को कुछ भी भार नहीं सहन करना पड़ता यदि इन ऋणों को उत्पादक उपयोगों में लगाया गया है। वास्तव में यह बड़ा विवाद प्रस्त विषय है और भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने इसके पक्ष तथा विपक्ष में अनेक तर्क रखे ह। हम निम्न में इन तर्कों को देते ह —

बाह्य ऋणों के पक्ष में तर्क—(१) अधिकांशित या अधिकांशित देशों का आर्थिक विकास बिना विदेशी ऋण प्राप्त किए ही नहीं सकता। ऐसे देशों की केवल धन ही नहीं प्राणिक, उद्योगिक, औद्योगिक, सामाजिक ज्ञान भी चाहिए और विदेशी मशीनों भी चाहिए। ये सभी वस्तुएँ बाह्य ऋणों के रूप में प्राप्त ही जाती है।

(२) युद्ध का सफल संचालन बिना बाह्य ऋणों के सम्भव ही नहीं। सतार का कोई भी ऐसा युद्ध नहीं है जिसमें युद्ध में भाग लेने वाले देशों ने दूसरे देशों से ऋण न लिए हों। इङ्गलैण्ड को ही देखिये, दूसरे युद्ध में, भारत, मिश्र, अमेरिका आदि देशों से कितनी अधिक मात्रा में ऋण लिए थे।

(३) युद्ध काल में जिन देशों की अर्थ व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है उन का पुनर्निर्माण भी विदेशी पूंजी अथवा बाह्य ऋणों से ही किया जाता है। दूसरे युद्ध के बाद की स्थिति हमारे सामने है और पिछले पन्द्रह वर्षों में विभिन्न देशों ने विश्व बैंक तथा अन्य देशों से कितने ऋण लिए हैं, सब हमारे सम्मुख हैं। भारत को ही लीजिए, जो उन्नति हमारे देश ने की है वह कदापि भी बिना बाह्य ऋणों के सम्भव न थी।

(४) विदेशी विनिमय दर की प्रतिकूलता को भी बाह्य ऋणों द्वारा दूर किया जा सकता है।

बाह्य ऋणों के विपक्ष में—(१) जो लोग बाह्य ऋणों के पक्ष में नहीं हैं, उनका पहला तर्क यह है कि विदेशों से ऋण प्राप्त करने से, अपने देश का बहुत सा धन ब्याज तथा मूलधन के रूप में विदेशों के पास चला जाता है और अपने देश को बहुत हानि उठानी पड़ती है।

(२) वे दूसरा तर्क यह देते हैं कि ऐसे ऋणों से ऋणी देश दीर्घकाल में ऋणदाता देश का एक प्रकार से दास बन जाता है।

सच तो यह है कि विदेशी ऋण तनिक भी हानिकारक नहीं है यदि उनका प्रबंध तथा नियंत्रण स्वदेशी सरकार के ही हाथ में हो और उनका उपयोग इस प्रकार किया जाए कि देश की उत्पादन शक्ति बढ़े।

२. उत्पादक या पुनरुत्पादक, अनुत्पादक या मृत-भार ऋण—राजकीय ऋणों का दूसरा वर्गीकरण, उत्पादक, पुनरुत्पादक, अनुत्पादक या मृत-भार ऋणों में किया गया है। उत्पादक ऋण वे ऋण होते हैं, जिनकी धनराशि को ऐसे व्यवसायों तथा उपक्रमों में लगाया जाए जिनकी आय से उसके ब्याज तथा मूलधन को ऋण की परिपक्वता (maturity) के बाद लौटाया जा सके। अधिकतर सरकार इन ऋणों को उन उपक्रमों में लगाती है, जिन पर उसका पूरा नियंत्रण होता है और ये अधिकतर वे उद्योग होते हैं जिनका चलाया जाना देश के हित में होता है या जो देश के लिये आवश्यक होते हैं, परन्तु जिनमें निजी उपक्रम भाग लेने के लिए संयोग नहीं होता जैसे रेलें, नहरें, विजली घर इत्यादि। दूसरी ओर वे ऋण जिनको ऐसे कारणों में लगाया जाए कि ऋण की परिपक्वता के बाद ब्याज तथा मूलधन की राशि का भुगतान उन उपयोगी द्वारा न किया जा सके, अर्थात् ऐसे उपयोगों में लगाया जाए कि उनमें कोई भी आय प्राप्त न हो, जैसे युद्ध संचालन पर खर्च करना, अकाल, भूकम्प, बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक सहायता देना। ऐसे ऋणों के ब्याज तथा मूलधन की राशि का भुगतान कर लगाकर किया जाता है। यदि हम उत्पादक शब्द का अर्थ केवल आर्थिक दृष्टिकोण से न लेकर साधारण दृष्टिकोण से लें तो हर व्यय

दीर्घकाल में उत्पादक होता है। भूकम्प, बाढ़ आदि पर किया हुआ व्यय भी उत्पादक हो सकता है और यदि उत्पादक नहीं तो रक्षात्मक (protective) तो अवश्य होता है। इसी प्रकार सामाजिक सेवाओं पर किया हुआ व्यय भी दीर्घ काल में रक्षात्मक होता है, क्योंकि इनसे सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है। अनुत्पादक ऋणों को मृत-भार ऋण भी कहते हैं।

३. मृत-भार वाला ऋण, सक्रिय एवं निष्क्रिय ऋण—श्रीमती हिक्स ने राजकीय ऋणों को तीन वर्गों में विभाजित किया है, अर्थात् मृत-भार वाला ऋण (Dead-weight Debt), सक्रिय ऋण (Active Debt) और निष्क्रिय ऋण (Passive Debt)। पहले वर्ग में वे ऋण आते हैं जिनके व्यय में देश की उत्पादन शक्ति में कोई वृद्धि नहीं होती। श्रीमती हिक्स ने अनुत्पादक ऋणों को ही मृत-भार ऋण कहा है। उत्पादक ऋणों को उन्होंने सक्रिय ऋणों का नाम दिया है। उनके अनुसार सक्रिय ऋण वे हैं जिनके व्यय में आय भी प्राप्त होती है और देश की उत्पादन शक्ति में भी वृद्धि होती है जैसे रेल, नहरा आदि पर व्यय। निष्क्रिय ऋण वे हैं जिनमें न तो कोई आय ही प्राप्त होती है और न देश की उत्पादन शक्ति में ही वृद्धि होती है किन्तु जिनके व्यय में व्यक्तियों को मनोरंजन प्राप्त होता है, जैसे पार्क, हवाघर, प्रजापदघर आदि बनवाना।

४ इच्छित तथा अनिच्छित ऋण—राजकीय ऋणों का चौथा वर्गीकरण इच्छित (Voluntary) तथा अनिच्छित या बलात् (Involuntary or Forced) ऋणों में किया गया है। जो ऋण सरकार को केवल धोपणा मात्र से ही प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात् जिन्हें नागरिक स्वयं अपनी इच्छा से देते हैं और सरकार की ओर से कोई दबाव नहीं पड़ता, ऐसे ऋणों को इच्छित ऋण कहते हैं। ये ऋण आन्तरिक भी होते हैं और बाह्य भी। जब सरकार को इच्छित ऋण पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते तब सरकार नागरिकों पर दबाव डालती है और उनकी इच्छा न होने हुए भी उनमें ऋण प्राप्त कर लेती है। ऐसे ऋणों को अनिच्छित ऋण कहते हैं। सरकार ऐसे ऋणों को उम्र समय ही एकत्रित करती है जब मकड़ काल होता है या जब उम्रकी साख इनकी कम हो गई होती है या लोग या प्रगति इतना कम हो गया होता है कि वे सरकार को ऋण देना नहीं चाहते। सरकार अपनी राजनैतिक सत्ता का प्रयोग करती है और नागरिकों को ऋण देने के लिये बाध्य कर देती है। मरहवी तथा अठाग्रहवी शताब्दियों में ऐसे ऋणों का अधिक गिवाज था। साधुनिक राजकीय ऋण व्यवस्था में ऐसे ऋणों को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। सरकार ऐसे ऋणों के स्थान पर आजकल कर लगाना अधिक उचित समझती है, क्योंकि करा में नागरिकों को उतनी ही नाराजगी होती है जितनी अनिच्छित ऋणों में साथ ही एक अच्छी बात यह भी होती है कि सरकार को प्राप्त किये हुये धन की नौटाना नहीं पड़ता। यह पूर्णतया सच नहीं है कि अनिच्छित ऋणों का आजकल प्रयोग नहीं किया जाता। इनके केवल रूप में ही परिवर्तन हो गया है। उनसे मिलते-जुलते ऋणों का प्रयोग आजकल भी होता है जैसे प्रथम महायुद्ध में जमींदारों तथा आयकर देने वाले व्यवसायियों को

युद्ध-बन्ध (War Bonds) खरीदने पड़े थे। परन्तु ऐसे ऋण केवल भीषण सकट में ही लिये जाते हैं।

५. अनिश्चित कालीन अथवा दीर्घकालीन और निश्चित कालीन अथवा अल्पकालीन ऋण—पाँचवें वर्गीकरण के अनुसार राजकीय ऋणों का अनिश्चित-कालीन (Funded) अथवा निश्चितकालीन (Unfunded) ऋणों में विभाजित किया जाता है। पहले प्रकार के ऋणों को दीर्घकालीन या स्थायी ऋण और दूसरे प्रकार के ऋणों को अल्पकालीन या अस्थायी ऋण भी कहते हैं। इस वर्गीकरण पर लेखकों में बड़ा मतभेद है। डा० डाल्टन के अनुसार 'अनिश्चित कालीन ऋण का जब निश्चित कालीन ऋण से भेद किया जाता है, तब उचित अभिप्राय उक्त ऋण से होता है, जिसका मूलधन कभी भी लौटाना आवश्यक नहीं होता, परन्तु जिनके द्वारा का भुगतान करने की गारण्टी दी जाती है, जैसे इंग्लैंड के ब्रिटिश कंसुलस (British Consuls)। इसी प्रकार निश्चितकालीन ऋण व है, जिनका भुगतान प्राप्त करने के एक साल के अन्दर करना होता है।' किन्तु उनका विचार है कि, "अनिश्चितकालीन, निश्चितकालीन व अल्पकालीन (Floating) शब्दों का प्रयोग अक्सर भ्रमात्मक होता है। इस प्रकार मन् १९१९ में जारी किये गये अनिश्चितकालीन ऋण को, जो अल्पकालीन ऋण के एक भाग के लिये धन इकट्ठा करने के हेतु था और जिसका मन् १९६० और १९६० के बीच भुगतान होना था सरकारी तौर पर निश्चितकालीन ऋण कहा गया है।" इसी विषय पर एडम स्मिथ लिखते हुये कहते हैं कि, 'व्यक्ति के समान, राष्ट्र भी साधारणतया अपनी व्यक्तिगत मामलों पर ऋण का भुगतान करने के लिये कोई कोष निश्चित या बन्धक किये बिना ही उधार लेने लगे हैं, और जब उनको इस प्रकार ऋण प्राप्त नहीं हुये तो वे कोष को निश्चित या बन्धक करके ऋण प्राप्त करने लगे हैं।' पहली प्रकार के ऋण निश्चित कालीन और दूसरी प्रकार के अनिश्चित कालीन ऋण हैं। परन्तु इन शब्दों का प्रयोग आजकल उस अर्थ में नहीं किया जाता जिसमें एडम स्मिथ ने किया था। प्रो० कोहन (Cohn) ने स्मिथ के विचारों का समय नहीं किया है। वह स्मिथ द्वारा बताया गया भेद को पुराना बताया हुये कहते हैं कि अनिश्चितकालीन ऋण दीर्घकालीन होते हैं और निश्चित कालीन, अल्पकालीन ऋण क्षणिक हैं। इसके साथ साथ उनका यह कथन है कि, "यद्यपि ऋण के विभिन्न कारण तथा उद्देश्य समय की अवधि पर निर्भर करते हैं।" हम इस अर्थ को ऊपर समझा ही चुके हैं जिसमें आजकल निश्चित कालीन और अनिश्चित कालीन ऋणों को समझा जाता है। बेंगलूर ने इन दोनों के भेद को समझाने के लिये निम्न बातों का उल्लेख किया है —

(१) निश्चित कालीन ऋण सीधे ही समाप्त होने वाली आवश्यकताओं के लिये प्राप्त किये जाते हैं और सजाने के बालू द्रव्य का भुगतान करने के लिये होते हैं।

2. Op. cit., Page 233

3. Ibid Page 239.

4. Wealth of Nations, Book V, Ch III

दूसरी ओर अनिश्चित कालीन ऋण स्थायी आवश्यकताया की पूर्ति के लिये पूंजी एकत्रित करने के उद्देश्य से प्राप्त किय जाते हैं।

(२) निश्चित कालीन ऋण अल्पकाल के लिये होते हैं और अनिश्चित कालीन दीर्घ काल के लिये होते हैं।

(३) पहले प्रकार के ऋण का भुगतान चौबे समय बाद ही करना होता है। यह ऋण दर्शनी भी होत है। परन्तु दूसरी प्रकार के ऋण निश्चित शर्तों के अनुसार चुकाया जाता है और ऋणदाता देश वा किसी प्रकार का भी नियन्त्रण मूलधन पर नहीं होता।

सच तो यह है कि इन दोनों प्रकार के ऋणों में भेद करना बहुत कठिन है। इनका वास्तव में सापेक्षिक महत्व है और उपायुक्त तोन शर्तों पर निर्भर करना है। प्लेहन का भी यही विचार है। प्लेहन का ता यद्वा तत्र बहना है कि कौन सा ऋण किस वक में खर्चा जाय निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता बल्कि यह अफसरों के अपने विचारों पर निर्भर करना है। एक अफसर तीन पाँच या दस वर्षों तक चलने वाले ऋण को अस्थायी कह सकता है और दूसरा केवल छ मास तक चलने वाले ऋण को ही स्थायी कह सकता है। उसने अनुसार निश्चित कालीन ऋण केवल उगी को कहना चाहिये जो उस प्राथिक धन के बाद चलने वाला न हो जिसके लिये ऋण लिया गया हो। उनका विचार है कि, परन्तु इन प्रकार की सीमा के लिये कोई निश्चित प्रथा नहीं है। इन दोनों वर्गों के बीच एक गहरी रेखा खींचने के प्रयत्न में हमारे सामने कठिनाई आती है जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करा के बीच भेद करने के प्रयत्न में आई थी। सरकारी कानूनी और वैज्ञानिक प्रयोग इतने भिन्न हैं कि सब वर्गों के मिलाने के प्रयत्न में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा।⁵

६ शोध्य तथा अशोध्य ऋण—राजकीय ऋणों का एक वर्गीकरण और दिया गया है जिसके अनुसार शोध्य (Redeemable) तथा अशोध्य (Irredeemable) ऋण होत हैं। जो ऋण सरकार को एक निश्चित तिथि तक सर्वे ध्यात्र के चुकाने होते हैं, उन्हें शोध्य ऋण कहते हैं और जो ऋण सरकार को केवल मूद देने की शर्त पर ही, सदा के लिये प्राप्त हो जायें, उनको अशोध्य ऋण कहते हैं। इस प्रकार पहले ऋणों में मूलधन और व्याज दोनों ही का भुगतान करना होता है और इनका भुगतान एक निश्चित तिथि तक के अन्दर ही करना पड़ता है। दूसरी प्रकार के ऋणों में मूलधन तो नहीं लौटाना पड़ता किन्तु ध्यात्र का भुगतान सदा के लिये निश्चित दरों के अनुसार चलता रहता है। आयुक्तिक सरकारें अशोध्य ऋणों का बहुत कम ही प्रयोग करती हैं, क्योंकि इन ऋणों का भार निरन्तर ही नगरिकों पर पड़ता रहेगा और सरकार कभी भी ऋण मुक्त नहीं हो पायगी। परन्तु इस दृष्टि से कि ऋण राशि से जो सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं उनका लाभ भविष्य में धरने वाली स्तानों को भी प्राप्त होगा इसलिये ऋण भार उनकी भी सहन करना चाहिये अशोध्य ऋण ही अधिक उपयुक्त होंगे। इसके अतिरिक्त जिन शोता में निरन्तर लाभ प्राप्त

होता रहता है जैसे रेल, सड़कें, उनके लिये भी इन ऋणों को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ऋण के ब्याज का भुगतान उनसे प्राप्त होने वाले लाभों से किया जा सकता है। शोध्य ऋण दीर्घकालीन या स्थायी और अल्पकालीन या अस्थायी भी हो सकते हैं। वास्तव में निश्चित कालीन, अनिश्चित कालीन, शोध्य तथा अशोध्य ऋण—दो मोटे वर्गों में रक्खे जाते हैं, अर्थात् स्थायी तथा अस्थायी। आधुनिक सरकारों की दोनों प्रकार के ऋणों की आवश्यकता होती है और इनके अपने-अपने लाभ तथा हानियाँ होती हैं। इनका वर्णन हम निम्न में देंगे —

अस्थायी ऋणों के लाभ—अस्थायी ऋणों के निम्न लाभ बताये जाते हैं—

(१) किसी अस्थायी सङ्कट अथवा आवश्यकता की पूर्ति के लिये ऐसे ऋण ही लिये जाते हैं। कभी कभी सरकार इतको उस समय भी लेती है जब उसे कर की आय के इकट्ठे होने में देर लगने की संभावना होती है। संक्षेप में अल्पकालीन परिस्थितियों के लिये अस्थायी ऋण लिये जाते हैं।

(२) जब बाजार में मूद की दर अस्थायी कारणों से ऊँची हो जाती है और उसके शीघ्र ही गिरने की आशा होती है तब अस्थायी ऋण अधिक उपयुक्त होते हैं।

(३) अस्थायी ऋणों को बड़ी सरलता से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ऋणदाता ऐसे ऋणों में अपना धन विनियोग करने में हिचकते नहीं हैं।

(४) इनका देश के नागरिकों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता।

अस्थायी ऋणों की हानियाँ—अस्थायी ऋणों की हानियाँ निम्न प्रकार हैं—

(१) ऐसे ऋणों में अपना धन लगाने में व्यक्तियों को कोई भी आपत्ति नहीं होती। यह इन्हे लाभप्रद तथा सुरक्षित विनियोग समझते हैं जिसके कारण व्यक्ति अपने धन को अन्य विनियोगों से निकाल कर इनमें विनियोग करना आरम्भ कर देते हैं। परिणामस्वरूप उद्योग धन्धों तथा अन्य उपक्रमों के लिये अल्पकालीन धन की कमी हो जाती है और उनका उचित विकास नहीं हो पाता।

(२) ऐसे ऋण बहुधा दीर्घकालीन ऋण बन जाते हैं, क्योंकि सरकार एक ऋण का भुगतान करने के लिये दूसरा ऋण प्राप्त करती है और इस प्रकार ऋण कभी समाप्त ही नहीं होता।

(३) बार बार अस्थायी ऋण लेने से सरकार की साख कम हो जाती है, क्योंकि जनता का विश्वास सरकार पर से कम हो जाता है। विदेशों पर भी इनका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता और विदेशी ऋण प्राप्त करने में भी कठिनाई होती है।

(४) इन ऋणों पर कोई कानूनी नियन्त्रण नहीं होता और इनका भुगतान करने के लिये सरकार नोट छापती है। मुद्रा स्फीति में मूल्य स्तर बढ़ने से व्यक्तियों को ऐसे ऋणों का अप्रत्यक्ष वास्तविक भार सहन करना पड़ता है और हानि उठानी पड़ती है।

(५) अधिक अस्थायी ऋण लेने के कारण आर्थिक संकटकाल तक में सरकार को ऋण प्राप्त करना कठिन हो जाता है।

स्थायी ऋणों के लाभ—स्थायी ऋणों के लाभ निम्न प्रकार हैं—

(१) ऐसे ऋणों का भुगतान दीर्घ ही न करने के कारण, सरकार इनकी उचित व्यवस्था कर सकती है। इन ऋणों को दीर्घकालीन विनियोगों में लगाने की योजना बना सकती है तथा ऐसी व्यवस्था कर सकती है जिससे नागरिकों पर ऋण भार कम से कम पड़े।

(२) ऐसे ऋण बीमा कम्पनियों, बैंकों तथा विनियोग ट्रस्टों के लिये विनियोग का एक अच्छा साधन प्रस्तुत करते हैं।

(३) जब व्याज में व्याज की दर नीची होती है तब स्थायी ऋण प्राप्त करना अधिक उपयुक्त होता है।

(४) ये ऋण अधिक न्याय-मग्न होते हैं क्योंकि इनका भार भविष्य में आने वाली मन्ताना पर भी पारा जा सकता है।

(५) अधिक दाय का भार तो चलने वाले मकानों के लिये स्थायी ऋण आवश्यक होते हैं।

(६) जब वास्तविक स्थायी ऋण लेने में सरकार को बार-बार ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होती और इसलिए सरकार का विश्वास एवं सामर्थ्य भी सज्जित नहीं होते।

(७) ऐसे ऋणों से देश की आर्थिक उन्नति एवं विकास में सहायता मिलती है क्योंकि इनके द्वारा प्रयोग उद्योग-कार्यों में की जा सकता है।

स्थायी ऋणों की हानियाँ—स्थायी ऋणों की निम्न हानियाँ बताई गई हैं—

(१) ऐसे ऋणों से सरकार में पित्रुत्वपूर्ण की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उन्हें हमकी फिर नहीं होगी कि ऋण का भुगतान तुरन्त ही करना है और हमलिये इन ऋणों का अत्यधिक सामूहिक भार व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है।

(२) ऐसे ऋणों में व्यक्तिगतता का धन एक लम्बे काल के लिये कम जाता है और उनके धन की फेर बदल (turnover) में होने के कारण देश के लिये पर्याप्त माना में धन नहीं मिल पाता। इस प्रकार देश की आर्थिक उन्नति ठीक प्रकार से नहीं हो पाती।

(३) ऊँची व्याज की दरों की स्थिति में यह ऋण उपयुक्त नहीं होते। वास्तव में स्थायी तथा अस्थायी ऋणों के लाभ तथा हानियों की इस विवेचना का कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है क्योंकि व्यवहारिक जीवन में सरकार को ऊँची व्याज की दरों में भी स्थायी ऋण लेने पड़ते हैं और मन्ती व्याज की दरों में भी अस्थायी ऋण लेने पड़ते हैं। यह केवल परिस्थितियों पर ही निर्भर करता है। यदि आवश्यकता इतनी अधिक है कि बिना ऋण के काम ही नहीं चल सकता और यदि सरकार इस स्थिति में नहीं है कि लिये हुए ऋणों को तुरन्त ही लौटा सके तो सरकार को स्थायी ऋण, हानिकारक होते हुए भी लेने पड़ेंगे। अतः जब सरकार को स्थायी ऋण लेने चाहिये और जब अस्थायी इनके लिये कोई स्पष्ट, तथा कदा नियम नहीं बनाया जा सकता।

७ **अग्य वर्गीकरण**—कुछ लेखको ने उपर्युक्त मुख्य वर्गों को ही उपविभाजित कर दिया है और राजकीय ऋणों को निम्न वर्गों में और विभाजित किया है।

(अ) बेचा जा सकने वाला ऋण तथा बेचा न जा सकने वाला ऋण (Marketable and Non-marketable Debt)—प्रथम श्रेणी में वह सरकारी प्रतिभूतिया (Securities) होती हैं जिनको बाजार में स्वतन्त्रतापूर्वक बेचा तथा खरीदा जा सकता है और दूसरी श्रेणी में वे प्रतिभूतिया होती हैं जिनको बाजार में नहीं बेचा जा सकता। यह केवल सरकार को ही पूर्ण निश्चित दरो पर लौटाई जा सकती हैं। दूसरी प्रकार की प्रतिभूतिया सरकार केवल इसीलिपे निकालती है, ताकि बाजार में प्रतिभूतियों के मूल्यों में बहुत अधिक उतार चढ़ाव न हो ?

(ब) सूद सहित तथा सूद रहित ऋण—पहली प्रकार के ऋण वह हैं जिन पर सरकार सूद देती है और दूसरी प्रकार के ऋण वह हैं जिन पर सरकार कोई भी सूद देने का बचन नहीं भरती। दूसरी प्रकार के ऋण अधिक प्रचलित नहीं है।

(स) कुल ऋण और शुद्ध ऋण—किसी भी समय या अवधि विधेय पर सरकार के जितने ऋण होते हैं उन सबके योग को कुल ऋण कहते हैं और यदि ऋणों का भुगतान करने के लिए कोई विधेय कोष सरकार एकत्रित रखती है तो उसको कुल ऋण की राशि में से निकालकर जो कुछ शेष रहता है उसे शुद्ध ऋण कहते हैं।

ऋण चुकाने के ढंग—

(१) ऋण निषेध—व्यक्ति की भाँति राज्य भी ऋण भार में दबा रहता है और इसलिए शीघ्र से शीघ्र इस भार से मुक्त होना चाहता है। इस भार से मुक्त होने के लिए दो ही मार्ग होते हैं—सरकार या तो ऋण का भुगतान करने से इन्कार करदे या ऋण को लौटा दे। पहला मार्ग ऊपर से देखने में तो बड़ा सरल प्रतीत होता है परन्तु इसके बड़े घातक परिणाम होते हैं। यदि सरकार आन्तरिक ऋण का भुगतान करने में इन्कार करती है तो जनता उसकी चोरी और उर्कती से तुलना करती है, विरोध करती है और भविष्य में कभी भी सरकारी प्रतिभूतियों में धन न लगाने का निश्चय कर लेती है। इसके अतिरिक्त यह मार्ग न्याय गत भी नहीं होता और समाज में अशान्ति उत्पन्न होने का भी भय रहता है। बाह्य ऋणों का चुकाने के तो परिणाम और भी शोचनीय होते हैं। ऋणी राज्य का भाग अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भग हो जाता है, और गौत्रिक क्षेत्र में उसकी साख समाप्त हो जाती है। कभी कभी विदेशी ऋणदाता युद्ध तक करने को तैयार हो जाते हैं और यदि वे ऐसा प्रयत्न रूप से नहीं करते तो अप्रत्यक्ष रूप से ऋणी देश के विह्वल अन्य राज्यों को भडकाने हैं, उससे विरुद्ध प्रचार करते हैं और व्यापारिक जगत् से उसको निकाल बाहर करने का प्रयत्न करते हैं। अतः ऐसी नीति में केवल मान ही भग नहीं होगा वरन् व्यापार को ठेस पहुँचती है और युद्ध होने तक मौबत पहुँच जाती है। इस नीति को ऋण निषेध (Debt Repudiation) कहते हैं। सन् १९३० के मन्दीकाल

ज ऋण निषेध की शर्तोंको अन्य रीतियाँ अपनाई गई थी। जैसे, ऋण चुकाने की अवधि को बढ़ा देना, ब्याज की दर को कम करना, मुद्रा पमान द्वारा मुद्रा के मूल्य को कम करना इत्यादि।

(२) वार्षिक वृत्ति—परन्तु व्यवहारिक जीवन में ऐसा बहुत कम ही होता है। अभी पिछले युद्ध में ही चर्चित और उनके माथिया न भारत के जो स्टेटिंग ऋण इंग्लैंड पर थे उनका भुगतान न करने के लिए बहुत जोर दिया था किन्तु यह दाव रहे कि यह सरकार की ओर से प्रयत्न नहीं था, बरन् कुछ व्यक्तियों की अपनी निजी राय थी। हा तो प्रत्येक राज्य ही इस बात का प्रयत्न करता है कि वह ऋण का भुगतान कर दे। ऋण का भुगतान केवल उन्ही समय किया जा सकता है जब बालू व्यय की अपेक्षा सरकार की आय अधिक हो। कभी कभी सरकार परिपक्वता अवधि (maturity date) से पहले भी ऋण का भुगतान किस्तों के रूप में, जैसे जैम आय प्राप्त होती जाती है करती जाती है या अपने बांड और अपनी प्रतिभूतियों को वापिस खरीदती जाती है या उन्हें खरम करती जाती है। यह सरकार केवल उन्ही समय करता है जब उसको या तो आय प्राप्त होती है या जब वह यह देखती है कि उसकी प्रतिभूतिया नीची दर पर लौग बेचने को तैयार है। ऐसा करने में परिपक्वता तिथि पर सरकार को ऋण की कुल राशि का भुगतान करने की चिन्ता नहीं रहती। इसके अतिरिक्त सरकार को ऋण के भुगतान करने की बात मालूम भी नहीं पड़ती क्योंकि वह धीरे धीरे भुगतान करते रहने से एक दम मुक्त हो जाती है। जब सरकार ऋण का भुगतान किस्तों के रूप में प्रतिव्यय चुकानी रहती है तो इस रीति को वार्षिक वृत्ति या (Terminal Annuities) की रीति कहते हैं। इनमें वार्षिक किस्तों की राशि समान रहती है और ब्याज तथा मूलधन दोनों ही सम्मिलित रहते हैं। यह ऋण भार से मुक्त होने की दूसरी विधि है।

(३) ऋण परिवर्तन—यह ऋण चुकाने की दूसरी विधि तथा ऋण भार से मुक्त होने की तीसरी विधि है। इन विधि के अनुसार सरकार पुराने ऋण का ब्याजव में भुगतान नहीं करती बरन् एक प्रकार से उसका रूप बदल देती है। इस विधि में ऋण की शर्तों और मूल की दर आदि में परिवर्तन किया जाता है जैसे ऋण की दर कम कर देना, या ऋण को अल्पकालीन से दीर्घकालीन में बदल देना। बहुधा ऋण परिवर्तन शब्द का ऋण पुन शोधन (Refunding) के स्थान पर प्रयोग से लाया जाता है, परन्तु यह पूर्णतया गलत है। पुन शोधन में तो नये ऋणों को प्राप्त करके पुराने ऋणों का भुगतान किया जाता है। नये ऋण पहली की अपेक्षा कम मूल की दर पर प्राप्त किये जाते हैं। नये ऋणों की निकासी पर पुराने ऋण दाताओं के लिए दो मांग होती हैं—एक तो अपने ऋण को वापिस ले लें या पुराने ऋण के स्थान पर नया ऋण ले लें। ऐसा करने पर अन्त में केवल नया ऋण ही रह जाता है। जब ऋणदाता पुराने ऋण के स्थान पर नया ऋण स्वीकार करने की तैयार हो जाते हैं तो इसको ही ऋण परिवर्तन कह सकते हैं। जो ऋणदाता नये ऋण को स्वीकार नहीं करते उनको नये ऋण से प्राप्त धन में से पुराने ऋण का

भुगतान कर दिया जाता है। ऋण परिवर्तन से हमारा अभिप्राय "साधारण सूद की दरों की कमी से लाभ उठाकर, सूद की राशि को कम करने के लिए, वर्तमान ऋणों को नये ऋणों से बदलने से है।"⁶ इसकी व्यवस्था सरकार उमी समय करती है जब वह ऋण की परिपक्वता अथवा जाने पर ऋण के भुगतान का प्रबन्ध नहीं कर पाती। इसके अन्तर्गत पुराने बौड़ो को रद्द कर दिया जाता है और उनके स्थान पर नये बौड़ चालू किये जाते हैं। इन नये बौड़ो की शर्तें इतनी आकर्षित बनाई जाती हैं कि लोग नये बौड़ो को भी स्वीकार कर लेते हैं। सरकार या तो नये बौड़ो और प्रतिभूतियों को वास्तविक मूल्यों की अपेक्षा कम मूल्य पर बेचती है, या यदि वास्तविक मूल्य पर बेचती है तो परिपक्वता तिथि पर उससे अधिक राशि का भुगतान करने का वचन देती है। डाक्टर डाल्टन, इन दोनों रीतियों के ही पक्ष में नहीं है। उन्होंने इनकी आलोचना करते हुए स्पष्ट किया है कि पहली रीति में यद्यपि वर्तमान ऋण भार कम हो जाता है, किन्तु भविष्य में ऋणभार अधिक हो जाता है क्योंकि बाजार में इन बौड़ो और प्रतिभूतियों का मूल्य बढ़ता जाता है और यदि कहीं बाजार में सूद की दर कम हो गई तो ऋण भार और भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि सरकारी प्रतिभूतियों पर सूद की दर अधिक होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं में अपने धन को विनियोग करना चाहेगा। उनके शब्दों को दोहराने के लिए हम कह सकते हैं कि "इस प्रकार के ऋण, विनियोग कर्ताओं को, उनके व्याज की दर को देखते हुए बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि उनमें पूँजी का मूल्य बढ़ने का व्यवहारिक विश्वास होता है.....परन्तु इसी बात के कारण वह सरकार के अन्तिम भार को बढ़ा देते हैं...."। अधिकांश विशेषज्ञों ने इसकी अनुचित अर्थ व्यवस्था कह कर निन्दा की है।"

इस विचार में कोई विशेष तथ्य नहीं है कि ऋण परिवर्तन से ऋण भार कम हो जाता है। इसका कारण यह है कि व्याज की दरों में एक तो बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होते और यदि होते भी हैं तो व्याज की राशि की जो वचन होनी है वह कुल वचन का एक छोटा सा भाग होता है। दूसरे, सरकारी आय लगभग पूर्ववत् ही रहती है, क्योंकि जो लाभ सूद की राशि के वचने से होता है, वह करों के न लगाने से जो हानि होगी और उनसे प्राप्त आय में जो हानि होगी उसमें समाप्त हो जायेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस प्रयत्न से कर दानियों को भले ही कुछ लाभ है, सरकारी आय में कोई बृद्धि नहीं होगी। इसीलिए अधिकतर लेखकों तथा विचारकों में इसका पक्ष नहीं लिया है। ऋण परिवर्तन करते समय कुछ बातों की ओर ध्यान देना नितान्त आवश्यक हो जाता है, जैसे मुद्रा बाजार की प्रवृत्तियाँ का गहन अध्ययन, अर्थात्, मुद्रा की पूर्ति एवं माँग का सम्पूर्ण अध्ययन करते रहना चाहिये। दूसरे, यह भी आवश्यक है कि भविष्य में व्याज की दर, कर और मूल्य स्तर की स्थिति कैसी रहेगी, इसका भी थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया जाय। तीसरे, नये ऋणों

6 A. G Buehler, *Public Finance*, Page 756

7. *Public Finance* P. 278

की मूलधन की राशि में उम मय तक कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए जब तक ऐसा करना बहुत ही आवश्यक न हो। अन्त में ऋण परिवर्तन की रीति अर्थात् विधि बहुत ही सरल हो ताकि जनसाधारण की समझ में भी आ जाय।

(४) निश्चित योजना के अनुसार—कभी कभी सरकार ऋण का भुगतान एक निश्चित तथा नियमित योजना के अनुसार कर सकती है, अर्थात् ऋण के भुगतान का कोई उचित प्रबंध कर दे और परिपक्वता तिथि पर उस निम्ने गये प्रबंध के अनुसार ऋण का पूरा भुगतान कर दे। सरकार कई विधियाँ अपना सकती है, जैसे, एक परिशाथ कोष पहले में निश्चित करने, या बौडा का वार्षिक भुगतान करे जिमका निणय या तो कमानुसार या लीटरी द्वारा करे। हम इन रीतिया का अध्ययन प्रमानुसार करमे।

(अ) ऋण परिशोध कोष (Sinking Fund)—ऋण परिशोध कोष केवल, ऋण भुगतान करने के लिये ही स्थापित किया जाता है। प्राग्भिक वर्षों में अधिकतर यह प्रथा थी कि प्रत्येक वर्ष कुछ निश्चित धन राशि किसी स्थान पर लगा दी जाती थी। दूसरे वर्ष पिछले वर्ष का मूलधन व व्याज तथा इस वर्ष के मूलधन को फिर लगा दिया जाता था और हर वर्ष ऐसे ही करते रहने पर मूलधन और व्याज मिलकर ऋण के बराबर हो जाते थे। ऐसे कोष दो प्रकार में स्थापित किये जा सकते हैं—वार्षिक आय में से या ऋण लेकर। नये ऋण लेकर परिशोध कोष चालू करना तो एक प्रकार का ऋण परिवर्तन ही होता है। ऐसे कोषों का उपयोग सर्वप्रथम, इंग्लैंड में सर विलियम पिट के समय में हुआ था। उन समय, इसकी सलाह प्राइस नामक एक पादरी ने दी थी। उनके बाद परिशोध कोषों का प्रयोग एक साधारण गी बात हो गई। परन्तु आपुनिक परिशोध कोषों का रूप बिल्कुल भिन्न है। आजकल परिशोध कोष एकान्त नहीं होते या एक वर्ष में दूसरे वर्ष को नहीं ले जाये जाते बरन् प्रत्येक वर्ष कुछ राशि अलग रख दी जाती है और उसी वर्ष ऋण के एक भाग का भुगतान कर दिया जाता है। यह राशि प्राय पूर्ण निश्चित होती है।

डाक्टर डावटन ने परिशोध कोषों को निश्चित तथा अनिश्चित कोषों में विभाजित किया है।^{१०} निश्चित ऋण परिशोध कोष में हर वर्ष एक निश्चित धन राशि अनिवार्य रूप से जमा की जाती है जबकि दूसरे कोष में धन केवल उसी समय जमा किया जाता है जब उस वर्ष की आय में से कुछ बचा हो। बचत न होने की स्थिति में कुछ भी जमा नहीं होगा। निश्चित कोष की स्थापना तीन आधारों पर की जा सकती है। प्रथम, ऋण चुकाने की अवधि के अनुसार ऋण कोष स्थापित किया जाता है। ऋण जितने कम समय के लिये लिया जाता है या ऋण भुगतान करने की अवधि जितनी कम होगी है, उतनी ही स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक रहती है। एक विशेष ऋण भुगतान कर लगाकर, यदि ऋण का भुगतान एक दम कर दिया जाय तो सबसे अच्छा है, परन्तु साधारणतया इतने सीमित अल्पकाल की बात करना

व्यवहारिक नहीं होती। यदि ऋण भुगतान अवधि इतनी अल्प न हो तो अपेक्षाकृत छोटी अवश्य हानी चाहिये। यह बात एक दूसरे दृष्टिकोण से भी सही होती है। यदि ऋण किसी निम्नस्तरीय (Subordinate) सरकार द्वारा पूंजीगत वस्तुएँ खरीदने के लिये प्राप्त किया गया है तो यह साधारण तः बात है कि उच्चस्तरीय (Superior) सरकार कुछ शर्तें निर्धारित कर दे। अर्थात् ऋण भुगतान की अवधि निश्चित कर दे। यह स्वाभाविक है कि यह अवधि पूंजीगत वस्तु के जीवनकाल के अनुसार ही निर्धारित की जाय, अर्थात् ऋण का भुगतान पूंजीगत वस्तु के नष्ट होने तक चुका दिया जाय ताकि उसके नष्ट होते ही कोष के द्वारा फिर से नयी मशीन खरीदी जा सके। देखा जाय तो यह कोष घिसाई कोष के ही समान होता है। यदि ऋण युद्ध के लिये लिया गया है तो युद्ध समाप्त होते ही, युद्ध सम्बन्धी सामान को बेचकर ऋण वा भुगतान करना चाहिये। कहने का अभिप्राय यही है कि ऋण का भुगतान कम से कम समय के अन्दर ही हो जाना चाहिये। दूसरे, ऋण भुगतान अवधि निश्चित कर लेने के बाद यह निश्चित करना चाहिये, कि भुगतान कोषों को इस अवधि पर किस प्रकार फैलाया जाय? भुगतान कोषों का बटवारा इस समय अवधि पर तीन प्रकार से किया जा सकता है, प्रथम, वार्षिक भुगतान जब बढ़ना जाय, दूसरा जब मगान रहे और तीसरा जब घटता जाय।⁹ पहली रीति में निरन्तर जमा होने वाला (Cumulative) परिशोध कोष स्थापित किया जाता है और व्याज चक्र वृद्धि (Compound) की दर पर बढ़ता जाता है। हर वर्ष इस कोष में एक निश्चिन्त धन राशि जमा की जाती है और प्रत्येक वर्ष का व्याज भी इसी में जुड़ता चला जाता है। दूसरी रीति में, कोष में, वर्ष में प्राप्त की हुई व्याज की पूरी राशि जमा नहीं की जाती, वरन् उसका केवल एक भाग ही जमा होता है और शेष को ऋणदाताओं में बांट दिया जाता है। इस रीति से ऋण भार प्रत्येक वर्ष समान रहता है। तीसरी रीति में, किसी एक वर्ष में प्राप्त हुई व्याज की राशि से भी अधिक राशि का भुगतान ऋणदाताओं को कर दिया जाता है, परिणामस्वरूप ऋण भार प्रति वर्ष कम होता जाता है। इन तीनों में राजनैतिक दृष्टिकोण से, तीसरी रीति सबसे उत्तम है, यदि इसको कार्यान्वित करना व्यवहारिक हो।¹⁰ इन दोनों बातों को निश्चित कर लेने के बाद यह निश्चित करना चाहिये कि इन भुगतानों का बटवारा विभिन्न प्रकार के ऋणों में किस प्रकार किया जाय? यदि राजकीय ऋणों की प्रवृत्ति एक जैसी होती तो कोई भी कठिनाई नहीं थी, किन्तु व्यवहारिक जीवन में राजकीय ऋणों में एकरूपता नहीं होती। उनमें मूढ़ की दर, भुगतान की अवधि व रीति आदि की इतनी भिन्नताएँ होती हैं कि ऋण परिशोध कोष का बटवारा करना बहुत ही कष्टदायक होता है। ऐसी स्थिति में या तो परिशोध कोष को सरकार के लिये पूर्ण रूप से स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय, अर्थात् सरकार जिस प्रकार चाहे उसका प्रयोग करे, जिस ऋण को उचित समझे उनका भुगतान करे, या दूसरी विधि

9 Dalton, *Op cit.* P. 272

10 Dalton *Ibid.* P. 272

यह हो सकती है कि कोष को विशेष ऋणों के लिये एक निश्चित रीति में निश्चित कर दिया जाय और सरकार इस प्रकार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ऋणों का भुगतान करती रहे। या तीसरी विधि यह ही सकती है कि कोष का कुछ भाग, कुछ विशेष ऋणों के लिये निश्चित कर दिया जाय और शेष के उपयोग के लिये सरकार का स्वतन्त्रता दे दी जाय ताकि वह जिन प्रकार चाहे उनका उपयोग करे। पहली विधि के अनुसार सरकार को स्वतन्त्रता दोनों द्वायित्य आवश्यक गमभी गई है ताकि वह कोष का अधिकतम उपयोग कर सब और तब ऋणों के भुगतान करने पर अपनी दृष्टि केन्द्रित कर सके, जिनका भुगतान किसी विशेष समय पर लाभ-कारक तथा सस्ता ही। दूसरी विधि के पक्ष में जो तर्क दिये जा सकते हैं। प्रथम, विभिन्न कोषों को विभिन्न ऋणों के लिये निर्धारित कर देने से प्रतिनूतिया विशेष के मूल्य ऊंचे रहते हैं और ऋणों के दृष्टिकोण में उनकी वास्तविक स्थिति सुधर जाती है और उनको बाद में परिवर्तित करना सरल हो जाता है। दूसरा, तब यह विचार है कि ऐसा ही जाने के बाद सरकार कोष का किसी और काम के लिये प्रयोग नहीं कर सकती। यह दूसरा तर्क अधिक महत्वपूर्ण है। परन्तु यह दोनों विधियाँ दो सीमाएँ हैं और नीति को व्यवहारिक बनाने के लिये आवश्यक यह है कि सर्वे ही कोष का रास्ता अपनाया जावे क्योंकि कोष के कुछ भागों को विभिन्न ऋणों के लिये निश्चित कर दिया जाय और कोष के शेष भाग को प्रयोग में आने के लिये सरकार को स्वतन्त्रता प्रदान कर दी जाय।¹²

(ब) भुगतान की दूसरी विधि के अनुसार सरकार ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि चातू दिये गये बौडा में से कुछ की परिपक्वता अवधि प्रत्येक वर्ष पूरी हो। ऐसे बौडों की संख्या क्रम के अनुसार आरम्भ में ही निश्चित कर दी जाती है। इस विधि के अनुसार ऋण का एक भाग प्रत्येक वर्ष चुकता जाता है। इस विधि का प्रयोग अमेरिका में स्थानीय सरकारों द्वारा क्वे हुआ है।

(स) उपरोक्त रीति में ही एक सशोधन कर दिया जाता है वह यह कि बौडों की संख्या क्रमानुसार आरम्भ में ही निश्चित न करके लौटरी के अनुसार प्राप्त कर ली जाती है। इस विधि में एक दोष यह है कि विनियोग कर्ताओं को यह तो निश्चित होता है नहीं कि उन्हें ऋण के वापिस मिलेगा इसलिए ही सन्तता है कि उनको ऋण एमें समय पर वापिस दिया जाय, जबकि उसके विनियोग के अन्य साधन उनको उपलब्ध न हों और उनका धन बेकार पड़ा रहे।

५ पूँजी कर (Capital Levy)—ऋण के भुगतान करने के लिये सरकार कोई विद्याप कर या पूँजी कर भी लागू कर सकती है। यह कर है जो व्यक्तियों की सम्पत्ति पर लगाया जाता है। एक निश्चित कर रीति सीमा निर्धारित कर दी जाती है और उसके ऊपर की सम्पत्तियों पर कर लगाया जाता है। यह कर प्रवर्धित होता है। यह कर प्रथम महायुद्ध के बाद एक बड़ा वाद विवाद का विषय रहा है। रिकार्डों का विचार था कि एक देश का कठिनाइयाँ से बचने के लिये अपने आप

को ऋण से जल्दी से जल्दी मुक्त कर लेना चाहिये, चाहे ऐसा करने के लिये उसे अपनी सम्पत्ति के किसी भाग का बलिदान ही क्यों न करना पड़े। रिचार्डों के जितने भी अनुयायी हैं वे सभी ऋण भुगतान के लिये पूँजी कर का समर्थन करते हैं। परन्तु कुछ लोग इसका कडा विरोध करते हैं। पूँजी कर के पक्ष तथा विपक्ष में दिये गये तर्कों का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे :—

पूँजी कर के पक्ष में तर्क—पूँजी कर के पक्ष में निम्न तर्क दिये गये हैं :—

(१) पूँजी कर द्वारा हम ऋण से मुक्त हो जाते हैं और उद्योगी तथा व्यापार को भी हानि नहीं पहुँचती वरन् उनकी उन्नति होती है, क्योंकि उन पर कर का भार नहीं बढ़ता। साथ ही व्याज के रूप में जो धन जाता वह बच जाता है, और हम फिर उसका प्रयोग अन्य कार्यों में कर सकते हैं।

(२) युद्ध सम्बन्धी ऋणों को तो तुरन्त ही युद्ध समाप्त होते ही पूँजी कर लागू करके चुका देना चाहिए। युद्ध के बाद मूल्य-स्तर ऊँचा होता है। उस समय ऋण का भुगतान करने से ऋण भार कम पड़ता है। परन्तु यदि युद्ध के काफी समय बाद जब मूल्य-स्तर कम हो जाय तब ऋण का भुगतान करने से व्यक्तियों पर ऋण का भार अधिक होगा, इसलिये पूँजी कर की सहायता से युद्ध ऋणों का तुरन्त ही भुगतान किया जा सकता है।

(३) यह अनुचित होगा कि जिन लोगों ने लड़ाई में अपनी जान खतरे में डाली, मुनीबते सहन की, उनको लड़ाई से लौटने के बाद अपनी चालू आय में से ऋण सम्बन्धी व्याज के भुगतान के लिये अन्य भुगतान करना पड़े और ऋण का भार सहन करना पड़े। इस प्रकार युद्ध के लड़ने वालों को युद्ध का भार बहुत अधिक सहन करना पड़ेगा। दूसरी ओर वे लोग जिन्होंने अपनी जानें लड़ाई में भाग न लेकर खतरे में नहीं डाली, जिन्होंने व्यापार तथा उद्योगों से बहुत अधिक लाभ प्राप्त किये हैं, जिन्होंने केवल ऋण ही दिये हैं और उनसे भी उन्हें व्याज की राशि प्राप्त होगी, उनको ऋण का कोई भी भार सहन न करना पड़ेगा। इसलिये यह अन्याय समतल होगा कि पूँजी कर लगाकर ऋण का भुगतान करा जाय।

पूँजी कर के विपक्ष में तर्क—पूँजी कर के विपक्ष में निम्न तर्क दिए गये हैं :—

(१) इस कर के लगने से व्यक्तियों की काम करने तथा बचत करने की शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(२) इस कर के लगने के कारण विदेशों को पूँजी का स्थानान्तरण होने लगता है।

(३) पूँजी के मूल्यों को घाबने में इनको कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं।

(४) इस कर के प्रवन्ध में, अधिक मनमाने ढंग से काम लेना पड़ता है।

यह सब कुछ होते हुए भी पूँजी कर को सामान्य कर प्रणाली में आजकल एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। युद्ध काल के ऋण भार को कम करने के

लिय तो दान का विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। साधारणतया अस्थायी ऋण का मार कम करने के लिये तो पूँजी कर बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है।

राजकीय ऋणों के प्रभाव—

राजकीय ऋणों की व्यवस्था इतनी महत्वपूर्ण एक प्रभाव पण होती है कि इसमें सरकार को बड़ी सतर्कता से कार्य करना होता है। जिनकी भी देश की अर्थ-व्यवस्था, व्यापार, उद्योग तथा व्यक्तियों के उपभोग धन के वितरण आदि सभी पर राजकीय ऋण प्रबन्ध व बड़े महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार करारोपण तथा राजकीय व्यय क प्रभाव होते हैं। शक्तिव शब्दों में धन प्राप्त करना तथा उसको खर्च करना दो भिन्न भिन्न क्रियाएँ हैं और इनके प्रभाव भी भिन्न भिन्न होते हैं। शक्तिव करारोपण और राजकीय व्यय क प्रभावों का सम्बन्धन पूणतया अलग अलग किया जाता है। राजकीय ऋण व्यवस्था के संचालन में एक अदभुत बात यह है कि यह एक ही क्रिया होत हूय भी, दो क्रियाएँ अर्थात् धन प्राप्त करना और व्यय करना, दोनों का मिश्रण है। जब ऋण लगाया जाता है तो उसके प्रभाव अलग पड़ते हैं जब उन के भुगतान के लिये कर लगाय जाते हैं तो उसके प्रभाव अलग होते हैं और जब लिय हूय ऋणों को खर्च किया जाता है तो उसके प्रभाव अलग पड़ते हैं। इस प्रकार ऋण व्यवस्था के संचालन से कई तरह के प्रभाव उत्पन्न होते हैं और राजकीय ऋणा के प्रभावों का अध्ययन करने के लिये इन सभी प्रभावों का अध्ययन होना आवश्यक है। परन्तु हम राजकीय ऋण व्यवस्था के संचालन को केवल एक समुचित क्रिया व रूप में लेते हैं। इस क्रिया के हर पक्ष पर धन एवं शक्ति का हस्तान्तरण होता है। जब सरकार किसी ऋण को चालू करती है तब धन का हस्तान्तरण ऋण खरीदने वालों से सरकार को होता है और जब इस राशि को व्यय करती है तो ऋणा द्वारा प्राप्त धन उन व्यक्तियों पर गहूच जाता है जिन पर उसका व्यय हुआ है। जब ऋणा का व्याज चुकाने के लिये सरकार कर लगाती है तो फिर करदाताओं से क्रय शक्ति ऋणदाताओं के हाथों में पहुँच जाती है और जब ऋणा के मूलधन का भुगतान किया जाता है तब भी क्रय शक्ति का हस्तान्तरण होता है और यह हस्तान्तरण अन्तिम होता है। अतः हम ऋण व्यवस्थाके संचालन को एक समुचित क्रिया मान कर ही उसके प्रभावों का अध्ययन करेंगे —

(अ) उत्पादन तथा उपभोग पर प्रभाव—राजकीय ऋण वर्तमान तथा भविष्य, दोनों ही में देश की उत्पादन शक्ति को प्रभावित करते हैं क्योंकि राजकीय ऋण व्यक्तियों को कार्य करने, बचत करने और विनियोग करने की प्रवृत्तता एवं दृष्टि को प्रभावित करते हैं और माधनों का विभिन्न उपयोग से वितरण करते हैं। जहाँ तक कार्य करते तथा बचत करने की दृष्टि का सम्बन्ध है, उस पर दो प्रकार से प्रभाव पड़ता है। यदि ऋण से प्राप्त क्रिया हुआ धन ऐसे कार्यवृत्तियों पर व्यय किया जाता है, जो उत्पादन होते हैं और जिन से व्यक्तियों की उत्पादन शक्ति

बढ़ती है तो स्पष्ट ही है कि व्यक्तियों के कार्य करने, बचाने तथा विनियोग करने पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। यदि यह धन ऐसी मद्दों पर व्यय किया गया जिनसे निर्धन व्यक्तियों की आय बढ़ती है, तो निर्धन व्यक्तियों के काम करने तथा बचाने की शक्ति में वृद्धि होती है। यदि ऋण से प्राप्त किया हुआ धन उत्पादक कार्यों पर लगा दिया जाता है तब तो व्याज तथा मूलधन के भुगतान के लिये करारोपण की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। किन्तु यदि धन अनुत्पादक कार्यों पर खर्च होता है तो सरकार ऋण के व्याज तथा मूलधन की राशि का भुगतान करने के लिये व्यक्तियों पर कर लगायगी और तब व्यक्तियों के कार्य तथा बचत करने की शक्ति पर अवश्य ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। यदि सरकार ऋण के मूद का भुगतान करने के लिये अपने व्यय में कमी कर देती है और ऐसी मद्दों पर खर्चों में कमी करती है जिसमें उत्पादन में कमी आ जाती है, तब भी देश को हानि होगी और यह ऋण का अप्रत्यक्ष प्रभाव होगा। राजकीय ऋण व्यवस्था के संचालन से कार्य करने की तथा बचत करने की शक्ति पर एक दूसरे प्रकार से भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जब सरकार ऋण एकत्रित करती है तो, जिस धन से व्यक्ति ऋण खरीदते हैं, वह वर्तमान उत्पादन के लिए उद्योग धर्मों में नहीं लगाया जा सकता जिससे उत्पत्ति को हानि होती है।

राजकीय ऋण व्यवस्था के संचालन से कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर तो निस्संदेह ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि सरकारी ऋण, व्यक्तियों के लिये विनियोग के सबसे उत्तम और सुरक्षित अवसर प्रदान करते हैं और कुछ लोगो में बचाने की इच्छा उत्पन्न होती है और कुछ पहले की अपेक्षा अधिक बचाने लगते हैं। किन्तु जब सरकार ऋण के मूद की राशि तथा मूलधन का भुगतान करने के लिये कर लगाती है तब उस करारोपण से व्यक्तियों की इच्छा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों ने अपना धन सरकारी प्रतिभूतियों में लगा रखा है उनको तो निरन्तर आय प्राप्त होने का एक साधन उपलब्ध हो जाता है, और उनकी काम करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यही ऋण के अप्रत्यक्ष प्रभाव हैं। यदि एक दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाय तो व्यक्तियों के कार्य करने की शक्ति एवं इच्छा में वृद्धि होती है। जब सरकार ऋण प्राप्त करती है तो सामान्य रूप में व्यापारिक जगत में आया की लहर उत्पन्न हो जाती है और वे सोचने लगते हैं कि भविष्य में उनकी आय अधिक होगी, इसलिए वह उत्पत्ति बढ़ाने के लिये ऋण बैंकों से लेते हैं और इस प्रकार देश में उत्पत्ति बढ़ती है।

राजकीय ऋण व्यवस्था से साधनों का स्थान्तरण वर्तमान उपयोगों से नये उपयोगों में होता है। यह तो स्पष्ट ही है कि जब सरकार ऋण लेती है तो वह उसको उन उपयोगों में तो लगाती नहीं जिन में व्यक्ति लगाते या जिनमें लगे हुए थे। इसलिये, यदि सरकार ऐसे उपयोगों में लगाती है, जिनसे व्यक्तियों की उत्पादन शक्ति बढ़ती है तब तो ये अच्छा है और यदि चालू घाटा या युद्ध के संचालन में

उसको खगा देती है तब देश पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

राजकीय ऋणों से वर्तमान उपभोग तो हतोत्साहित नहीं होता, किन्तु भविष्य में उपभोग पर अवश्य ही बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सरकार ऋण आदि का भुगतान करने के लिये कर लगाती है जिसका भुगतान व्यक्ति अपनी वर्तमान आय में से करते हैं और इसलिए इनको अपना उपभोग कम करना पड़ता है । दूसरी ओर सरकार प्राप्त किये हुये ऋण को ऐसी वस्तुओं की उत्पत्ति पर खर्च करती है जिन पर व्यक्ति कभी भी धन लगाने की तैयार नहीं होता । ये वस्तुएँ व्यक्तियों के लिए उपयोगी होती हैं और ये व्यक्तियों को कम मूल्य पर मिलने लगती हैं जिससे उन का उपभोग का स्तर ऊँचा हो जाता है ।

साधारणतया हम कह सकते हैं कि राजकीय ऋण व्यवस्था से वर्तमान उपभोग तथा उत्पादन तो हतोत्साहित होते हैं और भविष्य में प्रोत्साहित होते हैं ।

(ब) वितरण पर प्रभाव—हम पहले कह चुके हैं कि राजकीय ऋणों द्वारा कम शक्ति का कई बार हस्तान्तरण होता है । जब सरकार ऋण प्राप्त करती है तो कम शक्ति व्यक्तियों से सरकार के पास पहुँच जाती है । यदि वह ऋण केवल धनी व्यक्तियों द्वारा ही खरीदे जाये और सरकार इनसे प्राप्त आय को केवल निर्धन व्यक्तियों पर ही खर्च करे या ऐसी सेवाओं पर खर्च करे जिनसे निर्धन व्यक्तियों को अधिक लाभ पहुँचे तब तो यह हस्तान्तरण न्यायोचित होता है, किन्तु विधिति, यदि इसके पूर्णतया विपरीत है तब उल्टे दिशा की हानि होगी और धन की असमानताएँ पटने के स्थान पर बढ़ेंगी । व्यवहार में अधिकतर यही होता है कि वर्तमान असमानताओं के कारण धनी व्यक्ति ही राजकीय प्रतिभूतियों में अपना धन लगाते हैं, किन्तु ऋण का भुगतान करने के लिए जब करारोपण किया जाता है तब उनका भार निर्धन व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है और धन की असमानताएँ, प्रायः पहले की अपेक्षा अधिक हो जाती हैं । डाब्लिन ने इसे 'ऋण का आस्तविक भार' कहा है । यदि ऋण पत्र छोटे मूल्यों के होते हैं और वे छोटी आय वाले व्यक्तियों द्वारा खरीदे जाते हैं तो इन व्यक्तियों को ब्याज का भुगतान होने पर धन की असमानताएँ कुछ अथवा तब दूर हो सकती हैं, किन्तु ऐसे ऋण पत्रों की संख्या बहुत अधिक होते हुए भी उनसे प्राप्त आय का कुल राजकीय ऋण की राशि में अनुपात बहुत कम होता है और इसलिए प्रायः की असमानताएँ प्रायः बढ़ ही जाती हैं । इसके प्रतिरिक्त कुछ व्यक्ति ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं जो अपनी आय सरकारी प्रतिभूतियों में स्वामित्व में ही प्राप्त करते हैं । वह सुद प्राप्त करते हैं, जिसका भुगतान करदाना करने है । इन प्रकार धन का हस्तान्तरण उन व्यक्तियों से, जो मेहनत करने आय प्राप्त करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को होता है, जो बिना मेहनत किए ही सुद की आय बँटें-बँटें खाते हैं । दुसरे सम्बन्धी ऋणों से तो ये असमानताएँ और भी अधिक हो जाती हैं, क्योंकि मूल्य गिरने पर भी व्यक्तियों की सुद की आय उतनी ही रहती है जितनी मूल्य बढ़ने की स्थिति में थी और सुद की दर भी समान रहने पर कर शतांशों पर मूल्य गिर जाने के बाद अधिक भार पड़ने लगता है । इस प्रकार धन और आय, दोनों ही की

असमानताये प्राय और अधिक हो जाती है। यह ध्यान रहे कि यह सारी स्थितियाँ, जिनका वर्णन अभी हमने किया है, उसी समय उत्पन्न होती हैं, जबकि राजकीय ऋण को अनुत्पादक कार्यों में लगाया जाता है। यदि ऋण उत्पादक कार्यों पर खर्च किया जाय तो धन का वितरण कुछ अशो तक समान होगा। एक दूसरे दृष्टिकोण से भी ऋण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है और इस दृष्टि से राजकीय ऋणों के प्रभाव बहुधा अच्छे बताये जाते हैं। जब राजकीय ऋण ऐसे कार्यों पर खर्च किये जाते हैं जिनसे निर्धन व्यक्तियों को लाभ पहुँचता है तो उससे धन के वितरण की असमानतायें कुछ अशो तक कम होती हैं।

(स) व्यवसायिक क्रियाओं तथा रोजगार पर प्रभाव—राजकीय ऋणों द्वारा व्यवसायिक क्रियाओं तथा देश में रोजगारों की स्थिति में भी परिवर्तन उत्पन्न किये जाते हैं। आधुनिक लेखकों के अनुसार राजकीय ऋणों का यह कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। सरकार व्यापार तथा उद्योगों, रोजगार तथा मूल्यस्तर को अपने व्यय द्वारा नियमित करती है और इस व्यय के लिए, राजकीय ऋणों द्वारा धन प्राप्त करने का आज, राजकीय अर्थ व्यवस्था में विशेष स्थान तथा महत्व दिया जाता है। आधुनिक 'घाटे की व्यय व्यवस्था' (Deficit Spending) सिद्धान्त इसी विचार पर आधारित है। व्यापारिक मन्दी में जब चारों ओर निराशा और उदासीनता का वातावरण छा जाता है, व्यापार का गला घुट जाता है, मूल्य, उत्पादन और उपभोग स्तर गिर जाता है और बेकारी बढ़ती जाती है और साख रक्खाओं की स्थिति खराब हो जाती है, उस समय सरकार ऋण प्राप्त करके स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करती है। वह सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर केन्द्रीय बैंक से ऋण प्राप्त करती है और उसे ऐसे कार्यक्रमों पर खर्च करती है, जैसे, रेलों, नहरों, सड़कों, नए-नए कारखानों आदि में जिससे अधिकाधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है और व्यक्तियों के पास धन पहुँचने से उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है, मूल्य बढ़ने लगते हैं और व्यापारिक जगत में फिर से स्फूर्ति आ जाती है। कीन्स ने इसे 'नल विस्फोटक क्रिया' (Pump Priming) कहा है और व्यवसायिक मन्दी काल के लिए इसे बहुत महत्वपूर्ण बताया है। साधारणतया इसे हीनार्थ प्रबन्धन (Deficit Financing) से सम्बोधित किया जाता है। गत वर्षों में विशेषकर १९३० के मन्दी काल से इस नीति का बहुत प्रयोग किया गया है। अमेरिका में इस नीति को मन्दी काल में, कार्यान्वित करने में विशेष उत्साह दिखाया गया था। अकेले वर्क के प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन (Worker's Progress Administration) नामक संस्था ने ही १०००००० से अधिक सार्वजनिक इमारतें, ५६५००० मील लम्बी सड़कें, १८००००० पुल, ३६००० स्कूल तथा पुस्तकालय, ७००० पार्क तथा खेल के मैदान बनवाये तथा उन्नत किये थे। परिणामस्वरूप, देश में स्थायी लाभ पहुँचाने वाली सम्पत्ति निर्मित हो गई तथा निराशा के वातावरण में आशा की किरण चमक उठी।^{१२} अमेरिका के अतिरिक्त अन्य देशों में भी इस नीति का प्रयोग हुआ है। डॉल्टन ने अपने विचारों की प्रकट

करते हुए इस नीति की वरारोपण की अपेक्षा अधिक उपयुक्त बताया है।¹³ उनमें प्रमुखतः आवश्यक धन या तो करारोपण द्वारा या ऋणों द्वारा प्राप्त होता है। इन कार्यों के लिए ऋणों द्वारा धन प्राप्त करने में कोई लाभ नहीं होता क्योंकि वरारोपण में केवल धन का हस्तांतरण जनता से सरकार को होता है और जब एक और रोजगार में वृद्धि होती है दूसरी ओर निजी उद्योगों में पूँजी का प्रभाव हो जाता है। निजी उद्योगों में उत्पादन कम होने से रोजगार की स्थिति लगभग समान ही रहती है। दूसरी ओर यदि आवश्यक कार्यों में ऋणों द्वारा प्राप्त करके धन लगाया जाता है तो उसके माध्यम से विस्तार होने से वस्तुओं की माँग बढ़ती है और रोजगार में वृद्धि होती है। दीर्घ काल से अर्थात् राष्ट्रीय लगानों से और निजी जेबों में, उद्योगों में धन का प्रवाह होता है, उत्पादन बढ़ता है और बेकारी कम होने लगती है।

अभी तक हमने केवल मन्दी काल में ही राजकीय ऋणों के प्रभावों का अध्ययन किया है। मुद्रा स्फीति बात में इसका महत्त्व बहुत अधिक होता है। मुद्रा मनुचन में राजकीय ऋणों के प्रभाव अत्यंत द्वारा उत्पन्न होते हैं, जब कि मुद्रा स्फीति में राजकीय ऋणों के प्रभाव अत्यंत उद्योगों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। मुद्रा मनुचन की स्थिति में सरकार केन्द्रीय बैंक से ऋण लेती है और फिर उस धन का प्रसार व्यवस्थाओं में करती है और मुद्रा स्फीति में सरकार व्यवस्थाओं से ऋण प्राप्त करती है और जो अतिरिक्त धन व्यवस्थाओं की जेबों में होता है उस निवारण के अर्थ में काम करती है जिससे पूँजी स्तर नीचा हो जाता है और सरकार अपने उद्देश्य में सफल हो जाती है।

राजकीय ऋणों के लाभ—यदि हम संक्षेप में राजकीय ऋणों के लाभों की विवेचना करेंगे—

(१) राजकीय ऋणों से देश में उद्योगों की प्रोत्साहन मिलता है उत्पादन बढ़ता है राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और जीवन स्तर ऊँचा होता है।

(२) इस ऋणों की सहायता से विशालकाय मावजनिक कार्य तथा योजनाएँ जैसे जल विद्युत सड़कें महरे पुल, रेल इत्यादि कार्यान्वित की जा सकती हैं और देश में सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति होती है और प्रशासन में कुशलता आती है।

(३) प्राकृतिक संपदा को दूर करने से सरकार इनकी सहायता लेती है।

(४) विदेशी आनमणकारियों से देश को बचाने के लिए युद्ध संचालन में राज्यों को सतर्कों में आणवों द्वारा ही आवश्यकतानुसार धन प्राप्त हो सका है। इसलिमें राजकीय ऋण देश की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये तथा सामाजिकों की सुरक्षा करने में सहायक होते हैं।

(५) व्यवस्थाओं के लिये, राजकीय ऋण विनियोग के सुरक्षित स्रोत प्रदान करते हैं।

✓(६) व्यक्तियों तथा देश में राजकीय ऋणों द्वारा ज्ञान का प्रसार होता है, साधनों का समान वितरण होता है और पारस्परिक सहयोग तथा सद्भावना भी बढ़ती है।

(७) अ विकसित तथा अर्धविकसित देशों के आर्थिक विकास के लिये राजकीय ऋण नितान्त आवश्यक हैं और आज सत्तर के जितने भी विकसित तथा उन्नत देश हैं, उन सभी ने ऋण प्राप्त करके अपनी आर्थिक उन्नति की है।

✍️ राजकीय ऋणों की हानियाँ—जहाँ राजकीय ऋणों से इतने लाभ हैं, इनसे हानियाँ भी बहुत हैं। ये निम्नांकित हैं —

✓(१) राजकीय ऋणों से सरकारों में साधारणतया अपव्यय की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है।

✓(२) आसानी से ऋण मिल जाने के कारण, सरकारों में ऋण लेने की आदत ही उत्पन्न हो जाती है, और इसके दुष्परिणाम जनता को सहन करने पड़ते हैं। साथ ही सरकारों के दिवालिया होने का बहुत भय रहता है।

✓(३) इन ऋणों के कारण बहुधा देशीय साधना का शोषण विदेशियों के हित में हुआ है। देश के उद्योगों पर विदेशियों का स्वामित्व रहा है। देश का बहुत सा धन व्याज के रूप में विदेशों को जाता रहता है। परिणामस्वरूप देश में पूँजी का निर्माण नहीं हो पाता।

✓(४) राजनीतिक क्षेत्र में ऋणी देश प्रायः अपनी स्वतन्त्रता खो बैठते हैं।

✓(५) राजकीय ऋण राजनीतिक मतभेद, तथा युद्ध जैसे सङ्कट भी उत्पन्न कर देते हैं।

(६) ऐसे ऋणा को प्राप्त करके सरकार अपनी आर्थिक कमजोरियों को छुपाने में सफल हो जाते हैं और अन्त में राजकीय अर्थ-व्यवस्था इतनी दोषपूर्ण हो जाती है कि फिर कोई उपचार नहीं रहता।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजकीय ऋणों के भी, अन्य वस्तुओं की भाँति गुण और दोष हैं। दोषों के गम्भीर परिणामों को कम करने के लिये यह आवश्यक है कि राजकीय ऋण व्यवस्था का संचालन बड़ी सतर्कता से किया जाय, अनावश्यक ऋण नहीं प्राप्त किये जायें और ऋणों के भावी परिणामों को ध्यान में रखकर उन का उपयोग किया जाय अर्थात् जहाँ तक सम्भव हो ऋण को केवल उत्पादक कार्यों में ही लगाया जाये।

राजकीय ऋण व्यवस्था की सीमाये—

राजकीय तथा व्यक्तिगत ऋणों के भेद बताते हुए हमने कहा था कि व्यक्ति की अपेक्षा राजकीय ऋण बहुत अधिक होती है और राज्य की आयु लम्बी होने के कारण उसको दीर्घकालीन ऋण प्राप्त हो सकते हैं तथा राज्य स्वयं अपने से भी ऋण प्राप्त कर सकता है। इन्हीं बातों को देखते हुए हम राज्य की ऋण प्राप्त करने की शक्ति की सीमाओं का वर्णन यहाँ पर करेंगे। राज्य के ऋण प्राप्त करने के मुख्य-

तथा तीन स्रोत होने हैं बाह्य-रूप—विदेशी से, आन्तरिक रूप—देश की जनता से और स्वयं से—हीनार्थ प्रवर्धन अर्थात् नाट छाप कर। इन तीनों की सीमाओं का उल्लेख हम निम्न में करेंगे :—

(१) बाह्य रूप—विदेशों से रूप नरपत्ता न प्राप्त नहीं होने। जब कभी भी एक राज्य दूसरे राज्य का रूप देता है ता पूर्णरूप से दस की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, प्रकृति की सुशालता, मौद्रिक स्थिरता, रूप का उद्देश्य, रूप मुगलान करने की रीति आदि बातों का अध्ययन कर लेना है। आन्तरिक विदेशी जगत में इतनी उलट फेर हो रही है कि किसी समय भी कुछ छिप सकता है। देश की आन्तरिक सरकार बदलने से तो चाई दर तभी लगती पाकिस्तान युद्ध आदि देशों के उदाहरण हमारे सामने हैं। दस की सरकार बदलने में रूपा का भूगतान जोखिम में पड़ जाता है। इन्हींमें सबसे पहला एक देश दूसरे देश की राजनीतिक स्थिरता की ओर ध्यान देता है, उपरन्तान् आर्थिक स्थिरता तथा रूप के उद्देश्य और रूपमुगलान सम्बन्धी शर्तों पर सूत्र साव-विचार करता है। आर्थिक स्थिरता, देश का बजटों से पता लग सकती है। आर्थिक स्थिरता और रूप के उद्देश्य की जानकारी करना इसलिए आवश्यक है कि रूपों देश की करदान योग्यता का पता लग जायें। आजकाल जितने भी विदेशी रूप दिए गये जाते हैं उन सब की गारन्टी विदेश बैंक लेती है, यदि रूपों तथा अणुवाता देश विश्व बैंक के सदस्य हैं। विदेश बैंक इन्हीं सब बातों पर मोक्ष विचार करने के बाद रूप की गारन्टी लेती है। अतः जिस देश में आर्थिक स्थिरता है, राजनीतिक स्थायित्व जिनमें नहीं है तथा जो देश अनुत्पादन कार्यों से लिए रूप प्राप्त करना चाहते हैं उनसे साव्य बहुत ही भीमिन् हाती है, और उन्हें रूप प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है।

(२) आन्तरिक रूप—राजकीय आन्तरिक रूपों की राशि देश की जनता की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करनी है। देश की प्रति व्यक्ति आय तथा देश में व्यक्तिगत के उपभोग स्तर पर बचता की मात्रा निर्भर होती है। यदि व्यक्तियों में बचत करने की आदत ब धमता नहीं है, यदि देश में विनिर्माण करने की सुविधाओं नहीं हैं अर्थात् देश में उद्योग धन्ये उन्नत नहीं है और पूर्ण का निर्माण बहुत निम्न-स्तर पर है तो सरकार को कभी भी समीमित मात्रा में रूप नहीं प्राप्त हो सकते। सरकार को देश में प्राप्त होने वाले रूपों की मात्रा इस बात पर भी निर्भर करती है कि सरकार की साख्य कैसी है, अर्थात् सरकार ने पिछले रूपों का समय पर भुगतान किया है या नहीं और सरकार पर रूपों की वित्तीय मात्रा पहले से है। सरकार की रूप प्राप्त करने की शक्ति इस बात पर भी निर्भर करती है कि सरकार की आर्थिक नीति कैसी है, सरकार देश में अपनी आय को सामाजिक बहाण तथा उत्पादन कार्यों पर खर्च कर रही है या नहीं, देश में पूँजी का निष्पत्ति हो रहा है या नहीं, देश में सरकार रोषण बढाने का तथा उद्योग-धन्यो को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न कर रही है या नहीं और लोग सरकार की नीति से सन्तुष्ट हैं या नहीं। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि सरकार स्वदेशी है या विदेशी। स्वदेशी सरकार में

विदेशी सरकार की अपेक्षा नागरिकों को अधिक श्रद्धा तथा विश्वास रहता है और उसे सरलता से ऋण प्राप्त हो जाता है। अन्त में, आन्तरिक ऋणों की मात्रा इस बात से भी सीमित होती है कि ऋणों तथा सरकारी प्रतिभूतियों की प्रवृत्ति कैसी है। दीर्घकालीन ऋणों को प्राप्त करने में सरकार को सर्वत्र ही कठिनाई होती है। अतः यह सोचना कि सरकार आन्तरिक ऋणों की सीमा का काफी अरा तक विस्तार कर सकती है, पूर्णतया सत्य नहीं है।

(३) कागजी मुद्रा छाप कर—आधुनिक काल में इसका बहुत प्रयोग हुआ है। विभिन्न देशों की सरकारों ने इस नीति द्वारा सकटों को दूर करने में काफी सफलता प्राप्त की है। परन्तु इस नीति का भी केवल सीमित प्रयोग किया जा सकता है। अत्यधिक नोट निकासी से मुद्रा स्फीति का भय रहता है, जो एक बार आरम्भ होकर फिर नहीं रुकती। इसलिए देश को मुद्रा स्फीति के दुष्परिणामों से बचाने के लिए इस नीति का प्रयोग बहुत ही सतर्कता से करना चाहिए।

उपर्युक्त त्रिवरण से स्पष्ट है कि राज्य के ऋण प्राप्त करने की शक्ति भी व्यक्त की भाँति सीमित होती है।

प्राक्कथन—

संसार में राजकीय ऋणा का आधुनिक इतिहास प्रजातान्त्रिक सरकार के उदय के साथ २ आरम्भ होता है। प्राचीन समय में जबकि सभी स्थानों में साम्राज्यवाद प्रचलित था तो राजा महाराजा अपने पाम योन तथा धन्य बहुमन्य वस्तुओं को अपने खजाने में जमा करते थे और मकट काल में उनका प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त वैसे भी उनकी सारी धन्य खजाने में एकत्रित की जाती थी और उसी में वे देश का खर्चा किया जाता था। यह खजाने बहुधा युद्ध काल में खाली हो जाते थे। हिन्दू तथा मुसलमान काल में हमारे देश में ऐसे ही राजानों की प्रथा थी। साथ ही कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जबकि राजाओं ने व्यक्तिगत माल पर ऋण प्राप्त किए। परन्तु इन ऋणों का देश की सरकार की राख से कोई सम्बन्ध न था और भावी राजारों पर इन ऋणों के भुगतान की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त अधिकतर ये ऋण केवल एक या दो व्यक्तियों से प्राप्त किये जाते थे और इन्हें अत्यन्त गोपनीय रखा जाता था। इसलिए वर्तमान राजकीय ऋण व्यवस्था एक आधुनिक घटना है क्योंकि तब तो अब ऋण गोपनीय हीं रखे जाते हैं और न यह केवल एक या दो व्यक्तियों से हीं लिये जाते हैं। आजकल तो यह ऋण सम्पूर्ण जनता में प्राप्त किये जाते हैं और समार के सभी देशों में आसस में इन प्रकार का ऋण देन होता रहता है। प्राचीन समय में यह ऋण अधिकतर सकट काल में हीं प्राप्त किये जाते थे परन्तु आजकल यह ऋण केवल सकटकालीन परिस्थितियों को हीं दूर करने के लिये हीं नहीं बरन् सामान्य परिस्थितियों में भी प्राप्त किये जाते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य देश का आर्थिक विकास करना होता है।

हमारे देश में राजकीय ऋणों का इतिहास ईस्ट इंडिया कम्पनी के समय से आरम्भ होता है। उस समय ये कम्पनी ने अपनी प्रतिफोर्षी फालीसी तथा दृष कम्पनियों और देशी राजाओं से मुद्रा करने के लिये ऋणों की आवश्यकता होती थी और जिन्हें वह इज्जत की सरकार से प्राप्त करती थी। सन् १७६५ में जब

कम्पनी को बंगाल की दीवानी मिली तब यह पहले ही ऋणगुस्त थी। घीरे २ कम्पनी का व्यापार कम होता गया और उस पर शासन का भार बढ़ता गया। बंगाल से प्राप्त होने वाली आय भी राज्य को बढ़ाने तथा व्यापार सम्बन्धी कार्यों पर व्यय होने लगी। सन् १८१४ में कम्पनी के हाथ में भारत का शासन प्रबन्ध आ गया और अब कम्पनी के पास व्यापार का एकाधिकार न था। वह अन्य व्यापारी कम्पनियों की भाँति एक साधारण कम्पनी रह गई थी। सन् १८३४ के बाद कम्पनी ने अपने व्यापार को बिलकुल बन्द कर दिया और उस समय कम्पनी पर ३७० लाख पौंड का ऋण था। इसी वर्ष ब्रिटिश ससद और कम्पनी के डायरेक्टरों के बीच एक समझौता हुआ जिसके अनुसार सारी घरोहर भारत सरकार की ओर से ब्रिटिश सरकार (Crown) के नाम लिख दी गई। कम्पनी के ऋण तथा अन्य दायित्वों का भुगतान भारत के वरता था और कम्पनी को १० $\frac{३}{४}$ % के हिसाब से लाभ का भुगतान करना था जो भारत की आय में न दिया जाना निश्चित हुआ था। कम्पनी के व्यापारिक कार्यों को भी उचित मुआवजा मिलना निश्चित हुआ था और ऋण के भुगतान के लिए एक कोष स्थापित कर दिया गया था। कुछ समय तक तो ऋण की मात्रा घटती गई परन्तु कम्पनी को बहुत से युद्ध लड़ने के कारण ऋण की मात्रा में फिर वृद्धि होने लगी और सन् १८५६ तक कम्पनी पर लगभग ४६० लाख पौंड के ऋण हो गये थे। सन् १८५७ में गदर हुआ जिसमें ४४० लाख पौंड खर्च कर पड़े। इस राशि को भी भारत के राजकीय ऋण में जोड़ दिया गया। सन् १८७० में भारत के राजकीय ऋणों की राशि एक करोड़ पौंड हो गई थी जिसमें कुछ तो रुपये के ऋण (Rupee loans) थे और कुछ पौंड ऋण (Sterling loans) थे। रुपये ऋण पर सूद की दर ४ $\frac{३}{४}$ % थी और पौंड ऋण पर ५ $\frac{०}{१०}$ ।

सन् १८७० में भारत ने निर्वाधावादी नीति को त्याग दिया और राजकीय व्यवसायिक कार्यों का निर्माण आरम्भ किया। भारत सरकार ने रेलों का बनवाना आरम्भ किया, नहरें खुदवानी आरम्भ की, मछलें इत्यादि बनवाना आरम्भ की, जिन के लिये सरकार को और अधिक ऋण लेने पड़े। अब भारतीय ऋणों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया—उत्पादक तथा साधारण। १९ वीं शताब्दी के अन्त तक भारतीय ऋणों की कुल राशि २३१ करोड़ रु० थी जिसमें १७० करोड़ रु० के उत्पादक ऋण थे। अगले १५ वर्षों के अन्दर इन ऋणों की राशि ४१० करोड़ रुपये हो गई। सन् १९२४ तक भारत सरकार ने अपनी ऋण सम्बन्धी नीति में पूर्ण परिवर्तन कर दिया और अनुत्पादक ऋणों को समाप्त करने का प्रयत्न किया, परन्तु क्योंकि भारत सरकार को प्रथम महायुद्ध पर काफी व्यय करना पड़ा इसलिए अनुत्पादक ऋण पूर्णतया समाप्त न हो सके। सन् १९२४ में भारत के साधारण ऋण २०५ करोड़ रुपये के थे और ५३८ करोड़ रुपये के उत्पादक ऋण थे। इसी वर्ष भारत सरकार के वित्त सदस्य (Finance Member) सर ब्लैकट ने ऋण के भुगतान के लिये एक नई योजना विमित की। उन्होंने ऋणों का ८० वर्षों में भुगतान करने का निश्चय किया। इस योजना के अनुसार सन् १९२५ से १९३० तक की अवधि-

में अनुत्पादन ऋणों की मात्रा को २०५ करोड़ रुपये से घटा कर १७६ करोड़ रुपए कर दी। परन्तु सन् १९३० के मन्दी काल में भारत सरकार को हीनार्थ प्रबन्धन का महाराजना पडा और सन् १९३४ में कुल राजकीय ऋणों की राशि १२२४ करोड़ रुपए हो गई।

सन् १९३७ में प्रान्तीय स्वशासन की नीति के कार्यान्वित होने से प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकारों की आय के साधन घटाय २ हो गए। इस वर्ष कुल राजकीय ऋण १२०९ करोड़ रुपयों के थे जिसमें से प्रान्तों के हिस्से में ३० करोड़ रुपयों घाये और केन्द्रीय सरकार के हिस्से में ११७९ करोड़ रुपयों के ऋण आए। सन् १९३९ में दूसरी लड़ाई आरम्भ हुई और भारत सरकार को फिर से हीनार्थ प्रबन्धन करना पडा तथा विदेशी ऋण भी प्राप्त करने पडे। युद्ध की प्रगति के साथ २ इन ऋणों की राशि बढ़ती ही गई और युद्ध के अन्त में यह राशि १८६०.४४ करोड़ रुपए थी। यह राशि निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाती है :—

(करोड़ रुपयों में)

पोड ऋण	३४१९
राज्ये ऋण	१२१२१४
अल्प बचत	१५९१८
खजाने के बिल तथा प्रतिभूतियाँ इत्यादि	५६७०
कुल सूद सहित ऋण	१८६०.४४

युद्ध के वर्षों में ऋण की प्रगति की समुचित स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट होती है—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	रपया ऋण	बाह्यऋण	वर्ष	रपया ऋण	बाह्य ऋण
१९३९	७१०	४६९	१९४३	१,२०६	५६
१९४०	७१८	४४२	१९४४	१,२४३	३९
१९४१	८१६	३४५	१९४५	१,५७१	३८
१९४२	९४१	२११	१९४६	१,९३७	२८
			१९४७	२,१२२	३७

सन् १९४७ में, १५ अगस्त को भारत स्वतन्त्र हुआ और देश का विभाजन होने से सम्पूर्ण भारत की धरोहरो (Assets) तथा दायित्वों (Liabilities) का भी विभाजन हुआ। पाकिस्तान के हिस्से में ३०० करोड़ रुपयों के ऋण घाये जिनका भुगतान करने के लिये पाकिस्तान सरकार ने भारतीय सरकार को ३% व्याज की दर से ५० विदत्तों में देने का वायदा किया और भारतीय सरकार ने देश के विभाजन के पहले से सारे ऋणों को चुकाने की जिम्मेदारी अपने सर पर ली। भारतीय ऋणों को अब दो भागों में विभाजित किया गया, प्रथम आन्तरिक अर्थात् रुपया

ऋण दूसरे बाह्य अर्थात् पौड, डालर आदि के ऋण। सन् १९४९ तक बाह्य ऋण अधिकतर पौड ऋण थे परन्तु उगके बाद उनमें डालर ऋण भी सम्मिलित कर दिये गये। सन् १९५२ में स्थिति इस प्रकार थी —

(करोड़ रुपयों में)

	मात्रा	कुल का प्रतिशत
(१) कुल आन्तरिक ऋण.....	२,४९५.४९	१००
बिना तिथि (undated)	२५७.८५	१०.३
दस साल से ऊपर	४६३.४७	१८.६
५ और दस साल के भीतर	४५०.१४	१८.०
५ साल से कम	२३२.०५	९.३
कोषागार पत्र (Treasury Bills)	३३२.५१	१३.३
अल्पवयस (Small Savings)	४०८.२३	१६.४
अन्य देन	३५१.२४	१४.१
(२) कुल बाह्य ऋण	१३६.९५	—

प्रविभाज्य भारत के राजकीय ऋणों का बटवारा पाकिस्तान और भारत में निम्न सिद्धान्तों के आधार पर हुआ था :—

(अ) जहाँ तक उन ऋणों का सम्बन्ध था जो व्यवसायिक कार्यों के लिये लिये गये थे जो तार, रेलें और टेलीफोन इत्यादि में लगे थे और जिनसे सूद प्राप्त हो रहा था, यह निश्चित हुआ कि प्रत्येक देश को अपने देश में स्थित प्रादेशों (Assets) के मूल्य के अनुसार ऋण का भुगतान करना चाहिये।

(ब) जहाँ तक उन ऋणों का सम्बन्ध था जिनके पीछे नकदी तथा प्रतिभूतियाँ थी, यह निश्चित हुआ कि पाकिस्तान उतने ऋण का भुगतान करेगा जितनी नकदी उसे प्राप्त होगी अर्थात् ७५ करोड़ रुपया। और

(ग) जहाँ तक उन ऋणों का सम्बन्ध था जिनके पीछे कोई भी आड न थी यह निश्चित हुआ कि कुछ हेर फेर करने के बाद जैसे भारतीय सैनिक स्टोरो के एक भाग का हस्तान्तरण तथा पाकिस्तान को एक टकमाल और सुरक्षित छापेसाने के लिये एक निश्चित राशि देने के बाद पाकिस्तान का हिस्सा ऐसे ऋणों में १७.५% होगा।

वह स्पष्ट है कि पाकिस्तान से ऋण भुगतान सम्बन्धी जो समझौता हुआ वह भारत के लिये लाभप्रद न था। क्योंकि भारत सरकार ने मारे ऋणों के भुगतान की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी इसलिये ही भारतीय सरकार पर बहुत अधिक भार पड़ गया जो अधिक न होता यदि पाकिस्तान अपने वयस के अनुसार ऋण का भुगतान करता बना जाता। परन्तु खेद है कि पाकिस्तान ने अभी तक ऋण का भुगतान नहीं किया है।

सन् १९५८ में ६९ करोड़ रुपये हो गई थी। विभिन्न प्रकार की अल्प बचतों पर सूद की दरें सन् १९५२ में बढ़ा दी गई थी। सन् १९५८-५९ में एक समुचित समय जमा (Cumulative Time Deposit) योजना चानू की गई या जिसके अनुसार विनियोग कर्ता ५ या १० वर्षों के लिये प्रत्येक मास में बचाई हुई राशि को जमा कर सकते हैं। अनेक व्यक्ति के लिये जमा की कुल राशि (१२०००) रुपये पर निश्चित की गई है और अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर कोई भी व्यक्ति २४०००) रुपये तक जमा कर सकता है।

पिछले वर्षों में भारत के बाह्य ऋणों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। हमारे ऋण ३१ मार्च सन् १९५८ को २२ ३२ करोड़ रुपये के रहे गये थे। परन्तु डालर ऋणों में कई गुनी वृद्धि हो गई थी। सन् १९४९-५० में डालर ऋण १६ ७७ करोड़ रुपये के थे परन्तु सन् १९५८ में इनकी मात्रा १५९ ८८ करोड़ रुपये हो गई थी। इन ऋणों की आवश्यकता मुख्य रूप से विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये हुई थी। यह ऋण अधिकतर विदेश बैंक और मधुनत राज्य अमेरिका से प्राप्त किये गये। इसी वर्ष रूस से भी १५ ३ करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त हुये थे और यह राशि सन् १९५८ के अन्त तक ४५ ९८ करोड़ रुपये के ही जान की आशा था। हमने पश्चिमी जर्मनी से भी ऋण प्राप्त किये हैं। इन ऋणों की कुल राशि सन् १९५५ में १४ करोड़ रुपये थी, परन्तु सन् १९५८ के अन्त में यह बढ़ कर ४४ करोड़ रुपये हो गई। सन् १९५८ में जापान ने भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये २४ करोड़ रुपये का ऋण भारत को दिया है जिसका उपयोग मुख्य रूप से रेलों का विकास, शक्ति बाँधों, खान उद्योग आदि कार्यक्रमों के लिए मशीनें खरीदने के लिये किया जायगा।

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में ५२० करोड़ रुपये के आन्तरिक ऋण प्राप्त किये गये थे जिनमें से ११५ करोड़ रुपये बाजार ऋण योजनाओं से, २७० करोड़ अल्प बचतों से और १३५ करोड़ रुपये अन्य साधनों से। हमारे वास्तविक ऋण ३६० करोड़ रुपये के थे, ७० करोड़ रुपये बाजार ऋण योजना से, २४५ करोड़ अल्प बचतों से और ४७ करोड़ रुपये अन्य स्रोतों से। प्रथम योजना काल में हमारे बाह्य ऋणों में ९८ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। दूसरी योजना में हमारा लक्ष्य जनता से १२०० करोड़ रुपये प्राप्त करना है जिनमें से ७०० करोड़ रुपये बाजार ऋण योजना से और ५०० करोड़ रुपये अल्प बचतों से प्राप्त करते हैं। यह आशा की जाती है कि प्रत्येक वर्ष १०० करोड़ रुपये अल्प बचतों से और १४० करोड़ रुपये बाजार ऋण योजना से प्राप्त होंगे। परन्तु आश्चर्य की बात है कि योजना के पहले २ वर्षों में बाजार ऋणों की राशि २१३ करोड़ रुपये थी जबकि हमारा लक्ष्य २८० करोड़ रुपये जमा करना था। इसी प्रकार हमको बाजार से लगभग ६७ करोड़ रुपये के ऋण कम प्राप्त हुए। अल्प बचतों में भी हमको अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई। जबकि इन दो वर्षों में हमको २०० करोड़ रुपये अल्प बचतों से प्राप्त करने थे, हम केवल १२० करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए थे, अतः इस महत्त्व में भी हमको ८० करोड़ रुपये की कम प्राप्ति

हुई। विदेशी मुद्रा बाजार में प्रतिभूतियों को बेचकर विश्व बैंक से, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त कारपोरेशन तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और मित्र देशों से हमारा लक्ष्य ६०० करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त करना था। हम सन् १९५६-५७ में लगभग ६० करोड़ रुपये के और सन् १९५७-५८ में ८७ करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त हुए थे।

भारत के राजकीय ऋण दो भागों में विभाजित किये जाते हैं, प्रथम, सूद सहित और दूसरे, सूद रहित। सूद सहित ऋणों की स्थिति सन् १९५८-५९ के बजटानुसार निम्न प्रकार थी^१ —

(करोड़ रुपये में)

आन्तरिक ऋण	१९५७-५८	१९५८-५९ (अनुमानित)	बाह्य ऋण	१९५७-५८	१९५८-५९ (अनुमानित)
ऋण	१७०१ २५	१८२६ ७६	पीड ऋण	० ५५	० १५
अल्प वचत कोप बिल तथा प्रतिभूतियाँ प्रावदान तथा अल्प कोप तथा डाक- खाने आदि की जमा कुल आन्तरिक ऋण	६६२ ६५ १२१५ ७० ३६४ ७६ ४००४ ६६	७६१ ४५ १४२० ७० ३६२ ४५ ४४३१ ३६	इन्डलैण्ड में अन्य प्रकार के ऋण डालर ऋण रूस से ऋण जर्मनी से ऋण अन्य विदेशी स्रोतों से ऋण	२१ ७७ १५६ ८५ १५ ३० १४ ०० —	२१ २६ ३६१ ६८ ४५ ६८ ४४ ०० १५ १३

भारत सरकार की उन ऋणों की कुल राशि जिन पर सूद दिया जाता है ४ सन् १९५७-५८—४२१६*१३ तथा १९५८-५९ में ४६१६ ६२ करोड़ रुपए थी।

भारत के कुल राजकीय ऋणों की स्थिति निम्न प्रकार थी^२—

(करोड़ रुपये में)

	१९५७-५८	१९५८-५९
चालू ऋण	१७०१ २५	१८२६ ७६
खजाने बिल	१२१५ ७०	१४२० ७०
विशेष अन्वकालीन ऋण	२०७ ८०	२०४ ३७
भुगतान प्राप्त हुए ऋण (Expired Loans)	१३ ६८	१४ ६४
कुल आन्तरिक ऋण	३१३८ ७३	३४६६ ८०
बाह्य ऋण	२११ ५०	४८८ २६

१. Report on Currency and finance, Reserve Bank of India, 1957-58

२. Ibid.

		(करोड़ रुपये में)
	१९५७-५८	१९५८-५९
कुल राजकीय ऋण	३३५०.२३	३९५५.०६
अन्य दायित्व	१०८७.७१	११८३.९०
ब्रिटिश युद्ध ऋण तथा रेलों सम्बन्धी (-)	२११०	(-) २०६२
कुल ऋण	४४१६.८४	५११८.०४

वर्तमान स्थिति—सप्तावार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार के कुल राजकीय ऋणों की मात्रा सन् १९५६-६० के अन्त में ४,८२१.२१ करोड़ रुपये के होने की आशा है। इनमें से ४१३६.४६ करोड़ रुपये के रुपये ऋण और ६२.०६ करोड़ रुपये के पीछे ऋण (ब्रिटेन से), ४१६.४६ करोड़ रुपये के अमेरिका से डालर ऋण, १५.७१ करोड़ रुपये के कनाडा से, ६१.३४ करोड़ रुपये के रूस से, ६४.६६ करोड़ रुपये के पश्चिमी जर्मनी से, १२.७९ करोड़ रुपये के जापान से प्राप्त ऋण हैं और २० करोड़ रुपये के ऋण इस वर्ष प्राप्त किए जायेंगे।

इन ऋणों में से २०.६२ करोड़ रुपये के युद्ध सम्बन्धी अशदान (जिनका भुगतान अभी स्थगित है) को निकाल कर ३१ मार्च सन् १९५६ को कुल ऋणों की मात्रा का अनुमान ४८०.१ करोड़ रुपये है, जो सन् १९३८-३९ की तुलना में ३८७.१ करोड़ रुपये से अधिक है।

इनके अनिश्चित सघ सरकार को, विभिन्न प्रावदान कोषों, डाकखानों में अल्प बचतों की जमा, डाकखाने के नकदी तथा बचतों के सर्टीफिकेट, एकत्रित जमा योजना के अन्तर्गत प्राप्त जमा, रेलों, डाक व तार की बिसाई तथा सुरक्षित कोषों और श्राव कर, अतिकर इत्यादि की बाकियों (Balances) का भी भुगतान करना है जिनका अनुमान लगभग १२२३ करोड़ रुपये है। इस प्रकार सघ सरकार के नियमित ऋण तथा अन्य दायित्वों को मिला कर कुल ऋणों की राशि ६०२३.२० करोड़ रुपये है।

इन राशि में से १४६५ करोड़ रुपये रेलों सम्बन्धी कार्यों के लिये दिये गये हैं, २१० करोड़ रुपये डाक व तार तथा दामोदर घाटी कार्पोरेशन और अन्य वाणिज्यिक विभागों के लिये दिये गये हैं, ५१९ करोड़ रुपये का विनियोग वाणिज्यिक समस्याओं में किया गया है, २११९ करोड़ रुपये के ऋण (Loans and Advances) दिये गये हैं, २९६ करोड़ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अपने बन्धों के रूप में दिये गये हैं, ३७ करोड़ रुपये विश्व बैंक के असा खरीदने के लिये दिये गये हैं और ५६ करोड़ रुपये के नकद तथा अन्य विनियोग किये गये हैं। २० करोड़ रुपये पौड पैन्शनों की वार्षिकी (Annuity) खरीदने के सम्बन्ध में ब्रिटेन में प्राप्त होना हैं और ३०० करोड़ रुपये पाकिस्तान से प्राप्त होने हैं।

इस प्रकार हमारे बिना आड वाले ऋणों (Uncovered Debts) की कुल राशि १००.१ करोड़ रुपये है जबकि युद्ध से पहले यह १८८ करोड़ रुपये थे, जिसका उपयोग उत्पादक कार्यों के लिये नहीं किया गया है। सरकारी मूत्रों के अनुसार इन

ऋणों को पूर्णतया अनुत्पादक भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि विगत वर्षों में राज्यों को विकास कार्यों के लिये बहुत ही आर्थिक सहायता दी गई है जिनसे सारे देश की ही उत्पादन शक्ति में वृद्धि होगी और यह आय रहित (Un-remunerative) भी नहीं है। साथ ही मध्य सरकार की सम्पत्तियों पर भी काफी पूँजी का विनियोग हुआ है जिनको या तो सरकार के हिस्सावा म स्पष्ट नहीं किया गया है या केवल आवाणिज्यिक (Non-commercial) कार्यों के लिये दिखाया गया है। इस प्रकार के व्ययों का भी अपना अलग महत्त्व है।

मार्च सन् १९५६ म दार्निंगटन में ५ पार्ष्वात्य देशों तथा विश्व बैंक के प्रतिनिधियों की एक सभा हुई थी जिसमें यह निश्चय किया गया था कि भारत को लगभग ३६ करोड़ डालर की विदेशी सहायता प्राप्त होगी। परन्तु हाल ही की एक सूचना^३ के अनुसार भारत सरकार अभी इतना ऋण प्राप्त करने को तैयार नहीं है क्योंकि वे उन ऋणों को उपयोग करने के लिये अधिक आतुर हैं, जो उन्होंने पिछले वर्ष प्राप्त किये थे। ऐसा अनुमान है कि सन् १९५८-५९ के अन्त तक केवल एक तिहाई विदेशी सहायता का ही उपयोग हो सका है और ऐसा अनुमान है कि ब्रिटेन तथा अन्य देशों से प्राप्त होने वाली सहायता का प्रयोग नितम्बर सन् १९५६ तक उती समय तक मकेंगे जबकि हम अपनी गति को तीव्र कर सकें। वास्तव म इन ऋणों को उपयोग करने म इमनिये अधिक समय लगा है कि उनको विभिन्न उपयोगों में लगाने की योजना केवल फरवरी सन १९५६ म ही निश्चित हो सकी थी और इनको विभिन्न देशों में निकालने के पूरे कार्यक्रम को तैयार करने म भी समय लगा था। अब इनमें से अधिकतर राशि पिछले वर्षों में मशीनों आदि के खरीदने के लिये किये गये व्यय के भुगतानों को करने के काम में ताई जावगी परन्तु ऋण दाना देना का इनके लिये भवूत चाहिये जिसको जमा करने में काफी समय लग गया है। चालू वर्ष म दार्निंगटन सभा के निणय के अनुसार जो ३६ करोड़ डालर के विदेशी ऋण प्राप्त होने में अब २६ करोड़ डालर से अधिक प्राप्त न हो सकेंगे। इनमें से ऐसी आशा की जाती है कि ब्रिटेन में ६ करोड़ डालर (जो कि पिछले वर्ष १० करोड़ ८० लाख डालर थे) पश्चिमी जर्मनी से ३ करोड़ डालर (जो कि पिछले वर्ष ४ करोड़ डालर थे), कनाडा से १ करोड़ ७० लाख डालर और जापान से १ करोड़ डालर (पिछले वर्ष की भी यही राशि थी), और विश्व बैंक से ७ करोड़ ५० लाख डालर (जो पिछले वर्ष ८ करोड़ ५० लाख डालर थे) प्राप्त होंगे, सेप ७ करोड़ डालर रायुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त होने की आशा है (यह ध्यान रहे कि पिछले वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका ने १० करोड़ डालर दिये थे।

भारत के पौड पावने

(India's Sterling Balances)—

पौड पावने वह मूल्य कालीन ऋण थे जो भारत ने ब्रिटिश सरकार को

दूसरे महायुद्ध काल में दिये थे। दूसरे महायुद्ध काल और उसके बाद के वर्षों में ब्रिटिश सरकार के नाम यह षॉड पावने बहुत बड़ी राशि में जमा हो गये थे। ब्रिटिश सरकार ने इनके बदले में भारत सरकार को षॉड प्रतिभूतियाँ दे दी थी जो लन्दन में भारत की रिजर्व बैंक की ओर से जमा है। यह बड़ी साधारण भी बात है कि एक देश की नैन्डीयम बैंक अपने कोषों में विदेशी मुद्रा को भी रखे परन्तु षॉड पावने की स्थिति साधारण विदेशी मुद्रा की तुलना में भिन्न थी क्योंकि रिजर्व बैंक इनका उपयोग केवल उसी विधि के अनुसार कर सकता था जो भारत और ब्रिटिश सरकार में समझौते के अनुसार निश्चित होती। इन ऋणों के एकत्रित होने के मुख्य कारण यह थे —

(१) रिजर्व बैंक ऐक्ट के अनुसार रिजर्व बैंक को षॉड के बदले में रुपये देने की शक्ति थी इसलिये ब्रिटिश सरकार ने रिजर्व बैंक से षॉड प्रतिभूतियों के बदले भारत में रुपये प्राप्त किये और उनका उपयोग युद्ध संचालन में किया और भारत के ऋण ब्रिटिश सरकार पर जमा होते चले गये।

(२) भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत में जो खर्चे किये उनके बदले में भी प्रतिभूतियाँ दी गईं और षॉड पावने की राशि और भी बढ़ गई।

(३) युद्ध काल में भारत का व्यापार सतुलन उसके पक्ष में रहा और निर्यातों के बदले में भी भारत को षॉड प्रतिभूतियाँ ही प्राप्त हुईं।

(४) विनिमय नियन्त्रण आदि के कारण भारतवासियों को सारी विदेशी मुद्रा रिजर्व बैंक को देनी पड़ी। इसके अतिरिक्त भारत को जो डालर युद्ध काल में प्राप्त हुए वे सब साम्राज्य डालर कोष के लिये अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिये गये थे जिनका उपयोग इङ्ग्लैंड ने अमेरिका में युद्ध सम्बन्धी सामान खरीदने के लिये किया था और बिराके बदले में भारत को षॉड प्रतिभूतियाँ दे दी गई थी।

(५) युद्ध के प्रारम्भिक वर्षों में भारत ने सोना और चाँदी भी बेचे थे और उनके बदले में उनको षॉड प्रतिभूतियाँ प्राप्त हुई थी।

इन सब कारणों से युद्ध काल में भारत के षॉड पावने एकत्रित हुए थे। वैसे तो इनकी राशि बहुत अधिक होती परन्तु दो कारणों से यह कुछ कम रही। प्रथम, भारत ने सन् १९४४ के अन्त तक ब्रिटेन के गारे षॉड ऋणों का भुगतान कर दिया था और दूसरे सन् १९४३ में ब्रिटेन और अमेरिका ने भारतीय मुद्रा बाजार में गोना चेबना प्रारम्भ कर दिया था। कुछ भी हो भारत के यह षॉड ऋण एकत्रित हुए जो एक प्रकार से भारतवासियों की बलात् बचतें (forced savings) थी क्योंकि उनको अपनी मुद्रा के बदले में पर्याप्त वस्तुएँ नहीं मिल पाई थी और जो कुछ पर्याप्त हुई भी था उनके मूल्य बहुत अधिक थे। इन मूल्यों की वृद्धि के मुख्य कारण यह थे कि एक तो भारत में वस्तुओं का उत्पादन साधारण नागरिकों की आवश्यकताओं से बहुत कम था और दूसरे रिजर्व बैंक ने षॉड प्रतिभूतियों की आड़ पर आवश्यकता से अधिक कागजी मुद्रा छपाई थी जिसके कारण भारत में मुद्रा प्रसार हो गया था। सारास में इन षॉड पावनों का वास्तविक मूल्य बहुत अधिक था क्योंकि इनके लिये

भारतवासियों को बहूत त्याग करना पडा था ।

युद्ध समाप्त होने के बाद जब भारत को अपनी अर्थ व्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिये दन पीड पावना की आवश्यकता हुई तब ब्रिटेन म समाचार-पत्रों और वहाँ के बचित जैमे प्रसिद्ध व्यक्तिगो न इनके भुगतान में अडचनें उत्पन्न की और इस बात पर जोर दिया कि पीड पावना की पूरी राशि का भुगतान भारत का नहीं होना चाहिये । इन लोगो की झार म मुख्य दलीलें निम्न प्रकार थी —

(१) युद्ध म भारत और ब्रिटेन दोना ही साझेदार थे । विशेष रूप से जापान के विरुद्ध जो युद्ध लडा गया वह प्रत्यक्ष रूप स भारत की रक्षा क लिये था । ब्रिटेन को युद्ध स भारत की तुलना म बहुत अधिक हानि हुई थी और क्याकि यह पीड पावन युद्ध का ही परिणाम थे इसलिये भारत को इनका पूरा भुगतान नहीं प्राप्त होना चाहिये क्वाकि युद्ध का कुछ खर्चा भारत का भी रहन करना चाहिये । परन्तु इस दलील म कोई भी तथ्य न था । इसम कोई मदद नहीं कि भारत और ब्रिटेन दोनो न मिल कर युद्ध लडा था परन्तु क्या यह मन् नही कि ब्रिटेन बिना भारत की सहायता के युद्ध म कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता । इसक घतिरिक्त जहाँ तक त्याग की ममानता का सम्बन्ध है उसका निणय कवल दोना दशा की प्रति व्यक्ति आय और व्यक्तिगो क जीवन स्तर की तुलना के आधार पर ही किया जा सकता है । और यह रबीकार बरन म कोई भी आपत्ति नहीं हानी चाहिये कि भारत म ब्रिटेन की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर शाना ही बहुत नीच ह । यह कहना भी अनुचित है कि भारत न युद्ध म कोई खर्चा नहीं किया । यदि युद्ध सम्बन्धी व्यय क आँकडा का दखा जाय ता स्पष्ट हो जायगा कि युद्ध क पहल वष म भारत का युद्ध व्यय कवन ५० कराट रुपये का जो बढ कर ७५ करोड रुपय हो गया और जापान क युद्ध म खान क बाद सन १९४४-४५ म ४५० करोड रुपय से भी अधिक हो गया था । अत स्पष्ट है कि जापान क युद्ध म खान क बाद म भारत न काफी युद्ध व्यय का भार अपन ऊपर न लिया था । इसलिये पीड पावन की राशि को कम करने का प्रदन ही नहीं उठना था ।

(२) हमरी दलील यह दी गई थी कि क्याकि यह व्यापारिक ऋण नहीं थे इसलिये इनका पूरा भुगतान नहीं होना चाहिये । यह दलील मबस अधिक हास्यप्रद थी । ऐसा प्रतीत होगा है कि उन लागो क अनुमान जो व्यापारिक ऋण नहीं हान हैं इनको ऋणी को उच्छानुसार कम करने की जि प्रथा प्रचलित है या अन्तराष्ट्रीय कानन के आधीन एभा करने की व्यवस्था उपरिबनि है । हम जानत ह कि इन शाना म से कोई भी बात नहीं है । मबस बला प्रदन ता यह है कि क्या ऋणी का अपन ऋण की राशि को कम करान का प्रयत्न करना चाहिये और विनाप रूप म उस समय जब कि ऋणी को ऋण उसी क आग्रह पर प्राण टूटा हा । इसलिये इस दलील म मा कोई तथ्य नहीं है ।

(३) पीड पावने की राशि को कम करने क पक्ष म एक यह भी दलील दी गई थी कि क्वाकि ब्रिटेन बडा विपन्न परिस्थितियाम म स हानर गुजर रहा था इसलिये

उसमें इन ऋणों के पूरा भुगतान करने की सामर्थ्य नहीं थी और यदि वह इनका पूरा भुगतान करेगा तो उसकी कठिनाइयाँ और भी अधिक हो जायेंगी। परन्तु यह दलील भी उपयुक्त न थी क्योंकि भारत की भी कठिनाइयाँ ब्रिटेन की अपेक्षा कुछ कम न थी। जबकि ब्रिटेन की राष्ट्रीय आय भारत की अपेक्षा अधिक बढ़ गई थी तब इन ऋणों के भुगतान से कोई अधिक भार उस पर नहीं पड़ेगा।

(४) अन्त में यह भी कहा गया कि भारत के यह ऋण अनुचित रूप से एकत्रित हुए थे क्योंकि भारत ने ब्रिटेन को जो वस्तुएँ दी थी उनके मूल्य बहुत ऊँचे थे और इसलिये इन ऋणों को अब कम करना चाहिये। परन्तु इस दलील के विरुद्ध भी बहुत सी बातें कही गई थी। प्रथम, भारत ने अपनी वस्तुओं के मूल्य अधिक नहीं लिये थे क्योंकि वस्तुओं पर गुणात्मक और परिमाणात्मक, दोनों ही प्रकार के नियन्त्रण सरकार ने लगा रखे थे। जितनी भी आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन था उस पर भारत सरकार का नियन्त्रण था और इस प्रकार भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार की ओर से जो भी वस्तुएँ भारतीय बाजार में खरीदी वह एकाधिकारी की हिसियत से खरीदी थी और अधिक मूल्य लेने का प्रयत्न ही नहीं उठाना था। दूसरे, भारत सरकार ने जो कुछ भी भुगतान किया वह उन्हीं मूल्यों के अनुसार किया था जो उसने निश्चित कर दिये थे। सरकार ने सबको घोर हवाई अड्डे बनवाने के लिये जो भी ठेके दिये थे उनकी शर्तें स्वयं ही निर्धारित की थी। इसके अतिरिक्त जो भी मूल्य उन्हे देने पड़े वे श्रम की कमी, यातायात की कठिनाइयों और कम समय में अधिक काम कराने के कारण दिये गये थे। तीसरे, भारत में अन्य वस्तुओं की अपेक्षा खाद्य पदार्थों के मूल्य अधिक ऊँचे थे। सरकार ने खाद्य पदार्थ नहीं खरीदी थी इसलिये सरकार को श्रमिकों को अधिक मजदूरी देनी पड़ी थी। परन्तु इन ऊँची मजदूरियों से भी भारत के श्रमिकों को कुछ भी लाभ नहीं हुआ। भारतवासियों को तो अपनी आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त मात्रा में कपड़ा और भोजन भी प्राप्त नहीं हुआ था। जो कुछ थोड़ा बहुत लाभ हुआ था वह वेचन कुछ थोड़े से उत्पादकों और ठेकेदारों को ही हुआ था। शेष सभी व्यक्तियों को तो त्याग ही करना पड़ा था और कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ी थी। अन्त में राष्ट्रीय व्यय की जाँच करने के लिये जो ब्रिटिश संसद की विशेष समिति नियुक्त हुई थी उसने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा था, कि “भारतीय मूल्य बहुत कम ही ऊँचे थे और साधारणतया ब्रिटेन के मूल्यों की अपेक्षा काफी कम थे।” उसने यह भी स्वीकार किया था कि भारत ने जो वस्तुएँ ब्रिटेन को दी थी उनके उचित मूल्य लिये गये थे।

भारत के पौड पावनों की राशि को कम करने के लिये निरन्तर प्रयासों के कारण भारत में बहुत ही गंजान्ति थी किन्तु अन्त में ब्रिटिश सरकार ने सञ्चुद्धि से काम लिया और पौड पावनों के भुगतान करने की अनुमति दे दी। पौड पावनों के भुगतान के सम्बन्ध में सन् १९४७ से कई समझौते हुए हैं। हम संक्षेप में यहाँ पर इन समझौतों का वर्णन देते हैं —

सन् १९४७ का समझौता—१४ अगस्त सन् १९४७ को भारत और ब्रिटेन की सरकारों के बीच एक समझौता हुआ जो केवल ३१ दिसम्बर सन् १९४७ तक के लिये ही था। इसके अनुसार रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ इंग्लैंड में दो खातें खोले थे—पहला चालू खाता और दूसरा बन्द खाता १४ जुलाई तन् १९४७ को १ अरब १६ करोड़ पौंड की राशि रिजर्व बैंक के नाम दूसरे खाते में जमा कर दी गई थी और बाकी ६ करोड़ ५० लाख पौंड पहले खाते में जमा कर दिये गये थे। इसमें से ३ करोड़ ५० लाख पौंड जानू धन के लिये और तीन करोड़ पौंड सुरक्षित कोष में जमा कर दिये गये थे। समझौते की शर्तों के अनुसार पहलू खाते की राशि को किसी भी देश से वर्तमान आवश्यकताओं की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिये उपयोग किया जा सकता था।

सन् १९४८ का समझौता—१५ फरवरी सन् १९४८ को एक समझौता फिर हुआ जिसके अनुसार सन् १९४७ के समझौते की अवधि ३० जून सन् १९४८ तक बढ़ा दी गई और दूसरे खाते से १ करोड़ ८० लाख पौंड ३० जून सन् १९४८ तक के चालू खर्च के लिये पहले खाते में जमा कर दिये गये। इस समझौते की अवधि फिर से ३० जून सन् १९५१ तक बढ़ा दी गई, और यह निश्चित हुआ कि ८ करोड़ पौंड जो पहले खाते में जमा थे वह ३० जून सन् १९४९ तक के खर्च के लिये दिये जायेंगे और अगले दो वर्षों के लिये ४ करोड़ पौंड प्रति वर्ष चालू खर्च के लिये दिये जायेंगे। इस प्रकार भारत को ३ वर्ष के अन्दर १६ करोड़ पौंड चालू खर्च के लिये प्राप्त होने की आशा थी। परन्तु दुर्भाग्यवश भारत के आयात इतने अधिक हो गये कि चालू खर्च के लिये बहुत कम राशि रह गई। भारत सरकार के अनुरोध पर ब्रिटिश सरकार जून सन् १९४९ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये ८ करोड़ १० लाख पौंड नुकाने के लिये तैयार हो गई और यह भी निश्चय किया गया कि ५ करोड़ पौंड और भी दिये जायेंगे। साथ ही अगले दो वर्षों के लिये प्राप्त होने वाली राशि ४ करोड़ पौंड में बढ़ा कर ५ करोड़ पौंड प्रति वर्ष कर दी गई।

सन् १९५१ का समझौता—जो समझौता जून सन् १९५१ का समाप्त हुआ उसका ३० जून सन् १९५७ तक बढ़ा दिया गया। यह अन्तिम समझौता था। इस समझौते के अनुसार ३१ करोड़ पौंड की रकम दूसरे खाते में से पहले खाते में जमा कर दी गई। यह राशि भारतीय रिजर्व बैंक के नाम मुद्रा से सुरक्षित कोष के रूप में, बर्मा, इटली, यहाँ, श्री, ब्रिटेन, श्री, यहाँ, फ्रि १ बुकार्ड, यत् १९५१ के खाते के ६ वर्षों में अधिक से अधिक ३ करोड़ ५० लाख पौंड प्रति वर्ष दूसरे खाते से पहले खाते में जमा किये जायेंगे। परन्तु इसमें कुछ शर्तें थी—(अ) इस राशि में हेर फेर इस उद्देश्य से की जायेंगी कि पहले खाते में कम से कम ३४ करोड़ पौंड जमा रहे और यदि दोनों सरकारों चाहे तो इससे कम राशि भी रह सकती है। (ब) यदि ३ करोड़ ५० लाख पौंड में से १२ महीनों में कुछ कम का भुगतान किया गया तो शेष राशि को अगले वर्ष की राशि में जोड़ दिया जायगा। (स) यदि भारत सरकार को यह अनुभव हो कि १२ महीने के अन्दर किसी भी समय दूसरे खाते में से

३ करोड़ ५० लाख पौंड से अधिक राशि की आवश्यकता है तो अगले वर्ष में पहले खाते में जमा की जाने वाली राशि में से ५० लाख पौंड तक बिना आपसी बात-चीत के लिया जा सकता है और यदि ५० लाख पौंड से अधिक राशि की आवश्यकता है तो दोनों सरकारें आपस में विचार करके निश्चित करेंगी और (द) ३० जून सन् १९५७ को जो राशि दूसरे खाते में बचेगी वह पहले खाते में जमा कर दी जायगी ।

सन् १९५५ के एक समझौते के अनुसार ब्रिटेन की सरकार ने ४ करोड़ पौंड भारत को देने का निश्चय किया जो ब्रिटेन के पास सन् १९४८ में पड़ा हुआ था । यह साद रहे कि भारत सरकार ने सन् १९४८ में ब्रिटेन की सरकार को जो पौंड पेन्शनो का भुगतान किया था उसमें ४ करोड़ पौंड अधिक पहुँच गये थे, जिनका भुगतान अब किये जाने का निश्चय हुआ था । यह भुगतान १० वार्षिक किस्तों में किया जायगा और इनमें से ४ निश्चिंत भारत की विदेशी विनिमय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये दी जाने वाली थी ।

विभाजन से पहले भारतवर्ष के पौंड पावनों की राशि १७३३ करोड़ रुपये थी और विभाजन के बाद से १५१६ करोड़ रुपये अधिकतर उपभोगिताओं की वस्तुओं तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के खर्च पर ही खर्च किये गये हैं । प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में कुल ७४६ करोड़ रुपये के पौंड पावने रह गये थे । यह अनुमान था कि दूसरी योजना में कुल २०० करोड़ रुपये निकाले जायेंगे परन्तु पहले ही वर्ष में २१९ करोड़ रुपये निकाल लिए गए और सन् १९५७ ५८ में २६० करोड़ रुपये और निकाल लिए गए थे और इस प्रकार सन् १९५८-५९ के आरम्भ में कुल २६७ करोड़ रुपये के पौंड पावने रह गए थे ।

मार्च सन् १९५९ में भारत के ५ ऋणदाता देशों और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों की जो तथा वाशिंगटन में हुई थी उन्होंने भारत के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि भारत को अपने खाते आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही पौंड पावना का प्रयोग करना चाहिए । भारत बड़ी सरलता से इस रशि में से ६३ करोड़ रुपये को निकाल सकता है क्योंकि वानूनन भारत को २०० करोड़ रुपये के पौंड पावने रखना आवश्यक है (समाचार पत्रों की सूचना के अनुसार इन लोगों का अनुमान भारत के पौंड पावनों की राशि का २९३ करोड़ रुपये है जब कि भारत सरकार के आँकों के अनुसार यह राशि २६७ करोड़ रुपये है) । इस प्रकार ६३ करोड़ रुपये के पौंड पावने निकाल कर भारत अपनी दूसरी योजना को पूरा करने में मफल हो सकता है । अब यह आशा की जाती है कि क्योंकि भारत की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयाँ बहुत विपन्न होती चली जा रही हैं भारत सरकार शेष पौंड पावनों का प्रयोग बड़ी तावधानी में करेगी ।

प्राक्कथन—

आधुनिक युद्ध बहुत खर्चीले तथा महंगे होते हैं। वास्तव में आगवला युद्ध को सटने के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी इसका निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता। युद्ध तो सनादि काल से ही होते आए हैं परन्तु आधुनिक युद्ध की कुछ मुख्य विशेषताएँ होती हैं। प्रथम ये अपने आकार में अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, दूसरे यह एक बहुत बड़े पैमाने पर लड़े जाते हैं और घ-त में आधुनिक युद्ध के लड़ने में मानवीय तथा भौतिक साधनों की बहुत बर्बादी होती है। इसीलिए उनके लिए बहुत बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है और उनके सफल सन्तान की पहली शर्त यही है कि उनका वित्तीय प्रबन्ध उचित रूप में किया जाय। इसमें कोई सन्देह नहीं कि युद्ध मनुष्यों और सामान द्वारा लड़े जाते हैं परन्तु युद्धों के लड़ने में वित्त का महत्त्व भी कुछ कम नहीं है क्योंकि बिना वित्त के युद्ध लड़ने के लिए मनुष्यों की सेवाएँ तथा युद्ध सम्बन्धी सामान प्राप्त ही नहीं किया जा सकता।¹ शताब्दियों पहले डैनियल डिफो ने बड़ ही मुन्दर शब्दों में कहा था कि युद्ध कला का इतना अध्ययन हो चुका है और सभी स्थाणों पर उसका इतना ज्ञान लोगों को है कि अब सबसे बड़ी शैली ही युद्ध जीतती है, सबसे बड़ी उलवार नहीं क्योंकि मुद्रा ही शक्ति है।² फाउन्डर के शब्दों में 'आजकल युद्ध एक औद्योगिक धन्धा है। इस पर अर्थशास्त्र के विज्ञान का युद्ध कला की अपेक्षा अधिक प्रभाव पड़ता है। वर्तमान युद्ध खेल के मैदानों में, ईटन या किसी अन्य स्थान पर नहीं जीता जाता बल्कि हजारों गन्दे औद्योगिक शहरों की जानों तथा कारखानों में।' युद्ध के लिए आवश्यक धन ऋणों और करारोपण द्वारा प्राप्त किया जाता है जिनका प्रभाव राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के शरीर की एक-एक नस पर पड़ता है। युद्ध अर्थ-व्यवस्था का सम्बन्ध केवल युद्ध के लिए धन एकत्रित करने से ही नहीं है वरन् इस बात से भी है कि उसको इस प्रकार मितव्ययिता से खर्च किया जाय कि देश के प्राथिक ढाँचे में कम से

1. G Crowther, *Paying War*, P. 4

2. L. C. Jain, *Indian Economy During the War*

कम गड़बड़ीही। सच तो यह है कि युद्ध संचालन इतना कष्टदायक नहीं होता जितना कि युद्ध के बाद देश की आर्थिक व्यवस्था का पुनर्निर्माण होता है। अन्तिम दोनो युद्धो ने इस तथ्य की भलीभांति पुष्टि कर दी है। अतः यह सुरक्षापूर्वक कहा जा सकता है कि युद्ध कालीन अर्थ-व्यवस्था से साम्तिकालीन अर्थ व्यवस्था का नियमित तथा क्रमवद्ध परिवर्तन अधिकतर उन्ही वित्तीय तथा मौद्रिक नीतियो पर निर्भर करता है जो युद्ध काल में निमित की जाती है।

युद्ध की मौद्रिक लागतें— इस प्रकार युद्ध एक महंगा धन्धा है। यद्यपि युद्ध की मौद्रिक लागत का अन्दाज लगाया जा सकता है किन्तु यह सम्भव नहीं है कि युद्ध की वास्तविक लागतें अर्थात् व्यक्तियों की सम्पत्ति तथा जीवन को पहुँचने वाली क्षति, व्यक्तियों द्वारा वहारा गया खून तथा उनके आसू और राष्ट्र का नैतिक तथा वृद्धि सम्बन्धी हास आदि का अनुमान लगाया जा सके।³ युद्ध की मौद्रिक लागतों को सरलता से उन सरकारी बजटों द्वारा पता लगाया जा सकता है जो युद्ध काल में बनते हैं। १९वीं शताब्दी के युद्ध में लड़ाई में भाग लेने वाले देशों की राष्ट्रीय आय का लगभग १ से १३ प्रतिशत भाग खर्च हुआ था। यह औसत प्रथम महायुद्ध में ५०% था और दूसरे युद्ध में ६० से ७० प्रतिशत था। निम्न तालिका से युद्ध की महंगाई भलीभांति स्पष्ट हो जाती है⁴ —

व्यय

(लाख रुपयों में)

देश	१९३८-३९		१९४१-४२		१९४४-४५	
	कुल व्यय	युद्ध सम्बन्धी व्यय	कुल व्यय	युद्ध सम्बन्धी व्यय	कुल व्यय	युद्ध सम्बन्धी व्यय
युनाइटेड किंगडम (पौंड)	१,१४७	४००	४,८८८	४,०६५	६,१९०	५,१२५
मयुक्त राज्य (डालर)	८,७६,५	१,२०६	३२,४९२	२६,०११	६३,६१८	८८,०००
रूस (रुबिन्स)	१२४,०००	२७,०००	२१६,०००	७०,६००	२०५,३००	१३७,६००
भारत (रुपये)	१,३०८	५११	१,८७४	१,०५४	५,७२१	४,५६६
जर्मनी (रिचमार्क)	२८,५५०	—	६६,२६२	—	१२४,००६	—
जापान (यान)	७,८१९	४,५३२	१६,६८६	११,५५५	५३,२४४	३८,०००

युद्ध संचालन सम्बन्धी साधनों का एकत्रीकरण— युद्ध के सफल संचालन के लिए देश के मानवीय तथा भौतिक साधनों का बहुत स्थानान्तरण करना होता है जिसमें व्यक्तियों की मानसिक तथा शारीरिक शक्ति, संचल तथा चल पूंजी, भौतिक तथा अभौतिक पूंजी तथा अन्य ऐसे साधनों का प्रयोग करना पड़ता है जिनसे शान्ति काल

3 A. C. Pigou, *Political Economy of War*.

4 *World Economic Survey* 1942 44 P. 154

में राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। युद्ध काल में इनका उपयोग पूर्णतया भिन्न रूप से किया जाता है। इन साधनों में उसी समय वृद्धि हो सकती है जब कि (अ) व्यक्ति अपना उपभोग कम कर दें, (ब) घिसाई कोप न स्थापित किया जाय और पूंजीगत वस्तुओं में विनियोग न बढ़ाया जाय, (स) बतमान पूंजी को पिसने दिया जाय, (द) उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो (म) बाह्य ऋण प्राप्त नम जायें और (र) विदेशों में लगी हुई पूंजी का या ता निकाल दिया जाय या बेच दिया जाय।

जहाँ तब उपभोग का कम करने का सम्बन्ध है या ता व्यक्ति अपनी इच्छा से ही उपभोग को कम कर सकत ह या उनको उपभोग कम करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। जनता अपनी इच्छा से सब करने की प्रवृत्ति को कम कर सकती है या सरकार अतिरिक्त कर लगा कर अतिप्राय बचता का योजना बना करके, आयाता को कम करके राशानिम व्यवस्था चालू करके या इसी प्रकार की अन्य विधियों द्वारा व्यक्तिगत या अपना उपभोग कम करने के लिए विवश कर सकती है।

कुन राष्ट्रीय आय का एक भाग मशीनों की टूट फूट ठीक करना तथा नई मशीनों को खरीदने के लिए अलग रख दिया जाता है। यदि यह भाग अलग न रखा जाए तो चालू आय को युद्ध के लिए खर्च किया जा सकता है। फिर न तो मशीनों के बतमान स्टॉक में वृद्धि ही होगी और न मशीनों की टूट फूट ही ठीक हों पायगी।⁶

युद्ध के सफल संचालन के लिए कभी कभी यह भी आवश्यक होता है कि पूंजीगत वस्तुओं अपने बतमान उपयोगों में न निवल कर युद्ध सम्बन्धी उपयोगों में लग जायें और इस प्रकार युद्ध में बतमान पूंजी का भी उपभोग किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त युद्ध के लिए पचापन धन उत्पादन को बढ़ा कर प्राप्त किया जा सकता है। उत्पादन को विभिन्न प्रकार में बढ़ाया जा सकता है जैसे (१) वेकार साधनों को काम में लगा कर। (२) काम में घण्टा तथा दिन में फेरियों (shift) में वृद्धि करके। (३) उन सभी व्यक्तियों को काम में लगाकर जो रिटायर हो चुके हैं या वेकार ह। (४) श्रमिका की कार्य कुशलता में मनात्मक प्रशिक्षण द्वारा या अन्य विधियों द्वारा वृद्धि करके। (५) समुक्तिकरण द्वारा उत्पादकों की कुशलता को बढ़ा कर। (६) अनुसंधानों द्वारा उत्पात्ति की विधि को उन्नत करके और (७) औद्योगिक भण्डों को नए चालू करके द्वारा काम करके।

विदेशों से ऋण भी प्राप्त किये जा सकत ह और विदेशों में लगी हुई पूंजी को निकाल कर या बेच कर भी आवश्यक धन प्राप्त किया जा सकता है।

युद्ध वित्त व्यवस्था की विभिन्न रीतियाँ—युद्ध सम्बन्धी साधनों को उसी समय प्राप्त किया जा सकता है जबकि सरकार के पास युद्ध सम्बन्धी वस्तुया तथा सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन हो। इन धन को करारोपण, उधार

लेकर, मुद्रा प्रसार द्वारा या इच्छित योगदानों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। हम इनमें से प्रत्येक का विश्लेषण निम्न में करेंगे—

करारोपण—युद्धकाल में करारोपण की समस्या शान्तिकाल की अपेक्षा पूर्णतया भिन्न होती है। युद्धकाल में करारोपण की मुख्य समस्या गुणात्मक (Qualitative) न होकर परिमाणात्मक होती है। दूसरे शब्दों में सरकार केवल इसी ओर ध्यान देती है कि करारोपण द्वारा अधिक से अधिक धन कैसे प्राप्त किया जाय और वह युद्ध की लागतें बढ़ने के साथ-साथ नए-नए कर लगाती जाती है और पुराने करों की दरों को बढ़ाती जाती है। सरकार करों की प्रकृति की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, अर्थात् यह यह नहीं देखती कि कर प्रतिगामी है या प्रगतिशील, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष। उसका मुख्य कर्तव्य केवल धन प्राप्त करना होता है। शान्तिकाल में करारोपण की नीति का मुख्य उद्देश्य उपभोग पर पड़ने वाले, करों के बुरे प्रभावों को रोकना होता है। परन्तु युद्धकाल में आवश्यक वस्तुओं के उपभोग पर भी प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं। इसी प्रकार आय पर करों की दर को युद्धकाल में किसी भी सीमा तक बढ़ाया जा सकता है और इस बात को बिल्कुल भी विचार में नहीं रखा जाता कि करों से व्यक्तियों के बचाने तथा दिनियाग करने की शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

यहाँ यह बताना उचित होगा कि करारोपण द्वारा प्राप्त होने वाली आय मुख्य रूप से कौन सी बातों पर निर्भर होती है—प्रथम, करारोपण की वर्तमान दर, दूसरे, जनता की आर्थिक स्थिति, तीसरे, व्यक्तियों के कर भुगतान करने की इच्छा और अन्त में धन का वितरण। उस देश में जहाँ करारोपण की दर पहले से ही बहुत ऊँची है नए करों को लागू करना सम्भव नहीं होता। यदि करदान क्षमता की अन्तिम सीमा का उल्लंघन हो चुका है या यदि देश निर्धन है तो और कर लगाने से कोई भी लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार यदि व्यक्ति करभार सहन करना नहीं चाहते और करों का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है तो करारोपण द्वारा धन प्राप्त नहीं किया जा सकता। करारोपण का सहारा उसी देश में लिया जा सकता है जहाँ धन का असमान वितरण हो। चाहे युद्ध हो या नहीं किसी भी देश में करारोपण नीति उपयुक्त बातों पर निर्भर होती है।

ऋण प्राप्त करके—ऋणों को, देश में जनता से और विदेशों से भी प्राप्त किया जा सकता है। सरकार देश में आन्तरिक ऋण विभिन्न प्रकार के ऋण चानू करके प्राप्त कर सकती है या बैंकों को अधिक साख उत्पन्न करने के लिए बाध्य करके प्राप्त कर सकती है या सरकार बैंकों से प्रत्यक्ष ऋण प्राप्त करने कर सकती है या अनिवार्य बचतों द्वारा आवश्यक धन प्राप्त कर सकती है। सरकार जो भी विधि चाहे अपनाए परन्तु इतना निश्चित है कि व्याज की दर न्यूनतम होनी चाहिए। क्योंकि नीची मूल्य की दर से न केवल ऋण की भावी लागतें ही कम रहेंगी, बल्कि सरकार को युद्धोत्तर काल में मदों को पूर करने के लिए समीचीन मुद्रा नीति अपनाने के लिए उचित मुविधायें भी प्राप्त हो सकेंगी।

करारोपण तथा ऋणों में से कौन सी विधि अधिक अच्छी है ? यह निश्चय करना कठिन है। हम लोग ही के साम्राज्य तथा बाप का यहाँ वर्णन करते हैं —

१ प्रथम, यद्यपि दोनों ही रीतियों का उद्देश्य व्यक्तिगतों की जेबों से धन निवाहना है फिर भी व्यक्तियों की करारोपण की अपेक्षा ऋण प्राप्त करने की नीति अधिक उचित होती है। करारोपण में व्यक्तिगतों की भारी व्यय करना पड़ता है और उपयोग तथा उत्पादन के स्तरों को कम करना होता है जब कि ऋण से उनकी मूल की कुछ न कुछ आय की प्राप्ति होती है। अतः अनेक करारोपण की रीति को अपनाया जाना वं हाँसा करने साव-साव ऋणों की भी प्राप्ति करना चाहिए।

२ दूसरे, क्योंकि कर निश्चित दर पर लगाय जाते हैं इसलिए करदाताओं से जो धन प्राप्त होता है उनको, वे अपनी अपनी योग्यता अनुसार नहीं देते। दूसरी ओर ऋण द्वारा लोगों के पास जितना भी अतिरिक्त धन होता है, उनको वे अपनी स्व-इच्छा से दे देते हैं और इस प्रकार ऋणों द्वारा वर्तमान छात्रों का अधिक उपयोग सम्भव होता है।

३ तीसरे यह भी कहा जाता है कि कर का भार केवल वर्तमान व्यक्तियों को ही सहन करना होता है जब कि ऋण का भार भावी सन्तानों को भी सहन करना पड़ जाता है। यह बात करारोपण के सम्बन्ध में तो ठीक है परन्तु ऋणों का भार वर्तमान तथा भावी सन्तानों दोनों ही पर पड़ता है। यदि ऋण वर्तमान उपयोग को कम करके दिये जाते हैं तो ऋणों का भार वर्तमान सन्तानों पर पड़ता है और यदि ऋण बर्खास्त हूँ पूर्णतः में से दिये जाते हैं तब इनका भार भावी सन्तानों पर पड़ता है। चाहे नतीजा भी स्थिति हो दोनों ही रीतियों का मिश्रण अधिक व्यापक होता है, क्योंकि कुछ वर्तमान तथा भावी, दोनों ही सन्तानों के लाभ के लिए दिये जाते हैं।

४ चौथे, करारोपण द्वारा धन का वितरण समान किया जाता है जबकि ऋण धन की अमानताओं को और भी अधिक कर देते हैं। करारोपण में धन व्यक्तियों की जेबों में से मरदा किये ही निकल जाता है। परन्तु व्यक्तिगत केवल अपनी छात्रों में देते हैं कि उनको अधिकतर म और भी अधिक धन प्राप्त होगा, जो वास्तव में होता भी है और इसी कारण ऋणों से धनी व्यक्तियों को अधिक लाभ पहुँचता है।

५. अन्त में ऋणों द्वारा धन साम्य में बहुत अधिक वृद्धि होती है। परन्तु यह ध्यान रहे कि यह केवल उन्नी समय ही सचता है जबकि व्यक्तिगतों की वचता में से ऋण न कर बल्कि सेवा से उधार लेकर सरकार को रपया उधार दे। इस प्रकार ऋणों से मुद्रा प्रसार का भय रहना है, जो करारोपण में नहीं होता।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि न तो अनेकों करारोपण और न अनेकों ऋण द्वारा धन प्राप्त करने की रीति उपयुक्त है, बरन् मुद्रा के लिये आवश्यक धन प्राप्त करने के लिये दोनों ही रीतियों को साथ साथ अपनाना चाहिए, क्योंकि दोनों रीतियों एक दूसरे की पूरक हैं।

मुद्रा प्रसार—युद्ध वित्त व्यवस्था के लिये मुद्रा प्रसार न तो आर्थिक दृष्टि से ही और न नैतिक दृष्टिकोण से उचित है। इसके बहुत ही गम्भीर परिणाम होते हैं। इस विधि में या तो सरकार अधिक नागजी मुद्रा छाप सकती है या केन्द्रीय बैंक या किसी अन्य बैंक से ऋण ले सकती है। मुद्रा प्रसार, धनी तथा निर्धन व्यक्तियों के बीच की मनमानताओं को और भी अधिक कर देता है। इससे चोर बाजारी, मुनाफाखोरी तथा अन्य सामाजिक कुरीतियाँ उत्पन्न होती हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह विधि अति सरल है परन्तु इसके परिणाम इतने गम्भीर होते हैं कि इसका उपयोग जितना कम किया जाय उतना ही अच्छा है।

इच्छित योगदान—कभी-कभी युद्ध के सफल सञ्चालन के लिये व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से योगदान देते हैं। ऐसा वे केवल देश प्रेम की भावना से करते हैं। परन्तु ऐसे योगदानों की मात्रा बहुत कम होती है और इसलिये इनका कोई विशेष महत्त्व नहीं होता।

युद्ध के लिये आवश्यक धन प्राप्त करने के लिये सरकार ऊपर बताई हुई चारों विधियों का ही प्रयोग करती है और हर विधि दूसरी विधि के सहयोग से ही सफल होती है। किम समय कौन सी विधि अपनाई जाय, युद्ध की प्रगति पर निर्भर करता है। प्रारम्भिक अवस्था में ऋण प्राप्त किये जाते हैं, फिर मुद्रा प्रसार, फिर करारोपण और अन्त में विदेशी पूँजी को बेचने का कार्य किया जाता है। ऋण लेने के बाद सरकार उन वस्तुओं तथा सामानों को प्राप्त करती है जो बेकार पड़े रहते हैं तथा उन साधनों को नियन्त्रण तथा प्रतिबन्ध लगाकर प्राप्त करती है जो निजी उपयोगों में लगे होते हैं।

अन्तिम युद्ध का चित्र आज भी हमारे सामने है। हम जानते हैं, कि विभिन्न सरकारों ने इन विधियों का प्रयोग किया था। लगभग सभी देशों में राशानिग और करारोपण का सहारा लिया गया था और वस्तुओं को प्रोत्साहित किया गया था। जब इनसे पर्याप्त धन प्राप्त न हुआ तो ऋण प्राप्त किये गये और सस्ती मुद्रा नीति अपनाई गई। निःसन्देह ही इससे रोजगार और उत्पादन में वृद्धि हुई और देश में मुद्रा प्रसार की दशाये उत्पन्न हुई। इस प्रकार उपभोग नियन्त्रित किया गया और अप्रत्यक्ष रूप से कम किया गया। जर्मनी जैसे देशों ने केवल अपने उपभोग को ही कम करके उत्पादन में वृद्धि नहीं की बरन् विदेशी साधनों का भी उपयोग किया। इसी प्रकार ब्रिटेन ने केवल अपने विदेशी वित्तियोगों को ही समाप्त नहीं कर दिया बरन् विदेशी ऋण भी प्राप्त किये। विदेशों में धन खर्च करने की नीति से उस देश के लिये गई भ्रमस्था उत्पन्न हो जाती है जिस देश में वह धन खर्च किया जाता है जैसा कि भारत में हुआ था। यद्यपि मूर्यों के बढ़ने की प्रवृत्ति को रोकने के लिये द्रौण जीवन स्तर को न गिरने देने के लिये मुद्रा प्रसार विरोधक उपाय किये जाते हैं, परन्तु सफलता कम ही प्राप्त होती है।

युद्ध वित्त व्यवस्था के प्रभाव—युद्ध प्रपणे साथ अनेको आर्थिक कठिनाइयाँ नाते हैं, जिनको केवल बिरले ही कम कर सकते हैं। मुद्रा प्रसार युद्ध वित्त व्यवस्था

का प्रत्यक्ष परिणाम होता है। बढ़ते हुए मूल्य और जीवनस्तर अथवा यदि समय पर नहीं एक पाते तो अनेकों आर्थिक परिणामों का उत्पन्न कर देते हैं जिनको दूर करना मरुत नहीं होता है। प्रथम महायुद्ध के बाद जर्मनी और दूसरे महायुद्ध के बाद चीन बिलकुल नाट से हों गये थे। अने ही देशों में हमने दूसरी लड़ाई की दावत का मजा अभी तक खा रहा है।

युद्ध किसी भी राष्ट्र के समस्त आर्थिक जीवन को छिन्न भिन्न कर देता है। जो आर्थिक शक्तियाँ और साधन सामान्य परिस्थितियों में उत्पादन में लगते हैं उनका स्थानांतरण युद्ध कार्यों के लिये हो जाता है जिससे सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था में एक प्रकार भाटा भा उत्पन्न हो जाता है और फिर युद्धकाल से शांति काल के लिये इन साधनों का स्थानांतरण कोई कष्ट का सख नहीं होता। युद्ध के घातक परिणामों का अनुमान उन देशों की स्थिति में भली भाँति लगाया जा सकता है जिन्होंने युद्ध में भाग लिया था।

युद्ध वित्त व्यवस्था का एक स्वाभाविक परिणाम युद्ध ऋणों का एक बड़ी मात्रा में उत्पन्न होना है। इस ऋणों का वास्तविक तथा मौद्रिक भार जनता को बहुत अधिक मात्रा में महसूस करना पड़ता है और ऐसे श्रेणियों के भुगतान करने का एक बहुत बड़ा दायित्व राष्ट्र के आर्थिक जीवन पर बना रहता है।

अन्त में युद्ध सम्बन्धी कामों के लिये आवश्यक धन प्राप्त करने में सभी वित्तीयकारी कार्यों को स्थगित करना पड़ता है और इस प्रकार आर्थिक जीवन उत्पन्न होने के स्थान पर नीचा होने लगता है। युद्ध लड़ने में जो भारी व्यय होता है और युद्ध संचालन में जो व्यय करने पड़ता है उनका अनुमान प्रेसीडेंट हार्रिडन होवर के निम्न कथन में लगाया जा सकता है जिसे उन्होंने समाचार पत्रों के निर्देशकों की अमेरिकन सोसाइटी से निवेदन करते समय कहा था। उन्होंने कहा

प्रत्येक बन्दूक जो बनाई जाती है हर युद्ध का पानी का जहाज जो बनाया जाता है, हरे रजिस्ट्रिज जिसका उपयोग किया जाता है अस्त्रिम अथवा उस चीज़ों को रक्षित करता है जो भूखों के पहाड़ों की जाती है जिनको खाना नहीं मिलता, जिनको ठण्ड लगती है और पहनने की कपड़ें नहीं हैं। एक आधुनिक भारी बम फेंकने वाले हवाई जहाज की कीमत यह है ३० से भी अधिक गहरा में ईंधन से बना हुआ एक आधुनिक स्कूल को विद्युत शक्ति खाना वाले कारखाने जिनमें प्रत्येक ६० हजार जनसंख्या वाले महान को बिजली दे रहा है जो सुन्दर पूरा सुसज्जित अस्पताल है, लगभग ५० मील लम्बी बगीचे की प्रपात सड़क है

हम एक राष्ट्र करने वाले जहाज के लिए उठना ही पन देते हैं जिनका कि उन नए मरणा के लिये देते हैं जो ५ हजार से भी अधिक व्यक्तियों के रहने के लिये काफी होते हैं।^{१६}

युद्ध के लिये वित्त की व्यवस्था करना कोई सरल काम नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि युद्ध की सफलतापूर्वक लड़ने के लिये यह आवश्यक है कि व्यक्ति

की आदतों में मनोबैज्ञानिक उलट फेर हो। इसके लिये एक बड़ी मात्रा में मानसिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक परिवर्तनों की आवश्यकता होती है। यदि युद्ध के लिये वित्त का प्रथम्य एक योजनाबद्ध ढंग से किया जाय तो काफी अंश तक युद्ध के दुरे प्रभावों को कम किया जा सकता है और यदि युद्ध व्यय को आयोजना-बद्ध ढंग से किया जाय तो युद्ध में भाग लेने वाले देश नष्ट हो सकते हैं। केवल युद्ध की जीतना ही एक मात्र उद्देश्य नहीं होना वरन् देश के आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्धों में न्यूनतम गम्बूड उत्पन्न करके या देश के नागरिकों की सुरक्षा को कम से कम स्तरों में डाल कर युद्ध को जीतने का उद्देश्य होता है। जब राजनैतिक सुरक्षा और अपने आपको बचाने का प्रश्न होता है तब युद्ध एक आवश्यक बुराई ही जाती है। युद्ध से विभिन्न देशों की जनता को अनेक प्रकार की मुसीबतें सहन करनी होती हैं; युद्ध के परिणाम और भी अधिक बटु प्रतीत होंगे यदि हम "उन उच्चतम बातों के नष्ट होने की ओर ध्यान दें जो अधिक क्षेत्र से बिल्कुल ही परे होती हैं—मनुष्य को अपने यत्न का पालन न करना, लड़ाई में भाग लेने वालों के अहमों तथा बोमारियों से उष्ण होने वाले कष्ट जो लड़ाई में भाग नहीं लेते उनके प्रत्याचारों तथा विचारों का निम्न होना—जो युद्ध के अनिवार्य परिणाम है।"

भारत में युद्ध वित्त व्यवस्था—यद्यपि भारत स्वयं युद्ध में भाग लेने वाला देश न था किन्तु उसकी दूनरी लड़ाई में भाग लेना पड़ा क्योंकि वह ब्रिटिश साम्राज्य का एक भाग था। यदि हम युद्ध से पहले के वर्षों में भारतीय बजटों का अध्ययन करें तो स्पष्ट हो जाता है कि कुछ वर्षों में सन्तुलित बजट रहे हैं और कुछ में अधिक्य बजट भी थे। युद्ध के पहले तीन वर्षों में भारतीय वित्त सदस्य को अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा था। आय और व्यय दोनों ही में साथ-साथ वृद्धि हुई थी और सन् १९४०-४१ में ६०३ प्रतिशत और सन् १९४१-४२ में ६१४ प्रतिशत व्यय को आय में से पूरा किया जा सकता था। इसलिये हमारे राजकीय ऋण बढ़ने के स्थान पर सन् १९४०-४१ में १२४७ करोड़ रुपये में घट कर सन् १९४१-४२ में १२०६ करोड़ रुपये रहे गये थे।

युद्ध के कारण जो नये कर लगाये गये थे वे प्रगतिशील प्रत्यक्ष कर थे। इन वर्षों में अधिक लाभ कर, अतिकर जैसे प्रत्यक्ष कर लागू किये गये थे। अत्यधिक करों को भी महत्व प्रदान किया जा रहा था। नई नई वस्तुओं पर उत्पादन कर लगाय गये थे और पुराने उत्पादक करों में वृद्धि की गई थी। इन वर्षों का भार बहुत अधिक भालूम नहीं हुआ था, क्योंकि व्यापार कम होने के कारण सीमा नर कम हो रहे थे।

जहाँ तक बजटों का सम्बन्ध है युद्ध के पहले ३ वर्ष अर्थात् दुरे न थे परन्तु आर्थिक क्षेत्रों में मुद्रा प्रसार बहुत अधिक बढ़ता जा रहा था। ब्रिटिश सरकार के स्वातंत्र्य में भारत सरकार को प्राप्त होने वाले युद्ध व्यय की राशि सन् १९३६-४० में

सभी विधियों में असफल रहने के कारण सरकार ने अधिक मुद्रा छापकर हीनार्थ प्रवन्धन की नीति को अपनाया था।

युद्ध समाप्ति के बाद जनता ने कर भार से कुछ मुक्ति पाने के लिये बहुत अनुरोध किया। सन् १९४६-४७ में जब पहला शान्ति कालीन बजट बना तो उममें करो को काफी कम कर दिया गया था और उममें ४५ २६ करोड़ रुपए का घाटा था। सन् १९४७-४८ में जो अन्तरिम (Interim) बजट श्री लियाकत अली खान ने प्रस्तुत किया जिसको 'साराखी' कहा गया है उसमें सारे ही करो को पुरानी बरों पर फिर से लागू कर दिया गया और व्यापार लाभ कर तथा पूर्णा लाभ कर, दो नए कर और लगा दिये गए और फिर भी २६ ४२ करोड़ रुपयों का घाटा रहा। बाद के २ बजटों में करो से मुक्तियाँ प्रदान करने के बाद भी काफी आर्थिक अस्थिरता आधिक्य रहा। सन् १९५०-५१ से लेकर आज तक हमारी बजट नीति मुख्य रूप से विकास योजनाओं के लिये आवश्यक धन प्राप्त करने की ओर ही रही है और आज भी हम हीनार्थ प्रवन्धन की नीति अपना रहे हैं। इस प्रकार युद्ध काल में जो मुद्रा प्रसार का नक्क भारतम्भ हुआ था वह आज भी जीवित है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत को युद्ध संचालन के लिये जो वित्त का प्रवन्ध करना पड़ा था उससे भारतवासियों को बहुत कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ी थी। जनता के नैतिक तथा वारिरिक स्तरों में ही गिरावट नहीं आई थी वरन् उपभोग तथा उत्पादन के स्तर भी अपनी निम्न सीमा तक पहुँच गये थे। हमारा व्यय भी इतना आयोजना बद्ध था कि युद्ध के अन्तिम वर्षों में उत्पादन और व्यापार में इतनी कमी हो गई थी कि भारत में बेकारी अपनी चरम सीमा पर थी और परिणामस्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था पूर्णतया मरण अवस्था में थी और सरकार की स्थिति बहुत गड़बड़ थी। यह प्रभाव इतने शक्तिशाली थे कि हम आज तक उनसे मुक्त नहीं हो पाए। इसीलिये यह आवश्यक हो जाता है कि हम युद्ध सम्बन्धी वित्त व्यवस्था एक ऐसे योजनाबद्ध ढंग से करें कि केवल उसको जीते ही नहीं बल्कि युद्ध के कारण उत्पन्न होने वाली गड़बड़ भी कम से कम रहे क्योंकि वित्त केवल युद्ध संचालन के लिये एक शक्तिशाली साधन ही नहीं है बल्कि युद्ध परास्त अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में भी इसका उतना ही महत्व है।

वित्तीय शासन

अध्याय १७

वित्तीय शासन—सिद्धान्त
एवं व्यवहार में
(Financial Administration
in Theory and
Practice)

प्रायश्चित्त—

पिछले अध्यायों में हमने देखा है कि सरकार अपने कार्यों को सम्पन्न करने के लिये विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करती है। प्रश्न यह है कि जो आय सरकार प्राप्त करती है तथा उसकी जिस प्रकार खर्च करती है उसकी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए तथा इस व्यवस्था की विधि क्या हो? साधारणतया सभी इस विचार में सहमत हैं कि सरकार को अपनी आय तथा व्यय का प्रबन्ध इस प्रकार करना चाहिए कि किसी एक वर्ग पर भार अधिक न पड़े, अर्थात् सभी वर्गों पर आय का भार समान हो और सम्कारी व्यय से समाज को अधिकतम लाभ पहुँचे। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के लिए अपने हिस्से की ठीक रखना और समय-समय पर विभिन्न महों पर किए जाने वाले व्यय तथा उनसे प्राप्त होने वाले लाभों में समुचित स्थापित करना आवश्यक होता है और उसकी जाच पड़ताल भी करते रहना आवश्यक होता है ताकि व्यक्ति को अपनी आर्थिक स्थिति का पूरा ज्ञान रहे, उसी प्रकार सरकार के लिए भी यह परम आवश्यक है कि वह अपने हिस्सों की ठीक रखे तथा उनकी जाच पड़ताल कराती रहे ताकि आय एकत्रित करने की न्यायशीलता तथा व्यय की निरव्ययता को निश्चित रूप से प्राप्त किया जा सके। यही वित्तीय शासन की विषय-वस्तु है। वित्तीय शासन, राजकीय शासन प्रबन्ध का ही एक अंग है और यह विज्ञान और कला दोनों ही हैं। विज्ञान के रूप में यह राजकीय वित्त व्यवस्था को नियंत्रित करने तथा उसकी समुचित व्यवस्था करने के लिए निश्चित नियमों तथा सिद्धान्तों को रखना भरता है और कला की दृष्टि से यह “सरकारों

मगठन का वह भाग है जो राजकीय कोषों के एकत्रण, संरक्षण और वितरण का, राजकीय आय तथा व्यय के समायोजन का राज्य की ओर से किये जाने वाले साख सम्बन्धी कार्यों की व्यवस्था का तथा राजकीय घर गृहस्थी के वित्तीय मामलों के सामान्य नियंत्रण का अध्ययन करता है।¹

उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार वित्तीय शासन के अन्तर्गत मुख्यतया चार विषयों का समावेश होता है अर्थात् (१) राजकीय आय का एकत्रीकरण संरक्षण तथा वितरण, (२) आय तथा व्यय का समायोजन, (३) राजकीय ऋणों की व्यवस्था और राज्य के वित्तीय मामलों का सामान्य नियंत्रण। जहाँ तक आय का सम्बन्ध है आय प्राप्त करने की सारी रीतियाँ देश के संविधान द्वारा निश्चित की जाती हैं। देश की कार्यकारिणी सभा (Executive) सरकार की आय तथा ऋणों का नाठन करती है, हिमाय किताब की पुस्तकों की जाच पड़ताल जाच विभाग द्वारा (Audit Department) द्वारा होती है और देश की केन्द्रीय बैंक सरकारी खजाने का काम करती है। कार्यकारिणी सभा आय तथा व्यय की स्थिति को ध्यान में रख कर अपने अनुमान बनाती है जो मुख्य रूप से वित्त मन्त्रालय द्वारा किया जाता है और जिनको स्वीकृति के लिए सदन के सामने रखा जाता है। आय तथा व्यय के सम्बन्ध में समय पर रिपोर्ट तैयार की जाती है और सदन के सामने प्रस्तुत की जाती है ताकि नियंत्रण भी कुशलता बनी रहे।

वित्तीय शासन के मुख्य सिद्धान्त—

वित्तीय शासन की कुशलता के लिए निम्न सिद्धान्तों की रचना की गई है—

१ प्रभाव युक्त नियंत्रण—वित्तीय शासन की कुशलता के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक अवस्था पर बड़ा नियंत्रण रहे जो कार्यकारिणी सभा तथा कानून बनाने वाली सभा दोनों की ओर से होना चाहिये और जहाँ तक सम्भव हो यह नियंत्रण सरलतम हो।

२ नियम बनाने वाली सभा के इच्छानुसार काम करना—वित्तीय शासन उगी गमय कुशल हो सक्ता है जब कि सभी वित्तीय मामलों में नियम बनाने वाली सभा (Legislature) की इच्छानुसार काम किया जाय। कार्यकारिणी सभा का यह कर्तव्य है कि वह अपने ही धन को एकत्रित करे तथा व्यय करने की योजना बनाय जो नियम बनाने वाली सभा द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। आधुनिक समय में बजट प्रणाली इस सिद्धान्त का पालन करती है।

३ सगठन की एकता—वित्तीय शासन की व्यवस्था की प्रत्येक अवस्था पर शासन में एकरूपता होनी चाहिये। यह उगी समय सम्भव हो सक्ता है जब कि सम्पूर्ण व्यवस्था पर केवल एक ही अधिकारी का नियंत्रण रहे। इसलिये यह आवश्यक है कि वित्तीय शासन पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण रहे और प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी निश्चित करबी जाये। इसलिये यह आवश्यक है कि वित्तीय मगठन

का एकीकरण कर दिया जाये। केन्द्रीयकरण तथा एकीकरण में केवल यही अग्नि-प्राय है कि विभिन्न अधिकारियों के बीच समन्वय रहे और उच्च अधिकारियों का निम्न अधिकारियों पर नियन्त्रण रहे।

४ सरलता—वित्तीय शासन व्यवस्था सरलतम रहना चाहिये तथा कार्य-शीघ्रता तथा नियमितता के भाव होने चाहिये ताकि शासन में भ्रष्टव्ययिता प्राये और प्रत्येक व्यक्ति शासन प्रबन्ध के कार्य मन्त्रालय को समझ सके, सभी वित्तीय शासन में सुशुद्धता भी उत्पन्न हो सकेगी। नियमितता तथा भ्रष्टव्ययिता के लिये यह आवश्यक है कि धन को ऐसे खर्च लिया जाय कि उम्मा पूरा-पूरा लाभ प्राप्त हो सके।

हमारे देश में राजकीय वित्त पर निम्न संस्थाओं द्वारा नियन्त्रण किया जाता है —

- १ विधम बनाने वाली सभा (Legislature)।
- २ कार्यकारिणी सभा (Executive)।
- ३ वित्त मन्त्रालय (Finance Ministry)।
- ४ जांच विभाग (Audit Department)।

१ नियम बनाने वाली सभा—यह सभा राज्य के सभी क्षेत्रों में प्राप्त आय, राज्य के सभी महों पर लिये गये व्यय, राज्य द्वारा लिये गये सभी ऋणों तथा राज्य के सभी हितों पर नियन्त्रण रखती है। यह कार्यकारिणी सभा को नये कर लगाने तथा वर्तमान करों की दरों को बढ़ाने की आज्ञा देती है। यह खर्च को महों तथा ऋण प्राप्त करने की योजनाओं तथा स्रोतों को निर्धारित करती है। वास्तव में होता यह है कि यह सभा धाय प्राप्त करने के लिये नये करों को लगाने तथा पुराने करों में वृद्धि करने, व्यय की नई महों तथा पुरानी महों पर व्यय की राशि को निर्धारित करने और पुराने ऋणों का भुगतान तथा नये ऋण प्राप्त करने में सुभाव स्वयं प्रस्तुत नहीं करती वरन् यह प्रस्ताव कार्यकारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं जिनको स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार दस सभा का होता है। इसका अग्निप्राय यह हुआ कि यह सभा स्वयं अपनी इच्छा से कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती केवल कार्यकारिणी सभा द्वारा रखे गये प्रस्तावों पर ही अपना मत प्रकट कर सकती है और वित्तीय शासन के सभी क्षेत्रों में जो भी नये उपाय किये जायें उन सभी पर कार्यकारिणी सभा द्वारा निर्णय लिये जायेंगे।

नियम बनाने वाली सभा दो समितियों द्वारा वित्तीय नियन्त्रण करती है— प्रथम, अनुमान समिति (Estimates Committee) तथा दूसरी राजकीय हिसाब समिति (Public Accounts Committee)। प्रथम समिति का कर्तव्य यह देखना है कि नियम बनाने वाली सभा द्वारा जो वर्षे मंजूर किये गए हैं वह भ्रष्टव्ययिता से किये गए हैं या नहीं; तथा दूसरी समिति यह देखती है कि राजकीय व्यय उचित ढंग से किया गया है और हिसाबों को ठीक प्रकार से रखा किया गया है या नहीं।

(२) कार्यकारिणी सभा—यह सभा सम्पूर्ण देश के लिए एक सामान्य नीति निर्धारित करती है, और विभिन्न अधिकारियों के शासन सम्बन्धी कर्तव्यों, उनके वेतनों, उनके अवकाश की अवधि तथा पेंशन आदि को निर्दिष्ट करती है। वित्त सम्बन्धी सभी मामलों जिनकी मजूरी वित्त मन्त्रालय से लेनी होती है एक ग्रन्थ समिति (Economy Committee) के पास भेज दिये जाते हैं जिसमें वित्त मंत्री के अतिरिक्त वित्त में सम्बन्धित ५ अन्य मन्त्रों भी होते हैं। हर मन्त्री अपने व्यय के प्रस्तावों को इस समिति के अध्यक्ष के पास भेजना है जो तब जांच पड़ताल के बाद मजूरी के लिए समिति के सामने रख देता है। सभी मामलों में समिति का निर्णय अन्तिम रहता है।

(३) वित्त मन्त्रालय—राजकीय वित्त सम्बन्धी सभी मामला पर केन्द्र में वित्त मन्त्रालयों द्वारा नियन्त्रण रखा जाता है तथा राज्यों में वित्त विभाग (Finance Department) द्वारा नियन्त्रण रखा जाता है। वित्त मन्त्रालय के मुख्य कर्त्तव्य यह देखना है कि सरकारी विभागों में धन को खर्च करने में मितव्ययिता का उपयोग किया गया है कि नहीं, सरकारी कर्मचारियों ने उचित रूप में खर्चा किया है या नहीं तथा यह भी देखना है कि राज्य के विभिन्न विभागों को जितना धन दिया गया था उतना ही वे खर्च कर रहे हैं या नहीं। यदि मंजूर किया हुआ धन वर्ष में खर्च नहीं हुआ है तो राज्यों में उसे केन्द्र की लीजया या नहीं। मन्त्रालय के पास, विभिन्न खर्च करने वाले विभाग समय-समय पर अपनी रिपोर्टें भेजते रहते हैं जिनकी जांच करने के बाद मन्त्रालय यदि आवश्यकता होती है तो उनको मलाह देता है। यह विभिन्न विभागों के खर्चों में सामन्जन्य स्थापित करता है और यह प्रयत्न करता है कि विभिन्न विभाग अपने कार्य कम से कम मूल्य पर करें।

वित्तीय शासन की कुशलता के लिए यह भी आवश्यक है कि वित्त मन्त्रालय न तथा वित्त विभाग का राजकीय आय पर भी पूरा-पूरा नियन्त्रण रहे। खेद है कि देश में राज्यों के वित्त विभागों का आय पर अधिष्ण नियन्त्रण नहीं है। राज्यों में माल-गुजारों का नियन्त्रण वित्त विभाग द्वारा न हो कर आय विभाग द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार वित्त विभाग का आय की अन्य महा रजिस्ट्री, रजिस्ट्री, जगलात आदि पर भी बहुत कम नियन्त्रण है। हाँ, इतना अवश्य है कि वित्त विभाग के पास सभी विभागों की रिपोर्टें आनी रहती हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनको मलाह देता रहता है। विन्नु केन्द्र में केन्द्रीय आय विभाग पूर्णरूप से वित्त विभाग के निर्देशन में कार्य करता है और केन्द्रीय आय विभाग के हाथ में केन्द्रीय सरकार की अधिवार आय आती है। वित्त विभाग व्यय को नियन्त्रित करने के अधिकार का पालन करने हुए भी कुछ शक्तियाँ दूसरे विभागों को हस्तान्तरित कर देता है जो वेबन उनके द्वारा निर्धारित कार्यक्रम को ही पूरा करते हैं। अपनी ओर से नये खर्च करने का अधिकार उन्हें नहीं होता। राज्यों में वित्त विभाग का सचिव राज्यों के वित्तीय शासन का नियन्त्रण करता है, परन्तु केन्द्र में यह कार्य अलग-अलग विभाग द्वारा किये जाते हैं। आय और व्यय की देखभाल तथा प्रबन्ध आय-व्यय विभाग

की भी बहुत सी परिभाषाएँ देखने को मिलती हैं। हम इनमें से कुछ परिभाषायें निम्न में दे रहे हैं —

बिल्यू (Beaulieu) के शब्दों में "यह एक निश्चित अवधि के आय तथा व्यय के अनुमानों का विवरण है। यह एक तुलनात्मक तालिका है जिसमें प्राप्त होने वाली आय की राशियाँ तथा किये जाने वाले व्ययों को दिखाया जाता है, इसके अतिरिक्त यह उचित अधिकारियों की ओर से एक अधिकार या आदेश है जो खर्च करने तथा आयों को एकत्रित करने के लिए दिया जाता है।"

जेज (Jeze) के अनुसार "आधुनिक राज्य में बजट एक भविष्यवाणी है और सभी राजकीय आयों तथा व्ययों का एक अनुमान है तथा कुछ विशेष खर्चों और आयों के लिए धन एकत्रित करने और उनको खर्च करने का एक आदेश है।"

यदि देखा जाय तो इन दोनों परिभाषाओं में कोई विशेष अंतर नहीं है। दोनों ही परिभाषायें बजट को आयों और व्ययों का अनुमान मानती हैं और आयों को एकत्रित करने तथा उनको खर्च करने के लिए एक आदेश के रूप में स्वीकार करती हैं। बजट को एक सक्षिप्त परिभाषा स्टोर्न (Stourm) ने दी है। वह कहते हैं कि 'बजट एक ऐसा लेखा है जिसमें राजकीय आय तथा व्यय की एक स्वाँकृत प्रारम्भिक योजना होती है।'

सबसे उपयुक्त परिभाषा विलोघी (Willoughby) ने की है। उनके शब्दों में "बजट एक दम एक रिपोर्ट, एक अनुमान तथा एक प्रस्ताव है, यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वित्तीय शासन की सभी विधियाँ को सम्बन्धित किया जाना है, उनकी तुलना की जाती है और समन्वय स्थापित किया जाता है।"

इन सब परिभाषाओं के आधार पर बजट को संक्षेप में किसी निश्चित अवधि में राजकीय आय तथा व्यय का एक समुचित विवरण कह सकते हैं और इस प्रकार बजट के तीन मुख्य अंग होते हैं। प्रथम, बजट में एक वित्तीय योजना प्रस्तुत की जाती है दूसरे, इस योजना को बनाने, कार्यान्वित करने तथा नियन्त्रित करने की विधि दी जाती है और तीसरे, इस विधि को कार्यान्वित करने की प्रत्यक्ष अवस्था पर कौन सा विभाग जिम्मेदार होगा यह भी बताया जाता है।

बजट की तैयारी—जैसा हम पहले कह चुके हैं बजट वायंकारिणी सभा द्वारा तैयार किया जाता है। बजट तैयार करने से पहले विभिन्न विभागों के अध्यक्षों को सूचित किया जाता है कि वह अपने अपने विभाग की आय तथा व्यय के अनुमान भेजें। यह अनुमान मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किये जाते हैं। प्रथम, वर्तमान आय तथा व्यय से सम्बन्धित अनुमान और दूसरे आने वाले वर्ष की आय तथा व्यय के अनुमान। अर्थात्, पहले भाग का सम्बन्ध वर्तमान से होता है और दूसरे भाग का सम्बन्ध भविष्य से होता है। पहले भाग में आय और व्यय अलग-अलग दिखाये जाते हैं और इनको अर्थ विभाग से प्राप्त फार्मों पर दिखाया जाता है जिनमें निम्न मुख्य शीर्षक होते हैं :—

- (१) पिछले वर्ष की वास्तविक आय तथा व्यय ।
- (२) सालू वर्ष के आय तथा व्यय सम्बन्धी स्वीकृत अनुमान ।
- (३) सालू वर्ष के दुदुगाए हुए आय व्यय अनुमान ।
- (४) भावी वर्ष के बजट अनुमान, और
- (५) सालू वर्ष तथा पिछले वर्ष की वास्तविक आय-व्यय सम्बन्धी आँकड़े ।

हमारे देश में सार्वभौम शासन पद्धति है। इसलिये केन्द्रीय सरकार का बजट प्रत्येक तैयार किया जाता है और प्रत्येक राज्य अपना बजट अलग तैयार करता है। उपर्युक्त ५ शीर्षकों में से केवल दूसरे शीर्षक के प्रतिरिक्त सभी शीर्षकों में सूचना स्थानीय अफसरों द्वारा दी जाती है। इन सब शीर्षकों में तीसरा और चौथा शीर्षक महत्वपूर्ण हैं। पहले में तीसरे शीर्षक में अन्ततः आँकड़े प्राप्त किये जाते हैं और उसके बाद इसके आधार पर चौथे शीर्षक में आँकड़े तैयार होते हैं। इन सब अनुमानों में सटीक भावधानों में राम बिना पड़ता है क्योंकि बजट अनुमान आने वाले वर्ष में वास्तविक आय तथा व्यय से बहुत अधिक भिन्न नहीं होना चाहिए। इन भिन्नताओं में बजट बनाने वाले अधिकारियों की हीन कुशलता का परीक्षण प्राप्त होता है।

अनुमानों के दूसरे भाग में नई नई योजनाओं, जिनके अगले वर्ष कार्यान्वित किए जाने का विचार है उन पर किये जाने वाले व्यय का अनुमान होता है। हमारे देश में प्रत्येक राज्य विभिन्न खण्डों तथा जिलों में बाँटा गया है। जिले का अर्थात् १ लेवेल होता है जो सरकार की ओर से अपने जिले की आय एकत्रित करता है और उसकी खर्च करता है। कलेक्टर आवश्यक सूचनाओं को स्थानीय अफसरों से प्राप्त करता है और इन सब के अनुमानों को जोड़ कर शासन तथा अर्थ विभाग को भेज देता है।

इसके बाद बजट तैयार करने का दूसरा खण्ड आरम्भ होता है। इन सब अनुमानों को प्राप्त करने के बाद विभाग निरीक्षण करने के बाद अपनी टिप्पणियों सहित अर्थ विभाग को भेज देता है जो इन अनुमानों का निरीक्षण फिर करता है। यदि इन दोनों विभागों में कोई मतभेद होता है तो उसकी सूचना सरकार को दे दी जाती है और सरकार का निर्णय प्राप्त किया जाता है।

अन्त में इन सब अनुमानों के आधार पर अर्थ विभाग बजट तैयार करता है। नये नये बरों के लगाने के प्रस्ताव दिये जाते हैं तथा बचे हुए धन को खर्च करने की योजनाएँ दी जाती हैं। इन सब निर्णयों के पश्चात् बजट विषय बनाने वाली सभा के सामने प्रस्तुत किया जाता है जो आवश्यक बाद विवाद के बाद बजट को पास करती है।

हमारे देश में बजट फरवरी के पहिले में प्रस्तुत किया जाता है और उसकी बनाने का कार्य ६ महीने पहले से आरम्भ हो जाता है।

अर्थ विभाग बजट को तैयार करके कार्यकारिणी सभा को दे देता है। सभी विभागों के बरों अपना २ मत प्रगट करते हैं और बजटों की सरकार की सामान्य वित्तीय नीति के अनुकूल बनाने का प्रयत्न करते हैं। कार्यकारिणी सभा की स्वीकृति

के पश्चात् वजट सभी मंत्रालयों की सामूहिक जिम्मेदारी हो जाती है। इसके बाद वित्त मंत्री फरवरी के अन्त में या मार्च के आरम्भ में वजट को नियम बनाने वाली सभा के सम्मुख प्रस्तुत करता है। वजट को मजूर होने से पहले तीन अवस्थाओं में से निचलना होता है। पहला, नियम बनाने वाली सभा के सम्मुख उपस्थापन, दूसरा वाद विवाद तथा मतदान और तीसरा राष्ट्रपति या राजपाल की स्वीकृति।

नियम बनाने वाली सभा के सम्मुख वजट को प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री भाषण देता है। वजट प्रस्तुत होने से पहले के कुछ दिन व्यापारिक जगत में बड़ी उत्सुकता से कटते हैं और व्यापार तथा वाणिज्य में ग्लान्धता सी आ जाती है। वित्त मंत्री अपने भाषण में पिछले वर्ष के १०-११ महीना का हिाव पहले प्रस्तुत करता है और उसके बाद वचें हुए एक दो मान की आय का विवरण देता है और अन्त में आने वाले वर्ष के अनुमाना को पेश करता है। यदि पिछले वर्ष और चालू वर्ष के आंकड़ों में अधिक अन्तर है तो वह उसके कारण प्रस्तुत करता है। वह नये नये करो तथा पूंजागत व्यय के प्रस्ताव देता है। यदि वजट में कोई आधिक्य है तो वित्त मंत्री उसको खच करने का सुझाव देता है और करारोपण में सम्भावित कमी को बताता है। यदि वजट में घाटा है तो वह उसको पूरा करने के लिए अपने उपाय प्रस्तुत करता है। वह पूंजी निर्माण तथा विकास की उन योजनाओं को भी बताता है जो सरकार कार्यान्वित करने जा रही है और इनसे सम्बन्धित आर्थिक साधना का भी विदनेपण करता है। वित्त मंत्री के भाषण के बाद उन दिन का कार्य समाप्त हो जाता है और वजट पर विचार करने के लिए कई दिन नियत कर दिये जाते हैं। वजट पर पहले तो भाषारण बहस होती है और उसके बाद नई नई मांगों पर मत प्रगट किया जाता है। इन अवधि में विधान सभा के सदस्य सरकार की आधिक नीति की आलोचनाएँ करते हैं। नियम बनाने वाली सभा के सदस्यों को सरकार के प्रत्येक खर्चों पर अपनी राय प्रकट करने का अधिकार नहीं है। हमारे मन्दिधान की धारा ११२ में इन सद्दा की गणना की गई है। यह इस प्रकार है —

(१) राष्ट्रपति का वेतन भत्ते तथा उनके दपतर से सम्बन्धित अन्य खर्चें।

(२) विधान सभा के अध्यक्ष, उप अध्यक्ष का वेतन तथा लोक सभा के अध्यक्ष तथा उप प्रवक्ता के वेतन तथा भत्ते।

(३) ऋण सम्बन्धी मूलधन तथा ऋण का भुगतान।

(४) ऋण लेन और उसका हिसाब रखने से सम्बन्धित खर्चें।

(५) सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court), उच्च-न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन।

(६) सर्वोच्च न्यायालय के शासन का व्यय तथा उनके कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन।

(७) कन्ट्रोलर तथा आडीटर जनरल के भत्ते तथा पेंशन और उनके कार्यालयों के शासन सम्बन्धी व्यय, तथा कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन।

अनुपूरक माँगें (Supplementary Demands)—कभी कभी ऐसा होता है कि पूर्व निर्दिष्ट व्यय की राशि से काम नहीं चल पाता और व्यय के बीच में ही अधिक धन की आवश्यकता अनुभव होती है। ऐसी स्थिति में विधान सभा के सम्मुख अनुपूरक माँगें रखी जाती हैं, जिनका अनुमान लगभग उसी रीति से लगाया जाता है जिससे कि बजट के अनुमान लगाये जाते हैं और इनको पास करने में भी वही रीति अपनाई जाती है जो कि बजट के पास करने में होती है।

सांकेतिक माँगें (Token Demands)—कभी-कभी ऐसा होता है कि सरकार कुछ ऐसी महंगी पर खर्च करना चाहती है जो बजट में सम्मिलित नहीं किये जा सके थे और यह महंगे इतने महत्वपूर्ण होने हैं कि बिना सदन के सम्मुख लाने हुए और उनकी स्वीकृति प्राप्त किये हुए इन पर खर्च करना भी उचित नहीं होना। ऐसी स्थिति में सरकार एक छोटे तर्क की माँग रख सकती है। इसका उद्देश्य बजट यही होता है कि विधान सभा से केवल उम महंगे पर व्यय करने की स्वीकृति प्राप्त हो जाय और व्यय की राशि बाद में निर्दिष्ट होती रहेगी।

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि व्यय के अन्त में सरकार को यह पता लगता है कि कुछ महंगे पर व्यय की राशि अधिकृत राशि से अधिक हो गई है जो वास्तव में अनुचित होता है। परन्तु ऐसे खर्च को उचित बताने के लिए अनिश्चित अनुदानों की व्यवस्था की गई है। इन अनुदानों की माँग करने से पहले इनकी राजकीय हिताव समिति के सामने रखा जाता है और समिति के स्वीकार होने के बाद इनको पास कर दिया जाता है।

करारोपण पर मत लेना (Voting on Taxation)—नये कर लगान तथा वर्तमान करा की दरों में वृद्धि करना व प्रस्तावों पर धारा सभा में बहुमत होती है। हमारे देश में केन्द्रीय सरकार को सम्बन्धी प्रत्येक प्रस्ताव को एक वित्त बिल (Finance Bill) के द्वारा पेश करती है जिसमें उन सब परिवर्तनों को स्पष्ट कर दिया जाता है जो कर प्रणाली के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। यह बिल विधान सभा के सम्मुख रखा जाता है। यदि किसी विन्दु पर ही नए कर का प्रस्ताव है तो उसको एक अलग बिल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बहुधा इन बिलों को नए वित्तीय वर्ष (Financial Year) आरम्भ होने से पहले ही पास कर दिया जाता है ताकि नए वर्ष में नए करों की या नए परिवर्तनों की व्याख्या करी जा सके। यदि बिल को पास करने में देर लगती है तो प्रस्तावों के अनुसार पुराने करा को बढ़ा हुई दरों पर वसूल करना आरम्भ हो जाता है और यदि बिल, प्रस्तुत करने के दो माह के अन्दर स्वीकार नहीं हो पाता तो बीच के काल में वसूल किये गए करों को वापिस करना आवश्यक होता है। यहाँ यह बताना अनुचित न होगा कि विधान सभा प्रस्तावित करों को घटा भी सकती है और समाप्त भी कर सकती है, किन्तु करों को न तो बढ़ा सकती है और न नए करों के लागू करने के प्रस्ताव ही रख सकती है। हमारे देश में दो तरह के बिल इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किये जाते हैं एक तो वित्त बिल और दूसरा द्रव्य बिल (Money Bill)। पहले बिल में कर और व्यय के अनिश्चित

और बातें भी सम्मिलित होती हैं परन्तु हमारे बिल में केवल वर और व्यय सम्बन्धी प्रस्ताव ही होते हैं। इन दोनों बिलों में भेद केवल प्रवृत्तता ही करता है जिनका निर्णय अन्तिम होता है। द्रव्य बिल के लिए प्रवृत्तता का प्रमाण पत्र ही प्राप्त करना होता है, परन्तु वित्त बिल बिना राष्ट्रपति की गिफ्टारिश के प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यह दोनों बिल लोक सभा में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। द्रव्य बिल लोक सभा में पास होने के बाद राज्य परिषद में भेजा जाता है। यदि राज्य परिषद इसमें कोई सशोधन करती है तो वित्त बिल इन सशोधनों पर विचार करने के लिए फिर से लोक सभा के लिए भेजा जाता है। यदि बिल के सम्बन्ध में दोनों सदनों में मतभेद होता है तो दोनों सदनों के सदस्यों की एक सभा बुलाई जाती है और उस सभा के बहुमत से बिल पास किया जाता है।

बजट का कार्यरोपण (Execution of the Budget)—जब बजट की मांग पर चर्चा समाप्त हो जाती है तब एक विनियोग बिल (Appropriation Bill) रखा जाता है जिसका उद्देश्य पास की हुई मांगों को वास्तुिक रूप प्रदान करना होता है तथा गणित कोष (Consolidated Fund) में से धन निकालने का अधिकार प्राप्त करना होता है। यह ध्यान रहे कि गणित कोष में से व्यय की राशि किसी दशा में उस राशि से अधिक नहीं हो सकती जिसकी वार्षिक वार्षिक विवरण में दिखाया गया था और इस व्यय में सशोधन करने का अधिकार विधान सभा को नहीं होता। हमारे देश में वरा की आय को गणित कोष में जमा कर दिया जाता है और फिर इस बिल के अनुसार धीरे धीरे निकाल कर उसका उच्च किया जाता है। इस बिल का महत्व केवल इतना ही है कि इसके स्वीकार होने के बाद लोक सभा द्वारा पान की गई मांगों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इन बिल के पास होने के बाद केन्द्रीय आय बोर्ड (Central Board of Revenue) को आय एकत्रित करने का कार्य सौंप दिया जाता है, जिसकी विभिन्न विभाग करते हैं। तत्पश्चात् यह राशि सरकारी कार्यालय में जमा कर दी जाती है और फिर उसका व्यय प्रारम्भ होता है।

बजट पास होने के बाद कार्यकारिणी सभा अधिकृत धन का व्यय करती है। इसका कर्तव्य केवल यह देखना होता है कि धन का व्यय उन्हीं उद्देश्यों तथा उतनी ही मात्राओं में किया जा रहा है या नहीं जिनकी स्वीकृति बजट में प्राप्त हुई है। विधान सभा की ओर से अनुमति प्राप्त करने के लिए राजकीय हिमाय समिति इसकी जाँच करती है।

बजट पास होने के बाद विभिन्न विभागों को उनके लिए स्वीकार की गई अनुदानों की राशि को सौंपित कर दिया जाता है। कोई भी कर्मचारी उस समय तक खर्चा नहीं करता जब तक कि उसने अपने उच्च अधिकारियों से स्वीकृति न प्राप्त कर ली हो और जब तक की अधिकृत व्यय सारिणी (Schedule of Authorized Expenditure) में चालू वर्ष के व्यय के लिए धन की व्यवस्था न कर दी गई हो। व्यय की स्वीकृति देने वाले अधिकारी को यह देखना आवश्यक होता

है कि व्यय करते समय नियमितता का पालन किया जाये और व्यय में मितव्ययिता से काम लिया जाये ।

वित्तीय नियन्त्रण—जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं हमारे देश में वित्तीय नियन्त्रण इन मस्याओं द्वारा किया जाता है प्रथम, स्थाई वित्त समिति (Standing Finance Committee), दूसरा, नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक (Controller and Auditor General) का विभाग और तीसरा राजकीय हिसाब समिति (Public Accounts Committee)।

स्थाई वित्त समिति प्रत्येक वर्ष लोकसभा द्वारा नियुक्त की जाती है, जिसमें लोक सभा के वे सदस्य होते हैं जिन्हें वित्तीय मामलों में विशेष जानकारी होती है। वित्त मन्त्री इसका सभापति होता है और यह समिति वार्षिक आर्थिक विवरण की जाँच करती है तथा भाग्य व्यय और करों में सम्बन्धित नए प्रस्तावों की जाँच करती है और अपने सुझाव देती है जो साधारणतया वित्त मन्त्री स्वीकार कर लेता है। समिति द्वारा जाँच हो जाने के बाद ही बजट लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है।

आय-व्यय सम्बन्धी हिसाबों की जाँच पड़ताल नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। राज्यों में यह लेखे महालेखपाल (Accountant General) द्वारा रचे जाते हैं और इनकी जाँच महालेखा परीक्षक द्वारा होती है जो पूर्णतया स्वतन्त्र होने हैं और कार्यकारिणी सभा की प्रत्येक त्रुटि को लोकसभा के सामने रख सकते हैं। हिसाब वित्तावों की जाँच का काम दो भागों में बाँटा जाता है। एक भाग में आय की जाँच की जाती है और दूसरे में व्यय की। जाँच करते समय लेखा परीक्षक यह देखता है कि कर दाताओं से सही मात्रा में कर वसूल किया गया है या नहीं और कर निर्धारण करने की रीति में कोई दोष तो नहीं है। व्यय की प्रत्येक राशि की पृथक पृथक जाँच होती है तथा आय की कुल राशि से व्यय की कुल राशि मिला ली जाती है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि कर-दाताओं को जो छूटें दी गई हैं तथा जिनसे कर वसूल नहीं किया गया है उसके लिये आवश्यक आदेश प्राप्त कर लिये गये हैं या नहीं और आदेश देने वाले अधिकारी को आदेश देने का अधिकार भी था या नहीं। अन्त में यह भी देखा आवश्यक है कि प्राप्त आय को सरकारी कोषागार में जमा किया गया था या नहीं। लेखा परीक्षा के बाद जो त्रुटियाँ पाई जाती हैं उन पर विभागों के अधिकारियों से उत्तर माँगे जाते हैं और लेखा परीक्षक अन्त में अपनी रिपोर्ट तैयार करके महालेखा परीक्षक के पास भेज देते हैं, जो जनता की जानकारी के लिये समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दी जाती है।

लोक सभा प्रत्येक बैठक के आरम्भ में ही राजकीय हिसाब समिति को नियुक्त कर देती है जो महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की जाँच करती है। इसमें लगभग १० सदस्य होते हैं और इसका अध्यक्ष साधारणतया वित्त मंत्री होता है। सलाह देने के लिये नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक भी इसकी बैठकों में भाग लेते हैं। साधारणतया यह समितियाँ व्यय की उन मदों की जाँच

करती है जिन पर मत प्राप्त किया जाता है। किन्तु यह उन मद्दों की भी जांच कर सकती है जिन पर मत नहीं लिया जाता। जिस प्रकार स्थाई वित्त समिति आर्थिक विवरण की तयारी पर नियंत्रण रखती है उसी प्रकार यह समिति बजट के कार्या वित्त होने पर आय की वसूली होने पर तथा व्यय की नियमितता पर नियंत्रण रखती है और उनकी जांच करती है। इन दोनों समितियों द्वारा जोन सभा आय तथा व्यय पर नियंत्रण रखती है और इनकी रिपोर्ट अंत में लोर्ड सभा के सम्मुख बहस के लिये रखी जाती है। हमारे देश में इन समितियों से बहुत लाभ प्राप्त हुए हैं।

राजकीय ऋणों पर नियंत्रण—राजकीय ऋणों की व्यवस्था एवं गायन पूर्णतया वित्त विभाग के हाथ में हाते हैं और लोक सभा केवल अप्रत्यक्ष रूप में नियंत्रण रखती है क्योंकि वह इन ऋणों से प्राप्त धन को खर्च करने की स्वीकृति देती है। इनके अतिरिक्त इन ऋणों का विस्तृत गायन तथा उनसे सम्बंधित हिमावा का रखने का जिम्मेदारी रिजर्व बैंक का होती है। इस सम्बंध में बैंक के मुख्य कार्य नये ऋणों को चालू करना तथा वसूल करना, सूद तथा मूलधन की राशि का भुगतान करना, प्रतिभूतियों को चालू करना, उनका परिवर्तन करना तथा उनको रद्द करना तथा इन सबसे सम्बंधित रजिस्टर और किताबों को रखना। इन सब कार्यों को करने के लिये बैंक सरकार से प्रतिवर्ष २ हजार रुपये प्रति करोड़ उभोगन देती है।

बजट बनाने के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बातें—बजट बनाने के लिये उन मद्दों में जिन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान में रखना चाहिये वे निम्न प्रकार हैं—

(१) जहाँ तक सम्भव हो बजट मनुष्यवित्त होना चाहिये। मकद का मद्दों के भी बजट बनाया जा सके है परन्तु मनुष्यवित्त बजट ही अधिक उचित है। बजट को दो भागों में विभाजित किया जाता है आय तथा व्यय। यद्यपि आय और व्यय भी दो प्रकार के होते हैं अर्थात् पूर्जाकृत आय और व्यय तथा आय सम्बन्धी आय और व्यय किन्तु इन दोनों में से केवल आय सम्बन्धी आय और व्यय पूर्जाकृत व्यय जो अनुपादक होता है बजट में सम्मिलित किया जाता है। बजट का अनुपान वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि वित्त मंत्री ने इसमें कितने मद्दों को सम्मिलित किया है। बहुधा बजट को मनुष्यवित्त दिखाने के लिये वित्त मंत्री उन मद्दों को भी सम्मिलित नहीं करता जो उसे करना चाहिये। आल्टन ने इसे राजकीय खाना का दिपान की निपुणता कहा है।

(२) बजट में जो आय और व्यय लिखा जाते हैं वह उभरी वष से सम्बंधित होते हैं जिनके लिये वह बजट बनाया गया है। इस प्रकार बजट वहीखाते आधार पर नहीं बनते बल्कि नकदी (Cash Bases) के आधार पर बनते हैं।

(३) बजट में सभी प्रकार की आय व व्यय सम्मिलित होने चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति को पता नहीं चलाया जा सकेगा। बहुत से देशों में रेती का बजट अलग बनाया जाता है। हमारे देश में

भी ऐसा ही होता है और दामोदर घाटी कारपोरेशन का बजट भी अब अलग बनने लगा है।

(४) बजट में जो अनुमान दिये जाते हैं वह कुल आय और व्यय के दिये जाते हैं, नेट (Net) के नहीं। अर्थात् एक ओर पूरी आय दिखाई जाती है और दूसरी ओर पूरा व्यय। आय को प्राप्त करने में जो व्यय होता है उसे आय में घटा कर नहीं दिखाया जाता बल्कि कुल आय को एक स्थान पर और कुल व्यय को दूसरे स्थान पर दिखाया जाता है।

(५) बजट बनाते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ तक सम्भव हो अनुमान वास्तविकता के समीप हो सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से तो यह उचित हो सकता है, किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से यह सम्भव नहीं है क्योंकि साधारणतया वस्तु-वस्तुओं का यही प्रयत्न होता है कि वे आय को कम और व्यय का अधिक दिखायें। इसके साथ साथ अतिशय देश में तथा बजट के प्रस्तुत होने वाली तिथि से पहले ही बन कर तैयार हो जाने के कारण वास्तविक आय का अनुमान लगाना भी कठिन होता है। भारत में यही पठिनाई अनुभव होती है। हमारे देश में तो वास्तविक आय और व्यय सम्बन्धी ठीक आकड़े भी प्राप्त नहीं हो पाते हैं और इमीन्पे बजटों के अनुमानों तथा वास्तविक आय और व्यय में बहुत अन्तर होता है। बजट के अनुमान ठीक हों, यह इरादों से आवश्यक है कि लोक रभा को यह देखना होता है कि कर शान्तियों से अधिक कर न लिया जाय और वित्त विभाग को यह देखना होता है कि कोई भी विभाग आवश्यकता से अधिक धन न प्राप्त करले।

(६) बजट साधारणतया वार्षिक ही बनाया जाता है, परन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्यों में यह दो वर्षों में भी होता है।

(७) बजट अधिकतर समाप्ति के नियम पर आधारित होता है। अर्थात् यदि अतिवृत्त धन को किसी वर्ष खर्च न किया जाय तो बचा हुआ धन दूसरे वर्ष में खर्च नहीं किया जा सकता और उसको लौटाना पड़ता है। इमीन्पे वर्ष के अन्त में मनी सरकारी दफतरों में उक्त वर्ष के लिए प्राप्त धन को खर्च करने की दौड़ शुरू नहीं रहती है।

(८) प्रत्येक राज्य में हिमाचल कित्ताव उन्नी प्रकार रखा जाता है जिस प्रकार कि केन्द्रीय सरकार रखती है। इसमें यह सुविधा रहती है कि विभिन्न राज्यों में वित्तीय शासन को विधि, गणना, रकतों, है, रूप, रूप, व्यापक में सुलभ हो, फले के कारण वित्तीय नियन्त्रण सरल हो जाता है। इस हिमाचल कित्ताव का रूप महा लेखा परीक्षण द्वारा निश्चित किया जाता था परन्तु हमारे संविधान में सन् १९५१-५२ में इसमें संशोधन कर दिया गया है और अब आर्थिक विवरण ३ भागों में दिखाया जाता है पहला संचित कोष, दूसरा सम्भावित और तीसरा राजकीय लेखा।

बजट का महत्त्व—बजट किसी देश की आर्थिक उन्नति का सूचक है। यह देश की सरकार की आर्थिक नीतियों का एक समुचित विवरण होता है और इसलिये इसका राज्य के आर्थिक जीवन में विशेष महत्त्व है। यह एक ऐसा आधार है जिसके

त्रिना सामाजिक उन्नति नहीं हो सकती। इसमें उन उद्देश्यों का उन्मुख होना है जिनके अनुगार जनता का धन वैधानिक रूप में खर्च किया जा सकता है और इसमें व्यय की उन सीमाया का निर्दिष्ट किया जाता है जिनका उल्लंघन करना सम्भव नहीं होता। मसौदा में वजेट विधियों भी देश की नियंत्रिता तथा सम्पन्नता का सूचक होता है। वजेट की अनुपस्थिति में प्रत्येक विभाग मनमाने ढंग में खर्च करने की और आय प्राप्त करने की काशिश कर सकता है। वजेट विधियों भी देश में आय और व्यय की दिशाया का निर्देशन करता है और इसमें त्रिना सरकार का काम मुचाए रूप में खर्च हो नहीं सकता। हमारे मामले मयुक्तागज्य अमरिका का उदाहरण मौजूद है जहाँ पर वजेट की प्रथा नहीं थी। हर एज विभाग अपनी वापिस आय तथा व्यय का अनुमान वाश्रम व सामने रखता था। वाश्रम के लिये हर एक विभाग की तम्बो चौकी मागा का पूरा करना सम्भव हो गया और इस लिये सन् १९०१ के बाद वजेट प्रथा चालू की गई। मच ना यह है कि वजेट वह अम्य है जिसका द्वारा विधान सभा कार्यवाहियों सभा के काय पर नियन्त्रण रखती है और इस प्रकार देश की सम्पूर्ण धामन अपक्या का नियमन वजेट द्वारा ही सम्भव होता है। आधुनिक समय में वजेट द्वारा सामाजिक उन्नति भी की जा सकती है तथा धन की अममानताया को दूर किया जा सकता है। देश में उद्योग तथा कृषि के लिये आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है। कर तगातर धनी व्यक्तियों की जेबा में से धन प्राप्त किया जा सकता है और सरकारी व्यय की नीति में निधना के लिये आर्य्यर सैरायें प्रदान की जा सकती हैं। वजेट के द्वारा इस में मूल्य स्तर को भी नियमित किया जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि वजेट का विधियों भी देश के आर्थिक जीवन में विशय महत्त्व होता है।

पुस्तक-तीसरी



बेकारी, पूर्ण रोज़गार तथा
राजस्व नीति

प्राक्कथन—

अब अधिकांश अर्थशास्त्री इस विचार में सहमत हैं कि, जब तक व्यापार तथा व्यवसाय की नीति का निर्धारण केवल व्यापारिक तथा व्यवसायिक उद्देश्यों की सफलता के लिये ही किया जाता रहेगा, किसी भी देश की अर्थिक प्रणाली में स्थायित्व आना असम्भव है और उनमें समय-समय पर उतार चढ़ाव होते ही रहेंगे। इन उतार चढ़ावों को रोकने के लिये तथा अर्थिक प्रणाली को स्थायी बनाने के लिये यह आवश्यक है कि देश में रोजगार के आकार को नियन्त्रित करने का दायित्व राज्य अपने ऊपर ले। इसीलिये अब सभी क्षेत्रों में, उत्पादन उपभोग, व्यवसाय, व्यापार आदि सभी में, नीतियों के निर्धारण में, विगत वर्षों में राज्य हस्तक्षेप एक साधारण सी बात हो गई है। समय-समय पर, पूर्ण प्रतियोगिता के प्रभाव में तथा अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लालच से व्यापारी तथा व्यवसायी वर्ग ऐसी नीतियों निर्मित करने लगा था कि मूल्य में बहुत उतार चढ़ाव होने लगें, जिनसे उत्पत्ति की मात्रा में भी उतार चढ़ाव होतें थे और रोजगारों की स्थिति में भी परिवर्तन होते थे। इनके अतिरिक्त अपने लाभ को अधिकतम करने के लालच से उत्पादक वर्ग ऐसी नीतियाँ का भी प्रयोग करता था कि रोजगार की स्थिति दिन प्रति दिन खराब होती जा रही थी। सन् १९३० के महामंदी काल में तो स्थिति अपनी निम्नतम सीमा पर पहुँच चुकी थी। इसी के बाद बेकारी के विरुद्ध आवाज उठना आरम्भ हुई और प्रत्येक देश में सरकार ने इस ओर ध्यान देना आरम्भ किया। इसी के बाद 'पूर्ण रोजगार' के विचार का विकास हुआ और उसे लगभग प्रत्येक देश की व्यावहारिक नीतियों में एक स्थान प्राप्त हुआ। इसमें अध्याय में केवल, बेकारी से सम्बन्धित बातों का अध्ययन करेंगे अर्थात् बेकारी क्या है?, बेकारी के कितने रूप हो सकते हैं?, बेकारी के क्या कारण तथा परिणाम हैं? और उनका दूर करने के क्या उपाय हैं?

बेकारी क्या है?—साधारणतया बेकारी का अर्थ बिना काम के होने से

वेनारी, पूर्ण रोजगार तथा राजस्व नीति

लिया जाता है। परन्तु इस अर्थ तथा दृष्टिकोण से तो आलसी मनुष्य जा काम करना ही नहीं चाहता, बेकार कहलाता है, इसलिये, आर्थिक दृष्टिकोण से वेनारी से हमारा अभिप्राय उन लोगों के बिना काम के रहने से है जिनमें कार्य करने की इच्छा तथा योग्यता है; अर्थात् जिन व्यक्तियों को उनकी इच्छा तथा योग्यता के विरुद्ध बिना काम के रहने के लिए विवश कर दिया जाता है, बेकार कहलाते हैं। यह हमारी आर्थिक प्रगति का नकारात्मक पहलू है, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी इच्छा, योग्यता तथा काम ढूँढने के लिये प्रयत्न करने के बावजूद भी बिना किसी कसूर के काम से अलग रहने को मजबूर कर दिया जाता है। वास्तव में इसका मुख्य कारण हमारी आधुनिक मशीन उत्पादन का तगठन है। बीमार वृद्ध, जरूरी, पागल तथा अपाहिज व्यक्ति तो काम करने से योग्य ही नहीं होते, इसलिये, उनको बेकारी के वर्ग में नहीं रखना चाहिये। वे व्यक्ति भी जो हडताल कर रहे होते हैं, बेकार नहीं होते। अतः साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि बेकारी श्रम बाजार की एक स्थिति है जिसमें श्रम-व्यक्ति की प्रति, काम करने के लिये उपलब्ध सुविधाओं तथा अवसरों की अपेक्षा अधिक होती है। प्रो० पीग ने अनुसार एक व्यक्ति केवल उसी समय बेकार होता है जब कि उसकी काम करने की इच्छा होती है और वह काम पर लगा हुआ नहीं होता है। हमने कई बार 'काम करने की इच्छा' शब्दों का प्रयोग किया है, इसलिये यह परम आवश्यक है कि इन शब्दों का स्पष्टीकरण कर दिया जाये। 'इच्छा' एक सापेक्षिक शब्द है और इसका सम्बन्ध, काम करने के घटे, मजदूरी की दर और मजदूर के स्वीस्थ से होता है। यदि किसी व्यक्ति को किसी व्यवसाय में केवल छ घंटे ही काम करना पड़ता है जब कि उसे साठ घंटे काम करने की इच्छा है तो इसका यह अभिप्राय नहीं कि वह दो घण्टे प्रतिदिन बेकार रहता है। इसके अनिश्चित नौकर रहने की इच्छा इस बात से भी जानी जाती है कि एक व्यक्ति मजदूरी की चालू दर पर काम करने को तैयार है या नहीं। परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि यदि कोई व्यक्ति केवल उसी समय काम करना चाहता है जब कि बाजार में मजदूरी की दर १० प्रतिदिन हो और उस समय उसके काम करने की इच्छा नहीं होती जब कि बाजार में मजदूरी की दर केवल ५ प्रति दिन है तो उसको बेकार कहा जा सकता है। और अन्त में यदि कोई व्यक्ति अपनी बीमारी के कारण काम नहीं करना चाहता तो उसे बेकार नहीं कह सकते। यद्यपि बेकारी की परिभाषा करना कठिन है, किन्तु इसका अर्थ समझने के लिए हम केवल उपर्युक्त सावधानियाँ को ध्यान में रखकर काम पर लगे रहने तथा काम पर न लगे होने की स्थिति की तुलना कर सकते हैं। इस प्रकार के अध्ययन करने के लिये, केवल दो आधार ही प्रदान करने चाहिये—अर्थात् काम करने की इच्छा तथा बिना काम के होना। बेकारी यह स्थिति है जब कोई व्यक्ति बिना काम के रहने के लिये विवश होता है। इस स्थिति में बेकार मनुष्य बिना काम के होता है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हर वह व्यक्ति जो कोई काम नहीं कर रहा है बेकार है जैसे माधु रान्यागी आबारा धूमने वाले व्यक्ति इत्यादि। वास्तव में इनको बेकार नहीं कहना चाहिये, क्योंकि,

इनको काम करने की इच्छा ही नहीं होती। इनको आलसी या ममाज पर एक भार कह सकते हैं। दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो काम करने की स्थिति में ही नहीं होते, जैसे धीमार, अपाहिण इत्यादि। ऐसे व्यक्तियों को काम करने योग्य ही नहीं कह सकते। इस प्रकार बेकार केवल वही व्यक्ति होते हैं जिनमें काम करने की इच्छा तथा योग्यता होती है, परन्तु जिन्हें समाज में कोई भी काम करने को नहीं मिलता और जो काम की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान को मारे-मारे फिरते हैं।

बेकारी के विभिन्न कारण—आज अधिकांश व्यक्ति सामूहिक बेरोजगारी को एक सामाजिक बुराई समझते हैं, परन्तु बेकारी को दूर करने के उपचारों के विषय में व्यक्तियों में एक मत नहीं है। प्रथम, इसलिये कि सब लोग बेकारी के अलग-अलग कारण बताते हैं और दूसरे, इसलिये, कि बेकारी को दूर करने के विषय में व्यक्तियों के अपने अलग अलग विचार हैं और वे अपने अलग अलग उपचार बताते हैं। परन्तु यह तो प्रत्येक सामाजिक घटना की विशेषता है, और बेकारी के सम्बन्ध में तो समस्या और भी जटिल है, क्योंकि यहाँ तो लोग बेकारी के अनेको कारण बताते हैं, इसलिये सब एक साथ मिलकर बेकारी को दूर करने का निश्चय करें, यह असम्भव है। हा पिछले पच्चीस वर्षों से लोगों के विचारों में कुछ एकलपता अवश्य ही आनी आरम्भ हुई है। जैसे तो अनेको छोटे-छोटे सिद्धान्त देखने को मिलेंगे, परन्तु हम यहाँ पर उक्त से प्रत्येक की बारीकियों में न फसकर केवल मुख्य मुख्य सिद्धान्तों का ही विश्लेषण करेंगे। मोटे-तौर पर बेकारी के कारणों पर तीन विचारधाराएँ मिलती हैं —

(अ) प्रथम, सबसे प्राचीन तथा पहली विचारधारा, जिसके अनुसार बेकारी, 'स्वतन्त्र छोड़ो' (laissez faire) सिद्धान्त अर्थात्, स्वतन्त्र प्रतियोगिता तथा स्वतन्त्र व्यापार में विचलित होने का दण्ड है। इसको हम 'स्वतन्त्र छोड़ो प्रति-योगिता सिद्धान्त' ('Laissez-faire Competetion Theory') के नाम से पुकार सकते हैं।

(ब) दूसरी विचारधारा के अनुसार व्यापार चक्रों के कारणों की जटिलताओं के कारण बेकारी उत्पन्न होती है और व्यापारिक जगत में ये उतार-चढ़ाव प्राकृतिक तथा स्वभाविक हैं और यदि ये माध्यम प्रकृति के हैं तो इनके परिणाम बड़े ही लाभकारी होते हैं। इसके अन्तर्गत हम व्यापार चक्रों के केवल उन्ही सिद्धान्तों का विश्लेषण करेंगे जिनमें बेकारी पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, उनकी नयी संपरदाएँ और इस चक्रीय बेकारी (cyclical unemployment) के सम्बन्ध में उपचार सुबधी नीतियों का वर्णन करेंगे।

(स) तीसरी विचारधारा के अनुसार बेकारी, क्रियाशील मांग (effective demand) के अभाव, उपभोग पर किये जाने वाले पूँजी व्यय के अभाव या विनि-योगिता के अभाव या दोनों ही, के कारण उत्पन्न होती है। यद्यपि इस प्रकार के विचार १९ वीं शताब्दी में ही आरम्भ हो गये थे, किन्तु इनका विकास सर्वप्रथम

कीन्स ने अपने 'सामान्य सिद्धान्त' (General Theory) में ही किया था । इसको 'माँग अभाव सिद्धान्त' (Demand Deficiency Theory) कहते हैं ।

हम निम्न में इन विचारधाराओं का अध्ययन करेंगे —

'स्वतन्त्र छोड़ो प्रतियोगिता सिद्धान्त'

इन सिद्धान्त के लेखकों के अनुसार बेकारी का मुख्य कारण बाजार की शक्तियों के स्वतन्त्र कार्य संचालन में या तो सरकार द्वारा या एकाधिकारियों द्वारा बाधाएँ उत्पन्न करना है । सरकार अपने कानून द्वारा मजदूरी की दर ऊँची निश्चित करती है और इसी प्रकार एकाधिकारी भी शक्तिशाली होने के कारण व अन्य प्रतियोगियों को समाप्त करने के कारण मनुष्यों के मूल्य ऊँच निश्चित करते हैं । साधारण उत्पादकों को इससे हानि होती है । वे मजदूरी की मर्यादा कम करते हैं और बेकारी उत्पन्न हो जाती है । यदि व स्कावटे समाप्त हो जायें तो स्वतन्त्र प्रतियोगिता के प्रभाव से मजदूरी की दर नीचे आयेगी और तब अधिक मजदूर रोजगार लाभप्रद हो सकेगा । यदि सरकार बेकारी को समाप्त करना चाहती है तो उसे एकाधिकारिक क्रूरतियाँ का अन्त करना चाहिये ताकि स्वतन्त्र प्रतियोगिता में कोई बाधा न रहे ।

उपर्युक्त विचारधारा अधिकतर उन देशों में प्रचलित है, जहाँ पूँजीवाद का बोल बाला है, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड इत्यादि । इन विचारधारा में कई सिद्धान्तों का मिश्रण है । हम इन सिद्धान्तों का वर्णन मध्य में यहाँ पर करेंगे ।

(१) मजदूरी तथा रोजगार का प्राचीन सिद्धान्त—प्राचीन अर्थशास्त्रियों के अनुसार कम मजदूरी से रोजगार में वृद्धि होती है और ऊँची मजदूरी की दर पर बेकारी उत्पन्न होती है । यह मान कर कि मजदूरी की दर ऊँची है और मजाल में बेकारी है हम उनके सिद्धान्त का विश्लेषण इस प्रकार कर सकते हैं । ऊँची मजदूरी की दर नीची होते ही पहले की अपेक्षा उद्योगपतियों को मजदूरी का रूप में कम भुगतान करना होगा और परिणामस्वरूप उनको अधिक लाभ होंगे । यदि उद्योगपति इन अतिरिक्त लाभों को उपभोग पर या विनियोग पर व्यय करते हैं तो आवश्यक रूप से कुल रोजगार में वृद्धि होगी । यदि उत्पादक लोग अपने लाभों को पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन में लगाते हैं तो पहले की अपेक्षा रोजगार में और भी अधिक वृद्धि होगी । यह अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में होता है । दीर्घकाल में, नई-नई मशीनें काम में आयेगी और यह पानकर कि दीर्घकाल में उत्पादन लागतें समान रहती हैं और उत्पादन कला में कोई परिवर्तन नहीं होने तो पूँजी और श्रम में जो विछला अनुपात था वह फिर से स्थापित हो जायेगा । उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में, रोजगार की वृद्धि के ठीक अनुपात में वृद्धि होगी और अन्त में दीर्घकाल में मजदूरी की दर और मूल्यों में सन्तुलन स्थापित हो जायेगा । अतः जब उत्पादक मजदूरी कम होने से प्राप्त होने वाले लाभों को अपने उपभोग को

1 Cf F. A. Burchardt, *The Causes of Unemployment*, Ch I in the *Economics of Full Employment*, An Oxford University Institute of Statistics's Publication 1948, p. 2.

बढ़ाने या अपनी पूंजीगत वस्तुओं को बढ़ाने में लगाते हैं तो मजदूरी की दर गिरने पर सामान्य रूप से रोजगारी में वृद्धि होगी। इस सिद्धान्त की प्रमुख विशेषता यह है कि यह लोग यह मानते हैं कि लाभ प्राप्त होने के साथ-साथ उनका व्यय भी घट ही या तो उपभोग पर या पूंजीगत वस्तुओं पर होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो रोजगार में कोई भी वृद्धि नहीं होगी। रोजगार और उत्पादन पूर्ववत् ही रहेंगे, क्योंकि उनको केवल मजदूरी कम हो जाने के कारण ही मूल्य कम करने से कोई भी लाभ नहीं होगा।

दूसरी स्थिति को लीजिये, अपूर्ण प्रतियोगिता में, उत्पादक विक्री बढ़ाने की आशा में, बस्तुओं के मूल्य को कम करने की सोचेंगे। वह मांग बढ़ने की आशा में अतिरिक्त मशीनों के लिये आर्डर दे देते हैं। रोजगार में नये आने वाले साधना को जो आय प्राप्त होनी है, उससे वे अधिक बस्तुएँ खरीदते हैं और इस प्रकार उत्पादकों को निराशा नहीं होती और उत्पादन बस्तुओं की मांग बढ़ने लगती है। परन्तु इस प्रकार की मजदूरी में कमी होने से किनारा श्रमिकों को अधिक नीकरियाँ मिल सकेंगी, इस बात पर निश्चय करेगा कि उद्योगपतियों की विक्री में कितनी वृद्धि होने की आशा है। अपूर्ण प्रतियोगिता में यह आवश्यक नहीं कि मजदूरी कम होने से लाभ की दर बढ़ ही जाये। पूर्ण प्रतियोगिता की दृष्टि में तो उत्पादकों को मजदूरी के कम होने से उत्पत्ति बचाने के लिये प्रोत्साहन मिलता है, किन्तु अपूर्ण प्रतियोगिता में ऐसा नहीं होता। मजदूरी कम होने के बाद उत्पादक मूल्य को कम करके इस बात की भी प्रतीक्षा कर सकते हैं कि मांग में कितनी वृद्धि होती है। वास्तव में यह विनियोग करके उत्पादन एकदम बढ़ाने के स्थान पर ऐसा ही करेगी। और सच तो यह है कि बाद की घटनाएँ उनके इस मकसद की पूर्ति करेंगी और न तो रोजगार में ही वृद्धि होगी और न विक्री में ही। अपूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी कम करने या अधिक करने से उत्पादकों की मांग बढ़ने या कम होने की आशाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जैसा कि पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। इसलिये प्रश्न यह है कि क्या मजदूरी की दरों में हेर फेर करने के अतिरिक्त और कोई विधि ऐसी नहीं है, जिनसे उत्पादकों की आशाओं पर प्रभाव पड़ सके और रोजगार की स्थिति में परिवर्तन हो सके? प्राचीन अर्थशास्त्रियों के पास तो इसका उत्तर न था, किन्तु आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस समस्या का अधिक विस्तृत विश्लेषण अपने क्रिया-शील माँग के सिद्धान्त में किया है। यद्यपि बाद के प्राचीन आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने पुराने सिद्धान्त में सुधार करने के दो बार प्रयत्न किये परन्तु वे सफल न हो पाये। एक प्रयत्न के अनुसार मजदूरी की दर और मूल्यों में साथ-साथ कमी होने से, न्याय की दरें कम होंगी और विनियोगों को प्रोत्साहित मिलान में रोजगार में वृद्धि होगी। परन्तु यह तो सम्भव नहीं कि सूद की अल्पकालीन दरों में कमी होने से सूद की दीर्घकालीन दरें भी कम हो जायें, क्योंकि जब तक यह नहीं होगा उस समय तक विनियोग प्रोत्साहित नहीं हो सकते। प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने यह किस प्रकार समझ लिया कि अल्पकालीन दरों के कम होने से विनियोग बढ़ जायेंगे,

स्पष्ट नहीं है। दूसरे प्रयत्न के अनुसार नियमों में वृद्धि होने से व्यापार सतुलन देश के पक्ष में हो जाता है, उत्पादन में वृद्धि होती है और रोजगार में वृद्धि होती है।

प्राचीन सिद्धान्त की शालोचना—प्राचीन लेखकों की यह धारणा कि मजदूरी में कमी होने से रोजगार में वृद्धि होगी, इस बात पर आधारित है कि उत्पत्ति में वृद्धि करके उत्पादकों के वास्तविक लाभ में अस्थायी वृद्धि होगी। परन्तु यह धारणा अवास्तविक है क्योंकि लाभ की अज्ञानता में विनियोग बढ़ते हैं, न कि उत्पत्ति। उत्पत्ति तो मर्दों वास्तविक लाभ की अज्ञानता से बढ़ाई जाती है। उत्पत्ति तथा विनियोगों में वृद्धि करने के लिये योजना बनाने तथा निर्णय लेने में भी समय लगता है और फिर अधिकतर उत्पादकों के लिये यह स्वाभाविक है कि वे 'प्रतीक्षा करो तथा देखो' वाला व्यवहार अपनायें, इसलिये मजदूरी कम होने और नये विनियोगों में वृद्धि होने तक कुछ समय अवश्य ही लगेगा, जिसमें वास्तविक मजदूरी तथा लाभ पूर्ववत् रहेंगे। यह भी सम्भावना है कि भावी मजदूरी तथा मूल्यों की अनिश्चितता के साथ-साथ मूल्यों को कम करने से, उत्पादकों की लाभ की अज्ञानता विपरीत दिशा में प्रभावित हो और उत्पत्ति तथा रोजगार बढ़ने के स्थान पर कम हो जायें। इसके अतिरिक्त लाभ की अज्ञानता पर उत्पादन लागतों के अतिरिक्त अन्य बातों का भी प्रभाव पड़ता है। समाज में अधिकतर बेरोजगारी की स्थिति तथा गिरती हुई भाँग और गिरते हुए मूल्यों के साथ मजदूरी में कमी होने से ऊँचे लाभ की आशा करना व्यर्थ होगा। इसी प्रकार प्राचीन अर्थशास्त्रियों का यह विचार भी कि ऐसी परिस्थितियों में मजदूरी में कमी करने रोजगार की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है, ठीक नहीं है, क्योंकि केवल व्यापारिक समृद्धि तथा बढ़ते हुए रोजगारों के बाल में ही केवल यह सम्भव हो सकता है। अतः प्राचीन लेखकों की यह धारणा पूर्णतया सत्य नहीं है। मजदूरी को दर में कमी करने में रोजगार में केवल एक उचित मौद्रिक नीति द्वारा ही वृद्धि की जा सकती है।

बेकारी के व्यापार-चक्र सम्बन्धी सिद्धान्त—औद्योगिक देशों के इतिहास के पिछले डेढ़ सौ वर्षों में घनेका बार समृद्धि के बाद मन्दी और मन्दी के बाद समृद्धि के काल नियमित रूप में आते रहे हैं। इनका अर्थशास्त्रियों ने व्यापार चक्रों का नाम दिया है। इन चक्रों में समय अवधि का अन्तर इतना नियमित होता है और इनकी प्रकृति इतनी समान होती है कि इनके विषय में एक सामान्य सिद्धान्त बनाना अनुचित प्रतीत नहीं होता। १९ वीं शताब्दी में और बीसवीं शताब्दी के इन ५६ वर्षों में सिद्धान्तों की निरन्तर रचना होती ही रही है, जो प्राचीन अर्थशास्त्रियों के विचारों के पूर्णतया प्रतिकूल हैं। वैसे तो इन सिद्धान्तों की अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं, किन्तु इनकी सबसे उत्तम विशेषता यह है कि इन्होंने बेकारी के विभिन्न कारणों का विश्लेषण करने का काफी सफल प्रयास किया है। मोटे तौर पर दो प्रवृत्तियाँ इनमें देखने को मिलती हैं—एक के अनुसार माँग तथा रोजगार में जो नियमित रूप से उतार-चढ़ाव होते हैं वे मुख्य रूप से बाह्य कारणों से उत्पन्न होते हैं जैसे, वे सिद्धान्त जो चक्रों का मुख्य कारण, फायलों के उतार-चढ़ावों को बताते हैं या

व्यापारिक आशा तथा निराशा, वैज्ञानिक नीति के नियमित उतार-चढ़ाव, या आविष्कारों के परिवर्तनों आदि को बताते हैं, इस प्रवृत्ति के मुख्य द्योतक हैं। दूसरी प्रवृत्ति के अनुसार ये चक्र समय की प्रगति के साथ-साथ तथा अन्य आर्थिक कारणों से स्वयं ही उत्पन्न होते हैं। इनमें वे सिद्धान्त सम्मिलित किये जाते हैं जो इस तथ्य पर जोर देते हैं कि विस्तार की प्रवृत्ति गैर अनुपातिक विकास की ओर होती है, अर्थात् कुछ क्षेत्रों का खूब विकास होना और कुछ का विलगुल नहीं, यहाँ तब कि एक ऐसा बिन्दु आता है जब कि विस्तारों में कमी होने लगती है क्षेत्रीय असंतुलन दूर होने लगता है और प्रगति का एक नया मार्ग उत्पन्न होने लगता है। दूसरे शब्दों में ये सिद्धान्त 'समय विलम्ब' (time-lag) के तत्व पर आधारित हैं।

सभी व्यापार चक्रीय सिद्धान्त इकाएँ रचीकार करते हैं कि निश्चित समय अवधि के बाद सामूहिक बेकारी (mass unemployment) उत्पन्न होती रहती है और इसे भी स्वीकार करते हैं कि यह सामूहिक बेकारी केवल मौद्रिक मजदूरियों के एक बिन्दु पर ल्यायी रहने के कारण उत्पन्न नहीं होती। अतः उनके विचार प्राचीन विचारधारा के पूर्णतया विपरीत हैं। यदि देखा जाये तो सामान्य रूप से सभी सिद्धान्त इस ओर मनेत करते हैं कि ये चक्र प्रकृति की देन हैं और स्वभाविक घटनाएँ हैं और इनको सहन करने की अपेक्षा मनुष्य के पास और कोई उपचार नहीं है। इनकी नार्थनीलता में हस्तक्षेप करने से कुछ भी लाभ नहीं होता। वैसे तो प्राचीन विचारधारा भी यही थी, परन्तु तनिक गहन अध्ययन में यह स्पष्ट हो जायेगा कि इन दोनों विचारों में मौलिक भिन्नता है। कुछ लेखक ने अपने व्यापार चक्रीय सिद्धान्तों को इन बातों पर आधारित किया है कि माँग और पूर्ति की स्वनियमन करने वाली शक्तियाँ एक प्रकार की प्राकृतिक व्यवस्था (natural order) स्थापित कर देती हैं और प्रगतिशील स्वयंक्रियाशीलता (Dynamic Automatism) उत्पन्न हो जाती है। इन प्रगतिशील तत्त्वों में, जैसा कि प्राचीन अर्थशास्त्री सोचते थे, अर्थ-व्यवस्था में स्थिरता नहीं आती और नहीं प्रगति में एक-पना आती है। इन प्रगति तथा विस्तार का मूल्य हम चक्रीय अस्थिरता के रूप में चुकाना पड़ता है। इन में से कुछ लेखकों का विचार है कि समृद्धिवालों की अधिवृत्तियों को समतल बनाने के लिये तथा विस्तार सम्बन्धी असंतुलन को दूर करने के लिए मन्दी परम आवश्यक होती है। साथ ही, गन्दी से अकुशल उत्पादक उत्पादन क्षेत्र से बाहर निकाल दिए जाने हैं, जो हमारी उन्नति पर निरन्तर भार स्वरूप थे और इस प्रकार अति पूँजीकरण भी गमाएँ हो जाता है। वास्तव में यदि मन्दी बाल स्वयं ही उपस्थित न हो तो इसे कृत्रिम उपायों से उत्पन्न करना होगा। तीसरे प्रकार के कुछ लेखक ऐसे हैं जिनका विश्वास यह है कि चक्रों को जन्म देने वाले जो कारण हैं, वे सामाजिक नियन्त्रण से बाहर हैं और इसलिए कुछ न कुछ उतार-चढ़ाव तो सहन करने ही होंगे। वे यह अवश्य स्वीकार करते हैं कि इन चक्रों की गति एवं तीव्रता को सरकारी प्रयत्नों द्वारा कम अवश्य कर सकते हैं, परन्तु व्यापार चक्रों की तीव्रता को नियन्त्रित करने की विधि पर ये लेखक एकमत नहीं

किया जा सकता है यह भी ठीक नहीं है। वह यह भूल जाते हैं कि प्राचीन मिष्ठान्तों का मुख्य आधार उनका यह अनुमान था कि परिवर्तन बहुत छोटी मात्रा में तथा धीरे-धीरे होते हैं। आकस्मिक तथा बड़े परिवर्तन, जैसे, युद्ध द्वारा उत्पन्न होने वाले परिवर्तन, व्यापार नियन्त्रण, महान् अवसाद, जैसी घटनाएँ प्राचीन आंगल मिष्ठान्तों के क्षेत्र के बाहर हैं। इनके बावजूद भी प्राचीन लेखक यह स्वीकार करते हैं कि आकस्मिक परिवर्तनों की तीव्रता को कम करने के लिए एक सकारात्मक (positive) सरकारी नीति की आवश्यकता होती है। इसलिए योजनाबद्ध ढंग से किसी भी क्षेत्र की अधिकता या कमी को धीरे-धीरे दूर किया जा सकता है चाहे वह विस्तार के कारण उत्पन्न हो या युद्ध जैसी भीषण घटनाओं के कारण। यह मोचना कि स्वतन्त्र प्रतियोगिता द्वारा अमनुलनो को दूर किया जा सकता है केवल एक भ्रम मात्र है। इसके अतिरिक्त यह भी तो निश्चित नहीं कि मन्दी से अकुशल उत्पादक उत्पादन क्षेत्र से बाहर निकल ही जायेंगे। वास्तव में यदि ये आवश्यक ही है कि समृद्धि काल की अधिकताओं को दूर किया जाए और अमनुलनो को ठीक किया जाए तो यह मन्दी काल की उपेक्षा अन्य विवेचनात्मक विधियों (discriminating methods) से भी किया जा सकता है। अन्त में व्यापार चक्र नीति का प्रश्न आता है। इन चक्रों को कम करना और आय तथा रोजगार में निरन्तर परिवर्तनों को रोकने के लिए चक्र की उवृत्ति दिशा में सार्वजनिक निर्माण कार्यों की नीति को अपनाना चाहिए और मुख्यतया निजी विनियोगकर्ताओं की उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति को राजकीय विनियोग द्वारा दूर किया जा सकता है। जब निजी विनियोग अधिकतम हो तो राजकीय विनियोग न्यूनतम हो और जब निजी विनियोग न्यूनतम हो तो राजकीय विनियोग अधिकतम होने चाहिये। हमारे ज़रों में राजकीय विनियोगों को निजी विनियोगों के पूरक होना चाहिए और वह स्थिति तो आदर्शतम होगी जबकि राजकीय विनियोग निजी विनियोगों में लगभग आधे चक्र पीछे रहे। परन्तु यह विचारभारा भी तर्क युक्त नहीं है। जब यह स्वीकार कर लिया गया कि राजकीय विनियोग के लिए यह आवश्यक नहीं कि निजी विनियोगों के पीछे पीछे रहें और वे स्वतन्त्रतापूर्वक किये जा सकते हैं और उनका समय भी स्वतन्त्रतापूर्वक निर्दिष्ट किया जा सकता है तो यह भी उचित न होगा कि वे निजी विनियोगों के समानान्तर हों या उनके विपरीत दिशा में चले। इस प्रकार तो यह ही कहना ठीक होगा कि राजकीय निर्माण कार्य एक सामान्य गति से चलते रहें। यह ध्यान रहे कि विभिन्न समयों पर विभिन्न प्रकार के राजकीय कार्यों की आवश्यकता होती है। कुछ तो निजी विनियोगों और उनभोग के साथ-साथ चलते हैं जैसे गली तथा सड़कों की मफाई, नालियों का प्रवन्ध, रोपनी की व्यवस्था इत्यादि। कुछ दीर्घ-कालीन प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे जंगल भगाने का काम। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें स्थगित नहीं किया जा सकता और जो अनिवार्य हैं, जैसे, रक्षा सम्बन्धी कार्य, मोने वारुद, हथियार इत्यादि का उत्पादन और शेष ऐसे होते हैं जिन्हें समयानुसार जल्दी और देर में चालू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह स्थानीय हितों को दृष्टि में रख कर चालू किए जाते हैं और यदि इन विनियोगों की

व्यापार चक्रों की दुराहमों को कम करने का एक माग्य बनाना है तो केन्द्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय सरकारों के बीच के सम्बन्धों को पुनर्स्थापित किया जाए और केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दिया जाए कि वह स्थानीय सरकारों के निर्माण कार्यों को निश्चित कर सके, तथा उनको व्यापार चक्रीय नियोजन का एक निश्चलनीय अंग बनाना सके। इसके विरुद्ध कुछ लोगों का कहना है कि स्थानीय सत्स्थापना के राजकीय निर्माण कार्य इतने सीमित होने हूँ कि वह व्यापार चक्रीय दुराहमों को कम करने में अधिक सफल नहीं हो सकते और न ही उनमें हस्तक्षेप करना उचित ही होगा। यदि हम व्यापार चक्र नीति के विरुद्ध ही गई उल्लोनों को सर्वोपरि दृष्टिकोण से स्वीकार करने तो केवल दो ही मार्ग हमारे सामने होते हैं—एक तो समयसूचक (timetable) राजकीय निर्माण कार्यों की, पहले की अपेक्षा अधिक व्यवस्था करनी होगी, और दूसरा निजी विनियोगों की स्पष्ट दुराहमों को कम करना होगा। इन सब बातों का विष्णुवर्णन नीम्न के 'किर्याशील माँग' (Effective Demand) के सिद्धान्त में किया गया है।

माँग अभाव सिद्धान्त—इस सिद्धान्त के अनुसार वस्तुओं तथा सेवाओं की माँग इतनी न होने के कारण कि कुल वास्तविक माधता की उपयोग में लाया जा सके, बेकारी उत्पन्न होती है। यदि माँग अधिक हो तो साधना को अधिक ग्राह्यता का उपयोग होगा और यदि माँग बहुत अधिक हो जैसे युद्धकाल में तो साधनों का उपयोग उनही व्यक्ति में भी अधिक होगा। इन विचारों पर तो कोई भी मतभेद नहीं है। मतभेद तो केवल उन्हीं दशाओं पर है जहाँ माँग इतनी कम होती है कि पूरे साधनों का उपयोग नहीं हो पाता। हम देख चुके हैं कि प्राचीन रोलकों के अनुसार स्वतन्त्र प्रतियोगिता में माँग कभी भी इतनी कम नहीं होती। माँग केवल उन्ही समय कम होती है, जबकि बाजार में कुशल उत्पादों में अपूर्णता तथा स्थिरता उत्पन्न की जाती है। व्यापारचक्रीय निष्णान्ता में केवल कुल माँग में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों की सम्भावनाओं का ही विष्णुवर्णन किया है और उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि दीर्घकाल में वस्तुओं तथा साधनों की माँग क्या कम हो जाती है? इसकी ओर किन्हीं में उचित ध्यान दिया था। माँग अभाव सिद्धान्त के मुख्य तत्त्व निम्न प्रकार हैं —

यदि हम यह मान लें कि देश में किसी समय विश्व पर सभी उत्पादों के माधत उपयोगों में लगे हुये हूँ और समाज के सब सदस्य अपनी पूरी वास्तविक श्राव को सर्व्व कर देते हैं अर्थात् पूर्ण रोजगार की स्थिति स्थापित है तब प्रश्न यह है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति कैसे भंग होती है? और नारे माधता को उपयोग में न लाने के लिये माँग क्यों कम हो जाती है?

जब व्यक्ति केवल अस्थायी रूप से एक वस्तु के अभाव पर दूसरी वस्तु के लिये माँग करने लगते हैं तो कुल माँग में जो कमी होने से जो बेरोजगारी उत्पन्न होगी वह भी अस्थायी ही होगी। किन्तु हम तो माँग की स्थायी कमी के कारण उत्पन्न होने वाली बेकारी के कारणों पर दृष्टिगत करनी है। माँग में स्थायी कमी उस समय उत्पन्न होती है जब समाज के कुछ सदस्य अपने खर्चों को कम करने की

साधत है और जबकि कुछ लोग अपनी आय से अधिक खर्च करने को तैयार नहीं होते । समाज के एक वर्ग की वस्तुओं और सेवाओं की माँग की कमी दूसरे वर्ग की माँग के न बढ़ पाने से पूरी नहीं हो पाती और कुल माँग कम हो जाती है, उत्पत्ति के साधन बेकार हो जाते हैं और समाज की आय गिरने लगती है । जब व्यक्ति अपनी आय की अपेक्षा अपने व्यय को कम करने की सोचते हैं तो उनकी इस क्रिया को हम उनकी 'बचाने की इच्छा' (desire to save) कहते हैं । व्यय कम होने से जा साधन बाहर निकाल दिये जाते हैं और जो अन्य उपयोगों में लगाये जा सकते हैं, तो इन दूसरे उपयोगों को 'बचतों के स्थानापन्न उपयोग' (offsets to savings) या 'स्थानापन्न व्यय' (offsetting spending) कहते हैं । स्थानापन्न व्यय कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे, या तो व्यक्ति स्वयं अपने आप अपनी बचत को उपभोग की वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर खर्च करना चाहे, जैसे नये गकान, नयी मशीनें आदिपर, या अन्य व्यक्ति या राजकीय संस्थाएँ बचत करने वालों की बिना उपयोग की गई क्रयशक्ति को विनियोग या उपभोग की वस्तुओं पर व्यय करना चाहें ।

माँग अभाव सिद्धान्त के प्राथमिक कथन को इस प्रकार बता सकते हैं — यदि व्यक्तियों की आय विशेष में से बचाने की इच्छा, समाज के स्थानापन्न व्यय की इच्छा से अधिक है, तो कुल माँग, आय और रोजगार उस स्तर से नीचे गिर जायेंगे । यह स्थिर (Static) तथा परिवर्तनीय (Dynamic) दोनों ही परिस्थितियों में सत्य होता है । यदि बचतों और स्थानापन्न व्ययों का सम्बन्ध विलकुल विपरीत हो जाता है तो माँग और रोजगार में वृद्धि होगी अर्थात्, जब स्थानापन्न व्ययों की अपेक्षा व्ययों अधिक कम हैं तो माँग और रोजगारों में वृद्धि होगी । पहले तो बेकार पड़े हुये साधन काम पर लगेंगे और उत्पादन में भी वृद्धि होगी । यदि स्थानापन्न व्ययों की वृद्धि उस समय हो रही है जबकि देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति पहले से ही स्थापित है तो कारखानों तथा अन्य साधनों का उपयोग आवश्यकता से अधिक होने के बाद भी उत्पादन में आवश्यकतानुसार वृद्धि न होने से मूल्यों में वृद्धि होने लगेगी और ठीक वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जैसी मुद्रा स्फीति में होती है । स्थानापन्न व्यय में कितनी वृद्धि से या बचतों में कितनी कमी से (दोनों एक ही बात हैं) आय और रोजगारों में वृद्धि होगी, समाज की बचत करने की सीमान्त प्रवृत्ति (propensity) पर निर्भर करेगा । यदि बचत करने की प्रवृत्ति शून्य है तो तनिक व्यय से भी आय और रोजगार में वृद्धि होगी । बड़ी हुई आय तथा बड़े हुये रोजगारों से प्राप्त आय को यदि फिर खर्च किया जायगा तो परिणामस्वरूप फिर आय और रोजगारों में वृद्धि होगी । अतः हम कह सकते हैं कि बचत करने की शक्ति के शून्य पर रहने की स्थिति में व्यय की प्रत्येक क्रिया में आय और रोजगार में अनुपातिक तथा स्थायी वृद्धि होती रहेगी । यदि रोजगार बढ़ने की प्रत्येक अवस्था पर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा बचाना चाहते हैं, अर्थात्, अपनी अतिरिक्त आय को पूरा उपभोग पर खर्च करना नहीं चाहते तो माँग कम होने से रोजगार में कमी होगी और फिर आय कम होगी और आय

श्रीर राजगार के स्तर नीच गिरत चन जायेंगे । कुन आय श्रीर राजगार में वृद्धि के अनुपात को मापन बाल गुणक (Multiplier) को मरतता म बचत करन की प्रवृत्ति की परस्परता क रूप म निर्धारित किया जा सकता है । बचत करन की प्रवृत्ति जितनी अधिक हागा उनना ही प्रारम्भिक व्यय की वृद्धि निरोप का गुणक प्रभाव कम हागा श्रीर जितनी बचत करन की प्रवृत्ति कम हागी उतना ही प्रारम्भिक व्यय की वृद्धि विनाय का गणक प्रभाव अधिक हागा । इस प्रकार स्थानापन्न व्यय की वृद्धि से आय तथा रोजगार म वृद्धि, उम समय तक हागी जब तक कि जा कुछ भी व्ययित नहीं हुई आय म स बचात ह वह इस वृद्धि क बराबर नहीं होता । रोजगार की बिनी भी स्थिति विनाय पर बचने श्रीर स्थानापन्न व्यय एक दूसरे क बराबर हाग ।

समाज क विभिन्न वर्गों व्यक्तिया एव सस्थाया द्वारा बचत करन क लिय जा निणय लिय जात ह क व्यक्ति या समाज की आदना एव दृष्टिकोण द्वारा निर्धारित हते ह । सामान्य रूप म जितना ऊंचा आय हाती है उतनी ही अधिक बचने भी हाती ह । इनी प्रकार समाज की कुन आय जितना अधिक हाती जाती है, उतनी ही समाज की बचते भी अधिक हाती जाती ह । इमोनिम रोजगार बढन क साथ साथ समाज अधिक बचाना चाहता है । आय की वृद्धि क साथ साथ आय का जितना अधिक अनुपात लाभ कमान क लिये लगाया जाना है उनना हा बचत का अनुपात भी अधिक हाता जाना है ।

अब हम स्थानापन्न व्यय क सम्बन्ध म कुछ बातों का प्रयत्न करेगे अंगत आबिन पद्धत म यह क्या ह श्रीर यह व्यय कित क द्वारा किया जाता है । व्यक्ति अपन वर्तमान उभाग का कम करन इमोनिम बचत प्राप्त करता है कि वह उन वस्तुया पर खच कर सब जितना भुगतान माचारणतया चानु आय म स नहीं किया जाता जैसा मन्तन बनाना । कुछ व्यक्ति एक लिए भी तैयार हा कि क अर्थ व्यक्तिया द्वारा की गई बचना की क्षति पूति कर दें चाह अनिश्चिन पूगी वस्तुएँ गरीद कर या अपना आय म स अधिक खच करव । अत सामान्य रूप म बचना क कारण समाज म जा धन की कमा हाती है उसकी पूति पूरा वस्तुया या उपभाग का वस्तुया पर खच करन क लिए ऋण प्राप्त करव कर सकत ह । व्यक्तिगत ऋण का अधिमान भाग विनियोग म तथा दिया जाता है किन्तु प्रश्न यह ह कि क्या विनियोग सम्बन्धी व्यक्तिगत निणय बिना माच विचारे ल लिय जान ह ? या ऋण को विनियोग म लगान क लिए व्यक्तिगत निणय तिन तिन बाता पर तिभर करत ह ? व्यक्तिया को प्ररित करन या विनियोग करन या रोकन म अंगत बाता का हाथ हाता है जैम—मीमान्त लाभ की आदा दीधनालीन मूद की दर ऋणी क जोषिम तथा ऋण-दानाया क सम्भावित जोषिम आदि । परंतु विनियोगकर्ताया क निणय करन इही बाता स प्रभावित नहीं हात । यदि वे यह दखत ह कि उपयुक्त चार बाता की सामूहिक स्थिति ऐसी है कि उह विनियोग ऋण प्राप्त करव नहीं करने चाहिये, तो भी उनके पास ऐम मापन हाते ह कि वे बिना ऋण प्राप्त लिए

ही विनियोग कर ल । हाँ विनियोग की मात्रा उतनी नहीं होगी जितनी ऋण प्राप्त करके होती । ये विनियोग वे घिसाई कोप म से कर सकते हैं और साथ ही वे चालू ऋणों में से पुन विनियोग कर सकते हैं । ऐसा करने से न तो उनका ऋण-भार ही बढ़ता है और न उन्हें अधिक जोखिम ही सहन करना होता है । अतः अल्पकाल में विनियोगकर्ताओं को, जितनी आय अधिक होगी उतना ही विनियोग करने के लिए उन्हें प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी । वे ऋण लेकर विनियोग करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे, केवल अपनी ही बचतों का विनियोग पुन करते रहेंगे । ये विनियोग के लिए कोई भी ऐसी योजना नहीं बनायेंगे, जिसमें अधिक मात्रा में ऋणी तथा ऋणदाता के जोखिम हों । य पाचवीं बात है जिसमें विनियोगकर्ताओं के निर्णयों पर प्रभाव पड़ेगा । इसके अतिरिक्त सबसे अधिक प्रभाव माँग के सम्भावित परिवर्तना का पड़ेगा । इसे तीव्र गति का सिद्धान्त (acceleration principle) कहते हैं । अर्थात् जब माँग में तीव्र गति से वृद्धि होती है तब विनियोग सम्बन्धी निणय मगान दर से बढ़ते हैं । यदि माँग में वृद्धि की गति कम होती है तो विनियोग निणय भी कम होने लगते हैं, और यदि माँग बिटकुल गिर जाती है तो विनियोग केवल बन्द ही नहीं हो जाते वरन् विनियोग की हुई राशि निकलने लगती है । सही अर्थ में तीव्र गति सिद्धान्त वास्तविक तथ्यों का वर्णन नहीं करता । सध तो यह है कि, इस सिद्धान्त का प्रभाव उस समय अधिक होगा जब वर्तमान मशीनों के उपयोग करने की गुंजाइश कम होती है और अधिक श्रमिक काम कर रहे होते हैं । तभी माँग के तनिक बढ़ने पर भी विनियोग निर्णयों की दर बहुत ऊँची होगी और दूसरी ओर जब मशीना का उपयोग कम हो रहा होता है, अर्थात् जब मशीनों के अधिक उपयोग होने की गुंजाइश होती है और जब कम श्रमिक लगे होने हैं तब विनियोगों के निर्णयों की दर कम होती है । साथसे, पूँति की स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है और आठवें, मनीषज्ञानिक बातें, अर्थात् आशावादी तथा निराशावादी दृष्टिकोण से भी विनियोग निणय प्रभावित होते हैं ।

बचत करने के निणय तथा विनियोग करने के निर्णयों में सामन्वस्य होना या दोनों का एक सतुलित अवस्था में होना अमम्भव मा प्रतीत होता है, क्योंकि दोनों प्रकार के निणयों पर अलग अलग बातों का प्रभाव पड़ता है, जो बहुत ही जटिल प्रकृति की होती हैं । पूँण रोजगार की स्थिति उसी समय होगी जब य दोनों निर्णय सन्तुलन पर हों । परन्तु यह केवल स्थिर परिस्थितियाँ में ही होगा । परिवर्तनशील परिस्थितियों में ऐसा होना सम्भव नहीं है । परिवर्तनशील परिस्थितियों में प्राप्त आकड़ों का प्रभाव पड़ता है क्यानि निणय सदैव ही पिछले आकड़ों के आधार पर लिए जाते हैं, जो स्वयं निर्णयों के साथ-साथ बदलते रहते हैं । अतः आर्थिक प्रणाली में सदैव ही नये परिवर्तन होते रहते हैं । इस प्रकार व्यापार चक्रों के उत्पन्न होने का मुख्य कारण—विनियोग निणयों के समय क्रम (जिन पर भूत, वर्तमान तथा आशातीत घटनाओं का प्रभाव पड़ता है और जिन पर विनियोगकर्ताओं की लाभ की आशाये निर्भर होती हैं) और बचतों अथवा उपयोग निर्णयों (जो मुख्यतया

आय के स्तर तथा वितरण पर निर्भर होते हैं) की जटिल प्रतिनिया है। ये चक्रीय परिवर्तन अधिक प्रबल होंगे या कम और यह रोजगार के ऊँचे स्तर पर उत्पन्न हानि या नीचे स्तर पर फिर से, उत्पन्न करने की इच्छा तथा विनियोग करने की प्रेरणाओं के परिमाणानुसार तथा समय अनुसार सम्बन्धों पर निर्भर करता है। जब औसत आय काफी ऊँचा होती है, जैसा औद्योगिक देशों में होता है और जब आय का वितरण भी काफी असमान होता है, वचन करने की प्रवृत्ति विनियोग करने के निणयो की अपेक्षा अधिक प्रबल हो सकती है (उन समय जब रोजगार का स्तर काफी ऊँचा होता है) और पूरा रोजगार की स्थिति प्राप्त होना कदाचित् असम्भव हो जाता है। इसीलिए पूर्वीदेशी देशों में पूरा रोजगार की स्थिति स्थापित नहीं हो सकती क्योंकि वह मुश्किल गायब हो रही है जिसमें विनियोग निणयो की अपेक्षा वचनें कम हो सकें ताकि नव काम प्राप्त करने वाले श्रमिका को नौकरी देने के लिए माँग कम न रहे। यह गायब कड़ी-राजकीय मन्त्राओं की आय तथा व्यय सम्बन्धी नीति होती है।

उपरोक्त पृष्ठों में हमने बेकारी में कारणों का विश्लेषण करने के लिए प्रस्तुत विधायक विभिन्न सिद्धान्तों का प्रालोचनात्मक अध्ययन किया है और स्पष्ट किया कि समय समय पर बेकारी में सम्बन्धित विचारधारा में क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं।

वित्तीयमंदीकरण के विचार—वित्तीयमंदीकरण ने बेकारी के निम्न तीन कारण बताये हैं —

- (अ) उद्योग की वस्तुओं की कुल मांग में निरंतर उत्पन्न होने वाली कमी,
 - (ब) मांग का अनुचित दिशाओं की ओर स्थागन्तरण और
 - (स) भ्रम बाजार का अनुकूल संगठन परिणामस्वरूप कभी अपर्याप्त और कभी अत्यधिक मांग में अनुप्य नौकरी की तालास में उधर से उधर फिरते रहते हैं।
- बेकारी को रोकने के लिए इन तीनों दिशाओं में ही उपाय होने चाहिये, यद्यपि पहली दिशा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह ही तीनों नीतियों में भी बताया है। इसका विश्लेषण हम ऊपर कर आये हैं। दूसरी दिशा में उद्योग की स्थापना के लिए स्थान निश्चित करवा कर पूरा निवेशन होना चाहिये और तीसरी दिशा में श्रमिकों की गतिशीलता नियन्त्रित होनी चाहिये।

अर्थव्ययक विनिष्ठीकरण—कभी कभी अर्थव्ययक विनिष्ठीकरण के कारण भी बेकारी उत्पन्न होगी है। जब किसी देश में रोजगार की अधिकता मांग ऐसी उद्योगों से प्राप्त होती है जिनकी सहाय्य बहुत कम होती है तथा जिनमें श्रमिका को विशय जान तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जैसे, इटैल में कोयला उद्योग भारत में जूट तथा चीना उद्योग, कनाडा में गेहूँ—तो परिस्थितियों के परिवर्तन तथा ऐसे उद्योगों की वस्तुओं की मांग में कमी हो जाने से पूरा रोजगार बेकारी उत्पन्न हो जाती है और फिर भ्रम बरता हो रहता है और बेकारी बढ़ती ही जाती है। इसीलिए तीनों शीघ्र ही न उद्योगों के विनिष्ठीकरण पर इतना जोर दिया जा क्योंकि विविध प्रकार के उद्योग हानि में स्थिति अधिक लाभपूर्ण रहती है।

बेकारी के विभिन्न रूप—चैपमेन ने बेकारी को भावगत एव वस्तुगत (subjective and objective) दो भागों में बाँटा है। पहले प्रकार की बेकारी मनुष्य के शारीरिक तथा मानसिक दोषों के कारण उत्पन्न होती है, चाहे यह दोष जन्मगत हो या प्राप्त किये हुए; चाहे ये दोष उपचार योग्य हों या ठीक न होने वाले। इसमें अनदृष्टित बेकारी भी सम्मिलित है। दूसरे प्रकार की बेकारी उन कारणों से उत्पन्न होती है जो मनुष्य के वश में नहीं होते, जैसे व्यापार चक्र से उत्पन्न होने वाली बेकारी, मौसमी मांग और पूर्ति के परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होने वाली बेकारी, आकस्मिक रोजगारी इत्यादि। इस प्रकार वस्तुगत बेकारी के निम्न रूप हो सकते हैं—

(अ) मौसमी बेकारी, जो उत्पादन में मौसमी परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। इसमें कृषि तथा आकस्मिक श्रम आते हैं।

(ब) चक्रीय बेकारी, जो आय तथा उत्पादन में समृद्धि तथा मन्दीकाल के परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है।

(स) सामान्य बेकारी जो श्रमिकों की स्वतन्त्र गतिशीलता के कारण उत्पन्न होती है, जो प्रत्येक समय में ही रहती है। श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान को, एक उद्योग से दूसरे उद्योग को जाने के लिए पूर्णतया स्वतन्त्र होते हैं और अपनी इस गतिशीलता के कारण वे बेकार रहते हैं, अर्थात् एक स्थान में नौकरी छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुँचने पर तुरन्त ही काम नहीं मिल जाता, इसलिये जब तक उन्हें काम नहीं मिलता वह बेकार रहते हैं। इतनी बेकारी तो हर समय हर समाज में सदैव ही रहेगी। बैवरिज इस सीमा को 'बेकारी की वह न्यूनतम सीमा बताता है जो और कम नहीं की जा सकती' और पीगू इसे एक ऐसी, 'न भालूम होने वाली न्यूनतम सीमा' कहता है, 'जिससे नीचे बेकारी का प्रतिशत कभी नहीं गिरता'।

(द) औद्योगिक ढाँचे सम्बन्धी बेकारी (Structural unemployment):—

देश के औद्योगिक ढाँचे में विभिन्न उद्योगों का आकार एव महत्त्व अपना अलग-अलग होता है और यह महत्त्व समय-समय पर कम और अधिक होता रहता है। एक उद्योग समाप्त होता है या क्षीण होता जाता है और दूसरा उद्योग उसका स्थान गृहण करता जाता है। क्षीण होने वाले उद्योग के श्रमिक बेकार हो जाते हैं और दूसरे उद्योग को जानने में और काम प्राप्त करने में कुछ समय लगता है। कुछ व्यक्ति तो इतने बूढ़ हो गए होते हैं कि वे नये तातावरण में तथा नई मशीनों पर और नये स्थान पर काम ही नहीं कर पाते। इस प्रकार के श्रमिक क्षीण होने वाले उद्योगों में आधिक्य में होंगे जब कि दूसरे उद्योगों में कमी होते हुए भी श्रमिक नहीं मिल पाते और ऐसी बेकारी समाज में रहती ही है।

बेकारी के प्रभाव—

(अ) आर्थिक—अब तक की विवेचना से यह स्पष्ट हो गया होगा कि बेकारी आर्थिक, शारीरिक एव सामाजिक कारणों से उत्पन्न होती है। जब तक निजी लाभ

के उद्देश्य में उत्पादन कार्य किया जाता रहेगा, जब तक सरकार इसका महत्व न समझ कर देश के माधनों का विकास नहीं करेगी, इसी प्रकार बेकारी चलती रहेगी और प्रति वर्ष बेकार मनुष्यों की संख्या में वृद्धि होती ही रहेगी। बेकारी, बीमारी और महामारी की भाँति ही एक सामाजिक दुराई है। बेकार मनुष्य के जीवन में न तो कोई उत्साह होता है और न कोई सतोष एवं शान्ति। बेकारी का डर ही मनुष्य की शक्ति को भ्रूणना आरम्भ कर देता है और वास्तविक बेकारी तो एक बीमारी में भी जुगे है। बेकार होते ही मनुष्य की आय समाप्त हो जाती है, और निश्चिन्ता बचनों के अभाव में मनुष्य का जीवन-स्तन गिरन लगता है। बपड़े की जितनी मात्रा आवश्यक होती है उसमें कम कपड़ा पहनने को मिलता है और भोजन जितना मिलना चाहिए उतना प्राप्त नहीं हो पाता। अन्न जीवन की आवश्यक वस्तुओं का उपयोग में गुणवत्ता एक परिमाण-त्मक वस्ती होने लगती है और बेकार मनुष्य का कुटुम्ब का प्रत्यक्ष सदस्य मरने का पड़ जाता है, उनमें में प्रत्येक का शारीरिक हानि होने लगता है और कार्यक्षमता गिरने लगती है और थोड़े दिनों बाद शक्ति की जीविका प्राप्त करने की शक्ति उतनी नहीं रहती है जितनी पहले थी। एक बीमारी प्राण निपुण व्यक्ति बेकारी में ऐसे काम तक करने को तैयार हो जाता है जो अनिपुण व्यक्ति एवं अशिक्षित व्यक्तियों को ही करने चाहिए किन्तु उसे विवश होकर ऐसा करना ही पड़ता है।

(ब) सामाजिक—बेकारी के सामाजिक परिणाम बहुत ही भीषण एवं कड़वे होते हैं। व्यक्ति में जूझा खेलन की आदत उत्पन्न हो जाती है। काम न मिल पाने पर बह हताश हो जाता है अपनी बीबी के ऊपर और घर में अन्न खेच कर या गिर्वाँ रग कर जूझा खलता है, इस आशा में कि वह जीन कर चायगा और बाल-बच्चों की भूक को मिटा सकेगा। परन्तु एक बार हार आरम्भ होकर जीन होना कठिन ही होता है। धीरे-धीरे शराब पीना लगता है यह समझ कर कि उसमें कम में कम कुछ देर के लिये वह सारे तकटा और गमा में मग्न हो जायगा। धीरे-धीरे बह बीबी करता है और इस प्रकार एक समय में ईमानदार और सचरित्र व्यक्ति बेकारी के बाद समाज पर एक भार बन जाता है। उसमें आलसी रहन की आदत उत्पन्न हो जाती है। आरम्भ में तो वह काम दृढ़ता भी है, परन्तु ठोकरें खान के बाद वह घर में पड़ा रहता है या जूझा खलता है शराब पीना है या चांगी करता है। वह किसी भी काम को खलना नहीं करता और यहाँ तक कि उसकी बीबी, माँ तथा घर की औरते जीविका कमाती है और वह नित्यज माँ पर मँडकर खाता है। धीरे-धीरे वह अपनी माँगी कला निपुणता एवं दक्षता को खँडता है और इस योग्य नहीं रहता कि वह नदी पर नौकरी कर सके। एक व्यक्ति में बेकार होने से गारा कुटुम्ब मरने का जाता है बच्चों का भविष्य मरने का जाता है और सामाजिक जीवन समाप्त हो जाता है।

(स) नैतिक—साधारणतया सामाजिक और नैतिक प्रभावों में भेद करना कठिन ही होता है परन्तु हम यहाँ पर बेकारी के उन नैतिक प्रभावों का वर्णन करेंगे

जो व्यक्तिगत रूप से बेकार व्यक्ति पर पड़ते हैं। व्यक्ति का नैतिक स्तर इतना गिर जाता है कि वह बेकार रहना ही पसंद करता है। वह अपने कुटुम्ब की स्त्रियों की कमाई हुई जीविका का उपभोग करता है, किन्तु स्वयं काम ढूँढने नहीं जाता। नियमित कार्य में अलग रहने के कारण उसमें जिम्मेदारी की कमी आ जाती है और वह अपने कर्तव्य को भी भूल जाता है। शराब पीने और जूआ खेलने जैसी अनैतिक आदतें उसमें आ जाती हैं। वास्तव में उनका सारा जीवन ही अनियमित एवं अनुशासन हीन हो जाता है। यदि बेकार व्यक्ति जवान हैं तो वह अपने ज़ुम करने को तैयार हो जाते हैं और अपनी शारीरिक शक्ति का प्रयोग अच्छे कार्यों में नहीं करते। बेकार व्यक्ति तनिक भी बात पर भगडा, मार पीट और मृत तक करने के लिये उत्तार हो जाते हैं। बेकारी के काल में मनष्या में जुम करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। मिंग मीग जेल के वार्डन श्री लीस ने बताया है कि १९२८-२९ में जब कैदियों की संख्या केवल १०९८ थी सन् १९३०-३१ में संख्या १३६३ हो गई और चोरी व डकैतियों के जुम में नैतिक सजा भुगतने वालों की संख्या इसी काल में ३०८ से ५३२ हो गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में तास एन्जलिस में विरद मन्दी काल में बेकारी और जुम के सम्बन्ध का स्पष्टीकरण गिन्ना आकडा से भली भाँति विदित हो जाता है। जितने भी बड़े-बड़े जुम दालियों द्वारा विद्यमान थे और जितने भी गम्भार जुम बालका में दिये थे, उन सभी में सन् १९३० व बाद वृद्धि हुई थी। सन् १९२८ व बाद विशेषकर आर्थिक उद्देश्या में किये गये जुमों की संख्या में वृद्धि हुई थी। पुलिस विभाग के आकडों से स्पष्ट होता है कि सन् १९२८-२९ में सन् १९३१-३२ के काल में डकैतियाँ की संख्या दुगुनी हो गई थी। इस काल में सेवा लगाकर चोरा करने में ६२% से ७२% की वृद्धि हुई थी और छोटी चोरियाँ में ७३% की वृद्धि हुई थी। यद्यपि भारत में इन जर्मों में सम्बन्धित आकडा को प्राप्त करना असम्भव है, किन्तु समाचार पत्रों की सूचनाओं से यह भली भाँति स्पष्ट हो जाता है कि भारत में भी चोरी डकैती की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती ही जा रही है। और अब तो शिक्षित शक्तियों द्वारा उन जुमों की संख्या में और भी अधिक वृद्धि हो रही है।

(ब) बेकारी और समाज—निरन्तर चलने वाली अनिश्चित बेकारी से समाज इतना असुरक्षित रहता है और समाज के सदस्यों को इतनी कठिनाईयाँ सहन करनी पड़ती हैं कि उनकी गणना करना मरल नहीं जाना। जीवन की नीरसता को कम करने के लिए श्रमदान भी बहुत आवश्यक है परन्तु बेकारी जैसा लम्बा अवकाश तो मनुष्य की पूर्णतया बेकार कर देता है जिसका प्रभाव सम्पूर्ण समाज पर ही पड़ता है। सन् १९३० में संयुक्त राज्य में मन्दीकाल का सबसे बुरा परिणाम यह था कि २ लाख से ३ लाख तन वस्त्र बे घर क हो गये थे, और इनमें बहुत सी लड़कियाँ बीरान इधर से उधर मारी मारी फिरती थी।

कैलीफोर्निया बेकारी आयोग ने अपने निष्कर्षों को संक्षेप में इस प्रकार दिया है —“कायहीनता केवल नये शक्ति को ही नष्ट करके जीवन स्तर को नीचा नहीं

गिराती बरन् काय कुशलता को भी नष्ट कर देती है और अन्त म स्फूर्ति को ही समाप्त कर देती है। एक समय का मेहनती और साधन सम्पन्न धार्मिक निर्बन् हो जाता है अपन मे और समाज म विश्वास हो बैठता है।'

वास्तव म बेकारी सबसे घुरी सामाजिक घटना है। आधुनिक सामाजिक व्यवस्था मे जहाँ साधना की कोई कमी नहीं लाता व्यक्ति इस तरह मारे मारे फिरे बिना भोजन और कपड के जीवन व्यतीत करे आधुनिक सम्पत्ता एव हठारी वैज्ञानिक प्रगति के मुँह पर एक तमाना है। बेकारी से उत्पन्न होने वाली अनेकी दुःखार्दियाँ तो समाज की दशा को और भी ग़ौर भी ग़ौर कर देती है। बहुत लम्बे काल तक यह स्थिति चलता अमम्भव है। सरकार को इन स्थिति को सुगमने के लिए और भी अधिक प्रयत्न करने ही हाय अन्यथा बेकार व्यक्तियों को अपन भाग्य का निर्माण करने के लिए स्वयं पग उठाना पड़ेगा।

बेकारी दूर करने के सामान्य उपाय— अभी हमने बेकारी के विभिन्न प्रकार के प्रभाव का अध्ययन किया है। बसि तो अपने अपने क्षेत्र म यह बडे़ घातक है, किन्तु बेकारी के सामूहिक प्रभाव धरि तीव्र और राने भीषण होते हैं कि उनसे उत्पन्न होने वाली हानियाँ पा ग्रच्छे म अस्छ समया म पूरा नहीं किया जा सकता। अर्थिक की क्षमता का जो ह्रास होता है यह स्थायी होता है और उसका यह अपने जीवन के अय वर्षों म पूरा नहीं कर सकता। उसके मारे घुटुम्ब का कम से कम कुछ अवधि तक तो अक्षय ही नैतिक स्तर गिर जाता है और स्वयं तो यह चरित्र-हीन हो ही जाता है। यह आत्म विश्वास को बँडता है। इन सब का सामूहिक परिणाम यह होता है कि देश की राष्ट्रीय आय गिरली जाती है और इस प्रकार धरिने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी अन्धकारमयी होता जाता है। इन सब दोषों को दूर करने के लिए भिन्न-भिन्न व्यक्तियों ने भिन्न-भिन्न उपचार बताय हैं। इन सब उपायों को मोटे तौर पर दो भागों मे विभाजित किया जाता है —

(१) सकारात्मक उपाय (Positive measures)।

(२) नकारात्मक उपाय (Negative measures)।

पहले प्रकार म उपायों का मुख्य उद्देश्य अधिर म अधिर स्रष्टा म बेकार व्यक्तियों को काम देना होता है। यह दो प्रकार के होते हैं—दीर्घकालीन और अल्पकालीन। दीर्घकालीन उपाय व होते हैं जो गर लम्बी अवधि के बाद रोजगार म वृद्धि करते हैं जैसे नय-नय औद्योगिक उपकरण बहुउद्देशीय योजनायें इत्यादि। अल्प-कालीन उपायों म रोजगार म तुरन्त ही वृद्धि होती है। जैसे बेकारों को अधिर सहायता देना। नकारात्मक उपायों का उद्देश्य बेकारी को नई नई नीतियों प्रदान करने कम करना बुरी होना धरि काम नई नई योजनाओं को कम करके बेकार मनुष्यों की गरुषा को कम करना या। जैसे युद्ध प्रयास, जनसंख्या नियन्त्रण इत्यादि। बहुधा नकारात्मक उपायों का ही उपयोग हुआ है। आधुनिक जगत नकारात्मक उपायों के कम म किन्तु भी नहीं है।

सामान्य रूप म, अधिरों की रीति और पूर्ति म मनुष्यन स्थापित करना,

बेकारी को दूर करने का सबसे उपयुक्त उपाय है। इसके लिये श्रम दफ्तरो को स्थापित करना होगा। भिन्न-भिन्न देशों में श्रम दफ्तर (labour exchanges) पिछले वर्षों में स्थापित किये गये हैं और इनसे देश में श्रम की मांग और पूर्ति में सामंजस्य स्थापित करने में काफी सफलता प्राप्त हुई है। इन मर्यादों की स्थापना के अतिरिक्त देश में अधिचरित श्रमिकों को प्रदान करना और आकस्मिक श्रमिकों को नौकर रखने की प्रथा को भी कम किया जाय। जो बेकारी मन्दी काल में उत्पन्न होती है, उसको सरकारी प्रयत्नों द्वारा रोका जा सकता है। अल्पकालीन उद्योग चालू किये जा सकते हैं और फैक्ट्रियों में कम समय वाली फेरिया (Shifts) चालू करके नये श्रमिकों को कार्य दिया जा सकता है। श्रमिकों की मांग में सामान्य वृद्धि करने के लिये और राजकीय क्षेत्रों में श्रमिकों की मांग बढ़ाने के लिये, नये नये राजकीय उद्योग, सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थापित किये जा सकते हैं, जैसे, इमारतों को बनवाना, रेलों, तहरों, बाधा, सड़कों आदि को बनाना इत्यादि। इन सब प्रयत्नों से, केवल उन्हीं व्यक्तियों को नौकरी नहीं मिलेगी जो तत्कालीन इन उद्योगों में लगे हुये हैं और जिनके निकाले जाने का भय है वरन् निजी उपक्रम को भी प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि इन कार्यों में अधिक श्रमिकों के नौकर होने से उनकी उपभोग्यता वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी। परन्तु इन कार्यक्रमों को बड़े सोच विचार कर चालू करने की आवश्यकता है और बड़ी सावधानी बर्तने की आवश्यकता है। ऐसी मर्यादें स्थापित की जायें जो क्षति पूरक राजकीय ध्येय को नियोजित करने तथा उसको कार्यान्वित करने का काम कर सकें। मौसमी बेकारी को दूर करने के लिये, विभिन्न व्यवसायों में सामंजस्य स्थापित किया जाय और रोजगार को पूरे वर्ष पर फैलाया जाय। ऐसे श्रमिक जो नौकरी करने योग्य नहीं हैं, उनकी शारीरिक अयोग्यता को दूर करने के लिये सरकार को उचित प्रबंध करना चाहिये और जो नौकरी नहीं करना चाहते और ठलुआ जीवन व्यतीत करने के आदी हो गये हैं, उनको जबरदस्ती काम पर लगाया जाय तथा अनइच्छित बेकारी को दूर करने के लिये और देश को बेकारी के सामूहिक परिणाम से बचाने के लिये बेकारी बीमा योजनाएँ चालू की जायें।

पूर्ण रोजगार का अर्थ—

पिछले अध्याय में हमने बेरोजगारी के विभिन्न कारणों रूपों और परिणामों का विश्लेषण किया था। हमने देखा था कि बेकारी मनुष्य को ही नहीं बरन सम्पूर्ण देश के सामाजिक और आर्थिक जीवन को नष्ट कर देती है। हमने पिछले अध्याय में बेकारी को दूर करने के विभिन्न उपायों की भी विवेचना की है। आज सभी इस विचार से सहमत हैं कि सरकार अपनी राजस्व सम्बन्धी नीति (Fiscal Policy) से देश में रोजगार की स्थिति को स्थायी बना सकती है। वास्तव में बेरोजगारी की समस्या एक निरन्तर बढ़ने वाली समस्या है। इसके नियम स्थायी नीति निमित्त नहीं की जा सकती। जनसंख्या के बढ़ने से यदि अन्य परिस्थितियाँ स्थिर रहें तो, बेकारी उत्पन्न होना स्वाभाविक है। किन्तु यह तो बेकारी की दीर्घकालीन समस्या है और उसके नियम एक स्थायी किन्तु लोचपूर्ण नीति की आवश्यकता है। यदि देखा जाय तो दीर्घकालीन बेकारी की समस्या अधिग्रहण दुर्गम्य नहीं होती क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि से सक्रिय माग में वृद्धि होती जाती है। किन्तु अंतरराष्ट्रीय समस्याएँ अतन्त्र ही नियम होती हैं क्योंकि सक्रिय माग के कम होते ही बेकारी उत्पन्न हो जाती है। हम देख चुके हैं कि व्यापार चक्रों के परिवर्तनों के कारण जो बेकारी उत्पन्न होती रहती है वह समस्या आर्थिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देती है और इनके नियम सरकार के अतिरिक्त और किसी भी और से नीति निर्णित होना या सक्रिय माग की उत्पत्ति के लिये प्रयत्न होना असम्भव ही होता है बेकारी का एक चक्र एक बार आरम्भ होकर फिर बड़ी कठिनाई से ही रुक पाता है। इसीलिये निर्वाधावादी नीति के अन्तर्गत आर्थिक नियोजन के विचार की प्रगति के साथसाथ बेकारी को दूर करने और देश में सभी नागरिकों के लिये समुचित रोजगार सुविधाओं की व्यवस्था करना आधुनिक राज्य का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य समझा जाने लगा है। आजकल राज्य का महत्त्व बढते बढते जनता की सुरक्षा या देश के प्रशासन के लिये ही नहीं है बरन् व्यक्तियों के कल्याण के लिये भी है। इसीलिये आधुनिक राज्यों को कल्याणकारी राज्य कहते हैं। एक राज्य में सभी नागरिकों के लिये रोजगार सुविधाओं प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है और

देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति स्थापित करना मुख्य नीति मानी जाने लगी है। यहाँ यह बताना अनुचित न होगा कि विशेष रूप से पूँजीवादी देशों के लिये इस नीति को कार्यान्वित करना तथा निमित्त करना आवश्यक है, क्योंकि व्यापार चक्र की समस्या केवल पूँजीवादी देशों में ही मुख्य होती है। समाजवादी तथा साम्यवादी देशों में तो इस समस्या की गम्भीरता एवं रूप और आकार बहुत अधिक नहीं होता और वहाँ तो राज्य की नीति पहले से ही पूर्ण रोजगार स्थापित करने की होती है। किन्तु पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में, जहाँ व्यापारिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र होता है, जहाँ सरकारी नियन्त्रण या तो होता ही नहीं है या यदि होता भी है तो बहुत ढीला ढाला होता है पूर्ण रोजगार नीति का निमित्त होना तथा उसको कार्यान्वित करने के विभिन्न उपायों का रपट्टीकरण करना सरकारी नीति का एक मुख्य अंग होना चाहिये। परन्तु प्रश्न यह है कि पूर्ण रोजगार क्या होता है? अर्थात् पूर्ण रोजगार का क्या अर्थ है?

सर विलियम वेव्रिज के अनुसार पूर्ण रोजगार एक ऐसी परिस्थिति है, जहाँ बेकार व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक खाली नौकरियाँ होती हैं। इसका यह भी अर्थ है कि, "नौकरियों उचित मजदूरियों पर हैं और इस प्रकार की हैं तथा ऐसे स्थानों पर स्थित हैं कि बेकार व्यक्ति में यह सरलता से आशा की जा सकती है कि वे उन्हें गृहण करें। परिणामस्वरूप एक नौकरी के छूटने और दूसरी नौकरी को ढूँढने में बहुत कम समय लगता है।" प्रो० पीग उस अवस्था का पूर्ण रोजगार की दशा कहते हैं जब सभी स्वस्थ व्यक्ति नौकर होते हैं यदि वे प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करना चाहते हैं तो।

उपर्युक्त परिभाषाओं में वेव्रिज की परिभाषा को अत्यन्त ही आदर्शवादी और सैद्धान्तिक है क्योंकि ऐसी अवस्था आता, जबकि बेकार व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक नौकरियाँ हो, मोचा भी नहीं जा सकता और न ही यह सम्भव है। आजकल जब कि जनसंख्या इनकी तीव्र गति में बढ़ रही है ऐसी स्थिति कदापि भी स्थापित नहीं हो सकती है। पीग के अनुसार सभी स्वस्थ व्यक्तियों को नौकर होना चाहिये। स्वस्थ व्यक्तियों के बेकार रहने की दशा में भी पूर्ण रोजगार की दशा उत्पन्न हो सकती है। वृद्धापस्था में जब कि व्यक्ति नौकरी करना योग्य भी है परन्तु सरकारी कानून के अनुसार उनको रिटायर होना पड़ता है ऐसे व्यक्ति यदि नौकरी नहीं करते और न उन्हें नौकरी मिलती ही है, तो इनकी बेकारी के उपस्थित होते हुये भी क्या पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं कही जा सकती? इनके अतिरिक्त प्रचलित मजदूरी की दर से क्या अभिप्राय है? भिन्न-भिन्न स्थानों और भिन्न भिन्न उद्योगों की तो बात ही क्या करना, एक स्थान पर एक ही उद्योग की विभिन्न इकाईयों तक में मजदूरों की दरों में समानता देखने को नहीं मिलती। इसी भिन्नता के कारण तो श्रमिकों में गतिशीलता उत्पन्न होती है। मजदूरों की दर की भिन्नतायें तो सर्वत्र ही रहेंगी, जब तक कि सरकार प्रत्यक्ष उद्योग के लिये न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं कर देती। इस प्रकार इस परिभाषा में भी अस्पष्टता है और

रसका भी केवल सैद्धान्तिक महत्व ही है। हम निम्न में एक परिभाषा और देते हैं :

पूर्ण रोजगार, "एक ऐसी दशा है जिसमें खाली नौकरियों की संख्या, बेकार व्यक्तियों की संख्या से अधिक कम नहीं है ताकि किसी भी समय पर बेकारी, एक व्यक्ति के एक नौकरी छूटने और दूसरी नौकरी ढूँढने में सामान्य विलम्ब के कारण होती है।"

यह परिभाषा भी केवल सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से ही उचित है। सच तो यह है कि पूर्ण स्थिति का विचार स्वयं एक आदर्शवादी विचार है। यह एक उपरिक सिद्धान्त है और क्योंकि यह व्यवहारिक नहीं है इसलिये, जितनी भी परिभाषायें इसकी दी गई हैं वह भी उपयुक्त प्रतीत नहीं होती। एक लम्बे बाद विवाद के बाद अब सभी इस विचार से सहमत हैं कि पूर्ण रोजगार की स्थिति स्थापित होना केवल एक स्वप्न है। न तो प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को नौकरी मिलना सम्भव ही है और न बेकार व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक खाली नौकरियों का होना ही सम्भव है। इसलिये अब सभी इसकी स्वीकार करने लगे हैं कि प्रत्येक समय पर कुछ न कुछ व्यक्ति अवश्य ही वगैररोजगार रहेंगे, चाहे सरकार बित्तों ही प्रयत्न क्यों न करे। इस बेकारी के निम्न कारण होते हैं —

(१) प्रायः समय में समाज के कुछ सदस्य ऐसे अवश्य ही होते हैं, जिन्हें, कितने ही प्रलोभन क्यों न दिए जायें, कितनी भी मजदूरी क्या न दी जायें, किन्तु उन्हें काम करना अच्छा ही नहीं लगता। ऐसे व्यक्ति ठगप्रा जीवन व्यतीत करने के आदी हो जाते हैं और उनकी नस नस में आलस्य भर जाता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा ही बेकार रहेंगे।

(२) श्रमिका में गतिशीलता तो होती ही है। मनुष्य एक स्थान पर टिक कर काम करना नहीं चाहता। उसका जीवन नीरस हो जाता है। और फिर परिवर्तन तो प्रवृत्ति का नियम भी है। इसलिये श्रमिक एक व्यवसाय को छोड़ कर दूसरे व्यवसाय या एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को जाना चाहते हैं। एक काम को छोड़कर दूसरे काम का तुरन्त ही मिलना सम्भव नहीं होता। कुछ न कुछ समय अवश्य ही लगना है। इसलिये जब तक कोई दूसरा काम नहीं मिलता तब तक श्रमिक बेकार रहेगा। इस प्रकार की बेकारी समाज में सर्व्व ही रहेगी।

(३) इसके अतिरिक्त काम को छोड़ना तो सरल होता है किन्तु काम को ढूँढना कठिन होता है। हो सकता है श्रमिक को दूसरा काम ऐसा मिले जिसके लिये उसे कुछ प्रशिक्षण लेना पड़े। इसलिये काम को छोड़कर प्रशिक्षण लेने और दूसरे काम, गृह, मित्रों में जो समग्र लगता है, उसमें व्यक्ति बेकार ही रहेगा।

(४) आकस्मिक धमिलों की नीरस रहने की प्रथा प्रायः सभी देशों में है। कुछ व्यक्तियों में ऐसे होते हैं जहाँ अनिश्चित समय अवधि के बाद काम कुछ दिनों के लिये ही निकलता है और फिर गम बन्द हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों में मानिकों के लिये यह कभी भी लाभप्रद नहीं हो सकता कि वे श्रमिकों को स्थायी रूप में काम पर रखें, जैसे, जहाज पर भात लादने तथा ढोने का काम, क्योंकि श्रमिकों को केवल

जहाज आने तथा जहाज जाने पर ही काम मिलता है। अतः ऐसे कार्यों के लिये आकस्मिक श्रमिक नौकर रखे जाते हैं। अर्थान् काम उत्पन्न होने पर मजदूर बुला लिये जाते हैं और काम समाप्त होने पर उन्हें हटा दिया जाता है। आकस्मिक बेकारी भी अवश्य ही हर समय में कुछ न कुछ अंश में होगी।

(५) कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें वर्ष में केवल कुछ ही महीनों के लिये काम होता है और शेष महीनों में फँकिट्रियाँ बन्द रहती हैं, जंग, चीनी उद्योग में। चीनी उद्योग में काम करने वाले फँकिट्री बन्द होने पर अधिकांश श्रमिक बेकार हो जाते हैं। इसे मौसमी बेकारी कहते हैं। इस प्रकार की बेकारी भी कुछ न कुछ अंश में बढ़ने ही बनी रहेगी।

(६) समय समय पर मशीनों तथा उत्पादनकला में परिवर्तन होते रहते हैं। पुरानी फँकिट्रियाँ में नये परिवर्तनों के अनुसार परिवर्तन करने के लिये कुछ समय तक के लिये काम बन्द कर दिया जाता है, जिस कारण भी कुछ श्रमिक बेकार हो जाते हैं।

उपर्युक्त सभी कारणों से समाज में हर समय में कुछ न कुछ बेकारों अवश्य ही रहेगी। यह अनुमान है कि यह बेकारी कुल रोजगारों की संख्या की २% से ५% तक होगी। इसका अभिप्राय यह हुआ कि यदि हम पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयत्न करें भी तो भी अधिन से अधिक ६५% से ६८% तक ही श्रमिकों को काम पर लगाया जा सकता है। अधिकतर इसी अर्थ में पूर्ण रोजगार उद्देश्य का प्रयोग किया जाता है।

पूर्ण रोजगार स्थिति-प्राप्त करने की रीतियाँ—यह तो हम पहले ही कह चुके हैं कि एक स्वतन्त्र अथवा पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न करने के लिये ही सरकारों प्रयत्नों की आवश्यकता होती है। इस भाग में हम केवल ऐसी ही प्रणाली में पूर्ण रोजगार स्थिति प्राप्त करने के लिये किये जा सकने वाले प्रयत्नों का विवक्षेपण करेंगे। ऐसे प्रयत्न तीन प्रकार के हो सकते हैं—

(१) राजकीय विनियोगों जैसे, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, जल-विद्युत इत्यादि या जनता के उपयोग को बढ़ाने (जैसे, कुटुम्ब भत्तों, अप्रत्यक्ष करों को कम करके, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादकों को आर्थिक सहायता देकर उनके मूल्यों को नीचा रखना) के लिये, सरकारी व्यय द्वारा रोजगार उत्पन्न करना, परन्तु शर्त यह है कि यह व्यय ऋणों द्वारा प्राप्त धन में से किया जाये। इसे घाटे का व्यय (Deficit Spending) कहते हैं।

(२) निजी विनियोगों को प्रोत्साहन देकर, व्याज की दर, आय कर को कम करके या अन्य उपायों द्वारा।

(३) अधिक ऊँची आय वाले वर्गों से नीची आय वाले वर्गों में आय का पुनर्वितरण करके।

घाटे का व्यय—इस विधि के अनुसार सरकार ऋणों द्वारा धन प्राप्त करती है और उनका गन्तव्य माँग उत्पन्न करने में खर्च करती है। यह धन नये नये

अनुपात रहना अत्यन्त आवश्यक है। एक समय विक्षेप पर देश में जितने भी श्रमिक हों उनके काम करने के लिये जितनी मशीनों की आवश्यकता हो उतनी माना म तो मशीनें ही हों, बल्कि कुछ मशीनें अलग मरुक्षित कोप में रखी रहें ताकि बड़नी हुई अमशानित के लिये उपलब्ध हो सकें। यदि मशीनें, उपलब्ध श्रम शक्ति का काम पर लगाने के लिये अपर्याप्त हैं जैसा पिछड़े हुए देशों में होता है, तो पूर्ण रोजगार की स्थिति स्थापित करने में बहुत समय लगेगा और देश में मुद्रा प्रसार और उत्पन्न हो जायेगा। इसलिये पिछड़े हुए देशों को पहले अपने देश में मशीनों के उत्पादन करने के प्रयत्न करने चाहिये और उसके बाद फिर पूर्ण रोजगार की ओर पग उठाना चाहिये। एक दूसरे प्रकार से भी मूल्य में वृद्धि हो सकती है किन्तु इस घटना को मुद्रा-प्रसार नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह वृद्धि उपभोग की वस्तुओं की मांग और पूर्ति के असमन्वय द्वारा उत्पन्न होती है। पूर्ण रोजगार की स्थिति से श्रम मजदूरी की सीमा करने की शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि हो जाने से मौद्रिक मजदूरी की दृष्टि में वृद्धि हो जाती है जिससे मूल्य बढ़ने लगते हैं और यह क्रम ही चलता रहता है। हाँ इतना अवश्य है कि यदि मजदूरी की दरें श्रमिकों की उत्पादन शक्ति के अनुपात में बढ़ रही हैं तो मूल्य वृद्धि की सम्भावना उत्पन्न ही नहीं होती क्योंकि प्रति इकाई श्रम लागत लगभग समान रहती और इसलिये मूल्य बढ़ने का कोई कारण ही नहीं होता। परन्तु यदि मजदूरी श्रम की उत्पादन शक्ति के अनुपात में अधिक में बढ़ती है तब मूल्य वृद्धि का भय अवश्य ही रहता है और इसीलिये सरकार को चाहिये कि वह ऐसी व्यवस्था करे जिसमें मूल्य बढ़ने में पाये।

घाटे के व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ लोगो को यह भी आपत्ति है कि राष्ट्रीय ऋण की निरन्तर वृद्धि से ऋण भार में भी वृद्धि होती जायेगी। परन्तु यह भय भी निराधार है, क्योंकि एक तो धरते हुए राष्ट्रीय ऋण के ध्याज का भार समाज पर नहीं पड़ता और इस क्रिया में केवल धन का हस्तान्तरण ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होता है और वह भी देश के अन्दर ही और दूसरे एक ऐसी अर्थ व्यवस्था में जिसकी प्रवृत्ति विस्तार की हो यह आवश्यक नहीं कि धन का हस्तान्तरण सन्तानों के बीच ही दरा पर प्राप्त होने वाली कर आय के अनुपात में अधिक हो।

उपर्युक्त विवरण में हमने घाटे के व्यवस्था के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले भयों को दूर करने का प्रयत्न किया है। अब हम इस स्थिति में हैं कि हम नीति की नयी प्रणाली का स्पष्टीकरण तनिक विस्तार में कर सकें।

घाटे के व्यवस्था का सामान्य सिद्धान्त यह है कि सरकार अपने व्यय का राज-कीय विनियोगों तथा जनता के उपभोग के स्तर को बढ़ाने पर, बिना कर की दरा में परिवर्तन किये उस विन्दु तक बढ़ाती जायेगी जिस पर इस व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होने वाली सक्रिय भाग से पूर्ण रोजगार की स्थिति स्थापित हो जाती है। यदि यह मान लें कि सरकार पूर्ण रोजगार की स्थिति स्थापित करने में सफल हो जाती है तो प्रश्न यह है कि निजी विनियोगों की स्थिति क्या होगी? प्रथम, क्या निजी विनियोगों में सक्रिय परिवर्तन होते रहेंगे? और दूसरे निजी

विनियोगों का सन्तुलन स्तर क्या होना चाहिये ?

यह तो स्पष्ट ही है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में निजी विनियोगों का विकास लगभग स्थिर ही रहेगा। स्वतन्त्र उपजम की प्रणाली में मुनाफों में तीव्र उतार चढ़ाव होने के कारण ही तीव्र गति से विनियोगों में भी चरीय उतार-चढ़ाव होते हैं परन्तु पूर्ण रोजगार में उत्पादन तथा लाभ में जनसंख्या की वृद्धि और धम की बढ़ती हुई उत्पादन शक्ति के कारण ही दीर्घकालीन परिवर्तन होंगे। यह ही सक्ता है कि निजी विनियोगों की दर में आकस्मिक उतार-चढ़ाव उत्पन्न हों, किन्तु इनको दूर करने के लिए सरकार उनमें साथ-साथ निजी विनियोगों को बढ़ा सकती है। जहाँ तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है अर्थात् निजी विनियोगों का सन्तुलन स्तर क्या होना चाहिये ? इस प्रश्न के उत्तर में संक्षेप में इतना ही कहना आवश्यक होगा कि निजी विनियोगों एम स्तर पर होना चाहिये जो काम करने योग्य जनसंख्या तथा धम की उत्पादकता में वृद्धि होने के साथ साथ मशीनों की कार्य शक्ति को बढ़ाने के लिये पर्याप्त है, अर्थात् निजी विनियोग पूर्ण रोजगार में होने वाले उत्पादन के अनुपात में है। इस उद्देश्य की पूर्ति कई विधियाँ द्वारा की जा सकती हैं। जैसे व्याज की दरों को घटा-बढ़ा कर और आय पर की दरों को घटा बढ़ा कर। जब निजी विनियोग बहुत नीचे स्तर पर है तब सरकार इन दरों को कम कर सकती है और जब निजी विनियोग बहुत ऊँचे स्तर पर है तब सरकार इन दरों को बढ़ा सकती है। परन्तु यह ध्यान रहे कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में इन दरों में हेर-फेर करना इतना सरल नहीं होता।

निजी विनियोगों को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करने के अतिरिक्त सरकार प्रत्यक्ष रूप में निजी विनियोगों के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकती है, जैसे, उनको कम करन के लिये प्रत्यक्ष नियन्त्रण लगा सकती है। यदि सरकार का कुछ विशेष उद्योगों में उत्पत्ति को बढ़ाना है तो सरकार स्वयं उनका उत्पादन आरम्भ कर सकती है। गन्दी बस्तियों को समाप्त करना (Slum clearance) एक उपयुक्त उदाहरण है।

अब प्रश्न यह है कि सरकार अपने व्यय का कितना भाग विनियोगों पर और कितना निजी उपभोग स्तर को बढ़ाने पर खर्च करे। अधिकतर लोगों का यही विचार है कि सरकार को घाटे का व्यय केवल विनियोगों के सम्बन्ध में ही करना चाहिये। परन्तु इस सम्बन्ध में यह बताना अनुचित न होगा कि कुछ समय बाद राजनीय विनियोग लगभग बेकार ही हो जायेंगे और इसलिए सरकारी व्यय को केवल राजनीय विनियोगों तक ही सीमित रखने का विचार अनुचित होगा जबकि उपभोग बढ़ाने के कार्यक्रम पर किया गया व्यय भी जीवन स्तर को ऊँचा करने में सफल हो सकता है। अतः सामान्य सिद्धांत यह होना चाहिये कि सरकारी व्यय का कार्य-क्रम सामाजिक आवश्यकताओं की प्राथमिकताओं द्वारा निर्दिष्ट हो।

निजी विनियोगों को प्रोत्साहित करना—अब हम निजी विनियोगों को प्रोत्साहित कर पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न करने के विषय पर प्रवास डालेंगे।

इस विचार के अनुसार निजी विनियोगों को इतना प्रोत्साहित करना चाहिये कि उनसे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होने वाली सक्रिय माँग पूर्ण रोजगार स्थापित कर सक। हम यह पहले ही कह चुके हैं कि यदि घाटे के व्यय से पूर्ण रोजगार स्थापित करना है तो निजी विनियोगों को प्रोत्साहन देने वाले उपाय आवश्यक होते हैं। यह ध्यान रहे कि इस प्रकार की सहायता से सक्रिय माँग उत्पन्न नहीं होती, (यह केवल घाटे के व्यय द्वारा ही उत्पन्न होती है), वरन् इसकी आवश्यकता इसलिये होती है कि यह निश्चित किया जा सके कि विनियोग स्तर द्वारा दीर्घकालीन पूर्ण रोजगार उत्पादन की वृद्धि के अनुपात में, उत्पादन शक्ति में वृद्धि हो रही है। परन्तु यह आवश्यक नहीं, कि दीर्घकालीन विनियोग की दर उच्च विनियोग की दर के बराबर हो ही जाय जो पूर्ण रोजगार के लिये सक्रिय भाग उत्पन्न करने के लिये आवश्यक होती है। हमने केवल यह मान लिया है कि यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो सरकार उसको अपने ऋण व्यय द्वारा पूरा करने का प्रयत्न करेगी। यदि यह दर कहीं पूर्ण रोजगार उत्पादन के लिये, जितनी उत्पादन शक्ति को उत्पन्न करने के लिये आवश्यक होती है उससे अधिक हो जाती है तो मशीनों के उपयोग के अंश में निरन्तर कमी होती जायगी और फिर भी निजी विनियोगों को प्रोत्साहित करने का कोई लाभ न होगा। इसके प्रतिरिक्त मशीनों का कम उपयोग होने से लाभ की दर भी कम होती जायगी जो निजी विनियोगों को प्रोत्साहित करेगी। इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार के व्यय की आवश्यकता फिर होगी और ब्याज और आय-कर की दरों को कम करके फिर निजी विनियोगों को प्रोत्साहित करना होगा। परन्तु कुछ समय बाद यह समस्या फिर उत्पन्न होगी। इसलिये निजी विनियोगों को प्रोत्साहन देकर पूर्ण रोजगार उत्पन्न करना उपयुक्त रीति नहीं है। परन्तु कुछ तैलकों की इगमें आपत्ति हो सकती है और वह यह भीच सकते हैं कि निजी विनियोगों को प्रोत्साहित करने से थम की तुलना में अधिक मशीनों का उपयोग होता है और उत्पादकता में वृद्धि होने से जीवन-स्तर ऊपर उठने लगेगा। यह केवल उम्मीद सम्भव होता है जब नियोजित उत्पादन की मात्रा निश्चित होती है और यदि विनियोग की जाने वाली पूँजी की मात्रा निश्चित है तो पहली ही स्थिति उत्पन्न हो जायगी। वास्तविक जीवन में दोनों ही स्थितियों के बीच की स्थिति पाई जाती है, क्योंकि वस्तुओं के बाजार की अपूर्णताएँ नियोजित उत्पादन की मात्रा निर्धारित करेगी और पूँजी बाजार की अपूर्णताएँ उपलब्ध पूँजी की मात्रा को निश्चित करेगी और इसलिये मूल की दर कम होने से पूँजी के विनियोग में वृद्धि तो हो जायगी किन्तु उतनी नहीं जितनी अनुमान की जायगी थी, किन्तु व्यवहारिक जीवन में यह स्थिति सन्देहजनक होती है। वास्तव में प्रति व्यक्ति अधिक पूँजी का उपयोग होने के लिए प्रोत्साहन नये-नये आविष्कारों द्वारा प्राप्त होता है। इसमें मूल की दर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यही कारण है कि पिछड़े हुए देशों में मूल की दर ऊँची होते हुए भी उनकी ही आधुनिक मशीनों का प्रयोग होता है जितना कि विकसित देशों में। हमने अभी तक यह माना है कि मूल की दर कम होने से विनियोग-

प्रोत्साहित होते हैं। किन्तु हम पहले भी कह चुके हैं कि यह विधि अधिक सप्रभाजिक नहीं है, क्योंकि एक तो व्याज की दीर्घकालीन दर में बहुत धीरे-धीरे परिवर्तन होते हैं और फिर एक निश्चित सीमा से नीचे इनकी धारणा भी तो नहीं जा सकती। इसी प्रकार आयकर की दर को कम करने में जो विनियोग प्रोत्साहित होंगे उनमें अधिक पूँजीकरण की सम्भावना इसलिये नहीं होती, क्योंकि अधिक पूँजीकरण से जो अधिक लाभ होंगे उन पर भी कर देना होगा। इस प्रकार निजी विनियोगों में अधिक उत्पात्ति को प्रोत्साहित करने के लिये या तो प्रत्यक्ष रूप से आधुनिक मशीनों के लिये आर्थिक महापना प्रदान करना अथवा होगा या फिर सरकार स्वयं आधुनिक ढंग पर कारखाना का निर्माण करे ताकि निजी उद्योगपति प्रतियोगिता के भय में स्वयं अवनत कारखाना का आधुनिक बनाने का प्रयत्न करे।

परन्तु वास्तव में यह नीति पूरा रोजगार उत्पन्न करने के लिये सतोपजनक नहीं है। निजी विनियोगों का मुख्य कार्य देश में उपयोग वस्तुओं का उत्पादन करना है। उपलब्ध श्रम शक्ति के लिये रोजगार प्रदान करना नहीं है। इसके अतिरिक्त विनियोग सुविधायें उपलब्ध होने से निजी विनियोगकर्ता कितने प्रोत्साहित होंगे यह उनकी मानसिक घनस्था पर निर्भर करता है, क्योंकि यदि विनियोगकर्ता अत्यन्त निराशाजनक है तो किसी भय तक भी प्रलोभन काग नहीं करेगा। इसीलिये निजी विनियोगों को पूरा रोजगार प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करने की नीति गतोपजनक नहीं होती।

आय का पुनर्वितरण—बहुधा इस नीति का प्रस्ताव पूरा आय प्राप्त करने के लिये दिया गया है। इस नीति का आधारभूत विचार यह है कि जब धनी व्यक्तियों से निधना को आय का हस्तान्तरण किया जाता है तो उमरे परिणामस्वरूप देश में कुल उपभोग में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि निधना में धनी व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक उपभोग करने की प्रवृत्ति होती है। उदाहरणार्थ, यदि हम धनी व्यक्तियों पर आय कर बढ़ाकर और साथ ही अनिवार्य वस्तुओं तथा अथ आवश्यक वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर को उन्नी सीमा तक कम करें या परिवार भत्ता को समान राशि दे दो अथवा उपभोग करने की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। यदि आयकर से प्राप्त आय को राजकीय विनियोगों में लगा दिया जाय तो भी सक्रिय मांग में वृद्धि होगी, यदि निजी विनियोगों में कोई भी बर्तनी उत्पन्न नहीं होती। आयकर की दर इस प्रकार ऊँचे स्तर पर निर्धारित की जाय कि निजी विनियोग प्रोत्साहित न हो। इसलिये यह आवश्यक है कि ऊँची आय पर आयकर की अपेक्षा पूँजी कर लगाया जाये। सरकारी व्यय सदैव ही, पूर्ण रोजगार के लिये, माध्यम आयकर प्रणाली की अपेक्षा अधिक होता है जबकि घाटे के व्यय का महाराज लिया जा रहा हो, क्योंकि घाटे के व्यय की तुलना में करारोपण से उपभोग में बर्तनी घटा जाती है और इसलिये केवल उन्नी सीमा तक सक्रिय मांग उत्पन्न होती है जब तक कि कर का भुगतान बचती में से किया जाता है। आयकर प्रणाली घाटे के बजटों की तुलना में नवल इसी दृष्टि से अच्छी होती है कि इसमें आय का वितरण

अधिक न्यायपूर्ण हो जाता है, किन्तु माय ही माय इस नीति से जनता को आपत्ति भी अधिक होती है। दाना ही नीतियाँ बननाई जा सकती हैं। पहले आयकर को बढ़ाया जा सकता है और फिर रती के साथ साथ घाटे के बजट में भी काम लिया जा सकता है।

आय का पुनर्वितरण, आगर लागू करने से पहले, मूल्य नियन्त्रण द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। यदि मादूरा स्थिर रहे और उपभोग की वस्तुओं के मूल्य कम कर दिए जाय तो लगभग उगा प्रकार वास्तविक लाभ का स्थानान्तरण वास्तविक मजदूरी की ओर होगा, जिन प्रकार उपभोग की वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहने और मजदूरी बढ़ने की स्थिति में होता। यह नीति उपयुक्त नीतियाँ की अपेक्षा अधिक उपयुक्त होगी यदि निजी वित्तियों की स्थिति पहले ही जैसी रहे। हाँ इतना अवश्य है कि इसका प्रयासन एवं प्रबन्ध उतना सरल नहीं होना। यह भी हो सकता है कि मूल्य नियन्त्रण द्वारा मूल्य स्थिर रखे जाय और मजदूरी में वृद्धि कर दी जाय किन्तु इसमें कठिनाई यह होगी कि मजदूरी का मान फिर उन उद्योगों में भी होना लगना जिनमें काम की दर ऊँचा नहीं है और इसलिये उन उद्योगों को बिना आर्थिक सहायता दिए मूल्य स्थिर रखना कठिन हो जायगा। इसीलिये व्यवहार में वही नीतियाँ की अपनानी जाती हैं। अब हम यह देखना है कि मूल्य स्थिर रहने पर जब मजदूरी बढ़ाई जाती है तो पूरा रोजगार वाली अपेक्षा में उसके क्या प्रभाव होंगे। इस नीति में जो पहला रीति की भाँति मजदूरी बढ़गी और लाभ मिलने लगना। परिणामस्वरूप मूल्य मान में वृद्धि होगी और इसलिये पूरा रोजगार में, ऊँची आय वाली के उपभोग में कमी करना आवश्यक हो जायगा। अब लाभ का मजदूरियों की ओर स्थानान्तरण करने के अतिरिक्त उचित दर पर आयकर भी लागू करना चाहिए, जिनमें उन ही बजट के घाट कम हो जायगा। कुछ भी हो, दाना ही स्थिति में बजट के घाट उन्नी अनुपात में कम हो जायगे जिन अनुपात में पुनर्वितरण में उपभोग पर उत्पन्न हान का प्रभाव हावे है, उनको दूर करने के लिए अतिरिक्त आयकर लगाया जावे। अब हम निम्न निष्कर्षों पर पहुँचते हैं —

प्रत्येक प्रकार के सरकारी व्यय से चाहे वह राजकीय वित्तियों पर किया जाय या सामूहिक उपभोग बढ़ाने के लिए, आर्थिक सहायता देने के लिए या तो घाटे के व्यय द्वारा या आयकर में वृद्धि करके, पूरा रोजगार की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। इसी स्थिति में सरकार का व्यय अधिक होगा क्योंकि आयकर का भुगतान करने वाला के उपभोग पर अधिक भार पड़ेगा। व्यवहार में जो व्यय आयकर द्वारा प्राप्त धन में से किया जाता है जो केवल पूरा रोजगार प्राप्त करने के लिये ही लाभकारी नहीं होता बल्कि आय का वितरण को अनमानतामा को भी दूर करता है, जहाँ तक सम्भव हो अधिक से अधिक दिया जाय और यदि वह पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिये पर्याप्त नहीं है तो ऋण प्राप्त करके व्यय को, जिनकी आवश्यकता हो बखाना जाय। लाभ की दर को भी कम करके—चाहे यह कमी उपभोग की वस्तुओं के

मूल्यों में कमी करके या स्थिर मूल्यों के साथ मजदूरी को बढ़ाकर—प्राप्त की जाये, और उसको मूल्य नियन्त्रण के ढांचे के ही अन्दर रखा जाये तो भी सक्रिय माँग में वृद्धि होगी और पूर्ण रोजगार स्थिति प्राप्त करने में सरकारी व्यय का काम और भी सरल हो जायगा ।

निजी विनियोगों को उसी सीमा तक बढ़ाना चाहिये जो जनसंख्या के बढ़ने और श्रम की आवश्यकता के साथ साथ मशीनों की उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के लिये पर्याप्त हो । यह आयकर को सशोषित करक या ऊँची आय वालों के लिये कर की दरों को कम करके या आयकर के एक भाग के स्थान पर पूँजी कर लगाकर (ताकि लाभशीलता पर बुरा प्रभाव न पड़े) किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक होता है कि सरकार स्वयं निजी विनियोगों में भाग ले (जैसे श्रमिकों के रहने के गन्दे स्थानों की सफाई) । परन्तु सरकारी व्यय ऐसा होना चाहिये जो निजी विनियोगों के साथ मिलकर पूर्ण रोजगार उत्पन्न कर सके । राजकीय विनियोग तथा उपभोग सम्बन्धी आर्थिक सहायता, दोनों मदों के बीच सरकारी व्यय का बंटवारा सामाजिक प्राथमिकताओं के सिद्धान्त के अनुसार होना चाहिये ।¹

राजस्व एवं पूर्ण रोजगार—हम अभी तक पूर्ण रोजगार स्थापित करने की विभिन्न रीतियों का वर्णन कर रहे थे । यद्यपि ऊपर के पृष्ठों में जो विवेचना दी गई है वह सब पूर्ण रोजगार और राजस्व के घनिष्ठ सम्बन्धों का ही एक अध्ययन है, किन्तु वह सामान्य नीतियों का ही विश्लेषण था और उनका सम्बन्ध राजस्व से केवल अप्रत्यक्ष रूप से ही था । अब हम निम्न में प्रत्यक्ष रूप से राजस्व और पूर्ण रोजगार की पारस्परिक निर्भरता की विवेचना करेंगे ।

राजस्व के प्राचीन एवं नये सिद्धान्त—प्राचीन आगम ग्रंथ शास्त्रिया का विचार था कि पूति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है और निजी उपक्रम सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग कर लेता है यदि मजदूरी तथा लाभों में पर्याप्त लोच-पूर्णता है । वे आधुनिक ग्रंथ शास्त्रियों की भाँति इस बात को स्वीकार नहीं करते थे, कि एक व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति के व्यय पर निर्भर करती है और यदि कोई व्यक्ति अपनी आय को खर्च न करके बचाता है तो उगते दूगरे व्यक्तियों की आय कम हो जायगी वरन् उनका विद्वत्ताय था कि समाज में एक व्यक्ति की बचत गदैव दूसरे व्यक्तियों द्वारा विनियोग में लग जाती है । वेकार नहीं पनी रहणी । इसलिये यदि सरकार इन मापनों का उपयोग करना चाहती है तो वह निजी उद्योग-पतियों को वंचित करके ही कर सकती है । जितना अभिप्राय यह हुआ कि राजकीय विनियोग या सरकारी व्यय से किसी प्रकार भी मन्त्रिय भाग उत्पन्न नहीं होगी और न हा राजगारा में वृद्धि ही होगी । इसलिये सरकार को अपना वज्रट मनुषित

1 उपयुक्त सभी विवेचना M Kalecki के विचारा पर आधारित है—

Cf M Kalecki's 'Three ways to Full Employment—Part II Economics of full Employment' PP 39-58

रखना चाहिये। यही राजस्व का प्रमुख सिद्धान्त था। इससे अतिरिक्त और भी कई सिद्धान्त थे।

(१) बजट को सन्तुलित रखना चाहिये।

(२) बजट को छोटे से छोटा रखना चाहिये।

(३) उपभोग पर कर लगाने चाहियें और बचतों को कमजोर रखना चाहिये।

(४) यदि बजट के घाटों का होना अनिवार्य हो तो दीर्घकालीन बौद्ध चालु किये जायें।

(५) ऋण केवल उत्पादक विनियोगों के लिये ही प्राप्त किये जायें।

(६) राष्ट्रीय ऋणों का भुगतान करने के लिए ऐसे कर लागू किये जायें जो चालू उपभोग को कम करें।

ये सब विचार एक इस मान्यता पर आधारित थे कि निजी विनियोग स्वयं पूर्ण रोजगार की स्थिति स्थापित करते हैं और राज्य हस्तक्षेप इस स्थिति को भंग कर देता है।

किन्तु कीन्स ने अपने सामान्य सिद्धान्त (General Theory) द्वारा प्राचीन लेखकों के विचारों को छिन्न-भिन्न कर दिया। कीन्स ने यह सिद्ध कर दिया कि उपभोग को कम करके और आय को बचाकर पूंजी का एकत्रीकरण नहीं होता बल्कि जेकारी उत्पन्न होती है, राष्ट्रीय आय गिरती है और विनियोग कम होने से पूंजी का एकत्रीकरण कम हो जाता है। आजकल यह कहना सम्भव नहीं है कि 'जो कुछ हम उपभोग नहीं कर पाते व्यापारी उमका उपयोग विनियोग के लिए कर लेता है, बल्कि अब तो यह कहा जाता है कि 'यदि हम उपभोग न करें तो व्यापारी विनियोग करने के लिए तैयार नहीं होंगे।' पुराने लेखकों के अनुसार ऐसा प्रतीत होता था कि मनुष्यों के लिए केवल एक ही मार्ग खुला हुआ था—या तो उपभोग करें या विनियोग। किन्तु आज यह गलत सिद्ध हो गया है और अब विनियोग और उपभोग दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। बिना उपभोग के विनियोग सम्भव नहीं होते और दोनों एक साथ गिरते हैं और एक साथ बढ़ते हैं। इन नये विचारों ने राजस्व के सिद्धान्तों में हलचल उत्पन्न कर दी। आजकल यह स्वीकार कर लिया गया है कि निजी उपक्रम पूर्ण रोजगार स्थापित नहीं करते और जितने भी उत्पादक साधन निजी उपक्रम द्वारा उपयोग में नहीं लाये जाते, उन सब पर राज्य, करारोपण के अतिरिक्त अन्य उपायों से, अपना स्वामित्व स्थापित कर लेता है या जब हम यह स्वीकार करते हैं कि समाज का व्यय इतना नहीं है कि सारे उपलब्ध उत्पादक साधन उपयोग में लिये जायें और अधिकतम राष्ट्रीय आय उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, हम यह भी स्वीकार करते हैं कि यदि राज्य अपनी आय की अपेक्षा अधिक व्यय करे तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सकती है। अतः सन्तुलित बजटों के विचार को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त राजस्व के सिद्धान्तों में और भी अनेकों परिवर्तन हुए हैं।

यदि हम यह मान कर कि पूण रोजगार स्थापित करना राज्य का कतव्य है तो सतुलित बजटा की नीति द्वारा अर्थात् बिना ऋण प्राप्त किये हुए पूण रोजगार की स्थापना सम्बन्धी नीति की ओर ध्यान दें तो ज्ञात होगा कि सरकार को आय का वितरण समान करने का प्रयत्न करना होगा। उसको एसी नीति अपनायाना होगी कि व्यक्ति पानू विनियोग मुविधाओं की तुलना में अधिक बचावे का प्रयत्न करे। आय के समान वितरण में व्यक्तिता के उपभोग करने की सामान्य प्रवृत्ति अधिक होती है। इसलिए जब कि निजी विनियोग के अवसर स्वयं निश्चित मात्रा में नहीं होते पूण रोजगार की स्थापना के लिए और आय के पुनर्वितरण के लिए बहुत अधिक प्रयत्न करने होंगे—करारोपण के ढाँच में अधिक महायत्नाओं और मूल्य नियन्त्रण में परिवर्तन करने पड़ेंगे ताकि अर्थ-व्यवस्था एक समान स्तर पर रहे। यहाँ पर हम केवल कर राशियों को ही आय का समान वितरण प्राप्त करने के एक उपाय के रूप में प्रयोग करेंगे।

आधुनिक विचारधारा के अनुसार करारोपण केवल आय प्राप्त करने का ही एक साधन नहीं है बरन् आय के पुनर्वितरण का एक अस्त्र भी है जब कि प्राचीन देशों के लिए यह आय प्राप्त करने का एक साधनमान था। उन लोगों का विचार था कि करारोपण में पूँजी का मूल्य कम हो जाता है। उनके अनुसार क्या यह अधिक अच्छा नही है कि रोटी के वितरण की चिन्ता छोड़ कर हम रोटी के आकार को बढ़ाने की ओर ध्यान दें? प्राचीन काल में आय का समान वितरण आर्थिक दृष्टिकोण से नही बरन् सामाजिक धर्म के दृष्टिकोण से उपयुक्त माना जाता था। परन्तु आजकल आय के पुनर्वितरण सम्बन्धी उपायों की सामाजिक दृष्टि से नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण में अधिक महत्व दिया जाता है। आजकल उपभोग की अपेक्षा बचतों पर कर लगाने को अधिक उचित स्वीकार किया जाता है। और पुनर्वितरण सम्बन्धी करारोपण को आर्थिक एक सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोणों से आवश्यक समझा गया है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह निजी बचतों को कम करने में सहायक सिद्ध होता है जो शकारी दूर करने के लिए आवश्यक है। सामाजिक दृष्टिकोण से यह जीवन स्तरों में समानता स्थापित करता है जो आय की दृष्टि से उचित है। अतः पुनर्वितरण सम्बन्धी करारोपण केवल शकारी दूर करने के लिए ही आवश्यक नहीं है बरन् सामाजिक आय प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। हम इस अध्याय के आरम्भ में ही कह चके हैं कि आय के पुनर्वितरण सम्बन्धी करारोपण की नीति निर्धारित करते समय बड़ी मनकता से काम करना चाहिये और मुख्य रूप से, दो, त्र्यता, को ध्यान में रखना चाहिये—प्रथम आय के समुचित वितरण (equitable distribution of incomes) न कि गढ़ वितरण पर बर लगाना चाहिये और दूसरे करारोपण इस प्रकार किया जाये कि कर दाताओं की विनियोग करने की शक्ति कम न हो। उपयुक्त दोनों बातों का ध्यान करारोपण के समय ध्यान में रखना चाहिए।

पुनर्वितरण सम्बन्धी करारोपण केवल आय के अपव्यय को ही कम नहीं

करता, वरन् यह निर्धन व्यक्तियों की आय को बड़ा भी सकता है। आय की यह वृद्धि या तो मुद्रा के रूप में हो सकती है या वस्तु के रूप में, जैसे पारिवारिक भत्ते या निःशुल्क शिक्षा। कुछ लेखकों का विचार है कि बड़ी आयों पर कर लगा कर छोटी आयों में वृद्धि करने से व्यक्तियों के कार्य करने की इच्छा कम हो जाती है। परन्तु न तो यह सदैव होता ही है और न प्रत्येक प्रकार की सहायता ही के विरुद्ध यह अर्थात् पति की जा सकती है। उपभोग की आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कम करने के लिये दी गई आर्थिक सहायताओं पर कम से कम यह बात लागू नहीं होती। वैसे भी सरकार के लिए यह तो सदैव ही सम्भव है कि आर्थिक सहायता देने की अपेक्षा, मूल्य कम करने के लिए अप्रत्यक्ष कर न लगाये। उपभोग की वस्तुओं पर लगे हुए प्रत्यक्ष कर में उपभोग कम होता है और आर्थिक सहायता से उपभोग बढ़ता है। प्रत्यक्ष कर या आर्थिक सहायता का प्रभाव विशेष इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु निरक्षेप की मांग की लोच कैसी है। साधारणतया यह देखा गया है कि सामूहिक उपभोग की अधिकांश वस्तुओं की मांग आय के परिवर्तनों के सम्बन्ध में लोचदार होती है और मूल्य-नियन्त्रण के सम्बन्ध में लोच होती है।

पुनर्वितरण सम्बन्धी करारोपण से पूँजी का संचय कम नहीं होता वरन् उमंग वृद्धि होती है, यदि कर इस प्रकार लगाय जायें कि व्यापारियों की विनियोग करने की रुचि कम नहीं होनी। निजी विनियोगों को प्रोत्साहन देने के लिए अर्थात् धन का संचय अधिक तीव्र गति से होने देने से लिए—सबसे उत्तम विधि यह है कि उन वस्तुओं के उपभोग को बढ़ावा दिया जायें, जिनके उत्पादन में उम पूँजी का विनियोग किया जा सके। उपभोग की वस्तुओं की मांग बढ़ने से निजी विनियोगों पर कभी भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। यदि पूर्ण रोजगार भी स्थापित हो गया है तो भी उपभोग की वस्तुओं की मांग बढ़ने से निजी विनियोग हतोत्साहित नहीं होंगे, वरन् वस्तुओं के मूल्य बढ़ने में उपभोक्तृओं की ही वास्तविक आय कम होगी। अतः यदि व्यक्तियों की उपभोग करने की प्रवृत्ति में वृद्धि करने के लिए करारोपण किया जाता है तो वह विनियोगों को हतोत्साहित न करके प्रोत्साहित करेगा। किन्तु यह उरी समय होगा जब कि कर ऐसे लगाय गए हों जिनसे व्यक्तियों के विनियोगों से प्राप्त होने वाले लाभों में कमी नहीं होती।

उपभोग करने की प्रवृत्ति में इतनी वृद्धि हो सकती है कि मुद्रा-प्रसार उत्पन्न हो जायें। किन्तु आधुनिक अर्थव्यवस्था में ऐसे मुद्राप्रसार का आजकल कुछ भी भय नहीं है। निजी और सरकारी दोनों ही प्रकार के व्ययों से ऐसा हो सकता है। हम यहाँ पर केवल सरकारी व्यय की ओर ही दृष्टिगान करनी है। पूर्ण रोजगार के सम्बन्ध में साधारणतया यह मान लिया जाता है कि सरकार केवल उगी गीमा तक अपना व्यय बढ़ाती है जितना पूर्ण रोजगार की स्थिति को स्थापित करने तथा बनाये रखने के लिए आवश्यक होता है। किन्तु यह मान्यता अवास्तविक है। आधुनिक समाज में कुछ सामूहिक क्रियायें ऐसी होती हैं जिनको प्राथमिकता देनी होती है और जिन पर बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है। यदि यह मान भी लिया जाय कि

समाज में धन का वितरण इस प्रकार हो रहा है कि देश में उपजाने वाली सभी साधनों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त है तो भी स्वतंत्र आस्तिक साधनों को अपने उपयोग के लिए प्राप्त करने के हेतु सरकार करारोपण करेगी। इस प्रकार करारोपण नीति के दो कार्य होते हैं—प्रथम सरकार इस धन के द्वारा उन साधनों के निजी उपयोग को नियंत्रित करती है जिनकी आवश्यकता स्वयं उसको होती है और दूसरे इनके द्वारा देश में धन का वितरण ठीक किया जाता है। करारोपण मुद्रा प्रसार विरोधक भी होता है अर्थात् करारोपण से सरकार मुद्रा प्रसार को भी नियंत्रित कर सकती है। ऐसा करारोपण उपभोग को हतोत्साहित करता है और वास्तविक साधनों को सरकार के उपयोग के लिए उपलब्ध करता है। किन्तु एम्मे करारोपण के वेद उसी समय अच्छा कहा जा सकता है जब सरकार उन साधनों का इस प्रकार उपयोग करती है कि सामूहिक कल्याण में इतनी वृद्धि होती है जितनी निजी उपयोग में नहीं होती। वास्तव में उपभोग पर जो कर लगाये जाते हैं उनसे प्राप्त होने वाली आय को सरकार को बड़ी सावधानी से और उत्तम ढंग में उत्तम उपयोग करना चाहिए। ऋणों तथा निजी वचता पर लगाय हुए करों द्वारा जो धन प्राप्त होता है उसने सम्बन्ध में इतनी सतकता बरतने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि पहली स्थिति में सरकार उन साधनों को निकाल लेती है जिनका उपयोग व्यक्ति अपने लिये करते किन्तु दूसरी स्थिति में वह ऐसे साधन निकालती है जिनका उपयोग व्यक्ति अपने काम के लिए नहीं करते और उनको बिना उपयोग के पड़ा रहने देते। प्राचीन विचारधारा में इस प्रकार की कोई भी कठिनाई उत्पन्न नहीं होती क्योंकि प्राचीन लक्ष्य के अनुसार प्रत्येक कर ही उद्देश्य की पूर्ति करता है, अर्थात् प्रत्येक कर में ही साधन निजी उपयोगों में से निकाल लिए जाते हैं और प्रत्येक कर ही मुद्रा प्रसार विरोधक होता है। आधुनिक विचारधारा में प्रत्येक कर के प्रभाव अलग अलग होते हैं और इसी प्रकार हर प्रकार के ऋण के प्रभाव भी अलग अलग होते हैं। इसलिए सामान्य रूप से यह कहना कि राजकीय व्यय का इतना प्रतिशत (जैसे ४०%) करों द्वारा प्राप्त आय में से और इतना प्रतिशत (जैसे ६०%) ऋणों से पूरा होना चाहिए सभी परिस्थितियों के लिए उचित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त इन सूचनाया तथा अनुमानों से मुद्रा प्रसार की नीति के सम्बन्ध में भी कुछ लाभ नष्ट होगा जब तक यह न मान्य हो कि करों और ऋणों के लोप क्या है। अतः पुनर्वितरण संबंधी करारोपण नीति का निर्माण तथा करों का चुनाव बड़ी सावधानी एवं बुद्धिमानता से करना चाहिए।

अभी तक हम सर्तुलित वजेट के आर्थिक प्रभावों का विवरण दे रहे हैं। अब हम समतुलित वजेट के प्रभावों की विवेचना करेंगे। मान लीजिए कि पूण रोजगार के लिए आय के पुनर्वितरण से सतोपजनन परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता और घाट के वजेट का सहारा लेना पड़ता है तो दूसरे क्या परिणाम होंगे ?

इसमें तो कोई संदेह नहीं कि वजेट के हर घाट में राष्ट्रीय ऋण में वृद्धि होती है। यहाँ पर दो प्रश्न उठते हैं—प्रथम राष्ट्रीय ऋण का

कोई सीमा होनी चाहिए या नहीं ? और दूसरे राष्ट्रीय ऋण में किस प्रकार के ऋणों द्वारा वृद्धि करनी चाहिए ? पहला प्रश्न राष्ट्रीय ऋण की राशि से सम्बन्धित है और दूसरा उसके गुणों से, अर्थात् ऋण दीर्घकालीन बॉन्ड में होना चाहिए या शल्प-कालीन पत्रों में या नकदी में ।

आन्तरिक राष्ट्रीय ऋण के सम्बन्ध में बहुधा यह आपत्ति दिखाई जाती है कि ऋणों द्वारा जो धन का स्थानान्तरण होता है वह अनुचित होता है और इन ऋणों के भार का वितरण भी उचित नहीं होता अर्थात् जिन व्यक्तियों पर भार नहीं पड़ना चाहिये उन पर पड़ता है और जिनको सहन करना चाहिये वे बच जाते हैं । कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये ऋण ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त किये जाते हैं जो देने योग्य नहीं हैं । इसलिए जितना ऋण का आकार बढ़ता जाता है उतना ही उमका भार भी जनता पर बटता जाता है । किन्तु यह सही नहीं है । राष्ट्रीय ऋण केवल उसी समय भार युक्त होता है जबकि सम्पूर्ण ऋण की राशि केवल गूटठी भर व्यक्तियों द्वारा ही प्रदान की जाती है और जिनको प्रत्येक वर्ष मूद के रूप में एक बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त होती है और इसलिए ये थोड़े से व्यक्ति प्रत्येक वर्ष और अधिक धनी होने जाते हैं, जो अन्यायपूर्ण है । अतः ऋणभार ऋण के बड़े या छोटे आकार के कारण बड़ा या छोटा नहीं होता बल्कि ऋण पत्रों के स्वामित्व के कारण ऋणभार कम या अधिक होता है । राष्ट्रीय ऋण, इसलिए आय के वितरण की सममानतायें भी उत्पन्न कर देते हैं—वास्तव में यही मौलिक समस्या है ।

पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए, जहाँ तक ऋण की राशि का सम्बन्ध है, तो समस्या ऋण के तत्कालीन प्रभावों की इतनी विषम नहीं होती जितनी कि इस बात की होनी है कि हीनार्थ प्रबन्धन द्वारा पूर्ण रोजगार प्राप्त करने की नीति उचित है या अनुचित ? युद्ध के लिए प्राप्त की गई ऋण राशि में प्रत्येक वर्ष वृद्धि होती जाती है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष मूद दर मूद जगता जाता है और राशि बढ़ती जाती है । ऐसी वृद्धि से आय के वितरण की सममानतायें और भी बढ़ती जाती हैं । इसलिए राष्ट्रीय ऋण की बहुत बड़ी समस्या आय के वितरण के सम्बन्ध में है और ऋण-भार के स्थानान्तरण की समस्या तो केवल एक सहायक समस्या ही है ।

सरकारी बॉन्ड का स्वामित्व व्यक्ति को केवल धन प्राप्त करने का अधिकार ही प्रस्तुत नहीं करता बल्कि वार्षिक आय प्राप्त करने के लिए भी अधिकार प्रदान करता है । जब ऋण पर केवल थोड़े से व्यक्तियों का ही स्वामित्व होता है और ऋण की राशि में प्रत्येक वर्ष वृद्धि होती जाती है तो आय तथा धन प्राप्त करने के अधिकार भी थोड़े से ही व्यक्तियों के हाथों में एकत्रित होते जाते हैं । यदि करोड़ों में इस प्रकार हेर-फेर कर दी जाए कि यह अधिकार कम हो जायें तब भी धन प्राप्त करने के अधिकार तो एकत्रित होते ही रहेंगे, चाहे वार्षिक आय प्राप्त करने के अधिकारों में कमी भले ही हो जाए । इस प्रकार धनी व्यक्तियों की समस्या में निरन्तर वृद्धि होती ही रहेगी जो सामाजिक एवं आर्थिक दोनों ही दृष्टिकोणों से अनुचित है । हाँ पूर्ण रोजगार की दृष्टि में यह उचित ही सक्ता है, क्योंकि धनी व्यक्तियों की

धाय म वृद्धि होने से उनके उपभोग करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है, जिससे पूर्ण रोजगार स्थिति स्थापित होने में सहायता मिलती है। परन्तु ऐसे पूर्ण रोजगार को सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। यह ध्यान रहे कि इन मुद्रा स्वत्वों (money titles) का एकीकरण पूर्ण रोजगार की नीति के कारण नहीं होता बल्कि यह धन की उन असमानताओं के कारण उत्पन्न होता है जो ऋण प्राप्त करने के पहले ही से विद्यमान थी। इसीलिए तो समय समय पर उत्पन्न होने वाले अचसाद आवश्यक होत ह क्योंकि वह इन मुद्रा स्वत्वों व मूल्य को गिरा देते ह।

ऋणों द्वारा प्राप्त राशि को खर्च करने के उद्देश्य या खर्च करने की विधि का न तो ऋण प्रस्तता के आकार पर और न सूत्र की दर पर ही कोई प्रभाव पड़ता है। सरकार इस राशि को जिस प्रकार चाहे व्यय कर सकती है। सरकार के निर्णय आर्थिक उद्देश्यों से निर्धारित नहीं होते बल्कि सामाजिक प्राथमिकता (Social priority) से निश्चित होते हैं या यह भी देखकर निणय लिए जा सकते हैं कि देश में कौन से आर्थिक साधन बकार हैं और उनमें से किन को बिना कठिनाई के प्राप्त किया जा सकता है। सामाजिक प्राथमिकता के विचारों से प्रेरित होकर सरकार यह भी सोच सकती है कि स्थायी पूँजी का निर्माण करना अधिक वाछनीय हो सकता है जैसे, सड़का स्कूला अस्पताला आदि का निर्माण या सरकार यह भी निणय कर सकती है कि वह अपने व्यय को उपभोजनाओं के व्यय को बढ़ाने के उद्देश्य से करे। दोनों ही स्थितियों में बेचल उपभोग में ही वृद्धि नहीं होती बल्कि उत्पादक पूँजी में भी वृद्धि हाती है क्योंकि मशीनों तथा स्थायी पूँजी की माँग केवल वस्तुओं की माँग से ही उत्पन्न होती है। इस प्रकार मुख्य ध्यान देने योग्य बात यह है कि निजी विनियोग की क्लिया एक उत्पादित प्रटना है जो लाभ की आशा से प्रेरित होती है और लाभ की आशा स्वयं अन्तिम वस्तु की वास्तविक या आशातांत माँग की वृद्धि पर निर्भर करती है। सरकारी विनियोग में यह बात नहीं होती। सरकार चाहे तो उपभोग को बढ़ा सकती है या निजी विनियोग को प्रा.साहित कर सकती है। किन्तु वास्तविक व्यवस्था में इन प्रकार की रवतन्त्रता नहीं होती।

जिन लक्षकों में पूर्ण रोजगार के विधि निजी विनियोगों को प्रोत्साहन देने का समर्थन किया है उन्होंने इस और कोई ध्यान नहीं दिया कि निजी विनियोग कबल उत्पादित (derived) होते ह। कर में रियायत करने और आर्थिक सहायता प्रदान करने से निजी विनियोग प्रोत्साहित तो अवश्य हो सकते हैं किन्तु पूँजीगत वस्तुओं, का.सं.सं. उस समय तक निराधार होगा जब तक उपभोक्तवामों की प्रय-शक्ति में वृद्धि नहीं होती। अत दीर्घकाल में बेचल निजी विनियोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने ही समस्या नहीं हल ही जाती। यह केवल मन्दी का म रोजगार के स्तर को ऊँचा उठाने में सफल हो सकती है पूर्ण रोजगार के वनाये रखने में नहीं। हम पहले भी इस विषय पर काफी दृष्टि डाल चुके ह। अब हम इस प्रश्न पर विचार प्रकट करेंगे कि एक बड़े राष्ट्रीय ऋण से मुद्रा-नीति उत्पन्न

होती है या नहीं ?

व्यक्तियों के पास केवल मुद्रा के एकत्रित होने या मुद्रा-स्वत्वों के अधिकार एकत्रित हो जाने से ही मुद्रा स्फीति उत्पन्न नहीं होती। मुद्रा-स्फीति उसी समय आरम्भ होती है जब लोग अपनी मुद्रा को खर्च करते हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि मुद्रा की उपस्थिति या मुद्रा प्राप्त करने के अधिकारों की उपस्थिति निजी व्यय पर कोई प्रभाव डालती है या नहीं ? मनुष्य का खर्च उसकी आय से निर्धारित होता है। यदि मनुष्य कुछ भी न बचाकर अपनी पूरी आय खर्च कर देते हैं तो उतना व्यय उम्र स्थिति की अपेक्षा अधिक होगा जबकि आय में से वह कुछ बचत कर रहे थे। इसी प्रकार व्यय में और भी वृद्धि हो सकती है यदि मनुष्य अपनी पुरानी बचतों को चालू आवश्यकताओं पर खर्च करना लगे। पूर्ण रोजगार वाली अर्थ-व्यवस्था में एकत्रित धन या मुद्रा प्राप्त करने के अधिकारों के एकत्रित करने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता केवल इसी का प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति अपनी पूरी चालू आय उपभोग पर व्यय करना आरम्भ कर रहे हैं या नहीं। यदि वे पूरी आय खर्च करना आरम्भ कर देते हैं तो अवश्य ही मुद्रा-स्फीति उत्पन्न हो जायेगी। सारास म उपभोग करने की प्रवृत्ति में तनिक भी वृद्धि होने से पूर्ण रोजगार व्यवस्था में मुद्रा-स्फीति आरम्भ हो जाती है यदि सरकार वास्तविक साधना का उपयोग उन्हीं अनुपात में कम नहीं कर देती। इस प्रकार एक बड़ा राष्ट्रीय ऋण मुद्रा-स्फीति को उत्पन्न नहीं करता।

जहाँ तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि बजट के घाटों के लिये वित्त प्रवन्ध की कौन सी रीति अपनाई जाये जिससे मुद्रा-संसार कम हो, इसके सम्बन्ध में यही कहना होगा कि सरकार को सभी नीतियाँ अपनानी चाहिये, किन्तु किसी समय विशेष पर केवल वही विधि अपनाई जाये जिसका स्वागत करने के लिये जनता तैयार हो अर्थात् जिसकी जनता स्वीकार करे। हम बना ही चुके हैं कि घाटे स्वयं अपने लिये आवश्यक बचतें उत्पन्न कर लेते हैं। यदि यह बचतें इच्छित हैं अर्थात्, व्यक्तियों ने अपनी भारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करके अपनी आय में से यदि कुछ धन बचाया है तो उसका उपभोग पर या वित्तियोगों में एकदम अवस्थात ही खर्च होना सम्भव नहीं है। यदि सरकार इन घाटों का पूरा करने के लिये केवल दीर्घकालीन बॉन्ड ही चालू करती है तो बिना किसी उद्देश्य या लाभ के मूद्रा की दर बढ़ जायेगी और यदि सरकार मूद्रा की दर को नीचा रखने के लिये केवल अल्प-कालीन ऋणों या 'सम्पत्ति-मुद्रा' (निधायन) (ways and means advances) द्वारा घाटा को पूरा करना चाहती है तो दैका के नकद आधार (cash basis) में इस प्रकार वृद्धि करने से मूद्रा की दरों का समस्त टाँचा छिन्न-भिन्न हो जायेगा और परिणामस्वरूप पूज्यगत मूल्यों पर बहुत बुरे प्रभाव पड़ेंगे। अतः इन दोनों विधियों में कोई भी वाछनीय नहीं है। पहली विधि में निजी वित्तियोगों की क्रियाओं को हानि होगी और दूसरी में मुद्रा-स्फीति होगी और विलास की वस्तुओं का उपभोग बढ़ने लगेगा। वास्तव में सरकार को दोनों ही विधियों का प्रयोग करना चाहिये

अर्थात् अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों ही प्रकार के ऋण-पत्रों को चालू करना चाहिये और यदि फिर भी कुछ कमी रह जाये तो उसकी पूर्ति सस्ती मुद्रा की निकाली करके की जाये। इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है कि बेरोजगारी या जनता पर अत्यधिक दबाव डाला जाये या उन्हें समझाया बुझाया जाये और जो ऋण दान म्बन्धा में प्राप्त हो रहे हैं उनकी गति को तंत्र किया जाये। यदि व्यक्तियों में यह प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है कि वे अल्पकालीन ऋण-पत्रों को दीर्घकालीन बौद्ध में बदलना चाहते हैं तो सरकार सूद की दर कम कर सकती है या दीर्घकालीन बौद्ध को खरीदने तथा बेचने के मूल्यों के बीच एक कुनिम अन्तर उत्पन्न कर सकती है। पूर्ण रोजगार में निजी विनियोग क्रियाओं को बेचल भूद की दर में फेर बदल करके ही नियन्त्रित करना सम्भव नहीं होगा। बेचल अनाधारण परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होने वाली मुद्रा-स्फीति को, भयभीत होकर, मौद्रिक नीति में उलट फेर करके नियन्त्रित नहीं करना चाहिये। वास्तविक मुद्रा-स्फीति को भारी प्रगतिशील करारोपण से रोकना चाहिये और यदि आवश्यकता हो तो राशनिंग और कंट्रोल जैसी अप्रत्यक्ष रीतियाँ भी अपनाती चाहियें। इन रीतियों को अपनाने में यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि क्योंकि यह पूर्ण रोजगार के स्थायित्व को क्षति पहुँचावेगी इनलिये इनको न अपनाया जाये। वास्तव में पूर्ण रोजगार से प्राप्त होने वाले लाभ मुद्रा स्फीति की हानियों की अपेक्षा बहुत कम होते हैं।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि नयी विचारधारा का यह विश्वास है कि अथ यह सरकार की शक्ति में है कि वह साधनों का अधिष्ठान तथा पूर्ण उपयोग को सम्भव बनाये, क्योंकि उसको यह भी अधिकार है कि व्यक्तियों की आय का एक भाग करों द्वारा प्राप्त करले और इस प्रकार प्राप्त की हुई आय को जिस प्रकार चाहे खर्च करे और उसको यह भी अधिकार है कि वह जनता की इच्छानुसार जिस प्रकार के ऋण पत्र चाहे छापे चाहे लागू मुद्रा के रूप में या बौद्ध और प्रतिभूतियों के रूप में। पूर्ण रोजगार स्थापित करने के लिये वह पुनर्वितरण सम्बन्धी करारोपण (redistributive taxation) भी कर सकती है और घाटे के दंडों का भी महाराज ले सकती है। किन्तु व्यवहार में अकेली कोई भी एक नीति सफल नहीं हो पायेगी। इसलिये व्यवहारिक नीति में दोनों का ही मिश्रण होना चाहिये। परन्तु इसकी सफलता भी इसी बात पर निर्भर करती है कि आय का समुचित या कुल वितरण (gross distribution of incomes) ठीक हो। नयी विचारधारा यह भी स्वीकार करती है कि सरकार सूद की दर को भी नियन्त्रित कर सकती है और लाभकर्ता (rentier) की सामोशी या निराशा को भी समाप्त कर सकती है। इसलिये नयी विचारधारा को लागू करना, सामाजिक और आर्थिक, दोनों ही दृष्टिकोणों में महत्वपूर्ण है। व्यक्तियों की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर लगाना और ऋण प्राप्त करना कोई नई बात नहीं है। यह तो सरकार नई विचारधारा के आगमन से पहले ही करती आ रही है, किन्तु आज नई विचारधारा ने इनके उद्देश्य और इनको उपयोग करने के नियमों में परिवर्तन कर दिया

है ; अब इनका उपयोग निम्न नियमों के अनुगार होना चाहिये^२ —

प्रथम, सरकार को प्रचलित कर प्रणाली का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिये और विभिन्न करों के उपभोग, निजी विनियोग तथा निजी बचतों पर पड़ने वाले प्रभावों के आकार पर उनमें भेद करना चाहिये । इन अध्ययन में सरकार यह पता लगा सकेगी कि जिन साधनों को उद्योगपति काम में लगाना नहीं चाहते उन के आकार पर करारोपण के क्या प्रभाव होंगे ।

दूसरे, करारोपण का उपयोग केवल, काम में न लाये जाने वाले साधनों के आकार में फेर बदल करना ही होना चाहिये, जिसकी कमी और वृद्धि नामाजिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगी ।

तीसरे, जो कुछ भी रोप रहता है (दमरे नियम के अन्तर्गत निर्णय लेने के बाद) सरकार इन प्रकार साधनों को हीनार्थ प्रवन्धन द्वारा अपने उपयोग में ले ले ।

अतः आज नई विचारधारा के प्रभाव में राजकीय वित्त (राजस्व) का रूप और उद्देश्य पूर्णतया बदल गया है । आज राजस्व का प्रमुख उद्देश्य देश में साधनों के पूर्ण उपयोग को सम्भव बनाना है केवल आय और व्यय या शुद्ध वित्तीय दृष्टिकोण से आय प्राप्त करना या व्यय करना नहीं है । नयी विचारधारा में सामाजिक कल्याण का तत्व है और राजस्व का उद्देश्य सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना है जब कि प्राचीन विचारधारा में वित्तीय तत्व था और उस समय राजस्व का उद्देश्य अतिव्यय हित को अग्रसर करना था । माराश में राजस्व पूर्ण रोजगार स्थापित करने का एकमात्र अस्त्र है ।

भारत में बेरोजगारी की
समस्या
(Problem of Unemployment in India)

प्राक्कथन—

बेकारी, पूँजीवादी देशों की एक प्रमुख विशेषता है। अन्तर केवल इतना है कि इन समस्या का आकार एक प्रकृति प्रत्येक देश में अलग अलग है। भारत की अर्थ-व्यवस्था भी पूँजीवादी होने के कारण यहाँ पर बेकारी की समस्या भी बहुत विपन्न है। भारत की बेकारी की समस्या है तो बहुत पुरानी किन्तु हमारे महामुद्र के बाद से इस समस्या के आकार और विपन्नता दोनों ही में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। बेकारी पिछड़े हुए देशों का एक प्रमुख लक्षण होता है। विकसित देशों में जबकि बेकारी मुख्य रूप से औद्योगिक श्रमिकों के बीच होती है पिछड़े हुए देशों में बेकारी लगभग अर्थ व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में ही पाई जाती है। पिछड़े हुए एक अर्थ-विकसित देश में बेकारी प्राकृतिक साधनों के अभाव में नहीं होती जैसे भारत में। हमारे देश में प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में होते हुए भी बेकारी अपनी चरम सीमा पर है। विकसित देशों में बेकारी केवल क्षणिक और अस्थायी होती है और केवल उत्पादन विधि में उलट फेर होने के कारण ही बेकारी को जन्म मिलता है। किन्तु पिछड़े हुए देशों में बेकारी की समस्या बहुत कुछ स्थायी होती है। भारत भी एक पिछड़ा हुआ देश है और यहाँ पर बेकारी और कम रोजगारी (Under-employment) दोनों ही का प्रकोप बहुत कुछ अटल है। यहाँ पर बेकारी तीन प्रकार की है—अर्थात् (क) कृषि बेरोजगारी (ख) औद्योगिक बेरोजगारी और (ग) शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही हमारे देश में बेकारी की बढोढ़ता को समझने का प्रयास किया जा रहा है किन्तु अभी तक कोई उत्तम उपाय इस समस्या को दूर करने के लिए दूढ़ निम्नाने में सफल नहीं हो पाये हैं। हम इन समस्या के वास्तविक आकार को बताने में भी असमर्थ हैं क्योंकि हमारे देश में पर्याप्त आँकड़ा का अभाव है। किन्तु यह एक ऐसा अटल तथ्य है कि इसको सिद्ध करने के लिये आँकड़ों की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि रोजगार दफतरो की स्थापना के पश्चात् से कुछ आँकड़े प्रकाश प्राप्त होने लगे हैं किन्तु वह भी केवल शहरी क्षेत्रों में और कुछ सीमित व्यवसायों में ही सम्बन्धित है और इनके

आधार पर बेकारी की समस्या का वास्तविक आकार का ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता। रोजगार दफ्तरो के आँकड़ों पर एक दृष्टि डालने से यह भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है कि एक और काम ढूँढने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है दूसरी ओर रोजगार के अवसरों में कमी होती जा रही है और इस प्रकार काम ढूँढने वालों की संख्या दिन प्रति-दिन बढ़ती ही जा रही है। किन्तु यह भी पूर्णतया सत्य नहीं है। वास्तव में काम ढूँढने वालों में बहुत से आदमी ऐसे हैं जो काम पर लगे हुए हैं किन्तु अच्छी और स्थायी नौकरी प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने रोजगार के दफ्तरो में अपने नाम लिखवा रखे हैं। दूसरी ओर रोजगार दफ्तरो की कार्य विधि में काम दिलाने का अर्थ बहुत अजीब है। बहुधा यह देखा गया है कि आकस्मिक रोजगार को भी ये दफतर काम दिलाने की सूची में सम्मिलित कर देते हैं। इस प्रकार एक मजदूर जो प्रतिदिन एक नये मालिक के साथ भाज लादने और ढोने पर सुबह नौकर रखा जाता है और शाम को वह फिर बेकार हो जाता है किन्तु वही मजदूर रोजगार के दफ्तरो के रजिस्ट्रों में हर रोज बेकार रहने हुए भी काम पाने वाले व्यक्तियों की संख्या वृद्धि करता रहता है। केवल यही नहीं काम देने वाले मालिक भी अधिकतर व्यक्तियों को रोजगार दफ्तरो में प्राप्ति नहीं करते हैं। घरों में काम करने वाले नौकरों को रोजगार के दफ्तरो से प्राप्ति नहीं किया जाता। इसलिये हर दिशा में गंभीर इतनी फौली हुई है कि बेकारी की समस्या का वास्तविक रूप पता लगाना सम्भव नहीं है। हमारे देश में एक अजीब बात यह है कि एक ओर जहाँ शिक्षा का विस्तार हो रहा है, लोगों को शिक्षायत है कि देश में शिक्षा का बहुत अभाव है और इसी प्रकार लोगों को यह भी शिक्षायत है कि देश में प्रशिक्षित व्यक्ति तथा यशकला और विज्ञान का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की बहुत कमी है और दूसरी ओर आश्चर्यजनक बात यह है कि अधिकतर बेकारी इन्हीं वर्गों में है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह मभी को ज्ञात है कि किमान मात्र ४ में १ महीने बेकार रहना है और इसके अतिरिक्त गाँव में छिपी हुई बेकारी (*Disguised Unemployment*) की समस्या भी बहुत गंभीर है।

बेकारी के कारण—

सामान्य रूप से किसी भी देश में बेकारी तीन प्रकार से होती है। प्रथम, मजदूरों में कमी होने के कारण, दूसरे, मूल्य तथा लागतों में असंतुलन उत्पन्न होने के कारण और तीसरे, अर्थ जीवन के अनुपात में मशीनों तथा यंत्रों के न होने के कारण। पूर्ण विकसित पाश्चात्य देशों में बेकारी मुख्य रूप से सत्रिय माँग में कमी होने के कारण उत्पन्न होती है। वहाँ पर अधिकतर मशीन मजदूरी स्थायी रहती है और इसलिए सत्रिय माँग में थोड़े से परिवर्तन होने से भी रोजगार के स्तर में काफी परिवर्तन हो जाते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों की अधिकतर 'लाभ' मजदूरियाँ होती हैं (क्याकि अधिकतर लोग अपने ही खेतों पर काम करते हैं और किसी के नौकर नहीं होते हैं)। साथ ही एक प्रकार की वास्तविक मजदूरी (बहुत

(३) उद्योग तथा व्यापार में मंदी—सन् १९५२ के आरम्भ में गिरते हुए मूल्यों के कारण कोरिया युद्ध समाप्त होने के कारण और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में कमी होने के कारण, व्यापार तथा उद्योग क्षेत्रों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को कुछ यह भद्दसूस हुआ कि सत्कार वैसे ही मंदी आरम्भ होने वाली है। जैसी प्रथम महायुद्ध के बाद उत्पन्न हुई थी। परिणामस्वरूप व्यापारियों और उद्योगपतियों ने अपनी क्रियाओं को सकीण करना आरम्भ कर दिया। निर्यात उद्योगों जैसे जूट अदरक आदि उद्योगों में तो उत्पादन बहुत ही कम कर दिया जिसके कारण इन उद्योगों में बहुत बकारी उत्पन्न हो गई। देश के विभाजन होने से कच्चा जूट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो पाने के कारण विभाजन के बाद काफी वर्षों तक अधिनाश जूट के कारखाने बन्द रहे और अभी तक उनमें उत्पादन युद्ध से पहलू की स्थिति प्राप्त नहीं कर पाया है। परिणामस्वरूप इस उद्योग में काफी बकारी उत्पन्न हो गई है। कपड़ा उद्योग में माल की निकासी न हो पाने के कारण काफी कारखाने बीच-बीच में बन्द होते गये और इस कारण भी बकारी की समस्या बढ़ती गई।

(४) व्यक्तियों की गिरती हुई क्रय शक्ति—युद्ध काल में आरम्भ हुआ मुद्रा-स्फीति का चक्र समाप्त होने के स्थान पर तीव्र गति से बढ़ता ही जा रहा है। मूल्य वृद्धि के कारण व्यक्तियों की क्रय शक्ति दिन प्रति दिन कम होती जा रही है। व्यक्तियों में केवल अपनी चालू आय में से आवश्यकताओं को पूरा करने की ही सामर्थ्य नहीं है बल्कि उन्होंने अपनी पुरानी बचतें भी समाप्त कर दीं। यही कारण है कि आज़कल इतनी चोर बाज़ारी नहीं है और बाज़ार में बस्तुएँ होने हुए भी उनको खरीदने के लिये व्यक्ति नहीं मिलते।

(५) लागतों तथा मूल्यों के समायोजन का अभाव—गत वर्षों में विक्रताओं का प्रभाव कम हो गया है और क्रताओं की शक्ति बढ़ती जा रही है। इंग्लिय विक्रताओं को बस्तुओं के विक्रय में कठिनाइयाँ हो रही हैं। यदि उन्हें बस्तुओं का निकासी करनी है तो बस्तुओं के मूल्य नीचे गिराने ही होंगे। किन्तु उत्पादकों ने अपनी पूँजी का विनियोग मशीनों इत्यादि में उस समय किया था जबकि युद्ध के कारण मूल्य काफी ऊँचे थे। इसके अतिरिक्त मजदूरी की दरें भी लगभग उतनी ही हैं जितनी युद्ध काल में थीं। इंग्लिय बस्तुओं का उत्पादन व्यय अधिक है और उत्पादकों के लिये यह सम्भव नहीं है कि वे अपने मूल्यों का नाम कर सकें। इस मूल्य की लागतों में समायोजन न होने पाने के कारण अज़ादा में बस्तुएँ जमा होती जाती हैं। उत्पादकों को अपना उत्पादन कम करना पड़ता है और इस प्रकार थमिक बकारी हो जाती है।

(६) सयुक्तिकरण—पिछले वर्षों में कुछ उद्योगों में आधुनिकीकरण तथा सयुक्तिकरण की धार प्रवृत्त आरम्भ कर दी गयी है जिससे आधुनिक मशीनों का उपयोग के कारण बकारी घटती गयी है।

(७) छटनी (Retrenchment)—युद्ध काल में जो बहुत से नये-नये विभाग स्थापित किए गये थे उनको युद्ध समाप्त होते ही बन्द करना पड़ा। परिणाम

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में किमान ६ घंटे प्रति दिन की दर से साल में केवल ६ से ८ महीने तक ही व्यस्त रहता है। इन समिति के अनुसार भूमिहीन कृषक तो साल में ६ से ७ महीने तक बेकार रहते हैं। कृषि क्षेत्र में बेकारी कई कारणों से है। यह कारण संक्षेप में इस प्रकार है — (१) भारतीय कृषि की प्रकृति एकदम अनिश्चित है। यह वर्षा पर निर्भर है जो कभी भी समय पर नहीं होती। परिणामस्वरूप समय-समय पर अकालों का सामना करना पड़ता है और मौसमी बेकारी उत्पन्न होती है। (२) ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों के समाप्त हो जाने के कारण बहुत से व्यक्ति जो इन उद्योगों में लगे हुए थे वे बेकार हो गये। इसके अतिरिक्त जो कुछ व्यक्ति इन उद्योगों में रह भी गये हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती क्योंकि वे अपनी लागतों और बाजारी मूल्यों में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। परिणामस्वरूप या तो बहुत से व्यक्ति बिना लाभ प्राप्त किये ही उन उद्योगों को चलाते रहते हैं जिसका अर्थ कम रोजगारी है या वे उन उद्योगों को छोड़ कर कृषि में भूमिहीन मजदूरों की भाँति काम करना आरम्भ कर देने हैं जिसमें वे मौसमी बेकारी तथा स्थायी बेकारी के शिकार हो जाते हैं। (३) हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक ग्रामीण उद्योगों की पुनः स्थापना नहीं हो पाई है। जिसके कारण जो लोग बेकार होते हैं उनको जीविका उपार्जन का कोई दूसरा साधन उपलब्ध नहीं हो पाता है। (४) जनसंख्या की वृद्धि के कारण भी ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारी बढ़ती जा रही है। एक तो पहले ही भूमि पर दबाव बहुत अधिक है। जनसंख्या की वृद्धि से छिपी हुई बेकारी में दिन-प्रति दिन वृद्धि हो रही है। (५) हमारे देश में उपज को बेचने की व्यवस्था भी बहुत बुरा है। परिणामस्वरूप कृषकों को उचित 'लाभ' मजदूरी प्राप्त नहीं हो पाती और वे कम रोजगारी के शिकार रहते हैं। (६) अन्त में किमान ऋण मुक्त होना के कारण उनकी भूमि महाजनो तथा अन्य ऋण दाताओं के हाथों में स्थानान्तरित हो जाने के कारण वे भूमिहीन मजदूरों की स्थिति में रह जाते हैं और कुछ समय बाद बेकारों की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों की बेकारी मुख्य रूप से इन्हीं कारणों से है। इस बेकारी को दूर करने के लिए निम्न कारण अपनाये जाने की सिफारिशें समय-समय पर की जा चुकी हैं — (१) भूमि पर जनसंख्या के बढ़ते हुए भार को कम करने के लिए ग्रामीण उद्योगों का विकास अति तीव्रगति से होना चाहिये। (२) मौसमी बेकारी को दूर करने के लिये उत्पादक कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाय और अतिरिक्त श्रम शक्ति का भावजनिक निर्माण कार्यों में लगाया जाय जैसे, कुएँ बनाना, सड़क बनाना, तालाब बनाना, खाद के गूँडे खोदना इत्यादि। यह सब कार्य सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत किये जा सकते हैं। इनमें अतिरिक्त मुर्गी पालन, डेयरी उद्योग तथा फल इत्यादि उगाने की अधिक प्रोत्साहन दिया जाय। हमारी योजनाओं में इन सब के लिये उचित व्यवस्था की गई है। (३) भूमिहीन मजदूरों को भूमि देने की व्यवस्था की जायें ताकि उनकी बेकारी कम हो। इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में सरकारी ने भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी है और आशा है कि तीसरी पंचवर्षीय

योजना तब भूमिहीन मजदूरों की समस्या पूर्णतया समाप्त हो जायेगी। (४) ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगीकरण को प्रोत्साहन देने के लिये विद्युत शक्ति अधिकधिक मात्रा में प्रदान की जाय और ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात तथा सम्बाधनाहन के साधनों के विकास की ओर ध्यान दिया जाय।

औद्योगिक क्षेत्रों में बेकारी— हमारे देश में एक समय वह भी था जब हमारे उद्योग-धन्धे इतने उन्नत थे कि विदेशी ईर्ष्या किया करते थे और भारत दूर दूर देशों में व्यापार किया करता था। साथ ही साथ हमारी कृषि भी काफी उन्नत अवस्था में थी। किन्तु औद्योगिक क्रान्ति के आरम्भ होने से हमारे उद्योग धन्धों का तो विनाश हो ही गया किन्तु कृषि की भी स्थिति ठीक न रह सकी। परिणामस्वरूप सामाजिक तथा आर्थिक कठिनाइयों से विद्वह होकर ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग शहरों को काम की तलाश में घाने लगे। जिसका परिणाम यह हुआ कि औद्योगिक क्षेत्रों में भी बेकारी बढ़ने लगी। औद्योगिक बेकारी के इनके अतिरिक्त और भी बहुत से कारण हैं जैसे—(१) हमारे देश में औद्योगिक विकास आदि अभी प्रारम्भिक अवस्था में ही है और इसमें अभी इसकी क्षमता नहीं है कि अधिक व्यक्तियों को काम मिल सके। (२) भारत में उद्योगों का स्थानीयकरण भी शोषपूर्ण है और सभी क्षेत्रों का औद्योगिक विकास समान रूप में नहीं हो पाया है। (३) युद्ध के बाद मशीनों तथा कच्ची सामग्री के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण स्थिति सतोपजनक नहीं है जिसके फलस्वरूप औद्योगिक श्रमिकों की खपत नहीं हो पा रही है। (४) समुचितकरण तथा आधुनिकीकरण के कारण उद्योगों में बेकारी बढ़ रही है। (५) वस्तुओं की सक्रिय मांग में कमी होती जा रही है क्योंकि व्यक्तियों की आय मूल्यों के अनुपात में नहीं बढ़ रही है। अतः में दूसरी योजना में औद्योगीकरण के जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उनकी पूर्ति में विदेशी विनिमय की कठिनाइयों से नई बाधाएँ उत्पन्न हो रही हैं।

औद्योगिक बेरोजगारी को दूर करने के लिये बहुधा यह उपाय दिए गये हैं—

- (१) उद्योगों के विकेन्द्रीकरण की ओर उचित प्रवन्ध किये जाने चाहिये ताकि देश के सभी भागों में सामान्य विकास हो सके और सभी भागों में श्रमिकों को रोजगार अवसर प्राप्त हो सके। (२) देश में नये नये उद्योगों का प्रोत्साहन देने के लिये प्रयत्न होने चाहिये। पुराने उद्योगों की उत्पादन शक्ति अपनी अधिकतम सीमा पर पहुँच जाने के कारण उनमें अधिक विस्तार करने तथा अधिक रोजगार प्रदान करने की शक्ति उतनी समय तक नहीं उत्पन्न हो पायेगी जब तक कि उनमें आधुनिक मशीनों, यंत्र, उपकरण, मशीन, हेतु। आधुनिक मशीनों का उपलब्ध होना उस समय तक सम्भव नहीं होगा जब तक भारत को पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं होती तथा भारत स्वयं मशीनों में उत्पादन में स्वावलम्बी नहीं हो जाता। इसीलिय दूसरी योजना में भारी उद्योगों के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया गया है और कुटीर तथा छोटे उद्योगों पर उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन की जिम्मेदारी रखी गई। (३) औद्योगिक श्रमिकों को अधिक पुनर्-बनान के लिये औद्योगिक प्रशिक्षण की

व्यवस्था होनी चाहिये । (४) आवश्यक मात्रा में पूँजी प्राप्त करने के लिये उचित प्रयत्न किये जायें तथा औद्योगिक संगठन एवं प्रवन्ध की कुशल बनाने का प्रयास किया जायें । (५) अन्त में यथाकि भारत में औद्योगिक विकास के लिये अर्थात् मात्रा में परेले पूँजी उपलब्ध नहीं हो पा रही है इसलिये अधिकाधिक मात्रा में विदेशी पूँजी के विनियोगों के लिये सुविधाएँ प्रदान की जायें ।

शिक्षित वर्ग में बेकारी की समस्या—भारत में शिक्षित वर्ग की बेकारी की समस्या भी कुछ कम विषम नहीं है । पिछले वर्षों में इस समस्या ने बड़ा ही विकराल रूप धारण कर लिया है । यह समस्या सारे भारतवर्ष में फैली हुई है । उत्तर प्रदेश की सभू कमेटी ने भी इस बात का समर्थन किया था । मद्रास समिति ने बताया है कि काम ढूँढने वाले शिक्षित व्यक्तियों और उनके लिये उपस्थित रोजगार अवसरों का अनुपात २१ है । सन् १९२७ की पञ्जाब समिति का भी यही विचार था । इस प्रकार की बेकारी से मनुष्य आत्म विश्वास खो बैठता है और मनुष्य में शिक्षा के प्रति रुचि समाप्त हो जाती है । शिक्षित नवयुवकों की बेकारी देश की राजनैतिक स्थिरता के लिये भी हानिकारक होती है । एडलर कमीशन ने कहा था कि 'इस प्रकार के शिक्षित बेरोजगार समुदाय की उपस्थित तथा निरन्तर बुद्धि निम्नी भी देश में और विशेषकर ऐसे देश में जहाँ पर शिक्षित व्यक्तियों की मात्रा थोड़ी ही हो, निम्नी भी प्रकार की मुख्यस्थित सरकार के लिये भयकर है । जब तक देश की बुद्धिमान मानव जाति का एक बड़ा भाग निरन्तर बढ़ती हुई सख्या में इस प्रकार के अध्ययन में मगलम है जिससे कि ऐसी ऊँची आशाएँ उत्पन्न हो जाती हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं और जो पढ़ने वालों को देश और अपने हित के लिये किये जाने वाले कितने ही व्यवसायों के लिये बेकार बना देता है, तब तक कोई भी सरकार चाहे वह कितनी ही अच्छी प्रकार से संगठित हो, अपना मार्ग आलोचना तथा प्रत्यालोचना में रोक नहीं पायेगी । सहायता की एक ऐसी माँग निरन्तर बढ़ती जायेगी जिसको किमी प्रकार भी पूरा नहीं किया जायेगा ।' बम्बई राज्य की एक वृत्त के अनुसार यह बेकारी अधिकतर २७ वर्ष से नीचे के नवयुवकों में है । इन लोगों में उन लोगों की सख्या अधिक है जिनका ज्ञान मुख्यतया साहित्यिक है तथा उस वर्ग में भी अधिक है जो १० वा दर्जा पास नहीं है । यह आश्चर्य की बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यक्तियों में अप्रशिक्षित व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक बेकारी है । इसी प्रकार सहरी क्षेत्रों में कानूनी पेशे तथा डाक्टरों पेशे के लोगों में बहुत बेकारी है । इजीनिगरी पेशे की दशा अभी तक सतोपजनक है । रेलों में काम ढूँढने वालों की मस्या बहुत अधिक है किन्तु इनमें से अधिकांश व्यक्ति प्रशिक्षित नहीं है । शिक्षित बेकारी का मुख्य कारण हमारी शिक्षा प्रणाली है । बहुत पहले महात्मा गांधी ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली की आलोचना करते हुए कहा था कि 'नई शिक्षा प्रणाली निम्नी भी प्रकार से हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती । शिक्षा के ऊँचे क्षेत्र में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना देने से उमर के शिक्षित व्यक्तियों और नीचे के अप्रशिक्षित व्यक्तियों जिनकी सख्या करोड़ों में है, के बीच

कम हो जायगी और शिक्षा का स्तर भी ऊँचा हो सकेगा। व्यावहारिक शिक्षा^१ प्रदान करने के लिए जैसे डाक्टरी शिक्षा, निर्माण कला, हिसाब किताब रखने की कला, बीमा कार्य, हस्तकला आदि के विचार के लिये अधिक सुविधाएँ प्राप्त की जायें। सरकार का प्रयत्न यह होना चाहिये कि वह प्रशिक्षित व्यक्तियों का ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में उचित बटवारा करने के लिये प्रयत्न करे।

रोजगार तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना—प्रथम योजना का निर्माण ऐसे समय पर हुआ था जब कि नियोजन आयोग को बेकारी की समस्या का आकार एवं प्रवृत्ति पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं थी और युद्धोत्तर काल की परिस्थितियों से उनकी दृष्टि बहुत कुछ धुंधली हो गई थी। सन् १९५३ के आरम्भ से ही रोजगार सम्बन्धी चित्र में परिवर्तन होना आरम्भ हुआ और नियोजन आयोग के सामने जो आशावादी चित्र था वह अकस्मात् ही अदृश्य हो गया और उसको कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा। आयोग ने अतिरिक्त रोजगारों को प्रदान करने के लिये व्यवस्था की और इसी उद्देश्य से प्रथम योजना में व्यय की प्रारम्भिक राशि, जो २६६ करोड़ रुपये थी उसमें ३०९ करोड़ रुपये की वृद्धि करनी पड़ी। नियोजन आयोग द्वारा सन् १९५३ के अन्त में रोजगार अवसरों में वृद्धि करने के लिये एक कार्यक्रम घोषित किया गया था जिसकी ११ मुख्य बातें थी। यह निम्न प्रकार है —

(१) सिंचाई शक्ति और निर्माण कार्यों से निकट स्थानों पर प्रशिक्षण क्षेत्रों की स्थापना करना ताकि व्यक्तियों को रोजगार अवसर प्राप्त हो सकें।

(२) व्यक्तियों को छोटे उद्योग तथा व्यापार स्थापित करने के लिए विशेष सहायता दी जायेगी।

(३) उन क्षेत्रों में जहाँ श्रम शक्ति का अभाव है प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान की जायेंगी।

(४) कुटीर तथा लघु उद्योगों की वस्तुओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी दफ्तरों में अधिकारिक मात्राओं में खरीदा जायेगा।

(५) धार्मिक सहायता में शहरी में बालिक व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल खोले जायेंगे और ग्रामों में एक मास्टर वाले स्कूल स्थापित किए जायेंगे या उनकी स्थापना के लिये उचित सुविधाएँ दी जायेंगी।

(६) राष्ट्रीय विस्तार सेवा का तीव्र गति से विस्तार किया जायेगा।

(७) सड़क यातायात का विकास किया जायेगा।

(८) श्रमिकों के रहने के गन्दे स्थानों को सफाई सम्बन्धी योजनाएँ बनाई जायेंगी और शहरी क्षेत्रों में निम्न आय वर्गों के रहने के लिए भवन बनाने के कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जायेगा।

(९) निजी गृह निर्माण क्रियाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा।

(१०) शरणार्थियों की कानूनी स्थापित करने के लिए नियोजित रूप से सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की जायेगी।

(११) प्रथम पंचवर्षीय योजना में हम प्रकार उचित सरोवन किए जायेंगे

कि उन कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जा सके जिनमें रोजगार प्रदान करने की अधिक क्षमता है।

इतने उत्साह पूर्ण कार्यक्रम की घोषणा के बाद भी प्रथम योजना बेकारी की समस्या को सुलझाने में लगभग असमर्थ ही रही। एक पिछड़े हुए देश में बेकारी की समस्या, विकास कार्यक्रम की मुख्य समस्या होती है, जिसका अनिच्छित सम्बन्ध देश में किये जाने वाले विनियोगों की मात्रा से होता है। प्रथम योजना काल में न ही विनियोगों में ही उन्नति हो सकी और न पूंजी निर्माण की गति ही तीव्र हो सकी। फिर भी प्रथम योजना भारतीय मर्थ व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने में सफल हुई और नियोजन आयोग को शक्ति प्रदान कर सकी कि वे दूसरी योजना में बेकारी की समस्या पर उचित ध्यान दे सके।

रोजगार तथा दूसरी योजना—यह अनुमान है कि यदि भारत में बेकारी की समस्या को पूर्ण रूप से दूर करना है तो दूसरी योजना में लगभग १५३ करोड़ नये व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जाये। नियोजन आयोग ने नेशनल सैम्पल सर्वे (National Sample Survey) के आँकड़ों का विश्लेषण करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला था कि दूसरी योजना के आरम्भ होने पर शहरी में लगभग २५ लाख व्यक्ति बेकार थे और जनसंख्या की वृद्धि के कारण ३८ लाख व्यक्ति और अधिक बढ़ गये थे। अतः शहरी में बेकारों की संख्या ६३ लाख थी। अभी हाल ही में कृषि तथा जल द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि प्रथम योजना के अन्त में कृषि क्षेत्र में बेकारों की संख्या २७ लाख थी जिसमें ६२ लाख व्यक्ति और बढ़ जायेंगे। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में बेकारों की कुल संख्या ९० लाख होगी। प्रश्न यह है कि क्या दूसरी योजना १५० लाख नये रोजगार अवसर प्रदान कर सकेगी? वास्तव में ऐसा सोचना इस योजना से बहुत ऊँची आशा करना होगा और यदि हम आशावादी दृष्टिकोण अपना भी लें तो भी इतने व्यक्तियों को नौकरियाँ प्रदान करने के बाद भी स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं होगा क्योंकि दूसरी योजना के ५ वर्षों में जनसंख्या की वृद्धि से इतने ही व्यक्ति और बेकार हो जायेंगे।

दूसरी योजना में बेकारी दूर करने के लिये त्रिमुखी कार्य किया जायेगा। प्रथम, शहरी तथा गाँव में इस समय जो बेकार लोग हैं उनके लिये काम की व्यवस्था करनी होगी। दूसरे, काम ढूँढने वाले व्यक्तियों की मदद में प्रति वर्ष २० लाख की जो वृद्धि होती है उसमें लिये भी समुचित उपाय करना होगा, और तीसरे, ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों को पूरा काम नहीं मिलता तथा शहरी में जो व्यक्ति परेशु कामों में सँगे हुए हैं उनके लिये अधिक या पूरे समय के लिये काम की व्यवस्था करनी होगी। राज्य तथा केन्द्र मन्त्रालयों ने जो आँकड़े भेजे हैं और निजी क्षेत्र में उत्पादन बढ़ने से जो नये रोजगार मिलने का अनुमान है उनके आधार पर यह हिसाब लगाया सम्भव हो गया है कि दूसरी योजना के कार्यान्वित होने पर नौकरी के जो अतिरिक्त स्थान प्राप्त होंगे वे निम्न प्रकार हैं।—

(संख्या लाखों में)

१	निर्माण कार्य	२१००
२	सिंचाई तथा बिजली	५१
३	रेलवे	२५३
४	अन्य परिवहन तथा संचार	१८०
५	उद्योग तथा खनिज	८००
६	कुटीर तथा छोटे उद्योग	४५०
७.	वन विकास, महसूब पातन, राष्ट्रीय विस्तार क्षेत्र तथा अन्य योजनाएँ	४१३
८	शिक्षा	२९०
९.	स्वास्थ्य	११६
१०.	अन्य सामाजिक सेवाएँ	१४२
११	सरकारी सेवाएँ (१ से ११ तक का योग)	४३४
१२.	व्यापार और उद्योग समेत 'अन्य रोजगार में'	५१६६
	कुल योग					२७०४
	अर्थात् ८० लाख के आस-पास					७६०३

यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि विकास सम्बन्धी व्यय से दो प्रकार के रोजगार सुलभ हो सकते हैं। प्रथम, उत्पादक या आर्थिक रोजगार जिससे देश के उत्पादन में वास्तविक वृद्धि होती है, और दूसरा 'मुक्ति रोजगार' जो आय तथा रोजगार में वृद्धि तो करता है किन्तु देश के वास्तविक उत्पादन में वृद्धि नहीं करता है। यदि यह निर्माण कार्यों में उत्पन्न होता है तो एक और तो सामाजिक पूर्णता में वृद्धि होती है और दूसरी ओर बेकार व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है। यह रोजगार ऐसी योजनाओं में प्राप्त हो सकता है जैसे सड़क व पुल बनाना, बाँध बनाना इत्यादि। किन्तु यदि मुक्ति रोजगार धरेलू तथा कुटीर उद्योगों के विस्तार द्वारा प्रदान होता है तो सामाजिक उत्पत्ति में कठिनाई से ही कोई वृद्धि हो सकेगी। सरक्षित कुटीर उद्योगों से जो रोजगार में वृद्धि होती है उसको आर्थिक रोजगार की वृद्धि नहीं स्वीकार किया जा सकता। वह तो केवल एक प्रकार का 'मुक्ति रोजगार' ही है जिसकी तुलना अन्य प्रकार के अनुत्पादक कार्यों पर किये गये व्यय से भली-भाँति की जा सकती है।

दूसरी योजना में रोजगार सम्बन्धी नीति की मुख्य विशेषता यह है कि नियोजन आयोग ने अधिक से अधिक रोजगार अवसरों को उत्पन्न करने का प्रयत्न किया है और मुक्ति रोजगार को अधिक महत्व प्रदान किया है। धरेलू तथा कुटीर उद्योगों के साथ साथ भारी उद्योगों का विकास करने का विचार सर्वप्रथम प्री० महलनॉविस ने प्रस्तुत किया था। "सरकारी क्षेत्र में भारी उद्योगों में विनियोगों

द्वारा क्रय शक्ति में वृद्धि करने और स्वास्थ्य शिक्षा एवं सामाजिक सेवाओं पर व्यय करने और उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ती हुई मांग को एक ऐसी वस्तुओं की नियोजित वस्तुओं द्वारा पूरी करके”, प्रो० महलनॉर्विस ने शीघ्र औद्योगीकरण और बेकारी की समस्याओं को दूर करने का प्रस्ताव दिया था। और यह प्रस्ताव दूसरी योजना का आधार-स्तम्भ बन गया। बाद में यह ज्ञात हुआ कि उपलब्ध पूंजी का अधिवास भाग भारी उद्योगों के विकास के लिए ही उपयोग कर लिया जायेगा और तब भी पर्याप्त रोजगार अवसर सुलभ नहीं हो सकेंगे। भारी उद्योगों के विवास के बाद जो कुछ थोड़ी पूंजी बन रहेगी वह उपभोक्ता संगठित वस्तुओं के उद्योगों के विकास के लिए काफी नहीं रहेगी। इसीलिए उपभोक्ता वस्तुओं की नियोजित पूर्ति तथा बेकारी की समस्याओं को सुलभाने के लिये कुटीर तथा घरेलू उद्योगों के विकास पर अधिक धन दिया गया। किन्तु घरेलू तथा कुटीर उद्योगों में, उत्पत्ति के प्राचीन ढंगों तथा श्रौंकारों के प्रयोग ने कारण, इतनी शक्ति नहीं है कि वे एव ही प्रकार की वस्तुओं के उत्पन्न करने में उपभोक्ता वस्तुओं ने संगठित उद्योगों से प्रतियोगिता कर सकें। इसीलिए यह निश्चय किया गया था कि कुटीर तथा घरेलू उद्योगों के विकास के लिए एक बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता प्रदान की जाय और मशीन से उत्पन्न की जाने वाली उपभोक्ता वस्तुओं ने उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित न किया जाय। इस नीति का परिणाम यह हुआ, जैसा कि दूसरी योजना के प्रथम दो वर्षों की प्रगति से स्पष्ट है कि मुक्ति प्रकार के रोजगार में कुछ वृद्धि अवश्य हुई किन्तु यह वृद्धि दीर्घकालीन दृष्टिकोण से पूर्णतया अनाधिक है। अब जब कि यह पूर्णतया निश्चित है कि योजना में सम्मिलित किये गये सारे कार्यक्रमों को पूरा करना सम्भव नहीं है तो यह अच्छा होगा कि नियोजन आयोग विनियोगों के कार्यक्रमों को पुनः निर्धारित करे ताकि उपभोक्ता वस्तुओं के संगठित उद्योग जिनमें घरेलू उद्योगों की अपेक्षा उत्पत्ति के उन्नत ढंगों का प्रयोग होता है, अपनी पुरानी स्थिति को प्राप्त करने योग्य हो जायें और समाज को अधिक लाभ प्रदान कर सकें। इसका यह अभिप्राय नहीं कि हंग कुटीर उद्योगों के विकास एवं विस्तार सम्बन्धी नीति का तिरस्कार कर रहे हैं किन्तु हमारा विचार यह अवश्य है कि कृषि से सम्बन्धित प्राथमिक उद्योगों का ही विकास किया जाय, क्योंकि एक तो यह उत्पादक रोजगार अवसरों को प्रदान करने के सामर्थ्य है और दूसरे इनका विकास कृषि के विकास के साथ साथ ही गुणगता से किया जा सकता है। मशीना तथा यन्त्र कला से सम्बन्धित छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों का विकास भी आवश्यक है क्योंकि यह बड़े उद्योगों के सहायक उद्योग हैं। निरन्तर बढ़ती हुई अर्थ व्यवस्था में जहाँ कृषि, मातायात और उद्योगों के विकास को उचित महत्त्व दिया जा रहा है, मरम्मत करने वाले छोटे-छोटे उद्योगों का भी विशेष महत्त्व है क्योंकि इन उद्योगों में उत्पादक रोजगार सुलभ हो सकेंगे। यह सराहनीय है कि नियोजन आयोग ने दूसरी योजना के अन्तिम रूप में इस समस्या की ओर ध्यान दिया है। यह अधिक अच्छा होता यदि दूसरी योजना को बनाते समय भारी उद्योगों में विनियोग की राशि को कुछ कम कर दिया जाता

और इस प्रकार जो पूँजी बचती उसको उपभोक्ता वस्तुओं के सगठित उद्योगों के विकास में लगा दिया जाता जिससे न केवल मुद्रा प्रसार को रोकने में ही बहागता मिलती वस्तु उत्पादक रोजगारी के नये अवसर भी प्राप्त हो जाते। वास्तव में नियोजन आयोग को उपलब्ध वास्तविक साधनों तथा रोजगार और उत्पादन लक्ष्यों में सामंजस्य स्थापित करने में अधिक समय देना चाहिये था और अधिक बुद्धिमानी से काम लेना चाहिये था।

यह स्वीकार करने से किसी को भी आपत्ति नहीं होगी कि भारत में बेकारी की समस्या बहुत ही भीषण है और केवल विभिन्न प्रकार के छोटे तथा बड़े उद्योगों के विकास से ही दूर नहीं की जा सकती। इमीलिए यह आवश्यक है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में सड़के, कुएँ, नहरों तालियों आदि को बनवाने, बेकार भूमि को खेती योग्य बनाने आदि जैसे कामों में जिनमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, 'मुक्ति' प्रकार के रोजगार प्रदान करने पर अपनी दृष्टि केन्द्रित करें और कुटीर उद्योगों को आर्थिक सहायता देकर रोजगार प्रदान करने की ओर अधिक महत्व न दें। यद्यपि नियोजन आयोग ने सामुदायिक विकास क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्यक्रमों को कार्य-रोपित करने का प्रयत्न किया है किन्तु उन्होंने प्रो० महल नॉक्स की विधि को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करके और उपभोक्ता वस्तुओं के सगठित उद्योगों की अपेक्षा भारी उद्योगों के विकास की ओर ध्यान देकर एक न्यायशील रोजगार नीति का निर्माण नहीं किया है।

पुस्तक-चौथी



आर्थिक नियोजन

प्राक्कथन—

आर्थिक नियोजन का विचार मुख्य रूप से २०वीं शताब्दी की ही देन है। वैसे तो नियोजन मानवीय जीवन का एक अंग है और कोई भी मानवीय क्रिया ऐसी नहीं है जिसमें सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति पहले से उसकी कार्यविधि का नियोजन न करता हो। अनादि काल से ही मनुष्य की यह प्रकृति चली आ रही है। किन्तु सम्यता के विकास, जनसंख्या की वृद्धि, विज्ञान की प्रगति अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं निर्भरता की वृद्धि के साथ-साथ मनुष्य का आर्थिक जीवन इतना सरल एवं साधारण नहीं रहा जितना मानव जीवन की प्रारम्भिक अवस्था में था। आर्थिक जीवन की जटिलता, विपन्नता एवं अनिश्चिन्नताएँ इतनी अधिक होती गईं कि मनुष्य की जीवन नौका सदैव ही मूल्यों के उतार चढ़ाव रूपी सपेड़ों से टकरा कर झर-उधर चाली एवं स्थिरता की खोज में भटकने लगी। आर्थिक जीवन की कठोर परम्पराओं ने सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन पर भी अपनी छाया डालनी आरम्भ कर दी और इस प्रकार सम्य तथा शिक्षित मानव समृद्धि एवं मदी के बीच भटकने लगा। अन्त में मनुष्य ने अपने आर्थिक जीवन को नियोजित करने की ठानी। वास्तव में आजकल बिना नियोजन के आर्थिक जीवन सम्भव ही नहीं है। अनियोजित क्रियाओं से लक्ष्य की पूर्ति कदापि सम्भव नहीं है। प्रो० रॉबिन्स ने ठीक ही तो कहा है कि सही शब्दों में "सम्पूर्ण आर्थिक जीवन में नियोजन की आवश्यकता होती है ... योजना बनाना किसी उद्देश्य से कार्य करना, चुनना है और चुनाव ही आर्थिक क्रिया का निबिड है।"¹ इसमें कोई सदेह नहीं कि नियोजन कार्य में एक लक्ष्य निर्धारित करता पड़ता है, देश के उपलब्ध साधनों को छाटना पड़ता है और प्रारम्भिक अवस्था में आर्थिक जीवन की अनेकों समस्याओं में से केवल कुछ ही समस्याओं को चुन कर उनका समाधान करने का प्रयत्न किया जाता है। मनुष्य का आर्थिक जीवन बड़ा ही जटिल है। अनन्त आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य को सीमित साधनों द्वारा करनी पड़ती है, उसे चुनाव की आवश्यकता होती है और नियोजन का सहारा लेना

पड़ता है क्योंकि साधनों को असंमित बनाना उसके पक्ष की बात नहीं और आवश्यकताओं को सीमित करने का काम केवल वह चुनाव द्वारा काँट-छाँट करके ही करता है। इसीलिए तो रॉबिन्स 'चुनाव को आर्थिक क्रिया का निचोड़' मानता है।¹ किन्तु रॉबिन्स की इस परिभाषा से आर्थिक नियोजन का असली रूप पता नहीं लगता। वास्तव में यह परिभाषा तनिक विस्तृत है। जिन लोगों को आर्थिक सिद्धान्तों का कुछ थोड़ा सा भी ज्ञान है उन लोगों के अनुसार नियोजन एक ऐसी विधि है जिसमें साधनानी तथा पूर्वनिश्चित केन्द्रीय नियन्त्रण द्वारा सामाजिक ढाँचे के रूप को बदलने का प्रयत्न किया जाता है और देश के प्राकृतिक साधनों का उपयोग पूर्वनिश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। नियोजन संस्था का मुख्य कर्तव्य यह होता है कि वह यह मालूम करे कि योजना के उद्देश्यों की पूर्ति अधिक से अधिक मितव्ययिता के साथ किस प्रकार की जा सकती है। रॉबिन्स की परिभाषा में यह त्रुटि है कि उन्होंने जिस अर्थ में नियोजन शब्द का प्रयोग किया है अधिकतर उसका प्रयोग इस अर्थ में होता नहीं है। यदि हम आर्थिक नियोजन का यह अर्थ लें तो सपुनितकरण, वैज्ञानिक प्रबन्ध इत्यादि भी नियोजन में ही सम्मिलित किये जा सकते हैं। रॉबिन्स का अभिप्राय व्यक्तिगत नियोजन से था परन्तु आर्थिक नियोजन का अर्थ सामूहिक एवं केन्द्रीय नियोजन से लिया जाता है। आजकाल मनुष्य के जीवन को सुखी बनाने के लिए तथा आर्थिक जीवन में स्थिरता लाने के लिए देश की अर्थ व्यवस्था के समस्त भागों में समन्वय स्थापित करना पड़ता है और उसमें बुनियादी परिवर्तन करने पड़ते हैं जो केवल केन्द्रीय नियोजन द्वारा ही सम्भव होता है।²

ल्यू लाविन के शब्दों में योजनायुक्त अर्थव्यवस्था, 'आर्थिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सारे व्यक्ति तथा अन्य यन्त्रादि, उपक्रम और उद्योग एक सम्पूर्ण व्यवस्था की समन्वित इकाइयाँ मानी जाती हैं, ताकि तमाम उपलब्ध साधनों का एक निश्चित अवधि के अन्दर किसी समुदाय की आवश्यकताओं की अधिकतम सतुष्टी करने के उद्देश्य से उपयोग किया जा सके। इसके मुख्य लक्षण यह हैं, प्रत्येक उत्पादक इकाई की सम्पूर्ण प्रणाली पर निर्भरता, उत्पादन तथा उपभोग का सन्तुलन और किसी ऐसे मिलान कराने वाले केन्द्र की उपस्थिति जो जानबूझ कर आर्थिक प्रणाली के उद्देश्यों को निश्चित करे और उसके अलग अलग तथा भिन्न भिन्न तत्वों का उचित उपयोग करने का निश्चय करे।'³

उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार आर्थिक नियोजन के तीन उद्देश्य होते हैं। प्रथम देश के सम्पूर्ण साधनों का अधिकतम उपयोग करना। दूसरे, उत्पत्ति तथा उपभोग के बीच सन्तुलन स्थापित करना और तीसरे, व्यक्तियों की आवश्यकताओं की अधिकतम सतुष्टि करने के लिए साधनों का उपयोग करना। जैसा कि उपर्युक्त परिभाषा में

2 A Ghosh, *New Horizons in Planning* Page 1

3 Lewis Lorwin, *Report of the Amsterdam Conference on World Social Planning*, Page 714.

खताया गया है आर्थिक नियोजन का कार्य केवल एक मिलान कर्म वाले केन्द्र द्वारा ही होता है, अर्थात् आर्थिक नियोजन के लिए एक केन्द्रीय सस्था का होना आवश्यक है।

डिकिनसन ने बड़े ही सुन्दर ढंग से आर्थिक नियोजन की विशेषताओं का उल्लेख किया है। वह कहते हैं कि, "आर्थिक नियोजन बड़े-बड़े आर्थिक निर्णयों का करना है—क्या और कितना उत्पन्न होना है, किस प्रकार, कब और कहाँ यह उत्पन्न होना है और इसका निर्धारण किसके लिए होना है—एक ऐसे निश्चय करने वाले पदाधिकारी के जाने वूके निर्णय के अनुसार होता है जो सम्पूर्ण प्रणाली की विस्तृत जाँच द्वारा निश्चित होता है।"⁴

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर आर्थिक नियोजन की विशेषताओं की गणना निम्न प्रकार की जा सकती है—

आर्थिक नियोजन की विशेषताएँ—(१) प्रथम, एक निश्चित नियोजन अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य है जो देश के विकास के सम्बन्ध में निश्चित निर्णय लेता है। यह अधिकारी या तो सरकार स्वयं हो सकती है या कोई अन्य मस्था, जिसको सरकार नियुक्त करदे। यह अधिकारी देश के सम्पूर्ण साधनों की जाँच पड़ताल करती है, विकास के लक्ष्यों को निर्धारित करता है और उनकी प्राप्ति के लिए विधि निश्चित करता है। नियोजन अधिकारी स्वतन्त्र या तानाशाही भी हो सकता है और इस पर ससद का नियन्त्रण भी हो सकता है।

(२) दूसरे, नियोजन अधिकारी जितने भी निर्णय लेता है वे नव सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की विस्तृत जाँच पर निर्भर होते हैं। यह सभी उपलब्ध साधनों की गणना करता है, सारी अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है और साधनों का बटवारा करते समय सारी अर्थव्यवस्था को दृष्टि में रखता है, अर्थात् यह किसी एक वर्ग विशेष को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य में कार्य नहीं करता।

(३) तीसरे, नियोजन अधिकारी विभिन्न साधनों को विभिन्न उपयोगों में बाँटते समय सचेत होकर बड़ी सावधानी से निर्णय लेता है, क्योंकि उसके द्वारा लिये गये निर्णयों के परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वास्तव में यह सच ही है कि, "नई प्रणाली तथा नई कला से जो कुछ प्राप्त करने के प्रयत्न किये जाते हैं वे उत्पादन की कुशलता, अर्थ व्यवस्था की स्थिरता और वितरण की न्यायशीलता है।"⁵ श्रीमती बारबरा ऊटन का भी यही कथन है कि नियोजन का अभिप्राय "किनी राजकीय पदाधिकारी द्वारा आर्थिक प्राथमिकताओं के जाने वूके तथा सचेत निपट", है।⁶

उपर्युक्त विवरण से आर्थिक नियोजन का अर्थ तथा उसके उद्देश्यों का भली भाँति स्पष्टीकरण हो गया होगा। चिन्तु प्रश्न यह है कि आर्थिक नियोजन की

4. *Economics of Socialism* Page 24

5. N S Subba Rao, *Some Aspects of Planning*, Page 5-

6. *Freedom under Planning*, Page 12

आवश्यकता क्यों होती है ?

आर्थिक नियोजन की आवश्यकता क्यों ?—१९ वीं शताब्दी के अन्त तक सारार में निर्वाधावादी नीति का बोलबाला था। लेनको का विचार था कि यदि व्यक्तियों की स्वतन्त्र छोड़ दिया जाये तो वह पूर्ण प्रतियोगिता तथा स्वयं हित के प्रभाव से अपने अपने पाथना का अधिकतम उपयोग करने का प्रयत्न करेंगे जिससे अन्त में अपने आप ही समाज के साधनों का अधिकतम उपयोग हो जायेगा। उनका विचार था कि अनियोजित अर्थव्यवस्था योजनाहीन नहीं होती। वास्तव में मूल्य यन्त्र के निर्देशन में उनमें नियोजन का अंश योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की अपेक्षा अधिक होता है। किन्तु उनके यह विचार बहुत अग्रिम दिनों तक म्यायी नहीं रह सके और विभिन्न आर्थिक घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि अनियोजित अर्थव्यवस्था में बहुत सी ऐसी विपणताओं को जन्म दिया है जिन से मनुष्य का आर्थिक जीवन पूर्ण रूप से अनिश्चित हो गया। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की व्यवस्था में प्रतियोगिता के कारण होने वाली अपव्ययिता पाई जाती है तथा निजी लाभ के कारण देश के साधनों का अधिकतम उपयोग भी नहीं होता क्योंकि माधन ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में लगाये जाते हैं जिनसे सामान्य हित में वृद्धि न होकर केवल अपव्ययित हित ही अग्रसर होता है। इनके अतिरिक्त इस प्रणाली में धन का वितरण असमान होता है आर्थिक अस्थिरता आती है और एकाधिकारियों को जड़ मिलता है। हम इस शताब्दी के आरम्भ के तीस वर्षों में मदीकाल के कठोर परिणामों को देख ही चुके हैं। अतः इन सब दोषों को दूर करने के लिये नियोजन ही एकाग्र अर्थ है।

आर्थिक नियोजन के ढङ्ग—नियोजन का कार्य या तो नियोजन अधिकारी के निर्देशनों के अन्तर्गत हो सकता है या नियोजन अधिकारी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए व्यक्तियों में सहयोग प्रदान करने की रुचि उत्पन्न करके किया जा सकता है। निर्देशन द्वारा नियोजन में नियोजन अधिकारी उत्पादन के लक्ष्यों को निर्धारित करने के पदनात व्यक्तियों को निश्चित विधि में अनुसार काम करने का आदेश देता है या उनको कुछ विशेष क्रियाओं को करने से रोकता है अर्थात् ऐसी क्रियाओं जिनसे लक्ष्य की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होने का डर होता है। उदाहरणार्थ नियोजन अधिकारी आयात तथा निर्यात पर नियन्त्रण लगा सकता है कुछ विशेष वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण पर प्रतिबन्ध लगा सकता है वस्तुओं के मूल्य तथा गुणों को नियन्त्रित कर सकता है, केन्द्रीय बैंक को नोट प्रकाशित करने की नीति को निश्चित कर सकता है विदेशी विनिमय सम्बन्धी नियन्त्रण लगा सकता है इत्यादि। सारास में वह व्यक्तियों की उन सारी क्रियाओं को नियन्त्रित कर सकता है जिनमें अर्थव्यवस्था में हानि पहुँचने की आशा होती है और साथ ही वह साधनों को विभिन्न उद्योगों तथा व्यवसायों में बाँट देता है और व्यक्तियों को उसके द्वारा निर्धारित उपयोगों में ही साधनों का प्रयोग करना पड़ता है।

किन्तु निर्देशन द्वारा नियोजन का कार्य सरल नहीं होता। इसमें अनेकों

कठिनाईयाँ उत्पन्न होती हैं। प्रथम इस प्रकार का नियोजन तानाशाही को जन्म देता है। अधिकारीगण सभी दिनाम्नो में अपना रौब जमाने का प्रयत्न करते हैं। व्यक्तियों की स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है। क्योंकि ससद किसी प्रकार से भी नियोजन अधिकारी ने कार्यों पर बड़ी निगाह नहीं रख सकती है और इस प्रकार ऐसे नियोजन में ऐसे निर्णय लिये जाते हैं जिनसे कभी कभी व्यक्तियों का अहित भी हो जाता है। दूसरे, ऐसे नियोजन में एक विलग्नल निश्चित एव सही निश्चय की आवश्यकता होती है ताकि यह तय किया जा सके कि विभिन्न साधनों का उपयोग किस प्रकार किया जायेगा। किन्तु ऐसी सही और सम्पूर्ण गणना कठिन ही नहीं बरन् असम्भव है, क्योंकि एक ही साधन कई उपयोगों में रखा जा सकता है और साधन विशेष के विभिन्न उपयोग वातावरण तथा परिस्थितियों के अनुसार निश्चय होते रहते हैं। तीसरे, यदि किसी एक निश्चय समय में यह गणना सम्भव भी हो तो परिस्थितियों के परिवर्तनों से उमय गड़बड़ी उत्पन्न हो जायेगी। प्राकृतिक आपत्तियाँ तो बड़े से बड़े निश्चय को समाप्त कर देती हैं। उदाहरणार्थ यदि किसी देश में अनाज का इनना भण्डार जमा कर लिया है कि जनगण्य की आवश्यकताओं को देखने हुए वह कई वर्षों के लिय काफी होगा किन्तु यदि किसी एक वर्ष में बाढ़ आ जाने के कारण या सूखा पड़ जाने के कारण या भूचाल आ जाने के कारण अनाज का वह भण्डार जितने वर्षों के लिय पर्याप्त था उतने समय में लिये अब पुरा नहीं हो पायगा और यह स्पष्ट ही है कि नियोजन अधिकारियों के समस्त निर्णयों पर इनका बुरा प्रभाव पड़ेगा। चौथी कठिनाई इन प्रकार के नियोजन में यह होती है कि क्योंकि देश के सभी भागों का विचार एक दूसरे से सम्बन्धित होता है और उत्पादन के विभिन्न लक्ष्य भी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और किसी एक क्षेत्र में मशीन बनाने का अभिप्राय वह होगा कि सभी क्षेत्रों में मशीन बनाने लिये इस लिये नियोजन अधिकारियों सर्वे ही इस बात का प्रयत्न करना है कि योजना के किसी भाग में भी कोई परिवर्तन न किया जाये, और वह इन ओर लिये जाने वाले प्रत्येक प्रयत्न का विरोध करता रहता है चाहे योजना का मशीन बनाने के हित ही में क्यों न हो। इस प्रकार के नियोजन की अन्तिम कठिनाई यह है कि योजना को बनाने तथा कार्यान्वित करने के लिये एक बहुत बड़े संगठन की आवश्यकता होती है। ऐसा संगठन महंगा भी होता है और अपव्ययी भी। इसका सम्पूर्ण नियन्त्रण सम्भव नहीं होता और संगठन के विभिन्न भागों में समन्वय भी स्थापित नहीं हो पाता।

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं दूसरे प्रकार के नियोजन में नियोजन अधिकारी व्यक्तियों को समझा बुझा कर या अपनी कर सम्बन्धी तथा वित्तीय और मूल्य सम्बन्धी नीतियों से व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से इस बात के लिये विवश कर देता है कि वे उसी प्रकार काम करें जैसा कि नियोजन अधिकारियों चाहता है। उत्पादन तथा उपयोग को बहुत सीमा तक करारोपण तथा राजकीय व्यय द्वारा प्रभावित

किया जा सकता है। जिन उद्योगों को सरकार प्रोत्साहित करना चाहती है उनकी वस्तुओं को कर मुक्त कर सकती है या उनको आर्थिक सहायता दे सकती है या शरक्षण प्रदान कर सकती है और जिन वस्तुओं के उत्पादन को वह कम करना चाहती है उन पर वह कर लगा सकती है या उनको प्रदान की गई कर सम्बन्धी रिश्तापत्रों को समाप्त कर सकती है। सरकार किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिये स्वयं भी उद्योग में भाग ले सकती है। इसी प्रकार सरकार अपने मौद्रिक नीति से देश में उत्पादन तथा व्यापार की क्रियाओं को बढ़ावा दे सकती है या शिथिल कर सकती है। मूल्य प्रणाली में उचित परिवर्तन करके सरकार अपनी इच्छानुसार देश में व्यक्तियों की क्रियाओं की दिशाओं को निर्धारित कर सकती है। किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि व्यक्तियों को सभ्रमा बुझा कर नियोजन करने का बाय प्रत्येक अवस्था में सफल हो जाता है। इस प्रकार के नियोजन के मार्ग में भी अनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। प्रथम, इन प्रकार का नियोजन देश की आवश्यकताओं तथा वस्तुओं की पूर्ति के बीच समायोजन स्थापित करने में असमर्थ रहता है और इसलिये किसी न किसी प्रकार की कमी या आधिक्य उपस्थित रहता है। दूसरे, उत्पत्ति के साधनों की इतनी कम गतिशीलता होती है कि केवल संग्रहाने बन्धाने से ही उनमें आवश्यक परिवर्तन उत्पन्न नहीं किये जा सकते। तीसरे गन्तव्यों की प्रकृति ही कुछ ऐसी होती है कि यदि कुछ आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति कम है तो व्यक्ति को उन वस्तुओं के उपभोग को कम करने के लिये केवल समझाना बुझाना ही काफी नहीं होता। अन्त में, आवश्यकता से अधिक करारोपण देश में व्यक्तियों की बचत करने तथा कार्य करने को शक्ति एवं इच्छा पर बुरा प्रभाव डाल सकता है और इसी प्रकार अनुचित मौद्रिक उपायों से देश में मुद्रा स्थिति तथा मुद्रा संचयन उत्पन्न होने का भय होता है।

अतः स्पष्ट है कि व्यावहारिक जीवन में दोना ही प्रकार के नियोजन अपने अपने स्थान पर अकेले ही सफल नहीं हो सकते। किसी क्षेत्र में व्यक्तियों को समझा बुझा कर लक्ष्यों की पूर्ति की जा सकती है और किसी क्षेत्र में व्यक्तियों को आदेश देकर और दबाव डाल कर सहयोग प्रदान करने के लिये वाध्य किया जा सकता है। इसलिये आवश्यक यह है कि दोनों ही प्रकार के नियोजनों का प्रयोग किया जाये। नियोजन काल में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पहले प्रकार की विधि अपनाई जाये और कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहाँ दबाव की आवश्यकता नहीं है दूसरी विधि का प्रयोग किया जाये। लिथिडस का कहना है कि साधारण परिस्थितियों में नियोजन का प्रमुख अर्थ बजट होना चाहिये। किन्तु, 'प्रगतिशीलताओं के कारण कार्य व्यवस्था के उन सभी भागों में नियन्त्रणों का उपयोग करना होगा जहाँ पर मांग तथा पूर्ति के बीच असन्तुलन है।'"

आर्थिक नियोजन के विभिन्न रूप—आर्थिक नियोजन के दो रूप होते हैं एक तो साम्यवादी नियोजन और दूसरा प्रजातन्त्रीय नियोजन। साम्यवादी नियोजन के

अन्तर्गत एक साम्यवादी अर्थ व्यवस्था स्थापित करने के लिये नियोजन किया जाता है और प्रजातन्त्र स्थापित करने के लिये जो नियोजन कार्य किया जाता है वह पूर्णरूप से प्रजातन्त्रीय सिद्धान्तों के अनुसार होता है। साम्यवादी नियोजन में सरकार का, उत्पादन, उपभोग, वितरण आदि सभी क्षेत्रों में स्वामित्व होता है। दूसरी ओर प्रजातन्त्रीय नियोजन में योजना के बनाने, उसकी कार्यान्वित करने, लक्ष्यों को निर्धारित करने आदि सभी काम जनता की सलाह तथा परामर्श से किया जाता है। साम्यवादी रूस ने साम्यवादी नियोजन को सर्वप्रथम अपनाया था। सोवियत नियोजित अर्थ व्यवस्था में व्यक्तिगत जीवन पर कड़े नियन्त्रण लगा दिये गये और व्यक्तिगत क्रियाओं पर सरकारी नियमों का एक जाल सा बिछा दिया गया था। निजी उपक्रमों तथा स्वतन्त्र बाजार प्रणालियों को पूर्णतः कुचल दिया गया था। रूसी नियोजकों का मुख्य उद्देश्य अर्थ व्यवस्था में शीघ्र ही भारी परिवर्तन उत्पन्न करना था और विकास कार्यक्रम को तीव्र गति से सम्पन्न करना था, इसलिये उन्होंने अपनी दृष्टि केवल पूँजीगत वस्तुओं, मशीनों आदि पर ही केन्द्रित की और उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। रूसी जनता को अपना स्तर कम करने के लिये विवश किया गया और अनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ जनता को सहन करनी पड़ी। इस प्रकार रूसी साम्यवादी नियोजन में जनता की अन्तर्द्वेषा कराह उठी थी और आर्थिक विकास की वेदी पर जनता के गुल और उसकी स्वतन्त्रता की बलि चढ़ गई थी। साम्यवादी नियोजित अर्थ व्यवस्था की विशेषतायें मक्षेप में इस प्रकार हैं—प्रथम, देश के समस्त माधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार उनका उपयोग अपने आप ही निर्धारित किये हुये उद्देश्यों की पूर्ति के लिये करती है। दूसरे, ऐसी अर्थ व्यवस्था में निजी उपक्रम का कोई भी स्थान नहीं होता, तीसरे, नियोजन कार्य सरकार के निर्देशन के अनुसार किया जाता है। यद्यपि इसमें व्यक्तियों को समझा बुझा कर लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है किन्तु समझाने बुझाने का महत्त्व बहुत ही कम होता है।

साम्यवादी नियोजन के बिल्कुल विपरीत प्रजातन्त्रीय नियोजन होता है। इस के दो रूप होते हैं, एक तो पूँजीवादी आर्थिक नियोजन और दूसरा अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों में अपनाया गया था। अमेरिका में नियोजन कार्य मुख्य रूप से सन् १९३० के महान अवसाद की बुराइयों को दूर करने के लिये किया गया था और इंग्लैंड में दूसरे महायुद्ध के बाद इंग्लैंड की अर्थ-व्यवस्था के पुनर्निर्माण के हेतु आर्थिक नियोजन का सहारा लिया गया था। जर्मनी और इटली में भी इसी प्रकार का नियोजन किया गया था, किन्तु वह अधिक विस्तृत था। ऐसे नियोजन कार्य में व्यक्तियों की निजी क्रियाओं को नियमित किया जाता है और जानबूझ कर आर्थिक सम्बन्धों की व्यवस्था की जाती है। यह व्यवस्था स्वतन्त्र प्रतियोगिता और निजी उपक्रम पर आधारित की जाती है। इस प्रकार के प्रजातन्त्रीय नियोजन से अपतितों को आर्थिक दशा भी सुधर जाती है, रोजगार के नये अवसर भी प्राप्त होते हैं,

व्यक्तियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है और उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। विन्तु इसमें व्यक्तियों के सामाजिक सम्बन्धा में कोई हेरफेर नहीं होते हैं और न व्यक्तियों में कोई अशान्ति ही उत्पन्न होती है। वास्तव में इस प्रकार की अर्थ व्यवस्था को मही अर्थ में नियोजित अर्थ व्यवस्था नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार केवल कुछ ही चीजों में हस्तक्षेप करती है और बाकी सब सब व्यक्तियों के स्वतन्त्रता बनी रहती है। इटली और जर्मनी में नियोजित पूंजीवाद को जन्म दिया गया था। इसमें आर्थिक नियोजन का अर्थ अमेरिका और इंग्लैंड की अपेक्षा अधिक था। उत्पत्ति के साधनों पर अत्यधिक नियंत्रण रहने हुए भी उत्पादन, मूल्य निर्धारण, व्यापार, मंडल में सम्पूर्ण आर्थिक जीवन पर सरकार का नियंत्रण था और सभी क्रियाएँ सरकार के निर्देशन में की जाती थी।

दूसरे प्रकार का प्रजातन्त्रीय नियोजन पहले की अपेक्षा अधिक विस्तृत और अधिक केन्द्रीय होता है। वास्तव में यह साम्यवादी नियोजन और पहले प्रकार के प्रजातन्त्रीय नियोजन में बीच की व्यवस्था हानी है और यह सब विकसित देशों की प्रजातन्त्रीय सरकार के लिये सबसे उपयुक्त विधि होती है। पिछड़े हुए देशों की सरकार द्वारा इस विधि को अपनाने का अभिप्राय यह होगा कि सरकार का कल्याण राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना है और यह निर्दिष्ट करना है कि बची हुई राष्ट्रीय आय का उपयोग उपभोग के लिये न होकर निवेश के लिये किया जाता है। किन्तु यदि सरकार वास्तव में प्रजातन्त्रीय है तो यह लगभग असम्भव होगा कि वह देश का आर्थिक विकास तेजी से करने के लिये उपभोग को निम्नतम सीमा पर स्थिर कर दे। प्रजातन्त्रीय नियोजन में जनता की भलाई एवं कल्याण का विशेष महत्व होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि विकास और कल्याण के उद्देश्यों में एक ऐसा समन्वय स्थापित किया जाये कि दोनों की उत्पत्ति होती रहे। वास्तव में भारतीय आर्थिक नियोजन में यही विधि अपनाई गई है। भारत जैसे पिछड़े हुए देश की जनता के कल्याण एवं देश के विकास के लिए साधनों का अप्रत्याशित उपयोग की ओर लिये गये समुचित एवं केन्द्रीय नियोजन के कार्यों के उत्तम उदाहरण, भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ हैं। दूसरी योजना में भारी उद्योगों का साथ साथ छोटे उद्योगों का भी विकास किया जा रहा है। भारी उद्योगों में मशीनरी का उत्पादन बढ़ेगा जो देश के भारी उद्योगीकरण के लिये नितान्त आवश्यक है। छोटे उद्योगों से, दूसरी ओर घरेलू जीवन की आवश्यक उपभोग की वस्तुएँ प्राप्त होंगी। देश की अर्थ-व्यवस्था के विकास के कार्यों को दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है। सरकारी तथा निजी। भारत की अर्थ-व्यवस्था में इस प्रकार निजी उपक्रम को भी उचित स्थान दिया गया है। सरकारी क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण विकास की योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। भारत के आर्थिक नियोजन में निजी उपक्रम तथा राजकीय उपक्रम एक दूसरे से कंधा मिला कर देश का विकास कर रहे हैं और इस प्रकार भारत में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था (Mixed Economy) की स्थापना की जा

रही है। इस प्रकार के आर्थिक नियोजन में समझाने और बुझाने तथा सरकारी निर्देशन, दोनों ही नियोजन विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार का नियोजन सही अर्थ में प्रजातन्त्रीय नियोजन कहलाना चाहिये, क्योंकि निजी उपक्रम की उपस्थिति से एक तो राज्य के आतंक का अत्यधिक प्रसार नहीं होने पाता और दूसरे नियोजन कार्य पर संसद का पूरा नियंत्रण भी रहना है।

कुछ लोगों की आर्थिक नियोजन की सफलता के विषय में संदेह रहा है। इन लोगों का विश्वास है कि निजी उपक्रम तथा मूल्य नियन्त्रण के सफल संचालन के अभाव में देश के साधना का अधिकतम उपयोग नहीं हो पाता और उत्पादन कार्य भी विवेकमालता व आधार पर नहीं किया जाता। किन्तु नियोजन की सफलताओं न यह सिद्ध कर दिया है कि स्वतन्त्र मूल्य प्रणाली नियोजन की सफलता के लिये आवश्यक नहीं होती। यह अवश्य है कि मूल्य निर्धारण इतना स्वतन्त्र रूप से स्वयं संचालित नहीं होता जितना कि अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में होता है। किन्तु वस्तुधा की माँग एवं पूर्ति में समन्वय स्थापित करने मूल्यों में समायोजन स्थापित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों को नियोजित अर्थ-व्यवस्था के विरुद्ध एक यह भी आपत्ति है कि इसमें व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का कोई भी स्थान नहीं होता। किन्तु इन सम्बन्ध में यह ध्यान देने की बात है कि नियोजन के आलोचक स्वतन्त्रता शब्द का प्रयोग किम अर्थ में करते हैं। यदि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अर्थ अपने वस्तुओं का पालन न करके केवल अपने अधिकारों की माँग ही करते रहना है चाहे इससे समाज की कितनी ही हानि होनी रहे तो सच है कि ऐसी स्वतन्त्रता नियोजित अर्थ-व्यवस्था में व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होती। किन्तु प्रजातन्त्रीय नियोजन में तो सभी प्रकार की स्वतन्त्रताएँ प्राप्त होती हैं जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दृष्टिकोण से किसी भी मनुष्य को प्राप्त होनी चाहिये, जैसे राजनैतिक क्षेत्र में मतदान करने, सरकार की आलोचना करने और यहाँ तक कि सरकार को बदलने की स्वतन्त्रता, नागरिकता के क्षेत्र में न्याय प्राप्त करने की स्वतन्त्रता, सम्पत्ता के क्षेत्र में अपना जीवन जिस ढंग से मनुष्य चाहे व्यतीत करने की स्वतन्त्रता और आर्थिक क्षेत्र में उपभोग, उत्पादन तथा व्यवसायों को चुनने की स्वतन्त्रता होती है। वास्तव में आर्थिक नियोजन के आलोचकों के मस्तिष्क में केवल साम्यवादी आर्थिक नियोजन की विरोधार्थ ही है। उन्होंने प्रजातन्त्रीय नियोजन के गुणों की ओर विस्तृत भी ध्यान नहीं दिया। साम्यवादी नियोजन में तो यह सच है कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पूर्णतया समाप्त हो जाती है और यह भी सच है कि आर्थिक नियोजन स्वयं ही कुछ न कुछ प्रतिबन्धों की लहर चलाता है, क्योंकि आर्थिक नियोजन में प्राथमिक रूप से देश के आर्थिक जीवन को नियमित करना पड़ता है जिनका अभिप्राय यह हुआ कि व्यक्तियों की क्रियाओं पर थोड़े बहुत प्रतिबन्ध याजना को सफल बनाने के लिये अवश्य ही लागू करने पड़ेंगे। किन्तु नियोजन का अन्तिम तथा प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तियों को आर्थिक तथा राजनैतिक स्वतन्त्रता प्रदान करना

भी हो सकता है। आर्थिक नियोजन के लाभ और दोष, वास्तव में व्यक्तियों के अपने स्वभाव और प्रकृति पर निर्भर करते हैं। यदि व्यक्ति बुद्धिमान है और नियोजन कार्य की कठिनाइयों की स्वच्छता से सहन करते चले जाते हैं और अपना सहयोग देते हैं तो अन्त में नियोजन कार्य की समाप्ति के बाद बहुत अधिक मात्रा में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्राप्त होगी।^१

अर्ध-विकसित देशों में आर्थिक नियोजन की समस्यायें

(Problems of Economic
Planning in Under-
developed Countries)

अर्ध-विकसित देश का अर्थ—

अर्ध-विकसित क्षेत्र या देश की सही परिभाषा करना एक कठिन कार्य है। सच तो यह है कि 'विकास' सम्बन्धी विचार १९वीं शताब्दी की पाश्चात्य विचार-धारा का देन है। इससे पहले यह शब्द आर्थिक स्थिति के सदर्भ में कभी भी उपयोग नहीं हुआ था। देखा जाये तो विकसित तथा अविकसित क्षेत्रों में भेद करना सरल नहीं है। पुराने समय में या यूँ कहियें कि पिछली शताब्दी में जो देश पाश्चात्य देशों की बस्तियाँ (Colonies) थीं, जहाँ के आर्थिक साधन शासक देश के हित के लिये उपयोग किये जाते थे, वे ही देश पिछड़े हुये, या अविकसित या अर्ध-विकसित देशों के नाम से पुकारे जाते हैं।¹ पाश्चात्य देश तो अपना विकास करते ही रहें किन्तु उनके आधीन देश जिन्होंने वे 'कालोनी' के नाम से पुकारते थे, जब स्वतन्त्र हुये तो वे अपने शासक देशों की तुलना में सच में ही अविकसित या अर्ध-विकसित क्षेत्र हैं। अतः विकसित देशों का अभिप्राय पाश्चात्य देशों से लेना चाहिए और अविकसित देशों का अभिप्राय उस को छोड़कर अन्य देशों से लेना चाहिए। पाश्चात्य देशों की कुछ अपनी विशेषतायें होती हैं।² जैसे, वहाँ पर व्यक्तित्ववाद का प्रभुत्व है, किन्तु उसमें विवेकशीलता है। प्राणी सामाजिक परम्पराओं या पूर्वजों के कार्यों से बंधा हुआ नहीं होता। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यह पहला पग बढ़ाने के लिए स्वतन्त्र होता है और मार्ग में जो कठिनाईयाँ घाती हैं उन्हें वह स्वयं सोच समझ कर दूर करने का प्रयत्न करता है और सफल होता है। दूसरी आवश्यकतात्मक घटना यह हुई कि वहाँ के व्यक्तियों ने यन्त्र विज्ञान (technology) में बहुत उन्नति कर ली है, प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है और उनमें इतनी यन्त्रात्मक सामर्थ्य है कि वे अपने साधनों को ऐसे सापेक्ष उपलब्ध कर सकें ताकि वे धनी और धनी होते

1 Cf. Phillips Ruopp, *Approaches to Community Development*, Page 61.

2. *Ibid*, Page 64.

जायें। यह सब सामग्य उनमें केवल विज्ञान की उन्नति के कारण ही आई है, जो पाश्चात्य सभ्यता का ही एक अंग है। पाश्चात्य वातावरण एव सभ्यता से अलग हट कर उतका वैज्ञानिक ज्ञान पूर्णतया समझ में नहीं आ सकता।³ अन्त में पाश्चात्य देशों ने आगे बढ़कर लगभग सभी देशों के मामलों में अपने धन, ज्ञान, अपनी शक्ति से हस्तक्षेप करने का प्रयत्न किया है। इसके बड़े ही महत्वपूर्ण परिणाम दृष्टिगोचर हुये हैं। सब तो यह है कि अर्ध-विकसित देशों की विशेषताओं का उल्लेख ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी मुख्य विशेषताओं का पता लगाना कठिन है, क्योंकि इनकी संस्कृति के तमूने इतने विविध हैं कि किसी एक को सारे क्षेत्र का प्रतिनिधि नहीं कह सकते। पाश्चात्य तथा गैर-पाश्चात्य देशों में एक अन्तर यह है कि जब कि पहले देशों में व्यक्ति समाज पर निर्भर रहते हुए भी अलग और स्वतन्त्र होता है, दूसरे देशों में व्यक्ति पर समाज का प्रभुत्व होता है। राज्य और ज्ञान प्रबन्ध मूल्यतया देश के रीति रिवाज और जाति प्रथा पर निर्भर करता है। न्याय सम्बन्धी निर्णय तथा कानून बनाने में ज्ञान तथा अनुभव की आवश्यकता नहीं होती। ये सब निर्णय तुरन्त ही ले लिये जाते हैं।⁴ गैर पाश्चात्य देशों में दर्शन शास्त्र की विशेष प्रगति हुई है। विज्ञान और यन्त्र कला की उन्नति पाश्चात्य देशों की भाँति नहीं हुई है और जो कुछ उन्नति हुई है वह वहाँ के वातावरण और संस्कृति की देखने हुए सराहनीय है, किन्तु वह पूर्व स्थित व्यवस्था को ही बनाये रखने के लिये काफी है। वह नई बातों को जन्म नहीं दे सकती और न नव विचारों को स्वीकार ही कर सकती है। फिर भी यह नहीं कह सकते कि ये सारी विशेषतायें सभी गैर पाश्चात्य देशों में सामान्य रूप में पाई जाती हैं। वास्तव में यह सब विशेषतायें सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोण के अनुसार हैं। अधिक विकसित तथा अर्धविकसित देशों के बीच भेद करना यद्यपि सरल नहीं होता फिर भी सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोण की अपेक्षा सरल होगा है। अर्धविकसित या अर्ध विकसित देशों में राष्ट्रीय आय बहुत कम होती है, जीवन-स्तर बहुत गिरा हुआ होता है, पूजा निर्माण बहुत धीमा और व्यापार तथा उद्योग की अवस्था बहुत पिछड़ी हुई होती है और अधिकतर विदेशों पर निर्भरता रहती है। हम इन्हीं आधारों पर विकसित तथा अर्धविकसित देशों में की गई तुलना का उत्तेल यहाँ पर करेंगे। सन १९४७ में समुक्त राज्य अमेरिका में अन्तर्राष्ट्रीय भौतिक तथा वित्तीय समस्याओं पर (National Advisory Council) 'नेशनल एडवाइजरी काउन्सिल' ने सन् १९३६ के आधार पर ५३ देशों की, जिसमें संसार की ८५% जनसंख्या थी, प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन किया था। काउन्सिल ने ५३ देशों को तीन मोटे वर्गों में विभाजित किया था। पहले वर्ग में समुक्त राज्य, जर्मनी, फ्रांस और यू० के० थे जहाँ पर औसत प्रति व्यक्ति आय \$ २०० अर्थात् १००० रुपये के लगभग थी। दूसरे वर्ग में अर्ध विकसित देश थे जैसे दक्षिणी अफ्रीका की यूनियन, फिनलैंड, आस्ट्रिया, इटली, यूगाना, जिनकी औसत

3 Ibid, Page 66.

4 Ibid, Page 72.

क्योंकि उद्योग और व्यापार कुछ थोड़े से ही व्यक्तियों के हाथों में रहते हैं। एक निरन्तर बढ़ती हुई अर्थ व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि नये विनियोगों का क्षेत्र निरन्तर बढ़ता ही रहे और चक्र कभी बीच में नहीं टूटे। नये विनियोगों ने नई नई वस्तुओं का उत्पादन होगा और नये नये कर्तों का विकास होगा। अम तथा पूँजी की गतिशीलता में वृद्धि होगी, पूँजी का निर्माण होगा और देश में बेरोजगारी कम होगी। किन्तु भारत जैसे देश में जाति प्रथा की बुराइयों के कारण आर्थिक विकास की गति बहुत ही धीमी हुई है, और सच तो यह है कि हमने आर्थिक विकास की क्रियाओं का गला ही थोटा दिया है। वास्तव में जाति प्रथा से मनुष्य का दृष्टिकोण बहुत ही संकीर्ण हो गया है। वह हर समय हर विषय में अपनी जाति से ही सम्बन्धित बातों का ध्यान रखता है। वह अपने देश और सारे ससार के आर्थिक उत्थान की ओर ध्यान ही नहीं देता और न उन पुराने रीति-रिवाजों की कँद से बाहर निकलना चाहता है। जाति प्रथा की भाँति मयूकत परिवार प्रणाली ने भी भारत के आर्थिक विकास में अनेकों कठिनाइयाँ उत्पन्न की हैं। मयूकत परिवार प्रणाली में, क्योंकि प्रत्येक सदस्य भोजन तथा कपड़े के विषय में निश्चित रहता है इसलिए वह आलसी हो जाता है उसमें जोशिम सहन करने की शक्ति समाप्त हो जाती है और उसे काम करने के लिए कोई भी प्रेरणा नहीं मिलती है। व्यक्तियों का दृष्टिकोण भी संकीर्ण रहता है क्योंकि वे घर में पड़े-पड़े ठलुआ जीवन व्यतीत करते रहते हैं। इस प्रकार मयूकत परिवार से भी श्रमिकों की गतिशीलता बहुत सीमित रही है और पूँजी निर्माण भी बहुत कम हुआ है।

दक्षिणी पूर्वी एशिया के अधिकांश देश कृषि प्रधान हैं जनसंख्या तीव्र गति में बढ़ती जा रही है और भूमि पर जनसंख्या का भार भी दिन प्रति दिन अधिक होता जा रहा है। परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति उपज कम होती जा रही है। व्यक्ति इस अवस्था में ही नहीं है कि वह कुछ जमा कर सके और अपना जीवन स्तर ऊँचा कर सके। इन देशों की जन्म दर भी अधिक होने के कारण सामाजिक और आर्थिक उत्थान की भारी योजनाएँ बेकार हो जाती हैं। बिना उत्पात्ति में वृद्धि किये कितनी भी देश में व्यक्तियों का जीवन-स्तर ऊँचा नहीं हो सकता और साथ ही यदि उत्पादन जनसंख्या की तुलना में तीव्र गति में नहीं बढ़ रहा है तो भी देश के आर्थिक विकास की गति धीमी रहेगी। इसलिए दक्षिणी-पूर्वी एशिया के देशों की मुख्य समस्या, सामाजिक दृष्टिकोण से यह भी है, कि जनसंख्या वृद्धि को नियन्त्रित किया जाय और श्रमिकों की गतिशीलता में बाधा उत्पन्न करने वाले कारकों को समाप्त किया जाय।

(२) राजनैतिक कारण—किसी भी देश की सामाजिक परिस्थितियाँ वहाँ की राजनैतिक परिस्थितियाँ पर निर्भर करती हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि अर्धविकसित देशों में ये अधिकांश देश पहले विकसित देशों की कालोनीय थीं, जिनमें शासक देशों ने सरकार स्थापित कर रखी थी। यह सरकारें जनता के मर पर बिना उनकी इच्छा के शासक देशों ने स्थापित कर दी थी, अर्थात् ऐसी सरकारों की स्थापना प्रजातन्त्रीय शक्तियों द्वारा नहीं हुई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि

इन देशों में व्यापार और वाणिज्य ही प्रमुख व्यवसाय थे जिन्हें व्यक्तिगतों ने अपनाया था। इन व्यवसायों को अपनाते का मुख्य कारण यह था कि इनसे लाभ की प्राप्ति शीघ्र ही होती थी। किन्तु दुर्भाग्य यह था कि न तो जनता ही ने और न सरकार ने ही अपने लाभों को उन योजनाओं पर खर्च किया जिनसे स्थानीय जनता का कल्याण हो सकता। अधिकतर लाभ कमाने वाले व्यक्तियों की सख्या बहुत थोड़ी ही थी। धनी व्यक्तियों के पास राजनीतिक और आर्थिक शक्तें ही प्रकार की सत्ता थी। निर्धन व्यक्ति तो केवल जीवित थे। धीरे-धीरे इन मनुष्यों में देश प्रेम और राष्ट्रियता की भावना उत्पन्न हुई और इन्होंने स्वतन्त्रता महामा वडा और स्वतन्त्रता प्राप्त की। अभी इन देशों का स्वतन्त्रता प्राप्त किये अधिक समय नहीं हुआ है और इनमें आज भी थोड़े बहुत श्रम में धरी बिन्हु दीखते हैं जो उन समय थे जबकि वह दासता की चेड़ियों में जकड़े हुए थे। जैसे-जैसे दासता की छाप मिटती जायगी इन देशों की उन्नति होती जायगी।

(३) आर्थिक कारण—किसी भी अविश्वसित देश का एक बड़ा लक्षण यह भी है कि वहाँ पर उत्पादन व्यक्तियों की आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम होता है। परिणामस्वरूप व्यक्तियों का जीवन स्तर बहुत नीचा रहता है और मुख्य ऊँचे होने के साथ-साथ वस्तुओं की पूर्ण के लिये अधिकतर विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि अर्थिकमत्त देशों में आर्थिक कल्याण में वृद्धि करनी है तो यह आवश्यक है कि उत्पादन इतना किया जाय जो व्यक्तियों की भूतम आवश्यकताओं में अधिक हो। इनलिम ऐसे देशों के आर्थिक विकास की प्रमुख समस्या यह है कि उत्पादन में वृद्धि की जाय और एक क्षेत्र के सभी भागों का आर्थिक विकास समान है। परन्तु प्रश्न यह है कि उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार की जाय? क्योंकि जब पूँजी और भूमि की अपेक्षा श्रमिकों की संख्या अधिक होती है तो प्रति व्यक्ति कम उत्पादन होना स्वाभाविक ही है। हमारे देश की भी यही स्थिति है। उत्पत्ति के अन्य साधनों की अपेक्षा श्रमिकों की संख्या अधिक होती जा रही है इसीलिये जीवन स्तर भी गिरता जा रहा है। बच्चों भी इंग्लिसिमे निम्न स्तर पर हैं और केवल वही व्यक्ति सर्व सम्पन्न हैं जो व्यापार और उद्योग में भाग ले रहे हैं। परन्तु इनकी संख्या बहुत थोड़ी होने के कारण धन की असमानताएँ काफी कठोर हैं। स्पष्ट है कि अर्थ-विकसित देशों के आर्थिक विकास के लिये सबसे पहली शर्त यह है कि इनकी सामाजिक दशाएँ उन्नत की जायँ और बढ़ती हुई शक्त का उपयोग करने के लिये उचित व्यवस्था की जायँ। यत्र नव लक्ष्य उसी समय पूरे हो सकते हैं जबकि सम्पूर्ण देश के विकास के लिये एक समुचित योजना तैयार की जाय या आर्थिक नियोजन का एक समुचित तथा विस्तृत कार्य क्रम आरम्भ किया जाय। अर्थ-विकसित देशों में जनसंख्या के बढ़ने के कारण देश में साधनों का सप्रभातिक उपयोग केवल आर्थिक नियोजन द्वारा ही सम्भव हो सकता है। नियोजन अधिकारी ही देश के साधनों को ध्यान में रख कर देश के विकास के लिये एक समुचित योजना का निर्माण कर सकता है।

हम पिछले अध्याय में यह बताना चुके हैं कि आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य साधनों का अधिकतम उपयोग करके जीवन स्तर को जैसा उद्यम्य है। किन्तु यह केवल औद्योगीकरण, कृषि के आधुनिकीकरण या मन्त्रीकरण या वस्तुओं के विक्रय के लिये विस्तृत बाजार उत्पन्न करके ही प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इन सबके लिये एक उचित वातावरण का होना आवश्यक है। अन्य बातों के साथ-साथ देश की कर प्रणाली, मुद्रा प्रणाली और साख प्रणाली उचित होनी चाहिये और देश में व्यव प्रणाली भी सुव्यवस्थित होनी चाहिये, और यह सब वानें एक रक्षितशाली सरकार ही प्रदान कर सकती है। अर्ध-विकसित देशों में केवल सरकार ही व्यक्तियों को आधुनिक सेवाएँ प्रदान कर सकता है। अधिकतर अर्धविकसित देशों में यातायात के माधन अग्रगण्य है और प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधाएँ बहुत कम हैं। यातायात के माधना के अभाव में बाजार का विस्तार अत्यन्त सीमित होता है और इसलिये उत्पादन में विविष्टीकरण तथा थम विभाजन के पूरे लाभ प्राप्त नहीं हो पाते और आर्थिक विकास की गति भी तीव्र नहीं हो पाती। व्यक्तियों के लिये शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ भी आवश्यक होती हैं, क्योंकि शिक्षा से व्यक्तियों का दृष्टिकोण विकसित हो जाता है और वह देश के औद्योगीकरण में अपने महत्त्व को भली भाँति ही समझने लगता है। आर्थिक विकास में सरकार का उत्तना ही महत्त्व है जितना कि निजी उपक्रम का और ऐसे देश जहाँ निजी उपक्रम बहुत घनीभाता है सरकार की जिम्मेदारी और भी अधिक हो जाती है। इस प्रकार अर्धविकसित देशों में सब से पहले राजनैतिक जागृति उत्पन्न होनी चाहिये ताकि वहाँ के लोग औद्योगीकरण तथा अपने आर्थिक उत्थान के लिये सरकार की उन्नति के महत्त्व को समझ सकें।

अर्ध-विकसित देशों में आय और उत्पादन के स्तर अपने न्यूनतम स्तर पर हैं और बालू आवश्यकताओं तथा भावी उत्पत्ति के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। ऐसे देशों में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में आर्थिक विकास का कार्यक्रम अधिक लाभप्रद नहीं होगा, क्योंकि विकसित देशों की तुलना में उन्होंने विकास कार्य प्रम वस ही बहुत देर से प्रारम्भ किया है और यदि वे अपने विकास कार्यक्रम को तीव्रगति से कार्यान्वित नहीं करेंगे तो उनका विकसित देशों द्वारा निरन्तर शोषण होता ही रहेगा। इनलिये अधिक समय मष्ट करना उनके हित में नहीं है और बढ़ती हुई जन संख्या की दृष्टि में उनको अपना आर्थिक विकास अति तीव्र गति में करना होगा और यह सब केवल सरकार की सहायता द्वारा ही हो सकता है। सरकार के साधन व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक होते हैं, जिनका उपयोग वह देश के आर्थिक विकास के लिये मरतता में कर सकती है। किन्तु यह ध्यान रहे कि आर्थिक विकास के लिये वित्त आवश्यक तो है, परन्तु यह अपनेको बातों पर निर्भर होता है, जैसा, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक।⁸

किन्ती भी अर्ध-विकसित देश के आर्थिक विकास के कार्यक्रम के अन्तर्गत तीन

मुख्य उद्देश्य होने चाहिये। प्रथम, कृषि उत्पादन की उन्नति, दूसरे, सरकार द्वारा बहुरूपी आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं का निर्माण और तीसरे, देश के औद्योगीकरण में सम्बन्धित वस्तुओं की पूर्ति।

कृषि उत्पादन के क्षेत्र में मुख्यतया दो समस्याएँ पाई जाती हैं। एक तो बढ़ती हुई जन-संख्या के लिये रोजगार के नये अवसर प्रदान करना और दूसरे, कृषि क्षेत्र की विकास सम्बन्धी शक्ति को बढ़ाना, अर्थात् नई विधियों तथा कार्यक्रमों द्वारा कृषि मूल्यों को व्यक्तिगत रूप से बढ़ाना। कृषि उत्पादन में वृद्धि करना केवल इसी लिये आवश्यक नहीं है कि कृषकों तथा उनके निम्न कर्तव्यों का जीवन स्तर ऊँचा हो, बल्कि इसलिये भी आवश्यक है कि अर्थ-व्यवस्था के लिये गैर कृषि क्षेत्र की व्यापक तथा कच्ची सामग्री सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। कृषि उत्पादन में वृद्धि करने को एक सरल विधि यह है कि उसमें मशीनों का प्रयोग किया जाय। किन्तु भारत, चीन तथा अधिकांश विकसित देशों में कृषि भूमि बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बँटी हुई है। इसलिये सबसे पहले जमीन की एकवन्दी होनी चाहिये क्योंकि तब ही बड़े पैमाने पर कृषि की जा सकती है और मशीनों का उपयोग हो सकता है। इसके अतिरिक्त प्राचीन कृषि उत्पादन की विधियों में भी सुधार होने चाहिये। ये सुधार उसी समय सम्भव हो सकते हैं जब कि अधिकाधिक संख्या में ग्रामीण जनता को कृषि शिक्षा प्रदान की जाय और अधिकाधिक मात्रा में अनुसंधान कार्यक्रम आरम्भ किये जाय। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में इस ओर खूब ध्यान दिया गया है।

अधिकतर अर्थ-विकसित देशों में भूमि सम्बन्धी अधिकार अनिश्चित हैं। जमींदार किसानों का शोषण करता है और कृषि विकास में बाधाएँ उत्पन्न करता है। अतः यह आवश्यक है कि क्रान्तिकारी भूमि सुधार के कार्यक्रम चालू किये जायें। चीन में (Peoples' China) में नियोजन कार्य आरम्भ करने में पहले ही भूमि सम्बन्धी सुधार आरम्भ कर दिये गये थे। यह ध्यान रहे कि केवल कानून बना देने से ही गफलत प्राप्त नहीं होती। वास्तव में कृषि विकास उसी समय सम्भव हो सकता है जब कि जमींदारों का अन्त कर दिया जाय। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में भूमि सुधार पर बहुत जोर दिया गया है और अधिकांश राज्यों में जमींदारी उन्मूलन कर दिया गया है।

कृषि उन्नति में सबसे बड़ी बाधा ग्रामीण जनता की अज्ञानता द्वारा उपस्थित होती है। भूमि सुधार के सभी प्रबल अज्ञानता के कारण विफल हो जाते हैं। इस विषय में भी केवल कानून बनाने से काम नहीं चलता। यह आवश्यक है कि सरकार ग्रामीण साथ व्यवस्था में सम्पूर्ण परिवर्तन कर के अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक मात्रा में वैकल्पिक सुविधाएँ प्रदान की जाय सहकारी साख्त संस्थान स्थापित की जायें और फसल बीमा योजनाएँ चालू की जायें। इसमें साथ-साथ कृषि सहकारी सेवाओं के लिये समितियाँ भी स्थापित की जायें। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में इन सब बातों के लिये भी उचित व्यवस्था की गई है।

यदि उद्यमयुक्त सभी उपायों को अपनाया जाये तो अर्ध-विकसित देशों के आर्थिक विकास का कार्य सफल हो जायेगा, क्योंकि औद्योगीकरण की और कृषि-विकास एक पहला पग है किन्तु कृषि विकास और औद्योगीकरण की प्रगति को बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि "सामाजिक पूंजी" (Social Capital) का उचित मात्रा में निर्माण किया जाये।

'सामाजिक पूंजी' से हमारा अभिप्राय उन सामाजिक और आर्थिक सेवाओं से है जिनके द्वारा मनुष्य का जीवनस्तर ऊँचा होता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, समाचार-पत्रों, विजली, यातायात आदि की सुविधाएँ। अधिकतर अर्धविकसित देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था विल्कुल निम्नस्तर पर है। ऐसी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिये बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी का विनियोग करना पड़ता है और तुरन्त ही लाभ प्राप्त नहीं होते। इसलिये निजी विनियोगकर्ता सरलता से इन पर अपनी पूंजी का विनियोग करने के लिये तैयार नहीं होते हैं। यह सम्भव है कि पिछड़े हुये देशों ने सामाजिक पूंजी का प्रबन्ध पूर्णरूप से सरकार को ही करना पड़े। आधुनिक समय में तो सरकार को सामाजिक सेवाएँ प्रदान करने में कोई आपत्ति भी नहीं होती, क्योंकि उनका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना होता है और इसलिये वह ऐसी सेवाएँ प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त यदि प्राधुनिक सरकारें अपने ऊपर देश के आर्थिक विकास की जिम्मेदारी लेती हैं तो विकास कार्यक्रम को तीव्रगति से सम्पन्न करने के लिये उनको गश्तियों, सड़कों तथा रेलों, बिजली का उत्पादन करने के लिये गश्तीनों आदि का प्रबन्ध करना ही होगा। अन्त में विदेशी पूंजी भी सरलता से उपलब्ध नहीं होती है। इसलिये देश में निजी पूंजी उपलब्ध न हो पाने और विदेशी पूंजी न मिल पाने की स्थिति में केवल एक ही उपाय रह जाता है और वह है कि, सरकार स्वयं ही उद्योगों को चलाये और उसके लिये आवश्यक धन की व्यवस्था करे। यदि सरकार देश में पूंजी की व्यवस्था नहीं कर पाती है तो उसको विदेशों में पूंजी का प्रबन्ध कर लेना चाहिये, जो उसके लिये कठिन नहीं होगा। यदि फिर भी आवश्यक पूंजी की कमी रहती है तो सरकार हीनार्थ प्रबन्धन का सहारा ले सकती है। यह सराहनीय है कि भारत सरकार ने पञ्चवर्षीय योजनाओं में सामाजिक सेवाओं के लिये उचित व्यवस्था की है।

कृषि उत्पादन में वृद्धि हो जाने पर और आवश्यक मात्रा में सामाजिक पूंजी की व्यवस्था होने के बाद भी यह आवश्यक नहीं है कि देश का औद्योगीकरण तीव्र-गति से हो जाय। औद्योगीकरण के लिये और भी अनेकों बातों की आवश्यकता होती है जैसे प्राकृतिक साधन, देश के मानवीय साधन तथा देश में कृषि एवं उद्योगों का अनुपात। यदि अर्धविकसित देश में कोयला, लौहा, तेल आदि जैसे खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं तो उसके विकास में अधिक समय नहीं लगेगा। इस सम्बन्ध में भारत एक भाग्यशाली देश है। यद्यपि भारत के प्राकृतिक साधनों का उपयोग ब्रिटिश शासन काल में उचित रूप से नहीं हो पाया और भारी तथा आधारभूत उद्योगों का विकास नहीं हो पाया किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारी सरकार ने इन

वस्तुशा क उपयोग के लिये पंचवर्षीय योजनाशा म उचित व्यवस्था की है और अनेक अनुसंधान केन्द्र स्थापित किये हैं। तल निकालने के लिये आसाम क्षेत्र में प्रयत्न किये जा रहे हैं और अरु स्थापना म भी तल की खोज जारी है। प्राकृतिक साधनों क साथ साथ इन साधनों का अधिकतम उपयोग करने क लिये देश म श्रम आदि भी पर्याप्त मात्रा म होना आवश्यक है। देश के श्रमिका म मशीनों का प्रयोग करने के लिये रूचि और शैतन्यतरा हीनी चारिय परन्तु एक पिछडे हुम देश म ऐसे श्रमिकों का मिलना कठिन ही होता है। इनलिये एमे देशा क लिये यह आवश्यक है कि वह अपन श्रमिका को विदेशा म मशीनों के उपयोग के लिये शिक्षित कराये और प्रारम्भिक अवस्था म विदेशा स इस सम्म व म आवश्यक सहायता प्राप्त कर। इसके अतिरिक्त क्याकि इन देशों का सामाजिक आर्थिक ढांचा पाश्चात्य देशा की अपक्षा भिन्न है इसलिये यह भी आवश्यक है कि व पाश्चात्य विधियों का प्रयोग करने म या तो अपनी स्थिति को उनक अनुकूल बनाये या पाश्चात्य विधियों को अपनी परिस्थितिया क अनुकूल बनाये। यह स्पष्ट ही है कि केवल पाश्चात्य देशा की नकल करने म ही इन देशा का उत्थान नही होगा। पिछडे हुये देशा की सरकारों को इन क्षत्र म अनुसंधान तथा खोज सम्बन्धी गुविषाय अधिकार्थिक मात्रा में उपलब्ध करनी होगी। साथ ही देश की बढ़ती हुई जनसंख्या क आधार एवं चरिन को भा नियमित करना होगा और देश की विकास सम्बन्धी आवश्यकताशा के अनुकूल बनाना होगा। यद्यपि भारत की पंचवर्षीय योजनाशा में टंग सम्म्या की और ध्यान दिया गया है किन्तु समस्या को देखते हुये वह पर्याप्त नहीं है। औद्योगीकरण में ध्यान देना योग्य अन्तिम समस्या यह है कि देश म प्रधानता किस अंश की अधिक है अर्थात् देश म कृषि व्यवसाय अधिक प्रधान है या उद्योग धंध। दक्षिण पूर्वी एशिया क अधिकतर पिछडे हुये देशा म कृषि वा टा प्रधान गहत्व है। यह स्वी-भाधिक ही है कि एस देशा म औद्योगीकरण की गति को तीव्र नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त कृषि प्रधान धरा म वा अधिक जनसंख्या है उसको शहर म औद्योगिक क्षेत्रों के लिये स्थानांतरण करना होगा। यह स्वाकार करने म कोई संकोच नहीं करना चाहिये कि पिछडे हुये देशा म जनसंख्या को स्थानांतरित करना सरल नहीं होता क्योंकि व्यक्ति अपनी भूमि छोड कर शहरों को नहीं आना चाहते, चाहे वे भूख ही क्यों न मर जाय। ऊँची मजदूरी प्राप्त करने के लालच में व अपने घरा का छोडने के लिये विवश नहीं किये जा सकते। इसलिये यह आवश्यक है कि उन्हें ग्रामों में ही कृषि क अतिरिक्त काम करने की अन्य गुविषाय प्रदान की जाय जैसे कुटीर उद्योग धंध इत्यादि। भारत की पंचवर्षीय योजनाशा म कुटीर तथा ग्रामीण उद्योग धंधा के विकास के लिये भी उचित व्यवस्था की गई है। किसी भी देश का औद्योगीकरण भारी तथा आधारभूत उद्योगा पर नियंत्रण करता है। प्रयात औद्योगीकरण के लिये तोहडा तथा दसात, कीशला तथा विजली सीमेंट तथा भारी रासायनिक पदार्थ का विकास करना परम आवश्यक है क्योंकि इनके अभाव में किसी प्रकार का औद्योगीकरण भा सम्भव नहीं हो सकता। हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना म इन

उद्योगों के विकास को विशेष महत्त्व दिया गया है।

आर्थिक विकास के इन सब उद्देश्यों की पूर्ति, जैसा हम पहले कह चुके हैं, सरकार पर निर्भर करती है और आर्थिक नियोजन ही एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा देश का समुचित तथा तीव्र विकास सम्भव हो सकता है। आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में सभी विकसित देशों की अपनी कुछ विशेष समस्याएँ होती हैं। ऐसे देशों में अर्थ व्यवस्था मुख्य रूप से दो स्पष्ट भागों में विभाजित होती है। पहला भाग सुसंगठित क्षेत्र अर्थात् पूँजीपति सम्बन्धी क्षेत्र (Capitalist Sector) होता है और दूसरा वह क्षेत्र है जिसमें केवल शौकिका उपार्जन की ही समस्या होती है और जो अव्यवस्थित तथा असंगठित होता है। पहला क्षेत्र दूसरे की अपेक्षा अधिक आधुनिक होता है। इसमें देश के निर्माण उद्योग होते हैं, जो अधिकतर निजी व्यक्तियों द्वारा चलाये जाते हैं। इस क्षेत्र में सरकार भी अपने फार्म या कारखानों को स्थापित कर सकती है। इस क्षेत्र में देश की बहुत थोड़ी सी जनसंख्या होती है और इस क्षेत्र में भाग लेने वाले व्यक्ति पूँजीपति, जमींदार तथा अन्य धनी व्यक्ति होते हैं। दूसरे क्षेत्र में छोटे छोटे बुकानदार, व्यापारी, कृषक तथा नारीगर होते हैं। देश में सुसंगठित क्षेत्र ही वचनों का मुख्य क्षेत्र होता है, क्योंकि देश के सारे सुसंगठित उद्योग इसी क्षेत्र में स्थापित होते हैं और इन उद्योगों के मालिकों को काफी आय प्राप्त होती है। इसी अर्ध-विकसित देशों का आर्थिक विकास इसी क्षेत्र को विकसित करके तथा उसका विस्तार करके आरम्भ किया जा सकता है। इस क्षेत्र में आधुनिक ढंग की सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं और नई-नई मशीनों का प्रयोग होता है और लोगों का दृष्टिकोण प्रगतिशील होता है। वे नये-नये आविष्कारों तथा परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिये सर्वद्वय तैयार रहते हैं। इसलिये इस क्षेत्र में पूँजी-निर्माण तथा मन्त्रकला की उत्पत्ति की दर काफी ऊँची रहती है। किन्तु जो कुछ भी लाभ प्राप्त होते हैं वे थोड़े से ही व्यक्तियों की जेब में चले जाते हैं।

असंगठित क्षेत्र जिसको जीवन निर्वाह क्षेत्र भी कहते हैं, पिछड़े हुये देशों का मुख्य भाग होता है। इस क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। अधिकांश देशों में जनसंख्या बढ़ने के कारण भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता गया है और कृषि पिछड़ी हुई अवस्था में है। परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति उपज बहुत कम होती है और एक छिपी हुई बेकारी उपस्थित रहती है। बात यह है कि बैसे तो भूमि की कमी और कृषि के पुराने ढंगों के कारण प्रति एकड़ उपज तो कम होती ही है, किन्तु जो कुछ उपज होती भी है उसमें हिस्सा बटाने वाले लोग बहुत होते हैं और काम करने वाले बहुत कम। इसका यह अभिप्राय नहीं कि लोग कृषि उत्पादन में हाथ बटाना नहीं चाहते हैं बल्कि इसका अर्थ यह है कि पूरे परिवार के सदस्यों के लिये भूमि पर्याप्त मात्रा में नहीं होती और भूमि के अनुपात में परिवार के जितने सदस्य अधिक होते हैं वे कृषि के अतिरिक्त और कोई दूसरा काम करना पसन्द नहीं करते हैं। इसलिये उन्हें उस भूमि में खाना तो मिल जाता है, और बैसे ऊपर से देखने में तो परिवार के सभी सदस्य उस छोटी सी भूमि के टुकड़े पर काम करते दिखाई देते

है और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वे मेहनत करके जीविका उपार्जन कर रहे हों, परन्तु तबिक गहराई में जाकर देखने में मग्न सत यह स्पष्ट होता है कि परिवार का अधिकांश सदस्य बेकार तथा बेरोजगार होते हैं, क्योंकि उनकी उपस्थिति से भूमि की कम उपज या परिवार की कम आय में कोई वृद्धि नहीं होती। इस क्षेत्र के लोग अपने पुराने ढंगों को बदलना नहीं चाहते और इनकी बचत बहुत कम होती है। इस प्रकार ग्राम विकसित देशों के अधिकांश भाग की उन्नति स्थिर रहती है और यह स्पष्ट ही है कि बिना इस भाग की उन्नति के तथा आधुनिकीकरण के सुगठित क्षेत्रों का विकास सम्भव नहीं है। भारत की भी यही स्थिति है। कुछ लोगों का विचार है कि ग्रामगठित क्षेत्रों की परिवर्तनशील बनाने के लिये प्रयत्न किये जाते चाहियें, और उन अनुत्पादक उपभोक्ताओं को (जो छुपे हुए रूप में बेकार हैं) उत्पादक कार्यों में लगाना चाहिये। अर्थात् जीवन निर्वाह क्षेत्र में या असंगठित क्षेत्र में जो बचत करने की अदृश्य शक्ति (Saving Potential) है उसको सुगठित क्षेत्र में विस्तार के लिये नवीन उपयोग किया जाये ?⁹ इसका यह अभिप्राय नहीं कि ग्रामगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुगठित क्षेत्रों में स्थानान्तरित कर दिया जाये, अर्थात् इससे यह अर्थ नहीं लगाना चाहिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो श्रमिक अधिक संख्या में हैं उनका लाकर शहरी क्षेत्रों में वारखाता में काम पर लगा दिया जाये। यह शहरी में अधिक दिन काम पर रफ्तार ही नहीं दगलिये उनको ग्रामीण क्षेत्रों में ही छोड़ छोड़ विकास कार्यक्रमों में जैसे भाग बनाना, नहरे खोदना सबक बनाना इत्यादि के लिये उपयोग में लाया जा सकता है और उनके उत्पादक भाईयो की जो बचत होगी उनको पूंजीगत योजनाओं को पूरा करने के लिये उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार नर्मो छिपी हुई बेकारी को दूर करने के लिये उत्पत्ति का संप्रभाविन वितरण उत्पादक उपयोग और अनुत्पादक उपयोग में करना चाहता है। उत्पादक उपयोग से उनका अभिप्राय उस काम से है जो कि छिपे हुए बेकार व्यक्ति उस समय करते हैं जबकि वे किसी उत्पादक व्यवसाय में लगा दिये जाते हैं और अनुत्पादक उपयोग वह काम होता है जो कि छिपे हुए बेकार व्यक्ति उस समय करते हैं जबकि वे अपने पारिवारिक खेत पर काम करते हैं। किन्तु छिपी हुई बेकारी की समस्या इस प्रकार से भी दूर नहीं हो पायेगी, यदि उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन आवश्यकता से कम हो रहा हो। अभी हाल ही में प्रो० पकीन और डा० ब्रह्मानन्द ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है

9 Cf Ragner Nurksae Op Cit

प्रो० नर्मो के अनुसार उत्पत्ति के क्षेत्रों में (Savings Potential) अर्थशास्त्र श्रमिकों की यह बचत है जो यह अनुत्पादक श्रमिकों के जीविका उपार्जन पर खर्च करता है। यदि यह अनुत्पादक सम्बन्धी परिवार के सदस्य न हों तो उत्पादक श्रमिक या रूपक अपनी आय में से कुछ न कुछ अवश्य ही बचा सकता है, या उपयोग पर खर्च कर सकता है जिससे उसका जीवन-स्तर ऊँचा होगा। दोनों ही स्थितियों में देश को लाभ होगा।

यह है कि असंगठित क्षेत्र की वृद्धि करने की अदृश्य शक्ति का अधिकतम उपयोग उस समय करना असम्भव हो जाएगा जब कि छिपे हुए बेकार व्यक्तियों को संगठित क्षेत्र में कारखाना में काम पर लगा दिया जाता है। इसका कारण यह है कि जब बेकार व्यक्ति अपने घर से दूर रहेंगे तो उनके घर वाले अब अपने आपको सारी जिम्मेदारियाँ से मुक्त समझेंगे और यह समझेंगे कि अब उन पर उन व्यक्तियों के पालन पोषण की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है जो संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और यह सब सोच कर वह अपनी माय में से कुछ खाने के स्थान पर अपने उपभोग को और भी अधिक बढ़ा देंगे। इसलिये वृद्धि करने की वह अदृश्य शक्ति जिससे आर्थिक विकास को सहायता मिलती और निधनता का दूषित चक्र समाप्त होगा, उसका महत्त्व धीरे-धीरे कम हो जायेगा। अतः जब तक सरकार इन वृद्धि को प्राप्त करने के लिये उचित माया में वर न लागू करे उस समय तक किसी प्रकार की भी आगा करना बकार होगा। किन्तु भारत जैसे प्रजातान्त्रिक देश में ऐसे कठोर उपायों को अपनाया न तो सम्भव ही है और न जनता ही उनका स्वागत करेगी। इस प्रकार पिछड़े हुए देशों में असंगठित क्षेत्र में बेकार व्यक्तियों का स्थानान्तरण एक 'यावहारिक' प्रस्ताव नहीं है। यही कारण है कि नियोजन आयोग ने ग्रामों में ही छिपे हुए बेकार व्यक्तियों को काम दिलाने का प्रयत्न किया है।

अध विकसित देशों में नियोजन विधि—हमने पिछले पृष्ठों में अध विकसित देशों की विशेषताओं तथा आर्थिक विचारसम्बन्धी विभिन्न समस्याओं की विवेचना की थी। उन विशेषताओं के बाद हम अब इस स्थिति में हैं कि नियोजन की उचित कार्य विधि का स्पष्टीकरण कर सकें जो अध विकसित देशों के लिए आवश्यक है और जिसके अनुसार अध विकसित देशों में नियोजन कार्य सम्पन्न होना चाहिए। अध विकसित देशों में नियोजन का प्राथमिक अदृश्य केवल वर्तमान आय और उत्पादन शक्ति में वृद्धि करना ही नहीं होना चाहिए बरन् भावी उन्नति के लिये भी प्रयत्न किये जाने चाहियें। प्रारम्भिक स्थिति में जब अध-व्यवस्था को अध स्थिर (Semi-Stagnant) अवस्था से बाहर निकालने के लिये प्रयत्न किये जाते हैं तो इस अवस्था को बाहर निकालने की (Take off) अवस्था कहा जाता है। इस काल में विकास का काम बहुत तेजी में होना चाहिए क्योंकि यही भावी आर्थिक विकास के लिये शक्ति प्रदान करता है। प्रारम्भ में यही काल सबसे महत्वपूर्ण होता है और अध स्थिर अवस्था से बाहर निकालने की अवस्था तक तीव्र गति में विकास कार्यक्रम को पूरा करने के लिये विकास सम्बन्धी नियोजन पूर्ण रूप से सुयुक्त और सप्रभावित होना चाहिये। अध विकसित देशों की समस्याएँ इतनी विराट और कठोर होती हैं कि छोट-छोट टुकड़ों में नियोजन का कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकता। यह आवश्यक है कि प्रारम्भिक अवस्था में एक बड़ी मात्रा में पूँजी का विनिर्माण किया जाय और वातावरण में सवादावाहन के माध्यमों विद्युत शक्ति और भारी तथा आधारभूत उद्योगों का विकास किया जाय। इन कार्यक्रमों में समाप्त होने के बाद ही अध-व्यवस्था का उचित विकास आरम्भ होगा। इसमें कोई संदेह

नहीं कि इस प्रकार के विनियोग से तुरन्त लाभ प्राप्त नहीं होंगे इसलिये सरकार को ही इन क्षेत्रों के विकास के लिये आवश्यक पूंजी का प्रवन्ध करना होगा। इसलिये अर्थ-विकसित देशों में विकास सम्बन्धी नियोजन की सफलता का प्रथम रहस्य भारी उद्योगों के विकास, मातायात के माधनों की उन्नति और विद्युत शक्ति के अधिकाधिक उत्पादन में ही है। भारी उद्योगों के विकास से नये-नये विनियोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और निरन्तर बढ़ते हुए विनियोग इस बात का सूचक है कि देश की अर्थ-व्यवस्था अर्थ-स्थिर अवस्था से बाहर निकल चुकी है। मातायात के साधनों के विकास, सिंचाई तथा विद्युत शक्ति की उन्नति से देश के नये-नये क्षेत्रों में विनियोग के लिए सुविधायें उपलब्ध होती हैं और वस्तुओं का बाजार विस्तृत होगा है। इन सुविधाओं के अधिकाधिक मानना म उपलब्ध होने से देश में पूंजी निर्माण की गति तीव्र होती है और व्यक्तियों के कल्याण में वृद्धि होती है। इन सुविधाओं के अभाव में बहुधा अर्थ स्थिर अवस्था से बाहर निकलने की स्थिति तक काफी समय लग जाता है और इस प्रकार समय नष्ट होने में देश के आर्थिक विकास में उनका ही समय अधिक लग जाता है। इन सुविधाओं के विकास के लिये म कार की उपस्थिति बहुत आवश्यक है या म कहना चाहिये कि बिना सरकारी प्रयत्नों के इन सुविधाओं का विकास सम्भव ही नहीं है, क्योंकि सामान्य रूप से आर्थिक विकास की दर निम्न गति पर निर्भर करती है। (१) आर्थिक विकास और व्यक्तियों के आर्थिक कल्याण के लिये क्रिय गम राजकीय व्यय की मात्रा (२) देश में पूंजी निर्माण की दर और (३) सामाजिक राजनैतिक कारण जिनके अन्तगत जनता का सहयोग, जनता की नियोजन के प्रति रुचि और सामाजिक ढांचे में उचित परिवर्तन सम्मिलित होने हैं। यदि आर्थिक विकास की गति में वृद्धि करनी है तो यह आवश्यक है कि राजकीय व्यय उचित कार्यक्रमा पर क्रिया जाय, नये-नये विनियोगों का प्रोत्साहित किया जाय, सामाजिक ढाँचे में उचित परिवर्तन क्रिय जायें और नियोजन काय को लोकप्रिय बनाया जाय। इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रारम्भिक अवस्था में राजकीय व्यय बहुत अधिक होगा, क्योंकि अर्थ विकसित देशों में निजी उपक्रम सामान्य रूप से शर्मिता होता है और जोखिम सहन करने में उसे भिन्न होती है।

यह निश्चय है कि राजकीय व्यय में आर्थिक विकास की गति तीव्र हो जायगी, किन्तु प्रजातन्त्रीय नियोजकों की सफलता आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने में ही नहीं है। उनका कर्तव्य यह भी होगा चाहिये कि उपलब्ध पूंजी को विभिन्न राजकीय योजनाओं में इस प्रकार बाँटे कि जनता का कल्याण अधिक से अधिक हो जाय। यही कारण है कि ऋषि प्रधान अर्थ-विकसित देश में धन की एक बड़ी मात्रा सामुदायिक विकास योजनाओं और ग्राम विस्तार योजनाओं पर व्यय की जाती है। इस प्रकार के व्यय से पूंजी निर्माण की गति कुछ धीमी हो अवश्य हो जाती है किन्तु प्रजातन्त्रीय नियोजन जिनका मुख्य उद्देश्य जनता के कल्याण में वृद्धि करना है उतावले जनता के कल्याण और देश के अधिकतम आर्थिक विकास के बीच एक समझौता स्थापित करना पड़ता है। प्रजातन्त्रीय नियोजन की सफलता के लिये जनता का

सहयोग नितात आयश्यन है । अर्ध विकसित देशो की अधिकाश जनता अनिहित होती है इसलिये उनका सहयोग प्राप्त करने के हेतु अधिकाधिक मात्रा मे उहे सामाजिक और राजनैतिक सेवाएँ प्रदान की जायें ।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक कृषि प्रधान अर्ध-विकसित देश मे प्रजातन्त्रीय नियोजन उमी समय मफल हो सकता है जब प्रारम्भिक अवस्था मे सरकार भारी तथा आधारभूत उद्योगों, पातायात, सिचाई और बिजली के तीव्र विकास पर बडी मात्रा मे धन का व्यय करे और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखे कि व्यक्तिया मे सामाजिक और राजनैतिक कल्याण मे वृद्धि हो रही है या नही, अर्थात् आर्थिक विकास के साथ-साथ सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी चालू किया जाये । हमारे देश मे नियोजन आयोग ने आर्थिक विकास की इसी विधि का प्रयोग किया है ।

प्राक्कथन—

हम पिछले अध्याय में कह चुके हैं कि आर्थिक विकास एक निरन्तर चलनी रहने वाली क्रिया है। स्पष्ट ही है कि एक देश जो अताडियों से विदेशों पर निर्भर रहा हो, जहाँ वैज्ञानिक तथा औद्योगिक उन्नति अपनी निम्नतम सीमाओं पर हो, जहाँ पूँजी निर्माण, जीवनस्तर और राष्ट्रीय आय बहुत ही कम हो और जहाँ मनुष्य अपनी सामाजिक शृंखलाओं को तोड़ कर स्वतन्त्र होना नहीं चाहता हो, बेकारी, निर्धनता और अशिक्षितता जहाँ की विशेषतायें हो—उसका आर्थिक विस्तार करना कोई सरल कार्य नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन देशों के पास करने के लिए काम तो बहुत अधिक है किन्तु समय नहीं है क्योंकि एक तो यह पाश्चात्य देशों की अपेक्षा वैसे ही बहुत पिछड़े हुए हैं और अब यह और अधिक समय अपना विकास करने में लगायेंगे तो और भी पिछड़े जायेंगे। दूसरे जनसंख्या तेजी से बढ़ने के कारण जो भी कार्य आरम्भ किया जाय, यदि वह उचित समय में पूरा न कर लिया जाये तो सारा काम बेकार हो जाता है। परन्तु इन सबके लिए धन चाहिए—यातायात के साधनों का विकास अर्थात् सड़कों तथा रेलों का विकास एवं विस्तार, ताकि वे विकास कार्य-क्रम के भार को सहन कर सकें, औद्योगीकरण के लिये नयी-नयी मशीनें, कृषि विकास के लिए सिंचाई एवं विद्युतशक्ति के प्रदान के लिये नये-नये बाँध बनाना और बिजली तैयार करने के स्टेशनों की स्थापना, व्यक्तियों की सामाजिक वेदियां काटने के लिये सामुदायिक विकास शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की मुविधायें उपलब्ध कराने के लिये एक बहुत बड़ी मात्रा में धन चाहिये। किन्तु यह धन की व्यवस्था स्वयं पिछड़े हुए देशों के बस की बात नहीं है। बच्चों तथा विनियोगों का स्तर बहुत नीचा होने के कारण पूँजी निर्माण की गति बहुत धीमी होती है और अधिकांश जनता निर्धन होती है। समय बीतने के साथ-साथ निर्धनों की संख्या भी दिन-दूनी रात-चौगनी होती जाती है किन्तु धनी व्यक्तियों की संख्या पूर्ववत् ही रहती है। ऐसे देशों की सहायता भी बहुत सीमित होती है, इसलिए विदेशी सहायता मिलना भी इतना सरल नहीं होता। पूँजी तथा धन की व्यवस्था के अनिश्चित अर्थव्यवस्था देशों के विकास के सम्बन्ध में और भी बनेकी कठिनाइयाँ होती हैं, जैसे सगठन तथा व्यवस्था सम्बन्धी

कठिनाइयाँ। इन देशों में अधिकतर कुशल सगठनकर्ताओं का अभाव होता है। यदि पूँजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो भी जाये तो भी कुशल सगठनकर्ताओं के अभाव में उसका उचित उपयोग नहीं हो सकेगा। यह सब ही कहा गया है कि आर्थिक विकास की समस्या बित्त की इतनी नहीं है जितनी आर्थिक सगठन की।¹ इसके अतिरिक्त इन देशों में यंत्रकला बहुत पिछड़ी हुई है। मशीनों के बिना माधन का अधिकतम उपयोग नहीं हो सकता और इस प्रकार उत्पादन भी अधिकतर होना सम्भव नहीं है। जनसंख्या की वृद्धि अग्नि में तेल का काम कर रही है। यह सब हा है कि मुद्रा से विकास खरीदा नहीं जा सकता² किन्तु इन सब समस्याओं में सब से बड़ी समस्या वित्तीय प्रबंध की ही है। यातायात और औद्योगीकरण की प्रगति तथा विकास से माय माय अन्य समस्याएँ स्वयं समाप्त होती जायगी किन्तु फिर वही प्रश्न है कि बित्त का प्रबंध कैसे किया जाय ?

आर्थिक विकास सम्बंधी पूँजी के स्रोत—विकास सब की कार्यक्रम की सफल बनाने के लिए जैसा हम अभी कह चुके हैं पूँजी की आवश्यकता होती है। आवश्यक पूँजी या तो देश के अंदर से ही उपलब्ध की जा सकती है या विदेशों से प्राप्त की जा सकती है। हम जानते हैं कि अब विवक्षित देशों में पूँजी का निर्माण धीमा होने के कारण पुरानी जमा की हुई पूँजी बहुत कम होती है। यह पूँजी भी केवल थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में होती है जो उसे देना नहीं चाहते क्योंकि यदि वह उसे आगे पास में अलग कर देगा तो अपने व्यापार और उद्योगों का क्या करेंगे ? सरकार उनसे जबरदस्ती गो छीन नहीं सकती। यह ध्यान रहे कि हम केवल प्रजातंत्रीय आर्थिक विकास की ही बात कर रहे हैं और जो कुछ भी कहें इसी को दृष्टि में रख कर कहें। इसलिए देश के भीतर पूँजी दो स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है— (१) माधनों को अनुत्पादक उपयोग से निकाल कर उत्पादक उपयोग में लगाना और (२) चालू संचय को उपयोग से बचतों की ओर मोड़ देना। इन दोनों विधियों की विवेचना हम यहाँ पर करेंगे।

हम जानते हैं कि पिछड़ हुए देशों में आर्थिक माधन का उचित उपयोग नहीं हो पाता। इधर में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों लग होते हैं। समाज में बहुत से बकार व्यक्ति भार बने फिरते हैं जैसे निकासी साध धार्मिक उपदेशक या बकार कामचारी—एसी अश्रमगत का उचित उपयोग होना चाहिए। इसी प्रकार जो भूमि बकार पड़ी हो तो उस पर इधर की जाय। पेड़ों की पत्तियों मनुष्य तथा पशुओं के मल से खाद बनाई जानी चाहिए। नदियाँ का बहुत सा पानी बकार जाता है उसका उचित उपयोग किया जाय। बहुत सी पूँजी हमें उद्योगों में लगी हुई है जिन की वस्तुओं का उपयोग करने से मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक शक्तियाँ बर ह्रास होता है इसलिए एसी वस्तुओं का उत्पादन बंद करके अधिक उपयोगी वस्तुओं

1 Cf Maurice Dobb *Some Aspects of Economic Development* Page 37

2 Cf H. Ellis *The Financing of Economic Development in Underdeveloped Areas* —*Indian Economic Journal* January 1956 Page 253

का उत्पादन आरम्भ किया जाये। राक्षेप में साधनों को अनुत्पादक उपयोगों से निकाल कर उत्पादक उपयोगों में लगाया जाये। ऐसा करने से हमारी पूँजी की प्रारम्भिक आवश्यकता काफी कम हो जायेगी।

दूसरी विधि में उपभोग को कम करना होगा और बचतों को प्रोत्साहन देना होगा, अर्थात् पूँजी निर्माण की गति को बढ़ाना होगा। बचतों का यह अभिप्राय नहीं कि व्यक्ति अपने उपभोग को कम करके आय के दोप भाग को तिजोरी में बन्द करके या जमीन में गाड़ कर सुरक्षित रखे। बचतों से हमारा अभिप्राय यह है कि व्यक्ति बचे हुए धन का विनियोग करेंगे। नयी-नयी मशीनों और मशीनों के उत्पादन को प्रोत्साहन देंगे। पूँजीगत वस्तुओं का उत्पादन करेंगे ताकि उत्पादन शक्ति में वृद्धि हो। अधिकांश मार्ग-विकसित देशों में निर्धनता का एक दूषित चक्र चलता रहता है—आय कम होने से बचतें कम होती हैं पूँजी निर्माण कम होता है, परिणामस्वरूप उत्पादन क्षमता कम होती है और, अन्त में उत्पादन कम होने से आय और भी कम हो जाती है—यह चक्र यही चलता रहता है। दूसरी ओर एक दूसरा चक्र आरम्भ हो जाता है। नयी आय के कारण व्यक्तियों की कनसर्जन कम हो जाती है वस्तुओं तथा सेवाओं की माँग कम होने लगती है, विनियोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलता मशीनों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता और उत्पादन गिरता जाता है परिणामतया, आय और कम होती जाती है। इस प्रकार पूँजी निर्माण की धीमी गति ही मारी मुनीवतों की जड़ होती है जिसकी ओर सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए।

पिछड़े हुए देशों में पूँजी निर्माण की गति धीमी होने के कारण विदेशों से सहायता लेना आवश्यक हो जाता है। इनका यह अभिप्राय नहीं कि आन्तरिक स्रोतों का स्थान विदेशी सहायता ले सकती है। विदेशी सहायता तो केवल अस्थायी रूप में ही प्राप्त की जा सकती है और केवल आन्तरिक स्रोतों के साथ-साथ ही चल सकती है, दश में निर्धनता के दूषित चक्र को तोड़ने में सहायक सिद्ध हो सकती है और देश में पूँजी निर्माण का कार्य आरम्भ कर सकती है। किन्तु विदेशी सहायता को आर्थिक विकास का एक स्थायी स्रोत नहीं बनाया जा सकता इसलिए हम देश में ही आय के स्रोतों को प्राप्त करना होगा।

सरकार देश में ही आवश्यक पूँजी प्राप्त करने के लिए या तो लोगों को बचत करने को विवश कर सकती है, या उन्हें समझावुभा सकती है, या स्वयं व्यक्ति भी अपनी इच्छा में बचतें कर सकते हैं। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों तक व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से बचाया करते थे और पूँजीगत वस्तुओं के निर्माण में लगाया करते थे। यही कारण है कि अमेरिका, इंग्लैंड आदि विभिन्न देशों में मशीनों के उपयोग को प्रोत्साहन मिला, व्यापार का विकास हुआ और आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली का जन्म हुआ। व्यक्तिगत बचत करने के लिए प्रेरणा भी दी जा सकती है। सरकार उनको विनियोग करने तथा बचाने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधायें प्रदान कर सकती है। सरकार करारोपण द्वारा व्यक्तियों से अवसरदस्ती

है और परिणामस्वरूप व्यक्ति अपनी आय को उपभोग पर खर्च करना चाहते हैं और अपना जीवन-स्तर पूर्ण विकसित देशों की भाँति ऊँचा करना चाहते हैं। इन सब कारणों से यह सम्भव हो सकता है कि सरकार को व्यक्तियों से जबरदस्ती बचतें प्राप्त करनी पड़ें अर्थात् सरकार को करारोपण करना पड़े। किन्तु करारोपण की विधि भी कुछ अधिक सरल नहीं होती। सरकार को कर लगते समय बड़ी सावधानी बरतनी होगी। परन्तु करारोपण से व्यक्तियों की कार्य करने तथा बचत करने की शक्ति पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये और देश में धन का वितरण में भी असमानतायें बढ़नी नहीं चाहियें। इसके अतिरिक्त करारोपण की भी अपनी एक सीमा होती है जिसका उल्लंघन होना देश के लिये घातक हो सकता है। बहुत अधिक करारोपण से व्यक्तियों को अपनी आवश्यक वस्तुओं के उपभोग को भी कम करना पड़ेगा, और उनकी उत्पादन क्षमता कम होगी। करारोपण, विनियोग तथा बचत करने की शक्ति पर भी बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसलिये करारोपण नीति ऐसी होनी चाहिये कि सरकार को अधिक से अधिक धन प्राप्त हो सके, बचतें और विनियोग हतोत्साहित न हो उपभोग तथा उत्पादन कम न हो और धन का वितरण समान हो। इस प्रकार कुछ क्षेत्रों में करारोपण बहुत भारी हो और प्रगतिशील भी और कुछ क्षेत्रों में बहुत हलका तथा कुछ क्षेत्रों को बर मुक्त भी रखा जा सकता है।

जब आन्तरिक ऋण तथा करारोपण से पर्याप्त धन एकत्रित न हो पाये तो अर्ध विकसित देशों की सरकारों को घाटों के बजटों द्वारा विकास कार्यक्रम पूरा करना चाहिये। हीनार्थ प्रबन्धन, यदि उचित सीमाओं के अन्दर रहे, तो सब से उपयुक्त उपाय है। इस नीति से देश में सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं की वृद्धि होती है, बेकार व्यक्तियों को काम मिलता है और क्योंकि सरकार को सार्वजनिक निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिये अनेक प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होगी, इसलिये निजी विनियोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। हीनार्थ प्रबन्धन में सरकार प्रतिभूतियों के आधार पर केन्द्रीय बैंक से ऋण लेती है और केन्द्रीय बैंक उन प्रतिभूतियों के आधार पर नये नोट छाप कर सरकार की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। परन्तु आवश्यकता से अधिक हीनार्थ प्रबन्धन देश के लिये घातक सिद्ध होता है। अधिक मुद्रा निकासी से मुद्रा स्फीति का जन्म मिलता है। किन्तु यह आवश्यक नहीं कि हीनार्थ प्रबन्धन से मुद्रा स्फीति उत्पन्न हो। यदि सरकार नये मुद्रा के उत्पादन कार्यों पर ब्यय करती है और यदि व्यक्ति तीव्र गति से काम करते हैं और बड़ी हुई आय में से बचत करते हैं तो मुद्रा स्फीति का भय कभी भी नहीं होगा। वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होती तो अवश्य है किन्तु मूल्य की हर वृद्धि भी तो बुरी नहीं होती और न ही मुद्रा प्रसार का सूचक होती है। केवल वही मूल्य वृद्धि स्फीतिक होती है जो मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होते रहने का एक क्रम आरम्भ कर दे। हीनार्थ प्रबन्धन को बुराईया से सुरक्षित रखने के लिये आवश्यक यह है कि उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन में भी वृद्धि हो और सरकार करारोपण तथा ऋण सम्बन्धी नीति भी साथ-साथ चलती रहे

तात्त्वि व्यक्तियों की अतिरिक्त ग्रथ दक्षित को सरकार अपने पास वापिस ले ले ।

जब आन्तरिक साधन विकास कार्य क्रम के व्यय के अनुपात में एकत्रित नहीं हो पाते तो सरकार को विदेशों से सहायता मागनी पड़ती है । विकास कार्य क्रम इतना विशाल होता है कि किसी भी देश के आन्तरिक साधन इतने नहीं हो सकते कि उसके लिये पर्याप्त हो, इसलिए उम्मे विदेशी सहायता लेनी ही पड़ेगी । पिछड़े हुये देशों को पूँजी के अतिरिक्त मशीनों की भी आवश्यकता होती है, यन्त्रात्मक सलाह भी चाहिये तथा वैज्ञानिक जानकारी और अनुमधान के लिये उचित ज्ञान तथा सामग्री भी चाहिये, जो उन्हें विदेशों से ही प्राप्त होती है । इस प्रकार विदेशी पूँजी या तो ऋणा के रूप में या सहायता के रूप में प्राप्त होती है । विदेशी सहायता या तो आर्थिक ही सकती है या ज्ञान के रूप में प्राप्त हो सकती है । सरकार या तो विदेशों के व्यापारियों या निजी व्यक्ति एवं संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर सकती है या विदेशी सरकारों से ऋण ले सकती है या विदेशी सरकारों से प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त कर सकती है या अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण ले सकती है । दूसरी लड़ाई के बाद पोलम्बा योजना तथा अन्य योजनाओं में विभिन्न सरकारें एक दूसरे को यथा-सहित सहायता प्रदान करती रही हैं । इसी प्रकार अमेरिका की सरकार ने भी पिछड़े हुये तथा ग्रथ विकसित देशों को अनेक प्रकार की सहायतायें दी हैं । अमेरिका के प्रेज़ीडेंट ट्रुमेन पौइंट फोर प्रोग्राम (President Truman's 'Point Four' Programme) के अन्तर्गत, युद्ध के बाद बहुत से देशों को अमेरिका ने प्रत्यक्ष सहायता प्रदान की है । गत वर्षों में रुग ने भी इस प्रकार की सहायता दी है । इसी प्रकार विश्व बैंक, तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी ग्रथ विकसित देशों को काफी सहायता प्राप्त हुई है । मच न विदेशी पूँजी न विभिन्न देशों के आर्थिक विकास में इतनी सहायता दी है कि उसके पक्ष में जितना कहा जाये उतना कम है । यह सहायता केवल मुद्रा के रूप में ही प्राप्त नहीं हुई है वरन् डाक्टरो, इन्जीनीयरो, वैज्ञानिको, कारीगरो, सलाहकारो, मशीनों, वस्तुओं, कच्ची सामग्री के रूप में भी प्राप्त हुई है । किन्तु विदेशी सहायता में भी कुछ कठिनाइयाँ होती हैं । प्रथम, विदेशी ऋणों या सहायता के सम्बन्ध में यह निश्चित नहीं, कि समय पर उपलब्ध हो सकेगी । दूसरे ऐसी सहायता के साथ बहुधा राजनैतिक या आर्थिक शर्तें लगी होती हैं । अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जो आर्थिक सहायता या ऋण प्राप्त होते हैं, उनके साथ इस प्रकार की शर्तें भी लगी होती हैं और इस प्रकार यह विदेशी सहायता का सबसे अच्छा रूप है । किन्तु विदेशी सहायता को केवल द्वितीय मस्तूल ही लेना चाहिये । विदेशी सहायता से केवल उसी प्रकार काम लेना चाहिये जैसे मशीन में तेल काम देता है, अर्थात् आर्थिक विकास कार्य क्रम की मशीनों को चलाने के लिये दक्षित तो आन्तरिक साधनों से ही प्राप्त करनी चाहिये केवल धिक्कनाई के लिये विदेशी सहायता से तेल का काम लेना चाहिये । बड़े बड़े मर्यादास्त्रियों ने इस बात को स्वीकार किया है

कि स्थायी लाभ केवल आन्तरिक साधनों से ही प्राप्त हो सकते हैं। व्यक्तियों में स्वयं वचानं की आदत डालनी चाहिये। विदेशी सहायता से केवल अस्थायी लाभ ही प्राप्त होने है। ऊँचे जीवनस्तरी के लिये एक स्थायी आधार समाज के भीतर से ही उत्पन्न होना चाहिये।⁴

भारत में विकास सम्बन्धी वित्त व्यवस्था—

भारत में सरकार की ओर से आर्थिक नियोजन के हेतु सबसे पहला प्रयत्न सन् १९४३ में हुआ था जबकि वाइसराय की एक्जीक्यूटिव काउन्सिल (Viceroy's Executive Council) की एक पुनर्निर्माण समिति नियुक्त की गई थी। सन् १९४५ में केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकारों से उनकी अपनी अपनी विकास योजनाओं की रूप रेखा मागी, जिनमें से सरकार ने ४० करोड़ रुपये की लागत की योजनाएँ चुनी थी और प्रान्तीय सरकारों को इन योजनाओं की कार्यान्वित करने के लिये ३५० करोड़ रुपये के पेशगी अनुदान दिये और १५० करोड़ रुपये के ऋण दिये।⁵ किन्तु युद्धोत्तर काल में उत्पन्न होने वाली अनेकों कठिनाईयों से इन योजनाओं को उतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई जितनी आशा की जाती थी। युद्धकाल में मूल्य तो काफी बढ़ ही गये थे, किन्तु युद्ध समाप्त होने के बाद सरकार को मुख्य भय यह था कि वही पहली लड़ाई की भाँति, अब भी मन्दी उत्पन्न न हो, इसलिये सरकार ने ऐसी आर्थिक नीति अपनाई कि मुद्रा स्फीति कम होने के स्थान पर और बढ़ने लगी। सन् १९४७ में देश के विभाजन से भारत के लिये पूर्णतया नई समस्याएँ उत्पन्न हो गईं। खाद्यान्न की कमी और भी अधिक होगई क्योंकि विभाजन के बाद भारत के हिस्से में ८०% जनगणना आई लेकिन गेहूँ उपजाने वाले क्षेत्रों का ६५% और चावल उपजाने वाले क्षेत्रों का केवल ६६% भाग ही आया। इसके अतिरिक्त भारत को शरणार्थियों के पुनर्वास की भी समस्या थी। अनुमान है कि सन् १९४८ से १९५३ तक भारत सरकार ने शरणार्थियों के पुनर्वासन पर लगभग ७५ करोड़ रुपये खर्च किये थे। सन् १९४६ में रुपये के अचमूल्यता से भारत और पाकिस्तान के बीच आर्थिक सम्बन्ध सुधारने के स्थान पर ग्रीष्म भी बिगड़ गये और व्यापार तो लगभग बन्द ही हो गया। इन सब कठिनाईयों के कारण भारत सरकार का विकास कार्य क्रमों पर ब्याग बहुत कम होगया। सन् १९५१ में जब कि रिजर्व बैंक ने मुद्रा स्फीति को रोकने के लिये उचित उपाय किये, तब से बजट में विकास सम्बन्धी वित्त की एक प्रमुख स्थान प्राप्त होना आरम्भ हुआ और सरकार के 'विनियोगों' तथा विकास कार्यों के लिये ऋणों की राशि बढ़ने लगी। केन्द्रीय सरकार के व्यय में विनियोगों का भाग सन् १९४६ में ३०% से सन् १९५३ में ४०% होगया था।⁶

4. Cf. Buchanan and Ellis, *Approaches to Economic Development*, Page 201

5. Report of the Reserve Bank of India on Currency and Finance, 1945-46, Page 26

6. U. N. . *Economic Survey of Asia and the Far East*, 1953 Page 17

दिसम्बर सन् १९५२ में नियोजन आयोग ने पहली योजना का अन्तिम रूप प्रस्तुत किया और ५ वर्षों में २०६९ करोड़ रुपये को व्यय करने का निश्चय किया। बाद में यह राशि २३७८ करोड़ रुपये कर दी गई थी। प्रारम्भिक व्यय राशि के अनुसार केन्द्रीय तथा राजकीय सरकारों द्वारा १२५८ करोड़ रुपये ऋणों तथा बजट सम्बन्धी साधनों से प्राप्त होने का निश्चय किया गया था और ८११ करोड़ रुपये की इस प्रकार कमी रही थी। इसको पूरा करने के लिये २९० करोड़ रुपये का हीनार्थ प्रवन्धन किया गया और शेष ५२१ करोड़ रुपये की कमी को विदेशी सहायता, अतिरिक्त ऋणों तथा अतिरिक्त हीनार्थ प्रवन्धन से पूरा करने का निश्चय किया गया था। किन्तु जब योजना में व्यय की राशि को २३७८ करोड़ रुपये कर दिया गया तब ५२१ करोड़ रुपये की प्रारम्भिक कमी ८२० करोड़ रुपये की कमी में बदल गई थी। योजना के ५ वर्षों में १२७७ करोड़ रुपये बजट से प्राप्त हुए थे, २०३ करोड़ रुपये विदेशी सहायता से प्राप्त हुए थे और ५३२ करोड़ रुपये का हीनार्थ प्रवन्धन करना पड़ा था। इस प्रकार योजना के लिये कुल धन इन चार स्रोतों से प्राप्त हुआ था। (१) ऋणों (२) करारोपण (३) हीनार्थ प्रवन्धन और (४) विदेशी सहायता।

ऋण प्राप्त करने में सरकार को आशा से भी अधिक सहायता प्राप्त हुई थी। यह ध्यान रहे कि योजना के पहले वर्ष में सरकार को ऋण प्राप्त करने में कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, क्योंकि उस वक्त मुद्रा बाजार की स्थिति बहुत खराब थी किन्तु अगले दो वर्षों में मुद्रा बाजार की स्थिति सुधर जाने से सरकार को बहुत सफलता प्राप्त हुई और योजना के चौथे वर्ष में सरकार ने बाजार से बहुत बड़ी मात्रा में ऋण इकट्ठे किये, और ५ वर्षों में जो ऋण प्राप्त हुए उनकी राशि निर्धारित लक्ष्य की अपेक्षा ८७ करोड़ रुपये अधिक थी। योजना के ५ वर्षों में २०२ करोड़ के ऋण प्राप्त हुए थे जबकि लक्ष्य केवल ११५ करोड़ रुपये ही एकत्रित करने का था। इन ५ वर्षों में अल्प वनतो, प्रावधान कीचो इत्यादि से २७० करोड़ रुपये के स्थान पर ३०४ करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। यह हर्ष की बात है कि सन् १९५०-५१ की अपेक्षा अल्प बचती से एकत्रित हुई राशि योजना के अन्तिम वर्ष में दुगुनी हो गई थी।

प्रथम योजना के काल में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की करारोपण से प्राप्त होने वाली राशि में कोई विशेष वृद्धि नहीं हो पाई थी। सन् १९५०-५१ में करों से लगभग ६२६ करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। सन् १९५१-५२ में कीर्त्या युद्ध के कारण अधिक लाभ प्राप्त होने से करारोपण से ७३८ करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। इसके बाद अगले २ वर्षों में करो से प्राप्त आय में कुछ कमी ही गई किन्तु योजना के चौथे वर्ष में इस आय में फिर वृद्धि हुई और सन् १९५५-५६ में करो से लगभग ७५० करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। योजना के ५ वर्षों में अतिरिक्त करारोपण से १७५ करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त हुई थी और राष्ट्रीय आय में करो का अनुपात जो सन् १९५०-५१ में ६.६% था वह सन् १९५५-५६

में बढ़ कर केवल ७% ही हो पाया। भारत जैसे देश के लिये जहाँ करारोपण प्रणाली नाफी मुख्यवस्थित है करो से इतनी कम राशि प्राप्त होना आश्चर्यजनक बात है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में हीनार्थ प्रबन्धन की नीति को बड़ी सावधानी से लागू किया गया था। अर्ध विकसित देश में हीनार्थ प्रबन्धन की नीति बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। एक तो यह रोजगारों की संख्या में वृद्धि करने में सहायक हो सकती है और दूसरे पूंजी निर्माण की गति को तीव्र कर सकती है। प्रथम योजना में सरकार के बजट के घाटों ने राष्ट्रीय व्यय में वृद्धि की थी और बजट के घाटों को सरकार ने अपने एकत्रित कोषों से तथा रिजर्व बैंक से ऋण लेकर पूरा किया था। प्रथम योजना में सरकार को यह आशा थी कि २६० करोड़ रुपये का हीनार्थ प्रबन्धन होगा, और क्योंकि यह राशि पीठ पावनों के कोषों से प्राप्त की जानी थी, इसलिये हीनार्थ प्रबन्धन से मुद्रा प्रसार में वृद्धि होने का भय नहीं था। योजना के प्रथम वर्ष में हीनार्थ प्रबन्धन करने की कोई आवश्यकता नहीं हुई क्योंकि सरकार को आवश्यकता से अधिक राशि बजट से ही प्राप्त हो गई थी। योजना के दूसरे और तीसरे वर्षों में घाटों को नकद कोषों से पूरा किया गया था। किन्तु मन् १९५४-५५ के बाद बजट के घाटों को कोष बिलों (Treasury Bills) में वृद्धि करके पूरा किया गया था। योजनाकाल में राज्य सरकारों के बजट के घाटों का अनुमान लगभग २०० करोड़ रुपये का था। किन्तु क्योंकि यह राशि अधिकतर जनता से ऋणों द्वारा प्राप्त की गई थी इसलिये इसे हीनार्थ प्रबन्धन नहीं कहा जा सकता। इतना हीनार्थ प्रबन्धन होने के बाद भी भारत में मुद्रा स्थिति में कोई विशेष वृद्धि नहीं होने पाई थी। यह निम्न तालिका से विदित हो जाता है —

	थोक मूल्यों सम्बन्धी सूचक अंक (१९३६—१००)	रहन महन की लागत सम्बन्धी सूचक अंक (१९४६—१००)
१९५०—५१	४५०	१०१
१९५१—५२	२७५	१०४
१९५२—५३	३८५	१०४
१९५३—५४	३६७	१०६
१९५४—५५	३४०	६६
१९५५—५६	३६०	६६

मुद्रा प्रसार में वृद्धि न होने के कई कारण थे। पहला कारण तो यह था कि योजना के अन्तिम दो वर्षों में ही मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हुई थी, जिसके प्रभाव

को प्राप्त करने के विभिन्न स्रोतों की विवेचना निम्न पृष्ठों में करेंगे और यह देखेंगे कि नियोजन आयोग के अनुमान कहीं तक सफल हो सकते हैं।

भारत में आर्थिक नियोजन कार्यक्रम का मौखिक उद्देश्य राष्ट्रीय आय की वृद्धि में से अधिकाधिक मात्रा में बचतें प्राप्त करना है और इन बचतों से विनियोग के एक निरन्तर बढ़ते हुये कार्यक्रम के लिये आवश्यक वित्त की व्यवस्था इन उद्देश्य से, करना है कि राष्ट्रीय आय में निरन्तर वृद्धि होती रहे। इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भारतीय कर प्रणाली में इस प्रकार उलट फेर करनी होगी कि योजना-काल में अधिक से अधिक गात्रा में बचतें प्राप्त हो सकें। दूसरे शब्दों में उन सभी व्यक्तियों पर अधिकाधिक मात्रा में कर लगाने होंगे जिनके लाभों की मात्रा में विकास कार्यक्रम के कार्यान्वित होने से वृद्धि हो रही है। उन्हें कर का बढ़ता हुआ भार महसूस भी नहीं होगा। दूगरी योजना में धन को व्यय करने का जो कार्यक्रम निर्दिष्ट हुआ है, उसके आधार पर भावी कर प्रणाली की प्रकृति को भली प्रकार से जाना जा सकता है। योजना में अधिकांग व्यय सामाजिक सेवाओं और भारी उद्योगों के विकास पर किया जायेगा। इसलिये भविष्य में मुद्रा स्फीति की सम्भावना बहुत अधिक रहेगी। आयों की वृद्धि से वस्तुओं की माँग उनकी पूर्ति की अपेक्षा अधिक होगी और मूल्यों में वृद्धि होगी, किन्तु सरकार इसको अप्रत्यक्षकर लगाकर रोक सकती है और प्रत्यक्ष करों में भी आवश्यक फेर बदल उसको करने होंगे। कर जाँच आयोग ने इन सब स्थितियों को देखकर ही अपनी करारोपण नीति निर्मित की थी जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय कर प्रणाली को विकास सम्बन्धी नियोजन के अनुकूल बनाना था। ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरी योजना में करों की संख्या एवं दरों में इस प्रकार परिवर्तन करने होंगे कि अधिकाधिक मात्रा में अप्रत्यक्ष कर लगाने होंगे और विलासिता की वस्तुओं के अतिरिक्त आवश्यक उपभोग की वस्तुओं पर भी कर लगाने होंगे। आर्थिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था में ऐसे करों की बहुत आवश्यकता होगी है, क्योंकि वस्तुओं की पूर्ति उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाती है जितनी तेजी से क्रयशक्ति बढ़ती है और ऐसे कर व्यक्तियों की अतिरिक्त क्रय शक्ति को कम करने में सहायक होने हैं। किन्तु यदि अप्रत्यक्ष करारोपण का प्रयोग आवश्यकता से अधिक होता है तो इससे विकास कार्यक्रम को हानि होती है और प्रजातन्त्रीय नियोजन का वास्तविक उद्देश्य ही सम्पूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रत्यक्षकरों को भी लागू करना होगा जैसे व्यक्तिगत आयकर, व्ययकर, पूजीकर, किन्तु इस प्रकार, कि उत्पादन पर बुरा प्रभाव न पड़े।

दूसरी योजना में कृषि क्षेत्र में आय में अधिक वृद्धि होगी। हमारे देश में ग्रामीण जनता के ऊपर शहरी जनता की अपेक्षा कर भार कम है, क्योंकि अधिकतर अप्रत्यक्ष कर गैर-कृषि वस्तुओं पर लगे हुये हैं, जिनका उपभोग ग्रामीण क्षेत्र वाले नहीं करते हैं। कर जाँच आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कर भार ६.५% है - और ग्रामीण क्षेत्रों में ५.३% है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कर बढ़ाने की अधिक गुन्नाहट है और सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष कर बढ़ाने के अतिरिक्त

कृपि कर या उन्नति या उपकर उग क्षेत्रों में लगाने होंग जहाँ उन्नति के बिन्हु अधिक इष्टिगोवर हो रहे हों। किन्तु यह ध्यान रहे कि करारोपण से कृपि उत्पादन पर बुरे प्रभाव न पडें। आर्थिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था में छावात्न की मात्रा म बहुत वृद्धि होती है, इसलिये करारोपण के साथ साथ उत्पादन की मात्रा एव गुणों म आवश्यक उन्नति प्राप्त करने के लिये कृपको को कुछ रियायतें देनी होगी और आर्थिक सहायता भी देनी होगी। प्रत्यक्ष करों में भी इस प्रकार समायोजन स्थापित करना होगा कि सरकार को अधिक आय प्रदान करने के साथ साथ वे पूजा निर्माण को भी प्रोत्साहन दे सकें। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में प्रत्यक्ष करों की दरों के मोट्टी मो उँची होने से कोई हानि नही होती क्योंकि ऐसी अर्थव्यवस्था में सरकार की सावधानी के कारण धाभ की दरें भी उँची होती हैं और जोखिम का अत भी कम होता है। यह ध्यान रहे कि दूसरी योजना में कुल उपभोग व्यय के २१% की वृद्धि होने की आशा है जबकि राष्ट्रीय आय में केवल २५% की वृद्धि होगी। इस प्रकार कर धाय में वृद्धि तो अवश्य होगी परन्तु वह आशा करना कि १२०० करोड रुपये (८०० करोड का तो साधारण लक्ष्य है ही और ४०० करोड साधनों की कमी को पूरा करने के लिये) प्राप्त हो सकेंगे, अनुचित है।

दूसरी योजना में जनता ने १२०० करोड रुपये प्राप्त होने का अनुमान है, ७०० करोड रुपये, ऋणों से और ५०० करोड रुपये अल्प बचतों से। सरकार को अन्य उपायों की अपेक्षा अल्प बचतों को एकत्रित करने की और अधिक ध्यान देना चाहिये। इसी में सफलता की अधिक आशा है। सरकारी व्यय की मात्रा अधिक होने के कारण और रोजगार में वृद्धि होने के कारण सरकार को अल्प बचतों से अधिक धन प्राप्त हो सकता है। कुछ लेखकों ने 'स्वगित साख प्रणाली' का प्रस्ताव दिया है।^१ इस प्रणाली में नयी आयों का भूगलान करते समय, कुछ भाग ने भुगतान की सरकार स्वगित करदे और इस प्रकार प्राप्त धन को विकास कार्यों में खर्च करे और जो आय कमाने वाले हैं जितकी आय का वह भाग जिस का भुगतान स्वगित कर दिया गया था, उनको कुछ निश्चित समय बाद मये सूद के वापिस करदे। वास्तव में व्यक्ति करारोपण की अपेक्षा अनिवाय बचतों को अधिक पसंद करे।

हम पहले ही कह चुके हैं कि दूसरी योजना म १२०० करोड रुपयों का हीनार्थ अन्वेषण होगा। १२०० करोड रुपयों म १०० करोड रुपयों के अल्प बचतों के निकाल लिये जायेंगे और १००० करोड रुपयों की राशि के नये नीट प्रकाशित किसे जायेंगे। इस प्रकार दूसरी योजना में जितनी धन राशि व्यय की जायेगी उतना लगभग २०% नई मुद्रा की निकासी करके प्राप्त किया जायेगा। यह ध्यान रहे कि मुद्रा की पूर्ति में यह वृद्धि एक दम और एक साथ भटके के साथ नही होनी चाहिये क्योंकि इससे अत्यधिक मुद्रा प्रसार होने का भय रहता है। इसलिये एक अर्थ

विकसित देश में मुद्रा की पूति धीरे धीरे समान गति से बढ़ाई जानी चाहिये ताकि मुद्रा प्रसार की गति धीमी हो रहे। मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये अन्य प्रकार के उपाय भी किये जा सकते हैं, जैसे, कर ढाँचे को कस कर, मूल्य नियन्त्रण तथा राशनिंग इत्यादि। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय नियोजन आयोग राशनिंग और मूल्य नियन्त्रण के पक्ष में नहीं है। मूल्य नियन्त्रण से दीर्घकाल में काम करने की इच्छा हतोत्साहित होती है, उत्पादन में बाधा उत्पन्न होती है, धन की गुप्त रूप से मचय करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, जोर बाजारी बढ़ती है, और सप्रभाबिक रूप से सरकार मुद्रा स्फीति को रोकने में सफल नहीं होती। इस प्रकार हीनार्थ प्रबन्धन के बुरे प्रभावों को रोकने के लिये करारोपण ही एक उपयुक्त उपाय प्रतीत होता है।

साधारणतया मुद्रा की पूति में वृद्धि होने के साथ साथ वस्तुओं की पूति भी बढ़नी चाहिये। यदि ऐसा नहीं होता तो वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लगेंगे। किन्तु एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान देने योग्य है, वह यह कि जितना हीनार्थ प्रबन्धन करने का निश्चय सरकार ने किया है, उससे नोटों की मात्रा में वृद्धि न होने पर भी मुद्रा प्रसार उत्पन्न होना स्वभाविक ही है। बात यह है कि जब विनियोगों में धन राशि हीनार्थ प्रबन्धन द्वारा लगाई जाती है, तो व्यक्तियों की आय बढ़ने लगती है, और यदि इसके साथ साथ उपभोग तथा अन्य प्रकार की वस्तुओं में वृद्धि नहीं होती तो वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि अनिवार्य रूप से होगी। यदि सरकार ने विनियोगों में जो राशि लगाई है, उसे अतिरिक्त करारोपण या ऋणों द्वारा प्राप्त किया गया है तो मूल्यों में वृद्धि होने की सम्भावना होगी ही नहीं, क्योंकि एक तो वास्तविक मुद्रा की पूति में कोई वृद्धि हुई ही नहीं है, और इसके अतिरिक्त लोगों के पास जो कय शक्ति थी वह सरकार ने अपने लिये प्राप्त करली और दूसरे जो कुछ कय शक्ति व्यक्तियों के पास रह गई है, उसके लिये वस्तुएँ पहले से ही उपलब्ध थी।

साधारणतया यह कहा जाता है कि जो अतिरिक्त धन का विनियोग किया जाता है, उससे वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होने से वस्तुओं के मूल्यों में स्फीतिक वृद्धि नहीं होती। किन्तु भारत में जैसी परिस्थितियाँ हैं, उनमें यह आशा करना निरर्थक होगा कि हीनार्थ प्रबन्धन द्वारा व्यक्तियों की वस्तुओं की माँग में जो वृद्धि होगी उसके साथ साथ वस्तुओं की पूति उसी अनुपात में बढ़ेगी। इसके कई कारण हैं — प्रथम, क्योंकि दूसरी योजना में भारी उद्योगों के विकास पर मुख्य प्रकार से ध्यान दिया गया है, इसलिये उपभोग की वस्तुओं में एकदम वृद्धि नहीं होगी, कुछ समय बाद उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाया जा सकेगा, और इतने समय में मूल्यों में स्फीतिक वृद्धि हो जायेगी। दूसरे, मशीनों आदि में जितनी फालतू उत्पादन शक्ति थी, उसका पूरा उपयोग पहली योजना में ही हो चुका है, इसलिये अब उधर भी उत्पादन बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं देखती। तीसरे, यद्यपि कुछ प्रकार के श्रमिक बहुतायत में हैं, किन्तु निपुण तथा यत्नशील और अन्य उद्योगों के

भारत में आर्थिक नियोजन का प्रारम्भिक इतिहास (Early History of Economic Planning in India)

प्रारम्भिक इतिहास—

विदेशियों के आने से पहले हमारा देश नोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध था। परन्तु विदेशियों ने हमारे देश को ऐसा खोखला कर दिया कि आज भारत की सम्पन्नता निम्न स्तर पर है और उसको अतिक्रमिit और पिछड़े हुए देशों की सूची में सम्मिलित किया जाता है। पिछली दो शताब्दियों में भारत की जो आर्थिक अवनति हुई है जिसका प्रभाव देश के सम्पूर्ण जीवन पर पड़ा है, उसके इतिहास व विषय में हम सभी ही भली भाँति जानते हैं। आज हम निर्धन हैं और अपने निर्माण के लिए विदेशों का मुँह ताक रहे हैं। हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय निम्नतम है, हमारी कृषि पिछड़ी हुई अवस्था में है और हमारे उद्योग अन्य देशों की अपेक्षा आधुनिक ढंग पर नहीं चलाये जाते। हमारे देश में वैज्ञानिक अनुसंधान का स्तर बहुत नीचा है और हर क्षेत्र में आज हम विदेशों की तुलना में बहुत गिरे हुए हैं। पिछले २० वर्षों तक भारत में निर्वाधावादी नीति का बॉनबाला रहा है और विदेशी प्रतिभोगिता तथा विदेशी सरकार की नीतियों ने हमारे देश की आर्थिक सम्पन्नता को जड़ों को हिलाकर रख दिया था। किन्तु भारतवासी इससे अनभिज्ञ न थे। भारत की जनता ने बहुत पहले से ही ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध तथा उल्लंघन तक करना आरम्भ कर दिया था। ब्रिटिश सरकार ने भी धीरे-धीरे निर्वाधावादी नीति को त्याग दिया और अन्य देशों के साथ-साथ भारत में भी निवन्धित व्यापार की नीति को अपनाया गया। जैसे तो सवार में २०वीं शताब्दी के आरम्भ से ही आर्थिक नियोजन की नीति का महत्व बढ़ना आरम्भ हो गया था, परन्तु प्रथम महायुद्ध के बाद तो प्रत्येक देश की सरकार ने आर्थिक नियोजन को अपनी नीति का एक मुख्य अंग बना लिया और आज आर्थिक नियोजन प्रत्येक देश के आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यक अंग बन गया है। भारत में आर्थिक नियोजन का कार्य बहुत पहले ही आरम्भ हो जाना चाहिये था परन्तु ब्रिटिश शासकों ने भारत के आर्थिक विकास की ओर ध्यान ही नहीं दिया और उसका परिणाम यह है कि आज भी देश की ७०% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और हमारे यहाँ का जीवन स्तर

प्रयत्नो द्वारा देश के आर्थिक विकास के हेतु समय-समय पर प्रस्तुत की गई थी। हम निम्न में इन योजनाओं का एक संक्षिप्त विवरण देते हैं :—

(१) बम्बई योजना (Bombay Plan)—यह योजना सन् १९४४ में प्रकाशित की गई थी। इस योजना के आने से पहले नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रमों पर विचार विमर्श तो बहुत हुए थे परन्तु कोई भी कमबद्ध योजना जनता के सम्मुख नहीं आई थी। इसका वास्तविक शीर्षक 'भारत के आर्थिक विकास के लिये एक योजना' था। परन्तु क्योंकि इसके निर्माणकर्ताओं में से ७ बम्बई के प्रमुख उद्योग-पति थे इसलिये यह बम्बई योजना के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इस योजना के मुख्य लक्ष्य थे - प्रथम, भारत की प्रति व्यक्ति आय १५ वर्ष के अन्दर वर्तमान स्तर की अपेक्षा दुगुनी करना और दूसरे, कृषि आय तथा औद्योगिक आय दुगुनी करना। इस योजना की कुल लागत १० हजार करोड़ रुपये रखी गई थी और इस राशि का व्यय निम्न प्रकार होता था —

			(करोड़ रुपये में)
उद्योग	४४८०
कृषि	१२८०
यातायात	६००
शिक्षा	४६०
स्वास्थ्य	४५०
गृह व्यवस्था	२,२००
विविध	२००

यह राशि निम्न स्रोतों से प्राप्त की जानी थी —

बाह्य साधन—

संचित धन	३०० करोड़ रु०
पौड प्रतिभूतियाँ	१,००० " "
व्यापार	६०० " "
विदेशी ऋण	७०० " "
योग	२,६०० " "

आन्तरिक साधन—

बचत	४,००० करोड़ रु०
मुद्रा प्रसार	३,४०० " "
योग	१०,००० " "

इस योजना की प्रमुख बातें निम्न प्रकार हैं —

(१) कृषि विकास—योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि उत्पादन को दो गुने से अधिक करना था, जिसके लिये कृषि भूमि का विभिन्न फसलों में पुनर्वितरण होना था। साथ ही कृषि के वर्तमान दोषों जैसे अनाधिक जोत, ग्रामीण ऋण, भूमि का

कटाव आदि को कम करना था। इसलिए योजना म नये-नये जगल लगाने तथा सहकारिता के आधार पर कृषि करने की विधि पर जोर दिया गया था। योजना में वैज्ञानिक खेती पर भी जोर दिया गया था। कृषि विकास के लिये धन के व्यय की आवश्यकताएँ निम्न प्रकार थी—

	आवर्तक राशि (Recurring)	अनावर्तक राशि (Non Recurring)
मृग की सुरक्षा	१० करोड़ ६०	२०० करोड़ ६०
कार्यशील पूँजी	२४० " "	—
सिंचाई—		
नहरें	१० " "	४०० " "
कुयें	—	५० " "
आरग लेन	१३० " "	१६५ " "
योग	४०० " "	८४५ " "

(२) उद्योग—योजना में औद्योगिक विकास के क्षेत्र में आधारभूत उद्योगों को प्राथमिक स्थान दिया गया था। उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों का उत्पादन भी दो गुना करने का उद्देश्य था। इससे साथ-साथ उपलब्ध श्रमशक्ति का अधिकतम उपयोग करने में बड़ी-बड़ी तथा कीमती मशीनों को खरीदने में भारी व्यय को कम करने के लिए छोटे छोटे तथा कुटीर उद्योगों के विकास को विशेष महत्व प्रदान किया गया था। योजना समाप्त होने के बाद उद्योगों से जो शुद्ध उत्पादन प्राप्त होता है उसके आधार पर पूँजी सम्बन्धी आवश्यकताओं का अनुमान लगाये गये थे। इनका मूल्य २,२४० करोड़ रुपये आँका गया था और पूँजी और शुद्ध उत्पादन का अनुपात २ : ४ रखा गया था। इसीलिए उद्योगों पर ४४८० करोड़ रुपये का व्यय आवश्यक था। योजना में छोटे तथा बड़े पैमाने दोनों ही प्रकार के उद्योगों के विकास के लिये प्रयत्न किया गया था। परन्तु आधारभूत उद्योगों, जैसे शक्ति, छान, रसायन पदार्थ, रंग, यातायात, सीमट प्रादि के विकास को अधिक बल प्रदान किया गया था। उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों में कपड़ा, काँच, लकड़ा, चीनी, कागज, तम्बाकू और तेल उद्योगों के विकास की व्यवस्था की गई। देश में नैसर्गिक को दूर करना तथा विदेशी पूँजी की आवश्यकताओं को कम करने के लिये योजना में कुटीर उद्योगों को उचित महत्व प्रदान किया गया था।

(३) यातायात—यातायात में रेलें, सड़कें तथा बन्दरगाहों आदि की उन्नति तथा प्रगति के लिए प्रयत्न किये गये थे। योजना काल में रेलों की कुल लम्बाई ४,२१,००० मील की वृद्धि होनी थी। सड़कों की लम्बाई दुगुनी करनी थी और विदेशी व्यापार बढ़ाने के लिये बन्दरगाहों को विकसित करना था। योजना में यह

भली-भाँति स्वीकार कर लिया गया था कि कृषि एवं औद्योगिक विकास बिना आवागमन के साधनों के सम्भव नहीं हो सकता।

इसके अतिरिक्त योजना में स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा, भोजन आदि के लिये भी व्यवस्था की गई थी।

जहाँ तक योजना के अर्थ प्रवन्ध का सम्बन्ध है, उसमें मुद्रा प्रसार का महत्वपूर्ण स्थान था। मुद्रा प्रसार से मूल्यों में वृद्धि होने का भय होता है इसलिए योजना काल में अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षत्रों पर मुद्रा प्रसार द्वारा पड़ने वाले प्रभावों की विपमता को दूर करने के लिए योजना में सरकारी नियन्त्रण को आवश्यक बताया गया था और यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि अस्थायी तौर पर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रदान नहीं की जा सकेगी। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से यह योजना का एक दोष था किन्तु योजना के निर्माणकर्त्ताओं ने यह स्पष्ट कर दिया था कि 'बिना आय के नियोजन असम्भव होता है।'

योजना बनाने वालों का अनुमान था कि योजना के लिए आवश्यक कच्चा माल अधिकतर देश में ही मिल जाएगा फिर भी इसको कार्यान्वित करने से पहले योजना के लिए नियत किए गए आय के विभिन्न स्रोतों कृषि भूमि, शक्ति तथा अन्य साधनों की विस्तृत जाँच करनी आवश्यक होगी। इसी प्रकार जब तक कुशल एवं शिक्षित श्रमिक प्राप्त नहीं होते तब तक भारत को विदेशी श्रमिकों तथा पूंजीगत वस्तुओं का उपयोग करना होगा। यह योजना एक पूंजीवादी योजना थी और इसको तीन मुख्य खण्डों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक खण्ड की अवधि ५ वर्षों तक की गई थी।

वम्बई योजना से स्पष्ट हो जाता है कि पूंजीवादी नियोजकों ने आर्थिक ढाँचे की नींव आधारभूत उद्योगों पर रखने का निश्चय किया था और इस प्रकार उन्होंने रूमी ढंग को अपनाया था। साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि लघु तथा कुटीर उद्योगों को बड़े उद्योगों के साथ साथ विकसित करने में उन्होंने रूमी नियोजन विधि में कुछ सहोधन भी कर दिए थे, जबकि इसी नियोजकों का मुख्य उद्देश्य उपभोग स्तर को न्यूनतम रखना था और आधारभूत उद्योगों को प्राथमिक महत्त्व देना था। भारत के पूंजीवादी नियोजकों का उद्देश्य उपभोग तथा उत्पादन दोनों ही प्रकार की वस्तुओं को साथ-साथ उत्पन्न करना था। यदि देखा जाय तो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, वम्बई योजना के आधार पर ही बनाई गई है। वैसे तो उनका दृष्टिकोण मोटे तौर पर सही था, परन्तु उन्होंने जो लक्ष्य नियत किए थे वह न तो देश की परिस्थितियों के अनुकूल थे और न एक दूसरे से सम्बन्धित ही। क्योंकि वम्बई योजना के निर्माता अधिकतर व्यापारी थे इसलिए वह नियोजन की सही विधि पर पूरा ध्यान नहीं दे पाये थे। इसलिए वह प्रत्येक क्षेत्र का सही आधार नहीं निश्चित कर पाये थे और वे इस ओर ध्यान देने में पूर्णतया असमर्थ रहे कि एक क्षेत्र का विकास अन्य क्षेत्रों के विकास पर निर्भर करता है। इस मौलिक दोष के कारण और किसी भी आर्थिक योजना की पूर्ति के लिए जो आवश्यक

होता है उसके अभाव में बम्बई योजना को कार्यान्वित करने की ओर कोई गम्भीर ध्यान नहीं दिया गया। यद्यपि यह योजना भारतीय नियोजकों के लिये प्रेरणा प्रदान करने में पूर्णतया सफल हुई।

(२) जनता की योजना (Peoples' Plan)—इस योजना को रायवादी योजना भी कहा जाता है क्योंकि यह इन्डियन फीडरेशन ऑफ सेक्टर की पुनर्निर्माण समिति द्वारा बनाई गई थी जिसमें श्री एम० एन० राय का प्रमुख हाथ था। कुछ व्यक्तियों के अनुसार यह योजना बम्बई योजना की अपेक्षा अधिक व्यावहारिक और अच्छी बताई जाती है, क्योंकि इसमें नियोजन तथा भारत की आर्थिक दशा के प्रत्यक्ष पहलू पर खूब सोच विचार करने के बाद लक्ष्य निश्चित किये गए थे। योजना में उसको कार्यान्वित करने की विधि का भी वर्णन दिया गया है। योजना के निर्माताओं ने इस योजना को तीन मौलिक सिद्धान्तों पर आधारित किया है —

- (अ) निजी लाभ की प्रथा सामान्य जनता के हितों के लिये विरोधी है,
- (ब) इसलिये निजी लाभ पर कड़े नियन्त्रण लगाने चाहिये, और
- (स) उत्पादन विनियम के लिये न होकर उपभोग के लिये होना चाहिए।

योजना के उद्देश्य —

निर्माताओं के अनुसार योजना का मुख्य उद्देश्य १० वर्षों में जनता की वर्तमान तथा अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। इसीलिये उद्योगों और कृषि विकास को समान महत्त्व दिया गया था। औद्योगिक विकास में उपभोग वस्तुओं के उद्योगों को प्राथमिक उद्योगों की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया गया था। इस योजना में कुटीर उद्योगों की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था जो इस का सबसे बड़ा दोष था।

१० वर्षों की अवधि में कुल १५,००० करोड़ रुपया व्यय किये जाने का अनुमान था। यह व्यय निम्न प्रकार किया जाता —

१ कृषि	२६५० करोड़ रु०
२ उद्योग	५६०० " "
३ गृह निर्माण		..	३१५० " "
४ यातायात	१५०० " "
५ शिक्षा	१०४० " "
६ स्वास्थ्य	७६० " "
		कुल	<u>१५,००० " "</u>

१५,००० करोड़ रुपयों की राशि की व्यवस्था करने के लिये योजना में निम्न स्रोतों की तरफ मकत था —

			(करोड़ रुपये में)
१	कृषि आय	...	१०,५१६
२	औद्योगिक आय	...	२,५३४
३	प्रारम्भिक अर्थ व्यवस्था	...	८१०
४	पीड पावने	...	४५०
५	भूमि के राष्ट्रीयकरण से प्राप्त आय	...	६०
कुल			<u>१५ ०००</u>

योजना के अनुसार पहले तीन वर्षों में लगभग १६०० करोड़ रुपये खर्च की जाने की आशा थी। इस राशि को ऐसी मद्दा पर खर्च किया जाने का विचार था, जिसे तुरन्त ही आय प्राप्त होती ताकि इस आय से योजना के बाद के वर्षों के लिये धन प्राप्त हो सकता। इस प्रकार योजना की दूसरी विशेषता स्वयं वित्त प्राप्त करने के साधनों का प्रबन्ध करना था।

योजना के निर्माताओं का विचार था कि जनता की आय में उचित वृद्धि करने के लिये कृषि विकास पर ही ध्यान देना अधिक उपयुक्त था, क्योंकि देश की ७०% से भी अधिक जनता कृषि व्यवसाय पर निर्भर है। इसी उद्देश्य से योजना के समय के अनुसार दो खण्डों में विभाजित किया गया था। पहले ५ वर्षों में कृषि विकास की ओर ध्यान देना था और दूसरे ५ वर्षों में औद्योगिक विकास पर दृष्टि को केन्द्रित करना था। जहाँ तक अन्य सामाजिक सेवाओं का सम्बन्ध था जैसे, स्वास्थ्य, शिक्षा, गृहनिर्माण आदि इन पर किये जाने वाले व्यय की राशि कृषि से प्राप्त होने वाली अन्य अतिरिक्त आय पर निर्भर रखी गई थी। फिर भी योजना के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम २६०० कैलोरीज भोजन तथा ५० गज वपडा देने की व्यवस्था की जाती। योजना के अनुसार शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सम्बंधी सेवाएँ प्रदान करने के लिये औपचारिक, प्रसृत गृहा, सैनीटोरियम आदि की व्यवस्था करने का विचार था। शिक्षा प्रणाली के लिये प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूला तथा यूनिवर्सिटी और सांस्कृतिक केन्द्रों की सम्पूर्ण व्यवस्था करने का आयोजन किया गया था।

औद्योगिक विकास का मुख्य उद्देश्य लाभ वमाना नहीं था बल्कि जनता की आवश्यकताओं को पूरित करना था। लाभ का वितरण व्यक्तियों में नहीं किया जाता बल्कि सरकारी खजाना में जमा किया जाता है। वितरण एवं उत्पादन पर पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण रहता है। इस प्रकार निजी उपक्रम भी सरकारी नियंत्रण में कार्य करते हैं। योजना में यातायात और संचाद वाहन के साधना में वृद्धि करने की भी उचित व्यवस्था की गई थी। जिसके अनुसार रेलों की लम्बाई में ५०%, सड़कों की लम्बाई में १५०%, जहाजों की क्षमता में ३३ लाख टन की वृद्धि करने का मुख्य लक्ष्य था तथा नये बन्दरगाहों का विकास एवं विस्तार भी किये जाने की व्यवस्था की गई थी।

कृषि विकास का मुख्य अंग कृषि भूमि का राष्ट्रीयकरण था। योजना के निर्माणकर्ताओं के अनुसार लगभग १,०२२ करोड़ रुपये की राशि मुद्रावली के रूप में भूमि के राष्ट्रीयकरण करने के बदले में दी जाती। योजनाकाल में कृषि भूमि में १०% की वृद्धि करने का लक्ष्य था, २५,००० आदर्श खेतों का निर्माण होना था तथा किसानों के ऋणों में कम से कम २५% की कमी होनी थी। मिर्चाई की व्यवस्था के लिये तथा भूमि में कटाव को रोकने के लिये भी योजना में उचित प्रयत्न किया गया था। योजना में कृषि में मशीना का प्रयोग करने के विचार को अपनाया गया था और इन सब प्रयत्नों से कृषि उत्पादन में ४ गुनी वृद्धि करने का लक्ष्य निश्चित किया गया था।

निर्माणकर्ताओं ने योजना में यह भी स्पष्ट कर दिया था कि वेको तथा अन्य राजस्व गन्थाओं पर सरकार का पूर्ण नियन्त्रण रहेगा और विदेशी व्यापार तथा विदेशों से आयिन सम्बन्ध स्थापित करने का पूर्ण अधिकार सरकार को प्राप्त होगा।

(३) गांधीवादी योजना—यद्यपि यह योजना गांधीजी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी किन्तु इसको गांधीवादी योजना केवल इसलिये कहते हैं कि इसको गांधीजी द्वारा प्रस्तुत किए गये विचारों पर आधारित किया गया था। इसके निर्माता श्रीगन्धारायण दशवाल थे। भारत की निधनता को ध्यान में रखते हुये योजना का कुल व्यय १० वर्षों में ३५०० करोड़ रुपये रखा गया था। योजना का निर्माण करते समय मुख्यरूप से दो दृष्टिकोण अपनाये गये थे—प्रथम नैतिक, और दूसरा सांस्कृतिक। इन दृष्टिकोणों के आधार पर चार आधारभूत सिद्धान्तों की रचना की गई थी—(१) सादा जीवन, (२) साहिता, (३) मानवीय आदर्श और (४) श्रम का महत्त्व। योजना में मशीनों के उपयोग को कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया था और चर्खे एवं कुटीर उपयोग को प्रमुख महत्त्व प्रदान किया गया था।

योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार थे—

योजना अवधि में जनता का आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन उत्तम करना, देश के नागरिकों के लिये पर्याप्त भोजन, वस्त्र एवं गृहों की व्यवस्था करना तथा जन उपयोगी सेवाओं को प्रदान करना और बालका के लिये अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना। इस उद्देश्य से योजना का लक्ष्य कम से कम ६०% जनसंख्या की प्रति व्यक्ति आय को योजना अवधि में चार गुना बढ़ाना था। इन लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिये योजना में व्यय की राशि को विभिन्न स्रोतों पर निम्न प्रकार बाँटा गया था—

	₹	₹	₹	(करोड़ रुपये में)
१ कृषि	१,१७५
२ वृहत उद्योग	१,०३०
३ ग्रामीण उद्योग	-	३५०
४. यातायात	४००
५. सामाजिक सेवार्थ	५४५
			कुल	३,५००

उपर्युक्त राशि को निम्न स्रोतों से प्राप्त करने का विचार था—

१. आन्तरिक ऋणों द्वारा	२,००० करोड़ ₹०
२. निमित्त मुद्रा द्वारा	१,००० " "
३. वरारोपण द्वारा	५०० " "
				कुल ३,५०० " "

भोजन, वस्त्र एवं गृहों की समुचित व्यवस्था करना योजना का मुख्य लक्ष्य था। योजना के अनुसार प्रति व्यक्ति १६०० कैलोरीज भोजन, २० गज कपड़ा तथा १०० वर्ग फुट भूमि प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करने के लिये व्यवस्था की जायेगी। योजना में प्राचीण हित, कृषि एवं कृषि सम्बन्धी उद्योगों के उचित विकास को बहुत महत्त्व दिया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य गाँवों की आर्थिक दृष्टिकोण से स्वावलम्बी बनाना था। योजना को कार्यान्वित करने में ग्राम पंचायतों की विशेष स्थान दिया गया था। ग्राम पंचायतों के निर्माण तथा विकास की ओर ध्यान देना योजना के उद्देश्यों में से एक था। यद्यपि यह पंचायत कस्बा, जिला और प्रांतों में स्थापित की जायेंगी किन्तु अपने क्षेत्रों में इनको बहुत अधिक अधिकार देने का विचार था।

वर्तमान जमींदारी प्रथा को अन्त करने का विचार भी योजना में प्रकट किया गया था और कुटीर उद्योगों तथा कृषि सम्बन्धी अन्य उद्योगों का विकास सहकारिता के आधार पर करने का निश्चय किया गया था। इन उद्योगों में मुख्य-रूप से डेरी फार्मिंग, चमड़ा उद्योग, सड़क, फल इत्यादि की खेती पर अधिक जोर दिया जाता। उपभोक्ता सम्बन्धी वस्तुओं के उद्योगों को पूँजीगत वस्तुओं की अपेक्षा अधिक महत्त्व प्रदान किया गया था जैसे कागज, तेल, गुड, खादी, शहद, ईंटें, लकड़ी आदि उद्योग। योजना में आधारभूत तथा बड़े उद्योगों के विकास पर भी ध्यान दिया गया था, परन्तु इनका विकास केवल इसी दृष्टिकोण से किया जाता कि यह कुटीर उद्योगों की उन्नति में बाधक सिद्ध न हों।

(४) राष्ट्रीय नियोजन समिति—सन् १९३७ में प्रांतों में कांग्रेस द्वारा शासन की बागडोर सम्भालने के बाद सन् १९३८ में ५० नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का निर्माण हुआ। इस समिति ने २६ उप समितियों की नियुक्ति की थी, जिनका उद्देश्य देश की विभिन्न आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना था और उनके विकास के लिये योजनाएँ प्रस्तुत करना था। इन उपसमितियों की रिपोर्ट बाद में प्रकाशित हुई थी, क्योंकि इसी बीच दूसरी सड़ाई छिड़ जाने के कारण कांग्रेस मंत्रालयों ने प्रांतीय शासन को त्याग दिया था, जिसके कारण समितियों के काम कुछ धीमे पड़ गये थे। इन समितियों के काम वास्तव में सराहनीय थे, क्योंकि इनकी रिपोर्टों पर ही वर्तमान योजनाएँ आधारित की गई हैं। समिति ने जिन योजनाओं की प्रस्तुत किया था उनमें कुटीर उद्योगों, छोटे-बड़े पैमाने के उद्योगों, आधारभूत तथा रक्षात्मक उद्योगों की स्थापना एवं विकास पर जोर दिया गया है। इनके अनुगार आधारभूत तथा रक्षात्मक उद्योगों और जनोपयोगी उद्योगों

तथा विदेशी व्यापार पर सरकारी नियंत्रण होना आवश्यक था। अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में निजी उपक्रम को पर्याप्त स्वतन्त्रता दी जानी चाहिये। कृषि क्षेत्र में जमींदारी उन्मूलन तथा महकारी खेती को प्रोत्साहन देकर कृषि के पत्रीकरण की सिफारिश समिति ने की थी। अतः नियोजन समिति ने देश में मिश्रित अर्थ-प्रवस्था स्थापित करने की सिफारिश की थी।

(५) युद्धोत्तर-पुनर्निर्माण समिति—दूसरी लड़ाई समाप्त होते ही भारत के लिये नई नई जाटिव समस्याएँ उत्पन्न हुईं जिनमें से कुछ तो अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति की थी और कुछ राष्ट्रीय प्रकृति की थी। जहाँ तक पहले प्रश्न की समस्याओं का सम्बन्ध था वे केवल अन्तर्राष्ट्रीय सामूहिक प्रयत्नों द्वारा ही पूरी की जा सकती थी किन्तु आन्तरिक कठिनाइयों के लिये यह आवश्यक था कि देश में ही ऐसे प्रयत्न किये जायें जिनसे यह समस्याएँ दूर की जा सकें। वास्तव में यह समस्याएँ युद्ध के आर्थिक एवं सामाजिक परिणाम थे। युद्ध समाप्त होने के तुरन्त बाद ही बढ़ती हुई बेकारी की समस्या सबसे पहली थी। युद्धकाल में नये नये विभागों तथा उद्योगों की स्थापना के कारण हजारों व्यक्तियों को नौकरियाँ प्राप्त हो गई थी परन्तु युद्ध समाप्त होते ही इन व्यक्तियों के बेकार होने की विषम समस्या देश में सम्मुख थी। दूसरी समस्या उद्योगों में सम्बन्धित थी। देश के उद्योगों को युद्धकालीन स्तर से शान्तिकालीन स्तर पर लाना था। युद्धकाल में बहुत से युद्ध सम्बन्धी उद्योग स्थापित हो गये थे जिनकी अब कोई आवश्यकता न थी। साथ ही पुराने उद्योगों का विस्तार भी बंद पड़ा था। मशीनें बहुत अधिक घिस गई थी और अधिकतर बेकार हो गई थी। युद्ध सम्बन्धी वस्तुओं के स्थान पर अब साधारण नागरिकों के लिये उपभोग सम्बन्धी वस्तुओं के उत्पादन का प्रश्न था। तीसरी समस्या युद्धकाल में एकत्रित किये गये वस्तुओं के स्टॉकों की बेचना था। इनकी एकदम बेच देने से बाजार पर बुरा प्रभाव पड़ने की आशा थी इसलिये समस्या इस बात की थी कि इनको ऐसे बेचा जाय कि उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों के हितों को क्षति न पहुँचे। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में होने वाले मुद्रा सम्बन्धी, व्यापार सम्बन्धी, मूल्य सम्बन्धी प्रयत्नों का भी प्रभाव भारत की अर्थ-प्रवस्था पर पड़ रहा था। एक समस्या यह भी थी कि भारतीय मूल्यस्तर को कौन नियन्त्रित किया जायें। भारतीय मुद्रा का अन्तरिक मूल्य बाह्य मूल्य की अपेक्षा बहुत अधिक था जिसके कारण हमारे विदेशी व्यापार को बहुत हानि पहुँच रही थी। सबसे बड़ी समस्या नागरिकों के स्वास्थ्य तथा सामाजिक जीवन को युद्धकाल में जो क्षति पहुँची थी उसकी पुष्टि करने की थी, और फिर युद्धकाल में जो मूल्य तथा वस्तु सम्बन्धी नियन्त्रण लागू किये गये थे उनमें भी ऐसे परिवर्तन करने की समस्या थी जिनसे वे शान्तिकालीन परिस्थितियों के अनुकूल बनाये जा सकें। यद्यपि सरकार ने विभिन्न प्रयत्नों द्वारा इन समस्याओं को अस्थायी रूप से दूर करने के प्रयत्न किये और आरम्भ कर दिये थे परन्तु दीर्घकालीन नियोजन की ओर उनका ध्यान आकर्षित तनिक बेर में हुआ। युद्ध से पहले आर्थिक नियोजन सम्बन्धी जो योजनाएँ बन चुकी थीं उनमें सरकार

को काफी प्रेरणा मिली थी। बम्बई योजना की बेस तथा विदेशों में पहले ही काफी प्रशंसा की जा चुकी थी। सरकार ने इसी बीच युद्धोत्तर पुनर्निर्माण समिति स्थापित की जिसका मुख्य कार्य युद्ध सम्बन्धी समस्याओं को दूर करने के लिये प्रयत्न करने थे। परन्तु बाद में इस समिति को दीर्घकालीन नियोजन का कार्य भी सौंप दिया गया और बम्बई योजना के निर्माणकर्ताओं में से एक निर्माणकर्ता श्री आर० देशर दलाल को इस समिति का अध्यक्ष होने और वाइसराय की कार्यकारिणी मभा के सदस्य बनने का निमन्त्रण दिया गया। श्री दलाल द्वारा इस नये पद की स्वीकृति के बाद समिति का दृष्टिकोण ही बदल गया। इस प्रकार भारत में सरकार ने एक नियोजन विभाग स्थापित कर दिया।

दीर्घकालीन नियोजन के लिये समिति ने जो सुझाव दिये थे उनको संक्षेप यह हम निम्न में देने हैं —

दीर्घकालीन कार्यक्रमों में कृषि तथा उद्योग सम्बन्धी विकास की योजनाओं में एक सबक विकास योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, एक शिक्षा सम्बन्धी योजना और ग्रामीण तथा शहरी योजनाएँ सम्मिलित हैं।

समिति ने दीर्घकालीन योजनाओं की रूप रेखा इस प्रकार प्रस्तुत की थी—

(१) औद्योगिक विकास तथा कुछ सीमा तक कृषि विकास, नल हांग सिंचाई तथा ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिये विद्युत शक्ति को विकसित करना (२) पूँजी वस्तुओं तथा उपभोक्ता वस्तुओं जिनकी अधिकांश जनता को आवश्यकता है, की ओर विशेष ध्यान देकर औद्योगिक विकास करना (३) सबक यातायात तथा अन्य यातायात सेवाओं का विस्तृत विकास करना विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में (४) सिंचाई के लिये भूमि कटाव को रोकने के उपाय तथा भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाने में यदि सम्भवी विकास की योजनाएँ।

योजना में गन्तव्यमक तथा सामान्य शिक्षा, स्वास्थ्य और गृह-निर्माण के एक साथ विकास के लिये भी प्रस्ताव रखे गये थे। इसके अतिरिक्त ग्रामीण तथा शहरी विकास के लिये अलग अलग सामाजिक सुधारों की आवश्यकताओं को भी समझा गया था और समुचित ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया था। समिति ने इस बात पर अधिक जोर दिया था कि ग्रामीण विकास प्राणों के शिक्षकों, पंचायतों तथा सहकारी उपभोक्ता स्टोर्स के नेतृत्व में होना चाहिये तथा शहर में शिक्षित व्यक्ति जैसा डाक्टरों, नर्सों, शिक्षकों इत्यादि के लिये ग्रामीण जीवन को वर्तमान की अपेक्षा अधिक आकर्षित बनाने का भी उद्देश्य रखा गया था। ग्रामों में स्त्रियों की शिक्षा को भी महत्त्व दिया गया था। रिपोर्ट का प्रस्ताव था कि विकास अफसर नियुक्त किये जायें जिनका मुख्य कार्य स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आदि में समन्वय स्थापित करना होगा। समिति का यह भी प्रस्ताव था कि ग्रामीण विकास का कार्य प्रारम्भ में कुछ चुने हुए क्षेत्रों में ही प्रारम्भ किया जायें, क्योंकि भारत की जनता प्रत्येक वर्ष में ११ से १५ प्रतिशत की दर से बढ़ रही है इसीलिये बढ़ती हुई बेकारी की समस्या को दूर करने के लिये समिति का सुझाव था कि औद्योगिक विकास के

साथ साथ भूमि विकास भी आवश्यक है। समिति ने शहरों के विकास के लिये भी अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किये और औद्योगिक विकास की ओर समिति ने विशेष ध्यान दिया।

(६) सलाहकार नियोजन बोर्ड—सन् १९४५ में सरकार ने अपनी नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जिसमें औद्योगिक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप तथा नियन्त्रण को आवश्यक स्थान दिया था। इसके साथ साथ नियोजन की दशा में महत्वपूर्ण एवं सक्रिय पग सन् १९४६ में सलाहकार नियोजन बोर्ड का निर्माण था। यह बोर्ड श्री के० सी० नियोगी की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था जिस ने अपनी रिपोर्ट फरवरी सन् १९४७ में प्रकाशित की थी। इस बोर्ड का उद्देश्य देश में समय समय पर बनाई गई विभिन्न योजनाओं की समालोचना करके उस सम्बन्ध में अपना सुझाव देना था, कार्यक्रमों की प्राथमिकता तथा नियोजन मशीनरी के सामंजस्य के सम्बन्ध में सिफारिश करना था। इस बोर्ड की सिफारिशों के लक्ष्य में निम्न प्रकार थी—

(१) नियोजन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार बताये जाते हैं सामान्य जीवन स्तर में वृद्धि, सभी के लिये लाभप्रद रोजगार प्रस्तुत करना, अधिकतम उत्पादन, सामान्य वितरण और आर्थिक विकास का क्षेत्रीकरण (Regionalisation)। यद्यपि सम्पूर्ण स्वावलम्बन न तो सम्भव ही है और न वाछनीय ही, क्योंकि यह आर्थिक दृष्टिकोण से अप्रवृत्त होता है, इसलिये बोर्ड का प्रस्ताव था कि आवश्यक खाद्य पदार्थों की पूर्ति जैसे क्षेत्रों में ही देश की सम्पन्न बनाने का उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। पर्याप्त आँकड़ों के अभाव में तथा आर्थिक क्रियाओं पर सक्रिय नियन्त्रण के अभाव में यह सम्भव नहीं था कि प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के सम्बन्ध में प्रमाणात्मक लक्ष्य प्राप्त किये जा सकें। किन्तु व्यक्तिगत उद्योगों, कृषि के कुछ विद्योत क्षेत्रों तथा यातायात शिक्षा और स्वास्थ्य के सम्बन्ध में विशेष लक्ष्य अवश्य ही निश्चित होने चाहियें।

(२) जहाँ तक प्राथमिकता का सम्बन्ध था बोर्ड ने प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों की वृद्धि की पहला स्थान दिया था। ऊर्जा में केवल खाद्य अन्न के उत्पादन में ६६ करोड़ टन की कमी थी इसलिये इसकी भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिये ताकि अगले ५ वर्षों में कम से कम ४० लाख टन से खाद्य अन्न के उत्पादन में वृद्धि हो सके। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में किन उद्योगों को पहला स्थान दिया जाये यह मशीनों की उपलब्धि पर निर्भर करता है। फिर भी रक्षा सम्बन्धी उद्योग, मिचार्ड, जल-विद्युत शक्ति, लोहा तथा स्थापना और रसायन उद्योगों को पहला महत्व दिया जाये और मशीनों, अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुओं को दूसरा और तीसरा स्थान दिया जाये। रेलों का विकास सबसे अधिक महत्वपूर्ण था और जहाँ तक स्पात, लकड़ी, सीमेंट तथा अन्य वस्तुओं के अर्थात् साधनों का सम्बन्ध था अन्य निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमों की अपेक्षा रेलों को इन वस्तुओं का उपयोग करने में प्राथमिकता मिलनी चाहिये। परन्तु रेलों का विकास उन्हीं क्षेत्रों से किया जाये

जहाँ से या तो कोयले की पूर्ति बड़ने की आशा है या जहाँ पर रेलों में विजली का उपयोग होने से कोयले की कम मात्रा के उपयोग होने की आशा है। बोर्ड का सुझाव था कि एक प्राथमिकता बोर्ड स्थापित किया जाये जिसका कार्य आवश्यक आधारभूत साधनों का वितरण करना होगा।

(३) कृषि में प्रशस्ततात्मक विकास के लिये केवल लाखों कृषिकों का सहयोग और खाद, बीज, पशु और औजारों की पूर्ति ही आवश्यक नहीं है बल्कि छोटे तथा मध्यम पैमाने के उपायों की भी एक बहुत बड़ी समस्या में आवश्यकता है। इन उपायों में कुँआ बनवाना, ट्यूब वेल लगवाना, तालाब तथा नहरें बनवाना नालियों का प्रबन्ध करना, बांध बनवाना, भूमि के कटाव की रोकना आदि योजनायें आती हैं। केन्द्रीय सरकार को प्रान्तीय सरकारों को आवश्यक वित्तीय सहायता देनी चाहिये तथा आवश्यक सामग्री और गैरहोयी कृषि सम्बन्धी मशीनों की व्यवस्था भी करनी चाहिये और अनुसंधान के विकास एवं समन्वय का भी प्रबन्ध करना चाहिये।

(४) यद्यपि प्रान्तीय सरकारों का २ करोड़ एकड़ भूमि पर सिंचाई सुविधाएँ प्रदान करने का लक्ष्य अगले १० या १२ वर्षों के लिये काफी गतोपजनक है, किन्तु बोर्ड ६ लाख ५० हजार किलोवाट जल-विद्युत शक्ति के प्रतिरिक्त उत्पादन के लक्ष्य से मनुष्य नहीं था और इसलिये उनमें अधिक जल-विद्युत योजनायाँ, विशेष कर बहुउद्देशीय नदी विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने की आवश्यकताओं पर अधिक जोर दिया था।

(५) देश में औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं को मालूम करने के निम्ने जो पैनल पूर्व स्थित नियोजन तथा विकास विभाग द्वारा स्थापित किये गए थे बाड के विचार में वे इस कार्य के लिये उपयुक्त थे। किन्तु बोर्ड का सुझाव था कि इन पैनलों की सिफारिशों को कार्यान्वित करते समय इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाये कि उपभोक्ताओं और देश के हित सुरक्षित रहे।

(६) देश के साधनों के अच्छे तथा अधिकतम उपयोग के लिये अपव्ययी प्रतियोगिता को समाप्त करने के लिये और असंतुलित आर्थिक विकास को दूर करने के लिये केन्द्रीय नियोजन अधिक प्रच्छा समझा जाता है। इसलिये बोर्ड का प्रस्ताव था कि लगभग सभी महत्वपूर्ण आधारभूत उद्योगों का नियोजन केन्द्र द्वारा किया जाये। उसकी यह भी सिफारिश थी कि रक्षा सम्बन्धी उद्योग कोयला, खनिज तेल, लोहा तथा स्पात, रेल, मोटर, हवा तथा नदी यातायात और वे सभी उद्योग जिनके लिये निजी पूजी उपलब्ध नहीं हो पा रही है उनका अभिनवीकरण कर दिया जाये।

(७) भारत के आर्थिक नियोजन के सम्बन्ध में मुख्य रूप से तीन समस्याएँ थी — पहली वित्त सम्बन्धी, दूसरी मशीनों तथा अच्छी माल सम्बन्धी और तीसरी प्रशिक्षित कार्यान्वितों सम्बन्धी। बोर्ड का विचार था कि वित्त सम्बन्धी समस्या सबसे कम कठिन थी क्योंकि केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों के संयुक्त प्रयत्नों द्वारा यह समस्या शीघ्र ही दूर हो सकती है। नियोजन के प्रथम ५ वर्षों में बोर्ड के

अनुमान के अनुसार केन्द्रीय सरकार को अतिरिक्त करों द्वारा ऋणों तथा अतिरिक्त मुद्रा निर्यातों द्वारा एक हजार करोड़ रूपयों की व्यवस्था तो कर ही लेनी चाहिये। नोट प्रदान का कार्य केवल उत्पादक उद्देश्यों के लिये ही अपनाया जाये। करारोपण कार्यक्रम में मृत्यु कर, लाभ वितरण पर नियन्त्रण तथा मालगुजारी प्रथा में सुधार सम्बन्धी उपाय सम्मिलित होने चाहिये। वित्त का मुख्य स्रोत आन्तरिक ऋण होना चाहिये। विदेशी ऋण केवल उगी सीमा तक प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये जहाँ तक व सम्भव है और जहाँ तक व बिना किसी प्रभावों के प्राप्त हो सके।

(८) यद्यपि मशीनों की पूर्ति के लिये भारतवर्ष पूर्ण रूप से विदेशों पर निर्भर है, बोर्ड का विचार था कि भारतवर्ष को पर्याप्त विदेशी मुद्रा पौंड पावना तथा विदेशी ऋण द्वारा प्राप्त हो जायेगी।

(९) बोर्ड के अनुसार प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव सबसे बड़ी बाधा थी जिसको दूर करने के लिये बोर्ड ने यथासम्भव शिक्षा तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी अनेकों मुद्दाएँ दिये हैं।

(१०) बोर्ड का प्रस्ताव था कि एक केन्द्रीय नियोजन संस्था स्थापित की जाय जिसके कार्य निम्न प्रकार होने चाहिये—

(अ) योजनाओं की जांच करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना।

(ब) प्राथमिकता बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की गई प्राथमिकताओं के अनुसार भौतिक साधनों का वितरण।

(ग) केन्द्रीय बोर्डों के वितरण, सरकारी सहायता एवं नियन्त्रण के विस्तार, आन्तरिक तथा विदेशी व्यापार और देश के नियोजित विकास को प्रभावित करने वाली मौद्रिक तथा वित्तीय नीतियों का नियमन और

(द) वैज्ञानिक अनुसंधान के सामाजिक नल्याण पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच करना।

यह सभी कार्य एक नियोजन आयोग को सौंपने का प्रस्ताव दिया गया था। नियोजन आयोग का सहायता प्रदान करने के लिये एक वैज्ञानिक सलाहकार समिति, (Scientific Consultative Committee), एक स्वाधीन तटपर बोर्ड (Tariff Board) एक केन्द्रीय सांख्यिकी दफ्तर (Central Statistical Office) और २५ से ३० सदस्यों तक की एक सलाहकार संस्था (Consultative Body) की स्थापना की भी सिफारिशें की थीं। ठीक इसी प्रकार के संवर्धन के लिये बोर्ड ने प्रान्तों के सम्बन्ध में भी सिफारिशें की थीं।

सन् १९४७ में स्वतन्त्रता प्राप्त तथा देश के विभाजन से नई नई योजनाएँ स्थापित हुईं जैसा स्वास्थ्य समस्या की तीव्रता कपाम एवं जूट की बमी अर्थसाधियों की समस्या आदि को दूर करने के लिये योजनाएँ। इनके अतिरिक्त केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों की अनेकों योजनाएँ चल रही थीं, जिनमें परस्पर सामंजस्य न था, जैसे दामोदर घाटी योजना तुनाभद्र तथा भाकडा बांध योजनाएँ आदि। इसके अतिरिक्त देश में बढ़ती हुई बेकारी ने भी एक भीषण रूप धारण कर लिया था और

प्रत्येक वर्ष साखा नये व्यक्तियों की बाढ़ जनसंख्या के रूप में भागत में आ रही थी। इन सब समस्याओं का समाधान करने के लिये एक योजना बनाना अनिवार्य हो गया था।

(७) योजना आयोग सन् १९५०—यद्यपि सन् १९४७ में ही सलाहकार नियोजन बोर्ड ने एक नियोजन आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी, किन्तु यह सन् १९५० से पहले सम्भव न हो सका क्योंकि इन वर्षों में भारत के लिये अनेकों नई नई समस्याएँ उत्पन्न हो गई थीं। जैसे ही स्थिति में कुछ सुधार हुआ भारत सरकार ने सन् १९५० में एक नियोजन आयोग श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्थापित किया। इस आयोग के निम्न कार्य थे—

(१) देश की पूँजी, भौतिक एवं मानवीय स्रोतों का अनुमान लगाना और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार सीमित साधनों की वृद्धि करने की सम्भावनाओं की जाँच करना।

(२) देश के साधनों का समुचित एवं प्रभावी युक्त उपयोग करने के लिये योजना बनाना।

(३) प्राथमिकता स्थापित करना, योजना को कार्यान्वित करने की नीतियों को निर्धारित करना और उनमें साधनों का उचित बँटवारा करना।

(४) आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करने वाली बातों की ओर सचेत बनना तथा योजना की सफलता के लिये वर्तमान सामाजिक एवं राजकीय स्थिति में आवश्यक शर्तें निश्चित करना।

(५) योजना की सफलता के लिये आवश्यक प्रशासन सम्बन्धी उद्देश्य निश्चित करना।

(६) योजना की सामयिक प्रगति की जाँच करना और आवश्यक हो तो नीति एवं साधनों में समायोजन स्थापित करने के लिये अपने सुझाव पेश करना।

(७) अन्य ऐसी बातों पर सिफारिश करना जो केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों द्वारा आयोग के पास विचार करने के लिये भेजी जायें।¹

इस आयोग ने जुलाई सन् १९५१ में एक पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की जिसकी शुरुआत सन् १९५१ से १९५६ तक निश्चित की गई। इस योजना का वर्णन हम अगले अध्याय में करेंगे।

प्राक्कथन--

प्रथम पंचवर्षीय योजना को प्रारम्भिक अवस्था में दो भागों में विभाजित किया गया था। पहले भाग में वह योजनाय थी जिन पर पहले से काम हो रहा था और जिन पर योजना काल में १४६३ करोड़ रुपये का खर्चा होना था। दूसरे भाग में नई नई योजनायें थी जिनका व्यय ३०० करोड़ रुपये रखा गया था। इस प्रकार प्रारम्भिक स्थिति में ५ वर्षों में १७६३ करोड़ रुपये का व्यय आका गया था। योजना का अन्तिम रूप दिसम्बर १९५२ में प्रकाशित हुआ था। जिसमें विकास कार्यक्रम को दो भागों में विभाजित न करके विकास का समुचित कार्यक्रम एक ही योजना में दिया गया था और उसकी अवधि भी वही रखी गई थी। इस योजना काल में २०६८७८ करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार प्रारम्भिक योजना तथा अन्तिम योजना में तुलनात्मक दृष्टि से निश्चित किया गया व्यय निम्न प्रकार था —

तालिका (१)

(करोड़ रुपये में)

	१९५१-५६ में व्यय		कुल व्यय के साथ प्रतिशत	
	प्रारम्भिक योजना	अन्तिम योजना	प्रारम्भिक योजना	अन्तिम योजना
कृषि एवं सामुदायिक विकास	१६१६६	३६०४६	१२.८	१७.४
सिंचाई एवं शक्ति	४५०३६	५६१४१	३०.०	२७.२
यातायात एवं संचार वाहन उद्योग	३८८१२	५६७१०	२६.१	२४.०
सामाजिक सेवार्थें	१००१६	१७३०४	६.७	८.४
पुनर्निर्माण (Rehabilitation)	२५४२२	३३६८१	१७.०	१६.६४
विविध	७६००	८५००	५.३	४.१
	२८५४	५१६६	१.६	२.५
	१४६२६२	२०६८७८	१००.०%	१००.०%

इस राशि को केन्द्र तथा राज्यों में निम्न प्रकार विभाजित किया गया था —
तालिका (२)

(करोड़ रुपये में)

	केन्द्र	राज्य	कुल
कृषि एवं सामुदायिक विकास	१८६३	१७४१	३६०४
सिंचाई एवं शक्ति	२६१६	२६५५	५२७१
यातायात एवं संचार वाहन	४०६५	८७६	४९४१
उद्योग	१४६७	२६३	१७३०
सामाजिक सेवाएँ पुनर्निवास (Rehabilitation)	१६१४	२३२५	४२४६
विविध	४०७	११२	५१९
	१२४०५	८२८२	२०६८७

योजना के उद्देश्य—

(१) विकास की एक ऐसी प्रणाली का आरम्भ करना जिसके आधार पर भविष्य में और बड़ी योजनाओं को कार्यान्वित किया जा सके।

(२) विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए देश के स्रोतों की उपलब्धता।

(३) निजी एवं सरकारी क्षेत्रों में स्रोतों की आवश्यकता एवं विकास की गति में घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करना।

(४) योजना लागू होने के पूर्व केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा आरम्भ की गई विभिन्न तत्कालीन विकास योजनाओं की पूर्ति करने की आवश्यकता, और

(५) युद्ध तथा देश विभाजन से देश की अस्तुलित आर्थिक व्यवस्था को ठीक करना।

इन दृष्टिकोणों से नियोजन आयोग ने विभिन्न विकास कार्यक्रम बनाये थे। हमारे देश की आर्थिक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी जनसंख्या प्रति वर्ष १३ प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। इस बात को तथा देश के उपलब्ध साधनों को ध्यान में रख कर आयोग ने यह व्यवस्था की है कि सन् १९७७ तक प्रति व्यक्ति आय दुगुनी हो जाये। इसमें कोई संदेह नहीं कि अन्य विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करने के लिए कम समय लगेगा। परन्तु भारत जैसे पिछड़े हुए देश में अधिक समय लगना स्वाभाविक ही है। क्योंकि न तो यहाँ साधन ही पर्याप्त हैं, न यत्नात्मक कुशलता ही है और न यहाँ का संगठन ही सक्षमताशील है। आयोग ने यह स्वीकार किया है कि भारत में पूँजी निर्माण की गति बहुत धीमी है। सन् १९५०-५१ में भारत की राष्ट्रीय आय ६००० करोड़ रुपये थी।

और जनता की कुल वचत की राशि ४५० करोड़ रुपया थी अर्थात् यहाँ पर कुल राष्ट्रीय आय या औसतता ५% बचत की जाती थी। इसलिए आयोग ने विचार में यदि योजना अवधि में प्रति वर्ष २०% अतिरिक्त आय पूँजी निर्माण में लग दी जाये अर्थात् मशीन तथा स्थायी पूँजी में लगाई जाये तो प्रथम योजना के अन्त में भारत की राष्ट्रीय आय १०,००० करोड़ रुपये तक बढ़ जायेगी और बचत की वार्षिक दर ६३% हो जायेगी और वचत की कुल राशि सन् १९५५-५६ में ६७५ करोड़ रुपया हो जायेगी। आयोग ने अनुमान लगाते हुए बताया कि अगले १० वर्षों में वेचन २०% ही नहीं बल्कि ५०% अतिरिक्त राष्ट्रीय आय यदि प्रति वर्ष पूँजी निर्माण में लगाई जानी रहे तो सन् १९७७ तक प्रति व्यक्ति आय दुगुनी हो जायेगी। इन लक्ष्यों को ध्यान में रख कर आयोग ने २०६१ करोड़ रुपया खर्च करने का निश्चय किया था। भारतीय शक्ति व्यवस्था को निजी तथा सरकारी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। सरकारी क्षेत्रों में उद्योगों को सम्मिलित किया गया है जिनका मन्तव्य स्वयं सरकार करेगी और जिन पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों का नियन्त्रण है या जिन पर इन सरकारों के आधीन पदाधिकारियों का नियन्त्रण है। निजी क्षेत्र में वे उद्योग सम्मिलित किए गए हैं जिनका नियन्त्रण निजी व्यक्तियों द्वारा होगा। यद्यपि इन दोनों क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी समस्याएँ लगभग समान हैं और दोनों क्षेत्रों को स्पष्ट रूप में विभाजित करना सरल नहीं है किन्तु मुविधा के लिए योजना में इन दोनों क्षेत्रों पर अलग अलग रूप से विचार किया गया है। सरकारी क्षेत्र के लिए सावधानी की एक निश्चित राशि निर्धारित कर ली गई है जिनके लिए आवश्यक धन की व्यवस्था सरकार करेगी। योजना में निजी क्षेत्र के निर्धारित लक्ष्य के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है बल्कि केवल सामान्य लक्ष्य बताकर उसके लिए आवश्यक धन प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र का स्वतन्त्र छोड़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र में लक्ष्य की पूर्ति करना सरकार का पत्रदा दायित्व होगा परन्तु निजी क्षेत्र में ऐसी बात नहीं है क्योंकि उसमें सरकार केवल अप्रत्यक्ष रूप से ही सहायता करती है और प्रगति का निरीक्षण करने वाली है। एसा करने में मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि निजी क्षेत्र निर्धारित लक्ष्य लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर पाता है और प्राशांति प्रगति करने में असफल रहता है तो सरकारी क्षेत्र का ध्यान बढ़ा दिया जायेगा और निजी क्षेत्र के विभिन्न भागों के कार्यों को सरकार स्वयं ग्रहण कर लेगी। इन सब बातों को ध्यान में रख कर आयोग ने प्राथमिकताओं को निश्चित किया है। प्राथमिकता का साधारण अर्थ यह है कि विभिन्न विकास कार्यक्रमों में कौन सा काम पहले किया जाये और कौन सा बाद में। भारत के खेतीहर देश होने के कारण कृषि को पहली प्राथमिकता दी गई और उसके बाद वातावरण तथा सञ्चार वाहन, सामाजिक सेवाएँ और उद्योगों को। औद्योगिक क्षेत्र में प्राथमिकता के सम्बन्ध में निश्चित किया गया प्रथम निम्न प्रकार है —

(अ) उत्पादकों के लिये आवश्यक वस्तुओं सम्बन्धी उद्योग जैसे पटसन, तथा

उपभोक्ताओं के लिये आवश्यक वस्तुओं जैसे कपड़ा, शकर, साबुन इत्यादि के उद्योगों की वर्तमान उत्पादन शक्ति का पूरा उपयोग करना,

(ब) पूंजीगत वस्तुओं तथा उत्पादकों के लिये आवश्यक वस्तुओं सम्बन्धी उद्योगों की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करना, जैसे लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, अल्यूमीनियम, खाद, रसायन, मशीनें इत्यादि,

(स) जिन औद्योगिक कार्यक्रमों में काफी पूंजी लग चुकी है उनको पूरा करना,

(द) औद्योगिक विकास के लिये आवश्यक आधारभूत वस्तुओं से सम्बन्धित नये उद्योगों को स्थापित करना जैसे जिप्सम से गंधक बनाने का कार्य, रेयन से लुग्दी बनाने का कार्य ।

यदि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तिम रूप की तुलना प्रारम्भिक रूप से की जाये तो स्पष्ट होगा कि योजना ने अन्तिम रूप में उद्योगों के महत्व में कुछ वृद्धि कर दी गई थी परन्तु योजना का प्राथमिकता का क्रम पूर्ववत् ही रहा । योजना के अन्तिम रूप में कृषि, सिंचाई और विजली पर कुल लागत का ४४.३% व्यय करने का निश्चय किया गया था, यातायात तथा संचाद वाहन पर २५%, समाज सेवा कार्यों पर १६.३% और उद्योगों पर केवल ६.३% व्यय की राशि निश्चित की गई थी जैसा कि तालिका १ में दिखाया गया है । आयोग ने कृषि को पहली प्राथमिकता देने के कारणों का विश्लेषण करते हुए बताया कि खाद्यान्न और कच्चे माल के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि न होने से उद्योगों के विकास की गति तीव्र होने की सम्भावना नहीं होगी । आयोग का मत था कि आर्थिक स्थिति के आधार को बिना मजबूत किये विकास कार्यक्रम उचित गति से नहीं पूरा किया जा सकता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र में पर्याप्त अतिरिक्त खाद्यान्न तथा कच्चा माल उत्पन्न किया जाये ताकि अन्य क्षेत्रों के कार्यों को बढ़ाया जा सके । इन्हीं कारणों से कृषि को प्राथमिकता दी गई थी ।

योजना की मुख्य बातें—योजना में विभिन्न मद्दों पर जो रचना व्यय किया जायेगा उसकी प्रमुख विशेषता यह है कि भविष्य में निजी तथा सरकारी क्षेत्रों में उत्पादक वस्तुओं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकेंगी । यह व्यय निम्न प्रकार होगा —

१ केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की उत्पादक पूंजी में वृद्धि करने वाले व्यय की राशि ११६६ करोड़ रुपया

२ व्यक्तिगत क्षेत्र में उत्पादक पूंजी में वृद्धि करने के लिये होने वाला व्यय —

- | | |
|---|-----------------|
| (अ) ग्रामीण विकास एवं कृषि पर (सामुदायिक विकास योजना के अतिरिक्त) | २४४ करोड़ रुपया |
| (ब) यातायात एवं उद्योगों को ऋण की राशि | ४७ " " |
| (स) स्थानीय विकास को प्रोत्साहन देने में (सामुदायिक तथा स्थानीय विकास योजनाएँ) | १०५ " " |

३ नायात्रिक पूंजी के लिये व्यय	४२५ करोड़ रुपये
४ विविध	४८ " "
कुल	२६३ " "

इन राशियों का वितरण केन्द्र एवं राज्य सरकारों में निम्न प्रकार किया गया था :—

१ केन्द्रीय सरकार (रेवों को शामिल करके हुए)	१२४१ करोड़ रुपये
२ राज्य सरकारें —	
(अ) 'अ' राज्यों के लिये	६१० " "
(ब) 'ब' राज्यों के लिये	१७३ " "
(ग) 'ग' राज्यों के लिये	३२ " "
जम्मू एवं कश्मीर राज्य	१३ " "
कुल	२०६८ " "

वित्त प्रबन्ध—द्विती भी योजना की उपलब्धता के लिये यह आवश्यक है कि उनके वित्तीय प्रबन्ध समुचित एवं कुशल हों और उनका आर्थिक आधार दृढितवाली हो। आयोग ने योजना का आर्थिक आधार निश्चित करते समय देश में उपलब्ध माध्या, विदेशी महापना तथा विदेशी ऋणों का अनुमान लगाया था और यह अनुमान था कि वजट में १२१८ करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे और ११६ करोड़ रुपये विदेशी ऋणों से (या प्राप्त हो चुके हैं) शेष ६५५ करोड़ रुपये की राशि के लिये आन्तरिक ऋणों, सत्य वचना तथा हीनायं प्रबन्धन का सहारा लेना होगा। इन उद्देश्य से योजना का आर्थिक आधार निम्न प्रकार निर्धारित किया गया था :—

(करोड़ रुपयों में)

प्रथम योजना में वजट से प्राप्त होने वाली सहायता

	केन्द्र	राज्य	योग
१ राजकीय बचतों के स्रोत —			
(अ) बालू आय	१६०	४१०	५७०
(ब) रेलें	१७०	...	१७०
२. निजी बचतों के स्रोत —			
(अ) जनता से ऋण	३६	७६	११५
(ब) सत्य वचना तथा विना भुगतान लिये हुए ऋण	२७०	...	२७०
(ग) जमा, कोष तथा अन्य स्रोत ...	६०	४३	१२३
योग	७२६	५३२	१२५८

उपर्युक्त तालिका में यह स्पष्ट किया गया है कि योजना काल में जनता तथा राजकीय बचतों से १२५८ करोड़ रुपये प्राप्त किये जायेंगे। २६० करोड़ रुपये का हीनार्थ प्रबन्धन, (जो पौड पावनों के विह्वल किया जायेगा) करने के बाद कुल कमी ५२१ करोड़ रुपये की होगी। यह निम्न तालिका से स्पष्ट होता है —

प्रथम योजना की कुल राशि का वित्तीय प्रबन्ध (राजकीय क्षेत्र में)

वित्तीय साधन	राशि करोड़ रुपये में
(१) धालू बचता से प्राप्त आय (रेल्वे सहित)	७३८
(२) जनता से ऋण	५२०
१ + २ = ऋण तथा बजटीय साधन	१२५८
(३) हीनार्थ प्रबन्धन (पौड पावनों के विह्वल)	२६०
(४) कृषि जिनकी विदेशी सहायता अतिरिक्त ऋण और/वा अतिरिक्त हीनार्थ प्रबन्धन द्वारा पूरा करना था	५२१
योग	२०६९

योजना के साधनों में जो ५२१ करोड़ रुपये की कमी जो उपर्युक्त तालिका में दिखाई गई है उसमें से १५६ करोड़ रुपया विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त हो ही चुका था इसलिये केवल ३६५ करोड़ रुपये की पूर्ति ही शेष रह जाती है। परन्तु यह कमी और भी अधिक हो सकती थी यदि राज्य तथा निजी बचतों की स्थिति आशा के अनुकूल न रहती। यदि सारी स्थिति पर ध्यान दिया जायें तो ज्ञात हो जायगा कि सरकारी क्षेत्र में २६९ करोड़ रुपये का जो व्यय निश्चित किया गया था उसमें से पूंजीगत व्ययों के लिये केवल १६०० से १७०० करोड़ रुपये की राशि निश्चित की गई थी और यदि उसमें निजी क्षेत्र में लगाई गई पूंजी को भी शामिल कर लिया जायें तो ५ वर्षों में आन्तरिक स्रोतों से ही पूंजीगत व्यय की २७०० से २८०० करोड़ रुपये की राशि पूरी करनी थी। यदि इस अवधि में पौड पावनों की आड़ पर किये जाने वाले हीनार्थ प्रबन्धन की राशि जो २६० करोड़ रुपये की थी और विदेशी ऋण जो विदेश बैंक अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड इत्यादि से प्राप्त होने वाले १५६ करोड़ रुपये को भी मिला लिया जायें तो कुल साधन ३१५० करोड़ रुपये से ३२५० करोड़ रुपये तक के बीच में ही रहते हैं।

योजना में कृषि— जैसा कि हम पहले कह चुके हैं योजना के विभिन्न कार्यक्रमों में कृषि को प्राथमिकता दी गई है। कृषि पर व्यय की जाने वाली राशि योजना की कुल राशि का ५२.८ प्रतिशत है। सिंचाई एवं बिद्युत कार्यक्रमों को भी कृषि में ही सम्मिलित किया जा सकता है क्योंकि सिंचाई से कृषि की उन्नति होती है। अतः

ट्रिप सिचाई एव विद्युत पर होने वाले व्यय की राशि (३६० ४३+५६१*४१) = ६२१ ८४ करोड़ रुपये हैं। योजना की अवधि में खाद्यान्न के उत्पादन में ७६ लाख टन की वृद्धि होगी अर्थात् कुल खाद्यान्न का उत्पादन १८% से बढ़ जायेगा। इसी प्रकार रई की उपज में ४२%, जूट की उपज में ६३%, गन्ने में ७% और तिलहन में ८% की वृद्धि भी जायगी। यदि इस वृद्धि की उत्पात्ति की मात्रा में व्यक्त किया जाये तो रई का उत्पादन १२६ लाख गण्टे, जूट का २०६ लाख गण्टे, गन्ने का ७ लाख टन और तिलहन का उत्पादन ४ लाख टन अधिक हो जायेगा।

सिचाई एव विद्युत— इस मद पर होने वाल व्यय की कुल राशि ५६१ करोड़ रुपये थी जो कुल लागत की ३०% थी। इस आयोजना में तत्कालीन योजनाओं पर होने वाले व्यय की कुल राशि ५१८ करोड़ रुपये निश्चित की गई थी और इनकी कुल अनुमानित लागत ७६५ करोड़ रुपये थी। इन योजनाओं के कार्यान्वित हा जाने के बाद १,६६४२,००० एनड अतिरिक्त भूमि की सिचाई होने लगी थी तथा १४६१,००० निजोपाट बिजली का अधिक उत्पादन होगा।

उद्योग—औद्योगिक क्षेत्र में योजना आयोग का विचार था कि अभी तक केवल उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन से सम्बन्धित उद्योगों का ही विकास हुआ है और आधारभूत उद्योगों के विकास की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। इसलिये भविष्य में पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जायगा जिससे भारत का औद्योगिक स्तर अधिक क्षमताशाली बनाया जा सके। इनकी प्राथमिकता हम ऊपर दे ही चुके हैं। औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में उसी नीति को अपनाने का निश्चय किया गया था जो मई १९४८ में घोषित की गई थी।

योजना में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के औद्योगिक कार्यक्रमों के लिये ६४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी जिनमें तत्कालीन योजनाओं की पूर्ति के अतिरिक्त कुछ नई योजनाओं को आरम्भ करने का निश्चय किया गया था। इनमें अतिरिक्त १५ करोड़ रुपये की राशि एक नव सौहा तथा इस्पात के कारखाने की स्थापना के लिये नियत की गयी थी और दोष राशि को निजी स्रोतों से प्राप्त करना था। सहकारी क्षेत्र में अधिकतर योजनाएँ ऐसी थी जो पूंजीगत उद्योगों तथा ऐसी आवश्यक वस्तुओं के उद्योगों को विकसित करनी, जो भविष्य में औद्योगिक विकास में सहायता देंगी। इसके लिये ५० करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई थी। इस योजना में ४२ उद्योगों के नक्ष्य निर्धारित किए गये थे और यह अनुमान था कि इन नक्ष्यों की पूर्ति के लिये ५ वर्षों में कुल ३२७ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे (६४ करोड़ रुपये नरक्षारी क्षेत्र में और २३३ करोड़ रुपये निजी क्षेत्र में)। इसके अतिरिक्त तत्कालीन उद्योगों के आधुनिकीकरण में और मशीनों के बदलने में १५० करोड़ रुपयों के घोर ढांच किए जाने का अनुमान था। इस प्रकार यदि हम चालू पूंजी की रकम को और जोड़ दें तो केवल उद्योगों में ही ५ वर्षों में ७०७ करोड़ रुपये के व्यय होने का अनुमान था जिनकी पूर्ति निजी उद्योगों को

अपने साधनों से करनी थी। इसके अतिरिक्त कुटीर उद्योगों एवं ग्रामीण के विकास एवं उनकी सुरक्षा की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया था।

यातायात एवं सबाद वाहन—यातायात एवं सबाद वाहन के साधनों के विकास के लिए कुल ४१७ १० करोड़ रुपये की राशि निश्चित की गई थी जिसमें से रेलों के विकास पर ४०० करोड़ रुपये का व्यय निश्चित किया गया था। इस राशि में से ८० करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार को देना था और शेष रेलों को अपने साधनों में से देना था। जहाजरानी में ६ लाख टन की वृद्धि करने का लक्ष्य था। इसी प्रकार जहाजी बम्बिनियों को जहाज आदि खरीदने के लिए १५ करोड़ रुपये के केन्द्रीय ऋण देने की व्यवस्था की गई थी।

वर्तमान बन्दरगाहों के विकास तथा काँपला पोर्ट की स्थापना के लिए ८ करोड़ रुपये और बन्दरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए १२ करोड़ रुपये नियत किये गये थे। सड़कों के विकास के लिए २७ करोड़ रुपये का आयोजन था तथा कुछ विशेष सड़कों के विकास के लिए ४ करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया गया था। इसके अतिरिक्त २१ १५ लाख रुपये की लागत से एक केन्द्रीय सड़क अनुसंधान इन्स्टीट्यूट भी स्थापित होना था। आयोजन के अनुसार योजना काल में ४५० मील नई सड़कें और २२०० मील पुरानी सड़कों की मरम्मत होगी। हवाई यातायात के विकास के लिए ६५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। डाक, तार व टेलीफोन की सुविधाएँ प्रदान करने के लिए ५० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी।

विधि—इसके अतिरिक्त सामाजिक सेवाओं के लिए ३४० करोड़ रुपये नियत किये गये थे, १५२ करोड़ रुपये शिक्षा, १०० करोड़ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ४६ करोड़ रुपये गृह निर्माण, २६ करोड़ रुपये पिछड़ी हुई जातियों पर और ७ करोड़ रुपये श्रम कल्याण पर किए जाने थे। प्रारम्भिक शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में २५%, जूनियर बेसिक में ८१%, माध्यमिक में ३२% और यज्ञात्मक तथा व्यवसायिक शिक्षा पाने वालों की संख्या में ६३% की वृद्धि होने की आशा थी। दारणाथियों के पुनर्वासन के लिए ८५ करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया गया था।

योजना और राष्ट्रीय आय—नियोजन आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया था कि नियोजन काल में जितना भी विनियोग कार्यक्रम अपनाया गया है उसके पूरे लाभ उसी काल में प्राप्त नहीं हो पायेंगे बल्कि वाद के वर्षों में होंगे। इसके बावजूद भी यह अनुमान लगाया गया था कि देश की राष्ट्रीय आय ६००० करोड़ रुपये से बढ़कर १० हजार करोड़ रुपये हो जायगी अर्थात् योजना अवधि में राष्ट्रीय आय में ११% की वृद्धि होगी। राष्ट्रीय आय में जो २% की वापिक वृद्धि होगी उनका ३/४ भाग प्रत्येक वर्ष विनियोग पर लगा दिया जायेगा, ताकि विकास कार्यक्रम उभी गति से पूरा किया जा सके जिस पर योजना में करने का निश्चय किया गया था। इस प्रकार औद्योगिक उपभोग व्यय राष्ट्रीय आय की अपेक्षा निजी दर पर बढ़ेगा।

योजना आयोग का विचार था कि भारत में बेकारी की समस्या इतनी तीव्र नहीं थी जितनी कि कम रोजगारी की थी। इसलिए कम-रोजगारी की समस्या को दूर

करने तथा रोजगारों के अवसरों को वास्तविक आय के बढ़ते हुए स्तरों पर उत्पन्न करने वा कामों विकास की समस्या का एक ठोस रूप था। योजना में इस समस्या को दूर करने के लिए दो प्रकार के उपाय अपनाने का निश्चय लिया गया था। प्रथम, विनियोगों की बढ़ती हुई दर में उन्नति करने की क्रिया में उन लोगों के लिए अधिक रोजगार प्रदान करेंगे जो निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं और दूसरे, प्रणाली में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर पूँजी का निर्माण करके यह सम्भव हो सकेगा कि बढ़ती हुई मात्रा में उत्पादक प्रणाली में व्यक्तियों को नौकरियाँ दी जा सकें।

बाद में दस की रोजगार की स्थिति विगडने के साथ-साथ नियोजन आयोग और सरकार को सन् १९५३-५४ में योजना पर किए जाने वाले व्यय की राशि को बढ़ाकर २३५६ करोड़ रुपये करना पडा।

योजना की आलोचना—प्रथम पंच वर्षीय योजना की बहुत आलोचना की गई थी। कुछ लोगों का विचार है कि योजना को पूरा करने के लिये वित्तीय साधनों को जुटाने में अस्थिर आशावादी दृष्टिकोण अपनाया गया है और जनता से उसकी दक्षिण से भी अधिक आशा की गई है। आलोचकों का कहना है कि आयोग के अनुमानानुसार ५ वर्षों में केन्द्रीय सरकार के बजट, राज्य सरकारों के बजट और रेलों से ऋण १६०, ४०८ और १७० करोड़ रुपया अतिरिक्त प्राप्त होगा। परन्तु इस मात्रा में अतिरिक्त बृद्धि होना सम्भव नहीं है। भारत की जनता पहले ही निर्धन है और उसमें और अधिक कर देने की क्षमता नहीं है इसलिए रेलों तथा सरकारों की आय भी इतनी अधिक होना सम्भव नहीं है जितनी कि योजना में आशा की गई है। इनका अभिप्राय यह हुआ कि योजना पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं हो पायेगी और उसमें काट-छाँट करनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त आयोग का अनुमान था कि योजना अवधि में प्रतिवर्ष अतिरिक्त आय का २०% पूँजी निर्माण में लगाया जायेगा और अगले १२ वर्षों में अतिरिक्त आय का १२% पूँजी निर्माण में लगाया जायेगा परन्तु भारत की जैती आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए अतिरिक्त आय का इतना अधिक भाग पूँजी निर्माण में लगा सक्ने की आशा करना वास्तविक स्थिति के अनुकूल नहीं है। हमारे देश की जनता के पास अपने जीवन निर्वाह के लिए ही पर्याप्त आय नहीं है। इसलिए जनता अतिरिक्त आय को विनियोगों में लगाने के स्थान पर उपभोग पर व्यय करना अधिक पसन्द करेगी। यदि ऐसा होता है तो आयोग का सन् १९७७ तक प्रति व्यक्ति आय दुगनी करने का अनुमान पूरा नहीं हो सकेगा।

गद्यपि इस आलोचना में कुछ अंश तक सच्चाई अवश्य है किन्तु यह योजना का दोष नहीं है। नियोजन कार्य की सफलता के लिये जनता से त्याग की आशा की जा सकती है। इस विषय में विभिन्न प्रश्न उठ सकते हैं कि जनता से त्याग करने की आशा किस सीमा तक की जाये और जनता कितना त्याग कर सकेगी यह सन्देह है, जबकि योजना में ५ वर्षों की अवधि में यह निश्चय दिया गया है कि प्रति वर्ष अतिरिक्त आय का २०% विनियोगों में लगाया जायेगा। पहले ही वर्ष में

केवल ५% के विनियोग की व्यवस्था की गई थी और इसका अभिप्राय यह हुआ कि अन्य योजनाओं में प्रति वर्ग अतिरिक्त आय का ५०% भाग विनियोगों में लगाये जाने की आशा की जायेगी। जहाँ तक इस पहलू का सम्बन्ध है योजना केवल प्रयोग मात्र था। यदि जनता योजना में निर्धारित किये गये लक्ष्यों के अनुसार रपया नहीं लगा सकी तो आवश्यक धन न व्यय होने पर प्रगति की गति भी धीमी रहेगी। योजना की प्रगति के साथ-साथ नये अनुभव प्राप्त होते जायेंगे और साथ-साथ योजना में आवश्यक परिवर्तन भी किये जायेंगे।

कुछ आलोचकों का विचार है कि योजना में कृषि को उद्योगों की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया गया है। कृषि को प्राथमिकता देने का मुख्य कारण यह बताया गया था कि जो योजनाएँ सन् १९५१ से पहले कार्यान्वित की जा रही थी, उन्हें पूरा किया जायेगा और भावी औद्योगिक विकास के लिये सुदृढ़ आधार स्थापित किया जायेगा। इस तर्क का मुख्य विचार यह है कि भारत का तत्कालीन औद्योगिक विकास कृषि विकास के अनुरूप हो रहा था, परन्तु वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं थी। प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारतीय स्थिति का तनिक भी ज्ञान हो यह बता सकता था कि भारत में कच्चे माल और बिजली इत्यादि का उस समय जितना उत्पादन हो रहा था, उससे देश का बहुत अधिक औद्योगिक विकास किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त आयोग ने इस ओर भी कोई ध्यान न दिया कि जब तक हम भावी औद्योगिक विकास के लिये सुदृढ़ आधार स्थापित करेंगे, हो सकता है उस समय तक मसालों की परिस्थिति में ऐसे परिवर्तन हो जायें जिससे भारत का औद्योगिक विकास आशा के अनुकूल न हो और ऐसी स्थिति में फिर कृषि के विकास में क्या लाभ प्राप्त होगा। यह भी आलोचना करते हुए बताया गया था कि भारत में नियोजन का प्राथमिक उद्देश्य, देश की अर्थ-व्यवस्था की त्रुटियों को दूर करके उसका अधिक संतुलित विकास करना था और इस सम्बन्ध में सबसे बड़ी कमी यह थी कि न तो भारत में मशीनों का निर्माण करने वाले उद्योग ही थे, और न बिजली इन्जीनियरिंग, रसायन आदि उद्योगों का ही अच्छी तरह विकास हो सका था। इसलिये देश के संतुलित विकास की दृष्टि से आयोग को इस ओर अधिक ध्यान देना था।

आयोग ने योजना में स्पष्ट किया था कि देश का औद्योगिक विकास निजी उद्योगपतियों के हाथों में सौंपा गया था और इसमें कोई हानि भी न थी। क्योंकि भूतकाल में निजी उपक्रम ने देश के औद्योगिक विकास में जो भाग लिया था वह सराहनीय था। किन्तु योजना के आलोचक इससे सतुष्ट न थे और उनका विचार था कि औद्योगिक विकास को अधिकतर निजी उद्योगपतियों के हाथों में सौंपना तथा उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करने के साथ-साथ निजी उद्योगों में पूर्ण उपयोग के लिये पर्याप्त साधनों की व्यवस्था नहीं की गई थी। निजी उद्योगपतियों का विचार था कि योजना में २३३ करोड़ रुपये की पूंजी का विनियोग करने की ओर १५० करोड़ रुपये की पूंजी टूट-फूट और विसाई आदि की पूर्ति के लिये रखने का प्रवन्ध किया गया था जो राशि पूर्णतया अपर्याप्त थी। इसके अतिरिक्त यह भी विचार-

योग दात है कि उद्योगों का विकास तथा प्रगति केवल वित्त पर ही निर्भर नहीं होती बल्कि और भी प्रत्येक साधनों की आवश्यकता होती है, जैसे टूट-फूट इत्यादि के लिये अधिक पूंजी या कुछ विशेष परिस्थितियों में तकद आर्थिक सहायता। किन्तु योजना में इसके लिये कोई भी प्रवन्ध नहीं किया गया है जिसके अभाव में निजी उपक्रम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पायेंगे।

योजना का एक और बड़ा दोष यह बताया गया था कि इसमें केवल दीर्घकालीन योजनाओं पर ही ध्यान दिया गया था। निस्संदेह ही मुनियोजित आर्थिक व्यवस्था के लिये दीर्घकालीन योजनाओं को महत्त्व देना चाहिये जैसा कि रूस में भी किया गया था। परन्तु भारत की स्थिति रूस जैसी नहीं है। भारत में अल्पकालीन योजनाओं को भी बल प्रदान किया जाना चाहिये क्योंकि ऐसी योजनाओं से देश में बेकारी की समस्या को तुरन्त ही कम किया जा सकता था। आयोग का अनुमान था कि सन् १९५६ तक १ करोड़ अतिरिक्त व्यक्तियों को नौकरी दी जा सकेगी। परन्तु इसका कोई महत्त्व नहीं था क्योंकि योजना काल के अन्त तक ५ से ६ करोड़ वर्ष की बेकारी और उत्पन्न हो जायेगी। दीर्घकालीन उद्देश्य आवश्यक तो होते हैं किन्तु निकट भविष्य की समस्याओं का समाधान करना अधिक आवश्यक होता है जिसकी और पंचवर्षीय योजना में कोई भी ध्यान नहीं दिया गया था। दीर्घकालीन योजनाओं को अधिक महत्त्व प्रदान करने का एक दोष यह भी है कि जब व्यक्तियों की मूल्यवृद्धि तुरन्त ही बढ़ती है उत्पादन दीर्घ काल में बढ़ेगा। फलस्वरूप मुद्रा प्रसार बढ़ जावेगा। नियोजन का उद्देश्य मुद्रा प्रसार की प्रकृति को कम करना होना चाहिये। परन्तु पंचवर्षीय योजना में इस समस्या पर भी दृष्टिपात नहीं की गई थी। योजना में केवल यह निर्दिष्ट किया गया कि मुद्रा प्रसार को रोकने के लिये सरकार मूल्य नियन्त्रण की नीति अपनायेगी। किन्तु ऐसा सोचने में आयोग ने एक बड़ी गलती की थी। क्योंकि जब तक आर्थिक व्यवस्था का आधार ही ठीक नहीं होगा उस समय तक मूल्य नियन्त्रण नीति सफल नहीं हो सकती। सरकारी नियन्त्रण से वस्तुओं के अल्पकालिक अभाव को दूर किया जा सकता है और सीमित पूर्ति वाली वस्तुओं का राशन किया जा सकता है। परन्तु वस्तुओं की लागतों में होने वाली वृद्धि के प्रभाव से उलान्न होने वाली मूल्य वृद्धि को नहीं रोका जा सकता।

अन्त में कुछ लोगों का यह भी विचार था कि आर्थिक विकास की कोई भी योजना उस समय ही सफल हो सकती है जबकि उसके प्रबन्ध एवं सञ्चालन के लिये विश्वसनीय शासन प्रणाली हो और कुशल संगठन हो। हमारी योजना की सबसे बड़ी कमी यह ही है कि योजना को लागू करने के लिये कोई विशेष संगठन की व्यवस्था नहीं की गई है। कुछ औद्योगिक तथा नदी घाटी योजनाओं को पूरा करने के लिये स्वतन्त्र कारपोरेशनों की स्थापना अवश्य की गई है किन्तु इन पर सरकार अपना पूरा नियन्त्रण रखने में सफल नहीं हो पाई है। परिणामस्वरूप बहुत सा रुपया वर्धाद हुप्रदा, कार्य-क्रमों में समय-समय पर राशोधन किये गये और आशातीत सफलता भी प्राप्त नहीं हुई। यही नहीं बल्कि वर्तमान शासन प्रणाली में तो आय का उपयोग

करने में ही और न निर्वेकपूर्ण व्यय करने में ही सफल हुई, जिसका परिणाम यह हुआ कि योजना पूर्ण रूप से लागू नहीं की जा सकी और देश को पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो सका। अतः आवश्यकता इस बात की है कि राजकीय सेवा आयोग (Public Service Commission) की भाँति एक आर्थिक सेवा आयोग (Economic Service Commission) स्थापित किया जाये जो आई० ए० एस० की भाँति भारतीय आर्थिक सेवा (Indian Economic Service) के अन्तर्गत कुशल कर्मचारियों को नियुक्त करे और हमारी आर्थिक योजनाओं को सफल बनाये।

योजना की प्रगति—योजना की अवधि पूरी होने के बाद आर्थिक ढाँचा पहले की अपेक्षा अधिक दृढ़ और स्थिर तो हो ही गया है, किन्तु यह तो स्वीकार करना ही होगा कि जितनी प्रगति का अनुमान था और आशा थी उतनी प्रगति ही नहीं पाई है। हम निम्न पृष्ठों में प्रथम योजना की अवधि में जो सफलता विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त हुई है इसका विवरण देंगे। सबसे पहले यह बताना आवश्यक है कि योजना में विभिन्न बड़ी बड़ी महो पर निर्धारित किये गये व्यय और वास्तविकता में किये गये व्यय में कितना अन्तर रहा है। यह निम्न तालिका में दिखाया गया है —

(करोड़ रुपयों में)

	योजना में निर्धारित	वास्तविक व्यय
कृषि और सामुदायिक विकास	३५७	२६६
मिचाली और शक्ति	६६१	५८५
उद्योग और खानें	१७६	१००
परिवहन और संचार	५५७	५३२
समाज सेवाएँ	५३३	४२३
विविध	६६	७४
योग	२,३५६	२,०१३

योजना अवधि में विदेशों से ऋणी तथा अनुदानों के रूप में जो सहायता प्राप्त हुई उसकी राशि २६६ करोड़ रुपया थी, जिसमें से लगभग १८८ करोड़ रुपये ५ वर्षों में खर्च किये गये थे और १०८ करोड़ रुपये शूगरी योजना के लिये बचे थे। योजना पर खर्च किये हुए १६६० करोड़ रुपये निम्न स्रोतों से प्राप्त हुए थे —

	६० करोड़ों में	कुल प्रतिशत
कर और रेलों की बचत	७५२	३८
ऋण	२०५	१४
अल्प बचत और अन्य कोषों में जमा हुआ धन	३०४	१६
अन्य पूँजीगत साधनों से प्राप्ति	६९	५

विदेशी सहायता	१८८	१०
भाटे की व्यवस्था से	४२०	२१
योग	१,६६०	१००

यह व्यय ५ वें वर्ष में होने वाले वास्तविक व्यय के अनुमानों पर आधारित है। वास्तव में योजना की पूरी अवधि में २०१२ करोड़ रुपये का व्यय किया गया था जो योजना के प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार था किन्तु बाद में दुहराप गये अनुमानों की तुलना में वास्तविक व्यय की राशि ३४४ करोड़ रुपये से कम थी।

योजना अवधि में अल्प वचता से प्राप्त होने वाले धन में भी वृद्धि हुई थी। जब कि २२५ करोड़ रुपये इस मद्दे से प्राप्त होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तब २३७ करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे जो योजना पर व्यय की गई राशि का लगभग १०% था।

योजना की अवधि में राष्ट्रीय आय में लगभग १७ ५ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और प्रति व्यक्ति आय में १० ५% की वृद्धि हुई थी। राष्ट्रीय आय की वृद्धि सभी वर्षों में समान नहीं थी। अन्तिम २ वर्षों में यह वृद्धि प्रारम्भिक वर्षों की अपेक्षा कम नाम मात्र ही थी। योजना में यह आशा की गई थी कि विनियोग में वृद्धि होगी। पहलू जहाँ राष्ट्रीय आय का ५% विनियोग पर लगाया जाता था योजना अवधि में ७% होगा। ५ वर्षों की अवधि में विनियोगों की राशि ३५०० से ३६०० करोड़ रुपये निश्चित की गई थी। परन्तु योजना अवधि में वास्तविक राशि ३१०० करोड़ रुपये के लगभग रही जिसमें से १५०० करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र में थे और १६०० करोड़ रुपये निजी क्षेत्र में। यह निम्न तालिका में स्पष्ट हो जाता है —

(करोड़ रुपये में)

	१९५०-५१	१९५५-५६
१ राष्ट्रीय आय	८८००	१०४२०
२ राष्ट्रीय आय सूचक अंक	१००	११७५
३ प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय	२४६३	२७२१
४ राष्ट्रीय आय में विनियोगों का प्रतिशत	४६	७३

योजना अवधि में प्रति व्यक्ति उद्योग व्यय में भी वृद्धि हुई थी। उद्योग सूचक अंक सन १९५०-५१ में १०० मान कर १९५५-५६ में १०८ हो गया था।

योजना अवधि में कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है। सन १९५५-५६ में ६४८ लाख टन अनाज उत्पन्न हुआ जो आधारभूत वर्ष की अपेक्षा ११० लाख टन अधिक था। कृषि उत्पादन का सूचक अंक सन १९४६-५० की आधार वर्ष मान कर सन १९५३-५४ में ११४३ और सन १९५४-५५ में १२६४ हो गया था। अन्तिम वर्ष में कृषि उत्पादन कुछ कम हो गया था फिर भी योजना आरम्भ होने से पहले के वर्ष में जो कृषि उत्पादन का सूचक अंक था वह अन्तिम वर्ष में १६% ऊँचा हो गया था। साधान के उत्पादन में २६% की वृद्धि हुई

थी, कपास के उत्पादन में ३७.५% और तिलहन में १३.२%। ६० लाख एकड़ में भी अधिक भूमि पर सिंचाई होने लगी थी। बिजली का निर्माण जो सन् १९५०-५१ में ६५७५ मिलियन किलोवाट था वह सन् १९५५-५६ में ११ हजार मिलियन किलोवाट हो गया। सीमेंट के उत्पादन में १६ मिलियन टन की वृद्धि हुई थी।

मूल्यस्तर में १३% की कमी हुई थी और रहग-सहन का सूचक अंक जा सन् १९४९ में १०० था वह सन् १९५५ में ९६ हो गया।

योजना अवधि में सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में स्थायी विनियोग की राशि २९३ करोड़ रुपये थी जिसमें से निजी क्षेत्र में २३३ करोड़ रुपये का विनियोग हुआ था। पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन में ७०% की वृद्धि हुई थी। आधे बने हुए माल के उत्पादन में जिसमें औद्योगिक कच्चे माल का विशेष स्थान था, उसमें लगभग ३४% की वृद्धि हुई थी। उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन भी ३४% बढ़ गया था। तीनों प्रकार के उत्पादन में ३०% की औसत वृद्धि हुई थी।

मिल के बने हुए कपड़े का उत्पादन सन् १९५०-५१ में ३ अरब ७१ करोड़ ८० लाख गज से बढ़ कर सन् १९५५-५६ में ५ अरब १० करोड़ २० लाख गज हो गया। इस प्रकार योजना में निर्धारित लक्ष्य से लगभग ४० करोड़ गज अधिक कपड़े का उत्पादन हुआ था। मशीनों तथा इन्जीनियरिंग तथा रसायन उद्योग में भी काफी वृद्धि हुई थी। टाइप राईटर, आलटरनेटर, पैनसिलोन इत्यादि अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन पहले ही बार देखा गया था। पेट्रोल साफ करने हवाई जहाज, रेल के डिब्बे बनाने, रसायनिक खाद तथा डी० डी० टी० बनाने के कारखाने भी पहले ही बार देखा गए थे। सरकारी क्षेत्र में सिविल फौजदारी, चित्तोजन का इजन कारखाना, इन्डियन टेलीफोन उद्योग और इन्जीनरिंग कोच फौजदारी आदि कारखानों की सतोपजनक प्रगति हुई। परन्तु लोहा और इस्पात तथा भारी विद्युत उपकरणों के कारखाने इस योजना अवधि में चालू नहीं हो सके। मशीनों और जहाजों के कारखाने, स्टील प्रिन्ट फौजदारी और बिहार सुपर मॉल्फेट फौजदारी भी कार्यन्वय से पीछे रही। निजी क्षेत्र में औद्योगिक विद्यालयों के लिये कुल पूँजी का अनुमान २३३ करोड़ रुपये लगाया गया था जो अधिकतर पूँजीगत तथा उत्पादक वस्तुओं के उद्योगों के लिये था। निजी क्षेत्र में योजना अवधि के विनियोग लक्ष्य पूर्ण होने में थोड़ा अंतर था, और उत्पादन में आनातीत वृद्धि हुई थी किन्तु उत्पादक वस्तुओं के कुछ उद्योगों में अतिरिक्त उत्पादन की आशा पूरी नहीं हो पाई जैसे लोहा और इस्पात, एल्यूमीनियम, मशीनों के आधुनिकीकरण तथा बदलने के विषय में प्रगति आशा से कुछ कम रही। इस क्षेत्र में कुल १५० करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान था जिसके स्थान पर कुल ११० करोड़ रुपये खर्च हुए थे।

योजना में ग्रामीण तथा छोटे उद्योगों के विकास के लिये जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे वे यद्यपि पूरे तो नहीं हो सके थे परन्तु उनके विकास के लिये एक विस्तृत कार्य क्रम को कार्यान्वित करने का मार्ग अवश्य ही प्रदर्शित हो गया। योजना अवधि में ऐसे अनेकों संगठन स्थापित किये गये जिनकी सहायता से छोटे

आर्थिक नियोजन

उद्योगों की उन्नति की जायेगी। वास्तव में हमारे देश की आभीण अव्यवस्था का आधार ही यह उद्योग प्रदान करेगा। इसलिये ही इन पर प्राथम्य जोर दिया जा रहा है। आभीण तथा छोटे उद्योगों पर लगभग ४६ कराड रुपये खर्च हुए थे जिसमें से ३४ करोड केन्द्रीय सरकार ने और १२ करोड राज्य सरकार ने खर्च किये थे।

योजना अवधि में रेलों के सम्बन्ध में १०३८ इजन, ५,६७४ सवारी गाडी के डिब्बे और १४,१४३ मान गाडी के डिब्बे प्राप्त करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। किन्तु इस अवधि में १५,८६ इजन, ४७५८ सवारी गाडी के डिब्बे और ६१,२५४ मान गाडी के डिब्बे प्राप्त किये गये। इनके अतिरिक्त इन मही में उत्पादन की वृद्धि निम्न प्रकार थी —

	१९५१-५२	१९५५-५६
इजन	२७	१७९
सवारी के डिब्बे	६७३	१२२१
मान के डिब्बे	३७०७	१४३१४

युद्धकाल में जो रेलमाम टूट गये थे उनमें से लगभग ४३० मील लम्बे मार्ग फिर बना दिये गये, ३८० मील लम्बी नई लाईन डाली गई और ४६ मील लम्बी नैरो गेज लाईनों को बदल कर मीटर गेज कर दिया गया।

योजना अवधि में बेकारी की समस्या पूर्ववत् ही रही क्योंकि इन वर्षों में एक तो नई नौकरियाँ आया के अनुसार उत्पन्न नहीं की जा सकी और इनके अतिरिक्त जनसंख्या प्रति वर्ष १३% की दर से बढ़ते जाने के कारण और रोजगारों में समानुपातिक वृद्धि न होने के कारण बेकारी की स्थिति पहले से और भी अधिक खराब हो गई है।

उपरोक्त विवरण से योजना क दोष तथा गुणो दोनों ही का स्पष्टीकरण हो जाता है। हमने योजना की कार्य प्रगति तथा आलोचनाओं का भी स्पष्टीकरण किया है। आलोचनाएँ तो बस बहुत हुई और वे कुछ घस तक नहीं थी, किन्तु वास्तविकता यह है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना को यदि अनुभव प्राप्त करने की दृष्टि से एक प्रयोग के रूप में ही देखा जाये तो यह देश के सन्तुलित आर्थिक विकास का एक मीमांसा प्रयास है। इसमें वास्तविकता का लक्षण है और विकास कार्यक्रमों को देश के उपलब्ध साधनों से सम्बन्धित करने का प्रयास किया गया है। यह सरकार का आर्थिक नियोजन की और पहला निश्चित पग था और इसलिये देश में आर्थिक नियोजन की सफलता तथा विफलता का अनुमान इसके आधार पर लगाना अन्वयात्पूर्ण होगा। जितनी भी सफलता योजना अवधि में प्राप्ता हुई थी और जितने भी आर्थिक विकास के लक्ष्य पूरे हुए वे देश की आर्थिक स्थितियों को देखते हुए कम नहीं थे। इसका स्वीकार करने में किंगी को भी आशंका नहीं होनी चाहिये कि जैसा कि आयोग ने कहा था कि दूसरी योजना के आरम्भ की स्थिति पहली योजना की आरम्भ की स्थिति से बहुत अच्छी थी।

प्राक्कथन—

दूसरी पंचवर्षीय योजना 'समाजवादी ढंग की समाज व्यवस्था' स्थापित करने के प्रमुक्त उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। दूसरे शब्दों में हमारे सम्मुख प्रगति का आधारभूत लक्ष्य सामाजिक हित होगा न कि व्यक्तिगत लाभ। यह प्रयत्न होगा कि ना केवल राष्ट्रीय आय और रोजगार में ही वृद्धि हो बल्कि आर्थिक विकास के लाभ समाज के उन वर्गों को अधिक से अधिक प्राप्त हों जो अपेक्षाकृत अधिकारहीन हैं और साथ ही आय, सम्पत्ति तथा आर्थिक अधिकार के एक स्थान पर एकत्रित होने में निरन्तर कमी होती जाये। दूसरी योजना बनाने से पहले विभिन्न सरकारों, आर्थिक एवं सामाजिक सस्थाओं आदि ने मिल कर देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति एवं समस्याओं पर खूब सोच विचार तथा विचार विनिमय किया था। वास्तव में प्रथम योजना के अन्त में ही वृष्टि वस्तुओं के मूल्य तेजी से बढ़ने लगे थे। वेकारी की समस्या विशेष रूप से भीषण रूप धारण करती जा रही थी। जनसंख्या ४० ५ लाख की दर में प्रति वर्ष बढ़ रही थी। १० ८ लाख मजदूरों की संख्या में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही थी जिनको नौकरी प्रदान करने की समस्या गम्भीर स्थिति धारण करती जा रही थी जिसके कारण नियोजन आयोग तथा सरकार ने बहुत ही सोच समझ कर द्वितीय योजना का निर्माण किया था। आरम्भ में प्रो० पी० सी० महलीनोविस जो भारतीय सांख्यिकीय इन्स्टीट्यूट तथा राष्ट्रीय आय यूनिट के डायरेक्टर हैं उन्होंने योजना के टाचे को प्रस्तुत किया था जिसका कॉग्रेस हाई कमांड की योजना समिति, नियोजन आयोग, भारतीय अर्थशास्त्रियों के फेलो, आदि सभी ने समर्थन किया था। उसी के आधार पर नियोजन आयोग ने दूसरी योजना बनाई थी जो १५ मई सन् १९५६ को भारतीय संसद ने संमूल प्रस्तुत की गई थी। इस योजना के मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय आय में २५% वृद्धि करना, लगभग १ करोड़ लोगों को रोजगार देना, भारी उद्योगों का विकास करना, सम्पत्ति व आय के वितरण की अगमानताओं को दूर करके समाजवादी ढंग का समाज स्थापित करना आदि हैं। योजना काल में सरकारी व निजी क्षेत्रों में ७,२०० करोड़ रुपये खर्च करने का निश्चय

विभा गया है जिसमें से सरकारी क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों पर ४८०० करोड़ रुपये तथा निजी क्षेत्र में २४०० करोड़ रुपये खर्च होंगे। दूसरी योजना के उद्देश्यों की व्याख्या इस प्रकार की गई है—

(१) राष्ट्रीय आय में इगनी वृद्धि करना जिसमें देश के रहने सहने का स्तर ऊँचा हो। यह वृद्धि लगभग २५% पर निश्चित की गई है।

(२) देश के मूल एवं भारी उद्योगों का तेजी से विकास करना जिसमें अग्रणी योजनाओं में तीव्र गति में प्रगति करने के लिए आवश्यक आधार तैयार हुआ जाय।

(३) योजना अवधि में जनसंख्या बढ़ने के कारण रोजगार हूँदने वाला क्षेत्रों में अनुपात में वृद्धि हो उसी अनुपात में नए काम दिलाने की व्यवस्था करना।

(४) देश के सरकारी क्षेत्रों में व्यवस्था कर समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना करना है अर्थात् समाज के विभिन्न वर्गों की आय और विभिन्न सम्पत्ति की अनुमानताओं को दूर करना और आर्थिक समानता स्थापित करना।

इनके अतिरिक्त दूसरी योजना के कुछ और भी उद्देश्य हैं जिनकी गणना योजना की रूप रेखा में नहीं की गई है, परन्तु जिनका उल्लेख बीच-बीच में किया गया है। ये उद्देश्य निम्न प्रकार हैं—

(१) योजना का प्रत्यक्ष कार्य जनतन्त्रीय ढंग से होगा। अतः इनकी सफल बनाने में जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना और जनता में प्रयत्न दत्ता में स्वयं कार्य करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करना है।

(२) बड़े-बड़े उद्योगों के साथ छोटे छोटे धंधों का विकास भी करना ताकि व्यक्तियों को दिन-प्रति दिन की उपभोग की वस्तुओं अधिन मात्रा में प्राप्त हो सकें तथा बजार लोगों के लिए रोजगार की अधिक सुविधाएँ प्राप्त हो सकें।

(३) ग्रामों में कृषि उत्पादन में वृद्धि करना और साथ ही भूमि सुधारों को तीव्र गति में लागू करके भूमि का सामान्य वितरण करना जिसमें किसानों का अधिक उत्पत्ति करने की प्रेरणा मिल सके और उनकी आय क्षति बढ सके।

(४) देश के निर्बल व्यक्तियों के लिए अच्छे और सफेद भवनों और अधिक स्वास्थ्य सेवाओं तथा उचित शिक्षाओं की अधिन-अधिन सुविधाएँ प्रदान करना।

योजना पर लागत—पहली योजना के लिए कुल २०६६ करोड़ रुपये (जो बाद में २३५६ करोड़ रुपये कर दिया गया था) की व्यवस्था की गई थी। दूसरी योजना में कुल खर्च ४८०० करोड़ रुपये होगा। विज्ञान की सुलभ महा पर इस राशि के वितरण की व्यवस्था तथा पहली और दूसरी योजना के व्यय की तुलना इस प्रकार की गई है —

मुख्य विकास मही में योजना व्यय का वितरण

मद	पहलीपंचवर्षीययोजना		दूसरीपंचवर्षीययोजना	
	कुल व्यय (करोड रु० म)	प्रतिशत	कुल व्यय (करोड रु० म)	प्रतिशत
१	२	३	४	५
१. कृषि और सामुदायिक विकास	३५७	१५.१	५६८	११.८
(क) कृषि	२४१	१०.२	३४१	७.१
कृषि कार्यक्रम	१६७	८.३	१७०	३.५
पशुपालन	२२	१.०	५६	१.१
जंगलात	१०	०.४	४७	१.०
मछली उद्योग	४	०.२	१२	०.३
सहकारिता	७	०.३	४७	१.०
विविध	१	—	६	०.१
(ख) राष्ट्रीय विस्तार और सामु- दायिक विकास योजनायें	६०	३.८	२००	४.१
(ग) अन्य कार्यक्रम	२६	१.१	२७	०.६
गांव पंचायतें	११	०.५	१२	०.३
स्थानीय विकास कार्य	१५	०.६	१५	०.३
२ सिंचाई और बिजली	६६१	२८.१	६१३	१६.०
सिंचाई	३८४	१६.३	३८१	७.६
बिजली	२६०	११.१	४२७	८.८
बाढ नियन्त्रण तथा अन्य योजनायें, शोध आदि	१७	०.७	१०५	२.२
३ उद्योग और खनिज	१७६	७.६	८६०	१८.५
बड़े और मध्यम उद्योग	१४८	६.३	६१७	१०.६
सर्वांग विकास	१	—	७३	१.५
ग्राम और छोटे उद्योग	३०	१.३	२००	४.१
४. परिवहन और संचार	५५७	२३.६	१,३८५	२८.८
रेलें	२६८	११.४	६००	१२.८
सड़कें	१३०	५.५	२४६	५.१
सड़क परिवहन	१२	०.५	१७	०.४
बन्दरगाह और नदियाँ	३४	१.४	४५	०.६
जहाजरानी	२६	१.१	४८	१.०
आन्तरिक जलमार्ग परिवहन	—	—	३	०.१
नागरिक विमान परिवहन	२४	१.०	४३	०.८
अन्य परिवहन साधन	३	०.१	७	०.१
डाक और तार	५०	२.२	६३	१.३

१	२	३	४	५
अन्य संचार साधन	५	०२	४	०१
प्रसारण	५	०२	६	०२
५ समाज सेवायें	५३३	२२६	६४५	१६७
शिक्षा	१६४	७०	३००	६४
स्वास्थ्य	१४०	५६	२७४	५७
आवास	४६	२१	१२०	२५
पिछड़े वर्गों का कल्याण	३२	१३	६१	१६
समाज कल्याण	५	०२	२६	०६
श्रम और श्रम कल्याण	७	०३	२६	०६
पुनर्स्थापन	१३६	५८	६०	१६
शिक्षित बर्गों के लिए विशेष योजनायें	—	—	५	०१
६ विविध	६६	३०	६६	२१
योग	२३५६	१०००	४,८००	१०००

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि योजना में उद्योगी स्तरीय मातायात एवं सवाह बाह्य के साधनों को विकसित करने पर अधिक जोर दिया गया है। योजना अधि म किए जाने वाले व्यय की कुल राशि का लगभग आधा भाग इनके विकास पर खर्च किया जायेगा जबकि पहली योजना में कुल व्यय का केवल एक तिहाई भाग ही इन पर खर्च किया गया था। यदि बिजली को भी औद्योगिक विकास का एक अङ्ग माना जाए तो इस व्यय का कुल व्यय में प्रतिशत लगभग ५६ हो जाता है। निरपेक्ष रूप से उद्योग तथा खानों पर किए जाने वाले व्यय में बहुत अधिक, लगभग ४००% की वृद्धि हुई है। कृषि एवं सामुदायिक विकास पर लगभग १२% व्यय होगा जबकि पहली योजना में १५% खर्च किया गया था।

दूसरी योजना में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत ४८०० करोड़ रुपये का व्यय निर्धारित किया गया है जिसमें में २५५६ करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार और २२४१ करोड़ रुपये राज्य सरकारों द्वारा खर्च किया जाएगा। ये व्यय निम्न तालिका से स्पष्ट होता है —

(करोड़ रुपये में)

भेद	केन्द्र	राज्य			कुल
		क भाग	ख भाग	ग भाग	
१ कृषि और सामुदायिक विकास	६५	३५६	११२	३१	५६८
२ सिंचाई व बिजली	१०२	५६७	२१७	२४	६१३
३ उद्योग और खाने	७४७	६६	३७	७	८६०

४ परिवहन और संचार	1,202	120	41	21	1,384
५. सामाजिक सेवाएँ	346	346	117	34	843
६. विविध	43	42	11	3	109
योग	2,591	1,518	179	58	4,346

योजना में पूंजी का विनियोग — दूसरी योजना के सरकारी क्षेत्र में होने वाले कुल ४,८०० करोड़ रुपये के खर्चों में से लगभग १००० करोड़ रुपया चालू खर्च के लिए है और ३८०० करोड़ रुपया शुद्ध विनियोग के लिये जो केवल उत्पादक सम्पत्ति के निर्माण के लिए ही खर्च किया जायेगा। दोनों प्रकार के खर्चों का विवरण निम्न तालिका से स्पष्ट होता है — (करोड़ रुपये)

	विनियोग व्यय	चालू व्यय	कुल व्यय
१ कृषि तथा सामुदायिक विकास	335	230	565
(१) कृषि	151	160	311
(२) राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास †	184	70	254
२ सिंचाई और बिजली	563	50	613
(१) सिंचाई और बाढ़-नियन्त्रण	456	30	486
(२) बिजली	107	20	127
३ उद्योग और खानें	740	100	840
(१) बड़े तथा मध्यम उद्योग और खानें	670	20	690
(२) ग्राम तथा छोटे उद्योग	70	80	150
४ परिवहन और संचार	1,202	50	1,252
५ सामाजिक सेवाएँ	346	440	786
६ विविध	43	50	93
योग	3,500	1,000	4,500

† ग्राम पंचायतों और स्थानीय विकास कार्यों सहित।

निजी क्षेत्र—निजी क्षेत्र में विनियोग-कार्यक्रम को ध्यान में रखकर ही सरकारी क्षेत्र के विनियोग कार्यक्रम को निर्धारित किया गया है। हम पहले ही कह चुके हैं कि निजी क्षेत्र में २४०० करोड़ रुपये का व्यय होगा। इस व्यय को निम्न प्रकार विभाजित किया गया है — (करोड़ रुपये में)

१ सगठित उद्योग और खानें	575
२ वागान, बिजली उद्योग और रेलों को छोड़कर अन्य परिवहन	125
३ निर्माण	1000
४. कृषि तथा ग्राम और छोटे पैमाने के उद्योग	300
५ स्टाक	400
कुल योग	2,400

सरकारी तथा निजी क्षेत्रों को एक साथ मिलाकर यदि विचार किया जाये तो द्वितीय योजना काल में अर्थ-व्यवस्था में लगभग ७,२०० करोड़ ६० का वित्तियोग होने का अनुमान है। पहली योजना में सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में वित्तियोग का अनुपात ५० : ५० था, जबकि दूसरी योजना में यह अनुपात ६१ : ३९ होगा।

वित्तीय साधन—दूसरी योजना में सरकारी क्षेत्र के व्यय को पूरा करने के लिए निम्न प्रकार से व्यवस्था की गई है।

(करोड़ रुपये में)

१ घरेलू साधन			
(१) बचत आय में वृद्धि	८००
(क) कर की वर्तमान दरों के आधार पर	३५०
(ख) अतिरिक्त दरों से	४५०
(२) जनता से ऋण के रूप में	१२००
(क) बाजार से ऋण	७००
(ख) छोटी बचतें	५००
(३) बजट के अन्य साधनों से	४००
(क) विकास कार्यक्रमों में राज्यों का भाग	१५०
(ख) भविष्यनिधि तथा अन्य जमा खाते	२५०
२ विदेशों से	६००
३. घाटे का बजट बनाकर	१५००
४ कमी—जो स्वदेश में ही नये साधनों द्वारा पूरी करनी होगी			४००
		योग	४,८००

अतिरिक्त कर लगाने से जो वार्षिक आय प्राप्त होगी उसकी राशि १६० करोड़ रुपये निश्चित की गई है। वर्तमान दरों की दर में सरकार को राष्ट्रीय आय का केवल ७% से कुछ ही अधिक आय के रूप में प्राप्त होता है। परन्तु योजना प्रायोग में यह अनुपात बढ़ाकर ११% कर देने का मुद्दा रखा गया है। क्योंकि योजना काल में ४५० करोड़ रुपये ही अतिरिक्त करों से प्राप्त किये जायेंगे इसलिए वर्तमान अनुपात में केवल थोड़ी सी ही वृद्धि हो पायेगी। यही लक्ष्य कर जांच समिति ने भी निर्धारित किया था। यह अतिरिक्त कर आर्थिक असमानता में कमी करने में भी सहायक होगा। जनता से ऋण के रूप में जो राशि प्राप्त होगी उसमें से ७०० करोड़ रुपये बाजार में ऋण प्राप्त करके तथा ५०० करोड़ रुपये जनता से बचतों के रूप में प्राप्त होंगे। पिछले दो वर्षों में बाजार से प्राप्त होने वाले ऋणों की मात्रा १०० करोड़ रुपये वार्षिक थी और पिछले वर्ष ६५ करोड़ रुपये बचतों से प्राप्त हुए थे। इसीलिये शायद यह राशि निश्चित की गई थी। परन्तु प्रायोग का विचार था कि इस लक्ष्य की पूर्ति संभव नहीं है। विशेष रूप से जब कि निजी क्षेत्र में भी धन की आवश्यकता होगी। ऐसा मालूम होता है कि इस सम्बन्ध में बीजे के

राष्ट्रीयकरण से प्राप्त होने वाली बीमा निधि और प्रावदान कोष योजनाओं से प्राप्त होने वाली राशि का विनियोग सरकारी ऋणों में किया जाएगा। योजना अवधि में ५०० करोड़ रुपये प्राप्त करने अर्थात् प्रति वर्ष १०० करोड़ रुपये की अल्प वचत्तो के द्वारा व्यवस्था करने का लक्ष्य भी सरलता से प्राप्त नहीं होगा। प्रथम योजना के प्रथम वर्ष में जब इस स्रोत से प्राप्त होने वाली राशि केवल ३३ करोड़ रुपये थी वह अनेकों प्रयत्ना तथा अत्यन्त कठिनाई के बाद योजना काल के अन्तिम वर्ष में ६५ करोड़ हो पाई थी। इसलिये आयोग ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अल्प वचत्तो को प्रोत्साहन देने के लिये नीची से नीची आय वाले व्यक्तियों तक पहुँच करना भी आवश्यक होगा।

योजना के अर्थ सम्बन्ध में रेलों का भाग १५० करोड़ रुपये है। पहली योजना काल में यह राशि ११५ करोड़ रुपये थी अर्थात् पहले २३ करोड़ रुपये प्रति वर्ष रेलों को देना पड़ा था परन्तु अब उन्हें प्रति वर्ष ३० करोड़ रुपये देना होगा जिसके लिये उन्हें अपने वार्षिक लाभ प्रथम योजना की अपेक्षा ७ करोड़ रुपये प्रति वर्ष अधिक करने होंगे। रेलों के विकास कार्यक्रम में ६०० करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे जिसके केवल एक भाग की ही व्यवस्था रेलें अपनी आय में से कर सकेंगी और शेष राशि को प्राप्त करने के लिए उन्हें किराये तथा भाड़े की दरों में वृद्धि करनी होगी। आयोग ने सिफारिश की है कि रेलों को इस राशि से भी अधिक प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करने चाहियें। वजट के अन्य स्रोतों से जो २५० करोड़ रुपये प्राप्त करने हैं उनमें राजकीय तथा केन्द्रीय सरकारों के कर्मचारियों की प्रावदान कोष राशि है जो सन् १९५५-५६ में २३-६ करोड़ रुपये थी। इस राशि में योजना अवधि में वार्षिक वृद्धि होगी। जिससे ५ वर्षों में १५० करोड़ रुपये मिल सकेंगे। शेष १०० करोड़ रुपये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा दिये गये ऋणों के भुगतान से तथा अन्य पूंजीगत आय से प्राप्त होगा। अतः युक्त स्रोतों से २४०० करोड़ रुपये प्राप्त होंगे और शेष २४०० करोड़ रुपये अन्य स्रोतों से प्राप्त किये जायेंगे जो अनिश्चित हैं।

अन्य स्रोतों में पहला स्थान विदेशी सहायता तथा विदेशी स्रोतों का है। ८०० करोड़ रुपये इन स्रोतों से प्राप्त होने का अनुमान है। पहली योजना में लगभग ३०७ करोड़ रुपये मिले थे जिनमें से केवल २०० करोड़ रुपये का ही उपयोग हो सका और यह निश्चित हुआ था कि शेष राशि इन योजना में काम आवेगी। इसमें हम तथा इंग्लैंड के स्पष्ट कारखानों की राशि सम्मिलित रही होगी, क्योंकि इसकी व्यवस्था पहले से ही हो चुकी थी। अतः यह राशि, ऐसा अनुमान है कि हमारी योजना की आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी योजना के प्रथम वर्ष में अमेरिका ने लगभग ६०० लाख डालर सहायता के रूप में दिये थे। अगले वर्षों में अमेरिका ने प्राप्त होने वाली सहायता का कोई निश्चित अनुमान लगाना कठिन है। साथ ही अन्य देशों से जो सहायता प्राप्त होगी उनकी व्यवस्था दो बातों पर निर्भर करेगी। प्रथम, भारत एवं अन्य देशों की राजकीय एवं आर्थिक स्थिति और दूसरे

वाणिज्य में लगा दिया जाता है। इसलिए इस क्षेत्र में प्राप्त होने वाले साधनों का सही अनुमान लगाना कठिन है। आयोग ने इस क्षेत्र में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली राशियों का अनुमान निम्न प्रकार लगाया है²—

करोड़ रुपये में

(१) औद्योगिक वित्त कारपोरेशन, राज्य वित्त कारपोरेशनों तथा औद्योगिक सार्व एंव विनिमय कारपोरेशन से प्राप्त होने वाली राशि	४०
(२) प्रत्यक्ष ऋण, अप्रत्यक्ष ऋण तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा राजकीय साभेदारी और निजी उद्योगों की हिस्सा पूंजी में राज्य सरकारों का हिस्सा तथा ऋण	२०
(३) विदेशी पूंजी	१००
(४) नये हिस्सों (New Issues) द्वारा	८०
(५) विनियोग के लिये प्राप्त होने वाले आन्तरिक साधन	३००
(६) अन्य स्रोत	८०
योग	६२०

निजी क्षेत्र के साधनों का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि यह कई तथ्यों पर निर्भर करता है। सरकार इनकी कई प्रकार से सहायता कर सकती है जैसे अर्वाञ्छनीय विनियोगों को रोककर, करो में ही डेर फेर करके और विभिन्न कारपोरेशनों द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायताओं को कुछ चुने हुए उद्योगों को ही प्रदान करके।

यह बताना कठिन है कि ५ वर्षों में विदेशी मुद्रा की कितनी आवश्यकता होगी और कितनी प्राप्त हो सकेगी। यदि हमारा व्यापार तथा व्यापार सम्बन्धी शर्तें दूसरी योजना प्रवधि में भी वैसे ही रहती हैं जैसे सन १९५५-५६ में थी और यदि मुद्रा प्रसार पर कड़ा नियन्त्रण रहता है तो यह अनुमान है कि दूसरी योजना काल में लगभग ११०० करोड़ रुपये का भुगतान संतुलन में घाटा रहेगा। जिसमें से २०० करोड़ रुपये पौंड पावनों से ६०० करोड़ रुपये विदेशी बाजारों में ऋण प्राप्त करके, विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण लेकर, विदेशी विनियोग द्वारा और अन्त में मित्र देशों की सरकारों से ऋण तथा अनुदानों द्वारा प्राप्त किमे जायेंगे। यह अनुमान था कि निजी क्षेत्र में लगभग १०० करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी का भी विनियोग होगा। फिर भी विदेशी मुद्रा की बहुत आवश्यकता होगी।

योजना में उत्पादन तथा विकास के लक्ष्य

कृषि—इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रथम योजना काल में अनाज तथा कच्चे माल के उत्पादन में आशा के विपरीत वृद्धि हुई थी किन्तु हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या

तथा मौसम की अनिश्चितता के कारण अनाज जमा करके रखने के लिए उत्पादन को और भी अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। किन्तु यह आवश्यकता अनाज के सम्बन्ध में इतनी अधिक नहीं है जितनी अन्य कृषि वस्तुओं के सम्बन्ध में है। दूसरी योजना में कृषि विकास पर ३ अरब ४१ करोड़ रुपया खर्च किए जायेंगे और राष्ट्रीय विस्तार तथा सामुदायिक योजना क्षेत्रों में इन मदों पर होने वाला व्यय पूर्णतया अलग होगा। अतिरिक्त उत्पादन के मुख्य लक्ष्यों का सूचक एक निम्न प्रकार है। (आधार वर्ष १९४६-५०)

	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१
खाद्यान्न	९१	१११	१२६
तिलहन	९६	१०८	१३७
गन्ना (गुड)	११४	११८	१४४
कपास	१०६	१६२	२१३
पटसन	१०६	१३६	१६४
अन्य फसलें जिमम चाय, कहवा, रबड़ आदि भी शामिल हैं	१०५	१२५	१३६
कुल शासित फसलें	१०६	१२१	१४८
सभी पण्य	६६	११५	१३५

मग राज्यों में इन लक्ष्यों को और भी अधिक बढ़ाने का विचार है ताकि मुद्रा प्रसार का भय दूर किया जा सके। उत्पादन में जिस दर से वृद्धि हो रही है उसको देख कर यह सरलता से कहा जा सकता है कि दूसरी योजना के अन्त तक प्रति व्यक्ति खपत १७२ अँउस से बढ़कर १८३ अँउस हो जायेगी। किन मदों से कितनी वृद्धि होगी यह निम्न तालिका में दिखाया गया है—

				(लाख टन)
सिंचाई के बड़े साधनों से	२४
सिंचाई के छोटे साधनों से	१८
उर्वरक और अन्य खादों से	२५
मुधरे हुए बीजों से	१०
भूमि के विकास और उसे खेती योग्य बनाने से	८
कृषि प्रणाली में आम मुपार से	१५
			योग	१००

सन् १९५५ में ६ लाख १० हजार टन रसायनिक खाद की खपत हुई थी जिसको बढ़ा कर सन् १९६० में १८ लाख टन करने का लक्ष्य है। शहरों के कूड़े-कचरे, हरी खाद, खली और दूसरी देसी खादों के प्रयोग को भी बढ़ावा दिया जायेगा। प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार सेवा एड में एक बीज फास और एक बीज भोदाम

खोलने का विचार है इसलिए दूसरी योजना में बीज विकास के लगभग ३००० फार्म खोलने की व्यवस्था की गई है। अनेक राज्यों में राहकारी बीज गोदाम खोलने की योजनाएँ भी बनाई गई हैं। भूमि की फिर से खेती योग्य बनाने का कार्यक्रम म १५ लाख एकड़ नई भूमि में खेती करने और २० लाख एकड़ भूमि को सुधारने का विचार है। जल और भूमि संरक्षण के लिए बांध बनाने की प्रोत्साहित किया जायगा। पौधों को कीड़ों आदि से बचाने का काम और भी तेजी से करने के लिए वत्तमान केन्द्रों को सुदृढ़ किया जायेगा और ५ और केन्द्र खोले जायेंगे। राज्यों की योजनाओं में ५००००० एकड़ के वत्तमान धानों को सुधारने और २,००,००० एकड़ भूमि में नए बगीचे लगाने की व्यवस्था की गई है। खेती के आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए २ और केन्द्र खोलने का विचार है। कृषि अनुसंधान के लिए दूसरी योजना में १४ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई। कृषि शिक्षा के लिए इस समय देश में कुल २८ कृषि कॉलेज, ५४ बुनियादी कृषि स्कूल और ४४ विस्तार केन्द्र हैं। अनुमान है कि दूसरी योजना में २५ नए बुनियादी कृषि स्कूल, २१ विस्तार केन्द्र तथा १६ बुनियादी कृषि विभाग और खोले जायेंगे ताकि ग्राम सेवकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जा सके।

कृषि विभाग में भूमि व्यवस्था के सुधार का महत्वपूर्ण स्थान है। पहली योजना में कई राज्यों में मध्यस्थों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। साथ ही वास्तुकारों के अधिकारों की भी रक्षा की गई और लगान भी कम किया गया। जहाँ तक खेती की जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का प्रश्न है, पहली योजना में मुख्य रूप से भविष्य में और भूमि लेने पर प्रतिबन्ध लगाने का काम हुआ और वत्तमान भूमि की अधिकतम सीमा केवल कुछ ही राज्यों में निर्धारित की गई। दूसरी योजना में जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का प्रयत्न किया जायेगा। यह भी विचार प्रकट किया गया है कि एक परिवार के लिए उपयुक्त जोत की लीन सुनी भूमि की अधिकतम सीमा माना जाए। निर्धारित जोत से जितनी अधिक भूमि होगी, सरकार मुद्राबन्धा दे कर उस पर अधिकार कर लेगी और उन्हें भूमिहीन कृषकों में तथा ऐसे बेदखल काश्तकारों में जिनके पास अलाभकर जोत हैं बाँट देगी।

ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के पुनर्गठन के लिए सहकारिता का सहारा लिया जायगा और लगभग प्रत्येक दिशा में सहकारी सेवा समितियाँ खोली जायेंगी। दूसरी योजना के लक्ष्यों के अनुसार १०,५०० बड़ी बड़ी ऋण देने वाली सहकारी संस्थाएँ, १,८०० प्रारम्भिक वित्री संस्थाएँ और ३५० गोदाम खोले जायेंगे, जो कारपोरेटन खोलेंगी। इसके अतिरिक्त वित्री समितियाँ और अन्य बड़ी बड़ी सहकारी समितियाँ भी ५५०० गोदाम खोलेंगी।

सामुदायिक विकास के क्षेत्र में जो कार्यक्रम पहली योजना में आरम्भ हुआ था उससे आगे बढ़कर परिणाम निकले हैं। दूसरी योजना के अन्त तक सारे देश में राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्डों का जाल बिछा देने का विचार है। अगले ५ वर्षों में २८०० और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड खोले जायेंगे जिनमें ११२० खण्डों को

सागुदाधिक विकारा खण्डों में बदल दिया जायेगा। इस काम के लिये योजना में २ अरब रुपये की व्यवस्था की गई है।

दूसरी योजना में पशु पालन और दूध उद्योग पर विशेष बल दिया गया है। पशुओं का स्वास्थ्य और नमल मुधारने के लिये १२५८ केन्द्र-ग्राम, २४५ कृषि गर्भावान केन्द्र, २५४ विस्तार केन्द्र और १६०० चिकित्सालाये खोलने का विचार है। नागरिकों को अच्छा दूध मिल सके, इस उद्देश्य से राहुरों में दूध वितरण की ३६ योजनाये शुरू की जायेंगी। इनके अतिरिक्त मक्खन निकालने के १२ सहकारी कारखाने और दूध का पाउडर तैयार करने के ७ कारखाने खोले जायेंगे। ज्यादा दूध देने वाले पशुओं की नस्ल मुधारने के लिये भी कई केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। भेड़ों की नस्ल मुधारने, मर्गी तथा मछली पालन की भी योजनाएँ बनाई गई हैं और पशु पालन के सम्बन्ध में अनुसंधान का एक कार्यक्रम भी बनाया गया है।

दूसरी योजना में वनों के विकास के लिये २७ करोड़ रुपये और भूमि संरक्षण के लिये २० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। जब कि पहली योजना में इन दोनों के लिये १३ करोड़ रुपये रखे गये थे। इन कार्पनम की कुछ मोटी मोटी बातें इस प्रकार हैं—(१) ३८०,००० एकड़ क्षेत्र के ऐसे जंगल को ठीक-ठाक करना, जिनकी हालत खराब हो गई है और जो पिछले कुछ वर्षों में ही सरकारी नियन्त्रण में आये हैं (२) नहरों और सड़कों के किनारे तथा गाँवों की पड़ी बेकार भूमि में वृक्ष लगाना, (३) जंगलों के ५०,००० एकड़ इलाके में टीक जंगी व्यापारिक महत्व की इमारती लकड़ी के बाग लगाना, ८३,००० एकड़ इलाके में अनुवर्षुर (ब्ल्यूगम) और वाटल के पेड़ लगाना तथा २,००० एकड़ भूमि में औपधियो की जड़ी बूटिया लगाना, (४) ५०,००० एकड़ भूमि में वियासलाई की लकड़ी के बाग लगाना, (५) वनों में ७,४०० मील लम्बी सड़कें बनाना या उनका मुधार करना, (६) इमारती लकड़ी मिभाने आदि के लिए मयत्र लगाना; देश की वन सम्पदा का सर्वेक्षण करना, आदि।

दूसरी योजना में ३० लाख एकड़ से भी अधिक ऐसे क्षेत्र में भूमि संरक्षण कार्य पर विशेष जोर दिया जायेगा जहाँ भूमि बहुत कट गई है। बिना भूमि के खेतीहर मजदूरों की समस्या पर भी इन योजना में उचित ध्यान दिया गया है।

सिंचाई और बिजली—सन् १९५०-५१ में भारत में ५ करोड़ १५ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होती थी। दूसरे शब्दों में देश में कुल जितनी भूमि में खेती होती थी, इसके केवल १६% भाग में सिंचाई की व्यवस्था थी। पर पहली योजना समाप्त होने तक लगभग १ करोड़ ६३ लाख एकड़ और भूमि में सिंचाई होने लगी।

पहली योजना में सिंचाई की जो छोटी और बड़ी योजनाये शुरू की गई थी, इनके अतिरिक्त दूसरी योजना में १९५ नई योजनाये शुरू करने का विचार है। इनमें से अधिकतर योजनाएँ छोटी और मध्यम प्रकार की होंगी। इसलिये इनसे सिंचाई भी जल्दी होने लगेगी। इन सिंचाई योजनाओं और पहली योजना में शुरू की गई अपूर्ण योजनाओं से लगभग २ करोड़ १० लाख एकड़ और अधिक भूमि में

सिंचाई होने की आशा है। इनमें से ६० लाख एकड़ की सिंचाई छोटे साधनों से होगी। १९५५-५६ में भारत में खेती की भूमि के २०% भाग में सिंचाई होती थी परन्तु १९६०-६१ तक यह क्षेत्र बढ़कर २७% हो जायगा।

सिंचाई के लिए दूसरी योजना में ४ अरब १६ करोड़ रुपये रखे गये हैं। इस रकम के अतिरिक्त ३,५८१ नलकूप बनाने के लिए २० करोड़ रुपये की और व्यवस्था की गई है। आशा है इन नलकूपों से ६,१६,००० एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगेगी।

मार्च सन् १९५१ में भारत के बिजलीघरों की उत्पादन क्षमता २३ लाख किलोवाट थी। पहली योजना की अवधि में ११ लाख किलोवाट बिजली और तैयार होने लगी। इसका मतलब यह हुआ कि ३,७०० और नगरों तथा गांवों में बिजली पहुँच गई। इस तरह सन् १९५५-५६ में भारत के ७४०० नगरों और गांवों में बिजली लगी हुई थी। इस अवधि में बिजली की खपत भी १४ यूनिट प्रति व्यक्ति से बढ़कर २५ यूनिट प्रति व्यक्ति हो गई।

दूसरी योजना में बिजली घरों की क्षमता ३४ लाख किलोवाट से बढ़कर ६६ लाख किलोवाट करने का विचार है। यह उत्पादन वृद्धि सार्वजनिक और निजी कारखानों तथा जल और उष्ण विद्युत सयंत्रों का उत्पादन बढ़ाकर की जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र में इस पर ४ अरब २७ करोड़ रुपये और निजी क्षेत्र में ४२ करोड़ रुपये खर्च किये जाएँगे।

आशा है कि दूसरी योजना के अन्त तक १८,००० नगरों और गांवों में बिजली लग जाएगी। सन् १९६०-६१ तक प्रति व्यक्ति खपत भी बढ़ कर ५० यूनिट होने की सम्भावना है।

बाढ़ नियन्त्रण—देश के कुछ भागों में बाढ़ से बहुत हानि पहुँचती है। इसलिये दूसरी योजना में सिंचाई और बिजली की व्यवस्था के साथ बाढ़-नियन्त्रण का भी कार्यक्रम बनाया गया है। इस कार्यक्रम में सामंजस्य स्थापित करने के लिए और राज्यों द्वारा प्रस्तावित बाढ़-नियन्त्रण योजनाओं पर विचार करने के लिए, सन् १९५४ में केन्द्रीय बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड बनाया गया था। बाढ़ नियन्त्रण का विस्तृत कार्यक्रम बनाने के लिए फिनहाल आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है। इन बीच मुरझातगर्क कदम उठाए जाएँगे जिनके लिए ६० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

उद्योग और खनिज—दूसरी योजना की विशेषता यह है कि इसमें औद्योगिक एवं खनिज क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र को प्रधानता दी गई है। और वास्तव में योजना में जो ६६० करोड़ रुपये के निवेश करने की व्यवस्था की गई है उनका निवेश प्राथमिक उद्योगों के विकास के लिए होगा, जैसे सोडा और इस्पात, इन्जीनियरिंग उद्योग, बिजली का सामान इत्यादि। क्रकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात के कारखानों के लिये ३ अरब ५० करोड़ रुपये, भूमूर आइरन एंड स्टील वर्क के विस्तार के लिये ६ करोड़ रुपये रखे गये हैं। इसमें से ७५ करोड़ रुपये की सहायता

विदेशों से पूँजी, मशीना आदि के रूप में मिलेगी। विजली का भारी सामान बनाने के लिये एक ब्रिटिश फर्म से रागभौता हुआ है। इस योजना में २५ करोड़ रुपये लगने का अनुमान है। हिन्दुस्तान मशीन टूल फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का भी विचार है। इजन, जहाज और रेल के डिब्बों के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयत्न भी किये जायेंगे। चित्तूरजन लोकोमोटिव फैक्ट्री का इतना विस्तार किया जायेगा कि वहाँ प्रत्येक वर्ष ३०० इजन तैयार हो सकें। विद्यासायटनम के हिन्दुस्तान साफ पाई वर, पुराने ढग के ६ जहाज और नये ढग के ४ जहाज बनाने योग्य विस्तार किया जायेगा। इसी प्रकार रेल की छोटी तथा बड़ी लाइनों के डिब्बों के बनाने की क्षमता का भी विस्तार होगा। नंबेली में एक लिंगनाईट कारखाना, दक्षिणी ग्रैफाइट और स्क्रबेला में खाद बनाने के तीन नये कारखाने खोलने तथा दवाइयों आदि के वर्तमान कारखानों के विस्तार की भी व्यवस्था की जायेगी। नौटा धादि का कामज बनाने का भी एक कारखाना स्थापित किया जायेगा।

उपर्युक्त कार्यक्रम सरकारी क्षेत्र में पूरा किया जायेगा। इसके प्रतिरिक्त औद्योगिक विकास में निजी क्षेत्र भी महत्वपूर्ण भाग लेगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी का भी विस्तार किया जायेगा ताकि उनका उत्पादन १२ लाख ५० हजार टन से बढ़कर २३ लाख टन हो जाय। इसके अतिरिक्त एल्यूमीनियम, मगनीज, सीमेन्ट, मोटर गाड़ी, वाईसिकल, मिर्चाई की मशीन, रसायनिक पदार्थ, चाणूज और गत्ता, चीनी और वनस्पति तेल, मिन का बना हुआ बरत तथा दवा और मशीन निर्माण आदि उद्योगों का समुचित विकास किया जायेगा।

दूसरी योजना में देश के औद्योगीकरण पर बहुत जोर दिया गया है और उसी प्रकार स खनिज पदार्थों के विकास का भी महत्व बढ़ गया है। खनिज विकास का कार्यक्रम में कोयले को प्रथम स्थान दिया गया है। आजकल भारत में कोयले का उत्पादन ३ करोड़ ८० लाख टन प्रति वर्ष होता है जो सन् १९६०-६१ में बढ़कर ६ करोड़ टन कर दिया जायेगा। इसमें से १ करोड़ २० लाख टन सरकारी क्षेत्र में और शेष १ करोड़ टन निजी क्षेत्र में निकाला जायेगा। लोहे की भट्टियों में काम आने वाले कोयले के भंडार को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जायेगा। सन् १९६०-६१ तक कुछ अन्य खनिज पदार्थों के लक्ष्य निम्न प्रकार हैं।—

खनिज लोहा	१२५ लाख टन
खनिज मैंगनीज	२० " "
चूने का पत्थर	२३३ " "
मिट्टिया मिट्टी (जिप्सम)	१६७ " "
बाक्साइट	१७५ " "

गत्त वर्षों में तेल का महत्व भी बहुत बढ़ गया है और इसलिये दूसरी योजना में तेल का पता लगाने के काम पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। तेल की

खोज करने तथा प्रशिक्षण देने के लिए ११ करोड़ ५० लाख रुपये की प्रारम्भिक व्यवस्था की गई है।

ग्राम और छोटे उद्योग—दूसरी योजना का मुख्य उद्देश्य बेकार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना है। छोटे पैमाने के उद्योगों में अधिक व्यक्तियों को काम मिलता है, इसलिए दूसरी योजना में ग्राम और छोटे उद्योगों के विकास के लिए जो कार्यक्रम बनाया जाना था उस पर विचार करने के लिए आयोग ने कार्रवाई समिति नियुक्त की थी जिसने एक योजना तैयार की और उद्योगों को अपना काम मुचालू रूप से कर सकने के लिए ऋणों की, जिनको दूसरी योजना के कार्यक्रम में पूर्ण रूप से अपनाया गया है। वैसे तो नई औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में इन उद्योगों के सम्बन्ध में भारत सरकार ने पहले ही अपना मत प्रकट कर दिया था। इन सब बातों को देखते हुए योजना में ऐसे उद्योगों के विकास के लिये २ अरब रुपये की व्यवस्था की गई है। यह राशि उम पूँजी के अतिरिक्त होगी जो इन उद्योगों को बैंको आदि से मिलेगी। इस राशि को विभिन्न छोटे उद्योगों में इस प्रकार वितरित किया जायेगा —

उद्योग	करोड़ रुपये में
१. हाथकरघा उद्योग	
सूत (रुई) की बुनाई	५६०
रेशम की बुनाई	१५
ऊन की बुनाई	२०
	<hr/>
	५९५
२. सादी	
ऊन की कताई और बुनाई	१९
सूत की विकेन्द्रीय कताई और सादी	१४८
	<hr/>
	१६७
३. ग्राम उद्योग	
चावल की हाथ-कुटाई	५०
धान की वनस्पति-तेल	६७
गाँव में बने चमड़े के जूते और चमड़ा कमाई	५०
गुड़ और खडसारी	७०
हाथ की बनी दियासलाई	११
अन्य ग्रामोद्योग	१४०
	<hr/>
	३८८

४. दस्तकारियाँ	६०
५. छोटे पैमाने के उद्योग	५५०
६. अन्य उद्योग	
रेलम के कीड़े घालना	५०
तारियल की जटा की कटाई और बुनाई	१०
७. सामान्य योजनायें	
प्रसासन, शोध आदि	१५०
	२०००
योग	२०००

परिवहन और संचार—भारत की मुनियोजित प्रगति एव विकास पूर्ण रूप से मुनगठित परिवहन व्यवस्था पर निर्भर करते हैं इसलिये दूसरी योजना में परिवहन के सभी सापगा में समन्वय स्थापित करने और उनका विस्तार करने की व्यवस्था की गई है। इन काम के लिये कुल १३ अरब ८५ करोड़ रुपये रकम गये हैं— ६ अरब रुपये रेलों के लिये, २ अरब ६६ करोड़ रुपये पर, १ अरब रुपये जहाज-रानी बन्दरगाहों, प्रकाश स्तम्भों और अन्तर्देशीय जल परिवहन पर, ४३ करोड़ रुपये नागरिक वायु परिवहन पर और ७६ करोड़ रुपये संचार और प्रसारण पर व्यय किये जायेंगे।

रेलें—दूसरी योजना की अवधि में रेलों को बहुत अधिक माल ढोना पड़ेगा और बहुत अधिक यात्रियों को ले जाना और लाना पड़ेगा। इसलिये रेलों की चल अचल सम्पत्ति, दोनों के पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण का काम प्रथम योजना की नीति इन योजना में भी चलता रहेगा। अनुमान है कि सन् १९६०-६१ में रेलों को १८ करोड़ १० लाख टन माल ढोने की आवश्यकता होगी। सन् १९५५-५६ में केवल १२ करोड़ टन माल ढोने के लिये कहा गया था। परन्तु इसमें मदेह है कि रेलें इतनी व्यवस्था करने में समर्थ होगी। उन्हें डिब्बों और पटरियों की बनी अनुभव होगी। दूसरी योजना में ७४२ मील लम्बी नई पटरियाँ बिछाई जायेंगी, ८०० मील लम्बी पटरियाँ बदली जायेंगी, १६०७ मील लम्बी पटरियाँ दुहरी की जायेंगी। २६५ मील छोटी टार्निंग को बड़ी टार्निंग में बदला जायेगा। ८२६ मील लम्बे रेल मार्ग पर विजली की गाडियाँ चलाने का प्रबन्ध किया जायेगा, १२६३ मील लम्बे रेल मार्ग पर डीजल इंजन चलाये जायेंगे और २२५८ इंजन, ४ पहियों वाले, १०७ २४७ माल के डिब्बों तथा ११३६४ सवारी डिब्बों को प्राप्त किया जायेगा, इनमें से १३५२ इंजन, २३,८५२ माल के डिब्बे और ६४४७ सवारी डिब्बे, पुराने इज्ती, मात के डिब्बों और सवारी डिब्बों का स्थान लेंगे। चितरजन और टैलको कारखानों का इतना विस्तार किया जायेगा कि वहाँ प्रति वर्ष ४०० इंजन बन सकें जबकि वर्तमान कारखाने उत्पादन केवल १७५ इंजन हैं। सवारी डिब्बों का उत्पादन भी १२६० से बढ़ाकर लगभग १८०० आर्थिक कर दिया जायेगा। साथ ही रेल उपभोक्ताओं को विशेषकर तीसरे दर्जे के यात्रियों को और अधिक सुविधाएँ दी जायेंगी।

सड़कें—दूसरी योजना में केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने सड़कों के लिये २ अरब ४६ करोड़ रुपये रखे हैं। अपने अतिरिक्त केन्द्रीय सड़क बोर्ड से २१ करोड़ रुपये और मिलेंगे। पहली योजना में सड़क निर्माण का जो कार्य आरम्भ हुआ था उसे जारी रखने के अतिरिक्त, सड़कों को आपस में मिलाने वाली ६०० मील लम्बी सड़कें और ६० बड़े पुल बनाये जायेंगे, १७०० मील लम्बी सड़कें सुधारी जायेंगी, और मोटर गाड़ियां वाली ३००० मील लम्बी बतमान सड़कें चौड़ी की जायेंगी। राज्या के सड़क विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दूसरी योजना की अवधि में १०००० मील सड़कें बनने की आशा है। सड़क परिवहन के राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम के लिये योजना में १३ करोड़ ५० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

जहाजरानी—दूसरी योजना की अवधि में ३ लाख टन के और जहाज बनाने का विचार है। ६० हजार टन के वर्तमान जहाजों के बेकार होने की गुंजाइश भी रखी गई है। जहाजरानी के लिये योजना में जिनकी राशि निश्चित की गई है उसमें से २० करोड़ रुपये ईस्टरन शीपिंग कॉर्पोरेशन और एक नये स्थापित होने वाले सरकारी कार्पोरेशन में लगाये जायेंगे। योजना का अन्तिम लक्ष्य यह है कि सारा का सारा तटवर्तीय व्यापार और भारत के समुद्र पार व्यापार का समुचित भाग भारतीय जहाजों द्वारा हो।

बन्दरगाह—बन्दरगाहों के विकास के लिये ४० करोड़ की व्यवस्था की गई है। समुद्र तट पर स्थित राज्यों के छोटे बन्दरगाहों के विकास के लिये तथा प्रदीप, मंगलौर, और मालपी में मय ऋतु के लिये उपयुक्त बन्दरगाह बनाने के लिये भी १ करोड़ रुपये रखे गये हैं।

अन्तर्देशीय नौकानयन—अन्तर्देशीय जल परिवहन विकास के लिये ३ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इनमें से १ करोड़ १५ लाख रुपये बकिधम नहर के और ४३ लाख रुपये पश्चिमी तट की नहरों के विस्तार पर खर्च किये जायेंगे। दाकी राशि गंगा-ब्रह्मपुत्र बोर्ड को योजनाओं के लिये दी जायेगी।

नागरिक वायु परिवहन—दूसरी योजना में नागरिक उड़्डयन कार्यक्रम के लिये १२ करोड़ ५० लाख रुपये और ऐअर कॉर्पोरेशन के लिये ३० करोड़ ५० लाख रुपये की व्यवस्था है। ८ हवाई अड्डे और स्लाईडर उतरने के अड्डे बनाने जायेंगे। अन्तः-अतिरिक्त पुराने हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण किया जायेगा।

संचार एवं प्रसारण—संचार विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रन्थ योजनाओं के अतिरिक्त २० हजार डाकघर, १४०० तारघर, १२०० नाव्यजनिव फोन घर खोले जायेंगे और १ लाख ८० हजार टैलीफोन लगाये जायेंगे। दूसरे स्थानों को फोन करने की व्यवस्था का जाल बिछाना जायेगा।

दूसरी योजना में रेडियो स्टेशन और अधिक नहीं खोले जायेंगे बल्कि सब केन्द्रों के प्रसार क्षेत्रों को और अधिक बढ़ाने का प्रयत्न किया जायेगा। देश में टेलीविजन लगाने की दिशा में काम शुरू किया जायेगा। देहातों में रेडियो के प्रति

रुचि पैदा करने के लिये १००० म. ग्रथिक आवादी बाल लक्ष्मी गाँवों में पचासवाँ रेडियो सैट लगाये जायेंगे जिनकी संख्या लगभग ७२ हजार होगी ।

सामाजिक सेवाएँ—सामाजिक सेवाओं पर लगभग ६४५ करोड़ रुपया व्यय किया जायगा । सन १९६१ तक ६ से ११ वर्ष की आयु तक के बच्चा में से लगभग ६३% और ११ से १४ वर्ष तक की आयु के बच्चा में से २३% बच्चा को शिक्षा प्रदान की जायेगी । इस काम के लिये ५३००० नव प्राइमरी जूनियर और ३५०० मिडिल सीनियर स्कूल खोले जायेंगे । इनमें से २०४०० बुनियादी स्कूल हाग । १२०० हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूलों में बदल दिया जायगा । कृषि शिक्षा विकसित किया जायगा और नव-नव इंजीनियरिंग स्कूल खोले जायेंगे । विश्व विद्यालय शिक्षा के लिये ५७ करोड़ रुपया की व्यवस्था की गई है । दूसरी योजना में स्वास्थ्य योजनाओं के लिये २ अरब ७४ करोड़ रुपया की व्यवस्था की गई है जिसमें से ४३ करोड़ रुपया नये अस्पतालों को खोलने और उनके सुधार पर खर्च किये जायेंगे । आया है कि अस्पताल शय्याओं की संख्या में २४% की वृद्धि होगी और चिकित्सालयों में २६% की वृद्धि होगी डाक्टरों में १८% की नर्तों में ४१% की और स्वास्थ्य सहायकों में ७५% की वृद्धि होगी ।

१३ लाख मकानों को बनवाने के लिए १२० करोड़ रुपया की व्यवस्था की गई है और घर-पार्श्विका के पुनर्वासन के लिए ६० करोड़ रुपया खर्च किए जायेंगे ।

दूसरी योजना और बेकारी—

भारत में बेकारी की समस्या ३ प्रकार की है — शहरी और देहाती में जो लोग बेकार हैं उन्हें रोजगार दिलाने में नये श्रमिकों को रोजगार देना जो प्रति वर्ष २० लाख की संख्या में बढ़ते जा रहे हैं और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जिन्हें पूरे समय काम नहीं मिलता उन्हें पूरे समय के लिए रोजगार दिवाना । इसीलिए बेकारी की समस्या को सुलझाने के लिए जितने रोजगारों की आवश्यकता है वे नीचे की तालिका में दिखाए गए हैं —

	(लाख रुपयों में)		
	शहरी क्षेत्रों में	देहातों में	कुल योग
नया रोजगार चाहने वालों के लिए	३८	६२	१००
पुराने बेरोजगारों के लिए	०५	२८	५३
योग	४३	९०	१३३

इस प्रकार दूसरी योजना में एक करोड़ ५० लाख व्यक्तियों का पूरे समय के लिए काम दिलाने के लिए जिसमें शिक्षित व्यक्तियों के लिए लगभग २० लाख रोजगार सम्मिलित हैं जिनमें से ५ लाख ५० हजार उन लोगों के लिए हैं जो इस समय बेकार हैं और १४ लाख ५० हजार इन लोगों के लिए हैं जिनकी संख्या आगामी ५ वर्षों में बढ़ने की संभावना है । समस्या की विषमता तथा आकार को देखते हुए

नियोजन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि, "यह आशा करना अनुचित होगा कि दूसरी योजना के अन्त तक पूर्ण रोजगार की स्थिति स्थापित हो सकेगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियोजित प्रयत्नों को समकाला द्वारा ही पूरा किया जा सकता है जिसकी अपेक्षा दूसरी योजना से भी अधिक लम्बी होगी।" फिर भी हमको रोजगारों की समस्या को अधिकतम करने के लिए प्रयत्न करने ही होंगे। दूसरी योजना में पूरे समय के लिए रोजगार के जिन नये अवसरों को प्रदान करने की सम्भावना है वे इन प्रकार हैं —

दूसरी योजना में रोजगार के अवसर

				(रक्या लाखों में)
(१) निर्माण	२१'००
(२) सिंचाई	०'५१
(३) रेलें	२'५३
(४) अन्य परिवहन और मचार	१'८०
(५) उद्योग और खनिज	७'५०
(६) घरेलू और छोटे उद्योग	४'५०
(७) जंगलात, मछली, व्यवसाय, राष्ट्रीय विस्तार तथा सलग्न योजनायें				४'१३
(८) शिक्षा	३'१०
(९) स्वास्थ्य	१'१६
(१०) अन्य सामाजिक सेवायें	१'४२
(११) सरकारी नौकरियाँ	४'३४
(योग १ से ११ तक का)	५१'८८
(१२) अन्य, व्यापार एवं वाणिज्य सहित				
(१ से ११ तक के योग का ५२%)	२७'०४
		सर्व योग	...	७९'०३
		या मोटे तौर पर	...	८० लाख

उपर्युक्त तालिका में जो अन्तिम मद में जो प्रतिशत दिया गया है वह वही है जो सन् १९५१ की जनगणना की गणना के समय था। इसका अभिप्राय यह हुआ कि सन् १९६१ में भी यही अनुपात रहेगा यद्यपि आशा यह की जाती है कि विनाम कार्यक्रमों की प्रगति के साथ-साथ यह अनुपात भी बढ़ता जायेगा। ऐसा अनुमान है कि कृषि विकास की नई नई योजनाओं में लगभग १६ लाख नये व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा। सिंचाई योजनाओं और ग्रामीण तथा छोटे उद्योगों के विकास से भी ग्रामों में बेकारी की समस्या कुछ कम होगी।

नियोजन आयोग ने सन् १९५५ में बेकारी की समस्या को मुलभूत के लिए तथा अध्ययन करने के लिए एक विशेष ग्रुप को नियुक्त किया था। इस अध्ययन

का मुख्य उद्देश्य ऐसी योजना प्रस्तुत करना था जिससे शिक्षित व्यक्तियों में बेकारी की समस्या को दूर भागा जा सके। इस मुर का अनुमान था कि लगभग ५३ लाख शिक्षित व्यक्ति उस समय बेकार थे और दूसरी योजना के अन्त तक इनकी संख्या २० लाख हो जाने की सम्भावना थी। दूसरी योजना में लगभग १४३ लाख शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार मिल जायेंगे और इसलिए केवल ५३ लाख शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने की समस्या रह जाती है। मुर में कई योजनायें प्रस्तुत की थी जिनको नियोजन आयोग की सिफारिश के अनुसार पहले कुछ चुने हुए क्षेत्रों में ही लागू किया जायगा और यदि उनमें परिणाम अच्छे होते हैं तो उनको सामान्य रूप में अपनाया जायगा।

कुछ भी हो योजना के अन्त तक कृषि व अतिरिक्त ग्रन्थ क्षेत्रों में कुल ८० लाख रोजगार अवसर मिल सकेंगे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा भूमि सुधार कार्यक्रमों के कारण १६ लाख ग्रन्थ व्यक्तियों को और रोजगार मिल जायगा। इसके अतिरिक्त ग्रन्थ क्षेत्रों में भी रोजगार अवसर प्रदान किये जायेंगे और इस प्रकार योजना में बेकारी को कम करने के लिए काफी प्रयत्न किए गये हैं किन्तु बेकारी की समस्या उतनी ही रहेगी जितनी प्रथम योजना के अन्त में थी। सच तो यह है कि भारत में बेकारी की समस्या एक दीर्घकालीन समस्या है जिसको अल्प कालीन उपायों से दूर नहीं किया जा सकता। इसके लिए कई पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना होगा।

राष्ट्रीय आय—ऐसा अनुमान है कि सन् १९५५-५६ में जो आय १० ८०० करोड़ रुपये थी वह सन् १९६०-६१ में तक कर १३४८० करोड़ रुपए हो जायगी। प्रथम जयमे लगभग २२% की वृद्धि होगी। प्रथम योजना काल में प्रति व्यक्ति आय २२४ रुपये से बढ़ कर २८१ रुपये हो गई थी। अर्थात् ११ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और दूसरी योजना के अन्त तक प्रति व्यक्ति आय ३३० रुपये हो जायगी अर्थात् लगभग १८% की वृद्धि होगी। सन् १९५५-५६ में राष्ट्रीय आय में कृषि तथा सहायक धर्मों का भाग ४८% था जो सन् १९६०-६१ में घट कर ४६% रह जायगा पर सु खानों तथा कारखानों का हिस्सा ६% से बढ़ कर ११% हो जाने की सम्भावना है। परन्तु यह वृद्धि उतनी समय होगी जबकि नियोजन में सामंजस्य रहे, विदेशी सहायता मिलती रहे अप्रत्यक्ष रूप से कम हो व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त होता रहे तबकि उत्पात्ति के उदत्त ढंगों को अपनाते एवं विनाश के विषय उद्युक्त वातावरण उत्पन्न हो सके।

दूसरी योजना के गुण—

दूसरी योजना प्रथम योजना की अपेक्षा अधिक बड़ी तथा उत्साहपूर्ण है और योजना अवधि के अन्त तक भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय काफी बढ़ जायगी और आर्थिक दशा भी सुधर जायगी। इन योजना में निम्न गुण हैं—

१ योजना में वास्तविक लक्ष्यों पर तथा उत्पादन की मात्रा पर जोर दिया गया है न कि बिल पर। दूसरे शब्दों में उद्देश्यों पर जोर देने का निर्दिष्ट कर दिया है

कि उनको दूसरी योजना अर्थात् म इतना उत्पादन करना है और तत्पश्चात् उनके लिए वित्त का प्रबंध करने के प्रयत्न विय है। प्रथम योजना म उहाने पहले यह निश्चित किया था कि उनको योजना अर्थात् म कुल बिनना खच करना है जिकके अनुसार उहाने अपन लक्ष्य निर्धारित किय थ। इस प्रकार प्रथम योजना म न तीं प्राति की जाँच ही हो सकती थी और न वास्तविक प्रगति का अनुमान ही लगाया जा सकता था। अत दूसरी योजना पहली की अपेक्षा अपन दृष्टिकोण म अधिक वास्तविक है। किन्तु वित्तीय तथा उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्यों में समन्वय स्थापित करने के लिय यह आवश्यक है कि हमारे पास (अ) विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्यों की पूर्ति के लिय आवश्यक कच्ची सामग्री, शक्ति, श्रम इत्यादि के सही और पूरे अनुमान हा और (ब) हमें वह मूल्य भी मालूम हा जिन पर भविष्य म यह साधन उपलब्ध होंगे। दुर्भाग्यवश इन वस्तुओं के सम्बन्ध म विश्वमनीय सूचनायें प्राप्त करना असम्भव है और इसलिय वस्तुगत नियोजन म अनेको प्रकार की कठिनाइया उत्पन्न हागी। प्रजातान्त्रीय नियोजन के अन्तगत भारत जैसे आर्थिक दृष्टिकोण से पिछडे हुए देश जहा अधिक नियोजन की आवश्यकताओं का निर प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था पयाप्त नहीं है और जहा पर हर विभाग और हर मन्त्रालय इस बात के लिय आतुर है कि वह अपने कार्यक्रम पर अधिक से अधिक धन व्यय करे, वित्तीय नियोजन की अपेक्षा वस्तुगत नियोजन पर अधिक बल देन क आवश्यक परिणाम यह हाग कि एक ओर तो अपव्ययी खर्चें हाग और दूसरी ओर अत्यधिक राजकीय व्यय से मुद्रा प्रसार उत्पन्न होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना म वित्त मन्त्रालय ने राजकीय व्यय पर कठोर नियंत्रण करने की नीति इस सिद्धान्त पर अपनाई थी कि विनाप परिस्थितिया के अतिरिक्त किनी को भी उस धन स अधिक खच करने की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिये जो उसके लिय पहल मे निश्चित कर दिया गया हो। किन्तु वस्तुगत नियोजन में यह आधार गलत हो जायगा। विभिन्न विभाग और मन्त्रालय किसी न किसी बहाने दूसरा पंचवर्षीय योजना म निश्चित किय गय वस्तुगत लक्ष्यों को प्राप्त करन के लिय अपन वित्तीय लक्ष्यों का उत्पन्न करने क लिये भोचेंगे। योजना अर्थात् म जितन धन के विनियोग करन की आशा की गई थी उतने धन का विनियोग न करके राजकीय व्यय को कम करना अच्छी बात नहीं होगी। परन्तु इससे भी अधिक बुरी बात यह हागी कि अपव्ययी खर्चें किये जाय निरस्त जनता का धन की हानि हो और उसको अनियन्त्रित मद्रा प्रसार के बुरे परिणाम सहन करना पड।³ अ यह स्पष्ट है कि वस्तुगत नियोजन म अधिक सतर्कता बतनी हागी।

२ दूसरी योजना म हमारे देश की अर्थव्यवस्था अधिक मनुजित हो जायेगा। पहला योजना में रुपि मिचाई और शक्ति क विक्रम को अधिक बल प्रदान किया गया था इनीलिय दूसरी योजना में औद्योगिक विकास पर अधिक जोर दिया

की दर दुगुनी हो सके। भारत में वृद्धि की चालू दर ७% है और पिछले ५ वर्षों में लगभग १% की ही वृद्धि हो पाई है। ऐसा सोचना अत्यन्त आशावादी होगा कि अगले ५ वर्षों में वृद्धि की दर एक दम बढ़ जायेगी। जैसी सरकार की नीति है, आय के वितरण की अनुमानताओं को कम करने से कुल बचतों की मात्रा और भी कम हो जायेगी। हमारे देश में अधिकांश व्यक्तियों का खाद्यान्न उपभोग न्यूनतम स्तरों से भी नीचा है और यह अनुमान लगाया गया है कि उपभोक्ता व्यय में जो वृद्धि होगी उसका लगभग ५०% बचत खाद्यान्न में ही व्यय किया जायेगा। हमारे यहाँ कुछ ऐसी प्रथा चली आ रही है कि कुछ वर्षों में अच्छी फसलें रहने के बाद थोड़े से वर्षों तक अवश्य ही खराब फसलें आती हैं। वर्तमान परिस्थितियों में इसलिये अगले ५ वर्षों में बचतों में ८% की वृद्धि की आशा करना एक सुरक्षित अनुमान नहीं है, और इसलिये वास्तविक मापना के अनुसार योजना के प्रकार का पुनर्निर्धारण होना चाहिये।⁴

कुछ लोग यह तक दे सकते हैं कि योजना के अन्तर्गत जो भी लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं, यदि उनके लिये पर्याप्त साधन उपलब्ध न हों तो उनमें आवश्यक काँट छोट की जा सकती है। किन्तु क्या यह खराब नियोजन नहीं होगा क्योंकि इनका जनता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और यदि सरकार अपने वास्तविक लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयत्न करती है तो देश में अत्यधिक मुद्रा प्रसार उत्पन्न हो जायेगा। इसलिये पूर्व निर्दिष्ट लक्ष्यों में हेर फेर करने की नीति दोषपूर्ण होगी और अच्छा यही होगा कि देश के वर्तमान साधनों की दृष्टि में रख कर योजना को वास्तविक बनाने का प्रयत्न करना चाहिये।⁵ प्रो० शिनोय ने भी अनियन्त्रित मुद्रा प्रसार के भय की ओर सचेत किया है जो मुख्य रूप से अत्यधिक उत्पादपूर्ण योजना के परिणामवश उत्पन्न होगा।⁶

३ योजना में तीसरा दोष यह भी बताया जाता है कि इसमें उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। आर्थिक विकास के क्रम में जो कुछ भी व्यय विकास कार्यक्रमों पर किया जाता है वह थमिका और कच्चे माल के उत्पादकों के पास पहुँच जाता है जिसको वे अन्त में उपभोग की वस्तुओं पर खर्च करते हैं। उपभोक्ताओं की सक्रिय क्रयशक्ति में निरन्तर वृद्धि होते रहना इसलिये आवश्यक है कि उत्पादन का क्रम जारी रहे और अन्त में देश के सारे लोगों को का पूर्ण उपयोग हो सके। यदि व्यक्ति उत्पादित की गई सभी वस्तुओं का उपयोग करने के लिये असमर्थ है तो विकास कार्यक्रम बीच में ही ठप्प हो जायेगा। ठीक यही बात हमारी योजना में भी देखने में आती है। क्योंकि राष्ट्रीय आय पर करारोपण का प्रतिशत ७% में बढ़कर सन् १९६०-६१ में ६ या १० प्रतिशत हो

4 Cf Prof B R Shenoy, A Note of Dissent on the Memorandum of the Economists' panel, Page 4

5 Cf. P. C. Jain's Article loc cit, Page 15

6. Loc cit Page 3

जायेगा। हो सकता है कि साधनों की कमी को पूरा करने के लिये यह प्रतिभत १२ हो जाये। वैसे ही हमारे देश में कर भार बहुत अधिक है और यदि करारोपण में और भी वृद्धि कर दी जायेगी तो जनता, व्यापार और उद्योग के लिये कर भार समझन ही जायेगा। इसमें अनिश्चित जित करारोपण से व्यक्तियों की न्य राशिक कम होने की सम्भावना होगी उगरी यवदय ही योजना की कार्य प्रगति में बाधा पड़ेगी। राष्ट्रीय आय की वृद्धि के साथ-साथ सरकार की कर आय में वृद्धि होगा तो स्वाभाविक ही है। किन्तु यदि यह वृद्धि व्यक्तियों की न्य राशिक को कम करने प्राप्त की गई तो योजना की सफलता कठिन हो जायेगी। ठीक यही परिणाम उम समय होगा जबकि व्यक्तियों का अपना उपभोग कम करने और अपनी वचने अधिक करने के लिये बाध्य किया जायेगा। कील के सामान्य सिद्धान्त ने इस बात के महत्त्व को नवी-भाति सिद्ध कर दिया है। इसलिये योजना में उपभोक्ताओं की न्य-राशिक को और जो ध्यान नहीं दिया गया है वह बहुत बड़ी कमी है।

४ योजना में हीनार्थ प्रबन्धन की जो १२०० करोड़ रुपये की राशि निश्चित करी गई है उमम अनुचित मुद्रा प्रसार उत्पन्न होगा। वैसे तो नियोजित आर्थिक विकास के कार्यक्रम का मुद्रा प्रसार एक प्रबल परिणाम है किन्तु इस पर बड़े नियन्त्रण होने चाहिये। प्रो० निनोप ने ठीक ही कहा है कि "यदि हम यह मान भी लें, कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि की दर दुगुनी हो जायेगी, तो भी अतिरिक्त नकदी की माँग उतनी नहीं होगी कि वर्तमान मुद्रा पूर्ण का लगभग ५०-६० प्रतिभत का हीनार्थ प्रबन्धन करना उचित हो यह स्पष्टतया मुद्रा स्फीति-कारक होगी।"

५ यद्यपि दूसरी योजना में पहली योजना की नुस्खों को दूर करते हुए औद्योगिक विकास को उचित महत्त्व प्रदान किया गया है किन्तु यह सम्भव है कि बड़े कारखाना द्वारा उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन न होकर हमारे देश का औद्योगिक ढाँचा अनतुलित हो जाये। यदि नियोजन आयोग की, छोटे उद्योग को बड़े उद्योगों की अपेक्षा विकसित करने की योजना सकल हो जाती है तो बड़े उद्योग पीछे रह जायेंगे और मशीन तथा इत्यादि की माँग बढ़ने के स्थान पर कम होने लगेगी। इसी समस्या का दूसरा पहलू यह है कि भावी औद्योगीकरण यन्त्रारी तथा निजी क्षेत्रों के समुक्त प्रयत्नों पर निर्भर करेगा। यद्यपि दूसरी योजना में निजी क्षेत्र में व्यय की राशि को २४०० करोड़ रुपये पर निर्धारित किया गया है, किन्तु इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया कि इतनी बड़ी राशि का प्रबन्ध नहीं होना, और यह बात मानना में स्पष्ट भी कर दी गई है। इनका अभिप्राय यह हुआ है कि यदि निजी क्षेत्र को आवश्यक साधन नहीं मिलत (जिनके प्राप्त न होने की छाया भी है) तो निजी क्षेत्र में औद्योगिक विकास बहुत पीछे रह जायेगा और दूसरी योजना में उतनी औद्योगिक उन्नति नहीं हो पायेगी जितनी आशा की जाती है। इसी समस्या का तीसरा पहलू यह है कि दूसरी योजना में वैशरी की समस्या

को दूर करने पर अधिक जोर दिया गया है और वास्तव में कुटीर तथा छोटे उद्योगों के विकास को अधिक महत्त्व देने में पक्ष में यही मुख्य तर्क भी दिया जाता है किन्तु नियोजन आयोग ने उत्पादित वस्तुओं की मात्राओं पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है जो अनिर्णय रूप में ही अधिक हागी। क्योंकि इनका उत्पादन मशीनों द्वारा नहीं होगा। हमारी आवश्यकताओं को देखते हुए नियोजन आयोग को एक ऐसी नये प्रकार की मशीनें बनाने की व्यवस्था करनी चाहिये थी जिससे वस्तुओं की लागतें तो कम हों परन्तु जिनके लिये पूँजी के विनियोग की प्रति इकाई पर अधिक धनको की आवश्यकता हो। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा हमारी बेकारी की समस्या स्थायी रूप से दूर नहीं की जा सकेगी। ऐसी व्यवस्था का प्रभाव भी दूसरी योजना का एक बड़ा दोष है।^{१०}

योजना की प्रगति—मई सन् १९५८ में नियोजन आयोग ने दूसरी योजना की प्रगति एक भविष्य के सम्बन्ध में अपना एक मैमोरेण्डम निकाला था जिसमें उन्होंने योजना की पिछले २ वर्षों की प्रगति के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट की थी। अभी तक (६ मई सन् १९५९) योजना की तीसरे वर्ष की प्रगति के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है इसलिये हम यहाँ पर केवल योजना के पहले दो वर्षों की प्रगति की ही चर्चा करेंगे। मैमोरेण्डम में जो तथ्य दिये गये हैं उनके आधार पर बिना किसी सकोच के कहा जा सकता है कि योजना की प्रगति निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में काफी कम हुई है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र को ही लीजिये, पहले दो वर्षों में निर्धारित लक्ष्य में २५% कम ही उन्नति हो पाई है। यह निम्न तालिका से भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है—

(लाख टनो में)

कार्यक्रम	योजना का लक्ष्य	१९५६-५७ की प्रगति	१९५७-५८ की अनुमानित प्रगति	दो वर्षों का योग
बड़ी सिंचाई योजनायें...	३०२	१७	२७	४४
छोटी सिंचाई योजनायें...	१८६	३०	४०	७०
रसायनिक खाद एवं डेन्नी खाद...	३७७	३६	७७	११३
अच्छे बीज	३५०	१७	२०	३७
भूमि विकास...	६४	०६	१७	२६
उन्नत कृषि विधियाँ...	२४७	२२	५०	७७
योग	१५५६	१३१	२३१	३६२

योजना अवधि में १२ करोड़ एक्ड़ भूमि पर छोटी और बड़ी सिंचाई योजनाओं

द्वारा सिंचाई होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, परन्तु सन् १९५६-५७ में ६८ लाख एकड़ और सन् १९५७-५८ में १११ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि पर ही सिंचाई हो सकी है और सन् १९५८-५९ में अनुमान है कि २०३ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि पर और सिंचाई हो सकेगी। इस प्रकार पहले तीन वर्षों में कुल ३७३ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि पर ही सिंचाई हो सकी है। केवल यही नहीं बल्कि जो कुछ भी सिंचाई सुविधायें प्रदान की गई हैं उनका पूरा उपयोग भी नहीं किया जा सका है।

शक्ति विचार के कार्यक्रम के अनुसार योजना अवधि में ३५ लाख K. W. अतिरिक्त शक्ति का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। किन्तु पहले तीन वर्षों में केवल ७ लाख किलोवाट अतिरिक्त शक्ति के उत्पादन होने की आशा है और वर्तमान अनुमान यह है कि अब योजना काल में केवल ३० लाख किलोवाट अतिरिक्त शक्ति ही उत्पन्न हो सकेगी जब कि योजना का लक्ष्य ३५ लाख किलोवाट निर्धारित किया गया है।

बड़े तथा मध्यम पैमाने के उद्योगों, जिनके निये ७६० करोड़ रुपये की राशि नियत करी गई थी अब यह आशा करी जाती है कि इन पर केवल ५८२ करोड़ रुपये की योजनाएँ ही कार्यान्वित की जा सकेंगी और शेष योजना के बाढ़ कार्यान्वित होगी। इस भीमी प्रगति का मुख्य कारण यह है कि हमें पर्याप्त विदेशी विनिमय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। निजी क्षेत्र में इन उद्योगों पर ८४० करोड़ रुपये के खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। किन्तु पहले दो वर्षों में कुल विनियोग लगभग १३५ करोड़ से १४० करोड़ के बीच में ही हो पाया है और अब यह आशा की जाती है कि योजना के अन्त तक निजी क्षेत्र में ५७५ करोड़ रुपये का ही विनियोग किया जा सकेगा और निर्धारित लक्ष्यों में से केवल ७० से ७५% तक ही लक्ष्यों की पूर्ति हो सकेगी। अनुमान है कि भारी रसायनिक पदार्थ, वाहन बनाने की मशीनें, इन्जन, रेल के डिब्बे, साईंमिन्ने, विजली इंजीनियरिंग उद्योगों और अधिवास उपभोक्ता वस्तुओं के लक्ष्य दूसरी योजना के अन्त तक पूरे हो सकेंगे। किन्तु एल्यूमीनियम, सीमेंट, रथ का सामान मशीन, स्वयं चलाने वाली मशीनें जैसे मोटरों और फेरोमैग्नीट सम्बन्धी उत्पादन के लक्ष्य पूरे न हो सकेंगे। योजना अवधि में कोयले के उत्पादन का लक्ष्य ३२० लाख टन पर निश्चित किया गया है। परन्तु अभी तक जो उन्नति हुई है उस से यह आशा की जाती है कि योजना अवधि में केवल ४० लाख टन कोयला ही उत्पन्न हो सकेगा।

शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के सम्बन्ध में यह आशा की जाती है कि योजना के अन्त तक निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक प्रगति हो जायगी। जहाँ तक नये रोजगार प्रदान करने का सम्बन्ध है बढती हुई श्रम शक्ति को काम दिलाने वाले अवसरों में पर्याप्त विस्तार होने की सम्भावनाएँ प्रतीत नहीं होती और इसका मुख्य कारण यह है कि विनियोग की प्रगति की दर आवश्यकताओं की अपेक्षा बहुत कम है। ऐसा अनुमान है कि पहले दो वर्षों में लगभग २० लाख नये काम के अवसर कृषि क्षेत्र के बाहर प्रदान किये गये हैं और लगभग १० लाख तीसरे वर्ष में प्रदान किये

जाने की आशा है। योजना अवधि के लिये यह अनुमान है कि कृषि क्षेत्र के बाहर लगभग ६५ लाख काम के नये अवसर प्रदान हो सकेंगे और इस प्रकार योजना के पूरे लक्ष्य प्राप्त होने की आशा नहीं है।

मैमोरेण्डम के अनुसार पहले २ वर्षों में योजना पर कुल व्यय १४६६ करोड़ रुपये का ही हुमा है और सन् १९५८-५९ में ६६० करोड़ रुपये के खर्च होने की आशा है। इस प्रकार प्रथम ३ वर्षों में योजना पर कुल व्यय लगभग २४५६ करोड़ रुपये का होगा। यदि योजना अवधि में ४८०० करोड़ रुपये का ही व्यय होता है तो अन्तिम २ वर्षों में लगभग २३४४ करोड़ रुपये का व्यय और होता है जबकि इन दो वर्षों में केवल १८०४ करोड़ रुपये के प्राप्त होने की आशा है। इस प्रकार योजना में कुल व्यय लगभग ४२६० करोड़ रुपये तक ही सीमित रहेगा और योजना के प्रारम्भिक लक्ष्य में ५४० करोड़ रुपये का व्यय कम हो जायेगा। इसलिये योजना को उपलब्ध साधनों के अनुकूल बनाने के लिये उसके प्रारम्भिक लक्ष्यों में कुछ काट-छांट अवश्य ही करनी होगी। इस सम्बन्ध में नियोजन आयोग का विचार है कि इन प्रकार की काट-छांट कई कारणों से न्यायसंगत नहीं होगी। यदि कोई काट-छांट की जाती है तो सबसे पहले सामाजिक सेवाओं के ही लक्ष्यों में की जायेगी जो अनुचित होगी। इसके प्रतिरिक्त इन प्रकार की काट-छांट से योजना का समुचित ढाँचा असतुलित हो जायेगा। इसके अतिरिक्त इस काट-छांट का अभिप्राय यह होगा कि बहुत सी योजनाएँ जो प्रारम्भ हो चुकी हैं वह अधूरी ही रह जायेंगी और उन पर जो खर्च हो चुका है वह बेकार हो जायेगा। इसलिए नियोजन आयोग का विचार है कि किसी भी प्रकार योजना अवधि में कुल व्यय ४५०० करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिये।

योजना का पुनर्निर्धारण—मैमोरेण्डम में नियोजन आयोग ने योजना अवधि में प्राप्त होने वाले साधनों का जो अनुमान लगाया है वह निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है —

(करोड़ रुपये में)

स्रोत	योजना के प्रारम्भिक लक्ष्य	उपलब्ध होने वाले साधनों का अनुमान
१. घरेलू धन्य के स्रोत	२ ८००	२,२६२
(अ) चानू धन्य से	१,२००	८६६
(ब) रेलों से	१५०	२५०
(स) ऋण तथा अल्प वचतें	१,२००	१४४
(द) विविध धन्य	२५०	६६
२. विदेशी सहायता	८००	१,०३८
३. हीनार्थ प्रवन्धन	१,२००	१,२००
कुल साधन	४,८००	४,२६०

मैमोरेण्डम में योजना को दो भागों में विभाजित किया गया है 'अ' भाग में ४५०० करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे और इन खर्चों का पूरा किया जायेगा जो कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से सम्बन्धित है, जो दूसरी योजना की सफलता के लिये अत्यन्त आवश्यक है जो काफी लंबी अवधि तक पहुँच चुकी है और वे योजनाएँ जिनको स्थापित नहीं किया जा सकता और 'ब' भाग में शेष खर्चों के लिये ३०० करोड़ रुपये निवृत्त किये गये हैं जिनको केवल उन्नीस सप्ताह पूरा किया जायगा जब पर्याप्त साधन उपलब्ध होंगे।

मैमोरेण्डम के अनुसार प्रथम तीन वर्षों में २४५६ करोड़ रुपये का व्यय किया गया है वह निम्न स्रोतों से प्राप्त हुई है —

(करोड़ रुपये में)

चालू धन से	४३६
रेलवे से	१२६
शुल्क, मूल्य वृद्धि और अन्य प्रकार की आय	५२३
विदेशी सहायता	४३८
हीनार्थ प्रवन्धन	६१७
योग	२४५६

अब तक योजना के लिये जो साधन उपलब्ध हुए हैं वे आधा से बहुत कम रहे हैं। योजना आरम्भ होने से अब तक करोड़ों में काफी वृद्धि कर दी गई है। वैश्वीय सरकार का ५ वर्षों में करोड़ों के साधन होने वाली श्रम या अनुमान लगभग ७२५ करोड़ रुपये है जब कि योजना का लक्ष्य केवल २२५ करोड़ रुपये का है। इसी प्रकार राज्यों में जो कर सम्बन्धी उपाय अपनाए गये हैं उनमें ५ वर्षों में १७३ करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा है जब कि योजना का लक्ष्य २२५ करोड़ रुपये का है। इन राशियों में से अधिकांश भाग सुरक्षा तथा और विकास खर्चों-जसों को दे दिया गया है और योजना के लिये निर्धारित लक्ष्य से केवल ४५ करोड़ रुपये अधिक प्राप्त हो पायेंगे। योजना के साधन में जो ४०० करोड़ रुपये की कमी की उनमें से केवल एक छोटा सा भाग ही एक प्रकार से प्राप्त हो पायगा। शायद कर्मियों की कमी के कारण ही योजना के प्रारम्भिक वर्षों में ही एक वर्षीय मात्रा में हीनार्थ प्रवन्धन करना पड़ा। एक समय ऐसा था जबकि कुल ६०० करोड़ रुपये तक ही हीनार्थ प्रवन्धन करने का इरादा था। किन्तु अब यह निर्दिष्ट होना है कि १२०० करोड़ रुपये का ही हीनार्थ प्रवन्धन करना पड़ जायगा और यदि उचित उपाय नहीं किये गये तो शायद इससे भी अधिक राशि या हीनार्थ प्रवन्धन करना पड़े।

योजना के 'अ' भाग को कामाग्निष्ठ करण के लिये भी २४० करोड़ रुपये की और अधिक आवश्यकता होगी जिनको प्राप्त करने के लिये अधिक धन खर्च करने पड़ेंगे,

योजना के अतिरिक्त अन्य प्रकार के व्यय में मितव्ययिता लानी होगी और ऋण तथा अल्प बचतें प्राप्त करनी होंगी। निधोजन आयोग का प्रस्ताव है कि अतिरिक्त वारारोपण से १०० करोड़, ऋण तथा अल्प बचतों से ६० करोड़ और लक्षों में मितव्ययिता तथा करो और ऋणों के पिछले भुगतान प्राप्त करके ८० करोड़ रुपये की व्यवस्था करने की ओर प्रयत्न किये जाने चाहियें। इस प्रकार नियोजन आयोग के अनुसार दो वर्षों में निम्न प्रकार आय के स्रोत एकत्रित करने होंगे :—

(करोड़ रुपये में)

स्रोत	अगले दो वर्षों में प्राप्त होने वाली राशि का अनुमान
१ धरेलू आय के स्रोत	
(अ) चालू आय से	४६०
(ब) रेवों से	१२१
(स) ऋण तथा अन्य बचतें	१००
(द) विविध आय	८०
२ विदेशी सहायता	६००
३ हीनार्य प्रबन्धन	२८३
योग	२०४४

गत वर्षों में मूल्यों में वृद्धि होती ही गई है इसलिये आय की राशि को ध्यान में रखकर योजना के वास्तविक लक्ष्यों में भी कमी कर दी गई है जो वित्तीय काँट-छाँट की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। यह निम्न तालिका में दिखाई गई है —

(करोड़ रुपये में)

महँ	प्रारम्भिक लक्ष्य	कुल का प्रतिशत	दुहराये हुए लक्ष्य	कुल का प्रतिशत	अ भाग में व्यय की राशि,	कुल का प्रतिशत
१ कृषि एवं मामुदायिक विकास	५६८	११.८	५६८	११.८	५१०.	११.३
२ सिंचाई एवं शक्ति	६१३	१६.०	८६०	१७.६	८२०	१८.२
३ ग्रामीण तथा लघु उद्योग	२००	४.२	२००	४.२	१६०	३.६
४ उद्योग तथा खनिज	६६०	१४.४	८८०	१८.४	७६०	१७.५
५ यातायात एवं संचार	१३८५	२८.६	१३४५	२८.०	१३४०	२८.८
६ सामाजिक सेवाएँ	६४५	१६.७	८६३	१८.०	८१०	१८.०
७ विविध	६६	२.०	८४	३.७	७६	१.६
योग	४८००	१००.०	४८००	१००.०	४५००	१००.०

मैमोरेण्डम के अनुसार यह पता लगाना कठिन है कि पुनर्निर्धारित लक्ष्यों से उत्पादन तथा रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यह कई बातों पर निर्भर करते हैं, जैसे प्राथमिक अन्न उपजाने की और किये गये प्रयत्नों की सफलता, निजी क्षेत्र में विनियोग सम्बन्धी कियामा की प्रगति इत्यादि। संक्षेप में योजना में औद्योगिक उत्पादन, यागयात एवं मन्वार सम्बन्धी लक्ष्य ढाँचों प्रसार में पूरे हो सकेंगे। किन्तु सामाजिक सेवाएँ और मिचाई तथा विद्युत के लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किये जा सकेंगे।

वास्तव में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अनेक कठिनाइयों में से होकर निकलना पड़ रहा है। यदि देखा जाये तो यह कठिनाइयों प्रथम योजना में ही आरम्भ हो गई थी किन्तु दूसरा वास्तविक रूप दूसरी योजना में ही दृष्टिगोचर हुआ। प्रथम योजना के अन्तिम दो वर्षों में निर्धारित लक्ष्य से ५० लाख टन कम अनाज का उत्पादन हुआ। यद्यपि सन् १९५६-५७ में अनाज का उत्पादन सन् १९५३-५४ जैसा ही हो गया किन्तु सन् १९५७-५८ और १९५८-५९ में स्थिति फिर बिगड़ गई; खाद्यान्न आच समिति का अनुमान था कि दूसरी योजना के अन्त में भी भारत को २० लाख टन अनाज की कमी अनुभव होगी। इन सब कमियाँ का कारण यह हुआ कि प्रायः पदार्थों के मूल्य बढ़ते गये और मूल्य सूचक अंक जो सन् १९५५—५६ में ९४६ था वह बढ़कर सन् १९५८ में ११९७ हो गया था। भारत में केवल खाद्य पदार्थों के मूल्यों में ही वृद्धि नहीं हुई है बल्कि सामान्य मूल्य स्तर भी ऊपर की ओर चढ़ रहा है। सामान्य मूल्य सूचक अंक जो सन् १९५५—५६ में ९९२ था वह जुलाई सन् १९५८ में ११५९ हो गया। सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि होने का प्रमुख कारण एक ओर तो उत्पादन की कमी और दूसरी ओर हीनाथ प्रवन्धन की कमी रही है। खाद्य पदार्थों की माँति लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ाने की आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। इसके अतिरिक्त पिछले ५ वर्षों में इतना हीनाथ प्रवन्धन हुआ कि मायद पहले कभी नहीं हुआ था। पहली योजना के अन्तिम दो वर्षों में ४०० करोड़ रुपये, दूसरी योजना के पहले २ वर्षों में ७०० करोड़ रुपये का हीनाथ प्रवन्धन किया गया था और सन् १९५८-५९ में २०० करोड़ रुपये का हीनाथ प्रवन्धन होने की आशा थी। मूल्यों की वृद्धि के कारण योजना के आकार और लक्ष्य में भी कमी करनी पड़ी है। इसके साथ साथ बजट से जितनी आय प्राप्त करने की आशा थी वह भी प्राप्त नहीं हुई। जहाँ तक करारोपण का सम्बन्ध है केन्द्रीय सरकार ने काफी सफलता प्राप्त की है। किन्तु राज्यों की उचित सफलता प्राप्त नहीं हो पाई और उसका मुख्य कारण यही है कि राज्यों के आय के स्रोत इनमें बोनपूर्ण नहीं हैं। हम यह भी बता चुके हैं कि करारोपण से जितनी अधिक आय प्राप्त हुई थी वह अधिातर रक्षा तथा गैर विकास सम्बन्धी कार्यों पर खर्च की गई है। ऋण तथा अल्प धन भी जतनी प्राप्त नहीं हो पाई थी जितनी का अनुमान था। साथ ही पिछले दो वर्षों में विदेशी विनिमय कठिनाइयों ने विकराल रूप धारण कर लिया है जिसके कारण हमारी वित्तीय कठिनाइयाँ और भी अधिक

बढ़ गई है। इन सब बातों को ध्यान में रख कर यही कहना उचित होगा कि जो कुछ लक्ष्य प्राप्त हुए हैं वे प्रशंसात्मक हैं।

यहाँ पर यह बताना अनुचित न होगा कि नियोजन आयोग ने पिछले वर्षों जो मॉनोरेन्डम निकाला उगम है कि उन्होंने लक्ष्यों को काफी खोल कर रखा है फिर भी उन्होंने जनता के सम्मुख वास्तविक परिस्थिति नहीं रखी है। हम पहले यह चुके हैं कि पहली योजना की अपेक्षा दूसरी योजना अधिक वास्तविक है क्योंकि इसमें नियोजन का वित्तीय दृष्टिकोण न अपनाकर वस्तुगत अपनाया गया है। किन्तु मॉनोरेन्डम में आयोग ने अपने दृष्टिकोण में फिर परिवर्तन कर दिया और योजना में जो काट-छाँट की है वह फिर से वित्तीय दृष्टिकोण के अनुसार हुई है। वास्तव में यह आश्चर्यजनक है और इस दृष्टिकोण से जनता को केवल इतना ही अनुमान होता है कि योजना के मुख्य मुख्य लक्ष्य तो पूरे हो ही जायेंगे, इसलिये काट-छाँट का कोई विशेष महत्त्व नहीं है। किन्तु बात ऐसी नहीं है। यदि हम मूल्यों की वृद्धि की तुलना में योजना में निर्धारित व्यय के लक्ष्य को देखें तो स्पष्ट हो जायगा कि जो ४८०० करोड़ रुपये में सन् १९५६-५७ में जिन लक्ष्यों का प्राप्ति करने का निश्चय किया गया था आज उन्हीं ४८०० करोड़ रुपये में वे लक्ष्य पूरे नहीं हो सकते किन्तु नियोजन आयोग ने इस रहस्य को व्यक्त नहीं किया। उन्होंने वित्तीय काट-छाँट के 'बुर्क' में उत्पादन के लक्ष्यों की काट-छाँट की जनता से छुपाने का प्रयत्न किया है। सच तो यह है कि उगम आयोग का कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने केवल भारतीय नियोजन की भारत की अक्षिप्त जनता के अस्तित्व में उत्पन्न होने वाले गलत विचारों से बचाने का प्रयत्न किया है। बिना पक्षपात किये नियोजन आयोग के पक्ष में हम यह कह सकते हैं कि आयोग हर सम्भव विधि से यह प्रयत्न कर रहा है कि कृषि की उन्नति जारी रहे और इसीसे, सीमांत तथा शक्ति (जिसको आयोग ने 'हार्ड कोर' (Hardcore) कहा है) के लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयत्न कर रहा है। सच तो यह है कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यदि कम महत्त्व वाली योजनाओं को स्थापित करना पड़े और सामाजिक सेवाओं के लक्ष्यों में भी काट-छाँट करनी पड़े तो भी कुछ दुरा नहीं होगा क्योंकि योजना के 'हार्ड कोर' को सुरक्षित रखने पर ही भारत का भावी आर्थिक विकास निर्भर करता है।

द्वये परिवर्तन—सितम्बर सन् १९५८ में यह घोषित किया गया था कि योजना के 'घ' भाग में सम्मिलित योजनाओं पर व्यय को कम करके ४५०० करोड़ रुपये पर निर्धारित करना सम्भव न हो सका है और १५० करोड़ रुपये की धन राशि इसमें और जोड़ दी गई है और अब कुल व्यय 'अ' भाग पर ४६५० करोड़ रुपये का होगा। नियोजन आयोग का विचार है कि इस अतिरिक्त राशि में से राज्य १४० करोड़ रुपये की व्यवस्था करेंगे और १० करोड़ रुपये की व्यवस्था केन्द्र करेगा। राज्य १४० करोड़ रुपये में से ६० करोड़ करारोपण द्वारा, ५० करोड़ ऋणों और अल्प बचतों द्वारा और ३० करोड़ गैर विकास व्यय में कमी करके प्राप्त करेंगे।

बिन्तु जैसी स्थिति चल रही है यह आशा सफल नहीं हो सकती । हाँ इतना अवश्य है कि गैर विकास सम्बन्धी व्यय में कमी करने से कुछ आय अवश्य प्राप्त की जा सकती है, बिन्तु वह नियोजन आयोग की आशा ने बहुत ही कम होगी । अर्थात् तो यही होता कि आयोग इस राशि को बढ़ाना ही नहीं और देश के साधनों तक ही सीमित रखता ।

परिशिष्ट ?

शब्दानुक्रमणिका

पुस्तक पहली

मनुष्य के आर्थिक जीवन में राज्य का स्थान

अ

- अधारकार बी० पी०—७९, ८५, ८६
 —की स्वास्थ्य बीमा योजना—८५
 की विशेषतायें—८७
 अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त—३४
 अदृश्य शक्ति—६
 अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन—११३,
 ११५
 अधिकतम सामाजिक लाभ—७
 अन्तर्राष्ट्रीय धर्म सगठन—७९, ८५,
 ८६, ९७
 अनाथिक क्रियायें—३, ८, ९
 अनोपाजित आय—२४, ३१
 अमृतसर सम्मेलन, कश्मिर का—६६
 अराजकतावाद—३५
 अवमूल्यन—रूपरे का—११५
 अवसाय—११२
 असमानता, धन के वितरण की—१०,
 ११, १२, २३

आ

- आर्थिक अस्थिरता—२५, ३६
 आर्थिक क्रियायें—३, ३०
 १ आर्थिक नियोजन—७, ८, १२, १३,
 २७, २८, ३२, ४२, ४३, १०४, १०६,
 १०७

- आर्थिक यन्त्र—१४, १५
 आर्थिक राष्ट्रियवाद—७
 आर्थिक व्यवस्था—१४
 आर्थिक स्थिरता—१२
 आर्थिक स्वतन्त्रता—६, ७, १९, ३७,
 ३८
 आर्थिक समानता—३२, ३६
 आर्थिक सहायता—६, ९
 आधारभूत उद्योग—९
 आयात नियन्त्रण—११५
 आयोजनात्रुद्ध अर्थव्यवस्था—१४, १५,
 १६—की विशेषतायें—१५
 आर० रा०—८६

इ

- इन्टरनेशनल हार्वैस्टर कम्पनी—४९
 इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज—६६
 इन्डियन रेजर अर्थ्स लि०—६६
 इम्पीरियल बैंक—१०

उ

- उद्योग विकास एव नियन्त्रण अधिनियम
 —१९५१—६५, ६७

ए

- एकाधिकार—२०, २६, १०७—का अर्थ

एव महत्व—४४ —के लाभ—४५
 के दोष—४५, ४६ —का नियन्त्रण
 —४६, —अप्रत्यक्ष विधियाँ—४७,
 —प्रत्यक्ष विधियाँ—५०
 एनाधिकारी मन्त्र—१८, २६, ४२
 एडम स्मिथ—६, ७
 एयर इन्डिया इन्टरनेशनल कार्पोरेशन,
 भारत का—७४
 एयरलाइन्स कार्पोरेशन भारत का—६२,
 ७४

ऐ

ऐच्छिक एनाधिकार—४५
 ऐम० स्टेव—८६
 ऐलीजाबेथ रानी—२२

औ

औद्योगिक कमीशन—६४
 औद्योगिक गुटबन्दी—२०
 औद्योगिक भण्डे अधिनियम—६८
 औद्योगिक दुर्घटना—६१, ६२
 औद्योगिक नीति, सन् १९४८ की—६४
 औद्योगिक नीति, सन् १९५६ की—६६
 औपनिवेशिक विधियम—१२४

क

कनेटनएक्ट—४७
 करारोपण—१२, १०४
 कल्याणकारी राज्य—४६, ६३, ७६
 क्राय मन्त्रि—१०५, १०६, १०७
 कृष्णमाचारी टी० टी०—७५
 कापोराइट—१६, ४५
 कारीगर संधिवाद—३४, ३५

कार्ल मार्क्स—७, ३३, ३४, ३५
 केन्द्रीय नियोजन अधिकारी—२८, ३६
 ४०
 केन्द्रीय बैंक—१०
 केन्द्रीय सरकार—११
 कैम्ब्रिज—७
 कंबट—३२
 कोरियाई मुद्रा—११५
 कोल जी० डी० एम०—२४, ३५

ग

गोरवाला ए० डी०—७२

घ

घितरजन लोकोगोटिव बर्ग—६६
 घोरनाचारी—१०६, ११७

ज

जनोपयोगी सेवायें—११२, का नियन्त्रण
 —५३, की विधियाँ—५४, ५५
 जार्ज ब० शा—७, ३४, ३५
 जॉन स्टुअर्ट मिल—७
 जॉन स्ट्रेची—१६
 जीवन बीमा प्रमडल, भारत का—६१,
 ७६
 जोट, सी० डी० एम०—२६

ट

टाजिप प्रोफेसर—८५
 टॉमसी धैली ऑक्टिटी—४२, ६२
 ट्रीटरी—३८

ड

डूरेन्ड प्रोफेसर—५२

डाक्टर अम्बेदकर—१०१
डाक्टर मथार्ड—६६, ७०
डॉब मोरिस—३६
डिक्किन्सन—२६

त

तटकर प्रायोग, १९२३—६४

द

दामोदर वेली कार्पोरेशन—६१
दि न्यूमिन्ट अलीपुर—६६
देशमुख—७०, ७५, ७६

न

न्यायशीलता—२२
न्यूडील—८
न्यूनतम राष्ट्रीय स्तर—८०
नगरपालिकायें—५६
नात्सीवाद—३४
निजी उपक्रम—६०
निजी लाभ—१८, ३७
निजी सम्पत्ति का अधिकार—१७, १८, २३, ३६
निजी क्षेत्र—४१, ३३
निर्बाधावादी विचारधारा—५, १०२
नियन्त्रित अर्थव्यवस्था—४१
नियमन, वस्तुओं की पूर्ति का—११६
निर्वाहन प्रायोग—१४, ६६

प

पञ्चवर्षीय योजना, प्रथम—६५
पञ्चवर्षीय योजना, द्वितीय—६६
प्रजातन्त्र—१०
प्रत्यक्ष सहभागिता—१०

प्रतियोगिता—२०, २६, ३८, ४८, १०३
प्रमाणीकृत वस्तु—१२०, १२२
प्रसव लाभ—८०, ८३, ६३, ६५, भारत
में व्यवस्था—६५, विभिन्न अधिनियम
—६६

प्राकृतिक एराधिकर—४४

प्रावधान बोध—८६, ६६—अधिनियम,
भारत में—६६

प्रेमीडेन्ट क्लबवैल्ट—७२

पीगू प्रोफेसर—१६, २६, ४७, ५०, ५१,
११६

पूँजीवाद—१२, १६—श्रमिक का—३४

पूँजीवादी प्रणाली—१६, १७, १८, १६,
२०, २६, ३३, ३६, ३७, ४०—की
विशेषतायें—१७, के लाभ—२०, के
दोष—२३

पूर्ण रोजगार—२६, २८, ८१

फ

फामिज्म—३४
फिज़ियोक्रैट्स—६
फुयें चालिस—३२
फूड कार्जन्सल—११२६ (यू० के०)—
५१
फूड फंडरल कमिशन (अमेरिका)—५१

ब

ब्लम प्रायोग—८
बहुमुखी योजनायें—६६
बोरानोस्की तुयन—३०
बाल्शविकम—३५
बेकारी बीमा—८३, ६७—भारत में—
६७, ६८
बैनहम प्रोफेसर—

नैवरिज—७६, ७६, ८०, ८२, ८३
—की सामाजिक बीमा योजना—७६,
८०, का कार्य क्षेत्र—८१, से प्राप्त
होने वाले लाभ—८१

भे

भारत में कर्मचारियों का सरकारी बीमा
अभिनियम—८६, ८७, ९५, ८६,
९७, का अर्थ प्रवृत्त—९०, के लाभ
—८७

भारत में कर्मचारियों का सरकारी बीमा
कोष—९०

भारत में कर्मचारियों का सरकारी बीमा
प्रणालि—८७

भारत में धर्म जांच समिति—९५, ९७,
भारत में धर्म पर चाही आयोग—९५,
९७

भारतीय नियोजन आयोग—६५

म

मजदूर सघवाद—३४

मर्कण्टिलिस्ट—६

मेरिडियन बिल, अमेरिका का—७६

महामधी—७, ८, २५

मारीसस—३१

मार्श योजना, कनाडा की—७६

मार्शल प्रीफेगर—६१

मिलाबट वस्तुधो में—१२०, रोकेने के
उपाय, भारत में—१२२

मिश्रित वर्षध्वन्या—१४, ४३, ५८
—की परिभाषा—४०, की विशेषतायें
—४१, के गुण—४२, के दोष—
४२

मुद्रापत्रा यमिनियम, थमिको का भारत
में—८०, ८६, ९०, ९१, का कार्य-

क्षेत्र—९३, में मुद्रावर्जों की राशि—
९२, ९३, की कमियों—९४

मुद्रा प्रभार—१०५, १०७

मुद्रा एकुचन—११२, ११५

मूल्य का धर्म सिद्धान्त—३३

मूल्य नियन्त्रण—४, ५१, १०२, १०३,
१०४, १०६, की राशियों—१०४,

प्रत्यक्ष—१०५, १११, परोक्ष—१११,

११२, सकारात्मक तथा नकारात्मक

—५१ ५२, भारत में—११३, ११६

—की कठिनाइयों—५२, १०८

मूल्य घटन—१५, २०, २१, २५, ३२,
३६

मूल्य वृद्धि के कारण—११४, अवमूल्यन
से पहिले—११४, अवमूल्यन के बाद
—११५

मूल्य स्थिरता—१११

मौद्रिक आय—३२

मौद्रिक नीति—१०, १०४

मौद्रिक लाभ—२५

मौद्रिक लाभ—२६

अ

यन्त्रात्मक सलाह—१०

युद्धकाल—१०५

यूनाइटेड शु मंजितरी कम्पनी—४६

यूनाइटेड स्टेट्स फंडरल ट्रुड

कमीशन ऐक्ट मन् १९१५—४६

योजनावद्ध अथ व्यवस्था—७, १५, २७,

२८, की विशेषतायें—२८

र

रक्षात्मक कार्य—८

राज्य मूजीवाद—३४

राजकीय अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं क्षेत्र—३
 राजकीय उपक्रम—५७, ६०, ६२ भारत में इतिहास—६३
 राजकीय वित्त—३, १०
 राजकीय क्षेत्र—
 राजकीय-संचालन उद्योगों का—५८
 —के पक्ष में—५८
 —के विपक्ष में—५९
 राजस्व—४
 राबर्ट ओबिन—७, ३२
 राबिन्स—३, २७
 राबिन्सन पेंडमन एक्ट—४९
 राजनिग प्रणाली, भारत में—११७, ११९
 राष्ट्रीय आय—१०, १५, ८०
 राष्ट्रीयकरण—१०, १५, ३५, ५६, ५९, ६८, ७०, ७१, ७५
 —जीवन बीमे का भारत में—७४, ७६
 —बैंकों का भारत में—७४
 —वायु यातायात का भारत में—७४
 राष्ट्रीय निर्माण कार्य—८
 राष्ट्रीय नियोजन समिती—६४
 राष्ट्रीय धीमा योजना (इंग्लैंड)—८२
 राष्ट्रीय धीमा संगठन (इंग्लैंड)—८२
 राष्ट्रीय रोजगार सेवा (भारत में)—९७
 राष्ट्रीय लामाया—१०३
 राष्ट्रीय स्वास्थ्य आन्दोलन—८५
 रिक्कार्डो डेविड—१०१
 रिज़र्व बैंक—१०, ११२, ११६
 रूस की श्रान्ति सन् १९१७—७
 रोडवर्त्स—७, ३३, ३४

स

सर्नर, प्रोफेसर—४२
 साविन, लिबिस—२७

सास्की प्रोफेसर—४७
 सासाल—३३
 लुक्स और हूट—१६, ३०
 लोक प्रमण्डल—६५
 लोचपूषता—२२

व

व्यवितवाद—७
 व्यक्तसायिक बीमारियाँ—९२
 व्यापार चक्र—७, २५, ३६, १०४
 व्यापार चिन्ह—१२३
 शर्गाहीन समाज—३३
 वर्गीय संघर्ष—१८, ३२
 बुद्धावस्था और अयोग्यता सम्बन्धी सुरक्षा—९८
 वाणिज्यिक कार्य—८
 विनियम प्रथम, जर्मनी का—७९
 विवेचनात्मक राष्ट्रीयकरण—७०
 विवेचनात्मक संरक्षण—६४
 विश्व युद्ध, प्रथम—७, ८, १०४
 विश्व युद्ध, द्वितीय—७, १०४
 वेंगनर—१०
 वेंगनर मरे डिगल समिती (अमेरिका)
 —८३
 वैधानिक एकाधिकार—४४
 वेबस्—७, १७, ३०, ३५

स

स्थानीय सरकार—११, १०४
 स्टलिंग प्रतिभूतियाँ—११२
 स्टेट बैंक, भारत का—६१, ७४
 स्वतन्त्र आर्थिक प्रणाली—१९
 स्वतन्त्र उपक्रम—३२, ४२, १०२, १०४, ११०, ११७

स्वतंत्र प्रतिबोधिता—६, ७, १०३
 स्वप्नदर्शी समाजवाद—३२
 स्वयं नियता—२२
 सरक्षण—१०
 सम्मिलित पूँजी कम्पनियाँ—१२, ११५
 समाजवाद—२२, २६, २८, २९, ४०,
 —की परिभाषा—२९, की विशेषताये
 —३१, का इतिहास ३२, के गुण
 —३५, ३६, —के दोष—३७, वे
 रूप—३३, अन्तर्राष्ट्रीय समाजवाद
 —३२, अथ-जीवी समाजवाद—३२,
 राज्य समाजवाद—३२, ३४, ३५,
 वैज्ञानिक समाजवाद—३२, ३४, ३५,
 फैंथियन समाजवाद—३५, स्वप्नदर्शी
 समाजवाद—३२
 समाजवादी नमूने का समाज—६६, ८०
 सामाजिक नीमा—७६, की विशेषताये
 —७८ सामाजिक सुरक्षा से भेद
 —७८
 साम्यवाद—७, ३५
 सामाजिक कल्याण—५८

सामाजिक लागत—२५, ६०
 सामाजिक लाभ—२६
 सामाजिक सुरक्षा—४, ९, ११, ७६,
 ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४
 —इंग्लैंड में—७९, ८३
 —जापान में—८४
 —भारत में—८४, १००
 —संयुक्त राज्य में—८३, ८४
 सामाजिक हित—४, १८, ३६, ३७
 सामूहिक स्वामित्व, समाज का—३१
 सार्वजनिक व्यय—१२
 सार्वजनिक निर्माण कार्य—६, ७, १०३
 सिन्दरी फर्टिलाइजर—६६
 सिसमोन्डी—७
 सेन्ट सादगन—३२
 सेन्ट सिमोनियन्स—७
 सेमूएलसन, प्रोफेसर—४२

हैं

हीनार्थ प्रबन्धन १०७, ११६

पुस्तक दूसरी 'राजस्व'

अ
 अक्रुशल सरक्षित उद्योग— १०८
 अखिल भारतीय आयकर समिति— २३०
 अजल पूँजी— २५३
 अकारवर—१४०
 अतिकर— २२६, २३६
 अति प्रतिगामी आयकर— २११
 अतिरिक्त उत्पादन कर— ३३६, ३४०
 अतिरिक्त कर— ५८, १२५, १६०, १६१

२३१, २३३, २३६, २६६
 अतिरिक्त कर शक्ति— ३९, २१२ ३२७,
 ३७९
 अतिशोधन— ३५६
 अथिन यत्न उपजाधो आन्दोलन—२५, ४२
 अथिनतम सामाजिक कल्याण सिद्धांत—
 १०, २३, २५, ३४८
 अविभार— १८५
 अधिक लाभ कर— २२७ २३१, २३६,
 अविधिधि— १८०

अधोगामी कर- ७७, ८४, ८६
 अन्तर्प्रान्तीय भगडे- ३००
 अन्तर्राज्य करारोपण परिपद्- ३३६
 अन्तर्राज्यक्य विनय करारोपण- ३३६
 अन्तर्राज्य विनी कर- ३३६
 अन्तर्राज्य व्यापार- ३२८, ३३७
 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष- ५२, २०२,
 ४१६
 अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सम्मेलन (ब्रुसेल्स
 का)- २६
 अन्तर क्षेत्रीय व्यापार- १६१
 अन्तर्स्थानीय व्यापार- ३२३
 अन्तर्वर्ती व्यवस्था- २८६
 अन्तिम भार- ११५
 अनाधिक व्यय- २८१
 अनावर्ती अनुदान- ३७४
 अनावर्ती सहायता- १७८
 अनियमित अनुदान- ३७४
 अनिवार्य आय- ६७
 अनिवार्य वक्त योजना- २०६
 अनिवार्य भुगतान- ३२४
 अनुकूलतम विन्दु- १२
 अनुत्पादन व्यय- १० ३२, २०६
 अनुदान- २६ १६२, १८६ ३५६
 ३५७, ३७३ ६६
 अनुपातिक कर- ७६ ७१, ८८
 अनुपूरक माँग- ४४३
 अनुसूचित क्षेत्र समितियाँ- ३५३
 अपरिग्रही व्यय- ३०
 अप्रत्यक्ष कर-७७, के गुण और दोष-
 ८०
 अप्रत्यक्ष मौद्रिक भार- ११६
 अप्रत्यक्ष वास्तविक भार- ३६३
 अमीतिक पूजी- ३८३
 अम्बेदकर- १८७
 अवसाद- २२, ३८, ४०, ८६

अस्थायी ऋणों के लाभ एवं हानियाँ-
 ३६३
 असहयोग आन्दोलन- १७६
 असतत रेखा- ११२

आ

आवस्मिक लाभ-१०७
 आगस्त-२४०
 आर्थिक आवश्यकतायें- २२६
 आर्थिक उत्थान- ३१३
 आर्थिक राष्ट्रीयवाद- १६
 आर्थिक लगान- २६४
 आर्थिक सतुलन- २६०
 आर्थिक विकास- २२८, ३१३
 आदेश- २६४
 आधिक्य मिद्धान्त- २६
 आधुनिक कर प्रणाली- २७६
 आन्तरिक ऋण- २०२ ३८६, का भार
 ३८७
 आन्तरिक स्थानान्तरण- १६५, १६७
 आवकारी आय- ३१४
 आवकारी कर- ३१३
 आभास स्थायी प्रभविदा- १७१
 आमकर- २२३, भारत में- २२६, का
 विभाजन- १८०, १८३, की आय
 का वितरण- १८७, १६१
 आय कर अधिनियम- २२५, के लाभ
 एवं दोष- २२८, आयकर का इतिहास
 -२२९
 आय कोष- २६०
 आय पर प्रत्यक्ष माँग- ५३
 आय बोर्ड- ३०२
 आय समिति इंग्लैंड की- २४७
 आय योगकरण विधि- १३८
 आयात कर- १७६, २७५, का भार-
 १३१

आयात नियंत्रण नीति- २७६

आवर्ती अनुदान- ३७४

आवाणियजक कार्य- ४१८

इ

इच्छित योगदान- ४२६

ई

ईस्ट इन्डिया कम्पनी- १६५, १६७

उ

उन्नतम-प्रगतिशील कर- २४३

उत्पत्ति के नियम- १२५, ह्रास नियम
१२५, बुद्धि नियम- १२५ समानता
नियम- १२५, ३२५

उत्पत्ति गणना विधि- १३८

उत्पादन कर- २५६

उत्पादक व्यवसाय- १२०

उत्पादन कर- १६६ २४६, २६८
२६६, ३०५

उत्पादन का वन्दनीयकरण- ३०५

उत्तर प्रदेश गटक विकास बोध- ३६४

उत्तराधिकारी कर- १७७ २३६, २४२
२४८

उत्तराधिकारी प्रथा- २४४ २५६

उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र कर- २५१

उद्योगों का सामाजिकरण- १४५

उत्पत्ति कर- ३४५

उपकर- ३४५

उपकार कर- ३६०

उपकारी बोध- २६०

उपक्रम शक्ति- २०६

उपयोगिता ह्रास नियम- ११ ८५

उपहार कर- २५६

हर्मला हिकस- ४, ८, १४, १५, ११७,
२२४

ए

एकक उत्पादन प्रणाली- २५७

एक तथा बहुकर प्रणाली- ७४

एक विन्दु कर- ३२२, ३४०

एक विन्दु विक्री कर- ३२३

एकाधिकार निरोधक क्षेत्र- २१

एकाधिकारिक दण्ड म कर भार- १२६

एकाधिकारिक प्रतिभोगिता १२७, १२८

एकाधिकारी मूल्य- १२६

एकाधिकारिक शक्ति- १२६

एकीकरण, दश्री रियासतों का- १८६

वित्त आयोग की सिफारिशें- १८७

एडम्स- ६७ १०६

एडमस्मिथ- १६ ३२ १०६, २५०, २८५,
३८३

एडमस्मिथ के मिथान्त- ७१

एडम्स का वर्गीकरण- २८

ऐ

ऐच्छिक कार्य- ३५३

ऐजबर्थ

ऐलिंगर- १३६

ओ

ओटावा व्यापार समझौता- २७८

ओटोनीमियर- १८०, २३०

ओटोनीमियर एराटे- १८३

ओटोनीमियर रिपोर्ट- १७७

औ

औद्योगिक उपक्रम- २८२, २८६

औद्योगिक और कृषि विकास- १७४

औद्योगिक मुठबन्दी- २२७

औद्योगिक मस्यारों- ५२

अं

- अन्तिम बिन्दु—३३६
असादान—३५, २२२, २८८, २८९
अशत करारोपण—११८
अशक्षम योजना—३४४

क

- कर्नाट—७४, १२१
कर्पिण—१२१
कय कर—३२१
कृष्णदत्त पालीवाल—३३१
कृषि आय कर—२६६; कर जांच
आयोग के विचार—३०४
कर का पूंजीकरण—१३२, १३३
करदान क्षमता—१३५, ६५, ६३, ११०,
११८, १२४, १३६; की परिभाषा—
१३८, की निर्भरता—१४१, का
माप—१३७,
कर का समिश्रण—८२,
कर जांच आयोग—१५०, २०५, २१०,
२३५, २६६, ३२३, ३३५, ३३८,
३६२, ३७५, २६८,
करभार—७७, ११५, १२३, १३०,
३०३; के अध्ययन का महत्व—११८,
कर भार उत्पत्ति की दशाओं से—१२४,
—उत्पत्ति के नियम की दशाएँ—
१२५; —एकाधिकारिक दशा में—
१२६; —एकाधिकारिक प्रतियोगिता
की दशा से—१२७,
कर विवर्तन—११५, ११६, १२०, १२२,
१२४, १२६, ३२४, के सिद्धान्त—
१२०; आधुनिक मत १२२; केन्द्रीय-
करण सिद्धान्त १२०; प्रसार सिद्धान्त
१२०

- करारोपण के सिद्धान्त एव रूप—७०,
७१; के उद्देश्य ७०; के सिद्धान्त
७१, अन्य सिद्धान्त ७२, अच्छी कर
प्रणाली के गुण ७४, एडम स्मिथ
के सिद्धान्त ७१
करारोपण में न्याय की समस्या—६१;
के विभिन्न सिद्धान्त—६१; करदान
योग्यता सिद्धान्त—६३; डिमाकों का
आय सिद्धान्त ६३; न्यूनतम वस्तुगत
दृष्टिकोण ६६; भावात्मक दृष्टिकोण
६४; लाभ सिद्धान्त ६२; विषीय
सिद्धान्त ६१; समान त्याग सिद्धान्त
—६४, समानुपातिक त्याग का
सिद्धान्त—६५; सेवा की लागत का
सिद्धान्त—६२
करारोपण के आर्थिक प्रभाव—१००;
आर्थिक स्थिरता पर—११२, उत्पादन
पर—१०१, उपभोग पर—१११;
वितरण पर—१०६
करों का वर्गीकरण—७६,
कल्याणकारी राज्य—६, ४०, ५०,
२१६, २८४, ३१०
कॉन—६२
कार्वर—६५
कारपोरेशन कर—१७८
कालवर्त—६१
केन्स, लार्ड—८६, २०६, २२४, २७६,
४०५
कुल राष्ट्रीय आय—२२४
के० टी० शाह—४६, २०३
केन्द्रीय आय बोर्ड—२५४
केन्द्रीय सलाहकार समिति—२६०
केलडोर—१४६, २०४, २१०, २२८,
२३७, २५६, २६३, २६६, २८०,
२८३;
के० सन्धानाम—१६०;

के० सी० निखोगी—१८६
कैबिनेट मिशन—१८२
कैनन—१४४, ३४६
कोहन—७१, ३६१
कोलिन क्लार्क—१४०, १४६

ख

खण्ड प्रणाली—२२७, ३०१, ३४१

ग

गर्नेटस्टन—३८३
ग्राफ प्लापत—३५५
गैर कर आय—२०७, ३४२
गैर कृषिक सम्पत्ति—१६०
गैर कर सम्बन्धी आय के स्रोत—२१८,
२८६
गैर विकास कार्य—१५०
गोखले—३१३
गौड व्यय—२६

घ

घाटे का बजट—१६७, १७६, ३४१
घिसाई कोष—२८८

च

चाट्टर अधिनियम—१६५
चाट्टर एक्ट—१६५
चुंगीकर—२६८, ३६८
चुंगी कर व्यवस्था—३६१
चेम्सफोर्ड—१६५
चैपमैन—७१

ज

जमींदारी उन्मूलन—१६७

जान भवाई १४६, २०५, २६६
ज्योर्ज वी० क्यूटन—३१५
जूट निर्यात कर—१८३, १८८
जे० के० मेहता—३०, ३१
जे० वी० से०—१०

ट

टाकिया—६०
टी० टी० कृष्णमाचारी—२६४
टेलर—३६

ड

डही यात्रा, ग्रांथी जी की—१७३
ड्रमड फेजर—१३८
डास्टन—५, १३, १४, ३३, ३७, ६६,
१००, ११६, १३३, १४४, २४७,
३६७, ३६८, ४०४
डि० मार्को—६१, ७८, ८३, ८१, ८८
डीजल—३८३
डेनियल डिफो—४२४

त

तटकर—२७८
तीव्र प्रतिगामी व्यव—३७
तीव्र प्रगतिशील व्यव—३८
तुर्गा—७५

द

दामोदर घाटी योजना—४२
दुखमयी करदान क्षमता—१३६
दुख रहित करदान क्षमता—१३६
दुसरा वित्त आयोग—१६०, ३६१
देशमुख—२५१

देशमुख एवार्ड—१८३
 देसाई—२१५

घ

घन कर—१०६, २५६
 घन की अस्तमानतायें—३७, ११५, १३५,
 २२८, २६१

न

न्यूनतम कर रहित सीमा—१४५, २०५,
 २२५, २५६, २८२
 नगर मुखार ट्रस्ट—३६०
 नगर कारखोरेसन—३५३, ३५४
 नगर क्षेत्र समिति—३५३
 नमक कर—२७३
 नमक कर नियम—२७३
 नागरिक उद्घोषण—५२
 नागरिक निर्माण कार्य—५२
 नागरिक प्रशासन—६, २३, ५४
 नागरीकरण—२०
 नागरीकरण समिति—१६२
 नामन कर—३१२
 निकलसन—२७
 निट्टी—७४
 निर्यात प्रव्याज—२६
 निर्यात कर—२७४
 नियोजन आयोग—२००, २१६, ३०७,
 ३१८, ३५५
 निर्वाधावादी नीति—१६, ४०, ४२

प

प्लंहेल—२६, ५६, ६३
 प्रगतिशील करारोपण—७१, ८४, २४४
 प्रगतिशील व्यय—३७
 प्रगतिशील उगहार कर—२६०

प्रगतिशील व्यय कर—२७६
 प्रगतिशील कृषि आय कर—३०३
 प्रत्यक्ष अनुदान—२६
 प्रत्यक्ष कर—७७; के गुण—७६; के
 दोष ७६
 प्रत्यक्ष मौद्रिक भार, कर का—११७, १२६,
 ३८७
 प्रतिगामी कर—७७, ८४, ८६, ३४६,
 १६६, २०६
 प्रतिगामी व्यय—३७
 प्रतिगामी आय कर—२११
 प्रतिस्थापन तथा पुनःनिर्माण कोष—
 २६०
 प्रथम वित्त आयोग—१८६
 प्रमाणिक सीमा मुक्त—२७६
 प्रान्तीय प्रसविदा—१७१
 प्रांतीय स्वशासन—३०६, ३२८
 प्रारम्भिक शिक्षा एकद—३६३
 प्रायदान कोष—२३५, २६४, ४१७
 पिछला कर सिद्धात—२४१
 पीगू—३०, ६४
 पील कमेटी—१७६
 पूंजी कर—४००
 पूंजी लाभकर—२१६, २३१, २५६,
 २६५, २६४
 पूर्ण रोजगार—८६
 पूर्ण संतुलन—१०
 पेंसे पर कर—३६२
 पोर्ट ट्रस्ट—५२

फ

फिजियोकेट्स—१८५
 फिनले शिराख—४, ५, २४, २६, २६,
 ७५, ७८, १३७, १४३
 फिलिप ० इ० टेलर—६०

फीरल आयोग—२६२

ब

बनत के विनियोग—१०२

बलात बनत—४१६

बलात ऋण—६१

बहु कर प्रणाली—७६

बहु विन्दु कर प्रणाली—३२१, २३१,
३३७, ३४०

बहु मुन्गी नदी घाटी योजना—३४३

बाह्य ऋणों का भार—३६६

बिप्ली कर—२६६, ३२१, का केन्द्रीय-
करण—३४०, का भार—३२४;

की प्रतिगाभिता—३२६, ३३६, के
लाभ—३२६; के दोष—३३६

बिप्ली कर, भारत में—३२६, के रूप—
३२१, एक विन्दु अथवा बहु विन्दु

कर—३२२, थोक अथवा छुटकर

बिप्ली कर—३२१, विशिष्ट वस्तु

बिप्ली कर—३२१, समस्त क्रय

बिप्ली कर—३२१, की मलाहकार
कमेटी—३४०

बिहार बिप्ली कर एक्ट—३३५

बेलोच मांग वस्तुओं की—११२

बैस्टेबिल—३, १८, ३२, ६७, ७३, ७८,
१०६, ३८०

भ

भार्गव—१३६,

भार की असमानतायें—२६६

भारत में राजकीय व्यय—४०

की मुख्य प्रवृत्तियाँ—४०

भार एक वृद्धि—४१

भारत का सचिव कोष—१८५

भारत में करदान क्षमता—१४५,

भारत में सच सरकार की आय के खोत—
२१७; आय कर—२१७, २२३; की
मुख्य विशेषतायें—२३३

भारत में मृत्यु कर—२५१

भारत में सीमा शुल्क—२७७

भारत के पीठ पायने—४१८, के भुगतान
के समझौते—४२१, सन् ४७, ४८,
५१ के समझौते—३२२

भारत में युद्ध वित्त व्यवस्था के प्रभाव—
४३१, ४३२

भारत में व्यय कर—२८२

भारत में सधीय वित्त व्यवस्था का
उद्गम—१६५

भारत में सधीय वित्त व्यवस्था—१८२

भारतीय आवकारी आयोग—३०६

भारतीय कर प्रणाली और उसके मुख्य
अंग—२०१, २१६, का समुचित-

करण—२१२, की विशेषतायें—

२०१, के दोष—२०२, में सुधार—

२०४

भारतीय कर जाँच आयोग—१४६, २५१,
२६५, २६७, ३००

भारतीय जायदादकर अधिनियम—२५२,

का भार—२५६, की विशेषतायें—

२५२

भारतीय लट कर नीति—२७८

भारतीय पन कर अधिनियम—२६३

भावी करारोपण नीति—२०६

भावी वित्त आयोग—१६८

भूमि उपकर—२०६, ३६०

भूसम्पत्ति कर—२३६, २४२

म

मदिरा निषेध नीति—३०५, ३०७

मदिरा निषेध जाँच समिति—३०७,

३१७, ३१८; की सिफारिशें—३१६

मध्नारायण, श्री—३०७, ३१७
 मनोरजन कर—७६
 मृत्यु कर—३३६, २४६, और वचत—
 २४४, का प्रशासन—२५४, का
 भार—२४८, की झालीचना—
 २५६, की प्रगतिशीलता—२४१,
 के विभिन्न सिद्धान्त—२४०
 मबलांकर—२६०
 महात्मा गांधी का असहयोग-आन्दोलन—
 २७३
 मांग और पूति की सापेक्षिक लोच—
 २७४, २४६
 मांग की लोच—१२७, २४५, ३२४
 मान्टेग्यू—१७२
 मार्गान्त कर—२६८
 भालगुजारी कर—२६३, का सक्षिप्त
 इतिहास भारत में—२६५, की मुख्य
 बिद्योपतायें—२६३, की असमानतायें
 —३०३
 भालगुजारी तथा करारोपण के सिद्धांत—
 २६६
 भालगुजारी तथा लगान—२६६, कर
 जांच आयोग की सिफारिशें—२६८,
 मार्शल—२७६
 मिल—२८, ३२, १०६, २७६
 मुद्रा स्कीति—२६, ३६, ११३, १४५,
 २१२, २१६, २७८, ४२६
 मुद्रा सकुचन—२२५
 मुद्रा की दसमलबीकरण—२६२
 मेगो योजना—१६८
 मेस्टन एनार्ड—१७२
 मेस्टन रिपोर्ट—१७३
 मेस्टन समिति—१७४
 मेस्टन सुझाव—१७५
 मैककली—८८
 मैकडोनल्ड—४६

मंके कामेटी—२८७
 मौद्रिक कर भार—३२४

य

यथात्मक तथा व्यवसायिक शिक्षा—५५,
 मुद्र सन्दर्षी वित्त व्यवस्था—४२४,
 २१८, की मौद्रिक लागत—४२५, की
 विभिन्न रीतियाँ—४२६, के गुण—
 ४२८, के दोष—४२८, के प्रभाव—
 ४२६
 मुद्र संचालन के साधनों का एकत्रीकरण—
 ४२५
 यू०पी० बिक्री कर ऐक्ट में सतोषन—३३२

र

राज्य और मद्य सरकार के पारस्परिक
 सम्बन्ध—१८४
 राज्यों का सचित कोष—१८५
 राज्य सरकारों की वित्तीय व्यवस्था की
 मुख्य प्रवृत्तियाँ—३४१
 राजकीय आय—६, २४, ५६, का वर्गी-
 करण—६७, एडम्स का—६७,
 बैस्टोविल का—६७, सेलिगर्मन का
 ६७, की लोच—८, के स्रोत—
 ५६, अनुदान—६६, उपहार—६६,
 कर—५६, जुर्माना—६६, प्रशासन
 सम्बन्धी आय—६३
 राजकीय सम्पत्ति एवं उद्योग—६२,
 लाइसेंस फीस—६४
 राजकीय व्यय—६, १८, २४, ३४, ३८,
 १०६, का सिद्धान्त—२३, का वर्गी-
 करण—२६, एडम्स का वर्गीकरण—
 २८, कोहन का वर्गीकरण—२६,
 जे० वे० मेहता का वर्गीकरण—२६,
 डाल्टन का वर्गीकरण—२६ निकलसन

- का वर्गीकरण—२७, प्लैंडन का वर्गीकरण—२६, पीगू का वर्गीकरण—३०, मिल का वर्गीकरण—२८, रोशर का वर्गीकरण—२८, गिराज का वर्गीकरण—३६
- राजकीय ध्यय की प्रवृत्ति—१८, की मुख्य मर्दे—५२, के नियम—२४, फिनले गिराज के—२४, धनुमोदन का नियम—२५ घाधिक्य सिद्धान्त—२६, मितव्ययिता का नियम—२५, लाभ का नियम—१४, के प्रभाव—३२, उत्पादन पर—३२, वितरण पर—३७
- राजकीय व्यापार प्रमदत—२१५
- राजकीय ऋण—६, १७७, ३७६, एव व्यक्तिगत ऋण से भेद—३७७, का उद्गम एव इतिहास—२८०, का वर्गीकरण—३८६, अनिश्चित कालीन तथा निश्चित कालीन ऋण—३६१, स्थायी ऋण—३६३, के शेष—३६३, के साभ—३६३, आन्तरिक ऋण—३८६, का भार—३८७, इच्छित तथा अनिच्छित ऋण—३६०, उत्पादक तथा अनुत्पादक ऋण—३८६, बाह्य ऋण—३८६, का भार—३८८, के गुण—३८८, के दोष—३८९, मूल भार ऋण—३६०, शोष्य तथा असोध्य ऋण—३६२, स्थायी ऋण के दोष—३६४, स्थायी ऋण के लाभ—३६४
- राजकीय ऋण की आवश्यकता एव महत्त्व—३७९, की सीमाये—४०७, के उद्देश्य—३८३, के चुकाने के ढग—३६५, वार्षिक वृत्ति—३६६, ऋण निषेध—३६५, ऋण परिवर्तन—३६६, निश्चित योजनानुसार—
- ३६८, ऋण परिसोध कोष—३६८, पूंजी कर—४००, के पक्ष में तर्क—४०१, के विपक्ष में तर्क—४०२
- राजकीय ऋणों के प्रभाव—४०२, उत्पादन पर—४०२, उपभोग पर—४०२, व्यवसायिक क्रियाओं तथा राजगार पर—४०५, वितरण पर—४०४, के लाभ—४०६, की हानियाँ—४०७
- राजकीय नीति—१७, १५७
- राजस्व का परिचय—३
- राजस्व का उद्देश्य—१०, श्रीमती हिवय के विचार—१४, का महत्त्व—१६, का विषय एव क्षेत्र—५, की परिभाषा—३
- राष्ट्रीय भाय जाँच समिति—१४७
- राष्ट्रीय मदिरा निषेध समिति—३१६
- राष्ट्रीय विकास परिषद—३२०
- रिकार्डों—३२, ३८३
- रिगनानों—२४५
- रिजर्व बैंक एक्ट—४१६
- रिजर्व बैंक राष्ट्रीयकरण—२६२
- रेलवे उपकारी कोष—२८६
- रेलवे बजट—२८८
- रेलवे बोर्ड—२८७
- रेलवे सुरक्षित कोष—२६०
- रोबर्ट ओन्त—७२
- लाइसेन्स फीस—६४, २५६, २६८
- लाई कार्नालिस—१६५, २६४
- लाई मेटलन—१७३
- लाई रिपन—१७०
- लाई लिटन—१६६
- लियाकत अली त्वाँ—२३७

लेखन—११२, ३८६

व

व्यक्तिगत करारोपण—७८, ११०,
२५६, २६६

व्यक्ति कर—११३, २२८, २७६

व्यक्तिगत उत्पादन प्रणाली—३०६

व्यक्तिगत व्यय करारोपण—२६८

व्यापार सतुलन की असमानतायें—२०२

व्यापारिक करारोपण—२१२

व्यवसाय कर—३६२

व्यवसायिक उपक्रम—२८८

वस्तु करारोपण—२६८, ३२१

वाणिज्यवादी नीति—२७४

वाणिज्य कर विभाग—३३०

वाल्टर लेटन—१७६

वास्तविक आय—१०३, १४८, १६६,
२२३

वार्षिक कर रहित न्यूनतम सीमा—
३३१

वार्षिक सम्पत्ति कर—२८३

विकस्टीड—७२

विकास कटीती—२०६

विकास कोष—२६०

विकास अनुदान—५२

विकेन्द्रित क्षेत्र—५६

विवरण की असमानतायें—१३, ३८,
२६३

वित्त आयोग या वित्त समिति—२६०,
१६१, १८३, १६६, २३०

वित्तीय समझौता—४६

वित्तीय जाँच समिति—१७३, १८६

वित्तीय शासन—४६४, सिद्धान्त एवं
व्यवहार में—४३४, के मुख्य

सिद्धान्त—४३५, धजट—४३८;

का कार्यरोपण—४४४, की तयारी—
४३६

वित्तीय नियन्त्रण—४४५

विलसन—१६७

विद्वेष बैंक—४१८

विशेष स्थानीय क्षेत्र—३५८

विशेष समिति—१७७

विशेष अतिरिक्त कर—२३२

विशेष विकास कोष—५०

बंगनर—१६, ७२, ३६१

वैधानिक प्रमडल—५२

श

शाही अधिमान—२७८

शाही आयोग—३४६

शुद्ध आय—१३२, २२३

शुद्ध आदेय—२६५, २६७

शुद्ध उत्पत्ति—१४७

शुद्ध भूगतान—२२४

शुद्ध राष्ट्रीय आय—२२४

शुद्ध राष्ट्रीय लाभांश—१३८

शौच्य ऋण—३६२

स

स्थानीय करारोपण—२०८, ३५०,
३४६

स्थानीय कोष उपकरण—३६८

स्थानीय वित्त, भारत में—३५२

स्थानीय वित्त जाँच समिति—३५८,
३५६, ३६६

स्थानीय सरकारों की वित्त व्यवस्था—
३४७

स्थानीय सस्यामों का इतिहास—३५१,
का व्यय—३६३, की आय के

- स्रोत—३५६, नीं आय के मुख्य
 स्रोत की विवेचना—३५६, गाडी
 तथा नावी और पशुधरो पर कर—
 ३६२, चुको कर—३६०, मार्ग
 शुल्क—३६२, सम्पत्ति कर—३५६,
 सीमा कर—३६०
 स्थानीय सस्थाधरो की सगत्यायें—३६४,
 पर जाँच प्रायोग के सुभाव—३६६
 स्थानीय वित्त समिति के सुभाव—
 ३६८
 स्वशासन जाँच समिति के सुभाव—
 ३६६, सरकारी धनुषान—३७३
 स्थानीय सस्थाधरो के कार्य—३५३, ने
 सिद्धान्त—३५६
 स्थानीय सेवाधरो का वित्तीय प्रग्रन्ध—
 ३५०
 स्थायी ऋण—३६४, के दोष—३६४,
 के लाभ—३६४
 स्थायी बन्दोवस्त—१६५, १७५
 स्थायी लागत—३५१
 स्वतन्त्र प्रतिपत्तिता—३५
 स्वतन्त्र मुद्रा ठलाई—२६२
 स्वतन्त्र व्यापार नीति—२७०, २७४
 स्वर्ण विनिमय मान—२६२
 सगामी स्रोत राज्य सरकारो की धाय
 के—१७७
 सघ के उत्पादन करो का वितरण—
 १८८, १६२
 सघ तथा राज्य सरकारो के बीच कार्य
 वितरण—४५
 सघ सरकार की धाय के स्रोत—१८४,
 २६८, २५६, २६८
 सघ सरकार के सर कर सम्बन्धी धाय के
 स्रोत—२८५, २८७
 सघ सरकार के ध्यय की मुख्य मर्दें—
 ४५
 सधीय वित्त का विवेन्नीकरण—१६७,
 १७६
 सधीय वित्त व्यवस्था—४६, १०२, १६७,
 १५२, के सिद्धान्त—१५३, १५७,
 गुरुत्वता—१५७, पर्याप्तता—
 १५८, प्रशासन की कुशलता—१५८,
 स्वतन्त्रता—१५७
 सवित कोष—११९
 सतुष्टि का मौद्रिक माप—२२३
 सरक्षण—३६, २७५
 सरक्षात्मक कर—२७५
 सशोधित विन्नी कर एकट—३३४
 सम्पत्ति कर—१०६, २३८, २५६, २६२,
 ३५६, का भार—१३२
 सम्पत्ति मूल्य पर कर—२४६
 सम्मिलित पूँजी नामनी—२२७, २५७
 समाजवादी समाज—४२
 समानुपातिक कटौती—२६४
 सरकार समिति—१८३, ३००
 सरकारी नीति के निर्देयक सिद्धान्त -
 ६१७
 सरकारी प्रमण्डल—२६१
 सरलाग स्तुति—१६६
 सर जीसिवा स्टाग्न—१३८
 सर वित्तियम संसफीण्ड—१६७
 सर हैनरी मेन—१६७
 सस्ती मुद्रा नीति—२०६
 सहकारिता उद्योग—३४१
 सांकेतिक मार्ग—४४३
 साम्राज्य डालर कोष—४१६
 सामान्य अतिरिक्त कर—२३२
 सामान्य धागात कर—२७८
 सामान्य उपहार कर—२१८, २६१
 सामान्य कर—२६२ }
 सामान्य विन्नी कर एकट—३४१
 सामान्य सम्पत्ति कर—१२

सामुदायिक विवास योजना—३४३	हरशल कमेटी—२६२
सामूहिक वचन—१३५	हाजत—२७६
सापेक्षिक कर दान क्षमता—१३६, १३१, १४४	हॉवसन—७२, ८५
सार्वजनिक निर्माण विभाग—३६४	हीनार्थ भ्रवन्धन—२०६, २१६, ४०५
सीमान्त सामाजिक लाभ—२४	हेनरी जार्ज—७५
सीमा शुल्क—२६८, २७४, वा भार— २७६, वर जाँच आयोग की सिफारिशें —२७६	हेडले—७२
सीमान्त न्याय, जनोपयोगी सेवाधा की —३५१	हैमिस्टन—१२१
सेलिंगमैन—२८, ५६, ६२, ६४, ६७, ६२, १३३	
	क्ष
	क्षेत्रीय रेल—१६७
	क्षु
ह	
हरवर्ट ह्वर—३१५	ऋण निषेध—३६५
	ऋण परिशोधकोप—३६८

पुस्तक तीसरी

बेकारी पूर्ण रोजगार तथा राजस्व नीति

अ

ए

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति—४६
अखिल भारतीय शिक्षा आयोग—५०
अल्पधिक विनिष्पिकरण—१६
अपूर्ण प्रतियोगिता—७
अल्पकालीन ऋण पत्र—४०

एडलर कमीशन—४६

औ

औद्योगिक प्रशिक्षण—४८, ५०
औद्योगिक बेरोजगारी—४२, ४८, दूर करने के उपाय—४८

आ

क

आकस्मिक बेकारी—२५
आन्तरिक राष्ट्रीय ऋण—३७
आय का पुनर्वितरण—३०
आय के वितरण की प्रसमानतायें—३१, ३७

कल्याणकारी राज्य—२२
छपि बेरोजगारी—४२, ४६, के कारण—४७

क्रियाशील—५, १२

वेन्स—६, १२, ३३

घ

घाटे का बजट—४०

घाटे का व्यय—२५

च

चकीय बेकारी—५

चैपमैन—१७

छ

छिपी हुई बेकारी—४३

ज

जमींदारी उन्मूलन—४६

जैक—४६

त

तीव्र गति सिद्धांत गांग का—१४

न

निजी विनियोग—११, २८, ३२

को प्रोत्साहित करना—२८

निर्वाधावादी नीति—१०, २२

नियोजन आयोग—५१, ५२, ५४, ५५,

का कार्यक्रम—५१

प

पञ्जाब समिति बेकारी पर—४६

प्रगतिशील करारोपण—४०

प्रगतिशील स्वयं क्रियाशीलता—६

की आलोचना—१०

पीगू—४, १७, २३

पुनर्वितरण सम्बन्धी करारोपण—३४,
३५, ४०

पूर्ण रोजगार—३, १२, २२, २४, २८,

अर्थ—२२, प्राप्त करने की रीतियाँ

—२५. एज़ राजस्व नीति २२

व

वकारी आयोग (कैलीफोर्निया)—१६

वकारी और समाज—१६

बेकारी क्या है?—३

बेकारी व कारण—३, ५, २४, ४३

के प्रभाव—३१७

बेकारी के व्यापार चक्र सम्बन्धी

सिद्धात—८

बेकारी के ७ विभिन्न रूप—१७, वस्तु-

गत वकारी, मौसमी बेकारी, चकीय

बेकारी, सामान्य बेकारी, औद्योगिक

ढाँच सम्बन्धी बेकारी—१७

बेकारी दूर करने व सामान्य उपाय—

२० (१) नकारात्मक (२) सकारा-

त्मक—२०

वरोजगारी की समस्या-भारत में—६२,

सामान्य कारण—४४

भ

भजदूरी तथा रोजगार का प्राचीन

सिद्धात—६, की आलोचना—८

भद्रास समिति—४६

महलतोंविम—५३, ५४, ५५

महात्मा गांधी—४६

महामन्दी काल—३

भाग अभाव सिद्धात—६, १२, १६

के तत्व—१२ विलियम वॉवरिज के

विचार—१६

मुद्रा स्फीति—२६, ३६
 मुक्ति रोजगार—५३
 मौममी बेकारी—१७, २१, ४७

र

राजस्व एवं पूर्ण रोजगार—३२,
 का प्राचीन और नया सिद्धांत—३२
 राजस्व सम्बन्धी नीति—२२
 रायल कमीशन—४६
 राष्ट्रीय ऋण—२७
 रोजगार तथा प्रथम पंचवर्षीय
 योजना—५१ दूसरी योजना—५२

ल

लौह—१६

व

वापार चक्र—१०
 वस्तुगत बेकारी—१७

विलियम बैबरिज—१६, १७, २३

श

शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी—४२, ४६,
 दूर करने के सुझाव—५०

स

स्थानापन्न व्यय—१३
 स्वतन्त्र छोड़ो प्रतियोगिता सिद्धांत—
 ५, ६
 सतुलित बजट—३३, ३४, ३६
 सगुक्तिकरण (उद्योगों का)—४५, ४८
 सप्रू कमेटी—४६
 सस्ती मुद्रा—३६
 सामाजिक प्राथमिकताओं का
 सिद्धांत—३२
 सामान्य सिद्धांत (कींग्स का)—६३६
 सामूहिक बेकारी—६
 साइटर—४६

पुस्तक चौथी

आर्थिक नियोजन

अ

अधिक मुद्रा प्रसार—४०
 अतिरिक्त वरारोपण—४१
 अतिरिक्त मुद्रा निकासी—५६
 अतिरिक्त हीनार्थ प्रबन्धन—३६
 अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक तथा वित्तीय
 समस्या—१४
 अनियोजित अर्थ व्यवस्था—६, ११
 अनियोजित क्रियाय—३

अनियन्त्रित मुद्रा प्रसार—६३

अवसाद—६

अर्थव्यवस्था के अर्थों में आर्थिक नियोजन
 की विनियमितायें—१३

अर्थ विकसित देश का अर्थ—१५

भ नियोजन विधि—२६

अर्थ स्थिर अर्थ व्यवस्था—२६

आ

आर्थिक नियोजन के सिद्धान्त—३, की

आवश्यकता क्या?—६, की विशेषतायें—५, के दम—६, के विभिन्न रूप—८ प्रजातान्त्रीय नियोजन—८, साम्यवादी नियोजन—८

आर्थिक विवादा के कारण—१६, आर्थिक—१८, राजनीतिक—१७, सामाजिक—१६

आर्थिक विकास मन्वन्धी धित व्यवस्था—२६

आर्थिक विकास का क्षेत्रीकरण—५४

आर्थिक सेवा आयोग—६८

आन्तरिक साधन—३४

आय का वितरण (बनारस), १६

आरदेशर दलाल—५३

इ

इन्डियन फेडरेशन ऑफ लेबर—४८

उ

उत्पत्ति ह्रास नियम—४२

उपभोग वस्तुओं का मूणांक—२५

ए

एम एन राय—४८

क

कर जीव समिति—७८

कृत्याणकारी राज्य—२१

केन्स—८६

केन्द्रीय सांख्यिकीय बपतर ५६

के सी नियोगी—५४

कोप विव—३७

ग

गांधीवादी योजना—४४, ५०, के मुख्य

उद्देश्य—५०

ग्रामीण धर्म व्यवस्था—७२, ८३

घ

घाटे का बजट—३३

च

छिपी हुई बेकारी—२४

ज

जनता की योजना—४४ ४८,

के उद्देश्य—४८

जगिंदारी उन्मूलन—२०

जवाहरलाल नेहरू—४४, ५१, ५७

जोत की अधिकतम सीमा—८३

ट

टिस्मेन पीइन्ट फोर प्रोग्राम—३४

द

दामोदर घाटी योजना—५६

दीपकान्वीन-नियोजन—५६

दूसरी पंचवर्षीय योजना—भारत की ७३,

की घालोचना—६४ के उद्देश्य—

७४ के गुण—६२ लागत—७४,

के व्यय का वितरण—७५, में उत्पादन

तथा विकास का लक्ष्य—८१, में नये

परिवर्तन—१०३, में पूंजी का

विनियोग—७७, वित्तीय साधन—

७८, प्रगति—६७

दूसरी योजना और बेकारी—६०

दूसरी योजना में रोजगार के अवसर—
६१

ब्रह्मानन्द —२५
धारधरा ऊटन—५

ध

धन की असमानताएँ—८१

न

निजी उपक्रम—६, १०, १६, २७
नियोजन आयोग—२५, २६, २८, ३६,
३८, ४१, ६१, ६७, १०३
नियोजित अर्थ व्यवस्था—४०, ४४,
नियोजित पूंजीवाद—१०
निर्वाचावादी नीति—६, ४३
नेशनल एडवाइजरी काउन्सिल—१४

प

प्रजातन्त्रीय नियोजन—८, ६, १०, २७,
प्रथम पंचवर्षीय योजना (भारत की)—
५८, की आलोचना—६६, प्रगति—
६६, की मुख्य बातें—६१, के उद्देश्य—
५६, में उद्योग—६४, कृषि—६३
यातायात एवं सवादावाहन—६५, वित्त
प्रवन्ध—६२, सिन्हाई एच विद्युत—
६४, योजना और राष्ट्रीय आय—
६५

प्रावदान कौम—३६, ७६
पी. गी. महल्लोपिस्त्र—७३

व

वर्म्बई योजना—४४, ४५, ४७, ५३,
की प्रमुख बातें—४५, उद्योग—४६,
कृषि विकास—४५, यातायात—४६
बहुउद्देशीय नदी विकास योजना—५५

भ

भारत में आर्थिक नियोजन—३५, का
प्रारम्भिक इतिहास—४३
भारत में विकास सम्बन्धी वित्त व्यवस्था
—३५
भारतीय अर्थ व्यवस्था—६०

म

मिश्रित अर्थ व्यवस्था—१०
मुद्रा स्फीति—८, ३३, ३८
मुद्रा सकुचन—८

य

युद्धोत्तर पुननिर्माण समिति—५२, के
के मुभाव—५३
योजना आयोग—५७, ७८,
योजनावाद अर्थव्यवस्था—४,

र

राजकीय उपक्रम—१०, ३८
राजकीय पदाधिकारी—५
राजकीय ध्यय—२७, ६३
राजकीय सेवा आयोग—६६
राष्ट्रीय आय—३६, ३६, ४४, ६
७३, ६२
राष्ट्रीय नियोजन समिति—४४, ५१
रोयिन्स—३, ४

ल

लियूइंग आर्थर—८
लियूलाविन—४

व

- वकील, सी० एन०—२४, २५
 वस्तुगत नियोजन—६३
 विकास सम्बन्धी वित्त—३५
 वितरण की असमानताएँ—६५
 वित्त प्रबन्ध, दुगरी योजना में—३८
 वैज्ञानिक महाहकार मण्डल—५६

श

- शिनोय—४२ ६१ ६५ ६६
 श्रीमन्नारायण प्रबन्धन—५०

स

- संगित गाल प्रणाली—४०

- स्थायी सदस्य बोर्ड—५६
 स्वतन्त्र बाजार प्रणाली—६
 मयुक्त परिवार प्रणाली—१६ १७
 सलाहकार नियोजन बोर्ड—५४, की
 गिवाग्नि—५४
 सहकारी खेती—५२
 सहकारी सेवा समिति—८३
 साम्यवादी नियोजन—८, ६, १०
 सामुदायिक विकास—२७, २६, ७६, ८३
 सामुदायिक विवाह प्रणाली—२८

ह

- हीनार्थ प्रबन्धन—२१, ३६, ३३, ४२,
 ६२, ८० ६६, १००

परिशिष्ट १

सहायक ग्रन्थ सूची

Adam Smith	—Wealth of Nations
Adams	—Finance
C Pigou	—A study in Public Finance
"	—Socialism vs Capitalism
एम "	—The Economics of Welfare
"	—The Political Economy of War
के Ghosh	—New Horizons in Planning
"	—Indian Economy—Its Nature and Problems
कर ed Marshall	—Principles of Economics
बुच्यर Buchler	—Public Finance
टोयन्बे Toynbee	—Survey of International Affairs
मार्को वित्तो मोडे विट्टो Marco	—First Principles of Public Finance
लर्नर Lerner	—The Economics of Control
के स्टाज स्मिथ Stages Smith	—Principles and Methods of Taxation
बोप	

- Barbara Wootton — *Freedom Under Planning*
 — *Plan or No Plan*
 Bastable, C F — *Public Finance*
 B K Madan — *Economic Problems of Underdeveloped Countries in Asia*
 Bhargava, R N — *Public Finance Its Theory and Working in India*
 R Misra — *Indian Federal Finance*
 B T Ranadive — *The Indian Plan*
 Buchanan and Ellis — *Approaches to Economic Development*
 Carver — *Essays in Social Justice*
 D K Malhotra — *War Finance and India's War Efforts*
 D L Hobman — *The Welfare State*
 D T Lakdawala — *Justice in Taxation*
 E A G Robinson — *Monopoly*
 E F M Durbin — *Problems of Economic Planning*
 F A Hayek — *The Road to Serfdom*
 F W Taussig — *Principles of Economics*
 Findlay Shirras — *The Science of Public Finance*
 Fisher, Irving — *The Nature of Income and Capital*
 Crowther — *Paying War*
 G D H Cole — *Principles of Economic Planning*
 G R Taylor — *Economics for the Exasperated*
 Gyan Chand — *Local Finance in India*
 H D Dickenson — *The Economics of Socialism*
 H Dalton — *Public Finance*
 H Lumer — *War Economy and Crisis*
 Harg and Shoup — *The sales Tax in the American States*
 India, Government of — *First Five Year Plan*
 do — *Second Five Year Plan*
 J A Schumpeter — *Capitalism, Socialism and Democracy*
 John Strachey — *The Theory and Practice of Socialism*
 J S Mill — *Principles of Political Economy*
 J K Galbraith — *A Theory of Price Control*
 J R Hicks — *Value and Capital*
 K D Jalan — *Unemployment in India*
 K T Shah — *Wealth and Taxable Capacity of India*
 Keynes, J M — *Theory of Employment, Interest and Money*
 Laidler — *Social Economic Movements*
 L C Jain — *Indian Economy During the War*
 Lenin — *The State and Revolution*

	Lewis Lorwen	— <i>Report of the Amsterdam Conference on World Social Planning</i>
वर्ष	Lutz	— <i>Public Finance</i>
वस्तु	Mac Gregor	— <i>Public Aspects of Finance</i>
विषय	Maurice Dobb	— <i>Political Economy and Capitalism</i>
वित्त	"	— <i>Some Aspects of Economic Development</i>
विज्ञान	Mehta and Agrawal	— <i>Public Finance in Theory and Practice</i>
	Meyers, Albert	— <i>Modern Economic Problems</i>
	M S Nata Rajan	— <i>Death Duties</i>
	Nurske Ragner	— <i>Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries</i>
दि	N S Subha Rao	— <i>Some Aspects of Planning</i>
श्री	P A Samuelson	— <i>Economics</i>
	P E Taylor	— <i>The Economics of Public Finance</i>
	P. J. Thomas	— <i>Federal Finance of India</i>
स्य	P Ruopp	— <i>Approaches to Community Development</i>
	Plehn	— <i>Introduction to Public Finance</i>
	R. A. Seligman	— <i>Essays in Taxation</i>
	R. H. Soltan	— <i>The Economic Functions of the State</i>
	Richard Strachey	— <i>Finances of Public Works of India</i>
	Rignano	— <i>The Social Significance of Death Duties</i>
	Robbins, Lionel	— <i>An Essay on the Nature and Significance of Economic Science</i>
	"	— <i>Economic Planning and International Order</i>
	Saxena and Mathur	— <i>Public Economics</i>
	S E. Harris	— <i>Economic Planning</i>
	Stampe	— <i>Fundamental Principles of Taxation</i>
	Tandon and Others	— <i>लोक अर्थशास्त्र</i>
Ar	T. Balogh and Others	— <i>The Economics of Full Employment</i>
,	United Nations	— <i>Methods of Financing Economic Development in Underdeveloped Areas</i>
एम	"	— <i>Measures for the Economic Development of Underdeveloped Countries</i>
	Ursula Hicks	— <i>Public Finance</i>
	Vakil C N	— <i>Finance Under Provincial Autonomy</i>
क.	Webb, Sydney and Beatrice	— <i>The Decay of Capitalist Civilization</i>
वर्ष	W. Arthur Lewis	— <i>The Principles of Economic Planning</i>
केन्द्र	William Beveridge	— <i>Full Employment in A Free Society</i>
केन्द्र		
केन्द्र		
को		

जिमका अभी तक विदेशी प्रतिष्ठापना के कारण विकास नहीं हो गया था, परन्तु जिमका भविष्य संरक्षण प्राप्त होने में अब उज्ज्वल है ।

यह ध्यान रहे कि साधनों का पुनर्वितरण हर स्थिति में देश या समाज के लिए लाभप्रद नहीं होता । कुछ ऐसे भी हस्तान्तरण हैं जो हानिकारक होते हैं । सभी का संरक्षण कर ही हानिकारक मिट्ट होता है । यदि संरक्षण करने में प्राप्त आय गये उद्योगों का आर्थिक सहायता देने में उपयोग की जाती है या अनुदान है या जो देश के लिए आवश्यक नहीं है या जिमके लिए देश की प्राथमिक परिस्थितियाँ उचित नहीं हैं ता एम उद्योगों में लाभ के स्थान पर हानि होती है । कर द्वारा जो साधनों का पुनर्वितरण होता है अर्थात् अब लाभप्रद उद्योगों में साधन निकालकर संरक्षित उद्योगों में जा नगने उद्योगों में उद्योग देश का हित अग्रसर नहीं होगा । ऐम उद्योग उद्योगों में अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पावेंगे और जैसे हैं उन पर संरक्षण प्रदाया जायगा वह टप टप हो जायगा । अतः जो साधन अधिक उपयोगी उद्योगों में निवेशकर अनुकूल संरक्षित उद्योगों में स्थानांतरित हुआ था उनका अल्पमयी उपयोग ही हुआ जो संरक्षण के अभाव में सभी भी नहीं होता । इसी प्रकार अन्विष्ट आचरणताओं की वस्तुओं पर कर लगाने में यह सम्भव है कि एम उद्योगों में सभी और श्रम निरंतर अनावश्यक उद्योगों में उपयोग में आने लगे । यदि ऐसा होता है तो भी साधनों का पुनर्वितरण हानिकारक होगा ।

कुछ कर ऐम होने हैं जो साधनों का स्थानांतरण वर्तमान उपयोगों में भावी उपयोगों के लिये कर देते हैं । व्यक्ति अपने उपयोगों को कम कर देने हैं और बचाने के लिए विवश हो जाते हैं । बचत द्वारा व्यक्ति को भविष्य में अपनी आय का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है । अतः व्यक्ति वर्तमान आवश्यकताओं पर अब न करके अपनी आय को भविष्य में खर्च करने के उद्देश्य से बचाने रखता है । पिछी कर आयत निर्यात कर ऐम कर का उदाहरण है । साधनों का स्थानान्तरण देश के हित में या अहित में यह बहुत कुछ सरकारी धन पर निर्भर करता है । यदि कर द्वारा प्राप्त राजस्व अनुत्पादित कार्यों में खर्च किया जाता है और देश की पूंजीगत वस्तुओं के बढ़ाने के काम में नहीं लाया जाता तो साधनों का स्थानान्तरण जो वर्तमान से भावी उपयोगों के लिये हुआ उद्योगों देश को तनिक भी लाभ नहीं हुआ ।

करों से साधनों का पुनर्वितरण ऐसा भी होता है कि साधन एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानान्तरित होने लगते हैं । यदि किसी देश में आय या गुणाफा कर बहुत ही प्रगतिशील है तो व्यक्ति उद्योग देश में अपनी पूंजी निकाल कर किसी ऐसे देश में विनियोग करने लगेंगे, जहाँ कर भार कम है । यदि देश के विभिन्न भागों में विशेष कर सघीय वित्त व्यवस्था (Federal Financial Administration) में करों की दरें भिन्न भिन्न हैं तब तो पूंजी का स्थानान्तरण वही ही सुगमता से होगा, चाहे विदेश में यह स्थानान्तरण इतना सरल न हो । राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था में इसकी सम्भावना इसलिए अधिक होती है कि उद्योग अथवा राज्य (States) होते हैं

और हर राज्य में अलग-अलग मूद्र की दर हो सकती है। भारत में विभिन्न राज्यों में बिक्री कर की दरों के भिन्न भिन्न होने से देश को काफी हानि हो रही है। यदि सब ही स्थानों पर कर की दरें समान हों तो सब ही क्षेत्रों का समान विकास होता है और देश को लाभ होता है।

करारोपण के वितरण पर प्रभाव—

इस अध्याय में हमने अभी तक करारोपण के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना की थी। अब हम यह अध्ययन करेंगे कि करारोपण के वितरण के क्षेत्र में क्या प्रभाव होने हैं। हम अभी, बढ़ती हुई धन की असमानताओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणामों से भली भाँति परिचित हैं। वास्तव में धन के वितरण की असमानताओं के कारण ही आज राज्य (State) की स्वरूपा इतनी बढ़ गई है। मानव जीवन में राज्य का महत्व जितना आज है उतना पहले कभी न था। हम देख चुके हैं कि राज्य अपने व्यय को इस प्रकार सम्पन्न करता है कि धन की असमानताएँ न्यूनतम हो जायें। यदि राजकीय व्यय का उद्देश्य धन की असमानताओं को कम करना है तो करारोपण का भी यही उद्देश्य होता है। प्राचीन लेखक इस विचार से बिल्कुल भी सहमत न थे कि करारोपण द्वारा धन की असमानताएँ दूर हो सकती हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि पुराने लेखक केवल यही मानते थे कि करारोपण आय प्राप्त करने का एक साधन है, और इसके अतिरिक्त न तो उमका कोई कर्तव्य है और न कोई लाभ ही। यदि देखा जाय तो एडम स्मिथ ने करारोपण सम्बन्धी जो अपने नियम दिये थे उनका भी यह उद्देश्य था कि राज्य को पर्याप्त आय बिना नागरिकों को तंग किये ही प्राप्त हो जायें। यही विचार रिक्वार्डो मिल वॉस्टेबिल और एडमम का भी था। ये लेखक करो को नागरिकों की जेबों से धन निकालने का एक साधनमात्र मानते थे। वॉस्टेबिल ने कहा है कि करारोपण को 'धन की असमानताओं को ठीक करने का एक साधन मानने की एक बड़ी दृढ़ धारणा है। यह तो वित्तीय कला की शक्ति के अन्दर ही सम्भव है कि करों की दरों और रूपों को इस प्रकार चुना जायें कि बिना किसी वर्ग पर अनुचित दबाव के, आवश्यक धन प्राप्त हो जायें, परन्तु यदि धन के वितरण के प्रभावों की ओर ध्यान देना है और इस दिशा में कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कोई तरतीब करना है तो इस कार्य की कठिनाइयाँ अत्यधिक हो जाती हैं। यदि उद्देश्य समाजवादी प्रणाली स्थापित करना है तो करारोपण में चालाकी से व्यवस्था करने की अपेक्षा अधिक प्रत्यक्ष और प्रभावशाली विधियाँ उपस्थित हैं।' परन्तु समय की प्रगति के साथ-साथ अब अधिकांश लेखकों का यही मत है कि राजकीय व्यय और करारोपण—दोनों ही धन की असमानताओं को दूर करने के शक्तिशाली अस्त्र हैं। यह समाजीकरण के अन्य प्रत्यक्ष उपायों की भाँति क्रान्तिकारी भी नहीं है और उद्देश्य की पूर्ति भी कर देता है। हम पिछले अध्याय में यह कह चुके हैं कि धन की असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से करारोपण की दरों में उलट फेर की जाती है। दरों की दृष्टि से हमने पहले, करा की